



# सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

३५

(सितम्बर १९२७-जनवरी १९२८)



# सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

३५

(सितम्बर १९२७-जनवरी १९२८)



प्रकाशन विभाग  
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय



अप्रैल १९७० (चैत्र १८९२)

© नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९७०

साहित्य समित् रूपये

₹ 10.00

कापीराइट

नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे

निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली-१ द्वारा प्रकाशित  
शान्तिलाल हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

## भूमिका

इस खण्डमें १६ सितम्बर १९२७ से ३१ जनवरी १९२८ तक पूरे ४½ महीनोके घटनाक्रमका समावेश होता है। इस अवधिमें गांधीजी, वाइसराय महोदयकी मुलाकातके कारण थोड़े व्यवधानको छोड़कर अपनी दक्षिणकी यात्रामें रहे। वे लंका गये और वहाँसे लौटकर उन्होंने उड़ीसाका दौरा किया। दिसम्बरमें अ० भा० कांग्रेसके मद्रासमें होनेवाले वार्षिक अधिवेशनमें भाग लेनेके बाद गांधीजी अहमदाबाद लौट आये। यह लम्बी यात्रा उन्होंने मुख्य रूपसे खादीकार्यके लिए धन-संग्रहके हेतुसे की थी और इसमें उन्हें तमिलनाडु और त्रावणकोरसे १६३,९०५ रुपये तथा लंकासे १०५,००० रुपये प्राप्त हुए। इस धन-राशिका उन्होंने बड़ी सावधानीपूर्वक हिसाब रखा और उसे प्रकाशित करवाया (देखिए परिशिष्ट २)। गांधीजी जब लंकामें थे, तो उनकी अनुपस्थितिमें ब्रिटिश सरकार द्वारा एक शाही आयोग नियुक्त करनेकी घोषणा की गई थी। साइमन कमीशनके नामसे प्रसिद्ध इस आयोगके विरोधमें भारतमें एक देशव्यापी तूफानकी सुगबुगाहटका संकेत देते हुए यह खण्ड समाप्त होता है।

अपनी दक्षिण-यात्राके दौरान गांधीजीने ब्राह्मण-अब्राह्मण समस्या और वर्णाश्रमके सम्बन्धमें अपने विचारोंको स्पष्ट किया। वर्णाश्रम धर्मके सम्बन्धमें गांधीजीकी जो दृष्टि थी उसको लेकर सुधारकोंके मनमें बड़ी शंकाएँ थी और इसलिए उनके लिए यह स्पष्टीकरण आवश्यक हो गया था। उन्होंने दृढतापूर्वक कहा, “वर्णाश्रमकी मेरी जो कल्पना है, उसमें अस्पृश्यता और जात-पातके वर्तमान भेद-जैसी कोई चीज नहीं है। वर्णोंका श्रेष्ठता या हीनतासे कुछ लेना-देना नहीं है। वर्ण तो उसी एक निश्चित नियमकी स्वीकृति है जो मानवके सच्चे सुखका स्रोत है और उसका सीधा-सादा मतलब यह है कि हमें अपने पूर्वजोंसे प्राप्त होनेवाले सभी अच्छे गुणोंको मूल्यवान मानकर उनका परिरक्षण करना चाहिए” (पृष्ठ ८५)। एक पत्रलेखककी आलोचनाके उत्तरमें उन्होंने १७-११-१९२७ को अपना दृष्टिकोण अधिक विस्तारपूर्वक स्पष्ट करते हुए लिखा : “यह योजना कल्पनादेशकी लग सकती है, तथापि लड़खड़ाते हुए कदमोंसे विशुद्धलताकी तरफ बढ़ते हुए समाजकी निर्बाध स्वच्छन्दताका जीवन जीनेकी अपेक्षा मैं अपनी कल्पनाके इस लोकमें रहना ज्यादा पसन्द करता हूँ।” (पृष्ठ २७१)। गांधीजीने श्री राजगोपालाचारीकी आलोचना करनेवाले नवयुवकोंकी जो कड़ी मर्त्सना की उससे पता चलता है कि दक्षिणमें व्याप्त कटुताका वातावरण कितना तीव्र था। उन्होंने तमिलनाडुमें ब्राह्मणोत्तर समाजके नेताओंसे जो चर्चाएँ की— जिनकी नोंद महादेव देसाईने ली है (देखिए परिशिष्ट १) — और श्री नाडकर्णीकी आलोचनाके जवाबमें ‘यंग इंडिया’ में जो लेख प्रकाशित किया (पृष्ठ २६७-७१) उनसे यह साफ जाहिर होता है कि गांधीजीका प्रयत्न इस दिशामें था कि हमें भूत और भविष्यमें

सामंजस्य करना चाहिए और उसके आधारपर अपने जीवन्त वर्तमानको समृद्ध बनाना चाहिए। जो आलोचक उनके विचारोंको निरी स्वप्नलोककी कल्पना मानते थे उनसे उन्होंने कहा, “व्यक्ति भले ही अपनी कल्पनाके संसारको समाज द्वारा स्वीकृत होते न देख सके लेकिन उस कल्पनामें रहनेकी छूट उसे अवश्य है” (पृष्ठ २७१)।

खादीकार्यमें सहायता देनेकी अपील तो गांधीजी हर समामें करते ही थे, लेकिन अपनी बात कहनेका उनका कुछ ऐसा विशेष ढंग था कि अपने श्रोताओंके साथ उनका आत्मीयताका सम्बन्ध बन जाता था। कनडुकातनमें दक्षिणके एक घनिक समाज—चेट्टियार लोगों—को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि वे अपनी समृद्धिका ऐसा तड़क-मड़क भरा प्रदर्शन न करें और अपनी दानवृत्तिका विवेकपूर्वक विनियोग करें (पृष्ठ १९)। कराइकुडीमें (खादी वस्त्रका) जो नीलाम किया गया उस अवसरपर श्रोताओंने उनपर अपने स्नेहकी जैसी-कुछ वर्षा की उससे वे गद्गद् हो गये (पृष्ठ ४१)। तूतीकोरिनमें गांधीजीने तमिल सीखनेके अपने प्रयत्नोंका जिक्र करते हुए बतलाया कि वे ‘तिरुक्कुरल’को मूल तमिलमें ही पढ़नेके लिए बैसा कर रहे हैं (पृष्ठ ९४)। इस प्रकार २७ अक्टूबरको एक स्नेह-मीने सन्देशके साथ उन्होंने दक्षिणसे विदा ली।

अपनी दक्षिण-यात्राके बीच ही गांधीजीको वाइसराय लॉर्ड इर्विनका निमंत्रण मिला कि वे २ नवम्बरको उनसे दिल्लीमें मिलें। इस सम्बन्धमें उन्हें विट्ठलभाई पटेलका सन्देश भी मिला था। उत्तर देते हुए गांधीजीने श्री विट्ठलभाईको लिखा कि इस चर्चसे उन्हें अलहदा ही रहने दिया जाये क्योंकि जैसी-कुछ स्थिति है उसमें उनका सहयोग कोई विशेष उपयोगी साबित नहीं होगा। और वाइसराय महोदयसे उनकी भेंटका जैसा-कुछ परिणाम हुआ उससे गांधीजीको लगा कि इस सम्बन्धमें उनकी जो निराशा-भावना थी वह ठीक ही थी। श्री प्रभाशंकर पट्टणीको ८ नवम्बरके अपने पत्रमें उन्होंने लिखा: “मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे-जैसे व्यक्तिको दिल्ली बुलानेकी कोई जरूरत ही नहीं थी। . . . क्योंकि वाइसराय दूसरोंका मत नहीं जानना चाहते थे बल्कि अपना मत ही जताना चाहते थे।” इस मुलाकातमें जो-कुछ हुआ उसके विविध विवरण परिशिष्ट ५ में दिये गये हैं।

१३ नवम्बरसे २९ नवम्बरतक गांधीजी लंकामें दौरा करते रहे। लंका और भारतके बीच जो पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है, अपने भाषणोंमें उनका वे बार-बार उल्लेख करते रहे। वहाँ बौद्धोंको सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा: “गहरे विचारके बाद मेरी यह धारणा बनी है कि बुद्धकी शिक्षाओंके प्रधान अंग आज हिन्दूधर्मके अमित्र अंग हो गये हैं। गौतमने हिन्दूधर्ममें जो सुधार किये, उनसे पीछे हटना आज हिन्दू भारतके लिए असंभव है। . . . गौतम स्वयं हिन्दुओंमें श्रेष्ठ हिन्दू थे। उनकी नस-नसमें हिन्दूधर्मकी सभी खूबियाँ भरी पड़ी थी। वेदोंमें दबी हुई कुछ शिक्षाओंमें, जिनके सारको भुलाकर लोगोंने छायाको ही ग्रहण कर रखा था, उन्होंने जान डाल

दी" (पृष्ठ २५२-३)। एक अमरीकी मित्रकी प्रार्थनापर लंका जानेसे पूर्व उन्होंने 'यंग इंडिया' में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने हिन्दूधर्मके प्रति अपने दृष्टि-कोणको स्पष्ट करते हुए इस प्रकार लिखा था: "अध्ययन करनेपर जिन धर्मोंको मैं जानता हूँ उनमें मैंने इसे [हिन्दू धर्मको] सबसे अधिक सहिष्णु पाया है। इसमें सैद्धांतिक कट्टरता नहीं है, यह बात मुझे बहुत आकर्षित करती है क्योंकि इस कारण इसके अनुयायीको आत्माभिव्यक्तिका अधिकसे-अधिक अवसर मिलता है। हिन्दूधर्म वर्जनशील नहीं है, अतः इसके अनुयायी न सिर्फ दूसरे धर्मोंका आदर कर सकते हैं बल्कि वे सभी धर्मोंकी अच्छी बातोंको पसन्द कर सकते हैं और अपना सकते हैं" (पृष्ठ १७१)। कोलम्बोमें यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशनके समक्ष अपने भाषणमें उन्होंने कहा: "ईसाका सन्देश, जैसा कि मैं उसे समझता हूँ, उनके 'सरमन ऑन द माउंट' में विशुद्ध और सर्वांग रूपमें लिहित है। . . . अतः यदि मेरे सामने केवल 'सरमन ऑन द माउंट' और उसकी मेरी अपनी व्याख्या ही होती तो मैं यह कहनेमें नहीं हिचकता कि 'हाँ, मैं ईसाई हूँ।' . . . लेकिन . . . ईसाई धर्मके नामसे जो बहुत-कुछ चीजें मिलती हैं वे 'सरमन ऑन द माउंट'के विरुद्ध हैं" (पृष्ठ २५५-५६)। अपने नवयुवक बौद्ध श्रोताओंको सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा: "पश्चिमसे जो तड़क-मडकवाली चीजें आपके पास आती हैं उनसे आप चकाचौंध मत हो जाइए। इस अस्थायी दिखावेके कारण आपके पैर लड़खड़ा न जायें। . . . अपने पूर्वजोंकी सादगीसे आप दूर मत हटिए। एक ऐसा समय आ रहा है कि जब वे लौग, जो आजकी अन्वी दौड़में पडकर अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाते जा रहे हैं . . . अपने कदम वापस लौटायेंगे। . . . करुणामय और दयालु, सहिष्णुताकी साक्षात् मूर्ति ईश्वर, अर्थ-पिशाचको केवल चार दिन का चमत्कार दिखाने देता है" (पृष्ठ २५८-५९)। लेकिन अगले ही दिन हमारे अन्तरमें अवस्थित दशानन रावणका हमारे अन्तरमें प्रतिष्ठित राम द्वारा विनाश होना अवश्यम्भावी है। यों कहकर लंकाके श्रमिकोंको उन्होंने राम-रावण युद्धका सांकेतिक अर्थ समझाया (पृष्ठ २६४)। उन्होंने बतलाया कि धर्मोंके सच्चे भाई चारेके आधारपर ही एक विश्वसंघकी स्थापना हो सकती है, जिसमें सबकी ओरसे यही हार्दिक प्रार्थना होनी चाहिए कि "जो हिन्दू है वह और अच्छा और सच्चा हिन्दू बने, जो मुसलमान है वह और अच्छा मुसलमान बने और जो ईसाई है, वह और सच्चा ईसाई बने" (पृष्ठ ४७९)।

लंकासे लौटकर गांधीजी शीघ्र ही उड़ीसा गये लेकिन अपने रक्तचाप (ब्लड-प्रेसर) में वृद्धिकी शिकायतके कारण उन्हें अपना उड़ीसाका अधिकतर दौरा मनसूख कर देना पड़ा। उड़ीसाकी स्थितिकी जो कुछ थोड़ी-सी झाँकी उन्हें देखनेको मिली उससे उनका हृदय एक तीव्र मनोव्यथासे द्रवित हो उठा और उन्होंने लिखा: "उड़ीसाका दौरा बहुत दिनोंसे मुलतवी चला आता था और जब उसका अवसर आया भी तो मेरे सन्ताप और मेरी जिल्लतको बढ़ानेके लिए ही" (पृष्ठ ४२२)। उन्होंने वहाँ

जैसा 'मृत्युका-सा सजाटा' देखा वैसा चम्पारनके बाद इससे पहले कमी नहीं देखा था (पृष्ठ ४२३)। उन्होंने स्थानीय कार्यकर्त्ताओंका उद्बोधन करते हुए कहा कि वे जनताको " इस भीरुताको, जो करीब-करीब कायरता ही है" छोड़ देनेका पाठ पढ़ायें (पृष्ठ ४२४)।

मद्रासके कांग्रेस अधिवेशनमें दो प्रधान प्रश्नोंको लेकर गांधीजी और अन्य नेताओंके बीच एक साफ मतभेद सामने आया, जिनमें एक तो हिन्दू-मुस्लिम समस्याका प्रश्न था और दूसरा था देशके राजनीतिक ध्येयकी व्याख्या। इनमें पहले प्रश्नके सम्बन्धमें तो वे बहुत पहले ही यह बात कबूल कर चुके थे कि " आजकल जैसा वातावरण है, उससे मेरे मनका मेल नहीं बैठता " (पृष्ठ १७) और इसीलिए गांधीजीको हिन्दू-मुस्लिम एकता-सम्बन्धी प्रस्तावके बारेमें, जिस रूपमें वह अधिवेशनमें पास किया गया, कोई विशेष उत्साह नहीं था, (देखिए परिशिष्ट ९) यद्यपि उसका मसविदा बनानेमें उनका भी हाथ था। 'यंग इंडिया' में इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा कि " इस प्रस्तावका मूल रूप तो बहुत ही बुरा था और अन्तमें विषय निर्धारिणी समितिसे स्वीकृत होकर वह जिस रूपमें निकला उसके बारेमें सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वह निर्दोष है और हमारे राष्ट्रीय विकासकी वर्तमान स्थितिमें उसका सबसे अच्छा वही रूप स्वीकृत हो सकता था। पर कमसे-कम मैं तो उसपर खुशियाँ नहीं मना सकता! मैं तो उसे सिर्फ एक कामचलाऊ प्रस्ताव ही मान सकता हूँ " (पृष्ठ ४५२)।

अन्य नेताओंके साथ — खास तौरसे पं० जवाहरलाल नेहरूके साथ — गांधीजीके जो मतभेद थे वे तो देशके राजनीतिक ध्येयकी व्याख्याको लेकर थे। स्वाधीनताके प्रस्तावकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वह तो " उतावलीमें सोचा और बिना विचारे स्वीकार किया गया " प्रस्ताव है (पृष्ठ ४५३)। उनकी इस आलोचनासे पं० जवाहरलाल उत्तेजित हो उठे और उन्होंने बहुत रोषपूर्वक अपने एक पत्रमें उसका प्रतिवाद किया (देखिए परिशिष्ट १०)। गांधीजीने इसके उत्तरमें लिखा: " मुझे तुम्हारे-मेरे बीचका दृष्टिभेद कुछ-कुछ दिखाई देने लगा था, फिर भी मुझे तनिक भी कल्पना नहीं थी कि ये मतभेद इतने गम्भीर हो जायेंगे। . . . मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि तुम्हें मेरे और मेरे विचारोंके विरुद्ध खुली लड़ाई करनी चाहिए। . . . मैं तुमसे अपना यह दुःख नहीं छिपा सकता कि मैं तुम्हारे जैसा बहादुर, वफादार, योग्य और ईमानदार साथी खो रहा हूँ; परन्तु ध्येयकी सिद्धिके लिए राजनीतिक सहचरताको भी कुर्बान करना पड़ता है " (पृष्ठ ४८८)। पर इसी बीच साइमन कमीशनके आगमनको लेकर देश-भरमें एक गहरा रोष छा गया और उसके प्रति विरोध-प्रदर्शनोंकी आयोजनाएँ करनेकी आवश्यकताओंके आगे उनके ये सैद्धान्तिक मतभेद फीके पड़ गये।

इस खण्डमें गांधीजीके अनेक ऐसे पत्रोंका समावेश है जो उन्होंने मीराबहनको 'सख्त ऑपरेशनके बाद . . . ठण्डक पैदा करनेवाले मरहम' के रूपमें लिखे हैं (पृष्ठ ५९)। अन्य अनेक पत्रोंमें एक पत्र श्री किशोरलाल मशरूवालाको है (पृष्ठ १६४-६६) जिसमें उन्होंने इस बातका विवेचन किया है कि एक चोरके विरुद्ध गवाही देनेका प्रसंग खड़ा होनेपर किसी अहिंसाके पुजारीका क्या कर्तव्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि संवेदना यदि सहज और खरी नहीं होती तो उसका कोई परिणाम नहीं होता। कांचीपीठके स्वामी शंकराचार्यके साथ अपनी भेंटके दो दिन बाद उन्होंने अपने ही सम्बन्धमें यह स्वीकारोक्ति की कि "हिन्दू-मुसलमानोंके झगड़ोंसे मैंने जो अपना हाथ खींच लिया है, इसका कारण यही है कि मुझे अपनी दया अघूरी या कृत्रिम मालूम होती है। कृत्रिमसे मेरा मतलब यह नहीं है कि वह झूठी है। मतलब सिर्फ इतना ही है कि वह बुद्धिके ही क्षेत्रमें है, उससे ज्यादा गहरी नहीं जाती" (पृष्ठ १६५)। गंगाबहन वैद्यको तथा आश्रमकी बहनोको लिखे अपने पत्रोंमें उन्होंने आश्रमकी बहनोके आपसी झगड़ोंको लेकर जो टीका की थी और जिसके कारण उनमें बड़ा क्षोभ पैदा हो गया था, उसकी चर्चा की और उन्हें समझाया कि वे सब अपनेको एक ही परिवारका सदस्य मानें और इस प्रकार अपने झगड़ोका निबटारा स्वयं कर लिया करें। श्री सी० एफ० एन्ड्रयूजको लिखे एक पत्रमें अपने डाक्टरोंसे भीठी चुटकी लेनेका लोभ-संवरण वे नहीं कर पाये। उन्होंने लिखा "तीन डाक्टरोंने तथा तीन यंत्रोने कल (ब्लड प्रेशरके) विभिन्न अंक सूचित किये — २००, १८०, १६०" (पृष्ठ ४१२)।



## आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया) तथा नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली; उड़ीसा सरकार; श्री बाह्यामाई एम० पटेल, अहमदाबाद; श्री गजानन कानिटकर, पूना; श्रीमती गंगाबहन वैद्य, बोचासन; श्री घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता; श्री महेश पट्टणी, भावनगर; श्रीमती मीराबहन, आस्ट्रिया; श्री नाराणदास गांधी, राजकोट; श्री परशुराम मेहरोत्रा, नई दिल्ली; श्रीमती राधाबहन चौधरी, कलकत्ता; श्री रमणीकलाल मोदी, अहमदाबाद; श्रीमती शारदाबहन शाह, बड़वान; श्रीमती तहमीना खम्बाता, बम्बई; श्री सी० एम० डोक और श्री हरिभारु उपाध्याय, बम्बई एवं 'बापुना पत्रो: भणिवहेन पटेलने', 'ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स', 'लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री', 'द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस', 'हैलिफैक्स: द लाइफ ऑफ लॉर्ड हैलिफैक्स', 'पांचवें पुत्रको वापुके आशीर्वाद', 'विट्ठलभाई पटेल: लाइफ ऐंड टाइम्स', खण्ड २ 'विद गांधीजी इन सीलोन', 'रिपोर्ट ऑफ द फोर्टी सेकेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐट मद्रास १९२७'के प्रकाशको तथा निम्नलिखित समाचारपत्रो और पत्रिकाओंके आभारी हैं: 'अमृतबाजार पत्रिका', 'आज', 'ट्रिब्यून', 'नवजीवन', 'प्रजाबंधु', 'यंग इंडिया', 'समाज', 'सर्चलाइट', 'साबरमती', 'सीलोन आब्जर्वर', 'सीलोन डेली न्यूज', 'हिन्दी नवजीवन', 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'हिन्दू'।

अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वल्वे अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालयका अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया), नई दिल्ली तथा श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र हैं। कागज-पत्रोंकी फोटो-नकल तैयार करनेमें सहायता देनेके लिए हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्लीके फोटो-विभागके आभारी हैं।



## पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरोंके द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोंकी स्पष्ट मूलें सुधार दी गई हैं।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय भाषाको यथासम्भव मूलके निकट रखनेका प्रयत्न किया गया है। जो अनुवाद हमें प्राप्त हो सके हैं, हमने उनका उपयोग मूलसे मिलाने और संशोधन करनेके बाद किया है। नामोंको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोंके उच्चारणके बारेमें संशय था, उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा कि गांधीजीने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दिये गये अंश सम्पादकीय हैं। गांधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भाषणों और भेंटकी रिपोर्टोंके उन अंशोंमें जो गांधीजीके नहीं हैं, कहीं-कहीं कुछ परिवर्तन किया गया है और कहीं-कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि दायें कोनेमें ऊपर दी गई है। जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख जहाँ उनकी लेखनतिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी निश्चित आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

साधन-सूत्रोंमें 'एस० एन०' संकेत सावरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका, 'एस० एम० यू०' गांधी स्मारक संग्रहालयकी मोवाइल माइक्रोफिल्म यूनिट द्वारा माइक्रोफिल्म की गई प्रतियोंका और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा गांधी) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है। 'सत्यना प्रयोगी अथवा आत्मकथा' के अनेक संस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ संख्याएँ भिन्न हैं; इसलिए हवाला देनेमें केवल उनके भाग और अध्यायका ही उल्लेख किया गया है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमि देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये हैं। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

## विषय-सूची

	पृष्ठ पाँच ग्यारह बारह
भूमिका	
आभार	
पाठकोंको सूचना	
१. भाषण : तंजौरमें (१६-९-१९२७)	१
२. भाषण : त्रिचनापल्ली नगरपालिकाके अभिनन्दनपत्रके उत्तरमें (१७-९-१९२७)	४
३. क्या समाचार देंगे ? (१८-९-१९२७)	४
४. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (१८-९-१९२७)	५
५. पत्र : आश्रमकी बहनोंको (१९-९-१९२७)	५
६. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको (१९-९-१९२७)	६
७. तार : जमनालाल बजाजको (२०-९-१९२७)	७
८. नोट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे (२०-९-१९२७)	७
९. भाषण : नेशनल कालेज, त्रिचनापल्लीमें (२०-९-१९२७)	८
१०. भाषण : बाई० एम० सी० ए०, पुत्तूरमें (२०-९-१९२७)	१०
११. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, त्रिचनापल्लीमें (२०-९-१९२७)	११
१२. भाषण : सार्वजनिक सभा, त्रिचनापल्लीमें (२१-९-१९२७)	१२
१३. भाषण : पुडुकोट्टामें (२१-९-१९२७)	१४
१४. पत्र : प्रागजी देसाईको (२२-९-१९२७ से पूर्व)	१५
१५. 'रगीला रसूल' (२२-९-१९२७)	१५
१६. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (२२-९-१९२७)	१८
१७. भाषण : सार्वजनिक सभा, कनडुकातनमें (२२-९-१९२७)	१९
१८. पत्र : प्रागजी देसाईको (२३-९-१९२७)	२३
१९. पत्र : मणिलाल गांधीको (२३-९-१९२७)	२४
२०. भाषण : अमरावतीपुरमें (२३-९-१९२७)	२५
२१. सन्देश : शिक्षा सम्मेलन, त्रिचनापल्लीको (२४-९-१९२७ से पूर्व)	२७
२२. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, कराइकुडीमें (२४-९-१९२७)	२८
२३. भाषण : देवकोट्टामें (२४-९-१९२७)	३०
२४. युवकोसे चर्चा (२५-९-१९२७ या उससे पूर्व)	३४
२५. एक पत्र (२५-९-१९२७)	३४
२६. पत्र : सुरेन्द्रको (२५-९-१९२७)	३५
२७. भाषण : सार्वजनिक सभा, कराइकुडीमें (२५-९-१९२७)	३५
२८. सन्देश : 'न्यू इंडिया' को (२६-९-१९२७)	४२

## चौदह

२९. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२६-९-१९२७)	४२
३०. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको (२६-९-१९२७)	४३
३१. पत्र : आश्रमकी वहनोंको (२६-९-१९२७)	४४
३२. भाषण : सिखवयलमें (२७-९-१९२७)	४५
३३. भाषण : पागानेरीकी सार्वजनिक समामें (२७-९-१९२७)	४६
३४. तार : मीराबहनको (२८-९-१९२७)	४८
३५. पत्र : मीराबहनको (२८-९-१९२७)	४९
३६. भाषण : मदुरैकी सार्वजनिक समामें (२८-९-१९२७)	४९
३७. नीलकी प्रतिमा और अहिंसा (२९-९-१९२७)	५५
३८. वेदोंमें गो-बलि (२९-९-१९२७)	५८
३९. पत्र : मीराबहनको (२९-९-१९२७)	५९
४०. भाषण : सौराष्ट्र क्लब, मदुरैमें (२९-९-१९२७)	६०
४१. पत्र : मीराबहनको (३०-९-१९२७)	६३
४२. पत्र : रामदास गाधीको (३०-९-१९२७)	६४
४३. भाषण : महिलाओंकी सभा, मदुरैमें (३०-९-१९२७)	६४
४४. भाषण : तिरुमंगलममें (३०-९-१९२७)	६६
४५. ए० वेदराम अय्यरके साथ वातचीत (३०-९-१९२७ के लगभग)	६८
४६. तार : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (१-१०-१९२७)	६९
४७. पत्र : मीराबहनको (१-१०-१९२७)	६९
४८. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (१-१०-१९२७)	७०
४९. पत्र : घनश्यामदास विड़लाको (१-१०-१९२७)	७२
५०. पत्र : मीराबहनको (२-१०-१९२७)	७३
५१. भाषण : विरुधुनगरकी सार्वजनिक समामें (२-१०-१९२७)	७४
५२. पत्र : मीराबहनको (३-१०-१९२७)	७६
५३. पत्र : सुरेन्द्रको (३-१०-१९२७)	७७
५४. पत्र : सुरेन्द्रको (३-१०-१९२७ के पश्चात्)	७८
५५. पत्र : मीराबहनको (४-१०-१९२७)	७८
५६. पत्र : आश्रमकी वहनोंको (४-१०-१९२७)	७९
५७. पत्र : विट्ठलदास जेराजाणीको (४-१०-१९२७)	७९
५८. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, राजापालयममें (४-१०-१९२७)	८०
५९. भाषण : राजापालयमके खादी बस्त्रालयमें (४-१०-१९२७)	८१
६०. भाषण : राजापालयमकी सार्वजनिक समामें (४-१०-१९२७)	८२
६१. पत्र : सुरेन्द्रको (४-१०-१९२७ के लगभग)	८६
६२. पत्र : सुरेन्द्रको (४-१०-१९२७ के पश्चात्)	८६
६३. पत्र : मीराबहनको (५-१०-१९२७)	८७
६४. भाषण : कोइलपट्टीकी सार्वजनिक समामें (५-१०-१९२७)	८८

६५. रोषमरा विरोध (६-१०-१९२७)	८९
६६. टिप्पणियाँ : एक खादी प्रेमी; दोहरा पाप (६-१०-१९२७)	९१
६७. पत्र : मीराबहनको (६-१०-१९२७)	९२
६८. भाषण : तृतीकोरिनकी सार्वजनिक सभामें (६-१०-१९२७)	९३
६९. भाषण : त्रिनेवेल्लीकी सार्वजनिक सभामें (७-१०-१९२७)	९५
७०. पत्र : प्रागजी देसाईको (८-१०-१९२७)	१००
७१. पत्र : मीराबहनको (८-१०-१९२७)	१०१
७२. भाषण : नागरकोइलमें (८-१०-१९२७)	१०१
७३. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको (९-१०-१९३७)	१०४
७४. भाषण : त्रिनेन्द्रममें (१०-१०-१९२७ या उससे पूर्व)	१०५
७५. पत्र : मीराबहनको (१०-१०-१९२७)	१११
७६. पत्र : होरेस जी० अलेक्जेंडरको (१०-१०-१९२७)	११२
७७. पत्र : छगनलाल जोशीको (१०-१०-१९२७)	११२
७८. पत्र : मगनलाल गांधीको (१०-१०-१९२७ के लगभग)	११३
७९. पत्र : आश्रमकी बहनोंको (११-१०-१९२७)	११५
८०. पत्र : देवचन्द पारेखको (११-१०-१९२७)	११६
८१. भाषण : विवलनमें (११-१०-१९२७)	११७
८२. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (१२-१०-१९२७)	११८
८३. भाषण : अलेप्पीकी सार्वजनिक सभामें (१२-१०-१९२७)	११९
८४. टिप्पणियाँ : सच्ची शिक्षा; गुरुकुल कांगड़ीसे सहायता; गोरखा-सम्बन्धी पुरस्कार-निबन्ध (१३-१०-१९२७)	१२४
८५. हिन्दू कानून और मैसूर (१३-१०-१९२७)	१२७
८६. नीलकी प्रतिमा-सम्बन्धी सत्याग्रह (१३-१०-१९२७)	१२९
८७. खादीके नमूने (१३-१०-१९२७)	१३१
८८. भाषण : एर्नाकुलममें (१३-१०-१९२७)	१३२
८९. पत्र : डब्ल्यू० एच० पिटको (१४-१०-१९२७)	१३६
९०. भाषण : त्रिचूरमें (१४-१०-१९२७)	१३७
९१. बातचीत : दलित वर्गके शिष्टमण्डलके साथ (१५-१०-१९२७)	१४५
९२. भाषण : पालघाटकी सार्वजनिक सभामें (१५-१०-१९२७)	१४८
९३. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, कोयम्बटूरमें (१६-१०-१९२७)	१५३
९४. भाषण : कोयम्बटूरकी सार्वजनिक सभामें (१६-१०-१९२७)	१५५
९५. पत्र : मीराबहनको (१७-१०-१९२७)	१६०
९६. पत्र : छगनलाल गांधीको (१७-१०-१९२७)	१६२
९७. पत्र : करीम मुहम्मद मास्टरको (१७-१०-१९२७)	१६३
९८. पत्र : किशोरलाल मशरूवालाको (१७-१०-१९२७)	१६४
९९. पत्र : गंगाबहन वैद्यको (१७-१०-१९२७)	१६६

## सोलह

१००. पत्र : आश्रमकी बहनोंको (१७-१०-१९२७)	१६८
१०१. तार : विट्ठलमाई झ० पटेलको (१७-१०-१९२७ या उसके पश्चात्)	१६९
१०२. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको (१८-१०-१९२७)	१७०
१०३. मैं हिन्दू क्यों हूँ? (२०-१०-१९२७)	१७०
१०४. तार : विट्ठलमाई झ० पटेलको (२०-१०-१९२७)	१७२
१०५. तार : विट्ठलमाई झ० पटेलको (२०-१०-१९२७)	१७२
१०६. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (२०-१०-१९२७)	१७३
१०७. पत्र : प्रभावतीको (२०-१०-१९२७)	१७४
१०८. पत्र : मणिलाल व सुखीला गांधीको (२०-१०-१९२७)	१७५
१०९. पत्र : मीराबहनको (२१-१०-१९२७)	१७६
११०. पत्र : सुरेन्द्रको (२२-१०-१९२७ के पश्चात्)	१७६
१११. तार : विट्ठलमाई झ० पटेलको (२३-१०-१९२७)	१७७
११२. भाषण : छात्रोंके समक्ष, तिरुपुरमें (२३-१०-१९२७)	१७८
११३. वर्णधर्मपर बातचीत (२३-१०-१९२७)	१७९
११४. भाषण : तिरुपुरकी सार्वजनिक सभामें (२३-१०-१९२७)	१८०
११५. पत्र : मीराबहनको (२४-१०-१९२७)	१८३
११६. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२४-१०-१९२७)	१८४
११७. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (२४-१०-१९२७)	१८६
११८. पत्र : आर० पार्थसारथीको (२४-१०-१९२७)	१८७
११९. तार : वाइसरायको (२४-१०-१९२७ या उसके पश्चात्)	१८७
१२०. पत्र : चंद त्वागीको (२५-१०-१९२७)	१८८
१२१. पत्र : आश्रमकी बहनोंको (२५-१०-१९२७)	१८८
१२२. भाषण : कालीकटकी सार्वजनिक सभामें (२५-१०-१९२७)	१८९
१२३. तार : विट्ठलमाई झ० पटेलको (२६-१०-१९२७)	१९२
१२४. भाषण : आदि-द्रविड़ोंके समक्ष, कालीकटमें (२६-१०-१९२७)	१९३
१२५. भाषण : मंगलोरकी सार्वजनिक सभामें (२६-१०-१९२७)	१९९
१२६. एक सच्ची सेविकाका प्रयाण (२७-१०-१९२७)	२०२
१२७. अनुकरणीय (२७-१०-१९२७)	२०३
१२८. कपासकी लाभदायक खेती (२७-१०-१९२७)	२०४
१२९. अस्पृश्यता-निवारण (२७-१०-१९२७)	२०६
१३०. सन्देश : दक्षिणको (२७-१०-१९२७)	२०७
१३१. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे (२९-१०-१९२७)	२०७
१३२. भेंट : 'इंडियन नेशनल हेराल्ड' के प्रतिनिधियोंसे (३०-१०-१९२७ या उससे पूर्व)	२०९
१३३. टिप्पणी : अनाथ (३०-१०-१९२७)	२१०
१३४. पत्र : मीराबहनको (३०-१०-१९२७)	२११

सत्रह

१३५. पत्र : मीराबहनको (३१-१०-१९२७)	२१२
१३६. पत्र : आश्रमकी बहनोको (३१-१०-१९२७)	२१२
१३७. पत्र : गंगाबहन झवेरीको (३१-१०-१९२७)	२१३
१३८. पत्र : परशुराम मेहरोत्राको (१-११-१९२७)	२१४
१३९. भाषण : जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्लीमें (२-११-१९२७)	२१४
१४०. स्वयंको बदलनेकी आवश्यकता (३-११-१९२७)	२१८
१४१. तार : मीठूबहन पेटिटको (३-११-१९२७)	२२०
१४२. तार : सोमसुन्दरम्को (५-११-१९२७)	२२०
१४३. तार : जालरस्टको (५-११-१९२७)	२२१
१४४. तार : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (५-११-१९२७)	२२१
१४५. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको (६-११-१९२७)	२२१
१४६. पत्र : मीराबहनको (६-११-१९२७)	२२२
१४७. पत्र : मणिलाल व सुशीला गाधीको (६-११-१९२७)	२२३
१४८. सन्देश : लंकाकी जनताको (७-११-१९२७ या उससे पूर्व)	२२४
१४९. तार : एन० आर० मलकानीको (७-११-१९२७)	२२४
१५०. पत्र : मीराबहनको (७-११-१९२७)	२२५
१५१. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदीको (७-११-१९२७)	२२६
१५२. पत्र : तुलसी मेहरको (७-११-१९२७)	२२६
१५३. पत्र : गंगाबहन वैद्यको (७-११-१९२७)	२२७
१५४. पत्र : आश्रमकी बहनोको (७-११-१९२७)	२२८
१५५. पत्र : वि० ल० फडकेको (७-११-१९२७)	२२९
१५६. पत्र : जी० एन० कानिटकरको (८-११-१९२७)	२२९
१५७. पत्र : प्रभाशकर पट्टणीको (८-११-१९२७)	२३०
१५८. क्या वह विफल रहा ? (१०-११-१९२७)	२३१
१५९. पत्र : हरजीवन कोटकको (१०-११-१९२७)	२३२
१६०. पत्र : डाह्याभाई पटेलको (१०-११-१९२७)	२३३
१६१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (११-११-१९२७)	२३४
१६२. पत्र : वी० ए० सुन्दरम्को (१२-११-१९२७)	२३५
१६३. पत्र : नारणदास गाधीको (१२-११-१९२७)	२३५
१६४. अनमेल विवाह अथवा बालहत्या (१३-११-१९२७)	२३६
१६५. मॅट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे (१३-११-१९२७)	२३८
१६६. भाषण : चेट्टियार लोगोकी समा, कोलम्बोमें (१३-११-१९२७)	२३९
१६७. भाषण : विवेकानन्द सोसाइटी, कोलम्बोमें (१३-११-१९२७)	२४०
१६८. पत्र : सुरेन्द्रको (१३-११-१९२७ या उसके पश्चात्)	२४१
१६९. मॅट : 'टाइम्स ऑफ सीलोन' के प्रतिनिधियोंसे (१४-११-१९२७ या उससे पूर्व)	२४२

अठारह

१७०. तार : घनगोपाल मुखर्जीको (१४-११-१९२७)	२४२
१७१. पत्र : मीराबहनको (१४-११-१९२७)	२४३
१७२. पत्र : आश्रमकी बहनोको (१४-११-१९२७)	२४४
१७३. भाषण : कोलम्बो नगरपालिकाके अभिनन्दनपत्रके उत्तरमें (१५-११-१९२७)	२४५
१७४. भाषण : आनन्द आलेज, कोलम्बोमें (१५-११-१९२७)	२४९
१७५. भाषण : नालन्दा विद्यालय, कोलम्बोमें (१५-११-१९२७)	२५०
१७६. भाषण : बौद्धोंकी समामें (१५-११-१९२७)	२५१
१७७. भाषण : वाई० एम० सी० ए०, कोलम्बोमें (१५-११-१९२७)	२५५
१७८. भाषण : मिशानरी सम्मेलन, कोलम्बोमें (१६-११-१९२७)	२५९
१७९. भाषण : श्रमिक संघकी सभा, कोलम्बोमें (१६-११-१९२७)	२६३
१८०. एक उद्धरण (१७-११-१९२७)	२६७
१८१. वर्णाश्रम और उसका विरूपीकरण (१७-११-१९२७)	२६७
१८२. खादीके सिले-सिलाये कपड़े (१७-११-१९२७)	२७२
१८३. भाषण : नेगोम्बोमें (१७-११-१९२७)	२७३
१८४. भाषण : कुरुनेगलकी सार्वजनिक समामें (१७-११-१९२७)	२७४
१८५. भाषण : माटलेकी सार्वजनिक समामें (१८-११-१९२७)	२७५
१८६. भाषण : घर्मराज कालेज, कौण्डीमें (१८-११-१९२७)	२७७
१८७. भाषण : कौण्डीमें (१८-११-१९२७)	२७९
१८८. भाषण : कौण्डीकी सार्वजनिक समामें (१८-११-१९२७)	२८१
१८९. भाषण : बाहुल्लाकी सार्वजनिक समामें (१९-११-१९२७)	२८२
१९०. "भूँडी भूँछी" (२०-११-१९२७)	२८७
१९१. चरखा संघके बारेमें (२०-११-१९२७)	२८९
१९२. भाषण : नुवारा इलियामें (२०-११-१९२७)	२९१
१९३. पत्र : मीराबहनको (२१-११-१९२७)	२९४
१९४. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२१-११-१९२७)	२९५
१९५. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको (२१-१२-१९२७)	२९५
१९६. पत्र : आश्रमकी बहनोको (२१-११-१९२७)	२९६
१९७. पत्र : आश्रमके बालकोंको (२१-११-१९२७)	२९७
१९८. पत्र : वि० ल० फड़केको (२१-११-१९२७)	२९७
१९९. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, कोलम्बोमें (२२-११-१९२७)	२९८
२००. भाषण : जाहिरा कालेज, कोलम्बोमें (२२-११-१९२७)	३००
२०१. भाषण : कोलम्बोमें पारसियोंके समक्ष (२२-११-१९२७)	३०१
२०२. भाषण : लंकाकी राष्ट्रीय कांग्रेसके कोलम्बो अधिवेशनमें (२२-११-१९२७)	३०२
२०३. भाषण : तमिल संघ, कोलम्बोमें (२२-११-१९२७)	३०९

## उत्तीस

२०४. भाषण : पानडुरामें ( २३-११-१९२७ )	३१२
२०५. भाषण : गैलेकी सार्वजनिक समामें ( २३-११-१९२७ )	३१३
२०६. भाषण : महिन्द कालेज, गैलेमें ( २४-११-१९२७ )	३१४
२०७. भाषण : अकमिमाना बालिका बुनाई केन्द्रमें ( २४-११-१९२७ )	३१८
२०८. भाषण : मतारामें ( २४-११-१९२७ )	३१९
२०९. भाषण : कानूनके छात्रोके सम्मुख, कोलम्बोमें ( २५-११-१९२७ )	३२०
२१०. भाषण : बौद्ध युवक संघ, कोलम्बोमें ( २५-११-१९२७ )	३२२
२११. भाषण : लंका भारतीय संघ, कोलम्बोमें ( २५-११-१९२७ )	३२६
२१२. भाषण : रेडियार संगम, कोलम्बोमें ( २५-११-१९२७ )	३२७
२१३. भाषण : कोलम्बोकी विदाई समामें ( २५-११-१९२७ )	३२९
२१४. भाषण : जफनाकी सार्वजनिक समामें ( २६-११-१९२७ )	३३२
२१५. भाषण : छात्र-कांग्रेसकी समा, जफनामें ( २६-११-१९२७ )	३३८
२१६. पत्र : हरजीवन कोटकको ( २७-११-१९२७ )	३४२
२१७. एक पत्र ( २७-११-१९२७ )	३४३
२१८. जफनामें ईसाई मिशनरियोके साथ चर्चा ( २७-११-१९२७ )	३४३
२१९. भाषण : भारतीयोकी समा, जफनामें ( २७-११-१९२७ )	३४६
२२०. भाषण : जफनामें ( २७-११-१९२७ )	३४८
२२१. तार : मीराबहनको ( २८-११-१९२७ )	३५१
२२२. पत्र : मीराबहनको ( २८-११-१९२७ )	३५२
२२३. पत्र : अन्वास तैयबजीको ( २८-११-१९२७ )	३५२
२२४. पत्र : सुरेन्द्रको ( २८-११-१९२७ )	३५३
२२५. पत्र : आश्रमकी बहनोको ( २८-११-१९२७ )	३५४
२२६. पत्र : टी० बी० केशवरावको ( २९-११-१९२७ )	३५४
२२७. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको ( २९-११-१९२७ )	३५५
२२८. भाषण : सेंट जॉन कालेज, जफनामें ( २९-११-१९२७ )	३५५
२२९. भाषण : सेन्ट्रल कालेज, जफनामें ( २९-११-१९२७ )	३५६
२३०. भाषण : उण्डुविल गर्ल्स कालेज, जफनामें ( २९-११-१९२७ )	३५७
२३१. भाषण : सर रामनाथन बालिका विद्यालय, जफनामें ( २९-११-१९२७ )	३५९
२३२. भाषण : तेल्लीपल्ली बुनाई स्कूल, जफनामें ( २९-११-१९२७ )	३६२
२३३. भाषण : जफना कालेज, जफनामें ( २९-११-१९२७ )	३६२
२३४. भाषण : रामनाडकी सार्वजनिक समामें ( ३०-११-१९२७ )	३६३
२३५. हिन्दू-मुस्लिम एकता ( १-१२-१९२७ )	३६७
२३६. अमेरिकासे सहायता ( १-१२-१९२७ )	३६९
२३७. खादीका अर्थशास्त्र ( १-१२-१९२७ )	३७०
२३८. मॅट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे ( १-१२-१९२७ )	३७१
२३९. भाषण : चिकाकोलकी सार्वजनिक समामें ( ३-१२-१९२७ )	३७२



वीस

२४०. खादीपर निबन्ध (४-१२-१९२७)	३७४
२४१. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, बरहामपुरमें (४-१२-१९२७)	३७४
२४२. भाषण : छात्रोंकी सभा, बरहामपुरमें (४-१२-१९२७)	३७५
२४३. तार : जमनालाल बजाजको (५-१२-१९२७)	३७७
२४४. पत्र : आश्रमकी बहनोको (५-१२-१९२७)	३७७
२४५. पत्र : मणिलाल व सुशीला गाधीको (५-१२-१९२७)	३७८
२४६. भाषण : छत्रपुरमें (६-१२-१९२७ या उससे पूर्व)	३७९
२४७. पत्र : मगनलाल गांधीको (६-१२-१९२७)	३८०
२४८. सत्यका विरूपण (८-१२-१९२७)	३८१
२४९. देव-मन्दिर (८-१२-१९२७)	३८३
२५०. भाषण : बानपुरमें (८-१२-१९२७)	३८४
२५१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (१०-१२-१९२७)	३८५
२५२. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (१०-१२-१९२७)	३८६
२५३. भाषण : सार्वजनिक सभा, बोलगढ़में (१०-१२-१९२७)	३८७
२५४. पत्र : एडा रोजेनग्रीनको (११-१२-१९२७)	३८८
२५५. पत्र : हेनरी नीलको (११-१२-१९२७)	३८९
२५६. पत्र : अल्पवयस्क रक्षा-समिति, कोचीनके मन्त्रीको (११-१२-१९२७)	३८९
२५७. पत्र : डी० आर० भाण्डारकरको (११-१२-१९२७)	३९०
२५८. पत्र : जे० एन० जिनेन्द्रवासको (११-१२-१९२७)	३९१
२५९. एक पत्र (११-१२-१९२७)	३९१
२६०. पत्र : श्रीप्रकाशको (११-१२-१९२७)	३९२
२६१. पत्र : हरजीवन कोटकको (११-१२-१९२७)	३९३
२६२. पत्र : आश्रमकी बहनोको (१२-१२-१९२७)	३९४
२६३. पत्र : रमेशचन्द्रको (१३-१२-१९२७)	३९५
२६४. तार : साकरचन्द्रको (१४-१२-१९२७)	३९६
२६५. पत्र : जे० डब्ल्यू० पेटावलको (१४-१२-१९२७)	३९७
२६६. आरोप-पत्र (१५-१२-१९२७)	३९८
२६७. पत्र : एच० ए० जे० गिडनेको (१५-१२-१९२७)	४०२
२६८. पत्र : आई० संन्यास राजू तथा अन्य लोगोंको (१५-१२-१९२७)	४०३
२६९. पत्र : वसुमती पण्डितको (१६-१२-१९२७)	४०४
२७०. पत्र : बहुरामजी खम्बाताको (१६-१२-१९२७)	४०४
२७१. गोरक्षाके बारेमें लेख (१८-१२-१९२७)	४०५
२७२. पत्र : तिरुकोट्टासुन्दरम् पिल्लेको (१८-१२-१९२७)	४०५
२७३. पत्र : गोपराजू सत्यनारायण मूर्तिको (१९-१२-१९२७)	४०६
२७४. पत्र : रेहाना तैयबजीको (१९-१२-१९२७)	४०७
२७५. पत्र : एस० हैडी परिवनायगमको (१९-१२-१९२७)	४०८

## इक्कीस

२७६. पत्र : के० एस० कारंतको (१९-१२-१९२७)	४०८
२७७. पत्र : ऑलिव डोकको (१९-१२-१९२७)	४१०
२७८. पत्र : आश्रमकी बहनोको (१९-१२-१९२७)	४११
२७९. पत्र : नारणदास गाधीको (१९-१२-१९२७)	४११
२८०. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (२०-१२-१९२७)	४१२
२८१. पत्र : एम० फ्रांसिस एच० ल्यूकको (२०-१२-१९२७)	४१२
२८२. पत्र : एस० एन० घोषको (२०-१२-१९२७)	४१३
२८३. पत्र : हेलेन हॉसडिगको (२०-१२-१९२७)	४१४
२८४. भाषण : कटकके खादी कार्यकर्ताओंके समक्ष (२०-१२-१९२७)	४१४
२८५. पत्र : देवी वेस्टको (२१-१२-१९२७)	४१७
२८६. पत्र : निर्मल चन्द्र डे को (२१-१२-१९२७)	४१८
२८७. पत्र : विश्वम्भर सहायको (२१-१२-१९२७)	४१९
२८८. पत्र : देवीचन्दको (२१-१२-१९२७)	४१९
२८९. पत्र : मणीन्द्रचन्द्र रायको (२१-१२-१९२७)	४२०
२९०. पत्र : टी० के० रामुष्नी मेननको (२१-१२-१९२७)	४२१
२९१. पत्र : प्यारेलालको (२१-१२-१९२७)	४२१
२९२. हमारा और उनका कलंक (२२-१२-१९२७)	४२२
२९३. कोई चीज तुच्छ नहीं है (२२-१२-१९२७)	४२४
२९४. पत्र : सुमद्रा तुलजापुरकरको (२३-१२-१९२७)	४२५
२९५. पत्र : जेबुनिसाको (२३-१२-१९२७)	४२५
२९६. पत्र : पिचप्पा सुब्रह्मण्यम् चेट्टियारको (२३-१२-१९२७)	४२६
२९७. पत्र : कमला देवीको (२३-१२-१९२७)	४२७
२९८. पत्र : एस० जी० दातारको (२३-१२-१९२७)	४२८
२९९. पत्र : आर० रामास्वामीको (२३-१२-१९२७)	४२८
३००. एक पत्र (२३-१२-१९२७)	४२९
३०१. पत्र : एस० वी० विश्वनाथ अय्यरको (२३-१२-१९२७)	४२९
३०२. पत्र : चेरुकाण्डी कुट्टनको (२३-१२-१९२७)	४३०
३०३. पत्र : के० केलप्पन नायरको (२३-१२-१९२७)	४३१
३०४. भाषण : मद्रासकी खादी और हिन्दी प्रदर्शनीमें (२३-१२-१९२७)	४३१
३०५. टिप्पणी : एक लेखपर (२५-१२-१९२७)	४३३
३०६. इन्द्रराज चरखा (२५-१२-१९२७)	४३३
३०७. हिन्दू विधवाएँ क्या करें? (२५-१२-१९२७)	४३४
३०८. पत्र : मु० अ० अन्सारीको (२५-१२-१९२७)	४३५
३०९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (२६-१२-१९२७)	४३६
३१०. पत्र : फूलचन्द शाहको (२६-१२-१९२७)	४३७
३११. पत्र : रेवाबांकर झवेरीको (२६-१२-१९२७)	४३७

वाईस

३१२. पत्र : आश्रमकी बहनोंको (२६-१२-१९२७)	४३८
३१३. प्रस्ताव : दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके बारेमें (२७-१२-१९२७)	४३८
३१४. पत्र : मु० अ० अन्सारीको (२८-१२-१९२७)	४३९
३१५. एक पत्र (२८-१२-१९२७)	४४०
३१६. राजनीतिक कैंदी (२९-१२-१९२७)	४४०
३१७. मेंट : 'इंडियन डेली मेल' के प्रतिनिधिसे (३०-१२-१९२७)	४४२
३१८. पत्र : मणिलाल व सुशीला गांधीको (३१-१२-१९२७)	४४४
३१९. पत्र : मणिवहन पटेलको (गुरुवार, १९२७)	४४६
३२०. पत्र : मणिवहन पटेलको (१९२७)	४४६
३२१. पत्र : जमनालाल वजाजको (सोमवार, १९२७)	४४७
३२२. पत्र : प्रभावतीको (२-१-१९२८)	४४७
३२३. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (४-१-१९२८)	४४८
३२४. स्मृतिमें (५-१-१९२८)	४४९
३२५. राष्ट्रीय कांग्रेस (५-१-१९२८)	४५१
३२६. भारतकी कवयित्रीको निमन्त्रण (५-१-१९२८)	४५७
३२७. पत्र : घनश्यामदास बिडलाको (५-१-१९२८)	४५८
३२८. पत्र : मगनलाल गांधीको (६-१-१९२८)	४५८
३२९. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (७-१-१९२८)	४५९
३३०. पत्र : नाजुकलाल चौकसीको (७-१-१९२८)	४६०
३३१. 'गीता' पर प्रवचन (७-१-१९२८)	४६०
३३२. गोरक्षा-सम्बन्धी लेख (८-१-१९२८)	४६२
३३३. मिट्टीकी महिमा (८-१-१९२८)	४६३
३३४. पत्र : कनिकाके राजाको (८-१-१९२८)	४६३
३३५. पत्र : डब्ल्यू० एच० पिटको (८-१-१९२८)	४६४
३३६. सन्देश : जामिया मिलिया इस्लामियाको (९-१-१९२८ से पूर्व)	४६४
३३७. तार : मदनमोहन मालवीयको (९-१-१९२८ या उसके पश्चात्)	४६५
३३८. पत्र : अब्बास तैयबजीको (१०-१-१९२८)	४६६
३३९. पत्र : नाजुकलाल चौकसीको (१०-१-१९२८)	४६६
३४०. पत्र : बी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (११-१-१९२८)	४६७
३४१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (११-१-१९२८)	४६८
३४२. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (११-१-१९२८)	४६९
३४३. भाषण : प्रार्थना सभा, सावरमतीमें (१२-१-१९२८ से पूर्व)	४६९
३४४. भाषण : विनयशीलतापर (१२-१-१९२८ से पूर्व)	४७०
३४५. भाषण : क्षमाशीलतापर (१२-१-१९२८ से पूर्व)	४७१
३४६. स्वतन्त्रता वनाम स्वराज्य (१२-१-१९२८)	४७२
३४७. अवैध स्वतन्त्रता लेना (१२-१-१९२८)	४७५

तेईस

३४८. मद्रासकी खादी-प्रदर्शनी (१२-१-१९२८)	४७६
३४९. मुकुन्दनका प्रायश्चित्त (१२-१-१९२८)	४७७
३५०. मैसूर सरकारका खादी-केन्द्र (१२-१-१९२८)	४७७
३५१. पत्र : मणिलाल व सुशीला गाधीको (१५-१-१९२८ से पूर्व)	४७७
३५२. बन्धुत्व विषयक चर्चा (१५-१-१९२८ से पूर्व)	४७९
३५३. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको (१५-१-१९२८ या उससे पूर्व)	४८२
३५४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१५-१-१९२८)	४८३
३५५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (१५-१-१९२८)	४८४
३५६. माषण : गुजरात विद्यापीठके दीक्षान्त समारोहमें (१५-१-१९२८)	४८४
३५७. सन्देश : द्वितीय स्नातक सम्मेलनपर (१६-१-१९२८)	४८७
३५८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१७-१-१९२८)	४८७
३५९. पत्र : आर० रामचन्द्र रावको (१७-१-१९२८)	४८९
३६०. पत्र : एस० गणेशनको (१७-१-१९२८)	४९१
३६१. तार : पोरबन्दरके दीवानको (१८-१-१९२८)	४९२
३६२. पत्र : एस० डी० नाडकर्णीको (१८-१-१९२८)	४९२
३६३. पत्र : रतिलालको (१८-१-१९२८)	४९३
३६४. एक पत्र (१८-१-१९२८)	४९३
३६५. अजमल जामिया-कोष (१९-१-१९२८)	४९४
३६६. अपरिवर्तनवादियोंसे (१९-१-१९२८)	४९५
३६७. पत्र : वी० के० शंकर मेननको (१९-१-१९२८)	४९८
३६८. पत्र : विद्यानचन्द्र रायको (१९-१-१९२८)	४९८
३६९. पत्र : सुरेशचन्द्र बनर्जीको (१९-१-१९२८)	५००
३७०. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२०-१-१९२८)	५००
३७१. पत्र : मदनमोहन मालवीयको (२०-१-१९२८)	५०१
३७२. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको (२०-१-१९२८)	५०२
३७३. माषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषद, पोरबन्दरमें (२२-१-१९२८)	५०२
३७४. तार : मीराबहनको (२३-१-१९२८)	५०४
३७५. माषण : वरतेजमें (२४-१-१९२८)	५०४
३७६. माषण : मोरवीमें (२४-१-१९२८)	५०६
३७७. ब्रिटिश मालका बहिष्कार (२६-१-१९२८)	५११
३७८. 'खादी-मार्गदर्शिका' (२६-१-१९२८)	५१४
३७९. तार : जवाहरलाल नेहरूको (२६-१-१९२८)	५१४
३८०. पत्र : राजेन्द्रप्रसाद मिश्रको (२६-१-१९२८)	५१५
३८१. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२७-१-१९२८)	५१५
३८२. पत्र : वी० एस० मुजेको (२७-१-१९२८)	५१६
३८३. पत्र : एफ० डब्ल्यू० स्टाइन्थलको (२७-१-१९२८)	५१७

## चीर्वास

३८४. माषण : रामदास गांधीके विवाहके अवसरपर (२७-१-१९२८)	५१८
३८५. माषण : सावरमती आश्रममें (२७-१-१९२८)	५१९
३८६. पत्र : प्रभावतीको (२७-१-१९२८ के पश्चात्)	५२०
३८७. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (२८-१-१९२८)	५२०
३८८. पत्र : रिचर्ड वी० ग्रेगको (२८-१-१९२८)	५२१
३८९. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको (२८-१-१९२८)	५२२
३९०. माषण : गुजरात विद्यापीठमें (२८-१-१९२८)	५२२
३९१. एक बहनकी उलझन (२९-१-१९२८)	५२३
३९२. काठियावाड़ राजनीतिक परिषद (२९-१-१९२८)	५२५
३९३. प्रश्नोत्तर (२९-१-१९२८)	५२९
३९४. पत्र : वी० एस० मास्करनको (२९-१-१९२८)	५३२
३९५. तार : पंजाब कांग्रेस कमेटी, लाहौरको (३०-१-१९२८)	५३२
३९६. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (३०-१-१९२८)	५३३
३९७. पत्र : रमणीकलाल मोदीको (३०-१-१९२८)	५३३
३९८. पत्र : डी० एन० बनर्जीको (३१-१-१९२८)	५३३
३९९. पत्र : एलिजाबेथ नडसेनको (३१-१-१९२८)	५३४

## परिशिष्ट

१. ब्राह्मण-अब्राह्मण प्रश्न	५३५
२. खादी-कार्यके लिए दक्षिण भारत और लंकामें इकट्ठा किया गया चन्दा	५४६
३. मॅट : सी० कुट्टन नायरसे	५५२
४. मॅट : कांचीके श्री शंकराचार्यसे	५५३
५. गांधी-इविन समझौता	५५४
६. एस० डी० नाडकर्णीके पत्रका अंश	५५६
७. भारतीय संसदीय आयोगके सम्बन्धमें वाइसराय महोदयके वक्तव्यके अंश	५५७
८. भारतीय संसदीय आयोग	५५९
९. हिन्दू-मुस्लिम एकता-सम्बन्धी प्रस्ताव	५६०
१०. जवाहरलाल नेहरूका पत्र	५६३
सामग्रीके साधन-सूत्र	५६९
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त	५७१
शीर्षक-सांकेतिका	५७५
सांकेतिका	५८०

## १. भाषण : तंजौरमें

१६ सितम्बर, १९२७

आज तंजौर आनेपर मैंने यहाँ ब्राह्मण-अब्राह्मण प्रश्नपर<sup>१</sup> चर्चा करनेकी उम्मीद की थी और तदनुसार दोपहरके बाद कुछ भाइयोंसे उसके सम्बन्धमें थोड़ी देर बातचीत करनेका भी मुझे सौभाग्य मिला। उस बातचीतके मजमूनपर चर्चा करने और उसे आपके सामने पेश करनेकी मुझे छूट नहीं है और न यह मेरे लिए जरूरी ही है। हाँ, इतना बता दूँ कि इस बातचीतसे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। बातचीतके बाद मैं इस आन्दोलनको पहिलेकी अपेक्षा शायद कुछ ज्यादा समझने लगा हूँ। मैंने अपना तुच्छ विचार उन मित्रोंके सामने रख दिया है और अब वे उसका चाहे जो उपयोग करें। लेकिन पूरी बातचीतमें मुझे एक चीजकी ध्वनि बराबर मिलती रही और उस चीजसे वे बहुत परेशान मालूम पड़े। उनका खयाल ऐसा जान पड़ता था कि मैं जन्मगत श्रेष्ठता और हीनताके सिद्धान्तका पक्ष-पोषक हूँ। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह बात तो मेरे मनमें कभी आयीतक नहीं है। मैंने उनसे कहा कि इस श्रेष्ठताके प्रश्नके सम्बन्धमें यदि उनके मनमें कहीं कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करनेके लिए मैं, वर्णाश्रम धर्मसे मेरा क्या मतलब है, इस बातको अबतक जितने विस्तारसे समझा चुका हूँ, उससे अधिक विस्तारसे समझानेको तैयार हूँ। मेरे मतसे जन्मसे अथवा स्वप्रयत्नसे प्राप्त श्रेष्ठता-जैसी कोई चीज नहीं है। मैं तो अद्वैतके महान बुद्धियादी सिद्धान्तको माननेवाला हूँ और अद्वैतकी मेरी व्याख्यामें ऊँच-नीचके फर्कके लिए कतई कोई स्थान नहीं है। इस सिद्धान्तमें मेरा अखण्ड विश्वास है कि सभी मनुष्य जन्मसे समान हैं। सबमें उसी एक आत्माका निवास है—चाहे वह भारतमें जन्मा हो या इंग्लैंड अथवा अमेरिकामें या जैसे भी परिवेश-परिस्थितिमें उत्पन्न हुआ हो, और चूँकि मैं मानव-मात्रकी सहज समानतामें विश्वास करता हूँ इसीलिए उस श्रेष्ठताके सिद्धान्तके खिलाफ लड़ रहा हूँ जिस श्रेष्ठताका दावा हमपर शासन करनेवाली जातिके बहुतसे लोग करते हैं। श्रेष्ठताके इस सिद्धान्तके खिलाफ मैं दक्षिण आफ्रिकामें पग-पगपर लड़ा हूँ, और अपने उसी सहज विश्वासके कारण मैं अपनेको भंगी, कटैया, वृनकर, किसान और मजदूर कहनेमें हर्षका अनुभव करता हूँ। और जहाँ-कहीं ब्राह्मणोंने अपने जन्मके कारण या बादमें ज्ञान प्राप्त कर लेनेके आधारपर श्रेष्ठताका दावा किया है, वहाँ मैं खुद इन ब्राह्मणोंके खिलाफ भी लड़ा हूँ। मुझे तो यह बात इन्सानियतके खिलाफ मालूम होती है कि आदमी आदमीको अपनेसे नीचा समझे। 'भगवद्गीता' में मेरे विचारका यथेष्ट समर्थन मिलता है। और इसीलिए मैं ऐसे हर अब्राह्मणके साथ हूँ, जो श्रेष्ठताके इस दानवसे लड़ता है, चाहे उस श्रेष्ठताका

१. इस विषयपर महादेव देसाईके प्रश्नोत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट १।

दावा ब्राह्मण करें या कोई और। मेरा यह मत है कि जो श्रेष्ठताका दावा करता है, वह मनुष्य ही नहीं रह जाता।

लेकिन मेरी इन तमाम मान्यताओंके बावजूद वर्णाश्रम धर्ममें मेरा विश्वास कायम है। मेरे लेखे वर्णाश्रम धर्म एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे आप और मैं चाहे जितनी कोशिश करके भी समाप्त नहीं कर सकते। इस सिद्धान्तको स्वीकार करनेका मतलब अपने-आपको उस एकमात्र सिद्धिकी साधनाके लिए मुक्त कर लेना है जिसके लिए हमें जन्म मिला है। वर्णाश्रम धर्मका मतलब विनय है। मैंने यह तो जरूर कहा है कि सभी मानव जन्मसे समान हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कहता हूँ कि गुण वंश-परम्परासे नहीं आते। इसके विपरीत मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार हर व्यक्ति वंश-परम्पराके अनुसार विशेष रूपाकृतिको प्राप्त करता है उसी प्रकार वह अपने जन्मदाताओंकी कुछ विशेषताएँ एवं गुण भी प्राप्त करता है और इस चीजको स्वीकार कर लेनेका मतलब बहुत सारी शक्ति बचा लेना है। यदि हम स्पष्ट रूपसे ऐसा स्वीकार करके उसके अनुसार चलना भी चाहें तो इससे हमारी भौतिक महत्वाकांक्षाओंपर सहज ही एक अंकुश लग जायेगा और तब हम सब ओरसे निश्चिन्त होकर अपनी शक्तिको आध्यात्मिक चिन्तन और आध्यात्मिक विकासमें लगा सकेंगे। मैंने वर्णाश्रम धर्मके सिद्धान्तको उसके इस अर्थमें बराबर स्वीकार किया है। आप यह कह सकते हैं कि वर्णाश्रम धर्मका यह अर्थ आज नहीं समझा जाता है। मैंने स्वयं अनेक बार कहा है कि आज वर्णाश्रम धर्मको जिस रूपमें समझा और आचारमें उतारा जाता है वह मूल वर्णाश्रमकी अत्यन्त दुरी नकल है, तोड़-मरोड़ है, लेकिन इस तोड़-मरोड़को दूर करनेमें हमें मूलको ही नष्ट नहीं कर देना चाहिए। अगर आप मेरे बताये हुए आदर्श वर्णाश्रमको मान लेते हैं तो फिर आप मेरी सभी बातें मान लेते हैं। मैं आपसे यह विश्वास करनेके लिए भी चाहूँगा कि कोई राष्ट्र, कोई व्यक्ति उचित आदर्शोंके बिना जी ही नहीं सकता। और अगर आप आदर्श वर्णाश्रममें मेरी तरह विश्वास रखते हों, तो फिर आप उसे जहाँतक हो सके प्राप्त करनेके लिए भी मेरी तरह प्रयत्न अवश्य करेंगे। सच पूछा जाये तो दुनिया इस सिद्धान्तसे कही लड़ नहीं सकी है। इस सिद्धान्तसे लड़नेका परिणाम यही हुआ है और हमेशा यही होगा कि इस तरह हम अपना ही नुकसान करते हैं और एक ऐसी चीजके लिए प्रयत्न करते हैं जिसे हम कभी पा ही नहीं सकते। इसलिए मेरा कहना यह है कि यदि आप, हमारे पूर्वजोंने विरासतमें हमें जो-कुछ दिया है उसे समझकर इस महान विरासतमें जो दोष पैदा हो गये हैं उनके विरुद्ध संघर्ष करेंगे तो आपका संघर्ष और अधिक सफल होगा। और मैंने आपसे जो-कुछ कहा है उसे यदि आप स्वीकार कर लें तो ब्राह्मण और अब्राह्मण समस्याका समाधान भी, जहाँतक उस समस्याके धार्मिक पहलूका सम्बन्ध है, बहुत आसान हो जाता है। एक अब्राह्मणकी हैसियतसे मैं ब्राह्मण धर्मको, जहाँतक एक अब्राह्मणसे बन सकता है, शुद्ध बनानेकी कोशिश करूँगा, लेकिन कभी भी उसे नष्ट करनेका प्रयत्न नहीं करूँगा। मैं ब्राह्मणोंको दम्भपूर्वक अपनेको श्रेष्ठ माननेकी स्थितिसे या ऐसे स्थानोंसे जहाँ उन्हें भौतिक

लाभ होते हों, च्युत करना चाहूँगा। जिस क्षण कोई ब्राह्मण भौतिक लाभके पीछे पड़ जाता है, उसी क्षणसे वह ब्राह्मण नहीं रह जाता। लेकिन, जहाँ कहीं उसमें विद्वत्ता देखूँगा, वहाँ मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहूँगा। यह ठीक है कि उसे अपनी विद्वत्ताके कारण श्रेष्ठताका दावा नहीं करना चाहिए, किन्तु साथही-साथ मुझे भी विद्वत्ताको वह सम्मान देनेसे नहीं चूकना चाहिए जिस सम्मानका अधिकार उसे सर्वत्र है। लेकिन, इतने बड़े श्रोता-समुदायके सामने मुझे इस विषयपर इससे ज्यादा गहरी चर्चामें नहीं उतरना चाहिए।

आखिरकार मुझे तो उसी एक रास्ता उपायका सहारा लेना है जिसे मैं जीवनकी सभी बुराइयोंका उपचार मानता हूँ। और वह यह है कि हम जो भी लड़ाई लड़ें, हमारी लड़ाई शुद्ध होनी चाहिए; हमें सत्य और अहिंसासे तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। और अगर हम अपनी गाड़ीको इन दो पटरियोंपर चलाते रहेंगे तो आप पायेंगे कि हमारी लड़ाईमें चाहे हम हजार गलतियाँ ही क्यों न करे—शुद्धताकी सुगन्ध होगी और उसे लड़ना हमारे लिए सुगम होगा। और जिस प्रकार कोई रेलगाड़ी पटरियोंसे उतर जानेपर नष्ट हो जाती है उसी प्रकार यदि हम इन दो पटरियोंपर से हट जाते हैं तो नाशको प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति सत्यवादी है और अपने प्रतिरोधीका भी बुरा नहीं चाहता, वह अपने शत्रुओंके खिलाफ लगाये आरोपोंको भी आसानीसे नहीं मानेगा। लेकिन, वह अपने शत्रुके दृष्टिकोणको समझनेकी कोशिश करेगा और सदा अपना दिमाग खुला रखेगा तथा बराबर अपने शत्रुओंकी सेवा करनेके अवसरकी तालमें रहेगा। मैंने इस नियमको दक्षिण आफ्रिकामें और यहाँ भी अंग्रेजों और आम तौरपर यूरोपीयोंपर आजमाकर देखा है और उसमें मुझे सफलता भी मिली है। फिर आप ही सोचिए कि अपने घरों, अपने सम्बन्धियों, अपने घरेलू मामलों और अपने आत्मीय जनोंपर इस नियमको लागू करना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है?

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, २९-९-१९२७



## २. भाषण : त्रिचनापल्ली नगरपालिकाके अभिनन्दनपत्रके उत्तरमें<sup>१</sup>

१७ सितम्बर, १९२७

मित्रो,

लगता है कि मुझमें अब और शक्ति नहीं रह गई है। त्रिचनापल्लीका कार्यक्रम में सुविधापूर्वक जितना निपटा सकता हूँ उससे कहीं भारी है। लेकिन मैं उन लोगोंको निराश नहीं कर सकता जिन्होंने इतने सारे समारोहोंका आयोजन किया है। इसीलिए मेरे स्वास्थ्य-सम्बन्धी सलाहकारके नाते डा० राजन्ने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे मुझपर कमसे-कम बोझ पड़े, और मैं इन्हें पूरा भी कर सकूँ। योजना यह है कि मैं इन आयोजनोंमें आप लोगोंसे बोलनेमें असमर्थता प्रकट करके पूर्ण मौन रखूँ, हालाँकि यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं जरूर बोलता। बाजारका शिलान्यास करके मुझे काफी हर्ष हुआ है। अभिनन्दनपत्रके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अपने मायावरम्के भाषणकी<sup>२</sup> ओर आप लोगोंका ध्यान दिलाता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १७-९-१९२७

## ३. क्या समाचार देंगे ?

२५-७-१९२७ सोमवारको सबेरे भाई कान्तिराल हरिवल्लभदास पारेख सत्याग्रह आश्रमसे निकले और उसके बाद उसी दिन अहमदावादमें कुछ-एक स्थानोंमें दिखाई पड़े, किन्तु उसके बाद वे २६, २७ तारीखको कहीं थे, इसकी खबर नहीं मिलती। किन्तु २८ तारीखको गुरुवारके दिन कुछ आश्रमवासियोंने उन्हें साबरमतीमें तैरते हुए देखा था। उन्हें तैरना अच्छा आता है। यदि वे किसी गुप्त स्थानमें रह गये हों तो वे स्वयं अथवा कोई जान-पहचानवाला स्नेही-सम्बन्धी खबर देगा तो उपकार होगा और उनके वियोगमें दुःखी उनके पिता और वृद्धा दादीको इस शुभ समाचारसे आनन्द होगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १८-९-१९२७

१. गांधीजीने, जो बहुत थके हुए प्रतीत होते थे, भाषण लिखकर दिया था जिसे समामें चक्रवर्ती राजगोपालाचारीने पढ़ा था। दक्षिण भारत तथा लंकाके अपने दौरेमें गांधीजीको खादी कोषके लिए शैलियाँ प्राप्त हुई थीं। उन्होंने समास्थलोंपर भी अन-संग्रह किया और भेंट स्वरूप मिली वस्तुओंकी नोडामी की। इन संग्रहोंके विस्तृत विवरणके लिए देखिए परिशिष्ट २।

२. देखिए खण्ड ३४, पृष्ठ ५७१-७६।

## ४. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

१८ सितम्बर, १९२७

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र मिला। प्रफुल्ल बाबूको मंने लिखा अवश्य था। प्रफुल्ल बाबूका पत्र इसके साथ है। मुझे याद नहीं कि मंने उनपर प्रतिष्ठानमें दुबारा प्रवेश करनेके लिए जोर दिया हो। यही बात मैं उनको भी लिख चुका हूँ। उन्हें न्यास-मण्डलमें रहना है या नहीं, इसका निर्णय अब उन्हें करने दीजिए।

जैसा आपने लिखा है, मैं आपसे सुरेश बाबू और अन्य लोगोंका मन जीतनेकी अपेक्षा करता हूँ। जब लोग हमारे साथ अच्छी तरह निभा न सकें तो हमारे लिए अपनेको ही दोषी ठहराना सर्वोत्तम है। असीम उदारतामें तो सब-कुछ आ जाता है, वरना वह असीम नहीं रह जाती। हमें चाहिए कि हम अपने प्रति कठोर तथा अपने पड़ोसियोंके प्रति नरम बनें। क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं होता कि उनकी कठिनाइयाँ क्या हैं और उनपर वे किस प्रकार विजय पाते हैं।

सप्रेम,

आपका,  
बापू

[पुनश्च:]

आशा है आपने वह रकम अभय आश्रमको भेज दी होगी।

अंग्रेजी (जी० एन० १५७६) की फोटो-नकलसे।

## ५. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

त्रिचनापल्ली

मौनवार [१९ सितम्बर, १९२७]†

बहनो,

तुम्हारी चिट्ठियाँ मिलती रहती हैं। तुम्हारे कामका दर्शन यहाँ बैठे-बैठे किया करता हूँ। जो अपनी शक्तके अनुसार काम करता है, वह सब-कुछ करता है। किन्तु काम करनेमें हमें अपनेमें उस 'गीता'-दृष्टिका विकास करना चाहिए जो कि हमारा लक्ष्य है। 'गीता'-दृष्टि यह है कि सब काम सेवाभावसे करें। सेवाभावसे करे, यानी ईश्वरार्पण करके करें। और जो ईश्वरार्पण करके करता है, उसमें यह भाव नहीं

१. गाँधीजी इस तारीखको त्रिचनापल्लीमें थे।

होता कि "मैं करता हूँ"। उसमें द्वेषभाव नहीं होता। उसमें दूसरोंके प्रति उदारता होती है। अपने मनसे बार-बार यह पूछती रहो कि तुम्हारे छोटेसे-छोटे हरएक काममें यह सब होता है या नहीं।

मैंने अपने बारेमें जो लिखा था, उसपर रमणीकलालभाईने प्रश्न उठाया था। मैंने उसका जो जवाब दिया, वह तुम सबकी समझमें आया या नहीं, इसके बारेमें तुमने कुछ नहीं लिखा। मैं चाहता हूँ कि मैं जो-कुछ लिखता हूँ उसकी चर्चा करो, और उसके सम्बन्धमें जो सवाल खड़े हों वे मुझसे पूछो।

मेरा स्वास्थ्य अभी तो काम दे रहा है।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६६५) की फोटो-नकलसे।

## ६. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

मौनवार [१९ सितम्बर, १९२७]<sup>१</sup>

भाई हरिभाऊ,

आपका पत्र मिला है। यदि स्वामी और जमनालालजी सम्मत है तो मैं भी हूँ। समयपर कैसे हिंदी न. जी<sup>१</sup> तैयार हो सकता है, मैं नहीं समझता। परन्तु इसकी फिकर मुझे न होनी चाहिये।

मार्तण्डका स्वास्थ्य कैसा रहता है ?

वापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

आपका खत पढ़नेसे देखता हूँ—दो बात रह गई है। खादी लेखके बारे में पीछेसे लोखुंगा।

मेरा आश्रममें आना जानेवारी मासमें होगा। अजमेरके नजदीक आश्रम खोलनेका ख्याल अच्छा है।

वापू

भाई हरिभाऊ उपाध्याय

खादी कार्यालय

अजमेर

सी० डब्ल्यू० ६०५८ की प्रतिसे।

सौजन्य : हरिभाऊ उपाध्याय

१. बाकनी मुहरसे।

२. हिन्दी नवजीवन।

## ७. तार : जमनालाल बजाजको

त्रिचनापल्ली

२० [सितम्बर, १९२७]

जमनालाल सेठ

मार्फत रामनारायण

मंगलदास रोड, पूना

अगर भीराबहन वहीं हो तो उससे कहें कि वह जल्दबाजी न करे। मैं बिलकुल ठीक हूँ। प्रायः ईश्वरकी वाणी और हमारे भयकी प्रतिध्वनियार्थ एक जैसी प्रतीत होती है। गर्मीमें इस पैदल यात्राके दौरान उसके नाजुक स्वास्थ्यको देखते उसका यहाँ होना बाधक होगा। मेरी चेतावनीके बावजूद यदि वह आना चाहे तो उसका स्वागत है।

बापू

[अंग्रेजीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद

## ८. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे

त्रिचनापल्ली

[२० सितम्बर, १९२७]

मैंने देखा है कि त्रिचनापल्लीमें दिये गये मेरे पहले भाषणको<sup>१</sup> बाहर गलत समझा गया है और मित्रोंमें चिन्ता पैदा हो गई है। मैं अपने मित्रोंको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इसमें धबरानेकी कोई बात नहीं है। मेरे इस कथनका कि मुझमें अब और शक्ति नहीं रह गई है सन्दर्भ स्थानीय था और इसीलिए त्रिचनापल्लीमें इसको भली प्रकार समझ लिया गया था। मेरे कहनेका तात्पर्य यह था कि अबतक मैं अपनी शक्तकी सीमातक कार्यक्रमोंमें भाग लेता रहा हूँ तथा त्रिचनापल्लीके अधिक व्यस्त कार्यक्रमको निपटाना मेरे लिए सुविधाजनक न होगा। त्रिचनापल्लीमें मित्रोंको तथा उन स्थानोंकी कमेटियोंको जहाँ मुझे अभी पहुँचना था यह एक चेतावनी थी कि वे एक ही प्रकारके बहुतसे कार्यक्रम न रखें। अपने हृदयकी क्षमताका खयाल रखते हुए मैं एक दिनमें अधिकसे-अधिक एक सभामें ही भाग ले

१. इस दिन गांधीजी त्रिचनापल्लीमें थे।

२. सेंटकी रिपोर्टें प्रेसको इसी दिन भेजी गई थी।

३. देखिए “भाषण : त्रिचनापल्ली नगरपालिकाके अभिनन्दनपत्रके उत्तरमें”, २७-९-१९२७।

सकता था। डा० राजन्ने मेरा भली प्रकार निरीक्षण भी कर लिया है और उन्हें या मुझे अब कोई फिक्र नहीं है। रक्तचाप उतना ही है जितना कि बंगलौरमें था। वैसे तो मैं बिलकुल ठीक हूँ और यदि मैंने जरूरतसे ज्यादा काम नहीं किया तो निश्चित कार्यक्रमको पूरा करनेकी अपनी क्षमतामें मुझे कोई सन्देह नहीं। मेरे पास रहनेवाले मित्र मेरी सुरक्षाके लिए असाधारण सावधानी बरत रहे हैं, और मैं स्वयं भी काफी जागरूक हूँ। आशा है कि मेरी यात्राके सम्बन्धमें किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं होगी; पत्र-प्रतिनिधियों तथा सम्पादकोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे मेरे स्वास्थ्यसे सम्बन्धित कोई भी खबर मुझे अथवा मेरी देखभाल करनेवालोंको दिखाये बिना न भेजें और न छापें।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २१-९-१९२७

## ९. भाषण : नेशनल कालेज, त्रिचनापल्लीमें

२० सितम्बर, १९२७

मैंने जिसे अभिनन्दनपत्र समझा है उसके लिए और थैलीके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि जो चीज पहले संस्कृतमें पढ़ी गई और जिसे मैं अभिनन्दनपत्र समझा हूँ, उसे यहाँ कितने लोग समझ सके। जो लोग उसे समझे हों, वे कृपया अपने हाथ ऊपर उठाये<sup>१</sup>। जिनकी समझमें यह नहीं आया, वे हाथ उठाये<sup>२</sup>। छात्रोंकी सभामें ऐसी चीजके लिए मैं तैयार नहीं था। दुर्भाग्यवश हमारे देशमें ढोंगका नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करनेवाली चीजोंका बाहुल्य है। जिन लोगोंने यह आयोजन किया है उन्हें इस प्रकारकी चीजोंको, जो उपस्थित लोगोंमें से अधिकांशकी समझमें न आये, अपनी कार्यवाहीसे हटा देना चाहिए था। (ताली)। यह करतल-ध्वनि भी मुझे बिलकुल बेमौजू लगती है। यह तो मेरे लिए इस बातकी सूचना है कि मैं बोलना बन्द कर दूँ; अगर यहाँ दूसरी बार ताली बजायी गई तो आप देखेंगे कि मैं उसे यहाँसे चले जानेकी सूचना समझूँगा। छात्र-जीवनको सचमुच बड़ी गम्भीर चीज माना जाना चाहिए, और चूँकि सभी छात्रोंको खिलाड़ी होना चाहिए, इसलिए लाजिम है कि वे जीवनके गम्भीर पक्षको खिलाड़ीकी भावनासे ग्रहण करें। चूँकि आपमें से अधिकांश लोग हिन्दू हैं, इसलिए मैं सुझाव दूँगा कि आप संस्कृतका ज्ञान प्राप्त करें ताकि अगर किसी संस्कृत श्लोकका पाठ किया जाये तो आप सब उसे समझ सकें; इससे आपमें और मुझमें भी, क्योंकि मैं अपनेको अभीतक एक छात्र ही गिनता हूँ, खिलाड़ी जैसी गम्भीरता पैदा होगी।

मुझे डर है कि अगर मैं एक अन्य चीजमें आपकी परीक्षा लूँ तो आप वैसे ही अज्ञानका परिचय देंगे जैसा कि एक क्षण पहले दिया था। उदाहरणके लिए,

१. बहुत कम लोगोंने हाथ ऊपर उठाये।

२. बहुत-से लोगोंने हाथ उठाये।

राष्ट्रीय कालेजके छात्रोंसे हिन्दीके ज्ञानकी अपेक्षाकी जाती है; लेकिन अगर मैं पूछूँ कि आपमें से कितने लोगोको हिन्दी आती है, तो मुश्किलसे एक प्रतिशत लोग अपने हाथ उठायेंगे।

आप पिछली फरवरीकी बात करते हैं और कहते हैं कि उस अवसरपर श्री राजगोपालाचारी और शंकरलाल बंकरने खद्दरके आर्थिक पक्षपर बोलते हुए आपसे हृदयस्पर्शी अपील की थी। जो हमारे दिलकी गहराइयोंको छू ले वह हृदयस्पर्शी अपील है। लेकिन अगर मैं आपसे हाथ उठानेको कहूँ तो आप फिर एक दयनीय दृश्य प्रस्तुत करेंगे और यह जाहिर होगा कि आपमें से बहुत थोड़े लोग ही खद्दर पहनते हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपके लिए यह कहना गलत है कि फरवरीमें आपसे की गई अपील हृदयस्पर्शी अपील थी। दूसरी जगहसे मिली थैलियोके मुकाबले मैं आपकी थैलीको कम नहीं मानता, लेकिन मैं आपके इस विनम्र कथनसे सहमत हूँ कि आप जितना चाहिए था उतना रुपया जमा नहीं कर पाये हैं। अगर आपका दिल सचमुच उस अपीलसे हिल गया होता तो आप उससे कहीं ज्यादा रुपया इकट्ठा करते, जितना किया है। उचित तो यह था कि रुपया जमा करनेके अपने काममें मेरी बीमारीको बाधा समझनेके बजाय आपको जितना वक्त और मिल गया था, उस वक्तको आप और अधिक धन जमा करनेमें लगाते। मेरी बीमारीसे इस अपीलकी भाविकता और बढ़ जानी चाहिए थी, और आपको अपने मनमें कहना चाहिए था: "यह बूढ़ा आदमी बीमार पड़ गया है, और इसमें शक नहीं कि वह खादी कार्यको खूबीसे चला रहा था, तो अब चलो हम सब चरखेके काममें हाथ बँटायें और दूने जोरसे उसमें जुट जायें। इसके लिए हम जितना देनेवाले थे उससे दूना चन्दा दें; अपने विदेशी वस्त्र उतार फेंकें और सभी लोग खादी पहनने लगें।" उस अपीलका यही नतीजा होना चाहिए था, लेकिन इसके बदले आप मुझे बताते हैं कि मेरी बीमारी सुनकर आप सब तानकर सो गये। लेकिन बिगड़ी सुघरने, और शिक्षा ग्रहण करनेका हमेशा वक्त है। कालेज हमेशाके लिए बन्द नहीं हो गये हैं। आप अब भी छात्र हैं। मैं तो कुछ समयमें त्रिचनापल्लीसे चला जाऊँगा, लेकिन खादी तो त्रिचनापल्ली या भारतसे विदा नहीं हो जायेगी। दरिद्रनारायण अब भी आपके दरवाजे खटखटा रहे हैं। खादी अब भी आपके हाथों विकसित होनेकी राह देख रही है। खादीके लिए दी गई थैली आपने मेरी खुशीके लिए नहीं दी है। वह आपने दरिद्रनारायणके नामपर और उन्हींकी खातिर दी है। इसलिए आपकी जेबपर उसका दावा वरावर बना हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप खादीके काममें पीछे नहीं रहेंगे, आप अपना हिन्दीका ज्ञान ठीक करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ एक हिन्दी-प्रचारक है; और आप संस्कृत भी सीखेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दूसरी जगहोपर मैंने छात्रोंके सम्मुख जो-कुछ कहा है उसपर ध्यान दें, और उन भाषणोंमें जो सन्देश निहित है, उसे आप समझें।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २१-९-१९२७

## १०. भाषण : वाई० एम० सी० ए०' पुत्तूरमें

२० सितम्बर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

आप लोगोंकी तरह मुझे भी श्री हेवर्डकी अनुपस्थितिका दुःख है। उनसे मिलने तथा थोड़ी बातचीत करनेका सौभाग्य मुझे उनके जानेसे पूर्व मिला था। मुझे दुःख है कि मैं आपको भाषण जैसी कोई चीज नहीं दे सकूंगा, लेकिन आज सुबह सभामें आते समय मैं सोच रहा था कि मैं भारतमें वाई० एम० सी० ए० को क्या चीज बनते देखना चाहूंगा। आपको मालूम ही है, ईसाई भारतीयोंके साथ मेरा सम्बन्ध दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। दस साल पहले मुझे ईसाई भारतीयोंके इतने घनिष्ठ सम्पर्कमें आनेका अवसर नहीं मिला था जितना कि आज है। बहुतसे ईसाई भारतीयों तथा देशके बहुतसे ईसाई संघोंके सम्पर्कमें आनेपर मैंने देखा है कि अक्सर ईसाई शब्दका अर्थ यूरोपीय समझा जाता है। आज सुबह जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने मनमें सोचा कि क्या ही अच्छा हो अगर वाई० एम० सी० ए० को यंग मैनस यूरोपीयन एसोसिएशनका बिल्कुल पर्याय न समझा जाये। यद्यपि लाखों लोग ऐसा ही समझते हैं किन्तु मेरी दृष्टिमें “यूरोपीय” शब्दका वही अर्थ या भाव नहीं है जो कि ईसाई शब्दका है और मैं समझता हूँ कि ईसाई-धर्म यूरोपीय धर्मके साथ मिलाये जानेपर प्रायः संकुचित बन जाता है। मेरी विनम्र रायमें तो कोई भी भारतीय केवल ईसाई हो जानेके कारण भारतीय ही न रहे, यह जरूरी नहीं है। ईसाई-धर्मको अपनाया या धर्म-परिवर्तन करना एक नये जीवनको स्वीकार करना है इसलिए जो सच्चे दिलसे धर्म-परिवर्तन करता है उससे मैं अपेक्षा करता हूँ कि वह अपनी राष्ट्रीयताको व्यापक बनाये। यदि वह अपने पड़ोसियोंकी चिन्ता नहीं करता तो फिर पड़ोसियोंकी परिधिसे बाहरके लोगोंके बारेमें तो वह क्या चिन्ता करेगा? मैं यह बात उन सभी ईसाई और मुसलमान मित्रोंसे करता हूँ जिनसे मैं भारतमें मिलता रहता हूँ और जिन्होंने भारतको अपना देश बना लिया है या जिनकी जन्मभूमि भारत है। ऐसे संघोंको तोड़-फोड़के साधन न बनकर इस धरतीपर जो उत्तम है और सात्त्विक है उसका संरक्षण-केन्द्र बनना चाहिए। शेष बातोंके लिए मैं आप लोगोंका ध्यान भद्रासमें वाई० एम० सी० ए० के सम्बन्धमें कहे गये अपने विचारोंकी ओर दिलाता हूँ। आप लोगोंने मुझे अपनेसे मिलनेका अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २१-९-१९२७

१. ईसाई युवक संघ।

२. ४ सितम्बर, १९२७ को; देखिए खण्ड ३४।

## ११. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, त्रिचनापल्लीमें

२० सितम्बर, १९२७

प्रिय बहनो,

मुझे आपकी इस सभामें शामिल हो सकनेकी बहुत खुशी है। मैं आपका बहुत समय नहीं लेना चाहता। मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि भारतमें इस समय जो राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा है, आप उसमें प्रमुख हिस्सा लें। मेरा अभिप्राय खादी कार्य और चरखेके सन्देशसे है। इस कार्यका उद्देश्य भारतको उस भयंकर गरीबीसे मुक्त करना है जिससे वह इस समय ग्रस्त है। हमारी लाखों बहनें इस संकटमें पड़ी हुई हैं। मैं और आप अगर अपना कर्तव्य करें तो उन्हें इस दुःखमें पड़े रहनेकी जरूरत नहीं है। वे भूखों मरती हैं, क्योंकि उनके अपने गाँवोंमें उनके लिए काम नहीं है। एक समय था जब उन्हें भूखों मरनेकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सौ बरस पहले हमारे गाँवोंकी हर झोंपड़ीमें चरखा चलता था। अवकाश मिलनेपर गाँवमें रहनेवाली हमारी बहनें सूत कातती थी। इस सूतसे बुनी गई खादी को गरीब-अमीर, सभी पहनते थे। चरखेके चलनके धीरे-धीरे बन्द हो जानेका एक कारण यह था कि आपने और मैंने खादी पहनना छोड़ दिया। अब चरखेको उसका पुराना स्थान फिरसे दिलानेका आन्दोलन शुरू किया गया है, और आपकी सहायताके बिना यह आन्दोलन आगे नहीं बढ़ सकता। आप जो मदद कर सकती हैं सो यह है कि विदेशोंमें बनी अपनी साड़ियोंका त्याग कर दें और खादी पहनें। इन गरीब लोगोंका विचार करना मेरा और आपका कर्तव्य है, लेकिन यह काम बिना धनके नहीं हो सकता। आपसे अपेक्षा है कि आप अपनी सामर्थ्य-भर चन्दा देंगी। सारे भारतमें आपकी बहनोंने रुपया और अपने जेवर दिये हैं। आपने अपने अभिनन्दनपत्रमें कहा है कि आपके जेवर आपकी मितव्ययिताका परिणाम हैं। मैं तो यह बात नहीं मानता, क्योंकि ये जेवर आपको दिये गये हैं; इन्हें आपने खुद अपनी मेहनतसे नहीं बनवाया है। लेकिन निस्सन्देह जेवर स्त्रीधन है, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गरीबसे-गरीब बहनको इसमें भागीदार बनायें। यदि आप भारतको धर्मभूमि बनाना चाहती हैं तो आप सबको सीताकी तरह बनना चाहिए। सीताका सौन्दर्य उनके बाहरी सौन्दर्य या उनके जेवरोंमें नहीं, बल्कि उनके हृदयमें था। स्त्री अपने जेवरोंके कारण नहीं, बल्कि अपने हृदयकी पवित्रताके कारण पूजनीय होती है। इसलिए यदि आपको विश्वास हो कि खादीसे भारतका सारा संकट कुछ हदतक दूर हो जायेगा, तो आप इस अनुष्ठानके लिए अपने साथ जो पैसा लाई हैं वह पैसा और अपने जेवर भी दे डालें। अगर एक कदम और आगे जायें, तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने खाली वक्तमें आप चरखा चलायें। खाली वक्तमें करनेकी दृष्टिसे औरतोंके लिए यह एक अच्छा काम है; आपका फिजूलकी गपशपके बजाय इस प्रकार उपयोगी



काममें समय व्यतीत करना कहीं बेहतर है। अब आपके बीचमें स्वयंसेवक लोग जायेंगे; आप जो-कुछ दे सकें, उन्हें दें।

[ अंग्रेजीसे ]

द्विन्दु, २१-९-१९२७

## १२. भाषण : सार्वजनिक सभा, त्रिचनापल्लीमें

२१ सितम्बर, १९२७

महात्माजीने अपने भाषणके दौरान सत्याग्रहके उन दिनोंकी चर्चा की जब वे त्रिचनापल्ली आये थे। उन्होंने कहा कि उस यात्रामें मुझे कुछ बहुत ही अच्छे साथी कार्यकर्ता प्राप्त हुए थे। उस समय जो एकता सब जगह दिखाई देती थी, अब उसकी जगह मतभेदोंने ले ली है, फिर भी खादीका काम देशमें कितने ही उतार-चढ़ावोंके बावजूद सुस्थिर गतिसे चल रहा है। खादीमें मतभेदोंकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि खादीका सम्बन्ध तो जन-साधारणसे है और जन-साधारणमें कोई मतभेद नहीं है। त्रिचनापल्ली चन्देमें कितना ही धन दे, लेकिन यदि गाँववालोंके पवित्र हाथोंसे तैयार होनेवाली खादी आप लोग नहीं पहनते तो यह सारा धन कोई मूल्य नहीं रखता। एक बार सर्व-प्रचलित हो जानेपर खादीको आर्थिक सहायता देनेकी जरूरत नहीं रह जायेगी। खादीको आज आर्थिक सहायताकी जरूरत है, यह इस बातका द्योतक है कि जिन लाखों भूखसे पीड़ित लोगोंके बलपर हम जिन्दा हैं, उनके प्रति हम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं।

नदीके जलको गन्दा किये जानेकी चर्चा करते हुए महात्माजीने कहा कि पवित्र कावेरी नदीके एक तटपर त्रिचनापल्ली है और दूसरे तटपर श्रीरंगम्। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वह अकेले त्रिचनापल्लीकी ही बात नहीं है। यह तो सारे भारतमें एक आम बात है। मैं आपका ध्यान इस ओर इसलिए खींच रहा हूँ कि यहाँ कार्यकर्ताओंकी एक बड़ी फौज है और वे यदि चाहें तो इस कठिन समस्यासे निपट सकते हैं। उन्होंने कहा :

कल मुझे श्रीरंगम् नगरपालिकाके अध्यक्षसे और आज सुबह श्रीरंगम्में विवेकानन्द आश्रमके नवयुवकोंसे बात करनेका सौभाग्य मिला। सभी स्वीकार करते हैं कि श्रीरंगम् की दशा कतई अच्छी नहीं है। मेरी नन्न रायमें अस्वच्छताका कारण पैसेकी कमी नहीं है और न नदीके जलकी अस्वच्छता ही धनकी कमीका कारण है। इसका कारण तो सिर्फ हमारी घोर उदासीनता है। हमारे सामने धूल और गन्दगीका जो ढेर इकट्ठा होता चला जाता है हम उसे देखते ही नहीं है। हमें सफाई और स्वच्छताका आरम्भिक ज्ञान रखनेवाले ऐसे स्वयंसेवकोंकी फौजकी जरूरत है जो जन-साधारणको सफाई और स्वच्छताके बुनियादी सिद्धान्तोंकी शिक्षा दे। जिस नदीसे हम

पीनेका पानी लेते हैं, उसमें अपनी गन्दगी घोना ठीक नहीं है। हमारे नदी-तट युवक और वृद्ध सभीके लिए मनोरंजनके स्थान होने चाहिए; उन्हें ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ हम पूरी बेफिक्रीसे और आरामके साथ लेट सकें। लेकिन होता यह है कि नदीके तटोको ही हम नंगे पैर चलनेके भी अयोग्य बना देते हैं। इस समयतक यह बात विलकुल स्पष्ट हो चुकी है कि गन्दी आदतोंके कारण ही हैजा पैदा होता है। आप गन्दा पानी पीना बन्द कर दें और आवश्यक सावधानी वरतें तो हैजेका कोई भय नहीं रह जाता। मुझे बताया गया है कि जब दक्षिणमें बाढ़का प्रकोप हुआ था, जैसा कि इस समय उड़ीसामें है, उस समय त्रिचनापल्ली और श्रीरंगममें हैजा फूट पड़ा था, और यह ईश्वरका दण्ड ही था, क्योंकि हम लोग उसी नदीका पानी पीते थे जिसे हमने स्वयं गन्दा कर रखा था। मेरा विश्वास है कि घरती माता और अपनी नदीके जलको स्वच्छ न रखकर हमने ईश्वर और मनुष्यके प्रति पाप किया था। 'घरती माता' को जिस तरह हम गन्दा करते हैं, उस तरह गन्दा करना और जिन नदियोंकी हम पूजा करते हैं उन्हें गन्दा करना कितना घोर पाप है। त्रिचनापल्ली और श्रीरंगमके नवयुवकोंके लिए वास्तवमें यह काम बहुत आसान है कि वे लोगोंको इस मामलेमें शिक्षित करनेका और जबतक यह बुराई दूर न हो जाये तबतक रोज सुबह नदीके तटपर जाकर लोगोंको समझाने-बुझानेका निश्चय कर लें। इस कामको करनेके लिए नगरपालिकाका सदस्य बनना अथवा किसी सार्वजनिक सस्था या सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना जरूरी नहीं है; न ही इसमें बहुत समयकी जरूरत है। इसके लिए केवल इतना ही जरूरी है कि आपमें स्वच्छता और सफाईका मामूली ज्ञान और आबादीके स्वस्थको हानि पहुँचानेवाली इस बुराईको दूर करनेका संकल्प हो। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि जो सामान्य-सा सन्देश मैंने दिया है उसे आप सब समझेंगे और त्रिचनापल्ली तथा श्रीरंगमके सम्मानको पुनः प्रतिष्ठित करने तथा कावेरीको पवित्र बनानेका प्रयत्न करेंगे।

इसके बाद महात्माजीने कहा कि यहाँ मजदूरोंकी आबादी बहुत बड़ी है, और नौजवानोंके सामने शराब पीनेकी बुराईको दूर करनेके लिए मजदूरोंके बीच सेवाकार्य करनेका बड़ा मौका है। जिस प्रकार अस्वच्छतासे आपका स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है उसी प्रकार शराबका अभिशाप मजदूरोंके स्वास्थ्य और चरित्रको नष्ट कर रहा है। [अन्तमें गांधीजीने कहा:]

हमारे बीच वास्तविक राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हो रही है। यह जागृति आवश्यक कार्योंके रूपमें व्यक्त होनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २१-९-१९२७

## १३. भाषण : पुडुकोट्टामें<sup>१</sup>

२१ सितम्बर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

अभिनन्दनपत्र तथा थैलीके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इससे भी अधिक अभिनन्दनपत्रको पढ़कर न सुनानेके लिए देता हूँ। मुझे आपको यह यकीन दिलानेकी जरूरत नहीं है कि मैंने आपका अभिनन्दनपत्र पढ़ लिया है। आपने कहा कि आप काफी दिनोंसे मेरे यहाँ आनेकी प्रतीक्षामें थे। यह प्रतीक्षा दोनों तरफसे थी। अपने अभिनन्दनपत्रमें आपने बताया है कि आप चरखा और खादीके सन्देशमें विश्वास करते हैं और यह भी बताया है कि यहाँ कृषक वर्गकी गरीबीके कारण आपको चरखेके सन्देशकी खास तौरपर जरूरत है। देशके अन्य भागोंमें प्राप्त अनुभवके आधारपर मैं यह समझता हूँ कि आपने जो-कुछ कहा वह अक्षरशः ठीक है। आपने यह भी बताया कि आपकी विधान-परिषदने शालाओंमें हाथ-कताई अनिवार्य करनेका एक प्रस्ताव पास कर दिया है। मैं परिषदको इस बुद्धिमत्तापूर्ण तथा बहुत जरूरी प्रस्तावको पास करनेके लिए बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप और मैं तथा अन्य सब लोग अपने इन विश्वासों तथा प्रस्तावोंको व्यवहारमें लायें। प्रस्ताव पास करना और विश्वास रखना तो दुनियाके सबसे आसान काम है क्योंकि इनमें प्रस्तावोंको माननेवालों तथा उनके पेश करनेवालोंका कुछ जाता नहीं। लेकिन उन्हें व्यवहारमें लानेका अर्थ है संगठन, काम कैसे किया जाये यह सीखना, लोगोंके बीचमें जाना और इस सिलसिलेमें अन्य बहुत-कुछ करना। इस समय सुहावनी वर्षा आने लगी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना भाषण लम्बा नहीं करना चाहता। मैं भाषणका अन्त इस प्रार्थनासे करना चाहूँगा कि ईश्वर आपके विश्वासको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए आपको अपेक्षित बल तथा बुद्धि प्रदान करे। यदि आपने मेरी तमिल-नाडुकी यात्राके दौरान दिये गये मेरे भाषणोंको पढ़ा हो तो यकीनन आप जान गये होंगे कि अगर वर्षाका डर नहीं होता तो मैं क्या कहता। क्योंकि जो बातें मैं भद्रास तथा अन्य स्थानोंमें कहता रहा हूँ वे आपके लिए भी हैं। अब क्योंकि वर्षा कुछ क्षणके लिए थम गई लगती है, मैं उनमें से कुछेक बातोंको संक्षेपमें बताऊँगा . . .।<sup>१</sup>

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-९-१९२७

१. नागरिकों द्वारा दिये गये अभिनन्दनपत्रके उत्तरमें।

२. इसके बाद गांधीजीने मधुनिषेध, अस्पृश्यता, सफाई, ब्राह्मण-अब्राह्मण प्रश्न तथा चरखा-कोपके सम्बन्धमें अपने विचार व्यक्त किये।

## १४. पत्र : प्रागजी देसाईको

[ २२ सितम्बर, १९२७ से पूर्व ]

भाईश्री प्रागजी,

तुम्हारा पत्र मिला। शास्त्रीजीको तुमसे ठीक मदद मिल रही है। तुम्हारे मामलेका जो भी निर्णय हो तुम्हे चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है। शास्त्रीजी अपनी ओर से भी [ तुम्हारी सहायताके लिए ] प्रयत्न कर ही रहे होंगे। तुम 'इंडियन ओपिनियन' में आ गये हो इसका यह अर्थ तो लगाया जा सकता है न कि वहाँ धनोपार्जन करनेका तुम्हारा जो इरादा था उसे अब तुमने छोड़ दिया है? मेढका क्या हाल है? तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है? जो भी हो वहाँके किसी शौकमें मत पड़ना और असत्य तथा दुराव-छिपाव आदिसे बचना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५०४२) की फोटो-नकलसे।

## १५. 'रंगीला रसूल'

समझदार और जो समझदारोंकी श्रेणीमें नहीं आते हैं, ऐसे तमाम पत्रलेखकोंको कौचते रहनेपर भी मैं इस पुस्तिकाको लेकर छिड़े विवादमें पड़नेके लोभका अबतक सवरण करता आया हूँ। मैं धैर्यपूर्वक निजी पत्रों द्वारा ही इनका समाधान करनेकी कोशिश करता रहा हूँ। लेकिन इधर हालमें इतने ज्यादा पत्र आये हैं कि निजी तौरपर उनका उत्तर दे सकना मेरी सामर्थ्यके बाहर है। सबसे ताजा पत्र बिहारके एक मुसलमान प्रोफेसरसे मिला है। उन्होंने मुझे अखबारकी एक कतरन भेजी है जिसमें एक पत्र छपा है। पत्रलेखकने मुझे इस बातके लिए फटकारा है कि मैंने भी चुप्पीकी उस साजिशमें शामिल होना ही पसन्द किया है, जिस साजिशमें आम तौरपर सभी प्रमुख हिन्दू शामिल हैं। प्रोफेसर साहब चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर तत्काल दूँ। इस आशासे कि पत्रलेखक लोग मेरी सदाशयतासे संतुष्ट हो जायेंगे और मेरी चुप्पीका कारण समझेंगे, मैं प्रोफेसर साहीकी इच्छानुसार तत्काल उत्तर दे रहा हूँ। चूँकि मैं एक स्थानीय पत्रके अलावा और कोई अखबार नहीं पढ़ता, इसलिए हिन्दू नेताओंकी "चुप्पीकी साजिश" का मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। अभी मैं सबसे ज्यादा 'हिन्दू'को पढ़ता हूँ और मुझे याद है कि उसमें 'रंगीला रसूल' के खिलाफ

१. पत्रके पाठसे जान पड़ता है कि यह "पत्र : प्रागजी देसाईको", २३-९-१९२७ तथा "पत्र : बी० एस० शीनिवास शास्त्रीको", २२-९-१९२७ से पहले लिखा गया होगा।

एक बहुत बड़ा लेख छपा था। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, जब बहुत-से मुसलमानोंको इस पुस्तिकाके अस्तित्वका भी पता नहीं था तभी वह मेरे हाथमें आई थी। मुझे जानकारी देनेवालेकी सचाईकी परख करनेके लिए मैंने पुस्तिकाको पढ़ा और १९ जून, १९२४ के 'यंग इंडिया' में निम्न टिप्पणी भी लिखी<sup>१</sup>।

इस पर आर्यसमाजियोंकी ओरसे विरोध और आपत्तिका सिलसिला चला। मुझे आर्यसमाजियों और महान संस्थापक ऋषि दयानन्दके खिलाफ लिखे गये लेखादिकी कतरने भेजी; जो 'रंगीला रसूल' से भी गन्दे थे और मुझे बताया गया कि 'रंगीला रसूल' और इस तरहकी दूसरी चीजें मुसलमानों द्वारा लिखी उपर्युक्त चीजोंके उत्तरमें ही लिखी गई हैं। इसपर मैंने १० जुलाई, १९२४ के 'यंग इंडिया' में एक और टिप्पणी लिखी, जो निम्न प्रकार थी<sup>२</sup>।

इस प्रकार मुसलमानोंके क्षोभका अनुमान मैंने पहले ही लगा लिया था और तदनुसार कार्रवाई भी की थी। लेकिन मौजूदा आन्दोलनमें मेरा और उनका साथ बस यहीतक है। इस आन्दोलनने जो मोड़ लिया वह मुझे पसन्द नहीं आया। मैंने इसे अतिवादितापूर्ण और जनताको भड़कानेवाला माना। न्यायमूर्ति दलीपसिंहपर<sup>३</sup> किया गया प्रहार अकारण, अनुचित और पागलपनभरा था। न्यायपालिकाके दारमें भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसे सरकार प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन यदि उसे जनताके प्रहारों, धमकियों और अपमानोंको सहना पड़े तो वह न्याय करनेके लायक बिलकुल नहीं रह जायेगी। जहाँतक न्यायाधीशकी ईमानदारीका सम्बन्ध था, इतनेसे किसी भी मुसलमानको सन्तुष्ट हो जाना चाहिए था कि उन्होंने बिना किसी लाग लपेटके पुस्तिकाकी भर्त्सना की। न्यायाधीशके द्वारा की गई सम्बन्धित धाराकी व्याख्याको उनके विरुद्ध इतना तीव्र दोषारोपण करनेका कारण नहीं बनाना चाहिए था। अन्य न्यायाधीशोंने न्यायमूर्ति दलीपसिंहसे भिन्न मत जाहिर किया, इससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यायाधीशगण तो पहले भी अकसर एक ही कानूनकी एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न, फिर भी ईमानदारी-भरी व्याख्या करते देखे गये हैं। इस धाराको सख्त बनवानेके लिए आन्दोलन करना ठीक हो सकता है, हालाँकि खुद मेरी रायमें तो यह भी ठीक नहीं होगा। कारण यह है कि धारामें किसी प्रकारकी सख्ती लानेकी प्रतिक्रिया खुद हमारे खिलाफ होगी, और उसका उपयोग अंग्रेजी हुकूमतके शिकंजेको हमपर और भी कसनेके लिए किया जायेगा। इस तरहकी बहुत-सी धाराओंका ऐसा उपयोग पहले भी किया जा चुका है। लेकिन अगर मुसलमान या हिन्दू ऐसे लेखोंको स्पष्ट रूपसे दण्ड-विधानकी सीमामें लानेके लिए आन्दोलन करना चाहें तो उन्हें वैसा करनेका अधिकार है।

१. टिप्पणी यहाँ नहीं दी जा रही है; देखिये खण्ड २४, पृष्ठ २३८-६९।

२. यहाँ नहीं दी जा रही है; देखिये खण्ड २४, पृष्ठ ३७४-७६।

३. पंजाब उच्च न्यायालयके न्यायाधीश, जिन्होंने अपील करनेपर पुस्तिकाके लेखको रिहा कर दिया था।

सरकारी संरक्षणके विरुद्ध मेरे विचार बहुत दृढ़ हैं। एक समय ऐसा भी था जब हम आजकी अपेक्षा अधिक समझदार थे और ऐसे मामलोंमें अदालतके संरक्षणसे दूर ही रहते थे। ‘रंगीला रसूल’ जैसे मुसलमान-विरोधी लेखनको रोकना हिन्दुओंका काम है, उसी प्रकार जिस प्रकार हिन्दू-विरोधी लेखनको रोकना मुसलमानोंका काम है। नेताओंका या तो इन कीचड़ उछालनेवालोंपर कोई बस नहीं रह गया है या फिर वे खुद इनसे हमदर्दी रखते हैं। जो भी हो, सरकारी संरक्षणसे हम एक-दूसरेके प्रति सहिष्णु तो नहीं बन जायेंगे। कानून सख्त बना दिये जानेपर दूसरेके धर्मसे घृणा करनेवाला हर व्यक्ति अपने विरोधीके धर्मकी निन्दा करनेके लिए गुप्त तरीके अपनायेगा, या ऐसी गंदी चीजें लिखेगा जो विरोधीको क्षुब्ध तो कर देंगी, लेकिन जो ऐसे प्रच्छन्न ढंगकी होंगी कि लेखक कानूनकी दण्डात्मक धाराओंसे बच निकलेगा। लेकिन, साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि इस समय हम समझदार राष्ट्रवादियों या धर्मप्राण व्यक्तियोंकी तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम धर्मकी आड़ लेकर एक-दूसरेको नष्ट कर देनेपर तुल्ले हुए हैं।

मुझको पत्र लिखनेवाले हिन्दुओं और मुसलमानोंको भी यह समझ लेना चाहिए कि आजकल जैसा वातावरण है, उससे मेरे मनका मेल नहीं बैठता। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि झगड़ा करनेवाले इन हिन्दुओं या मुसलमानोंपर मेरा कोई बस नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस तनावको दूर करनेका जो उपाय मेरे पास है, वह समयकी हवाके अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं अपने मनकी शांति बनाये रखकर ही अभी सबसे अच्छी तरह देशकी सेवा करता हूँ। लेकिन, अपने इस उपायमें मेरा उतना ही दृढ़ विश्वास है जितना कि सच्ची हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आवश्यकता और सम्भावनामें है। इसलिए यद्यपि मेरी लाचारी बहुत साफ है, फिर भी उसमें निराशा-जैसी कोई चीज नहीं है। और चूँकि मैं यह मानता हूँ कि मूक प्रार्थनामें अकसर किसी भी सक्रिय प्रयत्नसे अधिक शक्ति रहती है, इसलिए अपनी इस लाचारीकी अवस्थामें मैं बराबर इस विश्वासके साथ प्रार्थनारत रहता हूँ कि शुद्ध हृदयसे की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं रहती। और मैं अपनी समस्त शक्ति लगाकर ऐसी प्रार्थनाका शुद्ध साधन बननेकी कोशिश कर रहा हूँ, जो ईश्वरको स्वीकार हो।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, २२-९-१९२७

## १६. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

सावरमती<sup>१</sup>

२२ सितम्बर, १९२७

प्रिय भाई,

मुझे आपके दो पत्रोंकी प्राप्ति स्वीकार करनी है। मुझे दुख है कि आपको अभीतक ट्रान्सवालके मित्रोंकी तरफसे परेशानी हो रही है। तथापि मैं आशा करता हूँ कि आपको छोड़कर उनके विरोधियोंके साथ हो जानेके कारण आप उद्विग्न नहीं होंगे। मैं यहाँ स्थितिको बराबर देख रहा हूँ और मैं आपसे कहूँगा कि यदि अय्यर<sup>२</sup> और उनके गुटको अपनी गतिविधियोंके बारेमें यहाँके अखबारोंमें कभी-कभार कुछ छपवानेमें सफलता मिल जाती है तो उसके बारेमें आप चिन्ता न करें। मेरी समझमें यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि जबतक मैं हलचल न करूँ, तबतक दक्षिण आफ्रिकाके सवालपर भारतमें कोई खास हलचल नहीं होगी। किसी न किसी तरह इतनी साख तो मेरी अब भी बनी हुई है, और आपकी पदावधिके<sup>३</sup> समाप्त होने तक उसके बने रहनेकी सम्भावना है; किन्तु जबतक [दक्षिण आफ्रिका] संघ सरकार आपके साथ सहयोग कर रही है और आपके दोस्तीके हाथको अस्वीकार नहीं करती तबतक, मैं नहीं समझता, यहाँ हलचल पैदा करनेसे क्या फायदा होगा।

प्रागजी<sup>४</sup> और मेडके<sup>५</sup> मामलोंका परिणाम निराशाजनक है। मेरी रायमें उन्होंने अस्थायी प्रमाणपत्र दिये जानेका प्रस्ताव अस्वीकार करके ठीक ही किया। मैं मेडके बारेमें खुफिया पुलिसकी रिपोर्टोंको कोई महत्त्व नहीं देता। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो सरकारको उनपर मुकदमा चलाना चाहिए, लेकिन खुफिया पुलिसकी रिपोर्टोंका उनके विरुद्ध प्रयोग नहीं करना चाहिए। वे कोई पूर्ण पुरुष भले न हों, लेकिन मैं नहीं समझता कि वे वहाँके, या यहाँके औसत भारतीयकी अपेक्षा ज्यादा खराब हैं। मैं मामलेको जिस ढंगसे देखता हूँ, वह इस प्रकार है। १९१४ का समझौता<sup>६</sup> यह था कि कमसे-कम सिद्धान्त रूपमें रंगके कारण कोई प्रतिबन्ध नहीं लगने चाहिए। इसलिए प्रवासी कानूनकी भाषामें कोई रंग-भेद नहीं दिखाई पड़ता। व्यवहारमें

१. पत्रांतरकी सुविधाके लिये गांधीजीका स्थायी पता।

२. पी० एस० अय्यर; डबलसे प्रकाशित आफ्रिका क्रांतिकालके मालिक और सम्पादक; १९११ में गिरमिटिया भारतीयोंपर ३ पाँड़ी कर लगानेके विरुद्ध सक्रिय आन्दोलन चलाया और '३ पाँड़ी कर विरोधी लीग' की स्थापनामें विशेष योग दिया और उसके अवैतनिक मन्त्री बने। देखिए खण्ड ११।

३. शास्त्री उस समय दक्षिण आफ्रिकामें भारत सरकारके एजेंटके पदपर नियुक्त थे।

४ व ५. जोहानिसबर्गके दो प्रमुख भारतीय, जिन्हें भारतमें कुछ समयतक रहनेके बाद वापस लौटनेपर अपने निवासके प्रमाणपत्रोंका नवीकरण करानेमें कठिनाई हुई थी।

६. गांधी-स्मट्स समझौता, देखिए खण्ड १२।

प्रतिवर्ष छः व्यक्तियोंको शिक्षाके आधारपर दक्षिण आफ्रिकामें प्रवेश दिया जाना था, और जहाँतक मुझे याद पड़ता है, निवासके प्रश्नका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। क्योंकि उनकी योग्यताएँ उनके व्यक्तित्वमें निहित थी। चूँकि मैं याददास्तसे लिख रहा हूँ, इसलिए उसमें गलती होनेकी सम्भावना है। तथापि आप स्थितिको जाँच लेंगे और देख लेंगे कि उससे उन्हें कोई मदद मिल सकती है या नहीं। मैं आशा करता हूँ कि उनके हकमें कोई रास्ता निकल आयेगा।

मुझे खुशी है कि आपको फीनिक्स पसन्द है, और अगर वह समय-समयपर आपकी आरामगाह बन सके तो मुझे हर्ष होगा। एन्ड्रयूजने मुझे तुम्हारे साथ हुई उस घटनाका वर्णन भेजा था। कैसे कैलनबेक आपको अपनी मोटरमें तेज रफ्तारसे प्रिटोरियासे जोहानिसबर्ग ले जा रहे थे और फिर किस प्रकार उनकी फैंशनेबिल गाड़ीका टायर फट गया और एक बड़ी दुर्घटना होते-होते बच गई। मैं चाहता हूँ कि आप हो सके तो कैलनबेकको सिर्फ मुझसे मिलनेके लिए ही सही, भारत आनेको राजी करें। मुझसे मिलकर वे फिर वापस जा सकते हैं और अपना धन्वा कर सकते हैं। कुमारी श्लेसिनने आपके साथ अपनी भेंटका रोचक विवरण मुझे लिख भेजा है। जब मैं मद्रासमें था तो मैंने श्रीमती शास्त्रीसे मिलनेकी कोशिश की थी, लेकिन मुझे पता चला कि वह लखनऊमें थी।

सप्रेम,

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री

## १७. भाषण : सार्वजनिक सभा, कनडुकातनमें<sup>१</sup>

२२ सितम्बर, १९२७

मित्रो,

मैं आपको थैलीके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके बीच आकर मुझे सुख भी हुआ है और दुःख भी। आज शाम मैं आपसे दिली तौरपर बात करना चाहता हूँ। वैश्य परिवारमें जन्मा होनेके कारण मैं मानता हूँ कि मैं आपमें से ही एक हूँ और स्वयं चेष्टी होनेका दावा कर सकता हूँ। जब मैं डा० मेहताके साथ रंगूनमें था तब मुझे आप लोगोंके पारिवारिक जीवनको निकटसे देखनेका अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय मैं नौजवान ही था। मुगल स्ट्रीटसे गुजरते हुए डा० मेहताने मुझे बरामदों और काउंटरोंकी कतारें दिखाई और मेरा ध्यान उन लोगोंकी ओर दिलाया जो करीब-करीब

१. कनडुकातन, कराशकुडी, अमरावतीपुर और देवकोट्टामें दिये गये गांधीजीके भाषणोंके अंशोंको मिलाकर महादेव देसाईने ६-१०-१९२७के थंग इंडियामें “मैसेज टू चेट्टिनाड (चेट्टिनाडको सन्देश)” शीर्षकसे प्रस्तुत किया था।



दिनभर अपनी-अपनी कठौतियोंमें रुपये गिना करते थे। उन्होंने बताया कि ये सब चेट्टी लोग हैं; इन्हे और इनके बरामदोंको देखकर तुम गलतीसे यह सोच बैठोगे कि ये सब मामूली साहूकार लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग छोटे नहीं, बल्कि बड़े साहूकार हैं और इनमें से कुछ तो बहुत ही पैसेवाले हैं। रंगून और दक्षिण आफ्रिकामें चेट्टियोंसे परिचय होनेसे पहले भी मैं कुछ चेट्टियोंको जानता था। मैं केवल कुछ लोगोंको परिचितोंके रूपमें जानता था, लेकिन उस समय मैं नहीं जानता था कि रंगूनमें रुपयेके लेन-देनका लगभग पूरा कारोवार आप लोगोंके हाथमें है। यह बात मुझे रंगून आनेके बाद ही मालूम हुई। तब मुझे १९२० में आप लोगोंसे हुए उस निकट परिचयकी याद आई, जो मुझे तब हुआ था जब मैं चेट्टिनाडसे गुजरा था और तिलक स्वराज्य कोपके लिए घन इकट्ठा कर रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसी सहृदयता आप आज दिखला रहे हैं वैसी ही सहृदयता आपने उस वक्त भी दिखाई थी। लेकिन उस समयका मेरा दौरा तूफानी दौरा था और उस समय मुझे और कुछ सोचने या जाननेका वक्त ही नहीं था। मैं स्वराज्यका दीवाना था। वैसे स्वराज्यका दीवाना तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन ईश्वरने मुझे काफी सबक सिखा दिया है। मेरी अल्प और तुच्छ स्वराज्य-योजना वास्तवमें ईश्वरकी योजना नहीं थी। और अब उसकी ऐसी कृपा हुई है कि मैं शारीरिक रोगसे भी पीड़ित हो गया हूँ जिसके कारण तूफानी ढंगपर काम करना मेरे लिए असम्भव हो गया है। अतः मेरे लिए आपके जीवनका अध्ययन करना और १९२० में जितना कर सका था उससे कहीं बेहतर ढंगसे आपको समझना सम्भव है। आपकी अतिशय कृपाका सबसे अच्छा और एकमात्र प्रतिदान जो मैं दे सकता हूँ वह यही है कि मैं आपको अपने इस सरसरी तौरपर किये गये अध्ययनका नतीजा बताऊँ। इस अध्ययनमें मुझे चेट्टिनाडके अज्ञात मित्रोंसे प्राप्त उन दो पत्रोंसे भी सहायता मिली है जिनमें आपके जीवनके बारेमें विवरण दिये गये हैं।

लेकिन इसकी चर्चा करनेसे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि खादीको आपने अभीतक जिस हदतक अपनाया है, उससे और अधिक अपनायें। आप चाहे तो आपके पास इतनी शक्ति है कि आप तमिलनाडु ही नहीं, सारे भारतके सम्पूर्ण खादी आन्दोलनका आर्थिक दायित्व सँभाल सकते हैं। जैसा कि मैंने उत्तर भारतके चेट्टियों अर्थात् भारवाड़ी मित्रोंसे कहा है, वैसा ही मैं आपसे भी कह सकता हूँ कि यदि आप चाहें तो खादी आन्दोलनका आर्थिक दायित्व केवल अपने फाजिल पैसेसे ही सँभाल सकते हैं। अपनी अद्भुत कुशाग्रतासे आप खादी कार्यका संगठन भी कर सकते हैं। अतः आप मुझे यह कहनेके लिए क्षमा करेंगे कि इस स्थानपर आते हुए आज सुबहसे मुझे जितनी भी थैलियाँ मिली हैं उनसे मुझे किसी प्रकारका कोई सच्चा सन्तोष नहीं हुआ है। मैंने गिना नहीं है, फिर भी अगर कुल राशि कुछ हजार रुपये भी हो तो वास्तवमें वह आपके घनके समुद्रकी एक बूंद जितनी भी नहीं है। यदि खादीमें आपका सचमुच विश्वास है, यदि आपने चरखेका सन्देश समझ लिया है,

तब, और केवल तभी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने विशाल धनकोषसे थोड़ा नहीं, बल्कि काफी अंश निकाल कर मुझे दें।

और आखिरकार खादी है क्या? खादी लाखों क्षुधाग्रस्त लोगोंका प्रतिनिधित्व करती है, और जिन लोगोंके पास धन या सत्ता है, वे अपने धन या शक्तिके मदमें इन लाखों उदार लोगोंको मूल न जायें। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप क्षुधा-पीड़ित लाखों लोगोंके इस जबरदस्त हितको अपना समर्थन दें और उसे अपना ही हित मान लें। अगर आपने ऐसा किया तो आप स्वतः ही अपने सभी उत्तमोत्तम विदेशी वस्त्रोंका त्याग कर देंगे और तब यदि आप चाहेंगे तो आपकी रचिके अनुसार आपको बढियासे-बढिया और वारीकसे-वारीक खादी मिल सकेगी।

जब मैंने देखा कि आपके घर विदेशी फर्नीचरसे ठसाठस भरे हुए हैं, सभी प्रकारकी खूबसूरत विदेशी साज-सज्जाकी वस्तुओंसे सजे हुए हैं, जब मैंने देखा कि आपके घरमें अनेक ऐसी चीजें हैं जिनका हमारी इस पावन भूमिमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो मैंने आरम्भमें ही आपसे कह दिया था कि मुझे [आपके बीच आकर] खुशी भी हुई है और दुःख भी। मैं आपसे कहता हूँ कि इतने अधिक फर्नीचरके बीच मुझे घुटनका-सा अनुभव हुआ है। मुझिकलसे इस फर्नीचरके बीच बैठने या खुलकर साँस लेनेकी जगह है। आपके यहाँकी कुछ तस्वीरें तो बीमत्स हैं, और देखने लायक नहीं हैं। मुझे महाभारत कालके समृद्ध लोगोंके पापों और उनमेंसे कुछकी सादगीके वर्णन याद आते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने धनका जैसा दिखावा यहाँ करते प्रतीत होते हैं वैसा न करें। हमारे देशके समशीतोष्ण वातावरण और जलवायुमें इन चीजोंके प्रदर्शनकी वास्तवमें आवश्यकता नहीं है। इनसे शुद्ध वायुके मुक्त प्रवाहमें बाधा पड़ती है और इनमें धूल और हवामें तैरनेवाले करोड़ों कीटाणु रहते हैं। यदि आप मुझे चेद्विनाडके इन तमाम स्थानोंकी सजावटका ठेका दे दें तो मैं दसगुना कम पैसोंमें सजावट कर दूँगा और आजकी अपेक्षा कहीं ज्यादा गुंजाइश और ज्यादा आराम प्रदान कर दूँगा, और साथ ही भारतके कलाकारोंसे यह प्रमाणपत्र भी हासिल कर लूँगा कि आपने जितना किया है उससे कहीं ज्यादा कलात्मक ढंगसे मैंने आपके घरोंको सजा दिया है।

मैं यह भी कहूँगा कि आपके ये जो सारे महल बने हैं इनके पीछे आपके बीच सहयोगकी तथा सामाजिक प्रभाव या समाज-कल्याणकी कोई भावना नहीं रही है। यदि आप पारस्परिक कल्याणके लिए और अपने बीच रहनेवाली खेतिहर जनताके कल्याणके लिए चेद्विनाडका एक सघ बना लें तो आप वास्तवमें चेद्विनाडको एक मनोहर माया-नगरी बना सकते हैं जो भारतके सभी लोगोंको आकृष्ट करेगी और तब वे आपके जीवनकी सादगीको देखकर सन्तुष्ट होंगे। यह तो मैंने आपके जीवनके बाह्य पक्षके बारेमें कहा।

मैं आन्तरिक शुद्धताके पक्षमें भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे सामान्य लोगो और अमीर मित्रोंका विश्वासभाजन होनेका सौभाग्य प्राप्त है और मुझे जानकारी है और मेरा यह अनुमान भी है कि आप धनवान चेद्वी लोग उन कमजोरियोंसे मुक्त नहीं हैं जो सप्तर भरके सभी धनवानोंमें आम है। लेकिन ऐसा होना जरूरी

नहीं है। हमारे सामने जनकका प्रसिद्ध उदाहरण है। उनके पास अपार धन था, फिर भी वह पवित्रताके साक्षात् अवतार थे। इसलिए मैं जीवनकी व्यक्तिगत पवित्रता-पर जोर देता हूँ। वास्तवमें यही मनुष्योचित जीवनका सार है। मनुष्यका मनुष्यत्व इसीमें है कि वह अपनी पत्नीको छोड़कर अन्य प्रत्येक स्त्रीको उसकी आयुके मानसे वहन, माँ या बेटी समझे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे चेटी भाई मनुष्यके लिए अपने प्रति जितनी सख्ती बरतना सम्भव है उतनी सख्ती बरतें और कड़ाईसे आत्म-निरीक्षण करें।

आपका दान भी बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए। मैंने सुना है कि आप मन्दिरोंके निर्माणपर खूब धन खर्च करते हैं। थोड़े-बहुत मन्दिर बनवाना तो अच्छी चीज है, लेकिन सम्भव है इस तरह जरूरतसे ज्यादा मन्दिर बन जायें। ऐसा सोचना एक भयंकर अन्धविश्वास है कि हमारे एक ऐसा भवन बनवा देनेसे जिसे मन्दिर कहा जाता है, भगवान उसमें निवास करने ही लगते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं भारतमें ऐसे बहुतसे मन्दिरोंको जानता हूँ जहाँ उसी प्रकार ईश्वरका निवास नहीं है जैसे वेध्यालयमें नहीं होता। आप जैसे कुछ अच्छे मित्रोंने मुझे तथाकथित अस्पृश्योंके लिए मन्दिर बनवानेको कुछ धन दिया है। मैंने कह दिया है कि अगर मुझे मन्दिरके लिए कोई साधु-पुरुष नहीं मिलता और उसके प्रबन्धके लिए ईमानदार न्यासी नहीं मिलते तो मैं वह राशि मन्दिर बनवानेपर खर्च नहीं करूँगा।

मेरी समझमें इस समय खादीके इस कार्यको आगे बढ़ानेके लिए धन देना ही किसी भी भारतीयके लिए सर्वोत्तम दान देना है।

हमारे धनवान मित्र तथाकथित गरीबोंको भोजन करानेका बड़ा शौक रखते हैं। इस प्रकार भोजन देनेके लामपर मैंने अकसर शंका व्यक्तकी है। 'भगवद्गीता' कहती है कि अच्छा दान वही है जो सुपात्रको दिया जाये।<sup>१</sup> इसलिए अन्धोंको, लँगड़े-लूँकोंको और उन लोगोंको भोजन कराना ठीक होगा जो किसी-न-किसी कारणसे आजीविका कमानेके लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं साहसपूर्वक कहता हूँ कि यदि आप सब लोग आपसमें तय करके भारतके गाँवोंमें ५०,००० लोगोंको मुफ्त भोजन देनेके लिए एक निश्चित धनराशि अलग नियत कर दें तो यह एक बहुत बड़ा पाप होगा। जिस आदमीके हाथ-पाँव ठीक हैं और जिसके सामने करनेको कुछ काम है, वह मनुष्य मुफ्त भोजन करानेके योग्य नहीं है। भारतकी सबसे बड़ी जरूरत है क्षुवात्तं भ्रामवासियोंके लिए उनके घरोंमें काम मुहैया करनेकी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप खादीकी प्रगतिके लिए जो एक रुपया भी देते हैं उसका अर्थ है १६ स्त्रियोंका एक जूनका भोजन जिसे कि उन्होंने मेहनत करके कमाया है।

इसी प्रकार भारतमें भवेशियोंका जैसा पापपूर्ण ह्रास हो रहा है, उसके लिए दिया जानेवाला दान भी उतना ही बड़ा दान है। जो व्यक्ति एक अच्छी गोशाला और एक चमड़ा कमानेका कारखाना चलाता है वह कई सौ भवेशियोंकी रक्षा करता है। अतः यदि आप चेट्टिनाडको अपने रहने और मेरे जैसे हर अम्यागतके लिए थोड़ा आराम

पाने योग्य एक आदर्श स्थान बनाना चाहते हैं तो मैं अपेक्षा करूँगा कि आप उसे न केवल सफाई और स्वच्छतामें आदर्श ही बना देंगे वल्कि आपके यहाँ अच्छे मवेशीखाने होंगे, जहाँ सभी प्रकारके पशु रखे जायेंगे, और यह भी अपेक्षा करूँगा कि आपके यहाँ एक आदर्श डेरी भी होगी जो आपको और आसपास के गरीब लोगोंको सस्ते भावपर अच्छा और शुद्ध दूध वितरित करेगी। मैं यह भी अपेक्षा करूँगा कि आप यहाँ चमड़ा कमानेके कारखाने बनायेंगे और वहाँ मरे हुए पशुओंका चमड़ा प्राप्त करके उससे अमीरो और गरीबोंके लिए जूते बनाये जायेंगे। इसी प्रकार आपकी दानशीलताका काम मुक्त रूपसे उन तथाकथित अस्पृश्योंको भी प्राप्त होना चाहिए जिन्हें आपने अभीतक अपने पैरों तले रौंदा है।

मैं और भी सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि आपको विचार करनेके लिए मैंने पर्याप्त सामग्री दे दी है। आपके सच्चे मित्रके नाते मैं आपसे कहूँगा कि जिन महत्त्वपूर्ण बातोंपर मैंने आपसे चर्चा की है उन्हें आप अपने मनसे निकाल न दें, वल्कि उनपर विचार करे, और मुझे यह देखकर खुशी होगी कि आपमें से कमसे-कम कुछ लोगोंने मेरे सन्देशको समझा और उसकी कद्र की है। मैं भारतके अमीरों और गरीबोंके बीचकी खाई पाटनेको बहुत उत्सुक हूँ। जबतक इन दोनोंके बीच जीवन्त सम्बन्ध नहीं स्थापित हो जाता तबतक मुझे इस देशके लिए स्थायी सुखका कोई रास्ता नजर नहीं आता।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २४-९-१९२७

## १८. पत्र : प्रागजी देसाईको

माद्रपद बदी १३ [२३ सितम्बर, १९२७]<sup>१</sup>

माईत्री प्रागजी,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तुम दोनोंके बारेमें शास्त्रीजीको लिखा है।<sup>२</sup> वे प्रयत्न तो कर ही रहे हैं। वे जो करें और कहें उससे सन्तोष मानना। मैंने उन्हें एक दलील सुझायी है जो शायद उपयोगी सिद्ध हो। दलील यह है कि जो व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताके आधारपर प्रवेश चाहता है उसके लिए मुहत्तकी रोक नहीं लगनी चाहिए। जो भी करो, निवासका अधिकार पानेके लिए ऐसा कुछ मत करना जो शरमाने-झंसा हो और न कोई अपमानजनक शर्त ही स्वीकार करना। अपने सम्मानकी रक्षा करते हुए जो पा सको उसीसे सन्तोष करना। नेटालमें रहनेका अधिकार तो तुम दोनोंको मिल ही गया मालूम होता है। अतः अब तुम्हें ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

१. इस पत्रमें प्रागजीके मामलेका उल्लेख है। उसीके आधारपर वर्षका निश्चय किया गया है।

२. देखिए "पत्र : वी० प० श्रीनिवास शास्त्रीको", २२-९-१९२७।

तुमने एन्ड्र्यूजकी जो आलोचना की है वह उचित नहीं है। मैं उसमें जल्दबाजी और अधीरता देखता हूँ। एन्ड्र्यूज तुमसे झूठ बोलेंगे, यह नहीं हो सकता। . . . को<sup>1</sup> विस्मरण हो गया हो या एन्ड्र्यूजको गलतफहमी हो गयी हो, ऐसा हो तो हो। एन्ड्र्यूज जैसा सज्जन व्यक्ति जब हमारे लिए निःस्वार्थ भावसे खट रहा है तब हमें यह शोभा नहीं देता कि हम उनपर नाराज हों या दोषारोपण करें।

आशा है तुम्हारी और मेढकी तवीयत ठीक होगी। मैं तो आजकल यात्रा कर रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५०४१) की फोटो-नकलसे।

## १९. पत्र : मणिलाल गांधीको

[ २३ सितम्बर, १९२७ ]<sup>१</sup>

चि० मणिलाल,

तुम्हारा पत्र मिला।

इसके साथ प्रागजीके लिए भी एक पत्र रख रहा हूँ। उसे पढ़कर उन्हें पहुँचा देना जिससे उनके सम्बन्धमें मुझे तुम्हें दुबारा न लिखना पड़े।

एन्ड्र्यूजके विषयमें तुमने जिन शब्दोंका प्रयोग किया है उन्हें मैं अनुचित मानता हूँ उनके जैसे सेवापरायण व्यक्तिके सम्बन्धमें ऐसे शब्दोंका व्यवहार शोभन नहीं है। प्रागजी और मेढके मामलोंके बारेमें उन्हें इतनी चिन्ता रही है कि उनके सम्बन्धमें उन्होंने मुझे तार तक भेजा है। उन्हें जैसा लगा वैसा उन्होंने कहा; उसके कारण हम उनपर दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? डेलागोआ-वेमें उन्होंने जो कहा, उसके लिए भी हम उनकी आलोचना कैसे कर सकते हैं? जो सेवा करता है उसे [आवश्यकता होने पर] टीका करनेका भी अधिकार है, बशर्ते कि वह अपनी की हुई टीकाका दुस्प्रयोग न होने दे। अपनोंकी टीका करनेमें भला मेरी बराबरी कौन कर सकता है? किन्तु इस कारण यदि कोई मेरे ऊपर दोषारोपण करने लगे तो मेरा क्या हाल हो?

मेरा दौरा चल रहा है। यह सारा वर्ष इसी तरह बीतेगा। हाँ, जनवरीमें राम-दासके विवाहके लिए मुझे आश्रम जाना होगा। ज्यादा लिखनेका समय नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७२३) की फोटो-नकलसे।

१. अस्पष्ट है।

२. देखिए पिछला शीर्षक।

## २०. भाषण : अमरावतीपुरमें

२३ सितम्बर, १९२७

मित्रो,

आपने अभी मुझे जो थैली दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस जगह या यहाँके रहनेवालोंके बारेमें मेरी अनभिज्ञताको आप क्षमा करेंगे। अभी-अभी पूछनेपर मुझे पता लगा कि यही वह जगह है जिसने देशके इस हिस्सेको राष्ट्रीय कार्यकर्ता दिये है।

मैं भारतके घनी लोगोसे कहता रहा हूँ कि यदि उन्हें अपने लाखों क्षुधार्त भाइयो-से जीवन्त सम्बन्ध कायम करना है तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि वे खादी और चरखेके सन्देशको अपनायें।<sup>१</sup> इसलिए आप लोगोने खादी कार्यके लिए यह थैली देकर निस्सन्देह अच्छा काम किया है। और मैं चाहूँगा कि आप कमसे-कम जो दे सकते हों, वह नहीं, बल्कि ज्यादासे-ज्यादा जो दे सकते हों, दें। और यदि आपने अधिकसे-अधिक न दिया हो तो मैं इस स्थानके सभी घनवान लोगोसे कहूँगा कि वे अपनी जेबोंमें और गहरे हाथ डालें और फिर जो धनराशि देना उचित लगे सो दें। लेकिन धनके रूपमें आप अधिकाधिक कुछ भी क्यों न दें, मैं ऐसा नहीं मानूँगा कि आपने खादीके लिए यह अधिकसे-अधिक काम कर दिया या आप इससे अधिक नहीं कर सकते।

यदि आपको चरखेके सन्देशमें विश्वास है तो मैं आपको आसानीसे इस बातका यकीन करा दे सकता हूँ कि यदि आप खादी पहननेको तैयार न हों तो खादीके लिए आप अपना सारा धन देकर भी कुछ नहीं कर पायेंगे। क्योंकि जबतक हम खादी नहीं पहनते तबतक गरीबोंसे खादी तैयार कराना बेकार है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो लोग अभीतक आदतन् खादी नहीं पहनते हैं वे विदेशी वस्त्रोका सर्वथा त्याग कर दें और केवल खादीका ही उपयोग करें। जो बात मैंने पुरुषोसे कही है वही बात मेरे चारों ओर बैठी हुई वहनोपर भी लागू होती है।

मैं समझता हूँ कि कराइकुडीकी तरह यहाँ भी आप लोगोने गरीब लोगोको भोजन कराया है। यदि कराया हो तो मैं यह तो स्वीकार करूँगा कि इससे आपके हृदयकी उदारता व्यक्त होती है, लेकिन इससे आपका कोई वास्तविक गुणोत्कर्ष हुआ हो सो मैं नहीं मानता। मुझे विश्वास है कि भारतके ज्यादातर लोग गरीबोको भिखारी और कंगाल नहीं बनाना चाहते। इसलिए जो बात मैंने कल रात कही, वही यहाँ दुहराता हूँ कि घनवान लोग सबसे अच्छा जो दान आज दे सकते हैं वह है खादी संगठनकी सहायता करना। खादी कार्यके लिए दिये गये एक रुपयेका अर्थ प्रतिदिन १६ औरतोंको काम और प्रत्येकको १ आना देना है। और यदि आप आत्म-

१. देखिए "भाषण : सार्वजनिक सभा, कन्डुकातनमें", २२-९-१९२७।

सम्मानी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो यह देखना आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति-को ईमानदारीका काम मिले और हर स्त्री या पुरुष जो काम करे उसका उसको ईमानदारीसे पारिश्रमिक प्राप्त हो।

और मैं पिछली रात कही गई अपनी यह बात भी दुहराना चाहूँगा कि धनवान लोगोंको बराबर यह याद दिलाते रहना जरूरी है कि आखिरकार वैयक्तिक जीवनमें पवित्रता संसारका सबसे बड़ा धन है। मैं मानता हूँ कि लगातार गलत काम करनेवालोंके लिए धन कितना बड़ा प्रलोभन प्रस्तुत करता है। इसलिए मैं चाहूँगा स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करनेके खयालसे आपमें से हरएक व्यक्तिगत तौर पर अपना निरीक्षण करे और आपके अन्दर जो भी बुराइयाँ हैं, उनको नष्ट कर डाले। अमरावतीके शाब्दिक अर्थ हैं देवताओंकी नगरी। मैं कितना चाहता हूँ कि आप अपने शहरको सचमुच देवोंका आवास बना डालें। यदि अन्दर और बाहरकी सफाई कर डालें तो आप आसानीसे ऐसा कर सकते हैं। यदि हम अपने मनमें ईमानदारीसे सोचें तो हममें से हर एक देख सकेगा कि स्वराज्यकी भाँति ही स्वच्छता भी हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है। स्वराज्यकी ओर जानेवाला पथ आत्मसंयमका पथ है। और आत्म-संयमका अर्थ है व्यक्तिगत स्वच्छता।

लेकिन चेट्टिनाडमें रहते हुए मैंने देखा है कि जहाँतक बाह्य सामूहिक स्वच्छताका सवाल है, उसका यहाँ वास्तवमें अभाव है। अगर आप सब मिलजुलकर प्रयत्न करें तो आप अपनी सड़कें, अपने तालाब और अपने आसपासके स्थान बिलकुल स्वच्छ बना सकते हैं और मेरे पास चेट्टिनाडके मित्रोंके पत्र हैं जिनमें मुझे बताया गया है कि यहाँ कोई खास आन्तरिक स्वच्छता भी नहीं है। यह आन्तरिक अस्वच्छता तो उस अस्वच्छतासे भी खराब है जो मैं यहाँ सड़कों और तालाबोंमें देखता हूँ। अगर आप अपनेको संगठित कर लें, स्वयंसेवकों और कार्यकर्त्ताओंका एक दल आपके पास हो और आप अपनी सड़कों और अपने तालाबोंको खूब स्वच्छ कर डालें तो यह बाह्य गन्दगी और अस्वच्छता तो दूर की ही जा सकती है। सामूहिक या शहरी जिन्दगीकी पहली शर्त है कि नगरके लोगोंको बिलकुल स्वच्छ पानी मिलनेकी गारंटी हो और जहाँ पानी जमा किया जाता है वह जगह बिलकुल साफ और सुन्दर हो। नन्दी हिलपर मैंने देखा कि उन पहाड़ियोंपर रहनेवाले लोग जिस तालाबसे पीने का पानी लेते थे उसे गन्दगीसे बचानेके लिए उसकी दिनभर ठीक निगरानी रखी जाती थी। जिन तालाबोंसे पीनेका पानी लिया जाता है, कपडे धोने, नहानेके तालाब उनसे अलग होने चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैंने जिस आन्तरिक स्वच्छताकी बात अभी की वह कही ज्यादा कठिन और जटिल समस्या है, और बाह्य स्वच्छतासे उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन एक जमाना था जब खुद मेरे पास कुछ धन हुआ करता था, और इसलिए मैं आपको अपना निजी नुस्खा दे सकता हूँ कि किस प्रकार आप धनी होनेपर भी आन्तरिक स्वच्छता प्राप्त कर सकते हैं। जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई मौलिक नुस्खा नहीं है। यह तो वास्तवमें हमारे धर्मका एक अंग है। वह यह है कि चाहे हमने कितना भी धन अर्जित किया हो,

हमें अपनेको इस घनका न्यासी समझना चाहिए, जिन्हें उसका उपयोग अपने पड़ोसियोंके कल्याणके लिए करना है। एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना यज्ञ किये, अर्थात् बिना दिये भोजन करता है, वह चोर है।<sup>१</sup> यदि ईश्वर हमें धक्ति और धन देता है तो इसलिए देता है कि हम उसका अपने स्वार्थपूर्ण भोगके लिए नहीं, बल्कि मानवताके कल्याणके लिए उपयोग करें।

मैं आपका ध्यान अस्पृश्यताके सवालकी तरफ भी दिलाना चाहूँगा। आप अमरावतीपुरके निवासियोंके मनमें तथाकथित अस्पृश्योंके लिए सहृदयताकी भावना है। कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति विशेषमें पैदा हुआ है इसलिए उसे अस्पृश्य कहा जाये, यह तो पाप है। इसलिए आप अपना धन उन्हें इस प्रकार दें मानो वे आपके नाते-रिस्तेदार हों, वे वास्तवमें हैं भी—और अपने धनको उनके कल्याण हेतु खर्च करें।

मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आज इस शाम मैंने आपसे जो-कुछ कहा है उसे आप भुला न दें, बल्कि अपने मनमें संजोकर रखें और अपनी सामर्थ्य भर उसे कार्यका रूप दें। ईश्वर आपकी सहायता करे।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २६-९-१९२७

## २१. सन्देश : शिक्षा सम्मेलन, त्रिचनापल्लीको

[ २४ सितम्बर, १९२७ से पूर्व ]<sup>२</sup>

मैं चाहूँगा कि देशके नौजवानोंके ऊपर अध्यापकोंका जो जबर्दस्त प्रभाव है, उसका उपयोग वे उन्हें कमसे-कम केवल खट्टर पहननेके लिए राजी करके उन्हें लाखों क्षुधा-पीड़ित लोगोंके साथ जोड़नेके लिए करें; लेकिन जबतक वे स्वयं उदाहरण न प्रस्तुत करेंगे तबतक इसमें सफल नहीं होंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २६-९-१९२७

१. गीता, ३, १२।

२. त्रिचनापल्ली जिला शिक्षा सम्मेलन और जिला शिक्षक संवत्ता ३७ वॉ वार्षिक सम्मेलन २४-९-१९२७ को हुआ था।



## २२. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, कराइकुडीमें

२४ सितम्बर, १९२७

प्रिय वहनो,

आज सुबह आपसे भेंट कर सकनेकी मुझे बहुत खुशी है, और दरिद्रनारायणके लिए जो थैली आपने मुझे दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मुझे निश्चय नहीं है कि आप सब लोग वास्तवमें जानती हैं कि आपने यह थैली मुझे क्यों दी है। मुझे डर है कि आपमें से कुछ सोचती हैं कि यह घन एक सुपात्र महात्माको उसके अपने खजानेमें डालनेके लिए दिया जा रहा है। लेकिन आपमें से एकका भी ऐसा विश्वास हो तो मैं आपका यह भ्रम मिटा दूँ। आपने यह घन अपनी लाखों भूखसे पीड़ित बहनोंके लिए दिया है, और मैं आपकी इस भेंटको उन गरीब बहनों तक पहुँचानेका एक तुच्छ माध्यम-मर हूँ, लेकिन उस ढंगसे नहीं जैसे कि आप गरीबोंके आगे पैसा फेंक देती हैं। यह घन उन गरीब बहनोंको भिक्षाके रूपमें नहीं दिया जायेगा, बल्कि वे जो काम करेगी उसके बदले दिया जायेगा। वे इसलिए भूखी नहीं मर रही हैं कि उनके गाँवमें खानेको नहीं है; वे इसलिए भूखी हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है जिससे वे पैसा कमा सकें; यदि पैसा कमा सकें तो वे खाना पा सकती हैं। आपकी और मेरी ये बहनें वर्षमें छः महीने बेकार रहती हैं—आपके और मेरे पापोंके कारण बेकार रहती हैं। यदि आप और मैं वह अरिसी<sup>१</sup> न खाएँ जो हमारे खेतिहर देशके इस भागमें पैदा करते हैं तो आप जानती हैं उन खेतिहरोंका क्या हाल होगा? यदि जो अरिसी वे पैदा करते हैं, उसे खानेके बजाय हम आस्ट्रेलियामें पैदा हुआ और आस्ट्रेलियासे भँगाया गया गेहूँ खाने लगें, तो इन खेतिहरोंका क्या होगा? वे अरिसी उगाना बन्द कर देंगे और मूखों मरेंगे, क्योंकि उनके श्रमसे पैदा वस्तुका उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब हमारी ये लाखों बहनें किसी समय इसी प्रकार सूत कातती थीं जिसका बुना कपड़ा हम पहनते थे, और जिसे अब हम खद्दर कहते हैं। वह ऐसा समय था जब हम खादी पहनते थे। फिर हमारे अभागे देशके इतिहासमें एक ऐसा समय आया जब आप और मैं और हमारे पूर्वज पागल हो गये और पाप करने लगे। हम इंग्लैंड, पेरिस और दुनियाके दूसरे हिस्सोंसे आनेवाले बढ़िया वारीक कपड़ेके भुलावेमें पड़ गये। और इस प्रकार हमारी इन बहनोंको अपने मालके लिए कोई बाजार न रह जानेपर उन्होंने अपने चरखे फेंक दिये; और चरखेके अलावा करनेके लिए उनके गाँवोंमें कोई दूसरा काम था ही नहीं। कोई दूसरा काम न मिलनेपर वे भूखों मरने लगीं। उनमें कुछ थोड़ी-सी स्त्रियोंने अपने गाँव छोड़ दिये और अपना तन बेचकर लज्जाजनक जीवन विताने लगी। और आप याद रखें कि ये आपकी और मेरी बहनें थीं। कुछ अन्य स्त्रियाँ शहरोंमें चली गईं और कारखानोंमें

१. चावलका तामल पर्यायवाची शब्द।

मजदूरीके ऐसे कामको स्वीकार कर लिया जिसे आप स्वीकार नहीं करेगी। अब आपने यह धन हमारे अपने पापोंके प्रायश्चित्त-स्वरूप दिया है। लेकिन यदि आप स्वयं खर्च नहीं पहनेंगी तो यह धन बिलकुल बेकार है। इसलिए मैं आपसे अपने धर्मका विचार करनेको कहता हूँ, और कहता हूँ कि आप एक पवित्र सकल्प करें कि इन गरीब बहनोकी खातिर अब आगेसे खादीके सिवा आप और कुछ नहीं पहनेंगी। लेकिन इन ग्रामवासियोंके पवित्र हाथों द्वारा काता और बुना कपड़ा पहनना ही काफी नहीं है। खादीको इससे अधिककी जरूरत है। यदि आप इस खादीके जरिये सच्चे हृदयसे इन गरीब बहनोका विचार करेंगी, तो खादी केवल आपके बाह्य परिवर्तनका प्रतीक ही नहीं होगी, आपका सम्पूर्ण हृदय बदल जायेगा। यदि आप वैसा करेगी तो आप सती और सीताके युगको पुनरुज्जीवित कर देंगी। मैं ईश्वरसे निरन्तर प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको उन जैसा ही बना दे। लेकिन हमारी मर्जीके खिलाफ ईश्वर भी हमें वह नहीं बना सकता जो हमें होना चाहिए। ईश्वर केवल उन्हीको सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करनेको तैयार हो। आपके सीता जैसी बननेकी इच्छा करनेकी देर है; वह आपको वैसा बना देगा। लेकिन आप वैसा चाहती नहीं हैं क्योंकि आप सचमुच मानती हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आप तकके लिए अस्पृश्य हैं। सीता ऐसा नहीं करती थी। इसके विपरीत, वह उन्हें निषाद मानती थी जिन्हें आज हम अज्ञानवश अस्पृश्य समझते हैं। किन्तु यदि आप खादी पहनेंगी और खादीकी भावना रखेंगी तो केवल इस कारण आप किसीको अस्पृश्य नहीं मानेंगी कि उसका जन्म किसी वातावरण विशेषमें हुआ है।

अब शायद आप यह भी समझ सकेंगी कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ कि चेट्टिनाडकी धनी महिलाओंने दरिद्रनारायणके लिए पर्याप्त धन नहीं दिया है। मुझे आप जैसी बहनोसे न केवल वह धन माँगनेमें कोई हिचक नहीं है जो वास्तवमें आपको अपने माता-पितासे और पतिसे प्राप्त हुआ है, बल्कि मैं आपसे स्त्रीधन भी, अर्थात् आपके गहने भी देनेको कहता हूँ। और मैं यह इस शर्तपर माँगता हूँ कि बहने अपने गहने देनेके बाद उनकी जगह दूसरे गहने बनवानेको नहीं कहेंगी। स्त्रीका सच्चा सौन्दर्य उसकी साड़ी, उसके हीरे-मोती या उसके स्वर्णभूषणोंमें नहीं है। स्त्रीका सच्चा सौन्दर्य शुद्ध हृदय रखनेमें है। ईश्वर आपको वैसा हृदय दे।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २६-९-१९२७

## २३. भाषण : देवकोट्टामें'

२४ सितम्बर, १९२७

मित्रो,

मैं इन सभी अभिनन्दनपत्रोंके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं निपुण कर्तया, श्रीयुत चोर्कलिंगम् चेट्टियार, को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे सईके विविध नमूने दिये हैं, जिनसे पता चलता है कि कताईसे पहले सईको किन-किन प्रक्रियाओंमें से गुजरना पड़ता है। मैं उन्हें अपने कते हुए सूतसे यहीके एक बुनकर द्वारा बुनी खादी भेंट करनेके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैंने इसे लोगोंके देखनेके लिए रख दिया है। आप खुद यह बारीक खादी देखें; मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस कपड़ेके पारसे आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। मैं इस सभाका आरम्भ आपके सामने एक प्रस्ताव रखते हुए करना चाहता हूँ। इस खादीके कपड़ेको मैं पहन नहीं सकता क्योंकि ऐसा करना मेरी इस घोषणाके विरुद्ध होगा कि मैं अपने लिए उतना ही चाहता हूँ जो हमारे लाखो क्षुधार्त भाइयोंके मुकाबले ज्यादा न हो। ईश्वर ही जानता है कि सेवा करनेकी तीव्र अभिलाषाकी आड़में मैं किस-किस तरहकी छूट ले लेता हूँ। लेकिन अभी मैं इतना उद्विग्न नहीं हुआ हूँ जो कहूँ कि इस खादीका इस्तेमाल करके मैं आपकी ज्यादा सेवा कर सकूँगा। इसलिए जो उदार प्रस्ताव मैं करने जा रहा हूँ, उसे यदि आप स्वीकार करेंगे तो यह खादीका टुकड़ा उस प्रदर्शनीय संग्रहमें चला जायेगा जिसे अखिल भारतीय चरखा संघने इकट्ठा किया है। और यह निश्चय ही संघके संग्रहकी एक अनूठी वस्तु होगा। लेकिन मैं सचमुच चाहूँगा कि आप हस्तकलाके इस सुन्दर नमूनेको एक प्रदर्शनीय वस्तुके रूपमें, अथवा आपमें से कुछ धनी लोगों द्वारा संग्राह्य शोभाकी वस्तुके रूपमें अपने ही बीच रखें। लेकिन यदि आप इसे कीर्तिपदकके रूपमें अपने बीच रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए खिलाड़ियों जैसी उदारताके साथ उपयुक्त कीमत चुकानी पड़ेगी। और ढाकाकी 'शबनम' से थोड़ा ही कम पड़नेवाले इस खादीके टुकड़ेको मैं कितना कीमती मानता हूँ, यह दिखानेके लिए मैं आपको १,००० रुपयेसे कममें यह टुकड़ा नहीं लेने दूँगा। 'शबनम' ढाकाकी उस खादीका कवित्वपूर्ण नाम है जो हमारे पूर्वज वहाँ तैयार किया करते थे। शबनमके अर्थ है ओस, और इस मल-मलको 'शबनम' इसलिए कहा जाता था कि इसे फँला देनेपर देखनेवालेको ओस-का धोखा हो जाता था। यह कपड़ा इतना बारीक और इतना सुन्दर होता था। कुछ महीने पहले बंगालमें एक चटर्जी महोदयकी मृत्यु हो गई जिन्होंने करीब-करीब शबनम

१. देवकोट्टाकी क्षस समामें गांधीजीको नागरिकों, देवकोट्टा यूनिवर्स बोर्ड और नगरथार श्री मोनाक्षी विद्यालय द्वारा स्कूलके छात्रों तथा अध्यापकोंको ओरसे अभिनन्दनपत्र दिये गये थे। गांधीजी इन्हींका उत्तर दे रहे थे।

जैसी ढाकाकी मलमल या खादी तैयार की थी। हमारे दुर्भाग्यसे उनकी मृत्यु हो गई, किन्तु उनके हस्तकौशलका नमूना अभी भी बंगालके खादी प्रतिष्ठानमें प्रदर्शनार्थ मौजूद है, और प्रतिष्ठानके प्रबन्धक ५००० रुपयेमें भी इस खादीको नहीं बेचेंगे। मैं मानता हूँ कि इतना मूल्य कुछ ज्यादा है या कुछ ज्यादा कहा जा सकता है, लेकिन कलाके प्रेमी, स्वदेशके प्रेमी, देशभक्तके प्रेमी अपने प्रेमके वास्ते ज्यादा मूल्य चुकानेमें नहीं हिचकते। और इसके साथ ही जिस 'उदार प्रस्ताव' की कहानीके साथ मैंने यहाँकी कार्रवाई आरम्भ की थी, वह खतम होती है। और मेरे भाषणके अन्तमें देखा जायेगा कि जो मूल्य मैंने बताया है, उस मूल्यपर इस खूबसूरत कलाके टुकड़ेको खरीदनेवाला कोई प्रेमी है या नहीं।

हस्तकलाका एक दूसरा नमूना भी है; इसे मेरे मित्र श्रीयुत श्रीनिवास अय्यंगारने भेंट किया है। यह खादीका टुकड़ा पहलेवाले खादीके टुकड़े जैसा बढिया और वारीक तो नहीं है, फिर भी मेरे पहनने लायक नहीं है। अगर आप इसके लिए भी अधिक मूल्य देनेको तैयार हो तो मुझसे सौदा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ओरसे इसकी कोई कीमत निर्धारित नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा करना आपके प्रेमपर बहुत ज्यादा दबाव डालना होगा। यह एक उत्तरीय (स्कार्फ) है, और पेरिसके किसी भी रेशमी कपड़ेसे निश्चय ही कहीं ज्यादा अच्छा है। इन दो कलात्मक वस्तुओंकी तारीफ करनेमें आपका इतना वक्त लेनेके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन इससे आप यह भी देख सकते हैं कि मैं किस तरह खादीका दीवाना हूँ। जब मैं खादीकी चर्चा करने लगता हूँ, उस समय अगर मेरे सामने धैर्यसे सुननेवाले श्रोता हों तो मैं लगातार बोलता रह सकता हूँ। कारण मैं जनता हूँ कि हमारे सात लाख गाँवोंमें रहनेवाले क्षुधापीड़ित भाई-बहनोकी आर्थिक मुक्ति खादीमें ही निहित है। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह ही ऐसा सोचें कि जबतक भारतमें एक भी स्त्री या पुरुष ऐसा है जो काम न होनेके कारण भूखा रहता है तबतक मेरी ही तरह आपके लिए भी यह जिन्दगी बोझ-स्वरूप है। मैं चेष्टिनाडमें ये बहुमूल्य दिन इस बड़ी उम्मीदमें गुजार रहा हूँ कि मैं दरिद्रनारायणके प्रति आपकी उच्चतम उदार भावनाको जाग्रत कर सकूँगा। इसलिए आप मुझे कमसे-कम नहीं बल्कि आपके पास ज्यादासे-ज्यादा जो है, वह दीजिए।

और अधिकसे-अधिक आर्थिक सहायता देकर भी आप अपने और लाखों भूखग्रस्त लोगोंके बीच एक जीवन्त सम्बन्ध तबतक स्थापित नहीं कर सकते जबतक कि आप खादीको अपना न लें। आपने अपनी आँखोंसे देखा है कि इसी स्थानपर आपको अपनी रचिकी बढिया वारीक खादी मिल सकती है। इन दो सज्जनोने जैसा माल तैयार किया है, वैसा ही कोशिश करनेपर और लोग भी तैयार कर सकते हैं, और इसलिए मैं आप जवान और बूढ़े, स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियाँ, सभीसे आशा करता हूँ कि आप एक पवित्र सकल्प करेंगे कि आप आजसे कोई विदेशी वस्त्र नहीं खरीदेंगे और आप केवल हाथ-कती और हाथ-बुनी खादी ही खरीदेंगे। इतनी बात तो हुई खहरके बारेमें।

लेकिन कई और बातें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं आपसे यह कहनेका साहस करता हूँ कि हालाँकि आप अपने धनका प्रचुर उपयोग करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। आपने विशाल अट्टालिकाएँ खड़ी कर ली हैं, लेकिन आपने अपने आसपासकी चीजोंकी ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने बीच रहनेवाले लोगोंके पीनेके लिए शुद्धतम पानीकी व्यवस्था करें। आपकी सड़कें बिलकुल दुस्त और अच्छी होनी चाहिए। आपके तालाब स्वच्छ और मीठी सुवासवाले होने चाहिए और उनमें स्वच्छ और निर्मल जल भरा होना चाहिए। आपके यहाँ गन्दे पानीकी निकास-व्यवस्था बिलकुल चुस्त और दुस्त होनी चाहिए। आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये सब चीजें इतनी सरल हैं, और आप इनकी ओर यदि पूरे मनसे ध्यान देंगे तो देखेंगे कि इनपर बहुत थोड़ा पैसा खर्च होगा जो आपको खलेगा नहीं। अगर आपको यह सब करना हो तो आपको इसके लिए विशेषज्ञोंकी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन इसमें निजी रुचियों और निजी सुविधाओंका थोड़ा-बहुत त्याग जरूरी है। इसके लिए सामुदायिक जीवन—केवल अपने ही लिए नहीं, बल्कि देशके लिए, बितानेकी इच्छाका होना जरूरी है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपके मनमें अपने गरीबसे-गरीब पड़ोसीके लिए भी बन्धुत्वकी भावना हो। अपने मनके रूझानको इस दिशामें मोड़नेके साथ ही आप देखेंगे कि उक्त कार्योंको सम्पन्न करनेमें बहुत ही कम प्रयत्न, और उससे भी कम पैसेको जरूरत पड़ेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी कोशिशोंका आपको पर्याप्त फल मिलेगा।

लेकिन आज दिनमें मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आप अपने बच्चोंको समुचित और ढंगकी शिक्षा भी नहीं देते। मुझे बताया गया कि जीवनमें आपकी एकमात्र महत्त्वाकांक्षा होती है उन्हें कच्ची आयुमें ही धन पैदा करनेवाली मशीन बना देना। यह बात ठीक नहीं है। उन्हें अपने व्यापारका योग्य उत्तराधिकारी आप शौकसे बनाइए, लेकिन इससे पहले कि वे जिन्दगीकी तूफानी राहमें प्रवेश करें, उन्हें आप अपने संस्कृति रूपी ज्ञानका कुछ परिचय पाने दीजिए, उनके चरित्रका निर्माण हो जाने दीजिए और उन्हें हमारे इतिहास तथा देशका कुछ ज्ञान हो जाने दीजिए। मुझे बताया गया कि इस समय हालत यह है कि शास्त्रोंका ज्ञान होनेका झूठा दम्भ करनेवाले कुछ लोग आपको पवित्र शास्त्रोंके नामपर हर तरहके ग्रन्थोंके चक्करमें डालते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि चाहे संस्कृतमें हो या तमिलमें, हर श्लोक आवश्यक रूपसे शास्त्र-वचन नहीं है। सच्चे शास्त्रकी मेरी परिभाषा है, चुने हुए शब्दोंमें ऐसी उक्ति जो हमें जीवन प्रदान करे। इसलिए कोई भी धर्मग्रन्थ, भले वह कितना ही पुराना क्यों न बताया जाता हो, यदि हमें विनाशके पथपर ले जानेवाला, और इस कारण सत्य और जीवनके शाश्वत नियमके विपरीत हो, तो वह शास्त्र नहीं हो सकता। इसी-लिए हमें सिखाया गया है कि शास्त्र सचमुच चरित्रवान व्यक्तिके मुँहसे निकलता है, जिसे हम सन्त पुरुष कहते हैं। और याद रखिए, गेरुआ वस्त्र पहननेवाला, मस्तक और सारे शरीरपर टीका-तिलक लगा लेनेवाला, और शास्त्रवचन कहकर [तोतेकी तरह]

श्लोकपर श्लोक बोलनेवाला हर व्यक्ति संत पुरुष नहीं होता। सन्त पुरुष वह है जो अपनेको ससारके किसी भी प्राणीसे श्रेष्ठ नहीं समझता और जिसने संसारके सभी सुखोका त्याग कर दिया है। वास्तवमें आज कलियुगमें हमें सन्त पुरुष कठिनाईसे मिलते हैं। इसलिए हमारी यह दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने बच्चोको समुचित शिक्षा दें ताकि वे भले और बुरेमें भेद कर सकें। और आप लोगोसे जो इतने अमीर हैं और शिक्षाकी उम्र पार कर चुके हैं, मैं वही कहना चाहूँगा जो मैं पिछले तीन दिनोंसे और जगहोपर कहता रहा हूँ। वह यह है कि आप चाहे जो भी करें, लेकिन अपने जीवनकी पवित्रतापर आँच न आने दें। मैंने तरह-तरहकी कहा-नियाँ सुनी हैं लेकिन मैं आशा करता हूँ कि उनमें काफी अत्युक्ति है। तथापि ससारके अनुभवके आधारपर आम तौरसे यह कहा जा सकता है कि सौनेका सद्गुणोसे वैर होता है। लेकिन ससारका ऐसा दुखद अनुभव होनेके बावजूद यह नियम अटल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारे सामने महाराजा जनकका प्रसिद्ध उदाहरण है जिनके पास एक महान राजाके नाते यद्यपि अपार धन-सम्पत्ति और असीम शक्ति थी, तथापि वे अपने समयके शुद्धतम व्यक्तियोंमें से थे। और हमारे ही युगमें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर उदाहरण दे सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि मैं ऐसे कई धनी लोगोको जानता हूँ जिन्हें सीधा-सादा और शुद्ध जीवन व्यतीत करनेमें तनिक भी कठिनाई नहीं है। उन थोड़ेसे लोगोके लिए जो सम्भव है वह आपमें से प्रत्येकके लिए सम्भव है। मैं चाहता हूँ कि मेरे शब्दोको आपके हृदयमें स्थायी जगह मिले। मैं जानता हूँ कि इससे आपको, और जिस समाजमें आप रहते हैं उसको, कितना लाभ होगा।

अब मुझे वही करना है जो मैं हर सभामें करता हूँ। सभा विसर्जित होनेसे पहले स्वयंसेवक आप लोगोके पास जाते हैं और जिन लोगोंने कोषमें पैसा नहीं दिया है, या जो मेरा भाषण सुननेके बाद इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि उन्होंने काफी चन्दा नहीं दिया है, उनसे चन्दा जमा करते हैं। यदि सभामें ऐसे स्त्री-पुरुष हों जिनका खादीमें विश्वास है तो मैं उन्हें वैसा करनेका मौका देना चाहता हूँ।

जब स्वयंसेवक लोग चन्दा जमा कर रहे थे उस समय महात्माजीने सभाके आरम्भमें रखा अपना प्रस्ताव दोहराया और पूछा कि क्या कोई मित्र है जो खादीके कपड़ेका नीलाम करनेपर उसे निर्धारित मूल्यपर खरीदना चाहेंगे। इसका कोई उत्तर न मिलनेपर महात्माजीने कहा कि खादीके उस टुकड़ेको प्रदर्शनार्थ अखिल भारतीय चरखा संघके पास भेज दिया जायेगा। अन्तमें महात्माजीने कहा :

अब एक-दो शब्द मैं छात्रोसे कहूँगा। मुझे उन्हें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने अपने अभिनन्दनपत्रमें मुझे बताया है कि वे आगेसे कताईकी ओर ज्यादा ध्यान देंगे, और जिन्होंने खादीको नहीं अपनाया है वे आगेसे खादीको अपनायेंगे। मैं उनके इस निश्चयके लिए उन्हें वधाई देता हूँ और ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें अपने संकल्पपर अमल करनेकी शक्ति दे।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २६-९-२९२७

१. अगले दिन कराहकुडोमें षण्मुख चेट्टियारने १००१ रुपयेमें श्वेत कपड़ेको खरीद लिया।

## २४. युवकोंसे चर्चा

[ २५ सितम्बर, १९२७ या उससे पूर्व ]<sup>१</sup>

आप मुझे नितान्त झूठी बातें बता रहे हैं। आप उस व्यक्तिको नहीं जानते हैं। यदि राजगोपालाचारी झूठ बोल सकते हैं तो आपको कहना चाहिए कि मैं भी झूठ बोल सकता हूँ। वेशक, मैं कहता हूँ कि वे ही एकमात्र सम्भावित उत्तराधिकारी हैं, और इस बातको आज मैं फिर दोहराता हूँ। आप युवाजन उन्हें मारनेकी कोशिश में स्वयं अपने-आपको मार डालेंगे। पुस्तिकासे यह बात प्रकट होती है कि आप लोगोंको किस प्रकार झूठीं बातें बताई जाती है—आप अपने आन्दोलनको झूठी बातोंके आधारपर खड़ा कर रहे हैं, और इसके अर्थ हैं हिंसा।

आप वेशक संकल्पपूर्वक संघर्ष करें। लेकिन अपनी नींव सत्यपर जमायें। मैं आपको जो समय दे रहा हूँ वह केवल इसलिए कि मुझे देशके नौजवानोंके साथ हमदर्दी है।

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## २५. एक पत्र

[ २५ सितम्बर, १९२७ ]<sup>१</sup>

प्रिय मित्र,

आपके बताये हुए तथ्योंके आधारपर, और यदि परिस्थियाँ उन तथ्योंके प्रभावको कम नहीं करती हैं तो, इस विवाह संस्कारको निश्चय ही विधि-विरुद्ध मानना चाहिए और लड़कीको अपनी पसन्दके व्यक्तिसे विवाह करनेकी छूट होनी चाहिए। लेकिन मेरे विचारसे जबतक लड़की २१ वर्षकी नहीं हो जाती, तबतक वह अपने माता-पितासे परामर्श किये वगैर कोई चुनाव नहीं कर सकती।

[ अंग्रेजीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. साधन-सूत्रमें यह वार्ता इस्ती तिथिके अन्तर्गत प्रकाशित की गई है।

२. साधन-सूत्रमें यह पत्र इस्ती तारीखके अन्तर्गत दिया गया है।

## २६. पत्र : सुरेन्द्रकाँ

[ २५ सितम्बर, १९२७ ]

चि० सुरेन्द्र,

तुम्हारा पत्र मिला। वहाँ जो विचित्र अनुभव हों उनकी खबर देते रहना। तुम्हारी सुस्तीके बारेमें वसुमती बहनने लिखा था। मैं उससे चिन्तित नहीं हुआ यद्यपि यह सुनकर आश्चर्य तो हुआ था।

गाँवोंमें किस तरह जाते हो? प्रत्येक अकेला ही जाता है या किसी साथीके साथ? लोगोंके मनपर बाढ़का असर अब भी बाकी है या निःशेष हो गया? बाढ़के दिनोंमें सब लोग हिल-मिलकर रह रहे थे। क्या ऐसा मालूम होता है कि यह स्थिति तो स्वप्नकी तरह आयी और चली गई? लोग स्वयं अपनी भी कुछ मदद करते हैं या नहीं? मदद लेनेवाले सामान्यतः ईमानदार तो होते हैं न?

बालकृष्णका क्या हाल है? छोटेलांलने फिर मौन धारण कर लिया है।

मैं सानन्द हूँ, यद्यपि आजकल ऐसा तो बहुत-कुछ हो रहा है जिससे मनको दुःख होता है और इनमेंसे कुछ घटनाएँ तो ऐसी भी हैं जिनका आघात काफी गहरा है। किन्तु प्रस्तुत युद्ध ऐसा है जिसमें मुमुक्षु सिपाहीकी परीक्षा भी हो रही है, और वह निखर भी रहा है; इसलिए मुझे विश्वास है कि ये सब घाव भर जायेंगे। किन्तु न भी मरे तो क्या? 'गीता' यह आश्वासन देती है न कि इस रणक्षेत्रमें काम आनेवालेका तो कल्याण ही होता है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९४१६) की फोटो-नकलसे।

## २७. भाषण : सार्वजनिक सभा, कराइकुडीमें

२५ सितम्बर, १९२७

मित्रो,

आपने जो अभिनन्दनपत्र और विभिन्न थैलियाँ भेंट की हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुख्य थैलीमें ४,००० से अधिक रुपये हैं। यह अच्छी रकम है, लेकिन चेट्टिनाडके लोगोंके लिहाजसे बहुत अच्छी नहीं है, और इसकी तुलना आदिद्विड़ वालको द्वारा दी गई १७ रुपयेकी थैलीसे करनेपर तो यह निश्चय ही बहुत अच्छी रकम नहीं है। आप लोग आसानीसे इसकी चौगुनी रकम दे सकते हैं, जबकि आदिद्विड़

१. महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीके अनुसार।

२. गुजरातमें।



वालकोके लिए सत्रह रुपया देना भी सरल नहीं था। फिर भी आप अपनी खुशीसे दरिद्रनारायणके लिए जो-कुछ दे सके हैं, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं अपनी बातकी शुभ्रवात उस प्रस्तावको दुहराते हुए करना चाहता हूँ, जो मैंने कल रात रखा था। मैं आपको हस्तकलाका यह सुन्दर नमूना, जो आपके ही यहाँ तैयार किया गया है, दिखाना चाहता हूँ। जिस सूतसे यह मलमल, जिसे मैं खादी कहता हूँ, बनी हुई है वह इसी स्थानके श्री चोर्कालगम द्वारा काता गया है। जैसे वारीक सूतसे यह खादी बुनी गई है, वैसा सूत कातनेके लिए उन्होंने रुईको किन विभिन्न विधियोंसे तैयार किया, यह मैंने अपनी आँखों देखा है और अगर आपने उनकी हस्तकला देखी होती तो आपको भी मेरी तरह उनसे ईर्ष्या होती और मेरी ही तरह उनकी कलापर आपको गर्व भी होता। इतनी वारीक मलमलका मैं निजी तौरपर कोई उपयोग नहीं कर सकता। अतः यदि मैं आपके मनमें स्थानीय कला और देशके प्रति प्रेम जगानेमें विफल हुआ तो मैं इसे ले जाऊँगा और अखिल भारतीय चरखा संघके संग्रहालयमें प्रदर्शनार्थ रख दूँगा। लेकिन मैं सचमुच चाहता हूँ कि यह कपड़ा आप लोगोंके पास ही रहे। अगर आप इसे रखना चाहेंगे तो आपको इसका बहुत ऊँचा दाम देना पड़ेगा। दुनियामें सभी जगह कला-वस्तुओंकी कीमत ज्यादा होती है, और मैंने इस कपड़ेका मूल्य १,००० रुपये निर्धारित किया है। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि इस कपड़ेमें कलात्मक मूल्य-जैसा क्या है, अथवा दूसरे शब्दोंमें अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं कि खादीको मैं इतना मूल्यवान क्यों मानता हूँ। एक सज्जनने, जो आपके बीच वर्षों रह चुके हैं, मुझे बताया था कि चेट्टिनाडमें ऐसे बहुत-से लोग हैं जो चरखेका सन्देश नहीं समझते और न वे यही समझते हैं कि इन तमाम थैलियोंकी रकमोंका इस्तेमाल किस प्रकार किया जायेगा। मैं कुछ शब्द चरखेके सन्देशको स्पष्ट करनेके लिए कहूँगा। चरखेका उद्देश्य उन लाखों क्षुधा-पीड़ित स्त्री-पुरुषोंके लिए काम जुटाना है जो इस देशके सात लाख गाँवोंमें रहते हैं। भारतके वारेमें कुछ भी जानकारी रखनेवाले हर व्यक्तिने कहा है कि इन लोगोंके पास सालमें करीब छः महीने कोई काम नहीं होता, और सिवा चरखेके इन करोड़ों आदमियोंके लिए कोई काम मुहैया करना असम्भव है। चरखेके जरिये हम सारे भारतका तन ढँकने लायक कपड़ा तैयार कर सकते हैं। और मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि इन करोड़ों क्षुधात्त मानवोंके हाथोंसे तैयार की गई प्रत्येक वस्तु निश्चित तौरपर इस मलमल-जैसी ही एक कला-कृति है। सच्ची और जीवन्त कला वही है जिसका हमारे जीवनके साथ सम्बन्ध हो। सच्ची कला जीवनको पतित नहीं करती, बल्कि जीवनका सम्बल होती है, उसे उत्कृष्ट बनाती है। अब आप समझ गये होंगे कि मैं खादीको इतना मूल्यवान क्यों मानता हूँ। लेकिन यदि आप और मैं खादी नहीं पहनते तो इसका कोई मूल्य नहीं होगा।

अब मैं आपको उस संस्थाके वारेमें कुछ बताऊँगा जो खादी तैयार करती और बेचती है। देशमें कमसे-कम १,५०० गाँव हैं, जिनकी यह संस्था सहायता कर रही है। इन १,५०० गाँवोंमें ५० हजारसे भी अधिक वहाँ चरखेका काम उठा रही है,

और चरखेकी ही महिमा है कि इन ५० हजार बहनों द्वारा काते गये सूतसे करीब पाँच हजार बुनकर कपड़ा तैयार करते हैं। इन कतैयों और बुनकरोंके अलावा खादीके लिए आवश्यक विशेष धुलाई करनेवालों, रँगनेवालों और छपाई करनेवालोंका एक वर्ग और तैयार हुआ है। छपाई और रँगाईकी सुन्दर कला, जो मसूलीपट्टममें और अन्यत्र समाप्त हो गई थी, फिरसे जीवित कर दी गई है और उसे एक सम्मानजनक दर्जा प्रदान किया गया है। यही वह संस्था है जिसके जरिये इन सभी काम करनेवालोंमें सात लाखसे अधिक रुपये वितरित किये गये। और अगर आपके लिए इसका कुछ महत्त्व हो तो मैं आपको यह भी बता दूँ कि इन कारीगरोंमें से अधिकांश अब्राह्मण हैं। इस संस्थाका संचालन और नियन्त्रण ९ व्यक्तियोंकी एक परिषद करती है, और अगर आप जानना चाहते हो तो यह भी जान लीजिए कि इन व्यक्तियोंमें से भी अधिकांश अब्राह्मण हैं। इस संस्थाका अध्यक्ष एक अब्राह्मण है, जिसे गलतीसे महात्मा कहा जाता है। (हँसी) इसका कोषाध्यक्ष भी एक अब्राह्मण है, और कोषाध्यक्षकी हैसियतसे उसके जैसा गुणी व्यक्ति संसारमें कहीं नहीं है। इसका मन्त्री भी अब्राह्मण है और वह बम्बईके एक प्रतिष्ठित वैक-मालिकका पुत्र है। यह संस्था करीब १००० मध्यमवर्गीय लोगोंको काम देती है, जिनमें से अधिकांश अब्राह्मण हैं। इस संस्थाके पास कुछ ऐसे कार्यकर्त्ता हैं, जो न केवल अवैतनिक कार्यकर्त्ता हैं, बल्कि सचमुच इस संस्थाका पोषण करते हैं। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय संगठनोंके सभी हिसाबकी जाँच समय-समयपर लेखा-परीक्षक द्वारा कराई जाती है, और इस हिसाबको दोस्त-दुश्मन, चन्दा देनेवाले और न देनेवाले, सभी देख सकते हैं। इस संस्थाका कोई भी अधिकारी १७५ रुपये प्रतिमाहसे अधिक वेतन नहीं पाता। और न ही कोई स्त्री या पुरुष इस संस्थाका तबतक सदस्य बन सकता है, जबतक कि वह आत्मत्यागकी भावनासे अभिभूत न हो। मैंने स्त्रियोंका उल्लेख किया, इसपर से मुझे आपको यह सूचित करते खुशी होती है कि भारतकी कई प्रतिष्ठित पुत्रियाँ हैं जो बिना कुछ लिये खादीके लिए कार्य कर रही हैं। उदाहरणके लिए मैं भारतके पितामहकी तीन पौत्रियों और महान पेटिट परिवारकी बहनोंका उल्लेख करना चाहूँगा। यह संस्था करीब २० लाख रुपयेकी पूँजीसे काम कर रही है। लेकिन मले ही ये आँकड़े संख्यामें आपको बहुत बड़े प्रतीत होते हों, किन्तु आपको और मुझे इन आँकड़ोंके जिस सीमातक पहुँचनेकी कामना करनी चाहिए, उसकी तुलनामें ये कुछ नहीं हैं। यदि सारे भारतमें खादीकी भावना फैल जाये तो हम १५०० नहीं, बल्कि ७ लाख गाँवोंकी, और ५० हजार कतैयोंकी नहीं, बल्कि दस करोड़ कतैयोंकी सेवा करेंगे। यही वह काम है, जिसके लिए मैं चेट्टिनाडके लोगोंसे उनके धनका कुछ थोड़ा-सा भाग नहीं, बल्कि काफी बड़ा भाग माँगता हूँ। अब आप यह भी समझ गये होंगे कि इस सुन्दर खादीके कपड़ेका मूल्य १००० रुपये निर्धारित करते समय मैंने इसका मूल्य कम ही आँका है, ज्यादा नहीं।

आपके बीच चार दिनके अपने सुखद निवासमें मैं जिन कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थानीय विषयोंपर चर्चा करता रहा हूँ, अब मैं सरसरी तौरपर उन्हें फिर दोहराऊँगा।

मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने यहाँ स्वच्छता और सफाई तथा जल-सम्भरण व्यवस्थाकी और ध्यान दें। आपके तालाबोंमें शुद्ध चमकता हुआ जल नहीं, बल्कि गन्दा पानी है और सड़कें गन्दी हैं। इनके बीच आपकी अट्टालिकाओंकी शोभा मन्द पड़ जाती है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप बहुत कम खर्चसे, अपनी पूँजीसे कोई रकम निकालकर नहीं, बल्कि अपनी बचतसे ही कुछ रकम लगाकर किस प्रकार ये कार्य कर सकते हैं।

मुझे मालूम हुआ है कि आपके यहाँ विवाहकी कुछ रीतियाँ बहुत खराब है। अक्सर एक बघूकी कीमत ३०,००० रुपये तक बसूल की जाती है। मुझे बताया गया है कि आप एक विवाहपर ५०,००० रुपयेतक खर्च करनेमें नहीं हिचकते। लेकिन इन प्रथाओंको मैं अनैतिक मानता हूँ। विवाह-जैसे पवित्र अनुबन्धपर किसी भी ओरसे कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। किसी गरीब व्यक्तिके लिए भी एक गुणवती स्त्री पाना उतना ही सरल होना चाहिए जितना कि किसी धनी व्यक्तिके लिए। वैवाहिक अनुबन्धकी एकमात्र कसौटी गुण-शील और पारस्परिक प्रेम है। विवाह संस्कारपर होनेवाले खर्चोंको मैं अनैतिक तो नहीं मानता किन्तु धनकी अक्षम्य बर्बादी अवश्य मानता हूँ। कोई धनी व्यक्ति जिस तरह अपने धनका प्रदर्शन लोगोंके सामने करता है वह उसके लिए शोभनीय नहीं है। धनको उपयोगी ढंगसे खर्च करनेकी उत्तम कलाके अभावमें धन जमा करनेकी कला पतनकारी और निन्द्य बन जाती है। अतः विवाह सम्बन्धी इस सुधारके जरिये, और इन समारोहोंपर व्यर्थ धन वहानेकी रीतिपर बुद्धिमानी पूर्वक अंकुश लगाने मात्रसे आप चेष्टिनाडको एक नन्दनवन बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिना बहुत प्रयासके ही अपने यहाँ सार्वजनिक पार्क, खेलकूदके मैदान, जल-सम्भरण आदिकी व्यवस्था कर सकते हैं। लाभदायक डेरियाँ स्थापित कर सकते हैं, जिसे आपके बीच रहनेवाले गरीब लोगोंको सस्ता और शुद्ध दूध प्राप्त हो सकता है। शुद्ध जलके सम्भरणकी व्यवस्था करके, स्वच्छता और सफाई रखकर, तथा अमीर और गरीब, समीको शुद्ध दूध सुलभ करानेका पक्का प्रबन्ध करके यदि आप अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करेंगे तो मैं एक अनुभवी व्यक्तिके नाते और एक चेष्टि-बंधुके नाते आपसे कहता हूँ कि आप अपने खुदके साधनोंमें तीन गुनी वृद्धि कर लेंगे।

एक महिला डाक्टरने मुझे पत्र लिखा है कि चेष्टिनाडमें प्रचलित उस बुरी प्रथाकी ओर आपका ध्यान दिलाऊँ जो आपको सार्वजनिक उपयोगिताकी इन चीजों पर विचार करनेसे रोकती है। वे मुझे बताती हैं कि धर्मके नामपर कच्ची उन्नकी बालिकाओंको शर्मनाक जीवन वितानेके लिए अर्पित कर देनेकी वीभत्स और अनैतिक प्रथाको स्थायी बनानेमें चेष्टिनाडके धनी लोगोंका काफी हाथ है। वे मुझे बताती हैं कि आपके बीच बहुत-सी देवदासियाँ हैं। अगर यह सच है तो हमारे लिए धर्मसे गर्दन झुका लेनेकी बात है। धनवान होना पतन, बुराई और व्यभिचारिताका प्रतीक नहीं होना चाहिए। और क्या यह एक दुखद विडम्बना नहीं है कि बुराइयोंके बावजूद आप लोग ऐसे भवनोंका निर्माण करनेमें खुले हाथों पैसा खर्च करते हैं जिन्हें आप मन्दिर

कहकर खुश होते हैं और समझते हैं कि इसमें देवता निवास करेंगे। यह जरूरी नहीं कि मन्दिर कहलानेवाली ईंट-गारेसे बनी हर इमारत मन्दिर हो, देवताका निवास-स्थान हो। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आज हमारे देशमें बहुत-से ऐसे मन्दिर हैं जो किसी भी हालतमें वेष्ट्यालयोंसे बेहतर नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्ममें किसी भी स्थानको तबतक मन्दिर कहना सम्भव नहीं है जबतक कि उस मवनको पूरे विधि-विधानोंके साथ शुद्ध और पवित्र न कर लिया जाये और जबतक कि उस मवनको पूरे पवित्र व्यक्तियों द्वारा उपासना और आराधना करके वहाँ ईश्वरकी प्राण-प्रतिष्ठा न कर दी गई हो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपनेको रोकें और मन्दिरोंके निर्माणपर धन न बहायें। सबसे पहले आप अपने शरीरको ही ईश्वरकी सेवामें अर्पित करें, और इसके लिए आप पहले उन बुराइयोंसे छूटकारा पाकर अपने-आपको शुद्ध और पवित्र बनायें जिनकी ओर मैंने ध्यान दिलाया है। लेकिन मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज ही मुझे एक सुखद पत्र मिला है, जिसमें पत्रलेखकने यद्यपि यह स्वीकार किया है कि अभी मेरे द्वारा बताई अधिकांश बुराइयाँ आपके बीच मौजूद हैं, किन्तु साथ ही उसने मुझे यह भी सूचित किया है कि यहाँ अनेक चेटी ऐसे हैं जिनके पास न केवल स्वर्ण-धन ही है बल्कि जो गुण-धनकी भी खान है। इस पत्रके लेखकने लिखा है कि आपके बीच ऐसे अनेक ब्रह्मचारी हैं जो चुपचाप पवित्र धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसने बड़ी आशा और गर्वके साथ यह भी बताया है कि कई नवयुवक जबदस्त कठिनाइयोंके बावजूद एक सुधार अभियान चला रहे हैं। मैं इन नवयुवकोंको विश्वास दिलाता हूँ कि सुधारके पथपर हालाँकि फूल नहीं बिछे हैं, बल्कि वह अनगिनत काँटोंसे भरा पड़ा है, फिर भी यदि वे शुद्ध और प्रार्थनामय मनसे इस कार्यमें बराबर लगे रहेंगे तो उनकी सफलता सुनिश्चित है। मुझे पता चला कि वे एक ऐसी कठिन समस्याको धीरे-धीरे हल करनेकी कोशिश कर रहे हैं जो आप सबके सामने मौजूद है। मुझे मालूम हुआ है कि आपके बीच एक कठोर प्रथा बन गई है, जिसके अनुसार बर्मा, सिंगापुर या लंका जानेवाला कोई भी चेष्टियार अपने साथ अपनी पत्नीको नहीं ले जाता। आपकी महिलाओंके विरुद्ध लगे इस कलंकपूर्ण निषेधको मैं दोहरा नुकसानदेह और बहुत बड़ा पाप मानता हूँ। जब आप अपने घरसे दूर होते हैं तब इस नियमके कारण एक तरफ तो आप ऐसे अनेक प्रलोभनोंके शिकार हो सकते हैं जिन्हें टाला जा सकता है और दूसरी ओर आपकी जीवन-संगिनी कई वर्षोंके लिए न केवल आपके संगसे वंचित हो जाती है, बल्कि सुदूर देशोंमें आपके साथ यात्रा करके अपने मानसिक क्षितिजके विस्तारके अवसरसे वंचित भी हो जाती है। अतः मैं इन नवयुवकोंके इस निस्स्वार्थ संघर्षमें शीघ्र सफल होनेकी कामना करता हूँ, और जिन व्योवृद्ध लोगोंतक मेरी आवाज पहुँच सके उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि आपके बीच आवश्यक सुधार लानेकी उनकी कोशिशोंमें आप उनकी सहायता करें।

और अब चूँकि सभामें शान्ति छाई हुई है, और चूँकि चेष्टिनाडमें मेरी यह शायद अन्तिम सभा है, जिसमें मैं बोलूँगा, इसलिए मैं अपने सामने बैठी बहनोसे भी कुछ शब्द कहना चाहूँगा। आप इतनी सारी बहनोँको इस सभामें देखकर मुझे खुशी

है। मुझे ऐसी आगंका है कि आपको शायद इस बातका भान नहीं है कि खादीका यह सन्देश मुख्यतः उन लाखों क्षुधार्त बहनोंकी दशा सुधारनेका प्रयत्न है जो भारतके हजारों गाँवोंमें रहती हैं। स्त्री-पुरुषके जीवनमें समान रूपसे जवर्दस्त महत्त्व रखनेवाली अनेक बातोंकी तरफसे आपको—भारतकी महिलाओंको—अन्वेषणमें रखनेके लिए भारतके पुरुषोंको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ईश्वरको धन्यवाद है कि चरखेका पुनरुद्धार करनेका आन्दोलन शुरू होनेके बादसे हजारों स्त्रियाँ अपने घरकी चहारदीवारियोंसे बाहर निकलकर चरखेका संगीत सुनने लगी हैं। और मुझे यह सोचकर खुशी होगी कि आप चेट्टिनाडकी स्त्रियोंने अपने मकानों और महलोंकी देहरीसे बाहरकी चीजोंकी चिन्ता करना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाखों बहनोंकी गहरी और कष्टकर गरीबीको समझें, और अपने आदमियोंसे अलहदा अपनी चीजें, अपने रुपये और अपने गहने इन बहनोंके वास्ते दें। मुझे आपको यह बतानेमें खुशी होती है कि जहाँतक इस सन्देशका सवाल है, भारतकी स्त्रियोंमें स्वतःस्फूर्त अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है और उन्होंने खुशी-खुशी अपने रुपये और गहने दे डाले हैं, और कुछने तो मुक्तहस्तसे दिया है। लेकिन अपना रुपया या गहनर मुझे देना ही आपके लिए काफी नहीं है। यदि आप अपने और अपनी क्षुधार्त बहनोंके बीच जीवन्त सम्बन्ध स्थापित करना चाहती हैं तो यह अत्यन्त जरूरी है कि आप विदेशी कपड़ेका त्याग कर दें और हमेशा खादीकी पोशाक ही पहनें। कारण, यदि आप इन बहनोंके परिश्रमसे तैयार हुई खादी नहीं पहनेंगी तो आप जो भी धन दें, वह व्यर्थ होगा।

एक शील-गुण-सम्पन्न स्त्रीका सौन्दर्य उसके सुन्दर वस्त्रोंमें नहीं, बल्कि उसके शुद्ध हृदय और पवित्र जीवनमें है। भारत-भरमें लाखों स्त्री-पुरुष प्रातःकाल सीताका पवित्र और अमर नाम-स्मरण करते हैं ताकि वह नाम कवचकी तरह अपनी रक्षा-शक्तिसे दिन-भर उन लोगोंकी रक्षा करे। सीताका नाम वे इसलिए स्मरण नहीं करते कि सीता बहुमूल्य रत्न पहनती थीं, बल्कि इसलिए कि उनका हृदय शुद्ध स्वर्ण और शुद्ध हीरेकी तरह था। रामको वनवास मिलनेपर सीता महलोंमें नहीं रही, बल्कि उन्होंने वनवासके तमाम घटनापूर्ण वर्षोंमें रामके साथ रहनेका आग्रह किया। जिन निपादोंको आज हम अपने अज्ञानवश अस्पृश्य समझते हैं, उन्हें सीताने गले लगाया था और भक्ति-भावसे अर्पित उनकी सेवाओंको कृतज्ञ मनसे स्वीकार किया था।

और मैं चाहता हूँ कि आप सीताके गुणोंको, सीताकी विनम्रताको, सीताकी सादगीको और सीताकी वीरताको अपनायें। आपको समझना चाहिए कि अपने शीलकी रक्षाके लिए सीताको अपने स्वामी और प्रभु रामकी सहायताकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। सीता और रामके जीवनका इतिहास लिखनेवाला हमें बताता है कि सीताकी पवित्रता ही उनका रक्षा-कवच, उनकी सुरक्षा थी। और अगर आप अपने हृदयमें छिपी शक्तिको पहचान लें तो आप अपनी पवित्रता, प्रेम और आत्म-त्यागकी भावनासे अपने पुरुषोंके दर्पणोंसे स्वभावपर काबू पा सकती हैं, और वे लज्जित होकर दुराई और व्यभिचारकी जिन्दगीको छोड़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अन्दर अपने

पतियोके साथ जहाँ वे जायें, वहाँ जानेका आग्रह करनेका साहस उत्पन्न करे। ईश्वर आपको वैसी शक्ति और सद्भाव प्रदान करे।

मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ और जैसा कि सभी समाजोंमें सामान्य रूपसे होता है मैं यहाँ भी अपनी रीतिके अनुसार उन लोगोसे, जिन्होंने इस थैलीके लिए कुछ नहीं दिया है, कहूँगा कि यदि उन्हें खादीमें विश्वास हो और यदि वे चाहें तो अब चन्दा दें। मैं यहाँ उपस्थित भाइयो और बहनोसे भी कहता हूँ कि यदि वे चाहें तो जितना वे सकें दें, और इसीलिए यदि यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सचमुच काफ़ी नहीं दिया है, तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि मैंने जो आँकड़े दिये हैं, उनमें और खादीके महत्त्वमें यदि उनको विश्वास हो तो वे कृपणताके साथ नहीं, बल्कि उदारताके साथ चन्दा दें।

[ इसके बाद ] महात्माजीको भेंट किये गये गहनों, चाँदीके प्यालों और अँगूठियोंका नीलाम शुरू हुआ। . . . श्री षण्मुखम् चेट्टियारने देवकोट्टामें गांधीजीको जो बारीक मलमल भेंट की गई थी, उसे महात्माजी द्वारा निर्धारित १,००० रुपयेकी कीमतपर खरीदनेकी इच्छा घोषित की। . . . महात्माजीको एक अँगूठी दूसरी बार उपहारमें दी गई थी, और मुक्किलसे १० रुपयेकी यह अँगूठी दूसरी बार नीलाम की जाने-पर १३५ रुपयेमें खरीद ली गई।

उपस्थित जनताने नीलाममें जैसा उत्साह दिखाया और महात्माजीके प्रति जैसा अगाध प्रेम प्रकट किया उसने गांधीजीके मनको छू लिया और उन्होंने सामान्य नियमके विपरीत, नीलाम खत्म होनेके बाद उपस्थित लोगोंके सामने कुछ शब्द और कहे। उन्होंने कहा :

यह दृश्य मैं कभी नहीं भूलूँगा। यह मेरे जीवनकी एक सुखदतम स्मृतिकी तरह मेरे मनमें रहेगा। मुझे अपने जीवनमें बहुत-से सुखद और दुःखद अनुभव हुए हैं, और आजके दिनकी स्मृति मेरे जीवनकी चन्द चुनी हुई सुखद स्मृतियोंके बीच कायम रहेगी— विशेष रूपसे इसलिए कि जबसे मैंने चेट्टिनाडमें पैर रखा है, तबसे मैं आप लोगोसे अनेक कड़वी बातें कहता रहा हूँ। आप मेरे शब्दों और मेरे मन्शाको चाहते तो आसानीसे गलत समझ सकते थे। लेकिन मैंने देखा है कि जितनी ही कड़ी बातें मैंने आपको कही हैं, आपने मुझपर उतना ही स्नेह बरसाया है। आपने मेरा सगे भाईकी तरह अपने बीच स्वागत किया है, और मेरी बातोंको ठीक उसी भावसे ग्रहण किया है जिस भावसे मैंने उन्हें कहा है। वास्तवमें यह मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो बातें मैंने आपसे कही हैं, उन्हें भूल न जायें। मैं चाहता हूँ कि जो-कुछ मैंने कहा है, उसका एक-एक शब्द आपके हृदयमें पैठ जाये, और अगर मैं सुनूँ कि आपके हृदयमें रोपित ये शब्द कभी अंकुरित और पल्लवित हुए हैं तो मुझे जैसी खुशी होगी, वैसी खुशी आप मुझे लाखों रुपये देकर भी नहीं दे सकते। मेरे लिए आपके द्वारा दिये गये धनसे आपकी सेवा करनेके अलावा उसका कोई और उपयोग नहीं है, और यह एक अजीब किन्तु सत्य बात है कि यदि आप मुझे अपना दिल नहीं देंगे तो मैं स्वयं आपके पैसेसे भी आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरे हाथोंमें आपका जो पैसा है, वह खूब फलदायी सिद्ध हो, इसलिए मैं आपसे वह सब

करनेका अनुरोध करता हूँ जो मैंने कहा है। आप जानते हैं कि यदि आप बैसा करेंगे तो उससे आपका भला होगा, मेरा भला होगा और सारे भारतका भला होगा। आपपर ईश्वर अपनी कृपा रखे और आपको शक्ति दे कि आप मेरा सन्देश समझ सकें और उसके अनुसार कार्य कर सकें।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २७-९-१९२७

## २८. सन्देश : 'न्यू इंडिया' को

कराइकुडी

२६ सितम्बर, १९२७

डा० एनी बेसेंटको जन्म दिवसकी शुभकामनाएँ देते हुए मैं कह सकता हूँ कि मैं १८८९-९० में पहली बार उनका ऋणी हुआ था।<sup>१</sup> तबसे अबतक वह ऋण कई गुना बढ़ गया है। उस ऋणसे मुक्त होनेकी शक्ति देनेकी मेरी प्रार्थना निर्दय ईश्वरने अभीतक नहीं सुनी है।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २९-९-१९२७

## २९. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

२६ सितम्बर, १९२७

प्रिय सतीशबाबू,

आपका पत्र मिला। एक स्थानीय विशेषज्ञके<sup>१</sup> लिए प्रतिष्ठानवाले सफरी चरखेके वारेमें महादेवने आपको अवश्य लिखा होगा। वह [ विशेषज्ञ ] बहुत बारीक कातते हैं। उन्होंने मुझे स्वयं तैयार किया हुआ बारीक मलमलका एक टुकड़ा भेंट किया। यह मलमल लगभग वैसा ही था जैसा कि जोगेश बाबूका। मैंने उसे एक स्थानीय चेट्टीको<sup>१</sup> १००० रुपयेमें बेच दिया। आपको चरखा इसी विशेषज्ञको भेजना है। कृपया भाड़ा खर्च भुगतान कर दीजिएगा और सारी कीमत मेरी सूचनाके अनुसार अ० भा० च० सं० के<sup>१</sup> जिम्मे डाल दीजिएगा।

१. गांधीजीका श्रीमती बेसेंटसे पहला परिचय उनकी पुस्तक हाऊ आई विक्रेम ए थियोसॉफिस्ट पद कर हुआ था। देखिए आत्मकथा, भाग १, अध्याय २०।

२. चोकलिंगम् चेट्टियार; देखिए " भाषण : देवकोट्टामें ", २४-९-१९२७।

३. षण्मुखम् चेट्टियार; देखिए " भाषण : सार्वजनिक सभा, कराइकुडीमें ", २५-९-१९२७।

४. अखिल भारतीय चरखा संघ।

जैसे ही मुझे आपका सुघरा हुआ चरखा मिलेगा, मैं उसे इस्तेमाल करके अपनी राय लिखूंगा। अमय आश्रमके वारेमें मुझे दुःख है। उन लोगोंने मुझे कुछ नहीं लिखा है।

मैं देखता हूँ कि निखिल अभी भी खतरेसे बाहर नहीं है। मुझे पूरी आशा है कि वह ठीक हो जायेगा।

क्या आपने मीठूबहनके ढगपर अपना स्टाक तैयार करने और उसपर कढ़ाई वगैरहके दाद बेचनेके सवालपर विचार किया है? खादीपर कढ़ाई वगैरह करनेकी अपनी निपुणतासे मीठूबहनने अच्छा बाजार तैयार कर लिया है। मुझे आशा है कि मैं लका और शायद द्रावणकोरमें भी काफी बिक्री कर लूंगा। कहीं ले जाने लायक आपके पास कुछ हो तो एक बक्स-भर बतौर प्रयोगके भेजिए।

सप्रेम,

आपका,  
बापू

[पुनश्च :]

आप २० रु० प्रतिमाहपर गुजारा कर रहे हैं। अगर आप स्वास्थ्य ठीक रखें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

अग्नेजी (जी० एन० १५७७) की फोटो-नकलसे।

३०. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको

कराइकुडी

आश्विन शुक्ल १ [ २६ सितम्बर, १९२७ ]<sup>१</sup>

प्रिय भगिनी,

आपका खत मील गया है। कहा तक अनिलका वियोग दुःख रहनेका है? उसके गुणोंका स्मरण करके दुःख माननेसे कोनसा लाभ उस आत्माको और हमको हो सकता है? हम क्यों न माने कि अनिलका आत्मा तो अमर है। हमारा संबंध तो उसीके साथ था। देहके साथ न था। देहके साथ होता तो हम उस मृत देहमें मसाला डालकर वर्षों तक वैसे ही रख सकते थे। परंतु हमने तो आत्मा जानेसे देहको अग्नि संस्कार कीया — इतना समझनेमें अनुभवमें लानेके लीये न हमें योगी चाहिये और न कोई। हां, हमें ईश्वर पर विश्वास चाहिये और आत्माके अमरत्व पर भी विश्वास चाहिये। अब अनिलके देहको भूल जाय और उन [के] गुणोंका अनुकरण करनेकी चेष्टा करें।

१. इस तारीखको गांधीजी कराइकुडीमें थे।



निखिल भी भय्य वालक प्रतीत होता है। उसको बहोत शारीरिक परिश्रम उठाने मत दीजिये।

ईश्वर आपको ज्ञान ओर शांति दे।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० १६५० की फोटो-नकलसे।

### ३१. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

आश्विन सुदी १ [२६ सितम्बर १९२७]'

वहनों,

आजका पत्र तुम्हें रूखा नहीं लगेगा। मेरे मनमें जो बातें धूम रही थीं उन्हें लिखनेकी मैं हिम्मत नहीं करता था और सयानपनकी बातें लिखता रहता था। और जैसे मेरे पत्र थे वैसे ही तुम्हारे। वे जवाब ऐसे थे जो सयाने और व्यवहार-नीतिमें कुशल व्यक्तियोंको शोभा दे सकते हैं किन्तु जो हम साधारण स्त्री-पुरुषोंको शोभा नहीं देते। वे जवाब नहीं, बल्कि सरकारी पावतीकी तरह कोरी पावती-मात्र थे।

आज तो मैं तुम्हें वहाँ होनेवाले लड़ाई-झगड़ेके बारेमें लिखना चाहता हूँ। तुम्हारा एक-दूसरेमें विश्वास नहीं रहा, एक-दूसरेके प्रति आदर नहीं रहा और छोटी-छोटी खटपटें होती रहती हैं। यह हम दोनों जानते हैं। फिर भी उसके बारेमें लिखनेकी किसीकी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगा कि इस नासूरको मुझे फोड़ना ही चाहिए। तुममें लड़ाई-झगड़े क्यों होते हैं? इस द्वेषभावका कारण कहाँ है? दोष किसका है? इन सब बातोंकी तुम जाँच करना।

धर्म तो यह कहता है कि जबतक मनुष्य अपने मूलको जमा करता है तबतक वह अपवित्र है; ईश्वरके पास खड़ा होने लायक नहीं है। इसलिए तुम्हारा पहला काम तो यह है कि जिसमें मूल हो, वह उसे प्रकट करके धो डाले। इस पत्रका कारण मणिवहन (पटेल) का अनायास लिखा हुआ पुर्जा है। उसके हिस्सेमें संकट-निवारणका काम आ गया, इसलिए वह भाग निकली। मगर उसने एक पुर्जेमें अपना सारा संताप उँडेल दिया। आश्रममें जो फूट फैली हुई है, उसे वह सह न सकी। देखो, चेतो और आश्रमको सुशोभित करो।

इस पत्रको पढ़कर जिस वहनको मुझे अलग पत्र लिखनेकी इच्छा हो वह अलगसे लिखे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६६८) की फोटो-नकलसे।

१. वर्षका निश्चय पत्रमें संकट-निवारण कार्य तथा आश्रमकी बहनोंके आपसी लड़ाई-झगड़ोंके उल्लेखके आधारपर किया गया है।

## ३२. भाषण : सिद्धवयलमें

२७ सितम्बर, १९२७

मित्रो,

मैं आपको ताड़पत्रोंपर अंकित गृह अभिनन्दनपत्र भेंट करनेके लिए तथा प्रचुर मात्रामें सूत और यह धैली देनेके लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे यह कहनेकी जरूरत ही नहीं कि ताड़पत्रोंपर अभिनन्दनपत्र भेंट करनेका यह रिवाज वेहद अच्छा है। आप मुझसे लम्बे भाषणकी आशा न करे लेकिन मैं आपसे यह आशा करता हूँ कि चेट्टि-नाडमें जो भाषण मैं देता रहा हूँ उन्हे आप पढें। इस आश्रमके लिए जरूर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आश्रमके कार्यकर्ता यदि पवित्र, स्वार्थहीन तथा आत्म-त्यागी हो तो ऐसा आश्रम कई तरहसे जन-कल्याणको प्रोत्साहन देगा। इसलिए मैं आपसे आश्रमकी गतिविधियोंमें रुचि लेनेको कहूँगा और यदि ये गतिविधियाँ स्वयं आपको अच्छी लगें तो आश्रमको आप हर तरहसे सहायता दें। मुझे मालूम है कि आश्रमका एक गुरुकुल है जहाँ बालक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आश्रम अन्त्यज बालकोंके लिए एक शाला भी चला रहा है, आसपासके गाँवोंमें सफाई-कार्य कर रहा है तथा बालकोंको कताई सिखा रहा है। ये सारी प्रवृत्तियाँ बहुत अच्छी हैं। इन सबमें अन्त्यजोंके बीच कार्य करनेको मैं सबसे महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। किसी विशेष परिस्थितिमें जन्म लेनेके कारण ही किसीको अन्त्यज मान लेना गलत है और अधर्म है। शिक्षा और हर प्रकारकी सुविधा प्राप्त करनेका अन्त्यज बालकोंको भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे बच्चोंको। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस अस्पृश्यता-निवारण कार्यमें आपसे जितना सहयोग सम्भव हो उतना दें। मुझे अपने सामने ऐसे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं जो ठीक स्वस्थ प्रतीत नहीं होते। उन्हे अपने भोजनमें बढ़िया शुद्ध दूध मिलना चाहिए, और उन्हे खुली हवामें व्यायाम करना चाहिए तथा समय-समयपर उनका वजन भी लिया जाना चाहिए। मैं यह भी देख रहा हूँ कि उनके बाल बढ़े हुए हैं, जो उचित नहीं है। व्यक्तिगत तौरपर तो मैं इस बातसे सहमत हूँ कि सब लड़कोंकी खोपड़ी घुटी हुई होनी चाहिए। ब्रह्मचारियोंका बाल बढ़ाये रखना अपेक्षित नहीं है। मैं लड़कोंको खादी पहने हुए देख रहा हूँ, यह एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन लड़कोंसे सम्बन्धित हर बातका खयाल उनकी देखभाल करनेवालों को रखना चाहिए। लड़कोंके अभिभावकोंका स्थान उनके शिक्षक लेते हैं इसलिए लड़कोंके अच्छे स्वास्थ्य, उनके चरित्र तथा उनके मानसिक विकासका उत्तरदायित्व शिक्षकोंपर ही है। मुझे अपने सामने कुछ लड़कियाँ भी दिखाई दे रही हैं जो बहुत ज्यादा और अशुचिकर ढंगसे जेवर पहने हुई हैं। उनके कानोंके ये भारी झुमके केवल मद्दे ही नहीं दिखाई दे रहे हैं बल्कि वे चेहरेके सारे रंग-रूपके समुचित विकासमें भी बाधा उपस्थित करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी माताएँ ऐसे मद्दे और दिखावटी

जेवरोंका वहिष्कार करें। याद रखिए कि आपका सौन्दर्य आपके चरित्रमें निहित है, आपके जेवरों या आपकी पोशाकमें नहीं। आपके ये भद्दे और महंगे जेवर वास्तवमें आपके किसी कामके नहीं हैं। या तो इन्हें गला दीजिए या इन्हें बेचकर रुपया बचाइए या फिर इन्हें दरिद्रनारायणकी सेवाके लिए मुझ-जैसे किसी व्यक्तिको सौंप दीजिए। आपने खादी भी नहीं पहन रखी है। आप सबको चाहिए कि आप बिलकुल निर्मल हृदया सीताकी तरह बनें और सादी खादी तथा सादे जेवर पहनें।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २९-९-१९२७

### ३३. भाषण : पागानेरीकी सार्वजनिक सभामें

२७ सितम्बर, १९२७

मुझे इस सभामें इतनी सारी बहनोंको, लगभग जितने पुरुष हैं, उतनी ही संख्यामें उपस्थित देखकर बहुत खुशी है। जैसा कि मैंने कराइकुडीकी महिलाओंकी सभामें या अन्यत्र बहनोंसे कहा है, आपने जिस आन्दोलनके लिए ये शैलियाँ दी हैं वह बुनियादी तौरपर भारतीय स्त्रियोंकी स्वतन्त्रताका आन्दोलन है। भारतकी स्वतन्त्रता तबतक एक असम्भव चीज रहेगी जबतक आपकी बेटियाँ आपके बेटोंके साथ स्वतन्त्रताकी लड़ाईमें कन्वेसे-कन्वा मिलाकर नहीं खड़ी होंगी, और भारतकी करोड़ों बेटियोंके लिए इस तरहके बराबरीके दर्जेपर पुरुषोंके साथ सहयोग करना तबतक सम्भव नहीं है जबतक उन्हें अपनी शक्तिका ठीक-ठीक भान नहीं होगा। भारतकी करोड़ों झोंपड़ियोंमें चरखा जिस दिन अपने गरिमायम स्थानपर अपने फलितार्थों सहित पुनः प्रतिष्ठित हो जायेगा उसी दिन स्त्रियोंको भारतके पुनरुद्धारमें अपने महत्त्वपूर्ण स्थान और अपनी शक्तिका ज्ञान हो जायेगा। क्योंकि तब वे पुरुषोंसे कह सकेंगी : “आप लोग अपने भोजन और वस्त्रके लिए जितना स्वयं अपने ऊपर निर्भर करते हैं उतना ही हमपर भी निर्भर करते हैं। हम आपका भोजन पकाती हैं, और हम वह सूत कातती हैं जिससे खादी तैयार होती है”, तब नारीको वह गौरवमय स्थिति प्राप्त हो जायेगी जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, और जिससे हम पुरुषोंने — अपनी नारी-जातिके प्रति गद्दारी करनेवाले हम पुरुषोंने — उसे वंचित कर दिया है। कारण, हमने अपनी मूढ़ता और अज्ञानवश अपनी हर कुटियासे चरखेको हटा दिया, और पश्चिमसे आनेवाले महीन सुन्दर कपड़ोंके मोहमें पड़ गये। हमें स्वर्णमुद्राओं और रुपयोंका जो लालच दिखाया गया उससे हम लोभमें पड़ गये, और चाहे या अनचाहे, जो भी हो, हमने अपनी बेटियों और बहनों और पत्नियोंको घोर अज्ञानके अन्धकारमें रखनेका षड्यंत्र किया और जिस शिक्षाकी वे अधिकारिणी थी उससे उन्हें वंचित किया। अपनी अज्ञानताके वश होकर हमने अपनी बेटियोंको उस अवस्थामें ही व्याह्र दिया जब उनकी उम्र अभी हमारे साथ बहन और भाईकी तरह खेलनेकी थी। यह प्रथा बहुत दिनोंसे लगातार चलती आयी है; इसलिए आप स्वयं ऐसा मानने लगी कि तथाकथित व्याह्र करके अपनी

वेष्टियोंको छोटी उम्रमें दूसरेके हवाले कर देना, और उन्हें घोर अज्ञानमें रखना अत्यन्त स्वामाविक चीज है। चरखा इन घोर अन्यायोको दूर करनेके लिए है। चरखा स्त्रीको वह स्थान प्रदान करता है जिसकी वह अधिकारिणी है। वह स्त्री और पुरुष दोनोंकी विवेक-बुद्धिको जगाता है, और भारतकी स्त्रियोंके प्रति अपने कर्तव्यको समझनेमें पुरुषोंकी मदद करता है। यदि मेरे शब्द मेरे चारों ओर एकत्र आप माई-बहनोके हृदयमें उतरे हों तो आप तुरन्त समझ जायेंगे कि जिस उद्देश्यकी खातिर मुझे ये शैलियाँ मिली हैं उस उद्देश्यके लिए मैं इन्हें पर्याप्त क्यों नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमागसे यह खयाल निकाल दें कि मैं कोई ऐसा महात्मा हूँ जिसे ईश्वरने शापके रूपमें आपके ऊपर थोप दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस तथ्यको उसके पूरे अर्थके साथ समझ लें कि मैं दरिद्रनारायणके एक आत्मनियुक्त विनम्र सेवक और प्रतिनिधिके रूपमें आपके सामने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें कि आपने मुझे जो-कुछ दिया है वह मेरे अहं और मेरी महत्वाकांक्षाकी तुष्टिके लिए नहीं दिया है, बल्कि उस दरिद्रनारायणका तन ढँकने और पेट भरनेके लिए दिया है जो प्रतिदिन, सुबह-शाम, वक्त-बेवक्त आपके दरवाजेको खटखटाता रहता है। मैं आपको उन मूख-भीड़ित करोड़ों लोगोंके प्रति आपके कर्तव्यका ज्ञान कराने आया हूँ जिनके शोषणपर और जिनकी मेहनतपर मैं और आप रह रहे हैं। जबतक आप स्त्री और पुरुष दोनों खदर और केवल खदर ही नहीं पहनते तबतक मेरे निकट आपके रूपों, आपके आभूषणों, आपकी अँगूठियों और आपके कण्ठहारोंका भी कोई उपयोग नहीं है। चरखेके लिए शैलियाँ इकट्ठा करनेका काम तो एक स्वल्पकालिक और सक्रमणकालीन योजना है। जब भारतमें हर स्त्री और पुरुष खादीका उसी सहज रूपसे इस्तेमाल करने लगेगा जिस प्रकार वह भारतके मैदानोंमें उत्पन्न होनेवाले अनाजका उपयोग करता है तब इन चन्दोंकी उसी प्रकार कोई जरूरत नहीं रहे जायेगी जिस प्रकार भारतमें चावल और गेहूँकी खेतीके प्रचारकार्यके लिए चंदेकी कोई जरूरत नहीं है। यह आपके हाथकी बात है कि आप इस सक्रमणकालकी अवधि खादीको अपनाकर जितनी चाहे उतनी कम कर दें; और हमारे वातावरणको चरखेकी भावनासे आप्लावित कर देनेके लिए मेरे सामने वैठी आप सभी बहनोके लिए जरूरी है कि आप चरखेको अपना लें, और यदि आप अपना लें तो चरखा आपकी पवित्रता और स्वतन्त्रताका प्रतीक बन सकता है। साथ ही चरखेको एक यज्ञके रूपमें अपनाना पुरुषोंके लिए भी उतना ही जरूरी है। मैं खादीको तबतक सस्ता नहीं बना सकता और तबतक लोकप्रिय नहीं बना सकता जबतक मेरे पास कर्तार्थ-कुशल लोगोंकी एक ऐसी फौज नहीं हो जो गाँव-गाँवमें पहुँच सके और आवश्यक प्रशिक्षण देकर तथा सगठन कार्य करके चरखेको पुनः प्रतिष्ठित कर सकें।

और अब मैं उन सामाजिक सुधारोंके बारेमें फिर वही बात दोहराऊँगा जो मैंने तमिलनाडुमें अन्य स्थानोंपर बार-बार कही है। ये सुधार हमारे हाथो होनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुरुषोंका जीवन शुद्ध बनना चाहिए। पुरुषका अपनी पत्नीके प्रति निष्ठावान होना उतना ही पवित्र कर्तव्य है जितना कि पत्नीका पतिके प्रति निष्ठावान

होना। तथाकथित शास्त्रोंमें से मले ही कुछ भी प्रमाण दिये जायें, लेकिन किमी पुरुषका एकसे अधिक पत्नीका रखना गलत है। वैटियोंको विवाहकी आड़में वेचना गलत है। किसी घरमें बाल-विधवा होना एक पाप है। बाल-विवाह कोई विवाह नहीं होता और यदि आप यह बात माननेके लिए तैयार नहीं हैं तो किसी बालिकाका विवाह करना भी जतना ही बड़ा पाप है। हमारे लड़को और लड़कियोंको अशिक्षित रखना भी गलत है और मैं इसे एक जघन्य अपराध मानता हूँ कि किसी एक भी व्यक्तिको केवल इस कारण अस्पृश्य माना जाये कि वह एक समुदाय-विशेष या परिवार-विशेषमें पैदा हुआ है। यदि हमारे अन्दर सच्चा जागरण हुआ होता तो हम इन सामाजिक बुराइयों तथा गन्दगी और अस्वच्छताकी समस्याओंसे जो हमारे चारों ओर — हमारे इतने पास — विद्यमान हैं और हमारा मुँह देख रही है, अवश्य निपटते।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २९-९-१९२७

### ३४. तार : मीराबहनको

मदुरै

२८ [ सितम्बर, १९२७ ]<sup>१</sup>

मीरावाई  
द्वारा हिन्दी प्रचार  
मद्रास

तुम कैसी हो। ईश्वर तुम्हें शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूपमें स्वस्थ बनाये। सन्नेह।

वापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२७७) से।

सौजन्य : मीराबहन

## ३५. पत्र : मीराबहनको

२८ सितम्बर, १९२७

बि० मीरा,

यहाँ पहुँचनेपर मैं तुम्हें प्रेम-सन्देश<sup>१</sup> भेजे बिना नहीं रह सका। तुम्हें चला जाने देनेके बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे प्रति बहुत कठोर रहा हूँ लेकिन इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। मुझे मानो एक ऑपरेशन करना था और इसके लिए मैंने अपने-आपको दूढ़ बना लिया था।<sup>२</sup> अब हमें आशा करनी चाहिए कि सब ठीक-ठाक हो जायेगा तथा सारी कमजोरी दूर हो जायेगी।

तुम्हारे खोये हुए दो पत्र मुझे अभी-अभी मिले हैं लेकिन उनके बारेमें फिर लिखूँगा। मैं यह पत्र डाकका समय होते-होते लिख रहा हूँ। तुम्हें मेरे बारेमें किसी प्रकारकी भी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२७८) से।

सौजन्य : मीराबहन

## ३६. भाषण : मधुरैकी सार्वजनिक सभामें

२८ सितम्बर, १९२७

मित्रो,

मैं आपको अभिनन्दनपत्रों तथा थैलियोंके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इन हाथकते सूतकी लच्छियोंके देनेवालोंको भी धन्यवाद देता हूँ तथा आपको हाथकते और हाथ-बुने कपड़ेके उन तीन टुकड़ोंके<sup>१</sup> लिए भी धन्यवाद देता हूँ जिन्हें यहाँ प्रदर्शित नहीं किया गया है। ये मुझे आज सुबह भेंट किये गये थे, और मैं उनका इस समय उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता। यदि समय रहा, और आप धीरज रखेंगे तो ये खादीके टुकड़े आपके सामने रखे जायेंगे और एक विशेष मूल्यपर उन्हें खरीदके लिए भी प्रस्तुत

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. मीराबहनने इस घटनाका वर्णन इस प्रकार किया है: “अपने कामपर वापस जानेसे पहले मैं बापूको एक बार देखे बिना नहीं रह सकी। लेकिन इस समय मैंने बड़ी भारी गलती की। मुझपर काफी प्यार और मुझे पकड़म साबरमतीके लिये रवाना कर दिया गया।” देखिए द स्पिरिट्स पिछले प्रिमेज।

३. इन्हें टी० सी० चेल्लम अर्थगारने भेंट किया था।

३५-४

किया जायेगा। मैं तो अपने ही मनसे अपने-आपको दरिद्रनारायणका प्रतिनिधि मान बैठा हूँ, इसलिए ये खादीके टुकड़े, जो बहुत ही कलात्मक, बहुत वारीक तथा बहुत लम्बे हैं मेरे निजी इस्तेमालके योग्य नहीं हैं। मैं उन्हें कलाके बहुत सुन्दर नमूने मानता हूँ, और अगर मैं आपको लुभा सकूँ तो इस बातके लिए लुभाना चाहूँगा कि आप इन्हें मुझसे लेकर अपने सुन्दर नगरमें बहुमूल्य संग्रहके रूपमें रखें। कराइकुडीमें मुझे घरके बुने और घरके कते खादीके दो टुकड़े मिले थे और मैंने उनमें से एक टुकड़ेको १००१ रुपये और दूसरेको १०१ रुपयेमें बेचा था। मैं इन बातोका जिक्र आपको यह बतानेके लिए कर रहा हूँ कि मद्रुरैने अबतक जितना-कुछ किया है, उससे कहीं ज्यादाकी उम्मीद मैंने मद्रुरैसे की थी। इससे पता चलता है कि आप लोग, जो इससे कहीं ज्यादा कर सकते थे, चरखेके पूरे महत्त्वको नहीं समझ पाये हैं।

मैं आपको उस दृश्यकी याद दिलाऊँगा जो आजसे लगभग सात वर्ष पूर्व अपने मित्र, सहकर्मी और साथी, मौलाना मुहम्मद अलीको वाल्टेयरमें छोड़कर मेरे मद्रुरै आनेपर मेरे सामने उपस्थित हुआ था। लेकिन अब समय बदल गया है। वह समय था कि जब मैं वाल्टेयरसे मद्रुरैकी यात्रा कर रहा था, तब आपने और हजारों अन्य लोगोंने उनकी अनुपस्थितिको लक्षित किया था, और इसके कारण बहुत लोगोंकी आँखोंमें आँसूतक आ गये थे। आज लोग न केवल इस बातको लक्षित नहीं करते कि मेरे साथ वे या अन्य कोई मुसलमान साथी नहीं हैं, बल्कि यदि मैं अपने साथ किसी मुसलमान साथीको लेकर चलूँ तो आप मेरे साहस और मेरी वृष्टतापर आश्चर्य करेंगे। आज हिन्दूका हाथ मुसलमानके गलेपर है और मुसलमानका हाथ हिन्दूके गलेपर। लेकिन हमारे सरपर उमड़ते इन भयंकर काले बादलोंके बावजूद यदि आपकी इस प्राचीन नगरीमें मैं हिन्दू-मुस्लिम एकताकी सम्भावना और आवश्यकतामें अपना दृढ़ अपरिवर्तनीय विश्वास नहीं दुहराऊँगा तो मैं अपने ईश्वर और अपने देशके सामने बेईमानी करूँगा। जितने निश्चित रूपसे मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ उतने ही निश्चित रूपसे मैं यह भी जानता हूँ कि हमारी समस्त योजनाओंको ईश्वरकी कृपा प्राप्त होगी और वह इसी भयंकर फूटमें से एकता पैदा करने जा रहा है। इसलिए आपमें से जिन लोगोंके मनमें वैसी ही आस्था प्रज्वलित है जैसी कि मेरे मनमें है, उनसे मैं कहूँगा कि वे भी मेरे साथ हृदयसे ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वह हमारे हृदयोंको साफ करे और इस संतप्त देशको शान्ति प्रदान करे।

इसके अलावा उस अवसरकी एक घटना और है जिसकी याद मैं चाहूँगा कि हम ताजा करें। आपको याद होगा कि ईश्वरसे विनय पूर्वक प्रार्थना करके वह स्मरणीय रात्रि आपके बीच गुजारनेके पश्चात् मैंने अपने करोड़ों भूखे माइयोंके साथ और घनिष्टता स्थापित करनेके उद्देश्यसे एक परिवर्तन किया था। यह परिपवर्तन मैं मानता हूँ कि बहुत नगण्य था लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण था। वाल्टेयरमें प्रस्तुत होनेवाले सजीव दृश्योंको मनमें लिये हुए जब मैं मद्रुरै आ रहा था और रास्तेमें अनेक स्टेशनोंपर मिलनेवाले हजारों लोगोंसे जब मैं कमसे-कम विदेशी वस्त्रोंका त्याग करके खादी पहनने-

१. गांधीजीको खादीके ये टुकड़े देवकोट्टामें मिले थे, जिन्हें उन्होंने कराइकुडीमें बेचा था।

को कह रहा था तो एक या एकाधिक गरीब लोगोने मुझे रोष व्यक्त किया और मुझे बताया कि उनके पास खादी खरीदनेको पैसा नहीं है। हालाँकि जहाँतक मुझे अब याद है, मैं ऐसा नहीं मानता कि हर व्यक्तिने जो उत्तर मुझे दिये, वे ईमानदारीसे दिये थे, लेकिन मैंने उन कुछ गरीब लोगोकी बातकी सचाईको स्वीकार किया जिनके तन चियड़ोसे ढँके हुए थे। तब मैंने अपने साथ यात्रा करनेवाले साथियोसे उस परिवर्तनके औचित्यपर चर्चा की, जिसके बारेमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह रात मैंने, क्या करना चाहिए, इसीका निश्चय करते और ईश्वरसे मार्गदर्शनकी प्रार्थना करते हुए बेचैनीसे गुजार दी। और अगली सुबहसे मैंने मनमें निश्चय कर लिया कि कमसे-कम एक वर्षके लिए मैं साधारण कुरता और धोतीका त्याग कर दूंगा, जिसे मैं उस समय पहना करता था, और जितनी छोटी लँगोटीसे अपना काम चला सकूंगा उतनी छोटी लँगोटीसे सन्तोष करूँगा।<sup>१</sup> वह वर्ष तो खत्म हो गया, लेकिन परिवर्तनकी आवश्यकता देखते हुए वह परिवर्तन बना ही हुआ है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उस परिवर्तनका तबतक कोई महत्त्व नहीं है जबतक वह अन्दर होनेवाले परिवर्तनका प्रतीक न हो। लेकिन मैं भारतमें जितना ही घूमा हूँ और जितना ही मैंने इस प्राचीन देशके सात लाख गाँवोंमें फँसे करोड़ों ग्रामवासियोकी गरीबी और कंगालीपर विचार किया है, अपने अन्दर इस प्रकारके परिवर्तनको अपनातेकी आवश्यकताको मैंने उतना ही अधिक महसूस किया है, क्योंकि मैं जन-साधारणका प्रतिनिधि होनेका दावा करता हूँ। और यदि आप मेरे साथ इन गाँवोंमें चलें, जहाँ कंगालीका नंगा रूप आप देखेंगे तो आप मेरी तरह स्वीकार करेंगे कि आपके वस्त्रोंमें बहुत-कुछ ऐसा फाजिल है, जिसे त्याग देनेकी आवश्यकता है।

नगरपालिकाके अभिनन्दनपत्रमें मुझे बताया गया है कि आपके स्कूलोंमें काफी हदतक कताई सफल रही है। नगरपालिकाको मैं इस सफलताके लिए बधाई देता हूँ, लेकिन मैं आपके प्रति ईमानदारी बरतनेके खयालसे आपको बता दूँ कि इससे मुझे कोई सन्तोष नहीं है। यदि भारतके चन्द नगरों और कस्बोंमें रहनेवाले लोग यह अनुभव कर लें कि उनका जीवन, उनकी सुख-सुविधाएँ, बल्कि उनका सारा अस्तित्व इन करोड़ो अर्द्ध-क्षुधित लोगोपर निर्भर है तो वे खादी और चरखेको महज वक्त गुजारनेका एक शगल नहीं समझेंगे, ऐसी चीज नहीं मानेंगे जिसके लिए यदि वे कुछ करते हैं तो किसीपर मेहरबानी करते हैं। याद रखिए कि भारतका शहरी जीवन अन्य देशोसे प्राप्त धनके भरोसे नहीं चलता। भारत चूँकि एक कृषि-प्रधान देश है, इसलिए अपने शहरोको बनाये रखनेके लिए उसे गाँवोसे ही प्राप्त होनेवाली चीजोंपर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। और भारतकी गरीबीकी समस्याका तथा इस गरीबीकी समस्याको आंशिक रूपसे भी हल करनेके लिए सुझाये गये विविध उपायोका ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेके बाद मैं इस नतीजेपर आया हूँ कि कोई भी तरीका उपयोगिताकी दृष्टिसे चरखेके पासतक नहीं पहुँचता। और मेरी विनम्र रायमें शहरोंमें रहने-

१. देखिए खण्ड २१, पृष्ठ २३४-३६।

२. इससे पूर्व गांधीजीको मद्रुरैकी नगरपालिकाकी ओरसे एक अभिनन्दनपत्र दिया गया था और उसका उत्तर उन्होंने सार्वजनिक सभामें दिया।



वाल्लोंका यह पवित्र कर्तव्य है कि गाँववाले शहरोंके लिए जो-कुछ करते हैं, उसके बदलेमें वे कुछ थोड़ा-सा प्रतिदान दें। मेरी विनम्र रायमें भारतकी दिनोंदिन गहरी होती गरीबीकी समस्या, हिन्दू-मुस्लिम एकताकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या या इन भागोंमें ब्राह्मण और अब्राह्मणकी कठिन समस्यासे भी कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। ये प्रश्न तो अन्ततः भारत-रूपी समुद्रकी सतहपर मामूली-सी लहरोंकी भाँति ही हैं। गाँव इन प्रश्नोंसे अछूते और अप्रभावित रहते हैं। इसलिए आप मुझे रात-दिन केवल खादीके बारेमें बात करते, केवल चरखेका स्वप्न देखते, और देशमें होनेवाले इन उथल-पुथलके बावजूद अपने उद्देश्यपर अटल और दृढ़ देखते हैं। काश मैं हर ब्राह्मण, हर अब्राह्मण, हर मुसलमानको इस बातपर कायल कर सकता कि जिन प्रश्नोंका मैंने उल्लेख किया है, उनके बारेमें उसके विचार कुछ भी क्यों न हों, लेकिन आपमें से हरेकका प्रथम कर्तव्य मेहनतकश जन-साधारणके प्रति है।

मेरे नाडार<sup>१</sup> मित्रोंने अपने अमिनन्दनपत्रमें बताया है कि हालाँकि उन्हें चरखेके सन्देशमें विश्वास है, लेकिन मुझे जो धन दिया जा रहा है उसके समुचित वितरण और उपयोगके बारेमें उन्हें गम्भीर शंकाएँ हैं। वे मुझे बताते हैं कि उन्होंने एक तमिल अखबारमें पढ़ा है कि कुप्रबन्धके कारण या भगवान जाने किन कारणोंसे, करीब एक लाखसे ऊपर रुपये बरबाद हो गये। अपने मानपत्रमें इस बातका उल्लेख करनेके लिए मैं उनको सचमुच धन्यवाद देता हूँ। और जिस संगठनके जरिये मैं खादीका प्रचार-कार्य कर रहा हूँ और जिसके जरिये इन रूप्योंका उपयोग किया जा रहा है, यदि वह संगठन रूप्योंके उपयोगके बारेमें असावधान या अक्षम पाया जाता है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि इस कार्यके लिए एक पाई भी देना व्यर्थ है और हानिकारक भी; और मुझे खुशी है कि इन रूप्योंके उचित वितरणमें शंका व्यक्त करते हुए उन्होंने थैलीके लिए चन्दा देनेसे इनकार कर दिया है। लेकिन मुझे इन मित्रोंको और आप सब उपस्थित लोगोंको यह सूचित कर सकनेमें खुशी है कि रूप्योंका कोई अपव्यय नहीं हुआ है। यह भी याद रखिए कि अखिल भारतीय चरखा संघ केवल तीन वर्ष पहले ही स्थापित हुआ है। इससे पूर्व खादीका काम अन्य कामोंके साथ-साथ कांग्रेसके संगठनों द्वारा किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद एक लाख रूप्येकी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। निःसन्देह अन्य संगठनोंकी तरह इस संगठनमें भी बहियोंपर ऐसी बहुतासी लेनदारियाँ चढ़ी हुई हैं, जिनके बसूल होनेकी उम्मीद कम ही है। हमें सभी प्रकारके आदमियोंसे पाला पड़ता है। सभी प्रकारकी सावधानियाँ बरतने और मुचलके लेनेके बावजूद, कुछ लोग बेईमान सिद्ध होते हैं। और यदि आप एक भी पाई देनेसे पहले यह अपेक्षा करें कि खादी संगठन शत-प्रतिशत सफल बनकर दिखाये तो मुझे भय है कि संगठनको बन्द कर देना पड़ेगा। मुझे अपने ३५ वर्षके सार्वजनिक जीवनमें कई संगठनोंका नियन्त्रण और संचालन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं आपसे कह दूँ कि बिना कोई हानि उठाये एक भी संगठनका संचालन करना मेरे लिए सम्भव नहीं हुआ है। लगभग बीस वर्षकी वकालतके दौरान मैं हजारों

व्यापारी मुक्किलोके सम्पर्कमें आया और मैं ऐसे एक भी व्यापारीसे नहीं मिला जिसकी वहियोमे वसूल न हो सकने लायक कुछ-न-कुछ लेनदारियाँ दर्ज नहीं रही हों। और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि जहाँतक प्रबन्धका प्रश्न है, यह खादी संगठन दुनियाकी अच्छीसे-अच्छी और बड़ीसे-बड़ी व्यापारिक फर्मकी तुलनामें बराबर बैठेगी। यह संगठन करीब दो लाख रुपयेकी पूँजीसे चल रहा है। यह सारे भारतमें पन्द्रह सौ गाँवोंकी सेवा कर रहा है, और करीब ५० हजार कर्तयोंको मोजन मुहैया कर रहा है। यह कर्तयोंको औसतन एकसे डेढ़ रुपये प्रतिमाह उपलब्ध कराता है। और यह संगठन इन कर्तयोंके केवल उस फालतू समयका ही इस्तेमाल करता है जब उनके पास कोई और काम नहीं होता। खादीके कामके विकासके लिए आवश्यक पाँच हजार बुनकरो, रंगरेजों और धोबियोंको यह काम देता है। प्रान्तीय तथा केन्द्रीय हिसाबका लेखा-जोखा समय-समयपर एक सार्वजनिक लेखा-परीक्षक करता है। और इन हिसाबोंकी जाँच चन्दा देनेवाले या न देनेवाले, दोस्त या दुश्मन समी कर सकते हैं। और यदि अब आपको यह भरोसा हो गया हो कि यह अनुष्ठान अच्छा है और जो लोग इस अनुष्ठानका संचालन कर रहे हैं वे विश्वसनीय और भरोसेके योग्य है तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप थैलियोंके मुँह खोलिए और कमसे-कम नहीं, बल्कि ज्यादासे-ज्यादा जो दे सकते हैं, वह दीजिए। और कृपया याद रखिए कि आपके चन्दे ही सब-कुछ नहीं है। आपके चन्दे कितने ही उदार क्यों न हों, लेकिन जबतक आप खादी नहीं पहनते, वे चन्दे बेकार हैं। मैं खादी पहननेका आपसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि वह इन कर्तयों और बुनकरोँकी मेहनतसे बनी चीज है।

अब मैं विद्यार्थियोंके अभिनन्दनपत्रका संक्षेपमें उत्तर दूँगा। छात्र मुझे बताते हैं कि वे हिन्दी नहीं सीख सकते, क्योंकि उनके पास समय नहीं है और क्योंकि वे शिक्षाको केवल व्यवसायकी दृष्टिसे ही देखते हैं अतः उन्होंने हिन्दी न जाननेके लिए तथा अपना अभिनन्दनपत्र अंग्रेजीमें ही देनेके लिए क्षमा माँगी है। जिस तरह खादीकी संकल्पना करोड़ों लोगोंके हितको ध्यानमें रखकर की गई है, उसी तरह हिन्दीकी संकल्पना भी करोड़ों लोगोंकी सुविधाको ध्यानमें रखकर की गई है। अतः मुझे छात्रोंके अभिनन्दनपत्रमें यह निराशावादी भावना देखकर दुःख हुआ है। जिस देशके नौजवान आशा छोड़ बैठें, उस देशका भविष्य खराब ही समझिए। छात्रोंको समझ लेना चाहिए कि सच्ची शिक्षा कालेजकी पढाई या हाई स्कूलके अहातेमें नहीं मिलती, बल्कि बाहर मिलती है। संसारमें जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, यदि आप उनका इतिहास जाँचें तो पायेंगे कि उन्होंने जीवनकी जरूरी बातें वास्तवमें स्कूलके बाहर सीखी थी। और यद्यपि भारत एक गरीब देश है, फिर भी मैं यह बात स्वीकार करनेसे इनकार करता हूँ कि शिक्षाको व्यवसायकी दृष्टिसे देखना चाहिए। छात्र यह याद रखें कि वे इस मानव-रूपी समुद्रमें एक बूँदके समान हैं। वे यह भी याद रखें कि करोड़ों ऐसे लोग हैं, जिन्होंने कभी स्कूल या कालेजमें कदम नहीं रखा है, फिर भी वे ईमानदारीसे सम्मानपूर्वक जीविका कमा रहे हैं। उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि लोग छात्रोंके लिए यह एक कलंककी बात मानते हैं कि स्कूलों या कालेजोंसे निकलकर

अधिकांश छात्र किसी सरकारी विभाग या व्यावसायिक फर्ममें बल्कीं करनेका ही स्वप्न देखते हैं। मैं इसे शिक्षाका दुरुपयोग मानता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि शिक्षा-प्रणाली बिलकुल सड़ी हुई है। लेकिन स्थितिको यथावत् स्वीकार करते हुए मैं छात्रोंको यह समझानेका प्रयत्न करता रहा हूँ कि यदि वे समय रहते विचार करें तो उनके लिए इन विपरीत परिस्थितियोंमें भी अपनी सहायता आप कर सकना सम्भव है। इसीलिए मैं उनसे कहता हूँ कि करोड़ों लोगोंसे प्राप्त करें, बल्कि वास्तवमें राजस्वके उस अनैतिक साधन — आवकारी-कर — के बलपर चलनेवाले इन स्कूलोंमें जाते हुए भी वे लोग खादी और चरखेको अपनाकर ग्रामवासियोंको थोड़ा प्रतिदान दे सकते हैं। इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि यदि वे अपनेको विध्य-पर्वतमालाके दक्षिणमें पड़नेवाले भू-भागका ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारतका नागरिक समझते हैं और यदि वे विध्यपर्वतके उत्तरमें रहनेवालोंके साथ जीवन्त सम्बन्ध रखना चाहते हैं तो उन्हें हिन्दी सीखनी चाहिए। इसपर वे जवाब देते हैं कि मद्रास विश्वविद्यालयकी सिनेटको सभी स्कूलों और कालेजोंमें हिन्दीकी शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। मैं इस जवाबकी सचाईको स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि सभी पाठ्यक्रमोंमें हिन्दीको एक दूसरी भाषाके रूपमें लागू करना सिनेटका कर्तव्य है। लेकिन मैं इस कथनका समर्थन करनेसे कतई इनकार करता हूँ कि छात्र बिलकुल साधनहीन और लाचार महसूस करें और जबतक सिनेट यह आवश्यक सुधार लागू न कर दे तबतक हाथपर-हाथ घरे बैठे रहें। यहाँ मदुरैमें आपके यहाँ एक हिन्दी प्रचार कार्यालय है। आपमें से किसीके लिए भी हिन्दी सीखनेकी पूरी छूट है, और यदि आप दिनमें एक घंटा भी देंगे तो देखेंगे कि आपके लिए हिन्दी सीखना आश्चर्यजनक रूपसे सरल है। और यदि आपको अपनी शिक्षाका व्यावसायिक उपयोग ही करना है तो आपमेंसे कुछ लोग देखेंगे कि जिस प्रकार अंग्रेजीका व्यावसायिक उपयोग है उसी प्रकार इस देशमें हिन्दीका भी व्यावसायिक उपयोग है। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि हिन्दी कार्यालयको भी आप स्वावलम्बी नहीं बना सके हैं। मैं इस कमीकी ओर मदुरै नगरपालिका और यहाँके नागरिकोंका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। निश्चय ही यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए प्रतिवर्ष कुछ सौ रुपयेका प्रबन्ध कर पाना आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए।

अब मुझे उन अन्य समस्याओंकी चर्चा करनी चाहिए, जो इस देशके सामने खड़ी हैं। मैं नगरपालिकाको यह कह सकनेके लिए बधाई देता हूँ कि जहाँतक उसके स्कूलों और कार्यालयोंका सम्बन्ध है, अस्पृश्यता नामकी कोई चीज उनमें नहीं है। और मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि आपके स्कूलोंमें कुछ हजार आदिद्विविड़ लड़के और कुछ सौ आदिद्विविड़ लड़कियाँ भी पढ़ती हैं। लेकिन क्या मैं यह भी कह सकता हूँ कि नगरपालिकाके लिए उनके हितार्थ और भी बहुत-कुछ कर सकना सम्भव है। क्या आपने उनके लिए अच्छे आवासोंकी व्यवस्था की है? क्या आप उनके घर-बार की देख-रेख करते हैं, क्या आप उनकी उन बुरी आदतोंकी फिक्र करते हैं जो उन्हें इसीलिए लग गई हैं कि हम उन लोगोंकी घोर उपेक्षा करते रहें? क्या आप उन्हें शराब पीनेकी लतसे मुक्त करनेकी कोशिश कर रहे हैं? और जो एक बात मैं तमिल-

नाडुके सारे दौरेमें कहता रहा हूँ, उसे मैं यहाँ फिर दोहराना चाहूँगा अर्थात् यह कि हम चाहे ब्राह्मण हो या अब्राह्मण हो, अथवा कुछ भी हों, बाल-पत्नी और बाल-विधवाके सवालपर विचार करना हमारे लिए नितान्त आवश्यक है। मुझे कुछ पत्र मिले हैं, जिनमें मुझेसे कहा गया है कि जहाँतक दक्षिण भारतका सम्बन्ध है, मैं बाल-विधवाओंके प्रश्नपर अपने विचारोपर फिरसे गौर करूँ। लेकिन मुझे अपनी रायपर पुनर्विचार करनेका कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। मैं समझता हूँ कि हममें जो विचारवान स्त्री और पुरुष हैं, वे तबतक चैनसे नहीं बैठ सकते जबतक समाजमें हमारे लिए कलंक-स्वरूप एक भी बाल-विधवा मौजूद है। लोकमतका नेतृत्व करनेवालोंके लिए यह भी अत्यन्त जरूरी है कि वे देवदासी-जैसी घृणित और अनैतिक प्रथाको समाप्त करायें। हमें इस पापको धर्मकी आड़ देकर अपनी धार्मिक भावनाका अपमान नहीं करना चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, ३०-९-१९२७

### ३७. नीलकी प्रतिमा और अहिंसा

एक गुजराती भाईने अपने मित्रको, जो मेरे भी मित्र हैं, लिखे पत्रमें निम्न प्रकारकी शंका उठाई है :

बापूकी अहिंसा तो कभी-कभी मुझे हैरानीमें डाल देती है। जिस प्रकार उन्होंने लॉरेंसकी प्रतिमा हटवानेके आन्दोलनको प्रोत्साहन दिया था उसी प्रकार अब नीलकी प्रतिमा हटवानेके लिए चलाये जा रहे आन्दोलनको वह प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे तो यह बात बहुत-कुछ हिंसा-जैसी दीखती है, क्योंकि आन्दोलनसे अंग्रेजोंके प्रति घृणा उत्पन्न होगी और बापू इसी चीजसे बचना चाहते हैं। और जहाँ मुझे कोई हिंसा दिखाई नहीं देती, वहाँ वह हिंसा देखते हैं—उदाहरणके लिए, शस्त्रास्त्र अधिनियमको हटवानेके लिए लोगोंका शस्त्रास्त्र लेकर चलना। मुझे तो लगता है कि पहले उदाहरणमें ऊपरसे अहिंसात्मक दिखनेवाले उपायसे हिंसाकी भावना भड़क उठनेकी पूरी आशांका है; और बापूके अनुसार इससे बचना चाहिए। दूसरे उदाहरणमें एक सद्गुणको प्राप्त करनेके लिए हिंसाकी बहुत कम आशांका या सम्भावना है—और मैं तो मानना चाहूँगा कि यही वह चीज है, जिसका खतरा उठाना बापूको पसन्द होना चाहिए।

इन भाईके तर्कोंके साथ न्याय किया जा सके और पाठक उसे आसानीसे समझ सकें, इसलिए मूल गुजरातीमें स्पष्ट रूपसे पेश की गई दलीलको मैंने कुछ बढ़ाकर साफ कर दिया है।

अहिंसा किंचित् दृढ़तर तत्त्वसे बनी हुई चीज है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि नीलकी प्रतिमा हटवानेके आन्दोलनसे और ऐसे ही दूसरे कार्योंसे अंग्रेजोंके प्रति

घृणाकी भावना बढ़नेकी सम्भावना है। अहिंसाका प्रचार करनेकी कोशिश करनेवाले सुधारकको इस बातकी ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए और घृणासे वचनेकी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसे किसी भी हालतमें घृणाके कारणोंको छिपानेकी हिमाकत नहीं करनी चाहिए। प्रेमके रूपमें अहिंसा संसारकी सबसे सक्रिय शक्ति है। जैसा कि गुजराती कवि शामलने कहा है : “भलाईके बदले भलाई करनेमें क्या बड़प्पन है? वैसा तो बहुतेरे करते हैं। बड़प्पन तो बुराईके बदले भलाई करनेमें है।” स्पष्ट ही यहाँ बड़प्पन अहिंसाका पर्याय है। घृणाके कारण तो हमें सर्वत्र दिखाई देते हैं। प्राचीन ऋषि-मुनियोंने देखा कि इस परिस्थितिका एकमात्र उपाय प्रेमके बलपरं घृणाको निष्प्रभाव बना देना है। इसलिए, प्रेमकी यह शक्ति तो वास्तवमें तभी निखरती है जब उसका साबका घृणाके कारणोंसे पड़ता है। सच्ची अहिंसा घृणाके कारणोंकी उपेक्षा नहीं करती, उनकी ओरसे आँखें बन्द नहीं करती, बल्कि उन कारणोंके अस्तित्वकी जानकारी होनेके बावजूद उन कारणोंको प्रस्तुत करनेवालोंपर अपना असर दिखाती है। यदि बात ऐसी नहीं होती तो स्वराज्यके लिए अहिंसात्मक तरीकोंसे संघर्ष करना असम्भव ही होता। कारण, स्वराज्यके लिए लड़नेवालोंको तो हर कदम-पर विदेशी शासन और विदेशी शासकोंके दोष दुनियाके सामने प्रकट करने ही हैं। तो अहिंसाके नियममें अर्थात् बुराईके बदले भलाई करने, अपने शत्रुसे भी प्रेम करनेके इस नियममें ‘शत्रु’के दोषोंका ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए शास्त्रोंमें कहा है : “क्षमा वीरस्य भूषणम्।”

अब शायद यह स्पष्ट हो गया होगा कि अहिंसावादीको नीलकी प्रतिमा और ऐसी ही दूसरी प्रतिमाओंको हटवानेके आन्दोलनका समर्थन क्यों करना चाहिए। लेकिन, शस्त्र लेकर चलना किसी अहिंसावादीके लिए वांछनीय नहीं है, क्योंकि उससे शस्त्रोंका उपयोग करनेकी अपेक्षा नहीं की जाती। और भेरे विचारसे शस्त्रास्त्र अधिनियमको बिलकुल खत्म करवा देनेके उद्देश्यको कभी भी एक उचित उद्देश्य नहीं माना जायेगा। इसलिए शस्त्रास्त्र अधिनियमको समाप्त करवानेके लिए शस्त्रास्त्र लेकर चलनेके आन्दोलनका अहिंसाकी किसी भी योजनामें कोई स्थान नहीं हो सकता।

अब शायद नीलकी प्रतिमा हटवानेके आन्दोलनपर जरा बारीकीसे विचार करना जरूरी है। उस प्रतिमाके पाद-पीठके मुख-भागपर खुदा हुआ अभिलेख इस प्रकार है :

जेम्स जॉर्ज स्मिथ नील

महारानीके ए० डी० सी०

मद्रास पब्लिशिलियर्सके लेफ्टिनेंट कर्नल

भारतमें ब्रिगेडियर जनरल

प्रथम प्रतापी पुरुषके रूपमें सर्वमान्य,

एक बहादुर, दृढ़निश्चयी, आत्मविश्वासी सेनानी  
जिन्होंने बंगालमें विद्रोहकी आगको शान्त किया।

२५ सितम्बर, १८५७ को ४७ वर्षकी अवस्थामें  
लखनऊकी रक्षा करते हुए वीरगतिको प्राप्त हुए।

पाद-भीठके पृष्ठभानपर खुदा हुआ अभिलेख इस प्रकार है :

१८६० में सार्वजनिक चन्देसे स्थापित ।

मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि ये बातें झूठी हैं। इन अभिलेखोंमें झूठा इतिहास अंकित है। इस समय मेरे पास [ इतिहासकार ] के या मैलेसनकी जिल्दें नहीं हैं, लेकिन एक भाईने मेरे लिए कहींसे टॉमसनका ज्ञानवर्धक प्रबन्ध 'द अदर साइड ऑफ द मेडल' ला देनेकी कृपा की है। इस पुस्तकसे प्रकट होता है कि हमें स्कूलों और कॉलेजोंमें किस तरह गलत इतिहास पढाया जाता है। पुस्तकसे मैं निम्न अंश उद्धृत कर रहा हूँ।

जब मेजर रेनॉड कानपुरके छुटकारेके लिए एक अग्रिम रक्षक-दलको लेकर तेजीसे आगे बढ़े, उस समय उन्हें जनरल नीलकी ओरसे निम्नलिखित निर्देश मिले :

“कुछ दोषी गाँवोंको नष्ट कर देनेके लिए चून लिया गया है, और उन गाँवोंमें रहनेवाले तमाम पुरुषोंको कत्ल कर देना है। विद्रोही रेजीमेंटोंके जो सिपाही अपनी ठीक सफाई पेश न कर पायें, उन्हें फाँसीपर लटका देना है। फतेहपुर शहरपर, जिसने विद्रोह किया था, आक्रमण करना है और पठानोंके घरोंको उनके निवासियों सहित नेस्तनाबूद कर देना है। सभी विद्रोहियोंके सिर, विशेषकर फतेहपुरके विद्रोहियोंके, काटकर ऊँचे स्थानोंपर लटका देना है। यदि डिब्दी फलफट पकड़ लिया जाये तो उसे फाँसी दे दो और उसके सिरको काटकर शहरकी किसी मुख्य (मुसलमानकी) इमारतपर लटका दो।”

के के अनुसार :

नीलके कारनामोंको छोड़ भी दें तो जब नीलने एक मेजरको कानपुरकी ओर भेजा, उस समय निस्सन्देह लोगोंको बड़ी ही बेरहमीसे मौतके घाट उतारा गया। और बादमें नीलने जो-कुछ किया, वह कत्लेआमसे भी भयानक था। उसने लोगोंको जानबूझकर ऐसी यातनाएँ देकर मारा जैसी यातनाएँ देकर मारनेका अपराध बतानियोंके खिलाफ कभी साबित नहीं हुआ।

सर जॉर्ज केम्बेल कहते हैं : नील उन व्यक्तियोंमें से है, जिसे औरताना किस्मकी बहादुरी दिखानेके बूतेपर ही वीरपद प्राप्त हो गया है और जिसकी मृत्यु हो जानेके कारण उस समय उसके आलोचकोंका मुँह बन्द हो गया। लेकिन अब चूँकि वह विगत इतिहासका विषय बन चुका है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जहाँतक मैं अत्यन्त निष्पक्ष सूत्रोंसे जान पाया हूँ, उसमें कोई खास खूबी नहीं थी। . . . नीलने जो नृशंसतापूर्ण कृत्य किये उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता हूँ और विशेषकर जिस गड़बड़ीके कारण हम लुधियानाकी रेजीमेंट खो बैठे, उस गड़बड़ीमें उसका जो हाथ था, उसके लिए। इलाहाबादमें अपनी नृशंसता और अविश्वासी प्रकृतिके कारण उसने फिरोजपुर रेजीमेंटको (जिसके वफादार सिपाहियोंके लिए मेरे हृदयमें लगभग

इतना ही स्थान है जितना कि लुघियाना रेजीमेंटके सिपाहियोंके लिए है) लगभग हमारे खिलाफ ही कर दिया था, यद्यपि बादमें उसी रेजीमेंटने बड़ी अद्भुत सेवा की।

जिस 'वीर' के सम्मानमें 'सार्वजनिक चन्दे' से यह स्मारक खड़ा किया गया है, उसके असली चरित्रको प्रकट करनेके लिए उद्धरणोंके अलावा और भी बहुतसी चीजें हैं, लेकिन यहाँ उन सबका हवाला दे पाना सम्भव नहीं है। ऐसी प्रतिमाएँ अपशकुनकी सूचक हैं। वे इसके स्पष्ट प्रमाण हैं कि अंग्रेजी सरकारका दारोमदार अन्ततः किस चीजपर है। अर्थात् उसका दारोमदार आखिरकार आतंक और झूठपर ही है। ये शब्द कठोर जरूर हैं, लेकिन साथ ही उतने ही सत्य भी हैं। इसलिए प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक सच्चे अंग्रेजका यह कर्तव्य है कि वह अपनी समस्त शक्तसे इस आतंक और झूठका विरोध करे। लेकिन अपनी समस्त शक्तसे विरोध करनेका तरीका प्रतिशोधकी भावनासे काम लेना नहीं है, आतंक और झूठका जवाब आतंक और झूठसे देना नहीं है। उसका तरीका तो इन दोनोंका उत्तर इन दोनोंके ठीक विपरीत आचरण करके, अर्थात् आतंकका उत्तर अहिंसासे और झूठका सत्यसे देना है। यह रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यदि भारत और दुनियाको कायम रहना है तो यही एक मात्र रास्ता है। इसलिए जिन नौजवानोंने संघर्ष छोड़ा है, वे यदि ईमानदारीके साथ उसपर अहिंसापूर्वक आरूढ़ रहेंगे तो वे सम्पूर्ण सहानुभूतिके पात्र हैं और यह बहुत प्रसन्नताकी बात है कि स्थानीय कांग्रेस कमेटीने इस मामलेको बड़े उत्साहसे अपने हाथमें लिया है।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, २९-९-१९२७

### ३८. वेदोंमें गो-बलि

२ जूनके 'यंग इंडिया' में श्रीयुत सी० वी० वैद्यका एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें गाय और गो-वंशकी रक्षाके बारेमें कुछ मूल्यवान सुझाव दिये गये थे। किन्तु उस लेखमें विद्वान लेखकने अपना यह मत व्यक्त किया था कि वैदिक कालमें गायकी बलि देने और गो-मांस खानेकी प्रथा प्रचलित थी। पण्डित सातवलेकरने वैदिक कालमें गो-बलि और गो-भक्षणके बारेमें श्रीयुत वैद्यके कथनका खण्डन करते हुए मुझे हिन्दीमें एक लेख भेजा है। चूँकि मेरा मंशा कोई अखबारी विवाद खड़ा करनेका नहीं बल्कि केवल सत्यको प्रकाशमें लानेका था, अतः मैंने उस लेखको श्रीयुत वैद्यके पास भेज दिया। उन्होंने सौजन्यतापूर्वक तत्काल अपना उत्तर मुझे भेजा। मैंने इस उत्तरको पण्डित सातवलेकरके पास भेज दिया, और उन्होंने अपना प्रत्युत्तर मुझे भेजा। अब मैं पण्डित सातवलेकरके लेखोंका महादेव देसाई द्वारा किया गया अनुवाद और श्रीयुत वैद्यके उत्तरका मूल पाठ देता हूँ। पण्डित सातवलेकरने वैदिक धर्म शीर्षकसे अपने दो

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

लेखोंमें अपने मतके समर्थनमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत और व्यापक तर्क दिये हैं जिनके प्रमाणमें उन्होंने वेदोंमें से बहुतसे उद्धरण भी प्रस्तुत किये हैं। मैं जिज्ञासुओंको इन मूल्यवान लेखोंको पढ़नेकी सलाह देता हूँ। वेदोंका स्वयं मैंने अध्ययन नहीं किया है अतः मैं इस उत्तम नियमका पालन कर रहा हूँ कि जहाँ तनिक भी सन्देह हो वहाँ सही बातकी तरफ ही झुकना चाहिए, और इस मामलेमें यही विश्वास सही है कि जिन लोगोंने हमें 'वेद' दिये हैं वे गो-बलि देने या गो-मक्षण करनेके, जो कि हमारे युगमें अपराध प्रतीत होते हैं, दोषी नहीं थे। अन्यथा इस चर्चाका वर्तमान युगसे कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि हिन्दू हृदयमें गायके प्रति इतनी गहरी श्रद्धा है कि वैदिक युगमें गो-बलि या गो-मक्षण सिद्ध करनेवाले किसी भी मतका, भले ही वह कितना ही प्रामाणिक क्यों न हो, उस श्रद्धापर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तथापि उन लोगोंके लिए, जो ऐसा मानते हैं कि प्राचीन कालमें जो-कुछ होता था उसे इस युगमें भी हर वैध तरीकेसे आरम्भ कराया जाना चाहिए, इस चर्चाका महत्त्व केवल बौद्धिक ही नहीं है। ऐसे लोग पण्डित सातवलेकरके जिन लेखोंका मैंने उल्लेख किया है उन्हें, तथा श्रीयुत वैद्यके प्रकाशित निबन्धोंको, जो अंग्रेजीके साथ ही मराठी और हिन्दी भाषामें भी उपलब्ध हैं, पढ़ लें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २९-९-१९२७

### ३९. पत्र : मीराबहनको

[२९ सितम्बर, १९२७]<sup>१</sup>

चि० मीरा,

यह सिर्फ यही बतानेको लिख रहा हू कि तुम्हारा खयाल मेरे दिलसे हट नहीं सकता। सख्त ऑपरेशनके बाद हर डाक्टर ठण्डक पैदा करनेवाला मरहम लगाता है। यह भेरा मरहम है।

रामदासको बता देना कि उसका पत्र अभी-अभी मिला है। उसे जल्दी स्वस्थ हो जाना चाहिए।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२७९)से।

सौजन्य : मीराबहन



## ४०. भाषण : सौराष्ट्र क्लब, मडुरैमें

२९ सितम्बर, १९२७

मैं आपके सुन्दर अभिनन्दनपत्र तथा आपकी यैलीके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस दौरेमें मुझे जो अभिनन्दनपत्र मिले हैं, मुझे याद नहीं आता कि मैंने उनमें से किसीके लिए "सुन्दर" विशेषणका इस्तेमाल किया हो। मैं आपके अभिनन्दनपत्रको जिस कारणसे सुन्दर कहता हूँ, वह शायद आप न समझ पाये हों। मैंने उसे सुन्दर इसलिए कहा है कि आपने उसे मुझे मूल रूपमें दिया है और वह आपकी बोलीमें लिखा हुआ है जो कि मराठी और गुजरातीका मिश्रण है। इससे पता चलता है कि आप अपनी पुरानी विशेषताओंको भूलें नहीं हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिना किसी भेद-भावके अपनी सभी पुरानी चीजोंसे प्यार करता हूँ। जहाँ वे खराब हैं, अनैतिक हैं, हानिप्रद हैं, वहाँ हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें नष्ट कर दें, मुला दें। लेकिन अपनी भाषा या बोलीको न छोड़ना कभी बुरी चीज नहीं है। और आखिरकार, महान मराठी भाषा और गुजराती भाषा आजकी जीवन्त भाषाएँ हैं, जिनका उपयोग ऐसे लोग करते हैं जो हमारे देशके इतिहासपर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और मुझे इस बातकी भी खुशी है कि आपने देवनागरी लिपिको बनाये रखा है।

और इसलिए मुझे आपके अभिनन्दनपत्रसे यह जानकर और अधिक खुशी हुई है कि आपके हाईस्कूलमें, जिसमें छात्रोंकी अच्छी संख्या है, हिन्दीको एक वैकल्पिक भाषा बना दिया गया है। चूँकि मैं उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिमके बीच किसी किस्मकी दीवारको स्वीकार करनेको तैयार नहीं हूँ, इसलिए आप सब तमिल जानें, यह बात मुझे बहुत पसन्द आयेगी, लेकिन यह तो एक अतिरिक्त उपलब्धि, एक अतिरिक्त शोभा होनी चाहिए और इसका ज्ञान हिन्दीकी कीमतपर नही प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपकी समिति आपके हाईस्कूलमें हिन्दीको अनिवार्य विषय बनानेका निश्चय करे। और चूँकि मैं आपसे हिन्दीके महत्त्वको अपने दक्षिणके भाइयोंकी अपेक्षा ज्यादा समझनेकी अपेक्षा करता हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हिन्दीमें विशेष योग्यता प्राप्त करें और आपके नगरमें जो हिन्दी आन्दोलन चल रहा है, आप उसकी आर्थिक सहायता करें। इस नगरमें आप एक सुगठित, ऐक्यबद्ध, कर्मठ और उद्यमशील समुदायके रूपमें रह रहे हैं। इसलिए आपके लिए इस जिम्मेदारीको ओढ़ लेना आसान है, और इस प्रकार आपको उत्तरके लोगोंके सरसे हिन्दी प्रचारका वह बोझ हटा लेना चाहिए जो वे अभीतक वहन करते रहे हैं।

१. इस भाषणके कुछ अंश १३-२०-१९२७के रंग इंडियामें "द फेडरल ऑफ़ इंडियन वीविंग" शीर्षकसे प्रकाशित हुए थे।

२. मूलमें "साथ" (दक्षिण) था।

आपने राजकोटके साथ अपने सम्बन्धका जो उल्लेख किया है उसने मुझे छू लिया है, क्योंकि मेरी तरुणावस्था वहीं बीती है। लेकिन कृपया याद रखें कि इस प्रकारके सम्बन्धका दावा करना कठिन चीज है, क्योंकि ऐसा करके आप अपने ऊपर मेरी उन सारी प्रवृत्तियोंके सम्बन्धमें ज्यादा जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो आपके ध्यानमें लाई जायें। इतने अधिक नातेदारों और सम्बन्धियोंका उपयोग ही क्या है यदि संकटके समय आदमी उनका सहारा न ले सके। लेकिन अगर आप चाहें तो आपके लिए मुझसे और घनिष्ठ नातेदारीका दावा कर सकना सम्भव है। कारण यद्यपि मुझे एक ऐसे पिताकी सन्तान होनेका गर्व है जो एक रियासतका दीवान था, लेकिन यदि सम्भव हो तो मुझे इस बातका ज्यादा गर्व है कि मैं आपका ही एक बूनकर भाई बन गया हूँ। क्योंकि जहाँ मेरे पिता अपने अधीन थोड़े समयके लिए रखी गई एक छोटी-सी रियासतकी तकदीरका ताना-बाना बून रहे थे, आप और मैं यदि चाहें तो बुनाईके उस पेशेसे इस महान देशका भविष्य बून सकते हैं जो आपका पुश्तैनी घन्वा है, लेकिन जिसे मैंने स्वेच्छासे अपना घन्वा बना लिया है। और आपके साथ अपनी इस अधिक गर्व कर सकने योग्य नातेदारीका स्मरण आपको दिलाकर मैं अपने पिताकी पुण्य स्मृतिका कोई अनादर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर बड़ी संख्यामें लोगोंकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेका प्रयत्न करके मैं उन्हींके चरण-चिह्नोपर चल रहा हूँ। और मेरे साथ इस घनिष्ठतर नातेदारीकी दावेदारी मुझे आपके अभिनन्दनपत्रके एक महत्त्वपूर्ण अनुच्छेदपर ले आती है।

आप अपने अभिनन्दनपत्रमें कहते हैं कि मैं विदेशी सूत या मिलके सूतकी हाथ-बुनाईको प्रोत्साहन दूँ, क्योंकि आपको बूननेके लिए जिस मात्रामें और जैसे बारीक सूतकी आवश्यकता होती है, उस मात्रामें और उतना बारीक हाथ-कता सूत नहीं मिलता। अब मैं एक सह-बूनकर होनेके नाते आपको बताऊँगा कि मैं आपकी सिफारिशका समर्थन क्यों नहीं कर सकता। मैं आपको यह समझा सकनेकी उम्मीद करता हूँ कि यदि मैं आपकी सिफारिशका समर्थन करूँ तो वह आपके लिए और उस वर्गके लिए हानिप्रद होगा जिसका खयाल मेरे मनमें है और आपके मनमें भी होना चाहिए। आप लोग अच्छे और चतुर व्यवसायी हैं, इसलिए आपको समझ सकना चाहिए कि कोई भी ऐसा बूनकर, जो विदेशी मिलों या देशी मिलोंका सूत भी बूनता है, पूरी तरह मिलोकी दयापर आश्रित हो जाता है। बनकरोके नाते आपको समझ लेना चाहिए कि आप लोग आज जो हाथ-बुनाईको कुछ हदतक अपने नियन्त्रणमें रखते हैं, वह उस दिन आपके हाथसे निकल जायेगी जिस दिन दुनियाकी या भारतकी मिलें उस तरहके कपड़े बूनने लायक हो जायेंगी, जिस तरहके कपड़े अभीतक सिर्फ आप ही बून रहे हैं। यदि आपको इस तथ्यका पहलेसे ही पता न हो तो मैं आपको सूचित कर दूँ कि ससारके कई मिल-मालिक उस तरहके कपड़े बूननेके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरहके कपड़ोकी बुनाईपर आज आपका एकाधिकार है। इसमें मिल-मालिकोका कोई दोष नहीं है कि मिल उद्योग दिनोंदिन आपके हाथोंसे यह एकाधिकार छीनकर इस उद्योगको पूरी तरह अपने हाथमें लेनेकी कोशिश कर रहा है। बराबर अपनी मशीनोंमें उन्नति करना

और दुनियाकी हस्तकलाओंके क्षेत्रमें अपना पैर फैलाते जाना ही इन बड़े उद्योगपतियोंका उद्देश्य और आदर्श है। बल्कि सच तो यह है कि इस उद्योगको भी आपके हाथोंसे ले लेनेकी कोशिश करना स्वयं उद्योगपतियोंके अस्तित्वके लिए आवश्यक है। यदि बुनकर मेरे अनुभवसे फायदा नहीं उठाते तो कताई-उद्योगका जो हाल हुआ है, वही हाल बुनाई-उद्योगका भी होना निश्चित है। आप नहीं जानते, और भारतमें बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जो-कुछ आप आज कर रहे हैं, मैंने भी उसीसे शुरुआत की थी। मैं १९१५ में पहली बार बुनकर बना। मैंने आपको बताया कि मैं पहले बुनकर और बादमें कतैया हूँ। मैंने इन्हीं हाथोंसे विदेशी सूत और अपनी मिलोंका सूत बुना है। लेकिन इस घन्केका रहस्य आपसे ज्यादा जाननेका दावा करनेके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। जब मैं अपने करघेपर बैठता—मैं बता सकता हूँ कि ठीक किस जगहपर बैठकर मैं कपड़ा बुन रहा था—यह भी बता दूँ कि मैं निश्चय ही उतना बढ़िया नहीं बुन रहा था जितना कि आपमेंसे कोई बुन सकता है—उस समय मैं सोच रहा था कि यदि मिलें इस प्रकारका कपड़ा स्वयं बुन सकने योग्य हो जायें तो मैं, और हजारों और दसियों हजार बुनकर कहाँ जायेंगे, क्या करेंगे। और जब मैं यह बात सोच रहा था तो मेरा मन हमारे गाँवोंकी लाखों मूखी बहनोंकी ओर गया, और मैं बुनाई करते-करते इन बहनोंकी दशाके बारेमें सोचने लगा। मैं दुखी और खिन्न हो उठा और अपने साथियोंके साथ किसी ऐसे कतैयेकी खोजमें जुट गया जो हमें कातना सिखा दे; और मैंने यह जाननेकी भी कोशिश की कि क्या कोई ऐसा गाँव है, जहाँ कताई अब भी होती हो। मुझे उस समय इस बातका कोई पता नहीं था कि पंजावमें कुछ बहनें हैं जो कताई करती हैं। लेकिन मेरे मनमें निराशा छाई जा रही थी। मैं गुजरातकी एक वीर विधवा महिलाकी शरणमें गया। वह अस्पृश्योंकी सेवामें लगी थी। मैंने अपना यह गहरा दुख इन महान बहनको बताया। और मैंने उनपर यह काम सौंपा कि वे गुजरातमें जगह-जगह जायें और तबतक चैनसे न बैठें जबतक वे ऐसी बहनोंको न पा जायें, जिन्हें कताई-कला अभी भी आती हो। और यही बहन थी, जिन्होंने गुजरातमें बीजापुर नामक स्थान पर कुछ ऐसी मुसलमान बहनोंको ढूँढ़ निकाला जो इस शर्तपर कातनेकी तैयार थीं कि गंगाबहन उनसे सूत खरीद लें। उसी क्षणसे महान पुनरुद्धारका वह कार्य आरम्भ हुआ जो आज भारतमें १५०० से अधिक गाँवोंमें चल रहा है। और इसी खोजके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं अपने आश्रममें, जिसका कि मैं प्रधान था, विदेशी या मिलके बने सूतका एक घागा भी नहीं बुनूँगा।

मैं आपके विचारार्थ एक और महत्त्वपूर्ण बात सामने रखता हूँ। यदि आप भारतमें बुनाई आन्दोलनके इतिहासको पढ़ें तो आप देखेंगे कि इस समय कई हजार बुनकरोंको मजबूर होकर अपना घन्धा छोड़ना पड़ा है। ये सभी बुनकर, आप ही के हमपेशा ये सौराष्ट्री लोग, आज बम्बईमें मंगियोंका काम कर रहे हैं। पंजाबके बुनकरोंमें से कुछ किरायेके सैनिक बन गये हैं, और कुछने कसाईका पेशा अपना लिया है। और

शायद अब आप समझ जायेंगे कि मैं आपकी सिफारिशकी ताईद क्यों नहीं कर सकता। इसके मतलब यह नहीं है कि आप आजसे बुनाईका काम छोड़ दें। आपको मेरे प्रोत्साहनकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि यह खुद आपके हितमें नहीं है कि जिस आन्दोलनको आज मैं विनम्रतापूर्वक संचालित कर रहा हूँ उस आन्दोलनके साथ मिलके सूतकी बुनाईको भी मिला देनेके लिए आप मुझसे कहें। और यह आपके हितमें भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि आप इस आन्दोलनका समर्थन करें ताकि जब यह समृद्ध, सुदृढ़ और स्थायी बन जाये तो आपमेंसे हरेकको सम्मानजनक जीविका मिल सके। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि यदि यह हाथ-कताईका आन्दोलन गति पकड़ता गया तो सम्भव है कि यह आपके लिए सहायक सिद्ध होगा।

लेकिन अब इस गड़बड़ीके बीच मुझे अपना भाषण लम्बा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपका ध्यान मद्यपानकी बुराईकी तरफ खींचे बगैर नहीं रह सकता। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, इस बुराईके कारण आपके समाजकी शक्तिका दिन-दिन क्षय हो रहा है। आपको इस बुराईसे मुक्त होनेके लिए जबर्दस्त प्रयास करना चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, १-१०-१९२७

## ४१. पत्र : मीराबहनको

३० सितम्बर, १९२७

चि० मीरा,

डाक आने ही चाली है लेकिन डाक निकलनेका समय भी हो रहा है। आज मुझे तुम्हारा पत्र मिलनेकी पूरी आशा है। यह मत सोचो कि तुम्हें सप्ताहमें एक बारसे अधिक नहीं लिखना चाहिए।

सप्रेम,

तुम्हारा,

बापू

रामदासके लिए<sup>१</sup>

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२८०) से।

सौजन्य : मीराबहन

१. पानी बरसने लगा था।

२. देखिए अगला शीर्षक।

## ४२. पत्र : रामदास गांधीको

[ ३० सितम्बर, १९२७ ]<sup>१</sup>

चि० रामदास,

तबीयत अब ठीक हो गयी होगी। वल्लभभाईकी अनुमति लेकर अमरेली अवश्य जाओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ५२८०-२) से।

सौजन्य : मीराबहन

## ४३. भाषण : महिलाओंकी सभा, मद्रुरैमें

३० सितम्बर, १९२७

महात्माजीने भाषणका आरम्भ करते हुए महिलाओंको उनके अभिनन्दनपत्र तथा थैली, और अनेक लड़कियों तथा महिलाओं द्वारा दी गई सूत और अन्य चीजोंकी भटकें लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने उपस्थित महिलाओंसे कहा कि वे हिन्दी सीखें जो उत्तर भारतकी उनकी बहनोंकी बोलचालकी भाषा है।

महात्माजीने कहा, आप लोग याद रखें कि आपने यह थैली मुझे मेरे निजी इस्तेमालके लिए नहीं दी है, बल्कि अपनी करोड़ों भूखी बहनोंके लिए दी है। आप जिस आराममें रहती हैं, उसे देखते मुझे विश्वास है कि आपके लिए अपनी हजारों बहनोंकी कष्टकर गरीबीकी कल्पना करना कठिन होगा। इन बहनोंको एक वक्त खाना भी मुश्किलसे मिलता है। हमारी ऐसी बहनें हैं, जिनके पास अपना तन ढँकनेके लिए पर्याप्त कपड़ा भी नहीं है। मैंने ऐसी कुछ गरीब बहनोंसे बात की है, जिनके पास तनके कपड़ेको छोड़ दूसरा कपड़ा नहीं है और जिसके कारण वे बिना नहाये ही गुजारा करनेपर मजबूर हैं। यह तो कहनेकी जरूरत ही नहीं कि उनके पास कोई गहना-जेवर नहीं है। वे शायद घी, तेल या दूधका स्वाद भी नहीं जानती हैं। करोड़ों बहनोंके पास सालमें चार महीने कोई काम नहीं होता। मैंने जो-कुछ बताया है, उसपर शायद आपको विश्वास न हुआ हो, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ कि कई विदेशियोंने भी ये चीजें देखी हैं और उनके बारेमें लिखा है। इन्हीं बहनोंके लिए आज मैंने आपसे थैली स्वीकार की है। यह रुपया उनके बीच दान

१. यह पत्र मीराबहनको लिखे रूसी तारीखके पत्रकी पीठपर है।

या भीखके रूपमें नहीं बाँटा जायेगा, बल्कि उनसे जो सूत कातनेको कहा जायेगा, उसके पारिश्रमिकके रूपमें उन्हें दिया जायेगा। उन बहनोंको चरखा और रई दी जायेगी, और उनसे कता हुआ सूत खरीदा जायेगा। इसलिए मैं चरखेको हमारी गरीब बहनोंकी दशा सुधारनेका सबसे बड़ा साधन मानता हूँ। चरखा उन्हें आशाकी किरण दिखायेगा और उनमें आत्मसम्मानकी भावना उत्पन्न करेगा। चरखा भारतके करोड़ों लोगोंको एक सूत्रमें बाँधनेका साधन बनेगा। आप लोग केवल चन्दा देकर ही सन्तुष्ट न हो जायें, क्योंकि अगर आप खद्दर नहीं पहनेंगी तो यह रुपया व्यर्थ होगा। अगर आपको अपनी गरीब बहनोंसे सहानुभूति है तो आप उनके हाथका कता और बुना खद्दर ही पहनें। पहली नजरमें ऐसा लग सकता है कि सभी विदेशी कपड़ोंका त्याग करना कठिन है, लेकिन अगर कोशिश करेंगी तो पायेंगी कि यह बहुत ही आसान चीज है। अगर आप सीताकी तरह बनना चाहती हैं तो मैं आपसे बहु-मूल्य कपड़े और गहने छोड़ कर केवल खादी पहननेको कहूँगा। लेकिन आप अपने गहने दें, इससे पहले मैं एक शर्त लगाना चाहूँगा, और वह यह कि आप अपने माता-पिता या पतियोंसे नये गहनोंकी माँग नहीं करेंगी। महात्माजीने कहा कि तीन या चार साल पहले मुझे एक महिलाने पन्द्रह हजार रुपयेके गहने भेंट किये थे। मैं चाहता हूँ कि न केवल आप गहने न पहनें, बल्कि अपने बच्चोंको भी खतरेमें न डालें। क्योंकि मुझे पता चला है कि अभी कुछ ही दिन पहले मदुरैमें एक घटना हुई, जिसमें एक सम्भ्रान्त व्यक्तिकी लड़कीके गहनोंको कुछ लुटेरोंने लूट लिया। मैं आपसे यह भी थाद रखनेको कहना चाहता हूँ कि नारीका सौन्दर्य गहनोंमें नहीं है, बल्कि हृदय शुद्ध रखनेमें है। आपको यह सच्चाई अपने बच्चोंको भी सिखानी चाहिए और उन्हें उचित शिक्षा देकर अपने चरित्रका निर्माण करना सिखाना चाहिए।

मैं यह भी कहूँगा कि किसी व्यक्तिको केवल इसलिए अस्पृश्य समझना कि वह किसी परिवेश-विशेषमें पैदा हुआ है, पाप है। यदि आप सीताका अनुकरण करना चाहें तो आप देखेंगी कि सीताने निषादराजको भी अस्पृश्य नहीं माना था, बल्कि उन्होंने निषादराजकी सेवाओंको खुशीसे और कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया था। इसलिए मुझे यह कहनेमें कोई हिचक नहीं है कि अस्पृश्यताकी बुरी प्रथा समाप्त होनी ही चाहिए।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात, जिसके विषयमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बाल-विवाहके सम्बन्धमें है। आपको समझना चाहिए कि लड़कियोंको नौ वर्ष, चारह वर्ष, यहाँतक कि तेरह वर्षकी आयुमें भी ब्याह देनेकी प्रथा बर्बरतापूर्ण है। ऐसी चीजको मैं अनैतिक भी समझता हूँ, और आपसे आग्रह करता हूँ कि जबतक लड़की सोलह वर्षकी न हो जाये तबतक उसका विवाह नहीं किया जाना चाहिए, और न उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आने देनी चाहिए जिससे उसके मनमें विवाहका खयाल भी उठे। मगर हिन्दू शास्त्र कहते हैं कि लड़कियोंको वयस्क होनेसे पहले ब्याह देना चाहिए तो

में आपसे कहूँगा कि आप शास्त्रोंकी बातपर भी ध्यान न दें। महात्माजीने अपनी देखरेखमें रहनेवाली कुछ लड़कियोंका उदाहरण देते हुए बताया कि हालाँकि इनमें से कुछकी उम्र सत्रहसे बीस वर्षकी है, लेकिन अभीतक इन लड़कियोंके मनमें विवाहका खयाल भी नहीं आया है। इसके विपरीत कुछ लड़कियाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और इस समय उनमें से कुछ-एक गुजरातमें बाढ़-पीड़ितोंकी सहायताका काम कर रही हैं। मैंने भी यह निश्चय कर लिया है कि जबतक ये लड़कियाँ मुझसे नहीं कहती कि वे शादी करना चाहती हैं तबतक मैं उनके विवाहके बारेमें नहीं सोचूँगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप खादीको अपना लें तो ये सब बुराइयाँ खत्म हो जायेंगी। क्योंकि खादीकी भावना आपको शुद्ध और उदात्त बनायेगी। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप जो थोड़ा-सा सूत कातेंगी, इससे क्या बनता है। आपको तो यह सोचना चाहिए कि थोड़े-से सूतसे भी देशके धनमें वृद्धि होगी। इस बातको ध्यानमें रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप सब दरिद्रनारायणके लिए खादीको अपनायें और सूत कातें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ३-१०-१९२७

## ४४. भाषण : तिरुमंगलम्में

३० सितम्बर, १९२७

मित्रो,

मुझे अभिनन्दनपत्र और थैली भेंट करनेके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अपने अभिनन्दनपत्रमें आपने बताया है कि यह स्थान कपासके केन्द्रोंमें से एक है। आप कहते हैं कि यहाँ बहुत-से गरीब कातनेवाले हैं और अगर पर्याप्त प्रोत्साहन मिल जाये तो करीब १००० चरखे चलाना सम्भव है। निस्सन्देह कताई आन्दोलन ऐसी प्रत्येक स्त्रीको काम देनेकी दृष्टिसे चलाया गया है जिसके पास खाली समय है और जो काम करके चंद पैसे कमाना चाहती है। आपने मुझसे कहा कि इस सारे सूतके लिए जो एक दर्जन व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जा सकता है, बाजार ढूँढ़ना आपके लिए सम्भव नहीं है। इससे यह जाहिर होता है कि आपके यहाँ या आपके ताल्लुकेमें पर्याप्त कार्य-कर्ता नहीं हैं। आपने मुझसे कहा है कि मैं इस स्थानको दूसरा तिरुपुर बनानेके लिए प्रयत्न करूँ। लेकिन मैं आपको यह बता दूँ कि तिरुपुर जो-कुछ बना है वह अपने परिश्रमसे बना है। तिरुपुर जिस रूपमें आज है वह रूप उसे मैंने या अखिल भारतीय चरखा संघके किसी सदस्यने नहीं दिया है। बेशक यह सच है कि अ० भा० च० संघ यहाँके आरम्भिक कार्यकर्ताओंके कामके फलका लाभ उठानेके लिए आ पहुँचा है। यह एक जरूरी कार्य है जिसे यूनियन बोर्ड कर सकता है, और उसे करना भी चाहिए

और यदि आपके पास कार्यकर्ता हैं तो कोई बजह नहीं कि यहाँ काते गये सारे सूतको बाजारमें न बेचा जा सके। और यदि आप और आगे बढ़कर खादी कार्य करे तो मुझे यकीन है कि स्थानीय बाजार आपको पर्याप्त प्रतीत नहीं हो सकता। इन स्थानोंपर उत्पादित कपड़ेकी कीमतें बुने गये कपड़ेकी किस्मके मुताबिक अ० भा० च० सघ द्वारा निर्धारित की जायेंगी। मैं देशके इन सब भागोंमें जो यात्रा कर रहा हूँ वह केवल थैलियाँ इकट्ठी करनेके लिए नहीं बल्कि खादीके प्रचार-कार्यके लिए कर रहा हूँ।

मैं चाहूँगा कि जो वन्हें यहाँ बैठी है वे मेरे भाषणके इस अंशको सुनें। इस गरीब देशमें लाखों ऐसे पुरुष और स्त्रियाँ हैं जो वर्षमें चार महीने खाली बैठे रहते हैं। रेलवे लाइनके नजदीक होनेके कारण आप उन गरीब लोगोंके मुकाबले आवे गरीब भी नहीं है जिनके लिए मैं यह यात्रा कर रहा हूँ और जिनकी ओरसे आज रात मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। वे इतने गरीब हैं कि सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्टोंमें भी यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजनके अभावमें भूखी मर रहे हैं। आशा है आप ऐसा सोचनेकी गलती नहीं करेंगे कि यदि रेलवे लाइनको भारतके हरेक गाँवके निकट पहुँचा दिया जाये तो यह दुखद समस्या हल हो जायेगी। यदि आप रेलोके इतिहासका अध्ययन करे तो आपको यह मालूम होगा कि हमारी यह रेल प्रणाली केवल गाँवोंका शोषण कर रही है और उन्हें विलकुल चूसे डाल रही है। संसारमें रेलोका होना जरूरी है और वे लोगोंके लिए लाभकारी भी हो सकती है, लेकिन यह देश मुख्य रूपसे एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए ग्रामीणोंके लिए रेलें भारस्वरूप हैं। यदि आप खादी पहनें—ऐसी खादी जिसे गरीब ग्रामवासियोंने तैयार किया हो—तो हमारे द्वारा उनका जो शोषण हो रहा है उसका यह प्रतिदान होगा। मैं यहाँ एकत्रित सभी पुरुषों और स्त्रियोंसे कहता हूँ कि वे विदेशी वस्त्र त्याग दें तथा हाथकती और हाथबुनी खादीके अतिरिक्त और कुछ न पहनें। मैं इस थैलीको केवल एक शर्तपर स्वीकार करता हूँ और वह यह है कि आप सब लोग भविष्यमें केवल खादीका ही इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ बैठी हुई स्त्रियोंसे चाहूँगा कि वे इस बातको समझें कि कताई आन्दोलन अनिवार्य रूपसे स्त्रियोंका आन्दोलन ही है। मेरे लिए तो चरखा भारतीय नारीकी मुक्तिका प्रतीक है और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस प्रयत्नमें मुझे केवल अपना रुपया या जेवर देकर ही नहीं बल्कि खादी पहन कर भी सहयोग दें। यदि अपने घरेलू काममें आप कताईकी जरूरत न समझती हो तो आप इसे यज्ञ समझकर कर सकती हैं। यदि आप ऐसा करेंगी तो इससे देशकी सम्पदामें वृद्धि होगी और खादीकी कीमत भी कम हो जायेगी।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, ३-१०-१९२७



## ४५. ए० वेदराम अय्यरके साथ बातचीत'

[ ३० सितम्बर, १९२७ के लगभग ]\*

मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ।' लेकिन संघकी स्थापना किसी दूसरे उद्देश्यसे की गई है। यह मैं आपको विस्तारसे बताऊँगा। हम लाखों भूखे लोगोंपर, उन सबको कतैया बनानेके लिए, हजारों रुपये खर्च कर सकते हैं; लेकिन स्वैच्छिक कताईको बढ़ावा देनेके हेतु उपयुक्त एजेंसियोंपर हम एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। जो लोग संघमें स्वैच्छिक कातनेवालोंकी हैसियतसे प्रवेश करते हैं वे त्यागकी भावनासे कातते हैं, और वह त्याग तो कोई त्याग ही नहीं है जिसे बाह्य प्रेरणाकी जरूरत हो। मैं जानता हूँ काममें ढिलाई करनेवाले लोग हैं, मुझे मालूम है कि अदायगी न करनेवालोंकी हमारी सूची लम्बी है लेकिन मैं ऐसे लोगोंको सचेत करनेके लिए कोई एजेंसी नियुक्त नहीं करूँगा। जो लोग अपने चारों ओर घोर उदासीनताके बीच भी अपना त्याग बराबर जारी रखेंगे और अपनी मातृभूमिको अपना अंश देते रहेंगे वे राष्ट्रीय आन्दोलनके कर्णधार माने जायेंगे और वे तो अपने इस व्रतका पालन मेरे या इस आन्दोलनके वाद भी करते रहेंगे। लेकिन मैं किसी स्वैच्छिक एजेंसीका बहिष्कार नहीं करता। उदाहरणार्थ, आप अपने मित्रोंको जितना चाहें उतना प्रोत्साहित कर सकते हैं, वास्तवमें चरखा संघके प्रत्येक सदस्यका यह कर्तव्य है कि वह सदस्योंकी संख्यामें वृद्धि करे और यह देखे कि प्रत्येक सदस्य अपना अंश नियमपूर्वक देता रहे। आप जैसे वकीलोंके लिए तो अर्थात् जो इसके औचित्यको मानते हैं, यह सबसे सरल बात है। आप अपने मुंशीको यह काम सौंप सकते हैं। आप उससे कहें कि वह समय-समयपर हरेक सदस्यके घर जाये, उनसे सूतका अंश प्राप्त करे और यदि पिछला कुछ बकाया हो तो उसकी याद दिलाये। दक्षिण आफ्रिकामें मैंने कांग्रेसका अधिकांश कार्य अपने मुंशियोंसे ही करवाया था। यह इसलिए नहीं कि मैं सनकी था। हरेक वकीलको, यदि वह सार्वजनिक कार्यमें रुचि लेता है तो, अपना योगदान करना होता है। उदाहरणके लिए, युद्धके दौरान वहाँ हरेक वकीलने मोर्चेपर जानेके लिए अपना पेशा छोड़ दिया था, और मुझे विलम्ब करता हुआ देखकर मजिस्ट्रेटकी आँखोंमें गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैं आपको यह बता दूँ कि महज शर्मकी वजहसे भेरे लिए वकालत जारी रखना मुश्किल हो गया। मुझे यह महसूस हुआ कि अगर मुझे वकीलका रतवा कायम रखना है तो मुझे भी जाना चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १३-१०-१९२७

१, २. महादेव देसाईके "साप्ताहिक पत्र" से।

३. ए० वेदराम अय्यरने यह शिक्षायत की थी कि सूतकी अदायगीकी ठीक देखरेखके लिए कोई एजेंसी न होनेके कारण ही चरखा संघके सदस्योंने अपना सूतका अंश नियमपूर्वक नहीं दिया है।

## ४६. तार : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

मदुरै

१ अक्टूबर, १९२७

सी० एफ० एन्ड्र्यूज

माद्रक

यह सर्वोत्तम उपलब्ध कताई निबन्ध<sup>१</sup> है। लेकिन तुम जबतक उसे पूरा पढ़ न लो तबतक मत भोजना।<sup>२</sup> तार दो कि हाथ पूरी तरह ठीक हुआ या नहीं।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १२८३३) की फोटो-नकलसे।

## ४७. पत्र : मीराबहनको

१ अक्टूबर [१९२७]<sup>१</sup>

चि० मीरा,

कल मुझे तुम्हारे पत्रकी आशा थी, लेकिन आया नहीं। उदास मत होना और न ही उद्वेगको दूर करनेकी कोशिशमें और ज्यादा उद्विग्न। हर समय यह मत सोचो कि मुझे क्या पसन्द है और क्या नहीं, बल्कि जो तुम ठीक समझो वही करो—चाहे वह जैसा मैं पसंद करता हूँ वैसा न भी निकले। मैं चाहता हूँ कि तुम शरीरसे, मनसे और आत्मासे स्वस्थ बनो।

अपना कार्यक्रम इतना व्यस्त मत बनाओ जिससे तुम्हें साँस लेनेका भी अवकाश न मिल सके।

तुम्हारा वजन जानना चाहूँगा।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२९९) से।

सौजन्य : मीराबहन

१. एस० वी० पुणताम्बेकर और एन० एस० वरदान्तारी द्वारा लिखित हैंड स्पिनिंग पेंड हैंड धीर्विंग—एन ऐसे; देखिय खण्ड ३०, पृष्ठ ३९८ तथा खण्ड ३२, पृष्ठ ५१४।

२. सम्भवतः वाइसरायको, देखिय “पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको”, १-१०-१९२७ तथा ११-११-१९२७।

३. वर्षका निर्धारण मीराबहनके उद्वेगके उल्लेखसे किया गया है। देखिय “पत्र : मीराबहनको”, २-१०-१९२७।

## ४८. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

यात्रामें

मदुरे

१ अक्टूबर, १९२७

प्रिय चार्ली,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी इस मामूली चोटने मुझे इस सिद्धान्तका कि "दूसरोंके प्रति वैसा ही व्यवहार करो जिसकी तुम दूसरोसे अपने प्रति अपेक्षा करते हो" नया अर्थ प्रदान किया है। मैंने तुम्हारी चोटके सम्बन्धमें वही किया था जैसा कि मैं तुमसे अपने लिए चाहता। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस सिद्धान्तको तुम्हारे ऊपर लागू करनेमें मैंने निहायत गलती की। मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ वही नहीं करना चाहिए था जिसकी कि मैं तुमसे अपने लिए अपेक्षा करता, बल्कि मुझे वह करना चाहिए था जिसकी कि तुम्हें जरूरत थी। निर्णायक वस्तु तुम्हारी इच्छा नहीं बल्कि तुम्हारी आवश्यकता होनी चाहिए थी। अगर मुझे इसका ध्यान होता, जो कि मुझे रखना चाहिए था, कि तुम्हारी त्वचा काफी नाजुक है, उसमें रोग बहुत जल्दी फैलता है और चोट लगनेपर मुश्किलसे ठीक होनेमें आती है, तो मैं घावको अच्छी तरहसे साफ कर देता और ताजा खून निकालकर पट्टी बाँध देता। लेकिन हुआ यह कि मैंने अपने तथा उन दूसरे लोगोंके अनुभवका अनुसरण किया जिनकी त्वचा मामूली इलाजसे ही दुरुस्त हो जाती है और इस प्रकार मैंने बड़ी भारी गलती की। खुदाका शुक है कि तुम थोड़ी-बहुत तकलीफ उठाकर ही ठीक हो जाओगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अगर कहीं गम्भीर रूपसे खूनमें जहर फैल जाता, जैसा कि फैल सकता था, तब मैं अपने वारेमें क्या सोचता और क्या करता।

आशा है, आज मैंने जो तार<sup>१</sup> तुम्हें भेजा है उसके उत्तरसे मेरी सारी चिन्ता दूर हो जायेगी। इस तारमें मैंने कताई निबन्धके सम्बन्धमें अपनी राय भी दी है। इससे भी अच्छा कोई और निबन्ध उपलब्ध हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं किसी भी हालतमें ऐसा नहीं मानता कि इससे अच्छा निबन्ध लिखा नहीं जा सकता था। इसके लेखकद्वय योग्य व्यक्ति हैं लेकिन विषयके सम्बन्धमें उनकी साधना, जहाँतक मैं समझता हूँ, उच्चतम कोटिकी नहीं है। उनसे जितना भी अच्छा बन पड़ा, उन्होंने किया। लेकिन इस समय देशमें लोगोंकी मनःशक्तिके लिए नाशकारी अमौलिकताका जो अशुभ वातावरण है उसके कारण किसीमें भी ज्यादा सोचने-विचारनेकी क्षमता नहीं रही है। थोड़ा-सा प्रयत्न करने-माननेसे ही हममें आलस्य छा जाता है और तब काम घटिया किस्मका होता है। इसलिए मुझे इसमें सन्देह है कि यह निबन्ध वाइसरायको पूरी

१. देखिय "तार : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको", १-२०-१९२७।

तरह सन्तुष्ट कर सकेगा। और दूसरे यह वास्तवमें भारतीय पाठकोंके लिए लिखा गया है, वाइसराय जैसे बहुत बढ़िया चीजकी माँग करनेवाले पाठकोंके लिए नहीं, जिसका मन प्राप्त और अर्जित पूर्वग्रहों तथा पूर्ववारणाओंके भारसे दबा हुआ है। इसीलिए मैंने तुम्हें यह राय दी है कि तुम सबसे पहले इसे धैर्यपूर्वक पढ़ लेना—ऐसे व्यक्तिकी तरह नहीं जिसने अपनेको भारतीय बना डाला है वल्कि सहानुभूतिशून्य अंग्रेज आलोचककी दृष्टिसे जो किसी भी बातको यो ही नहीं स्वीकार कर लेगा, वल्कि हर बातके लिए प्रमाणकी अपेक्षा करेगा। और अगर तुम्हें इससे पूरा सन्तोष न हो तो इसे उन्हें कतई न भेजना। मैंने सर हेनरी लॉरेन्सके लिए भी कुछ सामग्री तैयार कराई थी। इसमें प्यारेलाल और महादेवके दिमाग का उपयोग हुआ है। लेकिन सहानुभूतिशून्य आलोचक होनेपर जैसा मैं चाहता वैसा यह भी नहीं है। मुझे तो जो-कुछ मिल सका उसीमें सन्तोष करना पड़ा। मुझे यह मालूम है कि यह ऐसा विषय है जिसके लिए किसी धैर्यवान व्यक्तिके अथक परिश्रमकी आवश्यकता है। किन्तु दुर्भाग्यवश, मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मैं यह काम सौंप सकूँ, इसीलिए यह अबतक पड़ा हुआ है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ठोस अनुसन्धानका यह अभाव मुझे कितना परेशान करता है। अपना यह दुःख मैं कभी पूरा नहीं प्रगट करता किन्तु आज तुम्हारे आगे मैंने अपना मन थोड़ा-बहुत खोलकर रखा है क्योंकि तुमने मुझे अपनी लज्जा स्वीकार करनेके लिए बाध्य कर दिया है। मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें सन्तुष्ट करना चाहिए था और सीवा तुम्हारे पास उत्तम कोटिका एक दोषहीन, सुपाठ्य निबन्ध भेजना चाहिए था। अब मैंने निबन्धके विषयमें, जिसके निर्णायकोंमें से एक मैं भी था, तुम्हारी धारणाको उसके खिलाफ काफी मोड़ दे दिया है। इस पूर्व-धारणाके साथ इसे पढ़ना और मुझे बताना कि तुमने क्या सार निकाला।

अभीतक तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। समाचारपत्रोंमें जो तुमने पढ़ा वह सब झूठ था। ऐसी हरेक समाचार एजेंसीको बन्द कर देनेकी आवश्यकता है।

वेशक शिमलामें तुमने जो उजाला देखा था वह ठीक था। उड़ीसामें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सख्त काम लेनेवाले बनो। यदि तुम राहत-कार्योंमें हिस्सा लो तो देखना कि हिसाब-किताब ठीक-ठीक रखा जाये। मैंने अभी तक प्रकाशित रूपमें कुछ नहीं देखा है। प्रत्येक कार्यकर्त्तसि आग्रह करना कि वह एक रोजनामचा रखे जिसमें उसके दैनिक कार्य-कलापका सही-सही विवरण हो। लेकिन मैं तुमसे वहाँ केवल तात्कालिक राहत-कार्य ही नहीं करवाना चाहता; मैं चाहता हूँ कि तुम इस वार्षिक संकटसे उबरनेका रास्ता भी ढूँढ़ो।

कांग्रेसकी राजनीतिके प्रति तुम जरा कठोर हो। राष्ट्रीय विकासमें उसका भी एक स्थान मानना पड़ेगा। यदि विधानसभा और कौंसिलोका महत्त्व है तो उसमें भी अधिक कांग्रेसका है। यद्यपि कांग्रेसके वर्तमान कार्यक्रम या उसकी कार्य-प्रणालीके प्रति मेरी जरा-सी भी सहानुभूति नहीं है फिर भी मैं कह सकता हूँ कि वह एक महान संस्था है—४० सालका अटूट रिकार्ड रखनेवाली एकमात्र अखिल भारतीय संस्था। मैं इसकी चर्चाओंमें बहुत कम भाग लूँगा, लेकिन मैं उनमें तबतक शामिल

होता ही रहूँगा जबतक मैं ऐसा नहीं मानता कि वह जो-कुछ कर रही है उस सबको देखते एक दुरी संस्था है। मेरा कार्यक्रम संलग्न है।

सप्रेम,

मोहन

अंग्रेजी (जी० एन० २६२१) की फोटो-नकलसे।

### ४९. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

१ अक्टूबर, १९२७

भाई घनश्यामदासजी,

आपका खत मिला है।

जमनालालजीके खतसे पता चलता है कि आप यूरोपसे स्वास्थ्य विगाड़के आये हैं। अब कही आराम पाकर स्वास्थ्य दुरस्त करना आवश्यक समझता हूँ। भोजनकी पसन्दगी करनेमें मैं कुछ सहाय अवश्य दे सकता हूँ। परन्तु उसके लिए तो कुछ दिनोंतक मेरे साथ रहना चाहिए।

आपने अपनी राय विषय विषयमें भेजी है वह ठीक किया।

असहयोगके कारण दो दल हो गये हैं ऐसा कुछ नहीं है। दो दल तो थे ही। जो-कुछ हुआ है वह प्रकारान्तर ही है। मेरा विश्वास कायम है कि असहयोगके सिवा हमारी शक्ति बढ़ ही नहीं सकती। लोग उसका चमत्कार समझ गये हैं, परन्तु उसको कुछ करनेकी शक्ति अबतक नहीं आई है। हिन्दू मुस्लिम झगड़ा उसमें और वाघा डाल रहा है। कौंसिलोंकी सहायकी चेष्टा मैं नहीं कर सकता हूँ। परन्तु मेम्बर चाहें तो खादी और मद्यपानके विषयमें मदद दे सकते हैं। परन्तु मेम्बर लोग स्वार्थ, अज्ञान और आलस्यके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। खादीका काम मन्द और तेज चल रहा है। मन्द इस कारण कि हम परिणाम नहीं दे पाते। तेज इस कारण कि जितना हो रहा है वह स्वच्छ है और स्वच्छ होनेसे उसका शुभ परिणाम अवश्य होनेवाला है।

घनकी मूख तो मुझे हमेशा रहती है। खादी, अछूत और शिक्षाका कार्य करनेमें ही मुझे कमसे कम दो लाख रुपये आवश्यक रहते हैं। दुग्धालयका जो प्रयोग चल रहा है उसको आज रु० ५०,००० दरकार है। आश्रमका खर्च तो है ही। कोई काम रुक नहीं जाता, परन्तु ईश्वर रोवा-रोवा कर धन देता है। मुझे उससे सन्तोष है। जिस काममें आपका विश्वास है और जितना उसके लिए दे सकें दें।

मेरा भ्रमण इस वर्षके अन्ततक तो चलता ही रहेगा। जनवरी मासमें आश्रम पहुँचनेकी आशा करता हूँ।

हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नके बारेमें पू० मालवीयजीको एक पत्र लिखा है। इस बारेमें कुछ-न-कुछ कार्य योग्य रास्तेसे बनाना चाहिए। आज जो चल रहा है उसमें मैं घम नहीं देखता हूँ।<sup>१</sup>

आपका,  
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१४९ से।  
सौजन्य : धनश्यामदास बिड़ला

### ५०. पत्र : मीराबहनको

२ अक्टूबर [१९२७]<sup>१</sup>

चि० मीरा,

तुम्हारा पोस्टकार्ड और रेलगाड़ीमें लिखा हुआ पत्र मिला। तुम्हारे पत्रके लिए जितना उल्लुभ इस बार रहा हूँ, उतना कभी नहीं रहा था, क्योंकि उस गम्भीर ऑपरेशनके बाद मैंने तुम्हें बहुत ही जल्दी भेज दिया था। मगर तुम्हें भेज देना उस ऑपरेशनका ही एक भाग था। बेचारा अण्णा! वह भी मुझसे कहता है कि तुम उदास थी। वह चाहता है कि मैं तुम्हें तसल्ली दूँ। जमनालालजी कहते हैं कि मुझे तुम्हें अपने साथ रखना चाहिए था। खैर, तुम्हें उन सबके डर झूठे साबित कर देने हैं और विलकुल स्वस्थ और प्रसन्न रहना है। तुम कल रातको मुझे सपनेमें दिखती रही और जिन मित्रोंके पास तुम भेजी गई हो, उन्होंने मुझे खबर दी कि तुम्हें बेहोशीका दौरा पड़ गया था, मगर खतरेकी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा, "आपको चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं। जो-कुछ इन्सान कर सकता है, वह सब हम कर रहे हैं।" और इस सपनेसे जब मैं जागा तो मेरा मन अशान्त था और मैंने प्रार्थनाकी कि भगवान तुम्हें हर तरहकी हानिसे बचाये। इस परिस्थितिमें तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

तुम्हारा कोई अपमान नहीं हुआ। तुमपर कोई पहरा नहीं है। छगनलाल और कृष्णदास तुम्हारी सेवा करने और तुम्हें आराम देनेके लिए तैनात किये गये हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी धवराहट दूर हो जायेगी। हिन्दीका भूत अब तुम्हें नहीं सतायेगा। यद्यपि अवतक तुमने बहुत-कुछ हिन्दी सीख ली है, परन्तु तुम हिन्दीका एक शब्द भी न बोलो तो मुझे परवाह नहीं। इस प्रकार इस मामलेमें भी निराशाका

१. जब यह पत्र लिखा गया उससे पहलेके छः महीनोंके मोतर २५ हिन्दू-मुस्लिम दंगोंकी वारदातोंका पता चला था जिनमें १०३ व्यक्ति मारे गये थे और १,०८४ व्यक्ति घायल हुए थे।

२. ऑपरेशनके बाद मीराबहनके भेज दिये जानेके उल्लेखके आधारपर वर्षका निर्णय किया गया है; देखिए "पत्र : मीराबहनको", २८-९-१९२७।

कोई कारण नहीं। तुम्हारी शारीरिक शक्तिमें बेगक, मेरा विश्वास हिल गया है, परन्तु प्रेम विचलित नहीं हुआ। चूँकि तुम सच्चा प्रयत्न करनेवाली हो, इसलिए शारीरिक शक्ति आ ही जायेगी।

सुरेन्द्रजीका सुझाव है कि तुम्हें अलग काम करना चाहिए। जरूरत हो तो बैसा करना। किसी भी बातको लेकर शरीर अथवा मनपर ज्यादा जोर मत डालना। सप्रेम,

बापू

साथका कागज छगनलाल जोशीके लिए है।'

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२८१) से।

सीजन्य : मीरावहन

## ५१. भाषण : विरुधुनगरकी सार्वजनिक सभामें

२ अक्टूबर, १९२७

नगरपालिकाके अध्यक्ष तथा मित्रो,

आपने ये जो अनेक अभिनन्दनपत्र और थैलियाँ भेंट की है, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने सभी अभिनन्दनपत्रोंको पढ़नेका अपना अधिकार छोड़ दिया, इसकी मैं कद्र करता हूँ। यदि आपने पढ़नेपर आग्रह किया होता तो एक अभिनन्दनपत्रपर शायद आधा घंटा लगता। लेकिन आपने कृपापूर्वक मुझे इनके जो अनुवाद दिये हैं, मैंने उनको पढ़नेकी कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ हिन्दू-मुसलमानोंके सद्भावपूर्ण सम्बन्धोंके लिए बधाई देता हूँ। आपके यहाँ एक सुप्रबन्धित पुस्तकालयका होना, एक धर्मशालाकी स्थापना, रेलवे यात्रियोंकी शिकायतें दूर करानेके लिए एक संघका होना, यह सब इस महत्त्वपूर्ण केन्द्रमें चालू सद्प्रवृत्तियोंके परिचायक है। मुझे मालूम हुआ है कि यह स्थान नाडर मित्रोंका सबसे महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि वे दिनोदिन आगे आ रहे हैं और देशमें चल रही सभी महत्त्वपूर्ण हलचलोंमें अपना उचित स्थान बना रहे हैं। आपने मुझे बताया है कि आपकी नगरपालिका अभी हाल ही में स्थापित हुई है। मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक रूपसे एक नुकसानदेह स्थिति ही है, क्योंकि नई नगरपालिका होनेसे आपको सुस्त चाल या उपेक्षाभाव विरासतमें नहीं मिले हैं। आप अपने लिए नये और मौलिक पथका निर्माण कर सकते हैं और यदि आप चाहे तो सफाईके मामलेमें सबसे आगे बढ़ कर रास्ता दिखा सकते हैं। बम्बईकी तरफ हमारे यहाँ नगरपालिकाके लिए गुजरातीमें एक बहुत ही अर्थपूर्ण शब्द है।

यह नाम मूलतः नगरपालिकाके कार्योंकी हँसी उड़ानेके लिए दिया गया था। यह वास्तवमें एक ऐसा नाम है जो नगरपालिकाके कर्मचारियोंपर सटीक बैठता है। गुजरातीमें हम नगरपालिकाओंको जिस नामसे जानते हैं उसका यदि अंग्रेजीमें शब्दानुवाद करे तो वह होगा "कस्टोडियन्स ऑफ कंजर्वेन्सी"। मेरी रायमें सारी नगरपालिका-सेवाका आदि, मध्य और अन्त सब-कुछ उसके अधीन आनेवाले सभी लोगोंकी सफाईका संरक्षण-परिरक्षण करना ही है। और यदि मुझे एक निरंकुश राजाकी शक्ति प्राप्त होती और उस शक्तिका इस्तेमाल करनेकी कमी इच्छा होती तो मैं उस नगरपालिकाको तुरन्त भग कर देता जिसे सफाईके मामलेमें परीक्षामें शत-प्रतिशत नम्बर नहीं मिलते। यदि आप अपने यहाँकी टट्टियाँ बिलकुल साफ रख सकते हो, यदि आप स्वास्थ्यप्रद और शुद्ध जल और शुद्ध-साफ खुली हवा सुलभ करानेकी व्यवस्था कर सकते हो, और बच्चोंके लिए शुद्ध दूधका इन्तजाम कर सकते हों तो समझिए कि आप अपने अधीन रहनेवाले लोगोंके स्वास्थ्यकी रक्षा करनेकी स्थितिमें हैं। मैं जानता हूँ कि प्राइमरी शिक्षाको प्रथम स्थान देना आजकल नगरपालिकाओंके लिए फैशनकी चीज बन गया है। मेरी रायमें यह घोड़ेके आगे गाड़ी रखनेके समान है। निःसन्देह अपने यहाँके बच्चोंको प्राथमिक शिक्षा देना नगरपालिकाओंका एक महत्त्वपूर्ण काम होना चाहिए। लेकिन मुझे रचमात्र भी सन्देह नहीं है कि सफाईको उसके कार्यक्रममें अब्बल स्थान मिलना चाहिए। लैटिनमें एक बहुत ही सुन्दर कहावत है कि स्वस्थ शरीरमें ही स्वस्थ मस्तिष्कका निवास हो सकता है। मैं अस्वस्थ बच्चोंको स्वस्थ शिक्षा दे सकना एक असम्भव बात मानता हूँ। सच तो यह है कि सफाई रखना अपने-आपमें स्त्री-पुरुष और बच्चोंके लिए एक प्रथम कोटिकी प्राथमिक शिक्षा है। मैंने नगरपालिकाओंके सच्चे कार्यके बारेमें इतना-कुछ इस आधामें कहा है कि आप लोग, जिनके यहाँ एक नई नगरपालिकाकी स्थापना हुई है, इस दिशामें अपना काम सन्तोषजनक ढंगसे कर सके। और मैं आपको निजी अनुभवके आधारपर यह आश्वासन देता हूँ कि सफाईके इन सब कार्योंमें पैसेकी जरूरत उतनी नहीं है जितनी कि सावधानी, मेहनत और ज्ञानकी है।

सफाईके प्रश्नसे बिलकुल जुड़ा हुआ प्रश्न रेलवे यात्रियोंकी शिकायतोंका है। कोई समय था जब रेलवे-यात्रियोंकी शिकायतोंको प्रकट करने और उन्हें दूर करवानेके मामलेमें मैंने लगभग विशेषज्ञता प्राप्त कर ली थी। और दुनियाके अनेक हिस्सोंमें यात्रा करनेके बाद और यह जाननेके बाद कि तीसरे दर्जेका सफर क्या होता है, और लगभग सभी रेलवे-लाइनोपर नियमित रूपसे तीसरे दर्जेमें ही सफर करनेवाले मुसाफिरकी हैसियतसे मुझे रेलवे यात्रियोंकी परिस्थितियोंका अध्ययन करनेका अन्यतम अवसर प्राप्त हुआ है। और यद्यपि तब मैं मानता था और आज भी मानता हूँ कि तीसरे दर्जेके यात्रियोंकी सुविधाओंके मामलेमें रेलवेके प्रबन्धक घोर स्वरूपसे दोषी हैं, लेकिन साथ ही मैं इस नतीजेपर भी आया—और इसपर मैं अब भी कायम हूँ—कि उतनी ही महत्त्वपूर्ण चीजोंके लिए खुद रेलवेयात्री भी जिम्मेदार थे। मैं इस बातको अच्छी तरह जानता हूँ कि रेलवेको सबसे ज्यादा आमदनी तीसरे दर्जेके



यात्रियोंसे होती है और प्रथम दर्जेके यात्रियोंमें रेलवेको घाटा उठाना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि रेलवे बोर्ड तीसरे दर्जेके यात्रियोंके लिए पर्याप्त जगह मुहैया नहीं करता, न ही वह तीसरे दर्जेके यात्रियोंके लिए रेलवे स्टेशनों या डिब्बोंमें मामूली सफाईका इन्तजाम ही करता है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं इन सब चीजोंका तथा अन्य भी कई चीजोंका जिक्र कर सकता था। निस्सन्देह ये बातें ऐसी हैं कि एक सुवारकके लिए इस मामलेकी ओर ध्यान देना लाजिमी हो जाता है। लेकिन आइए कुछ देरके लिए हम आलोचनाकी निगाह अपनी ओर डालें। रेलवे स्टेशनों और डिब्बोंमें सफाईके प्रति हमारी उपेक्षा रेलवे बोर्डकी उपेक्षासे किसी तरह कम नहीं है। और मैं जानता हूँ कि जब मैं तीसरे दर्जेके रेलवे-यात्रियोंके सम्बन्धमें सहायता-दस्ते संगठित कर रहा था उस समय तीसरे दर्जेके यात्रियोंको सफाईकी वुनियादी जरूरतोंकी शिक्षा देनेके लिए स्वयंसेवकोंको भरती करनेमें मुझे कितनी कठिनाई हुई थी। रेल-मार्गपर मुसाफिरोंकी यातायातकी स्थितिमें सुधार चाहनेवाले हर व्यक्तिको नगर-पालिकाके कार्योंको और बढ़ाना पड़ेगा। दान घरसे शुरू होता है, इस उदाहरणके अनुसार सुवारकको सबसे पहले यात्रियों ही अपना काम शुरू करना चाहिए और धीरज और नरमीके साथ उनके अन्दर निजी सफाईकी आदतों तथा अपने सहयात्रियोंका खयाल रखनेकी आदतें डालनी चाहिए। मैं इस उपयोगी संघको यह सुझाव देता हूँ कि यह एक विशेष कार्य है, जिसके लिए हर सुवारक गर्व कर सकता है। . . .<sup>1</sup>

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ४-१०-१९२७

## ५२. पत्र : मीराबहनको

३ अक्टूबर, १९२७

चि० मीरा,

आज सुबह मैं यह दूसरा पत्र लिख रहा हूँ। यहाँ डाक सवेरे ११ बजे निकलती है। पहला पत्र<sup>१</sup> देवदासको था जो ववासीरका ऑपरेशन करानेके बाद डा० राजन्के अस्पतालमें पड़ा है। वह अब पहलेसे बेहतर है। कल ऐसी ही खबर मिली थी।

संयुक्त रसोईका प्रयोग जैसा चल रहा है, उससे कुछ चिन्ता होती है। मुरेन्द्रने मुझे बताया है कि वह ठीक तरह नहीं चल रहा है। यदि तुममें इतनी शक्ति और सामर्थ्य हो तो तुम इसमें हाथ बँटाना। और यदि न हो तो रहने देना। अपने ऊपर किसी किस्मका बोझ मत डालना। वही करना जिससे तुम्हारे मनपर कमसे-कम बोझ पड़े।

१. इसके बाद गांधीजी खादिके बारेमें बोले।

२. यह उपलब्ध नहीं है।

तुम अडयार जा सकी, इसकी मुझे खुशी है। तालाब और दूसरी चीजें जिनका तुमने उल्लेख किया है, मैंने नहीं देखी।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२८२) से।

सौजन्य : मीराबहन

### ५३. पत्र : सुरेन्द्रको

मंगलवार [ ३ अक्टूबर, १९२७ ]\*

चि० सुरेन्द्र,

तुम्हारा पत्र मिला। बड़ौदा या कहीं अन्यत्र जानेकी तुम्हें अन्तःप्रेरणा हो और छगनभाई अनुमति दें तो चले जाना। इतनी दूर बैठे हुआ मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता।

अन्तमें तो मुझे दुःखी या सुखी करना आश्रमकी सामर्थ्यके बाहर है। आश्रमकी पूर्णता या अपूर्णताको मैं अपना ही प्रतिबिम्ब मानता हूँ। इसलिए अपने सुख या दुःखका कर्ता मैं ही हूँ और यदि यह 'मैं' न रहे तो न सुख होगा, न दुःख। इस सम्बन्धमें मैं जो भी लिखता हूँ उसे इन वाक्योंके सन्दर्भमें पढ़कर ही उसका अर्थ समझना चाहिए।

आश्रमवासी वस्तुतः वे ही हैं जो अपनेको आश्रमवासी मानें। आश्रम-प्रार्थना इन्हींके लिए अनिवार्य है और दूसरे उन लोगोंके लिए जो उसे अनिवार्य मानें। बालकृष्ण चला गया है, यह मैंने तुम्हारे पत्रसे ही जाना। वह कहाँ गया है?

तुम्हें भी सदी-नुकाम होता है, यह बात मुझे अच्छी नहीं लग सकती।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९४०८) की फोटो-नकलसे।

## ५४. पत्र : सुरेन्द्रको

[ ३ अक्टूबर, १९२७ के पश्चात् ]<sup>१</sup>

चि० सुरेन्द्र,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम निरीक्षण जरूर करते रहो; मुझे जहाँ सन्देह होगा वहाँ मैं छोड़ूँगा नहीं। जब हम मिलेंगे तो मैं भी मामलेकी जाँच तो जरूर करूँगा मगर सही जाँच तो तुम खुद ही कर सकोगे। सहज सन्तोष करके न बैठ रहो, इतना ही काफी है। हमारी शुद्धि हमारे कार्योंमें उतरनी चाहिए। नाक न बहे इसका उपाय करो। इसके लिए नीलाथोथा काममें लाओ या कोई दूसरी चीज, सो महत्त्वपूर्ण नहीं है।

अब और अधिक नहीं लिखूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९४१५) की फोटो-नकलसे।

## ५५. पत्र : मीराबहनको

४ अक्टूबर, १९२७

चि० मीरा,

तुम्हारे जानेके बाद कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हें लिखा न हो। फिर भी मुमकिन है कि कल (सोमवार) वाले पत्रके पहुँचनेके एक दिन बाद भी यह चिट्ठी तुम्हें न मिल पाये। मैं अब और भी दक्षिणकी ओर जा रहा हूँ; इसलिए हमारे बीचका फासला बढ़ता जा रहा है। मगर एक सम्भावना तो है कि यह तुम्हें कलके पत्रके एक दिन बाद मिल जाये। गर्मी इतनी तेज है कि अधिक लिखना मुश्किल है; फिर मुझे अभी होनेवाली समामें जानेके लिए तैयार भी होना है। गर्मीके वावजूद मैं विलकुल ठीक हूँ। तुम भी ठीक हो ?

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२८३) से।

सौजन्य : मीराबहन

१. तिथिका अनुमान सुरेन्द्रकी नाक बहनेके उल्लेखसे लगाया गया है। देखिए पिछला शीर्षक।

## ५६. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

मौनवार, आश्विन सुदी ८ [४ अक्टूबर, १९२७]<sup>१</sup>

बहनो,

तुम्हारी तरफसे इस बार जो उत्तर आया है, उसकी तो मानो मैंने अपने पिछले पत्रमें कल्पना ही कर ली थी। किसीके मनमें किसीके विरुद्ध जो-कुछ भी भरा हो, उसे वह बाहर निकाल फेंके, यह आत्मशुद्धिकी पहली सीढ़ी है। हमारे पड़ोसीके प्रति हमारे मनमें जो मैल हो, शका हो, उसे जबतक हम दूर न कर दें, तबतक उसके प्रति प्रेमका पहला पाठ भी हम अमलमें नहीं ला सकते। आश्रममें कमसे-कम इतना तो करनेकी हमारी शक्ति होनी ही चाहिए।

प्रार्थनाके बारेमें अभी खूब विचार करो। मैं भी इतना तो मानता ही हूँ कि आजकल सात बजेका जो विशेष समय है, उसे तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। अपने वर्गको जानदार बनानेका विशिष्ट धर्म तुमने स्वीकार किया है। अभी तो मैं इतनी ही बात कहता हूँ कि जिसकी शक्ति और इच्छा हो वह बहन दूसरे किसीकी चर्चा किये बिना चार बजेकी प्रार्थनामें जानेकी प्रतिज्ञा करे और फिर चाहे जो कष्ट हो, उसे सहन करके भी जबतक तन्दुस्त हो तबतक उसका पालन करे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६६९) की फोटो-नकलसे।

## ५७. पत्र : विठ्ठलदास जेराजाणीको

आश्विन सुदी ८ [४ अक्टूबर, १९२७]<sup>१</sup>

भाईश्री विठ्ठलदास,

तुम्हारी पत्रिका देखी। पत्रिका प्रकाशित करके तुमने ठीक किया। अब उसे आग्रहपूर्वक निभाना। पत्रिकामें खादीकी स्तुतिको एकसे ज्यादा कालम मत देना। उसे तो खादी-सम्बन्धी समाचारोंसे भरना। विभिन्न प्रान्तोंमें खादी कैसी और कितनी प्रगति कर रही है, इसके समाचार देना। इसके लिए लगकर परिश्रम करनेकी और

१. वर्षका निर्धारण आश्रमकी बहनोंके आपसो झगड़ों तथा प्रातःकालीन प्रार्थना-सभाओंमें उनकी उपस्थितिके उल्लेखसे किया गया है; देखिए “पत्र : आश्रमकी बहनोंको”, २६-९-१९२७।

२. यह तारीख किसी अन्य व्यक्तिकी लिखावटमें साधन-सूत्रमें ही उपर्युक्त है।

खादीसे सम्बन्धित ज्ञानकी जरूरत होगी। यदि तुम इन दो गुणोंको प्रगट कर सके तो पत्रिका अवश्य अमूल्य सिद्ध होगी।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७६३) की फोटो-नकलसे।

## ५८. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, राजापालयममें

४ अक्टूबर, १९२७

इसके बाद महात्माजीने सभामें हिन्दीमें भाषण दिया, जिसका अनुवाद तैलुममें किया गया। अभिनन्दनपत्र और थैलियोंके लिए उन सबको धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि आपने यह पैसा दरिद्रनारायणके लिए दिया है। लेकिन इस पैसेको स्वीकार करते हुए मुझे हर्ष और दुखके मिश्रित अनुभव हो रहे हैं—हर्ष इस बातपर कि आपने खादी कोषके लिए पैसा दिया, और दुख यह देखकर हो रहा है कि पिछले छः या सात सालसे आपमें खादीका प्रचार करनेके लिए अविरत कार्य करनेके बावजूद आपमें से बहुत कम स्त्रियाँ खादी पहने हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई भी कारण दिखाई नहीं दिया जिसकी वजहसे आप, आन्ध्रकी क्षत्रिय स्त्रियाँ परदेमें रहें। यदि आप घरमें ही पड़ी रहेंगी, लोगोंके बीच नहीं आयेंगी तो आप कभी भी यह नहीं जान पायेंगी कि दुनियामें क्या-क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप विदेशी वस्त्रको त्याग दें तथा केवल खादी ही पहनें। मुझे मालूम है कि आप काफी धनवान हैं, लेकिन मैं आपको यह बता दूँ कि ऐसी हजारों गरीब बहनें हैं, जिन्हें दिनमें एक जून खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसी बहनोंको चरखा जीविका प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर धनवान लोग खादी नहीं पहनते तो वे गरीब बहनें कुछ नहीं कमा सकेंगी। आप याद रखिए कि इस देशके प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चेको एक धर्म निभाना है, और वह धर्म है खादी पहनना। आपको सीतादेवीके समान अपने धर्मका पालन करना चाहिए और यदि आप सब सीताके समान आचरण करें तो आपको मैं यह बता दूँ कि रामराज्य अवश्य स्थापित हो जायेगा। यदि आप अपने गरीब भाई-बहनोंके प्रति सहानुभूति और प्रेम प्रकट नहीं कर सकतीं तो आपके जीनेका क्या लाभ? राजापालयमकी खादी काफी अच्छी होती है और सौ चरखे मुफ्त बाँट कर खादी कार्यके प्रचारका प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे उनके द्वारा काता और बुना कपड़ा पहननेको कहूँगा। जो रुपये आपने मुझे दिये हैं, उनका उपयोग खादीके उत्पादनके लिए तथा जरूरतमन्द लोगोंको चरखे देनेके लिए किया जायेगा। अन्तमें महात्माजीने स्त्रियोंसे खादी कोषके लिए पैसा और जेवर देनेके लिए कहा। इसी सिलसिलेमें उन्होंने यह भी कहा कि जेवर नहीं बल्कि निर्मल हृदय नारीको

सौन्दर्य प्रदान करता है। गांधीजीने उनको सलाह दी कि वे अपने घब्रोंपर जेवर न लावें, बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण दें। उन्होंने उनसे अपनी लड़कियोंका विवाह १६ या १७ वर्षकी आयुसे पहले न करनेका भी अनुरोध किया।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ६-१०-१९२७

## ५९. भाषण : राजापालयम्के खादी वस्त्रालयमें

४ अक्टूबर, १९२७

इस शुभ कार्यके लिए धन प्राप्त करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी।<sup>१</sup> लेकिन आपको सदैव मुनाफेका ही ध्यान नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति निजी मुनाफा कमाने और हिस्सेदारोको बड़े-बड़े लाभ देनेके लिए किसी मिल आदिमें पूंजी लगाता है तो वह भी, जैसा कि आपमें से कुछ लोग जानते हैं, कुछ वर्षोंतक कोई मुनाफा नहीं पाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिल-मालिककी अपेक्षा ज्यादा ऊँचा उद्देश्य सामने रखें। अर्थात् आप पूंजीपर कुछ मुनाफा कमानेका आग्रह भले ही रखें, लेकिन आपको भारी मुनाफा कमानेकी इच्छा नहीं करनी चाहिए।<sup>२</sup> यदि रखिए कि दुनियाकी बड़ी-बड़ी व्यापारिक संस्थाएँ मुनाफेके लिए अपनी चीजोंको ऊँची दरोंपर बेचनेपर नहीं, बल्कि अपने व्यवसायके विस्तारपर निर्भर करती हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड संसारका सबसे बड़ा वित्तीय निगम है, और सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। उसकी जैसी साख है वैसी साख शायद ऐसे किसी निगमकी नहीं है, और वास्तवमें इस निगमका इतिहास परियोंकी कहानीकी तरह रोचक है। उस निगमको उसकी वर्तमान स्थिति प्रदान करनेमें कुछ सर्वोत्तम अंग्रेजोंने अपना खून-पसीना एक कर दिया। इस निगमने विलक्षण आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने छोटी लागतपर भारी मुनाफा न कमानेका सिद्धान्त बना लिया है। मुनाफा वह अवश्य कमाता है, लेकिन वह उसकी भारी लागतका फल होता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप भारी मुनाफा कमानेको अपना लक्ष्य नहीं बनायेंगे, बल्कि कर्तव्यके हितोंको सर्वोपरि स्थान देंगे। आप आपसमें झगड़ेंगे नहीं, और यदि आप वास्तविक एकता कायम कर लेंगे और अपनी निजी महत्वाकांक्षाओको मर्यादित रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप बैंक ऑफ इंग्लैंडसे भी ज्यादा व्यापक साख स्थापित करनेकी आकांक्षा मनमें न रखें। आखिरकार बैंक ऑफ इंग्लैंडके ग्राहक घनाढ्य और बड़े-बड़े लोग हैं और उनके नाम तथा लेखे एक काफी बड़े रजिस्टरमें ही रखे जा सकते हैं, लेकिन आपके ग्राहक तो इतने ज्यादा हैं कि उनके नाम लिखने लायक बड़ा रजिस्टर ही ही नहीं

१. यहाँ तीन खादी उत्पादन केन्द्रोंके प्रस्तावित विलयनका जिक्र है।

२. इसके आगेका पाठ यंग इंडिया, १३-१०-१९२७ में प्रकाशित "साप्ताहिक पत्र" से लिया गया है।

सकता। मैंने जो बात कही है, उसके लिए दूरदर्शिताकी आवश्यकता है, और आपको लग सकता है कि मैं किसी स्वप्नद्रष्टा-जैसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मैं स्वप्नद्रष्टा नहीं हूँ। यदि मैं भारतके लोगोंका विश्वास प्राप्त कर सकूँ तो मैं अखिल भारतीय चरखा संघको संसारकी सबसे बड़ी सहकारी संस्था बना देनेकी आशा रखता हूँ। वह समय अभी दूर हो सकता है, लेकिन मैं आशा नहीं छोड़नेवाला हूँ। आपके लिए वस इतना ही — न कम, न ज्यादा — जरूरी है कि आप अपने ग्राहकों और अपने आसपासके लोगोंका विश्वास प्राप्त रखें। और यह आप तभी कर सकते हैं जब आप सोनेका अंडा देनेवाली बतखको ही मार न डालें। आपको कमसे-कम मुनाफा कमानेके वारेमें आसान और समझमें आने लायक नियम बनाने चाहिए और उन्हें अपने संघके लिए अपरिवर्तनीय और बन्धनकारी बना देना चाहिए। मुझे आशा है कि आप मेरी अपेक्षाओंको पूरा करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ६-१०-१९२७

यंग इंडिया, १३-१०-१९२७

## ६०. भाषण : राजापालयम्की सार्वजनिक सभामें

४ अक्टूबर, १९२७

मैं आपको अभिनन्दनपत्रों, धैलियों तथा विभिन्न स्थानोंसे प्राप्त सूतके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खादी केन्द्रमें आ पाया इसकी मुझे बहुत खुशी है। मुझे अनेक कार्यरत कर्तव्योंसे मिलनेका सौभाग्य और सुख प्राप्त हुआ। उनमें बहुत-सी बूढ़ी औरतें थी। उनमें से कुछ तो सत्तर वरसकी बूढ़ियाँ हैं। यदि इनमें से कुछकी उम्र वास्तवमें इससे ज्यादा हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वे तो केवल अपनी उम्रका अनुमान ही कर सकती थी। मैंने उन सबसे पूछा कि उनकी प्रतिमास आमदनी क्या है, और मुझे यह जानकर खुशी और आश्चर्य हुआ कि उनमें से कुछकी आमदनी महीनेमें ४ रुपयेसे ऊपर है। भारतके अन्य भागोंमें कर्तव्य जितना कमाते हैं, यह उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन इस कारण आप यह निष्कर्ष नहीं निकालें कि आप यहाँ अन्य स्थानोंकी अपेक्षा ज्यादा मजदूरी दे रहे हैं। [उनके ज्यादा कमानेका] कारण यह है कि वे ज्यादा उद्यमी और ज्यादा निपुण हैं और कताईपर ज्यादा समय दे सकती हैं। भारतके अन्य स्थानोंके विपरीत, यहाँ ये महिलाएँ अपनी रूई खुद ही धुनती हैं या अपने रिश्तेदारोंसे धुनवा लेती हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चरखेमें क्या-क्या सम्भावनाएँ छिपी हैं। और इसके वावजूद मैं आपको बताऊँ कि ये कर्तव्य वास्तवमें देशके सबसे गरीब लोग नहीं हैं। इनमें से कुछ तो अच्छे परिवारोंकी हैं। मेरी आँखें तो उन लाखों भूखे लोगोंपर टिकी हुई हैं, जिनके पास अभीतक हम नहीं पहुँचे हैं। इन वहाँसे मिलनेके बाद मुझे महिलाओंकी एक अन्य समामें

ले जाया गया, जहाँ मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे पदानशीन हैं। लेकिन ये वहनों कोई कताई नहीं करती है। मुझे मालूम हुआ है कि अपने जीवनमें पहली बार वे किसी समामें इकट्ठी हुई थी। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर्दा-प्रथाको समाप्त कर दें और इन औरतोके लिए यह सम्भव और सुविधाजनक बना दें कि वे समीके लाभके लिए आपसमें समय-समयपर मिल सकें। भारी जेवरों और कपड़ोसे लदी इन महिलाओमें और कताई करनेवाली गरीब वहनोंमें जो अन्तर्विरोध था, उसकी कल्पना भी भयंकर है। इन पदानशीन महिलाओने कुल मिलाकर बहुत सारे जेवर और कीमती साड़ियाँ पहन रखी थीं। मैं इन घनी लोगोसे कहता हूँ कि वास्तविक अच्छाई और पवित्रता भारी गहनों और कीमती साड़ियोमें नहीं है। धनका इस प्रकार प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। किसीके पास धन होनेका मतलब यह है कि उसके पास एक धरोहर पड़ी हुई है, जिसका उपयोग ईश्वरके नामपर और सभी गरीब लोगोके वास्ते किया जाना चाहिए। समृद्ध परिवारमें जन्म लेने और पलनेका लक्षण बहुमूल्य कपड़ो और जेवरोसे लदे होना नहीं है, बल्कि दूसरोंकी मलाई करना और ऐसे काम करना है जो समाजके लिए उपयोगी हैं। मुझे इन महिलाओसे कुछ इसी ढंगसे बात कहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैं जानता हूँ कि बिना अपने मदोंकी सहायताके उनके लिए पहल करना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप स्त्रियोमें सादगीका सन्देश पहुँचायें और हमारे जीवनको सादा बना सके, इसके लिए खादीसे ज्यादा शक्तिशाली चीज मैं दूसरी नहीं जानता। हर ऐसे घनी घरमें, जहाँ खादीने प्रवेश किया है, उस घरके लोगोका जीवन ही एकदम बदल गया है। जाने क्या बात है कि खादीका बहुत आभूषणोकी बहुलतासे कुछ मेल नहीं बैठता। इसीलिए मैंने खादीको घनी और गरीबसे-गरीब लोगोके बीचका सेतु कहा है। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप अपना और अपनी स्त्रियोका जीवन ऐसा बनायेंगे कि उनके जीवनमें और उन कातनेवाली महिलाओके जीवनमें कुछ समानता आ सके जिन्हें मैंने आज देखा है, तथा घनी और निर्धनोके बीच जो भयंकर असमानता आज मौजूद है वह मिट सके। इन दो सभाओसे निपटकर मैंने खादी संघके सदस्योसे मेंट की। ये कोई २० व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर खादीका विकास करनेके लिए अपने धनका कुछ हिस्सा लगानेका निश्चय किया है। और यदि इस संघके सदस्योमें उचित खादी-भावना है तो मुझे सन्देह नहीं कि यह सही दिशामें उठाया गया कदम है। जो भी व्यक्ति खादीके धन्धेमें प्रवेश करे, वह एक न्यासीकी भावना लेकर आये। हमें लाखो कर्तव्योके हितोंको सर्वोपरि स्थान प्रदान करना चाहिए। सामान्य व्यापारमें तो सिद्धान्त यह है कि हम अपनी चिन्ता करते हैं, और हम जिनके साथ व्यापार करते हैं वे अपनी चिन्ता आप करते हैं। खादीके व्यवसायमें स्थिति उलट जाती है। हम सबको — मैं, जो चन्दे इकट्ठा करता हूँ, व्यापारी, जो खादीका व्यापार करते हैं, संगठनकर्ता, जो गाँवोंमें जाते हैं — उन कर्तव्योके कल्याणके लिए अपने आपको न्यासी समझना चाहिए जिनके और केवल जिनके लिए ही हमारा अस्तित्व है। खादीकी सफलताके लिए मैं इसे एक अपरिहार्य शर्त मानता हूँ। और जिस प्रकार एक ट्रस्टीको भी कमी-



शन पानेका हक है उसी प्रकार खादीके विकास-कार्यमें लगे हुए लोग अन्तमें पायेंगे कि निजी तौरपर उन्होंने कुछ खोया नहीं है, बल्कि उलटे कर्तव्योंको, और कर्तव्योंके कारण उन्हें भी लाभ हुआ है। इसी उद्देश्यके लिए आपने मुझे ये सब शैलियाँ दी हैं। इस दृष्टिसे देखनेपर इन शैलियोंको बहुत भारी नहीं माना जा सकता। आप दरिद्रना-रायणको कितना भी दें, कम ही है। हम लोग, जो शहरोमें रहते हैं, उन करोड़ों मेहनतकशोंके बूतेपर ही जीवित रहते हैं, और खादी-कार्यके जरिये हम उन लोगोंको कुछ प्रतिदान दे सकते हैं। इसलिए मैं उन सज्जनोंको वधाई देता हूँ जिन्होंने इन पर्दानशीन महिलाओंके लिए एकसाँ से अधिक चरखे भेंट किये हैं। क्योंकि यह भी उसी दिशामें उठाया गया कदम है। यदि ये वहाँ त्याग-भावसे इन चरखोंपर काम करेंगी तो वह उनके तथा गरीब कर्तव्यों, दोनोंके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। और मैं आशा करता हूँ कि यह स्थान, जिसने अच्छे खादी-कार्यकी सम्भावनाएँ पहले ही दिखा दी हैं, इस दिशामें बराबर प्रगति जारी रखेगा।

मैं कल विरुधुनगरमें कुछ नाडर मित्रोंके साथ जिस विषयपर बात कर रहा था, उसके बारेमें बतानेके लिए आपका कुछ समय लूँ तो शायद अनुचित न होगा। नाडर लोग उद्यमशील व्यापारी हैं। वे समृद्ध हैं, और जितने समृद्ध हैं उतने ही उदार भी हैं। उन्होंने अपने अन्दर कुछ अत्यन्त अच्छी और साफ रचियाँ पैदा की हैं। वे एक अत्यन्त सुप्रबन्धित हाई स्कूल चला रहे हैं, जहाँ सभी लड़कोंको मुफ्त शिक्षा दी जाती है, चाहे वह नाडर हो या किसी अन्य समुदायका। उनके मन्दिर भी उनके स्कूलकी तरह सबके लिए खुले हुए हैं। उन्होंने जनताके उपयोगके लिए उद्यान बनाये हैं। यह सभीके लिए अनुकरणीय है। इसलिए जब मुझे यह पता चला कि ये स्वच्छ जीवन व्यतीत करनेवाले लोग मदुरै और तिल्लेवेल्लीके बीच मन्दिरोंमें प्रवेश नहीं कर सकते तो मुझे कितना दुःख और आश्चर्य हुआ होगा, यह आप समझ सकते हैं। मुझे जब इस दुःखद तथ्यका पता चला तो मुझे अपने हिन्दू धर्मपर लज्जा आई। मदुरैकी तीन बार यात्रा करनेके बावजूद मैं वहाँके महान मन्दिरमें प्रवेश नहीं कर सका। इस दुःखद कथाको सुननेके बाद मुझे लगा कि यह एक वरदान ही है कि मैंने उस मन्दिरमें पैर नहीं रखे हैं। यों भी, जब मैं किसी मन्दिरमें उत्सुकतावश भी जाता हूँ तो मुझे एक गहरी लज्जाका अनुभव होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह मन्दिर तथाकथित अस्पृश्योंके लिए खुला नहीं है। जहाँतक मेरा सवाल है, मैं किसी नायडीमें और अपने आपमें तनिक भी अन्तर नहीं देखता। मैं ऐसे किसी भी अधिकारका उपयोग नहीं करना चाहूँगा जो एक नायडीको प्राप्त नहीं है। और इसलिए जब मैं दक्षिणमें जाता हूँ तो मुझे अपने-आपको नायडी बतानेमें बहुत सुख मिलता है। लेकिन फिर भी मैं आदतकी मजबूरीके कारण यह मानने लगा हूँ कि ये तथाकथित अस्पृश्य और वे लोग जिनको देखनेमें भी छूत मानी जाती है और फिर वे लोग जिनके निकट आ जानेसे भी दूसरी जातियोंके लोग अपनेको अपवित्र हो गया मानते हैं, तथाकथित मन्दिरों

१. देखिए “भाषण : विरुधुनगरकी सार्वजनिक समामे”, २-२०-१९२७।

२. एक जाति, जिसके पास मानेमें भी छूत मानी जाती है।

में प्रवेश नहीं कर सकते, हालाँकि इनका ईश्वरके घरमें प्रवेश निषिद्ध करनेका कोई औचित्य नहीं है। इसके बावजूद मेरे लिए नाइरोके विरुद्ध लगाये गये इस प्रकारके बेतुके प्रतिबन्धको समझ सकना असम्भव था। मैं नहीं जानता कि आप लोग, जो इस समामें मौजूद हैं, इस दिशामें कुछ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन एक तरीका है जिस तरीकेसे आप चाहें तो आपमें से हरएक मदद कर सकता है। क्योंकि यह बेतुका प्रतिबन्ध भी अन्ततः उसी अन्दर-अन्दर खोखली करनेवाली वीमारीका लक्षण है। यह अस्पृश्यता और जात-पाँतके अमिशापका परिणाम है। मैं वर्णाश्रम और जात-पाँतमें बहुत स्पष्ट अन्तर करता हूँ। अस्पृश्यताको मैं एक अक्षम्य पाप और हिन्दू-धर्मका बहुत बड़ा कलंक मानता हूँ। जात-पाँतको मैं हमारी प्रगतिके मार्गमें रोड़ा और एक वर्ग द्वारा अहंकारवश दूसरे वर्गपर जमाया गया श्रेष्ठताका दावा मानता हूँ। अस्पृश्यता इसका सबसे खराब नमूना है। यही समय है कि हम अस्पृश्यता और जात-पाँतके कलंकसे मुक्त हो जायें। हमें वर्णाश्रमको अस्पृश्यता और जात-पाँतके साथ जोड़कर उसका महत्त्व गिराना नहीं चाहिए। वर्णाश्रमकी मेरी जो कल्पना है, उसमें अस्पृश्यता और जात-पाँतके वर्तमान भेद-जैसी कोई चीज नहीं है। वर्णोंका श्रेष्ठता या हीनतासे कुछ लेना-देना नहीं है। वर्ण तो उस एक निश्चित नियमकी स्वीकृति है जो मानवके सच्चे सुखका स्रोत है। और इसका सीधा-सादा मतलब यह है कि हमें अपने पूर्वजोंसे प्राप्त होनेवाले सभी अच्छे गुणोंको भूल्यवान मानकर उनका परिरक्षण करना चाहिए, और इसीलिए जबतक कोई पेशा अनैतिक न हो तबतक हमें अपने बाप-दादोंके धन्धेको करना चाहिए। और कोई ऐसा भी व्यक्ति, जो मानता है कि मनुष्य अपने स्रष्टाकी आराधना करनेके लिए जन्मा है, यह स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता कि यदि वह अपना समय नये धन्धोंकी खोजमें व्यर्थ न गँवाये तभी वह अपने जीवनके उद्देश्यको पूरा करनेमें समर्थ होगा। अतः आप देखेंगे कि वर्णोंकी इस कल्पनामें और जात-पाँतमें कोई समानता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अस्पृश्यता और जात-पाँतके अमिशापसे लड़नेके लिए अपनी कमर कस लें, और आपका जितना भी प्रभाव है उस प्रभावका उपयोग इस ध्येयके लिए कीजिए कि प्रत्येक मन्दिर, बिना जात-पाँतका भेद किये, सभीके लिए खुल जाये। किसीके भी लिए अपने मन्दिरोंके द्वार बन्द करते हुए हम भूल जाते हैं कि हम स्वयं ईश्वरको ही 'अस्पृश्य' बनाये दे रहे हैं।

मैंने इस यात्राके दौरान अन्य समाजोंमें जिन सवालोंने चर्चा की है, उनकी चर्चा करके मैं आपका समय नहीं लूँगा। मैं आपके साथ कुछ व्यापार करना चाहता हूँ। उन सब समाजोंमें बहनों द्वारा दिये गये कुछ आभूषण मेरे पास हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऐसी समाजोंमें ऐसे आभूषणोंको बेचता रहा हूँ, क्योंकि मैं इनमें से किसी चीजका कोई निजी उपयोग नहीं कर सकता। और न मैं उन बड़े-बड़े चौखटोको ही अपने साथ लिये हुए चल सकता हूँ, जिनमें अभिनन्दनपत्र मढ़े हुए हैं। मेरे पास वास्तवमें कोई जगह भी नहीं है जहाँ उन्हें टाँग सकूँ। और दिन-प्रतिदिन एक स्थानसे दूसरे स्थानकी यात्रा करते समय इन चीजोंको साथ लिये चलना तो बहुत असुविधाजनक है। इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा कि आप इनके लिए बोली लमाकर मुझे इन चीजोंके

भारसे मुक्त कर दें। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इस सभामें ऐसे बहुतसे लोग हैं जिन्होंने थैलियोंके लिए कोई चन्दा नहीं दिया है। और इसमें भी मुझे सन्देह नहीं है कि आपमें से कुछने पर्याप्त चन्दा नहीं दिया है। यदि मेरी बात मुननेके बाद आपके मनमें खादीके महत्त्वके सम्बन्धमें; वह देगकी जो बहुमूल्य सेवा करती है उसके सम्बन्धमें, कोई सन्देह न रह गया हो, और यदि आप सन्तुष्ट हों कि आपको कमसे-कम नहीं वल्कि ज्यादासे-ज्यादा चन्दा देना चाहिए, तो आप लोग कृपया अपनी थैलियोंको खोल देंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, ६-१०-१९२७

## ६१. पत्र : सुरेन्द्रको

[ ४ अक्टूबर, १९२७ के लगभग ]

चि० सुरेन्द्र,

तुम्हारा पत्र मिला। शारदा बहनके वारेमें तो मेरी स्मृतिकी भूल हो गयी। मगनलाल लिखते हैं कि उसकी तवीयत तो कवकी ठीक हो गयी है। मैं उसे कल पत्र लिखनेवाला हूँ।

प्रातः उठनेके वारेमें सब लोग मिलकर जो परिवर्तन करना ठीक जान पड़े, जरूर करें। मेरा इस सम्बन्धमें कोई आग्रह नहीं है। सबकी तवीयत ठीक रहे, यह निःसन्देह पहली आवश्यकता है। जिन्हें ४ वजे उठना सहज हो वे भले चार वजे उठें और बाकी सब घंटी बजनेपर ही उठें।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९४१३) की फोटो-नकलसे।

## ६२. पत्र : सुरेन्द्रको

[ ४ अक्टूबर, १९२७ के पश्चात् ]

चि० सुरेन्द्र,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तुम्हें संक्षेपमें लिखा क्योंकि मुझमें अभी पहलके जितनी शक्ति नहीं आयी है और जहाँ थोड़ा-सा ही लिखनेसे काम चल जाता है वहाँ मैं वैसा ही करता हूँ। अपनी सहमति प्रकट करते हुए मेरे मनमें न तो निराशा थी, न क्रोध। तुम्हारे और बालकृष्ण आदि जैसे परिपक्व आश्रमवासियोंने जब प्रार्थनाके समयमें परिवर्तन करनेकी इच्छा प्रकट की तो विरोध न करनेको ही कर्तव्य समझकर

१. 'प्रातः उठने' की बातके उल्लेखने; देखिए "पत्र : आश्रमकी बहनोंके", ४-१०-१९२७।

२. देखिए पिछला शीर्षक।

मैंने इस प्रस्तावके प्रति अपनी सहमति दे दी। इस प्रस्तावपर इसलिए भी मैंने अपनी सहमति दी क्योंकि फिलहाल मैं असमर्थ हूँ और इसका भी कुछ ठीक नहीं कि मैं आश्रम कबतक पहुँचूँगा; ऐसी स्थितिमें ४ बजे उठनेके अपने आग्रहपर डटे रहनेको दुराग्रह ही माना जाता।

मैं खुद भला-चैंग होऊँ और आश्रममें उपस्थित रहूँ तो सम्भवतः कुछ दूसरा ही निर्णय कर सकता हूँ किन्तु अपने स्वास्थ्यको जोखिममें डालकर ४ बजे उठनेके निर्णयपर अटल नहीं रहा जा सकता। प्रार्थना ४ बजे ही होनी चाहिए यह तो कोई अटल सिद्धान्त नहीं है। यह साध्य नहीं बल्कि साधन-मात्र है।

मैं तुम्हारा भाव भली-भाँति समझ गया हूँ और मेरी सहमतिका कारण तुम भी समझ लेना। इससे न तो मैं निराश हुआ हूँ और न उकताया ही हूँ। केवल सार्वजनिक हितकी बातको ध्यानमें रखते हुए ही मैंने ४ बजेका बन्धन हटा लिया है। इस बारेमें मैं मगनलालको विस्तारपूर्वक समझा चुका हूँ। इसके बावजूद यदि कोई शंका हो तो लिखना।

बालकृष्णका पत्र मिला है। उसका पत्र पाकर मुझे प्रसन्नता हुई है। समय मिलनेपर उसे लिखूँगा। छोटेलालसे कहना कि शायद आज मैं उसे न लिख सकूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० १४१७) की फोटो-नकलसे।

## ६३. पत्र : मीराबहनको

बुधवार [५ अक्टूबर, १९२७]<sup>१</sup>

चि० मीरा,

मेरा खयाल है, चूँकि मैं बहुत तेजीसे मद्राससे दूर चला जा रहा हूँ, इसी-लिए तुम्हारा कोई पत्र मुझे नहीं मिल पाया। कल मैं ढेर-सारे पत्र पानेकी आशा करता हूँ। यह पत्र तुम्हें सिर्फ यह वतानेके लिए लिखा है कि तुम्हारी याद बराबर बनी रहती है।

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२९८) से।

सौजन्य : मीराबहन

१. मीराबहनने अपने संग्रहमें इस पत्रको १९२७ के अन्तमें रखा है। अक्टूबर, १९२७ के पहले सप्ताहमें गांधीजी उन्हें दर रोज पत्र लिखते रहे। बुधवार ५ तारीखको कोई पत्र नहीं मिला। प्रस्तुत पत्रका विषय ४ और ६ अक्टूबर, १९२७ के पत्रोंसे सम्बद्ध जान पड़ता है।

## ६४. भाषण : कोइलपट्टीकी सार्वजनिक सभामें

५ अक्टूबर, १९२७

महात्माजीने सभी अभिनन्दनपत्रों और थैलियोंको स्वीकार करते हुए धन्यवाद दिया और कहा कि जो-कुछ भी मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है, उसे सभाके अन्तमें मैं यहीं नीलाम कर दूँगा, जैसा कि मैंने अन्य स्थानोंपर भी किया है, क्योंकि मैं ऐसी वस्तुओंको अपने पास नहीं रखना चाहता; फिर मेरे लिए इन्हें एक स्थानसे दूसरे स्थानतक उठाये फिरना भी मुश्किल है। इस क्षेत्रके लोग आसानीसे इन वस्तुओंको नीलामीमें खरीदकर प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार वे जो रकम देंगे उसका उपयोग गरीबोंको राहत देनेके लिए तथा दरिद्रनारायणकी सेवाके लिए किया जायेगा।

एक अभिनन्दनपत्रमें कहा गया था कि दक्षिण भारतमें ब्राह्मण और अब्राह्मणोंके सम्बन्ध उतने ही अधिक कट्टु हो गये हैं, जितने कि उत्तर भारतमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके हैं। इसके सम्बन्धमें महात्माजीने कहा कि मैं इस समस्याको समझनेकी कोशिश कर रहा हूँ और मैं अब्राह्मण आन्दोलनके नेताओंको इस मामलेपर अपने साथ विचार-विमर्श करनेके लिए जितना समय दे सकता हूँ, उतना देता हूँ। मेरा खयाल है कि अब मैं इस समस्याको समझ गया हूँ और मैं 'यंग इंडिया' में इस प्रश्नके सम्बन्धमें लिखकर इन दोनों सम्प्रदायोंके बीचके मनमुटावको दूर करनेकी तथा उनमें सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करनेकी कोशिश करूँगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि इनमेंसे किसी भी सम्प्रदायके नेतागण मेरी रायपर अमल करेंगे। दोनों सम्प्रदायोंके नेताओंको चाहिए कि वे अपने मतभेदोंपर विचार करनेके लिए मिलें और सच्चे दिलसे परस्पर समझौता करनेका प्रयत्न करें। ब्राह्मणोंके विरुद्ध लगाये गये अब्राह्मणोंके आरोप कभी-कभी उचित भी होते हैं। लेकिन कभी-कभी वे बातको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। मैं उनकी सारी युक्तिसंगत बातोंको स्वीकार कर लूँगा। लेकिन अब्राह्मणोंमें ब्राह्मणोंके प्रति बिना वजहकी घृणा मुझे पसन्द नहीं। मैं अब्राह्मणोंके इस कथनसे सहमत हूँ कि ब्राह्मण अपने कर्तव्यका ठीक तरह पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं अब्राह्मण नेताओंके इस कथनको स्वीकार नहीं कर सकता कि सारी बुराइयाँ ब्राह्मणोंने ही पैदा की हैं। मुझे यह भी भरोसा नहीं है कि मेरी सलाहपर ब्राह्मण अपने प्राचीन अधिकारोंको छोड़नेके लिए तैयार हो जायेंगे। लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि यह लड़ाई उचित नहीं है और देश-हितके विरुद्ध है। इन सबसे ज्यादा, मैं दोनों सम्प्रदायोंके नेताओंसे

आपसमें कोई न्यायोचित और ईमानदाराना समझौता करनेका आग्रह करूँगा। मैं अपने विचार 'यंग इंडिया' में प्रकाशित करूँगा। दूसरे उन्हें स्वीकार करें या अस्वीकार करें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। . . .<sup>1</sup>

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू ८-१०-१९२७

## ६५. रोषभरा विरोध

एक बंगाली स्कूलके प्रधानाध्यापक लिखते हैं:<sup>2</sup>

आपने मद्रासके विद्यार्थियोंको विधवा लड़कियोंसे ही शादी करनेकी सलाह देते हुए जो भाषण<sup>3</sup> किया है, उससे हम भयभीत हो रहे हैं. . .

विधवाओंके जिस आजीवन ब्रह्मचर्यके पालनके कारण भारतकी स्त्रियोंको संसारमें सबसे बड़ा, बलिक ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ है, उसके पालन करनेकी वृत्तिको ऐसी सलाहें नष्ट कर देंगी और. . . आज उन्हें ब्रह्मचर्यके द्वारा एक ही जन्ममें मोक्ष प्राप्त करनेका जो अवसर सुलभ है, उसे समाप्त कर देंगी। इस प्रकार विधवाओंके प्रति ऐसी सहानुभूति दिखाना उनकी कुसेवा होगी और कुमारियोंके प्रति, जिनके विवाहका प्रश्न आज बड़ा पेचीदा और मुश्किल हो गया है, यह एक बड़ा अन्याय होगा। विवाह-सम्बन्धी आपके इन विचारोंसे हिन्दुओंके आत्माके देहान्तरण, पुनर्जन्म और मुक्तिके सिद्धान्तकी इमारत बह जायेगी और हिन्दू-समाज भी पतित होकर उसी स्तरपर आ जायेगा जिस स्तरपर वे दूसरे समाज हैं, जिन्हें हम पसन्द नहीं करते। . . . हिन्दू-समाजको अहल्याबाई, रानी भवानी, बेतुला, सीता, सावित्री, दमयन्तीके उदाहरणोंसे मार्गदर्शन लेना चाहिए और हमें उसको उन्हींके आदर्शोंपर चलाना चाहिए। . . .

इस रोषभरे विरोधसे न मेरे विचार बदले हैं और न मुझे कोई पश्चात्ताप ही हुआ है। कोई भी विधवा, जिसमें इच्छा-शक्ति है और जो ब्रह्मचर्यको समझती है तथा उसका पालन करनेको कटिबद्ध है, मेरी इस सलाहसे अपना इरादा नहीं छोड़ देगी। परन्तु यदि मेरी सलाहपर अमल किया जायेगा तो उससे उन छोटी उम्रकी लड़कियोंको जरूर राहत मिलेगी जो शादीके समय शादी किसे कहते हैं, यह भी नहीं समझती थी। उनके सम्बन्धमें "विधवा" शब्दका प्रयोग इस पवित्र शब्दका दुरुपयोग है। मुझे पत्र लिखनेवाले इन महाशयके मनमें जो खयाल है, उसी खयालसे तो मैं देशके युवकोंको या तो इन तथाकथित विधवाओंसे शादी करनेकी या विलकुल ही

१. इसके बाद गांधीजी खादी तथा अस्पृश्यतापर बोले।

२. इसके कुछ वर्षोंका ही अनुवाद दिया जा रहा है।

३. देखिए खण्ड ३४, पृष्ठ ५२०-२६।

शादी न करनेकी सलाह देता हूँ। इस प्रथाकी पवित्रताकी रक्षा तभी हो सकेगी जब बाल-विधवाओंका अभिग्राह्य उससे दूर कर दिया जाये।

ब्रह्मचर्यके पालनसे विधवाओंको मोक्ष मिलता है, इसका तो अनुभवमे कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मोक्ष प्राप्त करनेके लिए ब्रह्मचर्यके अतिरिक्त और भी बहुत-सी बातोंकी आवश्यकता होती है। और जो ब्रह्मचर्य जबरदस्ती लादा गया है, उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। उससे तो अकसर गुप्त पाप होते हैं, जिससे उन समाजकी नैतिक गवितका ह्लान होता है, जिसमें ऐसे पाप होते हैं। पत्रलेखक महाशयको यह जान लेना चाहिए कि मैं यह अपनी जानकारिके आधारपर लिख रहा हूँ।

यदि मेरी इस सलाहके परिणामस्वरूप बाल-विधवाओंसे न्याय हो सके और फलतः कुमारियोंको पुत्रकी विषय-लालसाके लिए वेच देनेके बदले उन्हें विवाहसे पूर्व वय और बुद्धिकी दृष्टिसे पूरा विकास प्राप्त करनेकी सुविधा दी जा सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

विवाहके बारेमें मेरी ऐसी कोई मान्यता नहीं है जो आत्माके देहान्तरण, पुन-जन्म और मुक्तिसे असंगत हो। पाठकोंको यह मालूम होना चाहिए कि उन करोड़ों हिन्दुओंके बीच, जिन्हें हम दम्भपूर्वक निम्न श्रेणीके कहते हैं, विधवाओंके पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। और मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि जब वृद्ध विधुरोंके पुनर्विवाहसे उस मान्यतामें कोई बाधा नहीं पहुँचती, तो जिन लड़कियोंको गलत तौर पर विधवा कहा जाता है, उनके वास्तविक विवाहसे उस भव्य सिद्धान्तमें कैसे बाधा पहुँचती है। पत्रलेखककी जानकारिके लिए मैं यह बता दूँ कि आत्माका देहान्तरण और पुनर्जन्म मेरे लिए कोरे सिद्धान्त ही नहीं, बल्कि ऐसी वास्तविकताएँ हैं, जैसी कि प्रतिदिन सूर्यका उदय होना है। मुक्ति एक ऐसा सत्य है जिसे प्राप्त करनेके लिए मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। इसी मुक्ति-चिन्तनने मुझे बाल-विधवाओंके प्रति किये जानेवाले अन्यायका स्पष्ट मान कराया है। अपनी पुरुषत्वहीनताके कारण हमें सीता तथा उन अन्य अमर देवियोंके साथ, जिनके नामोंका उल्लेख पत्रलेखकने किया है, आजकी इन पीडित-प्रताड़ित बाल-विधवाओंका नाम नहीं लेना चाहिए।

अन्तमें, यद्यपि हिन्दू-धर्ममें सच्चे वैधव्यका गौरव गाया गया है और यह ठीक ही किया गया है, फिर भी जहाँतक मैं जानता हूँ, इस विश्वासके लिए कोई प्रमाण नहीं है कि वैदिक कालमें विधवाओंके पुनर्लंगनपर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध था। परन्तु सच्चे वैधव्यके विरुद्ध मेरी यह लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तो उसकी उस भद्दी नकलके खिलाफ है जो अत्याचारका एक साधन बनी हुई है। बेहतर रास्ता तो यह है कि जैसी लड़कियाँ मेरे खयालमें हैं, वैसी लड़कियोंको विधवा माना ही नहीं जाये और जिस हिन्दूमें असहायोंके पक्षसे खड़े होनेका कुछ भी साहस होगा वह इन्हें इस असह्य स्थितिसे छुटकारा दिलाना अपना कर्त्तव्य मानेगा। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक किन्तु जोर देकर प्रत्येक हिन्दू युवकको फिरसे यही सलाह देता हूँ कि वह सिवाय इन कुमारियोंके, जिन्हें गलतीसे विधवा कहा जाता है, और किसीसे शादी न करे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-१०-१९२७

## ६६. टिप्पणियाँ

### एक खादी-प्रेमी

डॉ० कैलाशनाथ काटजू<sup>१</sup> प्रयाग उच्च-न्यायालयके नामी वकील हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे पास कई बातोंके सम्बन्धमें एक पत्र लिखा था। उस पत्रमें उन्होंने खादीके प्रति अपना प्रेम प्रकट किया था और उसके साथ अ० मा० चरखा सघको अपने चन्देकी पहली किश्त भी भेजी थी। मैंने सोचा कि दूसरे घनी लोगो और खासकर वकीलके प्रोत्साहनके लिए उस पत्रका खादी-सम्बन्धी अंश प्रकाशित करना चाहिए। इसके लिए उनकी इजाजत लेनेके लिए मैंने उन्हें एक पत्र लिखा। उसमें प्रसंगवश मैंने विदेशी काले अलपाका कपड़ेका भी विरोध किया था और यज्ञार्थ कातनेका महत्त्व समझानेकी कोशिशकी थी। अब मैं उनके दो पत्र, जहाँतक वे खादीसे सम्बद्ध हैं, नीचे दे रहा हूँ<sup>२</sup>।

वकील और दूसरे पेशेवर लोग और कुछ भले ही न कर सके, मगर खादीको अपनाकर और अ० मा० च० संघ को सहायता देकर डॉ० काटजूके सुन्दर उदाहरण का अनुकरण तो सभी कर सकते हैं। और अ० मा० चरखा संघ तंगीमें है, क्योंकि अभी सघके हाथमें जितने गाँव हैं, उनसे अधिक गाँवोंका संगठन करनेकी माँग बराबर बढ़ती जा रही है। पूँजी बढ़ाये बिना अधिकाधिक खादी तैयार की नहीं जा सकती और जबतक खादीका हिन्दुस्तानमें घर-घर प्रचार नहीं हो जाता, चरखा-संघको तो हर साल यह खर्च उठाना ही पड़ेगा।

### दोहरा पाप

कुछ दिन पहले “इसे भी विवाह करेंगे?”<sup>३</sup> शीर्षकसे मेरा एक लेख छपा था। उसके सम्बन्धमें एक भाईने एक लम्बा-सा पत्र लिखा है। वैसे तो उन्होंने मेरी जानकारीके लिए अपना नाम भी भेजा है, लेकिन इस चर्चामें उपयोग करनेके लिए एक छद्मनाम दिया है “एक कुर्बारा”। पत्रका सार मैं नीचे दे रहा हूँ<sup>४</sup>।

१. (१८८७-१९६८); प्रमुख कांग्रेसी नेता, कुछ समयतक केन्द्रिय मन्त्रिमण्डलमें गृहमन्त्री थे और बादमें मध्यप्रदेशके मुख्यमन्त्री हुए।

२. पत्र यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। डॉ० काटजूने खादी-कोषके लिए मासिक चन्दा भेजने, नियमित रूपसे कातने और विदेशी अलपाकाके वजाय वेहतरिन काठी खादी इस्तेमाल करनेका वादा किया था।

३. १-९-१९२७ को; देखिए खण्ड ३४।

४. यह यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उसने लिखा था कि मैंने आपका “इसे भी विवाह करेंगे?” शीर्षक लेख पढ़ा। यद्यपि उसमें सम्बन्धित पक्षके नाम नहीं बताये गये हैं फिर भी कारवारके हम गौड़ सारस्वत ब्राह्मणोंको सब-कुछ भलो-भाँति मालूम है। उसने आगे लिखा था कि यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि लक्ष्मी खरीदना बड़े अपवादको बात है, लेकिन एक दूसरी भी प्रथा है, जो उतनी ही बुरी है। इसमें लक्ष्मीके पिताको अपनी कन्याके लिए वर खरीदना पड़ता है और खरीदकी रकमको दहेज की संज्ञा दी जाती है। यह रकम लक्ष्मीके पिताको भाँजातपर नहीं, बल्कि लक्ष्मीकी शिक्षा-दीक्षा और आर्थिक स्थितिपर निर्भर<sup>५</sup>



इसी जातिके एक अन्य व्यक्तिका लिखा एक और भी पत्र अभी मेरे सामने है। ऐसा जान पड़ता है कि जो लोग पत्नियाँ खरीदना चाहते हैं, वे गोआ जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे गरीब सारस्वत ब्राह्मण मिल जाते हैं जो पैसेके लोभमें अपनी लड़कियोंको ऐसे बूढ़े लोगोंके हाथों बेच देनेमें शर्म नहीं खाते जो उन लड़कियोंके पिता या पितामहकी उम्रके होते हैं। इस प्रकार यह जाति दोहरा पाप करती है। कोई भी व्यक्ति सबसे ऊँचा दाम देकर अपनी लड़कीके लिए किसी शिक्षित नौजवानको खरीद सकता है और जरूरतमन्द माता-पितासे बूढ़ेसे-बूढ़ा व्यक्ति भी (जो कभी-कभी शिक्षित भी होते हैं) अधिकसे-अधिक पैसा देकर उनकी लड़की खरीद सकता है। यदि सारस्वत ब्राह्मण लोग अपने मनको सन्तोष देना चाहें और यदि वे इस सुधारको टालना चाहें तो एक चीज है जिससे वे अपने मनको सन्तोष भी दे सकते हैं और जिसकी आड़में वे इस सुधारके प्रयत्नको टाल भी सकते हैं। वह यह है कि दूसरी बहुत-सी जातियाँ भी इस बुराईसे मुक्त नहीं हैं। फर्क होगा तो सिर्फ मात्राका। लेकिन यदि सारस्वत ब्राह्मण लोग इस सुधारमें आगे बढ़कर रास्ता दिखाना चाहते हैं तो "आप भी तो मेरे ही जैसे हैं" के झूठे बहानेकी आड़ नहीं लेंगे और अब चूँकि इस बुराईका पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए वे इस दोहरे पापसे अपनेको मुक्त करनेका प्रयत्न शुरू कर देंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-१०-१९२७

## ६७. पत्र : मीराबहनको

६ अक्टूबर, १९२७

चि० मीरा,

यह तूतीकोरिनसे लिख रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ तुम्हारा कोई पत्र जरूर आयेगा। मुझे आश्चर्यसे खबर मिली है कि तुम वहाँ सकुशल पहुँच गई हो। परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे।

सप्रेम,

दापू

मीराबहन

सत्याग्रहाश्रम

सावरमती

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२८४) से।

सौजन्य : मीराबहन

करती है। कुछ महाने पहले बम्बईके एक सज्जने, जो एक उच्च सरकारी अधिकारी है, दहेजमें २०,००० रुपये लिये। यह सचमुच बड़े दुःखकी बात है कि ऊँची शिक्षा पानेवाले लोग इतने गिरते जा रहे हैं।

## ६८. भाषण : तूतीकोरिनकी सार्वजनिक सभाम

६ अक्टूबर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

इन सब अभिनन्दनपत्रों और थैलियोंके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं शरतम्बल और सरस्वती देवीको भी उनकी चूड़ियोंके लिए धन्यवाद देता हूँ। इन बहनोने मेरे उस अनुरोधको अनकहे ही पूरा कर दिया है जो मैं बहनोसे जहाँ-कहीं मिलता हूँ, अवश्य करता हूँ। मैं इस नई और सुन्दर अँगूठीके दाताको तथा चाँदीके प्याले देनेवालोंको भी धन्यवाद देता हूँ। ये सब चीजें तथा मढ़े हुए अभिनन्दनपत्र कुछ देरमें आपके सामने विक्रीके लिए रखे जायेंगे। क्योंकि इस समयतक आप सब जान गये हैं कि मैं इन सब चीजोंका इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अपने-आपको दरिद्रनारायणका प्रतिनिधि कहनेवालेके लिए इन चीजोंका व्यक्तिगत उपयोग करना ठीक नहीं होगा। मैं इनका कोई निजी इस्तेमाल नहीं करता लेकिन आपसे प्राप्त इन चीजोंका स्वागत करता हूँ। मुझे ऐसा करनेका अधिकार है।

आपके बीच एक हिन्दी शिक्षक है, इस बातके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और यह जानकर मुझे खुशी हुई है कि न केवल लड़के और लड़कियाँ, बल्कि प्रौढ़ स्त्री-पुरुष भी हिन्दी सीख रहे हैं। लेकिन मुझे बताया गया है कि हिन्दी-शिक्षाका पूरा खर्च आप नहीं उठाते। यदि ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि यह आपकी राष्ट्र-भावनापर धब्बा है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई वर्षोंसे उत्तर [ भारत ] के लोग इस हिन्दी प्रचार कार्यका खर्च उठाते रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि यह कार्य आत्म-निर्भर हो जाये। निश्चय ही एक हिन्दी शिक्षक या दो शिक्षकोंका खर्च उठानेमें आपका बहुत पैसा नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हिन्दी शिक्षकका सारा वेतन स्वयं देनेके लिए हूर प्रयत्न करेंगे।

आपके यहाँ एक राष्ट्रीय पाठशाला है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ और इसके लिए भी कि आपने उसका नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकके नामपर रखा है। मुझे आपके अभिनन्दनपत्रसे यह जानकर दुख हुआ कि आप इस स्कूलका खर्च उठानेमें असमर्थ हैं। यह एक बड़ी बात है कि आपके स्कूलमें अस्पृश्यताको कोई स्थान नहीं है और आप उस स्कूलमें हिन्दी भी पढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्र-प्रेमी नागरिक इस स्कूलकी हालतकी जाँच करेंगे और उसे आत्म-निर्भर बनायेंगे। अपने अभिनन्दनपत्रमें आपने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ इस नगरमें जो चन्दा इकट्ठा करूँ, उसका एक हिस्सा स्कूलके निमित्त दे दूँ। मुझे आपको यह दुखके साथ बताना पड़ रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कितना ही चाहूँ, किन्तु यह उचित और ईमानदारीका काम नहीं होगा कि एक निश्चित उद्देश्यके लिए निर्धारित धनका एक छोटा-सा अंश भी मैं अन्य काममें लगाऊँ। यदि किसी नागरिकने मुझे इस स्पष्ट

अनुरोधके साथ थैली दी होती कि उसका एक अंश आपके स्कूलको दे दिया जाये तो मैं खुशीसे बैसा कर सकता था। अब भी यदि कोई नागरिक उस इरादेसे मुझे धन देना चाहता हो तो मैं बैसा खुशीसे कलंगा। लेकिन इस संस्थाको चलानेका यह कोई तरीका नहीं है, हालाँकि इससे थोड़ी मदद जरूर मिलेगी मगर तूतीकोरिनके नागरिकोंके लिए शोमनीय यही है कि वे इस शिक्षण-संस्थाकी मौजूदा हालतकी जाँच करे और उसे सर्वथा स्वावलम्बी बना दें।

मैं कई राष्ट्रीय पाठशालाओंके अपने निजी अनुभवसे जानता हूँ कि वे किस प्रकार चलाये जाते हैं और राष्ट्रीय उद्देश्योंकी वे कितनी अच्छी तरहसे सेवा कर रहे हैं। यदि आपने उत्तर भारतके अपने भाइयोंके ऊपर पड़े संकटमें कोई दिलचस्पी ली है तो आप देखेंगे कि उन गाँवोंकी राष्ट्रीय शालाओंके छात्रोंने उजड़े इलाकोंको फिरसे वसाने और अपनी शक्ति और साधन-भर गाँववालोंके संकटको हल्का करनेमें जवदस्त सहायता पहुँचाई है। गुजरातकी राष्ट्रीय शालाओंके छात्रोंने सहज उत्साह और स्वेच्छासे जो ठोस सहायताकार्य किया, उसके बिना श्री वल्लभभाई पटेल वाङ्मयीय लोगोको वह राहत नहीं दे पाते जो उन्होंने दी। अतः मैं तूतीकोरिनके नागरिकोंसे अपील करता हूँ कि वे इस संस्थाको जिन्दा रखें।

आपके लिए खादी-कोषसे सहायता प्राप्त करनेका एक तरीका है। आप जानते हैं कि अखिल भारतीय चरखा संघ नामक एक संस्था है। यदि आप अपने छात्रोंको हाथ-कटाई और सूत तैयार करनेके लिए राजी कर सकें, तो आप वह सूत संघ को भेज सकते हैं, और बदलेमें संघ आपको खासी कीमत देगा और एक तरहसे आपकी सहायता करनेकी भी कोशिश करेगा।

मैंने लोगोको कहते सुना है कि इस प्रान्तकी यात्राके दौरान मैंने तमिल भाषाका कोई जिक्र नहीं किया है और न सीखनेकी आवश्यकताका ही जिक्र किया है। वल्कि उसके लिए मुझपर दोषारोपण भी किया गया है। मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि मैं इस भीठी फटकारको स्वीकार नहीं कर सकता। जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं वे मानेंगे कि यह फटकार देना मेरे साथ अनुदारता बरतना है। मैंने अंग्रेजी भाषा सीखनेसे पहले तमिल भाषा सीखनेकी आवश्यकताके बारेमें कई बार कहा है, और बहुत पहले, १९१५ से ही मैं लोगोसे कहता रहा हूँ कि वे अंग्रेजीकी अपेक्षा तमिलके अध्ययनको प्राथमिकता दें। आजसे दस वर्ष पूर्व, १९१७ से पहले मैंने सारे भारतमें एक अनवरत आन्दोलन चलाया कि स्कूलोंमें छात्रोंको प्रान्तीय भाषाओंके माध्यमसे शिक्षा दी जाये और लोगोसे बराबर कहा कि वे अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाओंमें बातचीत करें और उनके साहित्यका अध्ययन करके उन्हें समृद्ध बनायें।

‘तिरुकुरल’ में जो बहुमूल्य निधियाँ संचित हैं, उनकी ओर आपने मेरा ध्यान ठीक ही आकृष्ट किया है। मैं आपको बता दूँ कि आजसे बीस वर्ष पहले मैंने ‘तिरुकुरल’ को मूल तमिलमें पढ़नेके उद्देश्यसे सीखना शुरू किया। मेरे लिए यह गहरे दुःखका विषय रहा है कि ईश्वरने मुझे तमिल भाषा सीखनेका पूरा समय ही नहीं दिया।

क्षेत्रीय भाषाओको शिक्षाका माध्यम बनानेके आन्दोलनके मैं पूरी तरह पक्षमें हूँ। हमें तमिल सीखनी चाहिए, उसे अंग्रेजीके सामने प्राथमिकता देनी चाहिए और अन्य सभी भाषाओसे ऊपर रखना चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक स्थानकी स्वागत समितिको हल्की फटकार भी बतवाई है कि उन्होंने अपनी प्रान्तीय भाषा तमिलके बजाय अपना अभिनन्दनपत्र अंग्रेजीमें क्यों पढ़ा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इस सिलसिलेमें मुझपर आरोप नहीं लगायेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं स्कूलो और सभी शिक्षा-केन्द्रोंमें अंग्रेजीके स्थानपर तमिलको लागू करनेके पक्षमें हूँ।

एक अभिनन्दनपत्र तृतीकोरिनके मछुओकी तरफसे भी है। उन्होंने मुझसे अपनी एक कठिनाईसे निकलनेका रास्ता बतानेको कहा है। मुझे दुःख है कि उन्होंने अपने अभिनन्दनपत्रमें जिस विषयकका जिक्र किया है, उसे मैंने पढ़ा नहीं है। इस मामलेमें तो स्थानीय राष्ट्र-भक्तोंको ही उन्हें मार्गदर्शन देना है। अभिनन्दनपत्रमें कही गई सारी बातोंका जवाब देनेके बाद अब मैं अपने उस प्रिय विषयपर आता हूँ, जो मुझे यहाँ लाया है। . . .

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, ८-१०-१९२७

## ६९. भाषण : तिन्नेवेल्लीकी सार्वजनिक सभामें

७ अक्टूबर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

इन बहुत सारे अभिनन्दनपत्रों और आपकी थैलियो तथा उपहारोके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने सभी अभिनन्दनपत्र नहीं पढ़े, इसके लिए मैं आपको और अधिक धन्यवाद देता हूँ। आज मैं दिन-भर बहुत व्यस्त रहा, और उससे भी ज्यादा थकान मुझे जबर्दस्त शोर-शराबेके बीच तिन्नेवेल्लीकी सड़कोसे गाड़ीमें यात्रा करनेमें हुई है। और फिर अब मुझे बहुत देर भी हो चुकी है। इसलिए अब आप शायद समझ सकते हैं कि आपने अभिनन्दनपत्रोको पढ़नेका अपना अधिकार जो छोड़ दिया, उसकी मैं कितनी कद्र करता हूँ। आपने मुझे इतने सारे छोटे-बड़े उपहार दिये हैं कि जब मैं अपनी रीतिके अनुसार सभाके अन्तमें इन उपहारोको नीलाममें बेचने लगूंगा तो उसमें भी कुछ समय लगेगा। यह बतानेकी शायद ही जरूरत हो कि मैंने आपके सारे अभिनन्दनपत्रोको पढ़ लिया है, जिनके अनुवाद मुझे दे दिये गये थे। भारतीय ईसाई संघके अभिनन्दनपत्रमें ईसाई समुदायकी ओरसे दिये गये इस आदवासनकी मैं कद्र करता हूँ कि भले ही उन्होंने पहले अपनेको राष्ट्रीय आन्दोलनसे दूर रखा हो, लेकिन अब वे उसमें भाग ले रहे हैं। वस्तुतः मैं बड़ी दिलचस्पी और

१. इसके बाद गांधीजी खादी और असह्यताके बारेमें बोले।

खुशीके साथ सारे दक्षिण भारतमें ईसाई मित्रोंके इस आश्वासनको मूर्तरूप ग्रहण करते देखता रहा हूँ। मेरे मनमें इस बारेमें कोई सन्देह नहीं है कि ऐसा ही होना भी चाहिए। ईसाईधर्म या अन्य कोई धर्म स्वीकार करनेका नतीजा राष्ट्रीयताको भावनासे रहित हो जाना नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि राष्ट्रीयता संकीर्ण हो या अंतर्राष्ट्रीयतासे उसका तालमेल न बँटे। ऐसा राष्ट्रवाद जो दृढ़ स्वार्थ और अन्य देशोंके शोषणपर आधारित है, अवश्य ही एक बुराई है। लेकिन मैं अन्तर्राष्ट्रीयतावादकी कल्पना एक स्वस्थ और बाँछनीय राष्ट्रीय भावनाके बिना कर ही नहीं सकता।

उस अमिनन्दनपत्रमें खादीके प्रति जो पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की गई है, उससे मुझे खुशी हुई। मुझे खादी जैसी अत्यन्त सीधी-सादी चीजके प्रति तनिक भी विरोध बहुत विचित्र-सा लगता है; क्योंकि आखिरकार खादी तो करोड़ों भूखे लोगोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित करनेकी इच्छा-मात्र है। कोई स्त्री या पुरुष जो लाखों मेहनतकश लोगोंकी सेवा करना चाहता है, इस सेवाकार्यकी शुरुआत खादीसे ही कर सकता है। अभी हालमें ही सर एम० विश्वेश्वरैयाने इस तथ्यपर दुःख प्रकट किया है कि गाँवोंके करोड़ों आदमी, जिनके पास इतना समय और फुरसत है, अपना उत्पन्न किया हुआ कच्चा माल भारतसे बाहर भेज रहे हैं और स्वयं अपने ही प्रयत्नोंसे अपनी सहायता करनेके अवसरसे अपनेको वंचित कर रहे हैं। अवश्य ही, देशके इस हिस्सेमें आपको अपनी उत्पन्न की हुई कपासका लाभदायक ढंगसे इस्तेमाल कर सकनेका अनोखा अवसर प्राप्त है। आप यहाँ भेजपर खादीके ये जो टुकड़े पड़े देख रहे हैं, इनका इतिहास मैं आपको बताऊँगा। आपके बीचमें एक सज्जन है जिनका नाम है श्री आरंवलरथनाथम् पिल्लई। उन्होंने और मेरे कृपालु भेजवान श्री विश्वनाथ पिल्लईने दो स्कूलोंमें लड़के और लड़कियोंको मामूली कताई सिखानेकी मन्त्रणा कर रखी है। और तकलियोपर कताई करनेवाले इन लड़के-लड़कियोंकी मेहनत एक महीनेमें सत्रह गज खादी तैयार करनेके लिए काफी है। और मुझे उम्मीद है कि इन लड़के और लड़कियों द्वारा तैयार की गई खादीकी छोटी मात्राको इस सभामें उपस्थित कोई व्यक्ति उपेक्षाकी दृष्टिसे नहीं देखेगा, क्योंकि इन बालक-बालिकाओंको तो अभीतक यह भी नहीं मालूम था कि एक गज खादी भी तैयार करनेके क्या मतलब है। हमारा यह देश उन देशोंमें से है, जहाँ संसारकी सबसे ज्यादा मानव-शक्ति मौजूद है। और सर एम० विश्वेश्वरैयाके अनुसार, इस मानव-शक्तिका कोई उपयोग नहीं किया जाता। यदि भारत-भरमें सभी स्कूल प्रति-दिन थोड़ा समय भी कताईपर लगायें तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना किसी खास तकनीकी कुशलताके और बिना किसी पूँजीके देशकी उत्पादन-क्षमता कितनी अधिक बढ़ जायेगी। मेरे पास यहाँ करीब ८५ गज खादी है जिसे आपकी ही रईसे आपके ही यहाँके लड़के-लड़कियोंने यहीं काता-बुना है। आपके लिए यहाँ वह कपड़ा रखा हुआ है जिसका अपना एक इतिहास है और जिसमें एक कविता छिपी हुई है। उक्त सज्जनने मुझे एक टुकड़ा भेंट करते हुए मुझसे इमे नीलाम करनेके वजाय खुद ही इस्तेमाल करनेको कहा है। मुझसे यह वचन लेनेके लिए उन्हें वास्तवमें कुछ कहनेकी जरूरत नहीं थी। तथ्य तो यह

है कि इस कपड़ेकी तरह ही, मैं जितनी भी खादी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस सबका ऐसा ही अपना एक इतिहास है। मुझे यह याद रखनेमें बहुत खुशी होती है कि जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ उसे किस बहन या बेटेने काता या किसके हाथोने बुना है। भारतका यह एक अत्यन्त व्यापक और सार्वत्रिक उद्योग है जिसे न केवल हमारे करोड़ो भूखे देशवासी अपना सकते हैं, बल्कि जिसकी बुनियादपर आप महान प्रवृत्तियोंका भवन खड़ा कर सकते हैं और इस देशकी सभी जातियों और समुदायोंको एक सूत्रमें बाँध सकते हैं।

लेकिन जहाँ इन दोनों मित्रोंको खादीके भविष्यमें और जनसाधारणकी गहरी और दुःखद गरीबीकी काफी हदतक हल कर सकनेकी उसकी क्षमतामें विश्वास है, वही उन्हें इस देशमें ब्राह्मण और अब्राह्मण समस्याके हल होनेमें अभी कोई विश्वास नहीं है। उन्हें भय है, कमसे-कम उनमेंसे एकको यह भय है कि तमिलनाडुमें खादी-कार्य-पर ब्राह्मणोंकी छाप अधिक है। इसलिए मुझपर यह बन्धन लगा दिया गया है कि मैं यह खादी तो आपको बेच सकता हूँ लेकिन इस धनका उपयोग मैं तमिलनाडुमें खादी-कार्यपर न करूँगा। मैंने यह बचन उन्हें दे दिया है, क्योंकि आप जितना दे सकें उतने धनकी मुझे देशके अन्य भागोंमें खादी-कार्यके लिए आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको सूचित कर दूँ कि हालाँकि तमिलनाडुके खादी संगठनपर ब्राह्मणोंका प्रभाव है, लेकिन इस आन्दोलनसे लाभ उठानेवाले कर्तव्य और बुनकरोंकी बहुत बड़ी संख्या अब्राह्मणोंकी है। और अखिल भारतीय चरखा संघके अध्यक्ष और प्रधानके नाते मैं आपको यह आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि यदि मुझे अपनी शर्तोंपर उतनी ही संख्यामें प्रवीण कार्यकर्त्ता अब्राह्मणोंमें से मिल जायें तो मैं अखिल भारतीय चरखा संघके सभी ब्राह्मण कार्यकर्त्ताओंको आज बर्खास्त ही कर दूँगा। मैं आपको यह भी बता दूँ कि तमिलनाडुमें जो थोड़े-से ब्राह्मण अखिल भारतीय चरखा संघमें काम कर रहे हैं, उनमें से हर व्यक्ति उस वेतनसे कहीं ज्यादा कमा सकनेमें समर्थ है जितना कि संघ उन्हें कभी दे सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अखिल भारतीय चरखा संघ ऐसी सस्था नहीं है जिसमें पैसा कमा कर अमीर बननेकी इच्छा रखनेवाला कोई भी व्यक्ति शामिल हो सके। इसके लिए निःस्वार्थ भाव, आत्मत्याग और जीवनकी शुद्धता परमावश्यक गुण हैं। सरकारी नौकरियोंमें जैसे वेतन-मान है, वैसे वेतनोंपर अखिल भारतीय चरखा संघको चलाना मेरे लिए असम्भव होगा। अखिल भारतीय चरखा संघमें ऐसे लोग हैं जो किसी समय १००० से १५०० रुपये महीना कमा रहे थे और जो अब संघसे मुश्किलसे १०० रुपये पाते हैं। यदि मैं चरखा संघके अधिकारियोंको वैसे वेतन देना शुरू कर दूँ तो मुझे दिवाला-अदालतमें अर्जी दाखिल करनी पड़ जायेगी (हँसी)। इसलिए आप विश्वास करें कि यदि चरखा संघमें अपनेको खपा देनेवाले कुछ ब्राह्मण हैं तो वे सच्चे ब्राह्मण धर्मसे ही उसमें कार्य कर रहे हैं। और मैं आपसे साफ कहूँगा कि यद्यपि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, फिर भी वास्तविक और सच्चे ब्राह्मण-धर्मके प्रति मेरे मनमें असीम आदरका भाव है। यदि मुझे उस धर्मका पालन करनेवाले लोग काफी संख्यामें मिल जायें तो इस समय देशके सामने जो भी सम-

स्याएँ है, उनमें से हर एक को विश्वासपूर्वक हल करनेका बीड़ा मैं उठा सकता हूँ। ब्राह्मणका मूल अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे ब्रह्मका ज्ञान हो, और ऐसे व्यक्तिका गुण यह है कि वह विद्वत्ता, आत्म-त्याग और सेवाकी प्रतिमूर्ति हो। मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसे ब्राह्मण भारतमें सभी जगह नहीं मिलते। लेकिन मैं व्यक्तिगत अनुभवसे इस बातकी साक्षी भरता हूँ कि ऐसे ब्राह्मण अब भी हैं; और भारतमें मेरा एक कार्य यह है कि मैं ऐसे हर ब्राह्मणको पकड़ूँ। यह मेरा विश्वास है कि चरखा संघमें कुछ ब्राह्मण हैं, जिनमें लगभग सभी ब्राह्मणोचित गुण मौजूद हैं। व्यक्तिगत रूपसे मैं नहीं मानता कि ऐसे लोगोंके ज्ञान और आत्म-त्यागके बिना इस बड़े आन्दोलनको इतने व्यापक पैमानेपर चलाया जा सकता। यदि मेरे पास समय और शक्ति होती तो मैं ब्राह्मण-अब्राह्मणके इस जटिल प्रश्नपर और अधिक विस्तारसे चर्चा करता। मैं यह सोचनेका साहस करता हूँ कि मुझे अब इस बातका खासा अन्दाज हो गया है कि यह समस्या है क्या। मैं आशा रखता हूँ कि समय मिलते ही मैं अपने विचारोंको लिखित रूपमें प्रस्तुत करूँगा। लेकिन ब्राह्मण-अब्राह्मण विवादपर बहस करते हुए हमें भारतके जनसाधारणको नहीं भूल जाना चाहिए।

अगर मैं संक्षेपमें कहूँ तो ब्राह्मण-अब्राह्मणका सवाल भी कुल मिलाकर अस्पृश्यताका ही सवाल है। जो आदमी अस्पृश्यताके नागको मार देगा, समझ लीजिए कि उसने ब्राह्मण-अब्राह्मण समस्याकी जड़पर कुठाराघात कर दिया है। कारण, यह मेरा निश्चित विश्वास है कि यह अस्पृश्यताका अभिचाप ही है जिसने हिन्दू-धर्ममें प्रवेश करके उसे विषाक्त कर दिया है। सो इस तरह कि यह अस्पृश्यता, जिसका उग्रतम और संतापकारी रूप यह है कि हम कुछ लोगोंको स्पर्श न करने लायक और कुछको न देखने लायक मानते हैं, हिन्दू-धर्मके मर्ममें विद्यमान है। एक वर्गके ऊपर दूसरे वर्ग द्वारा अपनी श्रेष्ठताका अहंकारपूर्ण दावा ही अस्पृश्यताका आधार है; और एक बार हम इस श्रेष्ठता रूपी सहस्रमुखी नागसे सफलता पूर्वक निपट लें तो मेरे विचारमें हमें और किसी चीजके बारेमें लड़नेकी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए हर प्रकारकी अस्पृश्यताके विरुद्ध इस जिहादमें मैं आप सबको मेरा साथ देनेको निमंत्रित करता हूँ। मुझे आपके अभिनन्दनपत्रोंसे और आज तीसरे पहर हुई बातचीतमें यह जानकर खुशी हुई कि आपके नगरपालिका-संचालित स्कूल अस्पृश्योंके लिए खुले हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इतनेसे ही सन्तोष मत मानिए। जब हमारे बीचसे अस्पृश्यता सचमुच खत्म हो जायेगी तो आपको अस्पृश्योंकी वस्ती नहीं मिलेगी। तब किसी मन्दिरके भीतर पूजा-कक्षतकमें जानेका अधिकार किसी अस्पृश्यको भी उतना ही होगा जितना किसी बड़े-बड़े ब्राह्मणको है। वे सार्वजनिक कुओं और सार्वजनिक स्थानोंके उपयोगके उतने ही अधिकारी होंगे जितने कि अन्य लोग हैं। तब हमारे यहाँ ब्राह्मण तालाब, अब्राह्मण तालाब और अस्पृश्य तालाब नहीं होंगे। 'भगवद्गीता' की भाषामें, ब्राह्मण और भंगी ईश्वरके समझ एक-जैसे होंगे। और आप अपने मनमें ऐसा कोई भ्रम पैदा न होने दें—जैसा कि पण्डित लोग अकसर पैदा कर देते हैं—कि 'गीता' का यह वचन असाधारण यशस्वी या आध्यात्मिक गुणोंवाले व्यक्तियोंपर ही लागू

होता है। जब अस्पृश्यताका सचमुच अन्त हो जायेगा और वह अतीतकी चीज बन जायेगी तब आप अपने बीच वह नहीं पायेंगे जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ।

मैं अपने साथ जो कागज लाया हूँ उनमें एक दुखद पत्र है, जो मुझे इस स्थानके एक निवासीने लिखा है। वह मुझे बताता है कि आपकी नदी ताम्रपर्णीके पानीको यहाँके नागरिक गन्दा कर देते हैं। वह मुझे बताता है कि जहाँ स्वास्थ्य अधिकारी हैजा रोकनेके लिए आपके शरीरमें इजेक्शन लगाते हैं, वही आप खुद नदीके पानीको तरह-तरहसे गन्दा करके उसमें हैजेके कीटाणु छोड़ते रहते हैं। यहाँकी नगरपालिकाने मुझे इस बातपर घन्यवाद दिया है कि मैंने कई स्थानोपर नगरपालिकाके कामकाजकी कुछ बुराइयोंके बारेमें खुले तौरपर बातें कही हैं। नगरपालिकाके सदस्योंने मुझे बताया है कि वे इन भाषणोंसे लाभ उठानेकी आशा करते हैं। मैं पूरी आशा करता हूँ कि उनकी यह आशा निकट भविष्यमें पूरी हो जायेगी। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपने इस कार्यकी शुरुआत यो कीजिए कि नदीके तटपर जो गन्दगी सुबहसे शामतक जमा हो जाती है उसे प्रतिदिन सुबह साफ कीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि मैं इस बुराईका सम्बन्ध भी अस्पृश्यतासे जोड़ता हूँ। मैं केवल निजी अनुभवसे ही नहीं, बल्कि भारतके हजारों आदमियोंके अनुभवसे यह बात कहता हूँ। दुर्भाग्यवश, अस्पृश्यताके कारण हमने अपनी सफाईकी ओर स्वयं ध्यान न देनेकी आदत डाल ली है। हम तथाकथित उच्च जातिवाले लोग अपनी सफाईकी ओर स्वयं ध्यान नहीं देते। इसे हम अपने अहंकार और पूर्वग्रहके कारण खास तौरपर अस्पृश्यका काम समझते हैं। और अपने इन देशवासियोंके प्रति एक प्रकारकी तिरस्कार-भावना आ जानेके कारण हम यह भी नहीं देखते कि वे क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। इन बेचारोंको सफाई और स्वच्छताके बुनियादी नियम भी कभी नहीं बताये गये हैं। और इसी कारण नदीका तट हो या अन्य कोई जगह हो, वह इन लोगों द्वारा सफाई करनेके बाद भी ज्योंकी-त्यों गन्दी रहती है। आप शायद न जानते हों कि इस गम्भीर त्रुटिको दूर करनेके लिए ही मुझे अहमदाबादमें कांग्रेसके कामके लिए भंगियोंका एक दस्ता खड़ा करना पड़ा था जिसमें अस्पृश्य नहीं, बल्कि ब्राह्मण और अब्राह्मण स्वयंसेवक थे। यदि आप अच्छी तरह और बिना खर्च उठाये सफाई आदि करना चाहते हैं तो आपमें से हरएकको स्वयं अपने भंगीका काम करना चाहिए। जो माँ अपने बच्चेके लिए भंगीका काम नहीं करती, वह माँ नहीं रह जाती। तनिक-सा विचार करनेसे आप देख सकेंगे कि आपमें से जिनको भी अपने नगरके कल्याणका ध्यान है, उन सबको ऐसी माँ की स्थिति अपनानी पड़ेगी। मेरे मनको अपनी यात्रामें यह जानकर बड़ा आनन्द होगा कि आपने भंगीका काम भी स्वयं करनेका निश्चय किया है।

मैं कई ऐसे सामाजिक प्रश्नोंकी चर्चा छोड़ रहा हूँ, जिनके बारेमें मैं कुछ कहना चाहता था। विरुधुनगरके अपने नाइर मित्रोंको दिया गया अपना वचन मुझे नहीं भूलना चाहिए। आपने शायद अखबारोंमें इस क्षेत्रीय अस्पृश्यताके बारेमें पढ़ा होगा। तिन्नेवेल्ली और मदुरै जिलेके हिन्दुओंके लिए यह बड़ी लज्जाकी बात है कि वहाँके



नाइरों-जैसे स्वच्छ और कुशल व्यापारी-समुदायको मन्दिरोंमें प्रवेशकी अनुमति न हो। मैं चाहता हूँ कि आप किसी प्रकार इस बुराईसे यथाशीघ्र मुक्ति पा लें। भव मैं ये चीजे नीलाममें बेचूंगा और स्वयंसेवक लोग आपके बीच जाकर चन्दा इकट्ठा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग कपड़ेके इन टुकड़ोंको खरीदेंगे वे उन्हें पहननेमें गर्वका अनुभव करेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, १०-१०-१९२७

### ७०. पत्र : प्रागजी देसाईको

८ अक्टूबर, १९२७

भाईश्री प्रागजी,

तुम्हारा पत्र मिला। उसके पहले ही मैं शास्त्रीजी और एन्ड्रयूजको लिख चुका था। तुम्हारा पत्र मैंने दीनबन्धुको<sup>१</sup> अपनी सिफारिशके साथ भेज दिया है। मैं तो ऐसा नहीं मानता कि उन्होंने मूल की होगी। जो भी हुआ हो इतना तो निश्चित है कि वे जानबूझकर झूठ नहीं बोल सकते। और फिर, वे जो भी सेवा करें, उसके लिए तो हमें उनका कृतज्ञ होना ही चाहिए। जल्दीमें कुछ मत करना। तुम नेटालमें रह चुके हो इसलिए सावधिक अनुमति-पत्र लेनेकी कोई जरूरत नहीं। किन्तु यदि शास्त्री आग्रह करें और एक वर्षसे ज्यादाकी अवधिवाले कुछ अनुमति-पत्र दिलानेका वीड़ा उठायें और तुम ट्रांसवालमें रहना चाहते हो तो सावधिक अनुमति-पत्र ले लेना। अगर मणिलालको देवदासने ही भेजा है तब तो यह बहुत अच्छी बात हुई है।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ५०३०) की फोटो-नकलसे।

## ७१. पत्र : मीराबहनको

८ अक्टूबर, १९२७

चि० मीरा,

मैं तुम्हें हररोज पत्र नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरा खयाल है कि तुम्हें किसी ठण्डक पहुँचानेवाले मरहमकी जरूरत नहीं है। इस वक्ततक घाव<sup>१</sup> जरूर अच्छा हो गया होगा। आश्रमसे आये हुए तुम्हारे पत्रसे मुझे तसल्ली हो गई है।

हाँ, तुम गोशालाका या दूसरा जो भी काम पसन्द हो, कर सकती हो। तुम्हारी खुराकका क्या हाल है? छोटेलालकी ओरसे जो सन्देश भेजा है, उसे मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। उसे खुद लिखना चाहिए और विस्तारसे।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२८५) से।

सौजन्य : मीराबहन

## ७२. भाषण : नागरकोइलमें<sup>२</sup>

८ अक्टूबर, १९२७

हिन्दुस्तानके इस स्वर्ग-सुन्दर हिस्सेमें दुबारा आनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मगर इस बातसे कि इस सुन्दर प्रदेशमें अस्पृश्यताका जितना बोलबाला है उतना हिन्दुस्तानमें और कहीं नहीं है, मुझे जो दुःख होता है, उसे भी मैं आपसे नहीं छिपा सकता। हिन्दू होनेके नाते यह देखकर मुझे बड़ी जलालत मालूम होती है कि इस प्रगतिशील हिन्दू राज्यमें अस्पृश्यता अपने सबसे वीभत्स रूपमें व्याप्त है। कुछ लोगोंको देखने और कुछको पास फटकने देनेतकमें छूत मानी जाती है। मैं अपनी जिम्मेवारीको अच्छी तरह समझते हुए कहता हूँ कि यह अस्पृश्यता हिन्दू धर्मके लिए एक ऐसा अभिशाप है, जो उसके जीवन तत्त्वको खाये जा रहा है और मुझे कभी-कभी लगता है कि अगर हम चेत न गये और हमने अस्पृश्यताको मिटा न दिया तो हिन्दू-धर्मका अस्तित्व ही खतरेमें पड़ जायेगा। यह तो मेरी समझके बाहरकी बात है कि तर्कके इस युगमें, संसार परिभ्रमणके इस युगमें, भिन्न-भिन्न धर्मोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेके इस जमानेमें ऐसे लोग, और कभी-कभी तो ऐसे पढ़े-लिखे लोग भी मिलें

१. मूलमें यहाँ "वर्द्ध" (संसार) शब्द है।

२. "मैसैज टू ब्रावणकोर" (ब्रावणकोरको सन्देश) शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित।

जो उस बीभत्स सिद्धान्तका समर्थन करें और जो एक भी मनुष्यको अमुक परिवारमें उसके जन्म लेनेके कारण, न छूने लायक या न देखने लायक अथवा पास न फटकने देनेके लायक समझें। हिन्दूधर्मके एक सामान्य और विनम्र अध्येताके नाते और भावना तथा शब्द दोनों ही दृष्टियोंसे उसका पालन करनेकी अभिलाषा रखनेका दावा करनेवाले व्यक्तिकी हैसियतसे मैं कहता हूँ कि इस भयंकर सिद्धान्तके समर्थनमें मुझे कहीं भी कोई प्रमाण या औचित्य नहीं मिला है। हम इस भूलमें न पड़े कि संस्कृतमें लिखी और शास्त्रोंमें छपी एक-एक बात हमारे लिए बन्धनकारी है। जो नैतिकताके मूलमूल सिद्धान्तोंके विरुद्ध हो, जो सही दिशामें काम करनेवाली बुद्धिके विरुद्ध हो, वह चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, मगर शास्त्र नहीं हो सकता। मैंने अभी जो-कुछ कहा है, उसका यथेष्ट समर्थन वेदोंसे, 'महाभारत' से और 'भगवद्गीता' से होता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि त्रावणकोरकी जागरूक महारानी साहिबा अपने राजत्वकालमें इस अभिशापको इस प्रदेशसे दूर कर सकेंगी; और कोई स्त्री यदि अपने-आपसे और अपनी प्रजासे यह कह सके कि मेरे राजत्वकालमें युगोंसे गुलामीमें पिसनेवाले इन लोगोंको मुक्ति मिल सकी है, तो इससे बड़ी बात उसके लिए और क्या होगी ?

मगर मैं उनकी और उनके मन्त्रियोंकी कठिनाइयोंको भी जानता हूँ। चाहे कोई सरकार कितनी भी निरंकुश क्यों न हो, ऐसे सुधार करनेमें डरती ही है, वह फूँक-फूँककर ही पाँव रखती है। ऐसे सुधारोंके सम्बन्धमें कोई भी चतुर सरकार आन्दोलनका स्वागत करेगी। मूर्ख सरकार लोकमतसे अधीर होकर ऐसी हलचलको जोर-जबरदस्तीसे रोकनेकी कोशिश करेगी। मगर वाइकोम सत्याग्रहके अपने जाती अनुभवोंसे मैं जानता हूँ कि आपकी सरकार न सिर्फ ऐसे आन्दोलनोंको चलने देगी, बल्कि वह उनका स्वागत भी करेगी, ताकि इस सुधारको सम्पन्न करनेकी दृष्टिसे उसके हाथ मजबूत हो सकें। इसलिए पहल करनेका काम तो त्रावणकोरकी जनताके हाथमें ही है—लेकिन तथाकथित अस्पृश्योंके, जिन्हें "अवर्ण" हिन्दूका गलत नाम दिया गया है, हाथोंमें नहीं। मेरे लिए तो "अवर्ण" हिन्दू शब्द ही असंगत है और हिन्दू धर्मपर कलंक है। कई मामलोंमें पहल उनके हाथमें नहीं, बल्कि उन तथाकथित सवर्ण हिन्दुओंके हाथोंमें है, जिन्हें अस्पृश्यताके पापसे अपनेको मुक्त करना है। मैं साफ कह दूँ कि यदि आप हाथपर-हाथ घरे बैठे रहते हैं और सिर्फ मनसे ऐसा मानते रहते हैं कि अस्पृश्यता पाप है तो यह काफी नहीं है। जो कोई गुनाह होते देखता रहता है, वह भी उसमें हिस्सेदार है और कानून उसे भी गुनाहमें सक्रिय रूपसे शामिल मानता है। इसलिए आपको सभी वैध और उचित उपायोंसे आन्दोलन शुरू करना और जारी रखना है। यह सुधार तो कबका सम्पन्न हो चुकना चाहिए था, किन्तु ब्राह्मणोंका पुरोहितवर्ग आज भी इसकी राह रोक रहा है। यदि मेरी आवाज उनतक पहुँच सकती हो तो वे इसे सुनें। यह दुःखद बात है, मगर ऐतिहासिक सत्य है कि जिन पुरोहितोंको धर्मका सच्चा संरक्षक होना चाहिए था वे ही अपने धर्मके विनाशके साधन सिद्ध हुए हैं। मैं साफ देल रहा हूँ कि त्रावणकोरमें

और अन्यत्र भी ब्राह्मण पुरोहित-पंडे अपने अज्ञान या उससे भी बढतर दोषोके कारण उसी धर्मकी जड़ें खोद रहे हैं, जिसके वे संरक्षक माने जाते है। उनके पाण्डित्यका उपयोग जब एक जघन्य अन्ध-विश्वास, एक भयंकर अन्यायका समर्थन करनेके लिए किया जाता है तो वह पाण्डित्य धूलके समान है। इसलिए मैं कामना करता हूँ कि समय रहते वे कालके संकेतोको पहचानेंगे और उस घटनाचक्रके साथ कदम मिलाकर चलेंगे जो उन्हें और हमें, हमारे चाहते या न चाहते हुए भी, सत्यके मार्गपर लिये जा रहा है। संसारके सभी धर्म अपनी तमाम विभिन्नताओंके वावजूद इस बातको एक स्वरसे स्वीकार करते है कि संसारमें अन्ततः सत्य ही टिकता है।

अधीर सुधारकको भी मैं आगाह कर देता हूँ कि यदि वह सदा सही रास्तेपर, जो सीधा किन्तु सँकरा है, आरूढ़ नहीं रहेगा तो वह अपना भी नुकसान करेगा और उस सुधारके मार्गमें भी बाधक बनेगा जिसको सम्पन्न करानेके लिए उसका अधीर होना विलकुल उचित है। मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि सुधारके हाथोंमें मैंने सत्याग्रह का अमोघ और अमूल्य अस्त्र दे दिया है। लेकिन, सफल सत्याग्रहकी शर्तें जरा कड़ी हैं। यदि सुधारकको ईश्वरमें, अपने-आपमें और अपने उद्देश्यमें विश्वास होगा तो वह कभी भी हिंसाका सहारा नहीं लेगा—अपने उन घोरतम विरोधियोंके खिलाफ भी नहीं जिन्हें यदि वह अन्यायी, अज्ञान और हिंसक कहे तो वह भी उचित होगा। मेरा कहना है कि सत्यका प्रतिष्ठापन कभी भी हिंसाके जरिये नहीं हुआ है और मुझे यह विश्वास है कि मेरे इस कथनको कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। इसलिए सत्याग्रही अपने विरोधीको या तथाकथित शत्रुको जोर-जबरस्तीसे नहीं, बल्कि प्यारसे, उसे धीरे-धीरे अपने पक्षकी सचाईका कायल करके जीतता है। उसके तरीके बराबर नम्र और भद्रतापूर्ण होते हैं। वह कभी भी किसी चीजको बढा-चढाकर नहीं देखता। और चूँकि अहिंसाका दूसरा नाम प्रेम है, इसलिए, उसके पास स्वयं कष्ट-सहनके अलावा और कोई अस्त्र नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन ऐसे आन्दोलनोंकी कोटिमें आता है जो मेरे विचारसे तत्त्वतः धार्मिक और आत्म-शुद्धिके आन्दोलन होते हैं। इसलिए इस आन्दोलनमें घृणा, जल्दवाजी, विचारहीनता और अतिरंजनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। चूँकि सत्याग्रह सीधी कार्रवाईका एक सबसे शक्तिशाली तरीका है, इसलिए सत्याग्रह करनेसे पहले सत्याग्रही दूसरे सभी तरीकोंको आजमाकर देख लेता है। लेकिन जब वह एक बार अपनी अन्तरात्माके आकुल निर्देशको सुन लेता है और सत्याग्रह प्रारम्भ कर देता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसने पीछे लौटनेका अपना सारा रास्ता बन्द कर दिया है और अब लौटनेकी कोई बात ही नहीं रह गई है। लेकिन, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रदेशमें लोगोंको एक ऐसी बुराईको दूर करानेके लिए इतने सारे कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे जो दिनके उजालेके समाज स्पष्ट है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरे यहाँ आते ही पुलिस कमिश्नरने आकर मुझसे मिलनेका सौजन्य दिखाया। हमने इस बड़े मसलेपर बातचीत की। जहाँतक मैं जानता हूँ, अभी दो सवाल विचाराधीन हैं। एक तो तिरुवरप्पुके आसपासकी

सड़कोंके वारेमें है और दूसरा सुचिन्द्रम्के सम्बन्धमें। मेरे जानते इन दोनों स्थानोंपर न्याय सुधारकोके पक्षमें है। मुझे मालूम हुआ है कि पहले स्थानमें तो तत्याग्रहियोंने अपना संघर्ष शुरू भी कर दिया है। मेरा खयाल है, यह कदम जल्दीमें उठाया गया है। इसलिए मैंने उन्हें एक तार भेजकर फिलहाल रुके रहनेको और कल त्रिवेन्द्रम्में मुझे मिलनेको कहा है। यदि मुझे मौका मिला, और उम्मीद है मिलेगा, तो मैं इन दोनों सवालोंपर अधिकारियोंसे बातचीत करना चाहता हूँ। यद्यपि मेरी इस त्रावणकोर यात्राका मुख्य उद्देश्य खादीका काम या खादीके लिए चन्दा उगाहना था, किन्तु माग्यने मुझे यहाँ आते ही इस अस्पृश्यताके झंझटमें डाल दिया। मेरे पास जो थोड़ा-सा समय है, उसमें मैं पूरी नम्रताके साथ राज्य और जनताको एक सम्मानजनक निबटारा करनेमें सहायता देनेकी यथाशक्ति कोशिश करूँगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-१०-१९२७

### ७३. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

त्रावणकोर

[९ अक्टूबर, १९२७]<sup>१</sup>

चि० मणिलाल और चि० सुशीला,

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं। तुमने शास्त्रीजीके जिस दोषका उल्लेख किया है उसका विचार हम नहीं कर सकते। सरकारी नौकरीमें यह दोष लगभग अनिवार्य है। मुझे जब सरकारकी पदाति बहुत गलत मालूम हुई तभी तो मैंने असहयोगको अपनाया। यह उचित ही है कि तुम जिस विशेष वातावरणमें बड़े हुए हो उसके कारण तुम्हें ऐसी स्तुति असह्य मालूम होती है। किन्तु अपनेसे बड़ोंका सम्मान करना चाहिए, इस नियमके अनुसार हमें जहाँतक सम्भव हो उनकी टीका नहीं करना चाहिए। यह दोष तुमने मुझे बताया सो तो ठीक किया। किन्तु शास्त्रीजीके प्रति अपने व्यवहारमें अथवा उनके लिए तुम्हारे मनमें जो हार्दिक सम्मान है उसमें कोई फर्क मत पड़ने देना। उनके जैसे नीतिमान् और कुशल देशसेवक हमारे पास बहुत ही कम हैं।

देवदासका बवासीरका ऑपरेशन हुआ है। वह डा० राजन्के अस्पतालमें है। ऑपरेशन हुए आज छः दिन हुए हैं। उसकी प्रगति ठीक है। आश्रमके लगभग सभी व्यक्ति वाढ़-संकट-निवारणके काममें लग गये हैं। हम लोग आज त्रावणकोर आये हैं। वा कन्याकुमारी देखने गई है। मैं और महादेव तो देख चुके हैं। काकासाहब भी साथ हैं। वे भी गये हैं।

दापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७२९) की फोटो-नकलसे।

१. देवदासके बवासीरके ऑपरेशनके उल्लेखसे; देखिए "पत्र : मीराबहनको", ३-१०-१९२७।

## ७४. भाषण : त्रिवेन्द्रमूर्ते<sup>१</sup>

[ १० अक्टूबर, १९२७ या उससे पूर्व ]<sup>२</sup>

नागरकोइलकी तरह ही यहाँ भी मेरा अविकांश समय इसी समस्यापर वात-चीत करते बीता है। वैसे तो दीवान साहबसे मैं अंशतः सामाजिक शिष्टाचारके नाते मिला था, लेकिन स्वभावतः हमने इस जटिल समस्याकी चर्चा की। और समामें मैं कुछ मिनट देरसे इसलिए आया कि मैं रीजेंट महारानी साहिबासे मिलने चला गया था और उनसे भी मैंने इस विषयपर वातचीत की। एक बार त्रावणकोरको देख लेनेके बाद इस मनोहारी प्रदेशको फिर देखनेकी लालसा मेरे मनमें बराबर बनी रही है। इसकी अत्यन्त सुन्दर दृश्यावली, कन्याकुमारीका इस राज्यमें होना और यहाँकी स्त्रियोंकी सादगी और स्वतन्त्रता, इन चीजोंने जब मैं पहले-पहल यहाँ आया था तो मेरा मन मोह लिया था। किन्तु इन तमाम विचारों और याददास्तोंसे मुझे बराबर जो आनन्द प्राप्त हुआ, उसमें इस विचारके कारण एक गम्भीर व्याघात पड़ता रहा है कि अस्पृश्यता त्रावणकोरमें सबसे भयंकर रूपमें प्रकट हुई है, और यह सोचकर मेरा मन बहुत व्यथित रहा है कि यह बुराई इस भयंकर रूपमें एक ऐसे प्राचीनतम हिन्दू-राज्यमें बनी हुई है, जिसका स्थान शैक्षणिक प्रगतिकी दृष्टिसे सारे भारतमें सर्वोच्च है। और इस उग्रतम रूपमें अस्पृश्यताके अस्तित्वसे मुझे बराबर इतना दुःख इसलिए हुआ है कि मैं अपने-आपको हिन्दूधर्मकी भावनासे ओत-प्रोत एक सच्चा हिन्दू मानता हूँ। आज हम जैसी अस्पृश्यतामें विश्वास करते हैं और जैसी अस्पृश्यता बरतते हैं, वैसी अस्पृश्यताके लिए उन ग्रन्थोंमें, जिन्हें हम हिन्दू शास्त्र कहते हैं, मुझे कहीं कोई आधार नहीं मिला है। लेकिन जैसा कि मैंने अन्यत्र बार-बार कहा है, यदि मुझे यह लगेगा कि हिन्दू-धर्म सचमुच अस्पृश्यताका समर्थन करता है तो मुझे हिन्दू-धर्मको त्याग देनेमें भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। कारण, मैं मानता हूँ कि सच्चे धर्मको कभी भी नीति-शास्त्र और नैतिकताके सिद्धान्तोंसे असंगत नहीं होना चाहिए। लेकिन, चूँकि मैं मानता हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मका अंग नहीं है, इसलिए इस धर्मसे मैं चिपटा हुआ हूँ, किन्तु साथ ही दिन-दिन इस घोर बुराईके प्रति मैं अधिकाधिक असहिष्णु होता जा रहा हूँ। इसलिए जब मैंने देखा कि यह प्रश्न त्रावणकोरको आन्दोलित कर रहा है तो इसमें पड़नेमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। लेकिन, इस प्रश्नको मैंने राज्यको कोई परेशान करनेके खयालसे अपने हाथमें नहीं लिया है। कारण, मैं मानता हूँ कि महाविभवा रीजेंट महारानीको अपनी प्रजाके कल्याणकी बड़ी चिन्ता

१. "मैसेज टू त्रावणकोर" (त्रावणकोरको सन्देश) शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित।

२. महादेव देसाईके "साप्ताहिक पत्र" के अनुसार गांधीजी ९ और १० अक्टूबर, १९२७ को त्रिवेन्द्रमूर्ते थे और उन्होंने त्रावणकोरके महाराजा और महारानीसे मिलनेके बाद यह भाषण दिया था; देखिए "भाषण : नागरकोइलमें", ८-१०-१९२७ भी।

है। ऐसे मामलोंमें वे अपनेको एक सुधारक भी बताती हैं, और मेरा खयाल है कि आपको यह बताकर कि वे इस बुराईको जल्दीसे-जल्दी दूर करानेके लिए उत्सुक हैं, मैं उनका विश्वास भंग नहीं कर रहा हूँ।

लेकिन तब यह भी सच है कि सुधारके मामलोंमें सरकार नेतृत्व नहीं कर सकती। सरकार तो स्वभावतः वह जिन लोगोंपर शासन करती है, उनकी स्पष्ट इच्छाकी व्याख्या करनेवाली और उसे अंजाम देनेवाली संस्था होती है। और जिस सुधारको जनता ग्रहण न कर सके उसे जबरन थोपना तो अत्यन्त निरंकुश सरकार भी बहुत कठिन पायेगी। इसलिए यदि मैं त्रावणकोर राज्यकी प्रजा होता तो इतना जानकर ही पूरी तरह सन्तुष्ट हो जाता कि हमारी सरकार इस सुधारको जनता जितनी तेजीसे ग्रहण कर सकती है उतनी तेजीसे लागू करनेको इच्छुक है। लेकिन, इस सम्बन्धमें सन्तुष्ट होकर मैं तबतक एक क्षणको भी विश्राम नहीं करता जबतक कि मैं इस सुधारके सन्देशको गाँव-गाँव और व्यक्ति-व्यक्ति तक नहीं पहुँचा देता। एक सुव्यवस्थित और सतत आन्दोलन स्वस्थ प्रगतिका स्रोत है, और इसलिए यदि आपकी जगह मैं होता तो मैं सरकारको तबतक चैन नहीं लेने देता जबतक कि यह सुधार पूरी तरह लागू न कर दिया जाता। लेकिन, सरकारको चैन न लेने देनेका मतलब उसे परेशान करना नहीं है। समझदार सरकार तो ऐसे आन्दोलनोंका स्वागत करती है। जिस सुधारको वह स्वयं चाहती है, उसे लागू करनेके लिए ऐसे आन्दोलनोंसे प्राप्त होनेवाले समर्थन और प्रोत्साहनकी अपेक्षा रखती है। मैं जानता हूँ कि जब पिछली बार मैं यहाँ आया था तब मुझे बताया गया था कि सभी सवर्ण हिन्दू अस्पृश्यताको हर रूपमें समाप्त कर देनेवाले इस सुधारके लिए अत्यन्त उत्सुक हैं। लेकिन, मुझे लगता है कि सवर्ण हिन्दू बस इच्छा करके ही रह गये हैं। उन्होंने अपनी इच्छाको कोई ठोस रूप नहीं दिया है और मेरा विश्वास है कि इस राज्यके प्रत्येक हिन्दूका यह कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने कर्तव्यके प्रति सजग हो जाये और अपने आलसी भाइयोंको भी सजग कर दे। और यदि सवर्ण हिन्दू एक स्वरसे अपनी इच्छा व्यक्त करें तो अस्पृश्यताकी इस बुराईके दूर हो जानेमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है। इसलिए अपने आलस्य और ढिलाईके लिए सरकारको दोषी ठहराना गलत होगा।

लेकिन सुधारक तो हर समाज और हर देशमें उँगलियोंपर गिने जाने लायक ही होते हैं, और मैं जानता हूँ कि ऐसे सभी सुधारकोंका भार अन्ततः उन चन्द निष्ठावान लोगोंके ही सिर पड़ता है। तब फिर इस दीर्घकालसे चली आ रही बुराईके सम्बन्धमें सुधारकोंको क्या करना चाहिए? इस सवालका जवाब ढूँढ़ना जरूरी है। दुनियाके सुधारकोंने, अब मैं जो दो तरीके बताने जा रहा हूँ, उनमें से एक या दूसरेका सहारा लिया है। उनमें से अधिकांशने अव्यवस्थित आन्दोलन करके और हिंसाके द्वारा बुराईयोंकी ओर लोगोंका ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने सरकारको परेशानी में डालनेवाले, जनताको परेशान करनेवाले और नागरिकोंके जीवनको उलट-पलट देनेवाले आन्दोलनका सहारा लिया है। दूसरे किस्मके सुधारक, जिन्हें मैं अहिंसावादी सुधारक कहूँगा, विनम्र ढंगके आन्दोलनका सहारा लेते हैं। ये मनसा अथवा कर्मणा हिंसा

करके बुराईकी ओर ध्यान आकृष्ट करनेसे बचते हैं, इसके लिए वे स्वयं कष्ट सहनेका तरीका अपनाते हैं। वे कभी अतिरंजनाका सहारा नहीं लेते। वे कभी भी सत्यसे रंचमात्र विचलित नहीं होते और यद्यपि बुराई उन्हें असह्य होती है फिर भी बुराई करनेवाले तकके प्रति दुर्भावना नहीं रखते। इस तरीकेको मैंने एक छोटा-सा नाम देकर जिस प्रकार पहले दक्षिण आफ्रिकामें अपने लोगोंके सामने रखा था उसी प्रकार अपने देशके सामने रखा है। वह नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रहको कभी भी सविनय अवज्ञा समझनेकी भूल न करे। इसमें सन्देह नहीं कि सविनय अवज्ञा सत्याग्रहकी ही एक शाखा है। लेकिन इसका प्रसंग शुरूमें नहीं, बल्कि विलकुल अन्तमें आता है। यह कठोरतम अनुशासनकी अपेक्षा रखती है, बहुत अधिक आत्मसंयम चाहती है। यह उदारतापर आधारित होती है, और यह विरोधीकी मंशापर भी कभी सन्देह नहीं करती और न उसका कोई अनुचित अर्थ लगाती है। कारण यह है कि इसका उद्देश्य विरोधीसे जबरदस्ती अपनी बात मनवाना नहीं, बल्कि उसे अपनी बातका कायल करना होता है। इसलिए, जब मुझसे विरुधुनगरमें मिलने आनेवाले एक भाईके द्वारा अपने पूरे सिद्धान्त और अपनी सारी कही बातोंको मैंने विलकुल गलत ढंगसे पेश किया गया पाया तो मुझे कितना दुःख और आश्चर्य हुआ होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। 'त्रिवेन्द्रम् एक्सप्रेस' में मैंने उनके और मेरे बीच हुई बातचीतकी उनके द्वारा दी गई एक रिपोर्ट पढ़ी। इस रिपोर्टमें आरम्भसे अन्ततक उस बातचीतको सिर्फ तोड़ा-मरोड़ा गया है ("ओम" की आवाज)।

लेकिन इसपर "शर्म, शर्म" की आवाज लगानेकी जरूरत नहीं है। जिन सज्जनों "शर्म" की आवाज लगाई, वे उदारताकी खूबी या अर्थको नहीं जानते। कारण यह है कि मैं क्षण-भरको भी ऐसा नहीं सोचता कि जिन भाईने मुझसे मुलाकात की थी उन्होंने जान-बूझकर मेरी कही बातोंके अर्थको गलत रूपमें पेश किया। आज सुबह उन्होंने मुझे जो स्पष्टीकरण दिया, उसे स्वीकार करनेको मैं तैयार हूँ। लेकिन, मैंने इस प्रसंगकी ओर आपका ध्यान विशेष रूपसे यह समझानेके लिए आकृष्ट किया है कि सत्याग्रहसे मेरा मतलब क्या है और साथ ही इसके जरिये मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग इस सुन्दर अस्त्रको अच्छी तरह नहीं समझते, उनके द्वारा इसका प्रयोग करना कितना खतरनाक है। यह उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि भावी सुधारक सावधान हो जायें और जबतक उन्हें अपनी स्थितिका पूरा मान नहीं हो और उनमें असाधारण आत्म-संयम न हो तबतक वे इस तरीकेको न अपनायें। यह दृष्टान्त देनेका एक कारण यह भी है कि चूंकि मैं सत्याग्रहके इस तरीकेपर, जिसे मैं बेजोड़ मानता हूँ, मुग्ध हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जहाँतक मुझसे वन पड़े, किसीको इसका दुरुपयोग करने दूँ। इसलिए मैंने इन भाईसे कहा कि जबतक आप यह नहीं समझ जाते कि सत्याग्रह सचमुच क्या चीज है और जबतक आप उसकी सच्ची भावनाको ग्रहण नहीं कर लेते तबतक इस समस्यासे अलग ही रहें।



लेकिन, यह सब कहनेमें मेरा उद्देश्य किसीके उत्साहको मन्द करना नहीं है। इस समस्यापर मैं इतने विस्तारसे सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ढंगसे काम करें कि जिससे जल्दीसे-जल्दी इसका हल निकल सके। इसलिए मेरा विनम्र सुझाव है कि आपमें से जिन लोगोंको सार्वजनिक जीवनका अनुभव है, वे इस आन्दोलनको अपने हाथमें लेकर इसे अपना काम बना लें और उन नीजवानोंकी शक्ति और इच्छाको सही दिशा दें जो इस समस्यामें दिलचस्पी तो रखते हैं, किन्तु यह नहीं जानते कि इसे कैसे हल किया जाये। और मेरा यह सुझाव भी है कि आप अधिकारियोंसे सम्पर्क स्थापित करें और जबतक यह सुधार सम्पन्न नहीं हो जाता तबतक उन्हें चैन न लेने दें, क्योंकि मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि केवल महारानी साहिबा ही नहीं, दीवान साहब भी इस सुधारके लिए बहुत उत्सुक हैं। लेकिन, चूँकि दीवान साहब अन्य धर्मावलम्बी हैं, इसलिए मैं और आप उनकी कठिनाई समझ सकते हैं। मेरे विचारसे तो जहाँतक सरकारका सम्बन्ध है, वह सुधार के पक्षमें है। लेकिन पहल सरकारको नहीं, आपको ही करनी होगी। इस महत्त्वपूर्ण सवालकी चर्चा बहुत विस्तारसे करनेके लिए आप मुझे माफ करेंगे। मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि कुछ-एक नेताओंको बुलाकर उनसे इस समस्याके सभी नुक्तोंपर बातचीत कर लूँ। इसलिए, मैंने सोचा कि इतने बड़े श्रोता-समुदायके सामने अस्पृश्यताके सम्बन्धमें दिये गये भाषणके दोषिल हो जानेका आप बुरा न मानेंगे।

आज सुबह इस प्रश्नसे उठनेवाला एक सहज प्रश्न मुझसे पूछा गया। वह यह था कि वर्णाश्रम धर्मका अस्पृश्यतापर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्णाश्रम धर्मके बारेमें मेरा क्या विचार है, इसपर दो शब्द कहूँ। जहाँतक मुझे हिन्दू-धर्मकी कोई जानकारी है, मैं तो समझता हूँ कि वर्ण शब्दका अर्थ अत्यन्त सीधा-सादा है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि हम सब अपने पूर्वजोंके पैतृक और पारम्परिक पेशेको, वगैरें कि वह नीति-धर्मके मौलिक सिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं है, अपनायें, और वह भी सिर्फ जीविकोपार्जनके लिए। यदि हम प्रत्येक धर्ममें की गई मनुष्यकी परिभाषाको स्वीकार करें तो मैं वर्णधर्मको हमारे अस्तित्वका अनिवार्य नियम मानता हूँ। ईश्वरकी समस्त चेतना सृष्टिमें केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसका सृजन इसलिए किया गया है कि वह अपने स्रष्टाको जाने। इसलिए मनुष्यके जीवनका उद्देश्य प्रति-दिन अपनी भौतिक उपलब्धिकी वृद्धि करना और धन-सम्पत्ति अर्जित करना नहीं है, बल्कि उसका प्रमुख कर्तव्य दिन-प्रतिदिन अपने स्रष्टाके निकट पहुँचना है; और प्राचीन ऋषि-मुनियोंने इसी परिभाषामें से हमारे अस्तित्वके इस नियमका अन्वेषण किया। आप समझ सकते हैं कि यदि हम सभी वर्ण-धर्मका पालन करें तो स्वभावतः अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाको सीमित रखेंगे, और इस तरह शक्तिकी जो वचत होगी, उसका उपयोग हम उस विस्तृत क्षेत्रका अन्वेषण करनेमें लगा सकते हैं जिसमें और जिसके द्वारा हम ईश्वरको जान सकते हैं। यदि हम इस नियमको मान लें तो आप सहज ही देखेंगे कि आज दुनियामें जितना कार्य-व्यापार चल रहा है और जिसमें

हम डूबे हुए हैं, उसमें से ९० प्रतिशतकी कोई जरूरत नहीं रह जायेगी। तब आप यह कह सकेंगे कि आज हम जिस वर्ण-धर्मका पालन कर रहे हैं, वह उस वर्ण-धर्मका उपहास-मात्र है जिसकी चर्चा मैंने आपसे की है। और वह सचमुच इस सच्चे वर्ण-धर्मका उपहास ही है, लेकिन जिस प्रकार हम सिर्फ इस कारणसे कि असत्य सत्यका जामा पहन कर हमें छलता रहता है, सत्यसे घृणा नहीं करते हैं, बल्कि बुद्धिपूर्वक छान-बीन करके असत्यको सत्यसे अलग कर देते हैं और सत्यपर आरुढ़ रहते हैं, उसी प्रकार हम वर्ण-धर्मकी विकृतियोंको नष्ट करके हिन्दू-समाजको उसकी आजकी अद्योगतिकी स्थितिसे उबार सकते हैं।

आश्रम तो अभी मैंने आपको जो कुछ बताया है, उसका एक सहज अंग है, और आज यदि वर्ण-धर्म विकृत हो गया है तो आश्रम-धर्म तो विलकुल लुप्त ही हो गया है। आश्रमका मतलब मनुष्यके जीवनकी चार अवस्थाएँ हैं; और मुझे कितनी खुशी हो, यदि आप विद्यार्थी, आदर्श, साइंस और लॉ कालेजोंके विद्यार्थी लोग, जिन्होंने मुझे आज ये शैलियाँ भेंट की हैं, मुझको आश्चर्य कर सकें कि आप लोग इस प्रथम आश्रमके नियमोंके अनुसार रह रहे हैं और आप लोग मनसा, वाचा, कर्मणा ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्याश्रमका निर्देश है कि जो लोग कमसे-कम २५ वर्षतक ब्रह्मचारीका जीवन व्यतीत कर चुके हो, वे ही दूसरे आश्रम, अर्थात् गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके अधिकारी हैं। और चूँकि हिन्दू-धर्मके पुरे दर्शनका उद्देश्य मनुष्यको, जैसा वह है उससे अच्छा बनाना और उसे स्रष्टाके निकटतर लाना है, इसलिए ऋषियोंने गृहस्थाश्रमकी भी एक सीमा बाँध दी और हमारे लिए वानप्रस्थी और संन्यस्त जीवन जीनेका विधान किया। लेकिन आज यदि ढूँढ़ने निकलें तो सारे भारतमें आपको कहीं भी कोई सच्चा ब्रह्मचारी, सच्चा गृहस्थ, सच्चा वानप्रस्थी और सच्चा संन्यासी नहीं मिलेगा। हम चाहें तो अपनी बुद्धिके अहंकारमें जीवनकी इस योजनापर हँस सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि हिन्दू-धर्मकी महान सफलताका रहस्य इसीमें है। मिस्र, असीरिया और वैबिलोनकी सभ्यताएँ मिट गईं, लेकिन हिन्दू संस्कृति आज भी जीवित है। ईसाई धर्म तो मात्र दो हजार वर्ष पुराना है। इस्लाम अभी कलकी चीज है। ये दोनों धर्म यद्यपि महान हैं, किन्तु मेरी तुच्छ सम्मतिमें अभी ये विकसित ही हो रहे हैं। ईसाई यूरोप सच्चे अर्थोंमें ईसाई है ही नहीं, बल्कि वह तो अभी भी ईसाइयतके महान सत्यको पानेके लिए अँधेरेमें टटोल रहा है और यही हाल इस्लामका भी है। आज इन तीन महान धर्मोंके बीच एक स्पर्धा चल रही है, जो कल्याणकर भी है और एक तरहसे अत्यन्त अकल्याणकर तथा विकृत भी। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, मेरी यह प्रतीति बढ़ती ही जाती है कि वर्ण-धर्म मनुष्यके अस्तित्वका धर्म है और इसलिए यह ईसाई-धर्म और इस्लामके लिए भी उतना ही जरूरी है, जितना हिन्दू-धर्मके लिए रहा है और जिसके कारण ही हिन्दू धर्म बच सका है। इसलिए दक्षिणके कुछ हिन्दू जो यह कहने लगे हैं कि वर्णाश्रम हिन्दूधर्मका अमिश्रण है, उसे मैं नहीं मानता। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि आपको या मुझे क्षण-मरको भी वर्णाश्रमकी उस घोर विकृतिको, जिसे आज

हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, सहन [करना चाहिए] या उसके प्रति नरम रखना चाहिए। वर्णाश्रम और जाति-प्रथामे कहीं भी कोई समानता नहीं है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि जातियाँ हिन्दू-धर्मपर एक बोझके समान हैं और अस्पृश्यता, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, वर्णाश्रम धर्मकी विकृति है। यह वर्णाश्रम धर्मके पीछेकी वृद्धिको रोकनेवाले घास-पातके समान है, जिसे जड़मूलसे उखाड़ फेंकना चाहिए — उसी तरह जिस तरह हम गेहूँके खेतमें उगे मोथोंको उखाड़ फेंकते हैं। वर्णकी इस कल्पनामें ऊँच-नीचके भेदभावके लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हिन्दू-धर्मकी मेरी यह व्याख्या सही हो तो मैं कहूँगा कि उसमें प्राणि-मात्र एक समान है। इसलिए जब कोई ब्राह्मण कहता है कि 'मैं अन्य तीन वर्णोंसे श्रेष्ठ हूँ' तो उसके अन्दरसे उसका झूठा अहंकार बोलता है। प्राचीन कालके ब्राह्मण ऐसा नहीं कहते थे। लोग उनपर श्रद्धा इसलिए नहीं रखते थे कि वे अपने-आपको श्रेष्ठ मानते थे, बल्कि इसलिए रखते थे कि वे बिना किसी प्रतिदानकी अपेक्षाके सेवा करना अपना अधिकार मानते थे। जो पुरोहित आज खामखाह ब्राह्मणोंके कामके अधिकारको अपनाये हुए हैं और धर्मके स्वरूपको विकृत कर रहे हैं वे हिन्दू-धर्म या ब्राह्मणवादके संरक्षक नहीं हैं। जाने-अनजाने वे उसी पेड़की जड़पर कुठाराघात कर रहे हैं जिसपर वे बैठे हुए हैं और जब वे आपसे कहते हैं कि शास्त्रोंमें अस्पृश्यताका विधान है और यदि अमुक व्यक्ति आपसे अमुक दूरीसे अधिक निकट आ जायेगा तो आप अपवित्र हो जायेंगे तो मैं निःसंकोच कहूँगा कि वे अपने धर्मको झुठला रहे हैं और हिन्दू-धर्मकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। अब आप शायद समझ जायेंगे कि यहाँ मेरी बातोंको सुन रहे आप हिन्दुओंके लिए यह बात क्यों नितान्त आवश्यक है कि आप आलस्य त्याग कर जागें और इस अभिशापसे अपने-आपको मुक्त करें। आपको इस सुधारमें सबसे आगे रहकर गर्वका अनुभव करना चाहिए, क्योंकि आप एक प्राचीन हिन्दू राज्यकी प्रजा हैं। आपके आस-पासके वातावरणको जहाँतक मैं समझ पाया हूँ, उसे देखते यदि आप ईमानदारीके साथ और पूरी शक्तिसे इस सुधारको सम्पन्न करानेका काम अपने हाथमें लेना चाहते हैं तो यह अवसर बहुत उपयुक्त है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-१०-१९२७

## ७५. पत्र : मीराबहनको

१० अक्टूबर, १९२७

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला। हाँ, तुमसे सप्ताहमें दो पत्र पाकर संतुष्ट रहूँगा। लेकिन जब तुम्हारी ओरसे मेरी चिन्ता खत्म हो जायेगी तो हफ्तेमें एक पत्र भी काफी होगा। वह चिन्ता अब समाप्तप्राय है। इसलिए मैंने तुम्हें रोज पत्र लिखना छोड़ दिया है।

कृष्णदास, सुरेन्द्र, छोटेलाल तथा दूसरोंके साथ अपनी योजनाओंपर विचार-विमर्श करना जारी रखो। उनकी जो राय हो, उनसे बतानेको कहो। तुम अति-रिक्त वाडंर नियुक्त कर सकती हो। मणसालीके पास जाना मत भूलना। उसने सात दिनका उपवास शुरू किया है। इसकी स्वीकृति मैं बहुत पहले दे चुका था। मुझे पता है कि तुम्हारी उपस्थितिसे उसे शान्ति मिलती है।

हाँ, यदि यहाँ और वहाँ सब-कुछ ठीक रहा तो तुम उड़ीसा आ सकती हो। तुम्हें स्वस्थ रहना है।

मैं श्री स्मिथको तुम्हें कुछ पुस्तकें भेजनेके लिए लिख रहा हूँ।

मैं कल यहाँ रेजीडेन्टसे मिला था। पहला प्रश्न जो उन्होंने मुझे पूछा वह यह था कि क्या तुम मेरे साथ हो; और इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जब वे छुट्टीपर थे तब उनके स्थानपर तुम्हारे बहनोईने काम किया है। मैंने उन्हें बताया कि तुम मेरे साथ चेट्टिनाडमें कुछ दिन रही थी।

बालोका प्रश्न मुझे खुद भी जरा मुश्किल लग रहा है। यह चीज अपनेमें अच्छी है, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं। लेकिन वैसा करना ठीक होगा या नहीं, इस विषयमें मेरा मन निश्चित नहीं है। बहरहाल, इसके बारेमें मैं और नहीं सोचूँगा। वहाँकी स्त्रियोंको स्वयं फँसला करने दो। मणि बाल कटवानेका विरोध क्यों करती है? इस सम्बन्धमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि इसके विषयमें लेडी स्लेडके क्या विचार होंगे? मैं चाहूँगा कि इसकी चर्चा तुम उनके साथ भी कर लो। मैं जानता हूँ कि तुमसे सम्बन्धित हर बातमें वह काफी रुचि लेती है।

तुम्हें मालूम है कि मगनलालके पास गोशालासे सम्बन्धित पुस्तकोंका अच्छा संग्रह है। तुम्हें उनमें से कुछको देख लेना चाहिए।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२८६) से।

सौजन्य : मीराबहन

## ७६. पत्र : होरेस जी० अलेक्जेंडरको

यात्रामें

१० अक्टूबर, १९२७

प्रिय मित्र,

इन दिनों मैं आपका पत्र अपने सामने रखे हुए हूँ। चूँकि आपके पत्रके मुताबिक आपके सावरमती आश्रम जानेका समय नजदीक आ रहा है, इसलिए यह पत्र मैं आपको यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि आपका वहाँ जाना आश्रमके लोगोंके लिए कितनी खुशीकी बात होगी। लेकिन मुझे आपको यह सूचित करते हुए दुःख होता है कि आपके स्वागतके लिए मैं वहाँ व्यक्तिगतरूपसे उपस्थित नहीं होऊँगा। इस समय मैं चरखेके सन्देशके सम्बन्धमें दक्षिणमें यात्रा कर रहा हूँ और यह यात्रा नवम्बरके मध्यतक जारी रहेगी। इसके बाद मैं उड़ीसा जाऊँगा। जनवरीके शुरू होनेसे पहले आश्रममें लौट जानेकी उम्मीद करता हूँ।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

श्री होरेस जी० अलेक्जेंडर  
मार्फत श्री जे० एस० हॉयलैंड  
होली रोड  
नागपुर

अंग्रेजी (जी० एन० १४०४) की फोटो-नकलसे।

## ७७. पत्र : छगनलाल जोशीको

त्रिवेन्द्रम्

१० अक्टूबर, १९२७

तुम्हें घबरानेका कोई कारण नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम प्रयत्नशील हो। अपनी पत्नीके सम्बन्धमें निर्विकार रहना अत्यन्त कठिन है, यह मैं तो स्वयं अपने अनुभवसे जानता हूँ इसलिए तुम्हारे प्रति सहानुभूति ही महसूस करता हूँ। किन्तु जबतक तुम दोनों एकान्तमें रहना बन्द नहीं करोगे, अलग-अलग नहीं सोओगे और यदि जरूरी जान पड़े तो कुछ समयके लिए एक-दूसरेसे दूर नहीं रहोगे तबतक एक दूसरेके प्रति विकारकी भावना नहीं जीत सकोगे। तुमने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि इस विषयमें तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कितनी मदद करती है। यदि तुम्हें उसकी मदद मिलती हो तो तुम्हारा रास्ता आसान है, न मिलती हो तो अवश्य कठिन

है। इस प्रयत्नमें विजय तो तुम्हें पानी ही चाहिए। यह याद रखना कि ज्यो-ज्यो तुम्हारा हृदय कोमल होता जायेगा त्यों-त्यों तुम विकारको जीतनेमें सफलता प्राप्त करोगे। विकारविहीन होनेमें कठोरताकी जरूरत होती है। जिसके हृदयमें केवल करुणा ही है, उसे विकारवश होनेके लिए एक क्षणका भी अवकाश नहीं मिलता। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि शुद्ध ब्रह्मचारी कभी शोधके वश नहीं होता। शास्त्रोंमें इसके जो उदाहरण मिलते हैं, मैं मानता हूँ उनके पीछे अनुभव नहीं है। ये उदाहरण स्थूल ब्रह्मचर्यके ही हैं। इस विषयमें गहरे उतरोगे तो मेरे कथनकी सचाई तुम स्वयं ही अनुभव कर लोगे।

तुम सब लोगोंको यह भय तो छोड़ ही देना चाहिए कि मैं उपवास करूँगा। देवदासके लिए मैंने कहाँ उपवास किये? इस भयमें केवल मोह और अज्ञान है। मैं कभी एकाएक उपवास नहीं करता। और करता हूँ तो अपनी शुद्धि और शान्तिके लिए ही करता हूँ। उपवास भय और चिन्ताका कारण नहीं होना चाहिए, उचित तो यह होगा कि उसे लोगोकी चौकसी करनेका साधन समझा जाये और उस रूपमें उसका स्वागत किया जाये। जो व्यक्ति ईमानदारीसे प्रयत्न करता है वह माता-पिता या मित्रोंकी चौकसीसे डरता नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है। मेरा उपवास भी इसी दृष्टिसे देखा जाना चाहिए। उपवासका दुरुपयोग होता है, यह बात सही है। किन्तु मुझे निश्चय है कि विचारपूर्वक किया जानेवाला उपवास सत्यके पुजारीके लिए आवश्यक है। क्या हम यह नहीं जानते कि अच्छीसे-अच्छी चीजका भी बुरासे-बुरा उपयोग हो सकता है? जो आदमी अच्छे माने जाते हैं वे लोगोको जितना ज्यादा ठग सकते हैं उतना बुरा माने जानेवाले आदमी कभी नहीं ठग सकते।

[ गुजरातीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## ७८. पत्र : मगनलाल गांधीको

[ १० अक्टूबर, १९२७ के लगभग ]<sup>१</sup>

वि० मगनलाल,

तुम्हारे दोनों पत्र मिले। . . . के<sup>१</sup> सम्बन्धमें आश्रममें ही जबरदस्त मतभेद देखता हूँ। अब इस मामलेमें मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूँगा। छगनलाल जोशीके साथ कुछ पत्र-व्यवहार चला रहा हूँ। उसका निपटारा करके फिलहाल तो मीन धारण करूँगा और जनवरीमें जब मैं वहाँ आऊँगा तब इस अध्यायको दुबारा खोलूँगा। मेरे मनमें सन्देह अब भी रह गया है। निर्दोष मनुष्य आत्मघात नहीं करता। . . .ने<sup>१</sup>

१. दुग्धालयके आँकड़ोंमें भूलके उल्लेखसे।

२ और ३. नाम छोड़ दिये गये हैं।

मुझे जो पत्र लिखे थे उनसे सन्देहको बल मिलता है। जगन्नाथन्से सम्बन्धित घटनामें वह था, यह तो तुम जानते ही हो। उसके इस विद्रोहको मैं कभी पूरी तरह धान्त नहीं कर सका। इसलिए मेरे मनमें सन्देह कायम रहा है। रामदासने भी मुझे एक पत्र लिखा है जिसमें उसने अपने सन्देहके कारण दिये हैं। कारण बहुत सवल नहीं कहे जा सकते लेकिन यह बात तो है ही कि रामदासको भी स्वतन्त्र रूपसे सन्देह रहा है। किसीको कोई सूचना दिये बिना चला गया, यह बात मुझे भयानक मालूम होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह कहीं छिपा हुआ है। यदि ऐसा हो तो मैं एक बड़े दुःखसे वच जाऊँ। कारण, आजकी परिस्थितिमें मुझे कान्तिमालपर जो मेरे पुत्र-जैसा है और काशी-कृसुमपर, जो मेरी पुत्रियाँ-जैसी है, सन्देह करना पड़ रहा है।

दुग्धालयके आँकड़ोंमें सुधार करके भेजनेकी जरूरत नहीं है। मैं तो तुम दोनों भाइयों द्वारा मिलकर तैयार की हुई रिपोर्ट चाहता हूँ। तुमने मुझे बंगलोरमें जो आश्वासन दिया था वह मेरे लिए काफी है। किन्तु नारणदासने मुझे लिखा कि आँकड़ोंमें २१ भूलें थी और वे भूलें ऐसी थी जिनसे सूचित होता था कि दुग्धालयके काममें घाटा हो रहा है। तुम्हारे सुधारोके अनुसार मैं देख रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है। मुझे तो चिन्ता इस बातकी थी कि यदि हमारी आँकड़ोकी भूलके कारण परिणाम जैसा सचमुच है उससे उलटा दिखता हो तो हमें इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। इसलिए तुम नारणदासके साथ मिलकर आँकड़ोकी चर्चा करके मुझे लिखो कि क्या परिणाम आया।

तुम्हारा तीसरा पत्र मिला है। उसमें तुम मुझसे वहाँ आनेके लिए कहते हो। मेरी तबीयतके बारेमें तो महादेवने कल लिखा ही है। तबीयतमें कोई गड़बड़ नहीं है। समाचारपत्र वालोंको क्या कहें? तुम्हें याद रखना चाहिए यदि मुझे कुछ हुआ तो यह तो हो ही नहीं सकता कि यहाँसे कोई तुम्हें तार न करे।

मैं तो वहाँ आनेके लिए अधीर हूँ। वहाँ हवा शुद्ध हो या अशुद्ध, मेरा स्थान तो वही है। अशुद्ध है इसलिए और भी ज्यादा। वहाँकी अशुद्ध हवासे भागकर भला मैं कहाँ जाऊँगा? वहाँकी अशुद्ध हवाके लिए मैं तो सबसे ज्यादा दोषी हूँ; क्योंकि मैं स्थिर होकर वहाँ कभी रहा ही नहीं। इसलिए मुझसे वहाँ आनेका आग्रह करना पड़े, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तो सिर्फ इसलिए पड़ा हूँ कि यहाँका काम अचूरा नहीं छोड़ा जा सकता और दूसरे, मेरी मान्यता है कि शरीरसे जबतक सम्भव हो तबतक काम लिया जाना चाहिए। इसलिए मेरा अनुमान है कि मैं वहाँ जनवरीके आरंभमें ही पहुँच सकूँगा।

“किन्तु तुम कभी हार मत स्वीकार करना।”

“कभी नहीं हारना भावे साडी जान जावे।”<sup>१</sup>

अथवा

“हरिका मार्ग शूरोका है, उसमें कायरका काम नहीं है।”

१. यह और इसके बादकी उक्तियाँ सम्भवतः भगनलाल गाँधीको सादस वैधानेके लिए कही गई थीं।
२. अर्थात् कभी हारना नहीं, चाहे जान ही क्यों न चली जाये।

अथवा

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि ॥<sup>१</sup>

“न्यायका नियम यह है कि अपने प्रति कठोरता और प्रतिपक्षीके प्रति उदारता बरती जाये।”

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६८) से।

सीजन्य : राधाबहन चौधरी

### ७९. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

आश्विन वदी १ [११ अक्टूबर, १९२७]<sup>१</sup>

प्यारी बहनो,

मालूम होता है कि मेरे पिछले पत्रसे तुममें काफी खलबली मची हुई है। इसी-लिए तुम्हारा पत्र मुझे अभीतक नहीं मिला। यह खलबली मुझे पसन्द है। नम्रताके नाते तुम एक-दूसरेके साथ मिलो-जुलो, इतनेसे मुझे सन्तोष नहीं होगा, तुम भी सन्तोष न मानना। हमें एक-दूसरेको जैसे-तैसे नहीं निमा लेना है, बल्कि हादिक मेल सिद्ध करना है। हमें अपने आपको, दूसरेको या जगत्को धोखा नहीं देना है। इसलिए जो-कुछ मनमें भरा हुआ हो उसे प्रकट करना चाहिए। एक वार मनमें भरा हुआ मेल निकल जायेगा तो फिर नया भरनेमें देर लगेगी। लेकिन यदि जरा भी मेल रहा तो जैसे मैले बरतनमें डाला हुआ साफ पानी भी मैला हो जाता है, वैसे ही मैले मनमें अच्छे विचार भी मैले बन जाते हैं। जिसके बारेमें हमें एक वार शक हो जाता है, उसकी तमाम बातोंपर हमें शक रहने लगता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६७०) की फोटो-नकलसे।

१. गीता, २, ३८।

२. वर्षका निश्चय आश्रमकी बहनोंकी आपसी अनबनके उल्लेखसे किया गया है; देखिय “पत्र : आश्रमकी बहनोंको”, २६-९-१९२७।



## ८०. पत्र : देवचन्द पारेखको

[ ११ अक्टूबर, १९२७ ]'

भाईश्री देवचन्दभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। भाई अमृतलाल ठक्कर तो ऐसा मानते हैं कि अब परिषदका अधिवेशन नहीं होगा। तुम्हें खबर है कि इस वर्षका नहीं ही हुआ है। मुझे लगता है कि अब परिषदको नया मोड़ दिया जाना चाहिए। अपनी आजकी मानसिक स्थितिमें मेरा उसके साथ मिलकर काम करना सम्भव नहीं रह गया है, वल्कि मुझे भय है कि मैं उसके लिए कड़वा घूंट सिद्ध हो सकता हूँ। इसलिए क्या यही बेहतर नहीं होगा कि नई दुनियादपर नया निर्माण किया जाये ?

बापूके आशीर्वाद

यात्राका कार्यक्रम :

- १६-१७ कोयम्बटूर
- १८ पोलाची
- १९ तिरुपुर
- २० गोवीचेट्टिपलायम्
- २१ एरोड
- २२ सेलम
- २३-२४ तिरुचेञ्जोड
- २५ कालीकट
- २६-३१ मंगलोर
- १९ नवम्बरतक लंका

भाईश्री देवचन्दभाई पारेख, वैरिस्टर  
जैतपुर

गुजराती (जी० एन० ५६९२) की फोटो-नकलसे।

१. डाककी मुहरसे।
२. काठिमाबाद राजनीतिक परिषद।

## ८१. भाषण : विवलनमें'

११ अक्टूबर, १९२७

जिस प्रकार संख्याकी एक वृंद मटका-मर दूधको विषाक्त कर देती है, उसी प्रकार अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मको विषाक्त कर रही है। दूधके गुण और उपयोगको तथा संख्याके प्रभावको जानते हुए हम उस आदमीकी कार्रवाईसे अघोर हो उठेंगे जो दूधके मटकेके पास बैठे-बैठे उसमें से थोड़ा-थोड़ा करके संख्याको हटानेकी कोशिश कर रहा हो। हम तो सीधे उस मटकेको ही उठाकर फेंक देंगे। इसी प्रकार एक हिन्दूके नाते मुझे लगता है कि अस्पृश्यताका अभिशाप हिन्दू-धर्मको विलकुल विषाक्त और अशुद्ध किये डाल रहा है। इसलिए मेरे खयालसे ऐसे मामलोंमें धीरज धरनेमें कोई वडाई नहीं है। वुराईके प्रति धैर्य दिखाना वास्तवमें वुराईके साथ और खुद अपने साथ खिलवाड़ करना है। इसलिए मुझे यह कहनेमें कोई झिझक नहीं होती कि श्रावणकोर राज्यको इस सुधारके मामलेमें आगे बढ़कर काम करना चाहिए और एक ही प्रहारमें इस वुराईको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि एक हिन्दू राज्यमें भी जबतक हिन्दू जनताका समर्थन और सक्रिय समर्थन प्राप्त न हो तबतक इस वुराईको दूर करना उसके लिए असम्भव है। इसलिए मेरी अपील मुख्यतः राज्यके प्रधानसे नहीं, बल्कि आप लोगोसे ही होगी, अतः इस सभामें उपस्थित प्रत्येक हिन्दूसे मैं व्यक्तिगत तौरपर यह अपील करता हूँ। मैं और आप बहुत दिनोंसे तथाकथित अस्पृश्यों और अनुपगम्योंके प्रति अपने कर्तव्यकी उपेक्षा करते आ रहे हैं और इस हदतक मैं और आप हिन्दूधर्मके सच्चे अनुयायी नहीं हैं। मैं आपसे बेहिचक कहता हूँ कि जो कोई अस्पृश्यताके पक्षमें आपके सामने कोई दलील देनेको आये, उसकी दलीलपर आप तनिक भी ध्यान दिये बिना उसे अस्वीकार कर दें। याद रखिए कि इस युगमें कोई भी व्यक्ति या पुरुषों तथा स्त्रियोंका कोई भी समुदाय जो-कुछ करता है वह ज्यादा दिनोंतक छिपा नहीं रहता, और जबतक हम अस्पृश्यताको गलेसे लगाये हुए हैं तबतक रोज-रोज हमारी परीक्षा हो रही है और रोज ही हम उसमें अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि संसारके सभी महान धर्म अभी विकास और निर्माणके क्रममें हैं। इसलिए हमें शूतुरमुर्गकी तरह अपना मुँह छिपाकर अपने सर मंडराते हुए खतरसे आँख नहीं चुरानी चाहिए। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि आज जो उथल-पुथल मची हुई है उसमें या तो अस्पृश्यताको मिट जाना है या फिर हिन्दू-धर्मको। लेकिन, मैं जानता हूँ कि हिन्दू-धर्म

नहीं मिट रहा है, न मिटनेवाला है, क्योंकि मैं साफ देख रहा हूँ कि अस्पृश्यता अब एक दम तोड़ती लाग-भर रह गई, जो जैसे-तैसे कुछ साँसें ले सकेगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-१०-१९२७

## ८२. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रूजको

यात्रामें

१२ अक्टूबर, १९२७

प्रिय चार्ली,

मुझे तुम्हारे वे दो पत्र, जिनका तुमने वादा किया था मिल गये हैं, और वह भी जिसमें तुमने नाटकगर्णीको जवाब दिया है। जवाब यथासमय प्रकाशित किया जायेगा।<sup>१</sup>

मैं कताई-निबन्धके सम्बन्धमें तुम्हारे विचार तथा वाइसरायसे तुमने जो कहा, वह जाननेको उत्सुक हूँ।<sup>२</sup>

मुझे पूरी आशा है कि तुमने जो सर विश्वेश्वरैयाका नाम भेजा है, उसे बहुत विलम्बसे भेजा गया नहीं माना जायेगा।

उम्मीद है, प्रागजी और मेढके विषयमें लिखा गया मेरा पत्र तुम्हें मिल गया होगा। उड़ीसाके सम्बन्धमें तुम्हारा तार मुझे मिल गया।

जब तुम्हारा हाथ विलकुल ठीक हो जाये तो यह सब बतानेके लिए तुम्हारे वारह आनेके व्ययका मैं बुरा नहीं मानूँगा।

सप्रेम,

मोहन

अंग्रेजी (जी० एन० २६२२) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए “यूज ऑफ़ टैक्ट्स” (टैक्ट्सका उपयोग), यंग इंडिया, ३-११-१९२७।

२. इस सम्बन्धमें गांधीजी द्वारा लिखे पिछले पत्रके लिए देखिए “पत्र : सी० एफ० एन्ड्रूजको”, १-१०-१९२७।

## ८३. भाषण : अलेप्पीकी सार्वजनिक सभामें

१२ अक्टूबर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

दरिद्रनारायणके प्रतिनिधिके रूपमें मुझे मॅट किये गये आपके अभिनन्दनपत्रो तथा अनेक थैलियोके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि मैंने नागरकोइलमें कहा था, त्रावणकोरकी सीमामें प्रवेश करनेके साथ ही मैंने अपने-आपको अस्पृश्यताकी समस्याका अध्ययन करते और उसके समाधानमें सहायता करते हुए पाया। इस उद्देश्यको देखते हुए मेरी त्रावणकोरकी यह यात्रा बहुत संक्षिप्त ही है, और आज उसके अन्तिम दिनमें अपने भाषणका ज्यादातर भाग उसी समस्याको देना चाहता हूँ। सचमुच मेरी इच्छा थी कि मेरे पास और अधिक समय होता ताकि मैं यहाँ ज्यादा समय तक रुककर इस समस्याका ज्यादा अच्छी तरह अध्ययन कर सकता और जो सहायता यहीकी-यही दे सकता, देता।

इस समस्याका छोटा-मोटा विशेषज्ञ होनेके नाते मुझे लगता है कि मैं इस राज्यके शासनको और यहाँके लोगोको इस समस्याका एक न्यायसम्मत हल निकालनेमें कुछ सहायता दे सकता था, भले ही वह अत्यन्त तुच्छ ही क्यों न होती। मुझे इस बातकी खुशी है, और मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने जिस भावनासे अपने विचार यहाँ व्यक्त किये हैं, उसी भावनासे राजमातासे लेकर राज्यके प्रत्येक अधिकारीने मेरी बातोंको ग्रहण किया है। मैं अपने अवर्ण मित्रोके सम्बन्धमें मनमें कोई सन्देह नहीं रख सकता था, क्योंकि मैं तो अपनेको अस्पृश्योमें भी अस्पृश्य मानता हूँ और मैं कई समाजोंमें अपनेको नायडी कहनेमें नहीं हिचका हूँ। शायद आपमें से कुछ लोग जानते भी न हों कि नायडी क्या चीज होती है। नायडी वह प्राणी है, जिसका स्थान तथाकथित अस्पृश्योमें भी सबसे हीन है। आधुनिक हिन्दूके लिए यह अत्यन्त कलंककी बात है। उसको देखनेसे भी सवर्ण-हिन्दू अपवित्र हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए उसे न केवल नालीका कीड़ा बना दिया गया है, बल्कि उसे सवर्ण हिन्दूकी नजरोके सामने जानेतक की अनुमति नहीं है। जब मैं बाजारसे गुजर रहा था — मुझे ठीक याद नहीं कि कोचीनमें या त्रिचूरमें — तो मुझे नायडी जातिके कुछ लोगोको देखनेका दुखद अनुभव हुआ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मेरे पास समय होता, यदि मैंने अपने ऊपर एकाधिक कामोका दायित्व न ले रखा होता, और यदि मुझमें साहस होता, तो मैं सवर्णों की बस्ती छोड़कर इन नायडी लोगोके बीच रहनेका सुख प्राप्त करता, जिन्हे देखना भी पाप माना जाता है। हम हिन्दुओने मानवताके एक अंशके साथ जो महान अन्याय किया है और आज भी कर रहे हैं, उसका यह एक बहुत ही मामूली प्रायश्चित्त है। लेकिन मैं अपनेको इस विश्वाससे आश्वस्त करता हूँ, अथवा कहिए कि मैं अपनेको घोखा देकर

ऐसा मानता हूँ कि नायडी लोगोके बीच न रहकर मैं ज्यादा बड़ा प्रायश्चित्त कर रहा हूँ, क्योंकि आज हिन्दूधर्म और हिन्दुओंके ऊपर जो महापाप चढ़ा हुआ है, उसकी अनुभूतिके कारण मैं बहुत बड़ी मानसिक यन्त्रणा भोग रहा हूँ। एक होशहवाससे दुरुस्त और सनातनी हिन्दूके नाते — मैं अपनेको सनातनी हिन्दू ही मानता हूँ — अपनी पूरी जिम्मेदारीके एहसासके साथ मैं कहता हूँ कि यदि हम समय रहते नहीं जागे और इस कलंकको हमने अपने बीचसे मिटा न दिया तो हम हिन्दुओंको ईश्वर और मनुष्य-मात्रके सामने इस भयंकर पापकी जवाबदेही करनी पड़ेगी।<sup>१</sup>

आज तीसरे पहर एजवाहा जातिके कई नेताओंसे काफी देरतक मेरी बातचीत हुई, और मैं आपसे सच कहता हूँ कि अगर मुझे यह वता न दिया गया होता कि वे लोग एजवाहा जातिके हैं, तो मैं नहीं जान सकता था कि वे एजवाहा हैं। न ही मैंने उनमें और तथाकथित सवर्णोंमें कोई अन्तर देखा। उनकी आर्थिक स्थिति तो निस्सन्देह बहुत-से सवर्णोंसे बेहतर है। उनकी शैक्षणिक योग्यतामें किसी प्रकारकी कमी नहीं थी और वे साफ-सुथरे तो इतने थे जितना साफ-सुथरा मैंने देशके एक छोरसे दूसरे छोर तककी यात्रा करते हुए बहुत-से ब्राह्मणों और अन्य लोगोंको भी नहीं पाया है। अतः जब मैं इन मित्रोंके सामने बैठा और मैंने उनका अभिनन्दनपत्र पढ़ा तो एक हिन्दूके नाते यह सोचकर मेरा सर धमसे झुक गया कि ये ही मित्र अस्पृश्य समझे जाते हैं, इन्हें ब्राह्मणकोरकी कुछ सार्वजनिक सड़कोंपर चलनेके योग्य नहीं माना जाता, और ये ही मित्र हैं जिनकी मन्दिरमें उपस्थितिसे मन्दिरका अहाता अपवित्र हो जायेगा, और ये ही वे लोग हैं जो अपने बेटों और बेटियोंको कमसे-कम कुछ सरकारी स्कूलों तकमें नहीं भेज सकते यद्यपि वे इस सभामें उपस्थित बड़ेसे-बड़े व्यक्तिके बराबर ही राज्यको कर देते हैं। यह बात याद रखिए कि इनपर ये अमानुषिक नियोग्यताएँ तो लगी हुई हैं, लेकिन सवर्णोंके मुकाबले उन्हें कर देनेके मामलेमें कोई छूट नहीं है। तब, मेरी रायमें यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके लिए अपने धर्मकी चिन्ता करनेवाले सभी हिन्दुओंका कर्तव्य है कि वे अपने जीवनको समर्पित कर दें, और मुझे पूरा विश्वास है कि उदार राजमाता तबतक चैनसे नहीं बैठेंगी जबतक यह कलंक ब्राह्मणकोरसे दूर नहीं हो जाता। मैंने राजमाता, दीवान बहादुर, पुलिस कमिश्नर तथा अन्तमें देवस्वम् कमिश्नरसे जितनी भी बातचीत की है, उसके बलपर मैं ब्राह्मणकोर इस आशाके साथ छोड़ रहा हूँ कि कमसे-कम सड़कोंकी समस्या सभी सम्बन्धित लोगोंकी दृष्टिसे सन्तोषकारक रूपसे हल हो जायेगी। इसी हार्दिक आशाके बलपर मैंने आज शिष्टमण्डलको वैहिचक सलाह दी है कि सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाये। मुझे इस सभाको यह वता सकनेकी खुशी है कि इस शिष्टमण्डलने मेरी सलाह मान ली है और अभी, जबकि इस समस्याको संतोषप्रद ढंगसे सुलझानेके प्रयत्न किये जा रहे हैं, सत्याग्रह स्थगित कर दिया है। ईश्वर न करे कि मैं जो आशा लेकर जा रहा हूँ, वह किसी प्रकारसे निष्फल हो। लेकिन मैंने मित्रोंसे कह दिया है कि जिस राहतके वे हकदार हैं,

१. आगेका अंश "मेरेज दू ब्राह्मणकोर" (ब्राह्मणकोरको सन्देश) में से लिया गया है, जो अंग इंडियाके, २०-२०-१९२७ के अंकमें छपा था।

वह राहत यदि उन्हें समयके अन्दर नहीं मिलती, और यदि सभी प्रारम्भिक उपायों के बाद भी वे राहत पानेमें विफल होते हैं तो जो उनका उचित अधिकार है, उसे प्राप्त करनेके लिए वे न केवल फिरसे सत्याग्रह शुरू करनेको स्वतन्त्र होंगे, बल्कि वैसा करना उनका कर्तव्य होगा।

मैं यहाँसे जो आशा लेकर जा रहा हूँ, उसके फलितार्थोंको मैं आपके सामने दोहरा दूँ। हालाँकि मैं वाइकोम समाधानको एक अर्थमें सतही समाधान मानता हूँ, लेकिन अन्य पहलुओंसे और अन्य दृष्टिकोणोंसे यह समाधान राज्य तथा अवर्णों, दोनोंके लिए सम्मानजनक है। यह एक ऐसा समाधान है, जिसे मैं स्वतन्त्रताका बुनियादी पत्थर मानता हूँ। मैं इसे स्वतन्त्रताका बुनियादी पत्थर इसलिए मानता हूँ कि यह जनता और राज्यके बीच समझौतेका एक ऐसा दस्तावेज है जो कमसे-कम एक अर्थमें स्वतन्त्रताकी दिशामें एक बड़ा कदम है। लेकिन जहाँतक अवर्णोंका प्रश्न है, यह किसी भी अर्थमें अन्तिम समाधान नहीं है। यह तो ऐसा समाधान है जिसमें उन्होंने फिलहाल अपनी कमसे-कम माँगें पूरी होनेमें सन्तोष माना है और इस समाधानसे सरकार पीछे नहीं हट सकती। इस समाधानके द्वारा सरकारने अवर्णोंके लिए एक मंच खड़ा कर दिया है, जहाँसे वे और आगे बढ़ सकते हैं। अतएव इस समाधानकी व्याख्या सदा अवर्णोंके हितमें होनी है। इसी प्रकार इसका प्रयोग गैर-हिन्दुओंकी स्वतंत्रता-पर अंकुश लगानेके लिए भी नहीं किया जा सकता। तिरुवरप्पुके वर्तमान विवाद इस समाधानके सिद्धान्तको लागू करके सरकारके लिए उन ईसाइयों तथा अन्य गैर-हिन्दुओंके अधिकारोंमें कोई कटौती करना सम्भव नहीं है जो वहाँ सड़कोंका इस्तेमाल करते रहे हैं। इसलिए सरकारका यह कर्तव्य है कि वह इन सड़कोंको अवर्ण हिन्दुओंके लिए खोल दे, और इन सड़कोंको अवर्ण हिन्दुओंके लिए खोलनेमें जो भी कठिनाई हो उसे दूर करना सरकारका काम है। अवर्ण हिन्दुओंको इस मामलेमें सरकारकी कठिनाईका लिहाज करनेकी जरूरत नहीं है। विलकुल ऐसा तो नहीं, लेकिन इससे मिलता-जुलता मामला सुचिन्द्रम् मन्दिरके इर्दगिर्दकी सड़कोंका भी है, और मैं आशा कर रहा हूँ कि निकट भविष्यमें सरकार भेरे द्वारा सुझाई गई राहत देनेके मार्गमें जो भी कठिनाई हो उसे पार कर लेगी।

इन शर्तोंके साथ मैंने एजवाहा मित्रोंको अपनी कार्रवाई स्थगित करनेकी सलाह दी है और मैं यह सोचनेका साहस करता हूँ कि इन नई परिस्थितियोंमें सरकारने श्रीयुत माधवन्के ऊपर जो आदेश जारी करना आवश्यक माना है, उसे वह अविलम्ब वापस ले लेगी। मैं इस आदेशको कमसे-कम अब कतई अनावश्यक मानता हूँ, और आम आदेशको भी अनावश्यक समझता हूँ जिसके द्वारा तिरुवरप्पुके आसपास एक खास दायरेमें सभाओं आदिपर रोक लगाई गई है।<sup>१</sup>

श्री टी० के० माधवन् : महात्माजी, मुझसे सारे कोट्टायम जिलेमें कोई भाषण आदि न देनेको कहा गया है।

१. इसके आगेका अंश १५-२०-१९२७के हिन्दूसे लिया गया है।

मुझे से गलती हुई। आदेश द्वारा सारे कोट्टायम जिलेमें उनके भाषण आदि देनेपर निषेध लगा दिया गया है। मेरी रायमें जिन परिस्थितियोंका मैंने जिक्र किया है उनमें यह आदेश कतई अनावश्यक है। उतना ही अनावश्यक वह आम आदेश है, जिसके जरिये उस हलकेमें सभाओपर रोक लगाई गई है।

दो शब्द मैं इन अवर्ण मित्रोंसे कहूँगा। मैं उनके दुःखसे उन्हींके समान दुखी हूँ। यदि मुझे इत्मीनान हो जाता या अन्य कोई मुझे कायल कर सकता कि अपनी जान देकर मैं उनके लिए पूर्ण स्वतन्त्रताका पट्टा प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं इसी क्षण अपनी जान दे दूँगा। लेकिन जबतक मुझे इस बातका यकीन नहीं हो जाता तबतक मैं इसीमें सन्तुष्ट हूँ कि जीवित रहूँ और इस स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करूँ। अतः मैं उनसे याद रखनेको कहूँगा कि जब हम किसी घोर अन्यायको दूर करना चाहते हैं तो हम अवीर हो जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वीरज रखना जरूरी है। सच्चाई, आत्मत्याग और अटल संकल्प हो तो सफलता निश्चित समझिए। इतिहासके पन्ने खुले हुए हैं और जो कोई चाहे उनमें पढ सकता है कि सुधारके लिए काम करनेवालोंने परिणामोंकी विना कोई परवाह किये अपना काम किया है और इस विश्वासके साथ काम किया है कि उनका काम ही उनका पुरस्कार है, और काम करनेसे वह सुधार निश्चित रूपसे सम्पन्न होगा, जिसको सम्पन्न करानेकी आशासे काम किया जाता है। इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि वे 'भगवद्गीता' के उपदेशको ध्यानमें रखकर उसी भावनासे काम करें। वह हमें सिखाती है कि मनुष्यके लिए कर्म करना ही उचित है, फलपर उसका कोई वश नहीं है। उस दिव्य पुस्तकमें यह अडिग वचन दे दिये जानेके बाद हमारे लिए निराश होने या अवीरतासे पागल हो जानेका कोई कारण नहीं है। वे यह भी समझ ले कि आज सारे भारतमें एक अकेला मैं ही नहीं, मेरी तरह बहुत-से हिन्दू, जो प्रखर बुद्धिवाले, भारतके तपे हुए सेवक, और देशके जाने-माने कार्यकर्त्ता हैं, अपनी सामर्थ्यभर इसी उद्देश्यके लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि अत्यन्त निकट भविष्यमें हम सब देखेंगे कि यह भयानक दुःस्वप्न-जैसी अस्पृश्यता अतीतकी चीज बन जायेगी।

अब दो शब्द सवर्ण हिन्दुओंसे। मैंने अभीतक बताया है कि राज्यका क्या कर्त्तव्य है और अवर्ण हिन्दुओंका क्या कर्त्तव्य है। लेकिन सवर्णोंका कर्त्तव्य कुछ कम बड़ा नहीं है, बल्कि ज्यादा बड़ा है। कोई भी राज्य आखिरकार अपनी प्रजाके विचारोंको ही प्रतिबिम्बित करता है। अस्पृश्यताका अपराध सवर्ण हिन्दू करते हैं। इसलिए उन्हें प्रायश्चित्त करनेकी जरूरत है। और सवर्ण हिन्दुओंका कर्त्तव्य है कि वे हर सम्भव तरीकेसे अवर्ण हिन्दुओंकी सहायता करें। यदि वे इस उद्देश्यके लिए अपनी सक्रिय सहानुभूति प्रदान करेंगे और सरकारपर दबाव डालेंगे तो वे पायेंगे कि अवर्ण हिन्दुओंके लिए सत्याग्रह-रूपी भयंकर आत्मत्यागका सहारा लेना विलकुल अनावश्यक सिद्ध होगा। यदि वे त्रावणकोरमें इस सुधारका श्रेय लेना चाहें तो उन्हें कटुताका प्याला लवाला भर जाने और अवर्ण हिन्दुओं द्वारा ऐसी स्थिति अपनातेपर विवश हो जानेसे पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए जिस स्थितिमें उन्हें डालना हमारे लिए कलंककी बात होगी।

जिस खादीके सिलसिलेमें मैं वास्तवमें इस वार त्रावणकोर आया हूँ, उसकी चर्चा करनेसे पहले मैं एक अन्य महत्त्वपूर्ण विषयकी चर्चा करूँगा। मैं शराबखोरीकी वृत्ति लतका निग्रह करना चाहता हूँ। जो लोग इस भयंकर लतके शिकार हैं, वे समझ लें कि यह एक ऐसी आदत है जो मनुष्यको मनुष्य नहीं रहने देती। जो आदमी शराबके नशेमें होता है, वह पत्नी और बहनमें भेद नहीं करता। इतिहासमें अकित कुछ बहुत बड़े अपराध नशेकी हालतमें किये गये हैं। मैंने खुद अपनी आँखोंसे दक्षिण आफ्रिकामें कुछ ऐसे लोगोंको नशेकी हालतमें नालीमें लोटते देखा है जो अन्यथा बहुत सम्भ्रान्त माने जाते थे। त्रावणकोरके शराब न पीनेवाले लोगोंका कर्त्तव्य है कि वे सरकारको आवश्यकारी राजस्व समाप्त करनेके लिए विवश कर दें। मैं इसे आमदनीका एक अनैतिक जरिया मानता हूँ। यह वास्तवमें आपका कर्त्तव्य है कि जबतक इस राज्यसे शराबकी बुराई दूर नहीं हो जाती, तबतक आन्दोलन करते रहे। इस भूमिको, जिसे प्रकृतिने सौन्दर्यसे मण्डित किया है, शराबके अभिशापसे दुर्गन्धित मत रहने दीजिए। और यदि आप हिन्दू, ईसाई और मुसलमानकी हैसियतसे मानवकी बुनियादी एकताको समझते हैं और अपने पड़ोसियोंको अपने ही भाई-बहन समझते हैं, तो यह आपका कर्त्तव्य है कि जिन लोगोंको शराबकी लत है, उनके बीच जायें और नश्रतासे समझा-बुझाकर उन्हें इस लतसे मुक्त करे। मैं पूर्ण मच्चनिपेधको कतई आवश्यक मानता हूँ, क्योंकि जबतक किसी शराबीके रास्तेमें प्रलोभन रखा जायेगा तबतक कितना ही समझाया-बुझाया जाये, वह इस चीजसे दूर नहीं रह सकता। इसलिए शराबी लोगोंके बीच और राज्यके विरुद्ध आन्दोलन एक साथ चलने चाहिए।

अब मेरे लिए चरखेके सन्देशको लेकर आपका बहुत समय लेना जरूरी नहीं होना चाहिए। आपकी थैलियाँ खादीमें आपके विश्वासकी द्योतक हैं। लेकिन अगर आप मानते हो कि मेरे मुँहपर कुछ रुपये मारकर आपने लाखों गरीब लोगोंके प्रति अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया है तो आप भ्रममें हैं। जिस खादीके उत्पादनके लिए मैं करोड़ों मेहनतकश लोगोंके पवित्र हाथोंके जरिये काम करना चाहता हूँ, यदि आप उसी खादीको पहननेसे इनकार कर दें तो अपने दौरेमें मुझे जो थैलियाँ मिलती रही हैं, मैं उनका कोई उपयोग नहीं कर पाऊँगा और वे मेरे लिए असह्य बोझ बन जायेंगी। इसलिए मैं आपके इन उपहारोंको आपका दिया यह वचन मानता हूँ कि अबसे आप अपने पहनने तथा अन्य घरेलू कामोंके लिए खादी और केवल खादीका ही उपयोग करेंगे। आपको चरखेके जरिये त्रावणकोरके गाँवोंको भी संगठित करनेका प्रयत्न करना चाहिए। सारे देशमें कताईका वातावरण तैयार करनेके लिए यह जरूरी है कि हम सब यज्ञके भावसे और उदाहरण प्रस्तुत करनेके लिए कताई करे। और यदि हमें चरखेके जरिये गाँवोंको संगठित करना है तो यह भी जरूरी है कि होशियार लोग कताईमें निपुणता प्राप्त करें। त्रिवेन्द्रममें मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई थी कि राज्यके स्कूलोंमें चरखा शुरू करानेके लिए राज्य सरकारने अमुक राशि पहले ही स्वीकार कर दी है। यह देखते हुए कि त्रावणकोरकी महिलाएँ शुद्ध धवल वस्त्र ही पहनती हैं, त्रावणकोरमें खादीको लोकप्रिय बनाना भारतके किसी भी स्थानकी



अपेक्षा सबसे आसान है। मैं एक कारण और बताना चाहता हूँ कि आपको ब्रावण-कोरमें बनी खादी क्यों पहननी चाहिए। जब आप पूर्ण मद्यनिषेधके लिए आन्दोलन करेंगे तो आपके सामने यह तर्क रखा जायेगा कि यदि ब्रावणकोरके बच्चोंकी शिक्षा देनी है तो आवकारीसे प्राप्त होनेवाला राजस्व, जो मैं समझता हूँ कि बीस लाख रुपयेसे ऊपर है, किसी अन्य साधनसे प्राप्त करना होगा। यदि ब्रावणकोरके ४० लाख लोग ब्रावणकोरमें बनी खादी ही पहनें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप खादीसे सालाना १ करोड़ ६० लाख रुपयेकी बचत करेंगे। आप खादीके अर्थ-शास्त्रका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तो देखेंगे कि आवकारी राजस्वको हटाने और आमदनीका दूसरा जरिया ढूँढनेकी समस्या सबसे आसान बन जायेगी। आप इस महान उद्देश्यको अपने उस समयका उपयोग करके नहीं जो आप किसी आवश्यक कार्यमें लगाते हैं, बल्कि व्यर्थ जानेवाले समयका उपयोग करके पूरा कर सकते हैं। इस खादी उद्योगका उद्देश्य किसी एक भी मौजूदा उद्योगका स्थान लेना नहीं है। इसका उद्देश्य राष्ट्रके खाली समयका उपयोग करना है। मुझे कई ब्रावणकोरवासियोंसे मालूम हुआ है कि यहाँके लोगोंके पास इतना फालतू वस्तु है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि वे कुछ हदतक आलस्यका जीवन व्यतीत करते हैं।

मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों बातें, जो मैंने आपको सुझाई हैं और जिनके बारेमें मैंने आपसे चर्चा की है, मेरे जानेके बाद भी आपके दिमागमें बनी रहेंगी। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको मेरे शब्दोंको समझनेकी बुद्धि और उनपर अमल करनेकी शक्ति प्रदान करे।

[ अंग्रेजीसे ]

हिल्डू, १५-१०-१९२७

यंग इंडिया, २०-१०-१९२७

## ८४. टिप्पणियाँ

### सच्ची शिक्षा

प्रोफेसर मलकानीने अहमदाबादसे नीचे लिखा तार भेजा है :

सर पुरुषोत्तमदाससे मिलने बम्बई जा रहा हूँ। केन्द्रीय कोषसे तत्काल सहायताकी आवश्यकता। बल्लभभाईने सहायताका वचन दिया है। कृपलानी और विद्यापीठके स्वयंसेवक सिंध जा रहे हैं।

सर मोक्षगुण्डम विश्वेश्वररयाने ३ अक्टूबरको पूनामें अखिल भारत स्वदेशी बाजार और औद्योगिक प्रदर्शनीको खोलते समय नीचे लिखी बातें कही बताने हैं :

यदि मेरे कहनेका विश्वविद्यालयोंपर कोई असर पड़ सके, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जबतक हमारी वर्तमान आर्थिक कमजोरी बनी हुई है, तबतक साहित्य और सैदान्तिकी पाठ्यक्रमोंमें छात्रोंकी भर्ती मर्यादित कर दो

जाये तथा विद्यार्थियोंको खेती, इंजीनियरिंग, तकनीकी विज्ञान और व्यापारकी डिग्रियोंकी तरफ आकर्षित किया जाये।

हमारी आजकलकी शिक्षा किताबी ज्ञानको जो एकांगी महत्त्व देती है, वह इसका एक बड़ा दोष है। इसीकी तरफ सर विश्वेश्वरैयाने हम सबका ध्यान खींचा है। मैं इससे भी ज्यादा गम्भीर एक और दोष बताना चाहता हूँ। विद्यार्थियोंके मनमें ऐसा खयाल पैदा किया जाता है कि जबतक वे स्कूल-कालेजमें किताबी ज्ञान अर्जित करनेमें लगे हुए हों, तबतक उन्हें पढ़ाईको नुकसान पहुँचाकर सेवाके काम नहीं करने चाहिए, मले ही वे काम कितने ही छोटे या थोड़े समयके हों। विद्यार्थी यदि राहत-कार्य करनेके लिए अपनी साहित्य या उद्योगकी शिक्षा मुलतवी रखें, तो इससे वे कुछ खोयेंगे नहीं, बल्कि उन्हें बहुत लाभ होगा। गुजरातमें कुछ विद्यार्थी आज ऐसा काम कर रहे हैं। हर प्रकारकी शिक्षाका व्यय सेवा ही होना चाहिए। और यदि शिक्षा-कालमें ही विद्यार्थीको सेवा करनेका दुर्लभ अवसर मिले, तो उसे अपना बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए और इसे अपनी शिक्षामें बाधाके बजाय उसका पूरक मानना चाहिए। इसलिए गुजरात राष्ट्रीय कालेजके विद्यार्थियों द्वारा सेवाका काम करनेके लिए गुजरातकी हृदके बाहर जानेके विचारका मैं हृदयसे स्वागत करता हूँ। थोड़े ही दिन पहले मैंने कहा था कि हममें प्रान्तीयताकी सकीर्ण भावना न आनी चाहिए। राहत देनेका काम करनेवालोंका दल खड़ा कर सकनेकी दृष्टिसे जितना संगठन गुजरातमें है, उतना सिन्धमें नहीं है। इसलिए गुजरातसे यह आशा रखी जाती है कि वह अपने स्वयंसेवकोंको सिन्धमें या दूसरे किसी प्रान्तमें, जहाँ-कहीं उनकी सेवाकी जरूरत हो, वहाँ भेजेगा। और फिर सामान्य रूपसे गुजरात, और विशेष रूपसे गुजरात राष्ट्रीय शालाके छात्रोंके ऊपर सिन्धका ऋण है, जिसने असहयोग आन्दोलनके दौरान तीन प्रतिष्ठित शिक्षा-शास्त्री भेजे थे— आचार्य गिडवानी, आचार्य कृपलानी और अध्यापक मलकानी। अतः गुजरातके छात्र सिन्ध जाकर अपने साधारण कर्तव्यका ही निर्वाह करेगे।

### गुरुकुल कांगड़ीसे सहायता

गुजरातने संकट-निवारणके लिए जो अपील की थी, उसका जो जवाब मिला है वह बहुत ही सन्तोषकारक है। जिन्होंने शुरूमें ही मदद भेजी, उनमें दो संस्थाएँ भी थीं : गुरुकुल कांगड़ी और शान्तिनिकेतन। यह समझकर कि उनके दानसे मुझे कितनी खुशी होगी, उन्होंने दानकी खबर मुझे तारसे दी और दान सीधा श्री वल्लभ-भाईके पास भेजा। गुरुकुलकी तरफसे दानकी जो चार किस्तें आईं, उनका व्यौरा आचार्य रामदेवजीने मुझे लिखा है। वे कहते हैं कि अभी और मिलनेकी आशा है। वे लिखते हैं :

शिक्षकोंने अपनी तनस्वाहमँ से अमुक फीसवी रकम दी है। ब्रह्मचारियोंने हमेशाकी तरह अपने कपड़े धोबीसे न धुलवाकर स्वयं अपने कपड़े धोये और रुपया बचाया है। कन्या गुरुकुलकी ब्रह्मचारिणियोंने अमुक समयतक दूध-धो छोड़कर बचत की है।

गुजरातमें मदद लेनेवाले और वांटनेवाले याद रखें कि जो दान मिला है, उसमें से कुछके पीछे कितना त्याग रहा है। जब स्वामी श्रद्धानन्दजी गुरुकुलके कुलपति थे, तब दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहकी लड़ाईके समय गुरुकुलमें उन्होंने त्यागकी जो प्रथा सर्वप्रथम डाली थी, उसकी याद मुझे गुरुकुलके लड़के-लड़कियोंके आजके त्यागने आती है। इसलिए गुरुकुलकी परम्परामें पले हुए लड़के-लड़कियोंसे खास मीकोंपर इस तरहकी कुरवानीकी आशा तो हमेशा रखी ही जायेगी।

#### गौरक्षा-सम्बन्धी पुरस्कार-निबन्ध

पाठकोंको याद होगा कि २९ अक्टूबर, १९२५ के 'यंग इंडिया' में मैंने सूचना निकाली थी कि श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवन झवेरीकी ओरसे गौरक्षापर हिन्दी, संस्कृत या अंग्रेजीमें सबसे अच्छे लेखके लिए १००० रुपयेका पुरस्कार दिया जायेगा। इसी प्रकार १३ दिसम्बर, १९२५ के 'नवजीवन' में भी श्रीयुत तुलसीदास खीमजीकी ओरसे इसी विषयपर गुजरातीमें सर्वोत्तम लेखके लिए २५१ रुपयेके पुरस्कारकी विज्ञप्ति निकली थी। शर्तें निम्नलिखित थी :

निबन्ध ३१ मार्च, १९२६ (बादमें समय ३१ मईतक बढ़ा दिया गया था) तक मन्त्री, अ० भा० गौरक्षा मंडलके पास सत्याग्रहाश्रम, सावरमतीमें पहुँच जाना चाहिए। . . . इसमें गौरक्षाकी प्रवृत्तिके उद्भव, गौरक्षाके अर्थ और फलितार्थपर विचार होना चाहिए और समर्थनमें प्रमाण उद्धृत करने चाहिए। इसमें शास्त्रोंकी विवेचना होनी चाहिए और इसका पता लगाया जाना चाहिए कि क्या शास्त्रोंमें गौरक्षक संस्थाओंके लिए दुग्धालय और चर्मालय चलानेकी मुमानियत है। इसमें हिन्दुस्तानमें गो-रक्षाका इतिहास और समय-समयपर उसके लिए अपनाये गये तरीके दिये जाने चाहिए, हिन्दुस्तानकी पशु-संख्या देनी चाहिए और चरागाहोंके मसलेपर और हिन्दुस्तानमें चरागाहोंके प्रश्नपर सरकारकी नीतिका क्या परिणाम होता है उसपर विचार होना चाहिए और गो-रक्षाके उपाय सुझाये जाने चाहिए।

आचार्य आनन्दशंकर वापूभाई ध्रुव, श्रीयुत चिन्तामणि विनायक वैद्य और श्रीयुत वालजी गोविन्दजी देसाई परीक्षक नियत हुए थे। मुझे यह प्रकाशित करते हुए खेद होता है कि सभी परीक्षकोंका स्वतन्त्र रूपसे अलग-अलग मत है कि कोई निबन्ध शर्तोंके मुताबिक पुरस्कारके योग्य नहीं है। परीक्षाफल प्रकाशित करनेमें कई कारणोंसे देर होनेका मुझे खेद है, मगर उन कारणोंको बतानेकी कोई जरूरत नहीं है। मगर जिन लोगोंने इस विषयका अध्ययन किया है, और इस महत्त्वपूर्ण सवालमें जिन्हें दिलचस्पी हो, उनसे मैं पुनः ऐसे लेख लिखनेका प्रयत्न करनेको कहूँगा जो इस विषयके महत्त्वके अनुरूप हों। जिन्होंने पुरस्कारके लिए लेख लिखे थे, वे फिर कोशिश करें। परीक्षक मुझे बतलाते हैं कि कुछ लेखकोंके कामसे परिश्रम झलकना है मगर उन्होंने भी विषयके अनुरूप परिश्रमपूर्वक खोज नहीं की है, और पुरस्कारकी शर्तोंका पालन तो शायद ही किसीने किया हो।

अगर्चे यह पुरस्कार अब मंसूख मान लिया जाना चाहिए, मगर कोई योग्य निबन्ध तैयार हो और वे मन्त्रीके पास भेजे जायें तो परीक्षकोको उनकी जाँच करनेके लिए तैयार करनेमें या उनके योग्य सावित होनेपर फिरसे पुरस्कार देनेके लिए दाताओको राजी करनेमें मैं कठिनाईकी आशाका नहीं करता। अगर यथेष्ट लेखक लेख लिखने या फिरसे नया लेख लिखनेका इरादा जाहिर करते हुए पहलेसे ही अपनी योग्यता और नाम लिख भेजें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं पुरस्कारोके लिए फिरसे सूचना निकाल सकूँगा और शर्तें तो फिर भी वे ही रहेगी।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १३-१०-१९२७

## ८५. हिन्दू कानून और मंसूर

बगलोरके श्रीयुत भाष्यम् अय्यंगार लिखते हैं :

आजके प्रचलित हिन्दू कानूनके सिद्धान्त दिकियानूस और न्याय तथा समताकी हमारी भावनाके विरुद्ध है। मैं नीचे थोड़े-से उदाहरण देता हूँ :<sup>१</sup>

ऐसे कई उदाहरण हैं मगर मैंने कुछ थोड़े-से ही चुने हैं।

सोचने-समझनेवाले लोगोंको ये तमाम विधान बहुत अखरते हैं, और वे सुधार चाहते हैं। कानूनको बदलनेका एकमात्र रास्ता है विधान बनाना। लोकमतको जाने बिना विधानसभा कोई कानून बना नहीं सकती। और इसका एकमात्र रास्ता यह है कि इस उद्देश्यके लिए एक समिति नियुक्त की जाये जो लोकमतका पता लगाये। इसलिए मैंने, हमारी विधानसभाके पिछले वजट अधिवेशनमें, इस प्रश्नपर विचार करने, गवाहियाँ लेने और उनके आधारपर कानून बनानेके लिए सुझाव देनेवाली एक समिति नियत करनेका प्रस्ताव किया था। उसे सभाने एकमत होकर स्वीकार किया था।

हालाँकि राज्य-भरमें लोग इसे चाहते हैं, मगर वह समिति अभी बनी नहीं है। इसमें डर यह भालूम पड़ता है कि अभीतक ब्रिटिश सरकारने अपने शासित प्रदेशोंमें इस मामलेमें कुछ नहीं किया है, इसलिए मंसूरके किसी काम पर शायद लोग हँसें। जैसा कि आपने कहा था, यह खयाल बेहूवा है। मंसूर यह काम करनेके लिए विशेष रूपसे उपयुक्त है, जबकि ब्रिटिश भारतके सामने सचमुच कठिनाइयाँ हैं। मंसूरको खास सुविधाएँ हैं, जिनकी उपेक्षा करना हमारे लिए बुद्धिमानकी बात नहीं होगी। हमें सौभाग्यसे अत्यन्त ऊँचे खयालातके

१. पत्रलेखकने उत्तराधिकार, पुनर्विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, दत्तक पुत्र लेने आदिके बारेमें दस विधानोंका उल्लेख करते हुए सुझाव दिया था कि मंसूर राज्यको कानून बनाकर वांछनीय सुधार करने चाहिए।

महाराजा मिले हें और वैसे ही ईमानदार और प्रगतिशील विचारोंवाले दीवान भी। अतः अगर आज हम ये इष्ट सुधार नहीं कर सकते तो फिर कभी नहीं कर सकेंगे।

क्या आप इस बातकी चर्चा 'यंग इंडिया' में कर सकते हैं?

इस पत्रको ऐसा महत्त्वपूर्ण स्थान देनेका यह मतलब नहीं लगाना चाहिए कि मैं लेखकके सुझाये हरएक सुधारका समर्थन ही करता हूँ। वेशक इनमें से कुछपर तो तुरन्त ही ध्यान देनेकी जरूरत है। इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है कि जो लोग हिन्दू-समाजको उसकी असंगतियोंसे मुक्त करना चाहते हैं, उन्हें इन सबपर गौर करना चाहिए।

अंग्रेजोंके जमानेसे पहले यहाँ करोड़ों लोगोंके जीवनका नियमन करनेवाले एक निश्चित हिन्दू कानून-जैसी कोई चीज नहीं थी। स्मृतियोंके नामसे प्रसिद्ध नियमावलि आचरण-सम्बन्धी कठोर नियमोंकी संहिता नहीं थी, बल्कि पथप्रदर्शक मात्र थी। इन नियमोंको कानूनकी वह वैधता नहीं प्राप्त थी, जिससे आजके वकील परिचित हैं। स्मृतियोंके निषेधोंका पालन कानूनकी अपेक्षा सामाजिक दण्डोंके भयसे अधिक होता था। जैसा कि स्मृतियोंमें मिलनेवाले परस्पर विरोधी श्लोकोंसे पता चलता है, वे भी हमारी तरह ही लगातार क्रमिक विकासकी प्रक्रियाओंसे गुजर रही थी और जैसे-जैसे समाजविज्ञानके नये सिद्धान्त सामने आते जाते थे, उनमें भी अनुकूल परिवर्तन होते रहते थे। बुद्धिमान राजाओंको नई परिस्थितिके अनुसार उनकी नई व्याख्या करानेकी स्वतन्त्रता थी। हिन्दू-धर्म या हिन्दू-शास्त्र कभी अटल और अपरिवर्तनीय नहीं थे, जैसा कि आज उन्हें बतलाया जा रहा है। वेशक उस समय ऐसे राजा और मन्त्री होते थे, जिनमें समाजकी श्रद्धा और निष्ठा पाने योग्य बुद्धिमत्ता और सत्ता होती थी। अगर अब तो यह सोचनेका चलन हो गया है कि स्मृतियों और शास्त्रोंके नामसे चलनेवाली सभी चीजें सर्वथा अपरिवर्तनीय हैं। जिन श्लोकों पर अमल करना हमारे लिए असम्भव होता है या जो हमारी नैतिक प्रवृत्तिके विरुद्ध मालूम होते हैं, उनकी हम मजेमें अपेक्षा कर देते हैं। अगर हिन्दू-समाजको सारे संसारके साथ-साथ उन्नति करनी है तो यह अत्यन्त असन्तोषजनक स्थिति एक-न-एक दिन और किसी-न-किसी प्रकार बदलनी ही होगी। अंग्रेज शासकोंका अपना दूसरा धर्म और दूसरा आदर्श है, जिसके कारण वे ये परिवर्तन नहीं कर सकते। उनका आदर्श है अपनी व्यापारिक प्रभुताको बनाये रखना और इस आदर्शकी प्राप्ति के लिए सभी नैतिक या अन्य आवश्यकताओंको तिलांजलि दे देना। इसलिए जबतक हिन्दू लोकमत स्पष्ट रूपसे इसकी माँग नहीं करता—यह माँग उनके आदर्शको बिना कोई हानि पहुँचाये की जा सकती है—तबतक वे हमारे रीति-रिवाजों और तथाकथित कानूनोंमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करेंगे, और न उसका समर्थन करेंगे। और ब्रिटिश-भारत-जैसे विशाल क्षेत्रमें, जहाँ भिन्न-भिन्न विचारवादाएँ और कानून प्रचलित हैं, हिन्दू लोकमतको मिलते-जुलते मुद्दोंपर एकमत करना कठिन है। और जैसा-कुछ लोकमत यहाँ है, उसका ध्यान स्वभावतः और आवश्यक रूपसे राजनीतिक

स्वतन्त्रताके संग्राममें लगा हुआ है। मैसूर-जैसी रियासतमें न तो ये कठिनाइयाँ हैं और न यहाँ ऐसा कोई संग्राम ही है। मेरी नम्र सम्मतिमें, हिन्दू कानूनकी असंगतियोंको दूर करने आदिके काममें मैसूरको आगे बढ़कर ब्रिटिश भारतको रास्ता दिखाना चाहिए। ऐसे परिवर्तन करनेके लिहाजसे मैसूर राज्य काफी बड़ा और काफी महत्त्वपूर्ण है। यहाँ उत्तरोत्तर एक सवैधानिक राजतन्त्र स्थापित हो गया है। इसकी अपनी एक विधान-सभा है, जो सामाजिक परिवर्तनको आरम्भ कर सके, इस लिहाजसे काफी प्रातिनिधिक है। हिन्दू कानूनमें जो परिवर्तन जरूरी हो, उनपर विचार करनेके लिए एक समिति नियुक्त करनेका प्रस्ताव विधान-सभाने पहले ही पास कर दिया है। और यदि एक ऐसी शक्तिशाली समिति नियुक्त कर दी जाये, जिसमें रूढ़िवादी और प्रगतिशील दोनों हिन्दू विचारधारानोंके यथेष्ट प्रतिनिधि हो, तो उसकी सलाह निश्चय ही उपयोगी सिद्ध होगी, और उनसे परिवर्तन करनेके लिए रास्ता तैयार होगा। ऐसी समितियोंके गठनके सम्बन्धमें मैसूर-विधान-सभाके क्या नियम हैं, यह मैं नहीं जानता, मगर इसमें सन्देह नहीं है कि वे इतने लचीले हैं कि उनके अन्तर्गत ऐसी समितिमें मैसूरके बाहरके लोग भी शामिल किये जा सकते हैं। खैर कुछ भी हो, श्रीयुत माप्यम अग्र्यंगारने यह दिखला दिया है कि कई बातोंमें हिन्दू कानूनको बदलना परमावश्यक है। इस सुधारको, जिसमें पहले ही काफी देर हो चुकी है, गुरु करनेमें मैसूरसे अधिक उपयुक्त दूसरा कोई राज्य नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १३-१०-१९२७

## ८६. नीलकी प्रतिमा-सम्बन्धी सत्याग्रह'

इस आन्दोलनसे सम्बन्धित स्वयंसेवकोने मुझे जो वचन दिया था, उसके मुताबिक मैंने जो बातें जाननी चाहीं थी, उनसे 'सम्बद्ध कागज-पत्र उन्होंने मुझे भेज दिये हैं। उनसे यह मालूम होता है कि जब मुझे ये कागज-पत्र भेजे गये तब उस आन्दोलनको चलते हुए कोई डेढ महीना हुआ था, और इस अवधिमें ३० स्वयंसेवकोने अपनेको गिरफ्तार कराया है। इनमें से २९ हिन्दू, एक मुसलमान, एक पैंतीस वर्षीया महिला और एक उनकी ९ सालकी लड़की है। इन ३० जनोंमें से दो ने माफी माँग ली, और वे छूट गये। यह माफी माँगना यदि छूटके रोग-सा साबित न हो तो कुछके माफी माँग लेनेसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरएक संघर्षमें कुछ ऐसे लोग होते ही हैं। जो लोग जेल गये हैं, वे कोई प्रसिद्धि-प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं। सत्याग्रहके संग्राममें यह बात हानिकर नहीं, बल्कि लाभदायक ही है। सत्याग्रहमें सत्यसे मिलने-वाली प्रतिष्ठाके सिवा दूसरी किसी प्रतिष्ठाकी आवश्यकता नहीं है और स्वेच्छासे कष्ट सहनेके बलके सिवा दूसरे किसी बलकी आवश्यकता नहीं है। यह बल अपने उद्देश्यके प्रति अटल विश्वाससे और पूर्ण अहिंसावृत्तिसे मिलता है।

१. देखिए "नीलकी प्रतिमा और अहिंसा", २९-९-१९२७ भी।

स्वयंसेवकोंको अवीर नहीं होना चाहिए। अवीरता हिंसाकी एक स्थिति है। सत्याग्रहीका विजयसे कोई वास्ता नहीं होता। उसका उसे निश्चय होता है, परन्तु वह यह भी जानता है कि विजय देनेवाला तो एक ईश्वर ही है। उसका अपना काम तो सिर्फ कष्ट-सहन करना है।

मुझे जो कागज-पत्र भेजे गये हैं, उनमें आमदनी और खर्चका हिसाब दिया गया है। आमदनीका हिसाब ब्यौरेवार है और कुल जमा रु० २२८-२-६ बताये गये हैं। कुल खर्च भी उतना ही दिखाया गया है। वह इस प्रकार है— भोजन खर्च रु० ७१-७-९; गाड़ी-साड़ा : रु० ५३-२-६; समाके विज्ञापनोंकी छपाई आदि : रु० ३९-४-०; व्यवस्था और डाकखर्च : रु० २१-८-९; सामाने बत्ती आदिका खर्च : रु० २२-८-०। मैं इस व्ययसे सन्तुष्ट नहीं हूँ। मैंने और ब्यौरेवार हिसाब मांगा है। मैं सत्याग्रहियोंसे कहूँगा कि वे भोजन, गाड़ी और बत्ती इत्यादिपर ज्यादा खर्च न करें। इसमें यदि मेरी कोई भूल होती हो तो वे सुचारों। मैं यह जानता हूँ, मेरी अपनी समाजोंमें भी इन चीजोंपर अपव्यय होता है। कांग्रेसके कार्यपर भी जरूरतसे ज्यादा खर्चका आरोप लगाया जा सकता है। परन्तु दरिद्रनारायणके प्रतिनिधिके नामसे अपनी पहचान देनेवाले मेरे-जैसोंके सम्बन्धमें भी क्या होता है, इसका दृष्टान्त देकर मैं अपना अभिप्राय बताना चाहता हूँ। जहाँ ६ सन्तरे काफी होंगे वहाँ ६० लये जाते हैं, जहाँ एक मोटरसे काम चलता है वहाँ ६ तैयार रखी जाती है, और जहाँ एक हरिकेन लालटेनसे काम चल सकता है वहाँ कई-एक बड़ी गैस बत्तियाँ रखी जाती हैं। सत्याग्रहियोंको यह समझना चाहिए कि उनको जो धन मिलता है, उसमें से एक-एक पैसेको एक कंजूस आदमीकी तरह खर्च करना उनका फर्ज है। मेरा सुझाव है कि वे किसी प्रतिष्ठित स्थानीय व्यक्तिको अपने तमाम रुपये सौंप दें और किसी परोपकारी लेखा-परीक्षकसे अपने हिसाबकी निःशुल्क जाँच कराया करे। सार्वजनिक धन खर्च करनेमें बड़ी प्रामाणिकता और सावधानीकी आवश्यकता है। स्वस्थ सार्वजनिक जीवनके विकासकी यह अपरिहार्य शर्त है।

तीसरे कागजमें सत्याग्रहियों द्वारा लोगोंसे की गई अपील है। सत्याग्रहीकी अपीलमें भाषा विनययुक्त होनी चाहिए। इस अपीलमें यों कोई अनुचित बात नहीं लिखी गई है, परन्तु उसे और अच्छा बनाया जा सकता था। “नीलको ही नहीं, उसकी अधम जातिके सभी लोगोंको यहाँसे हटना चाहिए” — यह वाक्य उस अपीलकी शोभा बिगाड़ देता है। जनरल नील तो इस संसारमें नहीं है। हमें तो उसकी प्रतिमाने निपटना है; और कहें तो प्रतिमासे भी नहीं निपटना है। हमें तो जिस सिद्धान्तकी प्रतीक यह प्रतिमा है, उसका नाश करना है। हम किसी भी मनुष्यको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। और हम कष्ट-सहन द्वारा लोकमतको, जिसमें अंग्रेजोंका लोकमत भी शामिल है, अपने पक्षमें करके अपने लक्ष्यको प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कार्यमें क्रोध और घृणाकी भापाके लिए स्थान नहीं हो सकता।

इतनी बात तो स्वयंसेवकोसे रही।

जनताका भी इन स्वयंसेवकोंके प्रति एक कर्तव्य है। लोग भले ही जेल न जायें, परन्तु वे इस आन्दोलनकी अनेक प्रकारसे निगरानी कर सकते हैं, उनपर अक्रुश

रख सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं और मदद कर सकते हैं। इस प्रतिमाको हटानेका आन्दोलन एक भयंकर रोगके एक लक्षण-मात्रका नाश करनेका आन्दोलन है। और इस प्रतिमाको हटानेसे हालाँकि रोग ठीक नहीं होगा, तथापि इससे पीड़ामें कुछ कमी होगी और रोगके निदानका रास्ता मिलेगा। अक्सर किसी गहरे रोगके बाह्य चिह्नोपर प्रहार करनेसे मूल रोगकी जड़तक पहुँचा जा सकता है। इसलिए सत्याग्रही स्वयंसेवक जबतक शुद्ध हंगसे और सत्याग्रहकी शर्तोंका पालन करते हुए युद्ध करते जायेंगे, तबतक वे लोगोकी मदद और सहानुभूतिके अधिकारी बने रहेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १३-१०-१९२७

### ८७. खादीके नमूने

अ० भा० चरखा संघके तकनीकी विभागकी ओरसे मुझे खबर मिली है कि सभी खादी भण्डारोने अपने-अपने नमूनोंके साथ आवश्यक विवरण नहीं भेजे हैं, और कुछने तो अपने नमूने भी नहीं भेजे हैं। जिन लगभग ४० जगहोंसे नमूने आये हैं, उनमें लगभग २० ने आवश्यक सभी विवरण नहीं दिये हैं। इसलिए वे विवरण क्या हो, यह मैं नीचे देता हूँ :

हरएक टुकड़ा चार वर्गगजका होना चाहिए, जिसके साथ एक पुर्जा इन विवरणोंके साथ होना चाहिए :

१. (इंचोंमें) अरज;
२. थानकी लम्बाई (गजोंमें);
३. तानेमें प्रति इंच सूतोंकी संख्या, तानेके सूतका अंक और भरनीमें फी इंच सूतोंकी संख्या;
४. फी वर्गगजका तौल (तोलोंमें);
५. फी गज लागत; और
६. फी गज बिक्रीकी कीमत।

खादी भण्डारोंको समझना चाहिए कि ये विवरण देना उनके लिए भी उतना ही लाभकर है जितना कि साधारण खादी-आन्दोलनके लिए। यदि तकनीकी विभागको उसके अनुसन्धान-कार्यमें विभिन्न खादी भण्डारों और अन्य कार्यकर्ताओंकी सहायता नहीं मिलती तो उसके लिए सामान्य अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना और खादी उत्पादकोंका मार्गनिर्देशन करना असम्भव है। और जबतक प्रधान कार्यालयके आदेशका उसके नीचेकी सब संस्थाएँ तुरन्त पालन न करें तबतक अनुशासनका विकास करना असम्भव होगा, और जबतक सभी जगह स्वेच्छया अनुशासनका पालन न किया जायेगा तबतक अ० भा० चरखा संघके लिए अपना उद्देश्य पूरा कर पाना असम्भव होगा।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १३-१०-१९२७



## ८८. भाषण : एर्नाकुलम्में

१३ अक्टूबर, १९२७

मित्रो,

मैं आपको अमिनन्दनपत्र तथा थैलियोंके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपको यह जानकारी दिलचस्प लगेगी कि ये थैलियाँ कौसी है; करीब ५०० रुपये छात्रोंसे मिले हैं और ४०० रुपयेसे कुछ अधिक जनताकी ओरसे। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ एकत्र जनता इस अन्तरके अर्थको समझेगी और समा छोड़नेसे पहले इस कमीको पूरा कर देगी। मुझे आपको यह सूचित करते हुए भी खुशी है कि दरवारकी ओरसे मुझे ५०० रुपयेका एक चैक दीवान साहबसे प्राप्त हुआ है और ३०० रुपये मुझे महाराजाकी बेटी श्रीमती विलासिनीकी ओरसे, जो इस समय इंग्लैंडमें हैं, महारानीजीके जरिये प्राप्त हुए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि महारानीकी वहन श्रीमती रत्नम् द्वारा काते गये काफी वारीक सूतका एक पार्सल भी प्राप्त हुआ है, जिसमें से कुछ सूत स्वयं महारानीजीने काता है। स्पष्टतः मैं एर्नाकुलम्में जो खादीके अनुकूल वातावरण देख रहा हूँ, उसका कारण यही है कि महाराजाके परिवारके लोग खादीको पसन्द करते हैं। और मुझे यह जानकर भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि ईसाई, हिन्दू, यहूदी—हमारे बीच कुछ यहूदी मित्र भी हैं—यहाँतक कि कुछ मुसलमान भी खादीको पसन्द करते हैं। लेकिन साथ ही मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि आजसे दो वर्ष पूर्व यहाँ खादीके प्रति जो उत्साह था, वह अब नहीं है। मेरी रायमें यह चीज गलत है। हमपर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि हम बहुत जल्दी उत्साहित हो उठते हैं और यह उत्साह एकाएक गायब भी हो जाता है। मैं चाहूँगा कि आप इस आरोपको झूठा प्रमाणित कर दें। और मेरी नम्र रायमें खादीका कार्य एक ऐसा कार्य है जिसमें सतत प्रयत्न और लगातार उत्साह बनाये रखना जरूरी है।

और यदि मैं आपको यह बात समझा सकूँ कि भारतके ७,००,००० गाँवोंमें रहनेवाले करोड़ों भूखे प्राणियोंके लिए खादीका क्या महत्व है तो आप समझ सकेंगे कि यह उत्साह और प्रयत्न न केवल आवश्यक है, बल्कि अपरिहार्य है। यह तथ्य याद रखिए कि खादीका उद्देश्य शहरोंमें रहनेवालोंकी नहीं, बल्कि गाँवोंमें रहनेवाले करोड़ों भूखे लोगोंकी सेवा करना है।

गांधीजीने कहा कि मैं इसे एक शुभ लक्षण मानता हूँ कि हम उस त्यागपर एकत्र नहीं हुए हैं जो दक्षिण भारतका एक उत्तम बन्दरगाह बननेवाला है, बल्कि कालेजके मैदानमें एकत्र हुए हैं।

मैं इस चीजको भी इस बातका द्योतक मानना चाहूँगा कि इस शिक्षण-संस्थामें पढ़नेवाले लड़के और लड़कियाँ अपने धुंधा-पीड़ित माई-बहनोंकी उपाय नहीं करेंगीं।

मैं जानता हूँ कि यदि मैं केवल छात्र-जगतकी भी शक्तिका उपयोग कर सकूँ तो खादीको भारतमें घर-घर फैला देनेमें और जनसाधारणकी कष्टकर गरीबीको दूर करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। इस सुन्दर राज्यके लड़के-लड़कियाँ, स्त्री-पुरुष याद रखें कि बड़े शहरोंमें लड़के और लड़कियाँ जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह देशके मेहनतकश जनसाधारणके बलपर ही प्राप्त करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि आप कुछ देख-सीख सके, इसके लिए मैंने अपने सामने एक छोटी-सी, बहुत छोटी-सी खादी प्रदर्शनी लगा दी है।

यहाँ महात्माजीने कुछ बारीक हाथ-कत्ती और हाथ-बुनी साड़ियाँ और कुछ बटुए सामने रखे, जिनमें से कुछमें बारीक कढ़ाईका काम किया हुआ था। उन्होंने बताया कि साड़ियाँ आन्ध्र देशमें तैयार की गई थीं और ऐसी थीं जिन्हें शौकीनसे-शौकीन-मिजाज औरत पहन सकती है। उन्होंने कहा, इन प्रदर्शित वस्तुओंसे केवल उन्हीं कर्तया लोगोंको रोजी नहीं मिलती जो एक आनेसे दो आनेतक रोज कमाते हैं, बल्कि उनको भी मिलती है जो एकसे दो रुपयेतक रोज कमाते हैं। उन्होंने बताया कि कढ़ाईका काम बम्बईमें किया गया है, जहाँ बम्बईकी कुछ धनी हिन्दू और पारसी महिलाएँ बिना कुछ वेतन लिये अपनी देख-रेखमें लगभग १५० लड़कियोंकी एक कक्षा चलाती हैं। महात्माजीने कहा कि ये प्रदर्शित चीजें उन मिलके बने कपड़ोंसे कहीं अच्छी हैं, जिन्हें आपमें से बहुत-से लोगोंने पहन रखा है और जिन्हें पहननेमें त्रावणकोर और कोचीनकी महिलाओंको हमेशा बहुत खुशी होती है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने रखी ये खादीकी चीजें राष्ट्र-भावना और धार्मिक भावनासे भरी हुई हैं। मैंने जिस खादीका जिक्र किया है, उसे पहननेवाला स्त्री या पुरुष अपने देशके गरीबसे-गरीब व्यक्तिके साथ सीधा नाता स्थापित कर लेता है।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस खादी-कार्यको वक्त गुजारनेका एक साधन नहीं, बल्कि एक सौभाग्यकी बात ही समझें। मैं चाहता हूँ कि इस संस्थाके लड़के-लड़कियाँ इसे प्रेमका सन्देश मानकर अपनायें और गाँवोंमें काम करें।

महाराजा साहबने मुझे जो आतिथ्य प्रदान किया और मुझे जो उपहार भेजा है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रतिदानमें मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ कि इस राज्यमें जो कई बातें मौजूद हैं, उनमें से कुछके बारेमें अपने विचार स्पष्ट रूपसे व्यक्त करूँ। मुझ-जैसा आदमी अन्य किसी प्रकारसे कोई सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं उसी समस्याकी चर्चा करूँगा, जिसने मेरा ध्यान त्रावणकोरमें अपनी ओर आकृष्ट किया था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यह समस्या आप कोचीनके लोगोंके लिए भी उतनी ही चिन्ताका विषय है जितनी कि त्रावणकोरके लोगोंके लिए है। आपके यहाँ अस्मृश्यता है। यहाँ कुछ जातिके लोगोंको दूसरे लोग अपने निकट-तक नहीं आने देते, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखना भी पाप माना जाता है। और यह सब मुझे एक ऐसे राज्यमें देखकर दुःख होता है जिसपर एक हिन्दू राजाका शासन है। अस्मृश्यता इन हिन्दू राज्योंमें हो, यह अत्यन्त खेदकी बात है।

(एक आवाज : यहाँ तो यह त्रावणकोरसे भी ज्यादा उग्र रूपमें वर्तमान है) जब अन्वकारका साम्राज्य हो, तब कम और ज्यादा अन्तर करनेसे क्या फायदा ? मैं स्वीकार करता हूँ कि हालके वर्षोंमें काफी सुधार हुआ है। मैं मानता हूँ कि महाराजा साहब और उनके अमलोंमें प्रगतिकी रफ्तार तेज करनेकी इच्छा है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि राजघरानेके एक सदस्य पुलाया माइयोके लिए एक संस्था चला रहे हैं। लेकिन मेरे लिए इतनी प्रगतिसे संतुष्ट होना सम्भव नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि महाराजा साहब और उनके अमले भी अब मेरी ही तरह इन युगों पुराने अन्यायोंके प्रति अवीर हो उठें। राज्यके शासककी हैसियतसे महाराजा साहब प्रगतिको एक छोटे फुटसे नापकर संतुष्ट होनेका दावा कर सकते हैं। लेकिन पवित्र हिन्दू-धर्मके संरक्षककी हैसियतसे उन्हें इन अन्यायोंको चिरस्थायी नहीं बनने देना चाहिए, जो हिन्दू-धर्मको खोलला किये दे रहे हैं। अच्छे मौसममें किसी जहाजके कप्तानके लिए मामूली रफ्तारसे यात्रा करते हुए भी ठीक समयपर अपने गन्तव्य बन्दरगाहपर पहुँच जानेकी आशा करना उचित हो सकता है लेकिन हिन्दू-धर्मकी यह नौका तो बिलकुल वदलीवाले और तूफानी मौसममें यात्रा कर रही है। अन्य धर्मोंकी भाँति हिन्दू-धर्म भी आन्तरिक उथल-पुथलके दौरसे गुजर रहा है। दुनियाकी निगाहें भारतके करोड़ों लोगोंपर लगी हुई हैं। वे उत्सुकतासे इस बातकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम हिन्दू इस समस्याको कैसे सुलझाते हैं। और एमे तूफानी मौसममें प्रगतिकी धीमी रफ्तारसे संतुष्ट होना आत्मघातक है। अगर हम उस तूफानसे आगे निकल जाना चाहते हैं जो फटने-फटनेको है तो हमें वहादुरीके साथ पूरी रफ्तारसे नौका चलानी पड़ेगी। सदियोंसे इन चीजोंके संरक्षक जो पुजारी लोग रहे हैं, उनकी भावनाओं और उनके अन्वविश्वासोंको सोनेकी तुलामें रखकर तौलनेके लिए बैठे रहना असम्भव है। जिस बुराईको हर आदमी स्वीकार करता प्रतीत होता है, उसे देखते हुए इन सब पूर्वग्रहों और अन्वविश्वासोंके समाप्त होनेकी प्रतीक्षा करते बैठना सम्भव नहीं है।

इसके बाद महात्मा गांधीने कोचीनमें प्रचलित उस प्रथाका उल्लेख किया जिसके अनुसार जब देवताओंको मन्दिरोंसे निकालकर सार्वजनिक भागोंसे जुलूसमें ले जाया जाता है, उस समय अस्पृश्योंको मार्गमें नहीं पढ़ने दिया जाता, मानो उन्होंने सड़कोंके रख-रखावके लिए कर दिया ही नहीं हो। उन्होंने कहा :

आपकी विधान परिषदकी कार्यवाहियोंकी रिपोर्ट पलटते समय मैंने इस प्रथाका एक वचाव जब यह पाया कि वह अति प्राचीन रिवाजके ऊपर आधारित है, तब मुझे हँसी भी आई, दुःख भी हुआ। चूँकि मैं एक वकील रहा हूँ जिनकी वकालत किसी समय काफी अच्छी चलती थी, इसलिए मैंने अपनी याददाश्तमें यह बात ताजा करनेकी कोशिश की कि अति प्राचीन रिवाज किसे कहते हैं। और मुझे एक मामलेके बारेमें यह पढ़नेकी धुँवली याद है, जिसमें न्यायाधीशने यह तीव्री बात कही थी कि मानवताके विरुद्ध अपराध करनेके पत्रमें क्रिमी रिवाजकी अति प्राचीनताकी दलील नहीं दी जानी चाहिए। ये अति प्राचीन रिवाज समयके साथ जन्मे हैं। पाप तो

आदमके समयसे ही होता आ रहा है, लेकिन मैंने एक भी ऐसी किताब नहीं पढ़ी है, जिसमें कहा गया हो कि चूँकि पाप हमें पीढ़ी-दर-पीढ़ीसे विरासतमें मिला है, अतः उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुझे उसी रिपोर्टमें सार्वजनिक मार्गोंके उपयोगके बारेमें और भी छोटी-मोटी दिलचस्प बातें मिली हैं। मैंने उसमें देखा कि किला अवर्णोंके लिए खुला हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें एक मन्दिर है, और मन्दिरोंके निकट स्थित स्कूल सभी वर्णोंके बच्चोंके लिए खुले नहीं हैं।

आज ही तीसरे पहर मुझे दो एजवाहा मित्रोंसे मिलनेका सुख प्राप्त हुआ और मैंने उनके साथ इस प्रश्नपर लम्बी चर्चा की। इस प्रश्नके बारेमें उन्होंने जिस गहरी भावनाके साथ मुझसे बात की, उसे मैं समझ सकता था। उन्होंने जो तर्क दिये वे वैसे ही हैं जैसे तर्क ब्रिटिश भारतमें और दक्षिण आफ्रिकामें दिये जाते हैं। वर्तमान स्थितिके प्रति उनका मन एक सात्विक क्रोधसे भरा हुआ है। सबर्णोंका यह कर्त्तव्य है कि वे अस्पृश्योंको बुनियादी न्याय दिलानेके लिए राज्यपर दबाव डालें।

इसके बाद महात्माजीने देवदासियोंकी प्रथाकी चर्चा करते हुए कहा कि यह प्रथा आपका यज्ञ नहीं बढ़ाती। मुझे नहीं पता कि इस धृणित प्रथाका भी कोई धार्मिक महत्त्व माना जाता है या नहीं।

एक आवाज : कोई देवदासी इस राज्यकी नहीं है। वे सब बाहरसे बुलाई गई हैं।

महात्माजी : बाहरसे मंगाई गई शराब भी निषिद्ध होती है। (हँसी)

महात्माजीने कहा कि सारे राज्यमें यदि एक भी देवदासी हो तो यह प्रत्येक युवकके लिए लज्जाकी बात है।

आगे बोलते हुए महात्माजीने शराबके व्यापारकी चर्चा की और कहा कि शराब आयका एक अनैतिक जरिया है। अगर आपमें सच्ची राष्ट्रीय या सामाजिक भावना हो तो यह आपका ही कसूर है कि आपके बीच एक भी शराब पीनेवाला व्यक्ति हो। शराबखोरी खत्म करनेके दो तरीके हैं : (१) राज्यमें पूर्ण नशाबन्दीके लिए अनवरत आन्दोलन चलाना और (२) जो लोग शराबकी रतके शिकार हो चुके हैं, उनके बीच सुधार आन्दोलन चलाना। केवल पूर्ण शराबबन्दी काफी नहीं है और न केवल सुधार आन्दोलन ही बिना पूर्ण शराबबन्दीके सफल होगा। इन दोनों आन्दोलनोंको साथ-साथ चलना चाहिए और राजस्वकी कोई हानि बड़ी नहीं मानी जानी चाहिए। जहाँतक राजस्वका सवाल है, इस राज्यमें जितनी जरूरत है, यदि उतनी खादी आप स्वयं तैयार कर सकें तो आप लोगोंकी कमाईमें चार गुना वृद्धि कर सकते हैं।

महात्माजीने अपने भाषणको समाप्त करते हुए उपस्थित लोगोंसे अपना सन्देश याद रखनेका अनुरोध किया और कहा कि मैं चाहता हूँ, आपमें से कुछ लोग खादीके काममें, अथवा मेरे वतयों कामोंमें से किसी एक काममें लग जायें, क्योंकि ये बहुत जरूरी हैं। उन्होंने उपस्थित लोगोंसे खादी कोषके लिए अपनी सामर्थ्य-भर चन्दा

देनेकी अपील की। चन्दा एकत्र करनेवाले स्वयंसेवकोंको लोगोंने उदारतापूर्वक चन्दा दिया। महात्माजीने कहा कि प्रावणकोर और कोचीनकी महिलाओंके तनपर बहुत जेवर नहीं होते; लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि आपने जो थोड़े-बहुत जेवर पहन रखे हैं, इनसे भी मुझे ईर्ष्या होती है (इसपर बहुत जोरकी हँसी हुई।) देशमें बहुत-से लोग हैं, जो सचमुच भूखों मर रहे हैं अतः आपके लिए जेवरोंसे सजनेका कोई औचित्य नहीं है। सच्चा सौन्दर्य चरित्रकी शुद्धितामें है, जेवर पहननेमें नहीं।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १५-१०-१९२७

## ८९. पत्र : डब्ल्यू० एच० पिटको

ट्रेनमें

त्रिचूर

१४ अक्टूबर, १९२७

प्रिय श्री पिट,<sup>१</sup>

मुझे आपकी चिट्ठी पाकर तथा यह जानकर कि आप काफी देरतक सोये, खुशी हुई। सबेरे मिलना तो एक फिजूलका तकल्लुफ होता। कृपया श्रीमती पिटको बता दीजिए कि मैं उनसे हाथ मिला पाया इसकी मुझे काफी खुशी हुई।

अलेप्पीमें दिया गया मेरा भाषण तो आपने देखा ही होगा। श्री माधवन् और अन्य मित्रोंने अपना कार्य स्थगित कर दिया है, और मुझसे सलाह लिये बिना वे आगे कोई कदम नहीं उठायेंगे। और यह कहनेकी भी जरूरत नहीं कि मैं आपसे पहले सम्पर्क स्थापित किये बिना कुछ नहीं करूँगा। क्या मैं आपसे तिरुवरप्पु और सुचिन्द्रम्के मामलोंको ठीक-ठाक करनेकी आशा रखूँ? यदि आप चाहते हैं कि मैं देवस्वमके आयुक्तको लिखूँ तो मैं खुशीसे ऐसा करूँगा।

अब यदि निषेधादेश वापस ले लिये जायें तो यह एक शोभनीय कार्य होगा।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १४६२३) की माइक्रोफिल्मसे।

## १०. भाषण : त्रिचूरमें

१४ अक्टूबर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

मैं आपको अभिनन्दनपत्र तथा भेंट की गई इन अनेक थैलियोंके लिए धन्यवाद देता हूँ। त्रिचूरकी इस दूसरी यात्राका आनन्द पानेकी मेरी काफी इच्छा थी। मैं यह तो नहीं कह सकता कि त्रिचूरसे मुझे जो अपेक्षाएँ थी, वे सब पूरी हुई हैं, तथापि आज दिन-भर अनेक मित्रोंसे हुई बातचीतसे और कई संस्थाओंको देखनेपर मैंने जितना-कुछ जाना-समझा है, उससे मेरा मन आशासे भर गया है। मुझे यह देख कर बहुत हर्ष और सुख हुआ कि त्रिचूरके इन स्कूलोंमें कताई बहुत लोकप्रिय हो गई है। मैंने सैकड़ों लड़के-लड़कियोंको चरखेपर या तकलीपर कताई करते हुए देखा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा और लिखा है, कताईका काम धार्मिक श्रद्धाके साथ और सेवा तथा वैज्ञानिक भावसे करना चाहिए। मुझे श्रीमती स्वान्त द्वारा संचालित संस्थामें लड़कियोंको कताई करते देखनेका सुख प्राप्त हुआ। संस्थाके लिए श्रीमती स्वान्तके उत्साहने मुझे बहुत प्रभावित किया। लेकिन यहाँ भी मैंने देखा कि कताई वैज्ञानिक ढंगसे नहीं की जाती। जबतक कच्ची रुई न उपलब्ध हो, तबतक यदि कताईको बिलकुल दाखिल न किया जाये तो तनिक भी हर्ज नहीं होगा। लेकिन कताईके प्रति अत्यधिक उत्साह रखनेवाले उन लोगोंके हाथो भी कताईके बहुत लोकाप्रिय हो जानेका खतरा है जो कताईकी तकनीक न जाननेके कारण उसके प्रयोगमें गड़बड़ी कर सकते हैं। मुझे अपने स्कूलके दिन याद हैं। वहाँ लड़कोंको रेखागणित पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। उसका कारण लड़कोंमें नहीं, बल्कि स्वयं शिक्षकमें था। विषयकी ठीक पकड़ न होनेके कारण वह लड़कोंके सामने तख्तेपर कोई सवाल लिखकर उसके वारेमें बोलने लगता था, जिसे लड़के कभी समझ ही नहीं पाते थे। अब व्यक्तिगत तौरपर मैं मानता हूँ कि रेखागणित एक अत्यन्त दिलचस्प विषय है और उसकी रोचकताको समझ लेनेके बाद मुझे लड़को द्वारा इस विषयके विरुद्ध अकसर उठाई जानेवाली आपत्तियाँ कभी समझमें नहीं आईं। लेकिन यदि ऐसी चीजोंकी गहराईमें जायें तो आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी कोई विषय-विशेष नीरस लगता है या लड़के-लड़कियोंके बीच लोकप्रिय नहीं होता, वहाँ गलती लड़के-लड़कियोंकी नहीं होती, बल्कि मुख्य रूपसे शिक्षकोंकी होती है। लेकिन रेखागणितको, जो एक महान विज्ञान है और जिसके संसार-भरमें हजारों प्रेमी हैं, कुछ मूढ़ शिक्षकोंके कारण किसी भी प्रकारका खतरा न तो मेरे समयमें था और न अब है। मगर भारतके करोड़ों मेहनतकश लोगोंके दुर्भाग्यसे हाथ-कताई आज भी अपने अस्तित्वके लिए संघर्ष कर रही है। यूरोपीय विचारधाराके बहुतसे अर्थशास्त्री उस समय मुझपर हँसते हैं जब मैं

कताईको एक वैज्ञानिक चीज और सौन्दर्य तथा कलाका चिह्न बताता हूँ। और चूँकि वे प्रतियोगिताकी प्रणालीको, जो संसारमें सर्वव्यापी और सर्वोपरि बनी हुई है, अर्थ-शास्त्रके क्षेत्रमें अन्तिम वस्तु मानते हैं, अतः उनका विश्वास है कि कताई तो मेरा एक खिलौना-मात्र है, जो मेरे मरनेके बाद ही खत्म हो जायेगी। इसलिए आप इस शिशुके लिए, जो अपने अस्तित्वके लिए संघर्ष कर रहा है, मेरी चिन्ताको समझेंगे, और अगर मैं आपको सावधान करूँ कि आप कताईके सिलसिलेमें गलत ढंगसे काम न करें तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं यह बात १९०८ से इस विषयका ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेके बाद कह रहा हूँ। कताई उन बहुतेसे हस्तकीगलोंमें से नहीं है, जिन्हें लड़के-लड़कियाँ सीख सकते हैं या हमारे देशके लोग अपना सकते हैं, बल्कि मेरी रायमें यह भारतके क्षुधा-पीडित जन-साधारणके जीवनका मूलभूत तथ्य है। मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि किसी भी योजनामें हाथ-कताईको केन्द्रीय स्थान प्रदान किये बिना जन-साधारणकी उस गहरी गरीबीका कोई हल सम्भव नहीं है जो दिनोंदिन और गहरी होती जा रही है। इसलिए मैंने राज्यको जिस ढंगसे हाथ-कताईका समर्थन करते देखा है, उसके लिए मैं उसे बढ़ाई देता हूँ और जिन लड़के-लड़कियोंको आज मैंने देखा, उन्हें तथा शिक्षकोंको भी कताईको अपनानेके लिए बढ़ाई देता हूँ। लेकिन साथ ही मैं राज्यके अविकारियोंसे और शिक्षकोंसे, लड़के-लड़कियोंसे और उन सबसे जिनके हाथमें राज्यके कल्याणका भार है, यह अनुरोध करता हूँ कि वे इस विषयकी ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दें।

हम अहमदाबादमें तथाकथित 'अस्पृश्य' जातिके लगभग १,००० लड़कोंके साथ एक प्रयोग कर रहे हैं और मैं दावा कर सकता हूँ कि हमने काफी हदतक सफलता प्राप्त की है। यह प्रयोग श्रीमती अनसूयाबाईकी व्यक्तिगत देख-भालमें किया जा रहा है, जो स्वयं एक करोड़पति परिवारमें पली है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस प्रयोगके सिलसिलेमें जो सफलता प्राप्त हुई है उसके लिए कई विशेषज्ञोंको अपने कई बहुमूल्य घंटे उसके विकासपर खर्च करने पड़ते हैं, और वही हम इस अन्तिम नतीजेपर पहुँचे कि स्कूलोंमें चरखा लागू करना गलत होगा, और कताईको तकलीतक ही सीमित रखना जरूरी होगा। मैं उन विभिन्न प्रक्रियाओंकी यहाँ चर्चा नहीं करूँगा जिन्हें हमने वहाँ आजमाया, बल्कि मैं आपको केवल उस प्रयोगके परिणाम बताऊँगा। हर लड़केकी तकलीकी सावधानीसे जाँच की जाती है; हर लड़केके पास अच्छी तरह धुनी हुई रुईकी पूनियाँ होती हैं। तकली चलाते समय लड़कोंकी हथेलियाँ अकसर पसीनेसे नम हो जाती हैं, इसलिए उन्हें बताया जाता है कि वे ध्यान रखें कि हथेलियोंमें पसीना न आने पाये। हर लड़केका सूत सावधानीके साथ रखा जाता है और उसके बट, नम्बर और मजबूतीकी जाँच की जाती है। और हमने देखा कि अविश्वसनीय रूपसे कम समयके भीतर परिणाम ५० प्रतिशत अधिक बढ़ गया। यह भी देखा गया कि इस जाँचके फलस्वरूप औसत गतिमें भी वृद्धि हुई। इस कलाको सीखनेके लिए प्रत्येक शिक्षकको वेतनमें थोड़ी-सी वृद्धि प्रदान करके प्रोत्साहित किया गया। फल यह है कि अब हर शिक्षक अच्छा धुनिया और

अच्छा कतैया है। जांचका काम अब भी जारी है, और यह प्रयोग जितने समयसे किया जा रहा है, उसमें मिली सफलता कुल मिलाकर उत्साह-वर्धक है। और हमने वास्तविक अनुभवसे यह भी पाया है कि इस प्रकार लड़कोसे हमें जितना सूत प्राप्त हुआ है, वह मात्रामें उस सूतसे चार या पांच गुना ज्यादा है जो हमें चरखेसे मिलता था। ऐसा नहीं है कि चरखेपर काम करनेवाला लड़का तकलीके मुकाबले कम सूत निकालेगा, बल्कि इसका कारण यह देखा गया कि सभी लड़को द्वारा एक साथ चरखेपर काम कर सकना कतई असम्भव है। चरखेकी खूबी है कि वह इन नटखट लड़कोके हाथमें पड़कर बार-बार खराब हो जाता है, और मैं आपको रहस्यकी यह बात बता दूँ कि हमने यह भी पाया कि लड़के और लड़कियाँ आखिर लड़के और लड़कियाँ ही रहेंगे और नटखट भी होंगे। और उनके बीच ऐसा कोई कठोर अनुशासन तो था नहीं कि थोड़ी-बहुत निर्दोष शरारत भी वे न करे। लेकिन हमने पाया कि उनके अन्दर न समा पानेवाली शक्ति ही नटखटपनके रूपमें प्रकट होती है। इसलिए हम उस नटखटपनका उपयोग इस कामके लिए करते हैं और अब हम यदि वहाँ जायें, तो उन्हें मुस्कराते और गाते हुए खुशीके साथ और निष्ठा-पूर्वक प्रतिदिन आधा घंटा कताई करते हुए पायेंगे और हमारा लक्ष्य यह है कि हर लड़का साल-भरमें इतना सूत कात ले जिससे उसकी जरूरत पूरी हो सके और थोड़ा-बहुत उसके परिवारकी जरूरतके लिए भी बच रहे। हिसाब लगाकर देखा गया है कि यदि भारतकी आवादीका आधा हिस्सा भी अपने दैनिक अवकाशके घटोका कुछ अंश कताईके लिए दे तो सारे भारतको अपनी आवश्यकतासे भी अधिक सूत प्राप्त हो सकता है।

लेकिन मुझे इस महती समाका समय हाथ-कताईकी तफसीले बतानेमें नहीं बर्बाद करना चाहिए। यह देखते हुए कि आप यह महान प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ यह कहूँगा कि आप इस कामको बड़ी गम्भीरतापूर्वक, वैज्ञानिक तरीकेसे और कुशलतापूर्वक चलाइए। लेकिन यदि आप सचमुच गम्भीर हैं और महज इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं और यदि आपको भी मेरी तरह हाथकताईमें रुचि है, या मेरी रुचिका कुछ अंश भी आपमें है तो मैं आपसे कहूँगा कि आपके लिए यह कतई जरूरी है कि आप लड़कों और उनके माता-पिताओंमें खादी पहननेकी रुचि जगायें। मुझे आशा है, आप मेरी इस बातको समझेंगे कि जिस क्षण आप यह स्वीकार करते हैं कि लड़के खादी नहीं पहनते, उसी क्षण इस प्रयोगका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए जब बड़ी सावधानीके साथ देखनेके बावजूद मैंने पाया कि इन संस्थाओंमें मैंने जिन लड़के-लड़कियोंको देखा, उनमें से बहुत कम लोग खादी पहने हुए थे, तब मुझे बहुत दुःख हुआ। लेकिन जबतक शिक्षक लोग स्वयं उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते तबतक इसकी सम्भावना नहीं है कि लड़के और लड़कियाँ खादी पहनें और न इसीकी सम्भावना है कि बैसा करनेके लिए उनके माता-पिता उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। मैं कुछ बहुत अच्छे माता-पिताओंको जानता हूँ जो स्वयं खूब धूम्र-पान करते हैं, लेकिन जो अपने बच्चोंको धूम्रपान न करनेकी शिक्षा देनेका प्रयत्न



करते हैं। माता-पिताओं द्वारा दी जानेवाली इस शिक्षाके नयंकर परिणामोंकी आप आसानीसे कल्पना कर सकते हैं। बच्चे इन उपदेशोंपर हँस देते हैं और छिनकर घूमपान करते हैं। अतः यदि आप सचमुच सोचते हैं—और आपकी तमाम वात-चीतसे, और मुझे जो तमाम अभिनन्दनपत्र मिले हैं, उनसे तो लगता है कि आप सचमुच ऐसा सोचते हैं—कि जन-साधारणकी गरीबीकी समस्याको काफी हदतक हल करनेमें हाथ-कटाईकी प्रभावकारितामें आपको विश्वास है, तो आपके लिए घोभाकी बात यही है कि आप खादीको गम्भीरतापूर्वक स्वयं अपनायें और वातावरणको खादीकी भावना और चरखेसे भर दें।

इस राज्यमें, जहाँ ईसाई, हिन्दू और अन्य जातियोंके लड़के और लड़कियाँ इतनी अधिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, आपके लिए यह एक बड़ी आसान बात है कि जहाँतक कपड़ेकी जरूरतका सवाल है, आप इस सुन्दर राज्यको आत्म-निर्मर बना दें। हम सर दिनगा बाछके कथनको प्रमाण मानकर कह सकते हैं कि भारतकी कपड़ेकी आवश्यकता औसतन प्रति व्यक्ति करीब १३ गज है। इसलिए मैं प्रति व्यक्ति उतने कपड़ेकी लागत ४ रुपये लगाता हूँ। आप इस संख्याको राज्यकी जनसंख्यामे गुणा करके स्वयं पता चला सकते हैं कि आप कुल मिलाकर हर साल कितनी बड़ी रकम बचा सकते हैं; और अब मैं मछपानकी घृणित समस्यापर आता हूँ।

मेरे लिए यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि उस राज्यमें, जहाँ शिक्षाका इतना अधिक प्रसार है, जहाँ इतनी सारी शिक्षण-संस्थाएँ हैं, इतने सारे हिन्दू और ईसाई हैं, यह नयंकर बुराई बर्दाश्त की जाती है। जैसा कि हमारे लिए उचित है, यदि हम इस देशके सभी लोगोंको अपने सगे भाई-बहन समझते होते तो हम बुराईको एक दिन भी न टिकने दिया जाना चाहिए था। क्या हम निश्चिन्त मनसे इस नयंकर तथ्यको स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे बच्चे अपनी शिक्षाके लिए काफी बड़ी हदतक राजस्वके इस अनैतिक साधनपर निर्भर करते हैं? मैंने बहुतसे लोगोंके मुँहसे पूर्ण मद्य-निषेधके इस आवश्यक सुधारको लागू करनेमें आर्थिक कठिनाइयोंकी चर्चा सुनी है। मैंने चरखेके रूपमें आपको इस कठिनाईका एक तैयार हल प्रदान कर दिया है। यह वास्तवमें आप सबका परम कर्तव्य है कि प्रत्येक उचित उपायसे आप इस बुराईका उन्मूलन कर डालें, और यदि मैं शराबखोरीकी बुराईके बारेमें इस अन्दाजमें बोल रहा हूँ तो सोचिए कि मैं अस्पृश्यताकी बुराईके बारेमें किस ढंगसे बोलूँगा, जो इस सुन्दर राज्यमें अस्पृश्यता और अदर्शनीयता-जैसे घोर और नयंकर रूपमें प्रकट होती है।

मैं जानता हूँ कि तथाकथित अस्पृश्योंकी सहायताके लिए राज्यने बहुत-कुछ किया है। मुझे यह देखकर अतीव हर्ष हुआ कि राजपरिवारके एक सदस्य पुलाया वस्तीकी देखभाल कर रहे हैं, और इस वस्तीको राजकीय कोषसे काफी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। मुझे एक निकटवर्ती स्थानके यंग मन्स क्रिश्चियन एसोसिएशनके मन्त्रीसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जिनपर ऐसी ही एक वस्तीकी देखभालका भार है। इस वस्तीको राज्यसे ३०० या ४०० रुपये सालानाकी सहायता प्राप्त होती है। और

लोकशिक्षा निदेशकसे, जिनके साथ मुझे दिल खोलकर बातें करनेका सुख प्राप्त हुआ, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इस राज्यके स्कूलोंमें पढ़नेवाले ५० प्रतिशत लड़के इसी अस्पृश्य वर्गके हैं।<sup>१</sup> मैं आपको इस सुधारके लिए धन्यवाद देता हूँ। अब मुझे मालूम हुआ है कि स्कूलोंमें पढ़नेवाले लड़कोंका ५० प्रतिशत नहीं, बल्कि दलित या अस्पृश्य वर्गके स्कूली उम्रके लड़कोंका ५० प्रतिशत पढ़ने जाता है। मैंने पहले जो बात कही थी वह जितनी सन्तोषजनक थी, यह बात उतनी तो नहीं, फिर भी सन्तोषजनक ही है। और मैं प्रकारान्तरसे कहना चाहूँगा कि यह देखते हुए कि इन लड़कों, और मैं आशा करता हूँ कि लड़कियोंके साथ भी, जिनकी इतने लम्बे समयतक उपेक्षा होती रही, विशेष व्यवहार किये जानेकी आवश्यकता है, और चूँकि वे राज्यके साधारण स्कूलोंमें पढ़ते हैं, जो कि ठीक ही है, इसलिए मेरी नम्र रायमें शिक्षाके पाठ्यक्रममें परिवर्तनकी आवश्यकता है, और तथ्य तो यह है कि शिक्षामें आमूल परिवर्तनकी आवश्यकता वैसे भी है। इस दिशामें की गई प्रगतिके लिए मैं राज्यको और राज्यके लोगोको भी बधाई देता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने यह भी स्वीकार करूँगा कि वैसे यह प्रगति कितनी भी बड़ी क्यों न दिखाई पड़ती हो, लेकिन हिन्दू-धर्ममें जो बुराई फैल गई है, उसकी व्यापकताको देखते हुए यह प्रगति भी बहुत मामूली है। एक वर्ग-विशेषके मनुष्योंके प्रति, जो उतने ही अच्छे हैं जितने हम हैं, अस्पृश्यो-जैसा व्यवहार करके मनुष्य और ईश्वरके प्रति हमने जो पाप किये हैं, यदि उनके लिए हमें पर्याप्त प्रायश्चित्त करना है तो प्रगतिकी रफ्तारको अबतककी अपेक्षा और तेज करना पड़ेगा। यंग मैनस क्रिश्चियन एसोसिएशनके मन्त्रीने मुझे नायडी लोगोकी दशाका एक सजीव किन्तु दुःखद विवरण सुनाया। उस कष्टदायी बातचीतको विस्तारसे बतानेमें मैं आपका समय नहीं लूँगा। अपने ही बन्धु-बान्धवोपर हम हिन्दुओंने जो अन्यायपर-अन्याय थोपे हैं, उन्हें शायद आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस अन्यायका थोड़ा-बहुत निराकरण तभी हो सकता है जब हम स्वयं अपनेको धिक्कारते हुए उठ खड़े हो और इस बुराईका नाम-निशान मिटा डालें। धीरज रखनेके पक्षमें और पूर्व-ग्रहोके पक्षमें, भले ही वे पूर्वग्रह कितने ही पापपूर्ण क्यों न हों, हमेशा जो तक दिये जाते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ; लेकिन भारतके एक छोरसे लेकर दूसरे छोरतक इन वर्गोंकी दशा देखनेके बाद मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि प्रगतिकी और प्रगतिकी शक्तोंके बारेमें दार्शनिकोंकी तरह बातें सुन-सुनकर हम थक चुके हैं। मेरे लिए तो अस्पृश्यताको समूल मिटा देनेका प्रश्न हिन्दू-धर्मकी सबसे बड़ी कसीटी है। इस समस्याके अच्छे-बुरे राजनीतिक और आर्थिक बड़े परिणाम हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो यह प्रमुख रूपसे एक धार्मिक प्रश्न है। यह सवर्ण हिन्दुओंके लिए आत्मशुद्धि करनेका प्रश्न है। इसलिए जब हम इन चीजोंको धीरे-धीरे करनेकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम इन लोगोके प्रति अपना कर्त्तव्य नहीं कर रहे हैं। जबतक हममें से हरएक व्यक्ति इन लोगोके निराशासे भरे घरोंमें आशा और सान्त्वनाकी किरण पहुँचाने वाला मिशनरी नहीं बन जाता तबतक मैं सन्तुष्ट नहीं होऊँगा। अतः आप समझ सकेंगे

१. निदेशक राव साहब मथाईने यहाँ महात्माजी द्वारा दिये गये आँकड़ोंमें कुछ सशोधन किया।

कि मुझे यह देखकर गहरा दुःख क्यों होता है कि कुछ विधेय अवसरोंपर जब वे लोग सार्वजनिक मार्गोंपर से गुजरते हैं तो इन्हें धक्का देकर हटा दिया जाता है, और जो स्कूल मन्दिरोंके अहातोंमें स्थित है उनमें इस वर्गके बच्चे नहीं जा सकते। हमारे मन्दिरोंमें इन स्त्री-पुरुषोंके प्रवेशपर लगी निषेधाज्ञाकी स्वीकार कर सकना मेरे लिए असम्भव है। मेरे लिए ऐसी जगह रहनेके योग्य नहीं है जहाँ मनुष्य यह सोचनेकी धृष्टता करता हो कि अपने ही रचे हुए प्राणियोंके निकट आनेसे स्वयं इन्वर अपवित्र हो जाता है। वह मन्दिर जहाँ किसी भी मनुष्यको किसी जाति विधेयमें जन्म लेनेके कारण न जाने दिया जाता हो, मेरे लिए मन्दिर नहीं रह जाता। इसलिए मैं पूरे दिलसे और पूरे जोरके साथ आपमें से प्रत्येक व्यक्तित्वसे अपील करता हूँ कि हम जनताके प्रति अपने कर्तव्यको साहसके साथ निभायें।

एक बुराई और है जो समाजको भ्रष्ट कर रही है। मेरे पास देवदासी-प्रथाके सम्बन्धमें एक छपा हुआ खुला पत्र है, जिसपर हस्ताक्षर करनेवाले मित्रोंके नाम मैं जानता नहीं और कुछके नाम तो मुझसे पढ़े भी नहीं जा सके। इस पत्रके साथ संलग्न एक प्रतिवेदन है, जो महाराजा साहबके नाम है। इस प्रतिवेदनको पढ़कर कष्ट होता है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार आरम्भमें कुछ देवदासियाँ राज्यमें लाई गई थी और किस प्रकार अब यहाँ भी देवदासियोंकी प्रथा हो गई है, जो दिन-दिन फैलती ही चली जा रही है। मैं नहीं जानता कि प्रतिवेदनमें कहीं गई बातें किस हदतक सिद्धकी जा सकती हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यह एक भुविचारित और युक्तियुक्त प्रतिवेदन है, जिसे जिम्मेदार लोगोंने लिखा है, पढ़नेपर इसमें लिखी बातें विश्वसनीय प्रतीत होती हैं। प्रतिवेदनमें कहा गया है कि देवदासियोंसे पैदा होनेवाली लड़कियाँ, और जिन्हें देवदासियाँ अन्य वर्गोंसे गोद ले लेती हैं, वे लड़कियाँ वास्तवमें ईश्वरके नामपर ऐसे भयंकर कार्यके लिए प्रयुक्त होती हैं, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। प्रतिवेदनमें लोगोंके एक पूरे वर्गका उल्लेख किया गया है, जो इन कच्ची उभ्रकी लड़कियोंका अवैध उद्देश्यके लिए उपयोग करके स्वयं अपने-आपको और भारतको कलंकित करते हैं। मैं नहीं जानता कि प्रतिवेदनमें कहीं गई बातोंका खण्डन करना आपके लिए किस हदतक सम्भव है। लेकिन यह आप लोगोंको, जो इस राज्यमें लोकमतके नेता हैं और जो इस राज्यमें लोकमतको प्रभावित कर सकनेमें सक्षम हैं, चाहिए कि इस प्रतिवेदनको ध्यानसे पढ़ें। आप देखेंगे कि इस प्रतिवेदनमें की गई धिक्कगताओंके लिए काफी ठोस आधार है। आपको इस समस्यासे गम्भीरतापूर्वक निपटनेका प्रयत्न करना चाहिए। मैसूर सरकारने १९०९ में अपने राज्यमें मौजूद इस बहुत बड़ी बुराईसे निपटनेके लिए जो संकल्प किया था, उसका इस प्रतिवेदनमें कृतज्ञ-भावसे उल्लेख किया गया है, जो कि उचित ही है। मैं यह सोचनेका साहस करता हूँ कि यह संकल्प ऐसा है जिसकी इस राज्यको नकल करनी चाहिए। यह हमारी इन अभागी बहनोको कुछ दुनियादी न्याय प्रदान करता है। आपको शायद पता हो कि इस समय मद्रास विधान परिषदमें उसकी एक महिला सदस्या द्वारा एक विधेयक पेश करनेकी कांछिणी की जा रही है, जो काफी-कुछ मैसूर राज्यके संकल्प-जैसा ही है। प्रतिवेदनमें दिये

गये कारण मनको वैसा संकल्प लेनेके लिए कायल करनेवाले है। मैं आप सबसे इस नाजुक प्रश्नका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करनेकी सिफारिश करता हूँ।

और अब मैं छात्र-छात्राओंके सम्बन्धमें कुछ कहूँगा। आज तीसरे पहर उनसे मुझे अभिनन्दनपत्र प्राप्त हुआ था और उनसे मिलनेका भी अवसर प्राप्त हुआ था। मेरे लिए यह अत्यन्त हर्ष और सन्तोषकी बात रही है कि मुझे इस देशमें सर्वत्र हजारों छात्रोंका विश्वास प्राप्त है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हम सबके रचयिता प्रभुसे प्रतिदिन हृदयसे प्रार्थना करता रहता हूँ कि वह मुझे इस विश्वासके योग्य बनाये। मेरी कामना थी कि मेरे पास इतना काफी समय होता कि मैं इस सभामें उपस्थित लड़के-लड़कियोंके समक्ष अपना हृदय खोलकर रख सकता। मैं जानता हूँ कि शायद मैं आपको इस जीवनमें फिर कभी न देखूँ, लेकिन मेरा हृदय सदा आपके साथ है।

मुझे हमेशा लगा है कि हमारी शिक्षा कई अर्थोंमें दोषपूर्ण और अधूरी है। आपने अपने अभिनन्दनपत्रमें खुद भी यही राय व्यक्तकी है और आपने यह आदर्श आशा भी प्रकट की है कि आपके बीच मेरे आ जानेसे शिक्षाके मामलेमें सब-कुछ ठीक-ठाक हो जायेगा। कितना अच्छा होता कि ऐसी आशाका कोई ठोस आधार होता। शिक्षाकी योजनामें परिवर्तन बहुत महत्त्वपूर्ण और जरूरी है और समस्त देशमें यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने अकसर इस बारेमें लिखा है और परिपक्व आयुके कुछ छात्र शायद मेरे विचारोंसे अवगत भी हों। मैं मानता हूँ कि मेरे विचारोंमें तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ है और समयके साथ मेरे विश्वासकी तीव्रता बड़ी है। लेकिन वह उपाय तो ऐसा है जिसकी इस समय मैं आपसे चर्चा करनेका साहस भी नहीं कर सकता। यह देशके शिक्षा-शास्त्रियोपर निर्भर करता है और, उससे भी ज्यादा, वास्तवमें बहुत सारी परिस्थितियोपर निर्भर करता है जिनपर शिक्षा-शास्त्रियोंका भी वश नहीं है। अतः लड़को और लड़कियोंसे बोलनेके लिए मैंने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिससे वर्तमान पाठ्यक्रममे तनिक भी हेरफेर किये बिना वे आसानीसे अपना सकते हैं। सही या गलत, सभी शिक्षा-शास्त्रियोंका यह दावा है कि शिक्षाको धर्मनिरपेक्ष होना चाहिये।

व्यक्तिगत रूपसे मैं इस विचारसे सदा और सर्वथा असहमत रहा हूँ, लेकिन जैसी कि स्थिति है, उसमें भी छात्रोंके लिए किसी-न-किसी अवस्थामें कुछ धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना कुछ धार्मिक सांत्वना प्राप्त करना जरूरी है। दुर्भाग्यवश जो माता-पिता अपने लड़कोको इन स्कूलोंमें भेजते हैं, उनके घर लगभग उखड़ चुके हैं। उनमें अपने लड़के और लड़कियोंको यह आवश्यक शिक्षा देनेकी न तो योग्यता है और न इच्छा ही रही है। वह धार्मिक और नैतिक वातावरण जो हम मानते हैं कि एक समय भारतके प्रत्येक घर और प्रत्येक पुरवमें मौजूद था, आज विलकुल ही नहीं रहा, लेकिन ईश्वरका धन्यवाद है कि छात्रोंको निराशा महसूस करनेकी जरूरत नहीं रहा है। अगर आपके अन्दर धार्मिक और नैतिक प्रवृत्ति है, जैसा कि हममेंसे हरएकके अन्दर होनी चाहिए, तो हमारे लिए अपने-आपको आवश्यक प्रशिक्षण दे सकना सम्भव है।

हमें समझ लेना चाहिए कि धार्मिक और नैतिक शिक्षासे क्या अभिप्राय है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो इसका हेतु चरित्र-निर्माणके सिवा कुछ नहीं है, और प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की सहज ही जानते हैं कि चरित्र किसे कहते हैं। ईश्वर है, यह बात आपको माता-पिता या किसी धार्मिक पुरुषसे जाननेकी जरूरत नहीं है। इस अपरिहार्य आस्थाके बिना मेरी रायमें चरित्रका निर्माण कर सकना असम्भव है। यह आस्था चरित्रका आधार है। इसलिए मैं लड़कों और लड़कियोंसे कहता हूँ: “ईश्वरमें आस्था, और इस प्रकार स्वयं अपने आपमें आस्थाको कभी मत छोड़ो, और याद रखो कि यदि तुम अपने मनमें एक भी बुरे विचारको, एक भी पापपूर्ण विचारको जगह देते हो तो इसका मतलब है कि तुम वह विश्वास खो बैठे हो।” असत्य, अनुदारता और हिंसाका उस विश्वाससे कतई कोई सम्बन्ध नहीं है। याद रखें कि इस संसारमें हमारा सबसे बड़ा शत्रु हम स्वयं है। ‘भगवद्गीता’ के लगभग प्रत्येक श्लोकमें यह बात कही गई है। यदि मुझे ‘सरमन ऑन द माउंट’ की शिक्षाका सार बताना हो तो मैं यही उत्तर पाता हूँ। ‘कुरान’ के अपने अध्ययनसे भी मैं इसी अनिवार्य निष्कर्षपर पहुँचा हूँ। हम अपने आपको जितनी हानि पहुँचा सकते हैं उतनी और कोई नहीं पहुँचा सकता। इसलिए यदि आप बहादुर लड़के और बहादुर लड़कियाँ हैं तो आप इन सभी बुरे विचारोंके विरुद्ध कृतसंकल्प होकर वीरतापूर्वक संघर्ष करेंगे। बिना बुरे विचारकी प्रेरणा हुए संसारमें कोई बुरा काम कभी नहीं हुआ है। इसलिए आपको अपने मनमें पैदा होनेवाले प्रत्येक विचारपर निगरानी रखनी है। कई छात्रोंने, लड़के और लड़कियाँ, दोनोँने, मुझसे अक्सर पूछा है या मुझे बताया है कि हालाँकि उनकी बुद्धि मेरी इन बातोंको, जो मैंने अभी आपके सामने कही हैं, समझती है, लेकिन वे व्यवहारमें अपने विचारोंपर नियन्त्रण रखना या उन्हें दिमागसे निकाल फेंकना असम्भव पाते हैं। इस प्रकार वे संघर्ष बन्द कर देते हैं और निराशाके शिकार हो जाते हैं। पूर्ण व्यक्तियोंको छोड़कर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मनमें कभी-न-कभी बुरे विचार न आते हों। इसलिए ईश्वरसे अनवरत यह प्रार्थना करनेकी जरूरत है कि वह हमें पापसे बचाये। यह एक प्रक्रिया है, जिससे किसीको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। दूसरी प्रक्रिया बुरे विचार आनेपर उनका वास्तवमें स्वागत करनेकी है। यह सबसे ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह प्रक्रिया है, और यही वह प्रक्रिया है, जिसके विरुद्ध अपनी पूरी ताकतसे लड़नेके लिए मैं आपको निमन्त्रित करता हूँ, और अगर आप सोचें कि मैं क्या कह रहा हूँ तो आप फौरन देखेंगे कि यह चीज करना सबसे ज्यादा आसान है। हम अपने मनमें किस प्रकारके मेहमानोंको आने दें या न आने दें, इसका चुनाव हममें से प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। शत्रुके आक्रमणको हम रोक भले न सकें, लेकिन इस आक्रमणका प्रतिरोध करनेकी कोशिशमें मर जाना अच्छा है। मैं आपसे यह विचार अपने साथ ले जानेकी कहता हूँ। फिर आप देखिए कि आप इस संघर्षमें दिनोंदिन सफल होते हैं या नहीं। और इसी सिलसिलेमें मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूँ, जो यह है।

यदि हम अपने बारेमें न सोचकर उन लोगोंके बारेमें सोचेंगे जो हमारी तुलनामें कम भाग्यशाली हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास बुरे विचारोंको रखनेकी फुसंत ही नहीं

होगी। इसीलिए मैंने हर लडके और हर लडकीसे कहा है कि वह करोड़ों गरीब लोगोंके वारमें सोचनेके लिए कमसे-कम आधे घंटेका समय अलग निकाल कर रख ले। मैंने आपसे कहा है कि आप अपने-आपको इन करोड़ों लोगोंका न्यासी समझें। मैंने आपसे कहा है कि आप एक जीवन्त सम्बन्ध स्थापित करें जो आपको इन लोगोंके साथ बाँध दे, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हमेशा कार्यमें व्यस्त होंगे और दुरे विचारो-रूपी मेहमानोंका स्वागत करनेके लिए आप कभी उपलब्ध ही नहीं होंगे। मैं आपको अपने अनुभवसे और अपने साथियोंके अनुभवसे बताता हूँ कि भारतके करोड़ों गरीब लोगोंके लिए अनवरत काम करनेका विचार-मात्र मुझे और उन्हे सभी प्रकारके नुकसानसे बचाता है। चरखेका यही आध्यात्मिक रहस्य है, लेकिन यदि चरखा आपके मनको नहीं जमता तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं तो आपसे इतना ही कहता हूँ कि आप अपने तथा इन दरिद्र लोगोंके बीच एक जीवन्त सम्बन्ध स्थापित करें और आप फौरन देखेंगे कि आपने अपने चरित्रके निर्माणके लिए एक सुदृढ़ बुनियाद डाल दी है। मैंने आपसे जो कुछ कहा है, ईश्वर आपको उसे समझनेमें मदद करे और उसके अनुरूप कार्य करनेकी शक्ति दे।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, १७-१०-१९२७

## ९१. बातचीत : दलितवर्गोंके शिष्टमण्डलोंके साथ

१५ अक्टूबर, १९२७

महात्माजीने दोनों शिष्टमण्डलोंसे<sup>१</sup> एक साथ ही भेंट करनेपर जोर दिया ताकि चेल्मा और एजवाहा लोगोंको एक ही हॉलमें इकट्ठे बिठाया जाये।

श्री पी० सी० गोपालनने, एजवाहोंको अप्रहारम्की गलियोंमें से गुजरनेकी इजाजत न होनेके कारण जो तकलीफें होती हैं, उनका वर्णन किया।

महात्माजीने पूछा कि यह रोक क्या केवल धार्मिक उत्सवोंके दिनोंमें ही रहती है या सालके सभी दिन। श्री गोपालनने उत्तर दिया कि अप्रहारम्की सड़कोंपर यह रोक सारे साल लागू रहती है।

महात्माजीके पूछनेपर श्री सी० शेषय्याने उन्हें बताया कि सामान्य स्कूलोंमें दलितवर्गोंके प्रवेशकी बात आशा-मात्र है, जिसका अस्तित्व केवल कागजपर ही अंकित है।

श्री राघव मेननने महात्माजीको सूचित किया कि बहुत-सी सामाजिक कुरीतियोंके कारण, जिनको ऊँची जातिके लोगोंने एजवाहोपर थोप रखा है, कुछेक एजवाहोंने

१. सी० शेषय्याके नेतृत्वमें दलितवर्गोंका शिष्टमण्डल तथा टी० एम० चमिथप्पन, सुकुमारन और पी० सी० गोपालनके नेतृत्वमें एजवाहा लोगोंका शिष्टमण्डल।

ईसाई और इस्लाम-धर्म स्वीकार कर लिया है। लेकिन हिन्दू-धर्मसे इस प्रकारके धर्म-परिवर्तनपर आर्य-समाजके प्रयत्नोंसे एक रोक लग गई है। आर्य-समाजने मद्रास उच्च न्यायालयसे यह आदेश प्राप्त कर लिया है कि म्युनिसिपैलिटीके अधिकारक्षेत्रमें आनेवाली सार्वजनिक सड़कोंपर जनताके हर व्यक्तिका समान अधिकार है और एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायको सार्वजनिक सड़कोंका वैध उपयोग करनेसे रोक नहीं सकता।

महात्माजीने कहा कि यह समस्या केरलमें सब जगह मौजूद है और इसके लिए जन-जागृति जरूरी है।

श्री सी० पी० गोपालनने महात्माजीसे यह जाननेकी इच्छा व्यक्त की कि जब सभी धर्म एक समान हैं तो क्या एजवाहा लोग अपने प्रति होनेवाले अन्यायोंका निराकरण करनेके लिए दूसरे धर्मोंको अंगीकार कर सकते हैं।

महात्माजीने कहा कि उन्हें हिन्दू-धर्म नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि समुचित शक्तिके साथ अपने उद्देश्यके लिए लड़ना चाहिए। यदि वे केवल हिन्दू-धर्मकी उपयोगिताको समझ लें तो उसके मुकाबले तथाकथित ऊँची जाति द्वारा किये जानेवाले अत्याचार कुछ भी नहीं ठहरते।

श्री चमियप्पनने महात्माजीको बताया कि कुछेकको छोड़कर अधिकांश एजवाहा दूसरे धर्मोंकी स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन उनकी जमीनोंपर ऊँची जातिके लोगोंका स्वामित्व है, इसी वजहसे वे उनके साथ लड़नेसे डरते हैं।

महात्माजीने कहा कि यदि वे सब एक हो जायें तथा अनुशासन और साहस रखें तो वे सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं।

श्री चमियप्पनने महात्माजीको इस बातका ध्यान दिलाया कि इस लड़ाईमें स्वयं कांग्रेसी लोग ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं, आम जनताकी तो बात ही क्या है. . .।

महात्माजीने कहा कि इस सम्बन्धमें मैं कांग्रेसियोंसे जरूर बात करूँगा, लेकिन वे मेरी सलाह मानेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग तो नाम-मात्रके कांग्रेसी हैं।

श्री शेषय्याने बताया कि. . .चेरुमाओंका ध्येय मन्दिर-प्रवेश नहीं है बल्कि सार्वजनिक सड़कोंका उपयोग करना-भर है।

महात्माजी : मन्दिर-प्रवेश भी क्यों न हो ? सारे मलावार-भरमें यह एक पेचीदा समस्या है।

श्री पी० सी० गोपालनने पूछा कि क्या एजवाहा लोग हिंसाका प्रयोग करके — जिसके अर्थ हैं मारपीटके बदले मारपीट — जबरदस्त लड़ाई लड़ सकते हैं।

महात्माजीने हिंसाका विरोध किया। उन्होंने कहा, जहाँतक मेरा सवाल है, मैं न्यायालयमें शिकायत भी दायर नहीं करूँगा, लेकिन यदि एजवाहा चाहें तो वे

कर सकते हैं। हिन्दू-महासभा भी है जिससे वे इसकी अपील कर सकते हैं। हिंसासे उनका मामला बिगड़ जायेगा। सत्याग्रह हिंसाका सही स्थान ले सकता है।

श्री गोपालनने गांधीजीको बताया कि मेरे समुदायकी मुक्ति या तो दूसरे धर्मोंको अंगीकार करनेमें है या फिर स्वराज्यकी लड़ाईका त्याग करनेमें है। श्री गोपालनने यह जानना चाहा कि क्या विशुद्ध हिन्दू-धर्म स्थापित होनेकी कोई आशा है।

महात्माजी : हाँ, है। यदि ऐसा न हो तो मैं हिन्दू नहीं रहूँ और न मैं जीवित ही रह सकूँ।

एक दूसरे प्रश्नके उत्तरमें, कि क्या एजवाहा आर्य-समाज या ब्रह्मसमाजमें प्रवेश कर सकते हैं, महात्माजीने कहा कि यदि वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।

इसके बाद महात्माजीने पूछा कि यहाँ उपस्थित ज्यादातर लोग खादी क्यों नहीं पहने हैं? श्री घनियप्पनने बताया कि इस सामाजिक लड़ाईमें इस समय सरकार ही हमारा एकमात्र सहारा है तथा उन्होंने खादी कोषमें चन्दा देनेके विरुद्ध हालके सरकारी आदेशकी भी याद दिलाई और कहा कि हम इस एकमात्र सहयोग और सहानुभूतिसे वंचित नहीं होना चाहते। उन्होंने महात्माजीसे इस लड़ाईमें एजवाहोंकी मदद करनेकी अपील की।

महात्माजीने अपनी ओरसे भरसक मदद करनेका वादा किया। उन्होंने अपने श्रोताओंसे कहा कि मैं जल्दी ही खादी-कार्यको छोड़कर अस्पृश्यताके प्रश्नको हाथमें लेनेवाला हूँ। गांधीजीने उन्हें शिष्टमण्डलोंके रूपमें आकर मिलनेके लिए घन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं शबरी आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ कि अस्पृश्यता-निवारणका कार्य चल रहा है; और इसके बाद मैं कुम्भकोणम मठके परमपावन श्री शंकराचार्यसे भेंट करनेके लिए जाऊँगा, जिससे कि मैं, अगर हो सका तो, अस्पृश्यता-निवारणके मामलेमें स्वामीजीको अपने मतसे सहमत कर सकूँ।<sup>1</sup>

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, १७-१०-१९२७

१. हिन्दूकी रिपोर्टमें भागे यह था - "महात्माजी और उनका दल मोटरमें नेल्लीचरी गाँव गया। वहाँ उनकी भेंट कुम्भकोणम मठमें कामकोटि पीठके श्री शंकराचार्यसे हुई। इन दो महात्मावोंके बीच शुभत रूपसे बातचीत हुई। भेंट कोई ३० मिनटतक चली और नितान्त गोपनीय रही।" भेंटकी रिपोर्टके लिये देखिय परिशिष्ट ४।



## १२. भाषण : पालघाटकी सार्वजनिक सभामें

१५ अक्टूबर, १९२७

मित्रो,

मैं आपको आपके अभिनन्दनपत्रो तथा अनेक थैलियोके लिए धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पालघाटकी यह मेरी पहली यात्रा नहीं है। पिछली बार मेरे यहाँ आनेपर जो स्नेह आपने दिखाया था, वह मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे खुशी है कि तालुका बोर्ड अपना कुछ ध्यान चरखेकी तरफ लगा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सभी स्कूलोंमें वैज्ञानिक रीतिसे कताई-कार्यका सगठन करेंगे। मुझे कल त्रिचूरमें करीब चार या पाँच सौ लड़के-लड़कियोको कताई करते देखनेका मीका मिला था। वे दो हाई स्कूलोंके विद्यार्थी हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता कि उनकी कताई बहुत उच्च कोटिकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें कताई करते देखकर भला लगता था। लेकिन वह खुशी यह असंगत चीज देखकर नष्ट हो गई कि कताई करते हुए बालक-बालिकाएँ खद्दर नहीं, विदेशी कपड़े पहने हुए थे। मैं आशा करता हूँ कि यह असंगति आपके स्कूलोंमें मौजूद नहीं है। चरखेके फलितार्थको समझना आवश्यक है। हमारे लड़के-लड़कियाँ, या कि हमारे वे करोड़ो ग्रामीण साई-बहन ही, जो लगभग भुख-मरीकी अवस्थामें जीते हैं, कितनी ही कताई करे, लेकिन आप आसानीसे समझ सकते हैं कि जबतक हम इस प्रकार काते गये सूतकी खादीका उपयोग नहीं करते, वह सब व्यर्थ होगा। इसलिए यदि आप सब चरखेके सन्देशका वास्तवमें समर्थन करते हैं— और लगता तो यही है कि आप करते हैं— तो मैं आपसे आदरपूर्वक अनुरोध कलेंगा कि आप सब उसके प्रति सच्चे रहें और स्वयं खादीको अपनायें। इस दौरेमें मैं जहाँ-कहीं भी गया हूँ, मैंने इस सन्देशका हार्दिक समर्थन पाया है। लेकिन केवल मौखिक घोषणा, भले ही उसके साथ ठोस थैलियाँ भी हो, हमारे ७,००,००० गाँवोंके मूखसे पीड़ित करोड़ों लोगोंकी तकलीफ तबतक दूर नहीं कर सकती जबतक कि हम खद्दर पहननेको तैयार न हो।

यहाँ आपके बीच 'शबरी आश्रम'के नामसे एक आश्रम है। इसी शबरी आश्रमसे मुझे खादीका यह सुन्दर टुकड़ा प्राप्त हुआ है। मैंने देखा कि इस आश्रममें नन्हे-नन्हे बच्चे सूत कातते हैं, उनके नन्हे-नन्हे हाथ ही इसे बुनते भी हैं। मैं इसे सुन्दर इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यह उतना ही बारीक या मुलायम है, जितना कि आपने जो मिलका कपड़ा पहन रखा है, वह है। इसके पीछे जो एक इतिहास है, एक भावना है, उसके कारण मैं इसे सुन्दर कहता हूँ। यह खादीका टुकड़ा आपको तुरन्त उन बच्चों और करोड़ो गाँववासियोंके सम्पर्कमें रख देता है। इसका जो महत्त्व है, उसके कारण भी यह सुन्दर है। यदि कोई महान चित्रकार एक लासको रंग कर उसे हमें एक सुन्दर कलाकृतिके नमूनेके तौरपर भेंट कर

दे तो हम उसे छुयेगे भी नहीं, बल्कि घृणा और भयसे पीछे हट जायेंगे। हमारी माँ सुन्दर मानी जाये या न मानी जाये, हम उसके पैरोपर गिरते हैं। मैं समझता हूँ कि हममें से प्रत्येकके लिए उसकी माँसे सुन्दर कोई स्त्री नहीं होगी। सौन्दर्य तो उस वस्तुके साथ जुड़ी भावना और स्मृतियोंका होता है। समाके अन्तमें मैं इम कपडेको आपके सामने बिन्नीके लिए रखकर आपके सौन्दर्य-योगकी परीक्षा लूँगा। आपमें से कुछ लोगोंने अखबारोंमें देखा होगा कि चेट्टिनाडमें मुझे खादीके एक छोटे-से टुकडेके लिए, जो वास्तवमें इस मोटी खादीसे बहुत अधिक बारीक था, १००० रुपये मिले थे, क्योंकि वह खादी वहीके एक आत्म-त्यागी कलाकारने तैयार की थी और उसे बुना भी गया था वही देवकोट्टामें।

पालघाटमें बलाये जा रहे विश्वभारती वाचनालयसे मुझे एक थैली मिली है और मुझसे प्रस्ताव किया गया है कि मैं एक खट्टर भडारका भी औपचारिक रूपसे उद्घाटन करूँ, जिसे वाचनालयसे सम्बन्धित लोग मुझसे खुलवाना चाहते हैं। मैं इसका उद्घाटन सहर्ष करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसे आपसे हर तरहका योग्य प्रोत्साहन प्राप्त होगा। मुझे इस खादी भडारसे भी कुछ खादी प्राप्त हुई है, यदि आप समाके अन्तमें भी इसी प्रकार शान्ति बनाये रखेंगे, तो आप उसे खरीद सकेंगे। खादीके वारेमें कुछ भी कहना मुझे प्रिय लगता है, लेकिन मुझे अब उस विषयपर आना चाहिए, जो केरलके दौरेमें मेरे दिमागमें बराबर रहा है।

मेरा अभिप्राय अस्पृश्यतासे है जो यहाँ अपने उग्रतम रूपमें प्रचलित है। यहाँ कुछ लोगोंको पासतक नहीं फकटने दिया जाता, कुछकी छाया लगनेमें भी छूत मानी जाती है। जब भी मैं केरल आया हूँ, मेरे लिए सदैव यह दुखकी बात रही है कि एक इतने सुन्दर प्रदेशमें, जो सौन्दर्यकी दृष्टिसे भारतमें लगभग बेजोड़ है, यह अस्पृश्यता अपने अधन्यतम रूपमें मौजूद है। एजवाहा और चेल्मा जातियोंके मित्रोंके शिष्ट-मडलोंके साथ मेरी एक लम्बी और गम्भीर बातचीत हुई थी। इन जटिल जाति-भेदोंके वारेमें न जाननेका मुझे कोई दुःख नहीं है। मेरे लिए इतना ही जानना काफी है कि यह हजार सिरवाला दैत्य है। यहाँ अस्पृश्यतामें जो अनेक वर्ग-भेद प्रचलित हैं, उनके वारेमें समझना मुझे तनिक भी सुखकर नहीं लगता, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जब मैं विभिन्न प्रकारकी अस्पृश्यताके वारेमें सुनता हूँ तो मैं अत्यन्त अपमानित और लज्जित हो जाता हूँ। और मेरे इस दुखको बढ़ानेवाली एक ऐसी चीज आज मैंने अपनी आँखों देखी है, जिसे मैं आसानीसे नहीं भूल सकूँगा।

जैसे ही मैं पालघाट पहुँचा, मुझे उस मकानके पड़ोसमें एक चीखकी आवाज सुनाई पड़ी, जहाँ मुझे ठहराया गया है। अपने अज्ञानमें मैंने सोचा कि चूँकि यह एक उद्योग-व्यवसायका केन्द्र है, इसलिए ये किसी कारखानेके मजदूर होंगे, जो भारी बोझको ढोते समय जोर लगानेके लिए चिल्ला रहे हैं। अहमदाबाद और बम्बईमें मुझे बराबर ऐसा देखनेको मिलता है। मेरे पालघाट पहुँचनेके एक घंटेके अन्दर ही श्री च० राजगोपालाचारी मेरे पास आये और पूछा कि क्या मैं कुछ अजीब तरहकी आवाजें सुन रहा हूँ। मैंने कहा कि हाँ सुन रहा हूँ। और उन्होंने सीधे पूछा कि

क्या मैं जानता हूँ कि वे आवाजें कैसी हैं? उन्होंने मुझे बताया कि वह एक नायडीकी आवाज है, और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह इस बातका सूचक है कि एक नायडी कुछ दूरीपर भीख माँग रहा है। मैंने पूछा कि वह कितनी दूर होगा। यह सुनकर कि वह कुछ ही दूरीपर है, मैं जल्दीसे यह देखनेके लिए निकला कि यह कौन आदमी है जो ऐसी आवाजें कर रहा है। खैर, आप सभी जानते हैं कि मैंने उसे कहाँ पाया होगा। वह सड़कपर नहीं चल रहा था, बल्कि सड़कके किनारे लगी बाड़से कुछ दूर हटकर चल रहा था। मैंने उससे निकट आनेको कहा। वह निकट तो आया, किन्तु बाड़के किनारे सड़कपर नहीं आया। उसने मुझसे कहा कि वह सड़कके किनारे आनेकी हिम्मत नहीं कर सकता। उसने यह भी कहा कि वह पालघाटकी सड़कोंपरसे कभी नहीं चलता। इस दुःखद मामलेकी वाकी कहानी मुझे आपको सुनानेकी जरूरत नहीं है।

वह आदमी निश्चय ही ध्रुवाग्रस्त नहीं लगता था। लेकिन मेरे लिए हिन्दुओंको बर्बाद देनेका यह कोई कारण नहीं था। मेरे लिए तो उस आदमीके सामने — उस व्यक्तिके सामने जिसे हम मानव या अपना भाई माननेसे इनकार करते हैं — मुट्ठीभर चावल फेंक देना तिरस्कार और पतित अन्तःकरणका सूचक था। प्रति सप्ताह शनिवार और बुधवारको इन व्यक्तियोंके सामने जिस प्रकार हम चावल फेंकते हैं, उस तरह चावल फेंककर, मेरी नम्र रायमें, हम न केवल मानवको पतित बनाते हैं, बल्कि भीख माँगनेको बढ़ावा देते हैं। मैं नहीं समझता कि इस व्यक्तिकी तरह दो सशक्त भुजाओं और पैरोंवाले लोगोंको भोजन या पैसा देनेमें कोई दानशीलता है। जब मैंने इस आदमीसे पूछा कि क्या वह भीख माँगनेका पेशा छोड़कर नियमित मजदूरीका कोई काम करेगा तो उसने मुझसे कहा कि अपने भाई-बन्धुओंमें पूछे बिना वह पैसा नहीं कर सकता। अब यह बात मैं आपपर, आपमें जो बुद्धिमान हैं, उन्हींपर छोड़ता हूँ कि आप देखें कि इस अन्यायके क्या भयंकर परिणाम हैं। अपने इस गरीब देशमें इस प्रकारकी दानशीलताके कुछ परिणाम हम अभी भी भोग रहे हैं। इस लज्जाजनक दृश्यको देखनेके दो घंटे बाद मुझे उन मित्रोंका स्वागत करनेका सुख प्राप्त हुआ, जिनकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ।

उनमें से कुछ लोगोंकी विद्वत्ता, आपमें से जो सबसे ज्यादा विद्वान होंगे, उन्हींकी-विद्वत्ताकी कोटिकी थी। इस समामें उपस्थित श्रेष्ठतम व्यक्तियोंमें और उन लोगोमें मुझे कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ा, और फिर भी उनके अभिनन्दनपत्रोंसे अन्यायोंका ऐसा व्यौरा मेरे सामने प्रकट हुआ जो हममें से प्रत्येकको लज्जित कर देनेके लिए काफी है। सिर्फ इस कारणसे कि उन्हें अस्पृश्य माना जाता है, वे कुछ सड़कोंपर — सार्वजनिक सड़कोंपर — नहीं चल सकते, यद्यपि वे भी उसी तरह कर देते हैं जिस तरह आपमें से कोई भी देता है। मन्दिर-प्रवेगकी बात तो सोची ही नहीं जा सकती। उनमें से कुछ लोग तो किसी भी सड़कपर नहीं चल सकते, और जो सबर्ण हिन्दुओंने किया है, उसीका अनुकरण करके खुद उनके बीच भी कई वर्ग बन गये हैं, अस्पृश्योंकी भी कई श्रेणियाँ बन गई हैं। उन्होंने मुझसे सहायताकी अपील की। काग कि मैं

सहायता देना चाहूंगा, वह देनेकी शक्ति मुझमें होती। एक हिन्दूके नाते मुझे लगता है कि हमने उनके विरुद्ध जो अपराध किया है, उसमें मैं भागीदार हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक स्त्री और पुरुषको मैं कायल कर सकूँ कि हम उनके विरुद्ध स्वयं अपने विरुद्ध और अपने धर्मके विरुद्ध यह एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझमें आपको—यहाँ उपस्थित सभी नर-नारियोंको—यह समझा सकनेकी शक्ति होती कि इस प्रकार हम उनके प्रति, स्वयं अपने प्रति और अपने धर्मके प्रति घोर अन्याय कर रहे हैं। मेरा मन इस बातके लिए आकुल है कि मैं आपको समझा सकूँ कि आज हम हिन्दू-धर्ममें जैसी अस्पृश्यता बरतते हैं, उसका कहीं कोई आवार-औचित्य नहीं है। इस भयकर अन्यायके विरुद्ध मेरा सारा हिन्दुत्व विद्रोह कर उठता है। मैंने हमारे धर्म-ग्रन्थोंमें एजवाहा, पुलाया, नायडी आदिका उल्लेख पानेके लिए उन्हें छान डाला, लेकिन व्यर्थ। मैंने यहाँ, त्रावणकोरमें और अन्य स्थानोपर विद्वान लोगोसे पूरी विनम्रताके साथ मुझे यह बतानेको कहा है कि इन लोगोको किस प्रकार अस्पृश्योकी श्रेणीमें रखा जा सकता है और किस प्रमाण पर। मैं आपसे कहता हूँ कि केवल प्रथाको छोड़कर इन भयंकर कृत्योंके लिए किसी प्रकारका कोई औचित्य या प्रमाण नहीं है। लेकिन अभीतक किसी व्यक्तितने मुझे यह बतानेका साहस नहीं किया है कि इस अनैतिक प्रथाके पीछे कोई धार्मिक प्रमाण या कारण है। अगर हम इतने आलसी न होते कि इन समस्याओको खुद विचार करके सुलझा लें, यदि हमने अंधविश्वासके आगे अपने विवेकको गिरवी न रख दिया होता, तो हम पलक झपकते इस बुराईको दूर कर सकते थे। मैंने मनुष्योके एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्गके मनुष्योपर श्रेष्ठताका दावा जमानेका कोई औचित्य हिन्दू-धर्म या किसी भी धर्म अथवा किसी भी दार्शनिक विचारधारामें नहीं पाया है। यदि हम अपने अन्दर असमानताका यह सिद्धान्त पोसते हैं, तो हमें स्वराज्यकी बात सोचना शोभा नहीं देता। हम अपने मुँहसे बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंगसे प्रजातान्त्रिक संस्थाओंकी बात करते हैं, किन्तु अपने हृदयमें अन्य लोगोको उन्हीं बुनियादी अधिकारोसे वंचित करनेकी इच्छा पालते हैं जिन अधिकारोंकी बात हम मुँहसे करते हैं। मैं सभी विद्वान लोगोसे, उन सभी लोगोसे, जिन्हें हिन्दुओ और हिन्दू-धर्मका कल्याण प्रिय है, अनुरोध करता हूँ कि वे समय रहते चेतें और [अस्पृश्यताके] इस राक्षसपर घातक प्रहार करें। यदि आप राष्ट्रवादी हैं और देशके लिए आपके हृदयमें दर्द और इसी कारण अपने देशके सबसे तुच्छ व्यक्तिके लिए भी आप सहानुभूति महसूस करते हैं तो आप उन स्थानोमें जाइए जहाँ नायडी और पुलाया तथा भ्रमवश अस्पृश्य कहलाने-वाले अन्य लोग रहते हैं, और उनकी स्थितिको सुधारनेके काममें अपना जीवन लगा दीजिए।

जब मुझे इन दो शिष्टमण्डलके मित्रोंने बताया कि कुछ कांग्रेसी लोग भी ऐसे हैं जो अस्पृश्यतामें विश्वास करते हैं और उन लोगोको अपनेसे दूर रखते हैं, तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि इन मित्रोंको गलत सूचना मिली है और ये आरोप सही नहीं हैं। किन्तु यदि ऐसे कांग्रेसी हों जो अस्पृश्यतामें

विश्वास करते हों तो एक कांग्रेसीके नाते, जिससे कांग्रेसके सिद्धान्तों और कांग्रेसके संकल्पोंका थोड़ा-बहुत ज्ञान रखनेकी अपेक्षा की जाती है, मैं आपको सूचित करना हूँ कि इन कांग्रेसियोंको अपनी सदस्यतासे इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि नये संविधानके अन्तर्गत गठित पहली कांग्रेसने जो स्वराज्य प्रस्ताव स्वीकार किया है, अस्पृश्यता-निवारण उसका अभिन्न अंग है। मेरी रायमें वह प्रस्ताव उतना ही पवित्र है, जितने कि कांग्रेसके सिद्धान्त। यदि हम राष्ट्रके प्रति सच्चे हैं, कांग्रेसके प्रति सच्चे हैं और अपने प्रति सच्चे हैं तो वैसे दगामें यदि हम अस्पृश्यता-निवारणमें विश्वास नहीं करते तो हमारे लिए यह रास्ता खुला हुआ है कि हम कांग्रेसके सिद्धान्तोंको, उसके उस प्रस्तावको चुनौती दें या उस प्रस्तावको हटानेकी माँग करें। आप अस्पृश्यता-सम्बन्धी उस प्रस्तावकी स्वीकृतिमें सहभागी रहते हुए भी यदि अस्पृश्यतामें विश्वास करते हैं तो आप सच्चे नहीं हैं। लेकिन मैंने तो आपके सामने एक चीजका कष्टदायक और दुनियावी पहलू ही रखा है, जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आप कांग्रेसी हैं या गैर-कांग्रेसी, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या यह आपका — आप हिन्दुओंका यह कर्तव्य नहीं है कि इस बड़े सवालपर उचित विचार करें और धार्मिक महत्त्वकी दृष्टिसे उसकी जाँच करें? मैं तो इस बुराईको दूर करनेको हिन्दू-धर्मकी अग्निपरीक्षा मानता हूँ। मेरी नम्र रायमें ब्राह्मण-अब्राह्मण प्रश्न, हिन्दू-मुसलमानका सवाल और हमारे सामने जो अन्य कई प्रश्न मौजूद हैं, और जिनसे हम आज ग्रस्त हैं, सब इसी अस्पृश्यताके सवालके विभिन्न पहलू हैं।

यदि हम लोग, जिन्हें ईश्वरने बुद्धि दी है और ऐसी सौभाग्यशाली स्थितिमें रखा है, केवल इतना समझ ले कि हम हीनसे-हीन और गरीबसे-गरीब देशवासीके सेवक-मात्र हैं तो ये जो प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, सब एक क्षणमें समाप्त हो जायेंगे। इस देशमें और सारे संसारमें जन साधारणके बीच जो जागृति आ गई है उसके सामने अहंकार, दर्प और श्रेष्ठताके दावे एक क्षण भी नहीं ठहर सकते।

मैंने अपने अन्दर इस प्रश्नपर न जाने कितना तर्क-वितर्क किया है कि जिन अन्यायोसे हमारे ये माई पीडित हैं, क्या उनका कोई औचित्य है। और मैं आपमें सच कहता हूँ कि मुझे एक भी औचित्य ढूँढे नहीं मिला है। लेकिन अब मैं आपका और अधिक समय नहीं लूँगा। मैं ईश्वरसे यही प्रार्थना करूँगा कि वह आपकी समझकी आँखें खोले, आपके अन्तःकरणको जागृत करे और आपको शक्ति दे कि आप इन लोगोंके बीच जायें और समस्याके जिस समाधान और राहृतके वे अधिकारी हैं वह उन्हें दे।

आपने जिस वीरजके साथ मेरी बातें सुनी हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १८-१०-१९२७

## १३. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, कोयम्बटूरमें

१६ अक्टूबर, १९२७

बहनो,

अगर आपने यह शोर बन्द नहीं किया तो मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकता। आपने जो शैली मुझे दी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ एक या दो बातें ही हैं, जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सब भारतमें रामराज्य चाहते हैं। यदि आप सीताके समान जीवन व्यतीत नहीं कर सकती तो भारतमें रामराज्य स्थापित नहीं हो सकता। सीता शरीर और मनसे पवित्र थी। मैं समझता हूँ और मेरी यह राय है कि आपमेंसे बहुत-सी बल्कि ज्यादातर स्त्रियाँ विदेशी वस्त्र पहनकर अपने शरीरको मलिन करती हैं। सीतादेवी ऐसा नहीं करती थी। एक क्षणके लिए भी ऐसा मत सोचिए कि सीतादेवीको नफ़ीस विदेशी कपड़ोंकी कोई रुचि थी या वे अपने शरीरकी सजावटके लिए उन्हें विदेशसे मँगाती थी। इसके विपरीत हम जानते हैं कि सीतादेवीके समयमें स्वयं वे और समस्त भारतीय स्त्रियाँ कताई किया करती थी और भारतीय पुरुषों द्वारा बुने हुए वस्त्र पहनती थी। और यह बहुत अच्छी बात थी। हमारी प्राचीन पुस्तकोंमें इस बातके काफी प्रमाण हैं कि उस कालमें निरपवाद रूपसे सभी स्त्रियाँ अपने हाथसे सूत काता करती थी तथा हम अपनी जरूरतका सारा कपड़ा स्वयं तैयार किया करते थे। ये पुस्तके हमें बताती हैं कि उन दिनों भारतके गाँवों तथा शहरोंके लाखों लोग अच्छा खाते और अच्छा पहनते थे। लेकिन हमारी लाखों बहनें गाँवोंमें जब कि भूखों मर रही हैं, आप विदेशी साड़ियोंसे अपने शरीर सँवारती हैं। मैं मानता हूँ कि इसके लिए पुरुष स्त्रियोंसे कुछ कम दोषी नहीं हैं। मुझे मालूम है कि विदेशी वस्त्र पहननेकी आदतकी शुरुआत भारतीय पुरुषोंने की। इसका फल यह हुआ है कि गाँवोंमें रहनेवाले पुरुष और स्त्री दिन-ब-दिन गरीब होते जा रहे हैं तथा गहन दुःखमें डूबते जा रहे हैं। सीतादेवीकी तरह आप भी रोज-ब-रोज भारतके गरीब माई-बहनोके बारेमें सोचिए। जब आप उनके बारेमें सोचेंगी तो मुझे यकीन है आपको यह लगेगा कि उनके पवित्र हाथोंसे तैयार की हुई खादी पहनना आपका कर्त्तव्य है। मैं आपको एक चीज और बताऊँगा जो सीतादेवी किया करती थी। उन्होंने किसी भी मनुष्यको अस्पृश्य नहीं माना। उन्होंने और महापुरुष रामने इच्छापूर्वक और कृतज्ञभावसे निषादराज, जो कि हमारी आजकी मिथ्या धारणाओंके अनुसार अस्पृश्य समझा जायेगा, की सेवा स्वीकार की थी। भगवान रामके महान माई भरतको जब यह ज्ञात हुआ कि निषादराजने श्रद्धाके साथ रामकी सेवा की थी तो उन्होंने स्नेहपूर्वक उसका आर्त्तलान किया। ऋषियों और सन्यासियोंके राजा भरतको तो आप जानती ही हैं। लेकिन आज हम उन लोगोंको, जो हमारी सेवा करते हैं, हमारे खेत जोतते हैं और हमारे शौचालय साफ

करते हैं, अपने हाथसे छूनेके भी काबिल नहीं मानते। मैं आपको बता दूँ कि यह धर्म नहीं, बल्कि अधर्म है। मैं चाहता हूँ कि आप अस्पृश्यताके इस कलंकसे मुक्त हो जायें।

तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वह देवदासियोंके बारेमें है। वहनो, मुझे पता है कि उनमेंसे कुछेक वहने यहाँ भी मौजूद हैं। मैं देवदासियोंके पेशेको अनैतिक मानता हूँ। उन्हें ऐसे पेशेमें नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि आपके स्त्री-क्लव या स्त्री-संघ बने हुए है। इन अभागी वहनोंकी देख-भाल करना आपका पहला कर्तव्य है। यदि आप एक होकर इस मामलेमें कोई आन्दोलन चलायें तो आप कोयम्बटूरके स्त्री-पुरुषोंको इस सम्बन्धमें अपना कर्तव्य निवाहनेके लिए बाध्य कर सकती है।

इस तरहके सुधारोंको आपको अपने हाथमें ले लेना चाहिए। आपने मद्रासकी डा० मुत्तुलक्ष्मीका नाम तो सुन ही रखा है। वे मद्रास विधान परिषदमें आपकी प्रतिनिधि हैं। वे इसकी उपाध्यक्षा भी हैं। मेरी उनसे लम्बी बातचीत हुई थी। उनका खयाल है, और दूसरे भी यही मानते हैं कि हिन्दू-समाजकी इस खतरनाक बुराईसे जूझनेका यह उपयुक्त समय है। आप भी यहाँ वैसा ही करिए।

एक बुराई और है जिसके बारेमें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप अपनी लड़कियोंका विवाह ऐसी अवस्थामें कर देती है जबकि उन्हें यह भी पता नहीं होता कि विवाह क्या चीज होती है। जबतक वे परिपक्व अवस्थाको न पहुँच जायें, जबतक वे कमसे-कम १६ वर्षकी न हो जायें तबतक उनकी शादी नहीं करिए। मैं आपको बता दूँ कि ऐसा करना पाप है।

अहमदाबादमें मेरे साथ १६ वर्षसे अधिक उन्नकी अविवाहित लड़कियाँ रहती हैं। वे उतनी ही मासूम हैं जितने कि आपके घरके फूल। वे अपना समय समाजके लिए विभिन्न सेवाकार्य करते हुए बिताती हैं। वहाँ उन्हें समुचित शिक्षा प्राप्त होती है। उनकी शादी तबतक नहीं होनेवाली है जबतक वे स्वयं न चाहें। एक क्षणके लिए भी ऐसा मत सोचिए कि यह काम आपका नहीं, बल्कि मर्दोंका है। यह तो खास तौरपर आपका ही काम है, अतः जागो और लड़कियोंकी खुशीके लिए काम करो। यह पुख्त नहीं कर सकते और न करेंगे।

जो सत्य मैं आपको बता चुका हूँ, उसे जाननेके लिए आपको कालेजोंमें जानेकी या एक लाइन भी पढ़नेकी जरूरत नहीं है। आप इन सबको आसानीसे समझ सकती हैं। यह वह चीज है जिसे मैं मानवीय शिक्षा कहा करता हूँ और जिसे स्त्रियाँ वर्षमालाका एक अक्षरतक जाने बिना प्राप्त कर सकती हैं।

अब मैं आपको यह बता दूँ कि आपकी थैलीसे मुझे सन्तोष नहीं हुआ है। आपकी वहनोंने, दूसरे जिलोंकी स्त्रियोंने, इस आन्दोलनके सिलसिलेमें क्या-कुछ किया है, वह मैं आपको बता सकता हूँ। मलाबारकी लड़कियाँ आपकी ही तरह ज्यादा जेवर नहीं पहनती। जेवरोंका वाहुल्य मैंने तमिलनाडु और आन्ध्र देशमें ही देखा है। मलाबारकी स्त्रियोंने तो जो इक्के-दुक्के कंगन या अँगूठियाँ पहन रखी थी, उन्हें भी खादी आन्दोलनके लिए उतार दिया था। और मेरी उनसे यह प्रार्थना रहेगी कि

वे दानमें दिये गये जेवरोंके बदले नये जेवर प्राप्त करनेके लिए अपने पतियो या अपने माता-पिताओंको परेशान न करें। यदि आप अपनी गरीब वहनोका दुख अनुभव करती है या करना चाहती है तो मैं चाहूँगा कि आप उनकी मलाईके लिए अपने जेवरोका त्याग कर दें। उपहार स्वेच्छासे और बिना किसी दबावके दिये जाने चाहिए।

याद रखिए, स्त्रीका सौन्दर्य उसके कपडों या जेवरोंमें नहीं बल्कि उसके हृदयकी निर्मलतामें होता है। आप मुझे अपने जेवर देती है या नहीं, यह तो छोटी बात है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूँ कि आप इन सचाइयोको, जिन्हें मैंने आपको अभी बताया है, अपने दिमागमें जरूर रखें। मैं अपने अनुभवके आधारपर आपसे कहता हूँ कि अधिक जेवर पहननेकी चाह करना कोई अच्छी बात नहीं है। पति लोग अक्सर मुझसे कहा करते हैं कि मैं आपको जेवर और नफीस कपड़े सम्बन्धी अपनी धारणाओंको बदलनेकी सलाह दूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ ऐसे पति हैं जिन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि जो पत्नियाँ मेरे उपदेशसे प्रभावित हुई हैं, उन्हें स्वयं ऐसे प्रभावसे खुशी हुई है।

ईश्वर आपके द्वारा इस देशका कल्याण करे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १९-१०-१९२७

## ९४. भाषण : कोयम्बटूरकी सार्वजनिक सभामें

१६ अक्टूबर, १९२७

आपने मुझे जो अभिनन्दनपत्र और उपहार दिये हैं, उनके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप यह नहीं चाहते कि जिन संस्थाओंने मुझे अभिनन्दनपत्र दिये हैं उनके या दान देनेवालो और उनके उपहारोंके नामोंका मैं चिन्तन करूँ। जो चीज दरिद्रनारायणके निमित्त दी जाये, उसका कोई उल्लेख जरूरी नहीं है। मैं आपको सूचित कर दूँ कि मुझे जितने भी अभिनन्दनपत्र दिये गये हैं उनके उपलब्ध अनुवादों या मूल अभिनन्दनपत्रोंको मैंने बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है।

सबसे पहले मैं नगरपालिकाके अभिनन्दनपत्रको लूँगा। नगरपालिकाको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने अपने विचारोंको न केवल स्पष्ट रूपसे अत्यन्त सौजन्यताके साथ और दृढताके साथ प्रकट किया है बल्कि उसने मुझे उस अभिनन्दनपत्रकी भी याद दिलाई है जो कोयम्बटूरकी मेरी पिछली यात्राके अवसरपर मुझे दिया गया था। अपने जीवनभर मुझे अपने प्रशंसकोंके मुकाबले अपने आलोचकोंसे ज्यादा लाभ पहुँचा है, विशेष रूपसे तब, जब मेरी आलोचना सौजन्यतापूर्ण और मैत्रीपूर्ण भाषामें की गई हो, जैसी कि इस अभिनन्दनपत्रमें की गई है। मुझे इस नगरपालिकासे जो पहला अभिनन्दनपत्र प्राप्त करनेका सम्मान मिला था उसमें असहयोगकी उपयोगिता, विशेष रूपसे स्कूलों और सरकारी सेवाओंमें असहयोगकी उपयोगितापर शका व्यक्त



की गई थी। असहयोगके जन्मके बादसे कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई हैं, जिनमे से कुछ बहुत कष्टदायक हैं। १९२१ मे मैंने देशको जो मलाह दी उसके ऊपर मैंने दो वर्षतक प्रार्थनापूर्ण मनसे चिन्तन-मनन किया था। असहयोगके विरुद्ध जो-कुछ भी लिखा गया है, लगभग वह सभी-कुछ मैंने बहुत ध्यानपूर्वक और मुले दिमागसे पढ़ा है। और इस अध्ययनके परिणामस्वरूप मैं आपको आज सूचित करनेकी स्थितिमे हूँ कि १९२१ में मेरे जो विचार थे, और जिन्हें मैंने पिछली बार मेंट होनेपर आपके सामने व्यक्त किया था, न केवल मैंने उन विचारोंको नहीं बदला है, बल्कि उलटे मेरे वे विचार दृढसे-दृढतर हुए हैं। मेरी यह नम्र राय है कि पिछली दो पीढ़ियोंमें भी देशको उतना लाभ नहीं हुआ है जितना लाभ उसे अहिंसक असहयोगका उद्भव होनेके बादसे हुआ है। अहिंसक असहयोगके विषयमे इतिहास क्या निर्णय देगा, इसके बारेमें मेरे मनमें कोई शंका नहीं है। मेरा यह भी निश्चित मत है कि उस हर छात्रने, जिसने स्कूल या कालेज छोड़ दिया या उस हर सरकारी नौकरने, जिसने वह नौकरी छोड़ दी जिसे गलतीसे सार्वजनिक सेवा कहते हैं, इस प्रकारके त्यागसे बहुत लाभ उठाया है और बैसा करके कुछ खोया नहीं है। और यह बात कि असहयोग आन्दोलनके वावजूद सभी लोगोंने सरकारी नौकरियाँ नहीं छोड़ दी, और हमारे सभी लड़कोंने सरकारी स्कूलोंको त्याग नहीं दिया, मेरे सिद्धान्तकी विफलताका द्योतक नहीं है। सभी स्त्री-पुरुष तो सत्यनिष्ठ नहीं होते; किन्तु क्या इसीसे सत्यकी प्रभावकारिता या अच्छाईपर सन्देह नहीं किया जा सकता? मैं एक कदम और आगे बढ़कर आपसे कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति वर्तमान घटनाओंका ध्यानपूर्वक और निष्पक्षभावसे अध्ययन करेगा उसे इस बातके पर्याप्त प्रमाण मिलेगे कि बहुत-से सरकारी नौकर, जिन्होंने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी और बहुत-से छात्र जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, आज अपनी योग्यताका बहुत अच्छा परिचय दे रहे हैं।

यह क्या छोटी बात है कि असहयोगके प्रभावमें आकर एक दिन सहसा करोड़ों लोग मिलकर एक आदमीकी तरह उठ खड़े हुए, जैसे कोई जादू हो गया हो? यदि सहयोग कर्त्तव्य है तो मैं मानता हूँ कि किन्ही परिस्थितियोंमें असहयोग भी उसी प्रकार कर्त्तव्य है। मैं और आगे जाकर कहता हूँ कि यदि हमारे इस देशको अहिंसात्मक साधनोंसे स्वराज्य प्राप्त करना है तो एक-न-एक दिन असहयोग करनेके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप विश्वास करें कि यदि मैं आज अहिंसक असहयोगकी बात नहीं करता तो इसका कारण यह नहीं है कि उसमें मेरा विश्वास उतना ही प्रखर नहीं है जितना पहले था, बल्कि यह है कि एक व्यावहारिक मनुष्यके नाते आज मैं उस सिद्धान्तको कार्यरूप देनेके लिए अनुकूल वातावरण नहीं देखता। मगर मुझे अपने विश्वासके बारेमें दलीलें देकर आपको उबाना नहीं चाहिए।

नगरपालिकाके मौजूदा अभिनन्दनपत्रमें मेरे वर्णाश्रम-धर्म सम्बन्धी उन विचारोंके विरुद्ध गिष्ट किन्तु दृढ शब्दोंमें विरोध प्रकट किया गया है, जिन्हें मैं डरकर व्यक्त करता रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस अभिनन्दनपत्रके रचयिताओं या हस्ताक्षरकर्त्ताओंकी दृष्टिमें वर्णाश्रम-धर्म एक भयंकर बुराई है। मैं माहमपूर्वक अपना यह विश्वास

पुनः घोषित करता हूँ कि वर्णाश्रम-धर्म न केवल एक मथकर बुराई नहीं है, बल्कि यह उन आधारशिलाओंमेंसे एक है, जिसपर हिन्दूधर्म खड़ा हुआ है। मेरी नम्र रायमें अभिनन्दनपत्रके रचयिताओंने छायाकी ही सत्य मान बैठनेकी गलती की है। यदि उन्होंने, जैसा कि मैं नम्रतापूर्वक मानता हूँ, यह गम्भीर गलती करनेके बदले मुझे वर्णाश्रम-धर्मके नामपर चलनेवाली बुराईके विरुद्ध अभियान करनेके लिए अपने साथ निमन्त्रित किया होता तो वे मुझे अपने झंडेके नीचे एक स्वयसेवकके रूपमें भर्ती करा पाते। मैं वर्णाश्रमको हमारे अस्तित्वका एक नियम मानता हूँ, और हम अपने अस्तित्वके ऐसे नियमोंके बारेमें जानते हो या न जानते हो, हमें उन्हे मानना पडता है, उसी प्रकार जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षणके सिद्धान्तका एक महान वैज्ञानिक द्वारा पता चलानेसे पहले भी हमारे पूर्वजोंको उस नियमका पालन करना पडता था। प्रकृतिके नियम कठोर हैं। उनका उल्लंघन करके हम दण्डसे नहीं बच सकते। मेरे मनमें यह विश्वास दिनोदिन जमता जा रहा है कि वर्णाश्रम धर्मके नियमके उल्लंघनके कारण ही हमारा भारतदेश और शेष ससार दुःख भोग रहा है। यदि आज हिन्दू-धर्म गिरी हुई दशामें दिखाई पडता है तो इसका कारण वर्णाश्रम धर्म नहीं है, बल्कि उस धर्मका मनमाना उल्लंघन ही है। वर्णाश्रम-धर्म इस धरतीपर मनुष्यका उद्देश्य निर्धारित करता है। धन संग्रह करनेके नये-नये तरीकोंको खोजनेके लिए, जीवन-यापनके विभिन्न साधनोंकी खोज करनेके लिए मनुष्यका जन्म नहीं होता; इसके विपरीत मनुष्यका जन्म इसलिए होता है कि वह अपनी शक्तिका प्रत्येक अणु अपने रचयिताको जाननेमें लगा दे। इसलिए यह धर्म जीवन निर्वाहके लिए मनुष्यपर अपने पूर्वजोंका धन्या अपनानेकी बन्दिश लगाता है। यही वर्णाश्रम-धर्म है—इससे न कम, न ज्यादा—और मेरे लिए इस धर्मकी उपेक्षा करना केवल इस कारण ही सम्भव या वांछनीय या आवश्यक नहीं है कि अधिकांश हिन्दू अपने जीवनमें इस धर्मसे इनकार करते जान पडते हैं। इस तरह देखें तो वर्णाश्रम-धर्म और उस जाति-प्रथामें कोई समानता नहीं है जो आज प्रचलित है। इसलिए वर्णाश्रम धर्मका अर्थ अस्पृश्यता कभी नहीं हो सकता और न उसने अस्पृश्यताको कभी वर्दाश्त किया है। उस धर्ममें श्रेष्ठता या हीनताका कोई विचार नहीं है। चूँकि बहुत-से लोग—करोड़ों लोग—ईश्वरका नाम झूठ-मूठ ही लेते हैं और स्वयं उसके नामपर उसका और मनुष्यका अपमान करते हैं, इसीलिए क्या हम अपने ईश्वरको त्याग देंगे और उसके लिए कोई दूसरा नाम रखेंगे? इसलिए मैं इस अभिनन्दनपत्रके लेखकों तथा आप सबको आदरपूर्वक जातियोंके जजाल और अस्पृश्यताके अभिशापके विरुद्ध जिहाद करनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप मेरे साथ इस जिहादमें शामिल होंगे तो उस लड़ाईके अन्तमें आप पायेंगे कि हिन्दू-धर्ममें कोई ऐसी बुराई नहीं बची है जिसके विरुद्ध लड़ाई की जाये। मैं प्रार्थनापूर्ण मनसे अब्राह्मण-ब्राह्मणके इस बड़े सवालका अव्ययन करता रहा हूँ, जो दक्षिणके बहुत सारे सुयोग्य व्यक्तियोंको परेशान करता रहा है, और मैं प्रतिदिन इसी निष्कर्षपर पहुँच रहा हूँ कि यह सवाल, जहाँतक यह अब्राह्मणोंका सवाल है, अस्पृश्यताके विरुद्ध लड़ाईका ही एक पहलू है।

अब मैं आदि-द्रविड़ोंके अभिनन्दनपत्रको लेता हूँ। श्रावणकोरमें प्रवेग करनेके बादसे ही यह सवाल किसी-न-किसी रूपमें मेरा ध्यान आकृष्ट करता रहा है। आदि-द्रविड़ मित्रोंको मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरा सारा ध्यान इस समस्याको हल करनेमें लगा हुआ है। इधर हालमें मैं अपना परिचय नायडी कहकर देनेमें सुख प्राप्त करता रहा हूँ और मुझे इस बातका खेद है कि मैं श्री पण्मुखम् चेट्टियारके महलनुमा भकानमें उनका आतिथ्य अस्वीकार करके सीवा नायडी लोगोंके पास जाने और उनका आतिथ्य स्वीकार करके उनके बीच रहनेका साहस नहीं कर सका। लेकिन मैं आदि-द्रविड़ मित्रोंको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि अस्पृश्यताका यह अभिशाप तेजीसे समाप्त हो रहा है। यह सच है कि मन्दिरोंके दरवाजे उनके प्रवेशके लिए अभी खोले नहीं गये हैं। यह भी सच है कि अभी भी कुछ मार्गोंपर चलनेका उनको निषेध है। यह भी बिल्कुल सच है कि अस्पृश्यता और अदर्शनीयता, ये दोनों ही अपने अत्यन्त घृणित रूपमें अभी मौजूद हैं। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि लोकमत दिनोदिन इस असह्य बुराईके विरुद्ध जोर पकड़ता जा रहा है, और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह बुराई हिन्दू-धर्मसे इतनी जल्दी समाप्त होनेवाली है जिसकी कि हममें से कोई कल्पना नहीं कर सकता।

तथापि आदि-द्रविड़ोंके इस अभिनन्दनपत्रमें एक मासिक अनुच्छेद है, और यह अनुच्छेद इतना महत्त्वपूर्ण है कि मैं उसे आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूँगा।

सरकार हमारी जातिके निवास-क्षेत्रोंमें या उनके निकट शराबकी दुकानें स्थापित करके हमारे नौजवानोंको शराब पीनेका प्रलोभन देती है। यदि इस प्रकारकी दुकानोंकी जगह औद्योगिक संस्थान खोल दिये जायें और यदि आद-कारीके ठेकेदारोंकी जगह सामाजिक कार्यकर्ता हमसे मंत्रीका हाथ बढ़ायें तो हमें कोई सन्देह नहीं है कि बहुत थोड़े ही समयमें हम प्रगतिके पथपर बढ़ चलेंगे। इसलिए हम आपसे पूरे दिलसे अपील करते हैं कि हमारी जातिके विनाशसे बचानेके लिए हमारे मुहल्लोंमें या उनके आसपास औद्योगिक स्कूलोंकी स्थापनामें आप हमारी मदद करें।

यह अनुच्छेद हमें सोचनेके लिए बहुत मसाला उपलब्ध कराता है। मैंने आज तीसरे पहर जो कहा उसे दुहराते हुए मैं कहूँगा कि कितने ही सदस्योंकी ठोस कोशिशोंके बावजूद सरकार नगरपालिकाका यह सुझाव अस्वीकार नहीं कर रही है कि नगरपालिकाकी सीमामें स्थित कुछ शराबकी दुकानोंको बन्द कर दिया जाये। मेरे लिए यह अत्यन्त दुःखद बात है कि ऐसे सीधे-सादे प्रस्तावको सरकारने रद्द कर दिया। मैंने आदि द्रविड़ोंकी ओरसे जो अनुच्छेद अभी आपको पढ़कर सुनाया उसकी भावनाके साथ मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग, कोयम्बटूरके नागरिकगण, उन लोगोंकी तरफसे इस लड़ाईमें शरीक हों जो शराबके आदी हैं, और अपने नगरको शराबखोरीके अभिशापसे मुक्त करें। मैं यह भी चाहूँगा कि कुछ नौजवान पुरुष और स्त्रियाँ आदि-द्रविड़ मित्रोंकी चुनौती स्वीकार करके स्वयंसेवकके रूपमें निकले और आदि-द्रविड़ोंके लिए औद्योगिक स्कूल खोलें ताकि उन्हें शराबकी ओर प्रवृत्त होनेसे बचाया जा सके।

अब मैं कांग्रेसके अभिनन्दनपत्रको लेता हूँ। कांग्रेसके अभिनन्दनपत्रमें मुझे से फिरसे नेतृत्व सम्हालनेको कहा गया है। स्पष्ट ही उनको १९२०के कार्यक्रममें अभी भी कुछ विश्वास बना हुआ है। उन्हें समझ लेना चाहिए कि मैंने नेतृत्व कभी छोड़ा ही नहीं है। मैं अब भी लोगोको रिशानेकी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अनुयायी ही न मिले तो भला मैं क्या करूँ? लेकिन मैंने जो उत्तर दिया, उससे एक बेहतर उत्तर है। मैं आपको बताऊँ कि नेतृत्व करनेसे मेरा क्या अभिप्राय है। जेल जानेसे पहले भी मैंने इस आशयके वक्तव्य दिये थे कि अहिंसाके सिद्धान्तमें विश्वास करनेवाले एक व्यक्ति द्वारा देशको जो नेतृत्व दिया जा सकता है वह यही है कि रचनात्मक कार्यक्रमको कार्यरूप दिया जाये। कांग्रेसका सबसे कारगर कार्यक्रम चरखेका सन्देश है, और कांग्रेस द्वारा मुझे प्रदान की गई सहमति और अनुमतिसे मैं अखिल भारतीय चरखा संघके अध्यक्षकी हैसियतसे उस रचनात्मक कार्यक्रमका नेतृत्व कर रहा हूँ। और चरखा संघ कांग्रेसकी ही रची हुई एक संस्था है, ऐसी संस्था जो पक्की लगन और सुनियोजित प्रयत्नो द्वारा अपने रचयिताको ही आत्मसात् करनेके लिए काम कर रही है। जिन लोगोको अपने देशकी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेमें अहिंसाकी क्षमतापर भरोसा है, वे खट्टरमें भरोसा किये बिना और चरखेको इस देशमें सर्वप्रचलित करनेके लिए प्रयत्न किये बिना नहीं रह सकते। जबतक यह उद्देश्य पूर्ण रूपसे सफल न हो जाये तबतक उन्हें अन्य किसी सिद्धान्त या विश्वासकी बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मुझे नेतृत्व करनेको कहे, और मैं जो नेतृत्व वास्तवमें दे रहा हूँ, उसकी उपेक्षा करे तो फिर मेरे लिए यह बात शकास्पद हो जाती है कि प्रश्नकर्त्ताने हमारे संघर्ष या अहिंसाके फलितार्थोको समझा भी है या नहीं। याद रखिए कि चरखा संघ, जिसका उद्देश्य ३० करोड़ लोगोकी, जिनमें गरीबसे-गरीब लोग शामिल हैं, सेवा करना है, सर्वोत्तम प्रशासकीय कौशलकी और व्यापकतम मंचकी माँग और अपेक्षा करता है। याद रखिए कि अपनी सफलताके लिए वह कार्यकर्त्ताओसे अनवरत जागरूकता, अनवरत लगनकी अपेक्षा रखता है और उपहास, विरोध और दुष्टतापूर्ण गलत-बयानियोके मुकाबले अदम्य आस्थाकी भी। यह कार्यकर्त्ताओसे निरन्तर अतुलनीय त्याग करते जानेकी अपेक्षा रखता है—ऐसा त्याग, जिसमें कोई सनसनी या उत्तेजना भी नहीं है। और ईश्वरकी कृपासे यदि भारत ऐसा संगठन चला सके और इसे देशके कोने-कोनेमें बसे गाँवोतक फैला सके तो हम सोच सकते हैं कि यह एक काम पूरा कर देनेके बाद इस देशकी स्वतंत्रताके लिए हमें कितना थोड़ा करनेको शेष रह जायेगा। इस प्रयत्नके प्रति भारत अनुकूल प्रतिक्रिया कर सकता है, इस बातमें मेरा विश्वास बराबर बढ़ रहा है; और आप असहयोग, वर्णाश्रम धर्म और अन्य अनेक चीजोके बारेमें, जिनमें मैं दखल देता रहा हूँ, मेरे विचारोसे सहमत हों या न हों, मैं आप सबसे दरिद्रनारायणके लिए काम करनेको कहता हूँ।

और अन्तमें मैं हमारी अभागी बहनो, देवदासियोके सवालको लेता हूँ। लेकिन इसकी चर्चा अन्तमें कर रहा हूँ, इसलिए इस सवालके महत्त्वको किसी तरह कम नहीं समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वे आपके बीच भी होती हैं। उनमें से कुछ

आज तीसरे पहर महिलाओंकी समामें उपस्थित थी। देवदासी-प्रथा हमारं धर्म या देशके लिए कोई श्रेयकी बात नहीं है। डा० मुत्तुलक्ष्मी अम्मलने विधान परिषदमें एक विधेयक पेश कर रखा है। इसे जहाँतक मैं देख सका हूँ, मैंनूरवाले कानूनके आधारपर रचा गया है। उस प्रवृद्ध राज्यने उस समस्याको १९०९ में ही निपटा दिया था। इसे यहाँ कानून द्वारा निपटानेसे पहले मैं दो बातोंका मुझाव देता हूँ। वे नौजवान या वृद्ध लोग, जो इन प्यारी वहनोका गैरकानूनी उपयोग कर रहे हैं, इन वहनोको अपनी कामुकताका शिकार बनानेसे बाज आये। दूसरे, इस प्रथाके अस्तित्वके विरुद्ध जिहादमें हर व्यक्ति शामिल हो जाये, चाहे वह कानून बनाकर हो या इस बुराईके विरुद्ध एक सक्रिय प्रवृद्ध लोकमत तैयार करके हो।

अगर मैंने आपको थका डाला है तो आप मुझे क्षमा करेंगे। आपके सभी अभिनन्दनपत्र काफी महत्त्वपूर्ण थे और मुझे लगा कि सौजन्यताका तकाजा है कि मैं उनका ज्यादासे-ज्यादा विस्तारसे उत्तर दूँ। मेरा अनुरोध है कि मैंने जो-कुछ कहा है, उसपर आप विचार करें और जो आपको ठीक लगे उनके अनुसार कार्य करें।

[अंग्रेजीसे]

हिल्ड, १८-१०-१९२७

## १५. पत्र : मीराबहनको

१७ अक्टूबर, १९२७

वि० मीरा,

मुझे तुम्हारे सभी पत्र मिल गये हैं। पिछले हफ्ते सोमवारवाले पत्रके बाद, जहाँतक मुझे याद पड़ता है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं लिखा है। श्रावणकोर और मन्वा-वारमें खूब व्यस्तता और परेशानी रही, जिसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और जो मेरी इच्छासे ही हुआ। इस कारण मुझे आरामकी जरूरत थी। जैसे ही मैंने यह बात राजगोपालाचारीसे कही, उन्होंने तीन जगहोंका और अपने आश्रमका भी, जहाँ-जहाँ मैं जाना चाहता था, कार्यक्रम रद कर दिया। लेकिन चूँकि मैं लकके लिए तरोताजा होना चाहता हूँ, और वहाँ मैंने खूब व्यस्त कार्यक्रम रखा है, इसलिए मैंने उक्त कार्यक्रमोंका रद होना स्वीकार कर लिया है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि मैं विलकुल ठीक हूँ। आराम तो एक सावधानीका कदम है। २१ तारीखको मैं तिरुपुर जाऊँगा और २४की रातको वहाँसे चलेगा। बाकी कार्यक्रम ज्योंका-त्यों है। मुझे अभीतक पता नहीं है कि मंगलोरके आसपास कहीं-कहीं मुझे जाना है। इसलिए २६ और २१ तारीखके बीच पहुँचनेवाले पत्र तुम मंगलोर ही भेजना।

बाल कटवानेके बारेमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम स्त्रियोंको अपने माथ सहमत कर सको। मुझे बड़ी आशा है कि उन लोगोंमें तुम्हारा काफी प्रभाव बन जायेगा। इसलिए तुम्हें अनावश्यक रूपसे उनके लिए एक

अजनबी चीज नहीं बन जाना चाहिए। तुम पूरी तरह एक निजी मामलेमें उनकी भावनाओंके प्रति लिहाज दिखाओगी, उसकी वे कद्र करेंगी।

मेहमानघरके बारेमें तुम्हारे सुझाव प्रशंसनीय थे। यदि तुम उन्हें बिना विरोध पूरा कर सको तो ऐसे सभी मामलोंमें मेरी स्वीकृति तुम पहलेसे ही मान ले सकती हो। यदि असावधानी और गन्दगी हटानेके आग्रहका मतलब अनवन फलना हो तो हमें हर प्रकारकी लापरवाही और प्रत्यक्ष गंदगीको भी सहन करना चाहिए। लेकिन जो अस्वच्छता स्वास्थ्यके लिए हानिकर हो, अनवन हो या न हो, उसे तो खत्म कर ही देना चाहिए। मेरा क्या आशय है, तुम समझ गई होगी।

आश्रममें रहनेवाले जितने ज्यादा लोगोंके निकट आ सको, आओ। और यदि तुम छोटेलालके दोषोंको अनदेखा कर सको तो यह बहुत शुभ होगा। तुम आश्रमकी भावना और वातावरणको आत्मसात् कर सको, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कोई कड़ी समय-सूची बनाकर काम मत करो। अपने कई घटे अपने लिए रखो ताकि जो-कुछ सामने आये, उससे निपटनेके लिए तुम मुक्त रहो।

हाँ, दुग्धशालामें कठोर सफाईपर अवश्य आग्रह रखो। लेकिन यहाँ भी उच्च-तम स्तर प्राप्त करनेके लिए साथियोंको रूप मत् करो। जो चीज अमीतक कोई प्रत्यक्ष नुकसान किये बिना चलती रही है, उसे थोड़े समय और वर्दाश्त किया जा सकता है।

तुम अम्बालालके यहाँ गई, यह अच्छा किया। अपने जिद्दी स्वभाव और अक्सर अपने नादानी-भरे और कटु निष्कर्षोंके बावजूद श्री अम्बालाल बहुत अच्छे आदमी है।

जबतक मैं तुम्हारे बीच हूँ तबतक बुनियादी सिद्धान्तोंकी रक्षाके लिए जो जरूरी है, उन्हें छोड़कर कोई अन्य कठोर व्रत लेनेकी अभी जरूरत नहीं है। जब मैं नहीं होऊँगा, उस समय स्वयं अपने विकासके लिए या जिस समाजमें तुम रह रही हो, उसके विकासके लिए क्या जरूरी है, इसका निर्धारण करनेके लिए तुम अपने विवेकका उपयोग करना।

श्री सॉन्डर्ससे कहना कि जो किताब वे कहते हैं, उसे लिखना मेरे लिए कठिन है। बौद्धिक ढंगकी कोई चीज लिखना मेरे स्वभावके विपरीत है। और जो मनुष्य क्षणसे क्षणतक जी रहा है, उसको समय कहाँ मिलेगा?

जबतक मैं और कुछ न लिखूँ तबतक लंकारमें मेरा पता कोलम्बो होगा।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२८७) से।

सौजन्य : मीराबहन

## ९६. पत्र: छगनलाल गांधीको

कोयम्बदूर

सोमवार, १७ अक्टूबर, १९२७

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। श्री लॉरेसका पत्र पढ़ लिया है। उसे वापस भेज रहा हूँ। तुम ठीक काम कर रहे हो। आश्रमसे छुट्टी मिल जाये तो जरूर रुक जाना। तुम्हारा लेख मुझे मिला नहीं। शायद महादेवके पास पड़ा होगा। यह तो तुमने सुना ही होगा कि आश्रममें काफी खलवली मची हुई है। तुम्हें वहाँ बैठकर इसकी चिन्ता नहीं करनी है। मैं यहाँ बैठे-बैठे उसे हल कर रहा हूँ। किन्तु मैं निश्चित हूँ। अन्तमें सब शान्त हो जायेगा। जहाँ जल-प्रपात हो वहाँ पानीकी चक्की आसानीसे चल सकती है। किन्तु कृत्रिम जल-प्रपात तैयार करके उसे चलाना तो बहुत महंगा पड़ जायेगा। मेरी तबीयत ठीक चल रही है। यहाँसे पहली तारीखको निकलूंगा। और लंका १९ वीको छोड़ूंगा। अतः इस अवधिमें अपने पत्र कोलम्बोके पतेपर लिखना।

तीन दिन तो समुद्रमें बीतेंगे। प्रभुदास अपनी बीमारीकी अथवा कोई भी दूसरी चिन्ता न करे तो जल्दी अच्छा हो जायेगा। अच्छा होनेके लिए अपनी शक्तिसे ज्यादा चलना-फिरना भी न करे। अल्मोड़ामें जबतक उसकी इच्छा हो तबतक रहे। अपने स्वास्थ्यके विषयमें जबतक निर्भय न हो जाये तबतक वापस न आये, इसमें कोई दोष नहीं है। देवदाससे गलती हो गई है। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि अब वह वहाँ या कहीं भी जायेगा। वर्धा जानेका विचार करता है। किन्तु अभी ऑपरेशन . . .' इसलिए खाटपर पड़ा है। खयाल है, उससे २८ वीको तिरपुरमें भेंट होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९१८८) से।

सौजन्य : राधावहन चौधरी

## १७. पत्र : करीम मुहम्मद मास्टरको

१७ अक्टूबर, १९२७

माईश्री क० मु०,

आपने जो किताब भेजी, उसे मैं ध्यानपूर्वक पूरी पढ़ गया हूँ। उसकी उपयोगिताके विषयमें मुझे शंका है। आपने गहराईमें उतरकर नहीं लिखा है। आपने उसमें कुछ ऐसी बातोंको विश्वास-योग्य मानकर सम्मिलित कर लिया है जिन्हे सुप्रतिष्ठित उलेमाओंने भी स्वीकार्य नहीं माना है। मैं यहाँ उनके नाम नहीं गिनाऊँगा। आप उन बातोंको स्वयं मानते हों तो मैं आपको भी समझानेकी कोशिश नहीं करूँगा; किन्तु इस्लामका मर्म समझनेके लिए किसीको ऐसी पुस्तक पढ़नेकी सलाह मैं नहीं दे सकता।

इसके सिवा, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मुझे इस कठिन समयमें खतरनाक मालूम होती हैं। पुस्तकका २६वाँ और २७वाँ पृष्ठ देखिये। उसमें आप कहते हैं कि जो लोग देवी-देवताओंको पूजते हैं उनका पाप तो खुदा कभी माफ नहीं करेगा; ऐसे पापियोंके लिए तो नरक ही एकमात्र योग्य स्थान है; ऐसे लोगोंका इबादत करना या न करना एक-जैसा है। मुसलमानोंपर आपके इस कथनका क्या असर पड़ेगा? जो व्यक्ति इसे पढ़ेगा और मानेगा वह देवी-देवताओंकी पूजा करनेवाले हिन्दुओंको एक क्षणके लिए भी कैसे सहन कर सकता है? वह उन लोगोंके साथ मिलकर कैसे रह सकेगा? और इन पृष्ठोंको पढ़नेवाले हिन्दुओंपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

मैंने उक्त आयतें पढ़ी हैं। मैं उनका वह अर्थ नहीं करता जो आप करते हैं। यदि उनका वही अर्थ हो जो आप करते हैं तो मैं उन्हें सहन तो कर लूँगा; किन्तु मुझे खेद जरूर होगा।

आजकी परिस्थितिमें तो मैं यह चाहूँगा कि इस्लामके वारेमें केवल वे ही लोग लिखें जिनका ज्ञान विस्तृत हो और जो बहुत उदार हो।

मो० क० गांधी

[ गुजरातीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई



## १८. पत्र : किशोरलाल मशरूवालाको

कोयम्बटूर

१७ अक्टूबर, १९२७

तुम्हारे तीनो पत्र मिले। चोरीसे सम्बन्धित<sup>१</sup> पत्र देरसे मिला। लेकिन उसे भी तीन दिन हो गये हैं। तुम्हारे दूसरे पत्रमे जो पहले मिल गया था, जल्दी जवाब देनेका कोई आग्रह नहीं था। इसलिए मैंने तार नहीं दिया। फिर इसके पहले लिखनेका समय भी नहीं मिला। जिसमे तुमने शक्तिकी बातकी थी वह पत्र कल मिला। उनमे लगा कि तुम चोरीसे सम्बन्धित पत्रके जवाबकी राह देख रहे हो। इसलिए आज तार भेजा है।<sup>२</sup> वह मिल गया होगा। तारसे उत्तर पूरा-पूरा तो नहीं दिया जा सका है।

हम समाजमें रहते हैं किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें हम समाजके व्यवहारका अनुसरण नहीं कर सकते। समाज अहिंसाको नहीं मानता या यो कहो कि अहिंसाका पालन नहीं कर सकता, इसलिए वह चोरको दण्ड देता है। किन्तु जो अहिंसाका प्रयोग कर रहा हो, जिसमें अहिंसाका प्रयोग करनेकी हिम्मत हो, उसे ऐसी परिस्थितिमें तटस्थ रहना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह अहिंसा धर्मका पालन करना सीख नहीं सकता और इसलिए समाज उस दिशामें आगे नहीं बढ़ सकता। यदि मेरा यह विचार ठीक है तो फिर तुम गवाही देने नहीं जा सकते। हाँ, जव-दंस्ती बुलाया जाये तो जाना चाहिए। उस हालतमें तो तुम्हें न्यायाधीशको अपना धर्म समझाना चाहिए। यदि इसके बाद तुम्हारी गवाहीके बिना वह ठीक समझे तो चोरको दण्ड दें अथवा दूसरा कोई प्रमाण न मिलनेपर उसे छोड़ दें।

यहाँतक तो मुझे रास्ता स्पष्ट दिखता है, किन्तु चोरके प्रति दयाकी प्रार्थनाका अधिकार तुम्हें नहीं है। उसके प्रति दया तुम्हारे मनमें कब उत्पन्न हुई? वह जिस समय आया था उस समय आई होती तो तुम्हें या गोमतीको<sup>३</sup> डर न लगा होता और न चोरके पीछे दौड़नेकी ही जरूरत होती। वह माल ले जाता और तुम इस बातको सहन कर लेते। अभी हम इतने ऊँचे नहीं उठे, हमारा भय अभी गया नहीं है, मालिकीका मोह छूटा नहीं है, इसलिए दयाकी भावना मुझे उपयुक्त नहीं मालूम होती। कारण, वह कृत्रिम है। हम ऐसी दयाका विकास करनेका प्रयत्न अवश्य करें, हम कर भी रहे हैं। किन्तु जवतक वह भावना हमारे मनमें बढभूल नहीं हुई है

१. एक चोर किशोरलाल मशरूवालाके घरसे एक सन्दूक उठाते हुए पकड़ा गया था। निचरी अदालतमें उन्होंने अभियुक्तके विरुद्ध गवाही दी लेकिन मजिस्ट्रेटसे चोरको क्षमा कर देनेका अनुरोध किया था। इतीमीच उन्होंने गांधीजीसे राय मांगी और राय मिलनेपर उन्होंने सेशन अदालतमें गवाही देनेसे इन्कार कर दिया।

२. तार उपलब्ध नहीं है।

३. किशोरलाल मशरूवालाकी पत्नी।

तबतक हमारी दया हार्दिक नहीं कही जा सकती और इसलिए वह सच्ची भी नहीं मानी जा सकती; और इसके सिवा यदि दयाकी भावना हमारे हृदयमें घर कर लिया हो तो हमें चोरको अपने वशमें कर लेना चाहिए, उससे मिलना-जुलना चाहिए, उसे सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिए। एक बात और है, न्यायालय हमारी इस माँगको कि चोरपर दया की जाये, स्वीकार भी नहीं कर सकता। चोर स्वयं ऐसी माँग करे और सुधारनेका वचन दे तो न्यायालय उसपर विचार कर सकता है। या न्यायालय हमारी बातपर उस हालतमें ध्यान दे सकता है जब हम चोरको अपने घरमें रखने और इस तरह उसे समाजमें बाहर उपद्रव करनेसे रोकनेके लिए अपनी तैयारी दिखायें। यहाँ तो हम ऐसा कुछ भी करनेके लिए तैयार नहीं। इसलिए दयाकी माँग करनेकी बात भेरे मनको नहीं जँचती। दण्ड और दयाके बीचका कोई मार्ग अभी तक मुझे सूझा नहीं है। दया जहाँ दण्ड जितना प्रभाव न दिखा सकती हो वहाँ ऐसा समझना चाहिए कि वह या तो सच्ची नहीं है या पर्याप्त नहीं है। हिन्दु-मुसलमानोंके झगडोंसे मैंने जो अपना हाथ लगभग खींच लिया है, इसका कारण यही है कि मुझे अपनी दया अथवा कृत्रिम मालूम होती है। कृत्रिमसे मेरा मतलब यह नहीं है कि वह झूठी है। मतलब सिर्फ इतना ही है कि वह बुद्धिके ही क्षेत्रमें है, उससे ज्यादा गहरी नहीं जाती। यदि वह बुद्धिसे गहरी उतरी होती तो मुझे दण्डकी जगह ले सकने योग्य कोई नया उपाय सूझ जाता। अभीतक तो ऐसा नहीं हो सका है। अपने हृदयमें वैसी तीव्र अहिंसाके संवर्धनके लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। किन्तु मेरा प्रयत्न अभीतक सफल हुआ नहीं कहा जा सकता; हाँ, मैं हारा नहीं हूँ।

तुम्हारी एक भूल सुधार दूँ। मुझे लगता है कि यह भूल उतावलीमें हो गई है। तुम लिखते हो कि आजका कानून चोरीको अपराध नहीं मानता, चोरी करके पकड़े जानेको ही अपराध मानता है। बात ठीक ऐसी तो नहीं है। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि चोरी करके आदमी यदि पकड़ा न जाये तो वह दण्ड-मुक्त रहता है। किन्तु यह परिस्थिति तो आदर्श युगमें भी रहेगी। चोरी करते ही सजा मिल जाये यह तो केवल ईश्वरके किये ही हो सकता है। और यदि मनुष्य आस्तिक हो तो वह यही मानता है कि दोष-मात्रका दण्ड मनुष्यको भोगना पड़ता है। मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे कहनेका आशय इतना ही था।

अब आश्रममें जो खलवली मची हुई है उसके विषयमें मुझे आश्चर्य नहीं होता, चोट भी नहीं पहुँचती। यह हृदय स्वच्छ करने और विभिन्न व्यक्तियोंमें शुद्ध मेलकी भावना स्थापित करनेका प्रयत्न है और जहाँ ऐसा होता है वहाँ ऐसा विस्फोट अनिवार्य है। इन घटनाओंसे मेरी यह प्रतीति और दृढ़ होती है कि हमने मंडलका निर्माण करके ठीक ही किया। इसी अनुभवमें से हम अपना काम करना सीखेंगे और अहिंसाके अनुकूल कोई नये सामाजिक नियम यदि हो सकते हैं तो उन नियमोंको ढूँढना सीखेंगे। यदि हम लोगोंमें कोई सम्पूर्ण होता तो वह अभीतक एक नई स्मृति-

की रचना कर चुका होता। हम सब अपूर्ण हैं और अपूर्ण होनेके बावजूद सम्पूर्ण होनेका शुभ और शुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं। जो मिलकर न रह सकते हों, उनके लिए नई संस्था खोली जाये, इसमें मैं दुःख नहीं मानूंगा—यदि उसका हेतु निर्मल हो तो। जबतक हम लोगोंमें सच्ची नम्रता यानी सच्ची अहिंसा प्रकट नहीं होती तबतक मतभेद रहेंगे ही। और ऐसे लोग भी रहेंगे जो गेप सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते। ऐसा प्रसंग उपस्थित हो तो नई उपयोगी संस्थाका आरम्भ करनेमें संकोचका कोई कारण नहीं है। यदि सब अहिंसाकी दिशामें ही बढ़ रहे होंगे तो सम्भवतः किसी समय एक हो जायेंगे। एक नहीं होंगे तो भी भिन्न-भिन्न ढालियोंपर झूलनेवाले, किन्तु किसी एक ही वृक्षका आश्रय लेनेवाले होंगे और इसलिए वे अपनी भिन्नतामें भी एकताका दर्शन कर सकेंगे। अतः हमें जिस वस्तुके लिए प्रयत्न करना है वह इतनी ही है कि किसीके हृदयमें पाप न हो, हम एक-दूसरेको झूठा या पापी न माने और किसीके मनमें स्वार्थ या दम्भ न हो।

सत्यके विषयमें अभी यहाँ और अधिक चर्चा नहीं करूँगा। तुमने जो-कुछ कहा है उसे मैं समझता हूँ और उसे स्वीकार भी करता हूँ। किन्तु उनमें से कई प्रश्नोंका दूसरा सुन्दर पक्ष भी है और हमें उसका भी विचार करना चाहिए। किन्तु उस विषयपर मैं फिर कभी लिखूँगा। मुझे जल्दी नहीं है। मैं मानता हूँ कि हम एक ही वस्तुकी खोज कर रहे हैं। मैं यह नहीं चाहता कि तुम रातके सवा बजे पत्र लिखने बैठो। इसे मैं गलत समझता हूँ। गोमती वह उपचार तभी करायेगी जब उसे उसमें तुम्हारी सेवा मिले, यह बात उसे शोभा नहीं देती। जो भी शुद्ध भावसे सेवा करे उसीकी सेवा स्वीकार कर सकनेकी शक्ति उसमें होनी चाहिए।

दापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## १९. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

कोयम्बटूर

सोमवार [ १७ अक्टूबर, १९२७ ]<sup>१</sup>

वि० गंगाबहन,

तुम्हारे दोनों पत्र मिले। तुम वहाँ अपने पत्रोंमें जो-कुछ लिखती हो उनसे मुझे दुःख होता हो, ऐसा नहीं है। वहाँ जो-कुछ हो रहा है उसे जानना मेरा कर्तव्य है। और जब मैं आश्रममें न रहूँ तब अपने विचारोंके द्वारा जितनी मदद दी जा सकती उतनी तो मुझे देनी ही चाहिए।

१. बापुना पत्रों-६ : गं० स्व० गंगाबहनके अनुसार गांधीजी इस तारीखको कोयम्बटूरमें थे।

वहनोंकी प्रार्थना तुमने ही आरम्भ कराई थी। अब यदि तुम्हें ही उसमें रस न आये तब तो यह समुद्रमें आग लगने जैसी बात होगी; प्रार्थनामें उपस्थित रहना औरोंकी अपेक्षा तुम्हारा तो विशेष धर्म है।

वहाँ आपसमें जो खटपट हुई है उसके सम्बन्धमें मैं यह निर्णय नहीं करना चाहता कि किसका कितना दोष है, बल्कि मैं सबको उचित सलाह देना चाहता हूँ। फिर भी जबतक सबसे मिल नहीं लूँगा तबतक मैं अपनी कोई राय नहीं बनाऊँगा। ऐसा तो मुझे लगा ही नहीं कि दोष रमणीकलालका है। मैंने चि० राधाका पत्र इसलिए नहीं भेजा था कि किसी तरहकी जाँच पड़ताल की जाये बल्कि इसलिए भेजा था ताकि सब वहाँ समस्याको समझ ले और एक दूसरेसे मिलकर अपने सन्देह दूर कर ले। उस पत्रको पढ़कर किसीको दुखी होनेका कोई कारण नहीं था। हमारे वारेमें कोई बुरी धारणा बनाये और हमें उसका पता चल जाये तो इससे हम खिन्न क्यों हों? हमने सचमुच कुछ बुरा किया हो तो हमें खिन्न नहीं होना चाहिए; बल्कि ज्यों ही अपनी भूल मालूम पड़े त्यों ही उसे सुधारनेमें लग जाना चाहिए और भूल वतानेवाले व्यक्तिका अहसान मानना चाहिए। दोष न होते हुए भी यदि कोई दोषारोपण करे तो वह चाहे बूढ़ा हो या बालक, हम तो उसे ना-वाकफकार ही मानें और माफ कर दें।

यदि अन्य वहनोंको भी यह बताना चाहो तो बता देना।

और अब तुम्हारे प्रश्नोंके वारेमें :

सोनेकी उपमाके वारेमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

बोरडी, बोरिवली और मातरमें तुम्हें शान्ति मिली थी क्योंकि वहाँ तुम मेहमान थी और सावधान थी। वहाँका वातावरण तुम्हारी सृष्टि थी या फिर मेहमान होनेके कारण वहाँका वातावरण तुम्हारे अनुकूल बन जाता होगा। किन्तु आश्रमको तुम अपना घर मानती हो और उसे तुमने अपना घर बना भी लिया है। अतः वहाँ तुम मेहमान नहीं रही। आश्रममें तुम सब एक परिवारके रूपमें रह रही हो इसलिए तुम्हारी सच्ची परीक्षा यही होती है। वहाँ सभी तुम्हें डाँट-फटकार सकते हैं; तुम्हें यदि कोई कुछ न गिने तो भी तुम्हें निमा लेना चाहिए। यदि तुम निमा सको तो उससे तुम्हें शान्ति मिलेगी।

जहाँ अशान्तिका कोई कारण ही न हो वहाँ मिलनेवाली शान्ति, शान्ति नहीं है। भला अफीमचीकी शान्ति किस कामकी? जो अशान्तिमें से शान्ति प्राप्त कर सकेगी उसीकी जीत मानी जायेगी। जबतक तुम लोग आश्रममें शान्तिका उपभोग नहीं कर पाती तबतक तुम्हें आश्रमवासिनी नहीं कहा जा सकता।

आश्रमवासिनी तो उसीको कहा जा सकता है जो सबके आश्रम छोड़ देनेपर भी स्वयं बही रहते हुए प्राण त्यागे। ऐसा किये बिना तो आश्रम खड़ा ही नहीं हो सकता।

मैंने यह कभी नहीं माना कि आश्रम खड़ा हो चुका है। हाँ, उसे खड़ा करनेका प्रयत्न हम कर रहे हैं।

जिसे तुम जीवनका विकास मानती हो वह वास्तवमें विकास ही है, सो तुम या मैं कोई नहीं कह सकता। भगवानने कहा है, “जो अपने अन्तकालमें मुझे स्मरण करता है ‘अथवा’ जो अपने अन्तकालमें शान्त है वही मुझे प्राप्त करता है।” इसलिए हमारी परीक्षा उसी अवसरपर होगी। किन्तु यह परीक्षा करेगा कौन? सच बात तो यह है कि सच्ची शान्तिका वर्णन हम नहीं कर सकते, उसे अनुभव ही किया जा सकता है। असंख्य भूखें बात करनेपर ऐसे लगेंगे मानो वे शान्तिका उपभोग कर रहे हैं? परन्तु वह कोई ज्ञानमय शान्ति नहीं है। ज्ञानमय शान्ति एक अलीकिक वस्तु है। भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदिको सहन करनेकी सामर्थ्यको शान्ति नहीं माना जा सकता। ऐसी सहनशक्ति तो बहुत-से खूनियोने भी दिखाई है, किन्तु यदि कोई उनसे एक भी उलटा-सीधा शब्द कहे तो वे तलवार खींच लेते हैं! सच्ची शान्ति तो उन्हीको मिलती है जिन्हें:

नहिं राग न लोभ न मान मदा।

तिन्हूके सम वैभव वा विपदा ॥<sup>१</sup>

यदि अब भी समझ न सकी हो तो लिखना और जवतक समझमें न आ जाये तवतक पूछते रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७०५) से।

सौजन्य : गंगावहन वैद्य

## १००. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

मौनवार [ १७ अक्टूबर, १९२७ ]<sup>१</sup>

बहनो,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं समझता हूँ कि तुम बहुत वेचैन हो गई हो। इससे मैं नहीं घबराता। जब मैंने यह विषय छोड़ा, तभी समझ गया था कि तुम वेचैन हो जाओगी। किन्तु इसके बिना मैंल दूर करनेका मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब तुम धीरज रखो। सब ठीक हो जायेगा; और हम नई और सच्ची शान्ति महसूस करेंगे। हम सब मिलकर एक कुटुम्ब बन गए हैं। कुटुम्बमें खलबली मचती है, तो हम क्या करते हैं? अगर दोनों पक्ष सच्चे हों, तो एक-दूसरेका रोप सहन करते हैं और अपना रोप शान्त करनेकी कोशिश करते हैं। उसी तरह हमें यहाँ भी करना है। हम सब अपने-अपने धर्मका पालन करने लग जायें तो वे लोग भी जो अपना धर्म नहीं पालते हों, पालने लग जायेंगे या फिर कठोर मूँगकी तरह अलग दिखने

१. रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड।

२. आश्रमकी बहनोंमें आपसी अनबन्के उल्लेखते।

लगेंगे। इस खलबलीसे एक-दूसरेके प्रति उदारता रखनेकी शिक्षा तो ले ही लेना। उदारताका पदार्थ-पाठ तभी सीखा जाता है, जब हम किसीको दोषी माननेपर भी उसके प्रति रोष न रखकर उससे प्रेम करे, उसकी सेवा करें। जबतक एक-दूसरेके बीच विचार और आचारकी एकता है, तबतक यदि सद्भाव रहता है तो वह उदारता या प्रेमका गुण नहीं; वह तो केवल मित्रता है। उसे पारस्परिक प्रेम अवश्य कहा जा सकता है।

मगर वहाँ प्रेम शब्दका उपयोग अनुचित मानना चाहिए। उसे स्नेह कहेंगे। दुश्मनके प्रति मित्रभावका नाम प्रेम है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६७१) की फोटो-नकलसे।

## १०१. तार: विट्ठलभाई झ० पटेलको'

[कोयम्बटूर,

१७ अक्टूबर, १९२७ या उसके पश्चात्]

विट्ठलभाई पटेल  
नडियाद

नवम्बरमें लंकाकी यात्रा निश्चित। स्थगित करना कठिन। यहाँ इक्कीस तक हैं। उसके बाद तिरपुर।'

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १२८६२) की फोटो-नकलसे।

१. यह तार १७ अक्टूबर, १९२७को विट्ठलभाई पटेल द्वारा भेजे गये इस तारके उत्तरमें था: "कृपया अपने कार्यक्रममें ऐसा फेरबदल कर लें कि २ से ८ नवम्बरतक मेरे साथ रह सकें। बहुत आवश्यक है। आपके नाम मेरे पत्रके साथ दयालजी रवाना हो रहे हैं।"

२. इस तारके उत्तरमें विट्ठलभाई पटेलने यह तार भेजा: "आपको सारी कठिनाइयोंपर विजय पानी होगी और २ नवम्बरको मेरे साथ चटना होगा। इसलिए कृपया अपना कार्यक्रम तदनुसार ठीक कर लीजिए। दयालभाई रवाना हो चुके हैं।" विट्ठलभाई स्पष्टतः वाइसरायकी ओरसे गांधीजीका मन ले रहे थे। देखिए वाइसरायका विट्ठलभाई पटेलको. १३-१०-१९२७को भेजा गया पत्र। पत्रमें वाइसरायने कहा था: "जब मैं यह कहनेकी स्थितिमें हूँ कि मैं श्री गांधी और डा० अन्सारीको दिल्ली आकर मुझसे मिलनेके लिए आमन्त्रित करना चाहूँगा, और मैं आपका आभारी होऊँगा अगर आप उनसे यह पता ल्या लें कि क्या वे ऐसा करनेके लिए मेरे निमन्त्रणको स्वीकार करनेके इच्छुक हैं।" (विट्ठलभाई पटेल, लाइफ ऐंड टाइम्स, खण्ड २)।

## १०२. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको

मुसाफरीमें  
आश्विन कृष्ण ८ [ १८ अक्टूबर, १९२७ ]

माई रामेश्वरदास,

क्या लीखूं? क्यों मानते हो नरकमें रहते हो? क्यों रहते हो? समझो कि वगैर रामनाम हमारे पास और कोई चारा नहीं है। निश्चय कीया जाय की राम कृपासे हृदयके सब मल दूर हो जायंगे।

वापूके आशीर्वाद

जी० एन० १८५ की फोटो-नकलसे।

## १०३. मैं हिन्दू क्यों हूँ?

एक अमेरिकी बहन जो अपनेको हिन्दुस्तानका यावज्जीवन मित्र कहती है, लिखती है :

चूँकि हिन्दू-धर्म पूर्वके मुख्य बर्षोंमें से एक है, और चूँकि आपने ईसाई धर्म और हिन्दू-धर्मका अध्ययन किया है, और उस अध्ययनके आधारपर अपने आपको हिन्दू घोषित किया है, मैं आपसे अपनी इस पसन्दगीका कारण पूछनेकी अनुमति चाहती हूँ। हिन्दू और ईसाई दोनों ही मानते हैं कि मनुष्यकी प्रधान आवश्यकता है ईश्वरको जानना, और सच्चे मनसे उसकी पूजा करना। यह मानते हुए कि ईसा परमात्माके प्रतिनिधि थे, अमेरिकाके ईसाइयोंने अपने हजारों पुत्रों और पुत्रियोंको हिन्दुस्तानवालोंको ईसाके वारेमें बतलानेके लिए भेजा है। क्या आप कृपा करके बदलेमें ईसाकी शिक्षाओंके साथ-साथ हिन्दू-धर्मकी तुलना करेंगे और हिन्दू-धर्मकी अपनी व्याख्या देंगे? इस कृपाके लिए मैं आपका हार्दिक आभार मानूंगी।

कई मिशनरी समाजोंमें अंग्रेज और अमेरिकी मिशनरियोंसे मैंने यह कहनेका साहस किया है कि अगर वे ईसाके वारेमें हिन्दुस्तानको 'बताने' से वाज आते और 'सरमन ऑन द माउंट' में बताये गये ढंगसे अपना जीवन बिताते, तो भारत उनपर शक करनेके बदले अपनी सन्तानोंके बीच उनके रहनेकी ऋद्ध करता और उनकी

उपस्थितिसे लाभ उठाता। अपने इस विचारके कारण मैं अमेरिकी मित्रोको हिन्दू-धर्मके बारेमें बतौर 'वदले' के कुछ 'वता' नहीं सकता। अपने धर्मके बारेमें, विशेष रूपसे धर्मपरिवर्तनके उद्देश्यसे लोग दूसरोसे कुछ कहें, इसमें मेरा विश्वास नहीं है। विश्वासमें किसीको कुछ बतानेकी गुंजाइश नहीं है। विश्वासपर तो आचरण करना होता है और तब वह अपना प्रचार स्वयं करता है।

और सिवाय अपने जीवनके और किसी अन्य ढंगसे हिन्दू-धर्मकी व्याख्या करनेके योग्य मैं अपनेको नहीं मानता। और अगर मैं लिख कर हिन्दूधर्मको समझा नहीं सकता तो ईसाई-धर्मसे उसकी तुलना भी नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि यथासम्भव संक्षेपमें मैं बताऊँ कि मैं हिन्दू क्यों हूँ।

मैं वंशानुगत गुणोके प्रभावपर विश्वास रखता हूँ, और मेरा जन्म एक हिन्दू परिवारमें हुआ है इसलिए मैं हिन्दू हूँ। अगर मुझे यह अपने नैतिक दोष या आध्यात्मिक विकासके विरुद्ध लगे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अध्ययन करनेपर जिन धर्मोंको मैं जानता हूँ उनमें मैंने इसे सबसे अधिक सहिष्णु पाया है। इसमें सैद्धान्तिक कट्टरता नहीं है, यह बात मुझे बहुत आकर्षित करती है क्योंकि इस कारण इसके अनुयायीको आत्माभिव्यक्तिका अधिकसे-अधिक अवसर मिलता है। हिन्दूधर्म वर्जनशील नहीं है, अतः इसके अनुयायी न सिर्फ दूसरे धर्मोंका आदर कर सकते हैं बल्कि वे सभी धर्मोंकी अच्छी बातोंको पसन्द कर सकते हैं और अपना सकते हैं। अहिंसा सभी धर्मोंमें है मगर हिन्दूधर्ममें इसकी उच्चतम अभिव्यक्ति और प्रयोग हुआ है। (मैं जैन और बौद्ध धर्मोंको हिन्दू-धर्मसे अलग नहीं गिनता।) हिन्दू-धर्म न सिर्फ सभी मनुष्योंकी एकात्मतामें विश्वास करता है बल्कि सभी जीवधारियोंकी एकात्मतामें विश्वास करता है। मेरी रायमें हिन्दूधर्ममें गायकी पूजा मानवीयताके विकासकी दिशामें उसका एक अनोखा योगदान है। सभी जीवोंकी एकात्मता और इसलिए सभी प्रकारके जीवनकी पवित्रता में इसके विश्वासका यह व्यावहारिक रूप है। भिन्न योनियोंमें जन्म लेनेका महान विश्वास, इसी विश्वासका सीधा नतीजा है। अन्तमें, वर्णाश्रम धर्मके सिद्धान्तकी खोज सत्यकी निरन्तर खोजका अत्यन्त सुन्दर परिणाम है। ऊपर बतलाई बातोंकी परिभाषा देकर मैं इस लेखको भारी नहीं बनाऊँगा। मैं तो यहाँ सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गोमक्ति और वर्णाश्रमके आजके खयालात, मेरी समझमें, मूल गोमक्ति और वर्णाश्रमकी विकृतिर्या-मर है। जो चाहें, वे 'यंग इंडिया' के पिछले अंकोंमें वर्णाश्रम और गोमक्ति की परिभाषा देख सकते हैं। मैं निकट भविष्यमें ही वर्णाश्रमपर कुछ कहनेकी आशा रखता हूँ। इस अत्यन्त संक्षिप्त खाकेमें तो मैंने सिर्फ हिन्दू-धर्मकी वे विशेषताएँ बतलाई हैं जो मुझे हिन्दू बनाये हुए हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-१०-१९२७



## १०४. तार : विट्ठलभाई झ० पटेलको

२० अक्टूबर, १९२७

दयालजी अभी पहुँचे, आपका तार मी। लंकाका कार्यक्रम बदलना कठिन है। उसके बाद बुलानेपर खुशीसे दिल्ली या अन्यत्र जाऊँगा। मेरी रायमें इस समय मैं कूटनीतिक तरीकोंसे उपयोगी सेवा कर सकूँ, ऐसी मुझे आशा नहीं है। यदि मेरी सीमाओंके बावजूद मेरा फौरन दिल्ली आना जरूरी लगे तो मैं लंकाकी यात्रा स्थगित करके दिल्ली आनेको तैयार हूँ वगैरें निमन्त्रण घोषित किया जाये, और मॅटके सार-संक्षेपके बारेमें स्वीकृत वक्तव्य प्रकाशित करनेकी अनुमति हो। यदि आप इसे सन्तोषजनक मानें तो उचित जगह इस तारका पूरा पाठ भेज दें, लेकिन निजी तौरपर मैं आपसे कहूँगा कि मुझे इस मामलेसे अलग रखें। मैं कलतक यहाँ, चौबीसतक तिरपुरमें और पच्चीसको कालीकटमें होऊँगा।

[अंग्रेजीसे]

विट्ठलभाई पटेल, लाइफ एंड टाइम्स, खण्ड २

## १०५. तार : विट्ठलभाई झ० पटेलको'

२० अक्टूबर, १९२७

आपका तार मिला। मेरी रायमें शर्तें न अपमानकारी हैं न सन्त हैं बल्कि सार्वजनिक हितमें वांछनीय हैं। पूरा पाठ तारसे भेजिए।

अंग्रेजी (एस० एन० १२८६४) की फोटो-नकलसे।

१. यह तार विट्ठलभाई पटेलके २०-१०-१९२७के इस तारके उत्तरमें था : “आपके तारका पूरा पाठ मैं उपयुक्त जगहोंपर भेजूँ, इससे पहले फिरसे अनुरोध करूँगा कि आप बिना शर्तें निमन्त्रण स्वीकार करें। यदि आपको यही रुख रहा तो मैं पूरा पाठ भेज दूँगा और आपको उत्तर सूचित करूँगा। कृपया तुरन्त तार दें।”

## १०६. पत्र : बी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

कोयम्बटूर

२० अक्टूबर, १९२७

प्रिय भाई,

आजकल दक्षिण आफ्रिकासे बहुत गर्मागर्म सामग्री आ रही है। यह एक कतरन संलग्न है। जो कुछ हो रहा है मैं उसे देख रहा हूँ लेकिन कुछ न कहनेमें बुद्धिमानी मानता हूँ। लेकिन आवश्यक होनेपर मैं हस्तक्षेप करनेमें हिचकूंगा नहीं। जो चीज मुझे उद्विग्न करती है वह मणिलालके पत्रका एक अनुच्छेद है जिसे मैं अनुवाद करके नीचे दे रहा हूँ :

मैं उनके भाषणोंसे कुछ सन्तुष्ट नहीं हूँ।<sup>१</sup> वह साम्राज्यकी तारीफ करने और उससे भारतको होनेवाले लाभ गिनानेमें सीमा पार कर जाते हैं। वह इस प्रकार यूरोपीयोंको प्रसन्न करना जरूरी समझते हैं। वह ऐसा मानते प्रतीत होते हैं कि इसी प्रकार हम यहाँ कुछ प्राप्त कर सकेंगे। इन भाषणोंका प्रभाव भारतमें अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि उन्हें 'इंडियन ओपिनियन' में न छापूँ।

मुझे लगा कि मणिलालकी यह बात मुझे आपतक पहुँचा देनी चाहिए। क्योंकि वह एक मला लड़का है और वीर लड़का है। साम्राज्य सम्बन्धी भेरे वादके विचारोंको वह जानता है इसलिए मुझे उसके मानसिक रवैयेपर आश्चर्य नहीं है। उसमें यह समझ सकनेकी विवेकबुद्धि नहीं है कि हम और आप सगे भाइयोंके समान हैं, हालाँकि साम्राज्यके सम्बन्धमें एक-जैसी राय नहीं रखते। मैंने उसके इस पत्रके बारेमें उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है सिवा इसके कि उसे निष्कर्ष निकालनेमें जल्दवाजीके खिलाफ चेतावनी दी है और यह बताया है कि आप ईमानदारीसे साम्राज्यकी गति-विधियोंको कुल मिलाकर लाभजनक समझते हैं। लेकिन निश्चय ही आप उसे अपने सामने बूलाकर जरूरत हो तो बात करेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने वेटेसे करेंगे। मैं पूरी आशा करता हूँ कि यहाँ कुछ अखबारोंमें समय-समयपर जो-कुछ छपता रहता है या लोग वहाँ जो-कुछ कहते होंगे उसके बारेमें आप परेशान नहीं होंगे। जब आपको लगे कि मुझे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए तो कृपया मुझे वैसा सूचित

१. श्रीनिवास शास्त्रीने ६ अक्टूबर, १९२७ को प्रिटोरियासे अपने भाईको एक पत्रमें लिखा था : "साम्राज्य सम्बन्धी अपने विचारोंकी आलोचना होनेकी मुझे पूरी आशा थी। लोगोंको अक्षांश रेखा और देशान्तर रेखामें अन्तरकी गुंजाइश रखनी चाहिए। कोई भी सार्वजनिक वक्ता, जिसकी आत्मा भर नहीं गई है, उसे अक्षर सत्य छिपानेका अपराध करना ही पड़ेगा। यदि वह साफ झूठ नहीं भी बोलता तो भी यथासंभव उससे मिलती-जुलती बात तो करता ही है।"

करनेमें हिचकें नहीं। आप तो जानते ही हैं कि मैं अखबारोंको ध्यानसे नहीं पढ़ता, विशेष रूपसे जब मैं प्रतिदिन एक स्थानसे दूसरे स्थानकी यात्रा कर रहा हूँ।

मगवान आपको स्वस्थ रखे !

सस्नेह,

आपका,  
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री

### १०७. पत्र : प्रभावतीको

आश्विन कृष्ण १० [२० अक्टूबर, १९२७]

चि० प्रभावती,

तुमारा पत्र मुझको मील गया था। परंतु अवकाश न होने कारण मैं इससे पहले न लीख सका।

तुमको आश्रम भेजनेके वारेमें मेरे सब प्रयत्न अबतक तो निष्फल गये। अब तो मैंने कुछ आशा छोड़ दी है। चि० मृत्युंजय क्या करेगा उसका भी कुछ पता नहि है। अब तो तुमारे ही बलसे आ सकती है तमी हो सकता है। पिताजीसे बातें करो और कोई उपायसे तुमको भेज सके तो अच्छा है। यदि आश्रम जानेका भीका नहि मीले तो भी अशांत हरगीज न बनो। आश्रममें हम जो इलोक गाते हैं उसमें एक यह है।

दुःखेष्वनुद्विग्नमना : सुखेषु विगतस्पृहः  
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥<sup>१</sup>

अथवा तुलसीदासने कहा है :

जिनके सम वैभव वा विपदा<sup>१</sup>

तुम्हारे पतिका यदि और कुछ पता मीला है तो लीखो।

मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस पत्र तुमारे हाथमें आनेके समय मैं मंगलोरके नजदीक हूंगा।

२६-३१ मंगलोर

नवेम्बर ४-१९ कोलम्बो

तीन दिन समुद्रमें जायगे।

दापूके आशीर्वाद

जी० एन० ३३३० की फोटो-नकलसे।

१. वर्षका निर्धारण यात्रा-कार्यक्रमके आधारपर किया गया है।

२. गीता, २, ५६।

३. रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड।

## १०८. पत्र : मणिलाल व सुशीला गांधीको

गुरुवार, २० अक्टूबर, १९२७

चि० मणिलाल व सुशीला,

तुम्हारे पत्र मिले।

तुमने अपने पत्रमें शास्त्रीजीके बारेमें जो राय जाहिर की थी वह मैंने उन्हे बता दी है। मुझे लगा कि वे उसे जान लें यही ठीक होगा। किसीने उनके भाषणोंके छुटपुट उद्धरण उन्हे नीचा दिखानेके इरादेसे यहाँके अखबारोको भेजे है। वे साम्राज्यकी प्रशंसा करे इसमें मुझे कोई अजीब बात नजर नहीं आती क्योंकि उनकी यही मान्यता है। वरना वे यह नौकरी स्वीकार न करते। फिर भी तुम्हारे मनमें जो बात आये उसे तुम विनयपूर्वक उनके सामने रख सकते हो ताकि वे तुमसे कुछ कहना या तुम्हें समझाना चाहे तो समझा सकें। किसी काममें उतावली मत करना।

देवदासने अर्शका ऑपरेशन कराया है। यह ऑपरेशन त्रिचनापल्लीमें डा० राजन्ने किया है। वह उन्हीके अस्पतालमें है और अब बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा जखम रह गया है जो जल्दी ही भर जायेगा। वह परसो मुझसे मिलेगा।

आश्रमसे तुम्हें जो माल भेजा गया था उसका पैसा तुम्हारी तरफ निकलता है। वह पैसा तुम तत्काल भिजवा दो। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि इन पैसोकी अदायगी तो रोक कर रखी ही नहीं जा सकती क्योंकि आश्रमको इस तरह उधार देनेका अधिकार ही नहीं है अतः जल्दीसे-जल्दी ये पैसे चुकता कर देना।

सुशीलाका कितना वजन बढ़ा? अब वह कितने मील चल सकती है? उसका कान कैसा है? क्या वह अक्षर जोड़ [कम्पोज कर] लेती है? क्या गीता-पाठ करती है?

वापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

एन्ड्र्यूजने तार द्वारा सूचना दी है कि उन्हीने प्रागजीके बारेमें नेटाल तार दिया है।

तुम्हारा पत्र अभी-अभी मिला। उसमें तुमने किसी डाकसे एक बार पत्र न मिलनेकी बात लिखी है। अबतक वह पत्र तुम्हें मिल गया होगा। वेशक मैं एक डाकसे पत्र भेजना भूल ही गया था।

गुजराती (जी० एन० ४७२६) की फोटो-नकलसे।

## १०९. पत्र : मीराबहनको

२१ अक्टूबर, १९२७

चि० मीरा,

मुझे तुम्हारे पत्र नियमित रूपसे मिलते हैं। तुम जितने चाहो उतने पत्र लिखनेसे मैं तुम्हें मना नहीं करता। मैंने सिर्फ यह कहा था कि तुम मुझे प्रति सप्ताह एक पत्र लिखोगी तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा। एक भी पत्र न मिलनेसे मुझे चिन्ता होगी। अगर तुम्हारा मन हर रोज एक पत्र भेजनेका हो तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

मैं सोचता हूँ कि घूममें घूमने-फिरनेमें तुम्हें कुछ तकलीफ तो होती होगी। क्या घूमसे बचावके लिए तुम सरपर कुछ पहनती हो? अगर जरूरत हो तो तुम हैट इस्तेमाल करनेमें झिझकना मत।

हालाँकि मैं माँ का स्थान लेता हूँ, या कहें कि चूँकि मैं यह विशिष्ट स्थान लेता हूँ, इसलिए वास्तविक माँ का तुम्हारे लिए पहलेसे ज्यादा महत्त्व होना चाहिए। तुम्हारे साथ मेरे सम्बन्ध शुद्ध हों इसके लिए यह जरूरी है कि यह सम्बन्ध स्वभाविक स्नेहके तुम्हारे सभी सम्बन्धोंको मजबूत बनाये। इतना जरूर है कि ये सम्बन्ध शुद्धतर हो जाने चाहिए और उनमें स्वार्थका लेशमात्र समाप्त हो जाना चाहिए।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२८८) से।

सौजन्य : मीराबहन

## ११०. पत्र : सुरेन्द्रको

[२२ अक्टूबर, १९२७ के पश्चात्<sup>१</sup>]

चि० सुरेन्द्र,

तुम्हारी चिट्ठी मिली। पूज्य गंगाबहन<sup>२</sup> चाहती हैं कि तुम स्त्रियोंके वर्गको रोज थोड़ा समय दो। मैं उनसे सहमत हूँ। अगर तुम दे सको तो थोड़ा समय इसके लिए दो।

१. देवदासके घाबके उल्लेखके आधारपर; गांधीजीको देवदाससे २२-१०-१९२७ को मिलना था, हेखिप "पत्र : मणिलाल व सुशीला गांधीको", २०-१०-१९२७।

२. गंगाबहन वैद्य।

मुझे यहाँ आज सुन्दरम्<sup>१</sup> एकाएक मिल गया। मैंने देवदाससे आश्रम जानेको कहा था; मगर उसने वर्षा जाना पसन्द किया। मुझे लगता है उसका घाव भरनेमें कुछ समय लगेगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

वालकृष्ण . . . . .<sup>३</sup>

गुजराती (एस० एन० ९४१२) की फोटो-नकलसे।

### १११. तार : विट्ठलभाई झ० पटेलको<sup>२</sup>

तिरुपुर

२३ अक्टूबर, १९२७

आपका तार अभी मिला। प्रकाशनकी कठिनाईको मैं अनुभव करता हूँ और मेरी उपस्थिति अत्यावश्यक है, यह देखते हुए यदि मुझे निमन्त्रण चौबीस तक तिरुपुरमें या पच्चीसको कालीकटमें या छत्वीस और उसके बाद मंगलोरमें मिल गया तो मैं खुशीसे स्वीकार कर लूंगा।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १२८६५) की फोटो-नकलसे।

१. त्रिभुवनदास छद्धार, एक कवि जिन्होंने अपना यह उपनाम रख लिया था।

२. साधन-सूत्रमें दो शब्द अस्पष्ट हैं।

३. यह तार विट्ठलभाई झ० पटेलके निम्न तारके उत्तरमें था : “वाइसरायसे यह तार मिला। शुरु : २८ सी० आपके २० अक्टूबरके तारके लिए बहुत धन्यवाद। मैं गांधीको कठिनाईको अच्छी तरह महसूस करता हूँ और उनके स्वास्थ्यको देखते हुए यह सुझाव कि वह अपने कार्यक्रमको बदलें और लम्बी यात्रा करें तबतक नहीं देता जबतक कि मैं उनसे मिलना महत्वपूर्ण नहीं मानता होता। यदि मुलाकात होती है तो मैं निमन्त्रणा तथ्य घोषित करनेको बिलजुल राजी हूँ लेकिन मैं मुलाकातके सार-संक्षेपको प्रकाशित करनेकी बात नहीं मान सकता, क्योंकि इससे मुलाकातकी गोपनीयता खंडित होगी। आपसे यह सुननेपर कि इन परिस्थितियोंमें वह दिल्ली आयेंगे, मैं उन्हें खुशीसे निमन्त्रण भेज दूंगा। कृपया पता लगा कर मुझे तारसे सूचित कीजिए। इस बीच अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरा विचार डा० अन्सारीको २ नवम्बरको मुझसे यहाँ आकर मिलनेके लिए अविलम्ब निमन्त्रित करनेका है।” समाप्त। देशकी खातिर जोरदार सलाह और आग्रह करता हूँ कि आप मुझे वाइसरायको यह आश्वासन देनेकी अनुमति देंगे कि आप उनका निमन्त्रण स्वीकार कर लेंगे। तुरन्त उत्तर दीजिए।”

## ११२. भाषण : छात्रोंके समक्ष, तिरुपुरमें

२३ अक्टूबर, १९२७

गीता-कक्षाका उद्घाटन करते हुए महात्माजीने छात्रोंको सुबह ४ बजे उठने और प्रतिदिन नियमित रूपसे 'भगवद्गीता' पढ़नेकी सलाह दी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरे मनसे 'गीता' का अध्ययन शुरू करें। यदि आप लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो आप 'गीता' का तमिल अनुवाद पढ़ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद नहीं क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद 'गीता' का सच्चा महत्त्व प्रकट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 'गीता' का तीसरा अध्याय महत्त्वपूर्ण है।

'गीता' में कर्मका सन्देश, भक्तिका सन्देश और ज्ञानका सन्देश दिया गया है। जीवन इन तीनोंका एक मिलाजुला समन्वित रूप होना चाहिए। सेवा इन सभीका आधार है और जो लोग देशकी सेवा करना चाहते हैं उनके लिए इससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण और क्या हो सकता है कि वे उस अध्यायके अध्ययनसे शुरुआत करें जिसमें कर्मका सन्देश दिया गया है? लेकिन आप 'गीता' को पाँच आवश्यक साधनोंसे सज्जित होकर पढ़ें। वे पाँच साधन हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय। तभी और केवल तभी आप 'गीता' की सही व्याख्या कर सकेंगे। और तब आप उसमें हिंसा नहीं, जैसा कि अधिकांश लोग उसमें देखते हैं, बल्कि अहिंसा देखेंगे। आप उसका अध्ययन उपयुक्त उपकरणोंसे सज्जित होकर कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ऐसी शान्ति प्राप्त होगी जिसका आपको पहले कभी भान भी नहीं था।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २५-१०-१९२७

यंग इंडिया, ३-११-१९२७

१. इसके आगेका अंश महादेव देसाई द्वारा लिखित "साप्ताहिक पत्र" से लिया गया है, जो कि यंग इंडियाके ३-११-१९२७ के अंकमें प्रकाशित हुआ था।

## ११३. वर्णधर्मपर बातचीत'

२३ अक्टूबर, १९२७

कुछ नवयुवकोंने<sup>१</sup> वर्णधर्मपर बातचीत करनेके लिए गांधीजीसे भेटका समय मांगा। उन्हें इस बातसे परेशानी थी कि जबतक ब्राह्मण ब्राह्मण है, तबतक वह अपनी श्रेष्ठता कैसे छोड़ सकता है।

गांधीजीने अपनी बात समझानेके लिए एक उदाहरण देते हुए कहा :  
सीता भी एक वेश्यासे श्रेष्ठ नहीं थी। क्या आप सन्तुष्ट हैं ?

मित्रने कहा, “नहीं, मुझे तो इससे आघात पहुँचता है।” गांधीजीने कहा :

मैं सन्तुष्ट हूँ, क्योंकि सीतामें श्रेष्ठताकी कोई भावना नहीं थी। अगर उनमें अपनी पवित्रताका घमण्ड होता तो वे कहीकी न रहती। लेकिन उन्हें तो उसका भान तक नहीं था। वह पवित्र थी क्योंकि उनके लिए इसके सिवा कुछ होना असम्भव था। क्या हिमालयको अपनी ऊँचाईका भान है? तनिक भी नहीं। लेकिन यदि इसका भान हो तो वह टुकड़े-टुकड़े होकर गिर जाये। इसी प्रकार वर्ण भी, यदि वह श्रेष्ठताका समानार्थी और अहकी अभिव्यक्ति बन जाये तो गलेमें पड़ी जंजीरसे बेहतर नहीं रह जायेगा। मैक्समूलरने हिन्दू-धर्मकी संक्षेपमें यह व्याख्या की है :  
“भारतने जीवनको केवल एक चीज माना है—कर्त्तव्य—जब कि औरोंने आनन्दो-पभोग और कर्त्तव्यकी बात सोची है।” वर्ण तो बस उस कर्त्तव्यका द्योतक भाग है जो प्रत्येकको अपने पूर्वजोंसे प्राप्त हुआ है। पश्चिममें जब लोग जन-साधारणकी दशा सुधारनेकी बात करते हैं तो वे उनका जीवन-स्तर उठानेकी ही बात करते हैं। भारतमें हमारे लिए जीवन-स्तर उठानेकी बात करना जरूरी नहीं है। जब वह स्तर हम सबके अन्दर ही है तो कोई बाहरी व्यक्ति उसे ऊपर कैसे उठा सकता है? मनुष्य अपने कर्त्तव्यको पहचाने और उसे पूरा करे तथा ईश्वरके निकट पहुँचे। हम तो इसके अवसर ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज आप पेड़को समूल उखाड़नेका असम्भव कार्य कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ शाखाएँ और पत्तियाँ सड़ी हुई हैं। आइए हम चाकू लें और इन रोगग्रस्त शाखाओंको काट डालें, लेकिन हमें जड़पर कुल्हाड़ा नहीं मारना चाहिए। जिस पेड़के नीचे आप रहे हैं और बड़े हुए हैं यदि उसे ही नष्ट कर देंगे तो आप खराब माली कहलाएँगे। पेड़में जो अनावश्यक वाड़ है उसे आप काट फेंकें, मले ही अन्तमें जड़ों सहित बचा हुआ तना केवल ठूँठकी तरह दिखाई पड़ने

१. महादेव देसाईके “साप्ताहिक पत्र” से।

२. राव साहब विठ्ठलदास आनन्दजी सेठ, पृ० ५१० चिक्कण्ण चेट्टियार, टी० ५५० कन्दस्वामी चेट्टी, टी० ५५० अविनाशलिङ्गम् चेट्टियार, के० ५५० रामस्वामी कौण्डर, पी० ६० भाशर और के० वी० वैकटाचलम् पिल्ले।



लगे; लेकिन यदि आप जड़ोंको बचाकर रखेंगे और उसमें प्यारसे पानी देंगे तो वह किसी दिन बढ़कर एक सुन्दर वृक्ष बन जायेगा।

लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वृक्षको नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि सच्चा ब्राह्मण सभी बार सहकर भी अपनी त्यागमय गरिमामें सीधा तनकर खड़ा रहेगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि आज बहुत कम ब्राह्मण, बहुत कम क्षत्रिय, बहुत कम वैश्य और बहुत ही कम शूद्र रह गये हैं। कारण, शूद्रका भी एक निजी व्यक्तित्व होता है। हम सभी आज गुलाम हैं। आज हम डायरकी उद्दण्ड शक्तिके सामने काँपते हैं। आइए, हम सब लोग, हममें से प्रत्येक व्यक्ति, अपने-अपने घन्वेको पूरा करे। हममें से अधिकांश लोगोंको वैश्य होना पड़ेगा क्योंकि ये वैश्य ही हैं जिन्होंने हमें अपनी एड़ीके नीचे दवा रखा है।

हम ब्राह्मणका आदर करेंगे, उसकी श्रेष्ठताके कारण नहीं, बल्कि वह जो अधिक श्रेष्ठ सेवा करता है, उसके कारण। आज हमारा पतन हो चुका है, यही कारण है कि हम श्रेष्ठता और हीनताकी बात ही सोच सकते हैं।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, ३-११-१९२७

## ११४. भाषण : तिरुपुरकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

२३ अक्टूबर, १९२७

मित्रो,

मैं आपको सारे अभिनन्दनपत्रों, इन थैलियों, खादीके विभिन्न उपहारों तथा हीरेके इन दो बुन्दोंके लिए, जिन्होंने मेरा और आपका अगला काम तय कर दिया है, धन्यवाद देता हूँ। अबतक तो आप जान ही चुके होंगे कि मेरे लिए इन मूल्यवान उपहारोंका महत्व केवल दरिद्रनारायणकी दृष्टिसे ही है, मेरे व्यक्तिगत उपयोगकी दृष्टिसे नहीं। जिस थोड़ी बहुत खादीकी जरूरत मुझे पड़ती है वह तो मेरे पास पहलेसे ही है। और इसलिए अगर आप भाषणके खत्म होनेपर धैर्य रखेंगे तो मैं सारी खादी और इन मूल्यवान बुन्दों तथा इन फ्रेमोंको विक्रीके लिए आपके सामने पेश करूँगा। आपने मुझे याद दिलाई है कि कुछ समय पहले जब मैं तिरुपुर आया था तो आपने मुझे खादीके राजाकी तथा इसे [ तिरुपुरको ] खादीके राजाकी राजधानीकी उपाधि दी थी। इस उपाधिको मैंने आदरपूर्वक और नम्रताके साथ स्वीकार कर लिया था और इस स्थानको खादीके राजाकी राजधानी कहनेके आपके दावेको भी मैंने मान लिया था और चूँकि मैं अपनी प्रजासे बहुत अपेक्षाएँ रखनेवाला कोई कठोर राजा नहीं हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपने अपने-आपको जो उपाधि दी है वह विलकुल ठीक दी है। उत्पादनकी दृष्टिसे आपका सारे भारतमें अब भी पहला स्थान है। आपने अपनी खादीकी किस्ममें भी

१. गांधीजीके अंग्रेजी भाषणको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तमिलमें अनुवाद करके सुनाते जाते थे।

काफी सुधार कर लिया है। लेकिन जब मैं अपने अभीष्ट लक्ष्यकी दृष्टिसे तथा आपमें और सम्पूर्ण भारतसे जो-कुछ अपेक्षित है उस दृष्टिसे सोचता हूँ तो मुझे यह मानना पड़ता है कि प्रगति अपेक्षाकृत अच्छी होते हुए भी सन्तोपजनक नहीं है। सम्पूर्ण भारतमें हम जो-कुछ करना चाहते हैं, उसे देखते हुए तो स्वाभाविक है कि इस राजधानीको अपने आसपासके क्षेत्रोंमें पैदा होनेवाली सारी रुईका उपयोग करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सेवाके बलपर कपासके उत्पादकोको इस प्रकार अपने वशमें कर लें कि वे अपनी रुई केवल आपको ही बेचें, और मैं यह चाहता हूँ कि अपनी उसी सेवाके अधिकारके द्वारा आप गरीब ग्रामीणोंको इस प्रकार प्रभावित करें कि एक भी घर ऐसा न बचे जिसमें चरखा न चलता हो। और एक भी बुनकर ऐसा न बचे जो हाथ-कते सूतके अलावा और कुछ बुने। आप ऐसा न सोचें कि यह आपके बसके बाहरकी बात है। यदि आप अपने शहरको खादीकी राजधानी कहनेका विशेषाधिकार कायम रखना चाहते हैं तो आपको यह लक्ष्य तो रखना ही चाहिए। और यदि आपने गरीब ग्रामीणोंके शोषणके ध्येयसे नहीं बल्कि महज उनकी सेवा करनेके उद्देश्यसे कार्य किया तो बहुत कम समयमें ही ग्रामीणों और रुईके उत्पादकोपर आपका जो प्रभाव होना चाहिए वह आप जमा लेंगे। लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब खादीके विभिन्न व्यापारियोंके बीच हार्दिक सहयोग हो। आपको खादीके जरिये रुपया कमानेकी अपनी व्यक्तिगत इच्छापर भी अंकुश रखना होगा। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं कि खादी एक ठोस आर्थिक योजना है। यह आपको जीविकाका बढ़िया साधन और उचित लाभ प्रदान कर सकती है। हाँ, उसमें व्याजकी ऊँची दरें लेनेवाले व्यक्तियोंके लिए कोई स्थान नहीं है, और न होना ही चाहिए। मैं स्वयं ऐसे संगठनोंको सन्देहकी दृष्टिसे देखता हूँ जो अपनी पूंजीपर २५ प्रतिशत व्याज देनेमें समर्थ हों या २० प्रतिशत देते हों। यह बात तो आसानीसे चुनौतीसे परे, एक सामान्य सिद्धान्तके रूपमें मानी जा सकती है कि जहाँ कहीं भी अधिक और अपरिमित लाभ प्राप्त हुआ है वह गरीबोंके बूतेपर ही हुआ है। लेकिन खादीकी सारी अवधारणा तो यह है कि हमें, जो खादीके प्रचारमें सक्रिय भाग ले रहे हैं, अपने-आपको इन क्षुधा-पीड़ित ग्रामीणोंका न्यासी समझना चाहिए। सम्मानजनक जीवन-यापन करनेके लिए जो काफी है, उसके सिवा जितनी भी आमदनी हो वह सब इन ग्रामीणोंको लौटा दी जानी चाहिए। आप देखेंगे कि जबतक यहाँ ऐसी हाथ-कताई जारी रहती है तबतक राजा अपनी इस छोटी-सी राजधानीके साथ रहेगा और इसकी जितनी तारीफ सम्भव है, उतनी तारीफ चारों ओर करेगा।

लेकिन दरिद्रनारायणकी इस पेढीके कुछ और भी साझेदार हैं और वे हैं कर्तये और बुनकर। मुझे मालूम है कि इस सभामें कर्तये नहीं हैं। लेकिन कुछ बुनकरोंके यहाँ उपस्थित होनेका मुझे पता है। जो बुनकर यहाँ मौजूद हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे यह सुनकर बहुत दुःख हुआ है कि इस शहरमें कुछ बुनकर शराब और जुएके शिकार हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा यह सन्देश आप उन बुनकरोतक भी पहुँचा दें जो इस समय यहाँ मौजूद नहीं हैं। दरिद्रनारायणकी पेढीमें शराबियो और

जुआरियोंका वास्तवमें कोई काम नहीं है। मद्यपान एक ऐसी बुराई है जिसने संसारके हजारों घरोंको बरबाद कर दिया है; और खादीसे सम्बन्धित बुनकरोंसे यह अपेक्षा की जाती है कि कमसे-कम वे तो शराब पीकर अपने शरीर दूषित नहीं करेंगे। शराबके नशेमें चूर व्यक्तिको पत्नी और बहनमें कोई भेद नजर नहीं आता। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तिरुपुरके नवयुवक जागेंगे और जो लोग शराबके आदी हैं उनके बीच जाकर काम करेंगे तथा विनम्रतापूर्वक समझा-बुझाकर उनकी शराबकी आदतको छुड़ायेंगे।

जुआ खेलना एक पाप है जो जुआरीको नीचे गिराता है और उससे असंख्य अपराध करवाता है। इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। आप जानते हैं कि दक्षिणका यह भाग हत्याके अपराधोंके लिए कुख्यात है। मुश्किलसे कोई सप्ताह ही ऐसा जाता हो जब हत्याके कुछ मामले न होते हों और यह सर्वविदित है कि जहाँ कहीं भी शराब और जुएका बोलबाला होता है वहाँ हत्याएँ भी जरूर होती हैं—यह इन बुराइयोंका एक अनिवार्य परिणाम है। यदि समाजमें कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो जीवनको इतना सस्ता समझता है कि वह थोड़ेसे उत्तेजन या मामूली-सा बहाना मिलते ही किसीकी जान ले ले तो हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। यदि आपके यहाँ समाज-सेवक हैं, जो कि निस्सन्देह हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वे इस अपराधका अध्ययन करें, इसके ठीक-ठीक कारण जानें तथा इस अच्छे जिलेसे इस लज्जास्पद बुराईको दूर करनेका प्रयत्न करें।

आज सुबह म्युनिसिपल हाई स्कूलके हेडमास्टर तथा कुछ विद्यार्थियोंसे मिलनेपर मुझे बड़ा हर्ष और सुख हुआ। उन्होंने मुझसे गीता-रक्षका उद्घाटन करनेके लिए कहा। और इस उत्सवको मनानेके लिए विद्यार्थी और शिक्षकगण काफी सवेरे लगभग पौने चार बजे ही आ गये। आशा है कि विद्यार्थी अपनेको इस पवित्र अध्ययनके योग्य बनायेंगे और एक बार इस महान कार्यको आरम्भ कर देनेके बाद इससे न तो पीछे हटेंगे और न इसे टालेंगे। यह सही दिशामें उठाया गया कदम है। इस समय देशमें साहित्यिक शिक्षाका भूत सवार है। लेकिन चरित्र-निर्माणकी ओर ध्यान कम दिया जाता है। मेरी नज़र रायमें तो जिस शिक्षाका निर्माण चरित्रकी ठोस बुनियादपर न हुआ हो वह निर्जीव शरीरके समान है। एक हिन्दू बालकको 'भगवद्-गीता' का श्रद्धापूर्वक अध्ययन करनेसे जो चारित्रिक दृढता प्राप्त होती है, उतनी अन्य किसी चीजसे नहीं हो सकती। विद्यार्थी इस बातका ध्यान रखें कि 'भगवद्गीता' का अध्ययन उन्हें अपना संस्कृतका ज्ञान या स्वयं 'गीता' का ज्ञान प्रदर्शित करनेके लिए नहीं करना है। वे ध्यान रखें कि इसका अध्ययन उन्हें आध्यात्मिक सुख प्राप्त करनेके लिए और इसकी सहायतासे अपनी सारी मुसीबतोंपर विजय प्राप्त करनेके लिए करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस पुस्तकका श्रद्धापूर्वक अध्ययन करता है उसका देग-सेवक और जन-सेवक बनना लाजिमी है। लोकमान्य तिलकने हमें बताया है कि 'गीता' मुख्य रूपसे कर्मका सन्देश है—ऐसे कर्मका जो निःस्वार्थ हैं। निःस्वार्थ कर्मका तात्पर्य सेवा और त्यागके अलावा और कुछ नहीं है। मैं साहसपूर्वक यह कह सकता हूँ, चाहे इसके

विरोधमें कुछ भी कहा जाये कि इस युगमें सच्चा त्याग — 'भगवद्गीता' में जिस त्यागका उपदेश हुआ है वह त्याग — लाखों क्षुधा-पीड़ितोंके लिए तथा उनके नामपर हाथ-कटाई करना है। यदि विद्यार्थियोंको अपने और लाखों क्षुधा-पीड़ितोंके बीच जीवन्त सम्बन्ध स्थापित करना है, जो कि उन्हें करना भी चाहिए, तो वे यह देखेंगे कि चरखेके अलावा कोई और चीज इतनी ताकतवर नहीं है जो इस कार्यमें उन्हें मदद दे सके।

नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिनन्दनपत्रमें स्कूलोंके सम्बन्धमें चरखेका उल्लेख देखकर मुझे प्रसन्नता हुई और मुझे उम्मीद है कि नगरपालिका निकट भविष्यमें अपने इस निश्चयको कार्य रूप देगी। अब और कुछ कहकर मुझे आपको ज्यादा नहीं रोकना चाहिए क्योंकि अभी मुझे आपका कुछ समय इन वस्तुओंको बेचनेमें भी लेना है। इस बीच स्वयंसेवक जनताके बीच पहुँचेंगे और उन लोगोंसे जिन्हें खादीमें श्रद्धा है और जिन्होंने खादी कोषके लिए रुपया नहीं दिया है, रुपया इकट्ठा करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २५-१०-१९२७

## ११५. पत्र : मीराबहनको

२४ अक्टूबर, १९२७

चि० मीरा,

तुम्हारे सभी पत्र मुझे मिले हैं, और उन्हें पाकर प्रसन्न हुआ हूँ।

तुमने पूछा है कि जो पत्र भटक गया है वह कहाँ चला गया होगा। मेरे लिखनेमें कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ है। इसलिए यथासमय वह तुम्हें मिल जायेगा।

मुझे तुमने अपना वजन अभीतक नहीं लिखा।

भणसालीके 'मामलेका तुम्हारा विश्लेषण मैं स्वीकार करता हूँ। वह इतने अच्छे आदमी हैं कि मैत्रीपूर्ण आलोचनाका बुरा नहीं मान सकते। इसलिए तुम्हें चाहिए कि उनसे बात करो और देखो कि उनके साथ क्या कर सकती हो। यही बात छोटेलालके साथ भी है। उसे भी साधकर नियंत्रणमें लाना होगा। शायद वह तुम्हारी बात सुनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम इन सब बीमार लोगोंकी देखभाल कर रही हो और मुझे रोज सूचना दे रही हो। दुग्धशाला और पिंजरापोल देखकर वहाँसे जो विवरण भेजोगी उसकी मुझे प्रतीक्षा रहेगी।

मैंने जो थोड़ा आराम लिया है उसे निरोधक कदम भी नहीं कहा जा सकता। वह तो सावधानी-मात्र था। वस्तुतः तिरुपुर यात्राके दौरान जिन दो स्थानोंको मैंने छोड़ दिया था, वहाँ जाकर मैंने अपने इस आरामकी कीमत चुका दी। लेकिन इस निर्दोष विक्षेपने तुम्हारे धीरजकी अच्छी परीक्षा ले डाली। तुम्हें किसी खबरसे, बुरी खबरसे भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने मनमें यह नहीं सोचना चाहिए, "कितना अच्छा होता कि वह वहाँ गये ही न होते या ज्यादा आराम लिया होता।"

१. जे० पी० भणसाली, सत्याग्रह आश्रमके सुपरिचित सदस्य।

तुम्हारे लिए यह विश्वास करना काफी होना चाहिए कि मेरा स्वभाव जितनेकी अनुमति देता है मैं अपना उतना ध्यान रख रहा हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मैं आराम चाहता हूँ। लेकिन मुझे वह देगा कौन? क्या हम जो चाहते हैं वह सब मिल जाता है? यदि हमें मिल जाये तो हमारे विश्वासका क्या महत्त्व रह जायेगा? इतना जानना काफी है कि उसकी मर्जीके बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। यदि हम उसपर भरोसा रखेंगे, उन लोगोंकी तरहका भरोसा नहीं जो धन द्वारा सुलभ सभी प्रकारका इन्तजाम कर चुकनेके बाद ईश्वरपर भरोसा करते हैं, तो वह हमारी देख-रेख करेगा। यह सच है कि हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन विश्वास रखनेवाले लोग अपने स्वभावके प्रति हिंसा करके विशेष रूपसे सावधानी नहीं बरतेंगे और न ऐसे उपाय करेंगे जो साधारण आदमीके वशके बाहर हैं। इसलिए नुस्खा यही है कि जितनी कम सावधानी रखी जाये उतना ही अच्छा है और उचित प्रयत्न द्वारा हममें से छोटेसे-छोटा आदमी जो-कुछ प्राप्त कर सकता है उससे ज्यादाकी कोशिश न करें। इस मापदण्डसे जाँचनेपर तो मैं अपना जितना खयाल रखता हूँ और फिर दूसरे लोग मेरा जितना खयाल रखते हैं वह बहुत ज्यादा है और ईश्वरमें आस्थाके मेरे दावेके साथ असंगत है। इस प्रकार तुम देखोगी कि इस दिशामें मैं जो-कुछ करता हूँ वह मुझे बहुत ज्यादा लगता है और मैं अकसर सोचता हूँ कि यदि कुछ समयतक मेरी उपेक्षा की जा सके तो वह बहुत लाभकर होगा। फिलहाल तो यह स्थिति है कि मुझे वच्चोंकी तरह बहुत सँभालकर रखा जा रहा है।

यह बहुत सम्भव है कि एक अन्य व्याघात होगा और मुझे एक या दो दिनोंके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। आज शामतक मुझे शायद पता चल जायेगा।

सप्रेम,

वापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२८९) से।

सौजन्य : मीराबहन

## ११६. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

२४ अक्टूबर, १९२७

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र बहुत निराशाजनक है, लेकिन कोई बात नहीं। वातावरणको देखते जितना उचित है और हमारे पास जितने पैसे हों, उससे ज्यादा करनेकी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुख्य चीज है कि आप अपना स्टॉक कम कीजिए। आपका [चरखेका] बक्सा आनेपर देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ।

नया चरखा अब मिल गया है। हालाँकि देखनेमें लगता है कि उसे पैक करनेमें असाधारण सावधानी बरती गई थी, लेकिन वह यहाँ टूटी हालतमें प्राप्त हुआ है। विचले हिस्सेके दो टुकड़े हो गये हैं और 'स्टॉपर' भी क्षतिग्रस्त है। लेकिन मुझे

यह चरखा जाँचनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई। हालाँकि यह मूल चरखेसे बेहतर है लेकिन केशू द्वारा बनाये गये चरखेकी तुलनामें कम उतरता है। मैं आजकल उसीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह आपके भेजे चरखेसे कहीं ज्यादा मजबूत है। उसकी धुरी बक्सेसे बाहर नहीं निकली रहती। हल्था और लपेटनी घातुके बने हैं। तीलियाँ कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हब (चक्रकी नाभि) भी घातुकी बनी हुई है। उससे काफी काम लिया गया है और यद्यपि उसके उपयोगमें बहुत सावधानी भी नहीं बरती गई है किन्तु वह अभीतक एक बार भी बिगड़ा नहीं है। अपने चरखेमें और सुधार करने या प्रस्तुत नमूनेको अन्तिम रूपसे स्वीकार करनेसे पहले आपको केशूका चरखा देख लेना चाहिए। क्या बक्सेवाले चरखेकी आपके यहाँ बहुत माँग है।

आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है? क्या हृदय अब भी तकलीफ देता है?

आपने सूचना दी, उससे पहले ही मैं श्यामवाबूके बारेमें सुन चुका था। मैं चाहता हूँ कि वह अपने इस नये काममें लगे रह सकें तो अच्छा हो। क्या शरत्वाबूको अपनी पत्नीकी सहमति मिली? उन्होंने कापाय तो धारण कर लिया अब और क्या करेंगे? मुझे तो आपका संन्यास ज्यादा पसन्द है।

यह बहुत सम्भव है कि मुझे दिल्ली जाना पड़े और लका-यात्रा कुछ दिनोंके लिए स्थगित करनी पड़े। मुझे आज या कलतक निश्चित रूपसे पता चल जायेगा।

क्या तारिणी पहलेसे बेहतर है? और लड़का कैसा है?

मुझे अमय आश्रमके बारेमें पूरा विवरण मिल गया था। उससे लगता है कि उनकी तरफसे कोई हमला नहीं हुआ और नकाबपोश बल्लमघारियोकी कहानी विलकुल मनगढन्त है। इस प्रकारकी मनगढन्त बातें आज आम चीज हो गई हैं, उसी प्रकार जैसे युद्धके दौरान दोनो पक्षोंकी ओरसे मनगढन्त प्रचार आम था।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च :]

यह कैप्टेन पेटाबलका पत्र और संलग्न सामग्री है। यह अपने ढंगका पहला नहीं है बल्कि बहुतसे पत्रोंमें से एक है। मुझे याद है कि आपने उनकी संस्थाके बारेमें एक बार प्रतिकूल रिपोर्ट दी थी। अब वे डा० रायका प्रमाणपत्र लेकर आये हैं। इस बार मैंने उनसे कहा है कि वे आपसे मिलकर बात कर लें। उन्हें कुछ समय दे दीजिए, और अगर वे ठीक राहपर चल रहे हों तब तो ठीक है अन्यथा उन्हें सनकी गलती बता दीजिए।

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५७८) की फोटो-नकलसे।

## ११७. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

२४ अक्टूबर, १९२७

प्रिय चार्ली,

आखिरकार मुझे तुम्हारे हाथसे लिखा एक पत्र प्राप्त हो गया।

मैं तुम्हें यह बताना तो भूल गया कि सर पुष्पोत्तमदासने मुझे एक पत्रमें लिखा था कि वह पूर्व आफ्रिका जानेके लिए समय नहीं निकाल सकते। उन्होंने सरोजिनी देवीका नाम सुझाया है। वैसे उन्हें भोजना अच्छा ही है। फिर भी इसके बारेमें सोचना और मुझे बताना कि तुम्हारा क्या सुझाव है।

कैप्टेन पेटावल अपनी योजनामें मेरा सहयोग चाहनेके लिए मुझे पत्रपर-पत्र भेज रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरे मनमें उनके प्रति भरोसा नहीं पैदा होता। तुमने मुझे उनके प्रति सचेत कर दिया है। अब वह चाहते हैं कि उनकी योजना और कार्यके सम्बन्धमें मुझे जानकारी देनेके लिए मैं किसीको नियुक्त करूँ। मजबूरीमें मैंने उनसे कह दिया है कि यह मामला मैंने तुम्हें और सतीश बाबूको सौंप दिया है। क्या तुम ऐसा कुछ कहना चाहोगे जिसे मैं उन्हें बता सकूँ? उन्होंने अब डा० रायसे एक उत्साहवर्द्धक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। उन्हें जितने अधिक प्रमाणपत्र मिलते जाते हैं, मेरा असन्तोष उतना ही बढ़ता जाता है।

गुजरातको ३० लाख रुपये सार्वजनिक चन्देसे नहीं मिले हैं बल्कि उसे सरकारने भारी रकम दी है। कलकत्तामें गुजरातियों द्वारा सारी रकम उड़ीसाको दे देनेका विचार मुझे अच्छा लगा। प्रश्न यह है कि तुम्हारे पास इस रकमके उपयोगके लिए भले और सक्षम पुरुष हैं भी कि नहीं। गुजरातमें लगभग १००० कार्यकर्त्ता संग्रहके काममें लगे हुए हैं।

अँगुलीकी तकलीफकी बात सुनकर मुझे काफी परेशानी हुई है। अँगुली न मुड़नेकी शिकायत तो एक नई बात हो गई। जब तुम मुझे इसके ठीक-ठाक होनेकी सूचना दोगे तब मैं चैनकी साँस लूँगा।

इस बातकी काफी सम्भावना है कि मैं कुछ दिनोंके लिए लंकाकी यात्रा स्थगित कर दूँ और दिल्ली चला जाऊँ। कलतक मुझे निश्चित रूपसे पता चल जाना चाहिए।

हम सब लोगोंका प्रेम स्वीकार करो।

मोहन

[पुनश्च :]

सौराब भारतके लिए रवाना हो गया है। स्मारकके सम्बन्धमें मैं निश्चित रूपसे उससे बातचीत करूँगा। मैं तुम्हारी इस बातसे विलकुल सहमत हूँ कि यदि रुस्तमजी जीवित होते तो वे सारी रकम भेज देते।

मोहन

अंग्रेजी (जी० एन० २६२३) की फोटो-नकलसे।

## ११८. पत्र : आर० पार्थसारथीको

२४ अक्टूबर, १९२७

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी मिलके कपड़ेको, विशेषकर विदेशी कपड़ेको खादीके साथ-साथ ही प्रदर्शित करनेकी बातका समर्थन किया हो। मैंने तो, यह जानते हुए भी कि प्रदर्शनीमें कहीं भारतीय मिलके कपड़े भी प्रदर्शित किये जायेंगे, अनिच्छापूर्वक वस इतनी बात मानी थी कि खादीका प्रदर्शन किसी अलग स्थानपर किया जाये।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

श्रीयुत आर० पार्थसारथी

१२, अरंडेल स्ट्रीट

माइलापुर

मद्रास

अंग्रेजी (जी० एन० १०८४७) से।

## ११९. तार : वाइसरायको<sup>१</sup>

[ २४ अक्टूबर, १९२७ या उसके पश्चात् ]

वाइसराय महोदय

वाइसराय शिविर

आपका तार अभी प्राप्त हुआ। उसे देखते नियत समयपर सेवामें उपस्थित होनेकी आशा करता हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १२८६६) की फोटो-नकलसे।

१. यह वाइसराय महोदयके २४ अक्टूबर, १९२७के निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था :  
“ मैं कुछ महत्त्वपूर्ण और फौरी मामलोंपर आपसे बात करनेको उत्सुक हूँ, और यदि आपके लिए सुविधाजनक हो, और आप दिल्ली आकर मुझसे मिल सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे लिए सबसे सुविधाजनक दिन बुधवार २ नवम्बर, साढ़े ग्यारह बजे होगा। मैं जानता हूँ कि मैं आपको बहुत कम अग्रिम सूचना दे रहा हूँ लेकिन मुझे आशा है कि उससे आपके लिए आ सकना असम्भव नहीं होगा। कृपया तार दें कि क्या उस तारीखको आप आ सकते हैं। ”



## १२०. पत्र : चंद त्यागीको

दीपावली [ २५ अक्टूबर, १९२७ ]

माई चंद,

आपका पत्र मिला है। चांद्रायणका व्रतके लिये अब तो खामोश रहियो। आश्रममें आ गये यह जानकर मुझे आनंद हुआ है। क्या काम करते हो?

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ३२६९ की फोटो-नकलसे।

## १२१. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

मंगलवार, आश्विन वदी अमावस्या, दीपावली  
[ २५ अक्टूबर, १९२७ ]

बहनो,

तुम्हारा पत्र मिल गया। तुम घबराओ मत। सब शुद्ध हों तभी एक भी शुद्ध होगा, यह उलटी नीति मत ग्रहण करना। नियम यह है: एक शुद्ध हो जाये तो दूसरे होंगे ही। इस सम्बन्धमें हमारे यहाँ दो कहावतें हैं: (१) आप भला तो जग भला, (२) यथा पिंडे तथा ब्रह्माण्डे। अगर ऐसा न हो तो दुनियाके कल्याणकी कमी कोई आशा ही नहीं रखी जा सकती।

राम जगतकी लाज रखता है। सीता स्त्री-मात्रके लिए आधार है। इसलिए निराश न होकर सब शुद्ध बननेके लिए मेहनत करोगी और अपने कर्तव्यमें परायण रहोगी तो तुम देखोगी कि सब ठीक हो जायेगा। 'हारना' शब्द हमारे शब्दकोशमें हो ही नहीं सकता।

देखना है, तुमने नये वर्षमें कैसे नये निश्चय किये हैं। जो न बोले उसे बुलवाना; जो न आये उसके घर जाना; जो रूठे उसे मनाना और यह सब उसके भलेके लिए नहीं, परन्तु अपने भलेके लिए करना। जगत लेनदार है और हम उसके कर्जदार।

बापुके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६७२) की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजीने पहले चंद त्यागीको आश्रम जानेको कहा था; देखिये खण्ड ३३, पृष्ठ १८५।

२. पत्रमें-आश्रमकी बहनोंको अपने लड़ाई-झगड़े दूर करनेकी सलाह दी गई है, वर्षका निश्चय उत्तम आधारपर किया गया है। देखिये "पत्र : आश्रमकी बहनोंको", १७-२०-१९२७।

## १२२. भाषण : कालीकटकी सार्वजनिक सभामें

२५ अक्टूबर, १९२७

मित्रो,

मैं आपको इन सब अभिनन्दनपत्रों, इन थैलियों, सूत और पुस्तकोंके उपहारों तथा घड़ीके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इन चीजोंको आपकी स्वीकृतिके लिए पेश करूँगा और उन्हें नकदीमें बदल लूँगा। और यहाँ एक मित्रने मुझे अभी-अभी रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित 'साधना' की एक प्रति भेजी है। यह मित्र एक छात्र है और वह कहता है : "इस पुस्तकको अर्थात् ठाकुरकी 'साधना' को भेंट करनेमें मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि आप उसे नीलाम कर दें और उससे जो धन मिले उसे छात्रों द्वारा दी गई थैलीमें जोड़ लें।"

मुझे बहुत साल पहलेका वह समय याद आता है जब मुझे अपने मित्र और भाई मौलाना शौकत अलीके साथ इसी सुन्दर समुद्र तटपर इसी प्रकारकी एक सभामें बोलनेका सौभाग्य मिला था। तबसे आजतक देशमें कई परिवर्तन और गम्भीर घटनाएँ हो चुकी हैं। हम यह भी जानते हैं कि इस समय उत्तरमें क्षितिज बहुत काला दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यदि मैं क्षितिजके कालेपनके बावजूद अपना यह विश्वास घोषित न करूँ कि मेरी नजरमें इस देशमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके लिए सगे भाइयोंकी तरह रहना जरूरी है और सम्भव है, तो मैं स्वयं अपने प्रति और देशके प्रति अपने कर्तव्यके पालनमें झूठा ठहरेगा। यह तो केवल ईश्वर ही जानता है कि तब यह अत्यन्त बांछनीय एकता किस प्रकार आयेगी। लेकिन हम जानते हैं कि ईश्वर अकसर ही मनुष्यकी योजनाओंको गड़बड़ करके कुछ ऐसा घटित कर देता है जिसके लिए मनुष्य बिलकुल तैयार नहीं होता। और जिन लोगोंको अपने देशका कल्याण इष्ट है, उनसे मैं कहूँगा कि वे भी मेरी तरह ऐसा ही जीवन्त विश्वास रखें। और इसपर से मुझे उस विलक्षण पत्रका स्मरण हो आया है जो आज तीसरे पहर मेरे हाथोंमें दिया गया था। मैं अभीतक नहीं जान सका हूँ कि उस पत्रका लेखक कौन है। मैं स्वयं उस लम्बे पत्रको पूरा नहीं पढ़ सका, लेकिन मैंने एक मित्रसे कहा कि वे उसे पढ़ कर उसका सार मुझे बता दें। और उस पत्रका सार यह है है। पत्रलेखक कहता है, "मुसलमानों और ईसाइयोंसे आपकी खातिर गायकी रक्षा करनेके लिए जो आप कहते हैं, वह बड़ा अच्छा है।" लेकिन वह आगे कहता है, "आप हिन्दुओंका क्या कर रहे हैं जो धर्मके पवित्र नामपर दिनो-दिन और सालों-साल निर्दोष पशुओं और पक्षियोंको मारते जा रहे हैं?" यह फटकार बिलकुल ठीक है। मुझे पता नहीं कि भारतके इस भागमें ईश्वरके नामपर निर्दोष पशुओं और पक्षियोंकी बलि देनेकी यह बुरी प्रथा कितनी प्रचलित है। पत्रलेखकको इन चीजोंके बारेमें मेरी भावनाओंका कुछ पता नहीं है। जहाँ भी मैंने यह बुराई देखी है वही मैंने इसकी भर्त्सना करनेमें न अपनेको बरखा है और न अपने सुननेवालोंको बरखा

है। मैं जानता हूँ कि सर्वशक्तिमानके नामपर पशुओं और पक्षियोंकी बलि देनेकी प्रथा एक पापपूर्ण अन्वविश्वास है। और अब समय आ गया है कि ऐसे हिन्दू, वे जहाँ भी हों, यह पापपूर्ण कर्म बन्द कर दें। मैं उस हर आन्दोलनके साथ हूँ जिसका उद्देश्य इस अमानुषिक प्रथाको बन्द कराना है। मुझे इस जानकारीसे सन्तोष मिलता है कि यह प्रथा इस देशमें बढ़ नहीं रही है, बल्कि दिनोंदिन बदनाम होती जाती है। अभी हाल ही में त्रावणकोरकी राजमाताने इस प्रकारकी सभी बलियोंको निषिद्ध कर दिया है, और जो चीज राजमाताने राजाज्ञा निकाल कर की है, वही चीज आप देशके इस भागमें इस प्रथाके विरुद्ध लोकमत तैयार करके कर सकते हैं।

लेकिन अब मैं अपने भाषणमें मुझे जिन अन्य विषयोंकी चर्चा करती है उनपर आऊँ। मुझे खुशी है कि छात्रोंने एक अभिनन्दनपत्र दिया है। उनका मुझे अभिनन्दनपत्र देना कोई नई बात नहीं है। सारे भारत-भरमें छात्र-जगत्का विद्वान और मंत्री पानेका मेरा सौभाग्य रहा है। लेकिन मैं इस अभिनन्दनपत्रके ऊपर अपनी खुशी इसलिए जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें खादीके बारेमें एक वादा किया गया है। छात्रोंने अपने अभिनन्दनपत्रमें पूरी गम्भीरतापूर्वक यह वचन दिया है कि वे अब आगेसे खादीको छोड़ और कुछ न पहनेंगे। मैं छात्रोंको इस बातकी याद दिलाना चाहता हूँ कि वचन एक बहुत पवित्र वस्तु है। हमारे देशमें और अन्य देशोंमें भी कसर विशेष रूपसे उत्साही छात्रों द्वारा तरह-तरहके वादे कर लेनेका चलन है। वचन देनेकी यह आदत, अगर उसके साथ ही उस वचनको हर कीमतपर निभानेका संकल्प भी न हो, तो वास्तवमें एक बुरी आदत है। यदि मेरी याददास्त ठीक है तो शायद मुझे कालीकटके एक शिक्षकका कथन पत्र मिला था जिसमें मुझसे छात्र-जगत्के सामने बोलने और उनकी कुछ कमजोरियोंपर जोर देनेको कहा गया था। संसार-भरके शिक्षा-शास्त्री दिनोंदिन इस बातको महसूस कर रहे हैं कि कोरी किताबी शिक्षा, जबतक वह चरित्रकी ठोस बुनियादपर न टिकी हुई हो, सर्वथा व्यर्थ होती है; यही नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा एक हानिकारक उपलब्धि है। और चरित्र-निर्माणका आरम्भ सत्यका पूर्ण पालन करनेसे होता है। और जो वचन एक बार दे दिया गया, उसका पालन न करना सत्यसे दूर हटना है। बिना सोचे-विचारे और जल्दीमें वचन न देना कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन एक बार वचन दे देनेके बाद उस वचनको निभाना और उसे पूरा करना सर्वथा आवश्यक है, भले ही इसमें प्राण ही क्यों न चले जायें। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वादा करनेके बाद छात्र लोग अब उसे निभायेंगे।

लेकिन और भी चीजें हैं जिनकी ओर इस पत्रमें मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया था। उसमें कहा गया था कि छात्र लोग बिना सोचे-विचारे गलत दिशामें बढ़ रहे हैं और ऐसी चीजें कर रहे हैं जिन्हें यदि उनपर गहरा विचार न किया जाये तो मामूली बुराइयाँ ही माना जायेगा। मेरा ध्यान छात्रोंमें बढ़ती हुई धूम्रपान करनेकी और बहुत ज्यादा चाय या कहवा पीनेकी आदतकी ओर खींचा गया था। ये चीजें सुच्छ प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन मैं अनेक छात्रोंके अनुभवोंसे जानता हूँ कि ये

किसी भी सूरतमें तुच्छ नहीं है। यह आत्म-संयमकी कमीका लक्षण है। और आत्म-संयमका यह अभाव भारत-भरमें छात्रोंके शारीरिक स्वास्थ्यको नष्ट कर रहा है। इसलिए मैं छात्रोंसे आग्रह करता हूँ कि मैंने जो-कुछ कहा है उसपर भली प्रकार सोचें और अपने जीवनको नये सिरेसे ढालें। हिन्दू धारणाके अनुसार विद्यार्थी जबतक विद्याध्ययन करता है तबतक उसे ब्रह्मचारी रहना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी शरीर और मन, दोनों ही मामलोंमें आत्म-संयम बरतना चाहता है तो उसके लिए उन सभी चीजोंका त्याग आवश्यक है जो अनावश्यक हैं।

अब दूसरे अभिनन्दनपत्रोंकी बात करूँ। प्रत्येक अभिनन्दनपत्रमें चरखेके सन्देशका उत्साहपूर्ण समर्थन हुआ देखकर मुझे खुशी है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हाथ-कते सूतके कपड़ोंको छोड़कर हमने भारतकी मानवताके प्रति अपराध किया है, और ऐसा लगता है कि इस मामलेमें कालीकट सबसे पहला अपराधी था क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसका नाम कालीकट इसलिए पड़ा क्योंकि यह पहला वन्दरगाह था जहाँ वाहरसे कैंलिको (सूती वस्त्र) का आयात किया गया। लेकिन अब मैं खादीकी शक्तिमें आपका विश्वास देखता हूँ, और चूँकि आपने स्वयं मुझे बताया है कि कालीकट खुद तो एक समृद्ध नगर है, लेकिन इसके चारों ओरका प्रदेश गरीबीसे कराह रहा है, इसलिए अब आपके लिए यही शोभनीय है कि जिस बुराईकी शुरुआत कालीकटने की थी, उस बुराईको आप दूर कर दें। और यदि आप अपने अभिनन्दनपत्रोंमें कही गई बातोंके प्रति सच्चे हैं तो मैंने जो बात छात्रोंसे कही है वही आपसे भी कहूँगा कि आप सब लोग विदेशी कपड़ोंका त्याग कर दें और खादीको अपनायें। लेकिन यह भी काफी नहीं है। आपको इस स्थानपर खादीके संगठन और उत्पादन कार्यमें अपनी प्रतिभा लगानी है। छात्रों समेत आप नागरिकगण यह काम स्वयं यज्ञकी भावनासे सूत कातकर कर सकते हैं। और इस प्रकार कताईका वातावरण पैदा करनेके बाद आप कताईका सन्देश अपने चारों ओरके गाँवोंमें ले जाइए और गाँववालोंसे यह अपेक्षा कीजिए कि वे समस्त मलाबारके लिए पर्याप्त सूत कातें। यदि आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आप देशके घनमें प्रतिव्यक्ति ४ रुपये प्रतिवर्षकी वृद्धि कर सकते हैं, और यह आप बिना किसी लामदायक धन्धेको हटायें या बिना अपने समयका ऐसा एक मिनट भी खोये कर सकेंगे जिसका उपयोग आप अन्यथा किसी उपयोगी काममें करते। कर्तव्यका तकाजा है कि हमारे पूर्वजोंने जो पाप किया था, उसका हम यह प्रायश्चित्त करें।

फिर, अस्पृश्यताकी महान बुराई भी देशके इस भागमें गहरी जड़ें किये हुए हैं। अनुपगम्यता और अदर्शनीयताके रूपमें, यहाँ वह और अधिक तीव्र रूपमें दिखाई देती है। हम हिन्दू लोग जितनी जल्दी इस बुराईसे मुक्ति पा जायें उतना ही हमारे लिए और हिन्दू-धर्मके लिए अच्छा है।

मध्यपानकी बुराई देशके गरीब लोगोंका पीरुष क्षीण कर रही है। यदि हम देशके गरीबसे-गरीब लोगोंके प्रति हमदर्दी रखते हैं तो हमारे लिए उचित है कि हम उनके बीच काम करें और उन्हें इस बुरी लतसे दूर करें। और आपको तबतक सन्तोष नहीं करना चाहिए जबतक आप देशमें पूर्ण मद्यनिषेध लागू न करा लें।

कुछ अन्य बातें भी हैं जिनके बारेमें मैं अन्य सभाओंमें बोलता रहा हूँ। वे बातें महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन उनमें मैं आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपके साथ कुछ और सौदा करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ स्त्रियोसे कुछ जेवर मिले हैं। मेरे पास हाथसे तैयार की गई खादीका एक टुकड़ा है जो मेरी रायमें सुन्दर है और जो मुझे शबरी-आश्रममें दिया गया था। इस आश्रमको आपमें से बहुतसे लोग जानते होंगे या उन्हें जानना चाहिए। यह आश्रम चुपचाप खादीका कार्य कर रहा है और अस्पृश्योके बीच काम कर रहा है। मैं चाहूँगा कि आप उसके कार्यको देखें और यदि वह आपको पसन्द आये तो आप आश्रमकी सहायता करें। यह खादीका टुकड़ा जिस सूतसे बना है उसे एक ब्राह्मण, दो नायर, तीन पुलाया और चार थिया व्यक्तियोने काता है। इसे बुना भी आश्रमके बालकोंने ही है। इस तरह उसके पीछे एक रंजक इतिहास है।

मैं आपका ध्यान इस पुस्तककी<sup>१</sup> ओर तो पहले ही दिला चुका हूँ और एक मित्रके द्वारा मेंट की गयी ये सारी पुस्तकें भी बहुत उपयोगी हैं। और यदि आपमें मेरे साथ यहाँ थोड़ी देर और रुकनेका धीरज है और यदि आप इन चीजोंके लिए बोली बोलेंगे तो स्वभावतः इसमें थोड़ा समय लगेगा। महिलाओंकी सभामें एक महिलाने मुझे एक बहुत सुन्दर अलार्म घड़ी दी थी। इसमें एक बार चाबी भरनेसे यह आठ दिन चलती है और यह बिलकुल दुस्त हालतमें है। और यह एक कलाई घड़ी और कुछ अँगूठियाँ हैं जिनमें से एक सुन्दर है। और फिर ये चौखटे हैं जिनके बारेमें सभी जानते हैं कि सभामें उनके खरीदे जानेकी उम्मीद है। मैं इन्हीं चौखटोंसे आरम्भ करता हूँ। मेरे पास इन सभी अभिनन्दनपत्रोंकी प्रतियाँ हैं जो मैंने पहले ही प्राप्त कर ली थीं। अब हम शुरू कर सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २७-१०-१९२७

## १२३. तार : विट्ठलभाई झ० पटेलको

२६ अक्टूबर, १९२७

मंगलोरसे बोट द्वारा उन्तीसको बम्बई पहुँच रहा हूँ। तीसको वड़ौदासे आपको ले लूँगा।<sup>१</sup>

[अंग्रेजीसे]

विट्ठलभाई पटेल, लाइफ एंड टाइम्स, खण्ड २

१. रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित साधना नामक पुस्तक।

२. वाइसरायसे मेंटके लिए दिल्ली जाते हुए।

## १२४. भाषण : आदि-द्विड़ोंके समक्ष, कालीकटमें

२६ अक्टूबर, १९२७

प्रिय मित्रो,

आपके बीच आकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। मुझे इस बातकी भी खुशी है कि आप सब ठीक मेरे सामने बैठे हैं जिससे मैं आप सबको अच्छी तरह देख सकता हूँ।

मुझे यहाँ ये अलग-अलग विभाग देखकर कुछ दुख होता है। लेकिन शायद यह अनिवार्य था—मेरी सहूलियतके लिए अनिवार्य था। मैंने अन्य जगहोंकी तरह यहाँ भी आपको और बड़ी संख्यामें देखनेकी आशा की थी।

मैंने आपका पूरा अभिनन्दनपत्र पढ़ लिया है क्योंकि मेरे पास उसका एक अनुवाद मौजूद है। आप यह नहीं चाहते कि मैं आपको आश्वासन दूँ कि मेरा दिल आपके साथ है। अगर कहने-भरसे मैं आपमें से एक बन सकूँ तो मैं तो अपनेको नायडी कह ही चुका हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस समय इस तरहकी घोषणाएँ करना शायद घृष्टता है। अभीतक मैं एक भी नायडीके सम्पर्कमें नहीं आया हूँ। एक बार सिर्फ एक ही बार मैंने एक नायडीको देखा अवश्य था लेकिन उस समय भी उसके स्पर्शका लाभ मैं नहीं पा सका। क्योंकि हम दोनोंके बीचमें एक खौफनाक बाड़ थी। मैं उसे बाड़का चक्कर लगाकर सड़कपर आनेके लिए राजी नहीं कर सका जहाँ मैं और मेरे मित्र खड़े थे, और मैंने उस समय अपने-आपको यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि मेरे पास बाड़का चक्कर लगाकर उस नायडी मित्रके पास तक जानेका समय नहीं है। इसलिए यदि उपस्थित श्रोता-समुदायमें से या और कहीं कोई मुझपर थोथी बातें करनेका आरोप लगायें तो मैं अपनेको अपराधी मान लूँगा। लेकिन अपना अपराध स्वीकार करनेके साथ ही साथ मैं बेहिचक यह भी घोषित करूँगा कि नायडी लोगोंके लिए और आप लोगोंके लिए मेरा मन उतना ही व्यथित होता है जितना कि दुनियामें किसीका भी हो सकता है। मुझे भय है कि यह लम्बा अभिनन्दनपत्र आप नहीं समझ सके हैं, और न इसे आपको समझाया ही गया है। इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि इस अभिनन्दनपत्रमें क्या कहा गया है। उसका सार यह है कि जिन लोगोंको अस्पृश्य, अनुपगम्य और अदर्शनीय कहा जाता है उनके साथ उनके जन्म-स्थानमें ही न केवल समाजसे बहिष्कृत लोगोंकी तरह बल्कि दासोंकी तरह व्यवहार किया जाता है। वे निर्जीव सम्पत्तिकी तरह हैं जिसे बेचा और खरीदा जाता है। उसमें कहा गया है कि आप लोगोंको सड़कोंको इस्तेमाल करनेका वह अधिकार भी नहीं है जो संसारके किसी भी भागमें मनुष्यको प्राप्त होना चाहिए, और काली-कटके एक म्युनिसिपल स्कूलमें एक लड़कीको दाखिला दिलानेमें आपको जो सफलता मिली उसके लिए आपको बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। मैं नहीं जानता कि यह

अन्तिम आरोप, जिसमें एक विशिष्ट घटनाका उल्लेख है, कितना सच है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आपके अभिनन्दनपत्रमें कही गई बातें मोटे तौरपर सच हैं। और ये बातें सच हैं क्योंकि हम लोग भी, जो यहाँ एकत्र हुए हैं और आपका मुझे अभिनन्दनपत्र देना तथा मेरा भाषण करना देख रहे हैं, आपके हितोक्ती उपेक्षा करते रहे हैं और कर रहे हैं। यदि हम लोग, जो अपनेको गलत तौरपर स्पृश्य कहते हैं, आपके लिए सगे भाइयोंकी तरह हमदर्दी महसूस करते तो इस प्रकारकी चीजें एक दिन भी नहीं टिक सकती थीं। लेकिन निराशाके काले बादलोंमें भी आशाकी रजत-रेखा मौजूद है। हिन्दुओंकी आत्मा छटपटा उठी है और इस समय सारे भारत-भरमें आपके प्रति किये गये भयंकर अन्यायोंका थोड़ा प्रायश्चित्त करनेका एक जवर्दस्त आन्दोलन चल रहा है। बहुतसे भारतीय जिन्हें महान व्यक्तियोंके रूपमें जाना-माना जाता है, आज इस मामलेमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इसलिए मेरे मनमें कोई सन्देह नहीं है कि वह समय शीघ्र आ रहा है जब ये सब नियोग्यताएँ बिलकुल समाप्त हो जायेंगी। और मुझे इसमें भी सन्देह नहीं है कि यदि ये नियोग्यताएँ हिन्दुओं द्वारा किये गये त्याग और प्रायश्चित्तके फलस्वरूप दूर नहीं हुईं तो स्वयं हिन्दू-धर्म समाप्त हो जायेगा।

आपने अभिनन्दनपत्रमें सुझाव दिया है या आपकी तरफसे यह सुझाव दिया गया है कि सर्वत्र ऐसी संस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिए जिनमें आपके बच्चोंको वहीं रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करनेकी व्यवस्था हो। निःसन्देह यह विचार सराहनीय है। स्वयं आपने श्री केलम्पन नायरका नाम लिया है। वह ऐसी एक संस्था चला रहे हैं। यहाँसे कुछ ही दूर शबरी-आश्रम भी है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आपकी आवश्यकताओंके लिहाजसे ये बिलकुल नाकाफी है। और मैं आपको तथा उपस्थित लोगोंमें से प्रत्येकको बताना चाहता हूँ कि यदि और संस्थाएँ स्थापित नहीं हुई हैं तो इसका कारण धनका अभाव नहीं है बल्कि कार्यकर्त्ताओंका अभाव है। आज भारतमें ऐसे बहुतसे हिन्दू हैं जिन्हें यदि यह विश्वास दिलाया जा सके कि इस कामको करनेके लिए ईमानदार, उद्यमशील, आत्मत्यागी और होशियार कार्यकर्त्ता मौजूद हैं तो वे जितने धनकी जरूरत हो उतना धन देनेको तैयार हैं। लेकिन सवर्ण हिन्दुओंके लिए यह लज्जाकी बात है कि इस कामके लिए ऊपर बताये गये ढंगके कार्यकर्त्ताओंकी संख्या ज्यादा नहीं है, और मैं यह भी जानता हूँ कि स्थानीय लोगोंके पास इस कामके लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं है। इस कामके लिए भी आवश्यक धनका सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर भारतसे आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और सुधारका यह आन्दोलन, जो हिन्दू-धर्ममें कबका हो जाना चाहिए था, भारत-भरमें वास्तवमें फल जाये, इसके लिए यह जरूरी है कि हर जगह हिन्दू लोग आगे आये और स्थानीय तौरपर धन और कार्यकर्त्ता जुटाकर इस सुधारको संगठित करें। और इसके लिए मैं एक ठोस सुझाव देना चाहता हूँ। मेरी अपेक्षाके विपरीत, यह समा आदि-ब्रविड़ोंकी कम, सवर्ण हिन्दुओं तथा अन्य लोगोंकी ज्यादा है। इसलिए समाके अन्तमें मेरा विचार खादी-कोषके लिए नहीं, बल्कि इस प्रकारके कामके लिए

आप लोगेंसे धनकी अपील करनेका है। और मैं उसमें प्राप्त धनका उपयोग केरलमें किये जानेवाले कार्यके लिए एक और बड़ा कोष स्थापित करनेकी दृष्टिसे करूँगा। इस सभामें जो-कुछ प्राप्त होगा उसे मैं अपने पास रखूँगा ताकि उसे यहाँ स्थानीय तौरपर बनाई जानेवाली एक समितिको सौंपा जा सके, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ढंगके कामके लिए हमेशा उत्तर भारतसे पैसा आये, यह ठीक नहीं है। उस प्रकार किये गये कामको वास्तवमें ठोस काम नहीं समझा जा सकता। जरूरत इस बातकी है कि हर हिन्दू इस अन्यायको मिटानेके लिए काम करे और कमसे-कम इस कामके लिए हर महीने या हर साल कुछ धन देकर जो हानि हुई है उसकी क्षति-पूर्ति करे। और मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि अभी आप जो धन चन्देमें देंगे उसे मैं तबतक अपने पास रखूँगा जबतक मैं यह नहीं देख लेता कि एक समुचित समितिकी स्थापना हो गई है, उसके पास कुछ अपना कोष हो गया है और वह कार्य करने लगी है।

यह तो रहा वह काम जो सवर्ण हिन्दुओंको करना है। लेकिन आपने बिलकुल उचित ही कहा है अथवा आपकी ओरसे इस अभिनन्दनपत्रमें बिलकुल उचित ही कहा गया है कि अन्ततः भुक्ति तो आपके अपने प्रयासोंसे ही आयेगी। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि यदि आप अपनी शक्तिका अनुभव आज कर लें तो आप आज ही अपनेको स्वतन्त्र कर सकते हैं। लेकिन इस अभिनन्दनपत्रमें कहा गया है, और ठीक ही कहा गया है कि इस समय आपके लिए अपने अन्दर उस शक्तिका अनुभव कर सकना आपकी सामर्थ्यके बाहरकी बात है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप फौरन कर सकते हैं। यदि आप शराब पीते हैं तो आपको शराब छोड़ देनी चाहिए। यदि आप सिगरेट पीते हैं तो आपको सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। यदि आप मुर्दा जानवरोंका मांस खाते हैं तो आपको वह भी छोड़ देना चाहिए। कोई हिन्दू गायका वध करे या गोमांस खाये, इसे आप असह्य समझते हैं न? इसका निषेध प्रत्येक हिन्दूके लिए बहुत कड़ाईसे किया गया है। और मेरी अपनी नम्र रायमें गो-वध करने या गो-मांस खानेके निषेधके पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है जो ऊपरसे दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस आदतका त्याग कर दें। मैंने अभी अपने मेजवानसे सुना है कि आपमें से बहुत-से लोग गो-मांस खाना छोड़ रहे हैं। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी है। आप गो-मांस खाते रहे हैं, ऐसा सोचनेके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने 'यदि' लगाकर बात कही थी। मैं जानता हूँ कि दक्षिण भारतके अन्य हिस्सोंमें आदि-द्रविड़ लोग गो-मांस खाते हैं। और यदि आप थोड़ा-थोड़ा करके आत्म-शुद्धिका यह सिलसिला जारी रखेंगे, तो आप अपनेमें क्रमिक विकास होते देखेंगे, और आपमें आत्म-विश्वास भी उत्पन्न होगा।

अब मेरा इरादा आपसे कुछ और कहनेका नहीं है क्योंकि मैं वह काम करना चाहता हूँ जो मैंने अपने लिए निश्चित किया है। लेकिन मैं आशा करूँगा कि चूँकि आप यहाँ लाये गये हैं या स्वयं आये हैं, अतः जिन लोगोंने सभा आयोजित की है



वे मेरी बातोंको और विस्तारसे आपको समझायेंगे, और आप लोग खुद अपने सम्बन्धियों या परिचितोंके बीचमें जायेंगे और उनतक मेरा सन्देश पहुँचायेंगे।

अब मैं चन्दा एकत्र करनेवालोंको इस समामें भेजूँ, इससे पहले मैं चाहूँगा कि प्रमुख-प्रमुख लोग यदि उनकी जेबोंमें पर्याप्त धन न हो तो अपना-अपना चन्दा घोषित कर दें। जितना देनेकी वे घोषणा करेंगे, मैं आशा करूँगा कि वह रकम मुझे मंगलोर छोड़नेसे पहले दे दी जायेगी। मैं चन्दा जमा करने और चन्देका काम संगठित करनेका विशेषज्ञ हूँ, और मैं जानता हूँ कि चन्देके मामलेमें कुछ घंटेसे ज्यादा वक्तकी मोहलत देना बहुत ही खतरनाक चीज है। मैं प्रेमके दबावके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारका दबाव नहीं डालना चाहता। लेकिन मैंने आपके सामने जो भाषण दिया है यदि आप उसके महत्त्वको महसूस करते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप कंजूसीके साथ कुछ दें। मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपना काम समझें। अब मैं चन्दा जमा करनेका काम आपके हाथोंमें छोड़ता हूँ।

इसके बाद लगभग ३८० रुपयेके चन्दे घोषित किये गये और वहाँके वहाँ दे दिये गये। चन्देका काम चल रहा था उसी समय महात्माजीको एक पत्र दिया गया जिसे उन्होंने पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था :

इस माहकी ५ तारीखको मुझे जिला स्काउट मास्टर और व्वाय स्काउट्स एसोसिएशनके प्रान्तीय संगठन मन्त्रीके साथ एक वकीलके घर जानेका मौका आया। इन महाशयके मुस्तारने हमारा स्वागत किया और बरामदेमें बिठाया। बादमें वकीलको हमारा परिचय-पत्र भेजा गया। उनका मुस्तार बाहर आया और मुझसे कहा कि चूँकि नामसे मैं एक अनुपगम्य प्रतीत होता हूँ इसलिए मैं बाहर सहनमें खड़ा हो जाऊँ। आत्म-सम्मानवश मैं वहाँसे चला आया। मैं इस अवसरपर उन उच्च शिक्षा प्राप्त ब्राह्मण सज्जनकी आलोचना करके आपका मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहता। निश्चय ही आपको यह जानकर कष्ट होगा कि जिस वकीलकी चर्चा मैंने की है वह इस जिलेके सर्वोत्तम ब्राह्मणोंमें से भी एक हैं। इस दृष्टान्तसे आप देख सकेंगे कि भारतके इस भागमें अल्पव्ययताकी बुराई कितनी गहरी जमी हुई है। महात्माजीने सावधानीपूर्वक पत्रमें उल्लिखित सभी नामोंको छोड़ दिया, और

कहा :

अवश्य यह एक शर्मनाक चीज है। मेरा विश्वास है कि यह घटना जरूर हुई होगी क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, और इस प्रकारकी घटनाएँ अन्यत्र भी हुई हैं। निश्चय ही यह सराहनीय बात नहीं है। लेकिन आइए, हम उन लोगोंके लिए कुछ प्रायश्चित्त करें जो अनुपगम्यताको अभी भी संरक्षण दे रहे हैं। कोई भ्रमविश्वासी व्यक्ति ऐसा करे तो मैं समझ सकता हूँ; लेकिन यह बात मेरी समझमें नहीं आती कि एक ऐसा व्यक्ति, जिसने कालेजकी शिक्षा—वह जैसी भी हो—पाई है, वकील बन गया है, वकालत कर रहा है, और इसके बावजूद—मैं क्या कहूँ ?

जो इतना दुस्साहसी या अज्ञानी है, अथवा आप जो शब्द चाहें इस्तेमाल करें— वह एक ऐसे व्यक्तिको अपने यहाँसे निकाल दे जो ऊपरसे नीचेतक एक सज्जन पुरुष है। ऐसी घटनाएँ होनी नहीं चाहिए। तथापि, मैंने अपनी अपीलको और ज्यादा प्रभावकारी बनानेके लिए आपके सामने इस घटनाका उल्लेख किया है।

मेरा सुझाव अब यह है कि इस समाके संयोजक लोग अब निष्क्रिय नहीं बैठेंगे वल्कि आज ही से काममें जुट जायेंगे और नामके लिए ही नहीं, वल्कि काम करनेके लिए और ठोस काम करनेके लिए एक समिति बनायेंगे। समितिके सदस्योंके नाम मुझे भेजिए। मैं आज मंगलोर जा रहा हूँ, और फिर मैं लंका जानेकी आशा कर रहा था किन्तु मैं अभी वहाँ नहीं जा सकूँगा और न जैसी कि मुझे उम्मीद थी, मंगलोरको चार दिन दे सकूँगा। वाइसरायका एक फौरी निमन्त्रण पाकर मुझे लंकाकी यात्रा स्थगित करनी पड़ रही है और मैं मंगलोरसे दिल्ली जाऊँगा। उन्होने जैसा कि अपने तारमें कहा है, वे चाहते हैं कि “फौरी और महत्त्वपूर्ण मामले”के सिलसिलेमें मैं दिल्ली जाऊँ। वहाँसे मैं यथाशीघ्र लौटने और फिर लंका जानेकी आशा करता हूँ। लेकिन आप मुझसे दिल्लीमें पत्रव्यवहार कर सकते हैं जहाँ मैं ३१ तारीखको पहुँचनेकी उम्मीद करता हूँ और मैं वहाँ तीन दिन रहूँगा। मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समय विलकुल न खोयें। मैं चाहता हूँ कि यह समिति एक ठोस समिति हो, और इस समितिको यह बात अपने सम्मानका विषय बना लेनी चाहिए कि वह इस कामके लिए आवश्यक धनकी एक-एक पाई मलावारमें ही इकट्ठा करे। मैं अब मलावारके बारेमें काफी कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मलावारमें आपके इस शुद्धीकरण आन्दोलनका आर्थिक बोझ उठानेकी क्षमता है।

और इतना कहनेके बाद अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। वह अस्पृश्यताके सम्बन्धमें नहीं है। लेकिन मेरे सामने बैठे इन मित्रोंको उसका ध्यान दिलाये वगैर शायद मैं समा छोड़ भी नहीं सकता। एक भी स्त्री या पुरुष जो यहाँ जन्म लेनेके कारण या यहाँ बस जानेके कारण भारतको अपना देश समझता है, खादीकी उपेक्षा करके देशके अत्यन्त गरीब लोगोंकी उपेक्षा कर रहा है; मुझे यह देखकर अवश्य ही गहरी चोट पहुँचती है। हमारे देशमें करोड़ों लोग हैं जो अस्पृश्य नहीं कहलाते, लेकिन जो निरन्तर मूखसे पीड़ित रहनेके कारण अस्पृश्य बन गये हैं। वे अस्पृश्य बन गये हैं क्योंकि उनके पास कोई नहीं जाता। उनकी बात कोई सीचता ही नहीं। किसीको चिन्ता नहीं कि वे जी रहे हैं या मर रहे हैं। जंगली तथा अन्य पशु किसी-न-किसी प्रकार कमसे-कम अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं लेकिन ये लोग मूख-पीड़ित होनेके कारण पशुओंसे भी गये-वीते हो गये हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी बात सोचें और उनके नामपर तथा उनके वास्ते खादीको छोड़कर अन्य किसी कपड़ेको खरीदनेमें एक रुपया भी न खर्च करें क्योंकि याद रखिए कि इस प्रकार खर्च किये गये प्रत्येक रुपयेका अर्थ है १६ स्त्रियोंके लिए एक दिनका भोजन।

और फिर मैं आपसे प्रतिदिन थोड़ी कताई करनेके लिए कहना चाहता हूँ। यदि आप कताई नहीं जानते तो आपको सीख लेनी चाहिए। आप अपने ही काते सूतसे कपड़ा बुनवा सकते हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि सैकड़ों, शायद हजारों,

लेकिन हजारोंकी संख्याकी शायद मैं पुष्टि न कर पाऊँ, लेकिन सैकड़ों तयाकथित अस्पृश्योंका चरखेके जरिये उद्धार किया गया है। भारतके उत्तरी भागोंमें बहुतसे अस्पृश्य बुनकर थे। लेकिन वे कोई वारीक कपड़ा या डिजाइनदार कपड़ा नहीं, सादा और मोटा कपड़ा बुनते थे, और जब मैनचेस्टरका वना कपड़ा आया तो उन्होंने बुनाईका काम बन्द कर दिया क्योंकि उन्हें बुननेके लिए कोई कुछ देता ही नहीं था। मैं आश्रममें एक परिवारको जानता हूँ जिसने इस आन्दोलनके आरम्भ होनेके बाद अबतक कई हजार रुपये कमा लिये हैं, और वह परिवार जिसमें पति, पत्नी और एक लड़का भी काम करता है तथा एक बच्चा है, मैं सोचता हूँ कि इस समय ७५ रुपये महीने कमा रहा है और रहनेकी जगह मुफ्त है। मैं आपको इस प्रकारके कई परिवारोंके दृष्टान्त दे सकता हूँ, जो हालाँकि इस परिवार जितना तो नहीं, लेकिन जो सम्मानजनक ढंगसे रहने योग्य कमा रहे हैं। मान लें कि यह आन्दोलन खत्म हो जाये तो ये सभी फिर बेकार हो जायेंगे। मान लें कि यह आन्दोलन आजके मुकाबले कहीं अधिक प्रगति करना जारी रखता है तो ऐसे सैकड़ों और हजारों परिवारोंको बसाया जा सकता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि खादीमें भी अच्छेसे-अच्छा कपड़ा तैयार कर सकनेकी हमारी क्षमताकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन न जाने कैसे दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि हमारे अन्दर अपने देशसे प्रेम करनेकी इच्छा समाप्त हो गई है। और इसीलिए आज भारतमें जितनी माँग है उससे ज्यादा खादी है। मैं चाहता हूँ आप, मेरे आदि-द्विड़ भाई इस स्थितिको बदल दें, क्योंकि आपके बाद आप-जैसे गरीब लोग करोड़ोंकी संख्यामें हैं। जब खादी भारतमें सर्वप्रचलित हो जायेगी तब हमारी आर्थिक प्रगतिको संसारकी कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी। अब मैं आप सबको मेरी अपीलपर ध्यान देनेके लिए धन्यवाद देता हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २८-१०-१९२७

## १२५. भाषण : मंगलोरकी सार्वजनिक सभामें

२६ अक्टूबर, १९२७

दरिद्रनारायणके नामपर मुझे रूपया देनेके लिए तथा अभिनन्दनपत्र भेंट करनेके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ आनेपर मुझे यह देखकर खुशी हुई कि कुछ लोगोंने मुझसे मेरी अपनी ही भाषामें बातचीत की। मुझे एक अभिनन्दनपत्र आये समाजकी ओरसे हिन्दीमें भी भेंट किया गया। यदि सारे अभिनन्दनपत्र हिन्दीमें या कमसे-कम आपकी अपनी भाषा कन्नडमें होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। इस धरतीपर परमेश्वर ही हमें दुःख और सुख देता है। उस परमेश्वरने मुझे उस समय दुःख दिया जब मैंने इन अभिनन्दनपत्रोंको विदेशी भाषामें पढ़े जाते सुना। मैं इस शहरमें आपके साथ मूलतः तो चार दिन बिताना चाहता था। मैं ऐसा कर सका होता तो मुझे अच्छा लगता। सामान्य रूपसे मुझे आजके दिन नीलेश्वरमें होना चाहिए था। जब हम आज दोपहर बाद नीलेश्वर रेलवे स्टेशनपर पहुँचे तो मैंने वहाँ हजारों लोगोंको हताश खड़े हुए देखा। उनको निराश करके उस स्टेशनको पीछे छोड़ आते हुए मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। थोड़ी-सी सान्त्वना मुझे यहीं सोचकर मिलती है कि ऐसी घटनाएँ इसलिए होती हैं कि देशकी सेवाके उद्देश्यसे की जा रही इन यात्राओंमें मुझे कभी-कभी अनिवार्यतया अपने कार्यक्रममें परिवर्तन करने पड़ते हैं।

जब मैं तिरुपुरमें था तो मुझे वाइसरायका एक तार मिला था। उस तारमें परमश्रेष्ठने मुझसे दिल्ली आकर कुछ महत्त्वपूर्ण मामलोंपर अपने साथ बातचीत करनेका अनुरोध किया था। मैं समझता हूँ कि उस अनुरोधको स्वीकार करके भी मैं देशकी सेवा कर सकता हूँ। यही कारण है कि निमन्त्रणको अस्वीकार करनेका मेरा मन नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि मुझे दिल्ली जाना है और इसलिए मैं आपके बीच ज्यादा देर नहीं रह सकता। इसलिए कृपया मुझे माफ करें। आप सब यह जाननेके लिए आतुर होंगे कि मैं दिल्ली वाइसरायसे मिलने किस उद्देश्यसे जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है और वह ऐसा कौन-सा महत्त्वपूर्ण मामला है जिसपर वह मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। मुझे खेद है कि मैं स्वयं भी इसके बारेमें कुछ और नहीं जानता। उन्होंने तो मुझसे थोड़ी-बहुत असुविधा उठानी पड़े तो वह उठाकर भी आनेका अनुरोध-भर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं दिल्लीमें अपना काम दो दिनमें ही पूरा कर लूँगा। उसके बाद मैं लंका जाना चाहता हूँ। वहाँसे लौटनेपर अगर मुझे समय मिला और सुविधा हुई तो मैं आपके जिलेमें अपना सारा कार्यक्रम पूरा करूँगा।

लंका जाकर वहाँ मेरे लिए जो कार्यक्रम बनाये गये हैं मैं उन सबको पूरा करना चाहता हूँ। यहाँकी तरह मुझे लंकाके दरिद्रनारायणकी भी सेवा करनी है।

१. इस भाषणका गंगाधरराव देशपाण्डेने कन्नडमें अनुवाद किया था।

इसलिए इन सब कारणोंसे मैं कल मंगलोरसे समुद्रके रास्ते रवाना हो जाऊँगा। इस प्रकार सहसा जानेके लिए आप मुझे क्षमा करें।

छ: या सात साल पहले मैं यहाँ अपने माई मौलाना शौकत अलीके साथ आया था। उस यात्राको मैं कभी भूलूँगा नहीं। उस समय हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख तथा इस देशके अन्य लोग शान्तिपूर्वक रह रहे थे। उनमें परस्पर विश्वास था। उनमें आपसमें पूरा भरोसा था। लेकिन उत्तरी भारतमें आज हिन्दू और मुसलमान एक दूसरेके साथ लड़ रहे हैं और एक दूसरेका सिर फोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति खत्म होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ही उनके सम्बन्ध अच्छे हो जायेंगे।

अपने सभी अभिनन्दनपत्रोंमें आपने चरखे तथा खादीका उल्लेख किया है और आन्दोलनकी सफलतामें अपना पूरा विश्वास जताया है। आपने जो रूपाय मुझे दिया है वह उसी कामके लिए है। आपका यह कहना ही काफी नहीं है कि आपकी इस आन्दोलनमें श्रद्धा है। इससे आन्दोलन सफल नहीं होगा। खादी आन्दोलन तो तभी सफल होगा जब आप सब खद्दर पहनेंगे। मैं अपने चारों ओर आपमें से बहुत-से लोगोंको विदेशी कपड़ा पहने हुए देख रहा हूँ। हमारे देशमें कपासका और खाद्य पदार्थोंका काफी उत्पादन होता है। यदि आपके सारे देश माई केवल बाहरसे आनेवाले खाद्य पदार्थोंका ही उपयोग करते होते तो आज हमारी स्थिति क्या होती? वही बात विदेशी कपड़ा पहननेमें है। मेरी एक बहनने मुझे बताया कि जबतक उसे बढ़िया खादी नहीं मिलेगी तबतक वह खादीके कपड़े नहीं पहनेगी। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपकी माँने या आपकी बेटीने खाना बनाया है, तो चाहे वह बहुत बढ़िया न भी हो, तो भी आप उसे पसन्द करते हैं। उसी तरह आपको अपने माई-बहनों द्वारा तैयार किया कपड़ा भी सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वह थोड़ा घटिया ही क्यों न हो। जहाँतक बढ़िया खादीका सम्बन्ध है, मैं आपको आपके मनके मुताबिक बढ़िया खादी दिला सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस कपड़ेपर अभिनन्दनपत्र छपे है वह, और खद्दरकी जो साड़ियाँ मेरी पत्नी पहनती है उनका कपड़ा कितना बढ़िया है। यदि आप थोड़ी भी तकलीफ उठायें और रुचि लें तो आप भी ऐसी बढ़िया खादी तैयार कर सकते हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है: आप मुझसे यह प्रतिज्ञा करें कि आजके बाद आप सिर्फ खादी ही पहनेंगे।

आपकी नगरपालिकाके अभिनन्दनपत्रसे मुझे यह जानकर खुशी हुई कि नगरपालिकाके अधिकार-क्षेत्रमें आनेवाली शालाओंमें कताई शुरू कर दी गई है। इन शालाओंमें छोटे बच्चे तकलीकी सहायतासे सुन्दर धागा तैयार कर सकते हैं। शालाओंमें प्रयोगके लिए यह बेहतररीन औजार है। आपको उन्हें वैज्ञानिक तरीकेसे कातना सिखाना चाहिए। मैंने देखा है कि जो खादी कातनेमें लगे हैं वे बहुत खुश हैं और सन्तुष्ट हैं। लेकिन नगरपालिकाके सारे सदस्य खद्दर नहीं पहनते। मुझे मालूम है कि वे चरखा भी नहीं चलाते। इसलिए अगर वे शालाओंमें चरखा शुरू करते हैं और

विद्यार्थियोंसे कातनेको कहते हैं तो विद्यार्थी इसे सजाके तीरपर मानेंगे। अतः अपने विद्यार्थियोंको सन्तुष्ट करनेके लिए कमसे-कम उन्हें तो खादी पहननी ही चाहिए।

हिन्दू धर्ममें कुछ ऐसी बुराइयाँ हैं जैसे अस्पृश्यता, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊँगा। यदि भारत-माताको स्वतन्त्र होना है तो प्रत्येक हिन्दूका यह कर्त्तव्य है कि वह इस देशसे इन भयंकर बुराइयोंको बहुत जल्द दूर करनेकी कोशिश करे।

यहाँ एकत्रित विद्यार्थियोंसे मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। वह यह कि देशका भविष्य सिर्फ आपपर ही निर्भर है। क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आप देशसेवा भी कर रहे हैं और न आपके ज्ञानकी मात्राका ऐसी सेवासे कोई सम्बन्ध ही है। मैं आपको दो या तीन बातें और बताना चाहता था, लेकिन आपको मैं और अधिक रोकना नहीं चाहता।

आपमें से बहुत-से लोग जानते होंगे कि स्व० आदरणीय स्वामी श्रद्धानन्दजीके एक शिष्यने यहाँ हिन्दी प्रचार कार्य शुरू किया है। जो लोग हिन्दी सीखना चाहते हैं उन्हें वह हिन्दी सिखायेंगे। मैं आप सबसे, खासतौरपर विद्यार्थियोंसे, प्रार्थना करता हूँ कि आप यह भाषा सीखें। इस भाषाके अध्ययनके बारेमें मैं और जगह दिये गये अपने भाषणोंमें जिक्र कर चुका हूँ और कुछेक लेख भी लिख चुका हूँ। यदि अब भी आप कुछ और जाननेके लिए इच्छुक हों तो मैं आपसे कुछ शब्द और कहूँगा। यदि आप समूचे भारतकी सेवा करना चाहते हैं, यदि आप इस विशाल देशके उत्तर और दक्षिण भागोंमें एकता स्थापित करना चाहते हैं तो आपके लिए हिन्दी सीखना अनिवार्य है।

अन्तमें, जिन लोगोंने पर्याप्त पैसा नहीं दिया है वे अब भी दे सकते हैं। जो स्त्रियाँ दरिद्रनारायणको अपने जेवर भेंट करनेकी इच्छुक हों, वे ऐसा कर सकती हैं। अपनी बहनोके लिए मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आपका आदर्श सीतादेवी है। जिस प्रकार वह अपने सहज-स्वाभाविक रूपमें सुन्दर लगती थी उसी प्रकार आपको भी अपने सौन्दर्यमें वृद्धि करनेके लिए जेवरोकी कामना नहीं करनी चाहिए। और फिर जब आपकी बहुत-सी बहनें भोजन और कामके अभावमें भूखी मर रही हैं तब आपको जेवर पहनना शोभा नहीं देता। १०० रुपयेकी कीमतका जेवर देनेका मतलब होगा एक दिनमें अपनी १६०० गरीब बहनोको भोजन देना। ये बहनें भीख नहीं माँगतीं। मैं भी किसी मिखारीको पैसा नहीं देता। मैं उनसे पूरा काम लेता हूँ। तमिलनाडु, त्रावणकोर और अन्य स्थानोपर बहुत-सी बहनो और छोटे बच्चोने मुझे विभिन्न प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुएँ और जेवर दिये हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और भगवानसे प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको जो-कुछ मैंने कहा उसे समझनेकी शक्ति दे।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २८-१०-१९२७

## १२६. एक सच्ची सेविकाका प्रयाण

१९२१ की बात है। वेजवाडामें स्त्रियोंकी एक बहुत बड़ी सभामें मैंने एक खादी-धारिणी लड़कीको—और वहाँ यही एक लड़की ऐसी थी जो खादी पहने थी—समाका प्रबन्ध करते हुए शान्ति और व्यवस्था रखते हुए, और फुर्ती तथा निश्चयके साथ इवर-उधर घूमते-फिरते देखा था। जहाँतक मुझे याद है, उसीने पहले-पहल अपने सभी कीमती गहने, चूड़ियाँ और सोनेकी एक मारी जंजीर दी थी। जब वह अपने सब गहने दे रही थी, मैंने पूछा, 'क्या तुमने अपने माँ-बापसे इजाजत ले ली है?' उसने कहा 'मेरे माँ-बाप मेरे किसी काममें दखल नहीं देते और मैं जो चाहती हूँ मुझे करने देते हैं।' अन्नपूर्णादेवी बढ़िया अंग्रेजी बोलती थी। उन्होंने कलकत्तेके वेथ्यून कालेजमें शिक्षा पाई थी। वह स्त्रियोंकी उस बड़ी भीड़में चन्देके लिए चली गई और गहने तथा रुपये लाई। तबसे बराबर इस आन्दोलनसे उन्होंने सम्बन्ध रखा और सच पूछो तो इसमें अपनेको उत्सर्ग कर दिया। कोकोनाडामें वह महिला स्वयं-सेविकाओंकी नायिका थी और उनके उस कामकी कितनोने ही बड़ी तारीफ की है। दुर्भाग्यसे तब भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा न था। उनका विवाह श्रीयुत मगुन्टी बापी नीडु, बी० एस सी०से हुआ था। कोयम्बदूरमें मुझे उसकी मृत्युके कई दिनों बाद सहसा तार मिला कि वह अब नहीं है। और अब श्रीयुत नीडुका पत्र आया है जिसमेंसे कुछ उद्धरण मैं नीचे दे रहा हूँ :<sup>१</sup>

यह सच है कि अन्नपूर्णादेवीको खोकर मैंने एक निष्ठावान अनुयायी ही नहीं उससे कुछ अधिक खोया है। हिन्दुस्तान-भरमें मुझे जिन अनेक वेदियोंके होनेका सौभाग्य प्राप्त है, लगता है कि मैंने उनमें से एकको खो दिया है। और वह सबसे अच्छी वेदियोंमें से थी। उसका विश्वास अटल रहा और इनाम या तारीफकी उम्मीद किये बिना उसने काम किया। कितना अच्छा हो कि अन्नपूर्णादेवीने अपने पतिपर अपनी पवित्रता और एकनिष्ठ मकितसे जो नम्र, किन्तु अधिकारपूर्ण प्रभाव प्राप्त किया था, वह प्रभाव एकाधिक पत्नियों प्राप्त करें। मैं उनकी इस मीठी फटकारमें जो सत्य है उसे स्वीकार करता हूँ कि अन्नपूर्णादेवीने मातृभूमिकी सेवामें अपना शरीर गला दिया। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि अगर भारतको एक बार फिरसे वैसा ही पवित्र और स्वतन्त्र बनना है, जैसा कि लाखों आदमी आज भी मानते हैं कि वह प्राचीनकालमें था, तो यह जरूरी है कि कितने ही नवयुवक और नवयुवतियोंको इस भली स्त्रीका अनुकरण करना पड़ेगा, और भारतके प्रति अपना फर्ज अदा करनेमें गहीद होना पड़ेगा।

१. इन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इन उद्धरणोंमें गांधीजीके तथा उनके खादी, अद्ययुग और आहार-सम्बन्धी प्रयोगों तत्कालके बारेमें अन्नपूर्णादेवीकी कितनी दिलचस्पी थी इसका सजीव विवरण दिया गया था। पत्रलेखकने गांधीजीको अन्नपूर्णादेवीके स्मारकके लिये बनी समितिना सदस्य बनानेके लिये उनकी स्वीकृति माँगी थी।

ऊपरके उद्धरणोंमें उल्लिखित समितिका सदस्य होनेका अनुरोध मैं स्वीकार नहीं कर सका हूँ। कारण, मेरे पास कई काम हैं, और मैं सैकड़ों समितियोंकी सदस्यताका बोझ उठा नहीं सकता। मेरा विश्वास इसमें कमी नहीं रहा है कि हम सिर्फ़ शोभाके लिए या नाम लिखानेके लिए समितियोंके सदस्य बनें। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अन्नपूणदिवी-जैसी बहादुर और पवित्र देशभक्तकी स्मृतिको चिरस्थायी बनानेके लिए एक स्थानीय स्मारक अवश्य बनना चाहिए। भगर अन्नपूणदिवीका सबसे अच्छा स्मारक यह होगा कि उनके पति अपनी पत्नीके मार्गपर चले, और अपनी खोयी हुई सगिनीको देशकार्यमें ही पाकर उसकी यादको चिरस्थायी बनायें। कारण, उन्हींके कथनानुसार अन्नपूणदिवीने अपने-आपको इसी काममें खपा दिया था।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-१०-१९२७

## १२७. अनुकरणीय

चाँदा (मध्यप्रान्त)की म्युनिसिपैलिटीके उप-समापति लिखते हैं :

मध्यप्रान्त और बरारमें हमारी ही म्युनिसिपैलिटीने सबसे पहले खादी परसे चुंगी उठा दी है। इसके अलावा १९२२ से यह म्युनिसिपैलिटी खादीके लिए हर साल ५०० रुपयेकी आर्थिक सहायता देती आई है जिससे यहाँ एक "शुद्ध खादी कार्यालय" चलता है। यह कार्यालय अब अ० भा० चरखा संघसे सम्बद्ध हो गया है। इसका घूत महाराष्ट्रमें समानता, मजबूती और अंक्रमें सबसे अच्छा पाया गया है। १९२२ से अबतक म्युनिसिपैलिटी अपने कामके लिए केवल चाँदा खादी कार्यालयमें बनी खादी ही खरीदती रही है। अब म्युनिसिपैलिटी अपने स्कूलोंमें खादी बाखिल करानेकी एक योजनापर विचार कर रही है।

ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव यह है :

निश्चय किया जाता है कि अ० भा० चरखा संघसे जिस फण्डेपर यह प्रमाणपत्र मिला हो कि यह हाथकती, हाथबुनी खादी है, उसपर चुंगी नहीं ली जायेगी।

इस उदाहरणका अनुकरण सभी म्युनिसिपैलिटियाँ कर सकती हैं। खादीके लिए इस म्युनिसिपैलिटीका यह प्रेम कुछ नया नहीं है बल्कि उसके लिए यह बहुत काम कर चुकी है। दूसरी कई बड़ी-छोटी म्युनिसिपैलिटियोंकी तरह इसने अपना काम नहीं बन्द किया, वह बढ़ता ही गया है। इस म्युनिसिपैलिटीको इतनी सफलता इसलिए मिली है कि इसके कई सदस्य चरखेके सन्देशमें सिर्फ़ विश्वास ही नहीं करते बल्कि उसे अपने जीवनमें उतारते हैं। खादीका विकास इस म्युनिसिपैलिटीमें स्वभाविक



रीतिसे ही हुआ है। पहले उसने रुपयोंकी मदद दी, उसके बाद उसने अपने नीकरोंके लिए खादीकी बर्दियाँ बनवाई। उसके बाद खादीपरसे चुगी उठाई गई, और अन्तमें अपने स्कूलोंमें वह कताईको दाखिल करनेका विचार कर रही है। मैं आशा करता हूँ कि स्कूलोंमें कताईका प्रचार शास्त्रीय रीतिसे किया जायेगा और कातनेके पहले लड़के-लड़कियोंको खादी पहननेके लिए राजी किया जायेगा और उन्हें बतलाया जायेगा कि और कोई दूसरा शारीरिक श्रम करनेके बजाय उन्हें कताई क्यों करनी चाहिए। मैं यह सलाह भी देता हूँ कि उन्हें चरखेके बदले तकलीपर कातना चाहिए। जो लड़के कताईमें विशेष उत्साह और लियाकत दिखलायें, उन्हें स्कूलमें नहीं, घरपर कातनेके लिए चरखा मँगनी दिया जाये और जो लड़के एक सालतक लगातार उन्नति करते जायें उन्हें वह चरखा [निःशुल्क] दे ही दिया जाये। लड़के और लड़कियों, दोनोंको कातनेके पहले धुनना सिखलाना चाहिए और उनके कामकी परीक्षा रोज-रोज करनी चाहिए और समय-समयपर उनके आँकड़े तैयार करने चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, २७-१०-१९२७

## १२८. कपासकी लाभदायक खेती

एक सज्जनने मुझे लिखा है कि कपास पैदा करनेवाले किसानोंको अपनी कपासका कुछ हिस्सा जमा रखने और उसीका सूत कातकर अपने लिए खादी बुनवा लेनेपर तैयार करनेके लिए एक व्यापक आन्दोलन चलाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जहाँपर कपास पैदा नहीं होती वहाँके किसानोंको आकमाजीकी तरह अपने निजी इस्तेमालके लिए थोड़ी कपास भी पैदा करनेको उत्साहित करना चाहिए। उनका दावा है कि अगर यह प्रवृत्ति चल निकले तो किसानोंको खादी सस्ती पड़ेगी। वे कहते हैं कि खादी आन्दोलन गुरु होनेके पहले दक्षिणके कुछ हिस्सोंमें किसान ऐसा किया करते थे। पत्रलेखकका खयाल है कि देशी रियासतें इस तरह कपासकी खेतीको सबसे अधिक प्रोत्साहन दे सकती हैं।

पत्रलेखकके सुझावमें काफी बल है। विजोलिया (राजपूताना), वारडोली और काठियावाड़में किसानोंको अपनी जरूरत-भरकी कपास रख छोड़नेको प्रोत्साहित करनेका काम चल रहा है। मगर काठियावाड़में जब भी रुईका दाम चढ़ा है, किसानोंके लिए जमा रुई को बेच देनेका लोभ जीतना मुश्किल पाया गया है। यह तबतक सम्भव नहीं है जबतक किसान खादीका अर्थशास्त्र नहीं समझ जाते और यह नहीं जानते कि बुनाईके पहले रुईपर जो मेहनत फुरसतमें वे करेंगे, उससे भी वही लाभ होगा जो अधिक दामों रुई बेच देनेसे होता है और ऊपरसे वे सटोरियोंके पंजोसे भी छूट जायेंगे। इसके अर्थ है कि अ० मा० चरखा संघको किसानोंको खादीका अर्थशास्त्र समझाना होगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि खादी-कार्यकी सभी शाखाओंमें सफलतापूर्वक काम कर पानेके लिए खादी कार्यकर्त्ताओंको कपास पैदा

करनेवालोके निकट सम्पर्कमें आना होगा, क्योंकि शहरकी जरूरत खादी तैयार करनेके लिए भी कपास पैदा करनेवाले किसानोंके साथ सम्बन्ध जोड़ना और, जैसा कि आज चलता है, बाजारमें खरीदनेके बदले सीधे उन्हींसे रुई खरीदना जरूरी है। अगर हमें सटोरियोसे और बाजार भावके उतार-चढ़ावसे स्वतन्त्र होना है और खादीका मूल्य स्थिर करना है तो हमें किसानसे सरोकार पैदा करना होगा और उसे इस बातके लिए राजी करना होगा कि वह हमारे साथ सीधा सौदा करे। खादीकी जितनी ही अधिक उन्नति होगी, हम देखेंगे कि व्यापार-जगतमें हमें अपने तरीकोको प्रचलित तरीकोसे भिन्न करना होगा। व्यापार-जगतका विश्वास है कि अधिकसे-अधिक दामपर माल बेचा जाये, और सस्तेसे-सस्ता खरीदा जाये। आज ससारका व्यापार न्यायके नियमपर नहीं चलता। उसका मूल मन्त्र है, "खरीदारो सावधान"। खादी अर्थशास्त्रका मूलमन्त्र है "सबके लिए एक-सा न्याय।" इसलिए खादीमें आत्माका हनन करनेवाली वर्तमान होड़ा-होड़ीके लिए कोई जगह नहीं है। खादीके अर्थशास्त्रका उद्देश्य गरीब और असहाय लोगोको सहायता देना है और खादी उसी हृदयक सफल होगी, जिस हृदयक उसके कार्यकर्त्ता जन-साधारणमें प्रवेश करके उसका विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। उनका विश्वास पानेका एकमात्र रास्ता है स्वार्थ रहित होकर उनकी सेवा करना।

पत्रलेखककी यह बात वैशक सच्ची है कि कपासकी खेती करनेवाले किसानो द्वारा कपास जमा कर रखने, और दूसरे किसानो द्वारा अपनी जरूरत-भरकी कपास पैदा करनेके मामलेमें देशी रियासतोको ज्यादा सुविधाएँ हैं। मगर अन्ततः सवाल तो यह है कि विल्लीके गलेमें घंटी कौन बाँधे? अधिकांश रियासतोको किसानोंके भले-बुरेकी चिन्ता ही नहीं है। अभी तो उनके जीवनका एक यही उद्देश्य मालूम पड़ता है कि चाहे जैसे हो, राज्यकी आमदनी किसी भी कीमतपर यथासम्भव बढ़ाई जाये, और उसका अधिकसे-अधिक भाग अपने मौज-मजेमें उड़ाया जाये। इसके सिवा, अन्य पूंजीपतियोकी भांति ही खादीके अर्थशास्त्रमें उनको कोई विश्वास नहीं है। मैसूरमें ग्रामोद्योगके रूपमें खादीकी उपयोगिताकी जाँच करनेके लिए बहुत सतर्कतासे एक प्रयोग चल रहा है। हम आशा कर सकते हैं कि अगर यह प्रयोग शास्त्रीय रीतिसे धैर्यपूर्वक किया गया और सफल हुआ तो उसका अनुकरण सभी करने लगेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, २७-१०-१९२७

## १२९. अस्पृश्यता-निवारण

श्रीयुत एस० डी० नाडकर्णी कारवारसे १० सितम्बरके अपने पत्रमें लिखते हैं :

पिछले हफ्ते में और मेरे भाईने कुछ नवयुवकोंकी सहायतासे बहुत-सी अप्रत्याशित कठिनाइयोंके होते हुए भी खरा सार्वजनिक गणेशोत्सवका आयोजन किया था। इसके इस नामका मतलब यह है कि इसमें हमने अपने सभी कार्यक्रमोंमें — जुलूस, पूजा, भजन, आरती, कीर्तन, पुराणपाठ और इसी अवसरके लिए खास तौरपर लिखे गये उस नाटकमें जो इस समारोहके दौरान दो बार खेला गया — अन्य हिन्दुओंके अलावा अछूतोंको भी शामिल किया था। नाटकका आधार हमारे जिला स्कूल बोर्डके एक दलित वर्गीय सदस्यका सच्चा अनुभव है। एक बार वे एक दूसरे मुसलमान सदस्यके साथ पड़ोसके गाँवके मन्दिरमें पाठशालाका निरीक्षण करने गये थे। उन्हें तो भीतर नहीं जाने दिया गया, लेकिन उनका मुसलमान साथी भीतर जाकर स्कूलका निरीक्षण कर सका। क्या आप इसपर विश्वास कर सकेंगे? हमारे ही कुछ लोगोंने ('मुझे न छुओ' वाले हिन्दुओंने) नाटकका खेला रोकनेके लिए स्थानीय मुसलमानोंसे झूठी दरख्वास्त विला बी थी कि यह नाटक मुस्लिम-विरोधी है, अतः इसपर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। हमारे समाजमें परमावश्यक सुधार करनेके आन्दोलनके विरुद्ध क्या इससे भी अधिक आत्मघाती रास्ता कोई हो सकता था? मगर न्याय और बुद्धिकी विजय हुई और उनकी कोशिश बेकार गई।

पूनाके चित्रे शास्त्री (महाराष्ट्र हिन्दू महासभाके सभापति) की सहायतासे हमने हिन्दू महासभाकी एक स्थानिक शाखा खोली। उन्हें खास तौरसे इसी उद्देश्यसे निमन्त्रित किया गया था। इस शाखाका प्रधान उद्देश्य है अस्पृश्यताके विरुद्ध संघर्ष करना और हमारे सार्वजनिक मन्दिरोंमें अछूतोंको प्रवेशका अधिकार दिलाना।

सुधारकों द्वारा आयोजित एक निर्दोष नाटकमें तथाकथित अस्पृश्योंकी उपस्थितिका अपने ही मनसे अपनेको सनातनी हिन्दू कहनेवाले और श्रीयुत नाडकर्णीके शब्दोंमें 'मुझे न छुओ' की प्रवृत्तिवाले उन महानुभावों द्वारा किया गया विरोध और उस विरोधका तरीका उनके लिए या हिन्दू धर्मके लिए कोई श्रेयकी बात नहीं है। उससे यह भी जाहिर होता है कि धर्मके पवित्र नामपर अन्धी रूढ़िवादिता किस हदतक जा सकती है। मैं श्रीयुत नाडकर्णी और उनके मित्रोंको सफलतापूर्वक अछूतोंको अपने जुलूसमें शामिल करने और नाटकके अभिनयमें दाखिल करनेपर साधुवाद देता हूँ। अस्पृश्यताको दूर करनेका एकमात्र रास्ता यही है कि हरएक सुधारक दलित वर्गोंकी खातिर ऐसा ही कोई रचनात्मक कार्य करे, भले ही वह

कार्य कितना ही छोटा हो, और नम्रता किन्तु दृढताके साथ अन्धविश्वास और पूर्वग्रहकी दोहरी दीवारको तोड़े। मैं आशा करता हूँ कि कारवारके सुधारकोंको अष्टूतको मन्दिरोंमें दाखिल करनेके प्रयत्नमें सफलता मिलेगी।

[अग्नेजीसे]

यंग इंडिया, २७-१०-१९२७

### १३०. सन्देश : दक्षिणको

[२७ अक्टूबर, १९२७]<sup>१</sup>

दक्षिणसे विदा होते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है। मैं जहाँ भी गया मुझे सभी प्रकारके लोगोसे हार्दिक स्नेह प्राप्त हुआ — यहाँतक कि उन लोगोसे भी, जो अपनेको दूसरी राजनीतिक विचारधाराका समझते हैं। मैं जहाँ भी गया वहाँ मुझे चरखेके सन्देशमें सच्ची आस्थाके दर्शन हुए। इसलिए मैं दक्षिणसे पूरा आश्वस्त होकर जा रहा हूँ। मैं चाहता था कि मेरे पास कुछ और समय होता जिससे मैं उन स्थानोंमें भी यात्रा कर लेता जिनके निमन्त्रणको मैं स्वीकार नहीं कर सका था। अब मैं चाहता हूँ कि जनता अपनी आस्थाको कार्यरूपमें परिणत करे, अभीतक जिस हदतक किया है, उससे ज्यादा करे। तब लोगोको खादीकी उस शक्तिका पता चलेगा, जिसका उन्हें कोई पता नहीं है।

[अग्नेजीसे]

हिन्दू, २९-१०-१९२७

### १३१. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

बम्बई

२९ अक्टूबर, १९२७

'इंडियन डेली मेल' के एक प्रतिनिधि द्वारा यह पूछे जानेपर कि शाही आयोगमें परामर्शदाताओंकी नियुक्तिको आप स्वीकार करेंगे या उसका बहिष्कार करेंगे, महात्मा गांधीने कहा :

मैंने इस प्रश्नपर कोई विचार नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतमें होनेके कारण मैं घटनाओंके सम्पर्कमें नहीं रह सका हूँ, और इसलिए शाही आयोगमें भारतीयोंके न रखे जानेके बारेमें जो अफवाहें हैं, उनके बारेमें मैं कुछ भी कहनेको तैयार नहीं हूँ।

१. गांधीजीको २ नवम्बरको वाशरपासे भेंट करनी थी, अतः वे मंगलोरसे २७ अक्टूबरको मुंबई रवाना हुए।

एकता सम्मेलनका जिक्र करते हुए गांधीजीने कहा कि मुझे उसके लिए विशेष रूपसे निर्मंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कार्यसमितिका सदस्य होनेके नाते साधारण परिस्थितियोंमें मने सम्मेलनमें भाग लिया होता। मने सम्मेलनमें इसलिए भाग नहीं लिया कि मेरी सेवाएँ उसमें किसी भी तरह उपयोगी न होतीं।

पत्र-प्रतिनिधिने उनसे पूछा : चूँकि हिन्दू-मुस्लिम एकताका सवाल बहुत महत्त्वपूर्ण है, अतः क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि यदि आपने सम्मेलनकी कार्यवाहीमें अपना सहयोग दिया होता तो समस्याका मैत्रीपूर्ण हल निकलनेमें उससे बहुत मदद मिलती ?

[गांधीजी:] मैं मानता हूँ कि यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। यदि मैं समझता कि मैं सम्मेलनकी कार्यवाहीमें मदद दे सकता हूँ तो निश्चय ही मैं अपना दौरा स्थगित करके कलकत्ता गया होता। संक्षेपमें, मैं इतना ही कहता हूँ कि एकता स्थापित करनेके तरीकेके बारेमें मेरे विचार कुछ अनोखे ढंगके हैं, जिन्हें वर्तमान घातावरणमें स्वीकार नहीं कराया जा सकता। इसलिए मैं मदद देनेके बजाय बाधा ही साबित होऊँगा। अतः मुझे लगा कि मेरा शामिल न होना भी एक तरहकी सेवा ही है।

महात्माजीने कहा कि मेरे उन अनोखे विचारोंको 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें देखा जा सकता है।<sup>१</sup>

पत्र-प्रतिनिधिके पूछनेपर गांधीजीने कहा :

सार्वजनिक मामलेमें मुझसे कोई बात जाननेके लिए यदि कोई मुझे निमन्त्रण देता है तो मैं कभी उसे अस्वीकृत नहीं करता।

उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसीका भी प्रतिनिधि होकर बाइसरायसे मिलने नहीं जा रहा हूँ। कलकत्तेके एकता-सम्मेलनके बारेमें कुछ प्रश्न करनेपर महात्माजीने कहा :

मैं सम्मेलनमें निमन्त्रित नहीं था। मुझे निमन्त्रित न कर श्री अय्यंगारने मुझपर अनुग्रह ही किया है। वे इस सम्बन्धमें मेरा मत जानते हैं और मेरे सच्चे मित्र होनेके कारण उन्होंने मुझे कष्ट नहीं दिया।

यह पूछनेपर कि भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्यके नाते आप सम्मेलनमें क्यों नहीं गये, महात्माजीने कहा :

जाकर मैं कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकता। हिन्दुओं या मुसलमानोने इस समय जिस नीतिका अवलम्बन किया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे वहाँ उपस्थित होनेसे कार्यमें केवल बाधा ही पड़ेगी।

दक्षिणके दौरेके सम्बन्धमें प्रश्न करनेपर महात्माजीने कहा :

वहाँसे मैं पूरी आशा लेकर लौटा हूँ। खादीके सम्बन्धमें लोगोंने अच्छा उत्साह दिखाया है—यद्यपि इससे भी अधिक उत्साह दिखाया जा सकता था। मेरे विचारमें खादीकी जड़ अब जम गई है।

१. इसके बादका अंश आज, ३१-१०-१९२७ से लिया गया है।

महात्माजीके इस कथनपर कि कुछ हिन्दू मन्दिरोंमें ईश्वरका उतना ही वास है जितना कि एक वेद्यालयमें, जो टीकाएँ हुई हैं उनका उत्तर देते हुए महात्माजीने कहा :

मैं अपने कथनसे एक अक्षर भी वापस न लूंगा। एक विचारसे यह विलकुल ठीक है कि ईश्वर सर्वव्यापी है—चोरोके अड्डोंमें, ताड़ीखानोमें और वेद्यालयोंमें भी वह मौजूद है। पर ईश्वरकी उपासनाके लिए हम इन स्थानोंपर नहीं जाते बल्कि इस कामके लिए हम मन्दिर ढूँढते हैं और वह इस विश्वाससे कि वहाँका वायुमण्डल शुद्ध होगा। मैं कहता हूँ कि इस दृष्टिसे ईश्वर कुछ मन्दिरोंमें नहीं वास करता और यदि करता है तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक वेद्यालयमें भी उसका वास है। मेरे इस कथनसे यदि कुछ हिन्दुओंके भावोंपर आघात पहुँचा हो तो मुझे इसका बहुत दुःख है पर सत्यकी और हिन्दू धर्मकी रक्षाके लिए मैं अपने कथनको न वापस ले सकता हूँ न उसमें कुछ घटा-बढा सकता हूँ।

पुतला [प्रतिमा] सत्याग्रहके 'सम्बन्धमें महात्माजीने कहा :

जब मद्रास कौंसिलने पुतला [प्रतिमा] हटानेके प्रस्तावको अस्वीकृत कर दिया है तो मद्रासके नवयुवकोंको चाहिए कि वे अब दूना उद्योग करें और कौंसिलके जिन सदस्योंने प्रस्तावका समर्थन किया है उन्हें चाहिए कि वे इन नवयुवकोंको हर तरहसे मदद करें। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जिन भारतीय सदस्योंने प्रस्तावका विरोध किया है उन्होंने आन्दोलनके महत्त्वको नहीं समझा और यूरोपियनोंकी ओरसे जो बाधा डाली गई उसके लिए भी मुझे खेद है।

हिन्दू, ३१-१०-१९२७

आज, ३१-१०-१९२७

## १३२. भेंट : 'इंडियन नेशनल हेराल्ड'के प्रतिनिधिसे

[३० अक्टूबर, १९२७ या उससे पूर्व]<sup>१</sup>

'इंडियन नेशनल हेराल्ड'के एक प्रतिनिधिने गांधीजीसे पूछा कि इस बातकी काफी अपवाह है कि ब्रिटिश संसद द्वारा जो आयोग नियुक्त किया जा रहा है उसमें संसदके सदस्य ही होंगे और भारतीयोंकी स्थिति मात्र परामर्शदाताओंकी होगी। यदि यह बात सच हुई तो वाइसरायसे होनेवाली भेंटमें आप क्या रुख अपनायेंगे ? गांधीजीने उत्तर दिया :

गांधी आयोग किस प्रकार गठित किया जाये, इस विषयका मुझसे उतना ही सम्बन्ध है जितना कि तपेदिककी बीमारीके इलाजका, जो किसी चिकित्सा-विशेषज्ञके क्षेत्रकी चीज है। मैंने गांधी आयोगके विषयमें कोई विचार नहीं किया है, क्योंकि वह स्पष्ट रूपसे मेरे ज्ञान, मेरे विचार और मेरी प्रवृत्तियोंके क्षेत्रसे बाहरकी चीज है।

१. मद्रासमें जनरल नीलकी प्रतिमा हटानेके लिए; देखिए पृष्ठ ५५-५८ तथा १२९-३१ भी।

२. गांधीजी २९ अक्टूबरको वमरुं आये और ३० को दिल्लीके लिए रवाना हो गये।

प्रश्न : यदि आपसे शाही आयोगका सदस्य बनानेका प्रस्ताव किया जाये तो क्या आप उसे स्वीकार कर लेंगे ?

उत्तर : यह प्रश्न मुझे पूछनेसे क्या लाभ ? इसी तरह एक बार मैंने यह कपोल-कल्पना की थी कि यदि मुझे भारतका वाइसराय नियुक्त कर दिया जाये तो मैं क्या करूँगा। लेकिन उस प्रकारकी कल्पनाएँ करनेके दिन बीत चुके हैं।

अन्तमें 'हेराल्ड' के प्रतिनिधिने पूछा : "देशकी व्याधियोंके एक अमोघ उपचारके रूपमें यह सुझाव दिया गया है कि आप राष्ट्रके लिए जो भी करना चाहें उस सबमें आपको तानाशाहके जैसे अधिकार दे दिये जाने चाहिए और आपको भारतका मुसोलिनी बननेके लिए राजी किया जाना चाहिए। आपके खयालसे यह हो जाये तो कैसा रहेगा ?"

गांधीजी इसपर खूब हँसे, और फिर पूरी गम्भीरतापूर्वक बोले :

मुझमें न तो मुसोलिनीकी जैसी महत्वाकांक्षा है और न मेरे पास वैसे अधिकार कभी हो सकते हैं। यदि मुझे जबरदस्ती तानाशाह बना ही दिया जाये तो मैं भारतीय मुसोलिनीके रूपमें बड़ा दयनीय सिद्ध होऊँगा। इसके अलावा, सामाजिक या अन्य किसी प्रकारका कोई सुचारु जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। दूसरे शब्दोंमें, आप लोगोको बलपूर्वक अच्छा नहीं बना सकते।

[ अंग्रेजीसे ]

अमृतबाजार पत्रिका, ३-११-१९२७

## १३३. टिप्पणी

### अनाथ

जिस भाषाका ऐसा कोई कोश न हो जिसे सब लोग स्वीकार करते हों और जिसमें उस भाषाके सारे शब्द मिल जाते हों उसे अनाथ ही कहना होगा। अंग्रेजी शब्दोंकी वर्तनीके लिए हमारे पास असंख्य साधन हैं। वृहत्कोशसे लगाकर जेबमें रखने लायक छोटे-छोटे और सस्ते अनेक कोश उसमें मिल सकते हैं और सबमें शब्दोंकी वर्तनी एक-जैसी मिलती है।

मेरा खयाल है कि हिन्दुस्तानकी दूसरी भाषाओंमें उन भाषाओंके लोक-स्वीकृत कोश विद्यमान हैं, उस दृष्टिसे गुजराती ही एक अनाथ भाषा ठहरती है। मैं गुजरातीके ऐसे एक भी शब्दकोशको नहीं जानता जो सर्वमान्य हो अथवा जिसमें सारे गुजराती शब्द मिल जाते हों। मैंने इस दिशामें अनेक बार प्रयत्न किया; किन्तु हर बार असफल हो गया।

कितने ही सेवक वर्षोंसे इस अभावको दूर करनेके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि वह प्रयत्न अब ठिकाने लगा है। उसकी खास जिम्मेदारी माई

नरहरि परीखने उठाई है। उसके प्रणेता काकासाहव कालेलकर है। जिन नियमोंका अनुमरण करके यह कोग तैयार किया जा रहा है उनमें जितने विद्वानोंकी सहमति ली जा सकती थी उन सब विद्वानोंकी सहमति ले ली गई है। कोश उनकी सहमति-सूचक सहीके साथ प्रकाशित होगा।

लेकिन जैसे-जैसे यह काम आगे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे ज्यादा मुश्किलें दिखाई पड़ रही हैं। उनमें से कुछको दूर करनेमें प्रत्येक भाषा-प्रेमी मदद दे सकता है। वह मदद किस प्रकारकी हो सकती है और किस तरह दी जानी चाहिए, उसका वर्णन पाठक भाषा प्रेमियोंके प्रति भाई नरहरि परीखके इसी अकमें प्रकाशित निवेदनमें देखेंगे। अनेक लोगोंकी मददके बिना यह काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो सकता। अतः मैं आशा करता हूँ कि सब लोग इसमें यथाशक्ति मदद करेंगे।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ३०-१०-१९२७

## १३४. पत्र : मीराबहनको

रविवार [ ३० अक्टूबर, १९२७ ]'

चि० मीरा,

तुम्हारे पत्रोंसे मुझे बड़ी सान्त्वना मिलती रही है, क्योंकि उनसे मुझे रोगियोंके सम्बन्धमें सब-कुछ मालूम होता रहा है। तुम रसोई घर अच्छी तरह साफ कर रही हो, इसकी मुझे खुशी है। पिछले सोमवारको मैंने पत्र लिखा तो था। अबतक वह तुम्हें मिल गया होगा। बाकी कल।

सप्रेम,

बापू

[ पुनश्च : ]

बापसी यात्रामें मैं एक दिनके लिए आश्रममें रुकनेकी आशा करता हूँ।

अग्नेजी (सी० डब्ल्यू० ५२९६) से।

सीजन्य : मीराबहन

१. तारीखका निर्धारण पत्रमें गांधीजीके आश्रममें प्रस्तावित विधामें तथा पहले लिखे गये पत्रके सन्दर्भसे किया गया है। पहले पत्रके लिए देखिए "पत्र : मीराबहनको", २४-१०-१९२७।



## १३५. पत्र : मीराबहनको

सोमवार [ ३१ अक्टूबर, १९२७ ]<sup>१</sup>

चि० मीरा,

यह पत्र चलती हुई और हिचकोले खाती हुई ट्रेनमें लिख रहा हूँ। यो आज मेरा मन कुछ भी लिखनेका नहीं है। अभी जब मैंने सोमवासरीय पत्र लिखना शुरू किया है, शामके ४ बज रहे हैं। मैं काफी नींद ले चुका हूँ और उतना ही समय दो मित्रोंकी बातें सुननेमें गया है।

मैं चाहता हूँ कि दुग्घालयों और पिंजरापोलोंमें तुमने जो-कुछ देखा वह सब मुझे बताओ तथा दसके नाम भी। लेकिन शायद अब तुम्हारे पास इतना समय नहीं होगा कि तुम जो उत्तर लिखो वह मुझे दिल्लीमें मिल सके। क्योंकि यदि २ तारीखको वाइसरायके साथ मेरी बातचीत पहली ही मेंटमें खत्म हो गई तो उसी दिन मेरे साबरमतीके लिए रवाना होनेकी आशा है। देखें क्या होता है। इस मेंटसे कोई खास परिणाम निकलनेकी आशा करनेका कुछ आधार नहीं दिखाई देता, लेकिन जो पहल हुई है, उसे मैं इसी कारणसे रद्द नहीं करूँगा।

मैं यह आशा कर रहा हूँ कि वहाँ आऊँगा तो सख्त बीमार पड़े उन दोनो रोगियोंको चंगा देख सकूँगा। तुम दोनोंपर दवाव डालो कि वे मुख्य रूपसे दूध ही लें और अपना पेट साफ रखें।

सस्नेह,

बापू

अंग्रजी (सी० डब्ल्यू० ५२९० ) से।

सीजन्य : मीराबहन

## १३६. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

सुदी ६ [ ३१ अक्टूबर, १९२७ ]<sup>१</sup>

बहनो,

एक पत्र स्याहीसे लिखनेका प्रयत्न किया। मगर ट्रेन इतनी तेजीसे और इतनी हिलती हुई चलती है कि स्याहीसे लिखा नहीं जा सकता और सोमवारका पत्र लिखना छोड़ा तो जा नहीं सकता।

१. तिथिका निर्धारण पिछले और अगले शीर्षकोंके पाठके आधारपर किया गया है।

२. तिथिका निश्चय पत्रमें आश्रमकी बहनोंके एकता-सम्बन्धी प्रयत्नों तथा गांधीजीके उनसे "दो-चार दिनमें" मिलनेकी आशाके उल्लेखसे किया गया है।

एक होनेके अपने प्रयत्न तुम कभी न छोडना। हमारी कोशिशमें ही सफलता है। शुभ प्रयत्न कभी बेकार नहीं जाते, यह भगवानकी प्रतिज्ञा है; और इमका थोड़ा-बहुत अनुभव हम सबको है। मण्डारका काम अब तुम छोड नहीं सकती। लिया हुआ काम धबराकर हरगिज न छोडना। धबराने या हारनेका कोई कारण ही नहीं है। दो-चार बहनोंको अनुभव हो जाये और वे कुशल बन जाये, तब तो कोई अडचन आनी ही न चाहिए। अगर धबराकर मण्डार छोडोगी तो दूसरा काम लेनेमें हमेशा हिचकिचा-ओगी। मतभेद, राग-द्वेषादिके होते हुए भी जो काम है सो तो होने ही चाहिए। जितना सब करे उससे कम तो हम हरगिज न करें।

वापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

दो-चार दिनमें मिलनेकी आज्ञा रखता हूँ।

गुजराती (जी० एन० ३६७३) की फोटो-नकलसे।

### १३७. पत्र : गंगाबहन झवेरीको

मौनवार, कार्तिक सुदी ६ [३१ अक्टूबर, १९२७]¹

चि० गंगाबहन झवेरी,

बच्ची और उसकी माँके बारेमें लिखा तुम्हारा पत्र मिला। झुलसनेका उपचार तो गंगाबहन³ ठीक-ठीक कर ही लेगी। डाक्टर परसे विश्वास उठ जाना तो अच्छा ही है; किन्तु यह विश्वास किसी [डाक्टर]की लापरवाहीके कारण नहीं उठना चाहिए। सार-सम्माल तो अपने-आपमें एक जुदा गुण है। अतः हम अपनेको उसीके हाथमें सौंपें जिसकी सार-सम्मालके बारेमें किसी तरहकी शंका न हो, और जिसपर हमारी श्रद्धा हो; इसके बाद फिर सब-कुछ ईश्वरकी इच्छापर छोड़ दें।

तुम प्रधानका पद छोड़नेके लिए अवीर मत बनो। मैं फिलहाल तो एक दिनके लिए ही आश्रम पहुँचूँगा। तब तुम विस्तारसे मुझे सब-कुछ बताना। तुम इस पदको अधिकार न मानकर जिम्मेवारी मानो। हम अपनी जिम्मेवारी तो कभी किसीपर नहीं डालते।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३१२४) की फोटो-नकलसे।

१. गंगाबहन झवेरी सितम्बर, १९२७ में आश्रमकी महिलाओंकी प्रधान चुनी गई थीं।

२. गंगाबहन वैद्य।

## १३८. पत्र : परशुराम मेहरोत्राको

मंगलवार, १ नवम्बर, १९२७

चि० परसराम,

तुमारा पत्र अभी मीला है। राजकिंगोरीके' आत्माको तो गांति हि है। तुमारे धीरज रखना। ईश्वर तुमको गांति और भक्ति दे।

वापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० २९७२ से।

सौजन्य : परशुराम मेहरोत्रा

## १३९. भाषण : जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्लीमें

२ नवम्बर, १९२७

जिन लड़कोंका अभी आपसे परिचय करवाया गया, वे मेरे मित्र और साथी कार्यकर्ता, स्वर्गीय अहमद मुहम्मद काछलियाके पौत्र हैं। वे मेरे लिए सगे भाइके समान थे। इन लड़कोंको देखकर मुझे सहज ही उनकी याद हो आई है और मैं समझता हूँ कि उनके बारेमें मुझे आपको कुछ बताना चाहिए। सत्याग्रहके दिनोंमें दक्षिण आफ्रिकामें जो हिन्दू और मुसलमान रहते थे, उनमें से एक भी भारतीय ऐसा नहीं था जो बहादुरी और ईमानदारीके मामलेमें काछलियाकी बराबरी कर सके। उन्होंने अपने देशके सम्मान और प्रतिष्ठाकी खातिर अपना सब-कुछ बलिदान कर दिया। उन्होंने न अपने व्यापारकी चिन्ता की और न अपनी सम्पदाकी और न मित्रोंकी ही, और तन-मनसे वे संघर्षमें कूद पड़े। उन दिनोंमें भी हिन्दू-मुस्लिम तकरारें जब-तब होती थीं, लेकिन काछलियाने दोनोंको तुलापर समान रूपसे रखा। किसीने उनपर अपने सम्प्रदायके साथ पक्षपात करनेका आरोप कभी नहीं लगाया।

और उन्होंने देशभक्ति और सहिष्णुताका यह महान गुण किसी स्कूलमें या इंग्लैंडमें नहीं, बल्कि अपने ही घरमें सीखा था, क्योंकि वे तो गुजराती भी कठिनाईमें लिख पाते थे। वकीलोंके तर्कोंका वे जिस प्रकार उत्तर देते थे उसे देखकर वे आश्चर्य करते थे, और उनकी सामान्य विवेक-बुद्धि अकसर वकीलोंके लिए बड़ी कामकी होती थी। उन्होंने ही सत्याग्रहियोंका नेतृत्व किया, और काम करते हुए ही शरीर-त्याग

१. परशुराम मेहरोत्राकी पत्नी जिनकी हालमें ही मृत्यु हुई थी।

किया।<sup>१</sup> उनके अली नामक एक बेटा था, जिसे उन्होंने मेरी देख-रेखमें माँप दिया था। ग्यारह वर्षीय यह बालक अद्भुत सयत और निष्ठावान मुसलमान था। रमजानके पवित्र महीनेमें वह एक दिनका भी रोजा नहीं छोड़ता था। और फिर भी उनके मनमें हिन्दू लड़कोंके लिए कोई दुर्भाव नहीं था। आज तो दोनों ममुदायोंके लोगोंकी तथाकथित धार्मिक निष्ठावादिता अन्य धर्मोंके प्रति यदि घृणा नहीं तो कमसे-कम दुर्भावका पर्याय बन गई है। अलीके मनमें ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, कोई घृणा नहीं थी। मेरे लिए पिता और पुत्र, दोनों आदर्श व्यक्ति हैं, और ईश्वर करे कि आप उनके उदाहरणसे अनुप्रेरित हो।

उन दिनोंमें, जब हिन्दू और मुसलमान एक प्रतीत होते थे तथा एक-दूसरेके लिए और अपने देशके लिए अपना खून बहानेको तैयार थे, मैंने छात्रोंसे सरकारी स्कूल और कालेज छोड़नेकी अपील की थी। इतने वर्षोंके बाद भी उन लड़कोंसे उन शिक्षण-संस्थाओंसे निकल आनेके लिए कहनेका मुझे कोई दुःख नहीं है, और मेरा दृढ मत है कि जिन लड़कोंने मेरी अपीलके जवाबमें स्कूल-कालेज छोड़े उन्होंने अपनी मातृभूमिकी सेवा की, और मुझे विश्वास है कि भारतके भावी इतिहासकार उनके त्यागका सराहनापूर्वक उल्लेख करेंगे।<sup>२</sup>

लेकिन दुःखकी बात है कि आज ऐसे मुसलमान हैं जो मसजिदमें जाकर नमाज पढ़ते हैं, और ऐसे हिन्दू हैं जो मन्दिरोंमें जाते हैं और पूजा करते हैं, और फिर भी ये दोनों एक-दूसरेके प्रति घृणासे भरे हुए हैं। वे सोचने लगे हैं कि मसजिद या मन्दिरमें जानेके मतलब है कि हमें एक-दूसरेसे घृणा करनी चाहिए। लेकिन अली, बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति होते हुए भी ऐसा कभी नहीं सोचता था। मैंने यह कहानी आपको सिर्फ इसलिए सुनाई है कि मैं चाहता हूँ कि आपमें से प्रत्येक व्यक्ति महान काछ-लिया और उनके प्यारे पुत्र अलीकी तरह सच्चा देशभक्त बने। मैं ईश्वरमें प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको उन दोनोंके जैसा नेक दिल दे।

हकीमजीने आपको उस स्मरणीय दिवस (११ अक्टूबर, १९२०) की याद दिलाई है जब हिन्दुओं और मुसलमानोंने अपने मतभेदोंको भुला दिया था और हमेशाके लिए एक हो गये थे, जब सारे भारतमें छात्रोंको आमन्त्रित किया गया था कि वे सरकारी या सरकारी सहायता-प्राप्त शिक्षण-संस्थाओंको छोड़कर निकल आये। मैं जानता हूँ कि यह निमन्त्रण देनेमें मेरा बहुत हाथ था, लेकिन मैं साहसके साथ कहता हूँ कि सात साल बाद भी मुझे उसका कोई दुःख नहीं है और न मैं सोचता हूँ कि वैसा करके मैंने कोई बड़ी भूल की थी। मेरा विश्वास है कि जिन्होंने सरकारी स्कूलोंमें पढाई छोड़ दी थी, उन्होंने देशकी बड़ी सेवा की थी। मुझे निश्चय है कि जब भारतके उस कालका इतिहास लिखा जायेगा तो निःसन्देह इतिहासकारको

१. ३३ जगद् हकीम अजमलखाने कहा कि गांधीजीकी आवाज भीमी होनेके कारण मुनाई नहीं पढ़ रही है, अतः मौलाना मुहम्मद अलीसे कहा जाये कि गांधीजी जो बोलें उसे एक-एक वाक्य करके दोहराते जायें। ३३सर मुहम्मद अलीने संज्ञेयमें गांधीजीके अवतकके भाषणका सार बताया।

२. इसके बादके दो अनुच्छेद हिन्दुस्तान टाइम्ससे लिये गये हैं।

लिखना पडेगा कि जिन लोगोंने सरकारी संस्थाओंका बहिष्कार किया था, उन्होंने अपना और अपने देशका बहुत भला किया था।

मुझे उन शानदार दिनोंके कुछ चिह्न यहाँ देखकर खुशी हो रही है, और मुझे बहुत हर्ष है कि आप झंडेको ऊँचा रखनेका पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। आपकी संख्या थोड़ी है, लेकिन संसारमें अच्छे और सच्चे व्यक्तियोंकी संख्या बहुत ज्यादा कभी नहीं रही है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप संख्या थोड़ी होनेकी चिन्ता न करें, बल्कि याद रखें कि आप कितने ही थोड़े हों, लेकिन देशकी स्वतन्त्रता आपपर निर्भर है। स्वतन्त्रताका आपके किताबी ज्ञान प्राप्त करने या यन्त्रवत तकली चलाने-मात्रसे भी कोई वास्ता नहीं है। अगर आपमें वे सब चीजें नहीं हैं जो भारतकी स्वतन्त्रताके लिए आवश्यक हैं तो मैं नहीं जानता कि और किसमें हैं। वे चीजें हैं ईश्वरका भय मानना और किसी भी मनुष्यसे या साम्राज्य कहलानेवाले बहुतसे मनुष्योंके संगठनसे न डरना। यदि इन दो चीजोंकी शिक्षा इस संस्थामें नहीं प्राप्त की जा सकती तो मैं नहीं जानता कि और कहाँ की जा सकती है। लेकिन मैं आपके प्रोफेसरोंको जानता हूँ, मैं हकीम साहबको जानता हूँ, और मुझे विश्वास है कि यहाँ ये दो बुनियादी चीजें बहुत सावधानीके साथ सिखाई जा रही हैं।

आपकी संस्थाकी असन्तोषजनक आर्थिक स्थितिकी मैं परवाह नहीं करता। तथ्य तो यह है कि मुझे खुशी है कि हम कठिनाईके साथ गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि तब हम अपने रचयिताको और सच्चे मनसे याद करेंगे और उससे डरेंगे।

महात्माजीने इस तथ्यपर बहुत जोर दिया कि यदि विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहा है तो आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर आपको धन दे देगा।

हकीमजीकी यह बात बिलकुल ठीक है कि मेरे लिए दिल्ली आना मुश्किल था। लेकिन आपके पास आना मेरे लिए बड़ी सान्त्वना और राहत देनेवाली चीज थी। मैं आपको खुश करनेके लिए नहीं, खुद अपनेको खुशी देनेके लिए यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्यसे आया हूँ, और वह है आपको यह बताना कि आपकी मिलियाके वाहर जो घृणा और जहरका ववण्डर चल रहा है, हिन्दू और मुसलमान जो एक-दूसरेके खूनके प्यासे हो रहे हैं, उन सबके वावजूद, आप लडके लोग यहाँ अपने दिमाग ठंडे रखेंगे, अपने रचयितासे विमुख न होंगे, अपने दिलोंमें घृणाको कोई स्थान न देंगे, तथा अपने देश और देशके धर्मोंको विनाशकी राहपर जाते देखकर मनमें भी खुश न होंगे। यही एक आशा है जो मुझे आपके पास खींच लाई है।

आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने खादी या तकलीके बारेमें कुछ नहीं कहा है। उसकी वजह यह है कि जिन दो बुनियादी गुणोंके बारेमें मैंने आपसे बात की है, उनके सामने खादी और तकली भी कुछ नहीं हैं। आप तकली चला सकते हैं और खादी पहन सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे जो चीजें करनेको कहा है, यदि आप उन्हें

नहीं करते तो आपकी खादी और तकली व्यर्थ होगी। लेकिन मुझे विद्वानों का है कि हकीम साहबने आपसे न्यायी पहननेकी आवश्यकताके बारेमें जो-कुछ बताया है, उसे आप भूलेंगे नहीं। आप यह बात ध्यानमें रखेंगे कि न्यायीके जरिये ही हम आज सैकड़ों बुराई, धोखे, बहसों आदिके अलावा ५०,००० कर्तव्योंको रोजी दे रहे हैं। यह मत भूलिए कि इनमें बहुत-से मुसलमान हैं। चरखेके बिना कई जगहोंपर मुसलमान औरतें भूखी मर रही होती। खादी पहननेके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिसके जरिये आप गरीब हिन्दुओं और मुसलमानोंके साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर सकें।

इसके बाद महात्माजी चरित्र-निर्माणकी अनिवार्य आवश्यकताके विषयमें बड़ी उत्कण्ठतासे बोले। उन्होंने कहा :

देशमें अपने दीरोंमें मैं हजारों छात्रोंसे मिलता हूँ। मैं देखता हूँ कि वे मही और गन्दी आदतोंमें फँसे हुए हैं। उनकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी उन्हें जानते हैं। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको उन गन्दे कामोंसे बचाये। जब मनुष्य अपने हाथ, आँखों और अपने दिमागको गन्दा कर लेता है तो वह मनुष्य नहीं रह जाता, बल्कि पशु बन जाता है।<sup>१</sup>

हाथ, दिमाग या आँखोंसे कोई बुरा काम करनेसे आपको हमेशा बचना चाहिए। यदि हम सच्चे वीर पुरुष बनना चाहते हैं तो हमें सभी स्त्रियोंको उनकी आयुके हिसाबसे अपनी माँ, बहन या बेटी मानना चाहिए। किसी स्त्रीपर बुरी नजर न डालिए। हमें स्त्रियोंके सम्मानकी रक्षाके लिए मरनेको तैयार रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि लोग आजकल इस कर्तव्यको भूलते जाते हैं। मैं ईश्वरसे एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको इस बुराईमें बचाये।<sup>२</sup>

और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने-आपको शुद्ध और स्वच्छ रखें, प्राणोंकी कीमतपर भी अपने बचनको निम्नाना सीखें, और मैंने जो दृष्टान्त आपके सामने दिये हैं, उनकी याद अपने दिलोंमें हमेशा ताजा रखें।

अन्तमें महात्माजीने छात्रोंको थैलीके लिए धन्यवाद दिया और यह कामना व्यक्त की कि उनका विश्वविद्यालय दीर्घजीवी हो और भारतकी आजादीका केन्द्र बने।<sup>३</sup>

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १०-११-१९२७

हिन्दुस्तान टाइम्स, ४-११-१९२७

## १४०. स्वयंको बदलनेकी आवश्यकता

लोकमान्यने हमें अपना सन्देश चार सीधे-सादे शब्दोंमें दिया था। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इस सिद्धान्तमें शंका है कि स्वराज्य उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है—उसी प्रकार जिस प्रकार कुछ लोग ईश्वरके अस्तित्वमें शंका करते हैं। अतः स्वराज्य आन्दोलन हमें इस बातकी प्रतीति करानेका आन्दोलन है कि स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है। स्वयंको बदलनेकी आवश्यकताका स्मरण दिलानेवाली बहुत-सी चीजें हमारे बीच पहले ही मौजूद हैं, लेकिन नीलकी प्रतिमा-सम्बन्धी सत्याग्रहपर मद्रास विधान परिषदमें हुई बहस मानो हमारी आँखमें अँगुली डालकर हमें इस आवश्यकताकी याद दिलाती है। इस विक्षोभकारी प्रतिमाको हटानेकी माँग करनेवाला निर्दोष प्रस्ताव भारी बहुमतसे अस्वीकार कर दिया गया। कुछ निर्भीक लोगोको छोड़कर लगभग सभी भारतीय सदस्योंने इस प्रस्तावके विरुद्ध मत दिये। इस प्रस्तावपर हुई बहससे स्वराज्यवादी मनोवृत्ति तथा अन्य सभी प्रकारकी मनोवृत्तियोंके बीचके प्रखर अन्तर स्पष्ट हो गये। यह मतदान और बहस इस तथ्यका ताजा उदाहरण है कि स्वराज्यमें जो विलम्ब हो रहा है, वह अंग्रेज "शासकों" की हठवर्षिताके कारण उतना नहीं है, जितना कि इस कारण है कि हम अपने दर्जको पहचानने और उसके लिए काम करनेसे इनकार करते हैं। नीलकी प्रतिमाको हटानेके लिए होनेवाला यह आन्दोलन, मेरी विनम्र रायमें, हमारे लक्ष्यकी दिशामें एक कदम है। मैं नीलकी प्रतिमाको हमारी गुलामीका प्रतीक मानता हूँ, और राष्ट्रीय स्वामिमानकी माँग है कि इसे तथा ऐसे प्रत्येक प्रतीकको हटा दिया जाये। यह आन्दोलन इस तथ्यके कारण और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि इसका लक्ष्य कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है। जब करोड़ों भारतीय केवल स्वामिमानकी रक्षाके लिए एक होकर अपनेको बलिदान करनेको तैयार हो जायेंगे तो स्वराज्य आसानीसे प्राप्त किया जा सकेगा। यूनियन जैकका अपमान होनेपर कोई अंग्रेज व्यक्तिगत तौरपर अपमानित क्यों अनुभव करता है और इस अपमानके विरुद्ध रोष प्रकट करनेकी कोशिशमें वह किसलिए अपनी जान भी दे देगा? यह कोई ऐसी भावना नहीं है जिसका तिरस्कार किया जाये या जिसे दबाया जाये। अपने झण्डेका अपमान होनेपर क्रोधव्यक्त करनेके लिए वह जो तरीका अपनाता है वह निःसन्देह अक्सर बर्बर तरीका होता है, लेकिन यदि वह इस भावनाको छोड़ दे, तो वह अपनी राष्ट्रीय एकता और जिस राष्ट्रका वह सदस्य है, उस राष्ट्रके लिए अपने-आपको उत्सर्ग कर देनेकी क्षमता खो बैठेगा। इसी प्रकार यदि हमें अपने जन्म-सिद्ध अधिकारकी प्रतीति होती तो हमारे लिए यह जानना गर्वकी बात होती कि ऐसे भी नवयुवक हैं जिन्हें हमारे बीच एक ऐसी प्रतिमाके होनेपर एतराज है जिम्का होना राष्ट्रके लिए अपमानजनक है। बहसमें भाग लेनेवाले कई भारतीय सदस्योंने ऐसी प्रतीति या गर्वका कोई परिचय नहीं दिया। उनके लिए राष्ट्रकी लड़ाई लड़नेवाले ये नौजवान अज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनका आचरण केवल निन्दाके योग्य ही है। उन्हें

[नीलकी] प्रतिमाके एक ऐसे प्रमुख सार्वजनिक स्थलपर मौजूद रहनेमें कोई बुराई नहीं नजर आती जहाँ केवल उन राष्ट्रीय नायकोंकी प्रतिमाएँ होनी चाहिए जिनका जीवन राष्ट्रको अनुप्रेरित करेगा और उदात्त बनायेगा।

यह बात बहुत स्पष्ट करनेकी जरूरत नहीं है कि यह सत्याग्रह व्यक्तिगत रूपमें जनरल नीलके विरुद्ध नहीं है। 'आतक' के साम्राज्यको स्थायित्व प्रदान करनेके उद्देश्य से यदि जनरल नीलकी जगह जनरल वीरसिंहकी प्रतिमा खड़ी की गई होती तो भी यह सत्याग्रह उतना ही उचित और आवश्यक होता।

बहुसंके दौरान यूरोपीयोंकी ओरसे प्रतिमाका एक बचाव पेश किया गया था। उसे काफी सावधानीके साथ, सयत और युक्तियुक्त शब्दोंमें रखा गया था। तथापि उससे यूरोपीय मनोवृत्ति झलकती थी। जनरल नील जिस चीजके प्रतीक थे, वह साम्राज्यको बचानेके लिए आवश्यक थी। और जनरल नीलके दुष्कृत्योंको ढँकनेके लिए उनका बचाव करनेवालेके लिए यह जरूरी हो गया कि वह 'द अदर साइड ऑफ द मेडल' ('तसवीरका दूसरा पहलू') के लेखक श्री टॉमसनको पागल करार दे दें और एक धिनीना अभिनन्दनपत्र कहींसे खोज निकाले जिसे गदरके दो वर्ष बाद मद्रासके ११० हिन्दुओंने जनरल नीलकी रेजीमेंटको प्रदान किया था। जिन परिस्थितियोंमें यह अभिनन्दनपत्र दिया गया था, उनका पता चलानेका मेरे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन मुझे इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं लगती कि ऐसा एक अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया। क्योंकि हालकी घटनाओंमें से भी ऐसे दृष्टान्त दिये जा सकते हैं। क्या जनरल डायरको स्वयं अमृतसरमें ही इसी प्रकारका एक अभिनन्दनपत्र नहीं भेंट किया गया था? और यह आश्चर्यकी बात होगी कि यदि आज भी सर माइकेल ओ'डायर भारत लौटें और अच्छे शासनके हितमें जरूरी समझा जाये तो उन्हें एक अभिनन्दनपत्र भेंट करनेके लिए ११० भारतीय न मिले। क्या हमारे ही समयमें अत्यन्त अलोकप्रिय वाइसरायोंको भी अभिनन्दनपत्र और ट्राफियाँ नहीं प्राप्त हुई हैं?

यह बड़े ही दुःखकी बात है कि अंग्रेज लोग भारतीयोंकी उन भावनाओंकी सराहना करने लगते हैं जिन्हें यदि कोई अंग्रेज व्यक्त करे तो वे स्वयं गर्मिन्दा होंगे। मुझे याद है कि एक सम्मेलनमें राजमन्त्रिसे सम्बन्धित एक प्रस्तावपर बोलते हुए एक विद्वान भारतीयने यह कहा कि वे प्रत्येक अंग्रेजको अपना शिक्षक मानते हैं और वे जो-कुछ है, सब ब्रिटेनकी दयासे ही बने हैं, तो एक गवर्नरकी पत्नीने सबसे पहले जोरसे तालियाँ बजाई थी। मद्रासमें जो-कुछ हुआ, वह कुछ इसी ढंगकी चीज थी और इससे मुझे दुःख हुआ।

लेकिन मद्रास विधान परिषदमें जो विपरीत फैसला हुआ, उसमें आतंकवादके प्रतीकोंके विरुद्ध सघर्ष करनेवाले नवयुवकोंको निरुत्साह नहीं होना चाहिए। उन्हें आन्दोलनका इस समय विरोध करनेवाले अंग्रेजों या भारतीयोंके विरुद्ध क्रोध नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने-आपमें और अपने उद्देश्यमें विश्वास होना चाहिए। यदि उनका यह विश्वास बना रहा तो वे एक दिन उन्हीं लोगोंको अपनी ओर कर लेंगे



२२०

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

जो आज उनका विरोध कर रहे हैं। जिस आन्दोलनकी उन्होंने बुनियाद डाली है, उसे यदि वे त्रिलकुल अहिंसात्मक और निर्धारित मर्यादाके अन्दर रखेंगे तो वह सफल होकर रहेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३-११-१९२७

### १४१. तार : मीठूवहन पेटिटको

३ नवम्बर, १९२७

मीठूवहन पेटिट  
वम्बई

आज रात अहमदाबादमे वम्बई के लिए रवाना हो रहा हूँ। पाँच की शामको कोलम्बो रवाना होऊँगा।

अंग्रेजी (एस० एन० १२८३८) की माइक्रोफिल्मसे।

### १४२. तार : सोमसुन्दरम्को

५ नवम्बर, १९२७

सोमसुन्दरम्  
प्रोक्टर  
८९, डैम स्ट्रीट  
कोलम्बो

ब्रिटिश इंडिया मालवाहक जहाजसे कल सुबह तड़के रवाना हो रहा हूँ। लगभग दस तारीखतक पहुँचूँगा।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १२८३८) की माइक्रोफिल्मसे।

## १४३. तार : जालरस्टको

५ नवम्बर, १९२७

जालरस्ट<sup>१</sup>  
बम्बई

आज रात गुजरात मेलसे रवाना हो रहा हूँ। ग्रान्ट रोड स्टेशनपर मिलो। स्टेशनसे सीधा कोलम्बो जानेके लिए जहाज पकड़ने चला जाऊँगा।

अग्नेजी (एस० एन० १२८३८) की माइक्रोफिल्मसे।

## १४४. तार : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

५ नवम्बर, १९२७

च० राजगोपालाचारी  
गाची आश्रम  
तिरुचेङ्गोडु

कल सवेरे तड़के जहाजसे रवाना हो रहा हूँ। लगभग दसको कोलम्बो पहुँचूँगा। कोलम्बो तार दें। लक्ष्मीको साथ लायें।

वापू

अग्नेजी (एस० एन० १२८३८) की माइक्रोफिल्मसे।

## १४५. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

बम्बई

रविवार [६ नवम्बर, १९२७]<sup>२</sup>

माई घनश्यामदासजी,

आपका पत्र मीला है। अनायास ही मीला। क्योकी जिस जहाजमें मैं जानेवाला था वह रुक गया।<sup>१</sup> अच्छा हुआ।

१. सम्भवतः जालमाई और रुस्तमजीकी फर्म।
२. लंका जानेवाले जहाजने रुक जानेके उल्टेखसे।
३. देखिय अगला शीपैरु।

‘मारवाड़ी व्याज’ प्रयोगसे दुःख लगना नहीं चाहिये था। लगा तो मेरे जैनेके तो उसी समय कह देना चाहिये था। मैंने तो उस शब्दका प्रयोग केवल विनोदमें ही किया था। काठीयावाड़ी शब्दका प्रयोग मैं बुरे अर्थमें बहोत करता हूँ। काठीयावाड़ीका अर्थ खरपटीलुच्चा ऐसे होता है। इसका अर्थ यह तो नहीं है की मैं भी ऐसा हूँ। आपके प्रेमके वश होकर मैं विनोदमें भी आप चाहें तो मारवाड़ी शब्दका बुरे अर्थमें प्रयोग नहीं करूँगा। परंतु मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे शब्दप्रयोगसे न डरें। ‘व्हॅन ग्रीक मीट्स ग्रीक’ का प्रयोग प्रत्यात है। इससे कोई ग्रीक मात्रको दगावाप्त नहीं समझेगा।

आपके जाननेके लिये मैं लिखता हूँ की गूजरातमें भी अयोग्य और निर्दय मूढ लेनेवाले बहोत हैं। मारवाड़ी अच्छे हो या बुरे आप तो शरीरमें अच्छे बन जायँ जैसे हृदयसे हैं; और मारवाड़ीकी आहुती भारतवर्षके यज्ञमें कर दें।

आपका,  
मोहनदास

११-२१ कोलम्बो<sup>१</sup>

२२-२५ यात्रा<sup>२</sup>

सी० डब्ल्यू० ६१५० से।

सौजन्य : घनश्यामदास विड़ला

## १४६. पत्र : मीराबहनको

६ नवम्बर, १९२७

वि० मीरा,

‘मेरे मन कल्लू और है, विघनाके कल्लू और’। बम्बई पहुँचनेपर शान्तिकुमारने बड़े इत्मीनानसे मुझे बताया कि जहाज आज नहीं जा रहा है, कल जायेगा। इसमें उनका कोई दोष नहीं था। उन्हें स्वयं इतनी देरसे इस स्थगनका पता चला कि मुझे सूचित नहीं कर सके। मैं चाहता तो आज रेलगाड़ीसे चल सकता था। लेकिन मैं एक दिनके विलम्बमें हर्ज नहीं समझता। स्टीमर ९ या १० तारीखको तूतीकोरिन पहुँचेगा।

मुझे आशा है कि तुम पूरी तरह सुचित हो और तुमने कृष्णदासके साथ सबकुछ साफ कर लिया है। मैं कल भणसालीके साथ अपनी बातचीतसे सन्तुष्ट नहीं हूँ। उसकी आँखें और भाव-मंगिमा बदल गई हैं। वह बहुत भ्रममनसाहत और

१. मूलमें यह अंग्रेजी लिपिमें लिखा था।

२ व ३. मूलमें अङ्कड़े हिन्दीमें तथा शब्द अंग्रेजीमें लिखे थे।

मृदुतामे पेश आया, लेकिन उनके ढगमे कुछ अजीबपन और एक अस्वामाविकता थी जिससे मुझे कष्ट हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे सम्पर्क बढ़ाओ और इस अशान्त मन-स्थितिमे निकलनेमें उसकी मदद करो। लेकिन उसके साथ बहुत स्नेह और सावधानीका व्यवहार करनेकी जरूरत है।

मैं कल (सोमवारको) शायद नहीं लिखूंगा, क्योंकि [स्टीमर] कहीं रुकेगा नहीं जहाँसे पत्र डाकमे डाला जा सके। पत्रोंके उत्तर देनेका काम पूरा करनेके लिए आज मैंने विशेष रूपसे मौन रखा है।

सस्नेह,

बापू

अग्नेजी (सी० डब्ल्यू० ५२९१) से।

सौजन्य : मीराबहन

## १४७. पत्र : मणिलाल व सुशीला गांधीको

६ नवम्बर, १९२७

चि० मणिलाल व सुशीला,

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं, किन्तु इन्हे मैं व्यवहार बनाये रखने या वचनका पालन करनेके लिए लिखे गये पत्र मानता हूँ। मैं अपने वजुर्गोंको जो पत्र लिखता था वे इस तरह नहीं लिखता था बल्कि उन पत्रोंमें मैं अपने रहन-सहनका विवरण दिया करता था। ३२ वर्षकी मीराबहन आज भी हफ्तेमें दो-चार पत्र लिख पाती है, वे भी १०-१०, २०-२०, पत्रोंके होते हैं। वह अपनी माँको भी हर हफ्ते जो पत्र लिखती है उसमें भी वह अपना कलेजा निकालकर रख देती है। तुम दोनोंमें से किसी एकको तो समय मिलना ही चाहिए। तुम्हारा प्रेस कैसा चल रहा है, तुम्हागी क्या-क्या दिक्कतें हैं, तुम्हारा खर्च बढ़ा या घटा, अखवारके कितने ग्राहक हैं आदि बहुत-सी बातोंके बारेमें तुम यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो; और यदि चाहो तो वहाँकी सामाजिक और राजनैतिक स्थितिका हाल भी लिख सकते हो जिसका मैं यथासमय उपयोग भी कर सकता हूँ।

मुशीला क्यों पनप नहीं पा रही है? क्या वह खुराक पचा लेती है? क्या खाती है? कितना दूध पीती है? तुम्हें गायका ताजा दूध मिल पाता है न? आजकल सुशीला प्रेसमें कितना काम कर पाती है?

मैं शायद इस वारकी डाक चुक जाता; किन्तु भगवानने वचा ही दिया। आज ही मुझे समुद्री रास्तेसे कोलम्बोके लिए रवाना होना था। वहाँमे मैं दक्षिण आफ्रिका-मेल नहीं पकड़ सकता था। आज रविवार है और मेल दुधवारको चलता है।

सोरावजी और उनकी बहू आज यहाँ पहुँच गये और मेरा आशीर्वाद ले गये। विवाह १८ तारीखको होगा। हरिलालके वारेमें बहुत-कुछ लिखता किन्तु आज मैं इसमें वक्त खर्च नहीं करना चाहता।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७२७) की फोटो-नकलसे।

### १४८. सन्देश : लंकाकी जनताको

[७ नवम्बर, १९२७ या उससे पूर्व]

हालाँकि मैं लंका दरिद्रनारायणके एक आत्म-नियुक्त प्रतिनिधिकी हैसियतसे जा रहा हूँ और इसीलिए शिक्षापात्रके भरनेकी मुझे काफी आशा है, फिर भी इस ऐतिहासिक द्वीपकी यात्रा करनेकी मेरी बहुत समयसे अभिलाषा थी। १९०१ में वहाँ मैं लगभग पहुँच ही गया था, लेकिन ईश्वरको कुछ और मंजूर था। मैं एक श्रमिक हूँ और लंकाके उन श्रमिकोंसे मिलकर मुझे खुशी होगी, जिनके कारण लंका अपनी वर्तमान स्थितिमें पहुँच सका है।

[अंग्रेजीसे]

सीलोन ऑक्टोबर, ७-११-१९२७

### १४९. तार : एन० आर० मलकानीको

दम्बई

७ नवम्बर, १९२७

प्रोफेसर मलकानी  
नेशनल कालेज  
हैदराबाद (सिन्ध)

यदि थडानी मुक्त कर दें तो तुम सारा ध्यान [वाढ़-पीड़ितोंको] राहत देनेके कामपर लगाओ।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ८८०) की फोटो-नकलसे।

## १५०. पत्र : मीरावहनको

७ नवम्बर, १९२७

चि० मीरा,

हालाँकि कुछ कहनेको नहीं है, लेकिन हर सोमवारको तुम्हें लिखनेकी अपनी आवतको मैं तोड़ना नहीं चाहता।

मैं मान रहा हूँ कि दुग्ध-शालाओंके बारेमें तुम जो पुस्तके पढ़ रही हो, उनमें से नोट ले रही हो। अब जब तुम उसी काममें लग गई हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस क्षेत्रमें विशेषज्ञ बन जाओ। अगर तुमसे सघ सके तो तुम्हें आँकड़ोपर भी पूरा कमाल हासिल करना होगा। वस इतना ध्यान रहे कि इस चीजको लेकर या किसी चीजको लेकर अपनेको परेशान मत करना—उतना ही करना जितना आसानीसे कर सको।

तुम छोटेलालसे सम्पर्क बढ़ाओ। उसे अपने अटपटे स्वभाव और अपनी निराश मनःस्थितिसे छुटकारा पाना ही चाहिए। उसका व्यक्तित्व अब खुलना चाहिए।

पारनेरकरके द्वार-द्वार वीमार पड़नेके कारणका भी पता चलाओ। यदि उसे काफ़ी काम करना है तो उसे स्वस्थ रहना चाहिए।

सस्नेह,

बापू

[पुनश्च :]

समुद्र-यात्रा बड़ी आनन्ददायक है।

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२९२)से।

सौजन्य : मीरावहन

## १५१. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदीको

७ नवम्बर, १९२७

भाई बनारसीदासजी,

आपके दो पत्र मीले थे परंतु मुसाफरीके कारण इससे आगे मैं उत्तर न लिख सका ।

अब कुछ स्थायी काम ले लीया है उसमें मुझे वहीत अच्छा लगता है ।

गेरीसनकी जीवनी जो आश्रममें है उसको भेजनेका मैं आश्रममें लीखता हूं । उपयोग होनेके बाद आप वापिस भेज देगे ।

आपका,  
मोहनदास

[पुनश्च :]

अफरीका जानेका छोड़ दीया उचित हुआ है ।

पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी

९१, अपर सरकुलर रोड

कलकत्ता<sup>१</sup>

जी० एन० २५५८ की फोटो-नकलसे ।

## १५२. पत्र : तुलसी मेहरको

कार्तिक शुक्ल १३ [७ नवम्बर, १९२७]

चि० तुलसी मेहर,

नव वर्षका तुम्हारा खत अभी पढ़ने पाया । लंका जाती हुई जहाजमें हम सब हैं । साथ काका साहेब भी हैं । तुमारा कार्य अच्छा चलता हुआ देखकर और तुमारी प्रसन्नता देखकर मुझे बड़ा आनन्द होता है । लंकामें कुछ दो हफ्ते होंगे । उसके बाद उत्कल और पीछे मद्रास और जानेवारीमें आश्रम । मैं आश्रममें दो दिन रह आया ।

१. मूलमें पता अंग्रेजीमें लिखा था ।

२. लंकाकी पत्राके उल्लेखसे ।

मलेरियाका जोर कुछ मालुम होता है। देवदासकी हरसका ऑपरेशन कराया अब अच्छा है।

वापुके आशीर्वाद

श्री तुलसी मेहर  
चर्खा प्रचारक  
नैपाल

जी० एन० ६५३२ की फोटो-नकलसे।

### १५३. पत्र : गंगावहन वैद्यको

सोमवार [७ नवम्बर, १९२७]'

चि० गंगावहन (बड़ी),

मुझे गाडीमें अचानक रमीवहन मिल गई। वह महेमदावादसे नडियाद तक मेरे साथ ही आई और लगातार तुम्हारे वारेमें ही बातें करती रही। उसे इस बातका दुःख है कि तुम बच्चोको नहीं सम्मालती। मैंने कहा कि यदि गंगावहनको उसकी शर्तपर बच्चे सौप दिये जायें तथा उसके काममें कोई दखल न दे तो वह बच्चोको अवश्य सम्माल लेगी। मेरे इतना कहनेपर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रमीवहनको तुम पत्र तो लिखती ही होगी। उसकी भावनाएँ शुद्ध हैं। आजकल वह अक्षरज्ञान प्राप्त करनेमें जुटी हुई है।

तुमपर जो जिम्मेदारी आ पड़ी है उससे जरा भी विचलित मत होना। तुमने अबतक जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है उसकी परीक्षा इसी समय होगी। तुम शान्ति, धैर्य तथा उदारतासे सभी कठिनाइयोको दूर कर सकोगी। जैसे अकेला समुद्र भी नदियोको अपनेमें समा लेता है, उन्हें शुद्ध करता है और फिर उसी पानीको लौटा देता है, उसी प्रकार यदि तुम अकेली ही समुद्रके समान बन जाओ तो सभीको आश्रय दे सकोगी। जैसे समुद्र अच्छी और बुरी नदियोमें भेद न करके सभी को शुद्ध करता है उसी प्रकार जिसका हृदय अहिंसा और सत्यके द्वारा शुद्ध होकर विशाल बन गया है, ऐसे एक ही व्यक्तिके हृदयमें सब समा जाते हैं, तिसपर भी वह न तो उफनता है और न उसमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न हो पाता है। तुम्हें ऐसा ही बनना है, यह याद रखना।

वापुके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८७०६) से।

सौजन्य : गंगावहन वैद्य

१. धापुना पत्रो-६ : गं० स्य० गंगावहनेने के आधारपर।



## १५४. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

मौनवार, ७ नवम्बर, १९२७

बहनो,

यह पत्र जहाजमें लिख रहा हूँ। डाकमें तो दो दिन बाद डाला जायेगा, लेकिन मेरी आदत तुम्हें सोमवारको ही लिखनेकी है इसलिए आज ही लिख डालता हूँ।

इस बार आश्रममें दो दिन खूब काममें वीते। थकावटके बावजूद आश्रम छोड़ना अच्छा न लगा।

तुम देखती होगी कि तुम सबकी जिम्मेदारी दिन-दिन बढ़ती जा रही है। किन्तु किसीको घबराना नहीं चाहिए। कर्त्तव्य-परायण बनी रहना और अशान्तिमें भी शान्ति प्राप्त करना सीखना। हमारा आनन्द हमारे धर्म-पालनमें हो, कार्यकी सफलता या परिस्थितियोंकी अनुकूलतामें नहीं। नरार्सह मेहताने कहा है :

नीपजे नरथी तो कोई नव रहे दुखी

शत्रु मारीने सह मित्र राखे ।'

मगर मनुष्य तो रंक प्राणी है। वह राजा तभी होता है जब कि वह अहंकारको छोड़कर ईश्वरमय हो जाता है। समुद्रसे अलग होकर बूंद किसी कामकी नहीं रह जाती। परन्तु समुद्रमें विलीन हो जानेसे वह अपनी छातीपर इस बड़े जहाजके भारको वहन करनेमें समर्थ होती है। इसी तरह अगर हम आश्रममें और उसके जरिये जगत्में यानी ईश्वरमें समा जाना सीख लें तो पृथ्वीका भार उठानेवाले माने जायेंगे। मगर उस समय तो 'मै-तू' मिटकर 'वह' अकेला ही रह जायेगा।

मालका ही जहाज हो तो उसमें बड़ी शान्ति रहती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६७५) की फोटो-नकलसे।

१. अर्थात् मनुष्यके वशकी बात हो तो कोई भी दुःखी न रहे; वह शत्रुओंका नाश करके केवल मित्रोंको ही रहने दे।

## १५५. पत्र : वि० ल० फड़केको

सोमवार [७ नवम्बर, १९२७]'

माई मामा,

वरतेजके अन्त्यज आश्रमके बारेमें लिखा तुम्हारा लेख कल ही पढ़ पाया हूँ। लंका जाते हुए जहाजमे बैठा हुआ यह लिख रहा हूँ। उक्त लेख अब तो बहुत पुराना पड गया है इसलिए मैं इसी रूपमे इसे छपनेको नहीं भेज रहा हूँ। अन्त्यज आन्दोलनके बारेमें लिखने योग्य प्रसंग आनेपर देखूंगा। तुम्हारी गाड़ी कमी चल रही है? काका मेरे साथ ही है। मेरी तबीयत भी ठीक ही कही जा सकती है।

११-२१ कोलम्बो

२२-२५ जफना

इसके बाद उड़ीसा और फिर मद्रास — कांग्रेस अधिवेशनके समय।

वापूके बन्देमातरम्

श्रीयुत मामा साहेब फड़के

अन्त्यज आश्रम

गोधरा, वी० वी० ऐण्ड सी० आई० रेलवे

गुजराती (जी० एन० ३८१९) की फोटो-नकलसे।

## १५६. पत्र : जी० एन० कानिटकरको

लंका जाते हुए

८ नवम्बर, १९२७

प्रिय कानिटकर,

जो रिपोर्ट तुम मेरे पास छोड़ गये थे, वह मैंने पूरी पढ़ ली है। रिपोर्ट पढ़नेमे रोचक लगी। मुझे आशा है कि रिपोर्टमें जिन बातोंकी उम्मीद व्यक्त की गई है, उन्हें तुम पूरी करोगे और उत्तम कोटिका और सस्तेसे-सस्ता चरखा तैयार करनेमें सफल होंगे।

हृदयसे तुम्हारा,  
मो० क० गांधी

अग्नेजी (सी० डब्ल्यू० ९६१) से।

सौजन्य : गजानन कानिटकर

१. षाक्री मुहरसे।

## १५७. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

मंगलवार, कार्तिक सुदी १४ [ ८ नवम्बर, १९२७ ]<sup>१</sup>

सुन्न भाईश्री,

यह पत्र अगनवोटमें लिख रहा हूँ। तुम्हारा लम्बा पत्र यथासमय मिल गया था।

मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे जैसे व्यक्तिको दिल्ली बुलानेकी कोई जरूरत नहीं थी, मेरी रायमें अन्य लोगोंको बुलाना भी ठीक नहीं था। क्योंकि वाइसराय दूसरोंका मत नहीं जानना चाहते थे वल्कि अपना मत ही जताना चाहते थे। इस विचित्र घटनासे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। इस घटनासे देशकी स्थितिकी झलक मिलती है।

हिन्दू-मुस्लिम समस्याको सुलझानेके वारेमें तुम्हारा इलाज तो मर्जसे भी बदतर है। यदि प्रचलित सामान्य कानूनपर सही ढंगसे अमल किया जाये तो बहुतसे झगड़े-टंटे आज ही मिट जायें। इस समस्यापर विस्तारसे चर्चा हुई थी। मैं यह नहीं मानता कि फौजी कानून लागू करके दोनों लड़नेवाले फिरकोंमें एकता कायम की जा सकती है। यदि सरकारकी नीति दोनोंको लड़ाकर सत्ता बनाये रखनेकी न हो तो शायद हिन्दू-मुस्लिम झगड़े कुछ ही महीने चलें। पहले दोनों लड़ लें और फिर एक हो जायें किन्तु यह तो एक लम्बी बात है।

अपना स्वास्थ्य सुधारनेके लिए यदि तुम कहीं जाकर आराम करो तो अच्छा हो — कामसे छुटकारा लेकर नहीं, चिन्तासे छुटकारा लेकर।

मैं लंकामें १५ दिन रहूँगा। इसके बाद इस महीनेकी २६ तारीखको उड़ीसाके लिए रवाना हो जाऊँगा। वहाँसे क्रिसमसके समय मद्रास जाऊँगा और जनवरीमें आश्रम लौट आऊँगा। काठियावाड़ परिषदका<sup>२</sup> अधिवेशन १४-१५ जनवरीके आसपास होनेकी सम्भावना है।

मोहनदासके वन्देमातरम

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ३२१८)की फोटो-नकलसे।

सौजन्य : महेश पट्टणी

१. इस दिन गांधीजी लंकाके रास्तेमें हृस० एस० कोलाबा जहाजपर थे।

२. काठियावाड़ राजनीतिक परिषद।

## १५८. क्या वह विफल रहा ?

अध्वारोंमें अकसर ही पढ़नेको मिलता है कि अमहयोग आन्दोलन पूर्ण रूपमें विफल रहा। कई गिण्ट आलोचक अकसर बातचीतमें कुछ संकोचके साथ इसकी चर्चा छेड़ देते हैं और मुझे नरमीमें बतलाते हैं कि अगर मैंने देशको अपने नासमझी-भरे असहयोग आन्दोलनके जरिये गुमराह न कर दिया होता तो उसने बहुत जबरदस्त उन्नति कर ली होती। इस विषयका आजकी राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए यदि मुझे इस बातका विश्वास न होता कि असहयोग हमें एक सक्रिय शक्तिके रूपमें प्राप्त हुआ है जो एक दिन सर्वव्यापी हो जा सकता है तो मैं इस विषयकी चर्चा न करता। साथ ही मेरा उद्देश्य उन लोगोको आश्वस्त करनेका भी है जो आलोचनाओं और शंकाओका सामना करते हुए वहादुरीके साथ असहयोगके पक्षमें दृढतापूर्वक बने हुए हैं। तथापि मैं इस खतरनाक अद्वैतत्वको स्वीकार करता हूँ कि हिंसात्मक होते ही असहयोग आन्दोलन विलकुल विफल हो गया। वस्तुतः यहाँ असहयोग और हिंसा दो परस्पर विरोधी शब्द हैं। यह एक जीवन्त धारणा है कि हिंसा हिंसापर ही जीवित रहती है और अपने अस्तित्वके लिए उसे हर क्षण प्रतिहिंसाकी भावनाकी आवश्यकता होती है। इसी धारणाने अहिंसापूर्ण असहयोगको जन्म दिया। इसलिए तथ्य यह है कि जिस क्षण असहयोग हिंसात्मक हो गया, उसने अपनी शक्ति और राष्ट्रनिर्माणकारी स्वरूप खो दिया। लेकिन जिस हदतक वह अहिंसात्मक था और रहा, उस हदतक वह पूर्ण सफल रहा, जिसे देखा जा सकता था। १९२० में सहसा ही जो जन-जागृति हुई, वह अहिंसाकी प्रभावकारिताका शायद सबसे बड़ा प्रमाण था। सरकारने जो प्रतिष्ठा खोई है, वह उसे फिरसे प्राप्त नहीं हो सकती। उपाधियाँ, अदालते, शिक्षण-संस्थाएँ अब मनमें वह आदर मिश्रित भय नहीं उत्पन्न करती जो वे १९२०में करती थी। देशके कुछ सबसे अच्छे वकीलोंने बकालतका पैगा हमेगाके लिए छोड़ दिया है और उसके बदले अपेक्षाकृत गरीबीका जीवन अपनाकर वे खुश हैं। जो थोड़ेसे राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज बच रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जब गुजरात-रूपी समृद्ध उद्यानको वाढने तवाह कर दिया था उस समय इस विपत्तिसे जूझनेके लिए जो महान संगठन कायम हो गया, वह उसका एक प्रमाण है। यदि राष्ट्रीय शालाओंके छात्र और अध्यापक तथा अन्य अमहयोगी कार्यकर्ता न होते तो गुजरातके संकटग्रस्त किसानोको ठीक समयपर जो महायता मिली और जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी, वह महायता उन्हें कमी न मिल पाती। इस प्रकारके बहुनसे उदाहरण दिये जा सकते हैं और यह सिद्ध किया जा सकता है कि भारतमें जो भी वास्तविक राष्ट्रीय जीवन है, विशिष्ट वर्गों और जन-साधारणके बीच जो एक सम्बन्ध है, वह अमहयोगके ही कारण है।

फिर कार्यक्रमके तीन रचनात्मक मदोको लीजिए। राष्ट्रीय पुनरुद्धारमें न्वादी दिनांदिन अधिकाधिक योग दे रही है और वह करीब दो हजार कार्यकर्ताओंको फाँजके

जरिये १५००से अधिक गाँवोंकी सेवा कर रही है। खादी पचास हजारसे अधिक कर्तियोंकी और कमसे-कम दस हजार बुनकरों, छपाई करनेवालों, रंगरेजो, बोत्रियों और अन्य कारीगरोंकी ठोस सहायता दे रही है, और वह सहायता ऐसी है जो राष्ट्रको सम्पत्ति बढ़ानेमें योग देती है। अस्यूयता तो समाप्त होती हुई चीज है जो जिन्दा रहनेके लिए संघर्ष कर रही है। १९२०-२१की हिन्दू-मुस्लिम एकताने अपनी जवदस्त सम्भावनाएँ प्रदर्शित कीं। आज दोनों सम्प्रदायोंके बीच हिंसा, कपट, मिथ्याचार और फूटके ऐसे ही जो अन्य लक्षण हैं वे निःसन्देह भयानक हैं, लेकिन वे भोंडो आत्म-चेतनाके सद्बत हैं। असहयोग मन्थनकी एक प्रक्रिया थी और अब भी है, और इसने गन्दगीको सतहपर ला दिया है। और यदि अहिंसात्मक असहयोग एक जीवन्त और शुद्धीकारक शक्ति है तो शीघ्र ही वह हमारी आँखोंके सामने उस शुद्ध एकताको प्रकट कर देगी जो सहज ही हमारी आँखोंके सामने पड़ जानेवाली ऊपरी गंदगीके नीचे अदृश्य रूपसे ठोस आकृति ग्रहण कर रही है। इसलिए मेरे मनमें यह बात दिनके प्रकाशकी तरह स्पष्ट है कि स्वराज्य हमें जब भी मिले, लेकिन वह हमें लन्दनसे भेजे गये दानकी तरह नहीं, बल्कि बुराईकी संगठित शक्तियोंके विरुद्ध कठोर और स्वास्थ्यदायक असहयोग द्वारा अजित पुरस्कारके रूपमें ही प्राप्त करना होगा।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १०-११-१९२७

## १५९. पत्र : हरजीवन कोटकको

“कावेरिम्बा” बोटसे

१० नवम्बर, १९२७

यदि एक वार भी स्वप्नदोष हो तो हमें चिन्तित और लज्जित होना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि स्वप्नदोष मानसिक विकारके कारण ही होता है। हाल ही मेरे सुननेमें आया है कि जिन्हें कब्ज रहता हो उन्हें भी स्वप्नदोष हो जाता है। यह बात सच तो है किन्तु कब्ज भी विकारके कारण ही होता है। विकारहीन स्त्री या पुरुष आवश्यकतासे अधिक एक चुटकी अन्न भी न लें तो उन्हें कब्ज होगा ही नहीं।

किन्तु चिन्ता भी दो प्रकारकी है। पहले प्रकारकी चिन्ता आवश्यक है और वह मनुष्यको ऊँचा उठाती है और दूसरी अनावश्यक तथा गिरानेवाली है। चिन्ता और शर्मके बावजूद हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा वगैरें कि हमने दोष जान-बूझकर न किया हो, उसमें रस न लिया हो। इस चिन्ताका दूसरा नाम है—सतर्कता। दोषमें रस लेनेसे दूसरे प्रकारकी चिन्ता उत्पन्न होती है और वह बादमें ग्लानि उत्पन्न करती है। यह चिन्ता मनुष्यको खा जाती है और तिसपर वह उस दोषके गढ़में गहरे बँसता चला जाता है। ऐसे मनुष्यको स्वप्नदोषका रोग बढ़ता जाता है जबकि सावधान व्यक्तिका यह रोग कम हो जाता है। अब शायद तुम समझ गये होंगे कि जिम

व्यक्तिको स्वप्नदोष होता है, वह कभी निश्चिन्त रह ही नहीं सकता। अनः जो व्यक्ति विकारको जीतनेका शुद्ध हृदयसे प्रयत्न करता है, जाग्रत अवस्थामें विकारको अपने वगमें रख सकता है, वह स्वप्नदोष होनेपर घबराता नहीं बल्कि स्वप्नदोष होनेपर और सावधान हो जाता है और यह समझकर कि विकार उसे धीरे-धीरे खाये जा रहे है, वह उनसे बचनेका प्रयत्न करता रहता है। यदि इतना करनेपर भी स्वप्न-दोष बन्द न हो तो वह धीरजसे काम ले और प्रयत्न करना न छोडे। मैं स्वय भी स्वप्नदोषसे सर्वथा मुक्त नहीं हूँ। मुझे याद पड़ता है एक समय मैं वरमों स्वप्नदोषसे मुक्त रहा हूँ किन्तु भारत लौट आने और दूध पीना शुरू कर देनेके बाद ये दोष बढ गये। दूधके अतिरिक्त इसके अन्य कारण भी है। यहाँके वातावरणसे वीते दिनोकी याद ताजी हो गई। यह प्रकरण 'आत्मकथा' में भी आयेगा। तुम उसे पढ़ना।

[ गुजरातीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## १६०. पत्र : डाह्याभाई पटेलको

कार्तिक वदी १ [ १० नवम्बर, १९२७ ]

भाईश्री डाह्याभाई,

तुम्हारा पत्र मिला था। समुद्रके रास्ते कोलम्बो जा रहा हूँ अतः थोडा-सा समय मिल गया है जिससे पत्रोको निबटा रहा हूँ। मुझे अचानक आश्रममें दो दिन बितानेका मौका मिल गया। निरन्तर प्रयत्न करनेसे अहंभाव निश्चय ही चला जायेगा। मैं जनवरीमें आश्रम पहुँचूँगा, तब तुम अवश्य आना।

बापूके आशीर्वाद

भाईश्री डाह्याभाई

जिला काग्रेस कमेटी

घोलका, वी० वी० ऐण्ड सी० आई० रेलवे

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २६९९) से।

सौजन्य : डाह्याभाई पटेल

## १६१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

स्थायी पता : सावरमनी  
एस० एस० 'चिकोआ'  
११ नवम्बर, १९२७

प्रिय चार्ली,

लगता है जैसे मैंने युगोंसे तुम्हें नहीं लिखा है। और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैं दम्बईसे कोलम्बोकी शानदार समुद्र-यात्रा करता रहा हूँ। हम वहाँ आज रातको ही पहुँचेंगे और मैं यह पत्र एक मालवाहक जहाजपर बोलकर लिखचा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि मालवाहक जहाज यदि साफ-स्वच्छ हो तो जहाँतक शान्तिका सवाल है या काम करनेके लिए समयका सवाल है, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। दम्बईसे तूतीकोरिनतक हम एक बहुत बड़े नये और स्वच्छ जहाजमें आये, जिसमें घूमने-फिरनेकी काफी जगह थी। एक दिन वचानेके खयालसे तूतीकोरिनमें मैं एक दूसरे मालवाहक जहाजमें आ गया हूँ। यह भी आरामदेह है, लेकिन जगह ज्यादा नहीं है।

वाइसरायसे तो भेंट कर ली है। मैं शायद विलकुल न जाता, लेकिन जैसा कि मेरा स्वभाव है, मैं साफ 'ना' नहीं करना चाहता था। हमने खट्टरकी चर्चा नहीं की, लेकिन उन्होंने विशेष रूपसे उसपर चर्चा करनेके लिए मुझे फिर निमन्त्रित करनेका वादा किया है। उनके सामने वह निवन्ध रखा था जो तुमने भेजा है। वे एक नेक किन्तु शक्तिहीन व्यक्ति है।<sup>१</sup>

मैंने दिल्लीमें रामचन्द्रनसे भेंट की थी और जमशेदपुरके लिए तुम जो आदमी चाहते हो, उसके वारेमें बात की। मैं उससे मिल नहीं सका, क्योंकि वह लाहौरमें था। इसलिए मैं तुम्हें इस सम्बन्धमें कोई सलाह देनेमें असमर्थ हूँ। रामचन्द्रन उस अच्छा आदमी समझते हैं। क्या तुम तेहलरमानीसे मिले थे। उसकी वावत तुम्हारी क्या राय है?

दिल्ली यात्रासे मेरे कार्यक्रममें ग्याघात पड़ जानेके कारण मैं इस महीनेकी २० तारीखको उड़ीसा नहीं पहुँच सकता, जिसकी कि मुझे आशा थी। मुझे लंकारमें लगभग एक पखवाड़ा रहना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादासे-ज्यादा इस साहकी २६

१. गांधी-इर्विन भेंटकी रिपोर्टके लिए देखिय परिशिष्ट ५।

२. गांधीजीके साथ अपनी पहली मुलाकातका वर्णन करते हुए वाइसराय, लॉर्ड इर्विनने अपने पिताको लिखा था : "मैंने पहल करके गांधीसे भेंट की है। वे वास्तवमें एक दिलचस्प व्यक्ति हैं। . . . वे मुझे व्यावहारिक राजनीतिसे कतई हटे हुए लगे। मुझे लगा कि मैं किसी ऐसे प्राणीसे बात कर रहा हूँ जो किसी दूसरे ग्रहसे इस पृथ्वीपर एक पखवाड़ेकी संश्लिप्त यात्रापर आया हुआ है और जिसका तमाम मानसिक दृष्टिकोण उस दृष्टिकोणसे भिन्न है जो उस ग्रहके अधिकांश कार्षकलायोंका नियमन करता है जितपर वह उतर आया है।" (लाइफ ऑफ लॉर्ड इर्विनके वस)।

था २७ तारीखको लंकासे उडीसाके लिए रवाना होऊँगा और जिस रास्तेमे सबसे कम समय लागेगा, उसी रास्तेसे वहाँ पहुँच जाऊँगा।

मुझे आशा है कि तुम्हारा हाथ अब बिलकुल ठीक और काम करने लायक हो गया है। बा और महादेवके अलावा काका, प्यारेलाल और जमनादाम<sup>१</sup> मेरे साथ हैं। और राजगोपालाचारी तथा सुव्रैया कोलम्बोमें मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मैंने तुम्हे बताया था कि देवदासका ववासीरके लिए ऑपरेशन हुआ था। वह इस माहकी ८ तारीखको छुट्टी पा गया होगा।

सस्नेह,

मोहन

अंग्रेजी (जी० एन० २६२४) की फोटो-नकलसे।

## १६२. पत्र : बी० ए० सुन्दरम्को

१२ नवम्बर, १९२७

प्रिय सुन्दरम्,

इस समुद्र-यात्रासे मुझे पिछली चिट्ठियोंसे निपटनेका कुछ मौका मिल गया है। सावित्रीने सकुशल वच्चा जना और तुमको एक कन्या भेंट की, इसके लिए मैं ईश्वरका कृतज्ञ हूँ। मेरी कामना है कि वच्चा फूले-फले। आशा है, माँ अच्छी तरह है।

तुम्हारा,  
बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ३१७७) की फोटो-नकलसे।

## १६३. पत्र : नारणदास गांधीको

जहाजसे कोलम्बो जाते हुए  
१२ नवम्बर, १९२७

चि० नारणदास,

तुम्हारा १६-१०-१९२७ का पत्र मेरे पाम पड़ा हुआ है। जहाजमे कोलम्बो जाते हुए उसका उत्तर लिख रहा हूँ। प्रमुख मन्त्रीके<sup>१</sup> वारेमें तुमने जो लिखा वह ठीक है। किन्तु ये नियम तो तभी लागू हो सकते हैं जबकि कोई मंस्था मशीनके ढंगपर चलती हो। उस स्थितितक अभी हम नहीं पहुँच सके हैं इसलिए आमानीमे

१. सुशालचन्द्र गांधीका सबसे छोटा लहका।

२. छगनलाल जोशी उस समय आशमके मन्त्री थे।



वन सकनेवाले काम पूरे करके यदि हम सन्तोष मान लें तो संस्थाकी जड़ जम जायेगी। और कुछ पूछना चाहो तो जनवरीमें मेरे वहाँ पहुँचनेपर पूछ लेना। काठिया-वाड़के कामका निर्णय भी हम तभी कर लेंगे।

जमनादास मेरे साथ हैं यह तो तुम जानते ही हो।

वापूके आशीर्वाद

चि० नारणदास गांधी

सत्याग्रह आश्रम

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७१३) से।

सौजन्य : नारणदास गांधी

## १६४. अनमेल विवाह अथवा बालहत्या

ध्रांगध्रा राज्यमें जो अनमेल विवाह हुआ है अथवा होनेवाला है, उसका मेरे पास जो विवरण आया है, उसपर से मैंने अनमेल विवाहके सम्बन्धमें ४० वर्ष पूर्व जो लेख पढ़े थे उनकी याद हो आती है। आज भी ऐसे सम्बन्धोंका हो सकना दुःखकी बात है।

यह काम किया है ध्रांगध्रा राज्यके एक ब्राह्मण नौकर भट्ट केशवलाल नामक व्यक्तित्वने। उसकी उम्र ५५ के लगभग है। उसकी तीन लड़कियाँ हैं। चार वर्ष पहले उसकी पत्नीकी मृत्यु हो गई थी। उसने अब फिर विवाह करनेके इरादेसे तेरह-चौदह वर्षकी एक बालिकासे सगाई की है।

इस वृद्ध केशवलालके साथ उसके बड़े दामादका इस सगाईके सम्बन्धमें जो पत्र-व्यवहार हुआ है वह उसने मुझे लिख भेजा है और आशा की है कि मैं 'नवजीवन' में कुछ लिखूँगा; सम्भव है उससे इस वृद्ध ब्राह्मणकी मति बदल जाये अथवा वह लज्जित हो। अब भी समय है; इस ब्राह्मणको चाहिए कि वह जाग जाये और मविष्यमें होनेवाली इस बालहत्याके महापापसे उबरे।

भर्तृहरिने अपने अनुभवके आधारपर कहा है कि 'कामातुराणाम् न मयं न लज्जा'। यदि तीन-तीन पुत्रियोंके इस कामातुर बापके मनमें किसी तरह भी भय अथवा लज्जा उत्पन्न हो जाये तो उपरोक्त कोमल बालिका, जो उसकी गोदीमें पीत्रीके रूपमें बैठने लायक है, अवश्य बच जाये।

भट्टजीने ६ अक्टूबरको चराडवासे अपने दामादको लिखा है :<sup>१</sup>

प्रभा, भट्टजीकी सबसे छोटी लड़की है। जब उसका विवाह हो जायेगा तब घर "सूना" लगेगा, इसीलिए इस भले बापको इस उम्रमें दूसरा विवाह करनेकी बात सूझी! लेकिन उसके पत्रके अधिकांश भागकी हर पंक्तिसे तो वासना ही झलकती है।

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

यह विषयान्व वृद्ध पुनः अपने दूसरे पत्रमें अपनी आशाओंका ज्यादा प्रदर्शन इस प्रकार करता है।<sup>१</sup>

इस पत्रपर से हम देखते हैं कि भट्टजी इस सम्बन्धको "शुभ कार्य" मानते हैं और अपने हृदयकी यह अभिलाषा अपने दामादपर प्रकट करते हैं कि जैसी "जापानी रेशमी टुकड़ियो" वाली चुनरी उनकी कन्या "प्रभाके लिए मंगाई गई थी वैसी" साड़ी ली जानी चाहिए और प्रभाकी उम्रकी उस बाल-बहूको पहनायी जानी चाहिए; उनकी अपेक्षा है कि चुनरी ओढानेका यह "शुभकार्य" उनकी बड़ी लड़की जीवीके हाथो सम्पन्न हो।

लेकिन दोनों बड़ी लड़कियाँ और दामाद इस पाप-पूर्ण सम्बन्धकी निन्दा करते हैं, उसका विरोध करते हैं और दामाद पत्र लिखकर ससुरसे विनती करता है कि वे इस पापसे बचे। उसके उत्तरमें भट्टजी लिखते हैं।<sup>२</sup>

इस तरह रस्सी जलते समय भी अपने बल नहीं छोड़ती। यदि इस पापकर्ममें दामाद और लड़कीकी मदद न मिले तो अब भी कदाचित् इस बालहत्यासे भट्टजी बच जायें, धागधा बच जाये और भारतवर्ष भी बचे।

ऐसे कुकर्मोंको रोकनेका उपाय केवल प्रबल लोकमत ही है। यहाँ लोकमतका अर्थ है वृद्ध केशवलालका दामाद, लडकी और उसके नाती, सम्बन्धी और पास-पड़ोस इन सबको बिना हताश हुए दृढतापूर्वक भट्टजीको समझना चाहिए। लडकीके पिताको भी लड़कीकी हत्या करनेसे रोकनेका प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह यदि भट्टजीके साथ सब तरहसे असहकार हो तो अमीतक इस कुकर्मके टलनेकी गुंजाइश है।

भट्टजी और उनके जैसे अन्य वृद्ध विधुरोको जो अपनी वासनापर नियन्त्रण नहीं पा सकते, असंख्य विधवाओंकी बात सोचनी चाहिए। विषय-वैरी तो स्त्री-गुरूप दोनोंको एक समान दुःख देता है। पवित्र विधवाओंका स्मरण करके विधुर शान्त बयो नहीं हो सकते।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १३-११-१९२७

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

## १६५. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंसे

१३ नवम्बर, १९२७

प्रश्न : आपके फोटो-चित्र आपका सही चित्रण नहीं करते। क्या यह इस कारण है कि फोटो खिंचवाते समय आप मुस्कराते नहीं ?

[ गांधीजीने उत्तर दिया : ] मैं कभी फोटो नहीं खिंचवाता।

प्रश्न : मैं सोचता हूँ कि लोग कहीं हाथसे बने चित्रोंपर से तो आपके फोटो नहीं बनाते !

उत्तर : यह तो फोटोग्राफर लोग ही जानते होंगे।

[ खादीकी प्रगतिके बारेमें पूछे जानेपर गांधीजीने कहा : ]

मुझे काफी-कुछ सफलता मिली है।

प्रश्न : क्या आप सोचते हैं कि चरखा अन्ततः औद्योगीकरणकी बुराइयोंको दूर कर देगा ?

उत्तर : जहाँतक भारतका सम्बन्ध है, मेरी आशाका आधार मेरा विश्वास है। मैं इस विश्वासके आधारपर आशा रख रहा हूँ कि भारतमें चरखेका प्रचार सर्वत्र ही जायेगा और वह औद्योगीकरणकी कई बुराइयोंको दूर कर देगा।

[ साइमन आयोगके बारेमें मत प्रकट करनेका अनुरोध किये जानेपर गांधीजीने कहा : ]

जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, इस मामलेमें मेरा अन्तःकरण राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष महोदय और सामान्य रूपसे कांग्रेसके हाथोंमें है।

प्रश्न : यदि आप असंतुष्ट हों तो क्या आप बहिष्कारकी सलाह देंगे ?

उत्तर : इस मामलेमें कांग्रेसके नेताओंकी रायको छोड़ मेरा कोई मत नहीं है।

प्रश्न : वे जो भी निर्णय करें, क्या आप उसे माननेको तैयार हैं ?

उत्तर : हाँ, मैं उसे स्वीकार करूँगा, और यदि मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता तो मैं उसका प्रतिरोध भी नहीं करूँगा।

प्रश्न : क्या आप समझते हैं कि राजनयिकोंके शान्तिके प्रयत्न सफल होंगे या आप सोचते हैं कि संसार दूसरे युद्धकी ओर बढ़ रहा है ?

उत्तर : इस प्रश्नका उत्तर देना कठिन है। लक्षण यही दिखाई पड़ते हैं कि संसार दूसरी लड़ाईकी तैयारी कर रहा है, लेकिन हमें आशा यही करनी चाहिए कि उसे टालना सम्भव हो सकता है।

[ अंग्रेजीसे ]

सीलोन डेली न्यूज, १४-११-१९२७

## १६६. भाषण : चेद्वियार लोडोंकी सभा, कोलम्बोमें

१३ नवम्बर, १९२७

मित्रो,

मैं आपको इन तमाम थैलियोंके ' लिए, जो आपने मुझे बहुत ही मुख्यस्थित ढंगसे बिना कोई अनावश्यक समय लगाये भेट की हैं, धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं फिर चेद्विनाडमें खड़ा हुआ हूँ। चेद्विनाडकी अपनी हालकी यात्राकी मेरी मुख्य स्मृतियाँ फिरसे ताजा हो उठी हैं। उनकी उदारता और कृपा मैं कभी नहीं भूलूँगा, और आप यहाँ कोलम्बोमें वही सब फिरसे दोहरा रहे हैं जो मैंने चेद्विनाडमें देखा था। आपसे इन तमाम उपहारो और मेहरबानियोंको प्राप्त करनेमें मुझे केवल इसी बातका सन्तोष है कि यह सब दरिद्रनारायणके लिए किया जा रहा है। और यह देखते हुए कि मैं अपने-आपको भारतके करोड़ों कंगालोंका एक विनम्र न्यासी-मात्र समझता हूँ, मुझे इन उपहारोको स्वीकार करनेमें न केवल कोई लज्जा नहीं है, बल्कि आपकी उदारता और कृपा देखकर मेरा मन और माँगनेका होता है। आप कितने ही धनवान और उदार हों, लेकिन वास्तवमें किसी एक समुदायके लिए दरिद्र-नारायणके करोड़ों मुँह भरना सम्भव नहीं है, और यदि आपके बीच ऐसे लोग हो जिन्होंने कुछ न दिया हो या दिया हो तो कजूसीके साथ दिया हो, तो मैं आपसे अपील करूँगा कि आप दरिद्रनारायणके नामपर अपनी थैलियाँ खोलिए और जितना दे सकते हो उतना दीजिए। किसी भारतीयके लिए धनका इससे अच्छा उपयोग मैं नहीं सोच सकता, वह चाहे भारतमें रहता हो या भारतसे बाहर। और आपकी उदारता केवल धन देकर ही समाप्त नहीं हो जानी चाहिए। यदि आप करोड़ों मूक लोगोंके साथ जीवन्त सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं तो आपको खादी अवश्य पहननी चाहिए। खादी उन्हीं धुधाग्रस्त लोगोंके हाथोंसे तैयार होती है। यदि आप इन्हीं रास्तों पर चलते रहे तो आप देखेंगे कि यदि आपको अपना जीवन शुद्ध बनानेके लिए करोड़ों मूक लोगोंके साथ निरन्तर सम्बन्ध बनाये रखना है तो खादी पहनना जरूरी ही है। जहाँ-कहीं शुद्ध प्रेम है, वही उदारता है, और जहाँ व्यक्तिगत शुद्धता है, वहाँ उस समाजमें तत्काल एकता उत्पन्न हो जाती है। आप देखेंगे कि शुद्धताकी तरफ उठाया गया आपका एक कदम दूसरे कदमकी शुरुआत होगा।

आप एक ऐसे देशमें हैं, जिसे अजनबी समझा जा सकता है। भाँगोलिक और राजकीय दृष्टिसे लका भारतका अंग नहीं समझा जाता। इस देशमें रहनेवाले व्यापारियोंके रूपमें आपसे अपेक्षित है कि आप यहाँके निवासियोंके साथ अनुकरणीय ढंगसे और ईमानदारीके साथ व्यवहार करे। आपके आचरणसे भारतके करोड़ों लोगोंके आचरणके सम्बन्धमें वारणा बनाई जायेगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपका

१. अंशमें खादी-कोपके चन्दके लिए, देखिए परिशिष्ट १।

व्यवहार इस मुन्दर देगके लोगोके साथ बिलकुल सही और गिकायतसे परे है। आपकी तुला बिलकुल सही हो, आपके हिसाब-किताब सही हों, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस द्वीपकी प्रत्येक स्त्रीको अपनी बहन, अपनी बेटी या अपनी माँ समझते हैं। वन होनेसे हमारा दिमाग न चकराने पाये। यदि वनको जिन लोगोके पान वह है और जिनसे वह अर्जित किया जाता है, उन दोनोंके लिए वरदान मिद्ध होना है, नो वनके साथ उत्तरदायित्वकी और अधिक भावना आना जरूरी है।

मुझे आपको और अधिक देर नहीं रोकना चाहिए। मैंने लंकामें अपना काम अभीतक मुश्किलसे ही गुरु किया है। इस द्वीपकी यात्राके दौरान मुझे बहुत-सी चीजोके बारेमें बोलना होगा, और मैं चाहूँगा कि जिन विभिन्न स्थानोंमें मुझे ले जाया जाये, वहाँ मैं जो-कुछ भी कहूँ उसे आप पढ़ें, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब मेरे इस द्वीपसे चले जानेके बाद मैं देखूँगा कि अपने हृदयके अन्तरतमसे जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, उन्हें आप भूल नहीं हैं।

मैं आपको उदार हृदयसे दिये गये इन सब उपहारोंके लिए एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ, और यदि ऐसे लोग हों जो कुछ देना चाहते हैं वे अब दे सकते हैं। मैं आपको यह भी सूचित कर दूँ कि यदि आप खादी चाहते हैं तो जिस स्थानपर मुझे ठहराया गया है वहाँसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर आपपर कृपा रखे!

[अंग्रेजीसे]

सीलोन डेली न्यूज, १४-११-१९२७

बिद गांधीजी इन सीलोन

## १६७. भाषण : विवेकानन्द सोसाइटी, कोलम्बोमें

१२ नवम्बर, १९२७

मैं आपको अमिनन्दनपत्र तथा धैलीके लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास जो थोड़ा-सा समय था, उसमें मैंने आपकी सोसाइटीके कार्योंकी रिपोर्टको नरसरी तीरपर देखनेकी कोशिश की, और मैं आपको सोसाइटीकी अनेक प्रवृत्तियोंके लिए बधाई देना हूँ। विवेकानन्द — यह एक ऐसा नाम है जिसका स्मरण आते ही मन विभोर हो उठता है। उन्होंने भारतके जीवनपर एक अमित छाप छोड़ी है और आप इस समय भारतके बहुत-से भागोंमें उनके नामपर स्थापित संस्थाएँ देख सकते हैं। रामकृष्ण मिशनकी जो बहुत-सी शाखाएँ हैं सो अलग।

लेकिन मैं देखता हूँ कि मुझे आपको इस सभामें बहुत देर नहीं रोकना चाहिए। बाहर अधीर भीड़ प्रतीक्षा कर रही है। इस समय मैं जो-कुछ कहूँगा वह इतना ही है कि मैं इस सोसाइटीके हर तरहसे फूलने-फलनेकी कामना करता हूँ और मैं यह भी नुझाव दे दूँ कि अबतक आप अपनी संस्थाकी इन प्रवृत्तियोंमें एक वह काम भी न जोड़ें जिससे दरिद्रनारायणकी सेवा होती है तबतक वे प्रवृत्तियाँ अवूरी रहेंगी।

आपकी थैली मेरे लिए इस बातका प्रतीक है कि आप चरखेके सन्देशको पसन्द करते हैं। यदि आपकी सोसाइटीका नाम विवेकानन्द है तो आप भारतके करोड़ों धुधाग्रस्त लोगोंकी उपेक्षा करनेका साहस नहीं कर सकते, और यह विश्वास दिनों-दिन जड़ पकड़ता जा रहा है कि चरखेके बिना भारतके करोड़ों भूखे लोगोंकी सेवा कर सकना असम्भव है। इसलिए मुझे भारतीयोंसे, चाहे वे भारतमें रहते हों या बाहर, एक अपील करनेमें हिचक नहीं है, और वह यह कि वे अपने शरीरपर अपने तथा अपनी जन्मभूमिके करोड़ों धुधार्त्त लोगोंके बीच एक जीवन्त सम्बन्धका प्रतीक धारण करें।

अपनी दाहिनी ओर बैठी वहनोसे तथा कोलम्बोमें, बल्कि लका-भरमें रहनेवाले फैशनपसन्द भारतीयोंसे मैं कहना चाहता हूँ कि छः वर्षके सतत प्रयत्नोके बाद अब यह सम्भव है कि आप जितना वारीकसे-वारीक कपड़ा चाहें, वह अब खद्दरके रूपमें भी मिल सकता है।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि विदेशी और मिलका बना कपड़ा पहननेकी जगह खद्दर पहनकर आपके लिए अपने देशके करोड़ों स्त्री-पुरुषोंकी जो थोड़ी-सी सेवा करना सम्भव है, उसका आप तिरस्कार नहीं करेंगे।

मैं आपको इस अभिनन्दनपत्रके लिए एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ।

[ अग्नेजीसे ]

सीलोन डेली न्यूज, १४-११-१९२७

विद गांधीजी इन सीलोन

## १६८. पत्र : सुरेन्द्रको

रविवार [ १३ नवम्बर, १९२७ या उसके पश्चात् ]<sup>१</sup>

चि० सुरेन्द्र,

तुम्हारा पत्र मिला है। देवदास रास्तेमें बीमार पड़ गया इसलिए उसे बम्बईमें रुकना पड़ा। अब तो वह वर्धा पहुँच गया होगा। वहाँसे अवकाश पा सको तो जरूर वर्धा जाना और उसे जितनी शान्ति दे सको देना। उसके पास पहुँचनेकी तुम्हारी इच्छा स्वाभाविक है; मैं उसे रोकना नहीं चाहता।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९४११) की फोटो-नकलसे।

१. यह पत्र देवदासके ८ नवम्बर, १९२७ को अत्यताल्से छुट्टी पानेके बाद लिखा जान पड़ता है; देखिए "पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको", ११-११-१९२७।

## १६९. भेंट : 'टाइम्स ऑफ सीलोन' के प्रतिनिधिसे

कोलम्बो

[ १४ नवम्बर, १९२७ या उससे पूर्व ]<sup>१</sup>

'टाइम्स ऑफ सीलोन' के प्रतिनिधिसे अपनी भेंट-वार्त्तामें गांधीजीने कहा कि शाही आयोगके प्रति मेरा सब कांग्रेस निर्धारित करेगी।

बहिष्कारके बारेमें उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि सक्रिय और आम बहिष्कार ब्रिटिश सरकारके लिए एक प्रभावकारी उत्तर सिद्ध होगा।

यह पूछे जानेपर कि क्या आप ईमानदारीसे ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजोंके बिलकुल चले जानेपर भारत ज्यादा सुखी होगा, गांधीजीने ऐसा कहा बताया है कि मेरा विश्वास है कि भारतमें ही नहीं, बल्कि आफ्रिकामें भी समस्याओंका एकमात्र हल यह है कि अंग्रेज लोग मित्रोंकी भाँति बने रहें। उन्होंने कहा, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि भारतमें आन्तरिक लड़ाई-झगड़े हैं, लेकिन भारत अन्ततः अपनेको स्वतन्त्र कर लेगा। इस दिशामें इससे कम कोई चीज वह स्वीकार ही नहीं कर सकता।

एक अन्य प्रश्नका उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा कि असहयोग आन्दोलनका उद्देश्य बुराईकी ताकतोंके विरुद्ध संघर्ष करना है। अन्तमें उन्होंने कहा :

हम मैत्री चाहते हैं, हमपर हुकम चलानेवाला स्वामी नहीं चाहते।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, १५-११-१९२७

## १७०. तार : धनगोपाल मुखर्जीको

[ १४ नवम्बर, १९२७ ]<sup>१</sup>

धनगोपाल मुखर्जी

मार्फत

श्रीमती बालर बोर्डन

१०२०, लेकशोर ड्राइव

शिकागो

आपका तार। भारतीय नेताओंका विरोधपत्र जिसे 'टाइम्स' ने छापनेसे मना किया, भारतीय अखबारोंमें व्यापक रूपसे छपा। 'मदर इंडिया'

१. भेंटकी रिपोर्टें इसी तारीखमें छपी गई थी।

२. साधन-सूत्रमें दी गई सूचना तथा फ़ैरीन मेयो द्वारा लिखित मदर इंडिया पुस्तकके उल्लेखके आधारपर, जो १९२७ में प्रकाशित हुई थी।

विकृत एकांगी तस्वीर है। उसमें सफेद झूठ, अतिरंजना और सन्दर्भ-अपेक्षित तथ्यको दबाया गया है। कई लोगोंने, जिनकी वाते लेखिकाने उद्धृत करनेका दावा किया है, उनका खण्डन किया है। यह विश्वास, जो अनुचित नहीं है, दिनो-दिन बढ़ रहा है कि किताब उनके इशारे पर लिखी गई है जो भारतको पश्चिममें जनताकी निगाहोंमें गिराना चाहते हैं। लम्बा अनुभव रखनेवाले अनेक विख्यात अंग्रेजों अमेरिकियों और अंग्रेज मिशनरियोंने किताबमें कही बातोंका खण्डन और निन्दा की है।<sup>१</sup>

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १२५५१) की फोटो-नकलसे।

## १७१. पत्र : मीराबहनको

१४ नवम्बर, १९२७

चि० मीरा,

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले।

समुद्र-यात्रा मुझे काफी अच्छी लगी और इच्छा हुई कि काश कुछ और करता।

इस महीनेकी २९ तारीखको लकासे मैं निश्चित रूपसे रवाना हो जाऊंगा। उड़ीसामें सबसे पहले मैं गंजाम जिलेके बरहामपुरमें पहुँचूंगा। वहाँ पहुँचनेके दो रास्ते हैं, एक कलकत्ता होकर और दूसरा रायचूर-वेजवाडा होकर। दोनोंमें से कौन-सा सस्ता या अच्छा है, यह मुझे नहीं मालूम। तुम इसके बारेमें पता चलाकर तय करो। मैं समझता हूँ कि सुरेन्द्र इन दोनों रास्तोंसे परिचित है। २ दिसम्बरको मेरे बरहामपुर पहुँचनेकी आशा है। तो अब उड़ीसामें १ मास नहीं लगा पाऊँगा, जैसा कि मैंने सोचा था।

अपेक्षित कपड़ेके परिमाणको कम करनेका तुम्हारा इरादा अनावश्यक है। घरमें तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन शायद सब अवसरोंके लिए नहीं। जो कार्य तुम्हें करना है, उसके लिए साडी तो शायद जरूरी ही हो। फिर भी मुझे मालूम नहीं। हमें ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। खैर, इस मामलेमें मैं तुम्हारी इच्छामें देखल नहीं दूँगा।

१. १७-११-१९२७ को भेजे गये अपने उत्तरमें धनगोपाल मुखर्जीने गांधीजीको सूचित किया कि थेवचर ब्यूरोने सरोजिनी नायडूको अमेरिका जाने और अपने भापोंसे कुमारी मेयोकी पुस्तक द्वारा भारतके सुपक्षको पहुँचाई गई हानिको दूर करनेका निमन्त्रण दिया है।



तुम जितना भी स्नेह मणसालीको दे सकती हो उसे दो और उस स्नेहको अपना असर दिखाने दो। जहाँ तर्कसे काम नहीं बनता, वहाँ अकसर स्नेहसे बन जाता है। सप्रेम,

बापू

अग्नेजी (सी० डब्ल्यू० ५२९३) से।

सौजन्य : मीराबहन

## १७२. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

कोलम्बो

मौनवार, १४ नवम्बर, १९२७

बहनो,

हम शनिवारको कोलम्बो पहुँचे। मुझे आशा थी कि तुममें से किसी न किसीका पत्र मिलेगा, मगर आज सोमवारतक नहीं मिला।

यह देश बहुत रमणीय है। हिन्दुस्तानके बाहर होनेपर भी हिन्दुस्तान जैसा ही लगता है। यहाँ दक्षिणकी तरफके लोग ही ज्यादा बसते हैं। किन्तु वे यहाँके निवासियोंसे बहुत अलग नहीं मालूम होते। यहाँकी स्त्रियोंकी पोशाक सादी है। स्त्रियों-पुरुषोंकी पोशाक लगभग एक-सी कही जा सकती है। दोनों धोती पहनते हैं। वैसे ही जैसे सुरेन्द्र पहनता है। इतना ही है कि यहाँकी धोतियाँ रंगीन और बेलबूटेदार होती हैं। ऊपर दोनों बंडी पहनते हैं। हाँ, बंडीकी बनावटमें थोड़ा फर्क जरूर है। स्त्रियाँ बंडीके बिना हरगिज नहीं रहतीं, जब कि ज्यादातर पुरुष केवल धोतीसे ही सन्तोष कर लेते हैं। कुछ ऐसी ही पोशाक मलाबारमें भी होती है। इतना ही है कि वहाँकी धोतियाँ रंगीन नहीं होती। ये कपड़े तो बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। दोनों प्रदेगोंमें लोगोंको खादीसे प्रेम हो जाये तो पहननेमें अड़चन आ ही नहीं सकती।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६७६) की फोटो-नकलसे।

## १७३. भाषण : कोलम्बो नगरपालिकाके अभिनन्दनपत्रके उत्तरमें

१५ नवम्बर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

सबसे पहले मैं इस बातके लिए क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा होकर नहीं बोल रहा हूँ। पिछले कई वर्षोंसे मैं समाजमें खड़े होकर बोलनेमें असमर्थ रहा हूँ; इसलिए यदि मैं आपका अभिनन्दनपत्र खड़ा होकर स्वीकार न कर सकूँ, और आपके सामने बैठकर बोलूँ तो उसे आप मेरी अशिष्टता नहीं समझेंगे। मुझे इसका भी दुख है कि इस समय मेरी आवाज ऐसी नहीं है जो दूरतक सुनाई पड़ सके, और मैं आपसे तथा कोलम्बोके नागरिकोंसे इस बातके लिए भी क्षमा चाहता हूँ कि मैं यहाँ समयपर नहीं पहुँच सका। लेकिन इस दोषका भार अधिक शक्तिशाली कन्वोपर है। मेरा तात्पर्य वाइसराय महोदयसे है। उन्होंने मुझे दिल्ली आनेके लिए निमन्त्रित किया, और यदि आप वाइसराय महोदयकी कार्रवाईको अनुचित करार देनेवाला प्रस्ताव पास करना चाहते हैं तो मैं निश्चय ही आपका साथ दूँगा। लेकिन शायद आप वाइसराय महोदयको क्षमा कर देंगे और इस प्रकार मुझे भी।

मेरे विलम्बसे आनेका दूसरा कारण यह था कि मैं दो माल ढोनेवाले जहाजोंके यात्रीके रूपमें आया, और दोनो जहाजोंके कप्तानो और अधिकारियोंकी इस कोशिशके बावजूद कि वे मुझे यहाँ जितनी जल्दी पहुँचा सकें, पहुँचायें, आप माल ढोनेवाले जहाजोंकी बन्दिशोंको समझ सकेंगे। माल ढोनेवाले जहाजोंको यात्रियोंके बजाय, जिन्हें एक प्रकारसे उनमें अनधिकार प्रवेश करनेवाला ही समझना चाहिए, लदे हुए मालकी फिफ्ट करनी होती है।

आपके हाथों यह अभिनन्दनपत्र पाना मेरे लिए बहुत खुशीकी बात है। मैं इसके लिए बिलकुल तैयार नहीं था। यदि आप इसे पसन्द करें तो मैं कहूँगा कि मैं तो यहाँ आर्थिक लाभके कारण आया हूँ। मैं अपने ही कुछ देशवासियोंके निमन्त्रणपर लंका आया हूँ और मैंने यह सारा वर्ष, जो अब समाप्त होनेको है, एक ऐसे कामके लिए चन्दा इकट्ठा करनेमें बिताया है जिसका उद्देश्य भारतके करोड़ों कंगालोंकी सेवा करना है। इन मित्रोंने मुझे जो प्रलोभन दिया वह बहुत आकर्षक था।

मैं १९०१ में द्वीपमें मोतीके समान इस द्वीपमें आते-आते रह गया था। आपको शायद पता न हो कि दक्षिण आफ्रिकामें मेरे बहुत-से मुसलमान मित्र हैं। वे मुझे प्राणोंके समान प्यारे हैं और उनमेंसे कुछने मुझसे कहा कि भारत जाते हुए मैं कोलम्बो आऊँ और मैंने उस समय वँसा बहुत खुशीसे किया होता, और तब मैं आपके बीच एक पर्यटकके रूपमें इस सुन्दर द्वीपके अतुलनीय सौन्दर्यका आनन्द लेने और आपके द्वारा खूले हृदयसे किये गये आतिथ्यका सुख लेनेके लिए आया होता। लेकिन मैं वही बात

आज नहीं कह सकता। इसी कारण मैं इस अभिनन्दनपत्रके लिए तैयार नहीं था, जिसका मैं इस समय शायद अविकारी नहीं हूँ।

लेकिन मैं नागरिक जीवनका प्रेमी हूँ और हालाँकि मुझे एक पार्षदके रूपमें किसी नगरपालिकामें सेवा करनेका अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं एक नागरिककी हैसियतसे दो महान नगरनिगमोंके घनिष्ठ सम्पर्कमें आया हूँ। मेरा तात्पर्य डब्लु नगर-निगम और जोहानिसबर्ग नगरनिगमसे है। और यदि आप इन दो नगरनिगमोंके महापौरोंसे पूछें तो वे शायद इस बातकी पुष्टि करेंगे कि मेरे जैसा एक तुच्छ नागरिक अकेले जितनी सेवा कर सकता है उतनी मैंने उन नगरनिगमोंकी की थी।

जिस स्थानको किसी व्यक्तिये अपना बना लिया है, उस स्थानकी सेवा करनेको मैं एक बहुत बड़े सौभाग्यकी बात मानता हूँ। उसके वादसे मैं भारत-भरके बड़े-बड़े नगरनिगमोंकी कार्यप्रणालियोंका, कर्मोवेश, निकटसे अध्ययन करता रहा हूँ, और मैं पूर्वमें एक ऐसी नगरपालिकाकी खोज करता रहा हूँ जिसका संचालन आदर्श ढंगसे होता हो। मुझे आपके सामने स्वीकार करना पड़ता है कि मुझे अपने देवमें तो वैसी कोई नगरपालिका मिली नहीं। मुझे यह सोचकर खुशी होगी कि आपकी नगरपालिका एक आदर्श नगरपालिका है। लेकिन आपकी उपलब्धियोंसे संबंधा अनभिज्ञ होनेके कारण मैं कुछ भी कह सकनेमें असमर्थ हूँ।

कल मैंने आपके प्रशासनकी रिपोर्टकी ताजा प्रति माँगी, किन्तु मेरे लिए उस विलचस्प रिपोर्टको पूरा पढ सकना सम्भव नहीं था।

डब्लु और जोहानिसबर्ग, दोनों स्थानोंपर स्वयं कुछ प्रारम्भिक कार्य कर चुकनेके कारण मैंने इस रिपोर्टके उन पृष्ठोंको पलटा जिनमें प्लेगका जिक्र था, और मुझे यह पढ़कर कुछ धक्का-जैसा लगा कि आप अभीतक उस अभिशापसे पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाये हैं। डब्लु और जोहानिसबर्ग इन दोनों नगरपालिकाओंके हिस्सेमें भी प्लेग पडा था। जोहानिसबर्गमें तो यह बहुत ही उग्र किस्मका था, लेकिन वहाँके नगरनिगमके सदस्योंने इस रोगको और अधिक फैलनेसे रोकनेके लिए कोई भी कीमत चुकानेमें आगा-पीछा नहीं किया। मैं आपको वह बहुत विलचस्प इतिहास नहीं बताऊँगा कि किस प्रकार जोहानिसबर्गने प्लेगसे संघर्ष किया। डब्लुने भी वैसा ही किया, और उसी सम्बन्धमें मुझे ग्लासगो नगरनिगमके बहुत रोचक इतिहासका अध्ययन करने और यह पढ़नेका मौका मिला कि ग्लासगो नगरको प्लेगसे पूरी तरह सुरक्षित करनेमें किस प्रकार उस नगरने पानीकी तरह पैसा बहाया। और उसका यह प्रयत्न सफल हुआ। उस प्लेगके हमलेके बाद ग्लासगोमें फिर कभी प्लेग फैला हो, इसका मुझे पता नहीं है। मैं अगर गलती कर रहा हूँ तो उसे सुधार दें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा खयाल सही है। मैं जोहानिसबर्गकी निजी जानकारीके आधारपर कह सकता हूँ कि जोहानिसबर्गमें प्लेगका हमला दोबारा नहीं हुआ। निश्चय ही वहाँकी जलवायु बहुत अच्छी है और यह तथ्य उसके पक्षमें पड़ता है। लेकिन वहाँके नागरिकोंका पौरुष भी विलक्षण है।

जैसा कि आप जानते हैं, जोहानिसबर्ग ऐसा नगर है जहाँ सभी प्रकारके और सभी जातियों और देशोंके लोग रहते हैं। उसमें बन्दू जातिके लोगोंकी बहुत बड़ी आवादी

है, और वहाँ भारतीयोंकी आवादी भी है। वहाँ भी गन्दी बस्तियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद जोहानिसबर्ग प्लेगसे मुक्त है।

यहाँ मैंने पाया है कि आपकी कठिनाई बन्दरगाह अधिकारीके साथ है— कि आपके इस सुन्दर बन्दरगाहपर जो अनाज आता या यहाँसे बाहर जाता है उसे रोगाणु-मुक्त करना बहुत व्ययसाध्य कार्य है। मैं कहता हूँ कि इस निगमको तमाम ऐसे हितोके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए ताकि इस नगरको प्लेगसे बिलकुल मुक्त किया जा सके और मेरे जैसे बाहरसे आनेवाले यात्री पूरी स्वतन्त्रताका अनुभव कर सकें। मेरे चिकित्सक सलाहकार मुझसे कहेंगे: “अपने स्वास्थ्यकी इस जीर्ण दशामें आपको कोलम्बो-जैसी जगह नहीं जाना चाहिए।” — और यहाँ आनेसे पहले यदि मैंने इस प्रकारकी रिपोर्ट पढ़ ली होती और अपने चिकित्सक सलाहकारोंकी बात सुननेका मेरा मन होता तो मैं यहाँ नहीं आया होता।

जो दूसरी चीज मैं इस दिलचस्प रिपोर्टमें पढ़ रहा था वह थी आपकी दुग्ध-शालाओके बारेमें। . . .

मैं देखता हूँ कि आप सूखा हुआ दूध न्यूजीलैंडसे मँगाते हैं। आप दूधके सूखे हुए तत्त्वोंको मँगाते हैं, और यदि मैं उसी विशेष भाषामें बोलूँ तो आप इन तत्त्वोंको पुनः मिश्रित करके उस तरल पदार्थको बेचते हैं, लेकिन रिपोर्टमें उसका उल्लेख दूधके नामसे किया गया है। मुझे आश्चर्य है कि आपका चिकित्सा अधिकारी उस चीजको दूधके रूपमें पास कैसे कर देता है। जब मैं नन्दी हिल्सपर बीमारीके बाद आराम कर रहा था, उस समय मिश्रोने मुझे विटामिनोके ऊपर एक किताब भेजी थी, और यदि ये लेखक और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ लोग सच्चे हैं, तो वे हमें बताते हैं कि दूध जब अमुक तापमानपर गर्म किया जाता है तो उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। मैं दूधके सूखे हुए विभिन्न तत्त्वोंके बारेमें कुछ जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि जब दूध उस सूखी हुई स्थितिमें पहुँचता है तो वह अपने विटामिन खो देता है। जब आप दूधसे विटामिन निकाल देते हैं तो आप उसकी आधी पौष्टिकता खत्म कर देते हैं। आपके यहाँ कई दुग्धशालाएँ हैं। मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूँ। आपके यहाँ निरीक्षक हैं, आपके यहाँ उपनियम हैं और उनका उल्लंघन करनेवालोंपर कुछ मुकदमे भी चलाये जाते हैं। इतनी सब जहमत क्यों उठाते हैं और अपनी दुग्ध-शालाओको नगरपालिकाके अधीन करके आप उनको अपने नियन्त्रणमें क्यों नहीं ले लेते? और आप मेरी बातका विश्वास करें कि तब आप अपने वच्चोंके स्वास्थ्यकी रक्षा कर सकेंगे और साथ ही मुझ-जैसे बूढ़े और जर्जर मनुष्यके स्वास्थ्यका भी। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यहाँ कोलम्बोमें आपके बीच बहुतसे बूढ़े लोग हैं और उन्हें दूधकी आवश्यकता है, तथा आपके यहाँ बहुत बड़ा श्रमिक वर्ग है जिसको सस्ता दूध सुलभ होना चाहिए। आपके डाक-टिकटोंकी तरह ही उसका भी मानक निर्धारित कर दिया जाना चाहिए और लोगोंको बिलकुल गारन्टी किया हुआ दूध मिल सकना चाहिए। और यदि आप यह करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि दूध-सम्भरणका काम नगरपालिका करे और वह कोलम्बोके गरीबसे-गरीब व्यक्तिके लिए दूध सुलभ करे।

एक तीसरी बात कहकर मैं खत्म कलेंगा। मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ एक बहुत सुन्दर बन्दरगाह है। मैं आपके यहाँके दारचीनीके बागानोंसे गुजरा हूँ जो संसारके किसी भी नगरके लिए गर्वकी चीज हो सकते हैं। मैंने आपके यहाँ कुछ भव्य इमारतें देखी हैं। ये निश्चय ही बहुत अच्छी हैं। लेकिन क्या दारचीनीके बागानोंमें रहनेवाले या इस नगरमें रहनेवाले उन लोगोंको जो व्यापार करते हैं, इस बातकी जरूरत है कि उनके कल्याणकी चिन्ता न्यासी लोग करें? मेरी समझसे नहीं है। दरअसल आप उन लोगोंके न्यासी हैं जो अपनी देख-भाल खुद नहीं कर सकते। इसलिए आपपर श्रमिकोंके कल्याणका दायित्व है। मैंने आपके यहाँ श्रमिकोंकी वस्तियोंको अवतक नहीं देखा है और इस कारण निजी अनुभवसे नहीं कह सकता कि इन वस्तियोंकी क्या दशा है। लेकिन यदि आप मुझे बता सकें कि ये वस्तियाँ भी उतनी ही सुवासपूर्ण होंगी जितने कि दारचीनीके बागान हैं तो मैं आपकी बातपर यकीन कर लूँगा और जहाँ-कहीं जाऊँगा आपके नगरका विज्ञापन करता जाऊँगा और मैं कहूँगा: "यदि आप एक आदर्श नगरपालिका देखना चाहते हैं तो कोलम्बो जाइए।" लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे विशेष योग्यताका वह प्रमाण-पत्र पा सकेंगे। मेरा अभिप्राय आपकी श्रमिक-वस्तियोंकी दशासे है। मैंने आपके श्रमिक वर्गके बारेमें कुछ आँकड़ोंका अध्ययन किया है।

मैं समझता हूँ कि कोलम्बो-जैसा नगर, जो एक दृष्टिसे सूखा है, एक दूसरे अर्थमें भी आसानीसे शुष्क<sup>१</sup> हो सकता है। और यदि आप, जो कोलम्बोके नागरिकोंके कल्याणके जिम्मेदार हैं, कोलम्बोको शुष्क बनाना चाहते हों और यदि वास्तवमें ऐसा करना आपके लिए सम्भव हो तो आप न केवल कोलम्बोके नागरिकोंके और मुझ-जैसे एक तुच्छ व्यक्तिके, बल्कि पूर्वीय देशोंकी सभी नगरपालिकाओंके घन्यवादके पात्र होंगे।

मैंने जो दिशा बताई है, उस दिशामें मार्ग प्रदर्शन करनेमें ईश्वर आपकी सहायता करे। आपने मुझे कृपापूर्वक जो अभिनन्दनपत्र दिया है, उसके लिए मैं एक बार फिर आपको घन्यवाद देता हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

सीलोन ऑब्जर्वर, १५-११-१९२७

विद गांधीजी इन सीलोन

## १७४. भाषण : आनन्द कालेज, कोलम्बोमें

१५ नवम्बर, १९२७

प्रिसिपल महोदय, शिक्षकगण और विद्यार्थियो,

कोलम्बो और लंका आनेमें तथा आप लोगोंका परिचय प्राप्त करनेमें मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं जहाँ-कहीं भी जाता हूँ, स्कूलके बच्चोंसे मिलना पसन्द करता हूँ।

यहाँ लंकामें अधिकांश लड़के बुद्धकी शिक्षासे प्रभावित रहते हैं। उस महान् गुणसे हमें सन्मार्गका पाठ पढ़ाया है और बच्चो, तुम इस प्रकारकी सस्थाओंमें उस सन्मार्गको जाननेके लिए आते हो। उस सन्मार्गको जाननेका अर्थ केवल यही नहीं है कि हम उन बहुत-सी चीजोंको, जो श्रेष्ठ, भली और सुन्दर लगे, अपने मस्तिष्कमें भर ले, बल्कि यह भी है कि हम सही कार्य करे। खैर, सन्मार्गका पहला सिद्धान्त है सत्य बोलना, सत्यका विचार करना और सत्य-कर्म करना। और दूसरा सिद्धान्त है, प्रत्येक जीवधारिसे प्रेम करना। गौतम बुद्धमें करुणा और दया इतनी भरी हुई थी कि उन्होंने हमें मानवको ही प्यार करनेकी शिक्षा नहीं दी, बल्कि जिसमें भी जीवन है, उस सबसे, समस्त प्राणि-जगत्से प्रेम करना सिखाया। उन्होंने हमें अपने व्यक्तिगत जीवनको भी शुद्ध रखनेकी शिक्षा दी। इसलिए बच्चो, यदि तुम सत्याचारी नहीं हो, प्रेमपूर्ण और दयावान नहीं हो, तुम्हारा व्यक्तिगत आचरण पवित्र नहीं है तो इस संस्थामें तुमने कुछ नहीं सीखा। गौतम बुद्धका जन्म कहाँ हुआ था, यह मुझे तुममें से कौन लड़का बतायेगा ?

एक बहुत छोटे लड़केने, जो महात्माजीके सामने बँठा था, उत्तर दिया : उनका जन्म कपिलवस्तुमें हुआ था।

महात्माजी : और कपिलवस्तु कहाँ है ?

लड़का : यह भारतमें है।

महात्माजी : तब मैं तुम सब लड़कोंसे कहता हूँ कि गौतमके देगके लोगोका तुम लोगपर कुछ ऋण है, और, यदि तुम्हें पहले ही मालूम न हो, तो मुझे तुमको बड़े दुःखसे बताना पड़ रहा है कि जहाँ गौतमने जीवन व्यतीत किया और जहाँ उन्होंने उपदेश दिया और जिसे अपने पुनीत चरणोंसे उन्होंने पवित्र किया, उस देगमें भयंकर गरीबी और संकट है। भारतकी जनता, वहाँके करोड़ों लोग जो आज इतने गरीब हैं, उसका एक कारण यह है कि उन्होंने अपने प्राचीन उद्योगको छोड़ दिया है या फिर वे उससे वचित कर दिये गये हैं। मेरा मतलब चरखेसे है। खैर, अब वे चरखा फिर शुरू कर सकते हैं, वशतें कि भारतका प्रत्येक व्यक्ति और हमारे लोग भी चरखेपर जो-कुछ काता जाये और बुना जाये, वह पहनने लगे। उस कपड़ेको खादी कहते हैं।

दयाका जो सन्देश गौतमने तुमको और मेरे देश भाइयोंको दिया, उसके लिए यदि तुम अपना आमार प्रकट करना चाहते हो तो तुम खादी जरूर पहनो। जहाँतक मैं जानता हूँ, तुम छोटे लड़कोंने और दूसरोंने जो कपड़ा पहन रखा है, वह कोलम्बो या लंकार्में निर्मित नहीं है और यह देखते हुए कि अपने तनको ढँकनेके लिए तुम्हें कुछ कपड़ा खरीदना ही है, तुम्हारा यह प्रथम कर्त्तव्य है कि तुम वही कपड़ा खरीदो जो गौतमके देशभाइयों, करोड़ों भूखे लोगों द्वारा बुना गया है। और यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम सन्मार्गमें जो दूसरा सिद्धान्त बताया गया है, उसके मुताबिक अमल करोगे या अमल करना शुरू कर दोगे। मैंने तुमको जो-कुछ बताया है वह स्वभावतः तुम्हारे शिक्षको और तुम्हारे माता-पिताओपर भी दुगुना लागू होता है। यदि तुम चतुर, भले और वहादुर लड़के हो तो तुम इन सब बातोंकी चर्चा अपने शिक्षको तथा माता-पितासे करोगे और उनसे पूछोगे: “गांधी नामके इस विचित्र व्यक्तित्ने यह क्या चीज बताई है? और यदि मैं गलतीपर नहीं हूँ तो वे, मैंने तुमसे जो-कुछ कहा है, उसका अक्षरशः समर्थन करूँगे। तुमने मुझे जो पैसा दिया है, वह इसी कामके लिए है और मैं तुमको और तुम्हारे शिक्षकोंको भारतके करोड़ो भूखे लोगोंके लिए यह पसा देनेके लिए धन्यवाद देता हूँ। खद्दर पहनना तो उस कदमका अनुसरण-मात्र है जो आज तुमने उठाया है। भगवान तुम सबको सुखी रखे।

[ अंग्रेजीसे ]

सीलोन डेली न्यूज, १६-११-१९२७

विद गांधीजी इन सीलोन

## १७५. भाषण : नालन्दा विद्यालय, कोलम्बोमें

१५ नवम्बर, १९२७

प्रिसिपल महोदय, शिक्षकगण और विद्यार्थियो,

जिस कामके लिए मैं इस सुन्दर द्वीपमें आया हूँ, उस कामके लिए मुझे दान देनेके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। . . .<sup>१</sup>

और मैं आपसे कहता हूँ कि बुद्धने जो दया-धर्मका सन्देश दिया है, यदि आप उसपर अमल करना चाहते हैं और गौतमका आपपर जो ऋण है, उसे चुकाना चाहें तो जबतक आप स्वयं खादी तैयार करनेके काविल नहीं हो जाते, तबतक आप भारतमें निर्मित खादी ही पहनें। मेरे अनुवादक मित्रने<sup>२</sup> बड़े गर्वके साथ मुझे बताया है कि जो कपड़ा वे पहने हुए हैं, वह लंकार्में ही तैयार किया गया है। खैर, जबतक वह लंकार्में तैयार की गई पर्याप्त खादी पेश करनेमें समर्थ है तबतक मैं आपको भारतमें निर्मित एक गज खादी भी खरीदनेसे मना करूँगा, लेकिन यदि आप अपने हाथोंसे काम

१. इसके बाद गांधीजी बुद्ध और खादीके सन्देशके सम्बन्धमें बोले।

२. जे० एस० पी० जयवर्द्धन, जिन्होंने भाषणका सिंहलीमें अनुवाद किया।

करें और खादी तैयार करें तो वास्तवमें तब भी आप बुद्धके अनुयायी ही समझे जायेंगे । यदि आप बैसा करेंगे तो आप एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके ममूचे ससारकी सहायता करेंगे । लेकिन इस बीच मैं आपको बताना चाहूँ कि यदि आप सब, शिक्षकगण और आप लोग, खादी पहनने लगें तो यह एक सही बात होगी और इस प्रकार आपने धैर्य मेंट करके जो एक कदम उठाया है, यह उसका अनुसरण होगा । मैं आपको एक बार फिर इस विद्यालयमें आमन्त्रित करनेके लिए धन्यवाद देता हूँ और ईश्वरमें प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सुखी रखे ।

[ अंग्रेजीसे ]

सीलोन डेली न्यूज, १६-११-१९२७

विद गांधीजी इन सीलोन

## १७६. भाषण : बौद्धोंकी सभामें<sup>१</sup>

१५ नवम्बर, १९२७

आपके अभिनन्दनपत्रके लिए मैं आपको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ । आपके इस सौजन्यका भी मैं आदर करता हूँ कि आपने उसका अनुवाद मुझे पहलेसे ही दे दिया था । मैं श्रीमान महाथेर और भिक्षुओंका भी उनके आशीर्वादके लिए उतना ही आभारी हूँ । मुझे आज जो आशीर्वाद यहाँ प्राप्त हुआ है इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ, और आज इस सभामें महाथेर और भिक्षुओंको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उस आशीर्वादके योग्य बननेकी कोशिश हमेशा करता रहूँगा । आपके मानपत्रमें भारतके बुद्ध गया मन्दिरका जिक्र आया है । श्रीमान महाथेरने भी उसका उल्लेख अभी किया । बहुत जमानेसे उस मन्दिरके बारेमें मैं दिलचस्पी लेता रहा हूँ और कांग्रेसकी ओरसे जो-कुछ करना सम्भव था, बेलगाँवमें अ० भा० राष्ट्रीय कांग्रेसके सभापतिकी हैसियतसे मुझे वह करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था ।<sup>२</sup> इस सिलसिलेमें कांग्रेसमें किये गये मेरे कार्यपर जो विवाद उठा था, उसका हवाला मेरे पास लंकाके किसी अज्ञात मित्रने भेजा था । उस समय उस झगडेमें पडना मैंने ठीक नहीं समझा था । अब भी उसके बारेमें कुछ नहीं कहना चाहता । मैं आपको सिर्फ यही भरोसा दिला सकता हूँ कि आपके दावोंको मनवानेके लिए मुझसे जो-कुछ सम्भव था, मैंने किया और अब भी कहूँगा । मैं आपसे केवल इतना ही कह सकता हूँ कि कांग्रेसका उतना प्रभाव नहीं है जितना मैं चाहूँगा कि हो । स्वामित्वके अधिकारके सिलसिलेमें कितनी ही मुश्किलें उठ रही होती हैं । कानूनी कठिनाइयाँ भी रास्तेमें हैं । कांग्रेसके पास जो अच्छेसे-अच्छे आदमी थे, उन लोगोंकी उमने एक समिति इसपर विचार करने और अगर हो सके तो उस

१. यह भाषण कोलम्बोके विधोदय कालेजमें अखिल लंका बौद्ध परिषद द्वारा दिये गये अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें दिया गया था ।

२. देखिए खण्ड २५, पृष्ठ ५७९-८० ।



महंतसे कोई समझौता भी कर लेनेके लिए बनाई जो इस समय मन्दिरपर कब्जा किये हुए है। उस समितिने अपनी रिपोर्ट दे दी है और मैं यह मान लेता हूँ कि आपमें से कुछ लोगोंने उसे देखा भी है। समितिने पंच मुकर्रर करानेकी कोशिश की, किन्तु इसमें वह असफल रही। मगर निराश होनेकी कतई वजह नहीं है। खैर, मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत-सहानुभूति बिल्कुल आपके साथ है और अगर यह मेरे बसकी बात होती तो मैं आज ही आपको मन्दिर सौंप देता। आपके अभिनन्दन-पत्रमें लंकाके किसी मन्दिरका भी जिक्र था। इस मन्दिरके बारेमें जो विवाद है, उसके विषयमें मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपमें से कोई उस मन्दिरके बारेमें सारी बातें मुझे बताये और यह भी बताये कि जबतक मैं यहाँ हूँ, उस बीच मैं उसके बारेमें क्या कुछ कर सकता हूँ। आप इस बारेमें निश्चित रहें कि अगर मुझे ऐसा लगा कि इसके बारेमें मैं कुछ कर सकता हूँ तो वह कलेंगा और यह आपपर कोई एहसान करनेके लिए नहीं, बल्कि अपने मनके सन्तोषके लिए कलेंगा।

आपको शायद पता नहीं है कि मेरे बड़े लड़केने मुझपर बौद्ध होनेका इल्जाम लगाया था और मेरे कुछ हिन्दू देशवासी भी यह कहनेमें नहीं हिचकते कि मैं सनातन हिन्दू-धर्मकी आड़में बौद्ध-धर्मका प्रचार कर रहा हूँ। मेरे लड़के द्वारा लगाये आरोप और हिन्दू मित्रोंके इल्जामके प्रति मेरी सहानुभूति है। और कभी-कभी मैं बुद्धका अनुयायी होनेके इल्जाममें गर्वका अनुभव भी करता हूँ और इस समामें मुझे आज यह कहनेमें जरा भी हिचक नहीं है कि मैंने बुद्धके जीवनसे बहुत-कुछ प्रेरणा पाई है। कलकत्तेके नये बौद्ध मन्दिरमें किसी वार्षिकोत्सवपर मैंने यही खयाल जाहिर किये थे। उस सम्राके नेता थे अनागारिक धर्मपाल। वे इस बातपर रो रहे थे कि उनके प्रिय कार्यकी ओर लोग ध्यान नहीं देते और मुझे याद है कि इस रोजके लिए मैंने उन्हें बुरा-भला कहा था। मैंने श्रोताओंसे कहा कि बौद्ध-धर्मके नामसे प्रचलित चीज भले ही हिन्दुस्तानसे दूर हो गई हो, मगर बुद्ध भगवानका जीवन और उनकी शिक्षाएँ तो हिन्दुस्तानसे दूर नहीं हुई हैं। यह बात शायद तीन साल पहलेकी है और अब भी मैं अपने उस मतमें कोई फेरबदल करनेकी वजह नहीं देखता। गहरे विचारके बाद मेरी यह धारणा बनी है कि बुद्धकी शिक्षाओंके प्रचान अंग आज हिन्दूधर्मके अभिन्न अंग हो गये हैं। गौतमने हिन्दूधर्ममें जो सुधार किये, उनसे पीछे हटना आज हिन्दू-भारतके लिए असम्भव है। अपने महान त्याग, अपने महान वैराग्य और अपने जीवनकी निर्मल पवित्रतासे गौतम बुद्धने हिन्दूधर्मपर अभिट छाप डाली है और हिन्दूधर्म उस महान शिक्षकसे कभी उच्छ्रण नहीं हो सकता। और अगर आप मुझे क्षमा करें और कहनेकी अनुमति दें तो मैं कहूँगा कि हिन्दूधर्मने आजके बौद्ध-धर्मका जो अंश आत्मसात् नहीं किया है, वह बुद्धके जीवन और शिक्षाओंका मुख्य अंश ही नहीं था।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि बौद्ध-धर्म, या कहिए बुद्धकी शिक्षाएँ हिन्दुस्तानमें पूरी तरह फलीभूत हुईं। और इसके सिवा दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि

गौतम स्वयं हिन्दुओंमें श्रेष्ठ हिन्दू थे। उनकी नस-नसमें हिन्दू-धर्मकी सभी गूत्रियां मरी पड़ी थी। वेदोंमें दबी हुई कुछ शिक्षाओंमें, जिनके सारको मुलाकर लोगोंने छायाको ही ग्रहण कर रखा था, उन्होंने जान डाल दी। उनकी महान हिन्दू भावनाने निरर्थक शब्दोंके जजालमें दबे हुए वेदोंके अनमोल सत्योंको जाहिर किया। उन्होंने वेदोंके कुछ शब्दोंसे ऐसे अर्थ निकाले, जिनसे उस युगके लोग त्रिलकुल अपरिचित थे और उन्हें हिन्दुस्तानमें इसके लिए सबसे अनुकूल वातावरण मिला। जहाँ-कहीं बुद्ध गये, उनके चारों ओर अहिन्दू लोग नहीं, बल्कि ऐसे हिन्दू विद्वान ही धिरे रहते थे जो स्वयं वेदोंके ज्ञाता थे। मगर बुद्धके हृदयकी तरह ही उनकी शिक्षा भी अत्यन्त व्यापक और सर्वग्राही थी और इसी कारण उनके मरनेके बाद भी वह जीवित रही, और संसार-भरमें फैल गई। और बुद्धका अनुयायी कहे जानेका खतरा उठाकर भी मैं इसे हिन्दू-धर्मकी ही विजय कहता हूँ। उन्होंने हिन्दू-धर्मको कभी अस्वीकार नहीं किया, केवल उसका आधार विस्तृत कर दिया। उन्होंने इसमें एक नई जान फूँक दी, इसको एक नया ही रूप दे दिया। मगर अब आगे जो-कुछ मैं कहूँगा उसके लिए आप क्षमा करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बुद्धकी शिक्षाओंको तिब्बत, लंका, चीन या बर्मा कोई भी देश पूरी तरह आत्मसात् नहीं कर पाया। मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ। मैं बौद्ध-धर्मका पंडित होनेका दावा नहीं रखता। बौद्ध-धर्मपर प्रश्नोत्तरमें शायद नालन्दा विद्यालयका कोई छोटा लड़का भी मुझे हरा देगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ मैं बहुत विद्वान भिक्षुओं और गृहस्थोंके सामने बोल रहा हूँ, किन्तु अगर मैं अपने दिलका विश्वास आपसे न कहूँ तो मैं आपके सामने और अपनी अन्तरात्माके सामने झूठा ठहरूँगा।

आप लोगो और हिन्दुस्तानके बाहरके वीद्वानों वेशक बुद्धकी बहुत-सी शिक्षाएँ ग्रहण की हैं। मगर जब मैं आपके जीवनकी जाँच करता हूँ और लंका, बर्मा, चीन या तिब्बतके मित्रोंसे प्रश्न पूछता हूँ तो मैं आपके जीवनमें, और बुद्धके जीवनका जो मैं मुख्य भाग समझता हूँ, उसमें असंगतियाँ देखकर फेरमें पड़ जाता हूँ। अगर मेरी बातें आपको थका न रही हो तो मैं आपके सामने तीन खास बातें रखना चाहूँगा, जो मेरे दिमागमें अभी-अभी आई हैं। पहली चीज है ईश्वर कही जानेवाली एक सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिशाली नियतिमें विश्वास करना। मैंने यह बात अनगिनत बार सुनी है और बौद्ध-धर्मकी भावनाको प्रकट करनेका दावा करनेवाली किताबोंमें पढ़ी है कि बुद्ध ईश्वरमें विश्वास नहीं करते थे। मेरी नम्र सम्मतियें बुद्धकी शिक्षाओंकी मुख्य बातके यह त्रिलकुल विरुद्ध है। मेरी नम्र सम्मतियें यह भ्रान्ति इस बातसे फैली कि बुद्धने अपने जमानेमें ईश्वरके नामपर चलनेवाली सभी बुरी चीजोंको अस्वीकार कर दिया था और यह उचित ही किया था। उन्होंने बेशक इस धारणाको अस्वीकार किया कि जिसे ईश्वर कहते हैं, उसमें द्वेष-भाव होता है, वह अपने कामोंके लिए पछताता है, वह पृथ्वीके राजाओंकी तरह लोभ और घूसका शिकार हो सकता है, या वह कुछ व्यक्तियोंपर विशेष कृपालु हो सकता है। उनकी सम्पूर्ण आत्मा इस विश्वासके विरुद्ध विद्रोह कर उठी कि जिसे ईश्वर कहते हैं, वह अपनी तुष्टिके लिए

अपने ही रचे हुए पशुओंके खूनकी आवश्यकता महसूस करता है। इसलिए उन्होंने परमात्माको उसके सच्चे आसनपर पुनः प्रतिष्ठित किया और उस पवित्र सिंहासनपर बैठे हुए लूटेरेको हटा दिया। उन्होंने यह बात जोर देकर समझाई और इस सत्यकी एक बार फिरसे घोषणा की कि यह संसारके कुछ शाश्वत और अटल नैतिक नियमोंसे शासित है। उन्होंने बिना किसी हिचकके कहा है कि नियम ही परमात्मा है।

परमात्माके नियम शाश्वत और अटल हैं। वे परमात्मासे अलग नहीं किये जा सकते हैं। ईश्वरकी पूर्णताकी यह अपरिहार्य शर्त है। इसलिए यह भ्रान्ति फैली कि गौतम बुद्धका परमात्मामें विश्वास नहीं था और वे सिर्फ नैतिक नियमोंमें ही विश्वास करते थे; और स्वयं ईश्वरके बारेमें यह भ्रान्ति फैलनेसे ही निर्वाणके बारेमें भी मतिभ्रम हुआ है। निर्वाणका अर्थ अस्तित्वका सम्पूर्ण अन्त तो बेशक नहीं है। बुद्धके जीवनकी मुख्य बात जो मैं समझ सका हूँ, वह यह है कि निर्वाणका अर्थ है, हममें से सभी बुराइयोंका बिलकुल नष्ट हो जाना, सभी विकारोंका नेस्त-नाबूद हो जाना, हमारे अन्दर जो-कुछ भ्रष्ट है या भ्रष्ट हो सकता है उसकी हस्ती मिट जाना। निर्वाण इमशानकी मृत शान्ति नहीं है। वह तो उस आत्माकी जीवन्त शान्ति और सुख है, जिसने अपने-आपको पहचान लिया हो और अनन्त प्रभुके हृदयके भीतर अपना निवास ढूँढ़ निकाला हो।

तीसरी बात यह है कि सभी प्रकारका जीवन पवित्र है, यह विचार भारतसे बाहर देशोंमें जाकर अपना महत्त्व खो बैठा है। परमात्माको उसके शाश्वत आसनपर पुनः प्रतिष्ठित करके बुद्धने मानवताकी बड़ी भारी सेवा की थी, लेकिन उससे भी बड़ी सेवा मैं यह मानता हूँ कि उन्होंने सभी प्राणियोंके जीवनका आदर करना सिखलाया, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हों। मैं जानता हूँ कि उनका अपना भारत उस ऊँचाईतक नहीं उठा जितना ऊँचा कि वे उसे देखना चाहते। मगर जब उनकी शिक्षाएँ दूसरे देशोंमें बौद्ध-धर्मके नामसे पहुँची, तब उनका यह अर्थ लगाने लगा कि पशुओंके जीवनकी वही कीमत नहीं है जो मनुष्योंके जीवनकी है। मुझे लंकाके बौद्ध-धर्मके रिवाजों और विश्वासोंका ठीक पता नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि चीन और बर्मामें उसने कौन-सा रूप धारण किया है। खासकर बर्मामें कोई बौद्ध खुद एक भी जानवर नहीं मारेगा, मगर दूसरे लोग उसे मार और पकाकर लायें तो उसे खानेमें उसको कोई झिझक नहीं होगी। संसारमें अगर किसी शिक्षकने यह सिखाया है कि हरएक कर्मका फल अनिवार्य रूपसे मिलता है तो गौतम बुद्धने ही सिखाया है, मगर तब भी, आज हिन्दुस्तानके बाहरके बौद्ध यदि उनसे वने तो, अपने कर्मके फलोसे बचनेकी कोशिश करनेसे बाज नहीं आयेंगे। मगर मुझे आपके धर्मकी और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मैंने उन कुछ-एक बातोंका थोड़ा जिक्र-भर किया है, जिन्हें आपके सामने लाना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ और मैं बड़ी नम्रताके साथ और आग्रहपूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनपर ध्यानसे विचार करें।

वस एक और बात कहकर मैं भाषण समाप्त करूँगा। फल रातको स्वागत समितिके सदस्योंने किसी सभामें खादी और लंकाके सम्बन्धपर कुछ कहनेके लिए

मुझसे कहा था। इस विषयपर बोलनेके लिए मेरे पास अधिक समय नहीं बचा है। मगर मैं उसका सार एक-दो वाक्योंमें देनेकी कोशिश करूँगा। एक बात तो यह है कि आप लोगका, जो बुद्धको अपने हृदयका देवता मानते हैं, बुद्धकी जन्मभूमि और उनके उन वंशजोंके प्रति आपका कुछ कर्तव्य है, जिनके लिए वे जिये और मरे। आज उनके ये वंशज मुसीबतकी जिन्दगी गुजार रहे हैं, भुखमरीकी जिन्दगी गुजार रहे हैं। अतः मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि खादीके जरिये आप अपने हृदयके देवता और अपने बीच एक जीवन्त सम्बन्ध जोड़ सकेंगे। अगर आप उनकी शिक्षाकी मुख्य बातके अनुसार चले और जीवनको क्षणिक मानते हुए उसका अर्थ समी मौक्तिक वस्तुओंका त्याग मानें तो आप तुरन्त ही खादीके सन्देशकी खूब-सूरतीको समझ जायेंगे, जिसका कि दूसरा अर्थ है सादा जीवन और ऊँचे विचार। मैं आपमें से हरएकसे कहूँगा कि ये दो विचार लेकर आप अपने लिए खादीके सन्देशका अर्थ खुद ही लगा लीजिए। आपने मुझपर जो कृपा दिखाई है, उसके लिए तथा अभिनन्दनपत्र और आपके आशीर्वादके लिए मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूँ और आज्ञा करता हूँ कि आपने मेरे नम्र सन्देशको उसी भावनासे ग्रहण किया है जिस भावनाके साथ वह दिया गया है। इसे आलोचककी आलोचना न समझकर दिली-दोस्तका सन्देश मानिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-११-१९२७

## १७७. भाषण : वाई० एम० सी० ए०', कोलम्बोमें

१५ नवम्बर, १९२७

कोलम्बोमें वाई० एम० सी० ए० के हॉलमें एकत्र भारी जन-समूहके सामने बोलते हुए गांधीजीने कहा कि प्रतिदिन संसार-भरमें ईसाइयोंके साथ मेरा घनिष्ठ सम्पर्क होता जा रहा है और इस अवसरका मैं उसी सम्पर्कके एक और उदाहरणकी तरह स्वागत करता हूँ। [आगे उन्होंने कहा:]

कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे यह साफ-साफ इनकार करनेपर भी कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मेरी बातको स्वीकार नहीं करते।

ईसाका सन्देश, जैसा कि मैं उसे समझता हूँ, उनके "सरमन ऑन द माउंट" में विशुद्ध और सर्वांग रूपमें निहित है, और "सरमन ऑन द माउंट" के विषयमें भी, मेरी विनम्र व्याख्या रूढ़ व्याख्यासे कई दृष्टियोंसे भिन्न है। मेरी समझमें, पश्चिममें इस सन्देशको विकृत किया गया है। मेरा यह कहना छोटे मुँह बड़ी बात हो सकता है, लेकिन सत्यका भक्त होनेके नाते मैं जो महसूस करता हूँ, उसे कहनेमें मुझे हिच-

कना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि दुनिया इस बातका इन्तजार नहीं कर रही है कि ईसाईधर्मके बारेमें मैं अपनी कोई राय दूँ।

किसी व्यक्तिका धर्म अन्ततः तो उसके और उसके रचयिताके बीचकी चीज है, जिससे किसी औरको कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आज गाम जो मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ वह इसलिए कि मैं सत्यकी अपनी खोजमें आपकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता हूँ और इसलिए कि बहुत-से ईसाई मित्र ईसाके उपदेशोंके बारेमें मेरे विचारोंमें दिलचस्पी रखते हैं। अतः यदि मेरे सामने केवल “सरमन ऑन द माउंट” और उसकी मेरी अपनी व्याख्या ही होती, तो मैं यह कहनेमें नहीं हिचकता कि ‘हाँ, मैं ईसाई हूँ।’ लेकिन मैं जानता हूँ कि इस समय यदि मैं ऐसी कोई बात कहूँ तो इससे बड़ी गलतफहमी पैदा हो जानेका अन्देशा है। मैं झूठा दावा करनेका अपराधी हो जाऊँगा क्योंकि तब मुझे आपको वताना पड़ेगा कि ईसाईधर्मकी मेरी अपनी व्याख्या क्या है, और आपके सामने ईसाई-धर्मके बारेमें अपने विचार वतानेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूँ कि ईसाई-धर्मके नामसे जो बहुत-कुछ चीजें चलती हैं वे “सरमन ऑन द माउंट”के विरुद्ध हैं। कृपया मेरे शब्दोंपर ध्यान दें। मैं इस समय ईसाई आचरणकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ईसाई मान्यताओंकी, ईसाई-धर्मके उस स्वरूपकी बात कर रहा हूँ, जिस रूपमें पश्चिममें उसे समझा जाता है। मैं यह जानता हूँ और मुझे इसका बहुत दुःख है कि सभी जगह मान्यताओंके मुकाबले आचरणमें बहुत कमियाँ हैं। लेकिन ऐसा मैं आलोचनाकी दृष्टिसे नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने अनुभवोंसे जानता हूँ कि हालाँकि मैं अपने कथनोंके अनुसार आचरण करनेकी जीवनमें हर क्षण कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कथनके मुकाबले मेरे आचरणमें कमी रह जाती है। इसलिए यह बात आलोचनाकी नीयतसे कहनेका मेरा कोई मंशा नहीं है। लेकिन मैं आपके सामने अपनी बुनियादी कठिनाइयाँ रख रहा हूँ। जब १८९३ में मैंने एक विनम्र विद्यार्थीके रूपमें दक्षिण आफ्रिकामें ईसाई साहित्य पढ़ना शुरू किया तो मैंने अपने आपसे पूछा, ‘क्या यह ईसाइयत है?’ और मुझे हमेशा वेदोंका यह उत्तर मिला ‘नेति-नेति’ (यह नहीं, यह नहीं)। और मेरे अन्तरकी गहराइयोंसे आवाज आती है कि मैं ठीक हूँ।

मैं ईश्वरमें विश्वास रखनेवाला एक विनम्र व्यक्ति होनेका दावा करता हूँ, और मुझे टुकड़े-टुकड़े भी कर दिया जाये तो ईश्वर मुझे शक्ति देगा कि मैं उसके अस्तित्वसे इनकार न करूँ, बल्कि जोर देकर कहूँ कि वह है। मुसलमान कहते हैं कि अल्ला है, और उसके सिवा कोई नहीं है। ईसाई भी वही बात कहते हैं, और हिन्दू भी, और अगर कह सकूँ तो बौद्ध लोग भी यही बात कहते हैं, हालाँकि मित्र शब्दोंमें। हम ईश्वर शब्दकी अलग-अलग व्याख्या मले ही करते हों— उस ईश्वरकी, जिसमें हमारी यह पृथ्वी ही नहीं, ऐसी करोड़ों, अरबों पृथ्वियाँ समाई हुई हैं। हम तुच्छ रंगनेवाले जीव, जिन्हें उसने इतना असहाय बनाया है, हम उसकी महानता, उसके असीम प्रेम, उसकी अगाध करुणाको कैसे नाप सकते हैं? उसकी करुणा ऐसी है कि जब मनुष्य घृष्टतापूर्वक उसके अस्तित्वसे इनकार कर देता है, अन्य मनुष्योंका गला काटता है तो वह इसे भी बद्वित कर लेता है। जो ईश्वर इतना क्षमाशील,

इतना दिव्य है, उसकी महानताको हम कैसे नाप सकते हैं। इस प्रकार हम भले वे ही शब्द उच्चारित करे, लेकिन हम सबके लिए उन शब्दोंका एक ही अर्थ होना जरूरी नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपने भाषणों या लेखों द्वारा शुद्धि अथवा तबलीग या धर्म परिवर्तन करानेकी जरूरत नहीं है। हम अपने जीवनके उदाहरण द्वारा ही वास्तवमें वैसा कर सकते हैं। हमारा जीवन औरोंके लिए खुली किताबकी तरह हो। कितना अच्छा हो कि मैं मिशनरी मित्रोंको अपने मिशनके प्रति यह दृष्टि अपनानेके लिए राजी कर सकूँ। तब न कोई अविश्वास होगा, न सन्देह-ईर्ष्या, और न झगड़े ही होंगे।

इसके बाद गांधीजीने आधुनिक चीनको मिसालके तौरपर लिया। उन्होंने कहा, महान राष्ट्रीय उथल-पुथलकी पीड़ासे गुजरते हुए नवचीनके साथ मेरी हार्दिक सहानु-भूति है। मुझे चीनके यंग विमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन (ईसाई युवती संघ) और यंग मॅन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन (ईसाई युवक संघ) के छात्र विभागसे प्राप्त पुस्तिका से चीनमें चल रहे ईसाई-विरोधी आन्दोलनका पता चला है। पुस्तिकाके लेखकोने ईसाई-विरोधी आन्दोलनका अपना अर्थ लगाकर उसे प्रस्तुत किया है, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नवचीन ईसाई आन्दोलनको चीनकी आत्माभिव्यक्तिका विरोधी मानता है। मेरे लिए इस ईसाई-विरोधी आन्दोलनसे मिलनेवाला पाठ स्पष्ट है। गांधीजीने कहा :

ये नौजवान चीनी ईसाई-धर्म-प्रचारकोंसे कहते हैं कि आप अपने प्रचारको राष्ट्र-विरोधी मत होने दीजिए। पश्चिमकी ओरसे ईसाई-धर्मके प्रचारके जो प्रयत्न हुए हैं, उनके प्रति उनके ईसाई मित्र भी सशंक हो उठे हैं। मैं आपसे कहूँगा कि नौजवानों द्वारा लिखे गये इन निबन्धोंमें एक गहरा अर्थ है, एक गहरा सत्य है, क्योंकि ये नौजवान ईसाई शिक्षाओंके अनुसार जिस हृदयके अपने जीवनको ढाल पाये हैं, उस हृदयके वे अपने ईसाई-धर्मानुसार किये जानेवाले आचरणोंको उचित ठहरानेकी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ उस विरोधका कोई आधार पानेकी कोशिश कर रहे हैं। इस ईसाई-विरोधी आन्दोलनसे जो निष्कर्ष मैं चाहूँगा कि आप निकाले वह यह है कि आप लंकाके लोग अपने परिवेशसे, अपनी जमीनसे नाता न तोड़ें, और पश्चिमके लोग जाने या अजाने लंकावासियोंके रहन-सहनके ढंग, रीति-रिवाजों और आदतोंको, जिस हृदयके वे बुनियादी नीति-धर्म और नैतिकताके विरुद्ध न हो, बदलनेकी कोई कोशिश न करे। आज जिसे हम आधुनिक सभ्यता कहते हैं, उसे ही ईसाके उपदेश मत समझिए, और जिन लोगोंके साथ आपने अपना भाग्य जोड़ लिया है, कृपया उनके साथ अनजाने कोई हिंसा मत कीजिए। धर्मोपदेशकके काममें यह शामिल नहीं है कि वह पूर्वके लोगोंके जीवनको जड़से उखाड़ दे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उनमें जो-कुछ अच्छा है, उसे सहन कीजिए और अपनी पूर्वधारणाओंके वश होकर जल्दबाजीमें उनके सम्बन्धमें कोई राय मत बनाइए। पश्चिमी सभ्यताकी महानतामें आपका अपना जो विश्वास है और अपनी तमाम उपलब्धियों

पर आपका अपना जो गर्व है, उसके वावजूद मैं आपसे विनम्र बननेको कहूँगा और कहूँगा कि आप अपने मनमें सन्देहके लिए थोड़ी गुंजाइश रखें जिसमें, जैसा कि टेनिसनने अपनी कवितामें लिखा है, अपेक्षाकृत ज्यादा सत्य होता है। कहनेकी जरूरत नहीं कि “सन्देह” से उनका अभिप्राय किसी मित्र चीजसे था। हममें से हर आदमी अपना जीवन जिये, और यदि हमारा जीवन ही सही जीवन है तो फिर जल्दवाजीका कारण ही कहाँ है? उसकी तो स्वतः प्रतिक्रिया होगी।

आप लंकावासी युवक<sup>१</sup> मित्रोंसे मैं कहता हूँ : पश्चिमसे जो तड़क-भड़कवाली चीजें आपके पास आती हैं, उनसे आप चकाचौंध मत हो जाइए। इस अस्थायी दिखावेके कारण आपके पैर लड़खड़ा न जायें। बुद्धने आपसे कभी न मुलाये जानेवाले शब्दोंमें कहा है कि जीवनकी यह छोटी-सी अवधि एक अस्थायी छाया है, गुजर जानेवाली वस्तु है, और यदि आप आँखोंसे दिखाई पड़नेवाली चीजोंकी व्यर्थता समझ लेंगे, नित्य परिवर्तित होनेवाले पार्थिव शरीरकी व्यर्थता समझ लेंगे तो आपको परलोकमें सभी कुछ प्राप्त होगा, और इह लोकेमें शान्ति प्राप्त होगी, ऐसी शान्ति जो बुद्धिकी समझसे परे है, और ऐसा आनन्द प्राप्त होगा, जिसका हमें कभी कोई आभास भी नहीं हुआ है। इसके लिए विलक्षण विश्वास, दिव्य विश्वासकी और हम अपनी आँखोंके सामने जो-कुछ देखते हैं, उस सबका त्याग करनेकी जरूरत है। बुद्धने और ईसाने और मुहम्मदने भी क्या किया? उनका जीवन आत्मत्याग और सब-कुछ त्यागका जीवन था। बुद्धने सभी सांसारिक सुखोंका त्याग कर दिया, क्योंकि वे सारे संसारके साथ अपने सुखको वांटकर भोगना चाहते थे। ऐसा सुख सत्यकी खोजमें त्याग करने और कष्ट सहन करनेवाले ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि मूल्यवान प्राणोंकी आहुति देकर एवरेस्टके शिखरपर पहुँचना और कुछ मामूली पर्यवेक्षण करना अच्छी चीज है, यदि ध्रुवोंपर एक झंडा गाड़नेके लिए एकके बाद एक अनेक प्राणोंका बलिदान करना गौरवकी वस्तु है, तो शक्तिशाली और अविनाशी सत्यकी खोजमें एक जीवन नहीं, करोड़ों जीवन नहीं, बल्कि असंख्य जीवन बलिदान करना कितने गौरवकी बात होगी? इसलिए जमीनसे अपने पैर मत उखड़ने दीजिए, अपने पूर्वजोंकी सादगीसे दूर मत हटिए। एक ऐसा समय आ रहा है कि जब वे लोग, जो आजकी अन्धी दौड़में पड़कर अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाते जा रहे हैं और मूढ़तावश ऐसा मान रहे हैं कि इस प्रकार वे जीवनमें जो-कुछ सार है उसमें वृद्धि कर रहे हैं, संसारके सच्चे ज्ञानकी अमिवृद्धि कर रहे हैं, वे अपने कदम वापस लौटावेंगे और कहेंगे : “यह हमने क्या किया?” सम्यताएँ आई हैं और चली गई हैं, और हम अपनी जिस प्रगतिपर इतना गर्व करते हैं, उसके वावजूद मेरा मन पूछनेको होता है, “आखिर किसलिए?” डाविनके एक समकालीन, विलेसने भी यही बात कही है। उसने कहा, ज्ञानदार आविष्कारों और अन्वेषणोंसे भरे इन पचास वर्षोंने मानव-जाति की नैतिक ऊँचाईमें एक इंचकी भी वृद्धि नहीं की है। यही बात एक स्वप्नद्रष्टा और कल्पना-लोकमें विचरण करनेवाले व्यक्ति — टॉल्स्टॉय — ने भी कही। यही बात ईसाने

१. वाई० एम० सी० ए० के सदस्योंमें ईसाई और बौद्ध नवयुवक दोनों शामिल थे।

कही, बुद्धने कही और मुहम्मदने भी कही, जिनके धर्मको आज मेरे देशमें नकारा और झुठलाया जा रहा है।

“सरमन ऑन द माउंट” में जो अमृत-जल आपको दिया गया है उसे शीकसे खूब पीजिए, लेकिन तब आपको टाट और नस्मी अपनानी पड़ेगी। “सरमन” की शिक्षाएँ हममें से प्रत्येकके लिए थी। आप ईश्वर और अर्थ-पिशाच दोनोंकी सेवा एक साथ नहीं कर सकते। करुणामय और दयालु, साक्षात् सहिष्णुता-रूप ईश्वर अर्थ-पिशाचको चार दिनका चमत्कार दिखाने देता है। लेकिन लकाके नवयुवको, मैं आपसे कहता हूँ कि आप आत्मनाशी अर्थ-पिशाचके इस विनाशकारी तमाशेसे दूर भागिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-१२-१९२७

## १७८. भाषण : मिशनरी सम्मेलन, कोलम्बोमें

१६ नवम्बर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

आपने कृपापूर्वक इस सभाको मेरी इच्छाकी सूचना देकर मेरा काम आसान कर दिया है। किसी भी मिशनरी संस्थाके निमन्त्रणका मैं सदा स्वागत करता हूँ, और मुझे साथी-मिशनरी कहकर जो सम्बोधित किया गया है उसे मैं अपनी सराहना समझता हूँ। शायद हम “मिशनरी” शब्दको एक ही अर्थ न प्रदान करें। तथापि मैं इस प्रकार सम्बोधित किये जानेको पसन्द करता हूँ। मुझे बताया गया है कि आप हर माह एक सम्मेलन करते हैं जिसमें लंका या कोलम्बोके मिशनरी इकट्ठे होते हैं, और मुझे यह भी बताया गया है कि आपने सम्मेलनका यह दिन इसलिए नियत किया है ताकि आप मुझसे मिल सकें और मुझे आपसे मिलनेका सीमाग्य प्रदान कर सकें। मैं आपकी समितिकी इस कृपाकी कद्र करता हूँ, और इसे उसी प्रकारकी एक गोष्ठी बनानेकी दृष्टिसे मैं चाहूँगा कि आपके मनमें जो भी प्रश्न इस समय उठें, आप उन्हें मुझसे पूछिए। इससे मेरा काम सचमुच आसान हो जायेगा। मैं आपके सामने कोई भाषण नहीं देना चाहता। मेरे पास कोई नई बात कहनेको नहीं है। मैं कलकत्तेमें, बंगलोरमें, मिशनरी सम्मेलनोमें बोलता रहा हूँ और मैं मद्रासमें भी मिशनरियोके सामने बोलता हूँ, और जो बातें मैं पहले कह चुका हूँ, उनमें नया जोड़नेको मेरे पास शायद कुछ नहीं है। लेकिन यह कही बेहतर होगा कि उन सम्मेलनोमें दिये गये मेरे भाषणों, अथवा अन्यत्र किसी अन्य विषयपर दिये गये मेरे भाषणोंके बारेमें आपने जो पढा हो उसपर से, अथवा आपने मेरे भाषण सुने हो तो उसपर से आपके मनमें जो सवाल आयें, उन्हें आप पूछें। आपमें से कुछ लोगोंने मेरे प्रति जो घनिष्ठ बन्धु-भाव दिखाया है उससे मैं जानता हूँ कि आपने अखबारोंमें मेरे बारेमें



पड़ा है। अगर आप मुझमें वैसे ही विश्वास रखते हों तो आपने मेरे बारेमें जो-कुछ सुना है उसपर से भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप मुझसे ऐसे सवाल भी करेंगे जिन्हें चन्द लोगोंकी आपसी बातचीतमें भी अटपटे सवाल माना जा सकता है, तो भी मैं बुरा नहीं मानूँगा। हम इस सभाको बैठकखानेवाली गोष्ठी नहीं, बल्कि ऐसे मित्रोकी आपसी बातचीत बना लें जो एक-दूसरेके और अधिक घनिष्ठ मित्र होने, और गलतफहमीका कोहासा मिटानेकी कोशिश कर रहे हैं।

आगे बोलते हुए महात्मा गांधीने एक भजनका जिक्र किया जो उन्होंने प्रिटोरियामें सुना था: "जब कुहरेके बादल हट जायेंगे तब हम एक दूसरेको ज्यादा अच्छी तरह जान सकेंगे।" भाइए, हम लोग देखें कि कहीं कोई कुहरेका बादल न रहने पाये।

इसके बाद प्रश्नोंके लिए थोड़ी देरकी खामोशी छाई रही, और तब श्री जी० पी० विशांडने पूछा कि मनुष्य अपने पापोंकी क्षमा पा सकता है, इस सिद्धान्तके बारेमें आपका क्या विचार है। महात्मा गांधीने कहा:

यह वास्तवमें एक बहुत अच्छा प्रश्न है। यह एक बहुत पुराना सवाल है और हर पापीके मनमें स्वभावतः उठता है, और मैं मानता हूँ कि चूँकि मैंने अपने लिए जिसे मैं सामान्य मानता उससे कही ज्यादा बार पाप किया है—निश्चय ही मैंने पाप करना कभी नहीं चाहा है—इसलिए मैं जानता हूँ कि क्षमा करनेको कितना कुछ पड़ा है। मैंने जो गम्भीर पाप किये हैं, एक बार नहीं, अनेक बार, इतनी बार कि कोई भी व्यक्ति अपने आपपर लज्जित हो उठे, उन पापोंकी मेरी आत्मस्वीकृति शायद आप लोगोंमें से कुछने पढ़ी हो। अतः स्वयं अपने सन्तोषके लिए भी मैंने इस सवालकी जाँच की है। हो सकता है कि हिन्दू विचारधारामें पालित-पोषित होनेके कारण अथवा हो सकता है कि कुछ जैन मित्रोके साथ अपने घनिष्ठ सम्पर्कके कारण, यानी कि जिस हदतक जैन-धर्मको हिन्दू-धर्मसे अलग समझा जा सकता है—जो भी वजह हो, मैं इस निष्कर्षपर आया हूँ—मैं समझता हूँ कि अपनी इस उम्रमें यही शब्द इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित है, हालाँकि सुघार तो कभी भी किया जा सकता है—कि ईश्वरकी ओरसे क्षमा-जैसी कोई चीज नहीं होती, यानी उस प्रकारकी क्षमा जिसे हम लौकिक व्यवहारमें देखते-समझते हैं, उदाहरणार्थ जिस प्रकार कोई राजा अपनी प्रजाके अपराधोंको क्षमा करता है। मैं ईश्वरके नियमको शाश्वत और अपरिवर्तनीय मानता हूँ। जहाँतक मैं ईश्वरके उद्देश्यको समझ सका हूँ, ईश्वर और उसके नियमोंमें वैसे कोई भेद नहीं किया जा सकता जैसा कि हम राजाओं, भू-तलके राजाओं और उनके बनाये नियमोंमें भेद कर सकते हैं और करते हैं, और फिर भी कुछ है अवश्य जिसे क्षमाका नाम दिया जा सकता है और जो किसी अत्यन्त क्षमाशील राजा द्वारा प्रदान की जा सकनेवाली किसी भी क्षमासे कहीं अधिक निश्चित और श्रेष्ठ है, और वह क्षमा और कुछ नहीं एक नया हृदय है। यह ईश्वर द्वारा प्रदान की गई नई निश्चित आशा है जिसे कोई भी स्त्री-पुरुष तनिक भी इच्छा

होनेपर स्वयं परग्न सकता है, और जहाँतक मैं देव नका हूँ, हृदय परिवर्तनकी यह प्रथिया कुछ उस प्रकार घटित होती है।

महात्मा गांधीने आगे बोलते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्तिको अपने अपराधका ज्ञान हो जाये, और वह अपने उस अपराधको धो डालना चाहे तो वह प्रार्थना और ईश्वरसे विनती करके उसे धोनेकी शुरुआत करता है। "प्रार्थना" और "विनती" इन शब्दोंके जो लौकिक अर्थ समझे आते हैं, उससे उनका अर्थ कहीं अधिक व्यापक है, और यदि हम अपने अन्दर उस मुनिश्चित परिवर्तनकी आवश्यक कसौटीको पूरा करें तो हमें अपने अन्दर विराजमान ईश्वरकी ज्यादा निश्चित अनुभूति होगी, और वह परिवर्तन आ जानेके बाद पाप करनेवालेको अपने अन्दर ऐसा महसूस होगा जैसे उसके लिए एक सुरक्षाकी दीवार खड़ी होती जा रही है, और इसके बावजूद वह अपनी किसी विशेषताके कारण नहीं बल्कि उस जीवन्त सुरक्षा-दीवारके कारण सुरक्षा महसूस करेगा जिसे वह अपने सामने, अपने चारों ओर, अपने नीचे, और अपने ऊपर वनते देखेगा, और इस दीवारके कारण वह पाप और अपराधसे परे हो जायेगा।

यह एक धीरे-धीरे होनेवाली प्रक्रिया है, लेकिन हमारे सामने वह चमत्कारकी भाँति सहसा घटित होती प्रतीत होती है और इसीलिए हम उसके लिए "ग्रेस" [ कृपा ] शब्दका इस्तेमाल करते हैं। मैं इस शब्दका खुलकर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हिन्दू-धर्ममें भी इसके लिए एक समानार्थी शब्द है। यह शब्द ईसाई-धर्मके उपदेशोसे ज्योंका-त्यों नहीं लिया गया है; यह तो हिन्दू पुरोहितोंकी नहीं, हिन्दू-शास्त्रकारोंकी सभी पुस्तकोंमें सामान्य रूपसे पाया जाता है। उन्होंने अपने अनुभव लिपिबद्ध कर दिये थे और उन्होंने अपने अनुभवका वर्णन इसी तरह किया है। मुझे इस प्रक्रियाका ज्ञान कैसे हुआ मैं नहीं जानता; इसकी मुझे चिन्ता भी नहीं है। यदि मैं ईसाइयोंके साथ अपने घनिष्ठ सम्पर्कके जरिये इस प्रक्रियातक पहुँचा हूँ तो मुझे इसकी खुशी होगी, और यदि मैं हिन्दू संस्कारोंमें पला-मुसा होनेके कारण उस नतीजेपर पहुँचा हूँ तो भी मुझे खुशी होगी। मेरा उद्देश्य तो यह पता चलाना है कि मैं अपने पापोंसे बच सकता हूँ कि नहीं; उस पापमयताके जबर्दस्त बोझसे कोई छुटकारा है कि नहीं, और इसीलिए मुझे लगता है कि यह एक धीमी प्रक्रिया है जो तबतक चलती रहती है जबतक वह इतनी विकसित नहीं हो जाती कि हम इसे महसूस करने लगे, और तब हम कहते हैं कि यह परिवर्तन सहसा हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत रूपमें मैं सहसा परिवर्तनमें विश्वास नहीं करता। ईश्वरके प्रह्लाण्डमें चमत्कार-जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो मुनिश्चित और अपरिवर्तनीय नियमोंके अनुसार चालित है। लेकिन चूँकि हम इन तमाम नियमोंको समझते नहीं हैं और चूँकि ईश्वरके कार्य इतने रहस्यपूर्ण और हमारी समझके बाहर हैं, हमारे लिए धीरे-धीरे धारण करना जरूरी है, और तभी हमारा इसे चमत्कार कहना उचित होगा। लेकिन सारी प्रक्रियाको ठंटे दिमागसे देखते हुए मैं नहीं सोचता कि ईश्वर चमत्कारोंके जरिये काम करता है, और यदि मेरी

यह बात सही है कि यह प्रक्रिया धीरे-धीरे होनेवाले परिवर्तनकी है, तब दो चीजें हैं जो स्वयं हमारे अन्दर घटती रहती हैं। एक तो है प्रतिक्षण एक निश्चित प्रयास, अविरत प्रयास की क्रिया; और दूसरी है हमें नवजीवन प्रदान करनेवाली उस नवजीवनदायी शक्तिकी — जिसे मैं ईश्वर कहूँगा — सहायताके बिना अपनी निपट असहायताकी निश्चित प्रतीति। इस प्रकार एक ओर तो वह सहायता है जिसे हम ईश्वरकी कृपा कहते हैं और दूसरी ओर है मनुष्यका प्रयत्न, फिर वह प्रयत्न कितना ही तुच्छ क्यों न हो। ये दोनों प्रक्रियाएँ साथ-साथ ही चलती रहती हैं।<sup>१</sup>

गांधीजीने इस सिलसिलेमें 'प्लिमथ ब्रदर' का जिक्र किया . . . [और कहा:]

लेकिन जिस प्लिमथ ब्रदरसे मैं मिला<sup>१</sup> उनका तर्क था कि मानवीय प्रयत्न जैसी कोई चीज नहीं होती। यदि आप ईसाके सूली चढ़ाये जानेका तथ्य स्वीकार करते हैं तो सारा पाप विलकुल समाप्त हो जायेगा। चूँकि मैं जानता था और ऐसे अनेक ईसाई मित्रोंसे मेरा बहुत निकटका सम्बन्ध था जो इस दिशामें निश्चित प्रयास कर रहे थे, इसलिए मैं चकित रह गया। मैंने उनसे पूछा, "लेकिन क्या आप गिरते नहीं?" उन्होंने उत्तर दिया, "गिरता तो हूँ, लेकिन मैं अपने इस विश्वाससे शक्ति प्राप्त करता हूँ कि ईसा मेरी ओरसे हस्तक्षेप करते हैं और मेरे सारे पाप धो डालते हैं।" अब मैं आपको बताता हूँ कि वे क्वेकर मित्र भी जिन्होंने मुझे इस प्लिमथ ब्रदरसे मिलवाया था, कुछ कम चकित नहीं हुए। क्षमा-याचना करनेके मतलब है कि हम फिरसे पाप न करें और क्षमा प्रदान किये जानेके मतलब है कि हममें सब प्रकारके प्रलोभनोंका प्रतिरोध करनेकी शक्ति हो। लगातार और अथक प्रयत्न करनेके बाद ही ईश्वर सुरक्षाकी दीवारके रूपमें हमारे बचावके लिए आता है, और हमारे भीतर इस बातकी निरन्तर बढ़ती हुई प्रतीति होती जाती है कि हम पाप नहीं करेंगे। मुझे याद है कि हक्सलेके साथ एक प्रसिद्ध विवादमें ग्लैडस्टनने कहा था कि जब ईश्वर निश्चित रूपसे हमपर कृपा करता है तब हम पाप करनेमें सर्वथा अक्षम हो जाते हैं। ग्लैडस्टनने कहा है कि ईसा तो जन्मसे ही पापसे सर्वथा मुक्त थे, लेकिन हम निरन्तर प्रयास करके ही वैसे बन सकते हैं। जबतक हमारे मनमें एक भी बुरा विचार आता रहता है तबतक हमें समझना चाहिए कि ईश्वरने हमें पूरी तरह क्षमा नहीं किया है या पूरी तरह हमपर कृपा नहीं की है।

[यह पूछे जानेपर कि भ्रष्टाके मामलोंमें गांधीजीकी स्थिति क्या समझातेकी स्थिति नहीं है, उन्होंने कहा:]

जिस मित्रने यह आलोचना की है, मैं उनकी निश्चय ही सराहना करता हूँ लेकिन वह विश्वास करें कि मेरे लिए समझातेका कोई सवाल नहीं हो सकता। मेरे

१. इसके आगेका पाठ महादेव देसाई द्वारा लिखित और २२-१२-१९२७के यंग इंडियामें प्रकाशित "सीलेन मेमोयर्स" से लिया गया है।

२. ईसाईयोंके 'प्लिमथ ब्रदरन' नामक एक सम्प्रदायका सदस्य।

३. देखिये आत्मकथा, भाग २, अध्याय ११।

लिए तो यह कहा गया है कि मैं जो-कुछ करता हूँ, पूरी तरह करता हूँ, और उस पर इतना जोर देता हूँ कि लोगोको यह चीज खटकती है। मैं जानता हूँ कि जब मैं अपनेको सनातनी हिन्दू बताता हूँ तो मित्र लोग गटबडीमें पड़ जाते हैं क्योंकि सनातनी कहे जानेवाले व्यक्तिके आमतीरपर जो लक्षण होते हैं उन्हें वे मुझमें नहीं देखते। लेकिन उसका कारण यह है कि एक कट्टर हिन्दू होनेके बावजूद मैं अपने विश्वासोंमें ईसाई धर्म, इस्लाम और जरयुस्त्रकी शिक्षाओंके लिए गुंजाइश पाता हूँ और इसलिए मेरा हिन्दू-धर्म कुछ लोगोको कई चीजोंकी खिचड़ी-जैसा प्रतीत होता है और कुछने तो मुझे धर्मके मामलोमें विभिन्न स्रोतोंसे अपनी पसंदके अनुसार कुछ-कुछ ले लेनेवाला सार-सग्रही व्यक्ति तक करार दिया है। किसी व्यक्तिको सार-सग्रही कहनेके मतलब है कि उस व्यक्तिका कोई विश्वास या धर्म नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास तो बहुत व्यापक है, जो ईसाइयोंका विरोध नहीं करता—यहाँतक कि 'फ्लिमथ ब्रदर' जैसे लोगोका भी नहीं—यहाँतक कि बड़ेसे-बड़े धर्मान्व मुसलमानका भी विरोध नहीं करता। मेरा यह धर्म अत्यन्त व्यापक सहिष्णुतापर आधारित है। मैं किसी व्यक्तिको उसके धर्मान्व कृत्योंके लिए बुरा-भला कहनेसे इनकार करता हूँ क्योंकि मैं उसके कृत्योंको उसके दृष्टिकोणसे देखनेकी कोशिश करता हूँ। यह व्यापक विश्वास ही है जो मुझे सहारा देता है, बल देता है। यह स्थिति थोड़ी अटपटी है, यह मैं जानता हूँ—लेकिन मेरे लिए नहीं, औरोंके लिए!

[अंग्रेजीसे]

सीलोन डेली न्यूज, १७-११-१९२७

थंग इंडिया, २२-१२-१९२७

## १७९. भाषण : श्रमिक संघकी सभा, कोलम्बोमें

१६ नवम्बर, १९२७

अध्यक्ष महोदय, मित्रों और साथी मजदूरों,

मैं जिस उद्देश्यको सामने रखकर संसारके द्वीपोंमें मोती-सदृश इस द्वीपमें आया हूँ, उसके निमित्त दी गई आपकी बेली तथा आपके अभिनन्दनपत्रके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको साथी मजदूर कहकर मैंने अपनेको मजदूर कहा है, और ऐसा मैंने इस कारण किया है कि १९०४से मैं भरसक एक मजदूरकी भाँति रहनेका प्रयत्न करता रहा हूँ। लेकिन उससे बहुत पहले ही मैं श्रमकी गरिमाको समझने और उसकी कद्र करने लगा था, और साथ ही यह भी महसूस करने लगा था कि श्रमको जो प्रतिदान मिलना चाहिए वह उसे नहीं मिल रहा है। और ईश्वरने अपनी असीम अनुकम्पावादा मेरा जीवन ऐसा बना दिया कि मैं श्रमिकोंके, और श्रमिकोंके सेवा-कार्यके अधिकाधिक निकट खिचता चला गया। इसलिए आपके बीच होने और अपने साथी मजदूरोंसे एक अभिनन्दनपत्र पानेकी तथा उन लोगोकी ओरने साथ ही

एक थैली पानेकी भी मुझे बहुत खुशी है जो आर्थिक दृष्टिसे आपकी अपेक्षा कही खराब हालतमें हैं। आपने अपने अभिनन्दनपत्रमें “भारत माता” शब्दका जो प्रयोग किया है उसने मेरे अन्तरतमको छू लिया है। यह शब्द मेरे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपमें से सब लोग भारतीय नहीं हैं। शायद आप लोगोंके सामने—आप लोगोंमें जो भारतीय नहीं हैं और जो इस यूनियन या इन यूनियनोंमें बहुसंख्यामें हैं—इस शब्दका इस्तेमाल करते समय वह अर्थ नहीं था जो मैं इसे प्रदान करता हूँ और जिसे मैं अभी स्पष्ट करूँगा। ऐसी अनुश्रुति है—और अनुश्रुति कभी-कभी इतिहाससे श्रेष्ठ होती है—कि प्राचीन कालमें राम नामके एक राजा लंका द्वीपको एक दुष्ट राजाके चंगुलसे छुड़ानेके लिए यहाँ आये थे और जब कि विजयके पुरस्कार स्वरूप वे इसे अपने राज्यमें मिला सकते थे तब वैसा न करके उन्होंने इसे उस दुष्ट राजाके विभीषण नामक भाईको सौंप दिया और उसे लंकाका राजा बना दिया।

आधुनिक भाषामें कहा जाये तो इसके अर्थ यह है कि रामने लंकाकी जनता या राजा विभीषणकी राजनिष्ठाकी परीक्षा लिये वगैर और जनताको या राजा विभीषणको अभिभावककी तरह कुछ समयतक अपने अभिरक्षणमें रखे वगैर उन्हें सीधे पूर्ण स्वशासन या औपनिवेशिक दर्जा प्रदान कर दिया। इस अनुश्रुतिका जो काल बताया जाता है, तबसे लेकर अबतक लंकामें, और भारतमें भी अनेक परिवर्तन हुए हैं और दोनोंने भाग्यके बड़े उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन भारतमें करोड़ों लोग आज भी इतिहासके तथ्योंकी अपेक्षा इस अनुश्रुतिमें कही अधिक दृढ़तापूर्वक विश्वास करते हैं। और यदि इस सुन्दर द्वीपके रहनेवाले आप लोग अपने निकटस्थ पड़ोसीके साथ कुछ अपनापन माननेमें हेठी महसूस न करते हों तो मैं आपको सलाह दूँगा और कहूँगा कि इस अनुश्रुतिमें भारतके करोड़ों लोगोंको जो गर्व है उसे आप भी महसूस करें। और अब आप समझ सकते हैं कि मैंने आपसे यह क्यों कहा कि आपने, जो मेरी रायमें भारतके एक ‘अपत्य राज्य’ के निवासी हैं, “भारत माता” शब्दके प्रयोग द्वारा भारतके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करके ठीक ही किया है।

मैं यह भी बताऊँगा कि अनुश्रुतिके राम इस पृथ्वीपर कभी रहे हों या न रहे हों, और दस सिरवाला रावण लंकामें कभी रहा हो या न रहा हो, लेकिन यह सच है कि एक ऐसा राम है जो आज भी जीवित है और एक रावण भी है जो जीवित है। हिन्दू धर्ममें राम ईश्वरका मधुर और पवित्र नाम है, और हिन्दू पुराणोंमें रावण उस दुष्टता या बुराईका नाम है जो मानव-शरीरमें मूर्तिमती हो उठती है। राम-रूपी ईश्वरका काम है कि जब और जहाँ कहीं बुराई हो, उसका नाश करें, और साथ ही उनका यह भी काम है कि विभीषण सद्बुद्ध अपने भक्तको स्वशासनका अपरिवर्तनीय अधिकार प्रदान करें।

अपने अन्दरके बुराई-रूपी दशाननका अपने हृदयस्थ ईश्वर, रामकी सहायताने नाश करके, आइए, हम सब लोग, चाहे मजदूर हों या और कुछ, स्वशासनका अधिकारपत्र माँगें। और आप साथी मजदूर, जिन्हें अपना वाजिब हिस्सा अभी

पाना बाकी है, आपको शायद रामकी गहायना थीर रामकी कृपाकी ज्यादा जल्द है ताकि आप अपनेको अपनी घुराघुराई दूर करके स्वयामन पानेके योग्य बना सके। अगर कोई आपसे कहे कि दक्षिण आफ्रिकाके गिरमिटिया मजदूरोंको आंगिक म्यनरता मने दिलवाई या अहमदाबाद या मलाबारके मजदूरोंको स्वतंत्रता मने दिलवाई तो आप उसका विश्वास मत कीजिए। उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया वह इन्किए प्राप्त किया कि उन्होंने स्वजासनका नियमन करनेवाले अपरिवर्तनीय नियमोंका पालन किया। उन्होंने अपनी मदद स्वयं की, इसलिए वे विजयी हुए। और मैं आपको संक्षेपमें बता दूँ कि आपको अपना हक हासिल करनेके लिए क्या करना चाहिए। अपने आपको यूनियनोंके रूपमें संगठित करना निश्चय ही पहला कदम है। लेकिन मैं आपको अनुभवसे बता सकती हूँ कि जो शर्तें मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ यदि आप उनको पूरा नहीं करते तो आपकी यही यूनियन आपके बन्धनका कारण बन सकती है। आपमें से हरेकको अपने-आपको अपने साथी मजदूरोंके हितोंका न्यासी समझना चाहिए और स्वार्थ-साधक नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ कितनी ही गम्भीर थीर उत्तेजक क्यों न हो, आपको उनमें अहिंसक रहना चाहिए। यदि आपको शराबकी बुरी लत है तो आपको उसे विलकुल छोड़ देना होगा। तभी आप सच्चे इन्सान होंगे और अपनी गरिमाको समझेंगे। शराबके नशेके प्रभावमें मनुष्य पशुसे भी बदतर हो जाता है और अपनी बहन, अपनी माँ और पत्नीके बीच अन्तर मूल जाता है। और यदि आप सचमुच मुझे अपना मित्र मानते हैं तो अपने इस पुराने मित्रकी सलाह मानें और शराबसे उसी प्रकार दूर भागें जिस प्रकार आप अपने सामने फुफकारते हुए किसी साँपके आगेसे भागेंगे। साँप तो केवल शरीरका ही नाश कर सकता है, लेकिन शराब तो आत्माको ही पतित कर देती है। इसलिए शराब तो साँपसे भी ज्यादा भयंकर है। यदि आपको जुआ खेलनेकी आदत है तो आप उससे भी बचें।

एक इससे भी नाजुक चीज है जिसके सम्बन्धमें कल या आज एक मित्रका पत्र पाकर मुझे कष्ट हुआ। इस मित्रने पत्रमें अपना नाम दिया है। वह मुझे बताते हैं कि मजदूरोंमें व्यक्तिगत शुद्धताका सर्वथा अभाव है। वह मुझे बताते हैं कि आपमें से बहुत-से लोग, स्त्री-पुरुष, शील और मर्यादाका तनिक भी न्याय किये बिना छोटी-छोटी जगहोंमें जहाँ आड़ और परदेकी कोई गुजाइश नहीं होती, भरे रहते हैं। मनुष्यको पशुसे साफ अलग करनेवाली बहुत-सी चीजोंमें से एक चीज यह है कि मनुष्यने अपने आरम्भिक कालसे ही विवाह-बन्धनकी पवित्रता स्वीकार की है और आत्मसयमका पालन करके — जिसे वह उत्तरोत्तर बढ़ाता ही गया है — स्त्रीके सम्बन्धमें अपने जीवनका नियमन किया है।

मेरे प्यारे दोस्तो, यदि मनुष्यके रूपमें आपको अपनी गरिमाकी उपलब्धि करनी है और अपनी पूरी ऊँचाईतक उठना है, जैसा कि आपको उठना चाहिए, तो मैंने आपको यह जो छोटी-सी चीज बतलाई है उसे अपने दिमागमें रगिये, इसे सहेज कर रखिए और आज रातसे ही इसे कार्यरूपमें परिणत कीजिए। यदि आपके साधन ऐसे नहीं हैं कि आप बुनियादी शील-मर्यादाका पालन करने योग्य पृथक् और पर्याप्त

निवासस्थान उपलब्ध कर सकें, तो आप ऐसी पतनकारी परिस्थितियोंमें और इतने अपर्याप्त वेतनपर काम करनेसे इनकार कर दीजिए। आप इतने कम वेतनपर काम करें कि जिसमें नैतिकताके बुनियादी नियमोंका पालन करना भी असम्भव हो, उसकी अपेक्षा यदि आप बिलकुल मूखे रहनेकी स्थितिको स्वीकार करेंगे तो मैं आपका वीर पुरुषोकी भाँति सम्मान करूँगा। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप हिन्दू हैं, अथवा आप अपनेको बौद्ध कहते हैं, आप ईसाई हैं या मुसलमान हैं, धर्मकी माँग एक है और अपरिवर्तनीय है। अपनी पत्नीके अलावा आपको किसी भी अन्य औरतको बहन या माँ समझना चाहिए जिसका शरीर उतना ही पवित्र माना जाना चाहिए जितना कि आपकी बहन या माँका शरीर है। मैं सलाह दूँगा कि आप अपनी यूनियनका इस्तेमाल आन्तरिक सुधारके लिए भी उतना ही करें जितना कि बाहरी हमलेसे बचावके लिए करें और याद रखिए कि जहाँ अपने अधिकारों और सुविधाओंके ऊपर आग्रह करना बिलकुल उचित है वहीं यह भी जरूरी है कि उस दायित्वको भी समझें जो हर अधिकारके साथ जुड़ा हुआ है।

इसलिए जहाँ आप पर्याप्त वेतन, अपने मालिकोंके हाथों उचित मानवोचित व्यवहार तथा अच्छे साफ-सुथरे निवास-स्थानोंका आग्रह करेंगे वहाँ आप यह भी समझेंगे कि आपको अपने मालिकोंका काम अपना ही काम समझकर करना चाहिए और पूरी ईमानदारी और ध्यानसे करना चाहिए। आप अपने बच्चोंकी किसी भी हालतमें उपेक्षा न करें, बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा दें और उचित ढंगसे उनका पालन-पोषण करे ताकि जब वे बड़े हों तो मानव-जगत-रूपी मंचपर अपनी भूमिका अच्छे ढंगसे निभा सकें।

और अन्तमें, आपने भारतके करोड़ों अभागे लोगोंकी याद की, यह तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं आपको सलाह दूँगा कि आप उनके तथा अपने बीच एक जीवन्त सम्बन्ध स्थापित करें, खासकर यदि आप अब भी समझते हों कि भारत भ्रातृदेश है; आप उन चन्द करोड़ लोगोंकी खातिर वस्त्रपर खर्च होनेवाली हर पाई केवल खादीमें लगायें, अन्य किसी कपड़ेपर नहीं। मैं आपको एक बार फिर आपके इस अभिनन्दनपत्र तथा थैलीके लिए तथा आज शाम मैंने आपसे जो चन्द शब्द कहे हैं, उन्हें धीरज तथा ध्यानके साथ सुननेके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके स्वयंसेवकोंको भी धन्यवाद देता हूँ जो अपनी योग्यता-भर मेरी सेवा करते रहे हैं और मेरा पूरा ध्यान रखते रहे हैं। हालाँकि इस बातका जिज्ञासा मैंने पहले नहीं किया, लेकिन मेरे ध्यानसे यह बात छूटी नहीं थी। मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ कि जो शब्द मैंने कहे हैं वे आपके दिलोंमें समा जायेंगे और मेरी जो सलाह आपको ठीक लगे ईश्वर आपको उसे कार्यान्वित करनेकी सद्बुद्धि और शक्ति देगा।

[ अंग्रेजीसे ]

सीलोन डेली न्यूज, १७-११-१९२७

## १८०. एक उद्धरण

श्री रिचर्ड ग्रेगने, जिनके नामको 'यंग इंडिया' के पाठक 'तकली स्पनिंग' पुस्तिकाके सह-लेखकके रूपमें जानते हैं, एक पुरानी पुस्तकसे निम्नलिखित उपयोगी उद्धरण मेजा है। इसे उन्होंने अपने शोधकार्यके दौरान ढूँढ निकाला है।<sup>१</sup>

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १७-११-१९२७

## १८१. वर्णाश्रम और उसका विरूपीकरण

पाठक एक अन्य स्तम्भमें ब्राह्मण-अब्राह्मण प्रश्नपर श्रीयुत नाडकर्णीका दिलचस्प पत्र<sup>१</sup> देखेंगे। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने तमिलनाडुके अपने हालके दौरेमें मापणोंमें वर्णाश्रमके सम्बन्धमें अपने जो विचार प्रकट किये हैं उन्हें और विस्तारसे स्पष्ट करूँ और मैं वैसा खुशीसे कर रहा हूँ। मेरे भाषण तो कमोवेश पूरेके-पूरे इन स्तम्भोंमें प्रकाशित हो चुके हैं।

इस प्रश्नका विवेचन अच्छी तरह हो सके इसलिए मैं पहले तो यह स्पष्ट कर दूँ कि मैं उस शूद्रकी प्रसिद्ध कथाको विचार योग्य नहीं मानता जिसके बारेमें कहा जाता है कि उसका सर रामने इस कारण काट दिया था कि उसने संन्यासी बननेकी घृष्टता की थी। मैं शास्त्रोंका शाब्दिक अर्थ नहीं करता; मैं उन्हें इतिहासके रूपमें तो निश्चित ही नहीं पढ़ता। शम्बूकका सर काट लेनेकी कथा रामके सामान्य चरित्रसे मेल नहीं खाती। विभिन्न रामायणोंमें जो-कुछ भी कहा गया हो, मैं अपने रामको किसी शूद्रका, या किसीका भी सर काटनेमें सर्वथा असमर्थ मानता हूँ। यदि शम्बूककी कथासे कुछ भी सिद्ध होता है तो यही कि जिस जमानेमें इस कथाका जन्म हुआ उस जमानेमें शूद्रोंके लिए अमुक धार्मिक विधि-विधानोंका अनुष्ठान गम्भीर अपराध माना जाता था। शूद्र शब्दके यहाँ क्या अर्थ हैं इसके बारेमें हम अन्वकारमें हैं। मैंने पूरी कथाका अन्वयित्तके रूपमें भी अर्थ लगाये जाते सुना है। लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि हिन्दू-धर्मके विकासकी किसी अवस्थामें शूद्रोंके ऊपर कुछ अनुचित निषेध लागू थे। वरा इतना ही है कि मुझे शम्बूकके कथिन वचके लिए

१. पद उद्धरण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पद १७९६ में रोमनं प्रनाशित फ्रा पाओलिनो द शैन पाद्रीजोमियो लिखित पुस्तक ए यॉयज द्द द ईस्ट इंडीज के अंग्रेजी अनुवादमें से लिया गया था। अन्य चीजोंके अलावा, इसमें कहा गया था: "पद बात सचार्थके साथ कही जा सकती है कि: उनार, शुनार और रंगारने भारतीय लोग संसारके सभी राष्ट्रोंसे अच्छे हैं।"

२. पत्रके उद्धरणोंके लिए देखिए परिशिष्ट ६।



प्रायश्चित्त करनेमें श्रीयुत नाडकर्णीका साथ देनेकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं मानता कि उस नामके किसी ऐतिहासिक व्यक्तिका वध राम नामके किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्वने किया था। हिन्दूसमाजके तथाकथित निम्न वर्गके, विशेष रूपसे तथाकथित अस्पृश्यके सामान्य उत्पीड़नके लिए एक हिन्दूके नाते मैं अपने जीवनके क्षण-क्षणमें प्रायश्चित्त कर रहा हूँ। मेरी रायमें शम्भूकके जैसे वृष्टान्तोंका वर्णाश्रमके प्रश्नपर धार्मिक दृष्टिसे की जानेवाली चर्चामें कोई स्थान नहीं है। इसलिए मेरा विचार केवल यह बतानेका है कि मैं वर्णाश्रम किसे समझता हूँ, और यदि मेरे सामने यह सिद्ध कर दिया जाये कि वर्णाश्रमकी जो व्याख्या मैं करता हूँ उसके लिए हिन्दू-धर्ममें कोई प्रमाण नहीं है तो मैं वर्णाश्रम व्यवस्थाको अस्वीकार करनेमें हिचकूंगा नहीं। जैसा कि श्रीयुत नाडकर्णी कहते हैं, वर्ण और आश्रम, ये दो भिन्न शब्द हैं। चार आश्रमोंकी व्यवस्था मनुष्यको जीवनका उद्देश्य ज्यादा अच्छी तरह पूरा करनेमें सहायक और इसके लिए वर्णका नियम आवश्यक है। वर्णके नियमके अनुसार व्यक्तिको अपनी आजीविकाके लिए अपने वाप-दादोंका वैध धन्वा करना चाहिए। मैं इसे एक सर्व-व्यापी नियम मानता हूँ जो मानव-परिवारका नियमन करता है। इसको मंग करनेका परिणाम गम्भीर होता है जैसा कि हमारे लिए हुआ है। लेकिन मनुष्योंकी बहुत बड़ी संख्या अनजाने ही अपने वाप-दादोंका पुस्तैनी धन्वा करती है। हिन्दू धर्मने इस नियमकी खोज करके और सोच-समझकर इसका पालन करके मानव-जातिकी एक महान सेवा की है। यदि पशुओंसे भिन्न मनुष्यका कार्य ईश्वरको जानना है, तो यह स्वाभाविक ही है कि वह अपने जीवनका मुख्य भाग यह पता चलानेमें ही न गँवा दे कि जीविका अर्जित करनेके लिए कौनसा धन्वा उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। इसके विपरीत, वह देखेगा कि उसके लिए अपने पिताका धन्वा करना ही सर्वोत्तम है, और वह अपना खाली समय और अपनी प्रतिभा खुदको उस कार्यके योग्य बनानेमें लगायेगा जो मनुष्य जातिके लिए निर्धारित किया गया है।

इसलिए यहाँ मेरे पत्रलेखकने जो कठिनाई बताई है वह उठती ही नहीं। क्योंकि विभिन्न प्रकारकी स्वैच्छिक सेवाएँ करते हुए भी अपनेको उस निर्धारित कामके योग्य बनानेमें किसीके सामने कोई रुकावट नहीं है। इस प्रकार श्रीयुत नाडकर्णी, जो ब्राह्मण माता-पिताकी सन्तान हैं, और मैं, जो वैश्य माता-पिताकी सन्तान हूँ, दोनों ही वर्णके नियमके साथ पूरी संगतता रखते हुए आवश्यकता पड़नेपर निश्चय ही अवैतनिक राष्ट्रीय स्वयंसेवकोंकी भाँति, या अवैतनिक परिचारकोंकी भाँति या अवैतनिक भंगियों की भाँति सेवा कर सकते हैं, हालाँकि वर्णके नियमानुसार ब्राह्मण होनेके नाते वह अपनी रोटीके लिए अपने पड़ोसियोंकी उदारतापर निर्भर करेंगे और वैश्यके नाते मैं दवा बेचकर या किरानेकी अन्य चीजें बेचकर अपनी रोटी कमाऊँगा। जबतक कोई व्यक्ति कोई उपयोगी सेवाके बदले पुरस्कारका दावा नहीं करता तबतक वह वैसी सेवा करनेको स्वतन्त्र है।

वर्ण-नियमकी इस संकल्पनामें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिसे श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे सभी धन्वे जो वैयक्तिक या सार्वजनिक नैतिकताके विरुद्ध नहीं हैं, बराबर दर्जेके

है और सम्माननीय है। एक भंगीका वही दर्जा है जो एक ब्राह्मणका है। क्या मैक्समूलरने ही यह नहीं कहा है कि किसी भी धर्मकी अपेक्षा हिन्दू-धर्ममें जीवन कर्त्तव्य-मात्र है—न उससे ज्यादा, न कम।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अपने विकासकी किमी अवस्थामें हिन्दू-धर्ममें भ्रष्टाचार आ गया और ऊँच-नीचकी भावनाने उममें प्रवेश करके उसे दूषित कर दिया। लेकिन असमानताका यह विचार मुझे यज्ञकी उस भावनाके बिलकुल विरुद्ध प्रतीत होता है जो हिन्दू-धर्मकी प्रत्येक चीजमें प्रचलित है। एक ऐसी जीवन-योजनामें जो अहिंसापर आधारित है—वह अहिंसा जिसका सक्रिय रूप सभी जीवोंके लिए विशुद्ध प्रेमभाव है—किसी एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्गपर श्रेष्ठता स्थापित करनेकी कोई गुंजाइश ही नहीं है।

वर्णके इस नियमके विरुद्ध यह नहीं कहा जा सकता कि वह जीवनको नीरम बना देता है और उसमें महत्त्वाकांक्षाके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहने देता। मेरी रायमें वर्णका नियम ही हम सबके लिए जीवनको जीने योग्य बनाता है, और उस लक्ष्यको पुनः प्रतिष्ठित करता है जो जीवनको सार्थक बनाता है, अर्थात् आत्म-ज्ञान प्राप्त करनेका लक्ष्य। आज हम उन्हीं भौतिक उद्देश्योंके बारेमें सोचते और प्रयत्न करते प्रतीत होते हैं जो अपनी प्रकृतिसे अस्थायी हैं, और ऐसा हम उस एक चीजको बिलकुल भुलाकर करते हैं जो सबसे जरूरी है।

यदि मुझसे कहा जाये कि वर्णकी जो व्याख्या मैंने की है उमका समर्थन हिन्दू आचरणकी संहिता अर्थात् स्मृतियोंसे नहीं होता, तो मेरा उत्तर है कि जीवनके बुनियादी और अपरिवर्तनीय सिद्धान्तोंपर आधारित आचरण-संहिताएँ तो समयके साथ ज्यों-ज्यों हम नये-नये अनुभव प्राप्त करते हैं, नये-नये पर्यवेक्षण करते हैं, बदलती जाती हैं। स्मृतियोंके कई ऐसे नियमोंको उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत करना सम्भव है जिन्हें हम अनिवार्य नहीं मानते और पालन करने योग्य भी नहीं समझते। अपरिवर्तनीय सिद्धान्त बहुत कम हैं और सभी धर्मोंमें समान हैं। इन सिद्धान्तोंको लागू करनेकी दृष्टिसे धर्मोंमें भिन्नता है। और किसी भी धर्ममें इन सिद्धान्तोंको कार्यान्वित करनेके जो भी तरीके हो सकते हैं उन सभी तरीकोंको आजमाया नहीं जा चुका है। विचारोंके विस्तार तथा नये तथ्योंके ज्ञानके साथ उनका भी विस्तार होता जाता है। बल्कि मेरा तो विश्वास है कि मानवके अनुभवके विकासके साथ-साथ शब्दोंके अर्थ भी विकसित होते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक कालमें यज्ञ, सत्य, अहिंसा, वर्णाश्रम आदि शब्दोंमें जो अर्थ ध्वनित होते थे, आज उनकी अपेक्षा ज्यादा व्यापक अर्थ ध्वनित होते हैं। इस सिद्धान्तको वर्ण शब्दपर लागू करे तो उसकी चालू व्याख्यासे—जिनके बारेमें हम यह मान रहे हैं कि वह युगकी आवश्यकताओं और नैतिकताकी हमारी कल्पनामें असंगत है—अपने आपको बँधा हुआ मानना जरूरी नहीं है, बल्कि बँधा हुआ मानना मूर्खतापूर्ण और गलत है। इसके विपरीत करना आत्मघात होगा।

ऊपर बताये गये ढंगसे वर्णपर विचार करनेपर हम देखते हैं कि उनमें और आजकी जाति-प्रथामें कोई समानता नहीं है। इसी तरह अन्तर्जातीय नोड या

अन्तर्जातीय विवाहका निषेध भी वर्णके नियमकी स्वीकृतिका आवश्यक अंग नहीं है। यह सम्भव है कि ये निषेध वर्णके परिरक्षणके लिए आरम्भ किये गये हों; निर्वन्ध विवाहके विरुद्ध प्रतिबन्ध तो आत्म-संयमपर आधारित किसी भी जीवन-योजनामें आवश्यक हैं। निर्वन्ध सहमोजके ऊपर प्रतिबन्ध स्वास्थ्यके विचारसे या आदतोंमें मिश्रताके कारण लगे हैं। लेकिन पहले इन प्रतिबन्धोंकी अवहेलना करनेपर किसी सामाजिक या कानूनी दण्डका विधान नहीं था और न इससे कोई वर्ण-भ्रष्ट होता था, और जो ज्यादा बड़ी चीज है वह यह कि अब भी इनकी अवहेलनाके ऐसे कोई परिणाम नहीं होने चाहिए।

मूलतः वर्ण चार थे। यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण और समझमें आने योग्य विभाजन था। लेकिन संख्या वर्णके नियमका कोई अंग नहीं है। एक दर्जी जरूरी नहीं कि लोहार बन जाये, हालाँकि दोनोंको वैश्यके वर्गमें रखा जा सकता है और रखना चाहिए।

तमिलनाडुमें जो सबसे जोरदार आपत्ति उठाई गई वह यह थी कि मेरी व्याख्याके अन्तर्गत वर्ण कितना ही अच्छा और अहानिकर प्रतीत होता हो, इस व्यवस्थाको या तो किसी मिश्र नामसे चलाया जाये और नहीं तो इसे विलकुल समाप्त कर दिया जाये क्योंकि वर्ण-व्यवस्था नामसे दुर्गन्ध आती है। आपत्ति करनेवालोंको भय था कि मेरी व्याख्याकी तो अवहेलना की जायेगी लेकिन वर्तमान हिन्दू-धर्ममें जो भयंकर असमानताएँ और अत्याचार प्रचलित हैं उनका वर्णकी आड़में समर्थन करनेके लिए मेरे कथनोंका खुलकर हवाला दिया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वसाधारणके लिए तो जाति और वर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, और जबकि वर्णका संयम कही नहीं बरता जाता, जातिका अत्याचार सभी जगह व्याप्त है। इन सब आपत्तियोंमें निःसन्देह बहुत बल है। लेकिन ये ऐसी आपत्तियाँ हैं जिन्हें ऐसी बहुत-सी भ्रष्ट हो चुकी व्यवस्थाओके खिलाफ उठाया जा सकता है जो किसी समय अच्छी थीं। सुधारकका काम यह है कि वह किसी व्यवस्थाकी जाँच करे, और यदि उसके दोषोंको उस व्यवस्थासे अलग किया जा सकता है तो वह उस व्यवस्थामें सुधार लानेका प्रयत्न करे। किन्तु वर्ण एक मानव-निर्मित व्यवस्था मात्र नहीं है, यह एक ऐसा जीवन-नियम है जिसे उसने सोजा है। अतः इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसके छिपे हुए अर्थों और सम्भावनाओंका पता चलानेकी कोशिश की जानी चाहिए, और समाजके भलेके लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमने देखा है कि इस नियम या व्यवस्थामें कोई बुराई नहीं है बल्कि बुराई श्रेष्ठता और हीनताके उस सिद्धान्तमें है जिसे इसमें ऊपरसे जोड़ दिया गया है।

यह भी सवाल उठता है कि आजकलके जमानेमें, जबकि सभी चारों वर्ण या उपवर्ण सभी प्रतिबन्धोंको तोड़ रहे हैं, नियम-संगत या नियम-विरुद्ध तरीकोसे अपने भौतिक सुख-साधनोंकी अतिवृद्धि कर रहे हैं और जबकि कुछ वर्ण या उपवर्ण अन्य वर्णोंपर श्रेष्ठताका दावा करते हैं और दूसरे वर्ण, जैसा कि उचित है, उस दावेको चुनौती देते हैं, तब इस नियमको कार्यान्वित किस प्रकार किया जाये। अब बात यह है कि भले ही हम इस नियमकी उपेक्षा करें वह अपना प्रभाव तो दिखायेगा

ही। लेकिन तब उसका यह प्रभाव दण्डके रूपमें फलित होगा। इसलिए अगर हमें विनाशसे बचना है तो हमें इस नियमको स्वीकार करना होगा। और यह देना है कि इस समय हम अपने ऊपर 'शक्तिशाली ही जीवित रहेगा' का मानवतर नियम लागू करनेमें लगे हुए हैं, हमारे लिए यह अच्छा होगा कि हम सब अपने-आप एक ही वर्ण — अर्थात् शूद्र वर्णका मान लें, मले ही हममें से कुछ लोग शिक्षा देंगे ही, कुछ लोग सैनिकका धन्धा कर रहे हों और कुछ लोग वाणिज्य-व्यापारमें लगे हुए हों। मुझे याद है कि १९१५में नेल्सोरमें सामाजिक सम्मेलनके अध्यक्षने कहा था कि पहले सब लोग ब्राह्मण थे, और आज भी सभीको ब्राह्मण ही मानना चाहिए तथा दूसरे वर्णोंको समाप्त कर देना चाहिए। यह मुझे उस समय भी एक विचित्र वाराणा सुझाव लगा था और आज भी लगता है। यदि सुधारको शान्तिपूर्ण ढंगसे लेना है तो तथाकथित ऊँचे लोगोंको अपनी ऊँचाइयोसे नीचे उतरना पड़ेगा। युगोन्मत्त लोगोको इस बातकी शिक्षा दी गई है कि वे समाजकी सीढीमें अपनेको गन्दे निचले वर्णका मानें, वे सहसा ही तथाकथित उच्च वर्णोंकी योग्यताएँ नहीं प्राप्त कर सकते। अतः वे केवल खून-खराबेके जरिये ही, दूसरे शब्दोंमें स्वयं समाजको ही नष्ट करके शक्ति और सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। मेरे सामने जो पुनर्रचनाकी योजना है उसमें अस्पृश्यताका कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि मैं वर्णोंके नियममें या हिन्दू धर्ममें अस्पृश्यताके लिए कोई स्थान नहीं पाता। वे अन्य सभी लोगोंके साथ मूल वर्णमें समाहित हो जायेंगे। इन्हींमें से अन्य तीन वर्ण धीरे-धीरे शुद्ध होकर और दूसरेमें वरावरी रखते हुए, हालाँकि उनके धन्धे भिन्न होंगे, निकलेगे। ब्राह्मण बहुत थोड़े होंगे। उनसे भी कम क्षत्रिय वर्णके लोग होंगे जो भाड़ेके टट्टू नहीं होंगे या आजके जैसे निरंकुश शासक नहीं होंगे, बल्कि राष्ट्रके सच्चे रक्षक और न्यायी होंगे जो उसकी सेवामें अपने प्राणोंकी आहुति दे देंगे। सबसे कम शूद्र होंगे क्योंकि एक व्यवस्थित समाजमें साथी मानवसे कमसे-कम श्रम कराया जायेगा। सबसे ज्यादा मग्या वैश्योंकी होगी। इस वर्णमें सभी धंधे शामिल होंगे — किसान, व्यापारी, शिल्पी आदि। यह योजना कल्पनादेशकी लग सकती है, तथापि लड़खड़ाते हुए कदमोंसे विभ्रमग्रताकी तरफ बढ़ते हुए समाजकी निर्वाध स्वच्छन्दताका जीवन जीनेकी अपेक्षा मैं अपनी कल्पनाके इस स्वप्न लोकमें रहना ज्यादा पसन्द करता हूँ। व्यक्ति मले ही अपनी कल्पनाके ससारको समाज द्वारा स्वीकृत होते न देख सके लेकिन उस कल्पनामें रहनेकी छूट उसे अवश्य है। किसी भी सुधारकी शुरुआत व्यक्तिसे ही हुई है और जिस सुधारमें अपनी अन्दरूनी शक्ति रही है और जिसके पीछे एक सशक्त आत्माका बल रहा है उसे उस सुधारके समाजने स्वीकार कर लिया है।

[अंग्रेजीसे]

धर्म इंदिया, १७-११-१९२७

## १८२. खादीके सिले-सिलाये कपड़े

एक पारसी मित्रने खादीके सिले-सिलाये कपड़ोके सम्बन्धमें कुछ सुझाव भेजे हैं। मैं उनको नीचे दे रहा हूँ :

वाजारमें जैसे खादीकी वनी टोपियाँ मिल जाती हैं, वैसे ही हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी फॅशनकी वनी कमीजें और बण्डियाँ भी क्यों न रखी जायें? वेशक खादीके दूकानदारोंमें इतनी सूझ-बूझ अवश्य होनी चाहिए कि वे मालूम कर सकें कि किस फिल्मके सिले-सिलाये कपड़े जल्दी विक सकते हैं और उन्हें वे खादीसे तैयार करा लें।

खादीके दूकानदारोंको इस सुझावपर विचार करना चाहिए। यह खादीको सस्ता बनानेका और शहरोंमें रहनेवालोंको रोजी देनेका एक साधन जुटा देगा। खादी सीनेवाले दरजीमें यदि इतनी देशभक्ति हो कि वाजार-भावसे कुछ कम ही मजदूरी ले, तो इस प्रकार होनेवाली बचतसे उस कपड़ेमें लगी खादीकी कीमत घट जायेगी। कुमारी मीठूबहन पेटिटने कुछ बड़े सुन्दर कौशलपूर्ण नमूने तैयार किये हैं जिनको वे खादीपर बना देती हैं और इसके लिए वे जो कीमत लगाती हैं वह उनको अपने गिने-चुने ग्राहकोंसे खुशी-खुशी मिल जाती है, क्योंकि ग्राहक जानते हैं कि इसके जरिये वे खादीको ही नहीं, उन लड़कियोंको भी सहारा दे रहे हैं जिनको खादीके कामसे ज्यादा अच्छी और ईमानदारीकी दूसरी कोई रोजी नहीं मिल सकती थी। बिहार और तमिलनाडुमें मैंने ऐसे दरजी देखे हैं जो सिर्फ खादीकी सिलाई करते हैं। इसलिए कोई कारण नहीं कि शिक्षित लोग भी खादीकी सेवा करनेके साथ-साथ अपनी रोजीके लिए भी खादीकी सिलाईका काम क्यों न शुरू करें।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १७-११-१९२७

## १८३. भाषण : नेगोम्बोमें

१७ नवम्बर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

आपने मुझे जो सुन्दर और कलात्मक अमिनन्दनपत्र भेंट किया है उसके लिए मैं आपका हृदयसे आभार मानता हूँ। जबसे मैं आपके इस सुन्दर द्वीपमें आया हूँ मुझे हर तरफसे स्नेह ही स्नेह प्राप्त हो रहा है और आपने मुझे इस मनोरम स्थान पर बुलाकर तथा अमिनन्दनपत्र भेंट करके इस स्नेहमें और वृद्धि कर दी है। आशा है कि आपके बीच मेरे जो देशमाई रह रहे हैं वे शान्ति और सद्भावपूर्वक रह रहे हैं। और आपमें से जो लोग भारतसे आये हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनेको भारतीय संस्कृति और परम्पराका प्रतिनिधि जानकर तदनुसार आचरण करे। इस द्वीपके रहनेवाले आप लोगोंसे मैं चाहता हूँ कि आपको जब भी इनमें कुछ बुराई नजर आये, तब आप इन्हे अपना निकटतम पड़ोसी जानकर उसे सहन कर लें।

जिस प्रकार कि आप लोगोंने मुझे सहयोग दिया है और मेरी यात्रा सफल बनाई है यदि उसी तरह आप आपसमें सहयोगके साथ रहते रहे तो मैं अपनी वात-चीतके अन्तमें अपने आपको एक प्रसन्न और सीभाग्यशाली व्यक्ति समझूंगा। यह देखकर मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि आप, लंकाके सत्कारशील लोग, जो विनम्र उद्देश्य लेकर मैं यहाँ आया हूँ उसे उपयोगी और आवश्यक समझते हैं। वास्तवमें मुझे इससे ज्यादा आश्चर्य तो तब होता जब आप उन लाखों लोगोंकी कष्ट पुकार सुनकर भी अपने कर्तव्यको न निभाते — उन लाखों लोगोंकी पुकार जिनके वारेमें हरेक व्यक्ति स्वीकार करेगा कि वे अघ-भूखोकी स्थितिमें जीवन बिता रहे हैं। अमिनन्दनपत्रके लिए मैं आपको एक बार और धन्यवाद देता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

सीलोन डेली न्यूज, १८-११-१९२७

## १८४. भाषण : कुरुनेगलकी सार्वजनिक सभामें

१७ नवम्बर, १९२७

. . . श्री तम्बीराजाने लंकाकी राजनीतिक स्थितिका और सुधार आयोगसे उन्हें क्या आशाएँ हैं इनका जिक्र किया है। इस प्रश्नपर मेरे लिए कोई मत व्यक्त करना, मुझे यहाँ जो आतिथ्य प्राप्त हुआ है, उसका दुरुपयोग करना होगा। तथापि मैं कामना करता हूँ कि आपकी आशाएँ पूरी होंगी और शाही आयोग अपना काम पूरा करनेके बाद जो निर्णय देगा वह जनताके लिए पूर्ण रूपसे संतोषजनक होगा।

उन्होंने कहा कि एक अन्य प्रश्न है जिसके बारेमें मैं अपने विचार स्वतंत्रता-पूर्वक प्रकट कर सकता हूँ। उसका सम्बन्ध मद्य-निषेधसे है। इस थोड़ेसे समयमें मैंने इस विषयमें आँकड़ोंकी कुछ जानकारी प्राप्त करनेकी कोशिश की है, और मुझे यह देखकर बहुत दुःख हुआ है कि इस मामलेमें लंका समुद्रके पार स्थित अपने पड़ोसीसे बेहतर स्थितिमें नहीं है। मेरी रायमें जो व्यक्ति शराबका गुलाम है वह पशुसे बेहतर नहीं है। मैं लंकाके मद्यपान-विरोध संघकी सफलताकी कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि संघके सदस्य तबतक सन्तुष्ट नहीं होंगे जबतक लंकामें शराब पूरी तरह बहिष्कृत नहीं हो जाती। एक अन्य विषय भी है जिसपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि यहाँकी कतिपय जातियोंकी स्त्रियोंको ऊँची जातियाँ कमरसे ऊपरके कपड़े पहननेकी अनुमति नहीं देतीं। मुझे आशा है कि यदि किसी स्त्रीको अपनी पसन्दका कोई भी कपड़ा पहननेसे रोका जाये तो इस सभामें उपस्थित स्त्रियाँ इस बातको व्यक्तिगत अपमानकी बात समझेंगी। अन्तमें गांधीजीने आशा प्रकट की कि इस देशके लोग भारतमें बने कपड़ोंको खरीदकर भारतके अपने भूखे पड़ोसियोंकी मदद करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

सीलोन डेली न्यूज, १८-११-१९२७

## १८५. भाषण : माटलेकी सार्वजनिक सभामें

१८ नवम्बर, १९२७

आपने जो अमिनन्दनपत्र और थैलियाँ मुझे भेंट की हैं उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

आपने अपने अमिनन्दनपत्रोंमें बड़ी कृपापूर्वक मेरी पत्नीका भी उल्लेख किया है। लेकिन आपको यह बताते हुए मुझे बहुत दुःख होता है कि आज सुबह वह मेरे साथ नहीं है। दरअसल बात यह है कि हम लकाकी यात्रा आप लोगोंसे सम्मान प्राप्त करनेके उद्देश्यसे नहीं कर रहे हैं बल्कि भारतके लाखों गरीबोंकी सेवाकी दृष्टिसे जो काम मैंने अपने हाथमें लिया है, उसके लिए कर रहे हैं। मैंने देखा है कि लोग अकसर मेरी पत्नीको मेरी माँ समझनेकी मूल कर बैठते हैं, जैसा कि पिछली रात एक सज्जनने की। मेरे लिए, और मुझे उम्मीद है कि मेरी पत्नीके लिए भी, यह मूल केवल क्षमाके योग्य ही नहीं है बल्कि स्वागतके योग्य भी है। पिछले कई सालोंसे हमारे आपसी समझौतेके अनुसार वह अब मेरी पत्नी नहीं रह गई है। कोई ४० साल पहले मैं अनाथ हो गया था, और लगभग पिछले ३० सालोंसे वह मेरी माँ, मित्र, परिचारिका, रसोइया, दोतल साफ करनेवाली और विभिन्न प्रकारके कार्य करनेवाली है। यदि दिन शुरू होते ही वह भी सम्मान प्राप्त करनेके लिए मेरे साथ आ जाती तो मुझे भोजनके बिना रहना पड़ता और अन्य किसीने मेरे कपड़ों और मेरी जरूरतोंका खयाल न किया होता। इसीलिए हमने एक युक्तिसंगत समझौता कर लिया है कि सम्मान मेरे हिस्से रहेगा और सारी मेहनत-मजदूरी उनके हिस्से। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनके बारेमें आपने जो सम्मानजनक बातें कही हैं कोई-न-कोई सहयोगी वे सब बातें उनके कानतक पहुँचा देंगे, और मैं आशा करता हूँ कि जो सफाई मैंने आपको दी है उसे आप उनकी अनुपस्थितिका पर्याप्त कारण मानकर स्वीकार कर लेंगे।

बेकारकी वैयक्तिक सफाई देनेमें मैंने आपका जो बहुत-सा समय लिया है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ लेकिन मेरे सामने बैठे हुए पुरुष, खासतौरपर स्त्रियाँ, यदि उस कैफियतके गम्भीर पक्षको समझेंगी और इसमें निहित रहस्यकी कद्र करेगी तो मुझे कोई शक नहीं कि इससे आप सबको काफी प्रसन्नता प्राप्त होगी।

मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जिस देशमें भगवान बुद्धकी वाणी गूँज रही हो उस देशकी जनताका ध्यान इस बातकी ओर दिलानेकी कोई जरूरत नहीं है कि यह जीवन सुख और सुविधाओंका नहीं बल्कि कर्तव्य और सेवाका समुच्चय है।

वास्तवमें सांसारिक सुखोपर तरह-तरहके नियन्त्रण लगानेकी आवश्यकताका मान ही मनुष्यको पशुसे अलग करता है।



इसीलिए मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बुद्धके इस देशके लोग, देशके अन्य भागोके समान ही शराबके आदी है।

इस द्वीपके आँकड़ोंका अध्ययन करनेपर मुझे पता चला कि सामान्य राजस्वमें शराबसे होनेवाली आयका महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुझे यह जानकर तो और भी धक्का लगा कि शराबकी इस आदतको भारतके विपरीत यहाँ शर्म व अनादरकी चीज नहीं माना जाता।

आप जानते हैं कि मैं ऐसे देशमें पैदा हुआ हूँ जहाँ गौतमने जन्म लिया, जहाँ उनको ज्ञानकी प्राप्ति हुई और जहाँ उन्होंने अपना जीवन बिताया। लंकाके बौद्ध धर्मके विद्वान चाहे जो-कुछ कहें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे यह बात तो जान लीजिए कि शराबकी यह आदत बुद्धकी भावनाके विलकुल विपरीत है। क्योंकि इस देशमें हिन्दू-धर्म, ईसाई-धर्म और इस्लामके माननेवाले काफी लोग हैं, अतः मैं आपको यह बता दूँ कि हिन्दू-धर्ममें मद्यपान पाप माना जाता है। इस्लाममें भी इसे वर्जित माना गया है। मुझे यह स्वीकार करते हुए दुःख होता है कि ईसाई-धर्म-प्रधान यूरोपमें मद्यपानको अनादरकी दृष्टिसे नहीं देखा जाता, लेकिन आपको यह बतानेमें मैं खुशी महसूस करता हूँ कि हजारों नहीं तो ऐसे सैकड़ों लोगोंने जिनसे मित्रता करनेका मुझे सौभाग्य मिला है, यह विश्वास दिलाया है कि मद्यपानकी यह आदत ईसाकी भावनाके विलकुल विरुद्ध है।

ईसाई-धर्म अमेरिकाके साथ मेरा काफी निकटका सम्पर्क है। आप जानते हैं कि अमेरिकाके लोग शराबकी इस बुराईके विरुद्ध कितनी बहादुरीसे लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे, चाहे आप बौद्ध धर्मके माननेवाले हों, चाहे हिन्दू हों, ईसाई हों या मुसलमान हों, आदरपूर्वक यह आग्रह करता हूँ कि इस देशको शराबके अभिशापसे मुक्त करनेके महान प्रयत्नमें आप सब एक हो जायें।

ठंडे जलवायुवाले प्रदेशोंमें दवाके तौरपर शराबकी आवश्यकताके सम्बन्धमें चाहे जो-कुछ कहा जाये, लेकिन इस बातसे तो हरेक सहमत है कि ऐसे समशीतोष्ण कटिबंधमें शराब पीनेकी तो कोई भी बात नहीं है।

एक और बात जिसकी ओर मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह है संसारके सबसे उदार धर्म—बौद्धधर्म—में विद्यमान अस्पृश्यता। मैं चाहता हूँ कि आप तुरन्त यह धोषणा करनेके लिए कदम उठायें कि प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ बराबरीका दर्जा रखता है। जबतक आप एक भी व्यक्तिको अस्पृश्य मानते हैं तबतक आप बौद्धधर्म और मानवतासे विमुख समझे जायेंगे।

अन्तमें, क्योंकि आपने मेरे उद्देश्यमें काफी रुचि ली है, मैं चाहता हूँ कि जबतक आपके कपड़े इस सुन्दर देशमें ही तैयार नहीं होते तबतक खादीका ही कपड़ा खरीदकर आप अपनी सहानुभूतिकी और व्यापक बनायें।

मेरे नाई मित्रोंने मुझे एक अभिनन्दनपत्र और एक थैली चेंट की है। यह लाखों मूखे लोगोंके लिए उनके सहयोगियोंकी ओरसे सहानुभूतिकी ऐसी अभिव्यक्ति है जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यदि समृद्धिशाली लोग अभावग्रस्त लोगोंका सदैव ध्यान रखें तो मुझे और भी खुशी होगी।

मैं आपको अभिनन्दनपत्रों तथा थैलियोंके लिए एक वार फिरसे धन्यवाद देता हूँ ।

[अंग्रेजीसे]

विद्व. गांधीजी इन सीलोन

## १८६. भाषण : धर्मराज कालेज, कैण्डीमें

१८ नवम्बर, १९२७

यह मेरा सीमाग्य रहा है कि संसारके जिस किसी भागमें मैं गया हूँ, मैंने अपने आपको सुखी महसूस किया है और अपनेको सुखी बना लिया है। अगर मैं ऐसा करनेमें समर्थ न होता तो शायद बहुत पहले मैं आत्महत्या किये बिना ही मर गया होता। लेकिन जब मैं अपने पारसी मित्रोंसे मिलता हूँ तो मुझे दुगुना सुख मिलता है। आप वास्तवमें यह सब नहीं समझ सकते। आप शायद यह भी सोच सकते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। यह मजाक नहीं है। बात गम्भीर है, क्योंकि दक्षिण आफ्रिका और भारतमें पारसियोंके साथ मेरा निकटका सम्पर्क रहा है, और उनसे मुझे व्यक्तिगत तौरपर प्रेम ही प्रेम प्राप्त हुआ है। आप वेशक अब भी यह न जानते हो लेकिन आपके सामने मुझे यह स्वीकार करते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे श्रेष्ठ कार्य-कर्त्ताओंमें से कुछ पारसी हैं, और वे हैं भारतके पितामहकी तीन पीढ़ियाँ।

लेकिन अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलोंके ऊपर मैं आपका बहुत समय नहीं लेना चाहता। इस थैलीके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपसे मिलनेका मुझे यह सुअवसर मिला, इसकी मुझे खुशी है।

जैसा कि कुछ देर पहले मैंने ट्रिनिटी कालेजके विद्यार्थियोंको बताया है, आपकी शिक्षाका निर्माण अगर सचाई और पवित्रताकी ठोस बुनियादपर न हुआ तो आपकी शिक्षा बिलकुल व्यर्थ है। यदि आप लड़कोने अपने जीवनकी व्यक्तिगत पवित्रतापर ध्यान नहीं दिया, यदि आप मन, वचन और कर्मसे शुद्ध बननेके प्रति सतर्क न रहे तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जीवन व्यर्थ है, चाहे आप पूर्ण रूपसे विद्वान मले वन जायें।

मुझसे आप लोगोंका ध्यान एक बातकी ओर दिलानेको कहा गया है। पवित्रता तो सबसे पहले निर्मल हृदय रखनेमें है, लेकिन हृदयमें जो-कुछ होता है वास्तवमें वह बाहरी कार्यों और बाहरी व्यवहारके रूपमें प्रकट हो जाता है। जो लड़का अपना मुख शुद्ध रखना चाहता है वह कभी अपशब्द नहीं कहेगा। वेशक यह बात बिलकुल स्पष्ट है। लेकिन वह कभी अपने मुँहमें ऐसी कोई चीज भी नहीं रखेगा जिसके कारण उसकी बुद्धि मन्द हो, उसका मस्तिष्क विकृत हो और जिससे उसके मित्रोंको हानि पहुँचे।

मुझे पता है कि कुछ लड़के धूम्रपान करते हैं और लंकामें आप सब उतने ही बुरे हैं जितने बुरे बमकि लड़के हैं, हालाँकि धूम्रपानकी इस बुरी आदतकी दृष्टिसे

तो सभी जगहके लड़के बुरे बन रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, पारसियोंको निःसन्देह अग्निपूजक कहा जाता है या यों कहिए कि भ्रमवश कहा जाता है। वे आपसे ज्यादा अग्निपूजा करनेवाले नहीं हैं भले ही वे ईश्वरको सूर्यके रूपमें देखते हों जो कि अग्नि-देवताके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

आपमें से बहुतसे भले पारसी सिगरेट नहीं पीते हैं, और जब भी आपके संरक्षणमें कुछ लड़के हों, तो आप उन्हें ऐसी शिक्षा दीजिए कि वे धूम्रपानसे अपना मुँह कभी दूषित न करें।

यदि आपमें से कोई धूम्रपान करता हो तो आजसे वह इस बुरी आदतको छोड़ दे। धूम्रपानसे स्वास्थ्य दूषित हो जाता है। यह गन्दी आदत है। धूम्रपान करनेवाला व्यक्ति जब रेलके डब्बेमें होता है तो यह खयालतक नहीं करता कि उसके आसपास स्त्रियाँ बैठी हैं या ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो धूम्रपान नहीं करते और उसके मुँहसे जो बदबू आती है वह उनके लिए नफरतकी बात हो सकती है।

दूरसे तो सिगरेट एक छोटी-सी चीज लगती है लेकिन सिगरेटका धुआँ जब किसीके मुँहसे अन्दर जाता है और फिर बाहर निकलता है तो वह विष होता है। धूम्रपान करनेवाले यह भी परवाह नहीं करते कि वे कहाँ थूकते हैं।

यहाँ गांधीजीने यह समझानेके लिए कि तम्बाकूकी आदतका प्रभाव शराबसे ज्यादा खतरनाक होता है, टॉल्स्टॉयकी एक कहानीका हवाला दिया और आगे कहा:

धूम्रपानसे बुद्धि कुंठित होती है और यह एक बुरी आदत है। अगर आप डाक्टरसे पूछें, और यदि वे अच्छे डाक्टर हैं, तो वे आपको बतायेंगे कि बहुतसे मामलोंमें कैंसरका कारण धूम्रपान रहा है या कमसे-कम मूल कारण तो धूम्रपान ही होता है।

जब धूम्रपानकी कोई आवश्यकता ही नहीं है तो फिर लोग धूम्रपान करते क्यों हैं? यह कोई भोजन नहीं है। इसमें कोई आनन्द नहीं सिवा इसके कि पहले पहल हमें कोई [‘इसके आनन्दका!'] सुझाव देता है।

बालको! यदि आप अच्छे लड़के हैं और यदि आप अपने शिक्षकोंके और माता-पिताके प्रति आज्ञाकारी हैं तो आप धूम्रपानसे दूर रहें और इस प्रकार आप जो-कुछ बचायें उसे कृपया भारतके भूख-पीड़ित लाखों लोगोंके लिए मेरे पास भेज दें।

[अंग्रेजीसे।]

विद्वद् गांधीजी इन सीलोन

## १८७. भाषण : कण्डीमें'

१८ नवम्बर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

मुझे दुःख है कि केवल कुछ महीने पहले मेरी आवाज जैसी थी अब वैसी नहीं रह गई है। मेरी आवाज अब ऐसी है कि वह बहुत दूर तक नहीं पहुँच सकेगी और यदि हॉलमें पीछे बैठे हुए लोग मेरी आवाज न सुन सके तो आशा है कि वे मेरी इस शारीरिक दुर्बलताके लिए क्षमा कर देंगे। मुझे नहीं मालूम कि आपके सामने खड़े होकर बोलनेमें, शरीरसे असमर्थ होनेके लिए भी मुझे आपसे माफी माँगनेकी जरूरत है या नहीं। आपने मुझे जो अभिनन्दनपत्र भेंट किया है तथा उसमें देखके तथा मानवजातिके प्रति की गई मेरी कुछ सेवाओंका जो उल्लेख किया है उसके लिए मैं आपको सच्चे दिलसे धन्यवाद देता हूँ। आज मैं इस प्राचीन देशके बारेमें तथा यहाँके नागरिक जो कठिनाइयाँ झेल रहे हैं उसके बारेमें कुछ पढ़ रहा था। उसे पढ़कर मेरे मनमें पीड़ा और दुःख छा गया है। मैंने अभी वह पुस्तिका समाप्त नहीं की है। लेकिन जो पढ़ा है वह यहाँके नागरिकोंके कष्टोंको जान लेनेके ह्यालसे काफी है। आप श्रोताओंके माध्यमसे मैं उन लोगोंसे यही कह सकता हूँ कि मेरा पूरा हृदय उनके साथ है। आशा है आपकी सारी उत्तम अभिलाषाएँ पूरी होंगी।

जैसा कि कोलम्बोमें मैंने कहा भी था, मैं नगरके जीवनका प्रेमी हूँ। मैं यह जरूर मानता हूँ कि नगर-सेवाका कार्य एक सौभाग्यकी बात है और एक कर्त्तव्य है जिसे स्त्री या पुरुष, प्रत्येक नागरिकको अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार निभाना चाहिए। वह सेवा नगरपालिकाका सदस्य बने बिना भी की जा सकती है। हरेक व्यक्तिके भाग्यमें सदस्य निर्वाचित होना नहीं होता। मैं नहीं समझता कि आप लंकाके लोग भारतके लोगोंसे भिन्न हैं, और इसीलिए मुझे भय है कि यहाँ भी भारतकी ही तरह नगरपालिकाओंका सदस्य बननेकी कामना अक्सर होती होगी और यदि ऐसा हो तो हम इस भावनाको जितनी जल्दी निकाल सके हमारे लिए उतना ही अच्छा है।

मुझे पता नहीं कि आपके यहाँ गन्दी बस्तियाँ हैं या नहीं। मेरे ह्यालमें आप उनसे अछूते नहीं हैं। लेकिन जो लोग नगर-पार्यद है उनका कर्त्तव्य समृद्ध नागरिकोंकी अपेक्षा गरीबोंके प्रति कहीं अधिक होता है। बम्बई, कलकत्ता और इलाहाबाद तथा भारतके तकरीबन सभी मुख्य शहरोंमें मुझे नगरपालिकाका अनुभव हो चुका है और मैंने देखा है कि जो लोग प्रभावशाली और पैसेवाले हैं उनको तो नगरपालिकाकी सेवाका समुचित और तुरन्त लाभ मिल जाता है लेकिन गरीबोंकी ओर

१. नगरपालिकाकी ओरसे दिये गये अभिनन्दनपत्रके उत्तरमें।

शायद ही कोई ध्यान देता हो। यदि मैं आपसे यह कहूँ कि भारतके सभी शहरोंमें यही हालत है तो यह मेरी गलती होगी। कोई भी नगर-पर्यटन गरीबोंकी सेवा करना अपना कर्त्तव्य नहीं मानता। मुझे यह भी बताना चाहिए कि अब यह हालत सुधर रही है, हालाँकि सुधारकी गति दुःखद रूपसे धीमी है।

मैं आपसे यह कहनेका साहस करूँगा कि लंकामें आप लोग हम भारतके लोगोंकी अपेक्षा अधिक सुखी, कहीं अधिक सुखी हैं, और वह इस कारण कि आपके यहाँ विशाल जन-संख्याकी समस्या नहीं है। प्राकृतिक सौन्दर्य अथवा जलवायुकी दृष्टिसे आपका देश किसीसे पीछे नहीं है। यहाँ प्लेग होने अथवा प्लेगसे डरनेकी तो कोई वजह ही नहीं है। दक्षिण आफ्रिकाकी कुछ नगरपालिकाओंकी ही तरह — मैं दक्षिण आफ्रिकाको अपने देशसे भी अधिक अच्छी तरह जानता हूँ — आप भी ऐसी बीमारियोंको दूर रखनेमें समर्थ हो सकेंगे। मैंने देखा है कि केपकी नगरपालिकाओंकी तरह ही यहाँकी नगरपालिकाएँ भी अपने दर्शनीय स्थलोंका विज्ञापन करने तथा विश्वके सभी भागोंसे पर्यटक लोगोंको आकृष्ट करनेका कार्य करती हैं। वे अपने शहरोंको खूब सुन्दर सजाकर उनका विज्ञापन करती हैं; फिर आपका यह नगर तो सौन्दर्यकी दृष्टिसे केपटाउनसे भी बढ़कर है।

जो प्राकृतिक दृश्यावलि लंकामें मैं अपने चारों ओर देख रहा हूँ उसका शायद विश्व-भरमें कोई सानी नहीं है। और मनुष्यके लिए इस सौन्दर्यमें जितनी अभिवृद्धि कर सकना सम्भव है वह यदि आप कर दें तो निःसन्देह आप भी इस सुन्दर स्थानका विज्ञापन कर सकते हैं और संसारके सभी भागोंके लोगोंको आकृष्ट कर सकते हैं और ऐसा करनेमें उनका और आपका, दोनोंका, लाभ होगा।

भगवान् बुद्धकी ज्योतिसे दीप्त इस द्वीपमें उन यात्रियोंके सीखनेके लिए काफी कुछ है। आपका एक महान् धर्म है जिसकी विश्व-भरमें कोई समता नहीं कर सकता। यह वह धर्म है जो उदात्ततम व्यक्तिको और उदात्त करता है। इसके माननेवालोंकी संख्या संसारमें सबसे अधिक है। लेकिन आपका धर्म आज कोई बहुत अच्छी हालतमें नहीं है। इसका कारण यह है कि आप इसे अच्छा बनानेके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। ऐसा करना आपका कर्त्तव्य है।

आपके लिए सबसे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है कि आप इस सुन्दर स्थानको एक छोटा स्वर्ग बना दें। अभिनन्दनपत्रके लिए मैं आपको फिरसे धन्यवाद देता हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

सीलोन डेली न्यूज, १९-११-१९२७

विद गांधीजी इन सीलोन

## १८८. भाषण : कँगडीकी सावंजनिक सभामें

१८ नवम्बर, १९२७

मैं इन बहुत सारे सुसज्जित अभिनन्दनपत्रों, बहुमूल्य मजूपाओं और बहुत-सी थैलियोंके लिए आपका आभारी हूँ।

मैंने उम्मीद की थी कि मैं आपके सामने विस्तारसे कुछ बोल सकूंगा, लेकिन इस समाके लिए नियत ६० मिनटोंमें से ४० मिनट आपके द्वारा इन उपहारोंको स्नेहपूर्वक भेंट करने और इन अभिनन्दनपत्रोंको पढ़नेमें ही लग गये हैं।

मुझे आपके इस सुन्दर द्वीपमें आ सकनेकी बहुत ज्यादा खुशी है। आपके बीच जो-कुछ चन्द घण्टे मैंने बिताये हैं उनमें मुझे कँगडीके लोगोकी कुछ कठिनाइयो और कष्टोंके बारेमें जानकारी हुई है। मेरी इच्छा है कि मैं केवल मौखिक सहानुभूति प्रकट न करके आपकी कुछ वास्तविक सेवा कर सकता, लेकिन जो स्थिति है उसमें मुझे इतनेसे ही सन्तोष करना पड़ेगा कि मैं आपको अपनी हार्दिक सहानुभूतिका विश्वास दिलाऊँ और ईश्वरसे प्रार्थना करूँ कि किसी प्रकार आपके दुख दूर हो।

आपने अपने एक अभिनन्दनपत्रमें मुझसे कुछ करनेको कहा है ताकि बुद्ध गया आपको फिर सौंप दिया जाये। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि इस सम्पत्तिको आपको वापस दिलानेके लिए मैं अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करूँगा। (हर्ष-ध्वनि) लेकिन कितना अच्छा होता कि मैं यह सोच सकता कि आपका ताली बजाना वाजिब है, क्योंकि मुझे मय है कि मेरे तमाम प्रयत्नोंके बावजूद, आप जितना ममझते प्रतीत होते हैं, आपकी सहायता करनेकी मेरी सामर्थ्य उसकी अपेक्षा कहीं कम है।

इसलिए मैं आपको सावधान करता हूँ कि आप मेरे आश्वामनपर बहुत ज्यादा उम्मीद न बाँध बैठें और आपसे कहता हूँ कि आप बिना ढील डाले अपने अधिकारको मनवानेकी खातिर अपना प्रयत्न जारी रखें।

मैंने आशा की थी कि मैं आपसे चरखेके सन्देशके बारेमें कह सकूंगा क्योंकि वह आपपर भी लागू हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पाम जो चन्द मिनटका समय है उसे आपकी ज्यादा गम्भीर और जरूरी समस्याओंकी चर्चामें लगाना मेरा कर्तव्य है।

मैंने सुना है और मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि आप लोगोमें भी, जो बुद्धके अनुयायी हैं, अस्पृश्यताका कडाईमें पाठन किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह बुद्धकी भावनाके सर्वथा विरुद्ध है। और मैं बौद्धों और हिन्दुओंमें आग्रह करूँगा कि वे अपने समाजको इस अभिशापसे मुक्त करें।

फिर आपके बीच शरावखोरीका अभिशाप प्रचलित है, जैसा कि यह संगारके दूसरे भागोंमें भी है। जहाँतक मुझे ज्ञात है, मद्यपान संगारके ननी महान घर्मोंकी भावनाके विरुद्ध है, और बौद्ध घर्मकी भावनाके विरुद्ध तो निश्चित ही है।

मुझे पता चला है कि यहाँ आपको अपने जिलेमें यह अधिकार प्राप्त है कि आप मद्यनिषेध लागू करा दें। आपकी घरती छोड़नेके बाद यह जानकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि आप इस सुन्दर द्वीपको इस अभिशापसे मुक्त करानेके लिए मद्य-निषेध करानेके अपने इस अधिकारका पूरा-पूरा उपयोग कर रहे हैं।

मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि वागानोंके क्षेत्रमें लोगोंको मद्यनिषेध करानेका अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि मुझे दी गई यह सूचना सही नहीं है। लेकिन यह सूचना सही हो या गलत, मेरी आवाज किसी प्रकार बड़े-बड़े वागान-मालिकोंतक पहुँचेगी जिन्हें अपने आपको उन मजदूरोंके कल्याणका न्यासी मानना चाहिए जिनके ऊपर उनकी अद्भुत समृद्धि निर्भर करती है। मैं नञ्जतापूर्वक उनसे यह कहनेका साहस करता हूँ कि मजदूरोंके सामाजिक कल्याणमें व्यक्तिगत दिलचस्पी लेना उनका कर्त्तव्य है, जिनके शरीर और आत्मातक उनके संरक्षणमें है। मैं उनका कर्त्तव्य मानता हूँ कि वे न केवल शरावके रूपमें मजदूरोंके सामने प्रलोभन न रखें, बल्कि वे उन्हें गलत रास्तोंसे बचायें।

मैं देखता हूँ कि इस सभाके लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। अतः कण्ठीके लोगोंने जो अपार सहृदयता मेरे प्रति दिखाई है उसके लिए मैं एक बार फिर उन्हें धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

विद गांधीजी इन सीलोन

## १८९. भाषण : बाहुल्लाकी सार्वजनिक सभामें

१९ नवम्बर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

मैं आपके अभिनन्दनपत्र तथा थैलीके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके इस सुन्दर द्वीपमें आकर मुझे बहुत आनन्द प्राप्त हुआ है।

मैं अपने सामने निकटवर्ती वागानोंसे आये हुए हजारों मजदूरोंको देख रहा हूँ। कितना अच्छा होता कि मेरे पास आपके बीच जानेका और जिस वातावरणमें आप रहते हैं उसे तथा आपके निवास स्थानों और जीवनके ढंगको देखनेका समय होता।

आप सबको शायद पता न हो कि मेरे जीवनका लगभग एक युग मजदूरोंके बीच या उनके घनिष्ठ सम्पर्कमें गुजरा है, और आपके बीच कुछ दिन गुजारनेमें, आपकी जरूरतों और आकांक्षाओंको समझनेमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली होती, लेकिन मैं आशा करता हूँ जिस वजहसे मैं कुछ समयके लिए आपके बीच आकर नहीं रह पाऊँगा, उसको आप मेरी इस असमर्थताका पर्याप्त कारण मानकर स्वीकार करेंगे।

वह कारण यह है कि इस समय मैं भारतके उन करोड़ों लोगोंके आत्मनियुक्त प्रतिनिधिके रूपमें यात्रा कर रहा हूँ जिनकी दशा यहाँ उपस्थित आपमें ने किसीकी भी अपेक्षा कहीं ज्यादा बुरी है। आपने मुझे जो थैलियाँ भेंट होती देखी हैं, वे इन्हीं लोगोंके वास्ते दी गई हैं।

इस थैलीके हर रुपयेका इस्तेमाल प्रतिदिन कमसे-कम १६ स्त्रियोंको उनकी क्षोपड़ीमें रोजी दिलानेके लिए इस्तेमाल होगा। ये वे स्त्री-गुरूप हैं जो अवपेट रहनेके बावजूद अपना घर, अपनी क्षोपडी और अपने खेतोंको छोड़ नहीं सकते। उस धनमें जो साल-भर इकट्ठा किया जाता रहता है, प्रतिवर्ष लगभग ५०,००० स्त्रियोंको चरखा उद्योगके जरिये उनके घरोंमें सहायता दी जा रही है।

इन कर्तव्योंके पीछे कई हजार वुनकरो, रंगरेजो, छपाई करनेवालो, धोवियों तथा अन्य लोगोंको भी मदद पहुँचाई जा रही है, जो अगर कताईका पुनरुद्धार न हुआ होता तो बेरोजगार होते।

यह काम एक अखिल भारतीय संस्थाके जरिये किया जा रहा है जिसे अखिल भारतीय चरखा संघ कहते हैं। इसमें कई आत्मत्यागी लोग हैं जो या तो लक्षपतियोंके बेटे हैं या जिनकी योग्यता और ईमानदारी स्वयं सिद्ध है।

हालाँकि इस कामके लिए मैं धनवान लोगोंसे खुशीसे पैसा इकट्ठा करता हूँ, लेकिन मुझे आप-जैसे गरीब लोगोंसे, जो मेरे सामने बैठे हैं, धन इकट्ठा कर सकनेमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। खुशीसे दिये गये हरएक पैसे, हर आनेका भी पैसा ही स्वागत है जैसा कि किसी धनीके एक या दस रुपयेके नोटका।

मैं जानता हूँ कि अपनी उपस्थितिसे इस अवसरकी शोभा बढ़ानेवाले आप लोगोंमें से बहुतसे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस कोषमें कुछ चन्दा देनेका अवसर ही नहीं दिया गया। यदि मेरा अनुमान सही है, और आपमें से बहुतसे लोगोंने चन्दा नहीं दिया है तो मैं आपको निमन्त्रित करता हूँ कि यदि आपका मन हो तो आप इस समामे जानेसे पहले इस उद्देश्यके लिए अपनी सामर्थ्य-भर देकर जायें।

मुझे आपको यह सूचित कर सकनेकी खुशी है कि अभी जब मैं श्रोताओंसे यह अपील कर ही रहा हूँ, एक सज्जनने प्रकटतः अपनी जेबका सारा धन पहले ही भेज दिया है जो आठ रुपये और कुछ आने हैं।

लेकिन एक अधिक गम्भीर चीज जिसका मैं आपसे जिज्ञा करना चाहता हूँ, यह है कि आपको खादी पहनकर इन सुघापीडित लाखों लोगोंके साथ जीवन्त सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। ये लोग चन्देमें प्राप्त होनेवाले इन रुपयोंकी सहायतासे यह खादी तैयार करते हैं। मैं जो खादी तैयार करता हूँ उसके लिए यदि मुझे ग्राहक नहीं मिलते तो चन्देमें प्राप्त होनेवाले ये सारे रुपये बिल्कुल बेकार होंगे। मैं देन रहा हूँ कि मेरी अपीलका जवाब मिलना पहले ही शुरू हो गया है, और यदि आपमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ जेबमें डाल दे, अपनी निगाह उन लोगोंपर रखे जो चन्दा एकत्र कर रहे हैं और कान मेरी ओर लगाये रहे तो मैं जो सन्देश आपको देनेवाला हूँ वह आसानीसे दे सकूँगा।



एक महत्त्वपूर्ण विषय है जिसकी मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। एक मित्रने आज सुबह मुझे बताया कि इस जगह सैकड़ों करघोंपर काम हुआ करता था, और मुझे दुखपूर्वक कहा कि विदेशी कपड़े और विदेशी सूतका आयात होनेके कारण ये सारे करघे बन्द पड़े हैं और यह पुराना उद्योग इस जिलेमें लगभग समाप्त-प्राय ही है।

मैंने इस मित्रको बता दिया है कि यदि वह रुई साफ करनेसे लेकर कताई तककी सारी प्रक्रियाओंको सिखानेके लिए विशेषज्ञोंकी सहायता चाहते हैं, तो यह सहायता उन्हें लंकामें ही प्राप्त हो सकती है। कोलम्बोके निकट ही एक परिवार है जिसने पहले ही सारी प्रक्रियाएँ सीख ली है और वह अपना कपड़ा कच्ची रुईसे तैयार करता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि इस सुन्दर द्वीपमें वास्तवमें जरूरतमन्द स्त्री-पुरुष है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि आप अपना ही कता और बुना कपड़ा पहनें। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इन रेवर्डेड महोदयके काम और उसकी प्रगतिके लिए अपनी हार्दिक सहायता प्रदान करेंगे और वह जो उद्यम और कौशल आपके उपयोगके लिए प्रस्तुत करेंगे उसका उपयोग करेंगे।

आज तीसरे पहर एक सज्जनने मुझे बताया कि आपके यहाँ इस प्रकारका सामाजिक कार्य या किसी भी प्रकारका राजनीतिक कार्य करनेवाली कोई संस्था या संगठन नहीं है। और निश्चय ही मुझे इस बातसे बहुत अधिक खुशी होगी कि इस समाका एक परिणाम यह हो कि आप एक ऐसा संगठन बना लें, जिसका संचालन निःस्वार्थ कार्यकर्त्ता करें।

एक और मित्र मेरे पास आये और मुझसे पूछा कि लंकाके लोगोंके लिए चरखेका क्या सन्देश है। उन्होंने मुझे बताया कि इस द्वीपमें भी ऐसे स्त्री-पुरुष हैं जिन्हें कामकी जरूरत है, और मेरी पूछताछके जवाबमें उन्होंने बताया कि वे मुझसे कोई ऐसा रास्ता जानना चाहते थे जिसके जरिये इस सुन्दर द्वीपके नवयुवकोंको जल्दवाजीमें और विना अच्छा-बुरा समझे पश्चिमकी हर चीजकी नकल करनेसे रोका जा सके।

एक चौथे मित्रने मुझे लिखा है कि मैं लंकाकी कुछ स्त्रियोंको जो सुन्दर वस्त्र पहने देखता हूँ और बहुत सारे नवयुवकोंको यूरोपीय शैलीके बढ़िया वस्त्र पहने देखता हूँ उससे मैं ऐसा न मान लूँ कि ऐसे वस्त्र पहननेवाले लोगोंके पास बहुत धन है। यह पत्रलेखक मुझे बताता है कि बढ़िया वस्त्रोंमें सजे हुए इन आदिमियोंमें से बहुतसे लोग अपने आपको, मुझे कहते हुए दुख होता है, चेट्टि या पठान सूदखोरोके चंगुलमें पाते हैं।

तो, चरखा इस वर्गके सभी लोगोंके लिए एक सन्देश देता है। उस क्षुधा-पीड़ित पुरुष या स्त्रीसे जिसके पास करनेको शायद कोई काम नहीं है, चरखा कहता है: "कताई करो, और तुम्हें कमसे-कम रोटीका एक सूखा टुकड़ा मिल जायेगा।"

यह तो चरखेका आर्थिक सन्देश है, लेकिन उसके पास सभी लोगोंके लिए एक सांस्कृतिक सन्देश भी है। चरखा सांस्कृतिक ढंगसे आपसे और मुझसे कहता है:

“यह देखते हुए कि इस घर्तीपर करोड़ो लोग ऐसे हैं, जो कामके अभावमें मजदूरन वेरोजगार रहते हैं, और चूँकि मैं ही ऐसा यन्त्र हूँ जिसे किसी एक भी व्यक्तिके मुँहकी रोटी छीने वगैर उन लोगोके हाथोंमें दिया जा सकता है, क्या आप इन करोड़ों लोगोकी खातिर मुझे नहीं चलायेंगे और इस प्रकार सच्चे उद्यमका, सच्चे काम और आत्मनिर्भरताका तथा ईश्वरकी इस घर्तीपर समीके लिए आशाका वातावरण नहीं उत्पन्न करेंगे ? ”

यह वह सांस्कृतिक सन्देश है जो चरखा इस घर्तीके समी लोगोको देता है, मले ही वे किसी भी देश, धर्म या जातिके हो ।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चरखेके इस सांस्कृतिक सन्देशको धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूपसे संसारके विभिन्न कोनोंमें ग्रहण किया जा रहा है । मैं ऐसे अग्रेजों, आस्ट्रियानो, जर्मनो, पोलोको जानता हूँ जिन्होंने चरखेकी इस अपीलको पहले ही स्वीकार कर लिया है । और मैं लंकाके सम्पन्न स्त्री-पुरुषोको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि वे चरखेके सांस्कृतिक सन्देशको स्वीकार कर लेंगे और अपने इस्तेमालके लिए कमसे-कम कुछ कपड़ा स्वयं बनानेकी कोशिश करेंगे तो वे इस कार्यको पूरा करनेके बाद अपने अन्दर आजकी अपेक्षा कहीं ज्यादा गौरवकी भावनाका अनुभव करेंगे ।

चरखेका एक तीसरा सन्देश है जो लाक्षणिक है । चरखा सादा जीवन और उच्च विचारका पक्षपाती है । आज भौतिक सुखोंपर सुख जोड़नेकी, और जीवनको इतना जटिल बना लेनेकी जो अन्वाधुन्य दौड़ मची हुई है जिसमें मनुष्य स्वयं अपनेको या अपने ईश्वरको समझने-जाननेके अयोग्य हो जाता है; चरखा उसके स्थायी विरोधका प्रतीक है । वह आपसे और मुझसे जीवनके प्रत्येक क्षणमें यह अपील करता है और कहता है कि : “मेरा उपयोग कीजिए और आप देखेंगे कि यदि आप सब मिलकर मेरा उपयोग करे, तो मैं छोटा और तुच्छ भले ही प्रतीत होऊँ, मैं यन्त्र रूपी अभिशापकी अंधाधुन्य और बिना सोचे-विचारे की जानेवाली पूजाके विरुद्ध एक दुर्दमनीय शक्ति सिद्ध होऊँगा । ”

चरखा लंकाके उन स्त्री-पुरुषोंके लिए बराबर एक फटकार है जो तरह-तरहके फैशनों और स्टाइलोंके पीछे भागते हैं । वह उनसे कहता है : “अपने देशकी खातिर दूसरोके तौर-तरीकों और रिवाजोंकी नकल मत करो जो तुम्हें केवल हानि पहुँचा सकते हैं, और ईश्वरके लिए ऐसा कुछ बननेकी इच्छा मत करो, जैसा कि लंकाका हर व्यक्ति नहीं बन सकता हो । ”

अब मुझे आपके सामने एक या दो अन्य बातें भी कहनी हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, और मैं आपको शराबखोरीकी बुराईके बारेमें बताना चाहता हूँ ।

मैं जानता हूँ कि आप मजदूरोंमें से बहुतसे लोगोको शराबकी लत है । शराबकी लत सर्प-दंशसे भी खराब चीज है । साँपके काटनेसे विषके कारण शरीरकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन शराबकी आदत तो आत्माको विपाक और भ्रष्ट कर देती है । इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि आप फुफकारते हुए साँपको देखकर जिस प्रकार भागेंगे उसी प्रकार इस अभिशापसे भी दूर भागें ।

मैं इस जिलेमें मजदूरोंके मालिकोंसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि उन्हें अपने कर्मचारियोंके कल्याणके लिए अपने आपको न्यासी मानना चाहिए और उन्हें शराबकी लतसे बचानेकी कोशिश करनी चाहिए। मेरी नम्र रायमें इन मालिकोंका यह निश्चित कर्तव्य है कि वे अपने पास-पड़ोसकी हर कैन्टीनको बन्द कर दें और अपने कर्मचारियोंके सामनेसे ऐसा हर प्रलोभन हटा दें। मैं निजी अनुभवसे यह बात कह सकता हूँ कि यदि वे अपने आदमियोंके लिए बढ़िया उपहारगृह खोल देंगे और उनके लिए सभी प्रकारके निर्दोष खेलोंकी व्यवस्था कर देंगे तो वे पायेंगे कि इन आदमियोंको इस नशीले पेयकी कोई आवश्यकता नहीं होगी।

कैण्डीसे इस स्थानके लिए आते हुए मुझे ऐसी सुन्दर दृश्यावलि देखनेको मिली जो मुझे बहुत कम देखनेको मिली है। जहाँ प्रकृति इतनी उदार रही है, और जहाँ प्रकृति आपको अपने आसपास इस भव्य दृश्यावलिके रूपमें इतनी निर्दोष मादकता प्रदान करती है, वहाँ स्त्री-पुरुषोंके लिए चमकदार किन्तु घातक शराबसे नशा प्राप्त करना निश्चय ही अपराध है। मैं बुद्धके अनुयायियोंसे कहता हूँ कि यह विचार करना बुद्धकी शिक्षाके विरुद्ध है कि बुद्धकी पूजा करनेवाले लोग शायद शराब पी सकते हैं।

मुझे यह सुनकर गहरा दुःख हुआ कि आपमेंसे बहुतसे लोग, जो बौद्ध-धर्मके माननेवाले हैं, अस्पृश्यताके अभिशापका पालन करते हैं। मुझे एक बहुत बड़े अफसरसे पता चला कि आप कुछ बौद्ध लोग इसे अपमानकी बात समझते हैं कि कोई अस्पृश्य स्त्री कमरसे ऊपर कोई वस्त्र पहने। मुझे बिना विरोधके भयके यह कहनेमें कोई संकोच नहीं है कि यदि आप अस्पृश्यतामें विश्वास करते हैं तो आप बुद्धकी शिक्षासे बिलकुल इनकार करते हैं। बुद्ध, जो तुच्छतम प्राणीको अपने समान ही प्रिय मानते थे, वे मनुष्य मनुष्यके बीच इस निष्ठ भेदभावको और एक भी मनुष्यको अस्पृश्य मानना कभी वर्दाश्त नहीं कर सकते थे।

मुझे यह जानकर भी उतना ही दुःख हुआ कि आप हिन्दू लोग भी इस अभिशापको भारतमें ही पीछे नहीं छोड़ आये हैं बल्कि लंकामें प्रवेश करनेके बाद भी इसे अपने साथ ले आये हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि लंकामें रहनेवाले बौद्ध और हिन्दू प्रयत्नपूर्वक इस अभिशापको अपने बीचसे खत्म कर दें।

मुझे एक-दो वाक्य एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चीजके बारेमें भी कहने हैं जिसे मैं लगभग मूल गया था।

कोलम्बोमें मुझे एक पत्र मिला था जिसमें मुझे बताया गया था कि बागानों और बड़े-बड़े कारखानोंमें स्त्री-पुरुषोंका जीवन उतना शुद्ध नहीं है जितना होना चाहिए। पत्रमें आगे कहा गया था कि स्त्री-पुरुषोंके सम्बन्ध भी वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिये।

जो चीज मनुष्यको पशुसे मुख्य रूपसे अलग करती है, वह यह है कि मनुष्य होश सम्हालनेके वादसे अनवरत आत्म-संयमका जीवन व्यतीत करने लगता है। ईश्वरने मनुष्यको इस योग्य बनाया है कि वह अपनी वहन, अपनी माँ, अपनी पुत्री और अपनी पत्नीमें भेद कर सके। एक क्षणके लिए भी ऐसा मत सोचिए कि चूँकि आप लोग मजदूर हैं इसलिए आप लोगोंको इन आवश्यक भेदों और प्रतिबन्धोंको न माननेकी

छूट है। यदि आपकी झोंपड़ियाँ इस प्रकार बनी हुई नहीं हैं कि आप शिष्टता और आवश्यक गोपनीयताके नियमोका पालन कर सकें, तो मैं आपके मालिकोमे अनुरोध करूँगा कि वे आपको सुविधाएँ प्रदान करें ताकि आप वैसा कर सकें।

ईश्वर आपको मेरे इन अन्तिम शब्दोंका महत्त्व समझनेमें मदद करे।

[अंग्रेजीसे]

विब गांधीजी इन सीलोन

## १९०. “भूँडी भूँछी”

कच्छसे बाहर रहनेवाले गुजरातियोने शायद “भूँडी भूँछी” का नाम भी न सुना हो। ऐसा जान पड़ता है कि “भूँडी भूँछी” नामक कर केवल कच्छमे ही लिया जाता है। मेघवाल जातिमें<sup>१</sup> जो व्यक्ति पुनर्विवाह करता है उससे यह कर लिया जाता है। इस करका दरदारकी ओरसे इजारा दिया जाता है। कहा जाता है कि अपनी आय बढ़ानेके लिए इजारेदार अनेक प्रकारके अत्याचार करते हैं।

जब मैं कच्छमें<sup>२</sup> था तब इसके और अन्य बातोंके सम्बन्धमें महारावश्रीके<sup>३</sup> साथ मेरी बातचीत हुई थी और अवश्य ही मैंने यह आशा की थी कि “भूँडी भूँछी” कर तुरन्त खत्म हो जायेगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी यह आशा झूठी थी क्योंकि एक कच्छी पाठक लिखते हैं।<sup>४</sup>

यही पत्रलेखक “भूँडी भूँछी” कर और उसके इजारेसे होनेवाले दुःखोंका वर्णन करते हैं। उससेसे मैं निम्नलिखित अंश उद्धृत करता हूँ।<sup>५</sup>

इसके उपरान्त अन्य अवतरणोंको प्रकाशित करनेमें धर्म आये ऐसी हकीकत भी पत्रलेखक देते हैं। उन्हें मैं प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि कदाचित् उपयुक्त हकीकतोंमें भी अतिशयोक्ति है। परन्तु पाणिग्रहणके लिए कर, और उसमें भी एक ही जातिपर, ऐसा कर हो ही नहीं सकता। मैंने कच्छमें ऐसा एक भी अधिकारी नहीं देखा, जिसने इस दार करका बचाव किया हो। “लम्बे अरसेसे चला आ रहा है”, “किसीका ध्यान इस ओर गया ही नहीं”, ऐसे बेवुनियाद उत्तर अवश्य कोई-न-कोई देता था। लेकिन हम सबको ऐसा लगा कि यह कर तो चला ही गया है और निर्दोष मेघवालोंकी दिक्कत दूर हो गई।

परन्तु वैसा नहीं हुआ और पत्रलेखक मेरी मददकी आशा रखता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास महारावश्रीको अथवा उनके अमलदारोंको समझानेकी शक्ति हो। वह हो

१. एक अन्त्यज जाति।

२. गांधीजी २२ अक्टूबर, १९२५ से ३ नवम्बर, १९२५ तक कच्छमें थे।

३. कच्छ राज्यके तत्कालीन महाराजा।

४. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

५. नहीं दिया गया है।

तो तुरन्त उसका उपयोग करूँ। वर्तमान पत्रोंके प्रभावकी मर्यादा होती है। महात्माओंका असर तो यह होता है कि लोग उनका लाम उठा लेते हैं। सत्याग्रहीका असर भी सीमारहित नहीं होता। पत्रकारके रूपमें कच्छमें मेरा प्रभाव शून्य कहा जा सकता है, महात्माके रूपमें यह प्रभाव उधार पासेमें है और सत्याग्रहीके नाते समयानुसार। सत्याग्रहीका असर प्रबल होनेके वावजूद कालक्षेत्र और संयोगोको लेकर उसकी भी सीमा है। इस समय मेरा सत्याग्रह कच्छके मेघवालोंके पास नहीं पहुँच सकता। संयोग प्रतिकूल है और फिर कच्छ मेरे क्षेत्रके बाहर है। इसलिए मेरे पास उपाय केवल एक अशक्त — गरीब — की विनय और प्रार्थनाका ही है। वह प्रार्थना मैं इस लेखके द्वारा महाराजश्री और उनके अमलदारोंसे करता हूँ।

लेकिन कच्छकी जनताके पास तो, यदि उसमें हिम्मत और दया हो, तो बहुत सारे उपाय हैं। उसे न तो बलवा करनेकी जरूरत है और न बहुत कड़े उपाय अपनानेकी। रूठ जानेके उपायका प्रयोग भारतीय जनताने हमेशा किया है। जब राजा न्याय न करे तब जनता रूठ सकती है और राजाको समझा सकती है। आजकल तो हम रूठनेकी शक्ति भी खो बैठे हैं। महाजन लघुजन हो बैठे हैं। मुझे ऐसे समयका स्मरण है जब महाजनकी सत्ता राजासे भी ज्यादा थी। लेकिन आज महाजनमण्डल नाम-मात्रका रह गया है। उसमें स्वार्थ और अनीतिने प्रवेश कर लिया है और वे जो एक समय लोगोंके प्रतिनिधि और सच्चे रक्षक थे, अब नहीं रहे बल्कि बहुत स्थानोंपर भक्षक बने दिखाई देते हैं। इसीसे राजा और अमलदार जनताकी ओरसे निडर हो गये हैं और लापरवाह तथा स्वेच्छाचारी बन बैठे हैं। इस स्थितिको सुधारनेका उपाय केवल लोक-शिक्षा है।

इस शिक्षाका अर्थ स्कूलकी शिक्षा नहीं। अपितु कितने ही सुधारक जो रणमें हारकर भी विवेक नहीं छोड़ते, मर्यादाका पालन करते हैं, गाम्भीर्य रखते हैं और अपने चरित्र बलसे राजा-प्रजा दोनोंको ढकते हैं और दोनोंपर अपना प्रभाव डालते हैं — ऐसी है वह शिक्षा! वे सच्ची लोक-शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तिसपर भी यदि देर लगे तो भले ही लगे परन्तु यही सबसे सीधा और छोटा रास्ता है।

जबतक ऐसा सुधारक वर्ग जागे तबतक जिसे जो-जो सूझे वह सत्य और अहिंसाका मार्ग ग्रहण करे। उपर्युक्त लेखकने मुझे लिखनेका मार्ग ग्रहण किया है। वह केवल छोटा-सा कदम है। यदि वह अधिक बड़ा कदम उठाना चाहे तो उसे मेघवाल जातिमें प्रवेश करना चाहिए और उनके दुःखोंकी विस्तारसे जाँच करनी चाहिए। कुछ एक दुःखोंका निवारण उनकी जातिमें प्रवेश करनेपर हो सकता है। इसके अतिरिक्त युवक वर्ग हारकर बाहर बैठ रहे इससे बेहतर तो यह होगा कि वह जहाँ-जहाँ अनीतिका, अन्यायका दावानल भ्रमकता हो वहाँ जा बैठे। त्यागपूर्वक सावना करनेवालोंको सीधे उपाय खुद ही मिल जाते हैं।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २०-११-१९२७

## १९१. चरखा संघके बारेमें

एक बिहारी सज्जनने जो कलकत्तामें रहते हैं, हिन्दीमें तीन प्रश्न पूछे हैं और वे उनके उत्तर 'नवजीवन' में चाहते हैं। चूँकि वे प्रश्न गुजरातियोंके लिए भी थोड़े बहुत उपयोगी हो सकते हैं इसलिए मैं उन्हें नीचे गुजरातीमें दे रहा हूँ। प्रश्न इस तरह हैं :

१. अखिल भारतीय चरखा संघके टूट जानेके बाद उसके संचित कोषका क्या होगा ? जिन लोगोंने इस कोषमें चन्दा दिया है, देते हैं, अथवा देगे, उनका तो इसपर कोई स्वत्व नहीं रह जायेगा। तो इस कोषके अन्तिम उपयोगका निर्णय करते समय दाताओंकी सम्मति ली जायेगी अथवा नहीं ?

२. मेरे प्रान्त (बिहार)में साढ़ेतीन रुपयेमें आठ हाथकी एक जोड़ी मजबूत धोती मिल जाती है। पर यहाँ अमय आश्रम अथवा खादी प्रतिष्ठानमें सवा चार रुपयेसे कममें वैसी ही धोती नहीं मिलती। तो क्या इससे मेरे इस सन्देहकी पुष्टि नहीं होती कि इन सस्थाओंके संचालक अपने ऊपर अखिल भारतीय चरखा संघका नियंत्रण न होनेसे दलालीका लाम लेते हैं; जबकि पूरा बिहारका काम सीधे चरखा संघके नियंत्रणमें है।

३. निरंतर चेष्टा करते रहनेपर भी खादीके दाममें कमी क्यों नहीं हो रही है ? कमसे-कम बंगालमें तो गत दो वर्षोंमें कोई कमी नहीं हुई। हाँ, कपड़ेकी किस्ममें कुछ सुधार अवश्य हुआ है

मैंने उपर्युक्त प्रश्न खादी आन्दोलनके कट्टर पक्षपाती होनेकी हैसियतसे पूछे हैं।

पहले प्रश्नमें चरखा संघके बारेमें कुछ अश्रद्धा है और दानियोंके सामान्य अधिकारके बारेमें अज्ञान है।

कितने ही ऐसे मित्र भी जो मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं और चरखा संघके सदस्योंको भी खूब जानते हैं, सोचते हैं कि मेरे मरनेके बाद चरखा संघ टूट जायेगा और खादी की प्रवृत्ति समाप्त हो जायेगी। एक आलोचकने तो यहाँतक भविष्यवाणी की है कि मेरा शव भी चरखेकी लकड़ीसे जलाया जायेगा। ऐसी स्थितिमें यदि खादीके इस पक्षपातीके मनमें शंका उठी है तो क्या दोष दिया जाये ? पर उन्हें और उन जैसेको मैं इतमीनान दिलाया चाहता हूँ कि मेरी लाशको कोई चरखेकी लकड़ीसे नहीं जलायेगा। चरखा संघके सदस्य आज जो काम करते हैं, मेरे मरनेके बाद वे उसमें दुगुना करनेवाले हैं। खादीके ऊपर अनन्य श्रद्धाका मैंने ही इजारा नहीं लिया है। देगमें खादी-प्रवृत्तिके नेस्तानाबूद होनेका मैं एक भी चिह्न नहीं देखता; ऐसे चिह्न जरूर देखता हूँ कि खादीपर लोगोंका विश्वास बढ़ता जाता है। इसके अलावा चरखा संघकी समितिके सदस्य खादीके भक्त हैं। वे स्वतंत्र रूपसे विचार करते हैं। उनमें कितनोने तो

खादीके लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है और उसीके लिए जीते हैं। मैं ऐसी कल्पना कर ही नहीं सकता कि ऐसे लोग चरखा संघको टूटने देंगे। विशेषता इसीमें है कि किसी संस्थामें रहनेवाले यही प्रवृत्ति पैदा करें कि अगर दूसरे लोग वेवफा निकलें तो भी वे स्वयं तो अपनी संस्थामें अश्रद्धा न रखते हुए अंततक वफादार ही रहेंगे और उसे चलते जायेंगे। इसमें तो मुझे लेशमात्र भी शंका नहीं है कि चरखा संघमें ऐसे सेवक हैं।

पर जो उत्पन्न होता है, उसका नाश अवश्य होता है। इस न्यायसे किसी दिन चरखा संघका नाश भी संभव है। सभी प्रकारके नाश हानिरूप नहीं होते। शुद्ध प्रवृत्तिका नाश महान परिवर्तनके रूपमें होता है। जब हम छोटा मन्दिर छोड़कर बड़ा बनाते हैं तो मानते हैं कि मन्दिरका उद्धार हुआ है और बात है भी यही। इसी प्रकार मेरी अनन्य श्रद्धा है कि जब चरखा संघका लय होगा तो किसी महान संस्थामें लय होगा।

चरखा संघमें एक कौड़ी भी देनेवालेका अधिकार अक्षय है। चरखा संघको दानियोंकी सम्मतिके बिना बन्द नहीं किया जा सकता, यानी अगर चरखा संघके द्रव्यका उपयोग खादीके सिवा किसी दूसरे काममें किया जाये तो इसमें दानियोंकी सम्मति होनी चाहिए। अगर कोई कार्यकर्ता स्वेच्छापूर्वक चरखा संघके द्रव्य या नामका दुरुपयोग करे तो चन्दा देनेवालोंमें से कोई भी उसका हाथ पकड़ सकता है। जो संस्था दानसे चलती है वह सार्वजनिक है और उसकी सुव्यवस्थापर सिर्फ दानियोंका ही नहीं बल्कि सारी जनताका हक है। यह सीधी-सादी बात सभी नहीं जानते; और जो जानते भी है या तो निष्क्रिय होते हैं अथवा स्वार्थी। इसलिए बहुत-सी संस्थाओंमें बेईमानी चलती है और पैसेका दुरुपयोग होता है। पर इसके लिए जवाबदेह है केवल सर्वसाधारण जनता, जहाँ समाज सोया हुआ, आलसी, बेफिक्र या स्वार्थी है वहाँपर दंडी, लुच्चे वगैरहकी बन आती है और वे मनमानी करने लगते हैं।

अब दूसरा सवाल लें।

यह बात बिल्कुल ठीक है कि बिहारकी खादी और बंगालकी खादीके दामोंमें फर्क है। पर उसका कारण यह नहीं है कि दलाल लोग बीचमें नफा खाते हैं। बिहार और बंगालकी कार्यपद्धतिमें कुछ फर्क है और इससे बंगालमें खादी पैदा करनेका खर्च अधिक आता है। पर मुख्य कारण तो यह है कि बंगालमें बुननेवालों और कातनेवालोंको कुछ अधिक देना पड़ता है। बंगालकी संस्थाओंके ऊपर भी चरखा संघकी देखरेख और अंकुश तो है ही। खादी कार्य है ही ऐसा कि उसमें अभी हालमें तो अलग-अलग प्रांतोंमें अलग-अलग भाव रहेंगे। गुजरातकी खादी शायद बंगालसे भी महंगी होगी। बिहारसे तो महंगी है ही। इसका कारण यह नहीं है कि बीचमें कोई दलाली खा जाता है। राजपूतानेकी खादी शायद बिहारसे भी सस्ती है। तमिलनाडुकी कितने ही प्रकारकी खादी तो निश्चय ही सस्ती है। मैं इसमें कोई परेशानीकी बात नहीं देखता। खादीकी मारफत हम गरीबोंको उनकी अपनी ही जगहपर निभाना चाहते हैं। इसमें किसी जगह कम खर्च आयेगा और किसी जगह अधिक। हमें खयाल इसीका रखना चाहिए

कि सारे घनका अधिक भाग गरीबोंके ही हाथमें जाये। जितनी सावधानीसे इनका ख्याल रखा जा सके, उतनी सावधानीसे इसका ख्याल रखना चरखा संघका काम है, ऐसा ही होता भी है। यह भी याद रखना चाहिए कि बगाल ही केवल एक प्रान्त है जो अपने यहाँ पैदा होनेवाली लगभग सारी खादी अपने ही प्रान्तमें यानी बंगालमें ही खपा लेता है।

आखिरी सवाल।

मेरी जानकारीके मुताबिक तो खादीकी कीमत सारे हिन्दुस्तानमें घटी है। यही नियम बगालकी खादी पर भी लागू होता है। जहाँ खादीकी किस्म सुवरी है और कीमत जैसीकी तैसी बनी हुई है, वहाँ भी वह घटी ही कही जायेगी। मामान्य रीतिसे सारे भारतवर्षके लिए यो कहा जा सकता है कि औसत कीमतें कमसे-कम पच्चीस प्रतिशत कम हुई हैं। कई जगहोंपर कई किस्मके कपड़ोंपर तो वे पचास प्रतिशततक कम हुई हैं। अभी हालमें मुख्य ध्यान तो खादीकी किस्म सुधारनेकी ओर दिया जा रहा है।

यह वाञ्छनीय है कि ये बिहारी खादी-भक्त खादीमें जैसी दिलचस्पी लेते हैं, सभी खादी-भक्त वैसे ही दिलचस्पी लें। शकानिवारण दिलचस्पीको बढ़ानेमें मददगार बन जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिन्हें सच्ची और ठीक शकआँ हो वे 'नवजीवन' द्वारा अपनी शकाओंका निवारण करायें।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २०-११-१९२७

## १९२. भाषण : नुवारा इलियामें

२० नवम्बर, १९२७

अध्यक्ष महोदय, देवियो और सज्जनो,

मैं आपको आपके अभिनन्दनपत्र तथा आपकी थैलीके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर जगह मेरे भाषणका सिंहली और तमिल भाषाओंमें अनुवाद किया गया है। लेकिन यहाँ चूँकि मैं देखता हूँ कि आपमें से अधिकांश लोग तमिल हैं, इसलिए मैंने स्वागत समितिके अध्यक्षको सुझाव दिया कि सिंहली भाषामें अनुवाद न किया जाये ताकि आपका और मेरा समय बच सके, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस व्यवस्थाको स्वीकार कर लेंगे। महोदय, आपने अपने अभिनन्दनपत्रकी सादगीके लिए क्षमा माँगी है। इसमें न केवल क्षमा माँगनेकी कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत आपने जो पैसा बचाया है उसके लिए आप मेरी हार्दिक बधाईके पात्र हैं। मैं भारतके भूवसे पीड़ित लोगोंका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करता हूँ और आप जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं उसकी एक-एक दमडीको उन धुधा पीड़ित करोड़ों लोगोंकी खातिर बचानेके मामलेमें मैं या आप जितनी भी कड़ाई बरतें वह कम है। फूलोंपर तथा अन्य सजावटोंपर खर्च होनेवाले एक-एक रुपयेका मुझे मलाल होता है। आप याद रखें कि इस प्रकार हरएक रुपया



जो आप वचायेंगे, उसके मतलब होंगे सोलह भूखी स्त्रियोंके लिए भोजन, और मैं उन्हीं भूखी स्त्रियोंकी ओरसे आपका समर्थन प्राप्त करनेके लिए आपके द्वीपमें आया हूँ। मेरे लिए यह बहुत खुशीकी बात है कि यहाँके लोगोंने मेरी अपीलका बड़ी उदारतासे जवाब दिया है। मुझे बताया गया है कि यह थैली श्रमिकों और कंगानियों तथा इसी प्रकारके लोगों द्वारा स्वेच्छासे दिये गये चन्दसे इकट्ठा की गई है। मैं इस उदारताका प्रत्युत्तर केवल कोरे धन्यवादसे ही दे सकता हूँ, लेकिन मैं यह अवश्य जानता हूँ कि इस थैलीके लिए जिस-जिसने स्वेच्छासे चन्दा दिया है उसे ईश्वर सुखी रखेगा। आप अपने ऐश्वर्य-भ्रसाधनों, इत्र, खिलौनों, गहनों तथा दिखावटी बढ़िया कपडोंपर जो भी पैसा खर्च करते हैं वह तो बनकी बर्बादी मात्र है; लेकिन आप इत्मीनान रखें कि इस उद्देश्यके लिए दिया गया हर रुपया, हर गिन्नी बस गुनी मात्रामें आपके पास लौटेगी, और यदि इस सामानमें कोई लोग ऐसे हों जिन्होंने इस थैलीमें चन्दा नहीं दिया है अथवा जिनसे किसीने माँगा नहीं है, तो मैं उनसे कहूँगा कि मेरे भाषणके दौरान वे धीरेसे अपना चन्दा मेरे पास भेज दें। बाहुल्लाकी सामानमें जैसी उदारता दिखाई गई, और सामानमें मेरी अपीलका जैसा जवाब मिला उससे मेरा हौंसला बढ़ा है कि मैं आपसे यह अपील करूँ। आप जानते हैं कि भारतके लाखों गाँवोंमें प्रत्येक घर इस समय अँजूर हो गया है क्योंकि ये बेचारे लोग कृषिसे होनेवाली अपनी आयको जिस एकमात्र उद्योगके सहारे पूरा करते थे उस उद्योगसे उन्हें वंचित कर दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि मित्र लोग जब चन्दा इकट्ठा कर रहे हों उस समय कोई शोर नहीं किया जायेगा। आप मेरे बोलते समय कृपया शांति रखें क्योंकि मैं उन मजदूरोंसे जो इस सुन्दर पहाड़ीके चारों ओर फँले पड़ीसके बागानोंसे आये हैं और जो मेरे सामने और पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, एक व्यक्तिगत अपील करना चाहता हूँ।

आप मजदूरोंसे मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें कि मैं भी आपमें से एक हूँ और करीब ३० वर्ष पहले जब मैं दक्षिण आफ्रिका गया था, तभीसे मैं अपना भाग्य आपके माध्यमके साथ जोड़ता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पुरुष और स्त्रीके रूपमें अपनी गरिमाका अनुभव करें, उसे पहचानें। आप मजदूर हैं, इस कारण अपने आपसे हिंकारत मत कीजिए और न किसी दूसरेको करने दीजिए। सच्चे श्रममें न कभी शर्म थी और न है। इन पहाड़ियोंके चारों ओर मजदूरोंके अस्तित्वके अभावमें इन इलाकोंकी आज जो स्थिति है वह असम्भव थी, लेकिन यदि आपको अपनी गरिमाकी रक्षा करनी है, तो उसके साथ कुछ सुनिश्चित शर्तें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली और जरूरी शर्त है कि आप शराबकी दूकानोंके पास भी न फटकें। शराब ऐसा सैतान है जिसके जालमें आपको नहीं फँसना चाहिए। शराबके प्रभावमें आया हुआ आदमी अपनी पत्नी और बहनोंके बीचका भेद भूल जाता है। इसलिए यदि आपने शराब अबतक न छोड़ दी हो तो आप पवित्र संकल्प करें कि आप इस अभिशप्त जलके स्पर्शसे अपने होंठ गन्दे नहीं करेंगे, बल्कि यदि स्वयं अपने लिए और अपने परिवारोंके लिए खाने-कपड़ेका इन्तजाम करनेके बाद आपके पास अलग रखनेको कुछ पैसा बच रहे तो उसे ज्यादा अच्छे उद्देश्यके लिए

रखें, अपने बच्चोंको शिक्षा देनेके लिए रखें, उम्र दिनके लिए रखें जब आपके हाथ-पाँव अशक्त हो जायें और आपके लिए आराम करनेका समय आ जाये। यह मारी बचन आपके काम आयेगी, और मैं आपसे कहूँगा कि आप ईश्वरके नामपर उन बचनका कुछ अंश उन लोगोंकी खातिर भी इस्तेमाल कीजिए जो आपकी अपेक्षा कहीं अधिक गरीब हैं।

मैं यह भी जानता हूँ कि आपमें से बहुतसे लोग शुद्ध जीवन व्यतीत नहीं करते। अपवित्र जीवन जीना गलत है। घरतीके सारे प्राणियोंमें केवल मनुष्यको ही ईश्वरने ऐसा रचा है जो स्त्रियोंमें बहन, बेटी, माँ और पत्नीमें भेद कर सकना है। ऐसी परिस्थितियोंमें रहनेसे इनकार कर दीजिए जिनमें आपके लिए अनुशामन, पवित्रता और सयमका जीवन जीना असम्भव हो। मेरी कामना है कि मेरी आवाज आपके मालिक लोग सुनेगे, क्योंकि मैं जानता हूँ वे इस बातका ध्यान रखेंगे कि आपके दैनिक जीवनमें वे व्यक्तिगत दिलचस्पी लें। मैं जानता हूँ कि आपमें से बहुतसे लोग अपने खाली या फालतू वक्त और धनको जुआ खेलनेमें बर्बाद करते हैं। आपको अपने खाली समयका ऐसा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चूँकि आपको अपने बागानोंमें खुली हवामें रहनेकी पर्याप्त सुविधा है इसलिए मैं आपको सलाह दूँगा कि आप अपना खाली समय अपनी बुद्धिको विकसित करनेमें लगायें। और यदि आपके पास फालतू समय हो तो अपने और अपने परिवारके लिए आप सूत काते।

मैं जानता हूँ कि आप जब इस द्वीपमें आते हैं तो अपने साथ अस्पृश्यताका अभिशाप भी ले आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हिन्दू-धर्ममें अस्पृश्यताका कोई औचित्य नहीं है। एक भी मनुष्यको अस्पृश्य समझना गलत है, और मैंने जो बातें आपको बताई हैं यदि आप उन्हें ध्यानमें रखेंगे, और उनपर अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कहीं ज्यादा अच्छे पुरुष और कहीं ज्यादा अच्छी स्त्रियाँ बन जायेंगे।

कोलम्बोसे प्राप्त एक पत्रमें मुझको याद दिलाई गई है कि लंकाके बहुतसे बागानोंमें अक्रुश कृमिका रोग बहुत होता है। इस रोगसे पूरी तरह बचा जा सकता है, और मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आपके मालिक लोग आपको इस रोगसे बचनेका उपाय नहीं सिखा सके हैं। मैं निश्चित रूपसे जानता हूँ कि यह रोग केवल गन्दगीके कारण होता है। जो पत्र मुझे मिला है उसमें कहा गया है कि कुछ उपाय हैं जो काफी अच्छे हैं, और यदि ऐसे उपचार हो तो आप निश्चय ही उनका प्रयोग कर सकते हैं — विगेप रूपसे यह देखते हुए कि इस रोगकी रोक-थाम बहुत आसानीमें हो सकती है। मुख्य चीज यह है कि आप अपनी स्वच्छता-सफाईका ध्यान रखें। मुझे यह मानते हुए दुःख होता है कि सफाई-स्वच्छता सम्बन्धी आपके तरीके बहुत ठीक नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि यदि बागान-मालिक लोग आपको स्वास्थ्य-सम्बन्धी शिक्षा देनेके लिए समुचित कार्रवाई करेंगे तो वे स्वयं अपने प्रति, आपके प्रति और मानवताके प्रति अपने कर्तव्यका पालन करेंगे। यह रोग पानीको गन्दा करने और जमी पानीको सभी तरहके कामोंमें इस्तेमाल करनेसे होता है। यदि आप स्वास्थ्य-विषयक बुनियादी बातोंको समझें और सीखें, और यदि आप पीनेके पानीको कपड़ा धोकर या

अन्य प्रकारसे गन्दा न करें तो अंकुश-कृमिकी बीमारी आपको कमी नहीं होगी। मैं आपके अमिनन्दनपत्र तथा उदारतापूर्वक दी गई थैलीके लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

विद्वद् गांधीजी इन सीलोन

## १९३. पत्र : मीराबहनको

कैण्डी

सोमवार, २१ नवम्बर, १९२७

वि० मीरा,

तुम्हारे पत्र मिले।

यदि छोटेलाकरी हालतमें बहूँ सुधार न हो सकता हो तो उसे वायु-परिवर्तनके लिए बाहर जाना चाहिए। देखना वह क्या करता है। त्यागीजीको यदि दूसरे हमलेसे बचना है तो उन्हें मुख्यतः दूधपर रहना चाहिए। भणसालीके लिए मुझे चिन्ता बनी हुई है। खुशी है कि पारनेरकर चले गये। वेहतर यही है कि पूरी तरह स्वस्थ होनेसे पहले वह न लौटें। तुम्हारे बाहर रहनेपर सुरेन्द्र तुम्हारी जगह बखूबी ले सकता है। मैं २ दिसम्बरको बरहामपुर पहुँचूँगा। तुम अपने आनेकी ठीक तारीख, समय और मार्ग बाबू निरंजन पटनायक, खादी डिपो, बरहामपुर (जिला गंजम)को तार या पत्रसे सूचित कर देना। गो-पालनपर दो या तीन पुस्तकोंसे ज्यादा मत पढ़ो। मैं नहीं समझता कि उड़ीसामें तुम्हारे पास अध्ययनके लिए उतना समय होगा जितना तुम सोचती हो।

मुझे याद पड़ता है कि मैंने तुम्हें [ अपनी ] माँ से चाहे जितनी किताबें और चीजें आदि न मँगानेको कहा था। लेकिन गो-पालन-सम्बन्धी साहित्यके मामलेमें इस नियममें छूट ली जा सकती है। उनके परिचित विशेषज्ञ जिन पुस्तकोंकी सिफारिश करें, ऐसी सभी पुस्तकें वह भेज सकती हैं।

मिलनेसे पहले यह मेरा अन्तिम पत्र है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२९४) से।

सौजन्य : मीराबहन

## १९४. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

२१ नवम्बर, १९२७

प्रिय सतीश बाबू,

तो अब आपने एक भाई खो दिया। अगर हम सीखें तो प्रियजनोकी मृत्युमे हमें बहुत शिक्षा मिलती है। जन्मकी तरह ही वह भी सदा हमारे साथ रहती है। हर व्यक्तिको इस बातका ज्ञान है, लेकिन समय आनेपर हममें से कितने कम लोग उसमे लाभ उठा पाते हैं, और जाने क्यों, हम हिन्दू लोग, जिन्हें मृत्युसे सबसे कम प्रभावित होना चाहिए, मुझे लगता है, हमी लोग उससे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। क्या आपने 'महाभारत' में युद्धमें मरनेवालोकी मृत्युपर लोगोने जैसा लज्जाजनक विलाप किया है उसे पढा है? मैं यह आपके लिए नहीं लिख रहा हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि आप अपेक्षतया सुचिन्त है। मुझे हेमप्रभादेवीके बारेमें [सन्देह है]। मैं चाहूँगा कि आप अपनी टिप्पणीके साथ इस पत्रका अनुवाद उनके सामने कर दें।

आपने जो खादी भेजनेका वादा किया था वह मुझे नहीं मिली। अगर आपने भेज दी होती तो मैं समझता हूँ कि मैं वह सब यहाँ बेच देता। मैं २ दिसम्बरको बरहामपुर, जिला गंजम पहुँचनेकी आशा करता हूँ। मैं २९ तारीखको लंकासे चलूँगा। २५ को कोलम्बोसे चलूँगा और २६ को जफना पहुँचूँगा।

सप्रेम,

आपका,  
बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५७९) की फोटो-नकलसे।

## १९५. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको

कैण्डी

सोमवार [२१ नवम्बर, १९२७]

प्रिय भगिनी,

तुमारा खत मीला है।

सतीशबाबूके भाईके स्वर्गवास [से] तो दुःखी नहीं हुई होगी। जन्ममे सुख क्या मरणसे दुःख क्या? यह तो गीतावाक्य है। निखिलका स्वास्थ्य अबतक अच्छा नहीं रहता है इससे तुमको बहुत व्यथा होती है मैं देख रहा हूँ। मैं कैसे आश्वसन दे सकूँ? सब ज्ञानका उपयोग यदि हम ऐसे समय पर न कर सके तो ज्ञानका कुछ

१. पदों कुछ शब्द अस्पष्ट हैं।

२. गांधीजी इस दिन कैण्डीमें थे।

उपयोग हि नहि है। इस बातका निश्चय करके अपना कर्तव्य हि सुख और शांति समज कर स [मय] व्यतीत कीजीयो।

लंकाकी मुसाफरीमें उद्यम तो बहोत रहता है परंतु मुलक बहोत रमणीय है। हवा ठंडी है इससे कुछ दुःख नहि होता है।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६६० की फोटो-नकलसे।

## १९६. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

सोमवार, २१ नवम्बर, [१९२७]<sup>१</sup>

बहनो,

तुम्हारी तरफसे इस बार अभीतक पत्र नहीं मिला। लंकामें इतना ज्यादा घूमना होता है कि पत्र कोलम्बोसे तुरन्त नहीं पहुँच सकते।

लंकाकी स्त्रियोंको देखकर अकसर आश्रमकी स्त्रियाँ याद आती हैं। एक तरफ स्त्रियोंकी पोशाक सादी है, यह तो लिख ही चुका हूँ। दूसरी तरफ, बड़े घरोंकी स्त्रियोंने शौक इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि उनके शरीरपर रेशम और जरीके सिवा कुछ भी नहीं पाया जाता। मेरी नजरमें तो यह बिलकुल शोभा नही देता। मैं मनसे यह पूछता रहता हूँ कि ये स्त्रियाँ ऐसी पोशाक किसे दिखाने या रिश्तानेको पहनती होंगी। यहाँ पर्दा तो है ही नहीं।

स्त्रियाँ इतना सारा बनाव-सिंघार किसलिए करती हैं इस सवालका उत्तर जितना मैं दे सकता हूँ उससे तुम ज्यादा दे सकती हो। किन्तु यह सब देखकर मुझे यह खयाल तो आता ही है कि आश्रममें जो कमसे-कम शृंगार करनेकी रूढ़ि चल पड़ी है, वह अच्छा ही हुआ। मेरा मन यह तो नहीं मानता कि आश्रममें शृंगार बिलकुल है ही नहीं। तुम्हारा [मन] मानता हो तो कहना।

बापुके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६७७) की फोटो-नकलसे।

१. पत्रसे प्रगट है कि गांधीजी इस समय लंकामें थे, वर्षका निश्चय उद्यम आचारपर विभा गया है।

## १९७. पत्र : आश्रमके वालकोंको

२१ नवम्बर, १९२७

कैण्डी शहरकी अपनी स्वाभाविक सुन्दरता इतनी श्रेष्ठ है कि उसे देखते हुए मन थकता ही नहीं। सारा प्रदेश छोटी-छोटी पहाडियों, वनस्पति और हरियालीमें इतना भरपूर है कि कहीं कोई सूखी जगह तो नजर ही नहीं आती। ऐंसे स्थानमें धूमना मुझे बहुत भाया। काकासाहब कुछ कामकी बात कह रहे थे इसलिए मेरे कान वहाँ थे किन्तु आँखें तो ईश्वरकी इस लीलाको ही देखनेमें निमग्न थी। सोचता हूँ कि [प्रकृतिके] इन विशाल मन्दिरके होते हुए भी ईश्वरका ध्यान करनेके लिए लोग लाखों अथवा करोडों रुपया खर्च करके [कृत्रिम] विशाल मन्दिरका निर्माण क्यों करवाते हैं? इन मन्दिरोंसे क्या सचमुच धर्मकी कोई पुष्टि हुई है? इस प्रश्नपर तुम लोग विचार करना और अपना निर्णय मुझे बताना।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## १९८. पत्र : वि० ल० फड़केको

सोमवार [२१ नवम्बर, १९२७]<sup>१</sup>

भाईश्री ५ मामा,

तुम्हारा पत्र मिला। जब मुझे तुम्हारा 'वरतेज' वाला लेख पढनेको मिला उस समय तो तुमने उसे प्रकाशित करनेकी इच्छा व्यक्त नहीं की थी न? मुझे तो मालूम ही नहीं कि मीठूवाईका भाषण छप गया है। किन्तु यह सही है कि वाड-पीडिनोमें सम्बन्धित लेख सीधे प्रेसको भेज दिया गया था। यदि वरतेजवाली टिप्पणीमें कुछ विशेषता थी तो उसपर 'विशेष' लिखकर उक्त टिप्पणी सीधे मुझे भेजनी चाहिए थी। पंचमहालके अन्त्यजोंमें दौरा करना उचित हो तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यह कार्य तुम स्वयं ही कर सकते हो? किन्तु उनके बीच धूमना-फिरना भी तो आना चाहिए न? नानाभाईसे विनती करते रहो। यदि तुम काकाको लिखोगे तो वे भी

लिखेंगे . . . ऐसा काका कहते हैं। तुम्हारे . . . साथ रहा। वाकी . . . बात वे भूल . . . नहीं।<sup>१</sup>

वापूके आशीर्वाद

माईश्री ५ मामा

अन्त्यज आश्रम

गोधरा, वी० वी० सी० आई० रेलवे

भारत

गुजराती (जी० एन० ३८१८ (२)) की फोटो-नकलसे।

## १९९. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, कोलम्बोमें<sup>२</sup>

२२ नवम्बर, १९२७

मैं महिलाओंकी ऐसी सभाओंका आदी हूँ जहाँ हजारों वहनों अपनी स्वाभाविक अवस्थामें आती हैं और जहाँ [श्रोताओंसे मेरा] हादिक सम्बन्ध होता है। मैं नहीं समझता कि अस्वाभाविक-सी इस सभाके बारेमें भी मैं वही बात कह सकता हूँ।

भूखों मरते हुए लाखों लोगोंका एक सजीव चित्रण स्त्रियोंके सामने प्रस्तुत करनेके बाद गांधीजीने कहा :

जब महेन्द्र लंका आये थे उस समय मातृभूमि [भारत] के वच्चे भूखों नहीं मर रहे थे, न तो भौतिक अर्थमें और न आध्यात्मिक अर्थमें; तथा उस समय हमारा सितारा वुलन्दीपर था और आपने उस गौरवमें हिस्सा बँटाया। आज वच्चे भूखों मर रहे हैं, और उन्हीकी ओरसे मैं भिक्षा-पात्र लेकर यहाँ आया हूँ, और यदि आप उनके साथ अपने सम्बन्धसे इनकार नहीं करती हों, बल्कि उस सम्बन्धमें कुछ गर्वका अनुभव करती हों तो जैसा कि बहुत-सी जगहोपर वहनोंने किया है, आप मुझे अपना पैसा ही नहीं, बल्कि अपने जेवर भी दें। जहाँ भी मैं वहनोको जेवरोंसे खूब लदा हुआ देखता हूँ, मेरी भूखी आँखें उन गहनोपर टिक जाती हैं। गहनोकी माँग करनेमें एक छिपा हुआ मंशा भी होता है, और वह है स्त्रियोंको गहने और जेवरोंकी वेहद लालसासे मुक्त करना। जो स्वतन्त्रता में अन्य वहनोके साथ लेता हूँ, यदि वही आपके साथ भी ले सकूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वह कौनसी चीज है जिसके कारण स्त्री पुरुषोंकी अपेक्षा ज्यादा जेवर लादती है? महिला मित्रोंने मुझे बताया है कि औरत पुरुषको

१. साधन-सूत्र (पोस्ट कार्ड) कटा-कटा होनेके कारण यह अंश छूट गया है।

२. "इंग्लिश मेमोरी" शीर्षकसे प्रकाशित अपने लेखमें महादेव देसाईने इस सभाके बारेमें लिखा है: "गांधीजीने दक्षिण भारतकी स्त्रियोंकी सभाओं जैसी एक सभाकी आशा की थी जिसमें हजारों स्त्रियाँ होंगी। लेकिन उनकी जगह मुद्रिकरुसे एक दर्जन औरतोंकी एक सभा एक ज्ञानदार भवनके डाईंग रूममें हुई। इसे सार्वजनिक सभाकी संज्ञा देना सही नहीं था। . . . एक क्षण तो ऐसा लगा जैसे वह (गांधीजी) कुछ नहीं बोलेंगे और अपने कार्यक्रममें लिखे दूसरे समारोहमें बड़े जायेंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें जो स्त्रियाँ उपस्थित थीं उनका कोई दोष नहीं था। . . . अतः उन्होंने उनके सामने भाषण दिया।"

प्रसन्न करनेके लिए ऐसा करती है। मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप संसारके विविध कार्योंमें अपनी भूमिका निभाना चाहती हैं तो आपको पुरुषोंको प्रसन्न करनेके लिए गहनसे सजनेसे इनकार कर देना चाहिए। यदि मैं स्त्री जन्मा होता तो मैं पुरुषके इस दम्भके विरुद्ध विद्रोह कर देता कि स्त्री तो उसके खेलनेकी चीज है और इसीलिए पैदा हुई है। स्त्रीके मनमें प्रवेश करनेकी नीयतसे मैं मानसिक रूपसे स्त्री ही बन गया हूँ। मैं अपनी पत्नीके साथ जैसा व्यवहार किया करता था उससे भिन्न व्यवहार करनेका जबतक मैंने निश्चय नहीं किया तबतक मैं उसके हृदयमें प्रवेश नहीं कर सका। अब मैंने उसके पतिकी हैसियतमें अपने सभी तथाकथित अधिकारोंको छोड़कर उसको उसके सारे अधिकार प्रदान कर दिये हैं। आज आप देखेंगे कि वह मेरी ही तरह सीधी-भादी है। आप उसके अगपर कोई नेकलेस या बढ़िया कपड़े नहीं पायेंगी। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसीकी तरह हो जायें। आप अपनी खुदकी सनक और पसन्दकी गुलाम होनेसे और अपने पुरुषोंकी गुलाम होनेसे इनकार कर दें। अपनेको सजाइए मत, इत्र और लवेंडरके पीछे मत जाइए; यदि आप सुगन्धित होना चाहती हैं तो वह मुगन्ध आपके हृदयसे निकलनी चाहिए, और तब आप पुरुषको ही नहीं, मानवताको भी अपने दगमें कर लेंगी। आपका यह जन्म-सिद्ध अधिकार है। पुरुष स्त्रीसे पैदा होता है, वह स्त्रीका ही हाड़-मांस है। अपनी शक्ति पहचानिए और अपना सन्देश एक बार फिर दीजिए।

गांधीजीने सीताकी शुद्धताकी शक्तिका उदाहरण दिया, और कुमारी श्लेसिनका उदाहरण दिया जो अपनी शुद्धता और हृदयकी निर्भीकताके कारण दक्षिण आफ्रिकामें हजारों लोगोंकी प्रशंसा-पत्र थीं, जिनमें खूंखार पठान, लुटेरे और दुश्चरित्र लोग भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि सच्ची गरिमा किस चीजमें है।

क्या आप बायानोमें अपनी बहनोकी दुर्दगाको जानती हैं? उन्हें अपनी बहनो जैसा मानिए, उनके बीच जाइए, और सफाई-सम्बन्धी अपने बेहतर ज्ञान तथा अपनी प्रतिभासे उनकी सेवा कीजिए। आपकी गरिमा उनकी सेवामें हो। क्या सेवाके लिए कहीं दूर जानेकी जरूरत है? ऐसे लोग हैं जो दुष्ट हैं; शराबी हैं जो समाजके लिए खतरा हैं, उनके बीच निर्भीकतापूर्वक जाइए और उनकी दुष्टतामें उनको मुक्त कीजिए, उसी प्रकार जिस प्रकार "साल्वेशन आर्मी" की स्वयंसेविकाएँ निर्भीकतापूर्वक चोरो और जुआरियों और शरावियोंके अड्डेपर जाती हैं, और उनके गले और पैरो पड़कर उन्हें सही रास्तेपर ले आती हैं। यह सेवा आपको कहीं ज्यादा फवेगी — आपने जो यह अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इनसे भी ज्यादा। तब आप जो घन वचाएँगी, उसका मैं न्यासी होऊँगा और उसे गरीबोंमें बाँटूँगा।

मैं ईश्वरमें प्रार्थना करता हूँ कि यह जो सन्देश मैंने आपको दिया है, आपके हृदयमें स्थान पाये।

[ अंग्रेजीसे ]

विद गांधीजी इन सीलोन



## २००. भाषण : जाहिरा कालेज, कोलम्बोमें

२२ नवम्बर, १९२७

इस कालेजमें आ सकनेकी मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है।

आपने मुझे उन सुखद दिनोंकी याद ताजा करा दी है जो मैंने दक्षिण आफ्रिकामें बिताये थे। उन दिनों मेरा जीवन लगभग पूरी तरह मेरे मुसलमान देशभाइयोंके साथ जुड़ा हुआ था और १८९३ के आरम्भमें मुझे कुछ बहुत ही अच्छे मुसलमानोंके सम्पर्कमें आनेका तथा उनको प्रभावित करनेका सौभाग्य मिला था। इसीलिए आपने जो मुझे इस हॉलमें निमन्त्रित किया है उसपर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है।

मौलाना शौकत अलीने लंकासे लौटनेपर लंकाके मुसलमानोंकी ओरसे मुझे सन्देश दिया था कि मैं जल्दसे-जल्द लंका आऊँ। लेकिन वह और मैं, हम दोनों जिस काममें लगे हुए थे उसके कारण उस समय मेरा यहाँ आना सम्भव नहीं हो सका।

आपमें से जो लोग भारतीय समाचारपत्र पढ़नेके आदी हैं वे यह जानते होंगे कि कोलम्बो रवाना होनेसे कुछ देर पहले ही मुझे दिल्ली स्थित जामिया कालेजके प्रोफेसरों और विद्यार्थियोंसे मेंट करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे पास आपके सामने कोई बाकायदा भाषण दे सकनेका समय नहीं है क्योंकि अभी मुझे और बहुतसे कार्य निपटाने हैं, लेकिन दिल्लीमें विद्यार्थियोंके समक्ष जो भाषण मैंने दिया था उसका सार मैं दे दूँगा।

इस महान कालेजमें आप जो-कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यदि उसका निर्माण निर्मल चरित्रकी बुनियादपर नहीं हुआ तो वह व्यर्थ रह जायेगी।

जिस उत्साहके साथ यहाँ काम किया जा रहा है तथा कुछ ही वर्षोंमें जो अमृत-पूर्व उन्नति की गई है उसके बारेमें आपकी पत्रिकाओंमें पढ़ते समय मैं सराहना किये बिना नहीं रह सका। लेकिन जब मैं शिलान्यास-समारोहके अवसरपर गवर्नरके सामने पढ़ी गई रिपोर्टको देख रहा था तो उस समय मुझे यह अनुभव हुआ कि क्या ही अच्छा हो यदि हम निर्मल चरित्रकी बुनियाद तैयार कर सकें जिसपर [गुण ल्पी] पत्थरपर-पत्थर चुने जायें और जब एक इमारत तैयार हो जाये तो हम उसे हर्ष और गर्वके साथ देख सकें। लेकिन चरित्रका निर्माण गारा और पत्थरसे नहीं किया जा सकता; और न ही इसका निर्माण आपके अलावा किसी दूसरेके हाथोंसे हो सकता है। प्रिंसिपल और प्रोफेसर पुस्तकों द्वारा आपका चरित्र नहीं बना सकते। चरित्रका निर्माण तो उनके जीवनको देखकर होता है और सच पूछिए तो, इसे आपको स्वयं बनाना होता है।

ईसाई-धर्म, हिन्दू-धर्म तथा संसारके अन्य महान धर्मोंका अध्ययन करते हुए मैंने देखा कि सब धर्मोंमें अपार भिन्नता रहते हुए भी एक बुनियादी एकता तो है ही

और वह है— सत्य और निष्पापत्व। 'निष्पापत्व' को आपको शब्दमः स्वीकार करना चाहिए, जिसका अर्थ है जीवहत्या और हिंसा न करना। यदि आप सब लड़के उटकर सदैव सत्य और निष्पापत्वपर दृढ़ रहेंगे तो आपको यह लगेगा कि आपने ठोस बुनियाद तैयार कर ली है।

आपने जो उदार शैली मुझे भेंट की है उसके लिए मैं आभारी हूँ। इसका उद्देश्य भारतके लाखों क्षुधा-पीडितोंको काम दिलाना है। इनमें हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सब शामिल हैं। इसलिए आपने मुझे यह दान देकर इन लाखों क्षुधा-पीडितों और अपने बीच एक सम्बन्ध स्थापित कर लिया है, और ऐसा करके आपने वह चीज कर दिखाई है जो ईश्वरको प्रिय है। यदि आपको यह पता नहीं होगा कि इस शैलीका उपयोग किस काममें किया जाता है तो यह सम्बन्ध बड़ा ढीला रह जायेगा। इन रूपोंका उपयोग जैसा वस्त्र मैंने पहन रखा है उस वस्त्रके उत्पादनके निमित्त पुरुषों और स्त्रियोंको काममें लगानेके लिए किया जाता है। यदि आपको इस प्रकार तैयार होनेवाली खादीको पहननेवाले लोग नहीं मिल सके तो यह सारा रूपया बेकार हो जायेगा।

अब हम हर शक्ति और फैशनकी परितुष्टि कर सकते हैं। यदि आप भारतके लोगोंके साथ स्थायी और अटूट सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं तो आप आगेसे खादी पहनने लगेंगे।

[अंग्रेजीसे]

विद गांधीजी इन तीलों

## २०१. भाषण : कोलम्बोमें पारसियोंके समक्ष

२२ नवम्बर, १९२७

आपने मुझे एक वाक्यादा अभिनन्दनपत्र भेंट न कर सकनेके लिए क्षमा मांगी है। आपका अभिनन्दनपत्र तो आपके हृदयपर अंकित है जो कि आपने मेरे सामने खोल दिये हैं।

पारसियोंके साथ मैं एक विचित्र सम्बन्धसे बँधा हुआ हूँ। मैं जहाँ कहीं भी उनके सम्पर्कमें आया हूँ, उन्होंने मुझपर— एक हिन्दूपर— जो स्नेह बरमाया है, वह एक ऐसी बात है जिसे समझाया नहीं जा सकता और न जिसका रहस्य समझा जा सकता है।

मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ पारसी भाइयोंने मुझे दूँड निकाला है। जिस समय मुझे कोई जानता तक न था और मेरे ऊपर महात्मापनका बोझ भी नहीं लादा गया था, ऐसे समयमें एक पारसीने मुझसे मित्रता की और मुझे अपना बनाया। मेरा अभिप्राय दक्षिण आफ्रिकाके प्रसिद्ध दिवंगत पारसी रक्तमजीने है।

जिस समय १८९६ में डर्बनमें उतरते हुए दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंने मुझे घेर लिया और मारपीट की उस समय पारसी रक्तमजीने अपनी जान और मालका गम्भीर खतरा उठाकर मुझे और मेरे परिवारको संरक्षण दिया। नीड़ने उनका घर

फूंक देनेकी धमकी दी; लेकिन रस्तमजीको, जिन्होंने हमें अपने घरमें पनाह दी थी, कोई विचलित नहीं कर सका। तबसे लेकर मेरे साथ अपने आजीवन मैत्रीकालमें उन्होंने मेरी और मेरे आन्दोलनोकी सहायता की। और १९२१ में तिलक स्वराज्य कोषके लिए दिया गया उनका दान विदेशमें रहनेवाले किसी भारतीय द्वारा दिया गया सबसे बड़ा दान था।

श्री (बादमें सर) रतन टाटाने मुझे दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रहके दौरान उस समय २५,००० रुपयेका एक चेक भेजा था जिस समय मुझे रुपयेकी अत्यधिक आवश्यकता थी। और दादामाई नीरोजी! उनका मेरे ऊपर जो ऋण है उसका मैं कैसे बखान कर सकता हूँ? उन्होने मुझे ऐसे समयमें सहारा दिया जबकि मैं इंग्लैंडमें एक अनजान और बेसहारा नवयुवक था। और आज उनकी पौत्रियाँ मेरे खादीके कार्यमें मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है।

मैं चाहता हूँ कि आप अपने पूर्वजोकी परम्पराको कायम रखें और पश्चिमकी दिखावटी फैशनकी नकल करके उनकी [पूर्वजोंकी] सादगी और मितव्ययिताको न मुलायें। आपका समाज अपनी दानशीलताके लिए ससार-भरमें प्रसिद्ध है और दानशीलताके साथ ऐशोव्याराम पसन्दगी और फिजूल खर्चीका कोई मेल नहीं बैठता। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आपने यहाँ अपनी कुछ सादगी और भारतीय तौर-तरीकोंको कायम रखा है। आप अपनी व्यावसायिक योग्यताके लिए जाने जाते हैं और आपके लोग जहाँ कहीं भी गये हैं उन्होंने बहुत धन कमाया है। लेकिन याद रहे कि उन्हें उनके धन-दीलतने नहीं बल्कि उनकी उदार दानशीलताने प्रसिद्ध बनाया है।

उस परम्पराको अटूट बनाये रखनेमें ईश्वर आपकी सहायता करे।

[अंग्रेजीसे]

विद्वान् गांधीजी इन सीलोन

## २०२. भाषण : लंकाकी राष्ट्रीय कांग्रेसके कोलम्बो अधिवेशनमें

२२ नवम्बर, १९२७

आपने जिन शब्दोंमें मेरा उल्लेख किया है, उनके लिए और प्राचीन कालमें जब भारत और लंकाके बीच सम्बन्ध स्थापित था, तबकी उस सुखद स्मृतिकी याद दिलानेके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं भारतके लिए और आपके लिए, और मैं कहूँ तो समस्त संसारके लिए, उस सम्बन्धके महत्त्वके बारेमें अपना मत प्रकट करनेमें आपका समय नहीं लेना चाहता। मगर इतना मैं कहूँगा कि मेरी रायमें गौतम बुद्धकी शिक्षाएँ कोई नया धर्म नहीं थी। जहाँतक मैं उन उच्च शिक्षाओंका अध्ययन कर सका हूँ, मैं इसी नतीजेपर पहुँचा हूँ, और आज नहीं बल्कि बहुत दिन पहले ही पहुँच चुका था, कि गौतम बुद्ध हिन्दू-धर्मके सबसे बड़े सुधारकोंमें से एक थे और वे अपने जमानेके लोगोंपर और भविष्यकी पीढ़ियोंपर उस सुधारकी

ऐसी छाप छोट गये हैं जो कमी मिट नहीं मरनी। मगर आपके पाग और भेरे पास भी समय इतना कम है कि हम अत्यन्त रोचक विषयकी ज्यादा चर्चा करना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। इसलिए मैं अब कांग्रेसमें सम्बन्धित मागारिक समस्याओंको ही ले रहा हूँ।

आज हिन्दुस्तानकी कांग्रेसके नाममें एक जादू-जैसा असर पैदा हो गया है। हम संस्थाके पीछे ४० वर्षोंका अनवरत इतिहास है। और आज हिन्दुस्तानमें उनकी जितनी इज्जत है, उतनी किसी दूसरी राजनीतिक संस्थाकी नहीं है। और यह भी बताने सारे उतार-चढ़ावोंके बावजूद बनी हुई है जिनमेंमें होकर कांग्रेसको, समाजकी अन्य सभी राजनीतिक संस्थाओं और दलोंकी भाँति ही, गुजरना पडा है। इसलिए मैं इस बातको स्वतःसिद्ध मान लेता हूँ कि अपनी सभाको "कांग्रेस" नाम देकर आप भी जहाँतक बन पड़े और आवश्यक हो इसकी पूर्वज संस्थाकी परम्पराओंका पालन करनेका सकल्प कर रहे हैं। मेरा खयाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको मैं पूर्वज संस्था कह सकता हूँ। इसी बातके आधारपर मैं आज आपमें कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कैसी होनी चाहिए और भारतकी राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे भारतमें अपनी इतनी प्रतिष्ठा बना सकी है। मैं जानता हूँ कि मेरा उसके साथ केवल १० सालका — या अब तो १२ सालका भी कह सकता हूँ — सम्बन्ध है। मगर जैसा कि आपको मालूम है, इन १२ सालोंतक कांग्रेसके साथ मेरा इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, मैं उसके साथ इतना एकाकार हो गया हूँ कि अब उसके बारेमें कुछ अधिकारके साथ आपसे बात कर सकता हूँ। मगर दूसरी दृष्टिसे मेरा इस पूर्वज संस्थाके साथ सम्बन्ध लगभग ३० साल पुराना कहा जायेगा।

सन् १८९३ में दक्षिण आफ्रिका जानेपर मैं कांग्रेसके सपने देखा करता था। मैं कांग्रेसके कामके बारेमें थोड़ा-बहुत जानता था, मगर इस महान संस्थाके एक भी वार्षिक अधिवेशनमें तबतक शामिल नहीं हुआ था। आप लोगोंके समान ही, मैंने नवयुवकके रूपमें वहाँ नेटाल भारतीय कांग्रेस स्थापित करनेमें हाथ बँटाया था। वह समा भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ढंगपर ही बनी थी, और स्थानीय आवश्यकताओंके अनुसार उसमें जरूरी फेर-बदल कर लिये गये थे। इसलिए मैं १८९३ के बादसे ऐसी संस्थाओंके सिलसिलेमें अपने सार्वजनिक जीवनका अनुभव आपको बतला सकता हूँ। मैं उतने पहले, १८९४ में ही, यह समझ गया था कि ऐसी किसी भी सभाको सचमुच कारामद बनने और 'राष्ट्रीय' कहलानेके लिए जरूरी है कि उसके मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता काफी कुछ आत्म-त्याग करें। मैं कहने जा रहा था कि उसके मुख्य कार्यकर्ता बहुत काफी आत्म-त्याग करे। मुझे आपके सामने यह कबूल करनेमें कोई हिचक नहीं कि हमारे उस छोटे समाजमें भी इस आदर्शपर अमल करना मैंने बहुत मुश्किल पाया, क्योंकि दक्षिण आफ्रिकाके उस सबसे छोटे प्रान्त नेटालके हमारे उस समाजमें लगभग ६० हजार आदमी तो थे ही, उनमें से भी अधिकांशको कांग्रेसकी कारंवाईके मिल्मिन्में मन देनेका अधिकार नहीं था।

फिर भी कांग्रेस पूरी तरह प्रातिनिधिक थी और लोगोंके मनी हितोंका ध्यान रखती थी, क्योंकि उसने अपनेको इन लोगोंके हिताहितका संरक्षक बना लिया था।

मगर यहाँ उस संस्थाका इतिहास तो बतलाना नहीं है। उस छोटी-सी संस्थामें भी मैंने देखा कि आपसमें झगड़े होते ही थे, लोग सेवा करनेकी अपेक्षा सत्ता हथियानेकी अधिक कोशिश करते थे; उनमें अपनेको बड़ा बनानेकी जितनी चाह थी, उतनी अपनेको मिटा देनेकी नहीं। और इस पूर्वज संस्थामें भी इन १२ वर्षोंसे मैं लगातार देखता आ रहा हूँ कि स्वार्थ-सिद्धि की और सत्ता हथियानेकी ही कोशिश लगातार दिखाई पड़ती है। हमारी तरह आपके लिए भी अपना अस्तित्व बनाये रखने और प्रगति करनेके लिए यह नितान्त आवश्यक और अपरिहार्य है कि आत्म-त्याग, आत्म-संयम और अपनेको मिटा देनेकी चाह हमारे अन्दर पैदा हो, क्योंकि हम भी अभी खुद अपने पैरों खड़े होनेकी कोशिशमें ही हैं, हमें भी आत्म-विकास और स्वराज्यकी योग्यताके अपने दावे सिद्ध कर दिखाने हैं।

मैं यह दावा नहीं करता कि यहाँ आनेपर इन दो-चार दिनोंमें ही मैंने आपके यहाँकी राजनीति समझ ली है और आपकी कांग्रेसकी अन्दरूनी हालत मैं जान गया हूँ। मुझे पता नहीं कि वह कितनी सबल और लोकप्रिय है। मैं तो यही आशा कर सकता हूँ कि वह सबल और लोकप्रिय होगी। आशा है कि अभी-अभी मैंने जिन दोषोंका उल्लेख किया वे आपमें न होंगे। मैं बखूबी जानता हूँ कि सत्तारूढ़ शक्तियोंसे लोहा लेना और सरकारसे और खासकर विदेशी सरकारके—अपने पूर्ण विकास, अपनी आत्मनिव्यक्तिकी कोई गुंजाइश न छोड़नेवाली सरकारके—खिलाफ अखाड़ेंमें उतरना बड़ा ही रोचक काम है और आप जानते ही हैं कि मैं इसका खूब मजा ले चुका हूँ। लेकिन आखिर मैं इस नतीजेपर भी पहुँचा हूँ कि स्वराज्य और सहज आत्म-विकास कोई ऐसी चीजें तो हैं नहीं जो दूसरा कोई हमसे ले सके, या हमें दे सके। यह तो सच है कि हमारे भाग्य-विधायक लोग—आज जिनके हाथों हमारे भाग्यका निबटारा होता मालूम पड़ता है, वे लोग—अगर सहानुभूति रखें, हमारी महत्वाकांक्षाओंको समझें, हमारे अनुकूल हों तो बेशक हमारे लिए उन्नति करना आसान होगा। मगर आखिर स्वराज्य निर्भर करता है हमारी ही आन्तरिक शक्तिपर, बड़ीसे-बड़ी कठिनाइयोंसे जूझनेकी हमारी सामर्थ्यपर। सच पूछो तो ऐसा स्वराज्य जिसे पानेके लिए और सुरक्षित रखनेके लिए अद्विराम प्रयत्न दरकार न हो वह स्वराज्य, स्वराज्य कहलानेके काबिल ही नहीं। मैंने इसीलिए अपनी कथनी और करलीके जरिये यह दिखाने की कोशिश की है कि राजनीतिक स्वराज्य—अर्थात् विनाल जन-समुदायका स्वशासन—एक-एक व्यक्तिके अलग-अलग व्यष्टि-परक स्वराज्यसे कोई बेहतर चीज नहीं है और इसलिए उसे पानेके लिए ठीक वे ही साधन दरकार हैं जो व्यष्टि-परक स्वराज्य या स्व-शासनके लिए दरकार हैं। और जैसा कि आपको भी मालूम है यही आदर्श मैंने हिन्दुस्तानमें, मीके-ब्रेमौके, हर जगह, जनताके सामने रखनेकी कोशिश की है, जिससे अक्सर शुद्ध राजनीतिक प्रवृत्तिवाले लोग चिढ़ भी जाते हैं।

मैं उस राजनीतिक विचारधाराका माननेवाला हूँ जिसके प्रबान गोब्ले थे। मैंने उनको अपना राजनीतिक गुरु कहा है, और वह इसलिए नहीं कि उनकी हरएक बातको, उनके हर कार्यको, मैंने स्वीकार कर लिया था या आज भी करता हूँ, बल्कि

इसलिए कि उनके जीवनकी मुख्य प्रेरक शक्ति थी, 'राजनीतिको घर्ममय बनाने' की उनकी उत्कट अभिलाषा। (मैं उनके सचमें अधिक निकट पहुँचा था और मैं यही समझा हूँ।) 'भारत सेवक समाज' (सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) के जिसके वे संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे, उद्देश्य और कार्य-विवरणकी भूमिकामें उन्होंने ये ही शब्द लिखे थे। उन्होंने खूब समझ-बूझकर विलकुल स्पष्ट लिखा है कि मैं राजनीतिको घर्ममय बनानेके लिए ही यह संस्था स्थापित कर रहा हूँ। उन्होंने केवल अपने आम-पास, सिर्फ अपने देशकी राजनीतिका ही अध्ययन नहीं किया था, बल्कि वे समूचे इतिहासके बड़े ही सूक्ष्मदर्शी और सतर्क जिज्ञासु थे। उन्होंने ससारके गनी देशोंकी राजनीतिका अध्ययन किया था, और उन्हें यह देखकर गहरी निराशा हुई थी कि आध्यात्मिकता या घर्मनीतिका राजनीतिसे कहीं कोई सरोकार ही नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाकर राजनीतिमें घर्मनीतिका प्रवेश करानेका प्रयत्न किया और मैं कहूँगा कि इसमें उन्हें कुछ सफलता — मैं कहने जा रहा था कि काफी सफलता — मिली थी। इसीलिए उन्होंने अपनी संस्थाका नाम भारत सेवक समाज रखा था। आज वह समाज अनेक प्रकारसे देशकी सेवा कर रहा है।

पता नहीं आपको ये बातें रुचती भी हैं या नहीं, मगर मुझे अगर अपनी इस छोटी-सी यात्राके दौरान की गई आपकी कृपाओंके प्रति सचमुच कृतज्ञता प्रकट करनी है तो मैं वही कहकर कर सकता हूँ जो कुछ मुझे सच मालूम होता है, आपको महज खुश करनेके लिए मैं मुँह-देखी बातें नहीं कह सकता। आपको पता होगा कि यह खास चीज — सत्य — हमारी कांग्रेसके सिद्धान्तका अनिवार्य अंग है। इसलिए हमारा सिद्धान्त है वैध और शान्तिमय तरीकेसे स्वराज्य प्राप्त करना।

आप देखेंगे कि मैं इस बातपर जोर देनेसे कमी नहीं थकता कि चाहे जो हो मगर सत्य और अहिंसापर हमें दृढ़ रहना चाहिए। मेरी विनम्र सम्मतिमें, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जायें तो आप दुनियाकी किसी भी शक्तिका मुकाबला कर सकते हैं और अन्तमें न सिर्फ यही कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आपके उस तथाकथित विरोधीका भी बाल तक बाँका नहीं होगा। हो सकता है कि वह कुछ समयतक आपके अहिंसापूर्ण प्रहारोंका मतलब न समझ सके, वह आपके वारेमें गलत-फहमी भी फैलाये, मगर जबतक आप इन दोनों शर्तोंका दृढ़ताके साथ पालन करते रहते हैं, आप सत्य और अहिंसापर दृढ़ हैं, तबतक आपको उसकी राय या भावनाओंकी ओर देखनेकी जरूरत नहीं। तब आपके कार्योंका फल ठीक ही निकलेगा और आप इस तरीकेसे अन्य किसी भी तरीकेकी अपेक्षा अधिक तेजीसे आगे बढ़ सकेंगे। यह रास्ता देखनेमें लम्बा मालूम पड़ सकता है, मगर यदि आप लगातार मेरे ३० माल्के अनुभवका विचार करें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मफलताके लिए यही रास्ता सबसे छोटा है। मैं इससे छोटा कोई रास्ता नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि अकसर इसके लिए अविचल विश्वास और अपार धैर्यकी जरूरत पड़ती है, पर यदि यही एक बात हमारे दिलमें गहरी बँट जाये तो फिर जो राजनीतिज्ञ, अपनी नहीं, पूरे देशकी सेवा करना चाहता है, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता।

एक बार ऐसा संकल्प कर लेनेपर मनमें विश्वास पैदा हो जाता है और विश्वासके साथ ही धैर्य भी आ जाता है, क्योंकि तब आप जान जाते हैं कि इससे बेहतर या छोटा रास्ता दूसरा है ही नहीं।

मुझे आश्चंका है कि हिन्दुस्तानकी तरह आपका समाज भी अलग-अलग सम्प्रदायों और गुटोंमें बँटा हुआ है। आज ही मैंने साम्प्रदायिकताके समर्थनमें कहीं कुछ सरसरी तौरपर पढ़ा था। हिन्दुस्तानमें भी हम इस अभिशापसे पीड़ित हैं। हम इसे अभिशाप ही समझते हैं, इसकी तारीफ नहीं करते। जो साम्प्रदायिकतामें विश्वास करते हैं वे भी खुलासा कहते हैं कि यह अनिवार्य दोष है और जितनी जल्दी हो, इससे पिण्ड छुड़ाना ही होगा।

हिन्दुस्तानमें हमें तीस करोड़ आदिमियोंसे काम पड़ता है, मगर यहाँ तो जन-संख्या इतनी कम है कि मुझे आपके यहाँ साम्प्रदायिकताका समर्थन — इतना जोरदार समर्थन — सुनकर कष्ट और आश्चर्य दोनों हो रहा है। पर मैं जानता हूँ कि यह राष्ट्रीयता के विलकुल विरुद्ध है। आप स्वराज्य प्राप्तिकी इच्छा करते हैं, और करनी चाहिए भी। स्वराज्य किसी एक ही देशका नहीं, बल्कि सभी देशोंका — मुझे कहना चाहिए कि सर्वाधिक सम्य जातियोंकी तरह ही वन्य जातियोंका भी — जन्मसिद्ध अधिकार है। तब फिर उनका तो पूछना ही क्या जो संस्कृतिके मामलेमें संसारके किसी भी देशसे पीछे नहीं हैं, जिन्हें प्रकृतिने वह सब-कुछ दिया है जो वह दे सकती थी, और जिनके पास धन, जन और नैसर्गिक उपहारकी सम्पदा है और जिसके बलपर आप संसारके सबसे शक्तिशाली देशोंमें से एक बन सकते हैं, मगर तब भी इस समय आप स्वराज्यसे बहुत दूर मालूम पड़ते हैं।

मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपमें कोई ऐसे भी होंगे जो इस विश्वाससे अपने मनको भरमा लेते होंगे कि आज उनको शासनके जो अधिकार मिल गये हैं वे स्वराज्यकी मेरी परिभाषाके अनुरूप हैं। और जबतक आपका समूचा राष्ट्र एक स्वरसे नहीं बोलता — ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, हिन्दू, यूरोपीय, सिंहली, तमिल और मलायीके स्वरोंमें नहीं — तबतक आपको वह स्वराज्य नहीं मिलेगा; मैं कहने जा रहा था कि तबतक आप वैसा स्वराज्य प्राप्त कर ही नहीं सकते। मैं इसे मान ही नहीं सकता।

महोदय, आपने कहा था कि आप सभी जातियों और धर्मोंका प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इसके लिए आपको बचाई देता हूँ। अगर आप इस दावेको साबित कर सकें तो आप बड़े-बड़े सम्मानके अधिकारी हैं और तब आपकी कांग्रेस संस्था ही नहीं, बल्कि आप भी इस योग्य हैं कि हम आपका अनुकरण करें। हमारी संस्था पुरानी है, फिर भी मुझे धर्मके साथ कबूल करना पड़ता है कि हम ऐसा दावा नहीं कर सकते। हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम अन्वेषणमें राह टटोल रहे हैं, हम प्रान्तीयताको दवानेकी कोशिश कर रहे हैं; हम जातीयताको दवाते हैं, अगर मैं नया शब्द बनाऊँ तो हम धर्मवादको दवाते हैं और हम राष्ट्रीयताका पूर्ण रूपसे विकास करनेकी कोशिशमें हैं। लेकिन आपके सामने यह स्वीकार करते हुए मैं शर्मिन्दा हूँ कि फिर भी हम

इस लक्ष्यसे कोसो दूर है। मगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप दीर्घमें हमसे आगे बढ़ जा सकते हैं और हमारे सामने एक मिगाल पेश कर सकते हैं; आपके लिए यह सरल है, हमारी वनिस्वत बहुत ही अधिक सरल है। मगर इनके लिए एक लाजिमी शर्त है, और वह यह कि आपमेंसे कमसे-कम कुछ लोगोको तो अवश्य ही इसमें अपना सारा समय देना होगा—सिर्फ ममय ही नहीं बल्कि अपना सर्वस्व देना होगा, आपको आत्मनिग्रह करना होगा।

जैसा कि गोखले कहते थे, राजनीति तो आज फुसंतका समय गुजारनेका गेल बन गई है, जब कि उसे कुछ लोगोका एकमात्र पेशा होना चाहिए; देशके कुछ योग्यतम लोगोको उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। पर कोई आदमी राष्ट्रकी निःस्वार्थ नेवामें तभी जुट सकता है जब उसके अन्दर सत्य, निर्भीकता और अहिंसाके तत्त्वांकी प्रघानता हो।

मैं आशा करता हूँ कि आपकी कांग्रेसमें ऐसे स्त्री-पुरुष मौजूद होंगे, स्त्रियाँ भी होगी, क्योंकि उन्हें पुरुषोंके साथ-साथ चलना ही चाहिए। जैसा कि मैंने हिन्दुस्तानमें कहा है, हमारे एक अंगको लकवा मारे हुए है। स्त्रियोको पुरुषोंके बराबर उठना है। मैंने आज स्त्रियोकी एक सभामें कहा था कि तुम जगलीपनमें पुरुषोंकी नकल मत करो, उनमें जितनी अच्छी चीजें हैं, उन सबमें ही उनकी बराबरी करो। तभी आपके इस द्वीपमें बड़ा ही सुन्दर मेल बैठेगा, और प्रकृतिने इतनी उदारतापूर्वक आपको जो दान दिये हैं, आप तभी उनके योग्य बन सकेंगे।

आज सबेरे कैंपडीसे कोलम्बो आते समय मैं सोच रहा था कि ईश्वरने जिसे नैसर्गिक रूप सुधाका वरदान दिया है उस लंकाको मदिराके उन्मादसे बचानेके लिए कांग्रेस क्या करने जा रही है? मैं आपके सामने एक विनम्र सुझाव रखता हूँ। अगर कांग्रेसको पूरे तौरपर राष्ट्रीय बनना है तो वह इस मूलभूत सामाजिक समस्याको यो ही नहीं छोड़ सकती। यहाँकी समशीतोष्ण जलवायुमें, जहाँ कृत्रिम मस्तीकी कोई जरूरत नहीं, आपके लिए यह शर्मकी बात है कि आपकी आमदनीका एक काफी बड़ा हिस्सा शराबसे हासिल हो। सम्भव है आप यह न समझते हों कि मजदूरोका — जिनके आप जैसे रक्षक हैं और जो आपके पक्षमें मत डालकर केवल एक बार अपनी उच्छा व्यक्त कर पाते हैं—इससे क्या बिगड़ रहा है। मैंने हजारो-हजार मजदूरोको हैटनमें देखा। मुझे तो गन्धकी बिलकुल ही पहचान नहीं रही, मगर एक मित्रने मुझे बतलाया कि उनमें कुछके शरीरसे शराबकी महक आ रही थी। वे तो इगपर होहल्ला मचा रहे थे कि उनका ही कोई साथी शराबके नशेमें पागल हो रहा था। खैर मुझे मालूम है कि इसपर आप क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे न कि वह हान्यत तो अधिक पीनेसे हुई थी मगर संयमित ढंगसे थोड़ी-सी शराब पीनेमें कोई हर्ज नहीं। मैं जानता हूँ कि कई आदमियोने पहले ऐसा ही दावा किया और वे बादमें बुरी तरह असफल सिद्ध हुए। मैं दक्षिण आफ्रिकाके शहरोमें रह आया हूँ। मैंने वहाँ शराबके नशेमें चूर हटियाँ, यूरोपीयों और हिन्दुस्तानियोंको नालियोमें पड़ा पाया है। मैंने शराबके नशेमें उच्चाधिकारियों, बकीलो और वैरिन्टरोको मोरियोंमें पड़े देगा है और उनकी



लाज बचानेके लिए पुलिसके सिपाहियों द्वारा उन्हें उठाकर ले जाते देखा है। मने शरावके नशेमें पागल जहाजके कप्तानोको अपना काम सहायक अधिकारीपर छोड़ जाते देखा है, या अपना कैबिन भ्रष्ट करते देखा है जहाँ तैनात रहकर उनसे अपने मुसाफिरोंकी सुरक्षा करनेकी अपेक्षा की जाती है। आप हिन्दुस्तानके प्रति अपनी निष्ठाका दम भरते हैं और 'रामायण' की कथासे अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं। तब आपको रामराज्यसे कम किसी भी व्यवस्थासे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए और रामराज्यमें स्वराज्य भी शामिल है। आज जबकि यह अमिशाप इस रमणीक देशके कोने-कोनेमें फैला हुआ है, आपको इस समस्याको हल करनेके लिए पूरे मनोयोगसे लग कर देशको सर्वनाशसे बचाना चाहिए।

एक और भी समस्या है—अस्पृश्यताकी। आप रोडियोंको<sup>१</sup> अच्छत मानते हैं। उनकी स्त्रियोंको अपना वक्षस्थल ढँकनेकी मुमानियत है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस रोडियोंका मसला अपने हाथमें ले, उनको अपनाये और कांग्रेसका काम करनेके लिए उनमें से स्वयंसेवक बनाने शुरू कर दे। प्रत्येक जनको जबतक राज्य सत्ताके उपयोगका अधिकार नहीं मिलता तबतक लोकतन्त्र असम्भव है, पर जनताके लोकतन्त्रको हुल्लड़शाही तो मत बनाइए। स्वराज्य या स्वशासनमें तो हर परयाको, हर मजदूर तकको जो आपको अपनी रोजी पैदा करनेमें सहायता देता है, हाथ बँटानेका अवसर रहेगा। मगर इसके लिए आपको उनके जीवनसे सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा, उनके साथ हेल-मेल पैदा करना होगा, जिन झोपड़ोंमें वे ठसाठस भरे रहते हैं, उनमें जाना होगा, उनकी देख-भाल करना आपका कर्तव्य होगा। आप उनका जीवन बना सकते हैं, और बिगाड़ना भी आपके ही हाथमें है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन दोनों सवालको हल करनेकी कोशिश कर रही है। हमारे कार्यक्रममें उनका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और बुनियादी है। अगर आप अपनी कांग्रेसको सचमुच ही राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं, अगर आप उसे लंकाके सबसे गरीब और दीन-हीन लोगोंका भी प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपने अबतक इन बातोंको अपने कार्यक्रममें न जोड़ा हो तो अब तुरन्त जोड़ लीजिए, अपनी राजनीतिमें घर्मनीतिकी पूरी तौरपर शामिल कराइए और इसके बाद सब-कुछ स्वयं ही ठीक होता चला जायेगा। तब स्वराज्य, जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, फलोंसे लदे वृक्षसे पके हुए फलके समान आपके हाथोंमें आप ही आ टपकेगा। मगवानु करे कि इस सन्देशका आपपर यथोचित प्रभाव पड़े और यह आपके हृदयोंमें गहरा पैठ जाये।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-१२-१९२७

१. कथा चली आ रही है कि राजाकी रसोईके लिए हिरनका मांस भेजनेका काम करनेवाले एक रोडियाने एक दिन उसके स्थानपर मनुष्यका मांस भेज दिया था। इसपर उसकी सपूची जातिको बहिष्कृत कर दिया गया था।

## २०३. भाषण : तमिल संघ, कोलम्बोमें

२२ नवम्बर, १९२७

आपने जो अभिनन्दनपत्र दिया है, और मेरे अनुष्ठानके लिए जो धन्वी दी है, उसके लिए मैं आपका हृदयसे कृतज्ञ हूँ।

मैं जानता हूँ कि इस सुन्दर देशमें मैं जहाँ-जहाँ भी गया हूँ, तमिल मित्रोंने अपने अभिभूत कर देनेवाले प्रेममें मुझे घेर लिया है, और मैं जिम उद्देश्यको लेकर यहाँ आया हूँ उसके लिए वे अधिकसे-अधिक जो-कुछ दे सकते थे, दिया है। इसलिए मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि इस संघके सदस्य, आप लोगोंने अपनी ओरसे मुझे एक अलगसे थैली देनेका निश्चय किया, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि आपने जो दिया है वह देनेमें आप मलीमाँति सक्षम हैं, और यदि आप मेरे सन्देशका पूरा महत्त्व समझें तो आपने जितना दिया है उससे भी ज्यादा देना आपके लिए सम्भव है।

महोदय, आपने यह कहकर मुझपर बड़ी कृपा की है कि मैं इस समाको बताऊँ कि इस समय मैं जो चन्दा इकट्ठा कर रहा हूँ उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है और इस धन-राशिके वितरणमें मैं क्या अपेक्षाएँ रखता हूँ।

भारतमें एक संघ है जिसका नाम है अखिल भारतीय चरखा संघ। इस संघका अपना सचिवालय है, और इसके कार्यका संचालन ९ व्यक्तियोंकी एक परिषद करती है जिसका मैं संघके अस्तित्वके प्रथम पाँच वर्षोंके लिए अध्यक्ष हूँ। एक करोड़पति व्यापारी इस संघके कोषाध्यक्ष हैं। उनका नाम सेठ जमनालाल बजाज है। इस समय वह मेरे एवजमें परिषदके अध्यक्षके रूपमें भी काम कर रहे हैं। संघके मंत्री एक धनवान व्यक्तिके पुत्र हैं जिनका नाम है शंकरलाल वैकर। परिषदके अन्य सदस्य भी गैर ही प्रसिद्ध लोग हैं जो अपने आत्म-त्यागके लिए भी प्रसिद्ध हैं। यह परिषद भारत भरमें अपनी शाखाओंके जरिये काम करती है। सभी हिसाब-किताबकी जाँच समय-समय पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लोगों द्वारा की जाती है।

इस संघके जरिये आज भारत भरमें १,५०० से ऊपर गाँवोंकी सेवा की जा रही है। और इन गाँवोंमें कमसे-कम ५०,००० कर्तियोंको, जो हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, और कुछ तो ईसाई तथा अन्य लोग भी हैं, चरखेके जरिये काम उपलब्ध करवाया जा रहा है। जबकि चरखेके आविर्भावमें पहले इन लोगोंके पाम मालमें चार महीने कोई काम करनेका नहीं था, अब चरखेके आविर्भावके बादसे वे चरखा चलाकर प्रतिदिन एकसे दो आने तक कमा लेते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा धन तमिलनाडुमें उत्पन्न होता है क्योंकि नवम्बर ज्यादा बड़ी सरयामे कर्तिये तमिलनाडुके उन जिलोंमें पाये जाते हैं जहाँ लगभग नदा अकालकी स्थिति बनी रहती है। अकाल औरतें कई मील पैदल चलाकर रुई या पुनियाँ लेने तथा सूत देने और अर्जित किया पैसा प्राप्त करने आती हैं।

इन कर्तव्योंके पीछे कई हजार वुनकरोँका भी उद्धार हो गया है, और धोवियोंका भी जिनका विशेष काम खादीको धोना है। रंगसाजों, छपाई करनेवालों और व्यापारियोंको भी काम मिला है।

१,९०० मील लम्बे और १,५०० मील चौड़े इस विशाल क्षेत्रमें करीब १,००० क्लर्क वर्गके कर्मचारियोंको रोजगार मिला हुआ है जो प्रतिमाह २० से ३० रुपये या ४० रुपयेतक कमाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ७५ रुपये या १५० रुपये प्रतिमाह भी कमाते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। इन सबके ऊपर अवैतनिक कार्यकर्त्ताओंका एक दल है जो कुछ भी वेतन नहीं पाते लेकिन जो सेवाके भावसे काम करते हैं। सभी प्रान्तीय कार्यालयों और उप-प्रान्तीय कार्यालयोंका भी निरीक्षण होता है और उनके लिए नियमित हिसाब-किताब रखना जरूरी है जिसकी समय-समयपर जाँच होती है।

इस संघके जरिये पिछले साल २० लाख रुपयेसे ऊपरकी खादी तैयार हुई और बेची गई थी। यह काम कितना ही बढ़ाया जा सकता है बशर्ते हमें पहले कार्यकर्त्ता मिलें और फिर रुपया मिले। ५-६ सालके अनुभवसे हमने जाना है कि यदि हमें लोगोंसे पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त हो, खुशीसे खरीदनेवाले खरीदार मिलें और यदि हमें योग्य कार्यकर्त्ता मिलें तो हमारे लिए भारतमें समस्त ७,००,००० गाँवोंकी सेवा कर सकना केवल समयकी बात रह जाये। इसीलिए मैं इसे संसारका सबसे बड़े पैमानेपर होनेवाला सहकारी प्रयत्न कहनेमें नहीं हिचकता।

मैंने जो परिणाम गिनाये हैं यद्यपि वे सन्तोषजनक हैं लेकिन वे कामकी दृष्टिसे या जो उद्देश्य मेरी दृष्टिमें है उसके लिहाजसे बहुत अच्छे अथवा विलकुल पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसमें देर इतनी ही है कि भारतके लिए आपकी तरह महसूस करनेवाले सभी लोग इस काममें विश्वास करने लगेँ। इससे मेरे अहंकी तुष्टि हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जबतक मुझे लोगोंसे खादीके सिद्धान्तको स्वीकार करानेके लिए और उन्हें अपना फाजिल पैसा निकालनेके लिए राजी करनेके हेतु दौरे करने पड़ते हैं तबतक इस स्थितिको सन्तोषजनक नहीं समझा जा सकता। यदि आप पैसा इकट्ठा करने और खादीके लिए ग्राहक ढूँढनेका काम मेरे कन्बेपर से उतार दें और अपने ऊपर ले लें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन गाँवोंको संगठित करने और आपको सर्वोत्तम किस्मकी तथा सस्तीसे-सस्ती खादी देनेके लिए एक प्रवीण कर्तव्यके रूपमें मैं अपनी प्रतिभाका इस्तेमाल कर सकता हूँ।

मैं जानता हूँ कि आप सब क्षण-भरमें ही निपुण कर्तव्य नहीं बन सकते, लेकिन खादीके ग्राहक बनकर और धन इकट्ठा करनेवाले बनकर आप खादी-विशेषज्ञ जरूर बन सकते हैं। मुझे यह बात अच्छी तरहसे मालूम है और मुझे इसका दुख है कि देश मुझे धनकी खोजमें और खादीके लिए ग्राहकोंकी खोजमें जगह-जगह भटकनेपर मजबूर करके मेरी योग्यताओंका अलाभकारी उपयोग कर रहा है।

मैं आपसे इस प्रकार दिल खोलकर जो बात कर रहा हूँ वह महज इस कारण कि तमिलनाडुके अपने दौरेमें, जहाँसे मैं यहाँ आया हूँ, और जहाँकि आप लोग रहनेवाले

है, मुझे इतना अभिभूत कर देनेवाला स्नेह और उतना उदार व्यवहार मिला है, विशेष रूपसे चेष्टिनाटमे, कि मेरे मनमें और अधिक पानेकी तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई है।

मैं समझता हूँ कि आपका अपना एक खेल-कूदका क्लब है, और यह एक अच्छी चीज है। मैं चाहता हूँ कि आप इससे ऊँची कोटिके खिलाड़ी भी बनें। मैं चाहता हूँ कि आपमें खिलाड़ियो-जैसी ऐसी भावना हो कि आप भारतमें भूगर्भसे पीड़ित लोगोंके साथ अपने धनको बाँट कर उपयोग करें, उनके सामने मुट्ठी-भर चावल फेंककर नहीं, बल्कि उन्हें जिस ढंगसे मैं कामके लिए प्रशिक्षित करके काममें लगाना चाहता हूँ उस ढंगसे उनके लिए काम प्राप्त करके।

मैं यह भी चाहूँगा कि इस द्वीपमें जो मजदूर हैं उनके साथ आप अपनी सेवा कर सकनेकी योग्यता या क्षमताको वाँटें और इसमें भी खिलाड़ीकी भावनासे काम लें। यह वही समाज-सेवा है जिसके लिए बहुतसे नौजवानोंकी योग्यताकी जरूरत है, नौजवान जिन्हें मैं अपने सामने देख रहा हूँ। मैंने वाडुल्ला और हैटनके बीच जो हजारों मजदूर देखे उनके बारेमें अपने अनुभव बतानेमें मैं आपका समय नहीं लूँगा। एक ओर तो मैं उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ और दूसरी ओर मैंने देखा कि आप नौजवानोंके सामने उन लोगोंके लिए करनेको कितना कुछ पड़ा है जो जर्जर होते जा रहे हैं और जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि शुद्ध जीवन किस प्रकार बिताया जाता है।

आपने मेरा सन्देश सुन लिया है। यदि अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं दिया है या पर्याप्त नहीं दिया है तो वे कृपया अपना चन्दा मुझे भेज दें, और यदि आप उन लाखों गरीब लोगों तथा अपने बीच एक जीवन्त सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं तो आप चन्दा देनेके साथ ही यह निश्चय भी करेंगे कि खादीके सिवा आगेसे कोई दूसरा कपड़ा नहीं खरीदेंगे।

आपकी उदारताके लिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २८-११-१९२७

चिद गांधीजी इन सीलोन

## २०४. भाषण : पानडुरामें

२३ नवम्बर, १९२७

महात्माजीने पहले श्री आर्थर वी० डायसको बुँढा, मगर वे सभामें नहीं आये थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि पानडुरामें मद्य-निषेध आन्दोलनके जनकसे मुलाकात करूँ। मैंने मद्य-निषेधके लिए काम करनेवाले इन सज्जनके बारेमें पहलेसे सुन रखा है और मेरा खयाल है कि वे उसी भावनासे काम कर रहे हैं, जिस भावनासे मैं करता हूँ। मुझे आशा है कि पानडुराकी जनता मद्य-निषेधके लिए और भी प्रयत्न करेगी।

यदि आप वैसा करेंगे तो न केवल वर्तमान पीढ़ीकी कृतज्ञताके पात्र होंगे, बल्कि भावी पीढ़ियाँ भी आपका आभार मानेंगी। मुझे अनेक स्थानोंपर पियक्कड़ोंके बीच रहनेका मौका मिला है। मैंने मद्यपानकी बुराईके बारेमें बहुत सारा साहित्य पढ़ा है। मैं ऐसे घरोंको जानता हूँ जो इस बुराईके कारण उजड़ गये हैं। ऐसे लोगोंको, प्रतिष्ठित लोगोंको, जानता हूँ जो इसके चक्करमें पड़कर बर्बाद हो गये हैं। मैंने मद्यप पत्तियोंको अपनी पत्तियोंके साथ राक्षसी व्यवहार करते देखा है। शराबके नशेमें घुत एक कप्तान तो एक वार एक जहाजके सभी कर्मचारियोंको मौतके ही मुँहमें झोंकने जा रहा था। मैं खुद उस जहाजपर मौजूद था। आप लोग तो गर्म जलवायुमें रहते हैं इसलिए आप शराब पियें, इसका कोई कारण नहीं है। यह राक्षसी वृत्ति है, ईश्वर और मानवताके प्रति जघन्य अपराध है। इसके घातक प्रभावसे महान श्रमिक वर्ग अधिकाधिक बेकार होता जा रहा है। फिर लंकामें अस्पृश्यता भी है, यहाँतक कि बौद्धोंके बीच भी।

उन्होंने कहा, किन्हीं कौड़ी निवासी सज्जनने मुझे बताया था कि बौद्धोंके बीच भी अस्पृश्यता रूपी यह बुराई मौजूद है, यद्यपि अस्पृश्यता बौद्ध धर्मके बिल्कुल खिलाफ है।

आप चाहे अस्पृश्यताको जो नाम दें, यह चीज बहुत बुरी है। बौद्ध-धर्ममें तो पशुओंके प्रति भी दयाका व्यवहार करनेकी शिक्षा दी गई है, इसलिए उसमें इसके लिए कोई स्थान नहीं है।

[ अंग्रेजीसे ]

सीलोन डेली न्यूज, २५-११-१९२७

## २०५. भाषण : गैलेकी सार्वजनिक सभामें

२३ नवम्बर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और भाइयो,

अभी आप लोगोंने मुझे जो मानपत्र और चन्देकी राशियाँ भेंट की हैं, उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

इस सुन्दर द्वीपकी धरतीपर मैंने जवसे पैर रखे हैं तभीसे मैंने उगे अपने प्रति स्नेह और आतिथ्यकी भावनासे आपूरित पाया है और आप लोग मुझपर प्रेम और धुमेच्छाओकी वर्षा करते रहे हैं। अभी इन बालको और बालिकाओंने जिम शुभकामना गीतका गायन किया उसे मैं आपकी धुमेच्छाके प्रदर्शनके इस क्रममें कोई कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं देता। कुछ मिनट पहले आपकी नगरपालिकाने भी मुझे एक मानपत्र भेंट किया है और मैं पूरी योग्यतासे इन दोनों अभिनन्दनपत्रोंका संयुक्त रूपसे उत्तर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि यदि मैं उत्तर यथानममव अधिकसे-अधिक संक्षेपमें दूँ तो आप उसके लिए मुझे धन्यवाद ही देंगे। मैं उत्तर संक्षेपमें ही दूँगा, क्योंकि मैं आपको ज्यादा समयतक इस धूपमें रोके रहना नहीं चाहता।

मुझे जो-कुछ इस नगरके आप नागरिकोंसे कहना है, नगरपालिकाके पार्यदोंसे उससे कोई भिन्न बात नहीं कहनी है।

जिस आशाको मैं इस द्वीपमें आनेके दिनसे ही बार-बार व्यक्त कर रहा हूँ, उसीको यहाँ एक बार फिर व्यक्त करना चाहता हूँ।

मुझे आशा है कि आप लोग अपनेको मद्यपानके अभिशापने मुक्त करने और इस द्वीपसे जातीय भेद-भावको मिटा देनेके लिए कुछ भी उठा नहीं रखेंगे। गौतम बुद्धने, जिनका जीवन सतत त्यागकी एक गाथा है, यह उपदेश दिया है कि उनके अनुयायियोंको शराबसे अपने मुँह दुर्गन्धित और शरीर विपाक्त नहीं करने चाहिए। इस्लामने शराबकी निन्दा स्पष्ट शब्दोंमें की है। और जहाँतक ईसाई-धर्मको मैंने समझा है, ईसाई-धर्मके सिद्धान्तमें शराब पीनेका समर्थन कहीं नहीं किया गया है; और एक हिन्दूके नाते तो मैं व्यक्तिगत रूपसे आपको इस बातका प्रमाण दे सकता हूँ कि मेरे धर्ममें मद्यपानको पाप माना गया है।

आप अपनी मातृभूमिसे इस द्वीपमें भी साम्प्रदायिकताका अनिर्गाप ले आये हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जहाँतक ईश्वर और मानवताके लिए काम करनेका सम्बन्ध है, आप अपने देशकी भलाईके लिए एक ही मानृभूमिकी मन्तानोंकी तरह एक दूसरेके कन्वेसे-कन्वा मिलाकर काम करेंगे। भगवान् बुद्धकी उदात्त शिक्षाके नाय-साथ आप अपने देश भारतमें जातीय भेदभावको भी यहाँ ले आये हैं। जबरन आप इन भेद-भावोंको बरतते रहेंगे तबतक यह नहीं माना जायेगा कि आपने बुद्धकी शिक्षाको समय रूपसे अंगीकार कर लिया है। आज दुनियामें लोकतन्त्रकी जो नायना फँगी

हुई है, उसका तकाजा है कि किसीको किसीसे बड़ा नहीं मानना चाहिए। सब उसी एक परम पिताके पुत्र और पुत्रियाँ हैं।

और अन्तमें मैं आपसे यह अनुरोध करूँगा कि आप तिरनागम महिला संघके उदाहरणका अनुकरण करें और इस प्रकार अपने दानको गरिमा प्रदान करें और मेरे प्रति व्यक्त किये गये अपने स्नेह-सौहार्दकी शोभा बढ़ायें। उस संघने हिक्कडुवामें मेरा स्वागत करते हुए मुझे यह सूचित किया था कि वह महिलाओंके बीच खट्टरको लोकप्रिय बनानेके लिए एक प्रचार आन्दोलन प्रारम्भ करने जा रहा है।

मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि भारतके करोड़ों अभावग्रस्त लोगोंकी दशा सुधारनेमें मेरी सहायता करनेके लिए बौद्ध, हिन्दू, मुसलमान और ईसाई, सब एक साथ मिलकर सामने आये हैं। मैं ईश्वरसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार एक होकर आपने इस अवसरपर काम किया है उसी प्रकार एक होकर अपनी मातृभूमिके कल्याणके लिए भी काम कर सकें।

[अंग्रेजीसे]

विद गांधीजी इन सीलोन

## २०६. भाषण : महिन्द कालेज, गैलेमें

२४ नवम्बर, १९२७

इस अत्यन्त आनन्ददायक समारोहमें<sup>१</sup> उपस्थित होकर मुझे अत्यन्त हर्षका अनुभव हो रहा है। इस समारोहकी कार्यवाहियोंको देखने और बहुत सारे लड़कोंसे परिचय प्राप्त करनेका अवसर देकर आपने वास्तवमें मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया है।

मैं आशा करता हूँ कि इस संस्थाका उत्तरोत्तर विस्तार होगा, और मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यह इस योग्य है। इस सुन्दर द्वीप और यहाँके लोगोंके बारेमें मैं इतना तो जान ही गया हूँ कि कह सकूँ कि इस देशमें बौद्ध लोग इतनी बड़ी संख्यामें मौजूद हैं कि वे न केवल इस एक संस्थाको, बल्कि ऐसी बहुत-सी संस्थाओंको चला सकते हैं। इसलिए, मैं आशा करता हूँ कि आर्थिक सहायताका अभाव कभी भी इस संस्थाके मार्गमें बाधक नहीं होगा। किन्तु, चूँकि मैं दक्षिण आफ्रिका और भारतकी शिक्षण-संस्थाओंके बारेमें कुछ जानकारी रखता हूँ, इसलिए आपसे कहूँगा कि साहित्यिक शिक्षाके लिए सिर्फ़ इंट और गारेकी बनी बढ़िया इमारत ही काफी नहीं है। वास्तविकता यह है कि जो ऐसी संस्थाओंका दिन-प्रतिदिन निर्माण करते हैं, वे हैं इनसे सम्बद्ध सच्ची वृत्तियोंवाले लड़के और लड़कियाँ। मैं वास्तुकलाकी दृष्टिसे सर्वथा निर्दोष ऐसे विशाल भवनोंको भी जानता हूँ जो नामके लिए तो शिक्षण संस्थाएँ हैं, लेकिन वास्तवमें वे पाखण्डकी प्रतिभूतियाँ हैं। इसके विपरीत मैं ऐसी संस्थाओंको भी जानता हूँ जो साधनोंके अभावमें प्रतिदिन अपना अस्तित्व बनाये रखनेके लिए

संघर्ष कर रही है, किन्तु साथ ही उसी अभावके कारण आत्मिक दृष्टिमें प्रतिदिन प्रगति भी कर रही है। मानव-जातिके एक महानतम शिक्षक और आप सबके हृदयमें एकमात्र सम्राटके रूपमें प्रतिष्ठित उस व्यक्तित्वने किसी मानव-निर्मित भवनमें बैठकर नहीं, बल्कि एक विशाल वृक्षकी छायामें बैठकर दुनियाको अपना जीवन्त सन्देश सुनाया था। और यह कहनेकी घृष्टताके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे कि उन तरहकी महान संस्थाको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए और इस ढंगने देनी चाहिए कि उमका लान लंकाके प्रत्येक बालक और बालिकाको मिल सके।

मैंने इतने ही दिनोमें यह देख लिया है कि भारतकी तरह इस देशमें भी शिक्षाको उत्तरोत्तर अधिकाधिक व्यवसायिक बनाया जा रहा है। नतीजा यह है कि यह गरीब लड़कोंकी पहुँचसे परे हो गई है। हम सबको सावधान हो जाना चाहिए और ऐसी गम्भीर भूल करनेसे बचना चाहिए, अन्यथा हम भावी पीढ़ियोंके विक्कारके पात्र होंगे। उस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए मैं सबसे ज्यादा जोर इस बातपर दूंगा कि आरम्भमें अन्ततक सारी शिक्षा सिंहली भाषामें ही दी जानी चाहिए। मेरा निश्चित मत है कि किसी भी राष्ट्रके बच्चोंके लिए विदेशी भाषामें शिक्षा ग्रहण करना आत्मघातके समान है। यह चीज उन्हें उनके जन्म-सिद्ध अधिकारमें वंचित करती है। विदेशी माध्यमका मतलब है बच्चोंपर अनुचित बोझ लादना, और यह उनकी मौलिक चिन्तनकी समस्त क्षमता समाप्त कर देता है। यह उनके विकासके मार्गमें बाधक होता है और उन्हें अपने देश-समाजसे काटकर अलग कर देता है। इसलिए मैं इसे राष्ट्रके लिए बहुत बड़े दुर्भाग्यकी बात मानता हूँ। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। संस्कृत भारतकी मातृ-भाषा रह चुकी है, और चूँकि आपने सारी धार्मिक शिक्षा उस व्यक्तिके उपदेशोंसे ग्रहण की है जो खुद एक सच्चा भारतीय था और जिसने संस्कृत साहित्यमें प्रेरणा ग्रहण की थी, इसलिए संस्कृतको एक ऐसी भाषाके रूपमें अपने पाठ्यक्रममें स्थान देना बिलकुल उचित है जिसका अध्ययन गहराईसे किया जाये। इस तरहकी संस्थासे मैं यह अपेक्षा करूँगा कि वह सिंहलीमें ऐसी पाठ्यपुस्तके तैयार करे जिनमें प्राचीन ज्ञान-विज्ञानकी उत्तम बातोंका समावेश हो और जो लंकाके सारे बौद्ध समाजके लिए सुलभ हों।

मुझे आशा है कि आप ऐसा नहीं समझते होंगे कि मैं आपके सामने कोई ऐसा लक्ष्य रख रहा हूँ जिसे प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। इतिहासमें मैंने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं जब शिक्षकोंने मातृभाषाकी गरिमा और लुप्तप्राय प्राचीन ज्ञान-विज्ञानके गौरवको पुनः प्रतिष्ठित करनेके लिए भगीरथ प्रयत्न किये हैं।

मुझे यह देखकर सचमुच बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आप लोग श्रीडा-व्यायामकी ओर समुचित ध्यान दे रहे हैं। खेल-कूदमें आपने जो विशेष स्थान प्राप्त करके दिखाया है, उसके लिए मैं आपको बधाइयाँ देना हूँ। मैं नहीं जानता कि आपका कोई देशी खेल-कूद है या नहीं। लेकिन, अगर यह हकीकत हो कि इस पवित्र भूमिपर क्रिकेट और फुटबालका चलन होनेमें पहले आपके लड़के फील्ड खेल नहीं खेलते थे तो मुझे धोर, बल्कि दुःखद आश्चर्य होगा। यदि आपके अपने राष्ट्रीय गेल हो तो मैं आपमें अनुरोध



करूँगा कि आपकी संस्थाको उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि भारतके कई बहुत अच्छे देशी खेल हैं। वे क्रिकेट और फुटबालकी ही तरह रोचक और उत्साहवर्धक हैं। उनमें खतरे भी उतने ही रहते हैं। और ऊपरसे उनकी एक खूबी यह है कि वे व्ययसाध्य नहीं होते, क्योंकि उनपर लगभग कोई खर्च नहीं बैठता।

“पुरातन” के नामपर चलनेवाली हर चीजका मैं अन्धभक्त नहीं हूँ। कोई चीज चाहे जितनी भी प्राचीन हो, यदि उसमें कोई बुराई या अनैतिकता है तो उसे मिटानेमें मैं कभी संकोच नहीं करता। लेकिन, इतना तो मैं स्वीकार करूँगा कि मैं प्राचीन रीति-रिवाजोंका भक्त हूँ और यह सोचकर मुझे बड़ा दुःख होता है कि लोग आवुनिकताकी आपाधापीमें पड़कर अपनी पुरानी परम्पराजोसे घृणा करने लगते हैं और अपने जीवनमें उनका आचरण करनेकी कोई परवाह नहीं करते।

हम प्राच्य लोग उतावलीमें अक्सर ऐसा मान बैठते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे लिए जो-कुछ विधान कर गये, वे अन्धविश्वासोंके अलावा और कुछ नहीं थे। लेकिन, प्राच्य संसारकी अमूल्य निधियोंके अपने दीर्घकालके अनुभवके बलपर मैं इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि यद्यपि उनमें बहुत-सी बातोंका अन्धविश्वासपूर्ण होना भी सम्भव है, किन्तु उससे कहीं अधिक बातें ऐसी हैं जो न केवल अन्धविश्वासपूर्ण नहीं हैं, बल्कि यदि हम उन्हें ठीकसे समझें और उनका आचरण करें तो वे हमारे लिए जीवनदायिनी और हमारी वृत्तियोंको ऊर्ध्वमुखी करनेवाली सावित होती हैं। इसलिए, पश्चिमकी जादुई चकाचाँधमें हमें अपनी आँखें बन्द नहीं कर लेनी चाहिए।

लेकिन, मैं एक बार फिर आपसे यह कह देना चाहता हूँ कि आप ऐसा माननेकी मूल न करें कि मैं पश्चिमकी हरएक चीजसे घृणा करता हूँ। पश्चिमवालोंके बहुतसे गुणोंको तो खुद मैंने ही ग्रहण किया है। चाँछनीय और अवाँछनीय, सही और गलतके बीच भेद कर सकनेकी मनुष्यकी क्षमताके लिए संस्कृतमें एक बहुत ही अर्थ-गर्भित और सटीक शब्द है — वह है “विवेक”। अंग्रेजीमें इसका निकटतम पर्याय “डिस्टिन्क्मिनेशन” है। मुझे उम्मीद है कि आप पाली और सिंहलीमें इस शब्दको स्थान देंगे।

आपके पाठ्यक्रमके बारेमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैंने शिल्प और दस्तकारियोंके बारेमें कुछ सुननेकी आशा की थी। यदि आप अपने यहाँके लड़कोंको शिल्प और दस्तकारीके काम सिखानेपर विशेष ध्यान न दे रहे हों, और अगर अब भी समय हो तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि शिल्प और दस्तकारीके जिन कार्योंसे इस द्वीपके लोग परिचित हों, ऐसे आवश्यक कार्योंको पाठ्यक्रममें अवश्य दाखिल किया जाये। निश्चय ही, इस संस्थासे निकलनेवाले सभी लड़के सरकारी कार्यालयोंमें क्लर्क या नौकर होनेकी आशा नहीं करेंगे और न वे होना ही चाहेंगे। यदि वे राष्ट्रकी शक्तिको बढ़ाना चाहते हों तो उन्हें पूरे मनोयोग और कौशलसे देशी शिल्पों और दस्तकारियोंको सीखना चाहिए; और सांस्कृतिक प्रशिक्षणके रूपमें तथा गरीबसे-गरीब लोगोंके साथ तादात्म्य स्थापित करनेके प्रतीकके रूपमें मुझे हाथ-कताईसे अधिक उदात्त दस्तकारी और कोई नहीं जान पड़ती। यह बहुत सीवा-सादा काम है और इसलिए इसे आसानीसे सीखा जा सकता है। यदि आप हाथकताईके साथ इस विचारको भी मिला दीजिए

कि इसे आप अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिए नहीं, बल्कि देगके गरीबमें-गरीब लोगोंके लिए सीख रहे हैं तो यह मनुष्यको ऊपर उठानेवाला एक धार्मिक कृत्य बन जाता है। इस धर्मकार्यके साथ-साथ कोई ऐसा धन्वा, कोई ऐसा हस्तगिल्प भी जुड़ा होना चाहिए जिसे लड़के अपने वादके जीवनमें जीविकोपार्जनका एक साधन मान सकें।

धार्मिक शिक्षाको स्थान देकर आपने विलकुल ठीक किया है। यह नमस्त्रनेके लिए कि धार्मिक शिक्षा सबसे अच्छी तरह किस प्रकार दी जा सकती है, मैंने कई लड़कोपर प्रयोग करके देखा है। मैंने पाया कि किताबी शिक्षा किन्ती हृदयक तो सहायक है, लेकिन कोरी किताबी शिक्षा बेकार है। मैंने यह पाया कि धार्मिक शिक्षा देनेका तरीका यह है कि शिक्षक खुद ही धर्मनिष्ठ जीवन जियें। मैंने देखा है कि लड़के जितना शिक्षकोके व्यक्तिगत जीवनसे सीखते हैं, उतना शिक्षकों द्वारा उनके सामने किताबें पढ़ने या मुँहसे दिये गये व्याख्यानसे नहीं सीखते। मैंने पाया है कि लड़को और लड़कियोंमें अपने शिक्षकोके मनमें प्रवेश कर जानेकी ऐसी क्षमता रहती है जिसका स्वयं उन्हें भी भान नहीं होता, किन्तु जिसके द्वारा वे अपने शिक्षकोके विचारोंको जान लेते हैं। लानत है उस शिक्षकपर जो मुँहसे एक बात सिखाता है लेकिन हृदयमें कुछ और ही विचार रखता है।

अब बस, एक-दो शब्द सिर्फ लड़कोके लिए कहकर मैं भाषण समाप्त करूँगा। बहुत-से लड़के-लड़कियों या आप ऐसा भी कहें तो बहुत गलत न होगा कि हजारों लड़के-लड़कियोंके पिताकी हैसियतसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आखिरकार आपका भाग्य आपके ही हाथोंमें है। यदि आप दो शर्तोंका पालन करे तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि अपने स्कूलमें आप क्या सीखते हैं और क्या नहीं। एक तो यह है कि चाहे जैसी भी कठिन परिस्थिति आ पड़े, आप निर्भीक होकर सत्यपर आस्र रहें। कोई सत्यनिष्ठ और बहादुर लड़का किसी चीटीको भी हानि पहुँचानेकी बात नहीं सोच सकता। अपने स्कूलमें सभी कमजोर लड़कोकी रक्षा करता है। और स्कूलके अन्दर या बाहरके जिन लोगोंको भी उसकी सहायताकी आवश्यकता होती है, उनकी सहायता करता है। जो लड़का मनसा-वाचा-कर्मणा पवित्र नहीं है वह स्कूलसे निकाल बाहर दिये जाने लायक है। बहादुर लड़का अपना मन मदा पवित्र रखता है, अपनी दृष्टि सीधी रखता है और अपने हाथोंको निष्कलुप रखता है। जीवनके इन मूलभूत सिद्धान्तोंको सीखनेके लिए आपको किसी स्कूलमें जानेकी आवश्यकता नहीं है। यदि ये तीन गुण आपमें हैं तो समझ लीजिए कि आपकी नींव बहुत मजबूत है।

तो अब ईश्वरसे मेरी यही प्रार्थना है कि सच्ची अहिंसा और पवित्रता आपमें जीवनमें सदा आपकी सुरक्षा-श्रवच बनी रहे। ईश्वर आपकी सभी उदात्त आकांक्षाओंको फलीभूत करनेमें आपकी सहायता करे। इन समस्याओंमें शामिल होनेको मुझे निमन्त्रित करनेके लिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ।

[ अंग्रेजीमें ]

जिद गांधीजी इन सीलोन

## २०७. भाषण : अकमिमाना बालिका बुनाई केन्द्रमें

२४ नवम्बर, १९२७

[गांधीजीने] कहा कि आपसे यह अभिनन्दनपत्र और थैली प्राप्त करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और अकमिमाना बालिका बुनाई केन्द्र (अकमिमाना गर्ल्स वीविंग इन्स्टीट्यूट)का शिलान्यास करनेको निमन्त्रित करके आपने मेरा बहुत सम्मान किया है। मुझे उम्मीद है कि यह केन्द्र प्रगति करेगा। आप सबको शायद यह मालूम नहीं होगा कि कई उपयोगी काम सीखनेके सिलसिलेमें मैं बुनाईका काम भी सीख रहा था। कताई और बुनाई सीखते हुए मैंने पाया कि जिस देशको बुनाईका काम अपनाना है, उसे कताईको भी अपनाना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि जब कोई देश स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरताके लिए बुनाई उद्योगको अपनाता है तो उसमें कताई भी शामिल है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब लंकाशायरमें बुनाई उद्योग प्रारम्भ हुआ, उससे पहले वहाँ कताईका काम जोरोंसे होता था। इस विषयपर ज्यादा विस्तारसे कहनेके लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि यदि आप लंकाको स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते हैं तो आपको भारतकी तरह किसी-न-किसी प्रकारकी कताई और बुनाईको भी अपनानेकी जरूरत है।

महात्माजीने, मानपत्रमें बौद्धोंको बुद्ध-गया फिरसे दे दिये जानेके बारेमें जो उल्लेख किया गया था, उसकी भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि कोई सत्ता-सम्पन्न व्यक्ति मुझे पूरा अधिकार दे दे और मेरे हाथमें एक कलम थमा दे तो मैं उसी क्षण बुद्ध-गया बौद्धोंको दे दूँ। दुर्भाग्यवश, इस सम्बन्धमें मैं जो-कुछ करना चाहूँगा वह करनेकी मुझमें शक्ति नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बुद्ध-गया बौद्धोंको खुद उन्हींकी सम्पत्तिकी तरह उन्हें वापस दिलानेके लिए मैं कुछ भी उठा नहीं रखूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अपना स्वत्व प्राप्त करना आपके हाथोंमें है, क्योंकि यह एक सर्वस्वीकृत सिद्धान्त है कि जो लोग अपना स्वत्व प्राप्त करनेकी चिन्ता खुद नहीं करते, उन्हें वह कभी नहीं मिलता।

वक्ताने आगे प्रामोण जीवनकी चर्चा करते हुए कहा कि यदि आप शराबखोरीको दूर नहीं करते तो आपके गाँव बर्बाद हो जायेंगे। आज सुबह मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस क्षेत्रमें आपके सुन्दर देशका रूप बिगाड़नेवाला कोई भी शराबखाना नहीं है। इस उपलब्धिके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इस भवनमें उपस्थित बौद्ध भिक्षुओंसे मैं अनुरोध करूँगा कि वे जनताको पूर्ण मद्यनियेधके मागपर

ले जानेकी भरसक कोशिश करें। लेकिन, आपको अपनी गतिविधियाँ इस क्षेत्र-विशेष तक सीमित रखकर सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। आपको अपनी गतिविधियोंका विस्तार दूर-दूरके क्षेत्रोंतक करना चाहिए ताकि मछपानका अभिशाप पूर्ण रूपसे सदाके लिए मिट जाये और यहाँके लोगोंका जीवन सुरक्षित हो तथा यह देश मदिराके फलंकसे सर्वथा मुक्त हो जाये।

अन्तमें उन्होंने कहा कि बुढ़ने इस सिद्धान्तका प्रचार किया कि सभी मनुष्य समान हैं। किसीका पड़ोसी उतना ही अच्छा है जितना वह स्वयं है। यदि आप इसी समयसे और यहाँसे जाति-भेदको दूर करनेकी कोशिश शुरू नहीं कर देते तो इसका मतलब यह है कि आप इस धर्मके सच्चे अनुयायी नहीं हैं।

[ अग्नेजीसे ]

सीलोन डेली न्यूज, ३-१२-१९२७

## २०८. भाषण : मतारामें

२४ नवम्बर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

आपने मुझे जो मानपत्र और धैलियाँ भेंट करनेका सौजन्य दिखाया है, उस सबके लिए मैं आपका हृदयसे आभारी हूँ। शोफरों, नाइयों तथा अन्य भाइयोंने इस मंचपर अपनी-अपनी धैलियाँ भेंट की हैं। गरीब लोगोंसे प्राप्त इन धैलियोंकी मैं दिलसे कद्र करता हूँ। इनसे प्रकट होता है कि उन्होंने उन लोगोंको मुला नहीं दिया है जो उनसे भी गरीब हैं, लेकिन, एक धैलीकी घोषणा नहीं की गई और वह है आपके प्रतिनिधि श्री ओवेसेकेरेसे प्राप्त ५०० रुपयेका चेक। इस चेकके बारेमें दो तरहके खयाल हैं। एक तो खुद मेरा है और वह यह है कि उन्होंने नम्रतावश अपने दानको छिपा रखा है। लेकिन, एक दूसरा खयाल भी है जो अनुभवपर आधारित होनेके कारण शायद ज्यादा ठीक है। वह यह है कि श्री ओवेसेकेरेने बहुत कंजूसीसे काम लिया है और वे नहीं चाहते कि उनके ५०० रुपयेके अनुदानकी घोषणा करके लोगोंको शोफरोंकी धैलीसे<sup>१</sup> उसकी तुलना करनेका मौका दिया जाये। लेकिन, मैं तो एक मिखारी हूँ, एक न्यासी हूँ, इसलिए मैं श्री ओवेसेकेरे तथा उनकी उदारता या कृपणताके बारेमें कोई निर्णय नहीं दे सकता। यह निर्णय तो मैं आप लोगपर, जिनके कि वे प्रतिनिधि हैं, छोड़ता हूँ। आप ही जानिए कि उन्होंने आपका ठीक प्रतिनिधित्व किया है या गलत। लेकिन, आप सब भारतके करोड़ों भूगर्भ मरने लोगोंके लिए दिये गये अपने दानके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। मैं तो आपको यही आश्वासन दे सकता हूँ कि इन धैलीमें उल्लेख गये एक-एक

१. शोफर संघने १०० रुपयेकी धैली भेंट की थी।

रूपयेका आपकी जेबोंमें पड़े हर रूपयेसे अधिक मूल्य है, क्योंकि मेरे हाथमें आये एक रूपयेका मतलब भारतकी उन १६ गरीब कत्तिन बहनोंके लिए एक बार भोजनकी व्यवस्था हो जाना है जिन्हें इस रूपयेके अभावमें शायद मूखे ही रहना पड़ता।

श्री ओवेसेकेरे जब मुझे इस सुन्दर स्थानमें ले आ रहे थे तब उन्होंने मुझे बताया कि हाथ-बुनाईको प्रोत्साहन देनेकी कोशिशें की जा रही हैं। इस कदमके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और मेरे लिए इससे अधिक हर्षकी बात और कुछ नहीं होगी कि चन्द महीनोंमें मुझे यह सूचना मिले कि इस देशमें कमसे-कम आप लोग तो ऐसे हैं ही जो अपना तन अपने ही वुने कपड़ोंसे ढँकते हैं। लेकिन, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ। जहाँ आप अपना तन अपने यहाँके कते-वुने कपड़ोंसे ही ढँकनेकी तैयारियाँ कर रहे हैं, वही भविष्यमें जब कभी आपको मौका मिले, आप खहर खरीदकर इस कार्यको जारी रखें जिसे आपने इन अनुदानोंके रूपमें प्रारम्भ किया है। एक बात और भी बता दूँ कि यदि आप अपनी वस्त्र-सम्बन्धी आवश्यकताओंके विषयमें आत्म-निर्भर बनना चाहते हैं तो हाथ-कताई शुरू कर देना भी जरूरी है।

इसके बाद महात्माजीने नगरपालिकाओं तथा नगरपरिषदोंके कामकी चर्चा करते हुए लोगोंसे हादिक अनुरोध किया कि किसी बौद्ध देशमें मद्यपान और जाति-भेद नहीं होना चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

सोलोन डेली न्यूज, ३०-११-१९२७

## २०९. भाषण: कानूनके छात्रोंके सम्मुख, कोलम्बोमें

[ २५ नवम्बर, १९२७ ]

आपने यह सवाल पूछा, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि इस विषयपर यदि मैं अधिकारपूर्वक नहीं बोल सकता तो और कोई नहीं बोल सकता। कारण यह है कि जबतक मैंने वकालतका धन्वा किया, सत्य और ईमानदारीसे रंच-मात्र भी विचलित नहीं हुआ।

तो अब अपने सवालका जवाब लीजिए। यदि आप वकालतके धन्वेमें धर्मका समावेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बराबर इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि इस धन्वेको आप अपनी थैली भरनेका साधन न बना लें, हालाँकि आज तो दुर्भाग्यवश अकसर ऐसा ही होता है। इसके विपरीत आपको अपने धन्वेका उपयोग देशसेवाके लिए करना चाहिए। सभी देशोंमें ऐसे वकीलोंके उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने त्यागमय जीवन बिताया, जिन्होंने अपनी अद्भुत कानूनी प्रतिभाका उपयोग पूरी तरहसे देश-सेवामें किया, यद्यपि इसके कारण स्वयं उन्हें लगभग दरिद्रताका जीवन व्यतीत करना

१. इस तिथिको गांधीजी कोलम्बोमें थे।

२. वकालतके धन्वेमें धर्मका समावेश कैसे किया जाये?

पड़ा। भारतमें आपके सामने स्वर्गीय मनमोहन घोषका उदाहरण है। उन्होंने निन्दे साहबोंके खिलाफ चलनेवाले संघर्षमें आगे बढ़कर हिस्सा लिया और अपने गरीब मुक्किलोंसे एक पाई भी लिये बिना, अपने स्वास्थ्यकी परवाह न करते हुए, वल्कि अपनी जानको भी खतरेमें डालकर उनकी सेवा की। वे अत्यन्त प्रतिभाशाली वकील थे, किन्तु साथ ही बहुत बड़े परोपकारी भी। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसे आपने अपने सामने रखना चाहिए। या इससे भी अच्छी बात यह होगी कि आप 'अनटु दिस लास्ट' में दिये गये रस्किनके सिद्धान्तका अनुसरण करें। वे पूछते हैं, "किन्ती वकीलको अपने कामके लिए पन्द्रह पाँड क्यों लेना चाहिए, जबकि एक बट्टेको अपने कामके लिए मुक्किलसे पन्द्रह शिलिंग मिलते हैं?" वकीलकी फीमकी दरें सभो जगह अन्यायपूर्ण होती हैं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने खुद ही इतनी फीम ली है, जिसे मैं बहुत ऊँची कहूँगा। लेकिन, आपको बता दूँ कि जब मैं बकालत करना था तब भी मेरा घन्घा मेरे लिए जनताकी सेवाके मार्गमें कभी बाधक नहीं हुआ।

एक दूसरी बात भी है जिसकी ओरसे मैं आपको सचेत कर देना चाहूँगा। इंग्लैंडमें, दक्षिण आफ्रिकामें वल्कि सर्वत्र वकील लोग अपने मुक्किलोंके लिए जाने-अनजाने असत्यका सहारा लेते हैं। एक प्रसिद्ध अंग्रेज वकीलने तो यहाँतक कहा है कि अपने जिस मुक्किलके वारेमें वकीलको मालूम हो कि वह दोषी है, उसका बचाव करना भी उसका कर्त्तव्य हो सकता है। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। वकीलको कर्त्तव्य बराबर न्यायाधीशोंके सामने सत्यको प्रस्तुत करना और सचाईको जाननेमें उसकी सहायता करना होता है। दोषीको निर्दोष साबित करना उसका कर्त्तव्य नहीं होता। अपने घन्घेकी गरिमाको बनाये रखना आपके हाथोंमें है। यदि आप अपने कर्त्तव्यका पालन नहीं करेंगे तो फिर सोचिए कि और घन्घेका क्या होगा? आप नौजवानोंको, जो समाजके भावी कर्णधार होनेका दावा करते हैं, जैसा कि अभी आपने किया है, राष्ट्रका आदर्श नागरिक सिद्ध होना चाहिए। यदि नमक ही अपना सलोनान छोड़ दे तो फिर उसे किस प्रकार नमकीन बनाया जा सकता है?

[ अंग्रेजीसे ]

विब गांधीजी इन सीलोन

## २१०. भाषण : बौद्ध युवक संघ, कोलम्बोमें

२५ नवम्बर, १९२७

प्रारम्भमें गांधीजीने सहिष्णुताकी आवश्यकता समझाई। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरहसे विद्वान होनेका दावा नहीं करता। धर्मके सम्बन्धमें मैंने अपना अध्ययन एडविन आर्नोल्डकी कृति 'लाइट ऑफ एशिया' से शुरु किया। इस पुस्तकने मुझे मुग्ध कर लिया। तभीसे बुद्ध मेरे मनपर छाये रहे हैं, इतने कि मुझे प्रच्छन्न बौद्धतक कहा गया है। और जैसा कि एक बार मैंने पहले भी कहा है, इस आरोपको मैं अपनी प्रशंसा मानता हूँ, हालाँकि मैं जानता हूँ कि यदि मैं खुद ऐसा कोई दावा करूँ तो कट्टर बौद्ध लोग उसे तुरन्त अस्वीकार कर देंगे। फिर भी, एक ऐसे व्यक्तिके नाते, जिसने बौद्ध-धर्मकी भावनाको ग्रहण किया है, मैं सम्पूर्ण विनयके साथ किन्तु निःसंकोच भावसे फिर वही बात कहूँगा— हालाँकि दूसरे शब्दोंमें— जो मैंने पिछले प्रसंगपर कही थी। उन्होंने कहा :

हिन्दू-धर्ममें विभिन्न धर्मोंके ठीक-ठीक और श्रद्धापूर्ण अध्ययनके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। वे शर्तें ऐसी हैं जो सर्वत्र लागू होती हैं। यह भी याद रखिए कि गौतम एक सच्चे हिन्दू थे। वे हिन्दूधर्मकी भावनासे ओतप्रोत थे, वैदिक भावनासे आपूरित थे। उनका जन्म और लालन-पालन उसी प्रेरणाप्रद परिवेशमें— मनुष्यकी आत्माके लिए प्रेरणाप्रद परिवेशमें— हुआ था; और जहाँतक मैं जानता हूँ उन्होंने हिन्दू-धर्म या वेदोंके सन्देशको कभी अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने जो-कुछ किया वह यह कि जिस निर्जीव धार्मिक वातावरणमें उनकी आत्मा आकुल हो रही थी, उसमें एक जीवन्त सुधार किया। मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि उस महात्माने जिस स्रोतसे प्रेरणा ग्रहण की उस मूल स्रोतका अध्ययन किये बिना आपका बौद्ध-धर्मका अध्ययन अघूरा रहेगा; अर्थात्, जबतक आप संस्कृत और संस्कृत धर्मग्रन्थोंका अध्ययन नहीं करते तबतक आपका अध्ययन अघूरा रहेगा। लेकिन यदि आप बौद्ध-धर्मके शाब्दिक वर्णनको नहीं, बल्कि उसकी भावनाको समझना चाहते हैं तो आपका कर्तव्य यही समाप्त नहीं होता। उस अध्ययनके साथ वे शर्तें जुड़ी हुई हैं, जिनके वारेमें अब मैं बताऊँगा। वे शर्तें ये हैं कि जो पुरुष अथवा स्त्री धर्मका अध्ययन करना चाहे, उसे सबसे पहले तो पाँचों यमोंका पालन करना चाहिए। ये पाँच यम आत्म-संयमके नियम हैं। वे इस प्रकार हैं : एक तो है ब्रह्मचर्य; दूसरा सत्य; तीसरा अहिंसा अर्थात् तुच्छसे-तुच्छ प्राणीके विरुद्ध भी हिंसा न करना; और चौथा अस्तेय। अस्तेयका मतलब चोरी न करना है। लेकिन यहाँ चोरीका वह अर्थ नहीं है जो हम सामान्यतया लगाते हैं। उसमें जो वस्तु आपकी नहीं है, उसे किसी भी तरहसे ग्रहण करना या उसे सतृष्ण दृष्टिसे देखना तक शामिल है। पाँचवाँ नियम है अपरिग्रह। जो मनुष्य सांसारिक सम्पदाओंका स्वामी

बनना चाहता है वह बुद्धके सन्देशके मर्मको कभी भी नहीं समझ पायेगा। ये अनिश्चय नहीं है। कुछ अन्य शर्तें भी हैं; लेकिन इनका वर्णन उमरिग कर रहा हूँ कि ये बुनियादी शर्तें हैं और बुद्ध होनेसे पूर्व शीतमने इन तमाम नियमोंका पालन किया था। वाग्मवमें उन्होंने इन नियमोंके मर्मको समझकर उनका पालन किया था जैसा कि उनके शिषी समकालीनने नहीं किया था। मेरा मन्त्र निवेदन है कि जबतक आप भी उन नियमोंका पालन करते हुए प्रार्थनापूर्ण मनसे महात्मा बुद्धके आशयको समझनेकी कोशिश नहीं करेंगे तबतक आप बुद्धके सन्देशके मर्मको नहीं समझ पायेंगे। मन्त्र ही उनके सम्बन्धमें लिखी तमाम पुस्तकोंके अध्ययनसे आपने उनके बारेमें जानकारी प्राप्त की है, किन्तु इसका कोई महत्त्व नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि आप इन बुनियादी शर्तोंका पालन करने लगेंगे तो आप सब-कुछ समझने लगेंगे और इन पुस्तकोंकी व्याख्या एक नये दृष्टिकोणसे करने लगेंगे। जरा देखिए तो कि जिस पुस्तकपर करोड़ों मुनत्तमानोंको अडिग आस्था है, उसीको इस्लामके आलोचकोंने कैसे विकृत रूपमें पेश किया है और इस्लामके उपदेशोंको किस तरह घृणास्पद सिद्ध करनेकी कोशिश की है। यह आलोचना लिखनेवाले लोग बेईमान नहीं, बल्कि ईमानदार थे। वे ऐसे लोग नहीं थे जो सत्यकी खोज करनेकी कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन किसी धर्मका अध्ययन करनेसे पूर्व जिन शर्तोंका पालन करना चाहिए, उन शर्तोंका ज्ञान उन्हें नहीं था। फिर यह भी देखिए कि हिन्दू-धर्मके आलोचकोंने क्या किया है। मैंने उनमें से कई आलोचकोंकी कृतियाँ उनके आशयको समझनेकी कोशिश करते हुए पढ़ी, लेकिन अन्तमें इसी निष्कर्षपर पहुँचा कि वे हिन्दू-धर्मका क, ख, ग भी नहीं जानते और उनकी सर्वथा गलत व्याख्या कर रहे हैं। ईसाई-धर्मको ही लीजिए। बहुत-से हिन्दुओंने इसकी गलत व्याख्या की है। उन्होंने, 'बाइबिल', 'ओल्ड टेस्टामेंट' और 'न्यू टेस्टामेंट'का अध्ययन मनमें पहलेसे ही कुछ धारणाएँ बनाकर छिद्रान्वेषीकी तरह किया। लेकिन हिन्दुओंकी ही बात क्या कहिए? मैंने तो अपनेको नास्तिक माननेवाले म्युद अंग्रेजोंकी ही ऐसी कृतियाँ पढ़ी हैं जिन्होंने 'बाइबिल'के अर्थका अनर्थ कर दिया है और बड़े मुन्दर ढंगसे लिखा ऐसा ढेर-सा साहित्य भोले-भाले स्त्री-पुरुषोंके पास पहुँचा दिया है जिसे पढ़नेसे उनका मारी नुकसान हुआ है। इस युवक सघके सदस्योंके नामने मैंने ये बातें इसलिए रखी हैं कि मैं चाहता हूँ, आप लका और लकाके द्वारा मारी दुनियामें बौद्ध-धर्मके पुनरुत्थानके अग्रदूत बनें और ससारको एक अग्राह्य, मृत और दृष्टि-जर्जर धर्मके बजाय एक जीवन्त धर्म देनेमें सबसे आगे रह सकें।

मैंने अपने प्रतिनिधिको बौद्ध पुरोहितोंमें मिलने भेजा। उन्होंने कहा कि वे कोई बहस नहीं कर सकते, वस वही कह सकते हैं जो भगवान बुद्धने उन्हें सिखाया है। वैसे तो उनका ऐसा कहना ठीक है, लेकिन आज सर्वत्र चीजोंको जाँच-परखकर उनके बारेमें निर्णय लेनेकी प्रवृत्ति है। हमें उन प्रवृत्तिका मयाल रचना ही है। दुनिया सत्यको गोजनेकी कोशिशमें है, और इस नयंकर मीनमान और मंषपंके बीच मानि पानेके लिए आकुल हो रही है। नत्यको जाननेकी च्छा भी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको सुझानेकी घृष्टता की है, जिन्होंने धर्मका मास्थीय अध्ययन किया, निन्हीं



सत्यको पानेके लिए जीवन अर्पित कर दिया, और जिनकी अस्थिराँ हिमालयकी सफेद बर्फमें मिलकर एकाकार हो गई हैं, उन्होंने ये निधियाँ सिर्फ भारतके तीस करोड़ लोगोंके लिए ही नहीं छोड़ी है, बल्कि ये निधियाँ उन सबकी हैं जो उन्हें समझनेकी कोशिश करें। और फिर उन्होने स्वयं ही कहा, "सत्य क्या है, यह हम आपको नहीं बता सकते।" यह न लिखकर बताया जा सकता है, न बोलकर, इसे तो जीवनके द्वारा ही जाना जा सकता है। यह बुद्धिसे परे है, लेकिन अनुभवसे परे नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, "हमारा कहना है कि तथ्य इस प्रकार हैं, लेकिन उनकी परख तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आप अपनी बुद्धिका उपयोग करें। हम आपकी बुद्धिको कुण्ठित नहीं करना चाहते। लेकिन यदि आप इस तरह चीजोंको स्वयं परखने बैठेंगे तो मेरे इस निष्कर्षसे अवश्य सहमत होंगे कि ईश्वरने हमें जो बुद्धि दी है, आखिरकार उसकी शक्ति भी सीमित है, और जो सीमित है, वह असीमको नहीं पा सकता। इसलिए इन प्रारम्भिक शतोंका पालन कीजिए, भले ही ये शतें कठिन और थकानेवाली हों, ज्यामिति और बीजगणित सीखनेकी इच्छा करनेवालेके समान ही आपको भी इन प्रारम्भिक प्रक्रियाओंसे गुजरना ही है। आप उनका मनन कीजिए और तब आप देखेंगे कि हम आपसे जो-कुछ कह रहे हैं, आपका भी वही अनुभव है।"

अब मैं आपको इस बातका सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि आज किस प्रकार बुद्धके उपदेशोंकी उपेक्षा की जा रही है। इस विषयपर लगभग अन्त-अन्ततक मैंने अपना मुँह बन्द रखा है। हाँ, विद्योदय कालेजमें दिये गये भाषणमें मैंने इसका कुछ सकेत अवश्य किया था।

आप यह मानते हैं कि गौतमने दुनियाको यह सिखाया कि हमें सृष्टिके तुच्छतम प्राणीको भी अपने बराबर समझना चाहिए। वे धरतीके कीड़े-मकोड़ोंकी जिन्दगीको भी अपनी ही जिन्दगीके समान बहुमूल्य मानते थे। यह कहना थोथा अहंकार है कि मनुष्य सृष्टिके सभी प्राणियोंका स्वामी है। इसके विपरीत, चूँकि ईश्वरने मानव-जीवनको कुछ महत्तर उपादानोंसे युक्त कर रखा है, इसलिए वह अपनेसे हीनतर प्राणियोंका न्यासी है; और महात्मा बुद्धने इस सत्यको अपने जीवनमें चरितार्थ किया। 'लाइट ऑफ एशिया' में मैंने किशोरावस्थामें ही पढ़ा था कि किस प्रकार उन्होंने उन अज्ञानी ब्राह्मणोंके सामने ही, जो समझते थे कि निर्दोष मेमनोंका रक्त भेंट करके वे ईश्वरको प्रसन्न कर रहे हैं, मेमनेको अपने कर्णोंपर उठा लिया और उन्हें चुनौती दी कि अब एक भी मेमनेकी बलि चढ़ा कर दिखाओ। उनकी उपस्थिति-मात्रसे ब्राह्मणोंके कठोर हृदय पिघल गये। उन्होंने भगवान बुद्धकी ओर देखा और अपने घातक छुरोंको तुरन्त फेंक दिया। इस प्रकार सभी जानवरोंकी जानें बच गईं। उन्होंने दुनियाको यह सन्देश क्या इसीलिए दिया था कि वह उसे झुठलाये, जैसाकि आज वह कर रही है? मैं मानता हूँ कि जबतक आप लोग, जो कि उस महान घर्मके थातीदार हैं, सृष्टिके समस्त प्राणियोंको अवध्य नहीं मानते तबतक आप महात्मा बुद्धके उपदेशोंकी भावनाके प्रति ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं; और जबतक आप मांसाहारका त्याग नहीं कर देते और इस भ्रामक विश्वासको मनमें कायम रखते हैं कि चूँकि

जिन जानवरोंका मांस आप खाते हैं उनका वय किमी क्षीर ने किया, उनका आपके वयके पापके भागी नहीं हैं, तबतक यह नहीं माना जायेगा कि आप गनी प्राणियोंको अवध्य मानते हैं। आप परम्पराओंकी धाड़ लेते हैं। आप कहते हैं कि भगवानने कमी भी मांस-भक्षणका निषेध नहीं किया। मैं ऐसा नहीं मानता। यदि भगवानके उपदेशोंको मेरे बताये दृष्टिकोणसे देखेंगे और परम्पराकी भावनापर गहर्गर्हसे विचार करेंगे तो आपको एक नई दृष्टि और नया अर्थ मिलेगा। तब आप देखेंगे कि जब भगवानने यह कहा कि "मैं आपको मांस-भक्षणसे नहीं रोक्ता", तब वे वास्तवमें यह बात उन लोगोंसे कह रहे थे जिन्हें ईसाइयोंकी भाषामें हम कठोर हृदय (हार्ट ऑफ हार्ट) कहेंगे। उन्होंने उनकी कमजोरीका खयाल करके ही उन्हें मांसाहारकी अनुमति दी; उन्होंने ऐसा कुछ इसलिए नहीं किया कि वे अपने उपदेशके तर्कमंगत परिणामसे अनभिज्ञ थे। यदि देवताओंको पशुबलि नहीं दी जा सकती थी तो हम स्वाद-लोलुप प्राणियोंके लिए उनकी बलि कैसे चढ़ाई जा सकती थी? जब उन्होंने पशुबलिका निषेध किया तो वे जानते थे कि वे क्या कह रहे थे। क्या वे नहीं जानते थे कि पशुओंकी बलि आखिरकार मनुष्योंके खानेके लिए ही दी जाती है? कलकत्तेमें लोग कालीको हजारों भेड़-बकरियाँ क्यों बलि चढ़ाते हैं? उस परम हिन्दू गीतमया सन्देश ग्रहण करनेके बाद भी वे ऐसा काम क्यों करते हैं जो स्वयं उनके लिए और हिन्दूधर्मके लिए कलक रूप है? क्या वे बलि चढ़ाये पशुओंके शरीर टुगलीमें फेंक देते हैं? नहीं, वे मांसकी बोटी-बोटी बड़े चावसे चबा जाते हैं और यह समझते हैं कि कालीको मेंट कर दिये जानेके कारण यह मांस पवित्र हो गया है। इसलिए बुद्धने कहा था, यदि तुम बलिदान ही करना चाहते हो तो खुद अपनी, अपनी वासनाओंकी और आर्थिक तथा सासारिक आकांक्षाओंकी बलि चढ़ाओ। यह मनुष्यको ऊपर उठानेवाला बलिदान होगा। मेरी यही कामना है कि भगवान बुद्ध आपको मेरे शत्रुओंको तीलने और उनका सार ग्रहण करनेकी सद्बुद्धि दें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-१२-१९२७

## २११. भाषण : लंका भारतीय संघ, कोलम्बोमें'

२५ नवम्बर, १९२७

मैं जानता हूँ कि आपके सामने बहुत-सी राजनीतिक समस्याएँ उठती रहती हैं। जो लोग अपने देशसे जाकर किसी दूसरे देशमें बसते हैं— और ऐसा तो हम करते ही हैं— उनके आचरणको भाग-दर्शन देनेवाला एक सिद्धान्त मेरे विचारसे यह होना चाहिए कि वे अपने अंगीकृत देशके लोगोंके सुख-दुःखको अपना सुख-दुःख मान कर चलें। उनका हित-साधन ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमारे हितका स्थान उनके बाद ही आना चाहिए। यही मुझे एक शोभनीय मार्ग प्रतीत होता है, और यह उस महान सिद्धान्तके भी अनुकूल है जो हमें सिखाता है कि हम दूसरोंके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे व्यवहारकी अपेक्षा हम अपने प्रति दूसरोसे रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसी सिद्धान्तके अनुसार सोचते हुए मैंने भारत-स्थित अंग्रेजोंसे बार-बार कहा है कि उन्हें, वे जिस-जिस देशमें रहते हैं, उस देशके करोड़ों अभावग्रस्त लोगोंके हितको ही अपना हित बना लेना चाहिए और किसीने भी मेरे इस कथनके औचित्यपर शंका नहीं की है। हमारे और हमारे देशमें आनेवाले विदेशियोंके सम्बन्धोंका निर्धारण एक नियमके अनुसार हो और जब हम खुद विदेशोंमें जाकर रहें तो हम किसी दूसरे नियमसे संचालित हों, ऐसा नहीं हो सकता। और यद्यपि मैं लंकाको पराया देश नहीं मानता और यद्यपि सिंहलियोंके मुँहसे यह सुनकर मुझे अतीव प्रसन्नता हुई है कि वे भारतको अपनी मातृ-भूमि ही समझते हैं, फिर भी उनके साथ अपने सम्बन्धोंका नियमन करते समय हम यदि यह मानकर चलें कि वे विदेशी हैं तो बहुत अच्छा हो। सबसे निरापद तरीका यह है कि जब हम कोई सेवा करना चाहें तो उन्हें अपना कुटुम्बी मानें और जब अपने किसी अधिकारपर आग्रह करना हो तो कुटुम्बका आधार न लें। सच तो यह है कि मैंने जीवनके इस सिद्धान्तको, जिसे मैं आचरणका स्वर्णिम सिद्धान्त कहता हूँ, भारतके अन्दर भी प्रान्तोंके पारस्परिक सम्बन्धोंका निर्धारण करनेमें लागू किया है। उदाहरणके लिए, जब-कभी मैं बंगाल या मद्रास या गुजरातके अलावा किसी अन्य प्रान्तमें गया हूँ और जहाँ-कहीं मैंने गुजरातियोंकी बस्तियाँ देखी हैं, मैंने गुजरातियोंसे यह कहनेमें कभी भी कोई संकोच नहीं किया है कि वे जिस प्रान्तमें जाते हैं उस प्रान्तके लोगोंके हित-साधनको अपने हित-साधनसे अधिक महत्त्व दें। मुझे तो मानव-मानवके आपसी व्यवहारमें भीठा सम्बन्ध कायम रखनेका दूसरा कोई तरीका ही दिखाई नहीं देता, और अपने दीर्घकालके अनुभवके बलपर मेरी यह धारणा पक्की हो गई है कि मैंने अभी जो स्वर्णिम सिद्धान्त बताया है, उसके पालनमें जब कभी कोई व्यवधान पड़ा है, तभी झगड़े-टंटे, बल्कि एक-दूसरेके सिर फोड़नेकी भी वारदातें हुई हैं। अतः मेरे देशमाइयो, मुझे इसमें तनिक भी सन्देह

१. तमिळमें इस भाषणका अनुवाद श्री राजगोपालाचारीने किया था।

नहीं कि अभी मैंने आपको जो सिद्धान्त सुनाया है, यदि आप अपने आनन्दगीत नियमन उसके अनुसार करेंगे तो इसमें आपकी थोमा और गौरव बढ़ेगा और आरत इम आरचणसे सारे भारतको, जिसकी मुक्तिके लिए हम अपनी पूरी धर्मिण जूट रहे हैं, सम्मान मिलेगा।

[ अंग्रेजीसे ]

सीलोन डेली न्यूज, २६-११-१९२७

## २१२. भाषण : रेडियार संगम, कोलम्बोमें

२५ नवम्बर, १९२७

मैं आपको इन सारे मानपत्रों और थैलियोंके लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं देखता हूँ कि जैसे-जैसे लंकासे प्रस्थान करनेका मेरा समय निकट आना जाता है, वैसे-वैसे आपके हृदयमें मेरे लिए अधिकाधिक स्थान बनता जा रहा है और उसीके साथ मानपत्रोंका आकार भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन, आप रेडियार बन्धुओंको तथा दूसरे लोगोंको मेरे बारेमें ज्यादा जानकारी होनी चाहिए थी और आप सबको यह भी मालूम होना चाहिए था कि यदि आप मुझे बढ़े-बढ़े फ्रेमोंमें मददकर मानपत्र देंगे तो आपको सावरमती आश्रममें एक ऐसी जगह भी तलाश देनी चाहिए जहाँ मैं इन्हें रख सकूँ। यदि आप उदारतावश मुझे इन सारे मानपत्रोंको रखनेके लिए एक बड़ा भवन बनवानेके निमित्त हजारों रुपये देनेकी तैयार होते तो मैं आपमें यही कहता कि यदि आपके पास इतना पैसा है कि इन चीजोंके रखनेके निमित्त मेरे लिए एक घर बनवा सकें तो सारा पैसा मुझे दे दीजिए; उसका उपयोग भारतकी क्षुधातं बहनोंको अधिक भोजन देनेके लिए किया जायेगा। आपको यह भी मालूम होना चाहिए था कि पिछले कई वर्षोंसे मैं व्यक्तिगत उपयोगके लिए कोई मूल्यवान् उपहार स्वीकार नहीं करता। आपको इतना तो मालूम होगा ही कि मुझे ऐसे मानपत्रोंको, जिन सभाओंमें ये भेंट किये गये हैं उन्हींमें नीलाम कर देनेमें कोई नकार नहीं हुआ है और इस कारण लोग मुझपर अशिष्टताका आरोप लगायेंगे, ऐसा भी कोई पत्र मुझे नहीं रहा है। लेकिन, इस सुन्दर द्वीपमें, जहाँ मुझे अजनबी माननेकी भूल की जा सकती है, मैंने सिंहली भाइयोंकी भावनाका खयाल करके उनके भेंट किये हुए मानपत्रोंको नीलाम नहीं किया। लेकिन, यहाँ तो मैं जानता हूँ कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। इसलिए मैं आपकी अनुमतिमें — मैं मान लेता हूँ कि आप अनुमति तो दे ही देंगे — इनको नीलाम करना चाहता हूँ। इसमें जो पैसा मिलेगा उनमें आपके द्वारा भेंट की गई थैलियोंकी राशिमें वृद्धि होगी और भूने लोगोंके मुँहमें शान पड़ेंगे। वास्तवमें मैं आपके मानपत्रोंको मुझे ऐसा करनेका प्रयोजन देनेवाली चीज मानता हूँ, और इसलिए मैं ज्यादा लम्बा भाषण देकर आपका और आना बतन बचादि नहीं करूँगा।

कोलम्बोसे प्रस्थान करनेके पूर्व मैं आपसे एक दो बातें कह देना चाहता हूँ। चूँकि आप इस सुन्दर द्वीपमें अपनी जीविका कमा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ उसी तरह रहिए जिस तरह दूधमें चीनी रहती है। जिस प्रकार दूधसे लवालव भरी प्यालीमें भी यदि आहिस्तेसे एक चम्मच चीनी डाल दी जाये तो प्यालीसे दूध गिरने नहीं लगता वल्कि चीनी उसमें अपने लिए स्थान बना लेती है, और दूधका स्वाद बढ़ा देती है, उसी प्रकार आप भी इस द्वीपमें रहिए ताकि आप खामखाह टपक पड़नेवाले लोग न माने जायें और जिन लोगोंके बीच आप रहते हैं उनके जीवनको सुखी और सरस बना सकें।

इस बातका ध्यान रखिए कि भारतमें हममें जो बुराईयाँ हैं वे यहाँ आकर यहाँके जीवनको विषाक्त न करने पायें। हमें अपने साथ अस्पृश्यताके अभिशापको इस देशमें न ले आना चाहिए। परमपिता परमेश्वरके राज्यमें कोई छोटा या बड़ा हो ही नहीं सकता। हम कभी-कभी ऐसा व्यवहार करते हैं कि दुनिया शैतानका राज्य बन गई-सी जान पड़ती है। हम इस देशको शैतानका राज्य बनानेके बजाय ईश्वरका राज्य बनायें। हमारा जीवन सर्वथा पवित्र, दृष्टि सीधी और हाथ निष्कलुप हों। और चूँकि आपने मुझे इतने सारे उपहार देनेकी उदारता दिखाई है, इसलिए क्या आपसे यह अपेक्षा भी करूँ कि भविष्यमें आप जो भी कपड़ा खरीदेंगे, सब खदर ही होगा ?

भाइयो, मैं आपसे इस द्वीपमें मद्यपानके खिलाफ जो महान आन्दोलन चल रहा है, उसमें शामिल होनेका अनुरोध करूँगा। न केवल आप स्वयं मद्यपान न करें, वल्कि इस आन्दोलनकी भी सहायता करें और जिन समाजोंमें लोग मद्यपान करते हैं उन्हें इससे छुटकारा पानेमें मदद दें तथा इस देशमें पूर्ण मद्य-निषेध लागू करानेमें सहायक बनें।

आपके सारे सौजन्य और कृपाके लिए मैं आपको एक वार फिर धन्यवाद देता हूँ। आपके इस व्यवहारको मैं सदा याद रखूँगा।

[अंग्रेजीसे]

विद गांधीजी इन सीलोन

## २१३. भाषण : कोलम्बोकी विदाई सभामें

२५ नवम्बर, १९२७

अध्यक्ष महोदय और भाइयो,

आपने मेरे वारेंमें जो शब्द कहे हैं और स्वयं अपनी ओरसे तथा कोलम्बोके नागरिकोंकी ओरसे जो शुभकामनाएँ व्यक्त की हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस बड़ी थैलीके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो बनी जितने रूपयोकी थैलीकी घोषणा की गई, वह रकम अच्छी खासी है, लेकिन मैं जानता हूँ और आपको भी जानना चाहिए कि कोलम्बोके नागरिकोंने केवल यही नहीं और भी बहुतसी थैलियाँ मुझे सहर्ष भेंट की हैं। मैं जबसे कोलम्बोमें हूँ, धीरे-धीरे उनके वाद एक बहुतसी सस्थाएँ और व्यक्ति मुझे थैलियाँ भेंट करने रहे हैं — गिर्फ सावजनिक रूपसे ही नहीं, बल्कि मेरे निवास-स्थानपर आकर व्यक्तिगत रूपमें भी भेंट करने रहे हैं। इस तरह वे खासी रकमें देते रहे हैं और इन सभी अनुदानोंको मैं इसी थैलीका हिस्सा मानता हूँ।

एक तरहसे मेरी लका यात्रा आज समाप्त होती है, हालाँकि ठीक-ठीक देन तो आपके इस आतिथ्य-भावनासे आपूरित देगसे मैं २९ तारीखको जफनामें प्रस्थान करूँगा। जफना जाते हुए पता नहीं क्यों, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक अलग स्थानको जा रहा हूँ। मैं यहाँसे अपने साथ लंकाकी अति सुन्दर जलवायु और यहाँके लोगोंकी सुखद स्मृतियाँ लेकर जा रहा हूँ। सच मानिए, कोलम्बोमें जाते हुए मेरा मन बड़ा उदास हो रहा है और यदि मुझमें बनता तो निश्चय ही मैं यहाँ ज्यादा दिन ठहरता। लेकिन, मुझे उड़ीसाका दौरा करना है। यह भारतके सबसे अधिक दुखी प्रदेशोंमें से एक है, बल्कि कहिए कि यह वहाँका सबसे अधिक दुखी प्रदेश है। इन दिनों उसपर बहुत जबरदस्त बाढ़का कोप हुआ है। इसलिए, मैं यहाँ जानेका कार्यक्रम स्थगित नहीं कर सकता।

परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयसे लेकर छोटेसे-छोटे सरकारी कर्मचारीतक मैं और बड़े-बड़े व्यापारियों तथा अन्य पूँजीपतियोंसे लेकर गरीबसे-गरीब मजदूर तकके हृदयमें मैंने अपने प्रति अगाध स्नेहका अनुभव किया है, और महोदय, आपने सब ही कहा है कि इस देशके सभी जातियों और रंगोंके लोगोंने एक होकर मुझपर असीम स्नेहकी वर्षा की है, और जहाँतक मेरे यहाँ आनेके उद्देश्यका सम्बन्ध है, आपने निरन्तर ही, आपसे जो भी आशाएँ की जाती थीं, सब पूरी की हैं।

आपने कहा है कि मैं दुबारा अवकाशका समय बिनानेके लिए लंका आऊँ। यदि ईश्वरने मुझे अवकाशका समय मुलम कराया और उनकी शान्ति में तबनाक जीवित रहा तो आप विश्वास मानिए कि मुझे यहाँ बुलानेके लिए आपको ज्यादा कहने-बुननेकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन, चाहे मैं इस सुन्दर द्वीपमें दुबारा आ

सकू या नहीं, इतना तो निश्चित समझिए कि मेरा मन सदा आप लोगोंके साथ रहेगा। और मैं आपके जीवनक्रमको पूरी-पूरी व्यक्तिगत रुचिसे देखता रहूँगा।

जब मैंने आपके देशकी यात्रा करनेका निश्चय किया था, उसी समय अपने ऊपर यह कठोर वन्धन लगा लिया था कि मैं आपकी राजनीतिक समस्याओंके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहूँगा, और न अभी इस विषयमें कुछ कहनेका मेरा इरादा है। लेकिन मुझे मालूम है कि अभी एक महत्वपूर्ण आयोग आपकी राजनीतिक दशाकी जाँच कर रहा है। जहाँतक मुझे समय मिल पाया है, मैं इसकी कार्यवाहीका अध्ययन करनेकी कोशिश करता रहा हूँ। और मैं यही कामना करना चाहूँगा कि इसकी कार्यवाही और इसके निष्कर्ष इतने बुद्धिमत्तापूर्ण और अच्छे हों कि वे इस देशके लिए, जो दुनियाके सर्वोत्तम देशोंकी कोटिमें आता है, विशुद्ध बरदान साबित हो सकें।

राजनीतिक सवालोंनेर कुछ कहे बिना मैं यह आशा भी व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक होकर आपने मुझ-जैसे अदना आदमीका स्वागत-सत्कार किया है, उसी प्रकार एक होकर आप अपनी राजनीतिक आकांक्षाको पूरा करनेके लिए भी काम करेंगे, अपने तमाम मतभेद भुला देंगे, और वजाय ऐसा सोचनेके कि हम हिन्दू हैं और हम बौद्ध, हम ईसाई हैं और हम मुसलमान आदि तथा हमारा एक दूसरेसे कोई सरोकार नहीं है, आप अपने आपको इस महान देशकी जनता समझेंगे और अपनी उच्चतम राजनीतिक आकांक्षाको पूरा करेंगे। खुद मेरी समझमें तो यह बात कभी नहीं आ पाई है कि कोई अल्पसंख्यक जाति ऐसा क्यों सोचे कि यदि उसे पृथक् प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तो उसकी माँगोंपर पूरा ध्यान नहीं दिया जायेगा और वे उसे नहीं मिलेंगी। ऐसा रख तो मुझे बराबर राष्ट्रीय भावनाके अभावका सूचक-सा जान पड़ा है।

आज सुबह अपने देश भाइयोंके सामने बोलते हुए मैंने जो विचार व्यक्त किया था, उसे यहाँ फिर दोहराना चाहता हूँ। वह यह है कि जिन लोगोंने लंकाको अपने देशकी तरह अपना लिया है और अब यहाँ सिर्फ अपनी जीविका ही नहीं कमा रहे हैं, बल्कि और भी बहुत-कुछ यहाँसे प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अपने हितोंके मुकाबले यहाँके मूल निवासियों अर्थात् सिंहलियोंके हितोंको प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन, मैं जानता हूँ कि इस विषयमें मुझे अधिक गहराई और विस्तारसे कुछ नहीं कहना चाहिए।

अब मैं एक-दो वाक्य उस विषयपर कहना चाहूँगा जिसके सम्बन्धमें मैं बराबर सभी सभाओंमें बोलता आ रहा हूँ। मेरा मतलब अस्पृश्यताकी घोर बुराईके सन्दर्भमें जाति-भेदके सवालसे है।

मैंने जिससे भी इस विषयपर बातचीत की है, सभीने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि बौद्ध-धर्ममें अस्पृश्यताकी बात तो दूर रही, जाति-भेदतकके लिए कोई आवार नहीं है। किन्तु, बड़े आश्चर्यकी बात है कि इस देशके बौद्धोंके बीच भी ऐसा कड़ा सामाजिक विभाजन है और ऊँच नीचकी भावना है। यह भावना इतनी प्रबल है कि अस्पृश्यताकी सीमातक जाती है। उदाहरणके लिए, रोडियोंके सम्बन्धमें यही बात लागू

होती है, यद्यपि आज सुबह मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि उनकी मंज्य अव ६०० मे अधिक नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि यदि भारत बुद्धके मन्देग को और मन्त्रेन्द्रको आपके देशमें भेजनेके लिए गर्व कर सकता है तो आपको जानि-भेदके अभिग्रापमें अभिशप्त करनेके लिए उसे लज्जाका भी भागी बनना है। कितना अच्छा हो कि आप भारतसे बौद्ध-धर्मके तत्त्वोंको, यदि वे आज भी वहाँ मौजूद हों तो, अधिवाधिक प्रहण करें और उस महान् देशसे आपको जो अभिग्राप मिला है, उसे त्याग दें।

इसी तरह, जहाँतक मैंने बौद्ध-धर्मका अध्ययन किया है और लोक-मनका प्रति-निधित्व करनेवाले जाने-माने लोगोंसे बातचीतकी है, आपके बीच मद्यपानके अभि-शापके अस्तित्वका कोई आचार मुझे दिखाई नहीं देता। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपको ऐसा अधिकार है कि यदि किसी खास इलाकेके लोग चाहें तो वहाँ मद्यनिषेध किया जा सकता है—और आप इस अधिकारका लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन, मेरा यह दुःखद अनुभव रहा है कि इस विनाशकारी अभिग्रापको किसी ऐसे-वैसे तरीकेसे दूर नहीं किया जा सकता और न इसके प्रति धीरजमें काम लेनेकी ही गुंजाइश है। इसलिए मैं आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करूँगा कि इस दिगामें अपने प्रयत्नोंमें आप अधिक गति लाइए और इस देशको इस ज्वरदग्ध बुराईसे, जो कमसे-कम श्रमिक वर्गकी शक्ति और नैतिकताका विनाश कर रही है, देशको छुटकारा दिलाइए। और यह आशा तो मैं करता ही हूँ कि आप विदेशी शराबके साथ भी कोई रियायत नहीं करेंगे। मुझे मालूम है कि वह भी अपनी ही नुकसानदेह होती है, जितनी कि देशी शराब। जहाँतक मैं खुद परिस्थितियोंका अध्ययन कर सका हूँ और मद्यनिषेधकी समस्याका अनुभव करनेवाले डाक्टर मित्रोंमें विचार-विमर्श कर सका हूँ, मुझे तो इसमें कोई सन्देह नहीं दिग्वार देता कि हम समशीतोष्ण कटिबन्धमें रहनेवाले लोगोंके लिए मद्यपानका कोई कारण नहीं है।

अब मैं एक-दो वाक्य चरखेके सन्देहके बारेमें, जहाँतक वह आपपर लागू होना है, कहूँगा। मैं जानता हूँ और यह जानकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग उस तरहकी कष्टकर गरीबीमें अनभिज्ञ हैं जो भारतमें व्याप्त है और जिसके कारण करोड़ों लोगोंको प्रतिदिन भूखा रहना पड़ता है। इसलिए चरखेका आपके लिए शायद कोई आर्थिक महत्त्व न हो, लेकिन मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं दिग्वार देना कि इस सुन्दर देशके लिए इसका मास्कृतिक महत्त्व बहुत अधिक है। मादगीत इमका जीवन्त सन्देश सभी देशोंपर लागू होता है, और आप यह स्वीकार करेंगे कि यदि आपके यहाँ लडके-लडकियाँ, बल्कि स्त्री-पुरुष भी प्रतिदिन एक घंटा खुद काना करें और यदि आप अपनी वस्त्र-सम्पत्ती आवश्यकताओंकी हदतक स्यावलम्बी और आत्म-निर्भर बन जायें तो उनमें आपको कोई हानि तो नहीं ही होगी, ऊपरमें उन राष्ट्रोंके गौरव और आत्म-विश्वासकी अभिवृद्धि होगी।

फैशनके प्रति लोगोंके मोहको मैं बड़े चिन्तानुर मनमें देखता रहा हूँ। आगे यहाँके उच्चतर वर्गोंके युवक-युवतियोंमें फैशनपरन्ती बहुत आ गयी है। पश्चिमों उन चकाचौधमें डाल देनेवाले सम्मोहनके चक्करमें पड़कर वे अपने-आपको देगो गरीब



लोगोंसे, जो ऐसे फैशनकी बात कभी सोच ही नहीं सकते, किस प्रकार अलग करते जा रहे हैं, इसका उन्हें कोई भान नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि यदि आप अपनी सादगीको छोड़कर इस झूठी चमक-दमकको अपना लेंगे तो यह इस महान राष्ट्रके लिए अशुभ, बहुत ही अशुभ बात होगी।

लेकिन, आप चरखेके इस सांस्कृतिक पहलूको समझें या न समझें, आप कई मंचोंसे स्वेच्छासे भारतके प्रति अपनी निष्ठाकी घोषणा तो कर ही चुके हैं—आपने उसे अपनी मातृभूमि कहा है। बड़ी-बड़ी थैलियाँ भेंट करके आपने उस निष्ठाका व्यावहारिक प्रमाण भी दिया है। अब आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप दोनों देशोंको जोड़नेवाली इस कड़ीको और भी मजबूत बनायें और आपके अनुदानोंसे जो खादी तैयार होगी उसे अपने कपड़े रखनेकी आलमारियोंमें पर्याप्त स्थान देकर इस सम्बन्धको आप जीवन्त रूप दें।

आपने मुझपर जिस प्रकार हृदय खोलकर स्नेह और कृपाकी वर्षा की है उसका तनिक भी प्रतिदान देनेकी सामर्थ्य मुझमें नहीं है, लेकिन मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मूखसे तड़पते बाणीहीन करोड़ों लोग, जिनके लिए आपने धन दिया है, आपको इस सहायताके लिए आशीर्वाद देंगे, और उन करोड़ों लोगोंके एक आत्म-नियुक्त अदनासे प्रतिनिधिके नाते मैं सर्वशक्तिमानसे यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह आपका कल्याण करे और इस सुन्दर द्वीपके तमाम लोगोंको वे सभी शक्तियाँ और सम्पदाएँ प्रदान करे जिनके आप पात्र हैं। मैं स्वयंसेवकों और स्वागत-समितिके सदस्योंको भी हम जबतक यहाँ रहे तबतक उन्होंने मेरे और मेरे साथियोंके प्रति जो स्नेह दिखाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

विद गांधीजी इन सीलोन

## २१४. भाषण : जफनाकी सार्वजनिक सभामें

२६ नवम्बर, १९२७

इन सभी मानपत्रों और अनेकानेक थैलियोंके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने जिस भावनाके बशीभूत होकर अपने भेंट किये सभी मानपत्रोंको यहाँ पढ़नेका आग्रह नहीं किया, उसकी मैं कद्र करता हूँ, लेकिन स्वागत समितिने बहुत ही सौजन्यपूर्वक और मेरी सुविधाका खयाल करके मुझे सभी मानपत्रोंकी थैलियाँ पहले ही सुलभ करा दी थीं। इस सभामें आनेके पूर्व ही मैं इन मानपत्रोंको ध्यानपूर्वक पढ़ गया हूँ और उनमें से एकमें बिलकुल ठीक ही कहा गया है कि मैं जफनाके नवयुवकोंके कारण ही लंका आया।

लंका आकर लंकावासियोंके असीम आतिथ्यका उपभोग करनेके बाद मैं यही कह सकता हूँ कि मेरा मन आपके इस सुन्दर देशकी यात्राकी सुखदतम स्मृतियोंसे भरा हुआ है।

जफना आकर तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं लजामें हूँ। मुझे लगना है कि जैसे मैं भारतके ही किसी हिस्सेमें हों। न आपके चेहरे और न आपकी भाषा ही मेरे लिए विदेशी है। यद्यपि मैं आपमें से हरएकको मूरनने नहीं पहचान सकता, फिर भी मैं जानता हूँ कि मैं आपमें से कुछ लोगोंसे भारतमें मिल् चुका हूँ।

मेरा खयाल है इसीलिए आपने ऐसा माना कि आपको मुझपर अपना अपरिमित आतिथ्य उँडेलकर ही संतुष्ट होनेकी जरूरत नहीं है, बल्कि आप मुझने कुछ काम भी ले सकते हैं। जब मैं लंकाके दक्षिणी और मध्य-भागोंका दौरा कर रहा था उस समय पत्रलेखकोने मुझपर पेचीदे सवालोक़ी उतनी बौध्दार नहीं की थी जिनकी कि मेरे कोलम्बोमें रहते हुए भी जफनाके भाइयोंने अपने पत्रोंके जरिये की। उन्होंने मुझसे तरह-तरहके पेचीदे सवाल पूछे।

यह सब मैं कोई शिकायतके तीरपर नहीं कह रहा हूँ। इसमें मेरा उद्देश्य आपको यह बतलाना है कि मैं इन तमाम पत्रोंमें निहित भावनाकी कद्र करता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह आपके इस विश्वासका द्योतक है कि आपकी अपनी कुछ-एक समस्याओका समाधान पानेमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। यह आपके साथ मेरे मैत्री-सम्बन्धका भी सूचक है, क्योंकि मित्रको ही यह विशेष अधिकार प्राप्त होता है कि वह केवल अपने मित्रका स्वागत-सत्कार करके ही न रह जाये, बल्कि उसे अपना विश्वास-भाजन भी बनाये, उसे अपनी कठिनाइयोंको दूर करनेको आमन्त्रित करे।

मैं जानता हूँ कि पत्रलेखकोंने अपने पत्रोंमें जो सवाल उठाये हैं, उनका समाधान तत्काल आपके सामने न रखनेके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। उन सारे पत्रोंको ध्यानमें रखते हुए मैं इन चार दिनोंमें, जबतक मैं यहाँ रहूँगा, अपने आमपासके वातावरणसे, जहाँतक सम्भव है वहाँतक, सारे प्रश्नोंके मर्मको समझ लेना चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिन प्रश्नोंकी पृष्ठभूमि मुझे ठीकसे मालूम नहीं है उनके बारेमें जल्दबाजीमें निर्णय देकर मैं आपके साथ नी अन्याय कहूँगा और खुद अपने साथ भी।

आपकी ग्राम-समितियोंके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपके यहाँके अनेकानेक ग्राम-संगठनोंकी प्रगति तथा कार्य-प्रणालीकी जानकारी देनेके खयालसे आपने जो विवरण तैयार करके मुझे देनेकी कृपा की थी, उसे मैं पढ गया हूँ। विवरणके लेखकोंके इस विचारसे मैं सहमत हूँ कि इन ग्राम-संगठनोंका सफल संचालन निस्तन्देह स्वराज्य-प्राप्ति-की कुंजी है। मैं आपको अपना यह अनुभवगत निष्कर्ष बताना हूँ कि किन्हीं भी ग्राम संगठनकी सफलता अच्छे कानूनपर नहीं, बल्कि उने चलानेवाले अच्छे लोगोंपर निर्भर करती है। इसके लिए ऐसे बहुत सारे युवकों और युवतियों, बल्कि वृद्ध लोगोंकी भी आवश्यकता होगी जो गाँवमें गहरी और व्यक्तिगत ढंगकी रचि लें—उनकी ही, जितनी रचि वे अपने परिवारोंमें लेते हैं। आगिरागर राष्ट्रीयताकी मर्ममें गहरी कर्नाटी यही तो है कि व्यक्ति सिर्फ अपने परिवारके जाये दर्जन या अनेक कुन्बोंके भी-भनाम लोगोंके बारेमें ही नहीं सोचे, बल्कि जिन नमुदायकों वह अपना राष्ट्र पहचानते हैं, उन्हे हितोंको अपने निजी हितोंके ही समान समझे।

जब मैं कोलम्बोमें था, उस समय मुझे जो पुस्तक भेजी गई थी और उसके वादने जो साहित्य मुझे सुलभ कराया गया है, उससे आपकी प्रवृत्तियोंके बारेमें इतना तो जान ही गया हूँ कि कह सकूँ कि सफल ग्राम-संगठनके लिए आवश्यक सारे उपादान आपके पास हैं। आपका समाज छोटा और काफी सुगठित है। इस समाजके सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं और स्पष्टतः आपके यहाँ सुव्यवस्थित शिक्षा-संस्थाएँ हैं। जाहिर है कि आपने प्राचीन सभ्यतामें जो-कुछ अच्छा और उदात्त था, उसके प्रति अपना प्रेम अभीतक खोया नहीं है। स्पष्ट ही, पाश्चात्य सभ्यताकी चमक-दमकसे अभी आपकी आँखें चौंधिया नहीं गई हैं। इसलिए, आपके लिए अपने माग्यका निर्माण स्वयं करना बहुत आसान है।

यह जानकर मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ है कि अब आपके यहाँ पूर्ण मद्यनिषेध लगभग सम्पन्न होनेको है। अभिशाप रूप शराबखानोंको बन्द करना सही दिशामें उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है। आप न केवल यहाँके लोगोंकी हार्दिक वधाईके पात्र हैं, न केवल लंकाकी जनताकी वधाईके पात्र हैं, बल्कि अपनी मातृभूमिके लोगोंकी भी हार्दिक वधाईके पात्र हैं। मुझे इस बातसे और भी खुशी होती है कि आपने विलकुल निकट भविष्यमें पूर्ण मद्यनिषेध सम्पन्न करनेका वचन दिया है, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि आपके रास्तेमें कुछ आन्तरिक कठिनाइयाँ हैं।

एक माईने मुझे पत्र लिखते हुए साथमें एक पर्चा भेजा है, जिसका उद्देश्य स्पष्टतः मद्यनिषेधके लिए काम कर रहे लोगोंकी प्रवृत्तियोंका प्रतिकार करना है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि वह पर्चा बहुत सुन्दर ढंगसे लिखा हुआ है और उसे ऊपर-ऊपरसे पढ़नेपर तो ऐसा लगता है कि कतिपय धर्मतत्त्वज्ञ भी मद्यपानके पक्षमें रहे हैं। यह देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ है और साथ ही आश्चर्य भी। दुखके साथ कहना पड़ता है कि पक्षके लेखकने अपनी परिहास-प्रियता और सयानापन दिखानेकी उत्कंठा में उन लोगोंकी भावनाको चोट पहुँचानेमें भी कोई संकोच नहीं किया है, जिनके उद्देश्यका उसने विरोध किया है। उसने केलेके सुन्दर पत्तोंपर बड़े ही सुरचिपूर्ण और सादे ढंगसे चावल और दही परोसकर खानेवालोंकी हँसी उड़ानेमें भी कोई संकोच नहीं दिखाया है और न उन लोगोंके सादे जीवनका ही मजाक उड़ानेमें उसे कोई हिचक हुई है, जो तन ढँकनेके लिए सिर्फ एक बोती ही काफी समझते हैं। उसने ऐसे लोगोंको अर्ध-नग्न कहा है। कहाँ तो मद्यनिषेध-जैसा गम्भीर विषय और कहाँ लेखक द्वारा—यदि वह भारतीय हो तो—अपने ही देशमाइयोंकी सादगीका इस तरह हलके मनसे मजाक उड़ाना? उसके प्रति न्याय करनेकी अपनी पूरी कोशिशके बावजूद मुझे इन दो बातोंमें कोई संगति नहीं दिखाई दी।

लेकिन चाहे आपके सामने आन्तरिक कठिनाइयाँ हों या बाहरी, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप पूर्ण मद्यनिषेध सम्पन्न करनेके लिए अविरत प्रयत्न करते रहेंगे।

चूँकि मैं बराबर आलोचकोंकी सही बातको स्वीकार करने और उनसे जो सीखने लायक है उसे सीखनेमें विश्वास रखता हूँ; इसलिए इस पत्रपर से मैं आपको दो सुझाव देना चाहूँगा। उनमें से एक यह है कि जोर-जबरदस्ती या असत्यकी छाया-

तकसे दूर रहिए। अबतक कोई भी सच्चा सुधार जोर-जबरदस्तीके बलपर नम्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि यद्यपि बैसा करनेसे सतही सफलता मिल सकती है, लेकिन वह ऐसी अनेक बुराइयोंको जन्म देता है जो उस बुराईसे भी बदतर होती हैं जिसे दूर करनेके लिए ऐसा तरीका अपनाया जाता है। लेकिन, कोई मेरी बातोंका गन्त अर्थ न लगाये। पूर्ण मद्यनिषेधकी घोषणा करनेवाले कानूनको मैं किसी भी रूपमें जोर-जबर्दस्ती नहीं मानता। जब लोकमत पूरी ईमानदारीसे और साफ-साफ पूर्ण मद्यनिषेधके पक्षमें हो तब जनताको न केवल कानून द्वारा पूर्ण मद्यनिषेधकी घोषणा कराने और उंगे लागू करानेके लिए जरूरी कदम उठानेका अधिकार है, बल्कि बैसा करना उसका कर्तव्य ही जाता है।

इस पक्षके लेखकने असत्यमय आचरणके दृष्टान्तोंका उदाहरण देते हुए कहा है कि कुछ लोग एक ओर तो मद्यनिषेध-सम्बन्धी सभाओंमें भाग लेते हैं और दूसरी ओर शराब पीते हैं। यदि मद्यनिषेध आन्दोलनको चलानेवाले ऐसे पान्धण्डे लोग भी हो तो इसका विफल होना निश्चित है। मैं आशा करता हूँ कि मद्यनिषेध-जैमे न्याय-संगत, उदात्त और मानवीय उद्देश्यके लिए काम करनेमें आप लोग अपने आपको पाखण्डसे मुक्त रखनेकी विशेष सावधानी बरतेंगे।

दूसरा सुझाव यह है कि मद्यनिषेध कानून स्वीकार करवा लेनेके बाद आपको चुपचाप बैठ नहीं जाना चाहिए। सच तो यह है कि आपके लिए बैसा करनेकी कोई गुजाइश ही नहीं है।

पक्षका लेखक प्रकारान्तरसे यह कहता है कि अमेरिकामें मद्यनिषेध विफल रहा। किन्तु मुझे खुद अमेरिकी लोगोंसे ही इस विषयमें बहुत-कुछ मालूम हुआ है। अमेरिका-जैसे बड़े देशमें मद्यनिषेध यद्यपि हमें बहुत ही कठिन, लगभग असम्भव प्रतीत हो सकता है, किन्तु यह वहाँ विफल नहीं हुआ है, बल्कि धीरे-धीरे सफलताकी मजिल तय कर रहा है। अमेरिकाके साहसी सुधारकोंको जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं, उनके मुकाबले आपके देशमें तो कोई कठिनाई ही नहीं। मैं आपसे उन महान सुधारकोंका अनुकरण करनेको कहूँगा। जिस कानूनको बनवानेके लिए उन्होंने दीर्घ कालक मतन संघर्ष किया था, उसे प्राप्त करनेके बाद वे निश्चित होकर बैठ नहीं गये हैं, बल्कि अब वे एक बहुत बड़ा रचनात्मक कार्य करनेमें जुटे हुए हैं। कारण यह है कि जब किसीको शराबखोरीकी लत लग जाती है तो उसे उस ओरसे विरत करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है। इसलिए अमेरिकावाले ऐसे लोगोंको सही रास्तेपर लानेके लिए तरह-तरहके उपाय कर रहे हैं।

शराबखोरीके लिए शराबखोरीकी लत तो एक बीमारी-जैसी ही है, इसलिए आपको उनके लिए वही सब करना होगा जो आप अपने बीमार भाई या बहनके लिए करेंगे। शराबखोरीके स्थानपर उनके लिए आपको उपहारगृहोंकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उन्हें उनके किसी मनपसन्द काममें व्यस्त रखनेके लिए मनोरंजनके सभी निदोष साधन मुलम करने पड़ेंगे। आप लोगोंको यह सुधार नम्पन्न कगनेती मारी मुविधाएँ मुलम हैं, और यदि आप इसमें पूर्ण तरह सफल हो जायेंगे तो मारे भागनेके लिए एक गौरवपूर्ण उदाहरण पेश करेंगे।

और अन्तमें मेरा सुझाव यह है कि आप अपने खिलाफ काम करनेवाले लोगोंके प्रति अपने मनमें अघोरता या क्रोध नहीं लायेंगे। मुझे नहीं मालूम कि यहाँकी वस्तु-स्थिति भी भारत तथा दुनियाके अन्य हिस्सोंके ही समान है या नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि भारत, इंग्लैंड और अमेरिकामें मद्यनिषेध-विरोधियोंके पक्षमें केवल सुयोग्य किन्तु सिद्धान्तहीन लेखकगण ही नहीं हैं, बल्कि शराव बनाने-वालोंनेकी धैलियोंके मुँह भी उनके लिए खुले रहते हैं।

लेकिन, आपसे तो मैं यही अपेक्षा करूँगा कि जो सिद्धान्त मैंने हमारे अपने देशके सामने रखनेकी धृष्टता की है और जिसे आप भी अपनी मातृभूमि कहते हैं, यदि आप उसी सिद्धान्तके अनुसार अर्थात् सत्य और अहिंसाके सिद्धान्तके अनुसार ही चलेंगे तो इन चतुर लेखकोंके विरोधको निष्प्रभाव बना सकेंगे, भले ही उनके पीछे पैसेका बल क्यों न हो।

अब मैं दलित, या कहिए शोषित वर्गोंके सम्बन्धमें कुछ कहना चाहता हूँ। उनसे दो मानपत्र पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं यह स्वीकार करूँगा कि यह बुराई किसी भी हदतक आपके यहाँ होगी, ऐसी आशा मैंने नहीं की थी। मैं तो समझता था कि इस बुराईको आप अपनी मातृभूमिमें ही छोड़ आये है और इस द्वीपमें आपने एक नये अध्यायका शुभारम्भ किया है। मैंने सोचा था कि आप तो उस देशमें रहते हैं जहाँ बुद्धकी आत्मा निवास करती है और इसलिए आप अस्पृश्यताके कलंकसे मुक्त होंगे। आखिरकार गौतम हिन्दू ही तो थे। वे और कुछ नहीं, महानतम हिन्दू सुधारकोंमें से ही एक थे। इसलिए किसी भी हिन्दूको उनसे मानव-प्रेमकी शिक्षा लेनेमें लज्जाका अनुभव करनेकी जरूरत नहीं है। हम यह समझ लें कि एक भी मनुष्यको अपनेसे नीच अथवा अस्पृश्य मानना पाप है। यदि आप सर्वज्ञ और सबसे प्रेम करनेवाले ईश्वरमें विश्वास रखते हैं जैसा कि आपको रखना ही चाहिए, तो आप अपने दलित भाइयोंके लिए अपने मन्दिरोंके दरवाजे तुरन्त खोल देंगे।

दलित भाइयोंसे मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं नहीं जानता कि मद्यपानके सवालको स्थगित कैसे रखा जा सकता है। लेकिन यह जानता हूँ कि भारतमें बहुत-से दलित भाइयोंको शराबखोरीकी आदत लगी हुई है। यदि आपमें से किसीको यह लत हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वह इसे छोड़ देगा, और अगर कोई मरे हुए पशुओंका मांस या गोमांस खाते हों तो वे हिन्दू धर्मके सच्चे अनुयायी बननेके लिए ये आदतें भी छोड़ देंगे।

अभी मेरे सामने मामूली-सी आपसी अनबनके बारेमें लिखे बहुत सारे पत्र पड़े हुए हैं। ईसाइयों और हिन्दुओंके बीच जो-कुछ मतभेद हो गया है, उसे मैं ऐसी मामूली अनबन ही कहूँगा। लेकिन उसके सम्बन्धमें लिखे इन पत्रोंसे मुझे बहुत धक्का लगा है। मैं अबतक इन मतभेदोंका कारण नहीं समझ पाया हूँ। इसलिए मैं उनके बारेमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं चाहूँगा कि मेरे जफनासे प्रस्थान करनेसे पूर्व ही मुझे आपसे यह सुननेको मिले कि आपने आपसमें ही इन मतभेदोंका निबटारा कर लिया है। निश्चय ही आप लोगोंका समाज इतना छोटा है कि आप

इन मामूली मतभेदोंको आपसमें ही निबटा सकते हैं। जहाँतक मैं उन पत्रोंमें गमल पाया हूँ, वास्तवमें उन अनवनके लिए भी यहाँ कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं भविष्यमें किसी अवसरपर इस विषयपर विस्तारमें कुछ कहूँगा। यहाँ तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं उस सवालमें दिलचस्पी रखने-वाले हरएक व्यक्तिको मुझे मुक्त भावमें किन्तु संक्षेपमें अपने विचारोंको स्पष्ट करने हुए पत्र लिखनेको निमन्त्रित करता हूँ। इस मामलेमें आपकी कुछ भी सहायता करके मुझे बड़ी खुशी होगी।

और अन्तमें, चूँकि आपने मुझे थैलियाँ भेंट करनेमें इतनी उदारता दिवाई है और मैं जानता हूँ कि अभी और भी बहुत-सी थैलियाँ मुझे मिलेगी, इसलिए आपमें मेरा अनुरोध है कि अपने कपड़े रखनेकी आलमारीमें खादीको थोड़ा स्थान देकर आप अपनी मातृभूमिके प्रति अपना प्रेम और भारतके करोड़ों धुघातं मानवोंके प्रति अपनी सहानुभूति बराबर बनाये रखिए। यह आपके और उन करोड़ों धुघातं लोगोंके बीच एक जीवन्त सम्बन्ध होगा। मैं जानता हूँ कि इस मामलेमें सबमें बड़ा दोष आपके यहाँकी स्थियोका ही है, और मैं उनमेंसे प्रत्येकसे अलगमें अनुरोध करता हूँ कि वे नफ़ीस रेक्षामें साड़ियोंके मोहको कम करे और उनकी अभावग्रस्त बहनें जो वस्त्र तैयार कर सकती हैं उन्हींका उपयोग करके संतोष मानें। तब और केवल तभी उनके बारेमें ऐसा माना जायेगा कि वे अनुश्रुतियोंके अनुसार अपने पुनीत चरणोंसे इस भूमिको पावन करनेवाली सीताके आदर्शोंका किसी हदतक पालन कर रही हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वे खादीकी साड़ी पहननेके कारण कुछ कम सुन्दर नहीं दिखेंगी। और मैं उन्हें इस बातके लिए भी अभीसे आगाह कर देता हूँ कि यहाँसे प्रस्थान करनेसे पूर्व मैं उनसे बहुत सारे जेवरात पानेकी अपेक्षा रखता हूँ।

एक बात है, जो मुझे नहीं भूलनी चाहिए। आपने मुझपर भारी-भरकम चीजोंका बोझ लाद दिया है। मैं तो समझता था कि आप लोग चूँकि मुझे निकटमें जाननेका दावा करते हैं, इसलिए आपको यह भी मालूम होगा कि यदि आप मुझे मोटे-मोटे फ्रेमोंमें मढ़वाकर मानपत्र भेंट करते हैं तो वे आपसे कुछ लेकर आपको ही लौटा दिये जायेंगे। आपने केवल मोटे-मोटे फ्रेमोंपर ही बहुत खर्च नहीं किया है, बल्कि मानपत्रोंको भी सुन्दर ढंगसे सजाया है। यदि आपने यह सब मनमें यह बात रख कर नहीं किया हो कि आपसे उन मानपत्रोंको ऊँची कीमतोंपर नरीदनेको कहा जायेगा, तो उसका मतलब यह है कि आपने अपनी धुघा-पीड़ित बहनोको उतने पैसोंमें वचित कर दिया है।

[अंग्रेजीसे]

विद्व. गांधीजी इन सीलोन

## २१५. भाषण : छात्र-कांग्रेसकी सभा, जफनामें

२६ नवम्बर, १९२७

आज शाम मेंट किये गये आपके सुन्दर मानपत्रके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने कहा है, और ठीक ही कहा है कि इस सुन्दर द्वीपमें मुझे ले आनेका श्रेय आपको ही है। पर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि किसी कामका श्रेय लेनेवालोंको कोई गड़बड़ी होनेकी हालतमें बदनामी भी अपने ही सिर लेनी पड़ती है।

आज शाम यहाँ आपको कोई सन्देश देना मेरे लिए थोड़ा कठिन है। इसलिए कि मुझे न तो आपकी कांग्रेसके बारेमें पर्याप्त जानकारी है और न ही मुझे यह पता है कि यहाँ इस सभामें किन-किन वर्गोंके लोग उपस्थित हैं; हाँ, आपके सुयोग्य अध्यक्षने आपकी कांग्रेसके उद्देश्य मुझे अवश्य बतला दिये हैं। इन उद्देश्योंके बारेमें ही मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखता हूँ।

आपके अध्यक्षकी बात यदि मैंने ठीक-ठीक समझी है तो आपका प्रथम उद्देश्य प्राचीन संस्कृतिका पुनरुद्धार करना है। तब फिर आपको समझना चाहिए कि प्राचीन संस्कृति आखिर है क्या? और फिर निश्चय ही वह संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जिसका पुनरुद्धार करनेके इच्छुक हिन्दू, ईसाई, बौद्ध या कहिए, हर धर्म और विश्वासके विद्यार्थी हो। यह इसलिए कि यहाँ मैं यह मानकर चलता हूँ कि आप जब प्राचीन संस्कृतिकी बात कहते हैं तो आप केवल हिन्दू विद्यार्थियोंतक ही अपनेको सीमित नहीं रखते। मैं यह मानकर चलता हूँ कि इस छात्र-संघमें हिन्दू, ईसाई, मुसलमान और बौद्ध आदि सभी धर्मोंके विद्यार्थी शामिल हैं। हालाँकि इस समय इसके सदस्योंमें एक भी मुसलमान या बौद्ध विद्यार्थी नहीं है, पर मेरे तर्कपर इस बातका कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता कि आपका चरम लक्ष्य तो सभीके लिए स्वराज्य हासिल करना है, जफनाके हिन्दुओं और ईसाइयों-मरके लिए नहीं। आप तो इस द्वीपमें बसनेवाली समस्त जनताके लिए स्वराज्य चाहते हैं और जफना इसका एक हिस्सा ही है। इसलिए मैंने इन विभिन्न धर्मोंके विद्यार्थियोंको संघमें शामिल करनेके बारेमें जो बात कही है वह इसपर खरी उतरती है। अब इस स्थितिमें हम अपना प्रश्न लें—हम जिसका पुनरुद्धार करना चाहते हैं वह प्राचीन संस्कृति आखिर है क्या? इससे स्पष्ट है कि वह एक ऐसी संस्कृति होनी चाहिए जो इन सभी धर्मावलम्बियोंकी समान संस्कृति हो और जिसे ये सभी लोग स्वीकार करते हों। इसलिए निःसन्देह ही वह संस्कृति प्रधानतया तो हिन्दू संस्कृति ही होगी, लेकिन वह मात्र हिन्दू संस्कृति या विशुद्ध हिन्दू संस्कृति कदापि नहीं हो सकती। वह प्रधानतया हिन्दू संस्कृति होगी—ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राचीन संस्कृतिका पुनरुद्धार करनेके इच्छुक आप लोग प्रमुखतया हिन्दू ही हैं, और आपको सदा ही उस

देगना ध्यान रहता है जिसे आप गवँके नाय अपनी मानूनुमि कन्नेमें ह्यं मडगूम करते हैं, और जो सबंया उचित है।

मै यह कहनेकी घृष्टता करता हूँ कि हिन्दू संस्कृतिमें ब्रौद मस्कृति नी आवश्यक रूपसे सम्मिलित है। इसका सीधा-मा कारण यह है कि स्वय बुद्ध एक प्राचीन थे और भारतीय ही नहीं, वे हिन्दुओंमें एक श्रेष्ठतम हिन्दू थे। गौतमकी जीवनीमें मुने ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसके आधारपर कहा जा सके कि उन्होंने हिन्दू-धर्म त्यागकर कोई अन्य धर्म अपना लिया था। मेरा काम और भी आसान हो जाता है जब मैं सोचता हूँ कि स्वयं ईसा भी तो एक एशियाई ही थे। इसलिए अब हमारे विचारके लिए प्रश्न यह होना चाहिए कि एशियाई संस्कृति या प्राचीन एशियाई संस्कृति क्या है। और इस तरह देखा जाये तो मुहम्मद भी तो एशियाई ही थे। चूँकि आप प्राचीन संस्कृतिके उन सभी तत्त्वों या उपादानोंका ही तो पुनरुद्धार करना चाहेंगे जो उच्चादर्शपूर्ण है और जिनका स्थायी महत्त्व है; इसलिए आप किसी भी ऐसे उपादानका पुनरुद्धार तो कर ही नहीं सकते जो इनमें से किसी भी धर्मके विरुद्ध पडता हो। अब प्रश्न यह बनता है: पता लगाया जाये कि वह कौन-सा तत्त्व या उपादान है जो इन सभी महान धर्मोंमें सर्वाधिक रूपमें समान पाया जाता है। और जम प्रकार सभी उच्चादर्शपूर्ण उपादानोंकी विवेचना करनेपर आपको जो सर्वाधिक महज और स्पष्ट उपादान मिलेगा वह है सत्यवादिता और अहिंसा — इसलिए कि सत्य, निष्ठा और अहिंसा ही इन सभी महान धर्मोंमें समान रूपमें मौजूद रही हैं। जाहिर है कि आप उन अनेक रीति-रिवाजोंका पुनरुद्धार तो नहीं ही चाहेंगे जिनको आप और हम अब कमीके भूल चुके हैं और जो कमी किसी समयमें हिन्दू-धर्ममें शामिल थे। मुझे याद पडता है कि न्यायभूति स्वर्गीय रानडेने प्राचीन संस्कृतिके बारेमें बोलते हुए एक अत्यन्त ही मूल्यवान विचार व्यक्त किया था। उन्होंने श्रोताओंमें कहा था कि उनमें से किसी भी एक व्यक्तिके लिए यह बतलाना कठिन होगा कि प्राचीन संस्कृतिका ठीक-ठीक रूप वास्तवमें क्या था; और वह संस्कृति कबसे प्राचीन न रहकर आधुनिक बनने लगी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति किसी भी चीजको केवल इसलिए प्रमाण नहीं मान लेगा कि वह प्राचीन है। संस्कृति प्राचीन हो या आधुनिक, उसे तर्क और अनुभवकी कसौटीपर रखा तो उनरत्ना ही चाहिए। मैं इस छात्रसंघके विद्यार्थियोंको यह चेतावनी इसलिए दे रहा हूँ क्यों कि वे देशके भाग्य-विधायक हैं और आज हमारे इस देगमें ही नहीं बल्कि मारे संगरमें अनेक प्रतिक्रियावादी गनितयाँ हमारे चारों ओर सिर उठा रही हैं। भारतके अपने अनुभवने मैं कह सकता हूँ कि प्राचीन संस्कृतिके पुनरुद्धारकी दुहाई देनेवाले अनेक व्यक्ति पुनरुद्धारकी भाडमें प्राचीन अन्धविश्वासों और पूर्वग्रहोंको पुनः जीवित कन्नेमें भी कोई मकोच नहीं करते।

गांधीजी धीमे स्वरमें बोल रहे थे और उनका भाषण दोहराया जा रहा था तथा उसका अनुवाद करनेकी जरूरत पड़ रही थी इसलिए क्षमा मांगते हुए उन्होंने कहा:

मैं आपको अपने अनुभवकी बात बतला रहा था। मैं बतला रहा था कि नमारी मानूनुमिमें ही कुछ प्रतिक्रियावादी गनितयाँ सक्रिय हो गई हैं। प्राचीन परन्तुग्रां और



प्राचीन नियमोंके गड़े मुर्दे उखाड़कर अस्पृश्यताकी घृणित प्रथाका औचित्य सिद्ध करनेकी कोशिश की जा रही है। आपको शायद मालूम हो कि ऐसा ही एक प्रयास अब देवदासियोंकी प्रथाका औचित्य ठहरानेके लिए किया जा रहा है।

मैंने आपको जो चेतावनी दी है कि प्राचीन संस्कृतिके पुनरुद्धारके नामपर बहकावेमें आकर आप गलत काम न करें, उससे आप ऐसा न समझें कि मैंने यों ही एक इतना लम्बा भाषण दे डाला है। अब आप शायद समझ गये होंगे कि यह चेतावनी कितनी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह चेतावनी आपको एक ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो प्राचीन संस्कृतिका मात्र प्रेमी ही नहीं, वह जीवन-भर इसी कोशिशमें मरसक लगा रहा है कि प्राचीन संस्कृतिके सभी उच्चादर्शपूर्ण और स्थायी महत्त्वके उपादानोंको नया जीवन दिया जाये। प्राचीन संस्कृतिके छिपे हुए खजानेकी खोज करते-करते ही मुझे यह अनमोल रत्न हाथ लगा है कि प्राचीन हिन्दू संस्कृतिमें जितना भी कुछ स्थायी महत्त्वका है वह हमें ईसा, बुद्ध, मुहम्मद और जरतुस्तके उपदेशोंमें भी समान रूपसे मिलता है। इसीलिए मैंने अपने तर्क यह तरीका निकाल लिया है कि जब मुझे हिन्दू-धर्ममें कोई ऐसी बात दिखाई पड़ती है जिसके बारेमें प्राचीन शास्त्रकार सहमत हैं, किन्तु जो मेरे ईसाई-बन्धु या मेरे मुसलमान भाईको स्वीकार्य नहीं है तब मुझे तत्काल उसकी प्राचीनतापर सन्देह होने लगता है। इस प्रकारके विवेचनके फलस्वरूप ही मैं इस अनिवार्य निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि हमारे इस विश्वमें सबसे अधिक प्राचीन यदि कुछ है तो यही दो तत्व हैं—सत्य और अहिंसा। मैंने सत्य और अहिंसापर विचार करते-करते ही यह अनुभूति की है कि मुझे किसी भी उस प्राचीन प्रथा या रीति-रिवाजका पुनरुद्धार करनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हमारे वर्तमान—आप चाहें तो कहिए आधुनिक—जीवनसे मेल न खाता हो। प्राचीन प्रथाएँ या रीति-रिवाज अपने उस कालमें सर्वथा उपयोगी और शायद नितान्त आवश्यक भी रहे हों जब उनको अपनाया गया था, परन्तु हो सकता है कि आधुनिक युगकी आवश्यकताओंसे उनकी पटरी पूरी तरह न बैठती हो, भले ही वे सत्य और अहिंसाके प्रतिकूल न हों। अब आप खुद देख सकते हैं कि हम जिसे कर्णानिधि, दयामय, क्षमाशील आदि नाम देते हैं, उसी ईश्वरके नामपर बरकरार रखी जानेवाली अस्पृश्यता, देवदासी-प्रथा, सराबखोरी, पशु-बलि इत्यादिको जब हम एक ही झटकेमें, निर्ममताके साथ एक तरफ हटा देते हैं तो हमारे सामनेका मार्ग कितना प्रशस्त, कितना निरापद बन जाता है। ये प्रथाएँ हमारी नैतिकताकी भावनाको ठेस पहुँचाती हैं, इसलिए हम बिना हिचकिचाये तुरन्त इनका परित्याग कर सकते हैं। इसका निवेदात्मक पहलू आपने देखा। इसका एक रचनात्मक पहलू भी है, जो उतना ही महत्त्व रखता है।

इसका रचनात्मक पहलू आपके सामने रखनेके सिलसिलेमें मैं अहिंसाके सिद्धान्तके एक नितान्त आवश्यक, सहज निष्कर्षकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। मैंने इसे अपने अत्यन्त ही प्रिय मित्रों, चेट्टिनाडके चन्द बड़े ही कर्मठ समाज-मुबारकोंके सामने पेश किया था। वह निष्कर्ष या तर्क यह है—यदि हम अहिंसाका वरण करते हैं तो फिर हमको संसारकी किसी भी ऐसी वस्तुकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए

जो निम्नगे-निम्न या हीनमें-हीन मनुष्यको गुलाम न हो। यदि यह प्रत्याय नरों-गम्मत है — और मैं दावेके साथ कहना हूँ कि यह अहिंसाके सिद्धान्तका एक बिल्कुल नया सहज निष्कर्ष है — और यदि आप उसे स्वीकार करने हैं और यह पूरे तीसरे नरों-गम्मत भी है, तो इससे एक यही सहज परिणाम निकलना है कि हमें संसारकी तिनगी भी वस्तुके बदले अपनी प्राचीन कालकी सरलता, अपनी मादगीको त्यागनेके लिए तैयार नहीं होना चाहिए। अब आप शायद ममज्ञ गये होंगे कि आधुनिकताकी हीटका मैं उनका डटकर विरोध क्यों करना हूँ। पाश्चात्य देशोंमें आधुनिकताकी मोहक चकाचौंध ऐसी तजित-गतिमें कीच कर आ रही है कि लगता है जैसे हम उनमें डूब जायेंगे, उगीके रंगमें रंग जायेंगे। मैंने अपने लेखोंमें और अपने भाषणोंमें भी इन बातका हर जगह पूरा ध्यान रखा है कि पाश्चात्य देशोंमें अपनाये जानेवाले आधुनिक तरीकों, उनको आवश्यकताओं और मौनिक सुख-मुविधाओंकी बहलनाके तीर-तरीकेमें तथा गिरि-गिररपर दिये गये ईसाके उपदेशकी सारभूत शिक्षाओंमें भेद किया जाये और उन दोनोंको एक ही ममजनेको गलती न की जाये। मैंने इसीलिए अपने भाषणके आरम्भमें ही आपको उमता संकेत दे दिया था कि मैं आगे क्या कहने जा रहा हूँ। आरम्भमें ही मैंने आपने कहा था कि आखिर ईसा और मुहम्मद भी एशियाई ही थे। अमेरिका और उग्लैंड तथा संसारके अन्य भागोंमें आज जो भी कुछ हो रहा है, हमें ईसाके उपदेशों और उनके सन्देशको उससे अलग समझना चाहिए और दोनोंमें स्पष्ट भेद करना चाहिए। मैं स्वयं भी दक्षिण आफ्रिकामें अपने हजारों-लाखों ईसाई मित्रोंके साथ रह चुका हूँ और अब तो सम्पर्कका दायरा बढ जानेके कारण संसार-भरके ईसायियोंके साथ रह रहा हूँ, [पर मैंने अपने आपको उस पाश्चात्य चकाचौंधमें अडूता रखा है,] तो आप हिन्दू और मुट्ठीभर बौद्ध लोग — अगर इतने भी बौद्ध यहाँ हैं — भी अपनी प्राचीन संस्कृतिके प्रति सच्चे बने रहनेका संकल्प करें और तथाकथित ईसायिकके वेगमें आपके पास पहुँचनेवाली इस मोहक चकाचौंधसे कोई सरोकार न रने। यदि आपमें अडिग आस्था हो, यदि आप अपनी आस्थाको किसी भी तरह मन्द न पडन देनेके लिए प्रयत्नशील रहे, तो आप देखेंगे कि आपके ईसाई मित्र अपनी पाश्चात्य चकाचौंध लेकर भले ही आपके पास आयें, पर वे उमे त्याग देंगे और आपके सादगीके सिद्धान्तके गमन बन जायेंगे; क्योंकि इसीसे उम निष्कर्षकी मच्चाई सिद्ध होगी जो मैंने आप नबके नामने रखा है।

यदि आप मेरे मनी तर्कोंको भलीभाँति समझते गये हैं तो आपको मेरा सन्देश, चरखेका अमित सन्देश, ममजनेमें जरा भी कठिनाई नहीं होगी — उगलिया कि मुझे तो चरखेके पीछे ईश्वरका बरद्हस्त दिगार्ड देता है, मुझे तो उममें एक ऐमं घाणरुतकके दर्शन होते हैं जो दीनमें-दीन जनोंको आवश्यकताओंको हर गमय पूनि कर गफता है। इसीलिए मैं केवल चरखेकी धान सोचना हूँ, चरखा ही चरखा हूँ, चरखेके वारेमें ही ईश्वरमें प्रार्थना करना हूँ और उगीके वार्नेमें भाषण देना पमता हूँ। और यदि आप मुझे दूमरी कोई ऐसी चीज बनला गते जो हमें गगारके नूने-नंगोंके निरुट पहुँचा दे, हमें एकदम नगियोंके स्तरपर ले जा गते, तो मैं उनका चरखा बापन के लुंगा और आपकी बतलाई उन चीज या उन माननेको गिरोनभेकर

लूंगा। आप शायद अब अच्छी तरह समझ गये होंगे कि मैं क्यों इतनी बेशर्मीसे हर दिन मिखा-पात्र लेकर दर-दर भटकता फिरता हूँ और हर आदमीसे कहता हूँ कि खुशीसे जितना बन सके इसमें डाल दो। अब मैंने आपका काफी समय ले लिया है। अब आप ऊबने लगे होंगे। इसलिए मुझे अपना भाषण समाप्त करना चाहिए और इसकी त्रुटियोंको ठीक करनेका काम आपपर ही छोड़ देना चाहिए। मैं छात्रोंके साथ कई अन्य विषयोंपर भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको मुझपर मरोसा है, लेकिन आज मुझे अधिक कुछ नहीं कहना चाहिए।

आपने जितना कुछ किया है और आप जो कर रहे हैं उस सबके लिए मैं समूचे हृदयसे आपका आभारी हूँ। मैं जब कोलम्बोमें था, आपने मेरे पास एक मसविदा भेजा था; यदि आप सब उसीका पालन करें, उसीके अनुसार चलें तो वह सचमुच आपकी बहादुरी होगी। हाँ, उस मसविदेमें एक अशुद्धि थी जिसे मैं शुद्ध कर देना चाहता था, लेकिन यह अब किसी अन्य अवसरपर कहूँगा। आपने जिस धैर्यके साथ मेरी सारी बातें सुनी हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १-१२-१९२७

विद गांधीजी इन सीलोन

## २१६. पत्र : हरजीवन कोटकको

जफना

२७ नवम्बर, १९२७

ब्रह्मचर्य किसे कठिन जान पड़ा है? तुम तो विचलित नहीं हुए न? खूब सजग रहना। भले ही दुनिया इधरसे उधर हो जाये किन्तु ली हुई प्रतिज्ञा छूटनी नहीं चाहिए। तुमने उपवास करनेका विचार करके ठीक ही किया है। उससे कितनी शान्ति मिलती है, यह देखना। शारदाको तो विलकुल याद नहीं करते न? खादीका ही स्मरण करना। खादी जैसी स्त्री तो जगतमें मिल ही नहीं सकती और यदि उसे असंख्य पुरुष भी वरें तो भी वह चिरकुमारी ही रहेगी, और जो पुरुष केवल उसीका वरण करता है वह उसे वरण करनेके बावजूद अखण्ड ब्रह्मचारी है। उसकी अनन्यभावसे भक्ति करते हुए तुम्हें अन्य बातोंपर विचार करनेका समय ही कहाँ मिलेगा?

इस दुनियामें जो चीजें तुम्हारे लिए नहीं हैं उनके बारेमें सोच-विचार कैसा? जब मेरे और तुम्हारे जैसे कुछ लोग दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञाका पालन करेंगे, तभी हम और यह दुनिया इस दावानलसे बच सकेंगे।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## २१७. एक पत्र

२७ नवम्बर, १९२७

हममें मे यह तो कोई नहीं कह सकता कि म० की विषय-वाग्नाना फेमे शान्त होगी। मैं इतना जानता हूँ कि उसकी विषय-वासना शान्त करना तुम्हारा धर्म नहीं है। एक दूसरेकी विषय-वासनाको शान्त करना पति-पत्नी दोनोंमें मे किमीता धर्म नहीं है। यह उद्देश्य दोनोंकी सहमतिसे ही पूरा होना चाहिए। संसार तो चलना ही जा रहा है; क्योंकि विषय-भोगमें सभी तो फेमे हुए हैं। उगे रोकना मयका कर्तव्य है। इसे रोकनेकी चेष्टा करते हुए कोई महापराक्रमी तर ही जाना है।

[ गुजरातीमें ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीमें।

सौजन्य नारायण देसाई

## २१८. जफनामें ईसाई मिशनरियोंके साथ चर्चा'

२७ नवम्बर, १९२७

रेवरेंड डब्ल्यू० ए० कथिंग्मेरने पूछा कि धर्मके क्षेत्रमें भारतका क्या भविष्य है; उसमें ईसाइयोंका क्या सहयोग रहेगा और गांधीजी ईसाइयोंसे क्या अपेक्षा रखते हैं।

महात्माजीने उत्तर दिया कि पहले प्रश्नका उत्तर देना मेरी क्षमतासे बाहर है। हाँ, दूसरे प्रश्नका उत्तर मैं दे सकता हूँ। पिछले अनेक वर्षोंसे मेरी यही अभिलाषा रही है कि भारतमें सभी धर्मोंको अपने वास्तविक रूपमें, सत्यके अपने अनुभूत अंशके आधारपर फूलना-फलना चाहिए। यह इसलिए कि मैं किसी भी एक धर्मको समग्र सत्यका प्रवक्षता नहीं मानता। चूँकि मेरा यही दृष्टिकोण है और चूँकि जीवन-भर मेरा स्वभाव सहिष्णुताका रहा है, इसलिए मेरी अपनी कोई पसन्द या नापसन्दगी इस मामलेमें नहीं है। मैंसूरके बीवान साहबने ईसाई मिशनरियों और मुसलमानोंसे अपील की है कि वे अछूतोंका धर्म-परिवर्तन करानेके बदले उनको बेहतर हिन्दू बनानेकी कोशिश ही करें। मैं उनकी इस अपीलकी ताईद करता हूँ। मेरा खयाल है कि यदि भिन्न-भिन्न महान धर्मोंके सभी अनुयायी एक-दूसरेके सम्पर्कसे अपने-आपको बेहतर इन्सान बनानेकी कोशिश करें, तो हमारा यह संसार मनुष्यके रहनेके लिए बहोत एक अधिक सुन्दर स्थान बन जायेगा। जबतक भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रहेंगे तबतक ईसाई धर्म, इस्लाम और हिन्दू धर्म जैसे विनाश धार्मिक वर्ग बने ही रहेंगे; और

१. मिशनरी सन्मैजनेमें।

इन सभी धर्मोंमें किन्हीं दो व्यक्तियोंके सोचनेका तरीका बिल्कुल एक जैसा नहीं है। परन्तु यदि सभी धर्मोंके अनुयायी... परस्पर एक-दूसरेके धर्मका विचार उन-उन लोगोंके दृष्टिकोणसे विचार करने लगे तो सब लोग जल्दी ही एक-दूसरेसे सहमत हो जायेंगे। मैं जिस भारतका सपना देखता हूँ उसमें किसी एक ही धर्मका विकास होगा, ऐसा मैं नहीं सोचता। मैं उससे यह आशा करता हूँ कि उसमें सभी धार्मिक विश्वासोंको सम्मानकी दृष्टिसे देखा जायेगा; उसमें सभी धर्म साथ-साथ रहेंगे और उनमें परस्पर सन्देह या ईर्ष्या पैदा नहीं हो पायेगी, जिसकी कुछ झलक मुझे यहाँ जफनामें भी देखनेको मिली है।

रेवरेंड जे० बिकनेलने प्रश्न किया : “आप भारतमें हिन्दू-मुसलमान एकताके लिए काम करते रहे हैं। क्या दोनोंमें एकता पैदा होनेकी कोई सम्भावना है ?”

महात्माजी : हाँ है, बिल्कुल निश्चित तौरपर है।

रेवरेंड बिकनेल : एक गो-पूजक है, दूसरा गो-भक्षक; एक मूर्ति-पूजक है, दूसरा मूर्तिभंजक ?

महात्मा गांधीने कहा कि मैं मानता हूँ कि कुछ सतही फर्क है और चूँकि मैं एक छोटा-मोटा रसोइया भी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि गन्दे नमकको थोड़ी-सी गन्दी चीनीके साथ मिलानेपर क्या होता है। उनको एक बर्तनमें रखकर आगपर चढ़ा दीजिए और फिर थोड़ा पानी डाल दीजिए। सारी गन्धगी सतहपर आ जायेगी और उसे देखकर कोई भी अनाड़ी रसोइया यही निष्कर्ष निकालेगा कि वह सब गन्धगी ही है और वह बिना सोचे-समझे उसे फेंक देगा। लेकिन मैं एक सिद्धहस्त रसोइया होनेके नाते जानता हूँ कि उस गन्धगीको सतहपरसे आसानीके साथ हटाया जा सकता है और तब शुद्ध चीनी और नमकके कणोंको अलग-अलग किया जा सकता है। हिन्दुओं और मुसलमानोंके बारेमें भी यही बात है। यह सही है कि आज वे कुत्तोंकी तरह आपसमें उलझ रहे हैं, लेकिन यह सब एक-दूसरेके करीब आनेके लिए ही है। उनके परस्पर जूझनेका वास्तविक कारण यह नहीं कि एक मूर्ति-पूजक और दूसरा मूर्ति-भंजक है, या एक गो-पूजक और दूसरा गो-भक्षक है। वास्तविक कारण तो पारस्परिक भय है जो दोनोंको सता रहा है और पारस्परिक अविश्वास है जिसके मूलमें सदा भय ही रहता है। आज यही सब हो रहा है और दुर्भाग्यकी बात यह है कि दोनों जातियाँ बहकावेमें आ गई हैं और दोनों ही अपने-अपने धर्मोंकी मूलभूत शिक्षाओंको भूल बंठी हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि हिन्दू लोग अहिंसाका सिद्धान्त भूल बंटे हैं, हालाँकि वे ‘अहिंसा परमो धर्मः’ कहते नहीं थकते। मुसलमान शायद यह सोचते हैं कि इस्लाममें अहिंसाकी तरह ही हिंसाके लिए भी काफी गुंजाइश है। पर मैंने जब-जब अपने मुसलमान मित्रोंके साथ इसके बारेमें जिरह की है, उन्होंने यही कहा है कि इस्लाम हमेशासे अहिंसाके सिद्धान्तका प्रतिपादक रहा है लेकिन

उसने यह छूट दी है कि अगर अहिंसाका पालन न हो सके, तो यह हिंसाका सहारा ले सकता है। इसलिए किसी भी हालतमें अहिंसाका तत्त्व चास्तवमें दोनों धर्मोंमें समान रूपसे मौजूद है। जो परंपर लड़ रहे हैं वे इस्लाम और हिन्दू धर्म नहीं, बल्कि दोनों धर्मोंके उपद्रवकारी तत्त्व हैं। इसलिए जब उपद्रवकारी तत्त्वोंकी प्राप्ति छीज जायेगी तब दोनों धर्म स्वाभाविक दशामें आ जायेंगे; और यदि ऐसा न हुआ तो अडिग आस्था रखनेवाले एक व्यक्तिके नाते मुझे यह पक्का यकीन है कि जो भले हिन्दू और भले मुसलमान आज पिछली फतारोंमें पड़ गये हैं, वे ईश्वरसे प्रार्थना करनेमें अपार आस्था रखते हैं, और ईश्वर एक दिन उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा और उपद्रवकारियोंको मुंहकी दानी पड़ेगी।

प्रश्न : मुझे आपके दक्षिण आफ्रिकामें किये गये कामसे हमेशा बड़ी दिलचस्पी रही है। वहाँ आपने जो काम किया उससे मुझे बड़ी खुशी हासिल होती रही है। क्या आप दक्षिण आफ्रिकाके अपने कामके अद्यतकके परिणामसे सन्तुष्ट हैं ?

महात्माजी : मैं कहने जा रहा था कि अत्यधिक संतुष्ट हूँ, पर वह शायद अतिपायोक्ति होगी। पर हाँ, मैं बहुत काफी संतुष्ट हूँ। इम नमय तो हालात बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। परमाननीय शास्त्रीजी सचमुच बड़ा ज्ञानदार काम कर रहे हैं।

‘भगवद्गीता’ और ‘न्यू टेस्टामेन्ट’ दोनों ही आपको प्रेरणा और ज्ञान्ति कैसे दे पाते हैं ? इस प्रश्नके उत्तरमें महात्माजीने कहा कि ‘न्यू टेस्टामेन्ट’से मेरी आत्माको अपार ज्ञान्ति और आनन्द मिला है, विशेषकर गिरि-शिखरवाले उपदेशसे, क्योंकि ठीक वही बात मेरे मनमें धूम रही थी। बादमें मैंने ‘गीता’का अध्ययन किया; और मुझे गिरि-शिखरवाले उपदेश और ‘गीता’में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ा। गिरि-शिखरवाले उपदेशमें जो बात पूरे विस्तारसे स्पष्ट ढंगसे समझाई गई है, उसीको ‘गीता’ने एक वैज्ञानिक शास्त्रीय सूत्रके रूपमें पेश कर दिया है। ‘गीता’ एक अर्थमें तो शास्त्रीय या वैज्ञानिक ग्रन्थ है, परन्तु दूसरे अर्थमें वह शास्त्रीय नहीं भी है, क्योंकि उसमें मात्र बुद्धिसम्मत मार्गका नहीं, ‘प्रपति’ या ईश्वरके समक्ष शरणागतिका भी प्रतिपादन किया गया है। ‘प्रपति’ या शरणागतिको मैं विशुद्ध प्रेम ही कहूँगा, ऐसा प्रेम जिसमें समस्त प्राणि-मात्र समा जायें, कुछ ही प्राणियों या किसी प्राणी विशेषके प्रति प्रेम नहीं, ऐसा प्रेम जो हर प्रकारकी घृणासे ऊपर उठ सके, अटूटा रह सके। गांधीजीने बतलाया कि उन्होंने कैसे पहले-पहल ‘ऑल टेस्टामेन्ट’ और उसके बाद अत्यन्त हर्ष और उत्साहके साथ ‘न्यू टेस्टामेन्ट’ पढ़ा था और वे बादमें कैसे ‘भगवद्गीता’ तक पहुँचे थे ताकि श्रोतागण इनसे स्वयं समझ सकें कि उनकी प्रेरणाका स्रोत क्या और कहाँ है।

[ अंग्रेजीसे ]

सीलोन डेली न्यूज, १-१२-१९२७

## २१९. भाषण : भारतीयोंकी सभा, जफनामें

२७ नवम्बर, १९२७

मैं जबसे लंका आया हूँ तबसे मेरी यह प्रतीति बढ़ती ही जा रही है कि यह लंका नहीं, बल्कि भारतका ही एक सुन्दरतर प्रतिरूप है, जहाँ मैं रह रहा हूँ। यहाँके प्राकृतिक दृश्योंको देखते हुए ऐसा लगता है कि निश्चय ही यह भारतका एक सौन्दर्यमण्डित रूप है। यद्यपि मैं जानता था कि लंकामें मुझे बहुत अच्छे प्राकृतिक दृश्य देखनेको मिलेंगे, फिर भी सचमुच मैंने जैसे दृश्य यहाँ देखे, वे मेरी समस्त अपेक्षाओंसे परे थे और इसलिए हालकी एक सभामें मैं यह कहे विना नहीं रह सका कि लंका तो मुझे भारतमाताकी नाकसे खुलकर गिरी नथकी तरह लगता है। यदि लंकाकी जनता सचमुच भारतीय संस्कृतिकी उत्तराधिकारी है—जैसा कि उसे होना भी चाहिए—तो उसे भी भारतमाताके विभासित रूपको अपने जीवनमें प्रतिबिम्बित करना चाहिए।

क्या गौतम बुद्ध भी आखिरकार एक महानतम हिन्दू सुधारक ही नहीं थे? और मुझे तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि लंकाके लोग, जिन्हें उस महात्माकी शिक्षा विरासतमें मिली है और जिन्होंने उस शिक्षाको अपनाया है, भारतके लोगोंसे भी आगे बढ़ जायें। अफसोस कि आज वह स्रोत, जिससे लंकाने पुरातन कालमें शक्ति प्राप्त की थी, लगभग सूख गया है। ऐसा लगता है कि अभी तो हम भारतवासी स्वयं बुरे दिनोंमें फँस गये हैं। आज तो हम खुद ही अपने अस्तित्वकी रक्षा करनेके लिए संघर्ष-रत हैं। हमारा जीवन इतना दूभर हो गया है कि अंग्रेज-इतिहासकारोंके अनुसार भारतकी आबादीका कमसे-कम दसवाँ हिस्सा वरावर भुखमरीकी स्थितिमें रह रहा है।

इस बढ़ती हुई कष्टकर गरीबीके दंशको दूर करनेके लिए मैं लगातार जगह-जगह घूमता फिर रहा हूँ; घनी-मानी लोगोंके मनमें उन गरीबोंके प्रति सहानुभूति जगानेके लिए भटक रहा हूँ, जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि पेटभर भोजन क्या होता है। लेकिन मैं जहाँ-कहीं भी जाता हूँ, मेरे देशमाइयोंने मेरे अनुरोधका उत्तर बड़े उत्साहसे दिया है। यह मेरे लिए परम सन्तोषकी बात है, बल्कि यही वह चीज है जिसके बलपर चतुर्दिक अन्वकारसे घिरे होनेके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है।

इसलिए आप मुझे मिलनेके लिए बुलाकर लाये और आपने मुझे ठोस सहायता देकर अपनी सहानुभूति प्रकट की, इसपर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन, मुझे आपसे यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि आपने जो सहानुभूति मुझे पैसेके रूपमें दी है, वह अपने आपमें पर्याप्त नहीं है। इसे तो मैं आपकी इस आकांक्षाका एक प्रतीक-मात्र मान सकता हूँ कि आप और भी सहायता करनेको तत्पर हैं। इसलिए मैं यहाँ

उसी बातको हजारवी बार दोहराऊँगा जो मैं श्रोनाश्रमि गनी जगह कहना आ ग्या हूँ । यह यह है कि जवनक आप ये दान देनेके साथ-साथ भविष्यमें अपनी चन्द्र-नम्बनी आवश्यक्ताएँ पूरी करनेके लिए केवल ग्याही ही नगदनेका निश्चिन गंरुन नगी केने तबतक ऐसा नहीं माना जायेगा कि आपने उन धुवा-पीड़ित भाई-बहनोंके प्रति अपना बुनियादी कर्त्तव्य पूरा किया ।

और उस भवनमें उपस्थित बहनोंको भी उन करोड़ों धुवात्त लोगोंकी गहायना करनी चाहिए और उनके मूक अनुरोधके प्रति संवेदनशील होना चाहिए । न उन्हें और न पुरुषोंको ही नाक-माँह मिकोडकर मुझमें ऐसा कहना चाहिए कि ग्याही तो बहुत महँगी है, यह काफी नफीम नहीं है और यह हमारी ग्चिके अनुकूल भी नहीं है । आजतक मैंने किसी भी माँको अपने बच्चोंके मुन्दर न होनेकी गिलायन करते नहीं गुना है और न यही कहते गुना है कि उसके बच्चे तो उसके आर्थिक गाननोंके लिए भार-रूप हैं । यदि उन करोड़ों धुवात्त मानवोंके लिए आपके हृदयमें दर्द है, यदि आप मन्त्रमुच ऐसा मानते हो कि वे धुवापीड़ित हैं और आपके अपने ही गगे भाई-बहन हैं, तो फिर आप खादीकी ऊँची कीमत या उनकी घटिया किन्मके बारेमें शिकायत कैसे कर सकते हैं ? जब आप देख रहे हैं कि करोड़ों लोगोंके पाम ग्यानेको कुछ नहीं है और उन्हें तभी खिलाया जा सकता है जब आप उनके पवित्र किन्तु काँपते हुए हाथोंसे तैयार की गई खादी पहनें, तो आपको फँगन या कीमनके बारेमें सोचनेका क्या अधिकार है ?

क्या आप उन अंग्रेजों और जर्मनोंसे कुछ सबक नहीं लेंगे जिन्होंने एडी-चौटीका पसीना एक कर दिया, अकथनीय यातनाएँ सही, और अवर्णनीय रूपमें भयंकर परिस्थितियोंमें तरह-तरहकी मुसीबतें झेली — मृत्युतकका सामना किया ? और यह सब किन्म-लिए ? सिर्फ उस चीजके लिए जिसे वे अपने देशकी प्रतिष्ठाका प्रग्न ममलने थे । फिर आप ही सोचिए कि कृत्रिम ग्चियो और फँगनकी पोशाकोंके नम्बन्धमें अपनी धारणाओंको छोड देना तथा खादीके लिए कुछ अधिक कीमत देनेको तैयार रहना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है; क्योंकि यहाँ सिर्फ आपकी बहनोकी प्रतिष्ठा ही सतरेमें नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्वपर ही वन आई है ।

इसलिए मैं उस दिनकी कामना करता हूँ जब आप श्रीयुत राजगोपालाचारीर खादीके, बल्कि यदि आपको फँगनेबुल साठियाँ चाहिए ही तो मुन्दर और गटाई-वाली साठियोंके आडरोंकी शीछार कर देंगे । लेकिन, अब मुझे एक अन्य विषयपर नी कुछ कहना चाहिए ।

जब कभी मैं भारतमें बाहरके देशोंमें गया हूँ, बल्कि भान्तमें भी मैं जब-जब विभिन्न प्रान्तोंमें गया हूँ, तब मैंने उन देशों या प्रान्तोंमें बाहरने आकर वने लोगोंको नहीं गलाह दी है कि वे जहाँ बग गये हैं, उन ग्यानके द्विंतांते प्रमग्न महद्व वे और अपने हितोंको गंण बना दें । चाहे आप हिन्दू हो या पारसी अथवा मगदमान, नते ही आप किसी भी प्रान्तके हो, इसमें कोई फरक नहीं पड़ता । मैं तो ममजता हूँ कि आपका गद अनियायं कर्त्तव्य है कि आप उन देशके मूल निवासियोंके बीच उनके हृदयमें गुननेवादे



शूलकी तरह नहीं, बल्कि दूधमें शकरकी तरह रहें। आपको ऐसे लोगोंके बीच अपनी संस्कृतिके थातीदारकी तरह रहना चाहिए और उन लोगोंके सुख-दुखको अपना सुख-दुख समझना चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

विद गांधीजी इन सीलोन

## २२०. भाषण : जफनामें<sup>१</sup>

२७ नवम्बर, १९२७

मुझे याद भी नहीं कि आज कितनी सभाओंमें भाषण देना पड़ा है।<sup>१</sup> यह सभा आजकी आखिरी सभा है। मेरे लिए वे सभी सभाएँ महत्त्वपूर्ण थीं; मगर यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आपने मेरे बोलनेके लिए विशेष रूपसे हिन्दुओंकी यह सभा बुलाई है। इसके मानी मैं यह समझता हूँ कि आप हिन्दुओंसे मैं बतौर एक हिन्दूके बात करूँ। और इससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपको मालूम होगा कि मेरा दावा है कि मैं कट्टर हिन्दू हूँ, हालाँकि दूसरे जो लोग अपनेको कट्टर हिन्दू कहते हैं, वे मेरे इस दावेको नहीं मानते। खैर, मैं सत्यका पुजारी हूँ इसलिए आपको भ्रममें नहीं डालना चाहता। अगर कट्टर हिन्दुत्वके मानी मुसलमानों और ईसाइयोंसे वैर करना हो, अगर कट्टर हिन्दुत्व सिखलाता हो कि इस आदमीको छुओ मगर उसे मत छुओ; इसका या उसका छुआ भोजन अपवित्र है, उसे मत खाओ, तो मैं कहूँगा कि मैं कट्टर हिन्दू नहीं हूँ। लेकिन अगर कट्टर हिन्दू होनेका अर्थ इस बातका सतत शोध करते रहना है कि दरअसल हिन्दू-धर्मका सच्चा स्वरूप क्या है, और हिन्दू-धर्मका जो भी सच्चा स्वरूप अपनी समझमें आये, उसीके अनुकरणका यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करना, तो मैं दावा करता हूँ कि मैं सच्चा कट्टर हिन्दू हूँ। इसके अलावा महाषि व्यासके मतानुसार भी मैं कट्टर हिन्दू हूँ। उन्होंने 'महाभारत' में कहा है कि तुलाके एक पलड़ेपर दुनियाके सभी यज्ञ आदि हों और दूसरेपर केवल सत्य हो तो भी सत्यका पलड़ा ही भारी रहेगा और राजसूय और अश्वमेध यज्ञों सहित सभी यज्ञोंका पलड़ा हल्का ही रहेगा। अब अगर 'महाभारत' को पंचमवेद माना जाये, तो मैं जरूर कट्टर हिन्दू हूँ, क्योंकि अपने जीवनके क्षण-क्षणमें मैं सत्यका ही अनुसरण करनेकी कोशिश करता हूँ, और इसके लिए कैंसी भी कीमत चुकानी हो, मैं उसे कम गिनता हूँ।

अब इस सभामें अपना दावा पेश कर चुकनेके बाद मैं आपसे कहूँगा कि मेरी विनम्र सम्मतिके अनुसार बतौर कट्टर हिन्दूके आपका यहाँ जफना और लंकामें क्या कर्तव्य है। सबसे पहले तो आपको उनका खयाल करना होगा, जिनकी आवादी इस द्वीपमें सबसे अधिक है। मैं आपको यह सुझाना चाहता हूँ कि वे आपके सहचर्मा हैं।

१. यह भाषण लंकामें रहनेवाले हिन्दुओंकी सभामें दिया गया था।

२. गांधीजी इससे पहले नौ सभाओंमें भाषण कर चुके थे।

ये अगर चाहे तो इस बातसे इनकार कर सकते हैं, क्योंकि ये कहेंगे कि बौद्ध-धर्म हिन्दू-धर्मका अंग नहीं है और बहुत अशोक्त उनका गढ़ना नहीं हो सगा। जिनने ही हिन्दू भी यह नहीं मानते कि बौद्ध-धर्म हिन्दू-धर्मका ही अंग है; बल्कि वे तो उर्मामें अपना गौरव मानेंगे कि बौद्ध-धर्मको हिन्दुस्तानसे उन्हांने मार गवाया। मगर ऐसा कुछ नहीं है। बात दरअसल यह है कि स्वयं बुद्ध भी बड़े-बड़े हिन्दुओंमें से थे, और उन्हांने हिन्दू-धर्मको सुवारनेकी कोशिश की थी। उसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। उस समय हिन्दू-धर्मने यही किया कि बुद्धकी शिक्षाओंमें जो सबसे अच्छी और नयी थी, उन्हें अपना लिया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन प्रकार बुद्धकी शिक्षाएं अपनेमें जब कर लेनेसे हिन्दू धर्मका विस्तार हुआ, वह अधिक व्यापक बन गया था। हिन्दू-धर्मने काम इतना ही किया कि बुद्धकी शिक्षाओंको अपनेमें समा लेनेके बाद उनके आसपास जो मूल जमा हो गया था उसे साफ करके दूर कर दिया। लंकाके बौद्धोंको समझानेका सबसे अच्छा तरीका एक ही है और वह यह कि आप हिन्दू-धर्मके उस अधिक व्यापक और उदार स्वरूपके अनुरूप आचरण करें। बुद्धने जो एक बात भारतको सिखलाई वह यह थी कि परमात्मा कोई ऐसा जीव नहीं जा निर्दोष प्राणियोंकी बलिसे खुश हो जाये। इसके विपरीत उनका तो कहना था कि परमात्माको गुन करनेके लिए बलि चढ़ानेवाले दुहरा पाप बढोरते हैं। इसलिए अगर आप अपने धर्मका सच्चा पालन करना चाहते हैं तो आपको अपने एक भी मन्दिरमें निर्दोष प्राणियोंकी बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। सारे भारतवर्षके हिन्दुओंके विरुद्ध खडा होकर भी मैं यह कहनेको तैयार हूँ कि प्रयोजन कोई भी क्यों न हो, परमात्माको गुन करनेके लिए ही क्यों न हो एक भी पशुकी बलि चढ़ाना बुरा काम है, पाप है, गुनाह है।

दूसरी बात जो गौतम बुद्धने सिखलाई वह यह थी कि आज जिसे जाति कहा जाता है — और जो उनके जमानेमें भी थी — वह सरासर गलत है, यानी उन्हांने अपने जमानेमें श्रेष्ठता और हीनताका जो खयाल हिन्दू-धर्मको नष्ट कर रहा था, उसे दूर कर दिया था। मगर उन्हांने वर्णाश्रमसे इनकार नहीं किया। वर्ण-धर्म और जाति-प्रथा एक ही चीज नहीं हैं। जैसा कि मैंने दक्षिण भारतमें कई बार कहा है और 'यंग इंडिया' में विस्तारसे लिखा है, वर्ण-धर्म और जाति-प्रथामें कोई समान तत्त्व नहीं है। जबकि वर्ण-धर्म प्राणदाता है, जाति-प्रथा प्राणनाशक है; और जाति-प्रथाका सबसे घृणित स्वरूप है — अस्पृश्यता। आप अपने बीचसे अस्पृश्यताको दूर करें। मैं निर्माकतापूर्वक कहता हूँ कि आज अस्पृश्यताको जिन रूपमें व्यवहृत किया जा रहा है उसके लिए हिन्दू-धर्ममें कहीं कोई स्थान नहीं है। अगर आप अपने बौद्ध देव-बन्धुओंके बीचमें सच्चे हिन्दू-धर्मका आचरण बनाये रखना चाहते हैं तो किसी भी भादमीको बूलकर भी अस्पृश्य मत मानिए। अफसोस तो यह है कि लंकाके बौद्धोंने स्वयं भी हिन्दुओंका यह अभिग्राह अपना लिया है। जिनके बीचमें जाति-प्रथा होनी ही नहीं चाहिए थी, उनमें भी आज जातिर्यां हैं। परमात्माके लिए यह बूल ब्राह्मण कि कोई बडा है और कोई छोटा। वन यही याद रखिए कि आप सब हिन्दू हैं, और एक दूसरेके सगे भाई हैं।

जफनाके किसी हिन्दू मित्रने मुझे लिखा है कि यहाँ हिन्दुओंके कुछ मन्दिरोंमें वेश्याओंका अमुक अवसरोंपर नाच कराया जाता है। अगर यह बात सच है तो आप देवाल्योंको वेश्याओंके अट्टे बना रहे हैं। अगर मन्दिरको पूजास्थान होना है, देवस्थान रहना है तो उसे कुछ सुनिश्चित मर्यादाओंका पालन करना होगा। मन्दिरमें जानेका एक वेश्याको भी उतना ही अधिकार है, जितना किसी सन्तको है। मगर यह अधिकार तो उसे तब है जब वह वहाँ अपने पाप धोने जाये। मगर जब किसी मन्दिरके रक्षक धर्म या देवपूजनकी आड़में वेश्याको वहाँ ले जाते हैं, तब वे देवस्थानको वेश्यालय बना देते हैं। और अगर आपके पास कोई आकर यह साबित करनेकी कोशिश करे कि आपके मन्दिरोंमें वेश्याओंको नाचने या किसी ऐसे ही कामके लिए बुलाना उचित है तो वह कितना ही बड़ा या प्रतिष्ठित आदमी क्यों न हो, आप उसकी बात न मानें, और मेरी इस बातपर अड़े रहें। अगर आप हिन्दू बनना चाहते हैं, अगर आपको परमात्माकी पूजा मंजूर है, तो आप अपने मन्दिरोंके दरवाजे तथाकथित अछूतोंके लिए भी खोल दें। परमात्माके दरबारमें उसके भक्तोंमें कोई फर्क नहीं किया जाता। वह तो इन अस्पृश्यों और तथाकथित स्पृश्यों, सबकी पूजा एक-सी स्वीकार करता है। उसके यहाँ सिर्फ एक शर्त है— प्रार्थना सच्चे दिलसे होनी चाहिए।

और भी कई बातें हैं जिनपर आपको ध्यान देना है। आज आपको ऐसी दुनियामें रहना है जिसमें मुसलमान और ईसाई भी रहते हैं। इनका धर्म महान है और इनके अनुयायियोंकी संख्या भी विशाल है। आपके जफनामें मुसलमानोंकी आवादी मुश्किलसे २ या ३ प्रतिशत है, और ईसाइयोंकी १० प्रतिशत। चाहे ये दो फी सदी हों या बीस, मगर रहना आपको इन्हींके साथ है। और अगर मैं हिन्दू-धर्मको ठीक-ठीक समझता हूँ तो सच्चा हिन्दू-धर्म वही है जो दूसरे धर्मोंके साथ उदारता और सहिष्णुताका व्यवहार करे। और चूँकि वे भी इस अन्तरीप और इस द्वीपके वैसे ही बाशिन्दे हैं जैसे कि आप, इसलिए उन्हें अपना भाई मानना आपका फर्ज है। जबतक आप यह नहीं करते, आपमें सच्ची राष्ट्रीय भावनाका विकास नहीं होगा, जो अत्यन्त आवश्यक है, और फिर इसीलिए आपके अन्दर सच्चे हिन्दू-धर्म और मानवीय भावनाका विकास भी नहीं होगा। आपको अपने लड़कोंकी शिक्षा-दीक्षाका प्रबन्ध करनेका अधिकार है। मुझे इसकी खुशी है कि आपका अपना एक शिक्षा-मण्डल है। आप उसको सही भावनाके साथ अधिक मजबूत बनाइए, मगर इसके मानी यह नहीं होने चाहिए कि आपकी और ईसाई-धर्म प्रचारकोंकी शिक्षा संस्थाओंके बीच कोई खटपट रहे। अगर आपके यहाँ सुयोग्य शिक्षक हों और आप हिन्दू विद्यार्थियोंको यथेष्ट सुविधाएँ दें, तो फिर सब हिन्दू लड़के आपके यहाँ पढ़ने आयेंगे ही। और शिक्षाके क्षेत्रमें मैं पारस्परिक ईर्ष्याका तो कोई स्थान ही नहीं मानता। पर मैंने सुना है कि यहाँ ऐसा कुछ है। मुझे यह सुनकर खुशी हुई थी कि अभी हालतक हिन्दू, मुसलमान और ईसाई यहाँ पुरे मेल-मिलापसे रहते थे। अभी हालमें ही आपके और ईसाइयोंके बीच कुछ मनमुटाव हो गया है। और चूँकि आपकी संख्या उनसे बहुत अधिक है, उनसे मिलकर अपने झगड़े तय कर लेना आपका कर्त्तव्य है और अगर आप इस अभागी जाति-प्रथाके भावको दूर कर सकेंगे तो आप देखेंगे कि सभी कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी।

और फिर चूंकि आपकी ही सरया मयने अधिक है, जगलिय जानामें और जफनाके जरिये लंकामें शरावगोरीको बिल्कुल बन्द करा देनेका दायित्व भी आपों ही कर्नापर है। हिन्दू-धर्म आपको शराव पीनेकी इजाजत नहीं देता। अग्न शिक्षा-मण्डल अपने कर्तव्यका पालन करे तो उसे आपकी पाठशालाओंमें मन्दू-न-शिक्षाओं प्रोत्साहन देना चाहिए। संस्कृतका कुछ ज्ञान प्राप्त किये बिना, मैं किमी भी हिन्दू लड़केकी शिक्षा अधूरी ही मानता हूँ। और जहाँतक मुझे पता है, हिन्दू-धर्ममें 'भगवद्गीता' के समान कोई ग्रन्थ सर्वत्र सुलभ, और सर्वग्राही नहीं है। इसलिए अगर आप अपनेको और अपने लड़केको हिन्दूत्वकी भावनामें ओन-प्रोत कर देना चाहते हैं, तो आप 'गीता' की शिक्षाओंका रहस्य समझनेकी कोशिश करेंगे। आपको 'रामायण' और 'महानारत' का भी सामान्य ज्ञान पैदा करना चाहिए।

अन्तमें, मैं यह कहूँगा कि मानव जातिकी अनेकानेक कठिनाइयोंका मैं दो के अलावा और कोई उपाय नहीं जानता। इन उपायोंकी तो मैं हमेशा माला ही जपता रहता हूँ। वे हैं सत्य बोलना, और हर कीमतपर अहिंसाका पालन करना। जितने निश्चित रूपसे मैं यह जानता हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, उतना ही निश्चित विश्वास मुझे इस बातका है कि अगर मैं इन दोनों चीजोंकी सच्ची भावना आपके हृदयमें उतार सकूँ और इनके अनुसार आचरण करनेमें प्रवृत्त कर सकूँ, तो आपकी हर मुश्किल ऐसे दूर हो जायेगी जैसे आँधीमें तिनके उड़ जाते हैं। और तब ईश्वर अपने स्वर्गासनसे उतर कर आपके बीच आकर रहने लगेंगे और आपमें कहेंगे : "हिन्दुओ! तुम खरे साबित हुए !"

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-१२-१९२७

## २२१. तार : मीराबहनको

जफना

२८ [नवम्बर], [१९२७]

मीराबाई

आश्रम

सावरमती

क्या डाक्टरने धावको चीरा भी है? छः तारीखतक बरहामपुर या आन-पासके इलाकामें ही रहूँगा। सप्रेम।

दापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२९५) में।

सौजन्य : मीराबहन

१. गांधीजी इस तारीखको बरुनामें थे।

## २२२. पत्र : मीराबहनको

२८ नवम्बर, १९२७

चि० मीरा,

तुम्हारे पैरमें ऐसी क्या खराबी हो गई थी? लेकिन ये सभी विपत्तियाँ कष्ट-सहन और अनुशासनका अंग हैं। तुम्हारे दो तारोंका उत्तर मैं दे चुका हूँ।<sup>१</sup> जल्द-बाजीमें कोई काम मत करो। अगर तुम्हारे पैरको चिकित्साकी जरूरत हो तो अभी आश्रम न छोड़ना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरा खयाल है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उड़ीसामें भी कुछ दौरा करना होगा। मुझे एक स्थानपर आराम करनेकी फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन खैर, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे, तुम वही करना। वहाँ यदि तुम सुखी नहीं रह सकती हो तो चाहे तुम लंगड़ा रही हो अथवा ठीक हो, यहाँ चली आओ। यदि तुम अपनेको रोक सको तो जनवरीमें तो हम हर हालतमें मिलेंगे। लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे मनके खिलाफ कुछ करनेको नहीं कहूँगा। तुम्हारा मन जैसा कहे, वैसा ही करो।

तुमने पोशाकमें जिस फेरफारके बारेमें लिखा है, वह मुझे कोई बहुत चौकाने-वाली बात तो नहीं लगती।

सप्रेम,

वापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५२९७) से।

सौजन्य : मीराबहन

## २२३. पत्र : अब्बास तैयबजीको

जफना

२८ नवम्बर, १९२७

प्रिय मुर्र-र-र,

क्या तुमने शीरी और फरहादकी कहानी पढ़ी है? क्या तुमने प्रेमियोंको अपने प्रियके पत्रोंसे या उसके बारेमें मिलनेवाले समाचारोंसे कभी अघाते जाना है? तो अब क्या तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं तुम्हारे पत्रके लिए क्यों तरस रहा था? मेरी रेहानाकी खोजकी कहानी भी ऐसी ही है।

फिर प्यार।

तुम्हारा,  
मुर्र-र-र

अंग्रेजी (एस० एन० ९५६०) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. अब्बास तैयबजी और गांधीजी आपसमें एक दूसरेको 'मुर्र-र-र' कह कर सम्बोधित करते थे।

## २२४. पत्र : सुरेन्द्रको

२८ नवम्बर, १९२३

देवदामकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। राजाजी लक्ष्मीको उनके हाथोंमें सोपनों-को कदापि तैयार नहीं होंगे जो कि उचित भी है। लक्ष्मी उनकी आज्ञाके बिना एक कदम भी आगे नहीं रखेगी। वह तो आनन्द विगोर है जबकि देवदाम दीवाना बनकर लक्ष्मीके नामकी भाला जपता रहता है और कष्ट पा रहा है। यदि वह अपना प्रेम ईश्वरके कारता तो माघुओमें गिना जाता और उच्च कोटिका सार्वजनिक कार्यकर्ता बनता।

किन्तु देवदास भी प्रकृतिके विरुद्ध कैसे जा सकता है। उसे मेरी आज्ञा माननी है किन्तु उसकी आत्मा उसके विरुद्ध जाती है। ऐसा लगता है कि वह यह मान बैठे है कि लक्ष्मीके साथ उसका विवाह मैं नहीं होने देता; उसमें वह मुझसे चिढ़ा रहता है। इस स्थितिसे उसे कैसे उबारा जाये यह फिलहाल मुझे मूल ही नहीं रहा है। तुम लोगोमें मे कोई उसे किसी तरह शान्त कर सको, उसे धर्मका बोध करा मगने तो कराना। यह भी सम्भव है कि मैं देवदासको समझा न होऊँ और इन कारण उसके प्रति अन्याय करता होऊँ। यदि पत्र लिखनेसे उसे शान्ति मिल सकती हो तो लिखना। मैं तो उसे प्रायः लिखना ही रहता हूँ।

यह तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसकी बीमारियोंका कारण उसके मनमें भरे विकार ही हैं। अनजाने ही ये विकार मनुष्यको कुतर-कुतर कर लाते रहते हैं। इस बारेमें मुझे तनिक भी शक नहीं है। देवदाम स्वयको विलासी मानता है यह सच है किन्तु उसके बारेमें विलासी शब्द हलका है। उसका मन विषयी है, यह वह स्पष्ट नहीं देख पा रहा है इस कारण विषय-वासना उसे धाए जा रही है।

[ गुजरातीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

श्रीगणेश : नारायण देसाई

## २२५. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

जफना

२८ नवम्बर, १९२७

बहनो,

यह इलाका भी लंका कहलाता है, फिर भी दक्षिणी लंकासे बहुत निराला है। यहाँ तो तमिल-हिन्दुस्तानियोंकी ही बस्ती है। और वे हिन्दुस्तानके ही सारे रीत-रिवाज पालते हैं। इसलिए दक्षिण भारतमें और इसमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता। यह जरूर जान पड़ता है कि यहाँकी बहनें शायद दक्षिणसे कुछ ज्यादा आजादीके साथ रहती हैं। यहाँ एक गुजराती दम्पति है। बहन (काशीवाड़ी) राजकोटके अच्छे घरानेकी लड़की है। उसके पति बड़ौदाके प्रसिद्ध हरगोविन्ददास काँटावालाके पुत्र हैं। वे यहाँ न्यायाधीश हैं। उनकी सज्जनताकी काफी ख्याति है। मेरा आधा खाना तो यहाँ काशीवाड़ी पहुँचाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वा छुट्टीपर है।

कल यहाँसे रवाना हो रहे हैं। अब जहाँ जाना है वहाँ सचमुच अस्थि-पंजर हैं। उनके दर्शन पुनः करने, हृदयको और अधिक मथने और चरखेका मर्म और अधिक समझनेके लिए अभीर हो रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६७८) की फोटो-नकलसे।

## २२६. पत्र : टी० बी० केशव रावको

२९ नवम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मेरा निश्चित मत है कि 'गीता' को पढ़ने और समझनेका सबको अधिकार है। समय मिलनेपर 'यंग इंडिया' में आपके पत्रके बारेमें लिखनेकी आशा करता हूँ।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० १५९) की फोटो-नकलसे।

१. इसके बारेमें गांधीजीने शायद "सत्यका विरूपण" ८-२२-१९२७ में लिखा था।

## २२७. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको

मार्गशीर्ष शुक्ल ५ [ २९ नवम्बर, १९२७ ]

भाई रामेश्वरदास,

आपका पत्र मीला है। मैं कल फिर देना तरफ प्रयाण करूंगा। रामनामका जगदिलसे करनेसे अवश्य शांति मिलेगी।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १८९ की फोटो-नकलसे।

## २२८. भाषण : सेंट जॉन कालेज, जफनामें

२९ नवम्बर, १९२७

यदि आप मुझसे यहाँ मिलनेको आतुर थे तो मैं कह सकता हूँ कि मैं भी इसके लिए कुछ कम उत्सुक नहीं था। यद्यपि मैं लखपतियों द्वारा भेंट किया गया पैसा भी स्वीकार करता हूँ और कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ, किन्तु लड़के-लड़कियोंमें, जो अभी अपने जीवनका निर्माण कर रहे हैं, छोटे-छोटे दान — वे चाहे जितने भी छोटे हों — प्राप्त करके मुझे कहीं अधिक प्रसन्नता होती है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि जो दान भोले-भाले लड़के-लड़कियोंसे मिलते हैं वे उनके दानसे कहीं अधिक फलप्रद साबित होते हैं जिन्हें दुनियादार लोग माना जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि आप जैसे लोगोंसे दान पाकर मैं ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करता हूँ . . .।

मैं आपके सौजन्य और उदारताका कोई प्रतिदान देनेमें असमर्थ हूँ। मैं तो ईश्वरसे सिर्फ यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह आपको अपने जीवनमें अच्छे काम करनेकी शक्ति दे। मैं जानता हूँ कि मस्तिष्ककी शिक्षाके साथ-साथ यदि हृदयको भी अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिलता तो वह शिक्षा कुछ नहीं है। ईश्वर करे, अपनी बुद्धिके साथ-साथ आपके हृदयका भी विस्तार हो। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २-१२-१९२७

१. गांधीजीने लंकाके वापसी यात्रा ३० नवम्बर, १९२७ को आरम्भ की थी; मूगमें (१८८२) का सुंदर स्थान दुई है।

२. दसके बाद गांधीजी रात्री और अश्वरथजके बारेमें बोटे।



## २२९. भाषण : सेन्ट्रल कालेज, जफनामें

२९ नवम्बर, १९२७

भारतके करोड़ों अघमुखे लोगोंके लिए उदारतापूर्वक भेंट की गई इस थैलीके लिए मैं आपका हृदयसे आभारी हूँ। महोदय, आपने अभी जिस महत्त्वपूर्ण सवालको दोहराया है, उसकी सूचना आपने मुझे समय रहते कल ही मेज दी थी।<sup>१</sup> यदि मैं इस सवालका जवाब देना टाल सकता तो मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि अभीसे लेकर साढ़े दस वजे तक मुझे बहुत-से कार्यक्रमोंमें शरीक होना है। इसके अलावा, इसके कुछ और भी कारण हैं, जिन्हें मैं बताना जरूरी नहीं समझता। मगर मेरे जीवनका तो यही सिद्धान्त रहा है कि जब और जैसे मुझे अटपटी स्थितिमें डालनेवाले ऐसे प्रसंग आयें, मैं उन्हें टालूँ नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उनसे निवटना चलाऊँ, वशत कि उनसे निवटना मेरे लिए विलकुल असम्भव ही न हो। इसलिए मेरे पास जो कुछ-एक मिनटका समय है, उसमें मैं इस प्रश्नका उत्तर देना चाहता हूँ।

एक वाक्यमें कहूँ तो मैं यह कहूँगा कि अनेक वर्षोंसे नाजरथके जीससको मैं विश्वके बड़े धर्मगुरुओंमें से एक मानता आया हूँ और यह बात मैं सम्पूर्ण विनम्रताके साथ कह रहा हूँ। विनम्रताका दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जो-कुछ कहा है, विलकुल वही मेरे हृदयकी अनुभूति है। हाँ, यह तो है ही कि एक गैर-ईसाई और हिन्दूके नाते मुझे नाजरथके जीससका स्थान जितना ऊँचा लगा है, ईसाई लोग उन्हें उससे कहीं अधिक ऊँचे स्थानके योग्य मानते हैं। वजाय यह कहनेके कि मैं उन्हें अमुक स्थान देता हूँ, मैंने जो यह कहा है कि वे मुझे अमुक स्थानके अधिकारी लगते हैं, वह जान-बूझकर कहा है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी महान व्यक्तिका स्थान निर्धारित करनेका अधिकार न मुझे है और न किसी अन्यको। बैसा करना धृष्टता ही होगी। मानव-जातिके महान गुरुओं और पथप्रदर्शकोंको किसीने कोई स्थान दिया नहीं है, बल्कि वे मानव-जातिकी सेवा करनेके बलपर स्वयं उस स्थानके अधिकारी बन गये हैं। लेकिन किन्हीं लोगोंके द्वारेमें कुछ अनुभव करनेका अधिकार तो हममें से अबमसे-अबम और तुच्छसे-तुच्छ व्यक्तिको भी है। मानव-जातिके ऐसे महान गुरुओं और हमारे बीच का सम्बन्ध कुछ-कुछ पति-पत्नीके सम्बन्ध जैसा होता है। यदि मैं तर्क द्वारा यह तय करने लग जाऊँ कि मैं अपने हृदयमें अपनी पत्नीको कौनसा स्थान देता हूँ तो यह बहुत भयानक बात होगी। अपने हृदयमें उसे स्थान विशेषपर प्रतिष्ठित करना मेरे बसकी बात नहीं है। इसके विपरीत वह वास्तवमें वहाँ जिस स्थानकी अधिकारिणी है, उस स्थानपर आसीन है। यह बात विगुद्ध रूपसे अनुभूतिसे सम्बद्ध है। तब मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे हृदयमें जीसस मानव-जातिके एक महान शिक्षकके रूपमें प्रतिष्ठित

१. कालेजके प्रिंसिपलने गांधीजीसे पूछा था कि वे ईसा मसीहको विश्वके महान धर्म गुरुओंके बीच ईश्वर द्वारा भेजे दूतके रूपमें नहीं, बल्कि एक मनुष्य और शुद्ध रूपमें कौनसा स्थान देंगे।

है, और उस स्थानको प्राप्त करनेमें स्वयं उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अन्तर्-ईसाइयोंकी बात अलग रखिए। इस कालेजमें शिखा ग्रहण करनेवाले जो ३५ प्रतिशत हिन्दू लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि जीयसके उपदेशोंका श्रद्धापूर्वक अध्ययन किये बिना आपका जीवन अधूरा रहेगा। मैं निजी अनुभवमें इन निष्कर्षोंपर पहुँचा हूँ कि तो लोग, चाहे वे किसी धर्मके अनुयायी हों, दूसरे धर्मोंकी शिक्षाका श्रद्धापूर्वक अध्ययन करते हैं वे अपने धर्मके प्रति अपनी आस्थाको कमजोर करनेके बजाय अपने धर्मकी सम्भावनाओंको बढ़ाते ही हैं। खुद मैं तो दुनियाके किसी भी बड़े धर्मको ज़ुठा नहीं मानता। मसीने मानव-जातिको संघारनेमें योगदान दिया है और आज भी वे अपना काम कर रहे हैं। इस प्रकार सभीको उदार शिक्षामें, जैसा कि मैंने कहा है, दूसरोंके धर्मोंका श्रद्धापूर्वक अध्ययन करना भी शामिल मानना चाहिए। लेकिन, मैं उन विषयपर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, और न मेरे पास उसके लिए समय है।

मगर अभी बोलते-बोलते मेरे मनमें एक बात आई है, जिसका आधार 'वाउविल' का मेरा प्रारम्भिक अध्ययन है। उसका एक वाक्य, उमें मैंने ज्योही पदा ल्याही, मेरे मन-प्राणपर छा गया। वह यह था :

इस संसारको ईश्वरका साम्राज्य बना दो और फिर देखोगे कि पवित्रता और पुण्य और सब-कुछ तुम्हें अपने-आप प्राप्त हो गये हैं।'

यदि आप इस वाक्यकी भावनाको समझ लें, उसके मर्मको पहचान लें और उसके अनुसार आचरण करें तो आपको यह जाननेकी भी आवश्यकता नहीं रह जायेगी कि आपके हृदयमें जीससका या अन्य किसी धर्मगुरुका कौन-सा स्थान है। यदि आप सच्चे भंगीका काम करेंगे, अपने हृदयको झाड़-बुहारकर पवित्र करके उन धर्मगुरुओंके योग्य बना देंगे तो आप पायेंगे कि वे बिना बुलाये ही आपके हृदयमें प्रतिष्ठित हो गये हैं। मेरे लेखे समस्त सच्ची शिक्षाका उद्देश्य यही है। हृदयके सफ़ाकरणसे मन्त्रिफलके संस्कारों कही ऊँचा स्थान देना चाहिए। ईश्वर आपको शुद्ध-पवित्र बनाये !

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २-१२-१९२७

## २३०. भाषण : उण्डुविल गर्ल्स कालेज, जफनामें

२९ नवम्बर, १९२७

आज मुझ आपसे मिलकर मैं वास्तवमें बहुत प्रसन्न हूँ। आपने जो दान दिये हैं, वे सच्चे हृदयसे दिये हैं। इसलिए उन्हें सामान्य रूपमें नेट की गई धैर्यमें मिला देनेकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर भी आपके द्वारा अपनी रकमोंको आम धैर्यमें मिला देनेकी बातका जो सवने अच्छा मनलभ हो सकता है, मैं बड़ी नाट्य लगाऊँगा। वह यह है कि लड़कोंकी अपेक्षा अधिक संतोषी और प्रियता सेनेके कारण आप यह नहीं चाहती कि मुझे मालूम हो कि आप नवने कुछ दिया है।

१. सेंट मैथ्यू, ६, ३३।

लेकिन, आपको बता दूँ कि भारत-भरमें हजारों-हजार लड़कियोंसे मिलनेके बाद अब यह कठिन है कि लड़कियाँ अपने अच्छे कार्योंको मुझसे छिपा सकें। अब तो कुछ लड़कियाँ मुझे अपने बारेमें बुरी बातें बतानेमें भी संकोच नहीं करतीं। मैं यही आशा करूँगा कि इस समय मेरे सामने उपस्थित लड़कियोंमें से कोई भी वैसा कोई बुरा काम नहीं करती। मेरे पास आपके साथ जिरह करनेके लिए समय नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ-पूछकर आपको ऊबाने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन, यदि हमारे बीच ऐसी लड़कियाँ हों जो बुरे काम करती हों तो वे समझ लें कि उनकी शिक्षा बेकार है।

आपके माता-पिता आपको गुड़िया बननेके लिए स्कूलोंमें नहीं भेजते। इसके विपरीत, आपसे दयाकी देवी बननेकी अपेक्षा की जाती है। ऐसा समझनेकी भूल न करें कि केवल अस्पतालोंमें एक खास ढंगकी पोशाक पहननेवाली लड़कियाँ ही दयाकी देवी मानी जा सकती हैं। जब कोई दयाकी देवी बन जाती है तो वह तुरन्त अपनी चिन्ता कम और जो लोग उससे अधिक दीन-दुखी और अभागे हैं, उनको चिन्ता ज्यादा करने लगती है। और मुझे भेंट की गई थैलीमें अपनी शक्ति-भर दान देकर आपने दयाकी देवीका ही काम किया है, क्योंकि यह थैली उनके निमित्त भेंट की गई है जो दुर्भाग्यवश आपसे कहीं अधिक गरीब हैं। थोड़ा-सा पैसा दे देना बड़ा आसान है, लेकिन कोई छोटा-सा काम खुद करना ज्यादा कठिन है। यदि आपके मनमें उन लोगोंके प्रति, जिनके लिए आपने पैसे दिये हैं, कुछ दया हो तो आपको एक कदम आगे जाकर, इन लोगों द्वारा तैयार की गई खादी भी पहननी चाहिए। जब खादी आपके पास लाई जाये तब यदि आप उसको पहननेपर यह कहें कि 'खादी कुछ खुरदरी है, इसलिए हम इसे नहीं पहन सकते' तो मैं यही समझूँगा कि आपमें आत्म-त्याग की भावना नहीं है।

यह तो इतनी अच्छी चीज है कि इसके सम्बन्धमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, स्पृश्य और अस्पृश्यका कोई सवाल ही नहीं उठता और यदि आपके हृदयकी भावना भी वैसी ही हो और आप अपनेको अन्य लड़कियोंसे ऊँची नहीं समझती हों तो यह सचमुच बहुत अच्छी बात है। ईश्वर आपका कल्याण करे!

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २-१२-१९२७

## २३१. भाषण : सर रामनाथन वालिका विद्यालय, जफनामें

२९ नवम्बर, १९२७

आजकी सुबह यहाँ आकर सचमुच मुझे अतीव प्रमत्तताका अनुभव हो रहा है। इस स्कूलमें आकर मानो मैं जफनाकी विभिन्न शिक्षण संस्थाओंमें देखनेका क्रम निष्पन्न कर रहा हों। आजकी सुबह यह सारा समारोह जिन मुर्चि और सादगीके साथ आयोजित किया गया है, सच मानिए, मेरा ध्यान उस ओर गामतीरने गया है। मैं उदारतापूर्वक दी गई १,१११ रुपयेकी थैलीकी भी कद्र करता हूँ, जो अधिकाय थैलियोंसे भिन्न एक खादीके थैलेमें बन्द करके भेंट की गई है। और नवमे वृत्ति वात तो यह है कि लेडी रामनाथनने सर पी० रामनाथनका मेजा एक तार मुझे दिया है, जो स्वयं इस समारोहमें शामिल नहीं हो पाये। यदि मैं सर रामनाथनकी उदारता और विचारशीलताके इस अमर स्तम्भको नहीं देख पाता तो मुझे बराबर इसका पछतावा रहता। लेडी रामनाथनने बहुत ही कृपापूर्वक मुझे आपके अभिनन्दन-पत्रकी एक प्रति, इस संस्थाकी रिपोर्ट और आपकी पत्रिकाकी दो प्रतियाँ पहले ही सुलभ करा दी थी।

आपने अपने अभिनन्दनपत्रमें यह वादा किया है कि आप इस दिनको एक वार्षिक उत्सवके रूपमें मनाने जा रही हैं और इसका उपयोग खादी-कार्यके लिए चन्द्रा झकड़ा करनेके लिए करेंगी। इमने मेरे हृदयको छू लिया है। मैं जानता हूँ कि यह कोई थोथा वादा नहीं है, बल्कि आप इस वादेको वार्षिक निष्ठाके साथ निभाने जा रही हैं। जिन करोड़ों क्षुधातं लोगोंके लिए मैं यह दौरा कर रहा हूँ, वे यदि अपनी बहनोके इस संकल्पको समझ सकें तो मैं जानता हूँ कि उनके हृदय मिल उठें, लेकिन आपको यह जानकर दुःख होगा कि यदि मैं यह बताने भी लूँ तो ये करोड़ों मूक लोग, जिनके लिए आपने मुझे यह थैली दी है और लंका-भरमें और भी बहुत सारी थैलियाँ दी गई हैं, ऐसी बातोंको समझ ही नहीं पायेंगे। उनके कष्टकर जीवनका मैं चाहे जितना और जैसा वर्णन करूँ, वह उनकी सही अवस्थाका चित्र नहीं पेश कर सकता।

इसपर से सहज ही यह प्रश्न उठता है कि उनके लिए और उन-जैसे लोगोंके लिए आपको क्या करना है। यह कह देना आसान है कि आप अपने जीवनमें कुछ और सादगी अपनाइये, कुछ और परिश्रमी बिनिये, लेकिन यह तो इन तवायके साथ सिलवाड़ करना होगा। मगर ऐसे ही विचारोंके कारण मैं चरनेकी ओर मुड़ा। जिस तरह मैं अभी आपमें कह रहा हूँ, उसी तरह मैंने अपने मनसे कहा कि यदि आप अपने और उन करोड़ों क्षुधातं मानवोंके बीच कोई जीवन्त गन्धर्व स्थापित कर सकें तो आपके लिए, उनके लिए और सारी दुनियाके लिए आगाका एक आचार हो जायेगा। आपको इस संस्थामें धार्मिक शिक्षा दी जाती है और यह बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ एक सुन्दर मन्दिर भी है। आपकी समय-सारिणीमें पता चलना

है कि आप अपना दिन पूजा-प्रार्थनासे शुरू करती हैं, जो बहुत अच्छी और मनुष्यको ऊपर उठाने वाली चीज है। लेकिन यदि आप अपने दैनिक जीवनमें उस पूजाकी भावनाके अनुरूप आचरण नहीं करतीं तो वह पूजा सहज ही केवल एक रीति-निर्वाह बनकर रह जा सकती है। इसलिए मेरा कहना है कि उस पूजाकी भावनाके अनुरूप आचरण करनेके लिए आप चरखेको अपनाएँ; प्रतिदिन आवे घंटेतक उसपर बैठें और अभी मैंने जिन करोड़ों धुवाँतं मानवोंकी दशाका वर्णन किया है, उनके बारेमें सोचते हुए ईश्वरके नामपर अपने मनमें यह कहती रहें कि 'मैं उन्हींकी खातिर कात रही हूँ।' यदि आप यह सब अपने हृदयसे करेंगी तो यह जानते हुए कि प्रदर्शनके लिए नहीं, बल्कि तन ढँकनेके लिए कपड़ा पहननेका मतलब उस पूजाके लिए और अधिक विनम्र और पवित्र होना होगा, आपको निश्चय ही खादी पहनकर अपने तथा उन करोड़ों लोगोंके बीच वैसा अटूट सम्बन्ध स्थापित करनेमें कोई हिचक नहीं होगी। इस संस्थाकी लड़कियोंसे मुझे इतना ही नहीं कहना है।

सर रामनाथनने आपके लिए जितना कुछ किया है और लेडी रामनाथन तथा उनकी देख-रेखमें काम करनेवाले कर्मचारी जितना कुछ कर रहे हैं, यदि आप उसके योग्य बनना चाहती हैं तो आपको और भी बहुत-सी बातें करनी होंगी। आपकी पत्रिकाओंमें किसी हदतक क्षम्य गौरवके साथ इस बातका उल्लेख किया गया है कि इस स्कूलकी कुछ भूतपूर्व छात्राएँ अभी क्या कर रही हैं। मैंने कुछ इस ढंगके उल्लेख देखे कि अमुक-अमुकने शादी कर ली, आदि-आदि। ऐसे ४-५ उल्लेख थे। मैं जानता हूँ कि जो लड़की व्यस्क हो चुकी हो, मतलब कि २५ या २२ वर्षकी भी हो चुकी हो, उसके शादी करनेमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन, इनमें मुझे ऐमा कोई उल्लेख कहीं नहीं देखनेको मिला कि अमुक लड़कीने अपने-आपको सिर्फ सेवाके लिए अर्पित कर दिया है। इसलिए मैं आपसे भी वही बात कहना चाहता हूँ जो मैंने बंगलोरकी लड़कियोंके बारेमें महाविभव महाराजा साहबके कालेजकी छात्राओंमें कही थी। मैंने कहा था कि यदि आप सब सिर्फ गुड़िया बनकर रह जायें और इन शिक्षण-संस्थाओंमें निकलते ही सार्वजनिक जीवनसे अलग हो जायें तब तो माना जायेगा कि आपको संवारनेके लिए शिक्षाशास्त्री लोग जो इतना सारा प्रयत्न कर रहे हैं और उदार लोग जो इतना सारा धन खर्च कर रहे हैं उसके बदले लाभ बहुत कम रहा है। अधिकांश लड़कियाँ स्कूलों और कालेजोंसे फुरसत पाते ही सार्वजनिक जीवनसे अलग हो जाती हैं। आप इस संस्थाकी छात्राओंको ऐसा-कुछ नहीं करना चाहिए। आपकी कुमारी एमरी और इस संस्थाकी देख-भाल करनेवाली उन अन्य अनेक महिलाओंका अनुकरण करना चाहिए जो यदि मैं गलत न कह रहा होऊँ तो, अविवाहिता ही हैं। हर लड़की, हर भारतीय लड़की, शादी करनेको ही जन्म नहीं लेती। मैं ऐसी अनेक लड़कियोंके उदाहरण दे सकता हूँ जो सिर्फ एक व्यक्तिकी सेवा करनेके बजाय अपना सब-कुछ लगाकर समाजकी सेवा कर रही हैं। वह घड़ी आ पहुँची है जब हिन्दू लड़कियोंको सीता और पार्वतीके समान या उनसे भी श्रेष्ठ बनकर दिवाना है। आप अपनेको शैव कहती हैं। आप जानती हैं कि पार्वतीने क्या किया था।

उन्होंने पैसा खर्च करके पति नहीं पाया था, और न उन्होंने अपने-ते विराने दी दिया। लेकिन आज वे हिन्दू समाजके आकाशको एक देदीप्यमान नक्षत्रकी तरह गौरवान्वित कर रही हैं और उनका नाम सान मनियोंमें लिया जाता है। क्यों? उन-लिए नहीं कि उन्होंने किसी शिक्षण-संस्थानमें कोई उपाधि प्राप्त की थी, बल्कि उन-लिए कि उन्होंने अश्रुतपूर्व तपस्या की थी। मुझे मानूम हुआ है कि नहीं दहेजकी दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा है, जिसके कारण युवतियोंको अपने लिए न्युयोग्य जीवन-साथी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वयस्क लड़कियोंमें — और आपमें ने कुछ बयस्क हैं — ऐसे प्रलीभनोपर विजय पानेकी आशा की जाती है। यदि आप उन गुर्गनियोंका विरोध करना चाहती हैं तो आपको, आपमें से कुछको, जीवन-भर या कमसे-कम कुछ वर्ष कुमारी रहना पड़ेगा। फिर जब आपके शादी करनेका समय आयेगा और आपको लगेगा कि आपको एक जीवन-साथी चाहिए ही तो आप पैने या प्रगिट्टि वाले अथवा शारीरिक दृष्टिसे सुन्दर पुरुषके लिए आकुल न रहेगी, बल्कि आप पार्वतीकी तरह एक ऐसे जीवन-साथीको ढूँढेगी, जिममें वे मारे अनुपम गुण विद्यमान हैं जो ऊँचे चरित्रके लिए आवश्यक हैं। आप जानती हैं कि नारदजीने पार्वतीके नामने शिवका कैसा चित्र प्रस्तुत किया था। विलकुल दरिद्र, भगमें नमूनि लगाये, किमी भी तरहसे सुन्दर न दिखनेवाला ब्रह्मचारी। यह वर्णन सुनकर पार्वतीने कहा था — हाँ, यही मेरा पति है। जबतक आपमें से कुछ लड़कियाँ तप करनेमें ही — पार्वतीकी तन्त्र हजार वर्षतक नहीं — संतोष नहीं मानती समाजमें तबतक बहुत-मे शिव तैयार नहीं होंगे। हम कमजोर मानव-प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप कमसे-कम अपने जीवनकी अवधिमें ऐसा कर सकती हैं। यदि आप इन शर्तोंको स्वीकार करेगी तो फिर गुड़ियोंके राज्यमें खो जानेको कतई तैयार न होगी, बल्कि पार्वती, दमयन्ती, मायिनी और सीताकी तरह सती बननेका प्रयत्न करेंगी। मेरे विचारसे नय और बेबल नहीं आप ऐसी संस्थाके योग्य सिद्ध हो सकेंगी। ईश्वर आपमें यह महत्वाकांक्षा नरे और यदि आपमें यह आकांक्षा हो तो उसे फलीभूत करनेमें वह आपका महायत्न हो।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २-१२-१९२७

## २३२. भाषण : तेल्लीपल्ली बुनाई स्कूल, जफनामें

२९ नवम्बर, १९२७

बुनाई पाठशालाको स्थापित करनेके लिए महात्माजीने प्रबन्धकोंको बधाई दी, लेकिन उनसे कहा कि जबतक वे हाथ-कताईको भी इसमें शामिल नहीं करेंगे इसे पूरी सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुनाई पाठशालाकी सफलता उन लोगोंकी आवश्यकतासे नहीं आंकी जा सकती जो चन्द रुपये माहवार कमा लेनेकी नीयतसे इसमें प्रशिक्षित हुए हैं, बल्कि उस पद्धतिसे आंकी जा सकती है जिससे पूरा समाज सम्पन्न और संस्था आत्मनिर्भर बन सकेगी। उन्होंने कहा हाथ-कताईको यदि आपने हाथ-बुनाईसे अलग किया और कताईके लिए मेहनतानेकी माँग की तो आप पूरी तरह निराश्र होंगे। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि हिन्दुओं और ईसाइयोंने जिस प्रकार मिलकर मेरा स्वागत किया है, मुझे आशा है यही भावना उनके सभी सम्बन्धोंको प्रभावित करती रहेगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २-१२-१९२७

## २३३. भाषण : जफना कालेज, जफनामें

२९ नवम्बर, १९२७

आपके इस प्रायद्वीपमें इतनी सारी शिक्षण-संस्थाओंमें जाने और उन्हें देखनेसे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। इन सब खुशियोंमें इस कालेजमें, जो मैं समझता हूँ कि इस प्रायद्वीपकी सबसे पुरानी शिक्षण संस्था है, आनेकी खुशी भी कुछ कम नहीं है। और फिर मुझे बताया गया है कि इस संस्थाके बहुतसे पुराने विद्यार्थी आज देशके विविष्ट सेवक हैं। और अन्तिम बात यह है कि बंगलोरमें मुझे आपके वाइस-प्रिंसिपलसे मिलनेका सौभाग्य मिला था। स्वागत समितिके दो सचिव भी इस स्कूलके पुराने विद्यार्थी रह चुके हैं। लड़के और लड़कियोंके मुस्कराते हुए चेहरे देखकर मुझे हमेशा ही प्रसन्नता होती है। मुझे यह भी मालूम है कि जिस कार्यको करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त है, वह कार्य आज बहुत-से वयस्क लड़के कर रहे हैं, जिन्होंने कि अपना सब-कुछ मातृभूमिकी सेवाके लिए अर्पित कर दिया है। इसलिए आपकी थैली मेरे लिए बहुमूल्य है। मैं जानता हूँ कि ये सारी रकमें तथा यह छोटी रकम भी, जो मुझे लड़के और लड़कियोंसे प्राप्त हुई है, बड़ी उन्नत दुनियादार व्यक्तियोंसे प्राप्त रकमोंकी अपेक्षा अधिक फलप्रद सिद्ध होंगी। आपने जो रकम दी है, उसपर सरलताकी छाप पड़ी हुई है, और यह जायेगी भी उन करोड़ों या उन करोड़ोंमें से

कुछ पुरुषों और स्त्रियोंके पास, जो गुद भी गरल है और घायद जानबूझकर है, क्योंकि इसके अतिरिक्त वे और कुछ हो ही नहीं सकते...'

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २-१२-१९२७

## २३४. भाषण : रामनाडकी सार्वजनिक सभामें

३० नवम्बर, १९२७

सभापति महोदय और मित्रो,

मानपत्रो, सूतकी मालाओ और अनेक धैलियोंके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सचमुच ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यदि हमारे पास आँखें हों तो हम क्षण-अनिक्षण उसकी महानता देख सकते हैं। साढे पाँच बजे झटी लगी हुई थी। मैंने उसे देखकर तय कर लिया था कि सभा नहीं होगी। परन्तु मेरी आशका निराधार मिट्ट हई। वादल छँट गये और अब हमारे सामने एक विशाल समुदाय एकत्र होना जा रहा है। मैं इतना अहंकारी नहीं कि सोचने लूँ कि ईश्वरने निर्फ मेरी ग्यातिर या आपकी खातिर ही यह सब कर दिया है। पर इतनी विनम्रता मुझमें है कि मैं हमारे निकट चलनेवाले घटना-क्रममें और उसके हमारे अनुकूल बननेमें — इन सबके पीछे ईश्वरकी महानताके दर्शन कर सकता हूँ। हमारे अन्दर इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि जब यह घटना-क्रम हमारे प्रतिकूल पड़े और हमारे मार्गमें बाँति-भाँतिकी बाघाएँ आ गइँ हो, तब हम ईश्वरको दोष न देने लयें, यह न सोचने लगे कि वह इतना महान नहीं है। मानव-इच्छाओकी नगण्यता तो आप यही डमी समय देख सकते हैं, जब मैं भाषण दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब वपकिये इन घुमडने वादलोमें मानवकी क्षुद्रता और ईश्वरकी महानताको पहचानें, मले ही आप निरोपर छाते तान लें। पर मैं यहाँ आपको ईश्वरकी महानताके बारेमें भाषण देने नहीं आया हूँ; और न ईश्वरको अपनी महानता विज्ञापित करनेकी ऐसी कोई जरूरत ही है, जैसी मुझको है। उनकी महानता तो कालके विशाल पृष्ठपर अमिट अक्षरोंमें अंकित है। इसलिए, आउए, हम उसकी महानताके आगे शीश नवाकर, फिर अपने काममें लग जायें।'

बहुत दिनोंसे मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ययागीन्द्र यहाँ आऊँ; और पिछले वार जब मैं यहाँसे केवल तीस मीलकी दूरीतक पहुँच कर भी यहाँ नहीं आ सका तो मेरा मन बडा दुःखी हो गया था। इसलिए यहाँ आकर आपने यैली प्राप्त करनेकी अपनी इच्छाकी पूर्तिमे मुझे अतीव प्रमदता हुई है। मैं आपको धतन्य हूँ कि इन नमामें आनेसे पहले मैं महिलाओकी एक नमामें गया था। उनको कोई भाषण दरज़ार नहीं था, वे नहीं चाहती थी कि मैं भाषण करूँ। मैंने उनको देखाकर यही अनुमान लगाया कि

१. इसके बाद गाँधीजी खादी, सत्य और प्रेमके सम्बन्धमें बोले।

२. एचतीसी बुँदाव,दी होने लगी थी और वही शोभाभेनि अपने छाने गोए स्थि मे।

३. इस समदतत वषां दिखुए धम चुकी थी।



वे बड़े ही गरीब घरोंकी महिलाएँ थीं। अगर उनकी कोई इच्छा थी तो यही कि उनके पास जितने भी पैसे हों लगभग सभी मुझे सौंप दें। अगर किसी महिलाने अपनी साड़ीके खूंटमें दो सिक्के बाँध रखे थे तो उसने एक अपने हाथसे और दूसरा अपने बच्चेके हाथोंसे मेरी झोलीमें डलवा दिया। इस प्रकार अपनी झोलीमें सिक्के जमा होते देखकर मेरी छाती फूल उठी थी। यद्यपि वे थे तो कुछ पैसे ही, पर उन आँखों और उन हाथोंको देखकर मुझे स्पष्ट अनुभूति हुई कि यही उनका सर्वस्व था और इसके साथ उन्होंने अपना समूचा हृदय भेंट कर दिया था। और आप भी शायद मेरी इस बातसे सहमत होंगे कि चन्द पैसेकी वह भेंट इस शैलीके लिए दिये गये बड़ेसे-बड़े दानकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान थी। मैंने इस घटनाका उल्लेख और यह तुलना इस उद्देश्यसे नहीं की कि आपकी भेंट की हुई शैलीका महत्त्व मैं घटाना चाहता हूँ। मेरा सीमाग्य है कि मुझे ऐसी सैकड़ों घटनाओंका प्रत्यक्षदर्शी बनना पड़ता है। उनमें से एक इस घटनाका उल्लेख करनेका मेरा मंगल यही है कि आप इस तथ्यको भली-भाँति हृदयंगम कर लें कि हमारा यह आन्दोलन भारतके कंगालोंका आन्दोलन है। इसका उल्लेख मैंने यह बतलानेके लिए भी किया है कि हमारे देशकी महिलाएँ उपेक्षाके योग्य नहीं हैं, ऐसी नहीं हैं जिनकी पुरुषोंको कोई परवाह ही नहीं करनी चाहिए या जिनको दासियाँ या पुरुषोंकी वासना तृप्त करनेका सावन-मात्र समझा जाये। इस घटनाका उल्लेख मैंने इसलिए किया है कि आप लोग भी अपने हृदयोंमें इन सीवी-सादी बहनों जैसी अडिग आस्था पैदा करें। और इस घटनाके उल्लेखका अन्तिम कारण यह है कि मैं इसके जरिये आपके मानपत्रके आरम्भिक अनुच्छेदका उत्तर देना चाहता हूँ।

आप चाहते हैं कि मैं भारतके राजनीतिक संघर्षका नेतृत्व कहूँ। मैंने कोयम्बटूरमें भी कहा था कि मुझे लगता है कि मैं चरखेको अपना सारा समय देकर राजनीतिक संघर्षके लिए भी अपना तुच्छ योगदान कर रहा हूँ। पर यदि 'राजनीतिक' शब्दका वह अर्थ भी लगाया जाये, जो आपने मानपत्रमें लगाया है, तो भी राजनीतिको धर्ममय बनाना तबतक सम्भव नहीं जबतक कि हमारे अन्दर जतनी ही अगाध और अडिग आस्था न हो जितनी कि हमारी इन भोली-भाली बहनोंके मनमें है। उनकी आस्था परिणाम या लाभका भूँह नहीं जोहती, वह भय या संकोचसे सर्वथा अपरिचित है। बच्चा जब अपनी माँकी गोदमें डुबककर अपनेको सर्वथा सुरक्षित महसूस करता है, तब वह आगा-पीछा नहीं सोचता, यह सोचने नहीं बैठता कि माँ उसकी रक्षा करनेमें सचमुच समर्थ भी है या नहीं। और यदि हमारे देशमें राजनीतिक ढंगसे सोचने-बाले लोग — सार्वजनिक सभाओंका आयोजन करने, भाषण देने और सुननेके अभ्यस्त लोग — भी भारतके उज्ज्वल भविष्यके वारेमें इतनी ही उत्कट आस्था रखते होते, यदि चरखेके सन्देशपर उनकी ऐसी ही अडिग आस्था होती, तो निःसन्देह स्वराज्य कवका मिल गया होता। चरखेको आप भारतकी आर्थिक समस्याओंका हल न भी मानिए। कमसे-कम उसे हमारी अपनी आस्था, हमारे विश्वासकी कसौटी तो मानिए। लाभ-हानिकी दृष्टिसे सोचनेके अभ्यस्त अपने देश भाइयोंके सामने मैंने चरखेका जेजोड़ और अकाट्य आर्थिक पहलू रख दिया है। परन्तु यदि हमारे हृदयमें आस्था हो तो

फिर चरखेके पक्षमें अर्थशास्त्रीय तर्क जुटानेकी, उंग सिद्ध करनेकी कोई जगहन भी नहीं रह जाती। तब तो हमारे लिए इतना ही जानना काफी होगा कि चरखेमें कोई हानि नहीं हो सकती और उपयोगकर्ताओंके लिए चरखा एक उपयोगी वस्तु है, क्योंकि चरखेने कुछ महिलाओंको जीविका जुटाई है। अगर ये तथ्य ही हमारी आम्ह्याने दृढ़ बनानेमें और करोड़ों लोगोंको चरखा अपनानेके लिए प्रवृत्त करनेमें मगर्थ हो जाये तो पर्याप्त है। इसलिए कि एक बड़ी सीधी-सी बात है जिसे हर कोई आनानीने गमन करता है और वह यह है कि जब देशके करोड़ों जन ऐसी किसी वस्तुपर अपनी आम्ह्या जमा देंगे तो सारे राष्ट्रमें एक जवदस्त शक्ति पैदा हो जायेगी, एक गम्भिर शक्ति जो अदमनीय होगी। मुझे चरखेपर ऐसी ही आम्ह्या है और इसलिए मुझमें जनना श्रेय है कि मैं इस महान परन्तु विपदग्रस्त देशकी जनतामें चरखेके प्रति एक सामान्य जागृति पैदा होने और उस जागृतिके फलस्वरूप सामान्य आम्ह्या पैदा होनेके दिनका उत्तजार कर सकता हूँ।

आपने अपने मानपत्रमें शाही आयोगका उल्लेख किया है। लगभग १७ दिनमें, बल्कि ठीक हिसाब लगाया जाये तो इधर २३ दिनसे मुझे भारतके घटना-क्रमके बारेमें लगभग नहींके बराबर जानकारी रही है, क्योंकि उस सुन्दर, नुवागिन हीरामें जाकर मेरे पास जानकारी प्राप्त करनेका ऐसा कोई मागन नहीं रह गया था। हां, कोश्योंके स्थानीय समाचारपत्रोंमें कुछ छुटपुट खबरे मिल जाती थीं। अब देशमें अतिदनेपर मैं सारी घटनाओंका सिलसिला समझनेकी कोशिश करूँगा। और तबतक तो मैं वही दोहरा सकता हूँ जो मैंने लंकामें समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंमें कहा था—यह कि शाही आयोगके मामलेमें मैंने तय कर लिया है कि अपनी अन्तरात्माकी वान न गुनकर मैं कांग्रेसके अध्यक्ष और कांग्रेसके सामान्य सदस्योंकी उच्छाके मुताविक ही चरूँगा।

आपका अनुरोध है कि यहाँ एक खादी-केन्द्र बोल दिया जाये। यदि यह किन्ती भी तरह सम्भव होता तो मुझे भरोसा है कि अखिल भारतीय चरखा मणकी परिषद अवतक यहाँ एक शाखा कबकी स्थापित कर चुकी होती। मैं जानता हूँ कि फनाई और बुनाईके लिए यह स्थान अनुकूल है। परन्तु देशके भिन्न-भिन्न भागोंमें केन्द्र स्थापित करनेके लिए संघ तीन चीजे देखता है—अमुक स्थानपर ठीक ढंगके कार्य-कर्ता हों, उपयुक्त वातावरण हो और धन मुल्य हो। धनकी कठिनाई नहीं है और होती भी तो आप अब थैली भेट कर ही-चुके हैं। अनुकूल परिस्थितियों की मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई तो ठीक ढंगके कार्यकर्ता पानेकी है और यह कठिनाई देशमें हर जगह महसूस की जा रही है। देशमें ऐसे कार्यकर्ताओंकी संख्या अँगुलियोंपर गिनने लायक ही है जो आत्मत्यागी हैं, मेहनतने काग करे और चरखे तथा करघे और खादी व्यवसायके तरीकोंका अध्ययन करनेमें दिमाग लगायें। अगर आपके यहाँ उन गुणोंमें युक्त कार्यकर्ता मौजूद हों, तो मैं चरूँगा कि आप अखिल भारतीय चरखा मणकी तमिलनाडु शाखाके गन्धी श्रानुन रामनाथनने तुरन्त लिखा-पढी शुरू कर दें।

यहाँके स्कूली विद्यार्थियोंसे दो थैलियाँ पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। राजा हाई स्कूलके विद्यार्थियोंने अपने मानपत्रमें इस बातके लिए क्षमा माँगी है कि वे थैलीके लिए कम राशि जमा कर पाये। लंकामें कुछ विद्यार्थियोंने तो हर स्कूल पीछे एक हजार तककी थैली भी दी है, जैसा कि रामनाथन गर्ल्स कालेजने कल किया था। विद्यार्थियोंकी ओरसे दी गई थैलियाँ यदि राशियोंके हिसाबसे देखी जायें, तो काफी छोटी ही रहती है। परन्तु मैं थैलियोंको उनकी राशियोंके हिसाबसे छोटी या बड़ी नहीं मानता। बहनों द्वारा सेंट की गई जिस थैलीका मैंने उल्लेख किया है, यदि विद्यार्थियोंकी थैलियाँ भी उसी तरहकी हों, उन्होंने अपनी सारी बचत थैलीमें दे दी हो, तो फिर थैली छोटी होनेके लिए क्षमा माँगनेकी कोई जरूरत ही नहीं। पर यदि विद्यार्थियोंने चन्दा देनेमें कोई कंजूसी की है, तो उनको इसपर फिरसे विचार करना चाहिए, और यथाशक्ति अधिकसे-अधिक देना चाहिए। विद्यार्थियोंके मानपत्रमें किये गये इस वायदेसे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आगेसे वे अधिकसे-अधिक खादी ही खरीदेंगे। ऐसा वायदा कर देनेके बाद, उनको उसे अच्छेसे-अच्छे तरीकेसे निभाना चाहिए। विद्यार्थियोंको यह मलीमाँति समझ लेना चाहिए कि देशका भविष्य उनके ही हाथोंमें है। और यदि विद्यार्थी लोग अपना चरित्र उन्नत नहीं बनायेंगे, यदि वे विचारोंकी पवित्रता और इससे भी अधिक हृदयोंकी पवित्रता अपने अन्दर पैदा नहीं करेंगे और अपने वायदोंके प्रति सच्चे नहीं रहेंगे तो देशका भविष्य बिलकुल भी आशापूर्ण नहीं रह जायेगा। विद्यार्थियोंको यह मलीमाँति महसूस कर लेना चाहिए कि चारित्रिक दृढ़ताके बिना सारा किताबी ज्ञान एकदम निरर्थक हो जाता है।

अब मैं दो बातें शेष श्रोताओंसे कहना चाहता हूँ। शराबखोरीकी लत जिनको हो, उनको शराबखोरी बिलकुल छोड़ देनी चाहिए और इस देशमें पूर्ण मद्य-निषेधके लिए सभीको प्रयत्नशील होना चाहिए। और अब समय आ गया है कि हम सब लोग बिलकुल भुला दें कि इस देशमें अस्पृश्यता-जैसा कोई कलंक कभी था भी। मैं आपको बतलाता हूँ कि मैं यह देखकर बड़ा लज्जित हुआ कि हमारे पड़ोसी लंकाको भी यह छूत लग गई है। हम अगर सचमुच स्वराज्य चाहते हैं तो हमें यह बात बिलकुल ही भूल जानी चाहिए कि हमारे समाजमें चन्द लोग अन्य लोगोंकी अपेक्षा बड़े या श्रेष्ठ हैं।

आपने मुझे फ्रेममें जड़ा हुआ मानपत्र सेंट किया है। आप जानते ही हैं कि मैं ऐसी चीजोंको बेचकर देशके मूक निर्धन लोगोंके लिए अधिकसे-अधिक धन जमा करनेसे अपनेको नहीं रोक पाता। अपने आपको भुखमरीसे पीड़ित करोड़ों लोगोंका प्रतिनिधि बतलानेवाले व्यक्तिके लिए ऐसे कीमती उपहार रखना बिलकुल शोभा नहीं देता। उसे तो यही शोभा देता है कि ऐसे उपहारोंको धनके रूपमें बदल ले और उस धनको अपने स्व-निर्धारित लक्ष्यके लिए उपयोगमें ले।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २-१२-१९२७

## २३५. हिन्दू-मुस्लिम एकता

हालमें जब मैं दिल्ली गया था, डाक्टर अन्सारीने मुझसे कहा कि मैंने कन्दालतामें विश्वस्त आदमियोंके मुँहसे सुना था कि आपको हिन्दू-मुस्लिम एकतामें न तो विस्वाम रहा है और न दिलचस्पी ही, और आप अली-भाइयों जैसे मुगलमान दोन्नोंमें अलग ही अलग बचते फिरते हैं। इसलिए डाक्टर अन्सारीने सुझाया कि मैं गन्तव्य-हमी और शक दूर करनेके लिए दिल्लीकी किसी सार्वजनिक सभामें अपने विश्वामका ऐलान करूँ। मैं इस सलाहको और कुछ नहीं तो केवल इसीलिए नहीं मान सका कि हकीम साहब अजमलख़ाँ और स्वामी श्रद्धानन्दकी पहलेकी दिल्ली आज गुटोंकी दिल्ली बन रही है जहाँ मेरे लिए ठहरना भी मुहाल है, मापणकी तो बात दूर। पर, मैंने डाक्टर अन्सारीसे वादा किया कि जितनी जल्दी हो सका मैं अपनी रिश्तियाँ साफ करनेकी कोशिश करूँगा। अब मैं वही कर रहा हूँ।

हिन्दू-मुस्लिम एकता और दूसरे सभी सम्प्रदायोंकी एकतामें मेरा विस्वाम पहले ही जैसा दृढ है। हाँ, उसे सफल बनानेका मेरा तरीका बदल गया है। पहले मैं सगाएँ करने, प्रस्ताव रखने और स्वीकृत करानेमें शामिल होता था, और इस तरह एकता लाना चाहता था। अब इन बातोंमें मेरा विश्वास नहीं रह गया है। उनके लिए हमारे यहाँ उपयुक्त वातावरण नहीं है। मेरी समझमें अविश्वास, शक, डर और अन-हायताभरे इस वातावरणमें इन तरीकोंसे दिली एकता होनेके बदले, उसमें बाधा पड़ती है। मैं इसलिए परमात्मासे प्रार्थना करने और ऐसे दूसरे व्यक्तिगत दोन्ताना काम करनेपर भरोसा रखता हूँ जो किये जा सके। इसलिए एकता पैदा करनेके लिए को गई सभाओंमें जानेकी मुझे कोई इच्छा नहीं रह गई है। तो भी इनके मानी यह नहीं कि मैं ऐसे प्रयत्नोंको बुरा समझता हूँ। इसके विपरीत, जिन्हें ऐसी सभाओंमें विश्वास है, वे उन्हें जरूर करें। मैं उनकी पूरी सफलता चाहूँगा।

दोनों ही जातियोंकी मौजूदा मनोवृत्तिसे मेरा मेल नहीं बैठता। अपने पगालने दोनों ही कह सकते हैं कि मेरा तरीका असफल रहा है। मैं जानता हूँ कि जिनकी रायकी कुछ कीमत है, उन लोगोंके बीच मैं अत्यन्त ही अल्पमतमें हूँ। उन गनाओं वगैरामें शामिल होकर मैं उपयोगी सेवा तो कर नहीं सकता। और चूँकि नच्ची एकता स्थापित होती देखनेके सिवाय दूसरी किसी चीजमें मेरी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए जहाँ मैं हाजिर होकर सेवा नहीं कर सकना, वहाँ मैं गैरहाजिर रहना ही एक सेवा समझता हूँ।

मुझे तो सत्य और अहिंसाको छोड़कर अन्य किसी चीजमें कोई आना नहीं है। मैं जानता हूँ कि जब सब तरीके अमफल हो जायेंगे, तब इनके जरिये ही नकलना प्राप्त होगी। इसलिए चाहे मैं एक अकेला ही रह जाऊँ या मेरी ओर बढ़तन हों, मगर मैं चलेगा तो उती रास्तेपर जो मुझे जान पड़ना है कि उँवरने दिगन्ताया है। मात्र सामयिक नीतिके तौरपर तो अहिंसा आज किसी कामकी नहीं। नीतिके तौरपर यह

तभी कारगर हो सकती है जब कि हमारे अपने बीच इसके विरुद्ध काम करनेवाली शक्तियाँ न हों। मगर जब अपने बीच हमारा उन लोगोंसे वास्ता पड़ता है जो खास हालातमें हिंसासे काम लेना अपना ध्येय मानते हैं तब अहिंसा काम-चलाऊ नीतिके तौरपर कारगर नहीं रह सकती। अहिंसामें पूर्ण विश्वास रखनेवालेके विश्वासकी परीक्षाका समय भी वही होता है। इसलिए मैं और मेरे विश्वास, दोनोंकी ही आज परीक्षा हो रही है। और अगर हम सफल होते मालूम न पड़ें तो दर्शक या आलोचक मेरे सिद्धान्तको दोष देनेके बदले मुझे ही दोष दें। मैं जानता हूँ कि कभी-कभी मुझे अपने आपसे भी लड़नेको लाचार होना पड़ता है। अबतक मैं ऐसा नहीं बन सका हूँ कि मेरे विचारोंमें भी हिंसाकी गुंजाइश न रहे। मगर मैं ऐसी वैचारिक हिंसाके विरुद्ध परमात्माकी दी हुई सारी शक्तिसे संघर्ष कर रहा हूँ।

अब शायद पाठक समझ गये होंगे कि मैं अली-भाइयोंके साथ पहले जितना क्यो नहीं रहता। अब भी मैं उनकी मुट्ठीमें हूँ। वे अब भी मुझे सगे भाइयों-जैसे प्रिय हैं। मुसलमानोंके गाढ़े वक्तमें उनका साथ देनेके लिए मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। अगर फिर अवसर आया तो मैं वैसा ही करूँगा। हालाँकि हम दोनोंका उद्देश्य एक ही है, मगर आज हमारे रास्ते एक नहीं हैं। वे तो मुझे शिमले और कलकत्तेकी सभाओंमें ले जाते<sup>१</sup>। कोहाटके दंगोंके<sup>२</sup> बादसे घटनाओंको समझनेमें हम लोग एक राय नहीं हो सके हैं। मगर वह दोस्ती ही किस कामकी जो इसीपर निर्भर हो कि हर बातमें हमारी रायें मिलती रहें। सच्ची दोस्ती तो ऐसी होनी चाहिए जो ईमानदाराना मतभेदको, चाहे वह कितना ही तीव्र क्यों न हो, बरदाश्त कर सके। मैं मानता हूँ कि हमारे मतभेद ईमानदाराना हैं और इसलिए जिन लोगोंकी मेरे और अली-भाइयों तथा दूसरे मुसलमान मित्रोंके बीच, जिनका नाम पाठक सहज ही बूझ सकते हैं, दोस्तीके टूटने या उसमें कमी आ जानेका शक हो, वे समझ लें कि वह अब भी पहले जैसी ही पक्की बनी हुई है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-१२-१९२७

१. सितम्बर, १९२७के शुरूमें हिन्दू और मुसलमान नेताओंका एकता सम्मेलन मु० अ० जिनाको अध्यक्षतामें शिमलामें हुआ था; इसी तरहका एक दूसरा सम्मेलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने, २७ अक्टूबर, १९२७को कलकत्तामें बुलाया था।

२. देखिए खण्ड २६, पृष्ठ ३३३-४१।

## २३६. अमेरिकासे सहायता

लगातार यात्राके कारण मैं इससे पहले रेवरेंड जॉन हेन्स होम्सके<sup>१</sup> निम्नलिखित पत्रको प्रकाशित नहीं कर सका :

जो विनाशकारी बाढ़ अगस्तमें आपके देशमें आई थी, उसकी एकर सुनते ही मैंने 'यूनिटी'में तुरन्त उसकी कहानी छाप दी थी। आगे अब हमने प्रोफेसर हेरी वार्डके सहयोगसे एक फोयके लिए, जिसका नाम हमने "गांधी सहायता फोय" रखा है, धन संग्रह करनेके खयालसे जनताके नाम एक अपील छपी है। अपनी इस अपीलको हम विभिन्न धार्मिक समाचारपत्रों तथा उदारवादी पत्रिकाओंमें छाप रहे हैं और मुझे कुछ अच्छे परिणामकी आशा है।

इसी बीच 'यूनिटी'ने अपना एक अलग फोय जोल लिया है, और इसमें से मैं आपको प्राथमिक भेंटके रूपमें मनीऑर्डर द्वारा १०० डालर भेज रहा हूँ। दूसरी सहायता हम प्राप्त होते ही भेजेंगे।

इस भारी विपत्तिके लिए, जिसने आपको तथा आपके देशकी जनताको संकटमें डाल दिया है, क्या मैं अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट कर सकता हूँ? अहमदाबाद किस फरर विपत्तिमें फँस गया है तथा आश्रम संकटसे घिर गया है, इसकी खबरसे मैं अत्यन्त दुखी हो गया हूँ। अगर आप और कोई सूचना भेज सकें तो आगे धन संग्रह करनेमें यह बहुत सहायक हो सकती है।

मुझे इस बातका निश्चय है कि पाठक अमेरिकासे प्राप्त धनकी मात्रापर नहीं जायेंगे। शायद हमें यह अधिकार नहीं है कि अपनी स्वामीय कठिनाइयाँ — जैसे गुजरातमें आई हालकी बाढ़ — में दूर देशोंसे किसीभी सहायताकी अपेक्षा करें। इसलिए इस अयाचित और अप्रत्याशित अमेरिकी सहायताके पीछे जो नीयन है वह महत्त्वपूर्ण है।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १-१२-१९२७

१. मा. र. गांधीके १९२७, पृ. ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००.

## २३७. खादीका अर्थशास्त्र

मेरे सामने इस समय खादीसे सम्बन्धित दो छोटी-छोटी किताबें पड़ी हैं। एक है बिहारके श्रीयुत राजेन्द्रप्रसादकी लिखी 'खादीका अर्थशास्त्र', जो बिहार चरखा-संघ कार्यालय, मुजफ्फरपुरसे तीन आनेमें मिलती है। चरखा-संघकी बिहार शाखा एक ग्रन्थमाला निकालना चाहती है, और उस मालाकी यह पहली किताब है। दूसरी किताब है गांधी आश्रम, तिरुचेञ्जोडकी रिपोर्ट। यह आश्रम श्रीयुत चक्रवर्ती राज-गोपालाचारीके निर्देशनमें चलता है। यह रिपोर्ट, मन्त्री, गांधी आश्रम, तिरुचेञ्जोड (दक्षिण भारत)को एक आनेका डाक-टिकट भेजनेसे मिल सकती है।

पहली किताबकी शैली बहुत सुगम है और संक्षेपमें लिखी गई है जिससे कि कामकाजी साधारण आदमी भी उसे पढ़कर खादीका अर्थशास्त्र समझ सके। मैं यहाँ उसकी दलीलोंको संक्षेपमें नहीं दूंगा, क्योंकि वह खुद ही चरखेके पक्षमें दी जा सकने-वाली दलीलोंका संक्षेप-मात्र है। मगर यह कहा जा सकता है कि पक्ष-विपक्षकी सभी दलीलोंको सामने रखनेके बाद राजेन्द्रबाबूने यह दिखलाया है कि केवल चरखेके जरिये ही विदेशी कपड़ेको देशसे हटानेमें सफलता मिल सकती है और बाईस करोड़ चालीस लाख किसानोंको चरखेके सिवाय दूसरा कोई सहायक धन्धा नहीं दिया जा सकता, जिसके बिना वे आधे पेट रहते हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्हें सालमें कमसे-कम १२० दिन तो निठल्ले बिताने ही पड़ते हैं, और पड़ेंगे।

श्रीयुत राजगोपालाचारीकी रिपोर्ट तो सच्ची बातों और आँकड़ोंका वैज्ञानिक विवेचन है, और वह राजेन्द्रबाबूकी दलीलोंको पूरी तरह सिद्ध करता है और उनको पुष्ट बनाता है। पाठकके लिए यह जानकारी रोचक होगी कि आश्रमके खर्चका ८५ फीसदी तो कतैयों-बुनकरोंके पास जाता है, ९३ फीसदी कार्यकर्ताओंको मिलता है और ५३ फीसदी दूसरे खर्चोंमें जाता है। रिपोर्टमें ऐसे रोचक और शिक्षाप्रद आँकड़े हैं जिनसे मालूम होता है कि कतैयों, बुनकरों और धोवियोंकी कितनी आमदनी हुई है। इन लोगोंको आज जितनी आमदनी हो रही है, वह चरखेके बिना इनमें से शायद किसीको भी नहीं होती और कतैयोंको तो निश्चय ही कोई आमदनी नहीं होती। इस रिपोर्टमें आश्रमके कामोंपर हुए आय-व्ययका भी प्रमाणित लेखा दिया हुआ है। एक पृष्ठमें यह दिखलाया गया है कि ग्राहक खादीका जो मूल्य देता है उसका वितरण किस प्रकार होता है। आँकड़े ये हैं:

किसान	३७ फीसदी
कातने और बुननेवाले	५४ फीसदी
कार्यकर्ता	६ फीसदी
अन्य खर्च	३ फीसदी

और कहा गया है :

“कपड़े तो आप पहनेगे ही, पर अगर आप राबी पहनते हैं तो हिन्दुस्तानके गांधीके पुनश्चरारमें हाथ बँटाते हैं।”

वकैले आश्रमने ही पिछले दार्द वर्षोंमें आगपानके गांधीके गरीब आदमियोंमें, १,२४,५३६ ग० बाँटे है, और यह कुछ गैरातमें नहीं बल्कि घर बैठे कामके बदनमें। आश्रम मुफ्त दवाव्याना भी चलाता है, जिनमें पिछले ११ गरीबोंमें १०,१४५ रोगी आये, और १४८ रोगियोंकी शल्य-चिकित्सा की गई। रोगियोंमें अछूत गहलानेवाले लोग भी थे।

[अग्नेजीसे]

पंग इंडिया, १-१२-१९२७

## २३८. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिये

गद्दास

१ दिमम्बर, १९२७

गांधीजीने पत्र-प्रतिनिधि द्वारा पूछे गये अनेक प्रश्नोंका उत्तर देनेसे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा :

मैं लकामे अभी ताजा-ताजा लौटा हूँ और किसी प्रश्नका उत्तर देनेकी स्थितिमें नहीं हूँ। . . .

इसके बाद गांधीजीका ध्यान शाही आयोगके<sup>१</sup> बारेमें उनके लंफामें दिये गये इस बयानकी<sup>२</sup> ओर दिलाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा अन्तःकरण कांग्रेस अध्यक्षके पास गिरवी रखा है। गांधीजीसे पूछा गया कि क्या वे उस बयानपर अब भी टिके हुए हैं और क्या वे कांग्रेस अध्यक्षके इस विचारसे सहमत हैं कि इस समयकी बड़ी जरूरत यह है कि शाही आयोगकी नियुक्तके पीछे जो नीति है, उसके विरोधमें बड़े पैमानेपर सामूहिक आन्दोलन फिरसे आरम्भ करनेके लिए गौहाटी कार्यक्रममें फेरबदल किया जाये।<sup>३</sup> क्या महात्माजी स्वयं किसी ऐसे आन्दोलनका नेतृत्व करेंगे ? गांधीजीने अपना यह उत्तर दोहराया कि पिछले कुछ सप्ताहोंसे मैं भारतकी घटनाओंके सम्पर्कमें नहीं रहा हूँ। इस प्रश्नका और अच्छी तरह अध्ययन करनेका अवसर मिलनेसे पहले मैं इस समय कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने कहा :

१. दैलिय परिशिष्ट ८।

२. दैलिय “भेंट : पत्र-प्रतिनिधिये”, १३-११-१९२७।

३. वाइसरके वाक्पत्रके अर्थोकि लिख, दैलिय परिशिष्ट ७।



मेरा अन्तःकरण अभी भी श्री श्रीनिवास अय्यंगारके<sup>१</sup> पास गिरवी रखा है और उस समयतक रहेगा जबतक कि मद्रासमें डा० अन्सारी<sup>२</sup> सिंहासनारूढ़ नहीं हो जाते।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २-१२-१९२७

## २३९. भाषण: चिकाकोलकी सार्वजनिक सभामें

३ दिसम्बर, १९२७

लगता है कि आप लोग हर अच्छी चीजमें गरीब उत्कलके<sup>३</sup> साथ हिस्सा बाँट लेते हैं। मैं ऐसा मानकर खुश था कि मेरा यहाँ आना भी एक ऐसी ही अच्छी चीज है, क्योंकि मेरा इरादा बीसके-बीसों दिन उड़ीसाके नरककालोंसे मिलने-जुलनेमें व्यतीत करनेका था। लेकिन आप आन्ध्र-लोग इस तरह उड़ीसाके द्वारपाल हैं, और आपने मुझको रोक लिया है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं जो चाहता था, वह आपने पहले ही कर दिया है। आन्ध्र प्रदेशमें प्रवेश करनेके बाद मैं आपके साथ अपना व्यापार करता रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ईश्वर उन सब अज्ञात लोगोंका भला करेगा जो मेरे साथ, दरिद्रनारायणके आत्मनियुक्त प्रतिनिधिके साथ, सहयोग करते रहे हैं। और यहाँ भी आप वही चीज कर रहे हैं। पिछली रात कई वहनें आईं और उन्होंने मुझे एक थैली भेंट की। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आखिरकार मेरा यह आन्ध्रका दौरा नहीं है। मैं आपको इतनी आसानीसे छोड़नेवाला नहीं हूँ, और क्योंकि गंजमके कुछ हिस्सोका मैंने दौरा कर लिया है, केवल इसीलिए देशभक्त कोंडा बेंकटप्पैया भी मुझे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। मैं अगले वर्षके आरम्भमें आन्ध्रका दौरा करनेके लिए बचनबद्ध हूँ, और मैं आशा करना चाहता हूँ कि आप इस समय जो कर रहे हैं, वह अगले वर्ष आप जो-कुछ करनेवाले हैं, उसका पूर्वाभास-भर है।

आपको सच्चे असहयोगमें विश्वास है। शराबखोरीकी बहुत बड़ी बुराई श्रमजीवी लोगोंको खोखला किये डाल रही है। मैं चाहूँगा कि आप विना हिचके इस बुराईके साथ असहयोग करें, और मैं आपके सामने अपने नुकसानकी परवाह किये विना यह प्रस्ताव रखता हूँ कि जो लोग शराबकी आदत छोड़ दें वे बचतकी राशिको दरिद्र-नारायणके नामपर मेरे साथ आवा-आधा बाँट लें। फिर, मैं देखता हूँ कि घूम्रपानकी बुरी लतके कारण आपमें से बहुतोंने अपने मुँहको बुएँकी चिमनी बना दिया है। आप घूम्रपान करनेवाले लोग जानते नहीं कि यह कितनी भन्दी आदत है। जब मैंने यह अपील की तो मैंने देखा कि बहुत-से लोगोंने अपने सिगार या सिगरेटें फेंक दीं। घूम्रपान करनेवाले लोग नहीं जानते कि वे अपने बच्चोंके लिए क्या चीज विरासतमें

१. कांग्रेसके अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल समाप्त होनेवाला था।

२. कांग्रेसके नव-निर्वाचित अध्यक्ष।

३. उड़ीसाका दूसरा नाम।

छोट रहे है। मेरी तरह आप भी जानते है कि बच्चे घुस्रपानके बारेमें अपने गीमून्डके गन्तुष्ट करनेके लिए पैमांकी चोगी करते है। उनलिये मै आगे घुस्रपानकी आरम्भके साथ असहयोग करनेको और उन प्रकार बचनेवाले पैमांकी भी मेरे गाय बॉटनेको कहता हूँ।

इसी प्रकार हिन्दुओंको अस्पृश्यता-रूपी पिनाजके गाय भी जगहयोग करना चाहिए। मै आपको विदवाग दिलाता हूँ कि यह पिनाज हमें उन्परकी आगे विमुक्त किये हुए है, और अस्पृश्यताकी बाधा हमारे ही विनाजके लिए रची गई है।

इसके बाद महात्माजीने श्रोता-समुदायमें से किसी व्यक्ति द्वारा लिखपर पूछे गये कुछ प्रश्नोंके उत्तर दिये। पहला प्रश्न था : मातृभूमिके उत्थानके लिए नवयुवक लोग अब क्या तरीके अपनायें ? महात्माजीने कहा :

बहुत-सी चीजें है जो मै मुना सकता हूँ, लेकिन एक चीज है जो वे करने अधिक सरलतान कर सकते है, और वह है खादी-कार्य। वे हर महीने या हर वर्ष अमुक धन-राशि खादी-कार्यके निमित्त अलग निकाल सकते है। यदि उनके पास समय हो तो वे उसे अपने जिलेमें खादी-कार्यका संगठन करनेमें लगा सकते है। यदि वे इसे करना शुरू कर दें तो वे देखेंगे कि उन्होंने वह दे दिया है, जो उनमें सर्वोत्तम है। यदि वे संगठन-कार्य न कर सकें या यदि उनमें यह आत्म-विदवाग न हो कि वे संगठन-कार्य कर नकेगे तो वे प्रतिदिन आधा घंटा कताईको दे सकते है और अपना सूत अखिल भारतीय चरखा संघको भेजकर उसके सदस्य बन सकते है।

दूसरा प्रश्न किसी सार्वजनिक कार्यकर्तामें अपेक्षित शैक्षणिक तथा धन्य योग्यताओंके बारेमें था। महात्माजीने कहा :

जहाँतक शैक्षणिक योग्यताओंका प्रश्न है, सार्वजनिक कार्यकर्ताको अपने प्रान्तकी भाषा जाननेके अलावा राष्ट्र-भाषा हिन्दी भी अवश्य जाननी चाहिए। लेकिन अन्य योग्यताएँ तो कही ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओंको पूर्णतः ईमानदार होना चाहिए और उनका निजी चरित्र शुद्ध होना चाहिए। जिन लोगोकी दृष्टि नीची नहीं है और जिनके मन पादाविक प्रवृत्तियोंमें भरे हुए है वे राजनीतिक कार्य करनेके उपयुक्त नहीं है। और मेरी रायमें जबतक वह हर कीमतपर सत्य और अहिंसाका पालन करनेमें विश्वास नहीं रखता, तबतक उसे राजनीतिग नहीं होना चाहिए।

तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए महात्माजीने कहा :

हमारे सभी नेता जब तरह-तरहकी योजनाएँ सोचने और बनानेमें लगे हुए हैं, तब हम साधारण कार्यकर्तागण सबसे अच्छा काम यही कर सकते है कि चरणके सन्देशको पूरी तरह कार्यरूपमें परिणत कर लें। साठ करोड रुपये बचानेके प्रयत्नमें हाथ बँटाना आपके और मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। आप और मै सब लोग विधान-परिषदो, विधान-मन्नाओं और नगरपालिकाओंमें तो नहीं जा सकते। यदि हम जाना भी चाहें तो हमारे पास ननी योग्यताएँ नहीं होंगी। लेकिन गार्दिके लिए जिन योग्यताओंकी आवश्यकता है, वे हम सबमें जन्मने ही मौजूद है। इसके लिए

हृदयके प्रशिक्षणके सिवा बहुत प्रशिक्षणकी आवश्यकता नहीं है। खादी-कार्य करते हुए आप देखेंगे कि आपके अन्दर शक्ति आती जा रही है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ९-१२-१९२७

## २४०. खादीपर निबन्ध

पाठक जानते ही होंगे कि श्री रेवाशंकर जगजीवन [झवेरी] के घोषित पुरस्कारके आवारपर अंग्रेजीमें खादीपर निबन्ध लिखनेकी योजना भी की गई थी। इस तरह अध्यापक पुणताम्बेकर और श्री वरदाचारिने मिलकर जो निबन्ध लिखा था उसे पुरस्कार मिला था। यह निबन्ध पढ़ने लायक है इसलिए जमनादास भगवानदास स्मारकमालाके लिए उसका अनुवाद किया गया है। सत्याग्रहाश्रमके छगनलाल जोशीने इसका अनुवाद किया है। अब वह प्रकाशित हो गया है। उसकी कीमत एक रुपया रखी गई है। अनुवादके २१५ पृष्ठ बने हैं। सब मिलाकर २६० पृष्ठ है। बाकीके पृष्ठोंमें परिशिष्ट हैं। सभी परिशिष्ट उपयोगी हैं। अन्तिम पृष्ठपर गुजरातकी खादीका संक्षिप्त इतिहास दिया हुआ है, अर्थात् पहले गुजरातमें कहाँ-कहाँ खादी तैयार होती थी और वह अमूल्य उद्योग कैसे नष्ट हो गया, यह बताया गया है। अनुवाद सरल भाषामें है। इसलिए गुजराती पाठकको समझनेमें दिक्कत नहीं होगी। चरखा-प्रवृत्तिका रहस्य अच्छी तरहसे समझनेके इच्छुक व्यक्तिको चाहिए कि वह इस पुस्तकको पढ़ जाये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ४-१२-१९२७

## २४१. भाषण : स्त्रियोंकी सभा, बरहामपुरमें<sup>१</sup>

४ दिसम्बर, १९२७

बहनो,

आपने खादी कार्यके लिए दो थैलियाँ भेंटकी हैं। मैं आपकी भेंट कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। आप ऐसा न सोचें कि मैं आपमें से कुछ को उड़िया और कुछको तेलगु समझता हूँ। आपको लगना चाहिए कि आप सभी लोग भारतीय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम आन्ध्र देशके हैं और कुछ कहते हैं कि हम उड़ीसाके हैं। आप सब लोग अपनेको भारतवासी मानिये। आप सब लोग परस्पर एक-दूसरेके दुख और सुखमें हिस्सा बँटायें; तभी आप सीता-जैसी बननेके योग्य होंगी। सीता अपने-आपको अयोध्याका नागरिक नहीं समझती थीं। वह हमेशा अपनेको सम्पूर्ण भारतका

नागरिक मानती थी। मुझे मचमुच गुनी है कि आपने यह अनिश्चयताय राष्ट्रीय भाषा अर्थात् हिन्दीमें लिखा है। आप सब लोगोंको विदेशी भाषियों को छोड़ देनी चाहिए। आप केवल गादीका उपयोग करें। हिन्दी में ही मुन्दर भाषियों और आन्-पणोंका इस्तेमाल करनेकी कोई जरूरत नहीं है। जिन एक चीजकी आवश्यकता नहीं होती है, वह है शुद्धता। आप सब रादी पढ़ें। आप सब शुद्ध और तत्ववादी बनें। आपको किसी व्यक्तिको अस्पृश्य नहीं समझना चाहिए। भारतवर्षमें हिन्दी व्यक्तियों अस्पृश्य समझना एक बहुत बड़ा पाप है। ईश्वरके लिए यह पाप मत कीजिए। उन लोगोंमें प्रेम कीजिए जो गरीब हैं, बीमार हैं और भूख हैं। आप उनमें प्रेम करती हैं जिन सिद्ध करनेके लिए आप प्रतिदिन कमसे-कम आधा घंटा चरणपर नून कातिए। जिन्होंने उस गादी कोपके लिए कुछ भी नहीं दिया है, मैं उनमें अपील करता हूँ कि वे चन्देमें पैसा या आभूषण दें।

[ उड़ियासे ]

समाज, १०-१२-१९२७

## २४२. भाषण : छात्रोंकी सभा, बरहामपुरमें

४ दिसम्बर, १९२७

प्रोफेसरगण, छात्रों और माइयो,

इस सभामें हम जिस कार्यक्रमका अनुसरण करेंगे, वह अन्य सभाओंमें अपनाये गये कार्यक्रमोंसे भिन्न होगा। हम लोग अपने सत्याग्रह आश्रममें पिछले कई वर्षोंमें प्रातः ४ बजेकर १५ मिनटपर और सायं ७ बजे सामूहिक प्रार्थना करते हैं। जब आश्रमवासी किसी और जगह जाते हैं तो यही क्रम वहाँ भी चलाते हैं। यह जानने हुए कि [ यात्राओंके दौरान ] शामको ७ बजे नियमनः प्रार्थना करना कठिन है, हमने यह तय किया है कि रातमें सोनेमें पहले प्रार्थना अवश्य की जानी चाहिए।

गुरुवार, २ दिसम्बरको जब हमने गंजम जिलेमें प्रवेष्ट किया उन समय बहुत रात हो गई थी। बहुत अधिक कार्य होनेके कारण मैं सोनेमें पहले प्रार्थना करना भूल गया। मुझमें जब मैं जगा तो भयसे काँप उठा। मैं देग मकना था कि मैंने प्रभुके प्रति बहुत बड़ी गलती की थी। इसलिए हमने निश्चय किया कि जो व्यक्ति प्रार्थना करना भूल जाये उसे किसी-न-किसी प्रकारका प्रायश्चित्त करना चाहिए। हमने यह भी तय किया कि हम चाहे किसी जगहपर हों, हमें शामको रामके नामका एक बार स्मरण अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रमके अनुसार मुझे इन सभामें ७ बजे पहुँचना था और ऐसा माना गया था कि हम सब एक साथ प्रार्थना करेंगे; लेकिन छत्रपुरमें मोटर द्वारा आते समय मैंने देखा कि ७ तो बजे चुके हैं। इसलिए मैंने मोटर गाड़ीमें अकेले ही प्रार्थना कर ली। लेकिन जब हमने सामूहिक प्रार्थना करना तय किया है तब मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सब अभी इसी समय यहाँ

प्रार्थना करें। जिन छात्रों तथा अन्य लोगोंको प्रार्थनामें विश्वास है वे आँख बन्द करके प्रार्थना करें। प्रार्थनाके वाद में उसकी उपयोगिताको समझानेकी कोशिश करूँगा। जो लोग प्रार्थना करनेके लिए अनिच्छुक है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे शान्तिपूर्वक बैठे रहें।<sup>१</sup>

जिस प्रकार शरीरके लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार आत्माके लिए प्रार्थना आवश्यक है। कोई मनुष्य कई दिनोंतक बिना भोजन किये रह सकता है—जैसा कि मेकस्विनीने ७० से अधिक दिनोंतक किया था—लेकिन ईश्वरमें विश्वास रखते हुए मनुष्य एक क्षण भी बिना प्रार्थना किये नहीं रह सकता और न उसे रहना ही चाहिए। आप कहेंगे कि हम ऐसे बहुत-से लोग देखते हैं जो प्रार्थना नहीं करते। मैं भी साहसपूर्वक कहता हूँ कि वे प्रार्थना नहीं करते, लेकिन यह तो मानवकी प्राकृतिक वृत्ति है और जो उसके लिए मृत्युसे भी ज्यादा बुरी है। मुझे इसमें रचमात्र भी सन्देह नहीं है कि आज हमारा वातावरण जिस लड़ाई-क्षेत्रसे भरा हुआ है, वह हमारी सच्ची प्रार्थनाकी भावनाके अभावके कारण है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे इस कथनसे असहमत होंगे और कहेंगे कि लाखों हिन्दू, मुसलमान और ईसाई प्रार्थना करते हैं। मैंने सोचा था कि आप इस प्रकारकी शंका उठायेंगे, इसलिए मैंने “सच्ची प्रार्थना” शब्दोंका प्रयोग किया है। तथ्य यह है कि हम मात्र होंठ हिलाकर प्रार्थना करते रहे हैं, और यह मात्र होठोंसे प्रार्थना करनेके दम्भसे बचनेके लिए ही है कि हम लोग आश्रममें ‘भगवद्गीता’ के द्वितीय अध्यायके अन्तिम श्लोक हर संघ्या प्रार्थनामें दोहराते हैं। यदि ‘आत्माकी समानता’का, जिसका वर्णन उन श्लोकोंमें है, प्रतिदिन ध्यान करें, तो यह निश्चित है कि हमारा हृदय ईश्वरकी ओर उन्मुख होगा। यदि आप छात्रगण अपनी शिक्षाको शुद्ध चरित्र और शुद्ध हृदयकी सच्ची नीवपर आधारित करना चाहते हों तो इसके लिए प्रतिदिन नियमपूर्वक सच्चे मनसे प्रार्थना करनेसे अधिक सहायक और कोई चीज नहीं हो सकती।

[अंग्रेजीसे]

समाज, १०-१२-१९२७

यंग इंडिया, १५-१२-१९२७

१. प्रथम दो अनुच्छेद उदिया पत्र समाजसे लिये गये हैं। इसके बादकी सामग्री १५-१२-१९२७के यंग इंडियामें प्रकाशित महादेव देसाईके “साप्ताहिक पत्र” से ली गई है। महादेव देसाईने लिखा है: “छात्रोंकी समा शाम सात बजे रखी गई थी। यद्यपि हम समामें सात बजे नहीं पहुँचे और अपनी प्रार्थना हमें मार्गमें ही करनी पड़ी, फिर भी गांधीजीने सभामें सामूहिक प्रार्थना करनेका निश्चय किया। प्रार्थना हुई, जिसमें छात्रोंने पूरी शान्ति रखी . . .।”

## २४३. तार : जमनालाल वजाजको

वरहामपुर

५ दिगम्बर, १९२७

जमनालालजी वजाज

आश्रम

सावरमती

मोहनलाल मिला था। तुम्हारे और जयदयालजीके तार मिलनेके पहले ही उसे घर भेज दिया।

वापू

[ अंग्रेजीसे ]

पाँचवें पुत्रको वापूके आशीर्वाद

## २४४. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

वरहामपुर

मौनवार [ ५ दिगम्बर, १९२७ ]

बहनो,

तुम्हारा भणिवहनको लिखा हुआ पत्र मिला। आज मेरे पास बहुत समय नहीं है। आश्रममें श्रृंगार तो हरगिज नहीं होना चाहिए, इस बारेमें मुझे जरा भी धंका नहीं है। इतना तो साफ ही है कि जबतक देशमें भयंकर भुखमरी फैली हुई है, तबतक रत्ती-भरकी अंगूठी भी रखना या पहनना पाप है। कपड़े तो शरीरको ढँकने और सरदी-गरमीसे बचनेके लिए ही पहने जाने चाहिए। इस आदर्शतक पहुँचनेका सब बहनोंको प्रयत्न करना चाहिए।

श्रृंगारकी उत्पत्तिके बारेमें तो आज नहीं लिखूंगा। ऐसा नहीं लगना कि मेरा सवाल तुमने अच्छी तरह समझ लिया है।

लक्ष्मीबहन बीमार कैसे हो गईं? वे तो बीमार पड़ती नहीं थीं।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६७९) की फोटो-नकलने।

## २४५. पत्र : मणिलाल व सुशीला गांधीको

५ दिसम्बर, १९२७

चि० मणिलाल व सुशीला,

मुझसे इस बारकी डाक चूक गई। मैं लंका-प्रवासमें कामका ठीक सिलसिला कायम नहीं रख सका। बहुत अधिक घूमना-फिरना हुआ। किन्तु इस प्रकार यदि मुझसे डाक चूक जाये तो तुम घबराना नहीं और न मेरी चूकका अनुकरण ही करना। तुम दोनों मेरी तरह कर्मठ बनो और साथ ही मेरे दोषोंको नजर अन्दाज करना न सीखो, और फिर चूको तो भले ही चूको। वास्तवमें सही उत्तराधिकारी तो वही है जो उत्तराधिकारमें वृद्धि करता है।

सुशीलाका यह लिखना ठीक है कि कलामें स्वदेशी और परदेशीका भेद नहीं होता। किन्तु उसके इस कथनपर थोड़ा विचार करना उचित होगा। कलाके सम्बन्धमें उथली दृष्टिसे विचार करते हुए कलाप्रेमी उसकी आड़में बहुतसे दोष छिपा देते हैं। अतः हम इस बातपर विचार करें कि कला किसे कहना चाहिए। जो-कुछ भी हमारी आँखको रुचे वह सब कला नहीं है। अनेक विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत कला भी कला नहीं हो सकती। अनेक चित्रों तथा प्रतिमाओंके बारेमें मुझे विश्व विख्यात कला समीक्षकोंके भिन्न-भिन्न विचार पढ़नेको मिले हैं। अतः हमें इस बातपर विचार करना चाहिए कि कला क्या है। 'कला क्या है' नामक पुस्तकका अनुवाद हो गया है। यह पुस्तक सुशीलाको पढ़ लेनी चाहिए। यदि वहाँ यह पुस्तक उपलब्ध न हो तो मुझे लिखना।

देवदासने बीमारीमें बहुत कष्ट उठाया है। उसकी नाकमें कुछ खराबी आ गई है। फिर बुखार आया। अब वह ठीक है। वा उसके पास गई है। आज मैं उत्कलमें हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरती (जी० एन० ४७३१) की फोटो-नकलसे।

१. लियो टॉल्स्टॉय कृत पुस्तक, ग्लाड इज़ आर्ट ।

## २४६. भाषण : छत्रपुरमें'

[ ६ दिगम्बर, १९२७ या उगमें पूर्व ]

मैं बड़ी उत्सुकतासे उस दिनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब कि माग्नी गगिनी भापाओंके बीच चल् रही इस हानिकर स्पर्धाका पूरी तरह अन्त होगा। त्रिम तन्त्र एक मर्द अपनी अनेक बहनोंको एक-सा लाड़-प्यार देना है, उगी तरह हम उन गनी भापाओंको लाड़-प्यार क्यों नहीं देते? इस हानिकर स्पर्धाका परिणाम यह हो रहा है कि हम अपनी मातृभापाको भूलते जा रहे हैं और अन्य भापाओंमें रूचि करने हैं तथा बड़ी आसानीसे इस बातमें विश्वास कर लेते हैं कि अंग्रेजी भारतकी आम भापाका स्थान ले लेगी, यहाँतक कि मातृभापाका भी। वस्तुतः मेरे पास एक मुजाब आया था कि यहाँ इस सनामें मैं अंग्रेजीमें बोलूँ। मैं इसे मातृ-भूमिनि दुहिना भापाके प्रति प्रेमका अभाव मानता हूँ और विदेशी भापाके प्रति अस्यस्य प्रेम मानता हूँ। यह बात नहीं कि मैं अंग्रेजीसे घृणा करता हूँ लेकिन यह बात जरूर है कि मैं हिन्दीसे अधिक प्रेम करता हूँ। यही कारण है कि मैं भारतके विभिन्न वर्गके लोगोंमें हिन्दीको अपनी आम भापा बनानेके लिए निवेदन कर रहा हूँ। हिन्दीके माध्यममें ही हम दूसरे प्रान्तोंसे सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और अन्य प्रान्तीय भापाओंका विकास कर सकते हैं। एक विदेशी भापाके जरिये शिक्षा प्राप्त करनेके कारण यदि हमारे दिल और दिमाग कमजोर न हो गये होते तो कोई कारण नहीं है कि हम गनी लोग पाँच-छः प्रान्तीय भापाएँ क्यों न जानते होते। भापाओंके बीच स्वयंके सम्बन्धमें मेरी कही गई बात संकीर्ण प्रान्तीयताकी भावनापर भी लागू होती है। यह बड़ी प्रान्तीयतावाद है जिसने हमारी राष्ट्रवादी भावनाके पूर्ण विकासको अवरुद्ध कर दिया है। राष्ट्रियताकी भावनाको बढानेके ग्यालमे स्वर्णिम नियम यह है कि जो अधिक शक्तिशाली हो उसे निर्बलकी, जहाँतक सम्भव हो, मदद करनी चाहिए और उसके लिए त्याग करना चाहिए। और अब आप स्वस्य राष्ट्रियताके विकासमें महायक हो सकेंगे और गरीबों और पददन्तिकों तन ढँकनेवाली रादीके औचित्यको समझ सकेंगे।

[अंग्रेजीमें]

यंग इंडिया, १५-१२-१९२७

१. अपने "साप्ताहिक पत्र" में महाशिव देसाईने बताया है कि निम्नलिखितमें सङ्गठित "जन-मन-मत" का गायन किया था, किन्तु किनी संज्ञाके विचारोंके अन्तर्गतमें इसमें "दर" "शक्ति" निम्न कर "दर" "शक्ति" दल दिया था। . . . १९ मन्तरत गांधीजी इनी संज्ञाके अन्तर्गत गायन के बोरे थे।



## २४७. पत्र : मगनलाल गांधीको

मगलवार [ ६ दिसम्बर, १९२७ ]<sup>१</sup>

चि० मगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं तुम्हारे पत्रकी प्रतीक्षा करता ही रहता हूँ किन्तु यदि तुम्हारा पत्र नहीं मिलता तो यह मान लेता हूँ कि इस प्रकार मैं तुम्हारा स्तवन तो कर ही रहा था। जब हम कोई अप्रिय बात कहना चाहते हैं तो वह मधुर ही मानी जाती है क्योंकि वह बात सच ही होती है और सच सदैव मधुर होता है। अतः तुम मुझसे जो-कुछ कहना उचित समझो उसे कहनेमें झिझकना नहीं। तुमने जिन पत्रोंके बारेमें लिखा है वे मुझे नहीं मिले। 'सत्यना प्रयोगो' में बहुत-सी मूलें रह गई होंगी, हालाँकि मैं काफी सावधानी बरतता हूँ। किन्तु जब याददास्त ही घोषा दे जाये तो मैं किसके सामने अपना दुखड़ा रोऊँ? सामान्य या विशेष किसी भी तथ्यात्मक मूलकी ओर मेरा ध्यान अवश्य दिलाना।

'अजहूँ न निकसे प्राण कठोर'<sup>२</sup> मुझे तो भय है। महादेवने तो इसे अपनी दृष्टिसे गाया था। अभिप्राय तो जब वह सुनाये तब जान पाओगे। फिलहाल तुम जिस काममें लीन हो गये हो उसमें लीन होना अच्छा ही हुआ।<sup>३</sup> तुम आश्रम आते-जाते रहते हो यह भी ठीक ही है। तुम अपने सुझाव और टिप्पणियाँ तो भेजते ही रहना। आदर्श गाँवको सचमुचका आदर्श गाँव बनानेमें अपनी जान लड़ा देना; तभी उसमें प्राणवान मनुष्य रह सकेंगे।

वा वहाँ देवदासके पास गई है। अब और अधिक लिखनेका समय नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७६९) से।

सौजन्य : राधाबहन चौधरी

१. कस्तूरबा गांधीके देवदासके पास जानेके उल्लेखसे जान पड़ता है कि यह पत्र भी उसी समय लिखा गया होगा जबकि "पत्र : मगनलाल व सुशीला गांधीको", ५-१२-१९२७ लिखा गया था।

२. सन्त दादूके भजनकी पंक्ति।

३. इन दिनों मगनलालने ग्रामोंमें रचनात्मक कार्य करना आरम्भ कर दिया था।

## २४८. सत्यका विरूपण

एक माई एक हाई स्कूलके बाचार्यकी मददसे विद्यार्थियोंमें 'गीता' की पद्यार्थि गुरु करानेका प्रयत्न कर रहे है। परन्तु 'गीता' की कक्षा गुरुनेके धोड़े गमय बाद हुई समामें एक बँकके मनेजर पड़े हुए और गनाके काममें विघ्न उत्पन्न बाने कि विद्यार्थियोंको 'गीता' पढनेका अधिकार नही है। 'गीता' कोर्ट बच्चोंके हाथमें देनेका खिलौना तो नही है। अब उन माईने मुझे इन घटनाके बारेमें लम्बा और दलीलमें भरा पत्र लिखा है और अपनी दलीलके समर्थनमें रामरूप्य परमहंसके कितने ही वचन दिये है। उनमें से कुछ मैं यहाँ देता हूँ :

बालकों और नौजवानोंको ईश्वरकी साधना करनेका प्रोत्साहन देना चाहिए। वे स्वस्थ निर्वीष फलोंकी तरह होते हैं क्योंकि संसारकी वासनाओंका दूषित स्पर्श उन्हें जरा भी नहीं लगा होता। ये वासनाएँ जहाँ एक धार उनके मनमें घुसीं कि फिर उन्हें मोक्षके रास्तेकी तरफ मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।

मैं नौजवानोंको इतना ज्यादा क्यों चाहता हूँ। इसलिए कि वे अपने मनके सोलहों आने मालिक हैं। वे जैसे-जैसे बड़े होते जायेंगे, वैसे-वैसे उनके मन छोटे-छोटे भागोंमें विभक्त होते जायेंगे। विवाहित आदमीका आधा मन स्त्रीमें बसा रहता है। जब बच्चा होता है, तो चार आने मन वह खींच लेता है। बाकी चार आने मन माता-पिता, दुनियाके मान-मर्तबे और फण्डे-लत्तोंके शोक वगैरामें बँट जाता है। इसलिए बालकोंका मन ईश्वरको आसानीसे पहचान सकता है। बड़े आदमीके लिए यह बड़ी कठिन बात है।

तोतेका गला बड़ी उम्रमें पक जाता है, तब उसे गाना नहीं सिखाया जा सकता। वह बच्चा हो तभी सिखाना चाहिए। इसी तरह बूढ़ापमें ईश्वर-पर मन लगाना मुश्किल है। तरुणाईमें आसानीसे लगाया जा सकता है।

एक सेर मिलावटी दूधमें छटाक-भर पानी हो, तो उसको खीर बनानेके लिए बहुत थोड़ी मेहनत और थोड़ा ईंधन चाहिए। परन्तु सेर-भर दूधमें तीन पाव पानी हो तो उस दूधको गाढ़ा करनेके लिए कितनी मेहनत और कितना ईंधन चाहिए? बच्चोंके मनको वासनाओंका मेल थोड़ा ही लगा होता है, इसलिए वह ईश्वरकी तरफ मुड़ सकता है। वासनाओंमें पूरी तरह रंगे हुए बड़े लोगोंके मनको किस तरह मोड़ा जा सकता है?

बाँसके छोटे पेड़को जस्ता चाहे सोड़ लीजिए, परन्तु पके बाँसको सोड़ने लगे तो वह टूट जायेगा। बच्चोंके दिलको ईश्वरकी तरफ मोड़ना आसान है, परन्तु बड़े आदमीका दिल खींचने चलें तो वह छिटक जाना है।

मनुष्यका मन राईकी पुड़िया-जैसा है। जैसे पुड़ियाके फट जानेपर बिखरे हुए दाने चुनकर जमा करना कठिन है, वैसे ही जब मनुष्यका मन कई तरफ दौड़ता हो और संसारके जालमें फँस गया हो, तब उसे मोड़कर एक जगह लगाना बहुत कठिन है। बच्चोंका मन कई तरफ नहीं दौड़ता, इसलिए उसे किसी चीजपर आसानीसे एकाग्र किया जा सकता है। किन्तु बूढ़ेका मन दुनियामें ही रमा रहनेके कारण उसे इधरसे खींचकर ईश्वरकी तरफ मोड़ना बहुत कठिन है।

‘वेद’ पढ़नेके अधिकारके बारेमें मैंने सुना था, परन्तु यह मुझे कभी खयालतक न था कि बैकके मैंनेजन्मे जिस अधिकारकी कल्पनाकी थी उसकी जरूरत ‘गीता’ पढ़नेके लिए भी पड़ेगी। वह यह बता देते तो अच्छा होता कि उस अधिकारके लिए क्या गुण जरूरी है। स्वयं ‘गीता’ ने ही स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि ‘गीता’ निन्दकके सिवा और सबके लिए है। हिन्दू विद्यार्थी यदि ‘गीता’ नहीं पढ़ सकते तब तो वे शायद कोई भी धर्म-ग्रन्थ नहीं पढ़ सकते। सच पूछो तो हिन्दू धर्मकी मूल कल्पना ही यह है कि विद्यार्थियोंका जीवन ब्रह्मचारीका है और उन्हें इस जीवनकी शुरुआत धर्मके ज्ञान और धर्मके आचरणसे करनी चाहिए, जिससे जो-कुछ वे सीखते हैं, उसे पचा सकें और धर्माचरणको अपने जीवनमें उतार सकें। पुराने जमानेका विद्यार्थी यह जाननेसे पहले ही कि मेरा धर्म क्या है, उसपर अमल करने लग जाता था; और इस तरह अमल करनेके बाद उसे जो ज्ञान मिलता था उसके आधारपर अपने नियत किये गये आचरणका रहस्य वह समझ सकता था।

इस तरह अधिकार तो उस समय भी था। परन्तु वह अधिकार पाँच यम—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य—रूपी सदाचरणका था। धर्मका अध्ययन करनेकी इच्छा रखनेवाले हर आदमीको ये नियम पालने पड़ते थे। धर्मके इन आधारभूत सिद्धान्तोंकी जरूरत सिद्ध करनेके लिए धर्म-ग्रन्थोंसे प्रमाण जुटानेकी जरूरत नहीं रहती।

किन्तु आजकलके इस तरहके अनेक व्यापक अर्थवाले शब्दोंकी तरह ‘अधिकार’ शब्द भी विकृत हो गया है, और अब एक धर्म-भ्रष्ट मनुष्यको भी सिर्फ ब्राह्मण कहलानेके कारण ही शास्त्रोंके पठनका और उन्हें हमें समझानेका अधिकार है ऐसा माना जाता है; और दूसरे एक आदमीको, जिसे किसी खास स्थितिमें जन्म लेनेके कारण ‘अछूत’ पद मिल गया है—मले ही वह कितना ही धर्मात्मा हो—शास्त्र पढ़नेकी मनाही है।

परन्तु जिस ‘महाभारत’ का ‘गीता’ एक भाग है, उसके रचयिताने इस पागलपन-भरे निषेधके विरोधमें ही यह महाकाव्य लिखा और वर्ण या जातिका जरा भी भेद किये बिना सबको उसे पढ़नेकी आजादी दे दी। मेरा खयाल है कि उसने इसमें सिर्फ मेरे द्वारा ऊपर बताये हुए यमोंके पालनकी ही शर्त रखी होगी। ‘मेरा खयाल है’ ये शब्द मैंने इसलिए जोड़े हैं कि यह लिखते समय मुझे याद नहीं आता कि ‘महाभारत’ पढ़नेके लिए यमोंके पालनकी शर्त रखी गई है या नहीं। किन्तु अनुभव

बताता है कि हृदयकी शुद्धि और नवितनाय, ये दो बातें पात्रोंको अर्द्धी तरह समझनेके लिए जरूरी है।

छापेगानोंके मौजूदा जमानेने गारे बन्धन तोड़ डाले हैं। आज जिनका आजादीमें धर्मनिष्ठ लोग धारण पढ़ने हैं, (यदि अधिक नहीं तो) उनको ही आजादीमें नानिष्ठ भी पढ़ते हैं। किन्तु यहाँ तो चर्चाका विषय इतना ही है कि धर्मकी शिक्षा और उपासनाके एक अगले रूपमें विद्यार्थियोंका 'गीता' पढ़ना ठीक है या नहीं। इसके बारेमें मैं यही कहूँगा कि यम-नियमके पालनकी शक्ति और इन कारण 'गीता' पढ़नेकी योग्यतामें विद्यार्थियोंसे बढ़कर अन्य कोई भी वर्ग मेरे ध्यानमें नहीं आता। दुर्भाग्यसे यह मानना पड़ता है कि अधिकांश विद्यार्थी और शिक्षक पाँच यमोंके गच्चे अधिकारकी ओर किञ्चित् भी ध्यान नहीं देते।

[अग्रजोसे]

यंग इंडिया, ८-१२-१९२७

## २४९. देव-मन्दिर

यहाँ लकामें ऐसे वातावरणके बीच जहाँ प्रकृतिने मुक्त हाथों अपना बहुमूल्य खजाना लुटाया है, 'यंग इंडिया' के लिए लिखते हुए मुझे अपने एक कवि-हृदय मिनके पत्रकी याद आती है जिसे उन्होंने ऐसे ही वातावरणसे प्रभावित होकर लिखा था। उस पत्रका एक अनुच्छेद मैं पाठकोंके सामने रखता हूँ :

एक मनोरम भोर! शीतल और मेघाच्छादित, जिसमें तन्त्रिल सूर्यकी फिरणें ऐसी कोमल लगती हैं जैसे मजमल। यह भोर आश्चर्यजनक रूपसे शान्त है—उसमें प्रार्थना-जैसी खामोशी छाई हुई है। कुहरा ऐसा प्रतीत होता है जैसे धूपका पुआँ हो, बृक्ष ध्यानमग्न पुजारियोंकी तरह लगते हैं और पक्षी भजन गानेके लिए आये हुए तीर्थ-यात्रियोंके समान प्रतीत होते हैं? फादा! भगवान्की भक्तिमें तन्मय होनेको फला हम प्रकृतिसे सीख सकते हैं। लगता है कि हम जब, जहाँ और जैसे चाहें, वैसे पूजा करनेका अपना जन्मसिद्ध अधिकार भूल वंटे हैं। हम मन्दिरों, मस्जिदों और गिरजाघरोंका निर्माण करते हैं ताकि हमारी पूजा अर्चना ताँक-झाँक करनेवाली आँखों और बाह्य प्रभावसे सुरक्षित रहे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि दीवारोंके भी कान और आँसे होती हैं और फिर कौन जाने कि छतोंमें भूतोंने डेरा ही डाल रखा हो।

लेकिन मैं यहक रहा हूँ; ऐसा ही निर्यत्ता रहा तो शायद अगले क्षण मैं अपनेको उपदेश देता ठुजा पाऊँगा। इतनी मुन्दर भोरमें यह कैसा मूर्खना-पूर्ण कार्य है। समीपके ही उद्यानमें एक नन्हा बच्चा पक्षीको तरह सरल

मनसे और प्रसन्नचित्त होकर गाना गा रहा है। मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ जाऊँ और उसके नन्हें पैरोंकी धूल उठा लूँ। चूँकि मैं अपनी भावनाको गीतमें उतनी सरलतासे नहीं उँडेल सकता जितना कि वह नन्हा बच्चा, इसलिए मेरा एकमात्र चारा मौन रहनेमें ही है।

जब हम देखते हैं कि अनन्त आकाशके सुनील चंदोबेके तले प्रकृतिका यह नित्य-नवीन मन्दिर हमें आमंत्रण दे रहा है कि सच्ची पूजा करनी हो तो धर्मके नाम पर लड़ने-झगड़ने और ईश्वरके नामको बदनाम करनेके वजाय यहाँ आओ तब ऐसा लगने लगता है कि ये मन्दिर और मस्जिदें और गिरजे, जो दम्भ और ढकोसलोंको छिपाते हैं और जिनके दरवाजे गरीबोंके लिए बन्द होते हैं, ईश्वर और ईश्वरकी पूजाका उपहास-मात्र हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-१२-१९२७

## २५०. भाषण : बानपुरमें

८ दिसम्बर, २९२७

आपने जो अभिनन्दनपत्र और थैली भेंट की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैंने अपने डाक्टरोंकी सलाहके खयालसे बानपुर आनेका विचार त्याग दिया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि पुलिस गाँववालोंको धमका रही है और चेतावनी दे रही है कि यदि वे समामें आयेंगे तो उन्हें घोड़ोंके पैरों तले रौंद दिया जायेगा और सैनिक उन्हें गोलियोंसे भून देंगे तब मैंने बानपुर आनेका निश्चय कर लिया।

आपको भय क्यों होना चाहिए? जिस व्यक्तित्वने कोई अपराध नहीं किया है उसे भय करनेकी जरूरत नहीं है। और याद रखिए कि यदि आप भयभीत नहीं होंगे तो आपको कोई भयभीत नहीं करेगा। अन्ततः पुलिसवाले हमारे भाई-बन्धु ही हैं। जब वे आपको डराने-धमकाने आयें तो आप उनसे पूछिए कि ऐसा करके वे क्या पाना चाहते हैं। अगर वे आपको जेल ले जायें तो कोई प्रतिरोध मत कीजिए। अगर वे आपको गाली दें तो आप बदलेमें उन्हें गाली न देकर उनकी गलतीको हँसीमें टाल दीजिए। यदि वे आपको मारें-पीटें तो बदलेमें अपना हाथ मत उठाइए, बल्कि मामलेकी रिपोर्ट अपने सबसे निकटवर्ती जन-प्रतिनिधिसे कीजिए। मैं आपको अदालतमें जानेके खिलाफ आगाह करता हूँ, क्योंकि अन्ततः हमारी इच्छा यह नहीं है कि पुलिसको दंड मिले, बल्कि यह है कि उसे अपने कियेपर पछतावा हो। लेकिन आपको लगे कि आपको अदालतमें जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं। किसी भी हालतमें आतंकसे दबिए मत, क्योंकि भय तो धीमारीसे भी बुरी चीज है। जो मनुष्य किसी अन्य मनुष्यसे डरता है वह मनुष्यत्वसे च्युत हो जाता है। केवल ईश्वरसे

दिए। मैं यहाँ कल दो बजे तक हूँ। आपको जो-कुछ कहना हो आप आकर मुझे बता सकते हैं।<sup>1</sup>

आपके अभिनन्दनपत्रमें कहा गया है कि आपके यहाँ गादीका फाँट गम नहीं होता। आप अपने जिलेके अन्य भागोंके खादी कार्यक्रमोंमें परामर्श कीजिए, और जबतक आप स्थानीय तीरपर खादी नहीं तैयार करने लगते तबतक उद्योगमें बर्ना खादी चलीदिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १२-१२-१९२७

यंग इंडिया, २२-१२-१९२७

### २५१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

[बोल्डगट,

१० दिमम्बर, १९२७]

प्रिय चाली,

अब मैं कार्यक्रमपर फिरसे विचार कर रहा हूँ। सम्बलपुरको छोड़ दिया जायेगा। मैं कृतज्ञ हूँ कि तुम मुझे जमशेदपुर नहीं भेज रहे हो। मैं यहाँ सोमवारतक हूँ। मैं साखीगोपाल सोमवारकी रातको और बालामोर बुधवारको पहुँचूंगा। मेरा अनिश्चित है। हाँ, खड़गपुरकी विजय<sup>1</sup> तो निश्चय ही ईश्वरकी देन थी।

सप्रेम,

मोहन

[पुनश्च :]

मैं अब बेहतर हूँ।

सी० एफ० एन्ड्र्यूज  
बालासोर

अगेजी (जी० एन० २६२५) की फोटो-नकलसे।

१. पर अनुच्छेद यंग इंडियामें प्रकाशित महादेव देसाईके "साप्ताहिक पत्र"से छिदा गया है।

२. टाकाती मुहरसे।

३. अगस्त-सितम्बर १९२७में इंगाल-नागपुर रेलवे प्रशासनने खड़गपुर स्टेशनमें १६०० कर्मचारियोंकी छंटनी करनेका निश्चय किया था। कर्मचारियोंने सत्याग्रहका सारा लिया। स्टेशन १२ मिनटकी बन्द कर दिया गया और ८ दिनोंपरको खोला गया, और सब एक जिनके परिवारपरक कृष्ण कर्मचारियोंको, जिन्हें निहाल दिया गया था, फेरसे नौकरीपर बहाल कर दिया गया, और जिन कर्मचारीको छंटनी की गई थी उनमें से कुछको दो जनेवाली मुभाबदेही रकम देना दी गई। (इंडिया इन १९२०-२८, पृष्ठ १७७-८)।

## २५२. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

बोलगढ़

१० दिसम्बर, १९२७

प्रिय सी० आर०,

तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे एक छोटे-से सुन्दर गाँवमें तीन दिन शान्तिसे बितानेको मिले हैं। इससे पहले, लंकाके कार्यक्रमसे भी खराब हो सकता हो तो वह गंजमका कार्यक्रम रहा, हालाँकि वहाँ बीस हजार मिले। उसके बाद एक डाक्टर मेरा रक्तचाप लेने आया। आपने रक्तचाप लेनेका जैसा प्रबन्ध किया था, वैसा ही प्रबन्ध निरंजन बाबूने किया है। जब डाक्टरने १९० देखा तो वह डर गया, और साराका-सारा कार्यक्रम फिरसे बनाया गया है। इसीका फल यह आराम है। व्यक्तिगत रूपसे मैं डाक्टरके पढ़ेपर अविश्वास करता हूँ। तथापि उसने गलत भी पढ़ा हो तो उससे लाम ही हुआ है। कटकसे आये एक नये डाक्टरने रक्तचाप १५५ और १६५ के बीच पढ़ा है। उसका खुदका कहना है कि वह १५५ और १६० के बीच है। महादेव और प्यारेलालने १६५ पढ़ा। हृत्स्फारी ९०-१०० है। यदि इन सबको ठीक पढ़ा गया है तो रक्तचाप वैसा ही है जैसा पहले था और चिन्ताकी कोई बात नहीं है। तथापि यह मैं तुम्हें रक्तचापके बारेमें बतानेको नहीं लिख रहा हूँ। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि मैं ठीक-ठाक हूँ।

संलग्न पत्र भेजनेके खयालसे यह पत्र मैं बोलकर लिखा रहा हूँ। यदि तुम गाँवकी जाँच करके यह पता चलानेके लिए किसीको भेज सको कि हम उस प्रस्तावको स्वीकार कर सकते हैं या नहीं, तो कृपया भेज दो। किसी भी हालतमें तुम पत्रलेखक श्री जी० सुब्रमण्यम्से खुद पत्र-व्यवहार करो। मैं उन्हें एक पोस्टकार्ड भेजकर सूचित कर रहा हूँ कि वह तुमसे पत्रकी अपेक्षा करें।

मैं तुम्हें डा० जोजेफका पत्र भी भेज रहा हूँ। उनका सुझाव मुझे ठीक लगता है। मैं सोचता हूँ कि हमें नागरकोइलमें कुछ काम करना चाहिए, और अगर आपके पास कोई अन्य योजना न हो तो कृपया उनसे पत्र-व्यवहार करो और लिख दो कि उनका सुझाव मान्य है, और उसे संघकी<sup>१</sup> परिषदके सामने रखा जायेगा, और तुम उन्हें जल्दी ही सूचित करोगे। इस बीच तुम उन्हें सूतका नमूना भेज सकते हो जो वह चाहते हैं। हमें सूत उठा सकना चाहिए, और अगर वहाँ स्थानीय बुनकर हों तो हम उसे शायद वही बुनवा भी सकें। डा० जोजेफको कृपया जल्दी लिख दो। मैंने उन्हें बता दिया है कि सुझाव मुझे ठीक लगता है और मैंने उनका पत्र विचारार्थ तुम्हारे पास भेज दिया है।

१. अखिल भारतीय चरखा संघ।

मुझे आना है कि तुमने मद्रासमें ठिकाना तय कर लिया है। गर्मीवाला एक दिनके लिए मेरे पास है। वह मद्रास आयेगे और हम लोगोंके पान ठहरेंगे। तुम बकरीके दूधका घोड़ा-सा मकगन, ज्यादाग-ज्यादा एक घोड़ा, मैगार रगना।

यह एक पत्र . . . का है। कृपया प्राप्ति भूना उन्हे दे दो। मैं उन्हे नहीं लिख रहा हूँ। उनका प्रस्ताव काफी अच्छा मालूम होता है। अवश्य हम लोग तुम्हारे पास होंगे।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १२६४७) की फोटो-नकलमें।

## २५३. भाषण : सार्वजनिक सभा, बोलगढ़में

१० दिनम्बर, १९२७

भय तो हैजा, चेचक या मलेरिया आदि रोगोंसे भी घातक चीज है। रोग तो शरीरको ही धीण करते हैं, जबकि भय आत्माको नष्ट कर देता है। और भय करने-वाले लोग ईश्वरको नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति ईश्वर-भीरु है, ईश्वरका नाम लेता है, वह मनुष्योंसे नहीं डर सकता। मैं उन मित्रोंकी सूचनाओंको गन्त मानकर नहीं टाल सकता जिन्होंने मुझे सूचित किया है कि आप पुलिम द्वारा और उन अन्य लोगों द्वारा टराये गये हैं; और उन लोगोंने आपको बताया है कि जो लोग मेरे पास आयेगे उन सबको सरकार पकड़ लेगी। मुझे ऐसी किसी चीजका पता नहीं है जिसके लिए सरकार गिरफ्तारी करे और जहाँतक मैं जानता हूँ सरकारने अभीतक लोगोंसे यह नहीं कहा है कि जो घन मैं इकट्ठा कर रहा हूँ उसमें वे चन्दा न दें। मैं समझता हूँ कि उड़ीसा गरीब है, और इसलिए जमींदार और सरकारी अधिकारी अपने स्वार्थके लिए लोगोंको भयमें रखना चाहते हैं। बानपुरके दारेके वादसे मैं यातावरणमें कुछ अजीब चीज देख रहा हूँ। मेरी समझमें नहीं आता कि यदि लोगोंको मुझमें डर रखा जायेगा, या रातीके काममें बाधा डाली जायेगी तो उसमें सरकारको किंग प्रभार सन्तोष होगा। मुझे यह विचार ही असह्य है कि एक व्यक्ति किसी दूसरेको मनाये और मुझे यह देखकर क्षमं लगती है कि ऐसे गरीब सीधे-सरल लोगोंके साथ इन प्रकारका व्यवहार किया जाये। मैं इस बातपर लज्जित महसूस करता हूँ कि जहाँ मैं विदेशी लोगोंके जुल्मोंको सहन नहीं कर सकता, वही मेरे अपने देशके जमींदार और अधिकारी लोगोंको डराते रहे हैं। जिन लोगोंको डराया गया है यदि उनके नाम मुझे दे दिये जायें तो मेरा इरादा उनके पान जानेका है, और यदि जमींदारोंके नाम भी दे दिये जायें तो मैं उनके पान भी जाऊँगा और इन विषयपर उनमें बान करूँगा। भय बीमारीमें भी घातक होता है और मैं उनमें कहना हूँ कि वे डर छोड़ दें, ताकि जो लोग डराते हैं उनका काम अपने-आप बन्द हो जाये। धरात, जुआ और वेर्यागमन छोड़ दीजिए ताकि आप ईश्वरको प्राप्त करने लायक मुद्ध बनें। गर्जना मैं

१. मुझे वहाँ साँधी जगद है।



उड़ीसामें धन एकत्र करने नहीं आया हूँ, लेकिन खादीकी खातिर मैं गरीबोंसे भी भीख माँगनेमें नहीं हिचकता। ईश्वर आपपर कृपादृष्टि रखे।

[अंग्रेजीसे]

उड़ीसा सरकारके रेकार्डेंसे।

## २५४. पत्र : एडा रोजेनग्रीनको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती

११ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,<sup>१</sup>

मुझे आपका पत्र मिला,<sup>१</sup> घन्यवाद। आप 'सेल्फ रेस्ट्रिक्ट वसेस सेल्फ इडलजेंस' नामक पुस्तकका अनुवाद कर सकती हैं। जहाँतक शतोंका सवाल है, वह मैं आपपर छोड़ता हूँ। जो-कुछ भी दिया जायेगा वह सार्वजनिक उपयोगमें लगाया जायेगा।

पश्चिमकी स्त्रियोंके बारेमें आप जो कहती हैं वह केवल आंशिक रूपमें ही सही है और शायद कुछ हदतक भारतकी स्त्रियोंके बारेमें भी सच है, लेकिन ये आधुनिकताके रंगमें रंगी उच्च वर्गकी स्त्रियाँ हैं और बहुत कम हैं। जहाँतक स्त्रियोंकी बहुत बड़ी संख्याका सवाल है, वे अपने ही कामोंमें इतनी व्यस्त रहती हैं कि विषय-वासनासे सम्बन्धित विचारोंके लिए उनके पास अवकाश ही नहीं है। यह तो पुरुषका ही गुण है कि वासना जब उसपर हावी हो जाये तो वह आक्रामक हो उठता है। सहिष्णुताके सम्बन्धमें आप जो कहती हैं वह दुर्भाग्यवश संसार-भरकी औरतोंके मामलेंमें विलकुल सच है और मैं नहीं समझता कि स्त्रियोंमें से अविकांश इस कमजोरीको दूर कर सकेंगी। शायद उनके शरीरकी संरचना ही ऐसी है जो प्रभावशील विरोधकी वृत्तिके विकासमें बाधक है, उन चन्द सुनिश्चित परिस्थितियोंको छोड़कर जो विशेष संस्कृतिकी देन हैं। और चूँकि स्त्री सहिष्णु होती है इसलिए मैंने कहा है कि स्त्रीके बजाय वह पुरुष ही है जो ज्यादा दोषी होता है। और पश्चिमकी आधुनिकाएँ भी चतुराईसे पुरुषोंको अपनी ओर आकर्षित करनेके सिवा कुछ नहीं करती। स्त्रियोंके द्वारा पुरुषोंके प्रति बलात्कारका रूख अपनाये जानेके मैं ज्यादा दृष्टान्त नहीं जानता। स्त्रीमें अपनेको नियन्त्रित करने और घुटकर रह जानेकी विलक्षण क्षमता होती है और चाहे उसके दिलमें वासनाका तूफान ही क्यों न उठ रहा हो, वह आक्रामक नहीं होती।

हृदयसे आपका,

एम० एडा रोजेनग्रीन

लिडिनगो, स्वीडन

अंग्रेजी (एस० एन० १२५४१) की फोटो-नकलसे।

१. २८-९-१९२७ का पत्र जिसमें रोजेनग्रीनने गांधीजीकी पुस्तकका स्वीडिश भाषामें अनुवाद करनेकी इजाजत चाही थी।

## २५५. पत्र : हेनरी नीलको

स्वायी पता : आश्रम, साबरमती

११ दिगम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

आपका कृपापत्र और संलग्न मामग्री मुझे मिली। मुझे नहीं लगना कि मैं गचमुच कुछ ऐसी चीज लिख सकता हूँ जो आपके उपयुक्त हो। इसलिए आपके अनुरोधों न माननेके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे।<sup>१</sup>

जहाँतक बाल-कल्याणका सम्बन्ध है, जिन अर्थमें लॉर्ड लिटनने कहा है उन अर्थमें मैंने इन समस्यामें दिलचस्पी नहीं ली है, लेकिन एक अर्थमें, जिनमें मैं ज्यादा ऊँचा मानता हूँ और जिनमें कुछ हजार नहीं, बल्कि कई करोड़ बच्चे शामिल हैं, मैं उनके कल्याण-कार्यमें बराबर लगा हुआ हूँ, क्योंकि हाथ-जलाई आन्दोलनका उद्देश्य उन देशके लोगों भूतों मर रहे लोगोंको प्रभावित करनेका है, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और यदि मैं सफल होता हूँ तो मैं जानता हूँ कि जिस ढंगके बाल-कल्याणकी आपकी और लॉर्ड लिटनकी जानकारी है, उसका होना सुनिश्चित है।

जो छपा हुआ पर्चा आपने भेजा है उसका उत्तर देना कठिन है क्योंकि लेखकने उसी चीजको एक मित्र दृष्टिकोणसे देखा है। इसलिए मेरी कोई इच्छा उस लेखकी आलोचना करनेकी नहीं है और मैं उसे आपकी इच्छाके अनुसार इसके साथ ही लौटा रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

जज हेनरी नील

अग्रेजी (एस० एन० १२५४५) की फोटो-नकलमें।

## २५६. पत्र : अल्पवयस्क रक्षा-समिति, कोचीनके मन्त्रीको

स्वायी पता : आश्रम, साबरमती

११ दिगम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

लगातार यात्राके कारण मैं आपका पत्र आज ही पा सका। देवदानी प्रदाकी निन्दा करनेमें मुझे कोई हिचक नहीं है, लेकिन यह देखते हुए कि मैं आपकी मनीतिके किन्हीं भी सदस्योंके व्यक्तिगत रूपमें नहीं जानता, मेरे लिए आपकी अधीनके बारेमें

१. हेनरी नीलने अपने ८-१०-१९२७ के पत्रमें माथीजीमें "मार्कस गेगेरर ईना मार्केटो रिश्तेके प्रभावके बारेमें एक विस्तृत बहस" मंगा था तथा अन्य विवरणों भी उनके विचार मंगे थे।

कुछ कहना उचित नहीं होगा। यदि आप वहाँके लिए अपरिचित हैं तो मेरे लिए तो और भी अपरिचित है। अतः आपका कर्त्तव्य है कि लोग आपको अपनी ईमानदारी और मेहनतके साथ काम करनेके जरिये पहचानें। और मुझे विश्वास है कि कोचीनमें ऐसे उदार लोग पर्याप्त संख्यामें होंगे जो आपके अनुष्ठानमें शामिल हो जायेंगे।

हृदयसे आपका,

मंत्री

अल्पवयस्क रक्षा-समिति

कोचीन

अंग्रेजी (एस० एन० १२६४२) की माइक्रोफिल्मसे।

२५७. पत्र : डी० आर० भाण्डारकरको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती

११ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

लगातार यात्रा करते रहनेके कारण मैं आपके पत्रका इससे पहले उत्तर नहीं दे सका। आपने जो समय-सीमा निर्धारित की है उसने आपके द्वारा मुझपर सौंपे गये कार्यको कर सकना लगभग असम्भव बना दिया है। यदि मैं स्वयं उसे न करूँ तो केवल महादेव उस कार्यको कर सकता है, लेकिन उसपर पहले ही जो कामका दबाव है, उसे और बढ़ानेको मेरा दिल नहीं करता। फरवरीतक उसके पास या मेरे पास एक क्षण भी फाजिल नहीं है।

हृदयसे आपका,

प्रोफेसर डी० आर० भाण्डारकर

३५, वालीगंज, सर्कुलर रोड

कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १२६४३) की माइक्रोफिल्मसे।

## २५८. पत्र : जे० एन० जिनेन्द्रदासको

स्थायी पता : आश्रम, नाथरमती

११ दिगम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मुझे आपका लम्बा पत्र मिला था। लोकमतके दबावने दुरमें पठे लोगोंको एक स्थानमें दूसरे स्थानपर प्रयाण करनेसे रोकना या उमका नियमन करना सम्भव नहीं है, और कानून बनाकर उसे रोकना गलत होगा। लेकिन लंकामें बुद्धिमत्तापूर्ण और लोगोकी दशा सुधारनेवाले कानून बनाकर गरीब मजदूरोंके आवमनने जुड़ी हुई बुराियोंको रोकनेमें काफी कुछ किया जा सकता है, फिर चाहे ये मजदूर किसी भी जातिके क्यों न हों। आपको लंकामें ऐसा लोकमत तैयार करना चाहिए जो मजदूरोंके मान्दितोंमें ज्यादा मानवीय व्यवहारकी, पर्याप्त मजदूरीकी, और स्वाम्यप्रद तथा मुले आवागमनोंकी मांग करे। भारतीय मजदूरोंको विदेशी माननेके बजाय आपको उन्हें अपना ही मानना चाहिए। आश्चर्यकार ये मजदूर लंकामें इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां उनको जरूरत है।

हृदयमें आपका,

जे० एन० जिनेन्द्रदास

४५, परानावाडिया रोड

मराठाना, कोलम्बो

अंग्रेजी (एस० एन० १२६४४) की माइक्रोफिल्मसे।

## २५९. एक पत्र

स्थायी पता : आश्रम, नाथरमती

११ दिगम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र मिला। मैं मुक्ति प्राप्त करनेके लिए ईसाई-धर्मको अपनाया किसी भी रूपमें आवश्यक नहीं मानता। मैं ईसा मसीहके अनन्य देवत्वमें विश्वास नहीं करता। मैं ऐसा नहीं मानता कि मसी रोमन कैथोलिक विनयोंका जीवन मन्वेत्तने पर है। मेरी रायमें विवाहके बारेमें ऐसा गोपना कि उनमें किसी भी एक पक्षी प्रेरणा पर पादाधिक भोग किया जाता है, विवाहके बारेमें बताने वाला दृष्टिकोण उचित है। विवाहके इनमें कहीं ज्यादा उत्तम उपयोग है। मुझे इसका पता नहीं है कि मैं किसी भी दम्पतिके लिए यह जरूरी बताना हो कि एकके पत्न्यपर दूसरा सम्भोग

अवश्य करे। इसके विपरीत, जबतक दोनों ही समान रूपसे इच्छुक न हों तबतक सम्भोगकी अनुमति नहीं है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १२६४५) की माइक्रोफिल्मसे।

## २६०. पत्र : श्रीप्रकाशको

बोलगढ़ (उड़ीसा)

११ दिसम्बर, १९२७

प्रिय श्रीप्रकाश,

इतने समयतक तुम्हारे पत्रका जवाब न देनेके लिए क्षमा करना, लेकिन मैंने अपनी शक्तिसे ज्यादा काम किया है और मेरे पास ढेर-सारे पत्रोंका उत्तर देनेके लिए कोई समय नहीं रहा है। मैं उत्कलमें जरा मार्गसे हटकर एक दूरके गाँवमें आराम करनेपर विवश हुआ हूँ इसीलिए मुझे बकाया पत्र-व्यवहारसे निबटनेका समय मिला है, और उन्हें देखते हुए मैंने तुम्हारा पत्र पाया है। आश्रमसे तुम्हारे पत्रके साथ भेजी गई रसीद यह रही।

‘आज’ वालोंको शिकायत नहीं करनी चाहिए। मुफ्त प्रतियाँ केवल सुविख्यात अंग्रेजी अखबारोंको ही भेजी गई हैं। यहाँतक कि विख्यात मित्रोंको भी प्रतियाँ नहीं भेजी गई हैं क्योंकि आखिरकार इस समय ‘यंग इंडिया’ और ‘नवजीवन’ बहुत गरीब अखबार हैं। उनकी बिक्री १९२० और १९२१ जैसी नहीं है, और इसके बावजूद विज्ञापन आदि न लेनेकी बाधाओंके साथ ही आत्मनिर्भर रहनेके कठोर नियमका पालन किया जाता है, और जब कभी इन अखबारोंको चलानेके खर्चमें कुछ बच जाता है, तो वह सबका-सब सार्वजनिक कार्यमें लगा दिया जाता है। तब यदि ‘आज’ एक मुफ्त प्रतिकी अपेक्षा करे तो यह उतना ही पैसा गरीब लोगोंकी जेबसे निकालनेके समान होगा। यदि इस स्पष्टीकरणके बावजूद तुम या ‘आज’ कार्यालयके कर्मचारी एक मुफ्त प्रतिकी अपेक्षा करें तो मुझे बताओ और मैं स्वामी आनन्दसे भेजनेको कह दूँगा। अवश्य मैं जानता हूँ कि ‘आज’ तुम्हारी तरफका एक अग्रणी अखबार है जैसा कि उदाहरणके लिए ‘वसुमती’ कलकत्तेमें है। लेकिन जहाँतक मैं जानता हूँ किसी भी देशी भाषावाले अखबारको अंग्रेजी प्रति नहीं दी गई है।

तुम मुझसे अपने मनकी बात अवश्य कहो, चाहे पत्र लिखकर या मेरे पास आकर। मैं तुम्हारे बोझ बँटाकर खुश होऊँगा। इसलिए मुझे एक ऐसा मित्र अवश्य मानो जो तुम्हारी बातोंको अपनेतक ही सहेजकर रखेगा और तुम्हारे बोझको हल्का करनेकी कोशिश करेगा। मैं जनवरीमें साबरमतीमें रहूँगा। मुझे दुख है कि उस महीनेमें मुझे कुछ दिनोंके लिए काठियावाड़ जाना होगा। लेकिन यदि तुम वहाँ पूरे

महीने रहोगे तो तुम भी मेरे साथ काठियावाड चल्कर उग विनिश्च प्रदेमको देग सकते हो।

चरखा नियमित रूपसे अवश्य कानो, और एक बार ठीक चन्ना आ जानेपर तुम उसे छोडना नहीं चाहोगे। वह एक विश्वसनीय साथी होगा जो मुम्हारे चालने-पर ही तुमसे बोलेगा। लेकिन चरवा चन्नामें तुम्हें पूरा आनन्द नहीं मिलेगा जब तुम चरखेको, और चरखेके जरिये अपने-आपको हमारे देशके तुच्छमे-मुच्छ लोगोके साथ जोड़ लोगे। और यदि निचनतम लोगोके साथ अपना सम्बन्ध माननेमें कोई लज्जा नहीं है तो तकलीको जारी रखनेमें कोई शर्मकी बात नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि तुम्हें यह मालूम है कि अल्मोडामें और भारतके अनेक अन्य भागोंमें गड़रिये अपनी तकली साथ रखते हैं और जहाँ कहीं भी जाते हैं, वही अपना ऊन कातते रहते हैं।

तुम्हारा,

श्रीयुत श्रीप्रकाश  
बनारस

अंग्रेजी (एस० एन० १२६४६) की माइक्रोफिल्मसे।

## २६१. पत्र : हरजीवन फोटकको

बोलगढ, उड़ीसा

११ दिसम्बर, १९२७

बुरे विचारोंके कारण जब मन मलिन हो उठे तो ऐसे विचारोंको मनमें न आने देनेकी चेष्टा करनेकी वजाय हमें किसी अन्य कार्यमें मन लगा देना चाहिए; अर्थात् उसे उपयुक्त काममें सम्बन्धित विचारोंमें उलझा देना चाहिए। या फिर मनको रामनाममें लगाना, कुछ पढनेमें लगाना, ऐसे किसी धारीरिक श्रममें लगाना चाहिए जिसमें मनको ओतप्रोत करना होता हो। झंझर-उधर दृष्टि नहीं टालनी चाहिए। यदि किसी स्त्रीपर दृष्टि पड़े तो उधरसे दृष्टि हटा लेनी चाहिए। किसी स्त्री अथवा पुरुषकी ओर आँख उठाकर देखना तो प्रायः ही आवश्यक होना है। इसीलिए ब्रह्मचारी तथा अन्य लोगोंके लिए यह विधान है कि वे चलते हुए अपनी दृष्टि नीचेकी ओर रखें। और यदि हम बैठे हो तो अपनी दृष्टि स्थिर रखें। ये सब बाह्य उपाय हैं, किन्तु ही अमूल्य। जब तुम्हें उपवासकी आवश्यकता जान पड़े तब उपवास कर सकते हो।

तुम्हें सातबलेकरजीके पान जानेकी आवश्यकता नहीं है। वे तुम्हें जामन जम्न निरसा सकते हैं। आसन सीधे लेना उचित ही है। यदि तुम गिरफ्त आसन माँगनेके लिए उनके पास जाना चाहो तो अवश्य चले जाना। मैं उन्हें अच्छी तरह जानना हूँ, वे सज्जन पुरुष हैं।

उपवास-कालमें यदि स्खलन हो जाये तो उससे डरना नहीं चाहिए। वैद्योंका कहना है कि मनमें विषय विकार न होते हुए मलके दबावसे भी स्खलन हो जाता है। किन्तु ऐसा माननेके बदले यह मानना अधिक लाभदायक होगा कि मानसिक विकारोंके कारण ही स्खलन होता है। हमें मानसिक विकारोंका सदा पता नहीं चल पाता। पिछले पन्द्रह दिनोंमें मुझे नींदमें दो बार स्खलन हो चुका है। मुझे वे स्वप्न याद भी नहीं हैं। हस्तमैथुनकी बुराई तो मुझमें कभी थी ही नहीं। इस स्खलनका कारण मेरे शरीरका निर्बल होना तो है ही; किन्तु मैं जानता हूँ कि मेरे मनके भीतर कहीं विकार भरे हुए हैं। जाग्रत अवस्थामें तो उन विकारोंको मैं अपने वशमें रख सकता हूँ किन्तु जो वस्तु विषकी तरह शरीरमें भरी हुई है वह बलपूर्वक अपना मार्ग बना लेती है। मुझे इसका दुःख तो है किन्तु कोई घबराहट नहीं है। मैं सतर्क रहता हूँ। शत्रुको दबा भी देता हूँ किन्तु उसे देशनिकाला नहीं दे पाया हूँ। यदि मैं सच्चा हूँ तो उसे अवश्य निष्कासित कर सकूंगा। सत्यके तेजको वह सह नहीं सकेगा। यदि तुम्हारे बारेमें भी यही बात हो तो मेरे अनुभवसे लाभ उठाना। मानसिक विकार स्वभावमें तो अपनी पत्नीके प्रति हो चाहे परस्त्रीके प्रति, एक ही है। वह परिणाममें अलग-अलग है। हम फिलहाल इस शत्रुके बारेमें विकार रूपमें विचार कर रहे थे। इसलिए यह जान लो कि अपनी पत्नीके प्रति मेरे जैसा विषयी शायद ही होगा। इसीलिए मैंने अपनी दयनीय स्थिति तुम्हारे सामने रखकर तुम्हें हिम्मत बैचाई है। वा आज मेरे लिए सकि समान है। लगातार प्रयत्न करने और भगवानकी दयासे ही यह सम्भव हो सका है। किन्तु उस अपवित्र जीवनके उत्तराधिकारमें बचे अवशेष मुझे पीड़ित करते रहते हैं और मैं उन्हें पीड़ित करता रहता हूँ। और यदि ईश्वरकी कृपा हुई तो मैं इस जीवनमें ही उनपर विजय पा लूंगा।

[ गुजरातीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## २६२. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

वोलगढ़

मौनवार, १२ दिसम्बर, १९२७

बहनो,

आज मुझे एकान्त तो बहुत है, लेकिन वह बीमारके कमरेका एकान्त है। यहाँकी हालत देखकर दिल जलता है और यहीं रह जानेकी इच्छा होती है। तुममें से कोई भी बहन तैयार हो तो उसे यहाँ आनेके लिए जरूर ललचाऊँ। यहाँ सब स्त्रियाँ परदा रखती हैं। लोगोंके पास न पूरा कपड़ा है, न खाना। उड़ीसामें प्रवेश करनेसे पहले जब मीराबहनने जितने कपड़े थे उनसे भी कम करनेकी माँग की, तब मैं कुछ घबराया था। यहाँ आकर देखा कि उसका कहना ठीक ही था। यहाँकी स्त्रियाँ सिर्फ

एक घोंती ही पहननी है — आधा नाग कमरमें और आधा नाग गर्दरके ऊपरके हिस्सेके लिए। गानेमें न घी मिल्ता है, न दूध। योग सब बगनीन है। सिंगी पुलिसवालेने उरा दिया है, उमलिए मेरे पाग भी नहीं आते। एक घरमें मीनबगनाओ अकेली छोड़कर मैं चला गया, तो पचासों सिंगियां उम वेर कर बैठ गईं और अनेक प्रकारकी बातें पूछने लगीं। अगर कोई बहन उन बहनोंमें काम करनेके लिए नंगार हो तो मेरी रायमें वह बहुत-कुछ कर सकती है। अगर यह सब नो नविप्यति बात हुई। अभी तो तुम सब तैयार हो जाओ। नंगार होनेका मनलब है 'मंगल' नूठ जाओ। इतना कर लो तो कही भी जा सकती हो।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६८०) की फोटो-नकलमें।

### २६३. पत्र : रमेशचन्द्रको

मुगाफरीमें

१३ दिसम्बर, १९२०

माई रमेशचंद्रजी,

आपको उत्तर देनेकी आगासे आपका पत्र मैंने आज तक रक्खा। आज उत्तर दे सकता हूँ।

मास भक्षण और वनस्पति भक्षण दोनों हिंसा है परन्तु एक वस्तुके निवा मनुष्य कही भी नहीं जा सकता है दूसरेके निवा प्रायः सब जगहमें जा सकता है। यदि जीव जीवमें दुःखके ज्ञानका भेद है तो जो दुःख गायको मरनेके समय होना है वह वनस्पति जीवको नहीं होता है। जीव मानके लिये कुछ न कुछ हिंसा अपरिहार्य है। अहिंसा धर्मका पालक अल्पतम हिंसा करेगा। अन्य धर्मोंमें मांसाहारकी आज्ञा नहीं है उसका प्रतिबंध नहीं है। हमारे धर्मोंमें या तो हिंदु धर्ममें भी वैनी प्रथा है हमारे जानना अच्छा है। परन्तु यदि हमारी बुद्धि निरामिपाहारको नैतिक दृष्टिसे विषय माने तो हमारे उनका स्वीकार करना चाहिये। अहिंसाका उपायक वनस्पतिके उपयोगमें भी मर्यादित होता जायगा। ग्रीनलैड इत्यादि प्रदेशमें निरामिपाहारी रक्षा बंदिन है, असंभवित नहीं। यदि असंभवित भी सिद्ध कीया जाय तो भी हमने हर जगह मांसाहारकी आवश्यकता सिद्ध नहीं हो सकती है। प्रवृत्तिमाय नदोष होने हुए भी हम तुलना करके बहोतना त्याग करने रहते हैं। मुमुक्षुके जीवनमें निरंतर त्याग वृत्तिकी वृद्धि होती है, होना आवश्यक है।

दूध अंटेमें भेद है। अंटे अनावश्यक है। दूध भी कर्मेतिके लिये अनावश्यक है। मैंने मूछीके बग होकर विलायतमें अंटे मार्ये हैं जैसे उन देशमें मान। परन्तु अब मैं मायघान हुआ तब मैंने उनका त्याग [लीया] और निरामिपाहारी विपरीते माय [नी] इतनी हिंसा लेना था जिनमें अंटे न थे। उन [ना] मैंने अब समझ लीया



है कि निर्जीव अंडे बहो[त] पैदा होते हैं। इसका शास्त्र है और प्रायः निर्जीव अंडे ही लोक खाते हैं। परंतु इस बातसे अंडे खाद्य पदार्थ नहीं बन सकते हैं।

अहिंसा व्यापक धर्म है। शरीरको प्राणसे अलग करना हिंसा नहीं है। ब्रह्मचर्य-का त्याग भी मेरी दृष्टिमें हिंसा है। प्रसिद्ध बात है की मांसाहार अंडे और दूध भी ब्रह्मचारीके लीये त्याज्य वस्तु है। केवल वनस्पतिके आहारसे ब्रह्मचर्य सुलभ हो जाता है।

अंतमें, यद्यपि आहारका विषय धार्मिक मनुष्यके लीये अत्यावश्यक है तथापि न इसीमें धर्म अथवा अहिंसाकी समाप्ति है न यहि सर्वोपरि वस्तु है। धर्म और अहिंसा-का पालन हृदयकी बात है। हृदयको विशुद्ध बनानेमें जिसको मांसाहारके त्यागकी आवश्यकता प्रतीत न हो वह त्याग न करे।

आपका,  
मोहनदास

जी० एन० ६२७९ की फोटो-नकलसे।

## २६४. तार : साकरचन्दको

वालासोर  
१४ दिसम्बर, १९२७

साकरचन्द सेठ  
केनिलवर्थ कालेज  
पंचगनी

आशा है आप बेहतर हैं। लिख रहा हूँ। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे।

गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ७१५९) की फोटो-नकलसे।

२६५. पत्र : जे० डब्ल्यू० पेटावलको

(निविन्) बान्नागोर  
१४ दिनम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

द्वेनपर लिखा गया आपका पत्र मुझे मिला। यह बड़ी ही दुःखदायक बात है क्योंकि, हालांकि मैं मानता हूँ कि मेरा स्वभाव काफी लोचनील है, लेकिन जहाँ आप कुछ तफसीलके मामलेमें ही मित्रता देवते हैं वहाँ मैं आपके और अपने बीच काफी महत्त्वपूर्ण मतभेद देखता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न हैं। जहाँ आपकी आँखोंके सामने एक नगण्य अल्पसंख्यक लोग अर्थात् शिक्षित भारतीय हैं, वहाँ मेरी आँखोंके सामने तुच्छतम अपढ भारतीय हैं जो रेलवे लाइनोंमें बहून दूर रहते हैं। निःसन्देह शिक्षित भारतीयोंका वर्ग एक महत्त्वपूर्ण वर्ग है, लेकिन मेरे लिये उनका महत्त्व अपढ भारतीयोंके ब्यालसे ही है, और उन्हींके वास्ते है। शिक्षित-वर्ग अपने अस्तित्वका औचित्य तभी सिद्ध कर सकता है जब वह जनसाधारणके लिए अपने-आपको उत्सर्ग करनेको तैयार हो। इसलिए आपकी योजना मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। मैंने सर प्रफुल्लचन्द्र रायकी भूमिका पढी है, और आप अन्य जो-कुछ लेख भेजते रहे हैं उन्हें भी मैंने पढा है। हालांकि मैं इन महान लोगोंको मराहना करता हूँ, लेकिन वे मुझे मेरी बुनियादी स्थितिसे नहीं हिला सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने और मेरे बीच बुनियादी मतभेदोंको स्वीकार करें और इन मतभेदोंके वावजूद यदि कर सकें तो मुझसे प्रेम करें। जहाँतक मेरा सवाल है, यह मतभेद मुझे आपसे प्रेम करनेसे नहीं रोकता और इसीलिए मैं आपको आपके पत्रोंके जवाबमें जितना अकसर लिख सकता हूँ, लिखता हूँ, और हम दोनोंके स्वभावके अन्तरोंको स्पष्ट करनेकी कोशिश करता हूँ ताकि हम शीघ्र ही यह स्वीकार कर लें कि हममें मतभेद है, और आशा करें कि एक दिन हममें से कोई एक दूसरेकी बात स्वीकार कर लेगा।

हृदयमे आपका,

कैप्टेन जे० डब्ल्यू० पेटावल

बागबाजार

कलकत्ता

अंग्रेजी (एम० एन० १२६४८) की फोटो-नकलने।

## २६६. आरोप-पत्र

क्या आप मानते हैं कि वृष्टोंका दलन और घर्म-परायणोंका संरक्षण प्रत्येक आदर्श सरकार और उससे भी अधिक महात्माजनोंका प्राथमिक कर्त्तव्य है? अगर आप इसे स्वीकार करते हैं, तो फिर इस युगों पुराने सिद्धान्तसे आपके राजनीतिक दर्शनका कहाँ मेल बैठता है? क्या कुश्क्षेत्रकी युद्ध-भूमिमें अर्जुनको दिये श्रीकृष्णके उपदेशका यही सार नहीं?

क्या अवतारोंने भी इसी बुद्धिमतापूर्ण नीतिका पालन नहीं किया था जिससे जग-विषयात राजा बलीका राज्य छीना गया, बालि मारा गया और जरासंधका नाश हुआ?

आप साधारण मानवोंसे और वह भी उनके एक विशाल समुदायसे यह आशा कैसे रखते हैं कि वे अपने धूर्त शत्रुओंके चार बिना किसी तरहके बदलेकी कार्रवाईके सहते जायेंगे? इस दृष्टिसे यदि हम उच्च भावनाओंसे ओतप्रोत आपकी शिक्षाओं और उपदेशोंको अव्यावहारिक और साधारण मानवोंके लिए अशक्य मानें तो क्या वह अनुचित होगा? दक्षिण आफ्रिकामें आपकी अस्थायी और जब-तब किसी-किसी बातमें मिली सफलताको आपके प्रशंसकोंने बहुत बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया है और साधारण बुद्धिके हिन्दुस्तानी यह भूल करके कि दक्षिण आफ्रिकाका उदाहरण हिन्दुस्तान-जैसे विशाल देशपर जिसमें बहुत-सी भाषाएँ और धर्म हैं, लागू नहीं पड़ता, आँखें मूँवकर (भेड़ोंकी तरह) आपके पीछे चलकर मुश्किलमें पड़ गये हैं। बहुतसे देशभक्तोंका जीवन बर्बाद करनेके बाद क्या आपने अबतक यह नहीं समझा कि 'एक वर्षके भीतर स्वराज्य' दिलानेकी आपकी घोषणा गलत साबित हुई है? क्या आप यह कबूल नहीं करते कि बारडोलीमें आपकी कलाबाजीसे<sup>१</sup> गुन्दूरकी जनताके बीच बड़ी घबराहट फैल गई जो आपके कार्यक्रमके अनुसार बड़ी वीरता और मर्दानगीसे काफी समयसे कर देना बन्द किये हुए थीं?

क्या हम पूछ सकते हैं कि खिलाफत-आन्दोलनमें आपके पड़ने और उसके फलस्वरूप थोड़ेसे धर्मांध मुसलमानोंके हाथोंमें कांग्रेसके खेलेका क्या फल हुआ? जिस हिन्दू-मुस्लिम एकताके बारेमें आपने इतना लिखा और कहा है, जिसके नामपर आपने सभी हिन्दुओंसे इतनी अपील की है कि वे अपने मुसलमान भाइयोंसे मेल-मिलाप करें, क्या वही एकता मुसलमानोंके संकटकी घड़ी टलते ही बालूके किले-सी टूट नहीं गई? क्या आप अपनी पवित्र शिक्षाओंसे कभी इसकी

१. देखिये खण्ड १९, पृष्ठ १६२-६६ और परिशिष्ट १।

२. अर्थात् १२ फरवरी, १९२२ को बारडोलीमें सत्याग्रह स्थगित करना; देखिये खण्ड २२, पृष्ठ ३५९-४०३।

३. देखिये खण्ड २२, पृष्ठ ३९८।

भी आशा रगतें हैं कि धर्मान्ध और बहानुदर मुसलमानों और जानि-रोगमें पीड़ित भीड़ हिन्दुओंमें कभी मेल होगा ? क्या आपको कभी इसका भान हुआ है कि जबसे अहिंसाके सिद्धान्तकी बदीलन लघुसेमें आप मुगिया बने तभीने शास्त्र-दायिक झगड़े घरावर बढ़ते ही गये हैं ?

क्या आप कबूल नहीं करेंगे कि आपने अपने राजनीति-दर्शनको धर्मकी शब्दावलीका चाहे जितना भी धाना पहनाया हो, मगर उसमें पण्डित मान्दवीय, देशबन्धु दास, लाला लाजपतराय, श्रीयुक्त विजयराघवाचारियर, श्री केलकर, डाक्टर मुंजे और दूसरे अखिल भारतीय नेता आजिज आ गये थे ?

क्या यह सच है कि आपने महात्मा तिलकका नेतृत्व, कमसे-कम शुरुमें ही सही, स्वीकार नहीं किया था ? तब इसकी क्या वजह है कि आप आज सामाजिक और धार्मिक फिल्मके तमाम पेचोदा विवाद फिर उलाड़कर राष्ट्रीय ध्येयको हानि पहुँचा रहे हैं ? क्या आप यह नहीं समझते कि पहलेसे ही दबू फिल्मके हिन्दुओंमें इससे और भी अधिक फूट फैलती है ? तब क्या इस तरह अप्रत्यक्ष रूपसे आप हमारे ध्येयके शत्रुओंके हाथमें ही नहीं खेल रहे हैं, जिनकी एकमात्र दलील यह है कि हम सामाजिक रूपसे राजनीतिक स्वतन्त्रताके अयोग्य हैं ?

क्या ऊँची जातिके सचर्ण हिन्दुओंके पवित्र मन्दिरोंमें, जिन्हें उन्होंने केवल अपने ही लिए बनवाया था, प्रवेश करनेके लिए आप पंचमोंको उत्तेजित करके ठीक काम कर रहे हैं ? क्या आप अपनेको त्रिनेत्र (रुद्र) समझते हैं कि युग-युगसे चली आनेवाली प्रथाओंको एक दृष्टिमें भस्म कर डालें ? हालमें हमें यह जान कर आश्चर्य हुआ है कि आपने विधवा-विवाहका समर्थन करना शुरू किया है और अपरिपक्व बृद्धि नवयुवकोंको विधवाओसे विवाह करनेकी घृष्टतापूर्ण सलाह दी है। क्या आप यह नहीं मानते कि स्वामी विवेकानन्द और दूसरे लोगोंने विधवा-विवाहका समर्थन नहीं किया इसमें उनकी दूरदर्शिता ही थी, क्योंकि कुमारी कन्याओंके विवाहोंमें आज होनेवाली कठिनाइयोंतकका उन्हें भान था। क्या हम पूछ सकते हैं कि इन सब अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्नोंको स्वराज्यके प्रश्नके साथ मिला देनेसे एकता पंदा करनेमें कहाँतक मदद मिलेगी ? स्वराज्यका प्रश्न तो शुद्ध राजनीतिक प्रश्न है जिसके लिए आशा की जाती है कि हम सब एकमत होकर काम करेंगे।

विज्ञानको उन्नतिके इस युगमें आपका चररा लोकप्रिय नहीं हो सकता क्या आप अपने अनुभवोंके आधारपर यह नहीं मानते कि अगर आप केवल मजदूरोंके संगठनके काममें लगे रहें तो कहीं अच्छा रहेगा ?

अहिंसा-धर्ममें सच्ची निष्ठा रखनेके नाते क्या आपका यह धर्तव्य नहीं हो जाता कि आप उन नगरपालिकाओंमें मानपत्र स्वीकार न करें जिनके यहाँ बूचड़पाने चलते हैं ?

वरहामपुरमें मुझे किसी भाईने एक लम्बा पत्र भेजा था। ऊपर उसीका कुछ अंश दिया गया है। चूंकि मेरे पास यह भाननेका कारण है कि इस पत्र-लेखकने वे बातें खुलासा कहनेका साहस किया है जो दूसरे लोग मनमें छिपाये हुए हैं, अतः मुझे जान पड़ता है कि इन आरोपोंका जवाब देना जरूरी है।

इन सबालोंका ब्यौरेवार जवाब देना जरूरी नहीं है। हममें से बहुत लोग एक भारी भूल यह करते हैं कि शास्त्रोंका अक्षरशः अर्थ लगाने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि मात्र शब्दोंका पालन शास्त्रोंकी आत्माको नष्ट कर देता है और उनके भावार्थका अनुसरण उसे विकसित करता है। 'महाभारत' और 'पुराण' न तो विलकुल इतिहास ही हैं, और न धर्मशास्त्र ही। मुझे लगता है कि वे मनुष्यके धार्मिक इतिहासको भिन्न-भिन्न रूपोंमें समझानेकी एक आश्चर्यजनक रूपसे उपयुक्त योजनाके अन्तर्गत लिखे गये हैं। उनमें वर्णित सभी नायक हम लोगों-जैसे अपूर्ण, दोषयुक्त, नस्वर प्राणी हैं, अगर अन्तर है तो अपूर्णताकी मात्रामें ही। उनके वर्णित कामोंका हम आँख मूंदकर अनुकरण नहीं कर सकते। 'महाभारत' की सारी शिक्षाका सार इतनेमें दिया हुआ है कि संसारमें सत्य सभी वस्तुओंसे सर्वोपरि है।

मगर मैं शास्त्रोंमें लिखी हरएक बातका औचित्य सिद्ध करनेकी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इन ग्रन्थोंको श्रद्धाके साथ पढ़नेपर मुझपर सब मिलाकर जो असर पड़ता है, मैं उसीको मानता हूँ। हरएक आदमीको, जो सच्चा होना चाहता है, यही करना पड़ेगा। इस तरह मेरा दावा है कि अहिंसा और सत्यमें मेरा विश्वास उन्हीं ग्रन्थोंके पढ़नेसे पैदा हुआ है, जमा है, जिसमें से निकालकर ये भाई मेरे सामने ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं। यही नहीं, बल्कि मेरा विश्वास आज मेरे अस्तित्वका परमावश्यक अंग बन पाया है, और इसलिए वह इन किताबोंके या किन्हीं और किताबोंके सहारे-के बिना भी स्थिर रह सकता है। निश्चय ही, हरएक धार्मिक प्रवृत्तिवाले आदमीके जीवनमें एक ऐसा समय आता ही है जब उसकी श्रद्धा आत्म-भोषित होती है। इसलिए भले ही सिद्ध किया जाये कि अवतारोने फलाना काम किया था, फलाना काम नहीं किया था, मगर इसका मुझपर कोई असर नहीं पड़ सकता। दिनोंदिन बढ़ता और सबल होता हुआ मेरा अनुभव मुझसे कहता है कि जहाँतक आदमीके लिए सम्भव हो, उस हद तक सत्य और अहिंसाका पालन किये बिना न तो व्यक्तियोंको और न जातियोंको ही शान्ति मिल सकती है। बदला लेनेकी नीतिको कभी सफलता नहीं मिली। बदला लेनेसे, जिसमें अकसर धोखेवाजी और जोर-जवरदस्ती भी शामिल होती है, कभी-कभी अस्थायी और दिखावटी सफलता मिलनेके इक्के-दुक्के उदाहरणोंसे हमें घबराना नहीं चाहिए। संसारका अस्तित्व आज इसीलिए बना हुआ है कि यहाँपर घृणासे प्रेमकी मात्रा अधिक है, असत्यसे सत्य अधिक है। इसकी जाँच जो कोई सोचनेकी तकलीफ उठाये वह कर सकता है। धोखेवाजी और जोर-जवरदस्ती तो बीमारियाँ हैं। सत्य और अहिंसा स्वास्थ्य है। यह तथ्य कि संसार अभीतक नष्ट नहीं हो गया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संसारमें रोगसे अधिक स्वास्थ्य है। इसलिए जो इसे समझ लें, उनको अत्यन्त प्रतिकूल स्थितियोंमें भी स्वास्थ्यके नियमोंका पालन करना चाहिए।

मेरे उपदेश और शिक्षाएँ, भायुकनामय या अन्धकारात्मक नहीं हैं, क्योंकि मैं वही गिनता हूँ जो पुराना है, और जो कठना है वही करनेसे शोचिन करना है, और मेरा यह दावा है कि जो मैं करता हूँ वह हमेशा धार्मिक गुरु मानना है क्योंकि मैं एक बहुत मामूली आदमी हूँ; मेरे नामने भी वही प्रलोभन है, मुझमें भी वही कमजोरियाँ हैं, जो हममें निर्वन्दित-निर्वन्दित मनुष्योंमें हैं।

दक्षिण आफ्रिकामें उन समयके निर्धारित लक्ष्यके मानदण्डने पूरी सफलता मिली थी। जो बात छोटे समाजोंपर लागू होती है, वही बड़े समाजोंपर भी होनी है, केवल उन्हीं तरङ्गका प्रयत्न ज्यादा बड़े पैमानेपर करना पड़ेगा।

मुझे अपनी पद्धतिमें इतना अधिक विश्वास है कि मैं यह सविश्वव्यापी कर सकता हूँ कि आनेवाली पीढ़ियाँ १९२० और १९२१ सालके भारतवर्षके उद्दिष्टागमें सबसे गौरवशाली पृष्ठ सज्जगी, और उनमें भी बारडोलीकी 'कलाबाजी' गवने महान् काम समझा जायेगा। बारडोलीके निर्णयने हिन्दुस्तानको इन लक्ष्यक बनाया कि वह दुनियासे नजरें मिला सके, सिर ऊँचा रख सके। राष्ट्रके लिए यही एकमात्र सच्चा, वहादुरीका और प्रतिष्ठापूर्ण रास्ता था जिसे वह कांग्रेसके सिद्धान्तोंमें आस्था रखते हुए कर सकता था। स्वराज्यकी लड़ाई कोई छान्दावा तो नहीं; और अगर किसीको बिना चाहे तबलीफ उठानी भी पड़ी तो इसलिए कि वे आगेके साथ गेल रहे थे।

सिलाफत-आन्दोलनमें पडनेसे दोनों जातियाँ सबल हुई हैं और उनमें एक ऐसी जन-जागृति उत्पन्न हुई है जिसके किली और तरहसे पैदा होनेमें एक जमाना लग जाता। अगर सच्ची एकता कमी होगी, तो मेरी ही शिक्षाओंके माननेसे हांगी। आजके हिन्दू-मुस्लिम झगड़े, हिन्दुओंके आपसी झगड़े और मुसलमानोंके भी अपने आपसी झगड़े जन-जागृतिके ही चिह्न हैं। आज जो हम देर रहे हैं वह तो जात्म-शुद्धिकी क्रियामें ऊपर उतरा आई मूल या गन्दगी है। लेखक महोदय चीनी माफ करनेके किसी कारखानेमें चीनीका माफ किया जाना देन आयें, तब वे मेरा मतलब ज्यादा ठीक समझ जायेंगे। यह मूल निरफ फेंक दिये जानेके लिए ही सतृपर आ गया है।

मुझे इसका पता नहीं कि पण्डित मदनमोहन मालवीय और लेखकके गिनाये दूसरे नेता मेरी राजनीतिसे आजिज आ गये हैं। कुछके बारेमें तो मैं जानता हूँ कि उनके साथ बात ठीक इसकी उलटी ही है। वे अगर आजिज आ गये हों, तो भी मुझे आशा है कि मेरा विद्वान उन सभी मित्रोंका मतभेद भी गहरे होगा, जिनकी सम्मतिके मेरे लिए काफी-कुछ मूल्य है।

लोकमान्यके बारेमें लेखक अपना अज्ञान तब प्रकट करने हैं जब वे उनको वे नीतियाँ बतलाते हैं जो लोकमान्यकी कमी थी ही नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे और उनके बीच कुछ बुनियादी मतभेद थे, मगर केराने जिनकी गणना तो है, मतभेद पैने नहीं थे। एक बात जो हमें अपने आदर्श नाकलने मीगनी नागिण का यह है कि हमें उनके कामोंकी, वेगमते-पूरी धांग मूँदकर नकल नहीं करनी है।

हमें उनसे उनकी बहादुरी, उनका महान स्वार्थ-त्याग, उनकी परिश्रमशीलता, उनका देश-प्रेम और अपने आदर्शोंपर दृढ़ रहनेकी आन सीखनी चाहिए। हम जब बिना किसी संगतिके या यथेष्ट ज्ञानके उनके इक्के-दुक्के कामोकी नकल करने लगते हैं, तभी भयंकर भूल करते हैं।

मेरा दावा है कि जिन समाज-सुधारोंकी मैं आज पैरवी कर रहा हूँ, और जिसमें परमात्माकी कृपासे मेरे कई प्रसिद्ध देशवासी भी मेरा साथ दे रहे हैं, उनके बिना हिन्दू-धर्मके नष्ट हो जानेका खतरा है।

लेखकके अविश्वासके बावजूद चरखा बराबर प्रगति ही करता जा रहा है। श्रमके सागरमें चरखेका काम ही मेरा योगदान है।

मेरा दावा है कि नगरपालिकाओंसे मानपत्र स्वीकार करते समय उनके वृक्ष-खानोंमें होनेवाली पशु-हत्याओंका मुझपर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि मानपत्र लेनेके वहाने मुझे उन्हें अपने सिद्धान्तका उपदेश देनेका अवसर मिलता है। और मुझे यह लिखते हुए खुशी है कि वे इसका कभी बुरा नहीं मानते और कभी-कभी तो वे मेरे विनम्र सुझाव स्वीकार भी कर लेते हैं।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १५-१२-१९२७

## २६७. पत्र : एच० ए० जे० गिडनेको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
१५ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला था।<sup>१</sup> मेरे पास आपको कोई लम्बा सन्देश भेजनेके लिए समय नहीं है, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ :

एंग्लो-इंडियन समाजकी मौजूदा और भावी नीति यूरोपीयोंके रूपमें मान्यता प्राप्त करनेकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे भारतके जन-साधारणके उद्देश्यको अपना मानकर चलना चाहिए, क्योंकि जो-कुछ भी वे हैं, जन-साधारणकी वर्दीलत हैं। यूरोपीय खूनको एक बाधा मानना चाहिए और इसका इस्तेमाल यूरोपकी सतही चीजोंकी नकल करनेमें नहीं, बल्कि यूरोपीयोंके अच्छे गुणोंको आत्मसात् करने और उन्हें जन-साधारणके साथ वाँटनेमें करना चाहिए। कुछ एंग्लो-इंडियनों द्वारा अपने-

१. अपने २५-११-१९२७ के पत्रमें कर्नल गिडनेने गांधीजीसे एंग्लो-इंडियन रिज्यूके लिए बड़े-दिनके अवसरपर एक सन्देश भेजनेको कहा था।

आपको एक अलग बगं समझने और अपने लिए विशेष मुत्रियागं प्राप्त करने पर प्रयत्न अन्तमें व्यर्थ और अशोभनीय सिद्ध होंगे।

हृदयमें आराम,

ले० कर्नल एच० ए० जे० गिउने  
कलकत्ता

अग्रेजी (एन० एन० १२६३९) की फोटो-नकलमें।

## २६८. पत्र : आई० संन्यास राजू तथा अन्य लोगोंको

स्थायी पता : आश्रम, गाबरमनी  
१५ दिगम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मैंने देशभक्त बैकटर्पियासे आन्ध्रके उन मित्रोंके नाम प्राप्त कर लिये हैं जिन्होंने खादी कार्यके लिए खादी बोर्ड, अब चरखा सघ, द्वारा अग्रिम दिये गये धनके लिए समुचित कानूनी गारंटियां दी थी। मुझे बताया गया है कि आप इन गारंटी देनेवालोंमें से एक हैं और आपसे भुगतान प्राप्त करनेमें कठिनाई हो रही है। मैं आपसे जोखदार अपील करूँगा कि आप अपना दायित्व निभायें, जो केवल कानूनी ही नहीं, नैतिक भी है। और मेरी रायमें हम लोग, जो देशकी सेवा करनेका दावा करते हैं, केवल कानूनी दायित्वसे भी अधिक नैतिक दायित्वोंमें बंधे हुए हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिमें से इस रकमके भुगतानको सबसे पहला स्थान देंगे, और अन्य मित्रोंको अपना दायित्व निभानेके लिए राजी करेंगे।

हृदयमें आपका,

- (१) इच्चातूरी संन्यास राजू, डेवडी।
- (२) गडे राजमन्नार, बरहामपुर।
- (३) जन्म रामलिंगम् पंतुलु, म्युनिमिपल चेयरमैन, बरहामपुर।
- (४) मल्लादि कृष्णमूर्ति पंतुलु, चकौल, बरहामपुर।
- (५) अकुर रामकृष्णराव<sup>१</sup> (जो अब कानी चले गये हैं)।

अग्रेजी (एन० एन० १२६४९) की मास्क्रिप्टमें।



## २६९. पत्र : वसुमती पण्डितको

बालासोर

१६ दिसम्बर, १९२७

जमनालालजी, मगनलाल आदिके सामने तुमने अपने मनकी बात कह दी, यह तुमने बहुत ही बुद्धिमानीका काम किया। जिस व्यक्तितने अपने दोष देख लिए हैं, और जिसने अपनेको विलगुल बदल लिया है उसके सामने अपनी गुजरी जिन्दगीकी बातें कहनेमें शर्म कैसी? किन्तु पाप भी रोग है और रोग-मात्र पाप है। मुझे यदि आन्त्र-बुद्धिकी चर्चा करते हुए संकोच हो तो तुम्हें मानसिक आन्त्रबुद्धिकी चर्चा करते हुए संकोच होगा। हम जबतक रोगको पाले रहेंगे तबतक हमें शर्म लगेगी, संकोच होगा, मानसिक पीड़ा होगी। किन्तु जिस प्रकार ऑपरेशन करके रोगको जड़से निकाल फेंकनेके बाद हमारा शरीर हलका हो जाता है, उसी प्रकार हमारा मन भी हलका हो जाना चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

## २७०. पत्र : बहरामजी खम्बाताको

१६ दिसम्बर, १९२७

भाईश्री ५ खम्बाता,

जबतक भाई गोविन्दजी चेडा तुम्हारी शरणमें हैं तबतक मुझे कोई चिंता नहीं है। डा० जीवराज मेहता क्या कहते हैं, ऑपरेशन कौन करेगा आदि बातें मुझे लिखते रहना।

आशा है तुम्हारा स्वास्थ्य अब सुधर गया होगा।

तुम दोनोंको  
दापूके आशीर्वाद

[ पुनश्च : ]

१८-२१ कटक

२३ मद्रास

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ५०११) से।

सौजन्य : तहमीना खम्बाता

## २७१. गोरक्षाके बारेमें लेख

श्री बालजी देनाईने जो लेख 'नवजीवन' और 'यंग इण्डिया' में गुजराती और अंग्रेजीमें गोरक्षापर लिखे हैं, कई पाठकोंकी धारणें उन्हें पुस्तक रूपमें प्रकाशित करनेकी मांग आई है। उनके चर्चके लिए धूलियाके श्री रामेश्वरदासने २५ रू० देनेकी इच्छा है। इतनेसे ही पुस्तकको प्रकाशित करनेका खर्च निचला आनेमें सम्भवे; क्योंकि पुस्तक तभी प्रकाशित की जा सकती है, जब दूसरे गोमयत भी महायत्ना दें। 'नवजीवन' की आर्थिक स्थिति इसके बिना उसे प्रकाशित करनेकी नहीं है। अगिला भागवर्षीय गोमक्षा मण्डलके पास जो धन है वह रचनात्मक कार्योंके लिए ही काफी नहीं है; इसलिए दोग रकमको उसमें नै पूरा करनेका माहुर नहीं होता। अगर पाठकगण थोड़ा-थोड़ी महायत्ना दे देंगे तो पुस्तक तुरन्त प्रकाशित कर दी जायेगी। अगर कुछ नफा मिला तो वह गोमक्षा मण्डलको दिया जायेगा। प्राप्त सहायताके अनुसार यह पुस्तक गुजराती, अंग्रेजी और हिन्दीमें प्रकाशित की जायेगी।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, १८-१२-१९२७

## २७२. पत्र : तिरुकोट्टासुन्दरम् पिल्लेको

कटक

१८ दिनम्बर, १९२७

प्रिय तिरुकोट्टासुन्दरम्,

मैं लंकाका दौरा समाप्त करनेवाला था, उन समय आपका पत्र<sup>१</sup> मिला। मैं आपको पहले उत्तर नहीं दे सका क्योंकि आपका पत्र टर-टर हो गया था, और इसलिए मेरे ध्यानमें नहीं आ सका। मैंने मामलेकी पूरी जांच-पड़ताल की है और इस निष्कर्षपर आया हूँ कि श्री वरदाचारीने जितनी जन्दी सम्भव हो सक्ती थी उतनी जल्दी खलीला घन गिना था। जब दोरे तेजीमें चले जा गये तो उन समय धूलियाका घन दाताओंकी उपस्थितिमें, या जिन दिन धूलियां मिलें उनी रात गिनना सम्भव नहीं है। दाना लोग धूलियां तभी देने हैं जब उन्हें दान प्राप्त करनेवालोंकी ईमानदारीमें तथा दानकी रकमकी गृहकार रखने तथा खर्च करनेकी गतिर ईमानदार

१. तिरुकोट्टासुन्दरम्ने गोपीनेत्रा श्याम पण्डितकोईमें प्रथम धूलियां २००० रुपयेकी जमीनी और दिखाने हुए उनके खर्च करनेका अनुरोध किया था (१९०० धनः १२५४०)।

व्यक्तियोंको चुन सकनेकी उसकी क्षमतामें पूरा विश्वास होता है। यह पहला मौका नहीं है जब थैलियोंमें घोषित रकमसे कम धन पाया गया है और थैलियाँ दान-प्राप्तकर्ताके हाथमें पहुँचें इससे पहले ही उनमें कमी हो जाती है और इसमें थैलीको सहेजकर रखनेवालेका अक्सर कोई दोष नहीं होता। अतः मैं आपको इतनी ही तसल्ली दे सकता हूँ कि आप कमीको लेकर उद्विग्न न हो। इससे आपपर कोई लांछन नहीं आता और न उन लोगोंपर आना चाहिए जो खादी संगठनके कार्योंमें मेरे साथ सम्बद्ध हैं।

श्रीयुत वरदाचारी अत्यन्त विश्वस्त खादी कार्यकर्ताओंमें से हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको उनकी ईमानदारीपर शक करने या उनकी उद्योग-शीलतामें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है। मुझे अखिल भारतीय चरखा संघमें उनसे ज्यादा कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता कोई नहीं दिखा। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने पालमकोट्टामें थैलीको गिना अवश्य था लेकिन थैली गिन चुकनेके बाद आप नहीं मिले। इसलिए श्रीयुत विश्वनाथ पिल्लेने गिननेकी जो तारीख समझी है उसमें स्पष्टतः कोई गलतफहमी हुई है। और यदि आप अब भी सन्तुष्ट न हों तो जब मैं मद्रासमें होऊँ उस समय आप मुझसे मिल सकते हैं, और मैं आपको कुछ मिनटका समय देनेकी कोशिश करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत पी० तिरुकोट्टासुन्दरम् पिल्ले  
सिन्दुपुण्डुराई  
तिन्नेवेल्ली

अंग्रेजी (एस० एन० १२६४० ए०) की माइक्रोफिल्मसे।

### २७३. पत्र : गोपराजू सत्यनारायण मूर्तिको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
१९ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं आपको रामनामसे अच्छी चीज कुछ नहीं दे सकता। जब कभी आपको अपने ऊपर भूतोके रँगनेका भय हो, आपको रामका चिन्तन करना चाहिए, और वे ऐसे छिन्न-भिन्न हो जायेंगे जैसे सूरजके सामने कोहरा। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं एक स्वस्थ शरीरवाले मिखारीको भीख नहीं देता, चाहे वह ब्राह्मण हो या न हो। यदि आपका शरीर अनुमति दे तो जाड़ोंमें भी मुवह तड़के ठंडे पानीसे स्नान करना एक अच्छी चीज है। किसी अच्छे उद्देश्यसे साइकिल चलानेमें मैं कोई

हर्ज नहीं देगना। यदि आप धाश्रम जाना चाहते हैं तो आपको मन्दीरा दिखाना चाहिए।

इस्यमे आशा,  
गो० क० गांधी

श्रीयुक्त गोपराजू सत्यनारायण मूर्ति  
बराहगिरि हाउस  
बरहामपुर

अंग्रेजी (जी० एन० ६०९०) की फोटो-नकलसे।

## २७४. पत्र : रेहाना तैयबजीको

कटक

१९ दिगम्बर, १९२७

प्रिय रेहाना,

तुम्हारा पत्र मिला। आज मुझे बोलकर लिखाना पड़ेगा। यह पत्र एक दिन-कोले खाती हुई ट्रेनमें घोला जा रहा है जो हमें कटक ले जा रही है।

मैं जानता हूँ कि तुम हिन्दुओंके पूर्वग्रहोंका बुरा माने बिना काम करनी यह मानी हो। बेचारे नौकरोको समझ ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान बर्तनोंमें तुमने जैसी कटुता पाई उसका उसी प्रकारकी हिन्दू बर्तनोंमें कोई अभाव नहीं है। उन बर्तनों द्वारा अपनी सहायता आप करनेके असफल प्रयत्नोंका जो विवरण तुमने लिखा है वह बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है और दुःखद है। सम्भवता हममें नें बर्तनोंको किम तरह बिगाड़ देती है।

मैं आशा करता हूँ कि तुमने बेचारे छिन्ने हुए आलूपर जो ज्यादा तो उमरा उमपर कोई खराब अमर नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि तुमने "निराशाका मन-स्थिति" से छुटकारा पा लिया है। तुम जानती हो कि 'गीता' के एक पाठको नाम तुम्हें निराश होना ही नहीं चाहिए।

सप्रेम,

बापू

कुमारी रेहाना तैयबजी  
माफत लाला रघुवीर सिंह  
कर्मारी गेट, दिल्ली

अंग्रेजी (एन० एन० ९६०६) की फोटो-नकलसे।

१. पत्र पत्र जिने गांधीजीने कटक से जनेरानी ट्रेनमें बोलकर लिखाका पत्र, १९२७: १८३ का संस्करण शब्द और हस्ताक्षरित किया गया था।

## २७५. पत्र : एस० हैंडी परिवनायगमको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
१९ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। खादीके प्रति आपके उत्साहसे मुझे खुशी है। इस उत्साहको बनाये रखनेका एक-मात्र तरीका यही है कि खादीके कार्यको पूरी व्यावसायिक कार्य-कुशलताके साथ किया जाये और इसके लिए आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सभी प्रक्रियाओंका विशेषज्ञ हो। कोलम्बोमें आपके यहाँ श्रीयुत जयरामदाम जयवर्द्धन है। यदि आप और कार्यकर्त्ताओंको प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो शायद श्रीयुत च० राजगोपालाचारी एक या दो लोगोंको तिहचेङ्गोडके अपने आश्रममें ले सकेंगे। मैं जानता हूँ कि आप इस उत्साहको किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एस० हैंडी परिवनायगम  
जफना कालेज  
वडुक्कोडाई  
लंका

अंग्रेजी (एस० एन० १२६२२) की माइक्रोफिल्मसे।

## २७६. पत्र : के० एस० कारंतको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
१९ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। निश्चय ही यदि आप अपनी पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। शायद मेरा अपना अनुभव यह है कि ज्वरनक और ज्यादा तथा और सही अनुभव न हो जाये तबतक ऐसी किताबें न छापना ही बेहतर है।

आपने जो विभिन्न प्रकारके आसनोंका उल्लेख किया है, वह मुझे कई पुस्तकामें न लिया गया मालूम होता है। मैं इस प्रकारकी पुस्तकोंके लेखकोंके साथ पत्र-व्यवहार करता रहा हूँ और मैंने देखा है कि उन्होंने जो-कुछ लिखा है वह न तो अपने अनुभवसे पूरी तरह सही उतर सकता है और न ही दूसरोंके अनुभवोंमें, कि जिनपर भरोसा किया जा सके। लेकिन आपने जो-कुछ लिखा है उसमें आपको विद्वान है

तो मेरी इच्छा आपको किताब छपवानेमें रोहनेकी नहीं है। आगम और प्रागाणम अगर चाम्त्वमें उतने ही कारगर है जिनका कि दावा किया गया है तो आप क्यों उनको पूरी तरह प्रयुक्त करके क्यों नहीं देखते ? मेरा इरादा कुछ पैसा करनेका था लेकिन मेरी बीमारीके कारण स्वयं विवेपजाने गृहे गना कर दिया।

मैं ब्रह्मचर्य और विद्यया पुनर्विवाहका एक माय ममर्थन करनेमें तबनात कोई असंगति नहीं देखता जबतक मैं ये दोनों चीजें एक ही व्यक्तिके मन्दर्भमें न रहें। हालांकि मैं चाहूंगा कि ममी नौजवान ब्रह्मचारी हो और रहें, लेकिन मैं ऐसे लोगोंके विवाहका ममर्थन करनेमें वलिक उनका विवाह करवानेमें नहीं हिचकता जो आत्म-संयम धरत मकाना अमम्भव पाते हैं। अवश्य, जब मैं बाल-विद्ययाओंके विवाहका ममर्थन करना हूँ तो मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि वे वही गुण चाहती हैं जिनकी ममी जीव कामना करते हैं, और केवल कुछ मानव ही प्रयत्नपूर्वक आत्म-संयम कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऊपरमें थोप दी जाये और बाऊ-विद्ययाओंको अविवाहित रहनेके लिए विवश करना पाप है।

जिन पतित बहनोंका आपने जिक्र किया है, यदि उनको किसी भी जातिके आदमीके विवाह करनेमें आपत्ति न हो तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं होने चाहिए, और न उन्हें किसी भी जातिपर आपत्ति करनी चाहिए। यदि वे उत्कृष्ट धर नहीं प्राप्त कर सकती तो मेरा उनमें ब्रह्मचर्य पालन करनेको कहना अर्थपूर्ण है। अर्थात् यदि वे किसी जातिकी या किसी प्रान्तकी मीमा अपने ऊपर लगाना चाहें, और फिर भी शुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहें, तो स्वभावतः उन्हें ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिए; अन्यथा उन्हें किसी भी सामाजिक स्थितिका कोई भी आदमी स्वीकार कर लेना चाहिए।

आप 'सेल्फ रेस्ट्रिक्ट वर्सेस मेलफ इंडलजेंस' का अनुवाद छाप गाने हैं। लेकिन कृपया वैसा करनेसे पहले 'नवजीवन' के प्रबन्धकने पूछ लें वना उन्होंने कहीं किसी दूसरेको अनुमति न दे दी हो।

आपने रामकृष्ण परमहंसके बारेमें क्या लिखा है सो मैं नहीं जानता। आपकी सूचनाके बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि वह अहिंसाकी साक्षान् मृति थे। वह उस धर्ममें विश्वास करते थे और अपनी बुद्धिके अनुसार उनका पालन करनेका उन्होंने प्रयत्न किया। मले ही उन्होंने कुछ ऐसी चीज की, जो आज हमारे अवेसाकन अधिक व्यापक अनुभवके कारण अहिंसाके सिद्धान्तके विरुद्ध प्रतीत होती है, लेकिन यह रामकृष्णके गुणोंको कम नहीं करती; क्योंकि वह अपने चारों ओर प्रवर्णित प्रजातोंमें बाहर हटकर नहीं मोच नकते थे। ज्ञानिक नौजनता सम्बन्ध है, यह मन्ना नगी है कि भावी पीढ़ियां पके हुए गानेको अहिंसाके विरुद्ध मतार्थकी लेकिन उनके बावजूद अहिंसाके मौजूदा प्रागाणिक ज्ञाना पाठ हथा नौजन गानेकी अर्गताता न मना पानेके लिए निम्नाके पाठ नहीं लेंगे। कोई भी व्यक्ति पूर्ण अहिंसाका पालन नहीं कर सकता। मौनिक नगीके चरने कुछ हिंसा अजमी है चिन्तन बात नहीं

जा सकता। इसलिए अहिंसा में विश्वास करनेवाला व्यक्ति इस हिंसा को कमसे-कमतर करनेके लिए सतत प्रयत्नशील रहता है।

यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी पुस्तककी पाण्डुलिपि चापम कर दूँ तो कृपया मुझे बतायें।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० एस० कारंत  
मार्फत के० एस० अचरलू, एम० ए०  
शिक्षक, दवंगेरे

अंग्रेजी (एस० एन० १२६५२) की माइक्रोफिल्मसे।

## २७७. पत्र : ऑलिव डोकको

स्थायी पता : आथम, सावरमती

१९ दिसम्बर, १९२७

प्रिय ऑलिव,

कुमारी श्लेसिनसे परिवारके बारेमें तथा तुम्हारे कार्यकलापोंके बारेमें सब-कुछ जानकर मुझे बहुत आनन्द हुआ। क्लीमेंटसे, जो अब डॉक्टर क्लीमेंट हैं, हाथ मिलानेकी, और तुमको "लीड काइंडली लाइट" गाते सुननेकी मेरी बहुत इच्छा होती है। तुमको उस दृश्यकी याद शायद न हो, मुझे है, और मेरी स्मृति इतनी स्पष्ट है कि यदि मैं चित्रकार होता तो मैं उसे चित्रित कर सकता था।<sup>१</sup>

तुम्हारा आफ्रिकाके वन्य प्रदेशोंमें भ्रमणके लिए जाना मुझे तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं लगता, क्योंकि मैं जोसेफ डोकके वचनसे इससे कमकी कोई अपेक्षा ही नहीं करता।

बोलकर लिखाये गये इस पत्रके लिए तुम मुझे क्षमा करोगी। मेरे सामने विकल्प था कि लिखना टाल दूँ या बोलकर लिखाऊँ। मैंने ज्यादा बेहतर चुनाव किया है। कृपया कभी-कभी लिखती रहो।<sup>२</sup>

तुम सबको प्यार सहित,

हृदयसे तुम्हारा,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२२७) से।

सौजन्य : सी० एम० डोक

१. देखिए खण्ड २९, पृष्ठ १३०-३१।

२. ऑलिव डोकने इस पत्रकी प्राप्ति-सूचना २ मार्च, १९०८को दी थी (एस० एल० ११९६८)।

## २७८. पत्र : आश्रमकी वहनोंको

१८८

मोनवार [ १९ दिसम्बर, १९२७ ]

वहनों,

ईश्वरकी इच्छा होगी तो इसके बाद तुम्हें पत्र लिखनेके लिए एक ही मोनवार रहेगा।

भीरावहनका पत्र मिल गया। तुमने पोशाकके विषयमें अधिक चर्चा करनेके लिए लिखा है। उसपर अभी तो चर्चा नहीं करूँगा, परन्तु जब हम मिले तब जरूर प्रश्न करना। भीतर ही भीतर जबतक शृंगारका मोह बाकी है, तबतक देखा-देखी कुछ भी फेरबदल या त्याग करना व्यर्थ है। परन्तु जब मोह उतर जाये और फिर भी मन उस तरफ जाता हो, तब तो देखादेखी, धर्ममें या किसीनी बहानेमें मोहको मारना चाहिए और उचित परिवर्तन कर लेना चाहिए। मोहादि शत्रु हमें घनता नग करने हैं कि जहाँसे भी उचित मदद मिल जाये, उसका उपयोग करके हमें उनमें अपनी श्वा करना चाहिए। यह सब उनके लिए लिख रहा हूँ जो मच्चे हैं और मच्चे बनना चाहते हैं। 'गीताजी' में एक जगह कहा गया है कि जो ऊपरमें सयम उनके मनमें विषयोक्त सेवन करता है, वह मूढात्मा मिथ्याचारी है। यह वाक्य पाण्डुकी लिए है। वही 'गीताजी' सच्चा प्रयत्न करनेवालेके लिए कहती है कि प्रमाथी उन्निषोक्त बार-बार संयम करो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३६७४) की फोटो-नकलमें।

## २७९. पत्र : नारणदास गांधीको

मोनवार [ १९ दिसम्बर ] १९२७

वि० नारणदास,

इसके साथका पत्र पढ़कर उनका उत्तर निजयाना और फिर गरी पत्र उत्तर देनेके लिए भाई फूलचन्दके पान मिजवा देना। भाई फूलचन्द मुझे मूल पत्र भी निजवा दें ताकि मैं उत्तर दे सकूँ। उत्तर मद्रानके पत्रपर देना।

१. पोशाक और शृंगार सम्बन्धी चर्चाके अभावपर तथा २. भारतीयों की शक्तिके अभावमें टहरनेके भाषणपर भी।

२. १९२७ में गांधीजी २३ दिसम्बरको मद्रास ९२वे दे।



अब तो पुरुषोत्तम बिलकुल स्वस्थ हो गया होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७१३) से।

सौजन्य : राधाबहन चौधरी

## २८०. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

कटक

२० दिसम्बर, १९२७

प्रिय चाली,

ये कागजात तुम्हारे पढ़ने और विचार करके मुझे यह बतानेके लिए हैं कि क्या सुझावमें कुछ तत्त्व है।

हालाँकि डाक्टरोंका कहना है कि रक्तचाप ज्यादा है, लेकिन मुझे उसके किसी प्रभावका पता नहीं चलता। और तीन डाक्टरों तथा तीन यन्त्रोंने कल विभिन्न अंक सूचित किये — २००, १८०, १६०। जब डाक्टरोंमें ही मतभेद हो तो कोई क्या करे? कुछ भी हो, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए।

सप्रेम,

मोहन

अंग्रेजी (जी० एन० २६२६) की फोटो-नकलसे।

## २८१. पत्र : एम० फ्रांसिस एच० ल्यूकको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती

२० दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

आपका पत्र<sup>१</sup> मिला। मैं इससे बेहतर कोई तरीका नहीं सोच पाता कि आप किसी अस्पतालसे सम्बद्ध हो जाइए जहाँ आप आसानीसे उन लोगोंके सम्पर्कमें आ सकेंगी जो आपके ध्यानमें हैं।

मुझे आपका आश्रममें आना याद है। मैं इस समय यात्रा कर रहा हूँ और जैसी फोटो आप चाहती हैं वैसी कोई फोटो मेरे पास नहीं है। आपको शायद पता

१. २६-९-१९२७ का; पत्रलेखिका एक शिक्षित अंग्रेज महिला थीं। उन्होंने दीन-दुखी और अशुभ लोर्गोंकी सेवा करनेकी इच्छा प्रकट की थी।

न हो कि मैंने फोटो कभी नहीं लिखवाई, लेकिन हाँ, बाजारों में भरे-भर्रा घाने गये बहुतसे फोटो उपलब्ध हैं।

हृदयमे आगत,

एम० फ्रांसिस एच० ल्युक  
द मैट्रन्स आफिस  
सेट थॉमस हास्पिटल, एस० ई० ?  
लन्दन

अंग्रेजी (एस० एन० १२५५४) की फोटो-नकलमे।

## २८२. पत्र : एस० एन० घोषको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
२० दिगम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं 'यंग इंडिया' के मैनेजरसे आपका नाम नि मुल्क नूतीमें रखनेको कह रहा हूँ।

वहाँ आपके झगडेके बारेमें मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्या किया जा सकता है इसके बारेमें मैं स्वयं असमंजसमें हूँ। यदि आप 'यंग इंडिया' के नियमित पाठक है तो आपने देखा होगा कि मैं एक भी फाजिल दब्द नहीं लिखता। मैं बहुत-सी चीजोंके बारेमें असहाय अनुभव करता हूँ और इसलिए उन्हें छोड़ देना हूँ। आप विश्वास करें कि अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो उनका कारण यह नहीं है कि मेरी मदद करनेकी इच्छा नहीं है।

हृदयमे आगत,

श्री एस० एन० घोष  
द इंडिया फ्रीडम फाउंडेशन  
७९९ ग्रॉडवे, न्यूयॉर्क ( यू० एस० ए० )

अंग्रेजी (एस० एन० १२५५५) की फोटो-नकलमे।

## २८३. पत्र : हेलेन हॉसडिंगको

कटक

(उड़ीसा)

२० दिसम्बर, १९२७

मुझे आपके सब पत्र मिले हैं जिनका इधर बराबर यात्रा करते रहनेके कारण उत्तर नहीं दे सका। और न मेरे पास आपको इसके सिवा कोई उपयोगी बात बतानेका समय है कि मैं किसी-न-किसी प्रकार चल रहा हूँ हालाँकि डाक्टर लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। मैं अगले वर्षके आरम्भमें आश्रम पहुँचनेकी आशा करता हूँ। मैं आपसे किसी भी दिन यह सुननेकी अपेक्षा करता हूँ कि भारतसे आप जो शरीरकी दुर्बलताएँ ले गई हैं उन्हें आपने डैन्यूबमें फेंक दिया है और आपकी चहचहाहट वैसी ही जोरदार है जैसी कि वह इस दुखसे भरे प्रदेशमें आनेसे पहले थी।

कुमारी हेलेन हॉसडिंग

हरशिंग ए० एमरखी

बी मिनचेन (जर्मनी)

अंग्रेजी (एस० एन० १२५५६) की फोटो-नकलसे।

## २८४. भाषण : कटकके खादी कार्यकर्त्ताओंके समक्ष

२० दिसम्बर, १९२७

१

इस संस्थाके संचालक उतने ही सचेत और अपनी संस्थाके हित-चिन्तक होने चाहिए, जैसे कि बैंक आफ इंग्लैंडके हैं। यह बैंक दुनियाका सबसे बड़ा सहकारी-संघ है। बल्कि हमारे संचालकोंको उस बैंकके संचालकोसे भी अधिक निःस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि खादी संघ तो स्वार्थके लिए नहीं बल्कि गरीबोंकी सेवाके लिए ही खोला जायेगा। उनकी योग्यता इसीमें होगी कि वे मामूलीसे-मामूली बातपर भी खूब ध्यान दें, चरखा-शास्त्रमें निष्णात बनें। जबतक ये चरखा-शास्त्रके अच्छे जाननेवाले और योग्य संगठनकर्त्ता नहीं बनते, वे कुछ भी नहीं कर सकेंगे।

आपके कुछ सवालसे पता चलता है कि आप कितने अव्यावहारिक हैं। आप पूछते हैं कि क्या मैं आपके लिए लंगोटी पहिनना और एक खास तरहका आहार करना भी जरूरी कर दूंगा। नहीं भाई, आपके कपड़े और भोजनका ढँग निश्चित नहीं करना

१. ये भाषण, १८, १९ और २० दिसम्बर, १९२७को दिये गये थे। यहाँ उनको अन्तिम भाषणमी तिथिके अन्तर्गत प्रकाशित किया जा रहा है। इस सम्बन्धमें देखिए “भाषण : राजापालयम्के खादी वस्त्रालयमें”, ४-१०-१९२७ भी।

चाहता। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप इस आन्दोलनकी मूल भावनाको समझें और अपना जीवन उसीके अनुरूप बनायें।

आप लोगोंमें से जो उड़ीसाकी सेवा करना चाहते हैं, उनसे मैं यह कहूँगा कि आप उड़ीसाको सारे भारतवर्षका खादी-मण्डार बना दीजिए। जबतक आप प्रति-द्वन्द्विताकी भावनाको बिलकुल समाप्त नहीं कर देते और आप सब मिलकर केवल खादी तैयार करनेमें नहीं लग जाते, तबतक यह नहीं हो सकता। खादी-खादीमें प्रतिद्वन्द्विता कैसी? मैं यह बात समझ सकता हूँ कि दूसरे प्रान्तोंसे खादी मँगानेका आप विरोध करें, मगर उड़ीसाके ही भिन्न-भिन्न हिस्सोंमें तैयार की जानेवाली खादीमें तो आपको कोई फर्क नहीं करना चाहिए। आप सब मिलकर काम करने और खादीकी विक्रीको समन्वित करनेमें लग जाइए।

एक दिन मैंने कुछ नवयुवकोंको खेतीके विकासकी बातें करते सुना था। अगर कोई मेरे सामने सिद्ध कर दे कि खेतीका सुधार करनेसे सभी गरीबोंकी गरीबी दूर हो जायेगी और यह योजना व्यावहारिक है, और देशके करोड़ों लोगोंका अभाव दूर करनेके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, तो मैं चरखेके बारेमें अपना मत बदल दूँगा। मगर मैं आपको सावधान करता हूँ कि आजकी परिस्थितिमें आपको इसमें सफलता नहीं मिल सकती। मैं एक आदर्श कृषि-फार्म बनानेकी कोशिश कर रहा था। मेरे कुछ ऐसे नासमझ मित्र भी हैं जो प्रयोग करनेके लिए मुझे रुपये दिया करते हैं। और मैं उन प्रयोगोंपर पानीकी तरह रुपया बहा देता हूँ। मैंने स्वर्गीय सर गंगारामसे भी बातें करके उनके सामने अपने फार्मोंके बारेमें पूरी जानकारी रखी, मगर वे सभी हमारी खेतीको सुधारनेकी कोई व्यावहारिक तैयार योजना नहीं बतला सके। आप गाँवोंमें जाइए और वहीं अपनी धूनी रमा दीजिए, मगर गाँववालोंके मालिक मत बनिए, उनके विनम्र सेवक बनिए। आप अपना नित्य-प्रतिका जीवन ऐसा बनाइए कि उसीको देखकर वे समझ लें कि उनको क्या करना है और वे अपने जीवनका तौर-तरीका कैसे बदल सकते हैं। केवल भावनासे ही कुछ न होगा, उसी प्रकार जिस प्रकार कि भाप जबतक नियंत्रणमें नहीं लाई जाती, तबतक वह कोई काम नहीं कर पाती; नियन्त्रित होकर ही वह एक बड़ी शक्ति बन पाती है। मैं चाहता हूँ कि आप गाँवोंमें ईश्वरका सन्देश लेकर जायें, भारतकी जल्मी आत्माके लिए मरहम लेकर जायें।

२

आप इसकी जरा भी फिक्र न करें कि आपकी बनाई खादीका क्या होगा। अगर जरूरत पड़े तो उसकी विक्रीका भार मैं ले लूँगा। आप तो जितना भी उत्पादन कर सकें, करते जायें। खट्टर बनानेके लिए उड़ीसासे बढ़कर अन्य कोई क्षेत्र नहीं हो सकता। खट्टरके धंधेको तो केवल एक उड़ीसा ही उपयोगी धन्धा साबित कर सकता है। मुझे तो इसकी व्यावहारिकताका विश्वास १९०८ में ही हो गया था, मगर आपको उसे कार्य रूपमें साबित कर दिखलाना चाहिए। दुनियाको दिखला दीजिए कि हम खादीके बिना नहीं जी सकते। आप मुझे देखकर अपना विश्वास

मत बनाइये, बल्कि स्वतः अपने मनमें इसना पक्का विश्वास पैदा कीजिए कि गांधीका खयाल भले बदल जाये, मगर आप इसीपर डटे रहें। लोगोंको आप दिखला दीजिए कि अगर पेट-भर खाना चाहिए तो उन्हें उसके लिए काम करना होगा, और वह काम केवल आप ही और वह भी अपनी ही शर्तोंपर दे सकते हैं। लोगोंकी मात्र देशभक्तिपर ही आप बराबर निर्भर नहीं कर सकते। आपको इतनी अच्छी खादी बनानी पड़ेगी, जो अन्य सभी किस्मके कपड़ोंसे ज्यादा अच्छी हो।

याद रखिए कि जबतक लोगोंको यह विश्वास नहीं होता कि वे खादीके बिना जी नहीं सकते और खादीमें ही उनकी मुक्ति है, तबतक आपको सफलता मिलनेसे रही। आप समझ लीजिए कि मैं यह आन्दोलन कुछ विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार-भर करनेके लिए नहीं चला रहा हूँ, बल्कि यह तो हमारे जीवनकी एक जरूरी शर्त है और यदि हमें अपना अस्तित्व बनाये रखना है तो उसके लिए अपनी जरूरतका कपड़ा आप तैयार करनेका यह एक निमित्त है।

आप गाँवोंमें जाइए। गाँववालोंमें ही हिलमिल जाइए। चरवतियाकी पाठशालाके अध्यापकने जो कहानी बतलाई थी उससे आँखें खुल जाती हैं। वह एक आदर्श गाँव था। उसके सामने काम करनेके लिए कितना व्यापक क्षेत्र पड़ा था! आप गाँवकी पाठशालाका काम संभाल सकते हैं, बच्चोंको अपने साथ एकप्राण बना सकते हैं और फिर बच्चोंके जरिये गाँवोंमें काम कर सकते हैं। उनसे अपनेको अलग मत समझिए। उनके सुख-दुःखमें शामिल होइए। उनसे पूछिए कि वे अपने परिवारके लोगोंको कलकत्ताकी उन रोगग्रस्त खोलियोंमें रहने क्यों भेजते हैं, उनसे गाँवमें ही काम क्यों नहीं कराते? उनके घरोंमें जाइए; उन्हें कातना सिखलाइए, बुननेका ढँग बतलाइए। उनके रहन-सहनके दोष उन्हें बताइए। सफाईके प्राथमिक नियम उन्हें बतलाइए। इसी प्रकार रचनात्मक ढँगकी कताईसे स्वराज्य मिलेगा, इसी भूमिपर चरखा अपना सुन्दरतम संगीत सुना सकता है। आप हर एक गाँवको स्वयं-सम्पूर्ण बनाइए, हर घरकी जरूरतका कपड़ा वहींपर कतवाकर बुनवाइए। मगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ खादी बच ही जाये तो आप मुझसे अमी विक्रीकी गारंटी लिखवा लीजिए। अगर वह खादी ठीक हुई तो मैं उसे बेच दूँगा। याद रखिए कि वही कार्यकर्ता योग्य गिना जायेगा जो जहाँ रहता है, उस गाँवको पूर्ण स्वावलम्बी बना डाले। मगर ये सब बातें तो आदमी-आदमीपर निर्भर करेगी। इसके लिए प्रेमकी पाठशालाको छोड़कर और कोई विद्या दरकार नहीं। क्या हमारे पास सच्चे, ईमानदार, वीर और उत्कट देश-प्रेमसे प्रेरित कार्यकर्ता मौजूद हैं?

३

एक चीज जो मैं इस विपत्ति-ग्रस्त देशके दोहरी विपत्तिसे पीड़ित आप लोगोंके मनमें उतार देना चाहता हूँ, वह यह है कि आप अपने-आपको आसपासकी पीड़ित मानवताके इस महासमुद्रमें विलकुल गर्क कर दीजिए। उनसे थोड़ा भी अलगाव श्रेय मत रहने दीजिए। मानवता चूँकि पीड़ित है, इसलिए समस्या काफी सरल है। आपका मार्ग सीधा है, संकीर्ण भले ही हो। और आपको यह कार्य उचित और

विनम्र निवेदनकी भावनासे करना चाहिए। हम लोग यहाँ तीन दिनसे प्रार्थना करते आ रहे हैं। प्रार्थनासे मनको शान्ति मिलती है, एक ऐसा बल और ऐसी सान्त्वना मिलती है जो अन्य किसी तरीकेसे नहीं मिल सकती; परन्तु प्रार्थना हृदयसे निकलनी चाहिए। प्रार्थना जब हृदयसे नहीं निकलती, तो वह सिर्फ ढोल पीटने जैसी होती है, या कहिए कि गलेसे निकली आवाज-मात्र होती है। परन्तु जब वह हृदयसे निकलती है, तो वह विपत्तिके पहाड़ोंको पिघला सकती है। जो भी चाहे इस बलकी परीक्षा ले सकता है।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, २९-१२-१९२७

## २८५. पत्र : देवी वेस्टको

स्थायी पता : आश्रम, साबरमती

२१ दिसम्बर, १९२७

मुझे तुम्हारा पत्र मिला।<sup>१</sup> बाढ़से<sup>३</sup> जबर्दस्त हानि हुई है, लेकिन इसमें बाढ़-पीड़ित लोगोंके सर्वोत्तम गुण भी प्रकट हुए हैं। सहसा ही एक संगठन खड़ा हो गया, जिसने बड़ी दृढ़तापूर्वक और उतनी ही सफलतापूर्वक इस भयंकर संकटका मुकाबला किया।

इधर कुछ समयसे कुमारी श्लेसिन मुझे नियमित रूपसे लिखती रही है, और अवश्य ही वह हमेशाकी तरह धुनी और भली है। आजकल एल्बर्ट<sup>२</sup> कभी नहीं लिखता। फिर भी मुझे उसके समाचार मिले थे, और मैं जानता हूँ कि वह तथा उसका परिवार खूब अच्छी तरह हैं। मणिलाल और उसकी पत्नी मुझे नियमित रूपसे लिखते रहे हैं।

मैं काफी अच्छा हूँ। शायद मैं पहले जैसा स्वस्थ तो कभी नहीं हो सकूंगा, लेकिन ईश्वरने जो-कुछ शक्ति अभी भी मुझमें रहने दी है उसके लिए मैं उसका कृतज्ञ हूँ।

मुझे आशा है कि तुम नियमित रूपसे 'यंग इंडिया' और 'इंडियन ओपिनियन' पा रही हो। अगर नहीं, तो कृपया मुझे सूचित करो। प्रभुदास पहलेसे काफी बेहतर है। वह अपने पिताके साथ एक पहाड़ी स्थानपर है। और लोग, जिन्हें तुम जानती हो, मजेमें हैं। अगर तुमने फोटो खिचाई हो तो मुझे एक जरूर भेजो। मुझे विश्वास है कि आश्रममें जो लोग तुम्हें जानते और खूब प्यार करते हैं, वे यदि तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं तो तस्वीरमें ही देखकर प्रसन्न होंगे। जैसा कि तुमने देखा होगा, मैंने लंका

१. अपने २-१०-१९२७ के पत्रमें देवी वेस्टने गांधीजीको उनके जन्म-दिवसपर बधाई दी थी।

२. जुलाई १९२७ में गुजरातमें। देखिए खण्ड ३४।

३. ए० डब्ल्यू० वेस्ट; देवी वेस्टके भाई।

सहित दक्षिण भारतका बड़ा श्रमसाध्य दौरा किया है। मैं नववर्ष दिवसपर या उससे पहले आश्रम पहुँचनेकी आशा करता हूँ।

तुम्हारा,

कुमारी देवी वेस्ट  
२३, जॉर्ज स्ट्रीट  
लॉथ, लिक्स

अंग्रेजी (एस० एन० १२५४३) की फोटो-नकलसे।

## २८६. पत्र : निर्मलचन्द्र डे को

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
२१ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं ठीक देख सकता हूँ कि जबतक आपकी ईश्वरमें जीवन्त आस्था न हो, आप पापपूर्ण विचारोंसे छुटकारा नहीं पा सकते, पापपूर्ण कार्योंसे तो और भी नहीं। वैसी आस्था प्राप्त करनेका जो एकमात्र तरीका मैं आपको बता सकता हूँ वह यह है कि आप मनुष्यकी तुच्छताको और इस प्रकार स्वयं अपनी तुच्छताको समझें और आग्रहपूर्वक विश्वास करें . . . !, यह मानकर कि एक कोई "हस्ती" है जो पूर्ण है और जो संसाररूपी अद्भुत रचनाके लिए उत्तरदायी है।

आपके साथ बुराईके उद्भवके बारेमें वहस करनेकी मुझमें क्षमता नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं नअज्ञतापूर्वक बुराईको बुराईके रूपमें समझ लूँ और उससे संघर्ष करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर इस संघर्षमें सदैव मेरी सहायता करता है। विजय तो प्रयत्न करनेमें है। ईमानदारीके साथ एक गुरु पाने और प्रयत्न करनेके लिए शुद्ध जीवन व्यतीत करना जरूरी हो जाता है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत निर्मलचन्द्र डे  
इंजीनियरिंग कालेज होस्टल, गिबपुर  
पो० आ० बोटेनिकल गार्डन  
हावड़ा

अंग्रेजी (एस० एन० १२६५३ ए०) की माइक्रोफिल्मसे।

## २८७. पत्र : विश्वम्भर सहायको

स्थायी पता : आश्रम, साबरमती  
२१ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मुझे दुःख है कि आपका पत्र आज ही मेरे हाथमें आया। अगर मेरी याद-दाश्त ठीक है तो मैंने अपनी 'गाइड टु हेल्थ' को हिन्दी या उर्दूमें प्रकाशित करनेका एकाधिकार किसीको नहीं दिया है। मुझे मालूम है कि बहुतसे लोगोंने उस पुस्तक का अनुवाद भारत और यूरोप, दोनों जगह प्रकाशित किया है। आपको मेसर्स एन० डी० सहगल एंड सन्स, लाहौरसे मेरा अनुमतिपत्र दिखानेको कहना चाहिए, और यदि ऐसा कोई अनुमतिपत्र आपको दिखाया जाये तो कृपया उसकी एक प्रति पुष्टिके लिए मुझे भेजिए।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत विश्वम्भर सहाय  
प्रेम साहित्य भण्डार  
मेरठ

अंग्रेजी (एस० एन० १२६५४) की माइक्रोफिल्मसे।

## २८८. पत्र : देवीचन्द्रको

स्थायी पता : आश्रम, साबरमती  
२१ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मुझे दुःख है कि आपके पत्रका पहले उत्तर न दे सका। आपकी पृच्छा बिलकुल उचित है। जबतक मैं विश्वासभंग न करूँ तबतक मैं खादीके लिए जो धन एकत्र करता हूँ या जो धन उस निमित्त भेजा जाता है उसे खादीपर ही खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन मैं अस्पृश्योंके लिए जरूर धन एकत्र करता हूँ और मुझे मिलता भी रहता है, जो केवल उनके उत्थानपर ही खर्च किया जाता है। मैं विभिन्न



गतिविधियोंके लिए इस प्रकार धन एकत्र करता हूँ और उसपर मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहता है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत देवीचन्द

अध्यक्ष, दयानन्द दलित उद्धार मण्डल

होशियारपुर, पंजाब

अंग्रेजी (एस० एन० १२६५५) की माइक्रोफिल्मसे।

## २८९. पत्र : मणीन्द्रचन्द्र रायको

स्थायी पता : आश्रम, साबरमती

२१ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मैं आपके पत्रका उत्तर इससे पहले देनेमें असमर्थ रहा हूँ। मैं यह सोचे बगैर नहीं रह सकता कि आपकी धारणा आपके इस तर्कसे प्रभावित है कि आत्मविकासके लिए मनुष्य-जातिको कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे कि सजा पाये हुए निर्दोष कैदीको अपनी रिहाईके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मैं एक कैदीमें और उस असहाय निर्दोष लड़कीमें कोई भेद नहीं देखता जिसे एक ऐसे आदमीके हवाले कर दिया जाये जिसे वह बिलकुल नहीं जानती। आपके तर्क पहले तर्कके अनुरूप ही प्रतीत होते हैं।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत मणीन्द्रचन्द्र राय

हेड मास्टर

बरहामपुर नेशनल स्कूल

बरहामपुर, डाकखाना खगरा

अंग्रेजी (एस० एन० १२६५६) की माइक्रोफिल्मसे।

## २९०. पत्र : टी० के० रामुष्नी मेननको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
२१ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मुझे दुःख है कि मैं इससे पहले आपके पत्रका उत्तर नहीं दे सका।

अगर आपके लिए सम्भव हो तो मैं चाहूँगा कि जब मैं मद्रासमें होऊँ उस समय आप मुझसे मिलें। मैं नहीं चाहता कि आपकी जो नौकरी है उसे आप जल्द-वाजीमें छोड़ दें।

हृदयसे आपका,

श्रीयुक्त टी० के० रामुष्नी मेनन  
कोऑपरेटिव अफसर  
पोस्ट पुथियारा  
(मलाबार)

अंग्रेजी (एस० एन० १२६५७) की माइक्रोफिल्मसे।

## २९१. पत्र : प्यारेलालको<sup>१</sup>

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
२१ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मैं आपके पत्रका उत्तर पहले नहीं दे सका। मैं नहीं समझता कि आपको एक योजनाकी उतनी जरूरत है जितनी उपयुक्त कार्यकर्ताओंकी, और चूँकि आपके पास कुमारी जेमिनर और बाबू जुगलकिशोर हैं, अतः मेरी समझमें आपके लिए उनकी सलाहसे चलना सबसे अच्छा है। एक गलतीसे बचनेको मैं आपसे कहूँगा, और वह यह कि विधवा-गृहको मात्र एक साहित्यिक स्कूल न बना दें जिसमें विधवाओंको खुद कुछ करना ही न पड़े। मैं तो विधवाओंको कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण देकर उन्हें

१. एक लोकहितैषी जिनकी १९३३ में मृत्यु हो गई।

आत्म-विश्वासी और अन्ततः आत्म-निर्भर बनाना चाहूँगा। मैं उनमें वर्ग-भावना भी उत्पन्न नहीं होने दूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री प्यारेलाल

नं० २, मेटकाफ हाउस रोड

दिल्ली

अंग्रेजी (एस० एन० १२६५८) की माइक्रोफिल्मसे।

## २९२. हमारा और उनका कलंक

उड़ीसाका दौरा बहुत दिनोंसे मुलतवी चला आता था, और जब उसका अवसर आया भी तो मेरे सन्ताप और मेरी जिल्लतको वेहद बढ़ा देनेके लिए ही। नजदीकमे नजदीकके रेलवे स्टेशनसे ३१ मील दूर, वोलगढ़मे, मैं ११ तारीखको दीनबन्धु एन्ड्र्यूजके साथ बैठा बातें कर रहा था। उसी समय सिर्फ एक मैली-सी लगोटी पहने कमर झुकाये एक आदमी झुकता हुआ मेरे सामने आया। उसने जमीनसे एक तिनका उठा कर मुँहमें डाल लिया, और मेरे आगे साष्टांग लोट गया; फिर उठकर उसने प्रणाम किया, तिनका निकालकर बालोमें खोस लिया और जाने लगा। यह दृश्य देखते हुए मैं पीड़ासे तड़प रहा था। यह खतम होते ही मैंने किसी दुमापियेको चीखकर पुकारा और इस भाईको बुलाकर बातें करने लगा। वह बेचारा अछूत था। वोलगढ़से छः मीलपर रहता था। वोलगढ़में लकड़ी बेचने आया था। वहाँ आनेपर मेरे वारेमें मुनकर मुझे देखने चला आया था। मेरे पूछनेपर कि मुँहमें तिनका क्यों लिया था, उसने कहा, “आपका आदर करनेके लिए।” गर्मने मैंने सिर झुका लिया। इस ‘आदर’की कीमत मुझे बहुत भारी, असह्य जान पड़ी। मेरी हिन्दू-भावनाको गहरी ठेस लगी थी। मैंने कहा, “मुझे कुछ दोगे?” वह बेचारा एक पैसेके लिए कमर टटोलने लगा। मैंने कहा, “मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, पर मैं उससे भी अच्छी चीज माँगता हूँ।” उसने कहा, “दूँगा।” मैंने उससे पूछ लिया था कि वह गराव पीता था, मुरदार मांस खाता था, क्योंकि यह तो उनका रिवाज था।

“मैं तुमसे यह माँगता हूँ कि तुम जवान दो कि दुनियामे किसी आदमीके लिए आगेसे मुँहमें तिनका नहीं दूँगा, यह आदमीके आत्म-सम्मानके लायक काम नहीं है; फिर कभी शराब नहीं पीऊँगा, क्योंकि वह आदमीको पशु बना देती है; मुरदार मांस नहीं खाऊँगा, क्योंकि यह हिन्दू-धर्मके विरुद्ध है और कोई भी सभ्य आदमी कभी मुरदार मांस नहीं खायेगा।”

उस गरीबने जवाब दिया, “मगर शराब न पीऊँ और मुरदार मांस न खाऊँ तो विरादरीवाले मुझे जातिसे निकाल देंगे।”

“तब जात-बाहर होनेकी तकलीफ सहो, और जरूरत पड़े तो गाँव भी छोड़ दो।”

इस पददलित गरीब आदमीने इसका वचन दे दिया। अगर वह अपनी बात पर कायम रहा हो, तो उसकी यह भेंट, मेरे धनी देशवासियोंके दिये धनसे कहीं अधिक मूल्यवान होगी।

यह अस्पृश्यता हमारा सबसे बड़ा कलंक है। इसकी जलालत दिनों-दिन बढ़ती जाती है।

मगर यह अविस्मरणीय घटना तो उस भारी शर्म और दुःखका एक अंश-भर थी। (१९१६ में<sup>१</sup>) चम्पारनके बाद मैंने फिर कभी यह मृत्यु-जैसा सन्नाटा नहीं देखा था, जो बाणपुरके जरिये उड़ीसामें प्रवेश करनेपर मैंने देखा है। शायद उड़ीसाकी शान्ति चम्पारनकी शान्तिसे भी बुरी है। वहाँके किसानोंके बीच थोड़े ही दिनोंतक रहनेके बाद उनमें उत्साह आ गया था। मगर उड़ीसामें इतनी जल्दी उत्साह आनेमें मुझे शंका है। मुझे बताया गया है कि जमींदारों, राजाओं और स्थानीय पुलिसने किसानोंको मेरे पास आनेसे बहुत डरा दिया है। मैं तो इस विश्वासमें फूला हुआ था कि अब जमींदारों, राजाओं और छोटेसे-छोटे पुलिस अफसरोंने मुझसे डरना छोड़ दिया है। मगर यहाँ आकर मेरा खयाल बदला है। कमजोरीके कारण खुद इधर-उधर घूमनेमें असमर्थ होनेके कारण मैंने मित्रोंको लोगोंके बीच भेजा और इसके कारणका पता लगवाया। वे लोग यह खबर लाये कि लोगोंको कहा गया है कि गांधीजीके पास मत जाओ। उनके सम्मानमें किये गये किसी समारोहमें शामिल मत हो, नहीं तो सजा मिलेगी। ऐसी सूचनाएँ दूसरे प्रान्तोंमें भी दी गई हैं, मगर ऐसे साधारण दिनोंमें उनका कहीं कोई असर नहीं पड़ा है। उड़ीसाके किसान ऐसे मालूम पड़े जो सदा भयभीत रहते हैं और इसलिए उन्हें सहज ही विचलित किया जा सकता है।

यह ऐसा कलंक है जो हमारे और हमारे विदेशी शासकों, दोनोंके माथेपर है। यह सच है कि राजा और जमींदार और पुलिसके छुटभैये, सभी हमारे अपने ही भाई, अपने ही हाड़-मांस हैं। मगर इस भयके, डरके मूल कारण तो हमारे शासक हैं। उनके शासनका आधार ही है ‘भय’। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठाके नामपर हमारे बड़ेसे-बड़े लोगोंको भी किसी-न-किसी तरह झुकनेपर लाचार किया ही है। जहाँ यह पस्ती पहले ही मौजूद थी वहाँ उसे उन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया है। उन्हें किसानोंमें व्याप्त इस घृणित भयकी मौजूदगीका पता था। मगर जहाँ कहीं उन्होंने अपने राज्यके हितके नामपर उसे और उसके कारणोंको अपनी छातीसे नहीं लगाया, वहाँ उसे दूर करनेका भी कोई प्रयत्न नहीं किया। इसलिए वे इन दुःखद दृश्योंके लिए प्रत्यक्ष रूपसे दोषी भले न हों, तो भी इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, इस इल्जामसे तो वे बरी नहीं हो सकते।

मगर हमारा कलंक तो और भी बड़ा है। अगर हम सबल, स्वाभिमानी और निडर होते तो फिर विदेशी शासक कुछ बुराई कर ही नहीं सकते थे। जो लोग डरपोक

१. गांधीजी यहाँ भूल्से १९१७ की जगह १९१६ लिख गये हैं।

होते हैं, सिर्फ वे ही दूसरोंसे डरते हैं। और इसे तो कबूल करना ही होगा कि अंग्रेजोंके आनेके बहुत दिन पहलेसे हम अपने जमींदारों और राजाओंसे डरनेके आदी थे। वर्तमान शासकोने तो सिर्फ उसीको एक विधिवत शास्त्र-सा बना लिया है, जो पहले भी न्यूनाधिक स्थूल रूपमें मौजूद था ही। इसलिए उड़ीसाके कार्यकर्त्ताओंको लोगोंको सिखलाना है कि इस भीखताको, जो करीब-करीब कायरता ही है, छोड़ दो। और यह जमींदारों, राजाओं या पुलिसवालोंको गालियाँ देनेसे नहीं होगा। ये लोग तो ज़ब्र देखते हैं कि किसानोंने अपनी नामर्दाकी आदतें भुला दी हैं, तब वे खुद दबने लगते हैं या कभी-कभी दोस्त भी बन जाते हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २२-१२-१९२७

### २९३. कोई चीज तुच्छ नहीं है

एक मित्रने मुझे चरखेके विषयमें एक समालाप भेजा है। मुझे इस कड़ानीमें कोई कथा-वस्तु नहीं मिली, इसलिए मैं उसे नहीं छाप रहा हूँ, लेकिन मैं निम्नलिखित गिधाप्रद छन्द खुशीके साथ छाप रहा हूँ,<sup>१</sup> जिन्हें लेखकने उद्धृत किया है और एक छोटी लड़कीके द्वारा कहलाया है जो अपने छोटे भाईसे कह रही है कि हालाँकि वे छोटे हैं लेकिन उन्हें गरीबोंकी खातिर चरखा चलाना चाहिए :

ये सुन्दर छन्द बड़े लोगोंपर भी समान रूपसे लागू होते हैं जो इस काल्पनिक कहानीके छोटे बच्चोंसे बेहतर बातें नहीं करते। हम उनके रूपमें चरखा न कातने का यह निराधार बहाना नहीं बना सकते कि यह तो बहुत मामूली चीज है जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। हमारा काम इस तरहकी बातें करके आलस्य करना नहीं है; हमारा काम तो अपनी भरसक जो हो सके करना है और ईश्वर उसका जो उपयोग करना चाहे, वैसे उपयोग उसके ऊपर छोड़ देना है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २२-१२-१९२७

१. इनका अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया है।

## २९४. पत्र : सुभद्रा तुलजापुरकरको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
२३ दिसम्बर, १९२७

मेरी तरुण मित्र,

मैं तुम्हारे पत्रका' इससे पहले उत्तर नहीं दे सका। तुम 'गीता' का पूरा पाठ बिना एक भी गलती किये सुना सकती हो, और तुम्हें 'गीता' का सस्वर पाठ करनेके लिए पुरस्कार मिला है, इसके लिए बधाई। 'गीता' का पाठ करनेके अलावा, उसका अध्ययन करनेका सर्वोत्तम तरीका यह है कि उसका एक-एक श्लोक लिया जाये, उसके अर्थको पूरी तरह समझा जाये, और अपने जीवन-व्यवहारमें उनका पालन किया जाये। जब कभी मैं बम्बई आऊँगा, तब शायद तुम आकर मुझे कुछ अध्यायोंका पाठ सुनाओगी।

हृदयसे तुम्हारा,

कुमारी सुभद्रा तुलजापुरकर  
एन० पी० पाठारेका घर  
पुर्तगाली चर्चके पास  
दादर, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १२६३५ ए०) की फोटो-नकलसे।

## २९५. पत्र : जेबुनिसाको<sup>२</sup>

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
२३ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मुझे दुख है कि मैं आपके पत्रका उत्तर इससे पहले नहीं दे सका। आश्रमसे मुझे सूचना मिली है कि आपका नाटक वहाँ प्राप्त किया जा चुका है। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, मैं बराबर भ्रमण कर रहा हूँ। हालाँकि मैं जनवरीमें आश्रम पहुँच जानेकी आशा करता हूँ, लेकिन मुझे कोई अन्दाज नहीं है कि मैं आपकी पाण्डुलिपि

१. ६-१०-१९२७ का; पत्रलेखिका १५ वर्षकी लड़की थी।

२. एक सुसलमान महिला जो अपना उर्दू नाटक गांधीजीको समर्पित करना चाहती थी।

को कब पढ़ सकूंगा। इसलिए मैं आपसे केवल इतना ही वादा कर सकता हूँ कि मैं जल्दीसे-जल्दी उसे देखनेकी कोशिश करूँगा। लेकिन यदि आपका विचार उसे प्रकाशित करानेका हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरी रायका इन्तजार न करे, बल्कि यदि मौलाना मजहल हक और डा० सैयद महमूद-जैसे मित्र उसे ठीक मानते हों, तो उसे प्रेसको भेज दीजिए।

हृदयसे आपका,

वेगम जेबुल्लिसा  
मार्फत सैयद अहमद अली साहब  
मुहल्ला साहबगंज  
छपरा

अंग्रेजी (एस० एन० १२६३७) की माइक्रोफिल्मसे।

## २९६. पत्र : पिचप्पा सुब्रह्मण्यम् चेट्टियारको

मद्रास

२३ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

आपसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि जिस विवाहके लिए आपको कोलम्बोमे मेरे पाससे चला जाना पड़ा था, वह यथावत् सम्पन्न हो गया। कृपया वर-वधूको मेरी शुभ-कामनाएँ एक बार फिर दे दीजिए और उनसे कहिए कि मैं उन दोनोंसे देशकी सेवाके लिए कार्य करनेकी अपेक्षा रखता हूँ।

हाँ, लंकासे बहुत अच्छा चन्दा प्राप्त हुआ। आपसे कोई विशेष बात करनेको कहनेकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि आपका सारा हृदय खादी सेवामें लगा है, जो कि इस समय देशकी सबसे अधिक व्यापक और व्यावहारिक सेवा है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत पिचप्पा सुब्रह्मण्यम् चेट्टियार  
अमरावती पुद्दूर  
गांधी नगर  
जिला रामनाड

अंग्रेजी (एस० एन० १२६५९) की माइक्रोफिल्मसे।

## २९७. पत्र : कमलादेवीको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
२३ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र<sup>१</sup> पसन्द आया। आपने भारतकी लड़कियों और स्त्रियोंके बारेमें जो-कुछ कहा है वह मोटे तौरपर सही है। लेकिन गुलामीको दूर करनेके लिए आप और आपकी जैसी स्थितिमें जो और लड़कियाँ हैं, वे बहुत-कुछ कर सकती हैं। यदि आप अपने निश्चयमें दृढ़ रहें और साथ ही विनम्र भी रहें तो मुझे विश्वास है कि आपके पिता आपको अपने मनकी बात करने देंगे। लेकिन परिणाम प्राप्त करनेके लिए आपको धीरजसे काम लेना होगा। आपने अपने लिए सावरमती आश्रममें जिस सादगीके जीवनकी कल्पना की है, वैसा जीवन वहीं विताइए। आखिरकार सबसे बड़ी चीज तो मन ही है। और यदि आपके मनमें सादगी और शुद्धताका विचार दृढ़ रूपसे जम गया है तो संसारकी कोई शक्ति मनसे उस<sup>२</sup> विचारको अलग नहीं कर सकती।

आपने जीवनकी आवश्यकताओंके बारेमें अपने विचारोंके सम्बन्धमें जो-कुछ कहा वह मैंने देखा। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके पितासे बात करूँ और उनके साथ पत्राचार भी करूँ? आपको अपने पितासे दिल खोलकर बात करनेमें और उनपर पूरा विश्वास करनेमें डरना नहीं चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीमती कमलादेवी  
अखिल मिस्त्री लेन  
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १२६६०) की माइक्रोफिल्मसे।

१. कमला देवीके पिता उनका विवाह कर देना चाहते थे, किन्तु वह स्वयं गांधीजीके आश्रममें जाकर रहना चाहती थीं। देखिए खण्ड ३४, पृष्ठ २८४ तथा पृष्ठ ४२१-२२।

२. मूलमें यहाँ 'देयर' था पर इसे 'दैट' करके अनुवाद किया गया है।



## २९८. पत्र : एस० जी० दातारको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
२३ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र तथा श्राद्धके विषयपर आपका लेख प्राप्त हुआ, लेकिन उसे मैंने छापा नहीं, क्योंकि आपके दृष्टिकोणपर 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें कई बार चर्चा की जा चुकी है। मेरी रायमें अपने विवंगत माता-पिताका जो सबसे अच्छा श्राद्ध कोई पुत्र कर सकता है वह यह है कि अपने माता-पिताके सभी अच्छे गुणोंको अपने जीवनमें उतार ले। शास्त्रोंके शब्दोंको निरे दोहराना तो उनकी आत्माका हनन करना है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एस० जी० दातार  
वकील  
वागलकोट

अंग्रेजी (एस० एन० १२६६१) की माइक्रोफिल्मसे।

## २९९. पत्र : आर० रामास्वामीको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
२३ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र तथा खादीके विषयमें संलग्न लेख मिला। मैं नहीं समझता कि उसे 'यंग इंडिया' में छापना जरूरी है। इसलिए मैं उसे लौटा रहा हूँ। मेरी रायमें जिस प्रकारका एक सामान्य वक्तव्य आपने तैयार किया है उस प्रकारके वक्तव्य छापनेसे खादी लोकप्रिय नहीं होगी। इसके लिए संगठन और व्यक्तिगत प्रचार-कार्य जरूरी है, और ये दोनों ही जहाँतक सम्भव है, किये जा रहे हैं।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत आर० रामास्वामी  
६, शिवप्पा मैदान  
दादर, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १२६६२) की माइक्रोफिल्मसे।

## २९८. पत्र : एस० जी० दातारको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
२३ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र तथा श्राद्धके विषयपर आपका लेख प्राप्त हुआ, लेकिन उसे मैंने छापा नहीं, क्योंकि आपके दृष्टिकोणपर 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें कई बार चर्चा की जा चुकी है। मेरी रायमें अपने दिवंगत माता-पिताका जो सबसे अच्छा श्राद्ध कोई पुत्र कर सकता है वह यह है कि अपने माता-पिताके सभी अच्छे गुणोंको अपने जीवनमें उतार ले। शास्त्रोंके शब्दोंको निरे दोहराना तो उनकी आत्माका हनन करना है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एस० जी० दातार  
वकील  
वागलकोट

अग्नेजी (एस० एन० १२६६१) की माइक्रोफिल्मसे।

## २९९. पत्र : आर० रामास्वामीको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
२३ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र तथा खादीके विषयमें संलग्न लेख मिला। मैं नहीं समझता कि उसे 'यंग इंडिया' में छापना जरूरी है। इसलिए मैं उसे लौटा रहा हूँ। मेरी रायमें जिस प्रकारका एक सामान्य वक्तव्य आपने तैयार किया है उस प्रकारके वक्तव्य छापनेसे खादी लोकप्रिय नहीं होगी। इसके लिए संगठन और व्यक्तिगत प्रचार-कार्य जरूरी है, और ये दोनों ही जहाँतक सम्भव है, किये जा रहे हैं।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत आर० रामास्वामी  
६, शिवप्पा मैन्शन  
दादर, बम्बई

अग्नेजी (एस० एन० १२६६२) की माइक्रोफिल्मसे।

४३०

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

प्रथाओंसे निपटना पड़ता है जिनका कोई नैतिक आधार नहीं है या जो अनैतिक हैं, फिर भले ही वे बहुत प्राचीन या पूर्वग्रह समर्थित क्यों न हों।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एस० वी० विश्वनाथ अय्यर  
वकील  
तूतीकोरिन

अंग्रेजी (एस० एन० १२६६४) की माइक्रोफिल्मसे।

३०२. पत्र : चेरुकाण्डी कुट्टनको

स्थायी पता : आश्रम, सावरमती  
२३ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मेरी पृच्छापर उत्तरमें प्रिटोरियाके प्रवासी तथा एशियाई मामलोंके कमिश्नर द्वारा भेजे गये पत्रकी प्रतिलिपि साथ भेज रहा हूँ। यदि आप मुझे ज्यादा पूरी जानकारी दे सकें तो मैं नेटालके अधिकारियोंके साथ पत्रव्यवहार करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत चेरुकाण्डी कुट्टन  
इंग्लिश कंपोजीटर  
“मलाबार स्पेक्टेटर” प्रेस  
कालीकट (दक्षिण मलाबार)

अंग्रेजी (एस० एन० १२६६५) की माइक्रोफिल्मसे।

४३०

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

प्रथाओंसे निपटना पड़ता है जिनका कोई नैतिक आधार नहीं है या जो अनैतिक हैं, फिर भले ही वे बहुत प्राचीन या पूर्वग्रह समर्थित क्यों न हों।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एस० वी० विन्वनाथ अय्यर

वकील

तूतीकोरिन

अंग्रेजी (एस० एन० १२६६४) की माइक्रोफिल्मसे।

### ३०२. पत्र : चेरुकाण्डी कुट्टनको

स्थायी पता : आश्रम, साबरमती

२३ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र,

मेरी पृच्छापर उत्तरमें प्रिटोरियाके प्रवासी तथा एशियाई मामलोंके कमिश्नर द्वारा भेजे गये पत्रकी प्रतिलिपि साथ भेज रहा हूँ। यदि आप मुझे ज्यादा पूरी जानकारी दे सकें तो मैं नेटालके अधिकारियोंके साथ पत्रव्यवहार करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत चेरुकाण्डी कुट्टन

इंग्लिश कंपोजीटर

“मलावार स्पेक्टेटर” प्रेस

कालीकट (दक्षिण मलावार)

अंग्रेजी (एस० एन० १२६६५) की माइक्रोफिल्मसे।

करेगा। यदि इस सभामें उपस्थित लोगोंने उत्कलके उन भूखसे जर्जर लोगोंको देखा होता तो वे मुझसे इस बातपर फौरन सहमत हो जाते कि खादी ही एकमात्र वस्तु है जो उन्हें इस गिरी हुई दशासे उबार सकती है। खादीका आन्दोलन एक ऐसा आन्दोलन है जिसमें तमिल और तेलगु भाषी लोग, उत्तर और दक्षिण भारतके लोग जाति या विश्वासके भेदभावके बिना भाग ले सकते हैं। उत्कलकी यात्रा करनेपर वे खादी आन्दोलनका अपने-आप समर्थन करने लगेंगे। औद्योगिक प्रदर्शनीकी बगलमें खादी प्रदर्शनी हाथीके साथ चींटी-जैसी दिखाई पड़ती है। औद्योगिक प्रदर्शनीमें विदेशी और देशी दोनों चीजें हैं। खादी प्रदर्शनीमें आप केवल हाथका कता और हाथका बुना भारतीय माल ही पायेंगे। और यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं है; अगर है तो यही कि "मैं सेवा कैसे करूँ, मैं सबसे अच्छे ढंगसे सेवा कैसे करूँ।" खादी प्रदर्शनीमें आप गरीब आदमियों और औरतों द्वारा तैयार किया गया माल देखेंगे, और इस मालको बनानेसे बहुत-से गरीब लोगोंको भोजन प्राप्त हुआ होगा। मैनचेस्टरमें बना माल और भारतीय मिलोंमें बना माल तो अंग्रेज और भारतीय पूंजीपतियोंको समृद्ध करता है; जबकि खादी उस गरीबसे-गरीब मेहनतकशको भोजन मुहय्या करती है जिसके पास आजीविकाका कोई दूसरा साधन नहीं है। खादी आन्दोलनने २००० गाँवोंमें फँसे ७५ हजार कर्त्योंको भोजन दिया है और ६००० बुनकर खादीके वस्त्र बुनकर अपनी रोजी चलाते हैं। मैंने इस आन्दोलनके सिलसिलेमें केवल कर्त्यों और बुनकरोंका ही उल्लेख किया है, और उनका जिक्र नहीं किया है जो छपाई, रंगाई आदि जैसे कामोंमें लगे हैं और जिन्हें आन्दोलनसे लाभ पहुँचा है। इन गरीब आदमियोंके अलावा मध्यवर्गके करीब एक हजार नौजवानोंने खादीका काम उठा लिया है। खादी बेरोजगार लोगोंको रोजगार भी देगी और मध्यवर्गके बीच बेरोजगारीकी उस समस्याको हल करेगी जिसने बहुत-से लोगोंको उद्विग्न कर रखा है। खादी भारतके लोगोंको — ब्राह्मणों और अब्राह्मणोंको, हिन्दुओं तथा मुसलमानोंको और तथाकथित अस्पृश्योंको — रोजगार देगी। शीघ्र ही आप लोग विभिन्न दुकानोंमें जाकर प्रदर्शित वस्तुओंको अपनी आँखोंसे देखेंगे। जब आप अन्दर जायें उस समय मैं कहूँगा कि आप गरीबोंके प्रति सहानुभूतिकी भावना लेकर जायें और विचार करें कि गरीब लोगोंने अपनेको जीवित रखनेके लिए कुछ अर्जित करनेके वास्ते उन वस्तुओंके उत्पादनपर कितनी शक्ति और कितना समय लगाया होगा। आप लोग यह भी देखेंगे कि खहरकी वस्तुओंका मूल्य भी काफी घट गया है।

खादी प्रदर्शनीकी बगलमें आप हिन्दी प्रदर्शनी देखेंगे। हिन्दी आन्दोलनकी कल्पना करोड़ों भारतीयोंके हितको ध्यानमें रखकर की गई है। हिन्दी या हिन्दुस्तानीको २१ करोड़ लोग बोलते हैं, और यह बहुतसे मुसलमानोंकी मातृभाषा है। यही एक भाषा है जो अन्तर्प्रान्तीय भाषा बन सकती है। पिछले कुछ समयसे दक्षिण भारतमें हिन्दीका प्रचार करनेका प्रयत्न किया जा रहा है। हिन्दी प्रचार सभाकी स्थापना की गई

है और वह तमिलनाडु तथा आन्ध्र देशमें काफी बड़ी संख्यामें लोगोंको हिन्दीकी शिक्षा देती रही है। इन दो प्रान्तोंमें बहुत-से लोगोंने हिन्दी सीखी है और परीक्षाएँ पास की हैं। हिन्दी प्रदर्शनीका उद्घाटन पंडित मदनमोहन मालवीयको करना था, लेकिन चूंकि वह नहीं पहुँच सके हैं इसलिए इसका उद्घाटन मुझसे करनेको कहा गया है। मैं आपसे कहूँगा कि आप हिन्दी सीखें। मैं आपको बता दूँ कि इसे आसानीसे सीखा जा सकता है और सीख लेनेपर आप देखेंगे कि यह एक सुन्दर भाषा है।

इन शब्दोंके साथ महात्माजीने खादी और हिन्दी प्रदर्शनियोंका विधिवत् उद्घाटन किया।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २४-१२-१९२७

### ३०५. टिप्पणी : एक लेखपर<sup>१</sup>

हमें इस कलंकसे कब छुटकारा मिलेगा ? क्या पिछली प्रलयसे<sup>२</sup> भी हिन्दुओंकी आँखें नहीं खुलीं ? डेढों और मंगियोंको ओछी जातिके किसने बनाया ? ब्राह्मण और बनिये ऊँची जातिके कब हो गये ?

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २५-१२-१९२७

### ३०६. इन्द्रराज चरखा

कश्मीरमें चरखेका क्या स्थान है, इस बारेमें श्री हरजीवनदास कोटकने १-१२-२७ की 'खादी पत्रिका' में एक लेख लिखा है। मैं प्रत्येक खादीप्रेमीको यह लेख पढ जानेकी सलाह देता हूँ। उस लेखका मूल्य माई हरजीवनदासके अनुभवमें निहित है। उन्होंने स्वयं कश्मीरमें रहकर निरीक्षण किया है और उसके वाद यह लेख लिखा है। इसमें तीन बातें स्पष्ट होती हैं।

१. चरखेका महत्त्व,
२. कश्मीरमें आज भी इस प्रवृत्तिके लिए कितना स्थान है; और
३. कश्मीरमें इस अमूल्य हस्तकलाका ह्रास।

१. यह टिप्पणी मोहनलाल कामेश्वर पंढ्याके उस लेखके अन्तमें दी गई थी जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि अछूतोंको बाकोरमें रणछोडरायजीके मन्दिरमें जाना और मन्दिरके पासके गोमती कुंडमें नहाना निषिद्ध है।

२. अमिप्राय गुजरातमें जुलाई, १९२७ में माई हुई बाढ़से है; देखिए खण्ड ३४।

चरखेके महत्त्वके प्रमाण हमें दक्षिणमें कन्याकुमारीसे लेकर नागरकोइलतक मिलते हैं, पूर्वमें ठीक असमतक मिलते हैं और अब उत्तरमें ठीक कश्मीरतक मिले हैं। पश्चिममें ठेठ काठियावाड़में मिलते हैं। पश्चिममें मैं कराचीको नहीं लेना, क्योंकि कराची नया शहर है। और यह स्वामाविक ही है कि वहाँ लोग धनके मदमें चरखेकी कीमत न जानें। वैसे वहाँ भी रणछोड़वास जैसे खादीभक्तकी प्रवृत्तिसे आजतक नये ढंगसे चरखा-प्रचारका कार्य चल रहा है और खादीका उपयोग हो रहा है।

माई हरजीवनदासके लेखसे हमें जो जानकारी मिलती है वह हमें चेतावनी देती है। जानकारी यह है कि वहाँ जो रेशम होता है वह हाथसे कता हुआ नहीं होता। आजतक हममें से शौकीन लोग, यह मानकर कि वह हाथकता होगा, कश्मीरी रेशमका उपयोग करते हैं। लेकिन जो हाथसे ही कते हुए सूत, ऊन अथवा रेशमके कपड़ेका उपयोग करना चाहते हैं, यह बात स्पष्ट है कि उनके लिए कश्मीरी रेशम भी त्याज्य है। उत्तम बात तो यह है कि अपने पहनने लायक कपड़ेके लिए वे हाथसे कातें, मध्यम बात यह है कि अपने आसपाससे कतवा लें, और कनिष्ठ यह कि हाथ कताईके नामपर प्रामाणिक विभ्रतासे जो मिल जाये सो पहनें।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २५-१२-१९२७

### ३०७. हिन्दू विधवाएँ क्या करें ?

अजमेरसे एक सज्जन हिन्दीमें लिखते हुए इस प्रकार सूचित करते हैं :

मैं चाहता हूँ कि आप मेरे निम्नलिखित प्रश्नोंका उत्तर 'नवजीवन'में दें।  
उन हिन्दू विधवाओंको जो पुनर्विवाह नहीं करना चाहतीं, अपना शेष जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए ?

महर्षि दयानन्दने तो लिखा है कि उनको ब्रह्मचर्यपूर्वक रहते हुए स्वयं पढ़ना और बालिकाओंको पढ़ाना चाहिए।

क्या आप इस बातसे सहमत हैं ? इसको मानते हुए और भारतकी वर्तमान स्थितिको देखते हुए आप और कौन-कौन-सी बातोंको इसके साथ जोड़ देना चाहते हैं ?

महर्षि दयानन्दका अभिप्राय यह नहीं है कि केवल सीखने, सिखलानेमें ही विधवा अपना सारा समय लगाये; यह बात तो केवल दृष्टान्त स्वरूप ही हो सकती है। शिक्षाका अर्थ इस जगह तो केवल अक्षर-ज्ञान ही है। अक्षर-ज्ञान एक खास हृदयक जरूरी है। पर मेरी दृष्टिमें इससे अधिक जरूरी शिक्षा मुखमरी दूर करनेकी है। और मेरा यह निश्चय दिनोंदिन बढ़ता जाता है कि वह चरखेकी शिक्षा है। अगर हम पढ़े-लिखें, अपनेको ऊँचे वर्णके माननेवाले मध्यवित्तीय लोग अपने वर्णके वाहर रहनेवाले गरीबोंकी हालतका विचार करें तो किसीको चरखके सिवाय और कुछ मूल ही नहीं मकता। चरखा मुख्यतः स्त्रियाँ ही चलायेंगी क्योंकि समय भी विनोयरूपसे उन्हींके पास होता है।

इसलिए मैं जगह-जगह दिन-रात यही बात पुकार-पुकार कर कह रहा हूँ कि उनसे काम लेकर हिन्दुस्तानके करोड़ों रुपये बाहर जानेसे बचाइए और सच्चा स्वराज्य — रामराज्य — स्थापित कीजिये ।

स्त्रियोंमें काम तो स्त्रियाँ ही अच्छी तरह कर सकती हैं। यहाँ उत्कल देशमें जहाँ मैं यह लिख रहा हूँ, गरीब स्त्रियाँ भी पदोंमें रहती हैं। उनका पर्दा तोड़कर उनके बीच कौन जा सकता है? मेरे साथ मीरावहन है। उन्हें मैंने एक गाँवमें भेजा। कोई पचास स्त्रियाँ आसपास आ जमी और उनके हर्षका पार नहीं रहा। वे अनेक बातें पूछने लगीं। चरखेकी बात निकली। ये स्त्रियाँ एकदम भोली, सादी और अनजान थी। सच्ची शिक्षा तो ऐसी असह्य स्त्रियोंको मिलनी चाहिए। स्वच्छ चरित्रवाली विधवाएँ यह शिक्षा सहज ही दे सकती हैं; इस तरह वे अपना काम साधें और हिन्दुस्तानका बेड़ा भी पार हो। परोपकारकी वृत्तिवाली विधवावहनों यह कार्य सहज ही सीख सकती हैं और कर भी सकती हैं पर इसमें बड़ी बात तो यह है कि उनमें गाँवोंमें जानेका उत्साह हो, और वहाँ जाकर वे ऊबें नहीं। ब्रह्मचर्यका व्रत लेनेवाली विधवा न तो अबला है, और न अंपग ही। अगर वह अपनेको पहचान ले तो वह बलवती है, स्वाश्रयी है, सुरक्षित है। ऊपरके कामकी अपेक्षा मैं आजकल लड़कियोंकी दी जानेवाली शिक्षाको तुच्छ गिनता हूँ। पर जो विधवा गाँवोंमें न जाये, आलस्यमें दिन बिताती रहे अथवा धर्मके भ्रममें साल-दर-साल तीर्थक्षेत्र माने जानेवाले स्थानोंमें भ्रमण करती फिरे, उसके लिए तो इन सबकी अपेक्षा यही अच्छा है कि वह शहरोमें रहकर बालशिक्षाका कार्य करती रहे। उसके पास रोगियोंकी सेवाका भी विशाल क्षेत्र पड़ा हुआ है। हिन्दू स्त्रियाँ नर्स या परिचारिकाके रूपमें थोड़ी ही दिखलाई पड़ती हैं। महाराष्ट्रमें विधवाएँ नर्सका काम सीखती हैं। पर महाराष्ट्रके बाहर बहुत थोड़ी ही विधवाएँ यह काम सीखनेको तैयार होती हैं, लेकिन मेरे बतलाए ये काम भी दृष्टान्त रूप ही समझने चाहिए। प्रत्येक समझदार विधवाको जो ब्रह्मचर्य-पालन करना चाहती है, चाहिए कि वह अपने लायक कोई परोपकारी वृत्ति ढूँढकर उसीमें अपना जीवन बिताये।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २५-१२-१९२७

### ३०८. पत्र : मु० अ० अन्तारीकी

२५ दिसम्बर, १९२७

प्रिय डा० अन्तारी,

मेरी मालवीयजीके साथ लम्बी बातचीत हुई। गाय और संगीतके सम्बन्धमें प्रस्तावमें जो कहा गया है उससे वे सन्तुष्ट नहीं हैं। और न मैं ही सन्तुष्ट हूँ। मैंने दो सुझाव दिये हैं जिनसे वे सहमत हैं और उनका विचार है कि हिन्दू महासभा सहमत हो जायेगी।



पहला यह है : प्रस्तावनामें अधिकारोंका उल्लेख करनेके बजाय कहना चाहिए "उभय पक्षोंके अधिकारोंको ठेस पहुँचाये बिना, आदि"।<sup>१</sup>

दूसरा, जिसे मैं सबसे महत्त्वपूर्ण और सच्चा हल मानता हूँ, यह है कि मुसलमान लोग गो-बध न करें और हिन्दू लोग मस्जिदोंके सामने संगीत न छेड़ें। इन दोनोंको पारस्परिक सहमतिसे कानूनका हिस्सा होना चाहिए। मालवीयजीका खयाल है कि यदि मुसलमान लोग दूसरा प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो वे हिन्दू महासभाको अपने साथ सहमत कर लेंगे।

यदि आप समझें कि इन दो प्रस्तावोंमें कुछ तत्त्व है तो कृपया एकता प्रस्तावोंका पास करना मुत्तवी कर दें और हम सब लोग इन प्रस्तावोंपर उनके समस्त फलितार्थोंको ध्यानमें रखकर चर्चा कर लें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १२३९१) की फोटो-नकलसे।

### ३०९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

२६ दिसम्बर, १९२७

प्रिय चार्ली,

मैंने तुम्हारे प्रस्तावोंमें फेर-बदल कर दी है। उड़ीसा-सम्बन्धी प्रस्ताव कांग्रेसमें नहीं आना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत-से स्थान हैं जिन्होंने संकट झेला है। उड़ीसाकी विशेष गरीबी पुरानी है। मैं देखूंगा कि ग्रेगकी किताबके प्रूफ पढ़नेके बारेमें क्या किया जा सकता है। मैंने कांग्रेस कमेटीकी किसी बैठकमें भाग नहीं लिया है। अच्छा आराम कर रहा हूँ। यहाँके डाक्टरोंने रक्तचापमें कोई विशेष वृद्धि नहीं देखी है। मैं कल या परसों यहाँसे चलूंगा। १३ जनवरी या उससे पहले आश्रममें तुम्हारे पहुँचनेकी आशा करता हूँ। टकर मेरे साथ है।

सप्रेम,

मोहन

श्री सी० एफ० एन्ड्र्यूज  
शान्तिनिकेतन

अंग्रेजी (जी० एन० २६२७) की फोटो-नकलसे।

१. लगता है यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया था; देखिए परिशिष्ट ९, हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी प्रस्तावका भाग ख-खण्ड १।

## ३१०. पत्र : फूलचन्द शाहको

सेंट्रल स्टेशन, मद्रास  
मौनवार [ २६ दिसम्बर, १९२७ ]<sup>१</sup>

माईश्री ५ फूलचन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें यही शोभा देता है। मुझे तो सन्देह या चिन्ता थी ही नहीं।

मैं जल्दीसे-जल्दी शनिवारतक आश्रम पहुँचनेकी आशा करता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८३२) से।

सीजन्य : शारदाबहन शाह

## ३११. पत्र : रेवाशंकर झवेरीको

सोमवार [ २६ दिसम्बर, १९२७ ]<sup>१</sup>

पूज्य रेवाशंकर भाई,

आज देवदासका पत्र मिला है। उससे ज्ञात हुआ है कि आप भी बीमार हो गये हैं और बम्बई लौट आये हैं। कल तो यहाँसे रवाना होनेका विचार है और गुरुवारको वहाँ पहुँच जाऊँगा। यदि किसी कारण रवाना न हो सका तो शुक्रवारको वहाँ जरूर पहुँच जाऊँगा। भगवान आपकी रक्षा करे।

मोहनदासके प्रणाम

पूज्य रेवाशंकर झवेरी

मणिमदन

७, लैबनंम रोड

गामदेवी, बम्बई

गुजराती (जी० एन० १२६६) की फोटो-नकलसे।

## ३१२. पत्र : आश्रमकी बहनोंको

मद्रास  
सोमवार [ २६ दिसम्बर, १९२७ ]

प्यारी बहनो,

तुम्हारा पत्र मिला। असलमें मेरा इरादा तो आज ही यहाँसे रवाना होनेका था, किन्तु अब ऐसा लगता है कि कल, और नहीं तो बुधवारको यहाँसे अवश्य निकल जाऊँगा। अतः कहना चाहिए कि मैं जल्दीसे-जल्दी शनिवारको तुम लोगोंसे मिलूँगा।

यह बात तो समझमें आती है कि आज तुममें से कोई उत्कल-यात्रापर जानेका तैयार नहीं हुई। किन्तु आखिर छूटकारा तो तभी मिलेगा जब बहुत-सी बहनें आधमसे ही तैयार होकर निकलें।

तुमने लिखा है कि तार लिखवानेमें भूल हुई है। किन्तु बात मेरी समझमें नहीं आई। अब तो जब हम लोग मिलें तभी समझाना।

जो काम हमें प्रिय लगता है हम उसे करना कभी नहीं भूलते। मैंने भावुक स्त्री-पुरुषोंको मन्दिरोंमें अनेक प्रकारकी सेवा बहुत ही प्रेमपूर्वक करते देखा है। हम मानते हैं कि इस प्रकारकी सभी सेवाओंमें कतार्ई-यज्ञका स्थान सबसे ऊपर है। इस दारेमें यदि किसी तरहकी शंका हो तो मुझसे अवश्य पूछ लेना।

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७७७०)से।

सौजन्य : राधाबहन चौधरी

## ३१३. प्रस्ताव : दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके बारेमें

[ २७ दिसम्बर, १९२७ ]

यह कांग्रेस हालाँकि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय प्रवासियों द्वारा प्राप्त की गई राहतको स्वीकार करती है और भारत तथा दक्षिण आफ्रिका संघके बीच हुए समझौतेको संघ सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियोंके साथ ज्यादा बेहतर व्यवहार करनेको इच्छाका प्रतीक मानती है, लेकिन वह तबतक सन्तुष्ट नहीं हो सकती जबतक प्रवासियोंको

१. उत्कल-यात्रा तथा आश्रममें गांधीजीके लौटनेके उल्लेखसे।

२. इस प्रस्तावका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके मद्रासमें होनेवाले वार्षिक अधिवेशनमें २७-१२-१९२७ को कांग्रेस अध्यक्ष डा० मु० अ० अन्सारीने पेश किया, और यह सर्वसम्मतिसे स्वीकार कर लिया गया।

संघके मताधिकार प्राप्त निवासियोंके बराबरका दर्जा नहीं प्रदान किया जाता। कांग्रेस संघ सरकारसे अपील करती है कि वह सभी वर्गभेद करनेवाले कानूनोंको रद्द करके, विशेषकर १९२६ के रंगभेद अधिनियमको, १९२७ के शराव विधेयककी उस धाराको जिसके जरिये होटलोंमें भारतीयोंके बेटोंके रूपमें नौकरी पानेपर रोक लगाई गई है, तथा नेटालके म्युनिसिपल भूमि सत्क्रामण अध्यादेशोंको, जिस हदतक कि वे जाति-पृथक्करण करते हैं, रद्द करके दोनों देशोंके बीच उत्पन्न हुई सद्भावनाको परिपुष्ट करे।

यह कांग्रेस दीनबन्धु सी० एफ० एन्ड्रयूज द्वारा दक्षिण आफ्रिका और पूर्व आफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंके दर्जेके सम्बन्धमें किये गये उनके महान और मानवतावादी कार्योंके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञताकी भावना व्यक्त करती है।

[ अंग्रेजीसे ]

रिपोर्ट ऑफ द फोटो-सेकंड इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट मद्रास, १९२७

### ३१४. पत्र : मु० अ० अन्तारीको

२८ दिसम्बर, १९२७

प्रिय डा० अन्तारी,

गाय-सम्बन्धी प्रस्तावने तो मुझे भीतरतक झकझोर दिया है। मैं उसे ध्यानपूर्वक कल रात जाकर ही पढ़ पाया। जितना ही मैं उसके बारेमें सोचता हूँ, उतना ही मेरा मन उससे दूर हटता है। एम० ए० आज्ञाके हाथ मैंने जो मसविदा<sup>१</sup> भेजा था वह उसका स्थानापन्न नहीं है। मैंने मौलाना साहबसे कह दिया है कि वह मुझे किसी भी तरह सन्तोषजनक नहीं लगता। एक-मात्र हल जो मैं देख सकता हूँ वह वही है जो मैंने सुझाया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस अधिवेशनमें उस प्रस्तावपर आगे कार्रवाई विलकुल न करें। जो मुसलमान मित्र यहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी है और उनके सामने अपनी विषम स्थिति रखनी है। लेकिन मैं आपको इस स्थितिमें कष्ट नहीं दूँगा। आपके हाथमें और भी कई काम हैं। तथापि मैं [अली] वन्वुओसे मिलनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मैं मदद करने आया था। अब मैं एक बाधा बनता जा रहा हूँ। मेरा दुःख अवर्णनीय है।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १२३९२) की फोटो-नकलसे।

१. सम्भवतः कांग्रेस द्वारा स्वीकृत हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी प्रस्तावका भाग ख-खण्ड १; देखिय परिशिष्ट ९।

## ३१५. एक पत्र

२८ दिसम्बर, १९२७

प्रिय मित्र और भाई,

गाय-सम्बन्धी प्रस्तावने मेरे दिलमें एक गहरा दाग डाल दिया है। मैं उसके ऊपर आपसे बातचीत करना और आपको अपनी कठिनाई बताना चाहूँगा। मैं आप दोनोंको चाहता हूँ और अगर सम्भव हो तो शुएवको भी। जो अन्य मित्र उपलब्ध हों, आप उन्हें भी ला सकते हैं।

सप्रेम,

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १२३९३) की फोटो-नकलसे।

## ३१६. राजनीतिक कैदी

अम्बालाके लाला दुनीचन्दने भारतवर्षकी अलग-अलग जेलोंमें बन्द राजनीतिक कैदियोंकी एक तालिका इंग्लैंडमें छपवाई थी। उसकी एक प्रति उन्होंने मेरे पास भेजी है। इसमें हिन्दुस्तानी पाठकोंके लिए तो कोई नई बात नहीं है और लेखक जो काम इससे साधना चाहते हैं, उसके लिए यह आसानीसे और भी अधिक पूरी और सही बनाई जा सकती थी। साथके पत्रमें वे मुझसे नरमीके साथ गिकायत करते हैं कि मैं राजनीतिक कैदियोंके बारेमें कुछ नहीं लिखता। अगर अपने इन देशमाइयोंके बारेमें कुछ भी न लिखनेका कारण मेरी उदासीनता या उपेक्षा होती तो उनकी गिकायत ठीक थी। लेकिन मेरा तो दावा है कि इन कैदियोंकी रिहाईके लिए मुझसे ज्यादा चिन्ता किसीको भी नहीं हो सकती। मगर मैं तो जान-बूझकर इस विषयमें चुप हूँ। मैं समझता हूँ कि 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें वेकारकी बातें ज्यादा नहीं रहतीं। यहाँ जो-कुछ लिखा जाता है, वह एक खास प्रयोजनसे ही लिखा जाता है। एक समय वह भी था जब मैं ऐसे मामलोंको लेकर उनका विश्लेषण करके दिखलाया करता था कि अविक्रांश मामलोंमें किस तरह ज्यादाती की गई है। मगर यह बात तो तब की है जब ब्रिटिश सरकारपर मेरा विश्वास था और इसकी अच्छाईपर मुझे नाज था। मगर जब वह विश्वास नष्ट हो गया तब मेरी यह ताकत भी न रही कि सरकारी प्रकाशकोंमें कुछ कहकर उनपर असर डाल सकूँ। मैं अब फिर ब्रिटिश न्यायप्रियता और न्याय-भावनाके गुण नहीं गा सकता। इसके विपरीत मुझे यह लगता है कि उनकी शासन-

१. अनुमानतः यह मौखिक मुद्दामद अलीको लिखा गया था; देखिए पिछला शीर्षक।

व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि जब कभी उस व्यवस्थाको कोई खतरा होता है या खतरा मालूम होता है, तब ऐसी अवस्थामें प्रशासक लोग औचित्य या न्यायपूर्णताका ध्यान नहीं रखते। मैं कबूल करता हूँ कि अगर उनके राज्यको किसी तरहका खतरा न हो तो अब भी उनसे न्याय मिल सकता है। मगर जब कभी उनका शासन-तन्त्र खतरमें हो या वे समझें कि खतरमें है, तब न सिर्फ वे न्याय और सत्यको ही भूल जाते हैं बल्कि उनकी बुद्धि ही ठिकाने नहीं रहती, उस राज्यको बचानेके लिए उनकी दृष्टिमें कोई भी कार्य या तरीका नीच या जघन्य नहीं रह जाता। डायरशाही या ओ'डायरशाही' कुछ एक अकेली मिसाल नहीं है। हाँ, जलियाँवाला बागकी घटनाके पहले मैं उनकी ओरसे अन्धा बना रहा। सच पूछो तो हर देशमें, हर कालमें जब कभी उन्हें जरूरत पड़ी, उन्होंने डायर और ओ'डायरशाहीसे ही काम लिया है।

मेरा विश्वास है कि जो भी राजनीतिक कैदी, मुकदमेके झूठे नाटकके बाद या उसके बिना ही, कैदमें हैं, वे इस सरकारी व्यवस्थाके हित-साधनके लिए ही कैद हैं। ये शासक रंगे हाथो पकड़े गये खूनीको, जो व्यक्तिगत स्वार्थके लिए किसीको मारे, भले ही छोड़ दें, मगर ये उस राजनीतिक कैदीको छोड़नेवाले नहीं हैं जिसके बारेमें इन्हें शक हो कि वह इनके शासन-तन्त्रका विरोधी है और खासकर अगर उसका तरीका हिंसापूर्ण हो।

इसलिए मुझे यह व्यर्थ और स्वामिमानके विरुद्ध मालूम होता है कि लाला हुनीचन्द द्वारा उल्लिखित राजनीतिक कैदियोंके लिए कोई इन अफसरोंसे कुछ कहे या सुने। उनके ध्यानमें जिन कैदियोंकी बात है वे हैं गदरपार्टीके कैदी, पंजाब फौजी कानूनके अन्तर्गत बन्दी बनाये गये कैदी और बंगालके नजरबन्द कैदी। और फिर श्रीयुत मुभाष बोस जैसे एक दो आदमियोंकी रिहाईसे हमें भ्रममें नहीं पड़ जाना चाहिए। अगर उनका वुरा स्वास्थ्य आडे न आ पड़ता तो शायद इतना सब आन्दोलन करनेपर भी वे छोड़े नहीं जाते। आखिर अधिकारियोंने क्या यह खूब साफ-साफ शब्दोंमें कह नहीं दिया है कि ये लोग केवल स्वास्थ्य खराब होनेके कारण ही छोड़े जा रहे हैं? क्या अर्ल विन्टरटनने<sup>३</sup> यह प्रार्थना करनेपर कि शाही आयोगके लिए अच्छा वातावरण बनानेके हेतु बंगालके नजरबन्दोंको छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़नेसे साफ इनकार नहीं कर दिया?

खैर, जिन्हें ब्रिटिश न्याय-प्रियता और सच्चाईमें अब भी विश्वास हो, वे उनसे प्रार्थना करें।

मेरा रास्ता साफ है। जो स्वतन्त्रता हम चाहते हैं, उसके लिए हमने अभी काफी कीमत नहीं दी है। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि ये नजरबन्दियाँ उसी कीमतका एक छोटा अंश हैं जो हमें मनुष्योंका जन्म-सिद्ध अधिकार पानेके लिए देनी चाहिए; और हमें सभी अत्याचार स्वेच्छासे सहने होंगे, न कि भेड़-बकरियों जैसे असहाय होकर। यह काम हम हिंसा या अहिंसा किसीके भी जरिये कर सकते हैं। हिंसाका रास्ता

१. जनरल डायर और ओ'डायर अग्रेल १९१९ में जलियाँवाला बागमें हुए हत्याकाण्डके लिए उत्तर-दायी थे।

२. भारत मन्त्री।

तो हमें आखिर ऐसी जगह लाकर छोड़ देगा जहाँसे आगे हम कहीं जा नहीं सकते और जिसके कारण उन बहुतसे अनिच्छुक और अज्ञानी स्त्री-पुरुषोंको अपार कष्टोंका सामना करना पड़ेगा जो न तो जानते हैं कि स्वतन्त्रता क्या चीज है और न उस बहुमूल्य वस्तुको खरीदनेकी उनकी कोई इच्छा ही है। अहिंसाका तरीका सबसे अच्छा और छोटा है और इसमें कमसे-कम कष्ट सहना पड़ता है, और वह भी सिर्फ उन्हींको जो कष्ट सहनेको तैयार हों, बल्कि खुशी-खुशी तैयार हों। मगर हर हालतमें लोगोंको तीव्र, व्यापक और भयंकर कष्ट और पीड़ा अवश्य ही सहनी पड़ेगी। अबतक हमें जो भुगतना पड़ा है, वह आगे आनेवाले कष्टोंका नमूना-भर है।

इसलिए मेरे समान जिनका यह विश्वास है कि इस शासन-पद्धतिमें ही दोष है, उनका काम यह है कि वे शासकोंसे प्रार्थना करना छोड़ दें और अपने उद्देश्य और तरीकेमें अटल विश्वासके साथ वे राष्ट्रसे ही निरन्तर अपील करते रहें। जबतक कि राष्ट्रमें कैदखानेके दरवाजे खोल देनेकी ताकत न आये, तबतक ये कैदी सम्मान और शानके साथ रिहा नहीं कराये जा सकते। वैसा समय आनेतक हम धैर्य और साहसके साथ इन लोगोंकी नजरबन्दीको सहन करें और आप भी ऐसी सजा भोगनेके लिए खूब खुशीसे तैयार हों। हम बहरोंके आगे दयाका रोना रोकर स्वतन्त्रताके दिनको और नजदीक तो निश्चय ही नहीं लायेंगे, बल्कि इस तरह तो हम जनतामें कैद और फाँसीसे डरनेकी मनोवृत्ति बेकार ही पैदा कर देंगे। स्वतन्त्रता-प्रेमियोंको तो इनका स्वागत मित्र और मुक्तिदाताओंके रूपमें करना सीखना है।

[ अंग्रेजीसे ]

धंग इंडिया, २९-१२=१९२७

### ३१७. भेंट : 'इंडियन डेली मेल' के प्रतिनिधिसे

बम्बई

३० दिसम्बर, १९२७

यह पूछे जानेपर कि मद्रासके नेताओंने संविधानके जो तीन मसविदे<sup>१</sup> तैयार किये हैं उनमेंसे वे भारतके लिए सबसे उपयुक्त किसे मानते हैं, श्री गांधीने कहा कि भारतके भावी संविधानके सम्बन्धमें मेरा कोई निश्चित मत नहीं है। तथापि उन्होंने आगे कहा :

भारतका संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई एक व्यक्ति तय करे।

१. कांग्रेसके मद्रास अधिवेशनमें स्वराज्य संविधानके कई मसविदे प्रस्तुत किये गये थे; कार्यसमितिको यह अधिकार दिया गया था कि वह अन्य संगठनोंके साथ परामर्श करके एक संशोधित मसविदा एक विशेष सम्मेलनके सम्मुख स्वीकृतिके लिए रखे।

मित्रों और शिष्योंसे घिरे हुए और उनके बीचमें बैठकर अपने चरखेको चलाते हुए श्री गांधीने हमारे प्रतिनिधिसे मृदुतासे प्रश्न पूछनेको कहा। भेंटकर्ताका पहला प्रश्न था, "कांग्रेसके मद्रास अधिवेशनके बारेमें आपका क्या खयाल है?"

उत्तर : मद्रास अधिवेशन इस मानेमें अनोखा था कि उसमें हिन्दू-मुस्लिम एकताकी नींव पड़ गई प्रतीत होती है। ऐसा मैं प्रस्तावोंके गुणोंके कारण नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जिस ढंगसे वे प्रस्तुत किये गये और स्वीकार किये गये उसके कारण कह रहा हूँ। पंडित मालवीयजीका अच्छा भाषण और उससे भी अच्छा अली भाइयोंका भाषण मुझे भविष्यके लिए शुभ लक्षण प्रतीत हुआ। मैं उस समय उपस्थित नहीं था जब मौलाना मुहम्मद अली आनन्दातिरेकमें मालवीयजीके पैरोपर गिर पड़े, और उनके शानदार भाषणके समाप्त होनेपर मौलाना शीकत अलीने उनको पंखा झला, लेकिन इसका विवरण मुझे कांग्रेस अध्यक्षने सुनाया। इससे मेरा मन जवर्दस्त खुशी और आशासे भर गया। मैं आशा करता हूँ कि सौहार्द और पारस्परिक विश्वासकी यह भावना संक्रामक सिद्ध होगी और हम साधारण लोगोंमें भी ऐसा ही विश्वास देख सकेंगे। इस सुखद घटनाके लिए डा० अन्सारी और श्री एस० अय्यंगार दोनों ही राष्ट्रकी कृतज्ञताके अधिकारी हैं।

यह पूछे जानेपर कि जब स्वाधीनता प्रस्तावपर<sup>१</sup> विचार किया गया उस समय वह उपस्थित क्यों नहीं थे, श्री गांधीजीने कहा कि मेरे स्वास्थ्यके कारण मुझसे समितिकी किसी भी बैठकमें उपस्थित होनेकी अपेक्षा नहीं की जाती। मैं मद्रास अपने डाक्टरोंके निर्वेशों और अपने मित्रोंकी इच्छाके विरुद्ध गया था, और ऐसा मैंने अपनी सामर्थ्य-भर श्री श्रीनिवास अय्यंगार और डा० अन्सारीकी सहायता करनेके खयालसे, और यदि मेरी जरूरत पड़े तो उनके लिए सुलभ होनेके खयालसे किया था। मुझसे कार्य समिति, विषय समिति या खुले अधिवेशनकी कार्यवाहियोंमें भाग लेनेकी अपेक्षा नहीं की जाती। मैंने एक अनौपचारिक बैठकको छोड़कर समितिकी किसी बैठकमें भाग नहीं लिया और कांग्रेस अधिवेशनके शुरू होनेपर केवल कुछ मिनटोंके लिए उसमें शामिल हुआ था।

हमारे प्रतिनिधिने पूछा : "लेकिन क्या यह सच है कि आप स्वाधीनता प्रस्तावके पक्षमें नहीं थे?"

उत्तर : यह तो एक सर्वप्रकट रहस्य है। लेकिन मैं स्वाधीनता-प्रस्तावको जो ठीक नहीं मानता उसका आधार उन लोगोंसे भिन्न है जो सामान्य रूपसे स्वाधीनता-प्रस्तावकी निन्दा करते हैं। मैंने इस विषयपर पिछले वर्ष तब चर्चा की थी जब स्वाधीनता-प्रस्ताव पास किया गया था, और उसके प्रति मेरा जो रुख है उसके कारण भी मैंने दिये हैं। लेकिन मैं किसी प्रकारकी गलतफहमीसे बचनेके लिए यह कह दूँ कि मैं एक क्षणके लिए भी ऐसा नहीं मानता कि भारत स्वाधीनताके योग्य नहीं है, अथवा वह उसके लिए तैयार नहीं है।

१. एक पृथक् प्रस्तावमें कांग्रेसने घोषणा की कि "भारतीय लोगोंका लक्ष्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता है"।



इसके बाद हमारे प्रतिनिधिने हकीम अजमलख़ाँकी मृत्युकी चर्चा की, और श्री गांधीने निम्नलिखित वक्तव्य दिया :

इस अवसरपर यह एक अत्यन्त महान और दुःखद क्षति है। हकीम अजमल ख़ाँ भारतके अत्यन्त सच्चे सेवकोंमें से थे, और हिन्दू-मुस्लिम-एकताके लिए वह अत्यन्त बहुमूल्य व्यक्ति थे। मैं यही आशा कर सकता हूँ कि जो चीज हम उनके जीवित रहते नहीं सीख सके वह चीज हम उनकी मृत्युके बाद और उनकी मृत्युसे सीख सकेंगे। ऐसे विवरण छपे हैं कि मृतककी स्मृतिमें सम्मान व्यक्त करनेके लिए हिन्दुओंने भी उतनी ही बड़ी संख्यामें भाग लिया जितनी संख्यामें मुसलमानोंने, यदि वे सच हैं तो यह एक बहुत ही स्वस्थ चिह्न है और मैं आशा करता हूँ कि उनकी मृत्युसे दिल्लीमें भ्रातृत्व और मैत्रीकी जो भावना उत्पन्न हुई है वह जारी रहेगी और स्थायी बनेगी तथा सारे देशमें फैल जायेगी।

मेरे लिए हकीमजीकी मृत्यु एक व्यक्तिगत क्षति है। मैं डा० अन्सारी तथा अन्य नेताओं द्वारा जारी की गई इस अपीलका पूरा समर्थन करता हूँ कि हकीमजीने दिल्लीमें जिस राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालयको इतने प्रेमसे पोसा है उसे किसी भी संकटसे बचानेके लिए राष्ट्रवादी भारतीयोंको चाहिए कि वे उस कोषमें चन्दा दें जो उस संस्थाकी आर्थिक स्थितिको दृढ़ आधार प्रदान करनेके लिए हकीमजी जमा कर रहे थे। लेकिन अवश्य ही इस महान देशभक्तका सर्वोत्तम स्मारक यही होगा कि हिन्दू, मुसलमान तथा भारतमें रहनेवाली अन्य जातियोंके बीच अटूट एकता स्थापित की जाये।

[अंग्रेजीसे]

सर्चलाइट, ६-१-१९२८

### ३१८. पत्र : मणिलाल व सुशीला गांधीको

३१ दिसम्बर, १९२७

चि० मणिलाल व सुशीला,

तुम दोनोंके पत्र मिले। मैं आश्रम पहुँच गया हूँ, अतः अब डाकके वारेमें जानकारी रहेगी। तुमने अपने पत्रमें एक हकीकत तो दी है, सो ठीक किया। शास्त्रीजीके वारेमें तुमने जो लिखा है उसे मैं समझ रहा हूँ। तुम उनसे जो बात करना चाहो वह विवेक और साहसपूर्वक कर सकते हो। तुमने उनके साथ हुई अपनी बातचीतका सही व्यौरा दिया है।

डर्वनके कार्यालयको बन्द कर देनेका विचार मुझे तो पसन्द ही है। मैं तो निश्चित रूपसे यह मानता हूँ कि यदि अखवारको अखवारकी तरह न निभाया जा सके

१. मृत्यु २९ दिसम्बर, १९२७ को हुई थी।

तो उसे चलानेका लोम हमें छोड़ देना चाहिए। और उसे अखवारकी तरह चलाना हो तो वह आसानीके साथ फीनिक्ससे भी चलाया जा सकता है। मेरी इतनी बात तो पक्की ही समझो कि कर्ज करके या अपने वूतेसे बाहर जाकर तो उसे कभी न चलाया जाये।

यदि इस शर्तके साथ वहीं रहना मुस्किल जान पड़े तो तुम दोनो यहाँ चले आओ। बाजी अपने हाथसे कमी मत जाने देना।

यहाँके कर्जके बारेमें तुम्हें लिखा था किन्तु तुमने उसका उत्तर नहीं दिया। मैं फिर याद दिला रहा हूँ।

और अब सुशीलाको :

तुम्हारे पत्र नीरस होते हैं। मणिलाल ठीक ही लिखता है कि वह काममे व्यस्त रहनेके कारण नहीं लिख पाता; किन्तु तुम्हें तो लिखना ही चाहिए। यदि तुम्हें जीवनमें रस मिलता हो तो लिखनेको बहुत-कुछ मिल जायेगा। वच्चे जब अपने सुख-दुःखकी बात माता-पिताको लिखते हैं तो पन्नेके-पन्ने भर देते हैं किन्तु तुम्हारे पत्रमें चन्द लकीरोके सिवा और कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि अब भी तुम्हारा शरीर पनपा नहीं है। यदि चाहो तो वहाँके किसी डाक्टरको दिखा लेना; शरीर तो पनपना ही चाहिए। यदि यहाँ आनेकी इच्छा हो तो तुम दोनो आपसमें सलाह कर लेना। मेरी तरफसे तो अनुमति है ही। रहना भी तुम्हारी इच्छापर निर्भर करता है। यहाँ रहना चाहो तो यहाँ नहीं तो अकोला रहना। तुम यह मानना कि मैं तुम्हारा ससुर नहीं बल्कि पिता हूँ। सेवा करनेके लिए शरीरका ध्यान रखना भी तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपने इस धर्मका भी पालन करना।

मैं नीलकण्ठसे<sup>१</sup> कल मिला था। वह जापानसे वापस लौट आया है। तुम्हें उसका पत्र तो मिला ही होगा। बालुभाई भी मुझसे मिले थे।

इन बातोंकी जानकारी देना :

उठने और भोजनका समय। कितनी बार और क्या खाती हो। दिनका कार्यक्रम, वहाँ जिन लोगोसे तुम्हारा परिचय है और वहाँका खर्च आदि। तुम चारोंके हस्ताक्षरवाला तार मिल गया था।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७३२) की फोटो-नकलसे।

## ३१९. पत्र : मणिवहन पटेलको

गुरुवार, १९२७<sup>१</sup>

चि० मणि,

तुम्हें बुखार आ गया और कमजोरी रहती है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। वृत्तसे बाहर मेहनत नहीं करनी चाहिए। अब तो समय है भी या नहीं, सो मैं नहीं जानता; परन्तु कांग्रेसमें आनेके लिए तुम्हें चुना गया हो तो मुझे खुशी जरूर होगी।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मेरे स्वास्थ्यके बारेमें अखबारोंमें कुछ आये तो समझ लेना कि उसमें अति-शयोक्ति है। रक्तचापका उतार-चढ़ाव तो इस दौरमें होता ही रहा है।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो — ४ : मणिवहन पटेलने

## ३२०. पत्र : मणिवहन पटेलको

१९२७

चि० मणि,

जो बीमार पड़ते हैं उन्हें क्या आश्रमसे भाग जाना चाहिए? तुम कहाँ गई हो यह भी मैं तो नहीं जानता। भागकर ही सही, जल्दी नीरोग हो जाना चाहिए। चैन न लगे तो मेरे पास आनेकी छूट है, यह याद रखना। सहन होने लायक वैराग्य लिया हो तो पचेगा। न पचे वह वैराग्य कैसा। तुमसे कुछ-न-कुछ खबर पानेकी तो रोज ही वाट देखता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मेरे सफरकी तारीखें तो जानती हो न ?

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो — ४ : मणिवहन पटेलने

१. इस पत्रकी तथा १९२७ में लिखे इसके बादके अन्य पत्रोंकी तिथि निश्चित नहीं है।

## ३२१. पत्र : जमनालाल बजाजको

सोमवार [ १९२७ ]<sup>१</sup>

चि० जमनालाल,

इसके साथ राजेन्द्रबाबूका पत्र है। मैंने तो उन्हें लिखा है कि मामला वापस लेना हो तो ले भले ही ले; पर वहाँ वंजनाथजीको एक बार लिखनेके बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता। मुझे इस पत्रसे दुःख हुआ है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० २८८१) की फोटो-नकलसे।

## ३२२. पत्र : प्रभावतीको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

सोमवार [ २ जनवरी, १९२८ ]<sup>१</sup>

चि० प्रभावती,

तुमारे दोनों पत्र भीले थे। तुमको यहा लानेका मैंने तो खूब प्रयत्न कीया। अब भी हो रहा है। देखें विधाता क्या चाहता है। 'गीताजी' के दूसरे अध्यायका श्लोक याद करो : दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।<sup>१</sup>

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। मैं यहा कमसे-कम तीन मासतक तो हू। मृत्युञ्जय<sup>२</sup> और विद्यावती<sup>३</sup> दोनों अच्छे हैं।

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० ३३०३ की फोटो-नकलसे।

१. पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वादमें भी इस पत्रको १९२७के पत्रोंके साथ ही रखा गया है।  
२. गांधीजीके अगळे "तीन मासतक" आश्रममें ही ठहरनेके उल्लेखसे यह पत्र जनवरी, १९२८ के प्रथम सप्ताहमें लिखा प्रतीत होता है; देखिए "पत्र : घनश्यामदास बिडलाको", ५-१-१९२८।

३. २, ५६।

४. राजेन्द्रप्रसादका पुत्र।

५. मृत्युञ्जयकी पत्नी और प्रभावतीकी बहन।

## ३२३. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको'

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

४ जनवरी, १९२८

असंशोधित

प्रिय जवाहरलाल,

मेरा खयाल है, तुम्हें मुझसे इतना अधिक प्रेम है कि मैं जो-कुछ लिखने जा रहा हूँ उसका तुम बुरा नहीं मानोगे। जो हो, मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्रेम है कि जब मुझे लिखनेकी जरूरत महसूस होती है, मैं अपनी कलम रोक नहीं सकता।

तुम बहुत ही तेज चालसे चल रहे हो। तुम्हें सोचने-विचारने और परिस्थितिके अनुकूल बननेके लिए कुछ समय लेना चाहिए था। तुमने जो प्रस्ताव तैयार किये और पास कराये, उनमें से अधिकांशके लिए एक सालतक रुका जा सकता था। गणतन्त्रीय सेना (रिपब्लिकन आर्मी) में तुम्हारा कूद पड़ना जल्दवाजीका कदम था। परन्तु मुझे तुम्हारे इन कामोकी इतनी चिन्ता नहीं, जितनी इस बातकी कि तुम शरारतियों और उपद्रवियोंको प्रोत्साहन दे रहे हो। पता नहीं, तुम अब भी विशुद्ध अहिंसामें विश्वास करते हो या नहीं। परन्तु तुमने अपने विचार बदल दिये हों तो भी तुम यह तो नहीं सोच सकते कि अनधिकृत और अनियन्त्रित हिंसासे देशका उद्धार होनेवाला है। अगर अपने यूरोपीय अनुभवोंके प्रकाशमें देशकी परिस्थितिका सावधानीसे अध्ययन करनेपर तुम्हें विश्वास हो गया हो कि प्रचलित तीर-तरीके गलत है तो वैशक अपने ही विचारोंपर अमल करो, मगर मेहरबानी करके एक अनुशासनवद्ध दल तो बना लो। कानपुरका अनुभव तुम्हारे सामने है। प्रत्येक संग्रामके लिए ऐसे मनुष्योंकी टोलियोंकी जरूरत रहती है जो अनुशासन मानें। अपने आदमियोंके चुनावके प्रति तुम्हारी लापरवाही देखकर लगता है कि तुम इस बातको अनदेखा कर रहे हो।

अब तुम राष्ट्रीय कांग्रेसके कार्यवाहक मन्त्री हो। ऐसी सूरतमें अगर मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूँ तो वह यह है कि तुम्हारा कर्तव्य है कि एकता विपयक केन्द्रीय प्रस्तावपर और साइमन-कमीशनके 'वहिष्कारके महत्त्वपूर्ण, परन्तु गौण प्रस्तावपर ही अपनी सारी शक्ति लगाओ। एकता विपयक प्रस्तावको 'तुम्हारी जवदस्त संगठन-क्षमता और जनताको समझाने-बुझानेके तुम्हारे तमाम बड़े गुणोंके उपयोगकी जरूरत है।

१. यह पत्र जवाहरलाल नेहरूकी निम्नलिखित टिप्पणीके साथ प्रकाशित हुआ था: "मैं यूरोपसे दिसम्बर १९२७ में लौटा और सीधा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके मद्रास अधिवेशनमें चला गया। वहाँ मेरे सुझावपर कई-एक प्रस्ताव पास हुए। यह पत्र गांधीजीने हस्तलिपि लिखा क्योंकि वे इस अधिवेशनमें मेरे कुछ कामोंसे खुश नहीं थे"।

२. देखिए परिशिष्ट ७।

३. देखिए परिशिष्ट ९।

मेरे पास अपनी बातोंको विस्तारसे कहनेके लिए समय नहीं है, परन्तु बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफी होना चाहिए।

आशा है, कमलाका स्वस्थ्य उतना ही अच्छा होगा जितना यूरोपमें था।

तुम्हारा,

बापू

[ अंग्रेजीसे ]

ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स

### ३२४. स्मृतिमें

हकीम साहब अजमल खाँके स्वर्गवाससे देशका एक सबसे सच्चा सेवक उठ गया। हकीम साहबका व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे महज एक ऐसे कामिल हकीम ही नहीं थे, जो गरीबों और धनिकों, सबका समान भावसे इलाज करता है बल्कि इस देशमन्तकी रसाई राज-दरवारोंमें थी। हालाँकि उनका वक्त राजो-महाराजोंके साथ बीतता था, मगर ये वे पक्के प्रजावादी। वे बहुत बड़े मुसलमान थे, और उतने ही बड़े हिन्दुस्तानी भी। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही से वे एक-सा प्रेम करते थे। बदलेमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उनसे एक-सी मुहब्बत रखते थे, उनकी इज्जत करते थे। हिन्दू-मुस्लिम एकतापर वे जान देते थे। हमारे झगड़ोंके कारण वे अपने अन्तिम दिनोंमें दुखी हो गये थे। मगर अपने देश और देशबन्धुओंमें उनका विश्वास कभी नष्ट नहीं हुआ। उनका खयाल था कि आखिर दोनों सम्प्रदाय एक दिन गले मिलकर रहेंगे। यह अटल विश्वास लेकर उन्होंने एकताके लिए प्रयत्न करना कभी नहीं छोड़ा। यद्यपि उन्हें सोचनेमें कुछ समय लगा था, मगर आखिर वे असहयोग आन्दोलनमें कूद ही पड़े और अपनी सबसे प्रिय और सबसे बड़ी कृति तिब्बिया कालेजको खतरेंमें डालते हुए भी वे नहीं झिझके। इस कालेजसे उनका ऐसा प्रबल अनुराग था जिसका अन्दाजा सिर्फ वे ही लगा सकते हैं जो हकीमजीको भली-भाँति जानते थे। हकीमजीके स्वर्गवाससे मैंने न सिर्फ एक बुद्धिमान और दृढ़ साथी ही खोया है बल्कि एक ऐसा मित्र भी खोया है जिसपर मैं आड़े वक्तमें भरोसा कर सकता था। हिन्दू-मुस्लिम एकताके द्वारेमें वे हमेशा ही मेरे रहबर थे। अपनी निर्णय-शक्ति, संयमित स्वभाव और मनुष्य-प्रकृतिके ज्ञानके आधारपर वे बहुत करके सही फैसला ही किया करते थे। ऐसा आदमी कभी मरता नहीं है। यद्यपि उनका शरीर अब नहीं रहा, मगर उनकी भावना तो हमारे साथ बराबर रहेगी, और वह अब भी हमें अपना कर्तव्य पूरा करनेकी प्रेरणा दे रही है। जबतक हम सच्ची हिन्दू-मुस्लिम एकता पैदा नहीं कर लेते, उनकी याद बनाये रखनेके लिए हमारा बनाया कोई स्मारक पूर्ण नहीं कहा जा सकता। परमात्मा करे कि जो काम हम उनके जीते-जी नहीं कर सके, वह उनके निधनसे करना सीख लें।

मगर हकीमजी कोरे स्वप्न-द्रष्टा नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि उनका स्वप्न एक दिन पूरा होगा ही। जिस तरह तिब्बिया कालेजके जरिये उनका देशी चिकित्साका

स्वप्न फला, उसी तरह अपना राजनीतिक स्वप्न भी उन्होंने जामिया मिलियाके जरिये फलीभूत करनेकी कोशिश की। जब कि जामिया मरने-मरनेको था, उस समय हकीम साहबने प्रायः अकेले ही उसे अलीगढ़से दिल्ली लानेका सारा भार उठाया। मगर जामियाको हटानेसे उनकी चिन्ताएँ भी बढ़ गईं। तबसे वे अपनेको जामियाकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनेके लिए खास तौरपर जिम्मेवार मानने लगे थे और उसके लिए धन जमा करनेमें वे ही मुख्य व्यक्ति थे, चाहे वे अपने ही पाससे दें या अपने दोस्तोंसे चन्दे दिलवायें। इस समय जो स्मारक देश तुरन्त ही बना सकता है, और जिसका बनाया जाना अनिवार्य है, वह है जामिया मिलियाकी आर्थिक स्थितिको पक्की कर देना। हिन्दू और मुसलमान, दोनोंको इसमें एक समान दिलचस्पी है और होनी चाहिए। अबतक देशमें चार राष्ट्रीय विद्यापीठ किसी तरह अपनेको चला रहे हैं। उनमें से जामिया मिलिया एक है। अन्य तीन हैं, बिहार, काशी और गुजरात विद्यापीठ। जामियाकी स्थापनाके समय हिन्दुओंने दिल खोलकर सहायता दी थी। इस मुस्लिम संस्थामें राष्ट्रीय आदर्श अधुष्ण बना हुआ है। पाठकोंका ध्यान मैं श्रीयुत रामचन्द्रनके 'लेखकी' ओर आकर्षित करता हूँ जो १२ महीनेके अनुभवसे लिखा गया है। इसके प्रधात्ताचार्य मौलाना जाकिर हुसेन उदार विचारवाले बड़े विद्वान पुख हैं। और उनकी उदार राष्ट्रीयतामें कोई शक हो नहीं सकता। मौलाना जाकिर हुसेनके सहायक कई चुने हुए योग्य अध्यापक हैं जिनमें कई एक विदेशोंमें घूमे हुए और वहाँकी उपाधियाँ लिये हुए हैं। दिल्लीमें ले जानेके वादसे संस्थाकी उन्नति ही हुई है, और अगर पर्याप्त सहायता मिले तो वह बड़े सुन्दर फल दे सकती है। इसमें कोई शक ही नहीं कि जो हिन्दू और मुसलमान हकीम साहबकी स्मृतिका आदर करना चाहते हैं, जो असहयोगके रचनात्मक कार्यक्रममें विश्वास रखते हैं और हिन्दू-मुस्लिम एकतामें विश्वास करते हैं, उनका कर्तव्य है कि उनसे जितनी हो सके, इस संस्थाको आर्थिक सहायता दें। डा० अन्सारी,<sup>१</sup> श्रीयुत श्रीनिवास अय्यंगर, श्रीयुत जमनालाल बजाज और पण्डित जवाहरलाल नेहरू इस सम्बन्धमें एक अपील निकाल चुके हैं। मैं आचार्य जाकिर हुसेनके जरिये संस्थाकी असली हालतका पता लगानेकी कोशिश कर रहा हूँ और डा० अन्सारीसे पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। ज्यों ही मुझे काफी जानकारी मिल जायेगी, मैं पाठकोंके सामने रख दूंगा। लेकिन इस बीच समय व्यर्थ न जाये, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि लोग सहायता भेजनी शुरू कर दें। जबतक कि एक समुचित समिति नहीं बन जाती और चन्देका विलकुल समुचित प्रबन्ध नहीं हो जाता, इस मदमें प्राप्त राशि किसीको नहीं दी जायेगी। मैं आशा करता हूँ कि चन्दा देनेमें हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरेसे होड़ लगायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ५-१-१९२८

१. जी० रामचन्द्रन, एक गांधीवादी शिक्षाविद्।
२. ५-१-१९२८के यंग इंडियामें प्रकाशित "व्हाट आई सॉ इन द जामिया" (मेने जामियामें क्या देखा) शीर्षक लेख।
३. डा० मु० अ० अन्सारी।

## ३२५. राष्ट्रीय कांग्रेस

### एकता

डाक्टर अन्सारीके भाषणकी विशेषता थी एकताके लिए उनकी प्रबल इच्छा। वे जानते थे कि उनसे एकता स्थापित करनेकी आशा की जाती थी। और अगर यह काम सिर्फ किसी एक आदमीके बूतेका था तो वह केवल एक डाक्टर अन्सारी ही थे। राष्ट्रका दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ सम्मान उन्होने इसीलिए स्वीकार किया कि उन्हें राष्ट्रमें, इस कार्यमें और अपने आपमें विश्वास था। उन्होने इस महत्वाकांक्षाकी पूर्तिके लिए निश्चय ही कुछ उठा नहीं रखा। भाग्यने भी उनका साथ दिया। श्रीयुत श्रीनिवास अय्यंगरने भी अपनी अपार साहसशीलतासे उन्हें सहायता पहुँचाई। शिमलेकी आशिक विफलताके बाद कोई भी अन्य समापति उनके जैसा काम करनेका साहस शायद नहीं कर सकता था। मगर श्रीनिवास अय्यंगर तो पीछे हटनेवाले आदमी नहीं थे। उन्होने डाक्टर अन्सारी, अली भाइयो और मौलाना अबुल कलाम आजादको अपने साथ लेकर अपने स्वाभाविक जोरोशोरसे अपना प्रस्ताव स्वीकार करा ही लिया। वे किसी एक सूत्रको पकड़ कर नहीं बैठे। जब आखिर बाजे और गोकुशीवाले प्रस्तावकी मयंक-कर त्रुटि — लगभग घातक त्रुटि — उन्हें बतलाई गई, जिसके कारण प्रायः सारीकी-सारी ही बात विगड़ी जा रही थी और उन्हें उसके स्थानपर दूसरी बात सुझाई गई, तो उन्होने सच्चे मनसे, स्पष्ट रूपसे और उदारताके साथ वह दोष मान लिया और सुझाव स्वीकार कर लिया और कहा कि इस संशोधनसे मूल प्रस्ताव कहीं बेहतर बन जाता है। मुसलमानोंने भी ऐन मौकेपर बात सम्माल ली। शुरूमें उन्हें कुछ हिचकिचाहट और झिझक तो थी, मगर अन्तमें उन्होने भी संशोधित प्रस्तावको बिना शर्त मान लिया। पण्डित मालवीयजी जहाँतक उनसे बन पड़े लोगोकी सामान्य इच्छाके मुताबिक चलनेकी पूरी नीयतसे ही आये थे। वह जानते थे, और अन्य सभी लोग इस बातको समझते थे कि अगर वह चाहें तो एकताका रास्ता बन्द कर सकते हैं। मगर उन्होने यह नहीं किया। वेचक, कई संशोधन जो वह जरूरी समझते थे उन्होने पेश किये, मगर उनके संशोधन यदि अस्वीकृत होते तो भी वे मूल प्रस्तावका विरोध करनेवाले नहीं थे। शायद पण्डित मालवीयजीसे पुराना दूसरा कोई कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेसके प्रति उनकी निष्ठा अतुलनीय है। उनका देश-प्रेम ऊँचेसे-ऊँचे दर्जेका है। मगर अबतक मेरे मुसलमान मित्र साम्प्रदायिकताको लेकर उनकी सदाशयता और राष्ट्रवादितामें मेरे विश्वासको हमेशा ही कम अहमियत देते रहे हैं। हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नपर कहीं-कहीं मेरा उनका मतैक्य नहीं हुआ, लेकिन वहाँ भी मैं उन्हें शककी निगाहसे नहीं देख सका। इसलिए मेरे लिए यह बड़ी खुशीकी बात रही कि अली भाइयोंने एकताके प्रस्तावपर उनके उस महान भाषणको बहुत पसन्द किया। अबतक हिन्दू और मुसलमान नेता एक दूसरेकी नीयत, भाषणों, और कार्योंको



अविश्वासकी दृष्टिसे देखते हैं, तबतक सर्वाङ्गीण प्रस्तावोंके बावजूद सच्ची एकता नहीं हो सकती। आइए, हम आशा करें कि कांग्रेस अधिवेशनमें जो विश्वास पैदा हुआ है, वह कायम रहेगा और सर्वत्र छा जायेगा। मालवीयजीके भाषणसे खुश होकर मौलाना मुहम्मद अलीने कहा कि अब मुसलमान लॉर्ड विन्टरटनसे अल्पसंख्यकोंकी हिफाजतकी प्रार्थना नहीं करना चाहते क्योंकि यह काम मालवीयजी ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर कोई एक हिन्दू अकेला ही मुसलमानोंको हिन्दुओंकी ओरसे ऐसी रक्षाका वचन दे सकता है तो वह केवल मालवीयजी ही हैं। मालवीयजी हिफाजत कर सकें या न कर सकें, मगर मैं चाहता हूँ कि मौलाना साहब और दूसरे मुसलमान और सभी अल्प-संख्यक लोग यह खयाल दिलसे हमेशाके लिए निकाल दें कि कोई तीसरा हमारी रक्षा करेगा और न उससे उसकी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर बहुसंख्यक लोग स्वयं ही अपनी इच्छासे ऐसी हिफाजतकी गारंटी न दें तो तीसरे किसीकी मदद लेनेकी बनिस्वत कही अच्छा होगा कि उनके अनिच्छुक हाथसे उसे जबदंस्ती छीन लिया जाये। तीसरे किसीको हस्तक्षेपके लिए बुलाया जायेगा तो वह दोनोंको कमजोर और जलील करेगा और राष्ट्रको गुलाम बनाये रखेगा। इसीलिए मैं तो कांग्रेस अधिवेशनका सबसे बड़ा योगदान इस हृदय-परिवर्तनको ही मानता हूँ।

जहाँतक अधिकांश हिन्दुओंका ताल्लुक है वे तो सिर्फ वाजे और गायबाले प्रस्तावमें दिलचस्पी रखते हैं। इस प्रस्तावका मूल रूप तो बहुत ही बुरा था। और अन्तमें विषय-निर्धारणी समितिसे स्वीकृत होकर वह जिस रूपमें निकला, उसके बारेमें सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वह निर्दोष है और हमारे राष्ट्रीय विकासकी वर्तमान स्थितिमें उसका सबसे अच्छा वही रूप स्वीकृत हो सकता था। पर कमसे कम मैं तो उसपर खुशियाँ नहीं मना सकता। मैं तो उसे सिर्फ एक कामचलाऊ प्रस्ताव ही मान सकता हूँ। फिर भी इस प्रस्तावमें काफी सम्भावनाएँ मौजूद हैं। कांग्रेसकी अपील हिन्दुओं और मुसलमानोंके दिलोंमें धर कर सके और दोनों सम्प्रदाय एक दूसरेके दावोंके साथ जुड़ी हुई भावनाओंकी परस्पर कद्र करने लगे तो शान्ति-स्थापनाकी आशा मूर्त होते दिखने लगती है और स्वराज्यका लक्ष्य प्राप्त करना बिल्कुल सरल लगने लगता है। लॉर्ड बर्कनहेडने बड़े दम्भसे ब्रिटिश साम्राज्यकी ताकतका डंका पीटकर समूचे राष्ट्रको आतंकित करनेकी जो कोशिश की है उसका सबसे अच्छा और गरिमापूर्ण उत्तर यही होगा कि हम आपसकी सिर-फुटीवलीकी अपनी बेवकूफीको समझ लें और इस नई समझके अनुरूप मिल-जुलकर कोई कदम उठायें।

इसलिए कांग्रेस द्वारा की गई अपीलका अर्थ समझनेका प्रयास फलप्रद होगा। मैं जानता हूँ कि गौ के बारेमें हिन्दुओंकी भावनाओंको तुष्ट करनेके लिए क्या किया जाना चाहिए। जबतक मुसलमान स्वेच्छापूर्वक खान-पान और कुर्बानी, दोनों ही के लिए गो-बघ बिलकुल ही बन्द नहीं कर देते, तबतक यह होनेका नहीं। अगर कोई अत्याचारी शासक तलवारके बलपर गो-बघ बन्द करा दे तो उससे हिन्दू-धर्म सन्तुष्ट

नहीं होगा। हिन्दुस्तानमें इस्लाम हिन्दू धर्मको इससे अच्छा कोई उपहार नहीं दे सकता कि वह गो-वध बन्द करके स्वैच्छिक आत्मत्याग करे। और मुझे इस्लामकी इतनी जानकारी तो है कि मैं यह दावेके साथ कह सकता हूँ कि इस्लाम गो-वधको अनिवार्य नहीं बताता। हाँ, मगर अपने अनुयायियोंको इसके लिए लाचार जरूर करता है कि वे अपने पड़ोसियोंकी भावनाओंका जहाँतक सम्भव हो सम्मान करे। मेरे लिए मस्जिदों के आगे बाजे बजानेका सवाल गो-वधके बराबर महत्त्वपूर्ण नहीं है। मगर अब इसका भी महत्त्व इतना बढ़ गया है कि उसकी उपेक्षा करना बेवकूफी होगी। यह तो मुसलमानोंके ही कहनेकी बात है कि उनकी भावनाओंकी रक्षाके लिए क्या करना चाहिए। और अगर मस्जिदोंके आगे बाजे बजाना कतई बन्द करनेसे ही मुसलमानोंकी भावनाओंकी रक्षा हो सके तो बिना एक क्षण भी खोये ऐसा करना हिन्दुओंका कर्तव्य है। अगर हमें हार्दिक एकता चाहिए तो हममें से हर एकको यथेष्ट त्याग करनेको तैयार रहना चाहिए।

अगर यह चिरवाञ्छित परिणति होनी है, एकता स्थापित होनी है, तो डाक्टर अन्सारीको शान्ति-जल्पे भेजने होंगे जो इस सन्देशका प्रचार करें और जनतासे इसे स्वीकार करायें। क्या हमारे पास इस सन्देशका प्रचार करनेके लिए यथेष्ट शक्ति, काफी ईमानदार, मेहनती और तत्पर प्रचारक हैं? आइए, हम आशा करें कि है।

#### गैर-जिम्मेदारी

मैं विषय-निर्धारिणी-समितिकी एक भी बैठकमें शामिल तो नहीं हो सका, मगर यह मैंने जरूर देखा है कि गैर-जिम्मेदाराना बातें और काम वहाँ आम बातें थीं। अनुशासनहीनता भी दिखाई पड़ती है। ऐसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भी समितिके आगे बिना किसी तैयारीके सहसा पेश कर दिये गये जिनके परिणाम बड़े व्यापक और गहरे निकलने थे और उनको भी इस महती समितिने बिना अधिक चर्चा या बहुसंके सरसरी तौरपर स्वीकार कर लिया। 'इंडिपेंडेंस (स्वतन्त्रता) वाला प्रस्ताव' पिछले साल नामंजूर हुआ था, मगर इस साल वह स्वीकार कर लिया गया और उसका विरोध भी प्रायः नहीं के बराबर हुआ। मैं जानता हूँ कि उसकी शब्दावलीमें कोई दोष नहीं, मगर मेरी नज़र सम्मतिमें वह उतावलीमें सोचा और बिना विचारे स्वीकार किया गया है। मैं इस प्रस्तावपर शीघ्र ही किसी अंकमें एक स्वतन्त्र लेख द्वारा अपने विचार रखनेकी बात सोच रहा हूँ।<sup>१</sup>

ब्रिटिश या अंग्रेजी मालके बहिष्कारका प्रस्ताव भी ऐसा ही सरसरी तौरपर स्वीकार किया गया था। कांग्रेस साल-दर-साल ऐसे प्रस्ताव स्वीकार करके अपने अन्दर कुण्ठा पैदा करती है जिनके वारेमें वह जानती है कि उन्हें प्रमाथी नहीं बना सकती। ऐसे प्रस्ताव स्वीकार करनेसे हमारी नामर्दा ही जाहिर होती है, आलोचक हमपर हँसते हैं और हमारे विरोधी हमें नीची नजरसे देखने लगते हैं।

१. देखिए "मैटः इंडियन डेली मेलके प्रतिनिधिते", ३०-१२-१९२७ की पाठ-टिप्पणी।

२. देखिए "स्वतन्त्रता बनाम स्वराज्य", १२-१-१९२८।

मगर मेरी बातका गलत मतलब न लगाया जाये। अगर कांग्रेस चाहे तो ब्रिटिश मालका वहिष्कार करनेका उसे पूरा हक है। मगर भारतवर्षमें सबसे अधिक प्रातिनिधिक संस्था होनेके कारण उसे वैसी बमकियाँ देकर अपना मजाक करवानेका कोई अधिकार नहीं, जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकती। कांग्रेस द्वारा स्वीकार किये हुए कई गैर-जिम्मेदाराना प्रस्तावोंमें से मैंने दो बत्तौर नमूनेके चुन लिये हैं।

कांग्रेसका विधान इस खयालसे बनाया गया था कि जिससे वह सारे भारतवर्षमें सबसे अधिक प्रातिनिधिक तथा प्रामाणिक संस्था बने और करोड़ों आम लोग उसके आदेश स्वेच्छापूर्वक मानें जिससे वह अपने आप ही, बल्कि महसूस भी न हो ऐसी गतिसे उन झूठी, नकली और हमें गुलाम बनानेवाली परिपक्वों, विधानसभाओं और दूसरी विदेशी संस्थाओंकी जगह ले ले जो प्रातिनिधिक होनेका स्वाँग धारण किये हुए हैं। मगर तबतक तो कांग्रेस वैसी अपराजेय शक्ति नहीं बन सकती, जो वह पहले थी या जिसके होनेकी हम इससे आशा रखते हैं, जबतक इसके प्रस्ताव महज कागजी लिखापट्टी बने रहें और जनता उनसे तनिक भी अनुप्राणित न हो, या उनका देशकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओंसे कोई सम्बन्ध न हो, और उसके सदस्य अनुयासनका पालन नहीं करें तथा शिष्टता और साधारण ईमानदारीको भी उठाकर ताकमें रख दें। अगर अ० भा० राष्ट्रीय कांग्रेसकी महासमितिके सदस्योंको इसका सिर्फ ज्ञान हो जाये, वे यह मानने लगे कि वे राष्ट्रके सेवक हैं तो फिर मेवाके ऐसे मौके और अधिकार उन्हें प्राप्त ही हैं जो संसारके किसी देशकी राष्ट्रीय संसदके सदस्योंको प्राप्त हैं। मगर फिलहाल तो हम स्कूली लड़कोंकी वाद-विवाद सभाओंकी ही बराबरी कर रहे हैं।

कार्य-समिति तो राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल है। उसे कांग्रेस और महासमितिके प्रस्तावोंके अनुसार कार्य कराना है। इसलिए कांग्रेसके ध्येयकी प्राप्तिके लिए अपेक्षित प्रस्तावोंको महासमितिके लानेका भार उसीपर है। अ० भा० राष्ट्रीय कांग्रेसमें अगर कोई दूसरा सदस्य अचानक कोई प्रस्ताव कर बैठे तो उसकी बड़ी सावधानीसे परीक्षा की जानी चाहिए, और अगर कार्य-समिति उसका विरोध करे तो उस प्रस्तावके स्वीकृत होनेकी सम्भावना बहुत ही कम होनी चाहिए। चाहे कार्य-समितिका हो, या किसी दूसरे सदस्यका, मगर हरएक प्रस्तावके साथ कामकी योजना तो होनी ही चाहिए। इसलिए अगर दूसरा कोई सदस्य अपनी जाती हैसियतसे कोई प्रस्ताव करे तो उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि प्रस्ताव स्वीकृत होनेपर वह बतला सके कि कामकी योजना क्या होगी। अगर कोई यह प्रस्ताव करे कि हिन्दुस्तानके गाँव-गाँवमें बड़ी उम्रवालोंके लिए निःशुल्क रात्रि-पाठशालाएँ खोली जायें तो कांग्रेसके लिए यह प्रस्ताव समी तर्हसे पसन्द करने लायक है। किन्तु अगर प्रस्तावकके पास कामकी कोई निश्चित और व्यावहारिक योजना न हो तो कांग्रेसके लिए उस प्रस्तावको अस्वीकार करना ही उचित होगा, उसे अस्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर कांग्रेसकी प्रतिष्ठा और उपयोगिता बनाये रखनी है तो अ० भा० राष्ट्रीय कांग्रेसके सदस्योंको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा और अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी।

हाथी और चींटी

मेरी नम्र सम्मतिमें मद्रास-कांग्रेसकी स्वागत-समितिये उस नाम-मात्रकी अखिल भारतीय प्रदर्शनीको अपने तत्वावधानमें आयोजित करनेकी अनुमति देकर मारी मूल की। उस प्रदर्शनीमें अगर कोई खूबी रही भी हो तो सरकारी छत्रछाया और स्वीकृति-ने उसे नष्ट ही किया, रौनक नहीं बरकी। कांग्रेस बहुत पहलेसे ही सरकारी कृपा या कोपकी मुखापेक्षी नहीं रही है। अगर और पहलेसे नहीं तो कमसे-कम १९१८ से कांग्रेस जिन आदर्शोंके लिए काम कर रही है, इस प्रदर्शनीमें प्रायः वे सबके-सब मुला दिये गये थे। अखिल भारतीय प्रदर्शनीमें था क्या? मण्डपोंमें से कई एक तो विलायती कम्पनियोंको अपना माल प्रदर्शित करनेके लिए दिये गये थे। एक मण्डपमें मशीनें और मशीनी सामान था, कुछ मण्डपोंमें विदेशी सूतके कपड़े चमक रहे थे, तो कुछमें विदेशी घड़ियाँ सजी थी। वहाँ प्रदर्शनीमें स्वदेशी सामान तो बहुत कम था, मगर विदेशी और अंग्रेजी मालकी भरमार थी। और वह भी कहाँ? उस कांग्रेसकी छत्र-छायामें जो स्वदेशीका धर्म सिखलाती है और जिसके कार्यक्रममें अंग्रेजी मालका बहिष्कार भी शामिल है। उसमें शायद ही कोई चीज रही हो जिसमें गाँववालोंका मन लगे या उनसे वे कुछ सीख सकें। इस प्रदर्शनीमें भारतवर्षकी ग्राम-सम्पत्ताकी नहीं परन्तु पश्चिमकी लुटेरी नागरिक सम्पत्ताकी झलक थी। इसका आयोजन कांग्रेसकी भावनाको झूठलाना था; यह प्रदर्शनी पिछले छः सालकी खादी और स्वदेशी प्रदर्शनोंके तो बिल्कुल विपरीत थी। कपड़ेका बाजार तो मानो खादीका मखौल उड़ानेके लिए ही बनाया गया था, हालाँकि कांग्रेस अब भी सूत-मताधिकारको मानती है और अखिल भारतीय चरखा संघके कार्यका समर्थन करती है। सभी विज्ञप्तियाँ अंग्रेजीमें छपी थी, मानो उसे सिर्फ अंग्रेज ही देखने आनेवाले थे। खादीका महत्त्व घटानेवाली एक विज्ञप्ति नीचे दी जाती है :

गरीबोंको खिलाओ और समर्थोंसे काम कराओ,  
चरखेसे भरनीका सूत कातो और तानेका सूत मिलोंसे लो,  
दोनोंके मेलमें ही उद्धार है।

अगर इस विज्ञापनके लेखककी नीयत ही सोच-समझकर हानि पहुँचानेकी न हो, तो उसने खादीके विकासका अपना अज्ञान ही प्रदर्शित किया है। इन पृष्ठोंमें हाथके कते सूतका बाना और मिलके सूतका ताना बनानेकी मिथ्या धारणाकी असलियत कितनी ही बार दिखलाई जा चुकी है। यहाँ इतना ही कहना काफी होगा कि अगर चरखेके सूतका केवल बाना ही भरनेकी नीति कुछ दिनतक चलती तो चरखा कमीका अपनी कुदरती मौत मर गया होता। अनुभवसे पता चलता है कि यह जोड़ी हर तरहसे बुरी ही है।

अब यह दूसरी विज्ञप्ति, अगर उससे बढ-चढकर नहीं तो कम बुरी भी नहीं है :

जुलाहेसे ताना भी हाथकते सूतका बनवाना  
मानो उसे एक छुरी लेकर जहाज-भर लोगोंसे लड़नेको भेजना है।  
उसके कामका अच्छेसे-अच्छा तरीका छुड़वाना तो मानो उसका अँगूठा  
ही काट डालना है।

इस विज्ञप्तिसे तो खादीके विरुद्ध जहरीला पक्षपात और बुनाई कलाका तथा जुलाहोंकी स्थितिका अज्ञान ही टपकता है। लेखक यह भूल जाता है कि दुनियामें एक दिन वह भी था, जब सारे संसारमें ताना और बाना, दोनों ही के लिए हाथकता सूत इस्तेमाल करनेमें जुलाहोंको खुशी होती थी और उन्होंने उस समय जो कला दिखलाई थी, उससे आगे अबतक कोई नहीं बढ़ सका है। इस सुन्दर अ० भा० प्रदर्शनीके बाहर ही खादी-प्रदर्शनीमें जाकर लेखक अपनी भूल तुरन्त ही सुधार सकता था। वहाँ वह देखता कि जुलाहे उसी आराम और सहूलियतसे चरखेके सूतके ताने-बानेका अत्यन्त सुन्दर कपड़ा बुन रहे थे, जिस सहजतासे वे मिलके सूतसे बुनते। यह साबित करना मुश्किल नहीं है कि जहाँ मिलका सूत अन्तमें, और वह भी बहुत देरके बाद नहीं, शीघ्र ही जुलाहेको मार डालेगा, यह चरखेका सूत उसे जरूर ही जिन्दगी देगा, और अभी भी वह कितने ही लोगोंको कसाईके काम या पाखाना साफ करनेके कामसे बचा भी चुका है। हर दस कतैयेके पीछे एक बुननेवाला जरूर ही दिनभर बुननेमें लगा रहता है, एक घुनियेको रोज सारे दिन करनेको काम मिल जाता है—घोबियों, दर्जियों, बड़ई-लोहारों, रंगरेजों और छीपों वगैराको जो अधिक काम मिलता है, उसका तो जिक्र ही नहीं।

इस विदेशी और भारत-विरोधी भावनावाली प्रदर्शनीका कांग्रेसके तत्वावधानमें होना ही, ऊपर बतलाई गैर-जिम्मेदारीकी भावनाका एक प्रत्यक्ष और जबरदस्त प्रमाण है। मेरा मन यह नहीं मानता कि किसी कांग्रेसीने यह बला सोच-समझकर अपने सिर ली होगी। पर मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि इस घुटालेका कारण है अविवेक, असावधानी और दायित्वहीनता।

वेशक खादी-प्रदर्शनी रूपी चींटीको इस हाथीखानेके बाहर फेंक देना अच्छा ही रहा। अफवाह तो है कि मद्रास सरकारको अ० भा० प्रदर्शनीके भीतर खादी प्रदर्शनीका किया जाना मंजूर नहीं था। मुझे तो इससे जरूर ही सुविधा हुई। क्योंकि इस प्रदर्शनीकी असलियतका कुछ पता पा लेनेके बाद, मेरे लिए खादी-प्रदर्शनी खोलनेके लिए भी मुख्यतः उस विदेशी प्रदर्शनीमें जाना जो हमारी राष्ट्रीय जिल्लतका परिचायक था, बहुत मुश्किल लगता। दूसरी ओर खादी-प्रदर्शनी चींटीके समान होते हुए भी स्वदेशी कलाका नमूना थी। यह तो खादी और उससे हो सकनेवाले कामोंको प्रत्यक्ष दिखलानेके लिए थी। इसके पास एक भारतीय ललित कला मण्डप भी था जो डाक्टर जेम्स एच० कजिन्सके परिश्रमका फल है। वेशक इस नामधारी अ० भा० प्रदर्शनीमें कुछ भारतीय या सोलहों आने भारतीय उद्योग द्वारा तैयार वस्तुएँ भी थी, मगर वह तो सिर्फ असावधान लोगोंको फँसा लेनेके लिए थी और विलायती मालके लिए—जिसकी वहाँपर प्रधानता थी—एक ढाल मात्र थीं।

भविष्यकी स्वागत-समितियाँ चेत जायें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ५-१-१९२८

## ३२६. भारतकी कवयित्रीको निमन्त्रण

श्रीमती सरोजिनी देवीको अमेरिकासे एक निमन्त्रण<sup>१</sup> मिला जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कुमारी मेयोने असत्य और मिथ्या आरोपोंसे युक्त पुस्तक लिखकर जो नुकसान पहुँचाया है उसको वह निष्प्रभावी कर दें। भारतमें कितना ही कुछ लिखा जाये लेकिन वह सम्भवतः उस सनसनी फैलानेवाली महिला द्वारा की गई क्षतिको पूरी तरह दूर नहीं कर सकता जिसकी बातें सुनने और माननेके लिए सनसनीखेज खबरोकी भूखी और उन्हीपर जीवित रहनेवाली मूढ़ जनता तैयार बैठी है। कोई भी विचारशील अमेरिकी कुमारी मेयोके अश्लील लेखोपर कदापि विश्वास नहीं कर सकता। विचारशील अमेरिकीको किसी खण्डनकी जरूरत नहीं है। और सामान्य जनता, जो 'मदर इंडिया' से पहले ही प्रभावित हो चुकी है, भारतमें किये गये किसी खण्डनको कभी नहीं पढेगी, चाहे वे कितने ही प्रभावशाली ढंगसे क्यों न किये गये हों। इसलिए अमेरिकामें यह बात ठीक ही सोची गई कि 'मदर इंडिया' के जवाबमें सरोजिनी देवीको अमेरिका बुलाया जाये, जहाँ वे दौरा करके व्याख्यान दें। यदि सरोजिनी देवी निमन्त्रणको स्वीकार कर लें तो उनकी अमेरिका-यात्रासे वह क्षति कुछ हदतक पूरी हो जायेगी जो कुमारी मेयोके उपन्यासने ढाई है। इसमें कोई सन्देह करनेकी जरूरत नहीं है कि वह जहाँ कही जायेंगी वहाँ बड़ी संख्यामें लोग उनका भाषण धीरज और आदरके साथ सुनेंगे। उन्होंने जिस प्रकार अपनी वक्तृताके जादूसे दक्षिण आफ्रिकी जनताको भुग्घ कर लिया था<sup>२</sup> और गोलमेज सम्मेलनके लिए, तथा माननीय श्रीनिवास शास्त्री अब जो महान कार्य वहाँ कर रहे हैं, उसके लिए मार्ग तैयार किया था, उसी प्रकार यह निश्चित है कि वे अपने भाषणके उसी जादूसे अमेरिकी जनताको भी भुग्घ कर लेंगी। हमें आशा करनी चाहिए कि उनके लिए निमन्त्रणको स्वीकार करना सम्भव होगा और डा० अन्सारी उन्हें विदेशमें उस कार्यको करनेके लिए मुक्त कर सकेंगे जो इस समय भारतकी इस प्रतिभाशाली पुत्रीको बुलाता प्रतीत होता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ५-१-१९२८

१. देखिए "तार: धन्योपाल मुखर्जीको", १४-११-१९२७।

२. देखिए खण्ड २४।

### ३२७. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

५ जनवरी, १९२८

भाई घनश्यामदासजी,

मैंने एक पत्र जमनालालजीके मार्फत भेजा था मीला होगा। एक तार भी भेजा था कि स्वास्थ्य ठीक न हो जाय तब तक एसेंबलीमें हजरगीज न जायं। पू० मालवीजीसे कहना था परंतु इतनी बातोंमें हम रुक गये थे मुझे आपका स्मरण न रहा। अब इस वारेमें उनको लिखनेकी आवश्यकता नहीं समझता हूं? रुपैये जमनालालजीके यहां ही भेजें होंगे। मैंने अब तक सुना नहीं है।

पू० मालवीजीके व्याख्यानका जादुई असर हुआ और वे इस वारेमें खूब प्रयत्न करनेका कहते थे। देखें क्या होता है।

मार्चकी आखर तक मैं आश्रममें हि हूंगा। १७ तारीखको पांच रोजके लीये काठियावाड जाना होगा।<sup>१</sup>

आपका,

मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ६१५१ से।

सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

### ३२८. पत्र : मगनलाल गांधीको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

शुक्रवार [६ जनवरी, १९२८]<sup>१</sup>

वि० मगनलाल,

तुम्हारे पत्रका पूरा उत्तर फिलहाल नहीं दिया जा सकेगा। अधिक मिलनेपर। ऊन और रेवामके कीड़ेके कोयोंका उद्योग अच्छा ही है। इस कामको हम एक खास हदतक ही हाथमें ले सकते हैं। मुझसे इस वारेमें विस्तारसे चर्चा करना।

कुसुमको मेरे आशीर्वाद देनेकी तो बात ही नहीं उठती क्योंकि मैं उसके विवाहमें नहीं जा सकूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जातिके प्रतिबन्धोंको तोड़ देनेपर

१. काठियावाड राजनीतिक परिपदके लिए।

२. मगनलाल गांधीको यह पत्र ७ जनवरी, १९२८ को मिला था।

ही हमारा छुटकारा होगा। किन्तु इस सम्बन्धमें मुझसे विस्तारपूर्वक सलाह-मशविरा कर लेना। इसके अतिरिक्त नवीन और धील्के वारेमें भी मुझसे बातचीत कर लेना। यदि उनका खर्च माणकलाल आदि दें तब तो हम उन्हें अवश्य रखेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९१६७) की प्रतिसे।

सौजन्य : राधावहन चौबरी

### ३२९. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

७ जनवरी, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

मैं आपके पत्रकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ। यह स्पष्ट है कि आप अभी यात्रा करनेके योग्य नहीं हैं। इस ज्वरसे और कमजोरी बढ़ी होगी तथा स्वास्थ्य-लाभकी प्रगतिमें बाधा पड़ी होगी। मैं आशा करता हूँ कि ज्वर फिर नहीं आया है।

मुझे खुशी है कि जवाहरलाल और भरूचाने कुछ समय आपके साथ गुजारा। आपने देखा होगा कि बहुमूल्य प्रदर्शनी और अन्य बहुत-सी चीजोंके वारेमें मैंने वह पहले ही कर दिया जो आपके मनमें था।

निखिल<sup>१</sup> कैसा है, और हेमप्रभादेवीको कैसा लगा ?

मैं स्वस्थ प्रतीत होता हूँ।

सन्नेम,

बापू

अग्नेजी (जी० एन० १५८०) की फोटो-नकलसे।

१. सतीश बाबूका पुत्र जो उस समय गम्भीर रूपसे बीमार था और जिसकी जुलाई, १९२८ में श्वासे हो गई थी।



## ३३०. पत्र : नाजुकलाल चौकसीको

शनिवार [७ जनवरी, १९२८]

माईश्री ५ नाजुकलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं बिलकुल ठीक हूँ। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं मोती या बालकको अबतक देख भी नहीं सका। मैं अपने दैनिक कार्योंमें डूबा हुआ हूँ। यदि आनेकी इच्छा हो तो आ जाना। कुसुमवहन कह रही थी कि तुम्हें आघासीसी है। यह एक बुरा रोग है। इस रोगमें मिट्टीकी पट्टी लामदायक सिद्ध होगी। खुराक भी हलकी ही होनी चाहिए। कुसुमवहनका काम जरा नाजुक है। अभीतक वह कोई काम चुन नहीं पाई है। जो मर्जीमें आता है और उसे रुचता है सो वह करती है। परन्तु चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है।

वापूके आशीर्वाद

माईश्री नाजुकलाल  
सेवाश्रम, भड़ौच

गुजराती (एस० एन० १२१४२) की फोटो-नकलसे।

## ३३१. 'गीता' पर प्रवचन<sup>१</sup>

७ जनवरी, १९२८

आजकी प्रार्थनामें ९ वें अध्यायपर बोलते हुए वापूने कहा :

जितनी मधुरतासे इस अध्यायका पाठ किया गया वास्तवमें यह अध्याय उतना ही मधुर है। आन्तरिक व्यथासे पीड़ित हमारे जैसे लोगोंके लिए—और अन्तरकी व्यथासे कौन पीड़ित नहीं है—यह रामबाण औषधिकी तरह है। हम सबके अन्तर विकारोंसे परिपूर्ण हैं और उन विकारोंको नष्ट करने तथा भगवानकी गरणमें जाने-वालेके लिए यह भगवान द्वारा सुझाया गया उपाय है। इस अध्यायसे हमें यह भी पता चलता है कि जब 'गीता' लिखी गई थी तब वर्णाश्रम धर्ममें ऊँच-नीचका भेद घुस चुका था और लोग एक-दूसरेको अपनेसे नीचा मानने लगे थे। यों तो किसे उच्च कहा जाए और किसे नीच! जो पूर्णतः निर्विकार है वही दूसरोंपर अँगुली उठा सकता है। अपूर्ण व्यक्ति तो सभी एक जैसे होते हैं। और इस अध्यायमें

१. बाकरी मुहरेसे।

२. १२-१-१९२८के यंग इंडिया, तथा १५-२-१९२८के नवजीवनमें भी इन प्रवचनोंकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उनसे भी इसे मिला लिया गया है। गांधीजीने ये प्रवचन ६ और ७ जनवरीको दिये थे।

सबके लिए रामबाण औषधि बताई गई है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि बिना प्रयत्न किये किसी व्यक्तिके सभी विकार धुल जायेंगे। यदि कोई मनुष्य इन्द्रियोंके वशीभूत होकर अनिच्छापूर्वक विषयोकी ओर खिंचा चला जाता है तो ऐसी स्थितिमें जब वह अथक प्रयत्न करते हुए और हृदयसे पश्चाताप करते हुए भगवानकी शरण लेता है तो भगवान उसे निश्चय ही विकारोंसे मुक्त कर देंगे।

इससे एक दूसरा विचार भी मनमें उठता है, किन्तु उसपर हम कल विचार करेंगे।

वह विचार यह है कि इस अध्यायमें पापोंके प्रायश्चित्तका उल्लेख भी किया गया है। और पापका प्रायश्चित्त उपवास नहीं बल्कि भक्ति है, प्रपत्ति है। उपवासकी उपयोगिताको मैं भली-भाँति समझता हूँ, किन्तु उसकी भी एक सीमा है। पापका प्रायश्चित्त उपवास तो हो ही नहीं सकता कदाचित् यह सम्भव है कि उपवास उस पापको ही छिपा दे। पापीका अर्थ है पाप करनेवाला किन्तु पापयोनिका अर्थ है पापी योनिसे जन्मा हुआ अर्थात् जो महापापी हो। इसके गूढ़ार्थमें क्या कल्पना होगी यह हम नहीं जानते; किन्तु महापापीके लिए भी आशाकी एक किरण है, यदि वह भक्ति करे। और भक्तिका अर्थ है अपनेको भगवानमें लीन कर देना, अपने अहको मूलकर शून्य हो जाना। पापका प्रायश्चित्त उपवास नहीं बल्कि भक्ति है। हाँ; अनेक बार भक्तिभावसे ओतप्रोत हो जानेके लिए उपवास कर लेनेकी आवश्यकता जान पड़ती है, किन्तु इसका माप सभी अपनी-अपनी मनःस्थितिके अनुसार निकाल सकते हैं। शून्य हो जानेमें ही परिपूर्ण भक्ति निहित है और यदि ऐसी भक्ति बन पड़े तो हमसे चाहे जितने पाप हुए हों, वे हमारे मार्गमें बाधा नहीं डाल सकते। इस अध्यायमें जिस सुदुराचारीकी बात कही गई है वह कोई अन्य नहीं बल्कि हम स्वयं ही हैं। अनेक प्रकारके मानसिक पाप करनेवाले तथा ऐसे पाप करनेके वावजूद, हम भलेमानस बनकर इस संसारमें विचरण करते हैं। भला, ऐसा पापी हममें से कौन नहीं है? और यह अध्याय ऐसे लोगोंके ही लिए है।

ग्यारहवें अध्यायमें भगवानके अनेकानेक दर्शन करवाकर इस भक्तिके लिए मनुष्यको तैयार किया गया है और इसके बाद बारहवें अध्यायमें भक्तिका रहस्य बतलाया गया है और सच्चे भक्तका वर्णन किया गया है। यह अध्याय तो इतना छोटा है कि इसे कोई भी व्यक्ति सहज ही कठस्थ कर सकता है।

चौदहवें अध्यायमें त्रिगुणोका वर्णन किया गया है। पन्द्रहवेंमें पुरुषोत्तमका वर्णन है। ३० वर्षसे अधिक हुए मैंने ड्रमण्डकी' पुस्तक पढ़ी थी जिसमें अनेक दृष्टान्त देकर यह सिद्ध किया गया है कि जड़ जगतके नियम अध्यात्म जगतपर भी लागू होते हैं। यह इस त्रिगुणात्मक सृष्टिमें सिद्ध होता जान पड़ता है। गुण तीन ही नहीं बल्कि अनेक हैं। यह तो उन अनेक गुणोंको मोटे तौरपर तीन भागोंमें बाँट दिया गया है। जो इन तीनोंको तर जाता है वह पुरुषोत्तम हो जाता है। इस जगतमें

१. डा० हेनरी ड्रमण्ड, द नेचुरल लॉ इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड तथा द प्रेदेस्ट थिंग इन द वर्ल्डके लेखक।

ऐसा कोई नहीं जन्मा जो एक गुणवाला ही रह गया हो। मनुष्य अतिशय सत्व गुणी हो तो भी उसमें तम और रजोगुणका कुछ-न-कुछ अंश आ ही जाता है। पानीका दृष्टान्त मेरे मनमें आता है। पानी बरफके रूपमें पत्थरकी तरह अचल पड़ा रहता है किन्तु गरम होकर भाफ बन जाता है और आकाशमें उड़ने लगता है। बरफके रूपमें तो वह ऊँचे उठनेकी शक्ति ही गँवा बैठता है और भाफ बनकर वह निरन्तर ऊपरकी ओर उड़ता चला जाता है। पानीकी अधिकतम शक्ति तो भाफके रूपमें ही प्रकट होती है। और अन्तमें भाफ बादलके रूपमें परिवर्तित होकर जगतका कल्याण करती है। किन्तु यदि भाफ बरफका तिरस्कार करे तो वह अचल पड़ी रहेगी। हालाँकि बरफके भी उपयोग है। बरफ नदीके रूपमें बहने लगती है। इसमें प्रलय भी भव जाता है किन्तु इस सबसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक स्वयंसिद्ध बात है कि सूर्यकी गर्मीके बिना पानी भाफ नहीं बन सकता। इससे पता चलता है कि यह किसी दूसरेकी मददके बिना नहीं हो सकता। कहनेका तात्पर्य यह है कि भाफ मोक्षकी दशाकी सूचक है। वह मोक्षकी स्थितिमें रहते हुए इस जगतका कल्याण करती है। इस प्रकार हमें इन दोनों अध्यायोंको समन्वित रूपसे समझ लेना चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

### ३३२. गोरक्षा-सम्बन्धी लेख

गोरक्षा-सम्बन्धी लेखोंको प्रकाशित करनेमें सहायताके रूपमें धूलियासे नीचे दी हुई तफसीलके<sup>१</sup> अनुसार १५० रु० मिले हैं।

इसके अतिरिक्त 'नवजीवन' संस्थामें नीचेकी तफसीलके<sup>२</sup> अनुसार रु० ५०-८-० मिले हैं :

अब इस पुस्तकको छापनेका कार्य शीघ्र आरम्भ हो जायेगा। किन्तु जितनी अधिक सहायता मिलेगी पुस्तक उतनी ही सस्ती मिलेगी, यह बात गोसेवकोंको याद रखनी चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ८-१-१९२८

१ और २. चन्देकी अलग-अलग रकमें और दानियोंके नाम यहाँ छोड़ दिये गये हैं।

### ३३३. मिट्टीकी महिमा

मैंने अपनी आरोग्य विषयक पुस्तकमें<sup>१</sup> रोगोंके उपचारमें मिट्टीके उपयोगके सम्बन्धमें विस्तारपूर्वक लिखा है। उक्त पुस्तक पढ़कर परीक्षणके तौरपर मिट्टीका प्रयोग करनेवाले श्री विट्ठलदास पुरुषोत्तम लिखते हैं :<sup>२</sup>

इसपर मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने निजी अनुभव लिख मेजें। जिसके उत्तरमें उन्होंने निम्न पत्र लिखा है :<sup>३</sup>

इन दोनों पत्रोंमें दी गई जानकारीका उपयोग तरह-तरहके दर्दोंपर वेफिक्रीसे किया जा सकता है। मेरी रायमें तो जहाँ जख्म हो गया हो अथवा चमड़ी छिल गई हो वहाँ खुली मिट्टी रखी ही नहीं जानी चाहिए। मिट्टीकी पट्टीसे जिन्हें लाभ न पहुँचे वे कोरी मिट्टीका प्रयोग कर देखें। फिलहाल तो मैं सामान्य रोगोंमें मिट्टीका ही प्रयोग करता हूँ और उसका परिणाम अच्छा ही निकलता है। यह इलाज इतना सहज, सस्ता और सादा है कि एक हृदयक सभी उसे आजमा सकते हैं। यह सही है कि खाली पेटपर ही मिट्टीकी पट्टी रखनेका प्रयोग किया जाता है। यह बात याद रखनी चाहिए कि मिट्टी हमेशा अच्छी जगहसे ही ली जाये। सिरके दर्द और बुखारमें बरफका उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थितिमें भी बरफकी अपेक्षा मिट्टी सामान्यतः अधिक लाभ पहुँचाती है।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, ८-१-१९२८

### ३३४. पत्र : कनिकाके राजाको

सत्याग्रह आश्रम

साबरमती

८ जनवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

मुझे इस बातका दुख है कि उत्कलके अपने हालके दौरेमें मैं आपके राज्यमें नहीं आ सका और स्वयं इस बातको नहीं देख सका कि रैयतपर अत्याचार किये जानेके जो आरोप मुझे बताये गये थे उनमें कुछ सचार्थ थी या नहीं। मेरे दौरेमें ये आरोप बहुतसे लोगो द्वारा जोरदार शब्दोंमें कई बार दोहराये गये। लेकिन एक बार फिर

१. देखिय आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान, खण्ड ११ तथा १२।

२. यहाँ नहीं दिया गया है। पत्रलेखकने अपना अनुभव लिखा था कि मिट्टीका प्रयोग अपेडि-साइटिस जैसे दर्दमें भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ है।

३. यहाँ नहीं दिया गया है।

आपके साथ सम्पर्क स्थापित करनेसे पहले मैंने उनके बारेमें कुछ नहीं कहा है। क्या आप इस बातको पसन्द करेंगे कि मैं एक प्रतिनिधि भेजूं जो मुझे आरोपोंके बारेमें सच्चाईका पता चला कर बताये ?

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

कनिकाके राजा

अंग्रेजी (एस० एन० १३०३५) की माइक्रोफिल्मसे।

### ३३५. पत्र : डब्ल्यू० एच० पिटको

[८ जनवरी, १९२८]

प्रिय श्री पिट,

कुछ हफ्ते पहले आपको एक पत्र<sup>१</sup> भेजा गया था जिसमें पूछा गया था कि तिरुवरण्पु और सुचिन्द्रसूके मामलेमें कुछ प्रगति हो रही है या नहीं। पता नहीं वह आपको मिला या नहीं। मुझसे बराबर पूछताछ की जा रही है।

मो० क० गांधी

पुलिस कमिश्नर

त्रिवेन्द्रम्

अंग्रेजी (एस० एन० १३०३५ ए०) की माइक्रोफिल्मसे।

### ३३६. सन्देश : जामिया मिलिया इस्लामियाको<sup>१</sup>

[९ जनवरी, १९२८ से पूर्व]

प्रिय प्रोफेसरो तथा लड़को,

ठककर साहब मुझसे कहते हैं कि इस अवसरपर, जबकि हकीम साहबकी मृत्युका संकट हमारे ऊपर आ पड़ा है, मैं आपको आशाका एक सन्देश भेजूं। मृतककी आत्मा सदा हमारे साथ रहे। हम जामियाको एकताका एक जीवन्त मन्दिर बनाकर उनकी स्मृतिको सदा ताजा रखें। आपको आशा नहीं छोड़नी चाहिए।

१. यह पत्र पिछले शीर्षकके पृष्ठ भागपर छिड़ा हुआ है, जिसकी तिथि ८-१-१९२८ है।

२. देखिए “पत्र : डब्ल्यू० एच० पिटको”, १४-१०-१९२७।

३. यह सन्देश जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्लीके, अध्यापकों और छात्रोंकी एक समामे पढ़कर सुनाया गया था जो हकीम अजमल खांकी मृत्युपर शोक प्रकट करनेके लिए आयोजित हुई थी।

जबतक प्रोफेसरान और लड़के जामियाके प्रति सच्चे हैं, वह मिट नहीं सकता। मेरी ओरसे आपको यह वचन है कि ईस्वरने चाहा तो वह मुझे जो भी शक्ति देगा उसका उपयोग मैं इस संस्थाको सुदृढ़ आर्थिक आधारपर खड़ा करनेमें लगा दूंगा।

सप्रेम,

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे फ्रॉनिकल, ९-१-१९२८

### ३३७. तार : मदनमोहन मालवीयको<sup>१</sup>

[९ जनवरी, १९२८ या उसके पश्चात्]

तिन्बिया साधन-सम्पन्न है। जामिया विकासशील संस्था है अतः आपसे सहायताका अनुरोध करता हूँ। एकताके संदर्भमें मेरी रायमें आप और अन्सारीको दिल्ली तथा अन्य स्थानोंकी यात्रा करके संयुक्त समाएँ करनी और प्रस्ताव पास करने चाहिए। इसी कामसे अन्य लोगोंको अन्यत्र भजा जा सकता है। आप बनारससे आरम्भ कर सकते हैं।

गांधी

मेजनेसे पहले मुझे साफ प्रति दिखाओ। यह तार जो गाड़ी अभी आनेवाली है उससे भेजा जाये। अगर ऐसा न हो पाये तो इसे सावरमती मेजना होगा<sup>१</sup>।

अंग्रेजी (एस० एन० १४९०५) की फोटो-नकलसे।

१. यह तार ९ जनवरीको प्राप्त पं० मदनमोहन मालवीयके इस तारके जवानमें भेजा गया था : “पत्रके लिये धन्यवाद। दिवलीके लाल सुल्तान सिंह कलकत्तामें मुझसे मिले। बताया कि जामिया मिलिया हिन्दुओसे अपील नहीं करेगा। तिन्बिया कालेज इस रायसे सहमत होगा, लेकिन आप जो-कुछ तय करेंगे मैं उसका समर्थन करूँगा। हिन्दू-मुस्लिम कार्यके सम्बन्धमें आप क्या कहते हैं? सहमत हूँ कि कार्यमें विछिन्न नहीं करना चाहिए।”

२. स्पष्टतः ये गांधीजी द्वारा अपने सचिवको दिये गये निर्देश थे।

## ३३८. पत्र : अब्बास तैयबजीको

सावरमती

१० जनवरी, १९२८

प्रिय भुर्र-र-र,

हाँ, हकीम साहबकी मृत्यु गम्भीर राष्ट्रीय क्षति है। हमें आशा करनी चाहिए कि राष्ट्र इससे लाभ उठायेगा।

बुधवार या बृहस्पतिवारको ३ से ५ बजेके बीच मेरे लिए बिलकुल ठीक रहेगा।  
सप्रेम,

भुर्र-र-र

अंग्रेजी (एस० एन० ९५६१) की फोटो-नकलसे।

## ३३९. पत्र : नाजुकलाल चोकसीको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

सोमवार [ १० जनवरी, १९२८ ]

माईश्री ५ नाजुकलाल,

तुमने मिट्टीका उपचार आरम्भ करके ठीक किया। मिट्टीको एक बार भिगोनेके बाद फिर दुबारा भिगोनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि वह सूख जाये और फिर जरूरत पड़े तो मिट्टीकी दूसरी रोटी जैसी बना लेनी चाहिए। यदि लगभग १ इंच मोटी रोटी बनाई जाये तो वह जल्दी नहीं सूखती। रातके समय पेडूपर रखी गई मिट्टी तो रात-भर गीली रहती है। दोपहरको माथेपर रखी हुई मिट्टीका सूखना सम्भव है। दिनमें पेडूपर मिट्टी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उस समय पाचन-क्रिया चलती रहती है। मेरा यह अनुभव 'सुगन्ध' अर्थात् साफ लाल मिट्टीके बारेमें ही है किन्तु यदि काली मिट्टीका ही प्रयोग करना पड़े तो वह अच्छी साफ मिट्टी होनी चाहिये।

रक्तचापके बारेमें दो बातोंकी सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी सामर्थ्यसे अधिक शारीरिक या मानसिक परिश्रम नहीं करना चाहिए; और दस्त तो साफ होना ही चाहिए। यदि प्रतिदिन दस्त न हो तो एनीमा या हलका विरेचन लेना चाहिए, कमी कांखना नहीं चाहिए। बहुत हलकी खुराक लेनी चाहिए। सिर्फ रक्तचापसे घबरानेकी जरूरत नहीं। किन्तु तुम्हें लकवा हो चुका है इसलिए सावधान रहनेकी जरूरत तो है ही। इसके

१. मूलके आधारपर; १० जनवरीको मंगलवार था।

अतिरिक्त तुम्हें इजेक्शनसे लाम हुआ है, अतः यदि डाक्टर फिरसे वह इजेक्शन लेनेकी सलाह दे तो वैद्यक ले लेना। सिर-दर्द मिट्टीसे अवश्य चला जाना चाहिए। इसके लिए भी पेट तो साफ होना ही चाहिए।

प्रबोध तो बहुत मजेदार वालक लगता है। उससे हमें जो आशाएँ हैं, भगवान उन्हें पूर्ण करे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० १२१४३) की फोटो-नकलसे।

### ३४०. पत्र : बी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको<sup>१</sup>

सावरमती

११ जनवरी, १९२८

प्रिय भाई,

आपका मधुर पत्र मिला। इसने मुझे तिरुपुरके उस हेडमास्टरकी याद दिला दी, जो आपका शिष्य रह चुका है। उसने मुझे बताया था कि आप संस्कृतके भी वैसे ही विद्वान हैं जैसे कि अग्नेजीके। मुझे यह पता नहीं था। मैंने वाल्मीकि [की रामायण]का अनुवाद ही पढा है और वह भी सरसरी तौरसे ही। मैं तो तुलसीदासकी दुहाई देता हूँ। लेकिन आप जो-कुछ कहते हैं उसे स्वीकार करते हुए भी मैं कहता हूँ कि रामकी इच्छाके विपरीत सीता बनको गई; और ऐसा करके उन्होंने सामान्यसे भी बढ़कर उत्कृष्ट आचरण किया। इसी प्रकार रामने दशरथके वचनका पालन करके अत्यन्त उत्कृष्ट कार्य किया। लेकिन मैं यह बहस व्यर्थ ही कर रहा हूँ, क्योंकि राम और सीता हमारी जिस श्रद्धाके पात्र हैं, उसे हम दोनों स्वीकार करते हैं।

मैं आपकी गतिविधियोंपर नजर रखे हुए हूँ और सर मुहम्मद हवीबुल्लाको<sup>१</sup> भेजे गये आपके पत्रोंकी प्रतियोंको बहुमूल्य मानता हूँ।

१. नीचे उस पत्रका उद्धरण दिया जा रहा है जो शास्त्रीने टी० एन० जगदीशन्को १९४० में लिखा था: “रामायण के प्रथमर्ष गांधीका मुझे लिखा गया पत्र वास्तवमें उनकी सर्वोपम शैलीमें है। मैं उस समय दक्षिण आफ्रिकामें था। नावणकोर राज्यमें महिलाओंकी एक समामें बोलते हुए उन्होंने बताया था कि सीताने वनमें रामका अनुगमन करके अपने पतिकी अवस्था की थी, और यह भी कहा था कि पर्याप्त कारण होनेपर पतिकी अवहेलना की जा सकती है। वाल्मीकिको समझनेकी इस स्पष्ट मूल्यर आपसि करते हुए मैंने लिखा। . . .”

२. बाइसरायकी कार्यकारिणी परिषदके सदस्य; नवम्बर, १९२६ में दक्षिण आफ्रिका जानेवाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डलके नेता; देखिए खण्ड ३३।



अगर आपको अपने नेक कामको सुदृढ़ आधार प्रदान करना है तो आपको वहाँ अपने ठहरनेकी अवधि बढ़ानी होगी। कृपया ऐसा ही करें।  
सप्रेम,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री

### ३४१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सत्याग्रह आश्रम

साबरमती

११ जनवरी, १९२८

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र मिला।

मुझे आशा है कि चाँद<sup>१</sup> अब खतरेसे बाहर है।

मेरा मुद्दा<sup>२</sup> यह नहीं है कि तुमने अपने प्रस्तावोंपर, खास तौरपर स्वतन्त्रता-प्रस्तावपर पूरी तरह विचार नहीं किया था। मेरा मुद्दा यह है कि तुमने या अन्य किसीने सारी स्थितिपर विचार नहीं किया था और न उसके सम्बन्धमें प्रस्तावोंके अर्थ और औचित्यपर ही विचार किया था। अच्छेसे-अच्छे प्रस्ताव भी अप्रासंगिक या बेतुके हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेसके वारेमें तुम्हें मेरे लेखोंको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। स्वतन्त्रताके वारेमें विशेष लेख कल प्रकाशित हो जायेगा।

एकता सम्बन्धी प्रस्तावपर काफी मेहनत करनेकी जरूरत है।

तुम जब भी यहाँ आ सको, अवश्य आओ, और जब आओ तो अपना काम साथ लेते आओ, और फुरतसे कुछ दिन रहो।

यह पत्र जल्दीमें बेसिलसिले लिखा गया है, लेकिन इससे ज्यादा विस्तारसे इस समय नहीं लिख सकता।

तुम्हारा,

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९२८।

सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. विजयलक्ष्मी पंडितकी पुत्री चन्द्रलेखा।

२. देखिए “पत्र : जवाहरलाल नेहरूको”, ४-१-१९२८।

## ३४२. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

११ जनवरी, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र मिला। अगर मौलाना आपको और भविक ग्राहक दिला सकें तो यह काफी होगा।

सप्रेम,

बापू

श्रीयुक्त सतीश बाबू

खादी प्रतिष्ठान

कलकत्ता

अंग्रेजी (जी० एन० १५८१) की फोटो-नकलसे।

## ३४३. भाषण : प्रार्थना सभा, साबरमतीमें<sup>१</sup>

[१२ जनवरी, १९२८ से पूर्व]

आज मुझे आपके सामने एक भूलका दृष्टान्त देना है जिसमें हममें से तीन व्यक्ति वरावरके भागीदार हैं। या शायद मेरा भाग सबसे ज्यादा है, क्योंकि आश्रमके प्रधानके नाते मुझसे आपमें से किसी भी अन्य व्यक्तिकी अपेक्षा ज्यादा सतर्क रहनेकी अपेक्षाकी जाती है।

हममें से बहुत लोग कल्पना भी नहीं कर सके कि यह [भूल] क्या होगी। लेकिन उन्होंने उसे बड़े सजीव ढंगसे, और जैसा कि अपनी गलतियोंकी बतानेका उनका तरीका है, बड़ी ही तफसीलके साथ बताया। जिन लोगोंने आश्रममें गांधीजीका कमरा देखा है उन्हें याद होगा कि नबीकी तरफवाली दीवार और छतके बीचमें एक जालीदार गवाक्ष है। इसका उद्देश्य तो कमरेको हवादार रखना है, लेकिन इससे सूरजकी किरणें भी सीधी गांधीजीके झुंहर पर पड़ती हैं। अतः उन्होंने हममें से एकसे वहाँ कोई चीज आड़की तरह लगानेको कहा, इन मित्रने एक दूसरे व्यक्तिके कहा, और वह तुरन्त लकड़ीकी तस्ती लिए एक बड़ईको बुला लाये। स्वभावतः उसने सोचा कि आड़की अपेक्षा एक झिलमिली ज्यादा अच्छी रहेगी, और पूछा कि क्या गांधीजी उसे पसन्द

१. महादेव देसाई लिखित "द वीक" (यह सप्ताह) देखते, जिसमें यह भाषण "द पुअर इन स्पिरिट" (भावनासे गरीब) शीर्षकके अन्तर्गत दिया गया है।

करेंगे। गांधीजी सहमत हो गये, लेकिन बड़ईके काम शुरू करनेके कुछ देर बाद ही उन्हें लगा कि उन्होंने ठीक काम नहीं किया है।

अब हम लोगोंको, जिन्होंने गरीबीका व्रत लिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पहले ही सूझ जाना चाहिए था कि दफतीका या कपड़ेका एक टुकड़ा भी बही काम कर सकता था जो यह झिलमिली करेगी, जिसके ऊपर दो-एक रुपये खर्च आयेंगे और बड़ईका तीन घंटेका समय लगेगा। दफती या कपड़ेके टुकड़ेपर कुछ खर्च नहीं होता, और दो कीलोकी सहायतासे उसे कोई भी वहाँ जड़ दे सकता था। ऐसी ही मामूली छोटी-छोटी चीजोंमें हमारे सिद्धान्तोंकी परीक्षा होती है। स्वर्गका साम्राज्य उनके लिए है जो भावनासे गरीब है। इसलिए हमें हर कदमपर अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओंको गरीबोंकी तरह कम करना तथा सचमुच भावनासे गरीब होना सीखना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-१-१९२८

### ३४४. भाषण : विनयशीलतापर<sup>१</sup>

साबरमती

[१२ जनवरी, १९२८ से पूर्व]

मुझे गीतके ठीक शब्द इस समय याद नहीं हैं, लेकिन गीतके सार-तत्वको कोई नहीं भूल सकता। न केवल इस गानेका संगीत ही बल्कि इसका जो भाव है वह आज सारा दिन मेरे मनमें घूमता रहा है। आप प्रार्थनामें संगीत सुनने अथवा किसी आदमीकी आवाजकी सराहना करनेके लिए नहीं आते, बल्कि आप जो कुछ सुनते हैं, उसमें से कुछ ऐसी चीज अपने साथ ले जानेके लिए आते हैं जो सारा दिन आपके सभी कार्योंमें आपका मार्ग-दर्शन करे, अनुप्रेरित करे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी सभी प्रार्थनाएँ मजीरा और झाँझ बजाने-जैसी हो जायेंगी। आजका गीत कितना उत्कृष्ट था! कबीरने बोलचालकी प्रभावशाली भाषामें विनयशीलोंकी प्रिय वस्तुओंका वर्णन किया है। आत्म-प्रशंसा करनेवाला व्यक्ति नहीं, अपनेको विनयशील बनानेवाला व्यक्ति ही ईश्वरके दर्शन कर पायेगा, ऐसा कबीर कहते हैं। हमें चीटीके समान विनयी बनना है, हाथीके समान दण्डयुक्त नहीं।

[अंग्रेजीसे,]

यंग इंडिया १२-१-१९२८

१. यह महादेव देसाई द्वारा दिये गये प्रार्थना-सभाके विवरणमें से लिया गया है।

## ३४५. भाषण : क्षमाशीलतापर'

सावरमती

[ १२ जनवरी, १९२८ से पूर्व ]

निष्क्रिय विरोधकी यह चर्चा हमारे राष्ट्रीय जीवनके लिए घातक रही है। क्षमाशीलता आत्माका एक गुण है, इसलिए वह एक सकारात्मक गुण है। यह नकारात्मक नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं, "क्रोधको अक्रोधसे जीतो।" लेकिन यह अक्रोध क्या है? यह एक सकारात्मक गुण है और इसके अर्थ हैं उदारता अथवा प्रेमका सर्वोच्च गुण। आपमें इस सर्वोच्च गुणका विकास होना चाहिए और उसकी अभिव्यक्ति इस तरह होनी चाहिए कि आप क्रुद्ध व्यक्तिके पास जायें, उससे उसके क्रोधका कारण जानें, यदि आपने उसको बुरा लगनेवाला कोई काम किया है तो अपनी मूल सुधारिये और इसके बाद उससे उसकी गलतीका अहसास कराइए और उसको कायल कीजिए कि उत्तेजित हो उठना गलत चीज है। आत्माके इस गुणकी प्रतीति और उसका सोच-विचारकर किया गया उपयोग न केवल मनुष्यको बल्कि उसके चारों ओरके वातावरणको भी ऊँचा उठाता है। यह अवश्य है कि जिस व्यक्तिके प्रेम है वही इसका प्रयोग करेगा। इस प्रेमको अनवरत प्रयत्न द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया १२-१-१९२८

१. इसे महादेव देसाईके "द वीर" (यह सप्ताह) लेखते लिया गया है जिसमें इस भाषणको "द पसेंस ऑफ फरगिनेस" (क्षमाशीलताका सार) शीर्षकके अन्तर्गत दिया गया था। विवरणमें इससे पहले यह अनुच्छेद दिया गया है: "खादी सेवाका एक उम्मीदवार एक दिन अपनी ही तकलीफ लेकर आया था। उसने कहा कि उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और वह उपवास करके अपनेको शुद्ध करना चाहता है। इसपर गांधीजीने कहा, 'मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि उपवास हमेशा हर पापका प्रायश्चित्त नहीं होता। पापसे बचनेका एकमात्र तरीका है ईश्वरके सामने विनम्रपूर्वक आत्मसमर्पण, और इस आत्मसमर्पणमें मदद करनेके लिए किये जानेवाले उपवासके बलावा सभी उपवास व्यर्थ हैं। मैं एक ज्यादा अच्छा उपाय बताता हूँ। जिस आदमीसे गुस्सा हुए हो, उसके पास जाओ, उससे क्षमा माँगो, उससे प्रायश्चित्तका तरीका बतानेको कहो, और उसे करो। यह उपवाससे ज्यादा अच्छा प्रायश्चित्त होगा।' वह मंत्र गया और वैसा ही किया। लेकिन जिस व्यक्तिके साथ ज्यादाती झड़ है वह इस मामलेमें क्या करे? बस क्षमा कर दे? हमें बताया गया है कि क्षमा वीरोंका गुण है, लेकिन यह क्षमा है क्या? निष्क्रिय रख दे चुपचाप चोट सह लेना? बुराईका प्रतिरोध न करनेका क्या यही अर्थ है? एक शाम बातचीतका यही विषय था जिसका संक्षिप्त सार दे रहा हूँ:"

## ३४६. स्वतन्त्रता बनाम स्वराज्य

कहा जाता है कि "स्वतन्त्रता" का प्रस्ताव लॉर्डे बर्कनहेडका माकूल जवाब है। अगर यह बात संजीदगीसे कही गई है, तो यह स्पष्ट है कि हमें इसका कोई अनुमान तक नहीं कि शाही आयोग नियुक्त करने और उसकी नियुक्तिकी घोषणासे उत्पन्न परिस्थितिका ठीक-ठीक क्या उपयुक्त उत्तर हो सकता है। इस नियुक्तिके जवाबमें यह जरूरी नहीं कि बड़े जोशीले भाषण दिये जायें। बड़ी-बड़ी बातें बनानेसे भी कुछ होना-जाना नहीं है; इसके लिए तो कुछ वैसा ही माकूल और मरपूर काम कर दिखाना होगा जो ब्रिटिश मन्त्री, उनके साथी और पिछलगुओंकी करनीके लायक हो। फ्रँज कीजिए कि अगर कांग्रेस किसी किस्मका कोई प्रस्ताव पास न करती, मगर अपने पासके सारेके-सारे विदेशी कपड़ोंकी होली जला डालती और सारे राष्ट्रसे ऐसा ही करनेको कहती तो कुछ हदतक यह ठीक जवाब कहा जा सकता था, पर वह भी उस नियुक्तिके अपमानका मरपूर जवाब तो नहीं ही होता। अगर कांग्रेस हरएक सरकारी कर्मचारीसे हड़ताल करा देती — ऊँचेसे-ऊँचे न्यायाधीशोंसे लेकर नीचे मामूली चपरासी या सिपाही और फौजी सेनातक से उनका काम बन्द करा देती — तो वह यथेष्ट समुचित उत्तर होता। इतना तो इससे जरूर ही होता कि जिस वेफिक्री और लापरवाहीसे आजकल ब्रिटिश मन्त्रिगण और दूसरे अधिकारी हमारे गर्जन-तर्जनको सुन रहे हैं, उनका वैसा अविचलित भाव न बना रह पाता।

कहा जा सकता है कि यह परामर्श है तो सर्वथा दोषरहित, मगर मुझे इतना समझना चाहिए कि इसे अमलमें किसी तरह नहीं लाया जा सकता। मैं ऐसा नहीं मानता। आज कितने ही भारतीय हैं जो इस समय चुप तो हैं पर अपने-अपने ढंगसे उस शुभ दिनकी तैयारी कर रहे हैं जब कि हमें गुलाम बनाये रखनेवाली इस सरकारको चलानेवाला हर हिन्दुस्तानी इस अराष्ट्रीय नौकरीको लात मार देगा। कहा जाता है कि जब कुछ कर दिखानेकी ताकत न हो तो जवानपर ताला लगाये रखनेमें ही साहसशीलता है; अकलमन्दी तो जरूर ही है। बिना कुछ किये महज बहादुरी भरे भाषण झाड़ना शक्तिका अपव्यय ही होगा। फिर सन् १९२० में जब देशमन्तोंने भाषणके बदले जेलखाने भरना सीख लिया, तबसे जोशीले भाषणोंकी तड़क-भड़क जाती रही। बाणी तो उनके लिए जरूरी है जिनकी जवानको काठ मार गया हो। गर्जन-तर्जन करनेवालोंके लिए तो संयम ही चाहिए। अंग्रेज शासक हमारे भाषणोंपर हमारा मखौल बनाते हैं, और उनके कामोंसे अकसर प्रकट होता है कि वे हमारे भाषणोंकी रत्ती-भर भी परवाह नहीं करते और इस प्रकार बिना कुछ कहे ही वे कहीं अधिक प्रभावशाली ढंगसे हमें ताना देते हैं: "हिम्मत हो तो कुछ करो।" जबतक हम इस चुनौतीका जवाब नहीं दे सकते, मेरी सम्मतिमें, हमारी घमकानेवाली एक-एक बात, एक-एक इशारा हमारी ही अपनी जिल्लत है, अपनी नामर्दीका आप

डंका पीटना है। मैंने देखा है कि जंजीरोमें कसे हुए कैदी जेलरोंको गालियाँ देते हैं, और कोसते हैं जिससे जेलरोंका महज मनबहुलाव ही होता है।

और फिर, क्या किसी अंग्रेज द्वारा की गई किसी ज्यादतीका बदला लेनेके लिए ही हमने स्वतन्त्रताको एकाएक अपना लक्ष्य बना लिया है? क्या कोई किसीको खुश करनेके लिए या उसकी करतूतोंका विरोध करनेके लिए ही अपना ध्येय निश्चित करता है? मेरा कहना है कि ध्येय तो एक ऐसी चीज है जिसकी घोषणा की जानी चाहिए और जिसकी प्राप्तिके लिए काम करते ही जाना चाहिए, बिना इसका खयाल किये कि दूसरे क्या कहते हैं या क्या घमकी देते हैं।

इसलिए हम यह भी समझ लें कि स्वतंत्रतासे हमारा क्या अभिप्राय है। इंग्लैंड, रूस, स्पेन, इटली, तुर्की, चिली, भूटान — सभीको स्वतन्त्रता प्राप्त है। हम इनमें से किसके जैसी स्वतन्त्रता चाहते हैं? यहाँ यह न कहा जाये कि मैं वही बात सिद्ध मान रहा हूँ जिसे सिद्ध करना है। क्योंकि अगर यह कहा जाये कि हमें भारतीय ढंगकी स्वतन्त्रताकी चाह है तो यह दिखलाया जा सकता है कि कोई दो भारतीय इस भारतीय ढंगकी स्वतन्त्रताकी एक तरहकी परिभाषा नहीं बतलायेंगे। बात दरबसल यह है कि हम अपना परम ध्येय जानते ही नहीं। और उस ध्येयका रूप हमारी परिभाषाओंसे नहीं, बल्कि स्वेच्छा या अनिच्छापूर्वक किये गये हमारे कामोंसे ही निश्चित होगा। अगर हममें अक्ल है तो हम वर्तमानको संभाल लेंगे, भविष्य अपनी फिक्र आप कर लेगा। परमात्माने हमारे कार्यक्षेत्र और हमारी दृष्टिकी मर्यादा बाँध दी है। इसलिए अगर हम आजका काम आज ही खतम कर लें तो यही बहुत होगा।

मेरा यह भी दावा है कि स्वराज्यके ध्येयसे सबको सर्वदा पूरा सन्तोष मिल सकता है। हम अंग्रेजी पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी अनजानेमें यह मान लेनेकी मर्याद कर भूल अकसर किया करते हैं कि अंग्रेजी बोलनेवाले मुट्ठी-भर आदमी ही समूचा हिन्दुस्तान है। मैं हर किसीको चुनौती देता हूँ कि "इडिपेंडेंस"के लिए वे एक ऐसा सर्वसामान्य भारतीय शब्द बतलायें जो जनता भी समझती हो। आखिर हमें अपने ध्येयके लिए कोई ऐसा स्वदेशी शब्द तो चाहिए जिसे तीस करोड़ लोग समझते हों। और ऐसा एक शब्द है — स्वराज्य, जिसका राष्ट्रके नामपर पहले-पहल प्रयोग श्री दादाभाई नौरोजीने<sup>१</sup> किया था। यह शब्द स्वतन्त्रतासे काफी कुछ अधिकका छोटक है। यह एक जीवन्त शब्द है। हजारों भारतीयोंके आत्म-न्यायसे यह शब्द पवित्र बन गया है। यह एक ऐसा शब्द है जो अगर दूर-दूरतक, हिन्दुस्तानके कोने-कोनेमें प्रचलित नहीं हो चुका है तो कमसे-कम इसी प्रकारके सभी दूसरे शब्दोंसे अधिक प्रचलित तो जरूर है। इसे हटाकर, बदलेमें कोई ऐसा विदेशी शब्द प्रचलित करना जिसके अर्थके बारेमें हमें शंका है, एक प्रकारका अनाचार होगा। यह स्वतन्त्रताका प्रस्ताव ही शायद इस बातका सबसे बड़ा और अन्तिम कारण बन गया है कि हम कांग्रेस की कार्रवाई हिन्दुस्तानी और सिर्फ हिन्दुस्तानीमें ही चलायें। यदि सारी कार्रवाई

१. दादाभाई नौरोजीने १९०६ की कलकत्ता कांग्रेसके अपने अध्यक्षीय भाषणमें 'स्वराज्य' शब्दका प्रयोग 'स्वशासन'के अर्थमें किया था।

हिन्दुस्तानीमें चलती तो फिर इस प्रस्तावके साथ जैसी बुरी बीती है, उसकी कोई गुंजाइश ही न रह जाती। तब तो सबसे अधिक जोशीले मापण देनेवाले भी स्वराज्य शब्दके भारतीय अर्थको ही सजाने-सँवारनेमें और उनसे जैसी भी बन पड़ती इसकी शानदार या घटिया परिभाषा करनेमें ही अपनी सार्थकता मानते। क्या इससे ये "इंडिपेन्डेन्ट" लोग कुछ सवक सीखेंगे और जिसको वे आजाद कराना चाहते हैं उस जनतामें काम करनेका निश्चय करेंगे और जन-समाजोंमें, जैसे कि कांग्रेस वगैरानी समाजोंमें अंग्रेजी वोल्ता विलकुल छोड़ देंगे ?

खुद तो मुझे उस स्वतन्त्रताकी कोई चाह नहीं, जिसे मैं समझता ही नहीं। मगर हाँ, मैं अंग्रेजोंके जुएसे छूटना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। इसके बदलेमें मुझे अव्यवस्था भी मंजूर है। क्योंकि अंग्रेजोंकी शान्ति तो श्मशानकी शान्ति है। एक सारे राष्ट्रके लिए जीवित होकर भी मुझे समान जिन्दा रहनेकी इस स्थितिसे तो कोई भी दूसरी स्थिति अच्छी रहेगी। शैतानके इस घासनने इस सुन्दर देशका आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक, सभी दृष्टियोंसे प्रायः सत्यानाश ही कर दिया है। मैं रोज देखता हूँ कि इसकी कचहरियाँ न्यायके बदले अन्याय करती हैं, और सत्यके गलेपर छुरी फेरती हैं। मैं भयाक्रांत उड़ीसाको अभी देखकर आ रहा हूँ। यह सरकार अपना पापपूर्ण अस्तित्व बनाये रखनेके लिए मेरे ही देश-वन्धुओंको इस्तेमाल कर रही है। मेरे पास कई शपथ पत्र अभी रखे हुए हैं कि खुर्दा जिलेमें प्रायः तलवारकी नोकके बलपर लोगोंसे लगान-वृद्धिकी स्वीकृतिके कागजोंपर दस्तखत कराये जा रहे हैं। इस सरकारकी बेमिसाल फिजूलखर्ची हमारे राज्यों-महाराज्योंका सिर फेर दिया है जो इसकी बन्दरके समान नकल उतारनेमें नतीजोंकी ओरसे लापरवाह हो कर अपनी प्रजाको धूलमें मिला रहे हैं। यह सरकार अपना अनैतिक व्यापार कायम रखनेके लिए नीचसे-नीच काम करनेसे वाज आनेवाली नहीं है। ३० करोड़ आदमियोंको एक लाख आदमियोंके पैरों तले दबाये रखनेके लिए, यह सरकार इतने बड़े सैनिक-खर्चका भार लादे हुए है जिसके कारण आज करोड़ों आदमी आवेपेट रहते हैं, बराबने हजारोंके मुँह अपवित्र हो रहे हैं।

मगर मेरा धर्म तो हर हालतमें अहिंसापूर्ण आचरण करना है। मेरा तरीका तो बलप्रयोगका नहीं, मत-परिवर्तनका है। यह तो है स्वयं कष्ट सहन करनेका, न कि अत्याचारीको कष्ट देनेका। मैं जानता हूँ कि साराका-सारा देश इसे सिद्धान्तके रूपमें स्वीकार किये बिना, इसकी गहराईको समझे बिना भी इसे अपना सकता है। सामान्यतया लोग अपने हर कामके दार्शनिक पक्षको नहीं समझते। मेरी महत्वाकांक्षा तो स्वतन्त्रतासे कहीं ऊँची है। भारतवर्षके उद्धारके जरिये ही मैं पश्चिमके उत्पीड़नमे पीड़ित संसारके सभी निर्दल देशोंका उद्धार करना चाहता हूँ। इस उत्पीड़नमें इंग्लैंड सबसे आगे है। हिन्दुस्तान जिस तरह अंग्रेजोंका मत-परिवर्तन कर सकता है, अगर वह करे तो एक विश्वव्यापी राष्ट्र-मण्डलका स्वयं एक मुख्य भागीदार हो सकता है जिसमें इंग्लैंड अगर चाहे तो हिस्सेदार होनेका आदर पा सकेगा। काब हिन्दुस्तान इस बातको समझ ले कि विश्वव्यापी राष्ट्र-मण्डलका एक मुख्य सदस्य बननेका उसे हक

है, इसलिए कि उसकी जन-संख्या अत्यन्त विशाल, उसकी भौगोलिक परिस्थिति इसके उपयुक्त और युग-युगकी विरासतमें मिली उसकी सस्कृति अत्यन्त उच्च है। मैं जानता हूँ मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। स्वयं हीनावस्थामें पड़े भारतवर्षके लिए यह आशा करना कि वह संसारको हिला देगा, निर्बल जातियोकी रक्षा करेगा, घृष्टतापूर्ण लग सकता है। मगर स्वतन्त्रताकी इस पुकारके प्रति अपने घोर विरोधको स्पष्ट करते हुए मुझे अपना आदर्श आपके सामने अब रखना ही पड़ेगा। मेरी यह महत्वाकांक्षा ऐसी है जिसे पूरी करनेके लिए जीना और प्राणोकी बलि देना भी उचित होगा। मैं नतीजो-के डरसे कभी सर्वोत्तमसे जरा भी निचले स्तरकी किसी स्थितिको स्वीकार नहीं कर सकता। मैं स्वतन्त्रताको अपना ध्येय बनानेका विरोध इसलिए ही नहीं कर रहा हूँ कि समय इसके अनुकूल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष पूरी गरिमाके साथ अपने पैरोपर खड़ा हो, और उस स्थितिका निरूपण 'स्वराज्य' शब्दमे अधिक अच्छी तरह अन्य किसी भी एक शब्दसे नहीं हो सकता। 'स्वराज्य' में कैसा और कितना सार-तत्व होगा यह इस बातसे निर्धारित होगा कि राष्ट्र किसी अवसर विशेषपर कितना क्या कर पाता है। भारतके अपने पैरों खड़े होनेका अर्थ होगा कि प्रत्येक राष्ट्र अपने पैरो खड़ा होने लगेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-१-१९२८

### ३४७. अवैध स्वतन्त्रता लेना

एक सिन्धी मित्र लिखते हैं :

मैं इसके साथ कराचीके 'सिन्ध ऑब्जर्वर' की एक कतरन भेज रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि अन्य लोगोंके साथ आपके नामका भी इस विज्ञापनकी उन दवाओंके समर्थकोंके रूपमें उपयोग किया गया है जिन्हें लोकप्रिय बनाने और बेचनेके लिए इसे प्रकाशित किया गया है।

मुझे विश्वास नहीं होता कि सम्बन्धित फार्मसीकी इन दवाओं, मिडस्चरों, गोलियों और मरहमोंकी सराहनामें आपने कुछ कहा या लिखा होगा।

मैं आशा करता हूँ कि 'यंग इंडिया' में आप इस विषयमें लिखेंगे।

मैंने भी यह विज्ञापन देखा है। यह मेरे नामका, और मुझे सन्देह नहीं है कि अन्य नेताओंके नामका भी गैरकानूनी इस्तेमाल है। अपनी वेहूदा चीजोंके लिए वाजार तैयार करनेके लिए ये फार्मसियाँ जो छूट लेती हैं वह विचित्र हैं। मेरी रायमें बिना अनुमति लिए किसी व्यक्तिके नामका इस्तेमाल करना गैरकानूनी हरकत है जो कानून-के अनुसार दण्डनीय है। चूँकि एक असहयोगीके नाते मैं कानूनका संरक्षण नहीं ले सकता, इसलिए मुझे इतनेसे ही सन्तोष करना पड़ेगा कि किसी भी दवाके विषयमें मेरे नामके उपयोगसे जनता धोखेमें न पड़े। सामान्य रूपसे दवाओंमें मेरा अविश्वास पहले



जैसा ही दूढ़ है, वावजूद इसके कि मैंने हालमें एक या दो अहानिकर और जानी-मानी दस्तकी दवाएँ और कुनैन ली हैं। इस देशमें फार्मसियोंकी संख्या बढ़ते देखनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि लोग दवाओंकी दासतासे मुक्त हो जायें।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १२-१-१९२८

### ३४८. मद्रासकी खादी-प्रदर्शनी

कांग्रेस अधिवेशनके दौरान श्री पोलक मद्रासमें थे, इसलिए मैंने उन्हें खादी-प्रदर्शनी देखने और देखकर उसके बारेमें अपने विचार व्यक्त करनेके लिए निमन्त्रित किया था। अब उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा है जिसमें से मैं निम्नलिखित उद्धरण यहाँ देता हूँ :<sup>१</sup>

हालाँकि यह आलोचना सुविचारित नहीं है, तथापि वह भावी प्रदर्शनियोंके संगठनकर्ताओंके लिए उपयोगी होगी। मैं इस रायसे सहमत नहीं हूँ कि शिक्षित भारतीय खादीको तबतक नहीं अपनायेंगे जबतक कि मूल्य, किस्म, मजबूती आदिके लिहाजसे उन्हें ऐसी खादी नहीं मिलेगी जो मिलके बने कपड़ेका मुकाबला न कर सके। यह सच है कि वे अपनी कलात्मक रुचिको सन्तुष्ट करनेके लिए यह निश्चित स्तर तो चाहते हैं, लेकिन वे खुशीके साथ अतिरिक्त मूल्य दे रहे हैं और किस्मके लिहाजसे मिलके कपड़ेके साथ खादीकी बराबरीपर उनका निश्चय ही आग्रह नहीं है।

शिक्षित और पैसेवाले वर्गके लोगोंके खादी खरीदनेके पीछे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जानते हैं कि खादी देशके गरीबसे-गरीब आदमीको सहारा देती है जो अन्यथा इस सहारेसे वंचित हो जायेंगे। लेकिन निश्चय ही यह कोई कारण नहीं है कि किस्मको सुधारनेकी कोशिशमें खादी उत्पादक ढील डालें। सच तो यह है कि इस दिशामें हुई प्रगति बहुत ही उत्साहवर्धक है। कार्यकर्ताओंको तबतक सन्तोष नहीं होगा जबतक खादी वैसी ही अच्छी नहीं बनने लगती जैसी कि उस समय बनती थी जब मशीनका बना कपड़ा होता ही नहीं था, और जिस खादीकी बराबरी आजतक कोई मशीन नहीं कर सकी है।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १२-१-१९२८

१. यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें एच० एस० एल० पोलकने गन्दी जगह और बुरी व्यवस्थाके लिए प्रदर्शनीकी आलोचना की थी।

### ३४९. मुकुन्दनका प्रायश्चित्त

श्रीयुत चक्रवर्ती राजगोपालाचारीकी एक यह भी महत्वाकांक्षा जान पड़ती है कि वे 'यंग इंडिया' के लिए हृदयद्रावक कहानियाँ लिखें। उनकी अन्य कहानियोंकी भाँति इस कहानीके पीछे भी एक नैतिक पाठ है। यह एक 'अस्पृश्य' की कहानी है। काश इससे किसी 'स्पृश्य' का पत्थर-सा कलेजा पिघल जाये !

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १२-१-१९२८

### ३५०. मैसूर सरकारका खादी-केन्द्र

मैसूर सरकारने खादी-उत्पादनमें एक प्रयोग हाथमें लिया है, और कार्यकर्ताओं तथा कार्य-योजनाके बारेमें अखिल भारतीय चरखा संघकी सहायताका लाभ उठाकर उसने बदनवाल नामक एक केन्द्रपर पूरी लगनके साथ काम शुरू कर दिया है। श्रीयुत राजगोपालाचारीको वहाँके एक कार्यकर्ताका एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें से कार्यकी प्रगतिका निम्नलिखित दिलचस्प विवरण यहाँ दिया जा रहा है।<sup>१</sup> इससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रोंमें, जहाँ एक पूरक धन्वेकी आवश्यकता तीव्रतासे अनुभव की जाती है, यदि सही तरीकेपर काम शुरू किया जाये तो खादी कितनी सरलतासे फैलती है।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १२-१-१९२८

### ३५१. पत्र : मणिलाल व सुशीला गांधीको

[ १५ जनवरी, १९२८ से पूर्व ]<sup>१</sup>

वि० मणिलाल व सुशीला,

मुम्हारे पत्र मिले।

आज अकोलासे जो पत्र मिला है उससे ज्ञात हुआ कि सुशीलाको असमय-गर्म-खाव हो गया है। मणिलालने इस बातकी सूचना न तो मुझे दी और न बा को। मुझे ऐसी बातके बारेमें लिखनेमें किसी तरहकी शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए।

१. यहाँ कहानी नहीं दी गई है।

२. यहाँ नहीं दिशा गया है।

३. ऐसा लगता है कि यह पत्र आश्रममें होनेवाले अन्तर्राष्ट्रीय संघके अधिवेशनसे पहले लिखा गया होगा; देखिये अगला शीर्षक।

इस सम्बन्धमें मेरे विचारोंके कारण मुझसे ऐसी बातें छिपानेमें कोई लाम नहीं है। जब मुझे प्रकारान्तरसे ऐसी बातोंका पता चलता है तो उससे मुझे दुःख होता है। मेरे जैसे विचार रखनेवाले लोग भी विषयभोगको आसानीसे नहीं छोड़ पाते। यदि छोड़ पायें तो फिर विवाह ही क्यों हो? विवाहका मूल भोगेच्छा है; किन्तु ऋषियोंने उसे संयमका साधन बनानेका प्रयत्न किया। या यों कहा जा सकता है कि अमर्यादित सम्बन्धको विवाहके द्वारा मर्यादामें बाँध दिया है। किन्तु सदा भोगके प्रति मनुष्यका झुकाव होनेके कारण उसने विवाहको भी भोगका एक नया साधन बना लिया। किन्तु तुम्हारे जैसे दम्पतिसे मैं इसके सिवा कोई अन्य आशा रख ही नहीं सकता कि तुम सदा सावधान रहोगे और संयमसे रहनेका प्रयत्न करोगे। इससे तुम्हें विवाहके परिणामको मुझसे छिपानेकी जरूरत ही नहीं होगी।

आशा है अब सुशीला अच्छी होगी। गर्भस्रावके बाद यदि सही ढंगसे इलाज कराया जाए तो उसके बुरे परिणामसे काफी हदतक बचा जा सकता है। तुम्हें इतना अवश्य जान लेना चाहिए कि इसका समुचित उपचार कूने-स्नान है। यह स्नान लेनेसे गर्भस्रावकी बीमारी ठीक हो जाती है तथा भविष्यमें प्रसव-कालमें होनेवाला कष्ट भी हलका पड़ जाता है। सादी खुराक, नियमित निद्रा तथा उत्तेजित करनेवाली चीजोंसे दूर रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कूने तथा जुस्टकी पुस्तकें पढ़ जाओ। डॉ० जॉन निकलसनकी पुस्तक भी पढ़ने लायक है।

लोग आश्रममें आने लगे हैं और दो दिनमें तो वह पूरा भर जाएगा। लगभग ३० व्यक्ति आनेवाले हैं। उनमें १२-१५ पश्चिमी देशोंके लोग भी हैं। रामदास आज पहुँच गया। रामी और मनु कल आ गए थे। देवदास अभी बम्बईमें ही है और वहाँ अपनी हड्डीका इलाज करा रहा है।

मैं नहीं कह सकता कि 'गीताजी'के अध्याय तुम्हें क्यों नहीं मिले। मैंने तो अनुवाद पूरा कर दिया है। मैं महादेवसे कहूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७२८) की फोटो-नकलसे।

## ३५२. बन्धुत्व विषयक चर्चा'

[ १५ जनवरी, १९२८ से पूर्व ]

बन्धुत्वकी भावना तभी पूर्णता प्राप्त कर सकती है जब उसके प्रत्येक सदस्यका आचरण धार्मिक और आत्मत्याग पूर्ण हो। इस निष्कर्षपर मैं बहुत दिनों पहले ही, बहुत विचार, मनन और जितने लोगोंसे मिला सबके साथ बातें करके पहुँच गया था कि सभी धर्म सच्चे हैं, और साथ ही, सभीमें कुछ-न-कुछ दोष या त्रुटियाँ भी जरूर हैं, और अपने धर्मपर दृढ़ रहते हुए मुझे दूसरे धर्मोंको भी हिन्दू धर्म जैसा ही प्रिय मानना चाहिए। इससे यह बात तुरन्त ही निकलती है कि मुझे हर आदमीको अपने निकटसे-निकट सगे और प्रिय सम्बन्धीके समान प्यार करना चाहिए। आदमी आदमीमें बड़े-छोटे, ऊँचे-नीचेका अन्तर नहीं रखना चाहिए। अगर हम हिन्दू हैं तो हमें यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि कोई ईसाई हिन्दू हो जाये, और मुसलमान है तो हमें यह दुआ नहीं माँगनी चाहिए कि हिन्दू या ईसाई लोग मुसलमान बन जायें। हमें तो एकान्तमें भी यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि किसीका धर्म-परिवर्तन हो; वल्कि हमारी आन्तरिक प्रार्थना तो यह होनी चाहिए कि जो हिन्दू है वह और अच्छा और सच्चा हिन्दू बने, जो मुसलमान है वह और अच्छा मुसलमान बने, और जो ईसाई है वह और सच्चा ईसाई बने। बन्धुत्वका यही मूल मन्त्र है। श्री एन्ड्र्यूजने ईसाको सूलीपर होनेवाली यंत्रणा और उनके महान वलिदानकी जो कथा पढ़ सुनाई है; पण्डित खरे और इमाम साहबने जो गीत और भजन सुनाये हैं — सबका एक यही अर्थ है। अगर एन्ड्र्यूजने केवल ऊपरी सौजन्य या मात्र शिष्टा-चारके ही लिए उनसे गानेकी प्रार्थनाकी थी तो उन्होंने बन्धुत्वके अपने सिद्धान्तके पालनमें चूक की है। वैसी स्थितिमें उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर मैं चार्लीको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता है कि जिस प्रकार मैं दूसरे धर्मोंसे

१. अन्तर्राष्ट्रीय संघको परिषदके सदस्य और उनके मित्र आश्रममें ठहरे थे। उन्होंने “ बन्धुत्वके मूलभूत उद्देश्य ” के विषयमें चर्चा की। महादेव देसाईने “ द वीक ” ( यह सप्ताह ) नामक अपने लेखमें “ द फाउण्डेशन ऑफ फेलोशिप ” ( बन्धुत्वकी आधार शिला ) शीर्षकके अन्तर्गत इसका हवाला दिया था: “ चर्चा दो दिनतक चली। . . . उसमें बिना किसी संकोचके खुले दिलसे विचार-विनिमय हुआ, जिससे अन्तमें एक दूसरेके विचारोंकी ज्यादा अच्छी समझ पैदा होना अनिवार्य है। . . . इसके बारेमें लोगोंमें कोई भी मतभेद नहीं था कि संघको व्यापकतम सहिष्णुता पैदा करनेके उद्देश्यके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, बालोक, शान या पुण्यकी शक्तियोंके साथ मिलकर, उनके पक्षधर बनकर अंधकार या अज्ञानकी शक्तिपोंसे लोहा छेना चाहिए, या जैसा दीनबन्धुने कहा था, ईश्वरको बिल्कुल ही त्यागकर भौतिकवादी बननेवालोंके विरुद्ध खड़े होना चाहिए। इस बातपर सभी सहमत जान पड़े, लेकिन यह भी लगा कि कई सदस्य इसके सर्वसंगत निष्कर्षसे बच निकलना चाहते हैं। इस सर्वसंगत निष्कर्षको गांधीजीने इस सभा और अन्य सभाओंके दौरान काफी विस्तारसे स्पष्ट रूपमें प्रस्तुत किया। . . . ”

भी समान प्रेम करके अपने हिन्दू धर्मको अधिक उदार और व्यापक बना देता हूँ, वैसे ही एन्ड्रयूजने भी अन्य धर्मोंसे ईसाई धर्मके समान ही प्रेम करके ईसाई धर्मको अधिक उदार और व्यापक बना दिया है। मगर, आपके मनमें अगर यह शंका हो कि केवल एक ही धर्म सच्चा हो सकता है और दूसरे सब झूठे ही होंगे, तो आपको मेरे बतलाये बन्धुत्वके आदर्शका त्याग करना ही पड़ेगा। तब तो हमें निरन्तर एक-दूसरेको छाँटते ही जाना पड़ेगा, हमारी बन्धुताकी नीव पारस्परिक बहिष्कारपर रखी होगी। सबसे अधिक जोर मैं सत्यवादितापर देता हूँ। अगर हमारे मनमें दूसरे धर्मोंके लिए भी वह प्रेम नहीं है जो अपने धर्मके लिए है तो भला इसीमें है कि हम यह संघ तोड़ दें। यह ऊपरी सहिष्णुता हम नहीं चाहते। सहिष्णुताके मेरे सिद्धान्तमें पाप सहन करनेकी कोई गुंजाइश नहीं होती, भोक्ति पापी मनवालेको सहन किया जा सकता है। इसका यह अर्थ नहीं कि हर बुरे मनवालेको आप अपने पास बुलाया करें या झूठे धर्मको सहन करें। सच्चा धर्म मैं उसको कहता हूँ जिसकी सब शक्तियोंका कुल प्रभाव उसके अनुयायियोंके लिए हितकर हो, और झूठा धर्म वह है जिसमें अधिकांश झूठ ही झूठ मरा पड़ा हो। इसलिए अगर आपको यह लगे कि कुल मिलाकर हिन्दू धर्मसे हिन्दूओंका और संसारका अहित ही हुआ है तो आपको हिन्दू धर्मको झूठा धर्म मानकर जरूर छोड़ना ही पड़ेगा।

गांधीजीने इस बातपर जोर दिया कि संघका कोई भी सदस्य गुप्त भावसे भी यह इच्छा न करे कि कोई दूसरा व्यक्ति अपने धर्मको छोड़कर हमारे धर्ममें मिल जाये। इसको लेकर धर्म-परिवर्तनके बारेमें सामान्य चर्चा शुरू हो गई। गांधीजीने अपनी स्थिति पहलेसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा :

मैं न सिर्फ दूसरेका धर्म-परिवर्तन करनेकी कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि मैं मनसे भी यह नहीं चाहूँगा कि वह अपना धर्म छोड़कर मेरा धर्म स्वीकार करे। परमात्मासे मेरी यही प्रार्थना हमेशा होगी कि इमाम साहब अच्छे मुसलमान बनें या जो-कुछ भी वे अच्छेसे-अच्छा बन सकते हैं, बनें। अहिंसाका सन्देश देनेवाला हिन्दू धर्म मेरी दृष्टिमें सबसे सुन्दर, सबसे बड़ा, सबसे महिमामय धर्म है, — जैसे कि मेरी दृष्टिमें मेरी धर्मपत्नी सबसे अधिक सुन्दर रमणी है; मगर दूसरोंको भी अपने धर्मके बारेमें ऐसा ही गर्व हो सकता है। सच्चे और वास्तविक धर्म-परिवर्तनके उदाहरण भी मिलने सम्भव हैं। अगर कुछ लोग अपने आन्तरिक सन्तोष और विकासके लिए धर्म-परिवर्तन करना चाहें, तो वे भले ही करें। आदिम जातियोंतक अपने धर्मका सन्देश पहुँचानेका शौक मुझे नहीं है। मेरी बुद्धि इसकी गवाही नहीं देती। कहा जाता है कि अत्यन्त नम्रतासे ये काम करो। खैर, मैंने अति नम्रतामें भी अहंकारको छिपा पाया है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं सम्पूर्ण हूँ, सर्वथा शुद्ध हूँ, तो दूसरोंके पास तक मेरे विचार पहुँचेंगे ही। मेरी सारी शक्ति उसी व्ययकी ओर जानेमें खर्च हो जाती है जो मैंने अपने लिए निश्चित कर लिया है। पर्वतीय प्रदेशोंमें रहनेवाले असभियों और आदिम जातियोंके लोगोंके पास मैं जाऊँ भी तो क्या लेकर? मेरे पास अपनी नग्नताके अतिरिक्त और है ही क्या? अपनी प्रार्थनामें शामिल होनेको उनसे कहनेके

बदले में ही उनकी प्रार्थनामें शामिल हो जाऊँगा। अंग्रेजोंके आनेसे पहले हम 'आदिम जातियों', 'प्रकृति-भूजक जातियों' इत्यादि वर्गोंमें लोगोंको विभाजित नहीं करते थे। यह मेद तो हमें अंग्रेज शासकोंने सिखलाया है। यदि मुझमें सेवा करनेकी इच्छा है तो वही लोगोंके साथ मेरा सीधा सम्बन्ध स्थापित कर देगी। धर्म-परिवर्तन और जन-सेवा दोनोंकी पटरी ठीक-ठीक नहीं बैठती।

दूसरे दिन खूब सबेरे ये मित्र गांधीजीसे खानगी बातचीत करने बैठे। इस बार भी कईने वही सवाल पूछा :

“तब क्या आप चाहते हैं कि संघका यह नियम बन जाये कि जो लोग दूसरोंको अपने धर्ममें लानेके लिए प्रचार करना चाहते हैं, वे इसके सदस्य नहीं बन सकते ?”

जाती तौरपर तो मैं यही ठीक समझता हूँ। मुझे इस आशयका एक प्रस्ताव रखना चाहिए था, क्योंकि मैं इसे बन्धुत्वका एक सर्वसंगत निष्कर्ष मानता हूँ। मित्र-मित्र धर्मावलम्बियोंके पारस्परिक सम्पर्क और सम्बन्धके लिए ऐसा नियम आवश्यक है।

दूसरे मित्रने पूछा, “क्या धर्मांतरित करनेकी इच्छा परमात्माकी प्रेरणा नहीं है ?”

मुझे इसमें शंका है। कुछ हिन्दुओंका विश्वास है कि सभी इच्छाएँ परमात्माकी ही प्रेरणा होती हैं। परन्तु परमात्माने हमें भले-दुरेकी समझनेकी शक्ति, विवेक भी तो दिया है। भगवान तो कहेंगे कि मैंने तुम्हें बहुत-सी प्राकृतिक प्रेरणाएँ दी हैं, जिसमें प्रलोभनका सामना करनेकी तुम्हारी शक्तिकी परीक्षा हो सके।

एक बहनेने पूछा, “मगर आप एक आर्थिक-व्यवस्था बनानेका उपदेश देनेमें तो विश्वास करते ही हैं ?”

हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार मैं स्वास्थ्यके नियमोंको बतलाना अच्छा समझता हूँ।

तब यही नियम धार्मिक मामलोंके बारेमें भी क्यों न काममें लाया जाये ?

यह सवाल ठीक है। मगर आप यह न भूलें कि हमने यह चर्चा यही मूल सिद्धान्त मानकर शुरू की है कि सभी धर्म सच्चे हैं। अगर मित्र-मित्र समाजोंके लिए मित्र-मित्र परन्तु सच्चे स्वास्थ्यके नियम प्रचलित हो तो कुछको सही और कुछको गलत कहनेमें मुझे संकोच तो होना ही चाहिए। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि लोग जबतक दूसरोंके धार्मिक विचारोंको सहन करनेको तैयार नहीं होते, किसी भी किस्मका अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व स्थापित हो ही नहीं सकता।

फिर आध्यात्मिक विषयोपर सांसारिक या भौतिक दृष्टान्तोंको एक सीमातक ही घटित किया जा सकता है। जब आप बाह्य प्रकृतिसे कोई दृष्टान्त चुनते हैं, तब उसका उपयोग भी एक खास हदतक ही किया जा सकता है। मगर मैं प्रकृतिसे सम्बन्धित एक दृष्टान्त लेकर ही अपनी बात समझानेकी कोशिश करूँगा। अगर मैं आपको गुलाबका एक फूल दूँ तो उसके लिए मुझे अपना हाथ हिलाना ही पड़ता है, मगर उसकी सुगन्ध देनेके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, वह अपने आप ही

आपके पास पहुँच जाती है। हम एक पग और आगे बढ़ें, तब हम समझ सकेंगे कि आध्यात्मिक अनुभवोंका असर अपने आप ही होने लगता है। इसलिए स्वच्छता आदि नियम सिखलानेका दृष्टान्त यहाँ काम नहीं देगा। अगर हमारे पास कोई आध्यात्मिक सत्य हो तो वह अपने आप ही दूसरोंतक पहुँच जायेगा। आप आध्यात्मिक अनुभवोंके परमानन्दकी बात करते हैं और कहते हैं कि उसमें दूसरोंके साथ हिस्सा बँटाये बिना आप रह ही नहीं सकते। खैर, अगर यह सच्चा आनन्द है, परमानन्द है, तो वह अपने-आप ही वाणीके बिना ही फैल जायेगा। आध्यात्मिक मामलोंमें हमें बस थोड़ा ही आगे बढ़कर प्रयत्न करना पड़ता है। परमात्माको अपना काम करने दीजिए। अगर हम बीचमें हस्तक्षेप करें तो उससे हानि भी हो सकती है। परमात्माका असर तो अपने-आप ही हुआ करता है। पापका नहीं होता, क्योंकि वह तो एक नकारात्मक शक्ति है। उसे तो आगे बढ़नेके लिए पहले पुण्यका आवरण ओढ़ना जरूरी है।

क्या खुद ईसाने लोगोंको सीख नहीं दी थी? उपदेश नहीं दिया था?

यहाँ बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं ईसाके जीवनकी अपनी व्याख्या आपको बताऊँ। खैर, मैं इतना ही कहूँगा कि 'वाइविल'में लिखे हुए एक शब्दको मैं ऐतिहासिक सत्य नहीं मानता। फिर यह भी याद रखना चाहिए कि ईसा अपने देश-बन्धुओंके बीच काम कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वे खण्डन करनेके लिए नहीं बल्कि सुसम्पूर्ण बनानेके लिए आये थे। मैं गिरि-शिखरपर दिये गये ईसाके उपदेश और पॉलके पत्रोंमें बहुत अन्तर मानता हूँ। पॉलके पत्र तो ईसाकी शिक्षाओंमें ऊपरसे मिलाये गये हैं—वे पॉलकी कृति हैं, ईसाकी नहीं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-१-१९२८

### ३५३. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

रविवार [१५ जनवरी, १९२८ या उससे पूर्व]

सुज्ञ भाईश्री,

आपका पत्र मिला। मैं वहाँ २४ या २५ तारीखको पहुँचूँगा। मगर शायद वे मुझे सीधे बरतेज ले जानेवाले हैं। क्या आप पोरबन्दर नहीं आ रहे हैं? आपके स्वास्थ्यके सुधरनेका क्या कोई उपाय नहीं है? मेरा ठीक है। इस मामलेमें भी अखबारोंपर भरोसा करना कठिन है।

मोहनदासके बन्धेमातरम्

गुजराती (जी० एन० ५९०५) की फोटो-नकलसे।

१. २३-२४ जनवरीको अछूतोंके लिए एक मंदिरके शिलान्यासके सम्बन्धमें गांधीजी बरतेजमें थे।

## ३५४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको<sup>१</sup>

सत्याग्रह आश्रम

साबरमती

१५ जनवरी, १९२८

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम जो कुछ भी लिखते उसकी तुलनामें मुझे यह बहुत पसन्द आया है। कारण, इसमें तुमने पूर्ण स्पष्टवादितासे काम लिया है। मुझे खुशी है कि मैंने वह लेख लिखा; भले ही उससे इतना ही हुआ कि जो बात तुम इतने वर्षोंसे अपने मनमें रख रहे थे वह तुमने खोलकर कह दी है। लेकिन इसकी चर्चा बादमें।

मैं यह पत्र बोलकर लिखवा रहा हूँ, केवल तुम्हें यह सूचित करनेके लिए कि बेचारे ब्रॉकवेकी दशा खराब है। मुझे पता चला है कि उन्हें एक कहीं अद्विक गम्भीर ऑपरेशन कराना होगा और शायद उन्हें अगले कई महीनोंतक भारतमें ही रहना पड़ेगा। मुझे यह भी पता चला है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी तरफसे पिताजीके<sup>२</sup> साथ हुई इस शर्तपर वह भारत आये है कि उनका आने-जानेका खर्च कांग्रेस देगी। यदि ऐसा हो तो हमें उनके अस्पतालका खर्च भी देना चाहिए, और किसी भी हालतमें यह देखते हुए कि वह कांग्रेसमें भाग लेने आ रहे थे, जरूर ही देना चाहिए। मेरा खयाल है कि वीघ्र ही उनपर अस्पतालका वकाया चढ़ने लगेगा। तुम कृपया पूछताछ करके आवश्यक कार्रवाई करो, और जरूरी हो तो तारसे सूचना दो।

मैं समझता हूँ कि मद्रासकी समिति पहले ही ४०० रुपये दे चुकी है। अस्पतालका खर्च ही प्रतिदिन १२ रुपये बताते हैं। मैं श्रीनिवास अय्यगारको भी लिख रहा हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,

बापू

[‘अंग्रेजीसे’]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९२८।

सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. इस पत्रका उल्लेख “पत्र : जवाहरलाल नेहरूको”, १७-१-१९२८ में है।

२. पं० मोतीलाल नेहरू।



## ३५५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

१५ जनवरी, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

मुझे अखिल बाबूकी अच्छी तरह याद है। उनकी पत्नीकी दुर्घटनाके बारेमें मैं उन्हें लिख रहा हूँ। आपने जिस घटनाका उल्लेख किया है उसकी मुझे याद है। मैंने उन्हें हमेशा पसन्द किया है। हालाँकि मैंने मनमोहन बाबूका खण्डन स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके कारण अखिल बाबूके प्रति खराब धारणा नहीं बनाई है। अब आप मनमोहन बाबूके बारेमें जो-कुछ कहते हैं उससे निश्चय ही मुझे दुःख हुआ है।

डा० रायने मुझे दो पत्र भेजे हैं। पहले पत्रमें उन्होंने खादीका सराहनापूर्ण शब्दोंमें उल्लेख किया है और दूसरेमें उन्होंने उसमें दृढ़ विश्वास घोषित करते हुए लिखा है कि वह जमनालालजीके आनेकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर सम्भव हुआ तो मैं आपको इन पत्रोंकी प्रतियाँ भेज दूँगा।

मुझे खुशी है कि हेमप्रभादेवी अब प्रफुल्लित रहने लगी हैं। यह अजीब बात है कि तारिणी अभी भी अस्वस्थ है। क्या वह अपना अनुसन्धान-कार्य किसी ज्यादा अच्छे जलवायुवाले स्थानमें नहीं कर सकता ?

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५८२) की फोटो-नकलसे।

## ३५६. भाषण : गुजरात विद्यापीठके दीक्षान्त समारोहमें

१५ जनवरी, १९२८

दीनबन्धु एन्ड्रयूज<sup>१</sup> न केवल एक भले अंग्रेज है तथा उन्होंने इस देशके लिए न केवल अपना सर्वस्व निछावर किया है बल्कि वे एक कलाकार, कवि और अच्छे वक्ता भी हैं। जिन लोगोंने उनके भाषण सुने हैं और जिन्होंने उनके कामोंका अध्ययन किया है वे जानते हैं कि उनके सभी काम कलापूर्ण होते हैं। वे कवि हैं; क्योंकि वे यह जानते हैं कि भविष्य कैसा होगा और कैसा होना चाहिए। वे सुवक्ता हैं, इस कारण नहीं कि वे धाराप्रवाह भाषण दे सकते हैं अथवा उनका उच्चारण और भाषा उच्च कोटिकी है बल्कि उनकी ये सारी खूबियाँ तो उनके हृदयसे उठकर आती हैं। आप उनका भाषण पढ़ें

१. सी० एफ० एन्ड्रयूजने दीक्षान्त भाषण दिया था।

तो एक तरहका असर होगा; और जो उस भाषणको ध्यानपूर्वक सुनेंगे उनपर कुछ दूसरी तरहका असर होगा। आमतौरपर हम यह मानते हैं कि जो व्यक्ति घण्टों धारा-प्रवाह बोल सकता है, वह सुवक्ता है। किसी-किसीके मनमें यह बात उठ सकती है कि एन्द्रचूजको कदाचित् भाषण देनेका अभ्यास नहीं है इसलिए उन्होंने अपना भाषण लिखकर पढ़ा। किन्तु ऐसा सोचना मूल है। उन्होंने अपने लिखित भाषणमें इतना रस भर दिया था कि हम सभी उससे शराबोर हो गये। यह रस उनके हृदयसे छलका है।

उन्होंने अपने भाषणमें स्वर्गीय हकीम साहबका उल्लेख किया है। यों ऊपरसे देखनेपर किसीको लग सकता है कि हकीम साहबकी मृत्युसे स्नातकोक्ति दीक्षांत समारोहका क्या सम्बन्ध है, यह तो कला-विहीनताकी निशानी हुई। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इसीके द्वारा अपनी कला सूचित की और अपना उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया। एन्द्रचूज उम्रमें आपसे तो बड़े ही है। उन्होंने अपने बचपनकी बात बताई। उन्होंने हकीम साहबके पास अपनी तालीम शुरू करनेकी बात कही। तबतक हकीम साहब भ्रमशूर हो चुके थे और अपने तिव्वी ज्ञानकी मारफत राजा-रंककी सेवा कर रहे थे। एन्द्रचूजको लगा कि यही सच्ची शिक्षा वे उनसे ले रहे हैं। उन्होंने जो कहा उसे अपने अनुभवके आधारपर ही बताते हुए यह कहा कि मुझे अपने अध्यापकोंके लेक्चर याद नहीं हैं; किन्तु अपने इस अध्यापकके कामकी श्रेष्ठ और पुण्यतम स्मृति आज भी उनके मनमें बसी हुई है; वे उनके मनमें गहरे पैठ सके थे। शिक्षाका यही सार बतानेके लिए उन्होंने हकीमजीकी कहानी कही। इसमें अद्भुत कला भरी हुई है और यह कल्याणपूर्ण तो है ही। अपना भाषण पढ़ते हुए उन्होंने हमें वीर रसका आस्वादन कराया और अन्तमें त्यागका उपदेश दिया।

तदुपरान्त उन्होंने अपनी जीवन-कथा सुनाई। हमारा हृदय निराशाके गर्तमें पड़ा हुआ है। हमें यह मय बना रहता है कि इमारत तो हमारे पास है किन्तु कहीं दो वर्ष बाद उसमें कौवे न बोलने लगे। निराशाकी इस भावनाकी उन्हे खबर है। इस सम्बन्धमें मैंने उनसे कोई बात नहीं की किन्तु वे तो हवाका रुख देखकर ही माँप लेते हैं। इसीलिए उन्होंने आपसे कहा कि आपके पास तो इमारतें हैं, रुपये हैं, जमीन है तथा गुजरात-जैसे प्रान्तमें पैसे भी मिलते ही रहते हैं किन्तु मैं जिस कालेजमें पढ़ा हूँ, उसके जन्मकी कहानी यदि मैं सुनाऊँ तो आपको आश्चर्य होगा और आपको आशाकी किरणें दीखने लगेंगी। वह एक छोटी-सी शोपडीमें शुरू हुआ और सो भी एक साहसी विधवाके बलपर, — वह विवाहके दिन ही विधवा हो गई थी। यदि वह चाहती तो पुनर्विवाह कर सकती थी किन्तु उसने सेवाधर्मको अपनाया। उस विधवाने साधु-संन्यासियोंको खोजकर उनसे विद्यार्थियोंको शिक्षा देनेको कहा और उनके रहनेके लिए शोपड़ियाँ बनवा दीं। उन्ही शोपड़ियोंको आज हम विशाल पेन्ड्रोक महाविद्यालयके रूपमें देखते हैं। जहाँसे स्पेंसर और ग्रे-जैसे कवि, पिट-जैसे धुरन्धर राजनीतिज्ञ तथा ब्राउन-जैसे पण्डित निकले। यह बताकर उन्होंने आपको आश्चर्य किया है कि जो कहानी उनके कालेजकी है वही आपके कालेजकी भी समक्षिए। यदि आप यहाँ

धैर्यपूर्वक काम करते रहेंगे तो यहाँसे भी महान लोग निकलेंगे। और उन्होंने इसका उपाय बताया — आत्म-विश्वास। आत्मविश्वास ईश्वरमें विश्वास और धैर्यसे उत्पन्न होता है। कोई भी उत्तम वस्तु एकाएक नहीं बन जाती। विशाल, सुदृढ़ वृक्षका बीज कुछ कालतक धरतीमें ही रहता है किन्तु माली जानता है कि यथासमय वह वृक्ष बन जायेगा। कुछ समयतक धरतीपर घास रहेगी; और उसे ऊगते रहने दिया जायेगा। माली निराश नहीं होता क्योंकि वह इस विषयमें जानता है। हमसे एन्ड्रयूज ऐसे किसी ज्ञानकी आशा नहीं रखते; किन्तु श्रद्धाकी आशा रखते हैं। श्रद्धाके सम्बन्धमें 'बाइबिल' की व्याख्या उन्होंने आपके सामने रखी — जो वस्तु दिखाई नहीं देती श्रद्धा उसीका प्रमाण है। यदि आपमें वैसी श्रद्धा हो तो विद्यापीठ कमी बन्द नहीं होगा। जितने वर्ष पेन्ड्रोकको विकसित होनेमें लगे, इस विद्यापीठको उतने नहीं लगे। आप कहेंगे कि क्या १५ बाल-विद्यार्थियोंका बन्द हो जाना ही प्रगति हुई। यदि और भी विद्यालय बन्द हो जायें, किन्तु आपमें श्रद्धा हो तो आप निराश न होंगे। बाल-विद्यार्थियोंके बन्द होनेका कारण यह है कि हम अपने सिद्धान्तपर अटल रहे, हम अपनी शर्तपर डटे रहे और कहा: "कात सको तो रहो, नहीं तो जाओ।" एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ कोई न रहे, सिर्फ कुलपति ही बैठे हो — वही शिक्षक हो और वही शिष्य भी। उसके सामने उसका चरखा पड़ा हो तो कोई न कोई तो आयेगा-जायेगा। यदि कोई भी न आये तो बन्दर तो आयेंगे और यदि उसमें श्रद्धा होगी तो वह वैदमीकी भाँति उनसे बातें करेगा और इसीसे उसे आश्वासन मिलेगा। मेरी श्रद्धाका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यही है कि वह है। आपसे यदि कोई पूछे तो उससे कहें कि वह जो चरखा-चरखा चिल्लाता रहता है, उसीके पास जाओ। यदि आपमें इतनी श्रद्धा हो तो एन्ड्रयूज कहते हैं कि आप एक नहीं बल्कि एक हजार पेन्ड्रोक खड़े कर सकते हैं। कहाँ इंग्लैंड और कहाँ भारत; भारतमें कितने ही इंग्लैंड समा जायें। किन्तु क्या हममें उतना साहस है? उतना धीरज है? हम अपने सिद्धान्तोंपर डटे रहें और विश्वास रखें। हमें उस दगाबाज व्यापारीकी भाँति व्यापार नहीं करना है जो ग्राहक देखकर पुड़िया वाँचता है और दाम घटाता-बढ़ाता रहता है। "यदि नियमोंमें इतनी ढिलाई की जाये तो विद्यार्थी आयेंगे, अतः इतनी ढील दे दी जाये," इस प्रकारके व्यापारसे न तो जनताको और न विद्यार्थियोंको ही कुछ मिलेगा। यदि अध्यापकोंमें श्रद्धा होगी तो वे एक ही बात कहेंगे और विद्यार्थी भी एक ही बात कहेंगे। वे कहेंगे कि यदि मैं एक ही हूँ तो भी क्या होता है? अध्यापक मुझपर अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। ईश्वर भी एक ही है किन्तु उसकी कृतियाँ अनेक हैं। इस प्रकार यदि कोई विद्यार्थी अकेला होते हुए भी निर्मय होकर विद्यालयमें बैठ जायेगा तो इससे १०० विद्यार्थी तैयार होंगे। यही एन्ड्रयूजके भाषणका सार है और यही उनकी वीणाका सुर है।

आप यह भाँते कि यही भाषण मेरा भी है। आप अपने मनमें विद्यालयके बारेमें अभिमानकी भावना रखें। विद्यापीठको संभालें और अपने जीवनको समुज्ज्वल

बनायें। जहाँ भी रहें विद्यापीठको सदा याद रखें। भविष्यमें यह क्या रूप लेगा, सो आप कुछ दिनोंमें जान लेंगे। किन्तु धीरज रखना चाहिए। मैं आपसे इतना तो कह ही देना चाहता हूँ कि जबतक हममें से कुछ लोग भी जीवित रहेंगे तबतक विद्यापीठ वन्द नहीं होगा। इस विद्यापीठकी खातिर यदि मुझे अपनी हस्तीको मिटा देना पड़े, मरना-खपना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप यह विश्वास रखें कि अगर आप विद्यापीठके तेजको सहन कर सकेंगे तो वह सदा आपका सहारा बना रहेगा। यदि आप उसके तेजको सहन न कर सकें तो मुझे दोष न दें, अव्यापकोको दोष न दें; विघाताको दोष दें। हालाँकि हम अहिंसावादी हैं फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि यदि हम लोग अपने वचनका पालन न कर सकें तो आपको हमें करल करनेका अधिकार है।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २२-१-१९२८

### ३५७. सन्देश : द्वितीय स्नातक सम्मेलनपर<sup>१</sup>

१६ जनवरी, १९२८

खेद है कि मैं स्नातक संघके अधिवेशनमें भाग नहीं ले सकूँगा। मुझे आशा है कि सदस्यगण स्नातक संघको सेवाका उत्कृष्ट साधन बनाकर संघ और स्वयंको गौरवान्वित करेंगे तथा राष्ट्रीय यज्ञमें उदारतापूर्वक अपनी आहुति देंगे।

मोहनदास गांधी

[ गुजरातीसे ]

साबरमती, खण्ड ६, अंक ४

### ३५८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको<sup>२</sup>

आश्रम

साबरमती

१७ जनवरी, १९२८

प्रिय जवाहरलाल,

समय बचाने और अपने दुखते हुए कंधेको आराम देनेके लिए मुझे पत्र बोलकर ही लिखवाना पड़ेगा। रविवारको मैंने तुम्हें फेनर ब्रॉकवेके वारेमें लिखा था।<sup>१</sup> आशा है, तुम्हें वह पत्र ठीक समयपर मिल गया होगा।

१. गुजरात विद्यापीठके स्नातक सम्मेलनपर।

२. जवाहरलाल नेहरूके दिनांक ११-१-१९२८के पत्रके उत्तरमें, देखिय परिशिष्ट १०।

३. देखिय "पत्र : जवाहरलाल नेहरूको", १५-१-१९२८।

क्या तुम्हें मालूम है कि जिन लेखोंकी तुमने आलोचना की है उन्हें सिवाय तथाकथित 'अखिल भारतीय प्रदर्शनी' वाले लेखके, मैंने इसीलिए लिखा था कि उल्लिखित कार्योंकी मुख्य जिम्मेदारी तुम्हारी ही थी। मैंने अपने आपको एक प्रकारसे सुरक्षित समझा था, यह सोचकर कि तुम्हारे-मेरे बीचके सम्बन्धोंको देखते हुए मेरे लेखोंको उसी भावनासे समझा जायेगा, जिस भावनासे उनको लिखा गया था। फिर भी मैं देखता हूँ कि हर बातमें उनका असर गलत ही पड़ा। मुझे इसकी चिन्ता नहीं। कारण, यह स्पष्ट है कि ये लेख ही तुम्हें उस आत्म-दमनसे मुक्त कर सकते थे, जिससे तुम इतने वर्षोंसे अन्दर-अन्दर घुट रहे थे। यद्यपि मुझे तुम्हारे-मेरे बीचका दृष्टि-भेद कुछ-कुछ दिखाई देने लगा था, फिर भी मुझे तनिक भी कल्पना नहीं थी कि ये मतभेद इतने गम्भीर हो जायेंगे। जहाँ तुम देशकी खातिर और इस विश्वासमें अपने-आपको वहादुरीके साथ दबा रहे थे कि मेरे साथ और मेरे नीचे अपनी इच्छाके विरुद्ध काम करके भी तुम राष्ट्रकी सेवा करोगे और विना आँच आये निकल जाओगे, वही तुम इस अस्वाभाविक आत्म-दमनके भारके नीचे दबकर कुड़ते रहे। और जबतक तुम उस स्थितिमें रहे, तुम उन चीजोंकी भी उपेक्षा करते रहे, जो अब तुम्हें मेरी गम्भीर त्रुटियाँ प्रतीत होती हैं। मैं 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंसे तुम्हें दिखा सकता हूँ कि इतने ही जोरदार लेख मैंने कांग्रेसकी कार्यवाहियोंकी बावत तब लिखे थे जब मैं कांग्रेसका सक्रिय पथ-प्रदर्शन कर रहा था। जब कभी कांग्रेसकी बैठकोंमें गैर-जिम्मेदारी और जल्दबाजीकी बातें या कार्यवाई होती थी तब भी मैं इसी तरह बोलता रहा हूँ। मगर जबतक तुम मूर्च्छित अवस्थामें थे, तबतक ये चीजें तुमको आजकी तरह नहीं खटकी थीं; और इसलिए तुम्हारे पत्रकी असंगतियाँ बताना मुझे बेकार मालूम होता है। इस समय तो मुझे भावी कार्यवाईकी ही चिन्ता है।

अगर तुमको मुझसे कोई स्वतन्त्रता चाहिए, तो मैं उस नम्रतापूर्वक अचूक बफादारीसे तुम्हें पूरी तरह स्वतन्त्र करता हूँ, जो तुमसे मुझे इन तमाम वर्षोंमें मिली है और जिसकी मैं तुम्हारी मनःस्थितिका ज्ञान प्राप्त हो जानेके कारण अब और ज्यादा कर करता हूँ। मुझे विलकुल साफ दिखाई देता है कि तुम्हें मेरे और मेरे विचारोंके विरुद्ध खुली लड़ाई करनी चाहिए। कारण, यदि मैं गलतीपर हूँ तो मैं स्पष्ट ही देशकी ऐसी हानि कर रहा हूँ, जिसकी क्षति-पूर्ति नहीं हो सकती, और इसे समझ लेनेके बाद तुम्हारा बर्भट है कि मेरे खिलाफ बगावतमें उठ खड़े हो; अथवा यदि तुम्हें अपने निर्णयोंके ठीक होनेमें कोई शंका है तो मैं खुशीसे तुम्हारे साथ निजी रूपमें उनपर चर्चा करनेको तैयार हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच मतभेद इतने बड़े और उग्र हैं कि हमारे लिए सहमतिका कोई आधार दिखाई नहीं देता। मैं तुमसे अपना यह दुःख नहीं छिपा सकता कि मैं तुम्हारे जैसा वहादुर, बफादार, योग्य और ईमानदार साथी खो रहा हूँ; परन्तु ध्येयकी सिद्धिके लिए राजनीतिक सहचरताको भी कुर्बान करना पड़ता है। इन सब विचारोंसे ध्येयको ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। लेकिन राजनीतिक सहचरताकी समाप्तिसे अगर उसे समाप्त होना ही है—हमारी व्यक्तिगत घनिष्ठता

में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। हम लम्बे असेंसे एक ही परिवारके सदस्य बन चुके हैं और गम्भीर राजनीतिक मतभेदोंके बावजूद हम ऐसे ही बने रहेंगे। मुझे कई लोगोंके साथ ऐसे सम्बन्ध रखनेका सौभाग्य प्राप्त है। उदाहरणके लिए, शास्त्रीको ही ले लो। उनके और मेरे राजनीतिक दृष्टिकोणमें जमीन-आसमानका फर्क है, मगर उनके और मेरे बीच जो स्नेह-सम्बन्ध राजनीतिक मतभेदोंका भान होनेसे पहले ही पैदा हो चुका था, वह बना हुआ है और कई अग्नि-परीक्षाएँ पार करके भी आज जीवित बना है।

तुम्हारी पताका फहरे, इसका एक शानदार तरीका सुझाऊँ। मुझे प्रकाशनके लिए एक पत्र लिखो, जिसमें तुम्हारे मतभेद प्रकट किये गये हों। मैं उसे 'यंग इंडिया' में छाप दूँगा और उसका संक्षिप्त उत्तर लिख दूँगा। तुम्हारा पहला पत्र मैंने पढ़ने और जवाब देनेके बाद फाड़ दिया था; दूसरा रख लिया है और अगर तुम और कोई खत लिखनेकी तकलीफ नहीं उठाना चाहते हो तो जो मेरे सामने है उसीको छापनेके लिए तैयार हूँ। मेरी समझसे इसमें कोई आपत्तिजनक अंश नहीं है। लेकिन कोई हुआ तो विश्वास रखो, मैं ऐसे हर अंशको निकाल दूँगा। मैं उस पत्रको एक स्पष्ट और प्रामाणिक दस्तावेज मानता हूँ।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १३०४०) की फोटो-नकलसे तथा ए बंच ऑफ ओल्ड लेटरसे भी।

### ३५९. पत्र : आर० रामचन्द्र रावको'

आश्रम

सावरमती

१७ जनवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र इस तथ्यका प्रमाण है कि तेंदुआ अपनी चित्तियाँ नहीं बदल सकता। मुझे इस बातमें सीधी चोटसे बचाव करते हुए नगण्य सामर्थीमें से एक विचारणीय मामला तैयार करनेवाले पुराने कलक्टरकी छाया नजर आई। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। अंग्रेज शासकोंने जितनी जमीन घेर रखी है वह बहुत ही नगण्य है। करोड़ों भारतीयोंकी तुलनामें उनकी संख्या तो और भी नगण्य है। सरकारी नौकरीमें अंग्रेजोंके मुकाबले 'देशी' लोग कहीं ज्यादा हैं। अतः आपके तर्कसे तो अंग्रेज

१. यह पत्र रामचन्द्र रावके ९ जनवरीके पत्रके उत्तरमें था जिसमें उन्होंने गांधीजीको इस आलोचनाका जवाब दिया था कि मद्रासमें कांग्रेस अधिवेशनके दौरान आपोजित प्रदर्शनी भारत-विरोधी थी; देखिए "राष्ट्रीय कांग्रेस", ५-१-१९२८।

लोग इसी कारण अपने शासनको स्वदेशी शासन कह सकेंगे। तथापि मैं और आप ऐसे किसी वाहियात दावेका खण्डन करेंगे। और निश्चय ही इसमें आपकी बड़ी चतुराई थी कि आपने देशी चीजके खादीवाले अंगके लिए ६२ हजार वर्गफुट जगह दिलवा दी। मुझे इस बातकी तो खुशी है कि खादी उस विराट् चौगानके बाहर थी, लेकिन जैसा कि मुझे विश्वासनीय लोगोंने बताया, यदि यह बात सच है कि सरकारने यह शर्त रखी थी कि खादी चौगानके बाहर रहे, तो यह शर्मकी बात है। और क्या आपका यह कहना उचित है कि मैंने विदेशी कपड़ोंकी प्रदर्शनी की 'अनुमति' दी थी? क्या आपको याद नहीं है कि जब मैंने विदेशी कपड़ोंकी प्रस्तावित प्रदर्शनीके बारेमें सुना तो मैंने बहुत ही अनिच्छापूर्वक खादी-प्रदर्शनी लगाने पर सहमति दी थी? क्या आपको याद नहीं है कि कांग्रेस सप्ताहके दौरान खादी-प्रदर्शनी करनेके लिए मैं कतई उत्सुक नहीं था। मैं अगर राजी हुआ तो इस कारण कि आप, जो एक पुराने मित्र हैं, आग्रह कर रहे थे कि मुझे खादी-प्रदर्शनी करनी चाहिए और मुझसे कहा था कि यदि मैं उसे नहीं करता तो आप अटपटी स्थितिमें पड़ जायेंगे। आपको अपनी सहमति प्रदान कर चुकनेके बाद मेरे पास विरोध प्रकट करते हुए पत्र आये, लेकिन अपना वचन दे चुकनेके बाद मैं उसे वापस नहीं लेना चाहता था।

यदि इससे आपको सन्तोष नहीं होता और यदि आपने अपना पत्र जनताके पढ़नेके खयालसे लिखा है, तो मैं उसे और उसका उत्तर भी खुशीसे छाप दूंगा।

मुझे आपको यह विश्वास दिलानेकी कोई जरूरत नहीं है कि मैंने जो कुछ लिखा, उसमें व्यक्तिगत रूपसे आपके विरुद्ध कुछ नहीं था। आप तो उस प्रदर्शनीमें शामिल अनेक लोगोंमें से केवल एक ही थे जो आजकी उथल-पुथलको देखते कोई असाधारण बात नहीं है। मुझे अगर यह भय न होता कि इसी चीजकी पुनरावृत्ति कहीं कांग्रेसके अगले अधिवेशनमें न हो जाये, तो मैं तो चुप ही रह जाता। अवश्य, मेरी चेतावनी और विरोधके बावजूद उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। यदि होती है तो मैं अपने ऊपर भीरुताका आरोप नहीं लगाऊंगा।

हृदयसे आपका,

दीवान बहादुर आर० रामचन्द्र राव, बी० ए०, सी० एस० आई०  
मन्त्री, ए० आई० ए० आई० के० एण्ड आर्ट्स एजिुकेशन  
मद्रास सेंट्रल अर्बन बैंक  
मायलापुर, मद्रास

अंग्रेजी (एस० एन० १३०४१) की माइक्रोफिल्मसे।

## ३६०. पत्र : एस० गणेशनको

आश्रम

साबरमती

१७ जनवरी, १९२८

प्रिय गणेशन,

मुझे तुम्हारा तार मिला था। मुझे तारसे जवाब नहीं देना चाहिए। 'हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह' का सारा अनुवाद अब तैयार है। तुमने मुझे छपाई शुरू कर सकनेकी तारीख बताई है, और मैं चाहता हूँ कि लिखो कि किस तारीखको उसे समाप्त कर सकते हो। इसलिए कृपया मुझे वह निश्चित तारीख बताओ जब तुम उसे विक्रीके लिए तैयार कर सकते हो। वह पूरी तरह खहरकी जिल्दमें होनी चाहिए; या फिर कागजकी जिल्द हो। अगर तुम समय और अर्थ-साधन, दोनों दृष्टियोंसे इस कामको न सँभाल सको तो हाथमें मत लो। मैं इस इतिहासको जल्दी प्रकाशित देखना चाहता हूँ; क्योंकि उसके बिना मुझे आत्मकथावाले अध्याय<sup>१</sup> लिखनेमें अड़चन होती है।

जहाँतक 'सेल्फ रेस्ट्रेंट वर्सेस सेल्फ इनडलर्जेस'<sup>२</sup> का सवाल है, कागज खरीदा जा चुका है और रिसेटिंग आरम्भ हो चुकी है।

इस पत्रका उत्तर शीघ्र और सुनिश्चित रूपसे दो। मैं तुम्हें बता दूँ स्वामी आनन्दकी दृष्टिमें तुमने जो प्रतिष्ठा खोई है उसे अभी तुमने फिरसे प्राप्त नहीं किया है, और यह दुखकी बात है। क्योंकि जबतक तुम उसे प्राप्त नहीं कर लेते तबतक मेरे लिए तुम्हारी उतनी सहायता करना कठिन है जितनी मैं करना चाहता हूँ।

तुम श्री ग्रेग द्वारा हाथकटाईपर लिखा गया निबन्ध छाप रहे हो। कृपया मुझे बताओ कि वह कबतक प्रकाशित हो जायेगा।

हृदयसे तुम्हारा,

अग्नेजी (एस० एन० १३०४२) की फोटो-नकलसे।

१. दक्षिण आश्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास; देखिए खण्ड २९।

२. देखिए खण्ड ३९।

३. इसमें आत्म-संयम, ब्रह्मचर्य, सन्तति-नियमन आदि विषयोंपर लिखे गये गांधीजीके लेखों तथा यंग इंडियामें "अनोत्तिको राहपर" शीर्षकसे प्रकाशित छेखमालाका संग्रह था। देखिए खण्ड ३१।



## ३६१. तार : पोरबन्दरके दीवानको

साबरमती

१८ जनवरी, १९२८

दीवान साहब  
पोरबन्दर

हिज हाइनेसके निमंत्रणके लिए अनुग्रहीत हूँ। मेरे साथ परिषद<sup>१</sup> अध्यक्ष और कई महिलाओं सहित बीस लोग होंगे। प्रबन्ध स्वागत समितिके हाथोंमें है। आप कृपया समितिसे परामर्श कर लें।

गांधी

अंग्रेजी (एम० एम० यू० २०/२५) की माइक्रोफिल्मसे।

## ३६२. पत्र : एस० डी० नाडकर्णीको

आश्रम

साबरमती

१८ जनवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला था। मैंने आपके कुछ पत्र अपनी 'यंग इंडिया' की फाइलमें उपयोगके लिए रख छोड़े हैं।

प्रस्तावित "स्मृति" के बारेमें मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता। अक्सर आप भावसे अधिक शब्दपर जोर देते प्रतीत होते हैं। "अनुप्रेरित" शब्दका प्रयोग जब मैं करता हूँ तब मैं उसके तकनीकी अर्थ नहीं लगाता। जब मैं "अनुप्रेरित" अनुभव करूँगा तब आप देखेंगे कि हिन्दू-धर्मको एक नई "स्मृति" देनेसे मुझे कोई चीज नहीं रोक सकेगी, और मैं आपको गुप्त रूपसे बता दूँ कि मैं ऐसी प्रेरणाके लिए प्रयत्नशील हूँ। तबतकके लिए मुझे प्रतीक्षा करनी होगी।

मद्रासमें आपका साक्षात्कार करके मुझे बहुत खुशी हुई।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एस० डी० नाडकर्णी

अंग्रेजी (एस० एन० १३०४३) की फोटो-नकलसे।

१. काठियावाड़ राजनीतिक परिषद।

२. देखिए खण्ड ३६, "चिट्ठी-पत्री", १६-२-१९२८।

## ३६३. पत्र : रतिलालको

सत्याग्रह आश्रम  
साबरमती  
१८ जनवरी, १९२८

माईश्री ५ रतिलाल,

मैंने तुम्हें तार तो दिया है। मुझे आज चि० देवदासका पत्र मिला है जिसमें उसने लिखा है कि तुम्हें बहुत दुःख हुआ है। दुःख तो होता है किन्तु तुम्हें धीरज रखना ही चाहिए। शकुमाईके बच्चों आदिके बारेमें मैं कुछ नहीं जानता था। किन्तु देखता हूँ वह काफी बड़ा परिवार छोड़ गया है। उन्हें धीरज बँचानेवाले तो एक तुम्ही हो। जन्म-मरण तो साथ-साथ लगे हुए हैं अतः उसके लिए हर्ष-शोक क्या करना। हमें तो यही शोभा देता है कि अपने कर्त्तव्यका पालन करते हुए जब हमारा काल आये तो हँसते हुए विदा ले लें। शान्त रहना।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ७१६१) की फोटो-नकलसे।

## ३६४. एक पत्र

१८ जनवरी, १९२८

माई . . . ,<sup>१</sup>

जब तक . . .<sup>१</sup>को देखकर भी क्षोभ होता है तबतक उसे देखनेका भी छोड़ दो। यह सब कार्य बलात्कारसे नहीं होना चाहिये। इस बारेमें मुझे आश्रममें पूछना।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० १६३९ से।  
सौजन्य : रमणीकलाल मोदी

१ और २. नाम छोड़ दिये गये हैं।

## ३६५. अजमल जामिया-कोष

स्वर्गीय हकीम अजमल खाँ साहबकी स्मृतिमें और नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटीकी आर्थिक नींव पक्की करनेके लिए जो कोष खोला जानेवाला है उसके बारेमें डा० अन्सारीने मुझे पत्र लिखा है। डा० अन्सारीने यह कहनेकी इजाजत दे दी है कि डा० अन्सारी और प्रिन्सिपल जाकिर हुसेन इस अपीलमें मेरे साथ हैं। श्रीयुत जमनालाल बजाजने इस कोषका कोषाध्यक्ष बनना स्वीकार किया है। हिन्दू और मुसलमानोंके बीच इस मनमुटावके जमानेमें इस अपीलको कई नामोंके साथ निकालना उचित नहीं समझा गया। मगर हमें उम्मीद है कि वे सभी लोग जो स्वर्गीय आत्माकी स्मृतिपर श्रद्धा रखते हैं, और इस स्मारकके साथ नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटीको जोड़ देनेका खयाल पसन्द करते हैं, इस आन्दोलनमें उसी प्रकार सहायता देंगे जैसे कि वे भी अपील करनेवालोंमें शामिल हों।

मेरी विनम्र सम्मतिमें एकतामें विश्वास करनेवाले हिन्दू-मुसलमानोंका यह कर्त्तव्य है कि वे हकीम साहबकी यादगारको इस प्रस्तावित ठोस रूपमें स्थायी बनायें। जामिया की नींव पक्की बनाना उनका कर्त्तव्य है क्योंकि जामिया उस जामानेकी उपज है जब कि यह समझा जाता था कि दोनों जातियाँ हमेशाके लिए एक हो गई हैं। और अगर असहयोगी राष्ट्रीय विद्यालय एकताका समर्थन न करें, एकता करानेकी कोशिश न करें, एकता पक्की न करें तो फिर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि एकताके सभी समर्थक इस कोषमें खूब उदारतासे दान देंगे।

आज केन्द्रीय विद्यालयमें २०० विद्यार्थी और उसकी नगर-शाखामें ७४ विद्यार्थी हैं। इनके अलावा, दो रात्रि-पाठशालाएँ हैं, जिनमें लगभग २०० विद्यार्थी पढ़ते हैं। जामियामें २३ कार्यकर्त्ता हैं, जिसमें सबसे अधिक वेतन पानेवालेको २६५ रुपये और सबसे कम पानेवालेको ३५ रुपया महीना मिलते हैं। प्रिन्सिपलको हमेशा यही चिन्ता रहती है कि ऐसे स्वयंसेवकोंको आकृष्ट किया जाये जो अपनी जरूरत-भरके लायक ही वेतन लें। हर महीने २,३०० रुपये वेतनके रूपमें देने पड़ते हैं। मकानका किराया ४२५ रुपये माहवार है। कुल माहवारी खर्च ४,८०० रुपयेका है। नियमित माहवारी आमदनी २,७०० रुपयोंकी है जिसमें भोजनालयके १,३०० रुपये भी शामिल हैं। यों २,१०० रुपये महीनेकी कमी पड़ती है। जबतक हकीम साहब जिन्दा थे, किसी-न-किसी तरह यह खर्च चल जाता था। जबतक शिक्षक लोग अपने लिए ऐसा नाम और प्रतिष्ठा नहीं पैदा कर लेते, जिससे उन्हें सहायता मिलने लगे तबतक सर्वसाधारणको यह कमी आप ही पूरी करनी पड़ेगी। और जबतक जामियाकी इमारत नहीं बन जाती, यह स्मारक स्थायी नहीं माना जा सकता। इसलिए दानकर्त्ता सहायताकी रकमका निश्चय करते समय, जरूरतका भी खयाल रखें।

डा० अन्सारी लिखते हैं कि सेन्ट्रल बैंकने बराय मेहरवानी अजमल जामिया-कोषके चन्दोंकी रकमें स्वीकार करना और सभी 'चेकों' और 'ड्राफ्टों' का विना दस्तूरी

लिए अपनी सभी शाखाओंमें मुगातान करना मंजूर कर लिया है। कोषाध्यक्षका पता है— ३९५, कालवादेवी रोड, बम्बई।

बतौर ट्रस्टीके हम चार आदमियोंके नामपर कोषाध्यक्ष अपने पास जमा हुई सारी रकम रोके रहेंगे, और वह तभी दी जायेगी जब जामियाके नामपर एक समुचित ट्रस्ट बना दिया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-१-१९२८

### ३६६. अपरिवर्तनवादियोंसे

मैं देखता हूँ कि यह खबर कि इसी महीनेमें किसी समय अपरिवर्तनवादियोंकी एक बैठक सावरमतीमें होनेवाली थी, किसी तरह अखबारवालोंके पासतक पहुँच ही गई। शायद यह अवश्यम्भावी था। परन्तु सभी सम्बन्धित लोगोंको मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि कमसे-कम हालके लिए तो यह खयाल छोड़ ही दिया गया है। कोई कार्यक्रम निश्चित करने और सामान्य विचार-विनिमयके लिए बहुतसे अपरिवर्तनवादी ऐसी बैठकका सुझाव बहुत दिनोंसे दे रहे थे। इस माँगने मद्रास कांग्रेसमें बड़ा जोर पकड़ लिया था जब कि कांग्रेसमें आये हुए अपरिवर्तनवादियोंको लगा कि कई एक प्रस्तावोंके बारेमें उनको एक निश्चित और संयुक्त नीति अपनानी चाहिए और कांग्रेसके भीतर ही उनको एक अलग दलके रूपमें काम करने योग्य बनना चाहिए। मुझे अलग दल बनानेका खयाल बहुत जँचा नहीं; मगर चर्चके लिए अपरिवर्तनवादियोंकी बैठक बुलानेके मैं विरुद्ध नहीं था। मगर मैं जब इस आशयका परिपत्र लिखने बैठा, तो मैंने देखा कि यह मुश्किल काम है, और बुलाये जानेवाले लोगोंके नाम चुनना भी कुछ कम टेढ़ी खीर नहीं है। सच पूछो तो मुझे दोनों ही काम असम्भव-से लगे। इस प्रश्नपर और गहरा विचार करनेपर मैंने देखा कि ऐसी कोई बैठक करनेसे शायद डा० अन्सारी मुश्किलमें पढ़ जायेंगे और ऐसी बातोंपर वाद-विवाद करनेसे, जिनको हम मजेमें किसी दूसरे अच्छे अवसरके लिए मुलतवी रख सकते हैं, बहिष्कारकी ओरसे देसका ध्यान इस ओर खिंच आयेगा और जिससे बहिष्कारका राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरा करना शायद और अधिक मुश्किल हो जायेगा। फिर मैंने यह भी देखा कि जबतक मैं जिन्दा हूँ, सर्व-सुलभ हूँ और मेरा दिमाग ठीक और स्वस्थ है, तबतक मेरे बिना कट्टर असहयोगियोंका जो अपरिवर्तनवादी दल बनाया जायेगा वह सम्भवतः पूरी तौरपर जोरोसे काम नहीं कर सकेगा। और इस प्रस्तावित बैठकके सुझावकी जड़में खयाल यह था कि एक दल ऐसा बनाया जाये कि जिसमें मेरा शामिल होना जरूरी न रहे। सिद्धान्तके रूपमें यह भले ही सम्भव हो, मगर व्यवहारमें तो बहुत-सी बातोंपर मेरी राय पूछी ही जायेगी, और मैं उन बहुसं-मुवाहिक्तोंमें शामिल रहकर, जिनमें वे सवाल पैदा होंगे, जो राय दे सकूँगा, उसकी बनिस्वत, उनमें शामिल हुए बिना ही मेरी जो राय होगी, उसके कहीं अधिक गलत होनेकी सम्भावना है। इन सब

चीजोंको देखनेपर मैं इस विचारकी ओर झुका कि अभी हालके लिए तो बैठक मुलतवी की जा सकती है। पहले-पहले मैंने बल्लभभाईको अपनी यह वदली हुई राय बतलाई और वे उससे सहमत हुए। दूसरे मित्र भी दूसरे स्वतन्त्र कारणोंसे इसी नतीजे-पर पहुँचे। इसलिए इस बैठकका विचार फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

आशा है कि इस स्थगनसे अपरिवर्तनवादी लोग निराश न हो जायेंगे। मैं यह अभी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि इसे स्थगित रखना ही अच्छा रहेगा या नहीं। जब कि राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमें असहयोग अंशतः स्थगित है, असहयोगियोंको व्यक्तिगत रूपसे अपनी श्रद्धाकी परीक्षा करनेका अवसर मिला है। दलके सहारेके बिना अपने ही पैरों अलग खड़े रहनेसे उनकी श्रद्धा और भी दृढ़ हो जायेगी। जब कोई ध्येय इतना सबल बन जाता है कि विश्वासके दर्जेतक उठ जाता है—जैसा कि असहयोग उनके लिए हो गया होगा जो अवतक उसका पालन सचाईसे करते आ रहे हैं—तो वह ध्येय अपने ही बलपर खड़ा रहता है, उसे अपने भीतर ही से आवश्यक पोषण मिल जाता है। हमें देशकी जनतापर ऐसा भरोसा भी रखना चाहिए कि जब कभी कोई प्रगतिशील आन्दोलन शुरू करना सम्भव होगा, वे सभी लोग उसमें फिरसे वखुशी शामिल हो जायेंगे, जिन्होंने असहयोगको छोड़ दिया था। इस घड़ी मैं आगेका कोई कदम नहीं सुझा सकता। क्योंकि मैं वीचके लिए जो भी बात सुझाऊँगा, उससे देशमें भिन्न-भिन्न दलों द्वारा की जानेवाली एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार करनेकी कोशिशमें खलल पड़ सकता है। इस वीच, मैं अपरिवर्तनवादियोंका ध्यान केवल खादीके महान रचनात्मक कार्यक्रमकी ही ओर खींच सकता हूँ। जो लोग खादी-कार्यक्रमको अहमियत नहीं देते वे असहयोगके सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक क्रियाशील अंश यानी अहिंसाकी खूबियाँ नहीं समझते, उसे नहीं पहचानते। अहिंसाके बिना असहयोग कभी भी एक विश्वास और सिद्धान्त बनने योग्य गरिमा प्राप्त नहीं कर सकता; वह युद्धकी एक चाल-भर बन कर रह जाता है। अहिंसापूर्ण असहयोगकी परिकल्पना तो एक ऐसी अमोघ औषधिकी रूपमें की गई थी जिसके आगे फिर किसी अन्य औषधिकी जरूरत ही नहीं रह जाती, और इसके क्रियात्मक पक्षका आधारभूत अंग खादी है। इंग्लैंडके समाचारपत्र 'डेली डिस्पेच' में देखिए कि मि० हारकोर्ट रॉबर्टसन किस प्रकार अनिच्छापूर्वक खादीकी स्तुति करते हैं। सम्पादकका कहना है कि "लेखक बहुत सालतक ब्रिटिश भारतमें रह चुके हैं और व्यापारकी हालत और भारतीयोंकी मनोवृत्तिका उन्हें खूब गहरा ज्ञान है।" १२ तारीखके 'लीडर' से मैं नीचेका उद्धरण सामार दे रहा हूँः

उनके (श्री रॉबर्टसनके) मतानुसार भारतवर्षमें ब्रिटिश सूती मालकी खपतकी कमीका कारण महासमरके बाद की गड़बड़ी नहीं है, आर्थिक कठिनाइयाँ भी नहीं हैं और न भारतीय जन-समुदायकी दरिद्रता ही है, . . . और न अकाल हैं . . . बल्कि हिन्दुस्तानी और जापानी मिलोंकी प्रतियोगिता है

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

और सबसे ज़बरदस्त कारण है खहर। . . . वह तो खादी को ही असल दुश्मन समझते हैं। . . . वह कहते हैं :

“खहर वह देशी कपड़ा है जो बाबा आदमके जमानेके करघोंपर हाथ-कते सूतसे नौसिखुए और नये-नये बुननेवाले बुनते हैं। खहर मोटा, कड़ा, गाँठ-गठोला और दोषोंसे भरा होता है। वह सबा ही मँला दिखलाई पड़ता है। मगर तो भी उसका चलन खूब है, धनी हिन्दुस्तानी भी खहरका कपड़ा पहननेमें गौरव मानते हैं, क्योंकि दिन-रूने रात-चौगुने बढ़नेवाले राष्ट्रीय दलकी इस पुकारका कि ‘हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियोंके ही लिए है’ खहर प्रत्यक्ष और ठोस रूप है। इसपर खर्च होनेवाली एक कौड़ी भी विदेशोंमें नहीं जाती। इसे जो पहनता है, वह हिन्दुस्तानके करोड़ों भूखोंको खाना देता है, अपने देशकी स्वतन्त्रता घोषित करता है और अपनेको अब्बल वर्जका देशभक्त साबित करता है। . . . खहर महात्मा गांधीका एक शस्त्र है और भारतवर्षमें विदेशी शासनके विरुद्ध संघर्षमें उन्होंने इसका आविष्कार किया था। महात्मा गांधी आधे सन्त, आधे धर्मान्वि और पूरे देशभक्त हैं। वे खुद अपने आप और देशी समाचारपत्रोंके जरिये भी देशके शिक्षित वर्गके हृदयोंपर सीषा असर करते हैं। आज हिन्दुस्तानमें असहयोगका शोर नहीं होता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मर गया है। यह तो अब उस स्थितिमें पहुँच गया है कि जब कोई शोरोगुल न होते हुए भी यह खतरनाक रूपसे सक्रिय है। . . . एक बार महात्मा गांधीके प्रचारकोंने जनताका मत फेरा नहीं कि फिर हिन्दुस्तान विदेशी मालका छोटा खरीदार भी नहीं रहेगा—बल्कि खरीदार रहेगा ही नहीं। . . . यह वार केवल कपड़ेपर ही नहीं किया गया है बल्कि इससे तो सभी श्रिटिश् मालका व्यापार ही चौपट कर देनेकी जानबूझकर कोशिश की जा रही है।”

इन बातोंसे तो महात्मा गांधीके प्रेरणादायक नेतृत्वमें खहरका प्रचार करनेवाले कार्यकर्त्ताओंकी छाती दो गज चौड़ी ही हो जायेगी। . . . मि० रॉबर्टसनको डर है और . . . वह सुझाते हैं कि हिन्दुस्तानमें ऐसे विचारोंका प्रचार करनेके लिए कुछ किया जाये कि ‘हिन्दुस्तानकी कपासका लंकाशायर वाला कपड़ा’, ‘हिन्दुस्तानका सबसे अच्छा ग्राहक लंकाशायर है’, ‘लंकाशायरके कपड़े खरीदनेसे हिन्दुस्तानी किसानोंको सहायता मिलती है।’ . . . दोनों देशोंके सम्बन्ध स्वार्थपूर्ण प्रचारसे नहीं, बल्कि भारतीयोंकी राष्ट्रीय भाँगे पूरी करनेसे ही ठीक-ठीक जुड़ेंगे और लंकाशायरके भारतीय व्यापारके विरुद्ध जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, वे हट सकेंगी।

यह तो कहना ही फिजूल है कि खादी कोई धमकी नहीं है। स्वराज्यके समान यह भी राष्ट्रीय जीवनके लिए श्वासकी तरह आवश्यक है। चाहे जिस उदारतासे हमारी भाँगे क्यों न पूरी की जायें, मगर जिस तरह हम स्वराज्यको नही छोड़ सकते,

उसी तरह खादीको भी नहीं छोड़ सकते। खादीको छोड़नेके मानी होंगे भारतीय जनताको बेच देना, भारतवर्षकी आत्माको बेच देना।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया, १९-१-१९२८

### ३६७. पत्र : वी० के० शंकर मेननको

सत्याग्रह आश्रम

साबरमती

१९ जनवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके सन्दर्भमें मैं श्रीयुत केलप्पनकी रिपोर्ट<sup>१</sup> इसके साथ ही भेज रहा हूँ। इसे पढ़नेके बाद आप जो टिप्पणियाँ करना चाहें, उनके साथ इसे कृपया वापस कर दें।

हृदयसे आपका,

संलग्न १

श्रीयुत वी० के० शंकर मेनन

पुलाया कालोनी, चलाकुडी

(मलाबार)

अंग्रेजी (एस० एन० १४६२७) की माइक्रोफिल्मसे।

### ३६८. पत्र : विधानचन्द्र रायको

सत्याग्रह आश्रम

साबरमती

१९ जनवरी, १९२८

प्रिय डा० राय,

मैं आपके पत्र तथा उस दवाके लिए आपको तथा डा० सरकारको धन्यवाद देता हूँ जिसे आपने कृपापूर्वक भेजा है। दवाओके प्रति मेरी अरुचि आप जानते हैं। मैंने दूधको छोड़कर मैं कोई ऐसी चीज नहीं लूँगा जिसमें मनुष्यके शरीरसे लिया गया कोई तत्त्व मिला हुआ हो। आपने जो गोलियाँ भेजी हैं उनमें गुर्द और पाचक ग्रन्थियाँ मिली हुई हैं। क्या इन्हें मनुष्य-शरीरसे नहीं लिया गया है? यह मान लें कि इन्हें बन्दर-जैसे किसी प्राणीके शरीरसे लिया गया है तो भी मेरी आपत्ति बनी

१. पुलाया कालोनीके बारेमें; देखिये " पत्र : के० केलप्पन नायरको ", २३-१२-१९२७।

रहेगी। आहार-विषयक प्रयोगोंके बारेमें मेरी कमजोरी आप जानते हैं। और जबसे आपने मेरे शरीरमें यूरिक एसिड (मूत्राम्ल)की बहुलताका पता चलाया है तबसे मैंने अपने भोजनमें भारी फेर-बदल करनेकी आवश्यकता महसूस की है। आश्रममें अपेक्ष-तया अधिक सुस्थिरताने मुझे यह अवसर प्रदान किया है और अब मैं केवल ताजे फल और काष्ठफल ले रहा हूँ। मेरे आहारमें अब मुनक्केकी चाय है जिसके मतलब है उबले हुए ४० मुनक्के जिनका छिलका और बीज निकाल दिये गये हों। इसे मैं दिनमें तीन बार लेता हूँ और हर बार उसमें बादामकी आषा आर्जस गिरी मिला लेता हूँ और दो बार नारियलकी गिरीका दूध तथा हर बार एक या दो सन्तरे लेता हूँ। नारियलका दूध तैयार करनेके लिए एक ताजा पका हुआ नारियल कुचल कर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे भजवूत खादीके कपड़ेमें से छान लिया जाता है। इसे मैं पिछले एक पखवाड़ेसे बिना कोई नुकसान उठाये करता रहा था। टट्टी कहीं ज्यादा नियमित है। मेरा वजन नहीं लिया गया है और न रक्तचाप लिया गया है, लेकिन मैं काफी अच्छा अनुभव करता हूँ। मैंने वजन और रक्तचाप जानबूझ कर नहीं दिया है, क्योंकि यदि मैं अन्यथा ठीक-ठाक हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

क्योंकि आपने मेरे स्वास्थ्यमें इतनी दिलचस्पी ली है इसलिए मुझे लगा कि मेरा फर्ज है कि जो परिवर्तन मैंने किया है वह आपको सूचित कर दूँ और आपने इतना खयाल करके जो दवा भेजी है उसे मैं क्यों नहीं खाऊँगा, इसका कारण भी बता दूँ। मैं चाहूँगा कि भारतीय चिकित्सक लोग मौलिक अनुसन्धान करें और आहार-परिवर्तनकी सम्भावनाका पता चलायें। यह हो सकता है कि जन-साधारण रोगकी चिकित्साके संयम-साध्य तरीकोको नहीं अपनायेंगे, लेकिन क्या मुझ-जैसे बेचारे मतान्ध व्यक्तियोंके लिए चिकित्साशास्त्रियोंके दिल-दिमागमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए? क्या भारतीय चिकित्सकोंको चिकित्सा-विज्ञानको कोई नई देन नहीं देनी है? या भारतको हमेशा पेटेंट कराई हुई कठवैदकी दवाओंपर ही निर्भर करना होगा जिन्हें अन्य विदेशी मालोंके साथ इस अमाने देशमें क्षोंक दिया जाता है? अनुसन्धान करनेके मामलेमें पश्चिमका एकाधिकार क्यों होना चाहिए?

इस पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करने या इसका उत्तर देनेकी जरूरत नहीं है, जब तक कि आप मुझे कोई निर्देश न देना चाहते हों। अतः यदि आपको बतौर सलाह और मार्गदर्शनके मुझसे कुछ और कहनेको न हो, तो आप इस पत्रको रद्दी कागजकी टोकरीमें फेंक दे सकते हैं।

हृदयसे आपका,

डा० विधान राय  
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १३०४४) की फोटो-नकलसे।



## ३६९. पत्र : सुरेशचन्द्र बनर्जीको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

१९ जनवरी, १९२८

प्रिय सुरेश बाबू,

आपका पत्र<sup>१</sup> मिला। कोमिल्ला वाला मामला राजी-खुशी निपट गया इसकी मुझे खुशी है। यह सुधार आन्तरिक है या ऊपरसे थोपा गया सुधार है?

जहाँतक मेरे स्वास्थ्यका सम्बन्ध है, मेरा मन डा० राय द्वारा भेजी गई दवाको लेनेके लिए तैयार नहीं हो सका। यह तो मानव-शरीरमें से निकाली हुई चीज है और ऐसी किसी भी दवाको लेना मेरे लिए अत्यन्त अरुचिकर है। लेकिन मैंने अपने आहारमें जबर्दस्त परिवर्तन किये हैं। मैं अब केवल फलों और थोड़े पिसे हुए बादाम तथा नारियलके दूधपर रह रहा हूँ। अभीतक मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०४५) की फोटो-नकलसे।

## ३७०. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

२० जनवरी, १९२८

प्रिय सतीशबाबू,

त्रिदेशी कपड़ेके बहिष्कार तथा मिलोके बारेमें मालवीयजीके विचार मैंने पढ़े हैं। मुझे मिलके कपड़े तथा इन्फ्लूएन्जाके बारेमें कही गई आपकी बात याद है। मैं 'यंग इंडिया'में बहिष्कारके बारेमें चर्चा करनेकी आशा रखता हूँ।<sup>१</sup>

मैंने अब नया सफरी चरखा जाँच लिया है। इसकी तीलियाँ ढीली हो गई हैं और इसकी घुरी कमी हल्की नहीं चली और जब आपने पहले देखा था, उस

१. सुरेश बाबूका ११-१-१९२८ का पत्र, जिसमें कहा गया था: "कोमिल्लामें समो साम्प्रदायिक मामलोंपर सन्तोषजनक समझौता हो जानेके परिणामस्वरूप हम सब रिहा कर दिये गये हैं। . . . मुझे आशा है कि इसके फलस्वरूप . . . पूर्ण सद्भाव और शान्ति बनी रहेगी। . . ."

२. देखिए 'त्रिदिश मालका बहिष्कार', २६-१-१९२८।

समयकी तरह ही सक्त बनी रही। आपको वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति रखना चाहिए जो परिणामोकी जाँच करनेके लिए बराबर चरखेपर काम करता रहे। मैं चाहता हूँ कि आप एक निर्दोष चरखा तैयार करे, और ऐसा आप तबतक नहीं कर सकते जबतक एक आदमी हमेशा उसपर काम नहीं करता और उसमें आवश्यक सुधारोंका सुझाव नहीं देता रहता।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५८४) की फोटो-नकलसे।

### ३७१. पत्र : मदनमोहन मालवीयको

सत्याग्रह आश्रम

पौष कृष्ण १३ [२० जनवरी, १९२८]<sup>१</sup>

माई साहब,

आपके तारका उत्तर मैंने दीया था।<sup>२</sup> अब मुझे आपकी सम्मति जामिया फंडके लिये चाहिये।

विदेसी कपडोके बहिष्कारकी बात आपने उठाई है। परंतु उसी के साथ आपने मीलोंके कपडेकी बात भी कही है। मैं आपको कीस तरह समझा दूँ कि जब तक मील वाले हमारे साथ कुछ सन्धि न करे और उनके दामों पर हम अंकुश न रख सके तब तक मीलोकी मदद निरर्थक ही नहीं परंतु हानिक [र]<sup>३</sup> है। उ[लटा]<sup>४</sup> जैसे पूर्व काल में बंगालमें हुआ इसी तरह अब भी होगा और लोगोंका विश्वास बहिष्कारकी शक्यता पर से उठ जायगा।

यदि मेरी भाषा या मेरे अक्षर समझनेमें कठिनाई है तो आप मुझे कह देंगे। मैं अंग्रेजीमें विबस होकर लीखुंगा। मुझको तो मेरी टूटी-फूटी राष्ट्रभाषा ज्यादा प्रिय है।

आपका,  
मोहनदास

जी० एन० ८६८२ की फोटो-नकलसे।

१. जामिया कोषके उल्लेखसे; देखिए पिछला शीर्षक भी।

२. देखिए “तार : मदनमोहन मालवीयको”, ९-१-१९२८ या उसके पश्चात्।

३ व ४. अस्पष्ट है।

## ३७२. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

२० जनवरी, १९२८

प्रिय भगिनी,

तुमारा खत आ गया है। निश्चित रहती है ऐसा जान कर मुझे बड़ा आनंद आता है। जिस ढंगसे आजकल श्राद्ध होता है उसपर मुझको श्रद्धा नहीं है। अनील के श्राद्धके दिन केवल फलाहार करें, उसी निमित्त यज्ञ समझ कर ज्यादा कातें, और उत्तरकांडमें से 'रामायण' का पाठ करें और 'भगवद्गीता' के बारह अध्यायका अच्छी तरह मनन करें।

बापु

जी० एन० १६५३ की फोटो-नकलसे।

## ३७३. भाषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषद, पोरबन्दरमें<sup>१</sup>

२२ जनवरी, १९२८

राजा तथा प्रजाके बीच किसी तरहकी गलतफहमी पैदा न हो जाये तथा परिषदको भी अपनी शक्तिका पूरा मान बना रहे इस उद्देश्यसे एवं कुछ समयसे चली आ रही प्रथाको एक निश्चित रूप देनेके लिए यह परिषद निश्चय करती है कि परिषद किसी भी राज्यके सम्बन्धमें व्यक्तिगत तौरपर उसकी निन्दा या आलोचनात्मक कोई प्रस्ताव पास नहीं करेगी।<sup>२</sup>

गांधीजीने उक्त प्रस्तावका विवेचन करते हुए कहा :

आजका यह बन्धन युवकोंको पसन्द नहीं आयेगा, किन्तु स्वराज्य अर्थात् गलतियाँ करनेका जन्मसिद्ध अधिकार-जैसी सलाह देनेके पहले अपने उत्तरदायित्वके बारेमें मुझे विचार कर लेना चाहिए। मैंने अपने उत्तरदायित्वके बारेमें विचार कर लिया है और सोच-विचार कर ही सलाह दी है। मैंने न केवल इस प्रस्तावपर विचार किया है बल्कि इस प्रस्तावका मसविदा भी मैंने ही तैयार किया है। परसों विषय-समितियों

१. यह चौथी परिषद थी।

२. यह प्रस्ताव २६-१-१९२८ के रंग हंडियामें प्रकाशित "साप्ताहिक पत्र" से लिया गया है। महादेव देसाईके अनुसार प्रस्ताव गांधीजीने तैयार किया था।

व्यक्तिगत आलोचना सम्बन्धी दो प्रस्ताव रखे गये थे, किन्तु मैंने उन प्रस्तावोंको पास न करनेकी सलाह दी। वादमें मुझे खयाल आया कि जिन कारणोंसे मैंने उपर्युक्त कदम उठाया था उन्हें देखते हुए एक निश्चित अवधितक इस कदमको वापस नहीं लिया जाना चाहिए। यदि हम इस प्रस्तावको पास नहीं करते तो हमारा अस्तित्व खतरमें पड़ जायेगा। किन्तु किसीके मनमें यह शंका उठ सकती है कि मौतको टालनेकी खातिर ऐसा अंकुश क्यों लगाया जा रहा है। यदि किसी सदस्यकी ओरसे ऐसा प्रस्ताव रखा गया होता तो समितिने उसे रद्द कर दिया होता। किन्तु समिति और काठियावाड़ियोंने मुझपर विश्वास करके मेरी जिम्मेवारी बढ़ा दी है और उस प्रस्तावको पास करके आप भी मेरी जिम्मेवारी बढ़ा देंगे। 'गलतफहमी' जैसे शब्द जो प्रस्तावमें आये हैं उन्हें युवकवर्गको सहन करना होगा।

भावनगर अधिवेशनके समय जामनगर और गोंडल राज्योंका प्रश्न ही परिषद के सामने आया था। मैं नाम साहवसे मिला और उनसे चर्चा की। समस्या क्या थी और क्या है यह तो मैं जानता हूँ, किन्तु कामका बोझ अधिक होनेके कारण उस चर्चासे मैं पूरा लाभ नहीं उठा सका। फिलहाल तो मैं आपको यह नहीं बता सकता कि इस मामलेमें मेरी हार हुई या जीत। हालाँकि गोंडलके ठाकुरके हाथों मुझे हार खानी पड़ी है फिर भी मैंने उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं होने दी।

आज परिषद अक्षत, लूली और अन्धी है और मेरा यह विश्वास होनेके कारण कि व्यक्तिगत आलोचना नहीं करनी चाहिए मैंने भावनगरमें तथा यहाँपर यह माँग की है ताकि परिषदमें व्यक्तिगत प्रस्ताव या आलोचना न की जा सके। परिषदमें भाग लेनेवाले और अधिकारीगण प्रस्तावोंके बारेमें सतर्क रहें। वे अपने करने योग्य कार्य करें। राजा-प्रजाके बीच घुल-मिलकर, राजाओंमें उनके दोष गिनानेके लिए उत्सुक होते हुए भी यदि वे अपनी चाणी, लेखनी और जीभको काबूमें रखें तो इस संयमका पालन करनेसे हमें लाभ ही होगा। जिसे परिषदके दो अधिवेशनोंमें स्वीकार किया है, उस प्रतिबन्धका पालन हमें अपनी कमजोरीका ध्यान रखते हुए भविष्यमें भी करना चाहिए। जिस व्यक्तिको अपनी कमजोरीका ज्ञान है यदि वह उसे दुनियाके सामने रख दे तो उसका भार कम हो जाता है।

यदि कोई यह पूछे कि प्रतिबन्ध लगा देनेके वाद वहादुर लोग क्या करेंगे तो इसके उत्तरमें मैं कहूँगा कि ऐसे वहादुर लोगोंका स्थान परिषदमें नहीं बल्कि उसके बाहर है। वे अपनी अलग समिति बनायें। यह परिषद सत्याग्रहियोंके लिए नहीं है और न कांग्रेस ही उनके लिए है। यह परिषद उनपर तो कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रही है। सत्याग्रही आलोचना करें किन्तु निन्दा तो कदापि न करें। यदि कोई यह पूछे कि रियासतमें भ्रष्टाचार होता हो तो क्या करना चाहिए तो मैं इसके उत्तरमें यह कहूँगा कि रियासतके मामलोंकी आलोचना करनेकी हिम्मत हममें आनी चाहिए, किन्तु यदि प्रजा ही निर्बल होनेके कारण उसे सहन कर ले तो हमें उनके बीच काम करते हुए उनकी सहायता करनी चाहिए। अन्याय तो वहाँ है ही किन्तु उसे दूर

करनेके लिए हमें कोई अन्य स्थान खोज लेना चाहिए। रियासतोंके आपसी सम्बन्ध मित्रतापूर्ण होनेके कारण वे एक-दूसरेकी आलोचना करने ही नहीं देंगे। अलवत्ता परिषद अपने वर्तमान रूपमें व्यक्तिगत रूपसे किसीकी आलोचना अथवा निन्दा नहीं कर सकती।

तदुपरान्त गांधीजीने कहा कि आलोचना करनेके अतिरिक्त खादीका काम तथा देशी रियासतोंकी बजाय सनातनियों द्वारा अन्त्यजोंके प्रति किये जानेवाले भयंकर अन्यायको दूर करनेका काम तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है।

[ गुजरातीसे ]

प्रजाबन्धु, २९-१-१९२८

### ३७४. तार : मीराबहनको

वरतेज

२३ जनवरी, १९२८

मीराबाई

द्वारा जमनादास गांधी

मिडिल स्कूलके सामने

राजकोट

रोनाने<sup>१</sup> तार दिया है पिताका शुक्रवारकी रात शान्तिपूर्वक देहान्त हो गया। शान्ति और प्रेम।

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ५३००) से तथा जी० एन० ८१९० से भी।

सौजन्य : मीराबहन

### ३७५. भाषण : वरतेजमें<sup>२</sup>

२४ जनवरी, १९२८

हिन्दू अन्त्यजोंकी सेवा करते हैं तो इसमें वे उनपर कोई उपकार नहीं करते बल्कि अपने ऊपर ही उपकार करते हैं। अपने अन्त्यज कहे जानेवाले भाइयोंको अन्त्यज बनानेके लिए हिन्दू ही उत्तरदायी हैं और ऐसा करके उन्होंने जो पाप किया है उसका मार्जन और प्रायश्चित्त वे जितना करें, उतना कम है। इसलिए अन्त्यजोंकी सेवा करनेका थोड़ा भी अवसर जब मुझे मिलता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ और

१. मीराबहनकी बहन।

२. तत्कालीन भावनगर रियासतका एक गाँव। गांधीजीने वहाँ अन्त्यजोंके लिए एक राम-मन्दिरका शिलान्यास किया था।

मुझे लमता है कि मैं [समाजके] इस पापका कुछ प्रायश्चित्त कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्तिको ऐसा अभिमान नहीं रखना चाहिए कि वह उनकी सेवा करता है अतः उसके लिए इस पापका प्रायश्चित्त करनेका सवाल नहीं उठता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी एक भी हिन्दूके अत्याचारोंके लिए सारा समाज जिम्मेदार है। जगत इसी नियमपर चल रहा है कि जबतक कोई एक मनुष्य भी पाप करता है तबतक सारा जगत् उसके लिए उत्तरदायी है। हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनोंको अपने लिए यही नियम लागू करना चाहिए। जबतक दुनियामें मनुष्य-जाति बाड़ोंमें बँटी हुई है तबतक ऐसे प्रत्येक बाड़ेका प्रत्येक सदस्य अपने प्रत्येक दूसरे सदस्यके पापके लिए जिम्मेदार है।

मन्दिरका अर्थ संगमरमर और ईंटोसे बना हुआ घर नहीं है। इसी तरह उसमें मात्र मूर्तिकी स्थापना हो जानेसे भी वह इस नामका अविकारी नहीं हो जाता। उसे मन्दिर तभी कहा जा सकता है जब मूर्तिकी प्राण-प्रतिष्ठा की गई हो। ब्राह्मणको बुलाकर हवन कराकर मन्दिर खोल देनेमें पाखंड भी हो सकता है। सच तो यह है कि जिसने मन्दिरका निर्माण करानेका सकल्प किया हो उसे अपने इस संकल्पके क्षणसे ही अपना जीवन प्रायश्चित्तमें ही लगा देना चाहिए और अपने पुण्योंका फल मन्दिरको ही अर्पित कर देना चाहिए। मन्दिरके संचालको और उसके पुजारियोंका जीवन भी तपश्चर्यामय होना चाहिए, जिससे कि मन्दिरमें प्रवेश करते ही दर्शनार्थिके मनमें भक्तिकी लहरें उठने लगें। यदि यह मन्दिर इस श्रेणीका न हो, यदि इसके पीछे इतनी आत्मशुद्धि और विचारशुद्धि न हो तो फिर यह मन्दिर नहीं, एक मकान-मात्र है और पृथ्वीपर बोज़-रूप है। इस मकानको मन्दिर कहा जायेगा इसलिए जमीनका इतना हिस्सा वैकार हो जायेगा; इसका कोई उपयोग नहीं होगा। यह भी सम्भव है कि मन्दिरके नामकी ओटमें यह अनेक प्रकारके पापको आश्रय देनेवाली एक हानिकारक संस्था बन जाये। ये सारे दोष यहाँ नहीं हैं, ऐसा मानकर ही मैंने यह शिलान्यासकी विधि की है। मनमें यह विचार आते ही कि मन्दिर बनाना है उसका शिलान्यास कर देना और फिर यह आशा रखकर बैठ जाना कि मन्दिर किसी दिन बन ही जायेगा, ठीक नहीं है। हमारी कहावत है कि उतावली करनेसे आम नहीं पकते। उसी तरह धर्मका पीघा भी उतावली करनेसे नहीं उगता। उसके लिए सच्चा विश्वास, परिश्रम और धैर्य चाहिए।

यहाँ उपस्थित अन्त्यज भाइयोसे मैं यही कहूँगा कि हिन्दू-धर्मका यह कथन कि स्वयं मरे बिना कोई स्वर्ग नहीं पहुँच सकता, बिलकुल सही है। अपनी उन्नति तुम्हें स्वयं ही करनी है। तुम यह मानकर मत बैठ जाना कि तुम्हारे भलेके लिए जो कुछ जरूरी है सो सब हिन्दू समाज करेगा। वे तो तुम्हारी सेवा करके अपना ही भला कर रहे हैं। तुम्हें अपनी ताकत दिखानी हो तो जागो और हिन्दुओंने जिन दोषोंको लगाकर तुम्हारा त्याग किया है उन्हें दूर करके दिखाओ। ऐसा नियम बनाओ कि तुममें जो ब्यसनी है, या मांसाहारी है, वे मन्दिरमें नहीं आ सकेंगे। ऊँचे माने जानेवाले हिन्दुओंके दोषोंकी ओर अंगुली मत उठाना। 'समरथको नहीं दोष गुसाई',

इस नीतिके अनुसार दुनिया उन्हें माफ कर देगी किन्तु तुम्हें वह माफ नहीं करेगी। दूसरोंमें तुम्हारी अपेक्षा अनेक-गुने दोष हों तो भी उनकी ओर ध्यान मत देना और अपने दोष दूर करनेका प्रयत्न करना।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९-१-१९२८

### ३७६. भाषण : मोरबीमें<sup>१</sup>

[२४ जनवरी, १९२८]<sup>१</sup>

महाराजा साहब, राज्यकी प्रजा और मोढ़ जातिने मेरा और मेरे साथियोंका जो स्वागत किया और मानपत्र दिया, उसके लिए मैं सबका हृदयसे आभार मानता हूँ। मोढ़ भाइयोंसे मुझे इतना कहना चाहिए कि आपसे मानपत्र लेनेका मुझे कुछ भी हक नहीं। मैं सपनेमें भी खयाल नहीं कर सकता कि मैं मोढ़ जातिकी एक जातिके तौरपर कोई भी सेवा कर सका हूँ। कितने ही भाई ऐसा माननेवाले भी हैं कि मैंने मोढ़ जातिको नुकसान भले पहुँचाया हो, पर सेवा कभी नहीं की। घड़ी-भरके लिए यह इल्जाम मान भी लूँ, तो भी यह मानपत्र आपकी उदारता जाहिर करता है। पर मुझे इतनी-सी उदारतासे सन्तोष नहीं होता। क्योंकि यह उदारताकी निशानी है; तो भी यह मानपत्र लेनेवाले और देनेवालोंमें एक खानगी समझौता यह रहता है कि मानपत्र लेनेवाला जो काम कर रहा है उसके लिए देनेवालोंका आशीर्वाद और सम्मति है, वैसा कोई समझौता हमारे बीच नहीं है। मुझे इसलिए भी मानपत्र लेनेमें संकोच होता है।

आपकी इस छोटी-सी जातिके बारेमें मेरा इतना कहना कुछ मर्म रखता है; मैं यह माननेवाला रहा हूँ कि इन छोटे-छोटे वाड़ोंका नाश करना ही चाहिए। मुझे इस बारेमें शक नहीं कि हिन्दू-धर्मके भीतर जातियोंके लिए जगह नहीं है। और यह मैं मोढ़ या दूसरी जो भी जातियाँ यहाँ हों उन्हें ध्यानमें रखकर कहता हूँ। सच्चे शास्त्रोंमें जातिके बारेमें कोई भी आधार नहीं है। आधार सिर्फ चार वर्णोंके लिए है। भगवानने केवल चार वर्णोंकी ही रचना की है। वर्ण-धर्ममें जातिकी गन्धतक नहीं है। आप सबसे मोढ़ जातिके निमित्त मैं यह कहना चाहता हूँ कि जातिके वाड़ोंको भूल जाइये। आज जो जातियाँ हैं उनका आहुतियोंके रूपमें उपयोग कीजिये और नई न बनने दीजिये। इन जातियोंका यज्ञ कीजिये और इनमें कोई संयमकी बात हो तो उसका पालन कीजिये। आप इन छोटे वाड़ोंके खड्डोंमें पड़े रहेंगे तो वदवू उठेगी। डाक्टर खड्डेभर देनेकी सलाह देते हैं। जिस तरह उनमें से वदवू उठती है, मच्छर पैदा होते हैं, और वे घातक साबित होते हैं, उसी तरह यह समझ लीजिये

१. सौराष्ट्रकी एक रियासत।

२. रामदास गांधीके विवाहके उल्लेखसे जो २७ जनवरीको हुआ था। देखिये पृष्ठ ५०७।

३. गांधीजी वक्तियोंकी इस उप-जातिके थे।

कि ये जातिके बाड़े भी मनुष्यके लिए घातक है। यह समझ लीजिये कि ईश्वर कभी ऐसी घातक रचना नहीं कर सकता। मैं अपने अनुभवकी बात कहता हूँ। अगर आप उसे मानेंगे तो सुखी होंगे। समय अपना काम करता रहता है। समयके काममें बाधा डालनी हो तो भले ही डालिये, पर यह मान लीजिये कि बाधा डालना नाहक है। अगर इन बाड़ोके बचावमें हम नाहक बक्त गँवाया करेगे, तो वह सूरजके सामने धूल उड़ाकर अपनी ही आँखोंमें डालनेके खेलकी तरह होगा। आपने मुझे मानपत्र न दिया होता तो ये बातें कहनेकी इच्छा न होती, उसका मौका न मिलता। इस चीजको छोटी न मानिये। बरसोंसे हम वहम और अज्ञानमें पड़े हैं। इस वहम और अज्ञानको ज्ञान मत कहिये। आज दुनियामें जुदा-जुदा धर्मोंका मुकाबला हो रहा है। यदि हम खुले मनसे देखें तो जान पड़ेगा कि हमारी जातियाँ तरक्कीको, धर्मको, स्वराज्यको और रामराज्यको—जिसकी मैं रट लगाये हुए हूँ उस रामराज्यको—रोकनेवाली है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मोठ जातिमें ऐसा क्या बरा है कि हम उसीके गीत गाया करें? जहाँ-तहाँ हमारे आचार और विचारमें विरोध देखा जाता है। हमारे गीतोका अर्थ अलग है और हमारा आचरण अलग है। यह तो सौंप चला गया और लकीर रह गई वाली बात हुई। आचार और विचारमें मेल बैठानेका भगीरथ प्रयत्न कीजिये। आपने मानपत्र दिया है, उसके जवाबमें आपसे इस कोशिश की मैं माँग करता हूँ। मैंने जिस खानगी समझौतेकी बात कही है, उसे ही आप मान लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आपसे मानपत्र लेना और इस जातिमें जन्म लेना सार्थक हुआ।

मेरा यज्ञ तो आचार और विचारकी एकताके लिए चल रहा है; और मेरे इस यज्ञके कारण मोठ जातिने मेरा वहिष्कार किया है; हालाँकि बादमें मोठोंने देख लिया कि मैं वहिष्कारके लायक नहीं, क्योंकि मैंने जातियोसे फायदा उठानेका कभी विचार तक नहीं किया। मैं तो इन बाड़ोको तोड़नेकी अपनी कोशिशें तेज करना चाहता हूँ। आपको पता नहीं होगा कि मैंने अपने एक लड़केका व्याह जातिसे बाहर किया है। और इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे लड़केको एक भक्त वैष्णव कुटुम्बकी लड़की मिली और उसके लिए मेरा लड़का मुझे धन्यवाद देता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मैंने तो दूसरी जातिमें से एक जवाहर चुराया है। छोटी-छोटी जातिवालोंसे मैं कहता हूँ कि तुम्हारी लड़कियाँ कुंवारी रहती हों तो मुझे सौंप देना। मैं दूसरी जातिके अच्छे सुशील लड़कोंके साथ तुलसीके पत्ते या सूतके चागे समर्पित करके उनका व्याह कर दूँगा। मैंने अछूतकी लड़कीको गोद लिया है, फिर भी दूसरी जातिके लोग अपनी लड़की देनेमें संकोच नहीं करते, तो आपको किसलिए डर हो? मैं तो तीन दिन बाद एक मोड़ कन्याके साथ अपने लड़केकी शादी करनेवाला हूँ। इस तरह मेरा काम चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती।

इस तरह मोठ जातिके वहाने मैं सब बाड़ेवालोंसे कहना चाहता हूँ कि बाड़े तोड़िये। अठारह वर्ष तो आम लोगोंकी कहावतमें है, गुण और कर्मके अनुसार तो चार ही वर्ण हैं। खाने-पीने-सम्बन्धी आचार तो अस्पृश्यताके विषय हैं। वर्ण तो एक ऐसा



सुन्दर पेड़ है जिसकी छायामें बैठकर मनुष्य-जाति अपने लिए छाया और पोषण पा सकती है। वर्ण-व्यवस्था संयमका धर्म है। इसमें रुपये-पैसेका खयाल नहीं, धर्मपर चलनेका ध्येय है। ऋषि-मुनियोने इसकी कल्पना और रचना धर्मपर चलनेके राज-मार्गके रूपमें की थी। इसके वजाय अब यह हमारे स्वार्थों, हमारे दोषों और हमारे भोगोंको बल पहुँचानेका जरिया बन गई है। अब शुद्ध वर्ण-व्यवस्था कायम करनेकी कोशिश कीजिये।

मेरी अपनी दृष्टिमें स्वराज्य और रामराज्य एक है; यों लोगोंसे बोलते हुए रामराज्य शब्दका उपयोग अधिक नहीं करता। इसका कारण यह है कि बुद्धिके इस युगमें रित्रियोंसे चरखेकी बात करनेवालेका रामराज्यकी बात करना बुद्धिवादी युवकोंको एक निरर्थक बात लगेगी। वे तो रामराज्य नहीं, स्वराज्य चाहते हैं; और स्वराज्यकी भी विचित्र व्याख्या करते हैं; मेरी दृष्टिसे उसका कोई मूल्य नहीं है। किन्तु आज मैं महाराजा साहब और उनकी प्रजाके सामने खड़ा हूँ। महाराजा साहबने एक घंटेतक मेरे सामने अपने हृदयके उद्गार रखे। ऐसी अवस्थामें मेरी इच्छा भी उनके सामने अपने मनकी बात ही रखनेकी होती है। स्वराज्यकी कल्पना साधारण बात नहीं है। स्वराज्य तो रामराज्य है। यह रामराज्य किस तरह आयेगा, कब आयेगा। हम राज्यको रामराज्य तभी कह सकते हैं जब राजा और प्रजा दोनों सरल हों, जब राजा और प्रजा दोनोंका हृदय पवित्र हो, जब दोनों त्यागवृत्ति रखते हों, भोगोंका सुख उठाते हुए भी संकोच और संयम रखते हों, और जब दोनोंके बीच पिता और पुत्र जैसे सम्बन्ध हों। हम यह बात भूल गये, इसलिए "डिमॉक्रेसी" (प्रजातन्त्र) की बातें करते हैं। "आज "डिमॉक्रेसी" का जमाना है," मुझे नहीं मालूम, इसका क्या अर्थ है। किन्तु जहाँ प्रजाकी आवाज सुनी जाती है, जहाँ प्रजाके प्रेमको प्राधान्य मिलता है, कहा जा सकता है कि वहाँ "डिमॉक्रेसी" है। मेरी कल्पनाके रामराज्यमें सिरोकी गिनती अथवा हाथोंकी गिनतीसे प्रजाके मतको नहीं मापा जा सकता। जहाँ इस तरह मत लिये जाते हों, उसे मैं प्रजाका मत नहीं मानता। 'पंच बोले, सो परमेश्वर'। पूछे जानेपर हाथ ऊँचे करनेवाले पंच नहीं होते। ऋषि-मुनियोने तपस्या करके यह देखा कि जो व्यक्ति तपश्चर्या करते हों और प्रजाके कल्याणकी भावना रखते हों, उनका मत प्रजाका मत कहला सकता है। इसीका नाम सच्ची "डिमॉक्रेसी" है। यदि कोई मुझ-जैसा आदमी व्याख्यान देकर आपका मत चुराकर ले जाये, तो उस मतसे प्रकट होनेवाली वस्तु "डिमॉक्रेसी" नहीं है। मेरी "डिमॉक्रेसी" तो 'रामायण' में लिखी पड़ी है। और मैंने जिस सीधे-सादे ढंगसे 'रामायण' को पढा है, उसमें से जो भाव निकलता है, रामचन्द्र उसीके अनुसार राज्य करते थे। आजका राजा तो राज्य करनेको अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानता है और प्रजाका किसी प्रकारका अधिकार स्वीकार नहीं करता। किन्तु राजा लोग जिस रामके वंशज कहलाते हैं, क्या आप जानते हैं कि वह राम किस तरह बरतता था? आप कृष्णके भी वंशज कहलाते हैं। कृष्णने कैसा आचरण किया था? कृष्ण तो दासानुदास थे। राजसूय यज्ञके समय तो उन्होंने सभी अम्यागतोंके पाँव धोये। अपनी प्रजाके पाँव धोये। यह बात सच है अथवा काल्पनिक, ऐसी कोई प्रथा उस समय थी या नहीं,

यह एक अलग बात है। इसका इतना ही मर्म है कि उन्होंने प्रजाको देखा तो उसे नमस्कार किया, प्रजाके मतको शिरोधार्य किया। यही बात 'रामायण' में दूसरी तरहसे आती है। रामचन्द्रजी गुप्तचरको नगरमें होनेवाली चर्चा सुनने भेजते हैं और उन्हें मालूम होता है कि एक घोड़ीके घरमें सीताजीके विषयमें अपवाद हो रहा था। वे तो जानते थे कि यह अपवाद निराधार है। उन्हें तो सीताजी प्राणसे भी प्यारी थी। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था जो उनके और सीताजीके बीचमें भेद उत्पन्न कर दे। फिर भी ऐसा अपवाद चलने देना उचित नहीं है, यह समझकर उन्होंने सीताजीका त्याग किया। वास्तवमें रामचन्द्र और सीता एक-दूसरेमें ओतप्रोत थे। सीता रामचन्द्रजीमें समायी हुई थी और रामचन्द्रजी सीताजीमें। जिस सीताके लिए रामचन्द्र सेना लेकर चढ़े, रात-दिन वे जिसका ध्यान करते रहे, उन्होने उसी सीताके शरीर-वियोगको आवश्यक माना। प्रजाके मतको मान देनेवाले ऐसे राजा रामका राज्य रामराज्य कहलाया। ऐसे राज्यमें श्वान जैसे किसी जीवको भी दुःख नहीं पहुँचाया जाता था, क्योंकि रामचन्द्रजी तो जीवमात्रका अंश अपनेमें देखते थे। ऐसे राज्यमें व्यभिचार, पाखण्ड और असत्य नहीं रहता। ऐसे सत्ययुगमें प्रजातन्त्र चलता रहता है। सत्य टूट गया तो राजा राजधर्मका पालन नहीं करता। तब बाहरसे आक्रमण होने लगते हैं। जब मनुष्यका रक्त सदोष हो जाता है, तब उसपर बाहरके जन्तुकोका आक्रमण होने लगता है। इसी तरह समाज-रूपी शरीरके अस्वच्छ हो जानेपर उस समाजके अंग-रूप मनुष्योपर बाहरसे आक्रमण शुरू हो जाता है।

किन्तु जब राजा और प्रजाके बीच प्रेमका सम्बन्ध हो तो प्रजा एक शरीरकी तरह इस आक्रमणका मुकाबला करनेमें समर्थ रहती है। राज्य-शासन तो प्रेमका शासन है। राजदण्डका अर्थ पशु-बल न होकर प्रेमका बन्धन है। राजा शब्द ही 'राज्' अर्थात् शोभा पाना, इस धातुसे बना है। इसलिए राजाका अर्थ हुआ शोभनीय व्यक्ति। वह जितना जानता है प्रजा उतना नहीं जानती। उसने प्रजाको प्रेमपाशसे बाँध लिया है, इसलिए वह दासानुदास है। श्रीकृष्ण भी दासानुदास थे। और उन्होंने सेवककी तरह पाद-प्रहार भी सहन किये। मैं राजा-महाराजाओसे कहता हूँ कि यदि वे राम और कृष्णके वंशज कहलानेकी इच्छा करते हो, तो उन्हें प्रजाका पादप्रहार सहनेके लिए तैयार रहना चाहिए। आप प्रजाकी गालियाँ खाइए; प्रजा गैर-जिम्मेदार हो सकती है, राजा गैर-जिम्मेदार नहीं हो सकता। यदि राजा बुद्धि खो दे तो पृथ्वी रसातलको चली जाये।

इसके बाद गांधीजीने यन्त्र-युगके अभिज्ञापकी चर्चा की और जीहरियों तथा जैन-आवकोंको — जिनकी मोरवीमें अच्छी-खासी बस्ती है — लक्ष्य करके कहा :

यह कृषि-प्रधान देश है और इसमें ७ लाख गाँव हैं। यन्त्र-युगसे इसकी रक्षा नहीं हो सकती। इसमें तो जीते-जागते यन्त्र हैं। इन जीते-जागते यन्त्रोंकी रक्षा करके ही देशकी रक्षा की जा सकती है; और ये हैं गोमाता और उसका वंश, उसके किसान-मजदूर और उनका वंश। जहाँ ऐसे चेतनामय यन्त्र पड़े हों और जो हमेशा बढ़ते रह सकते हैं, यदि वहाँकी प्रजा जड़यन्त्र-युगकी प्रजा ही हो जाये, तो संसार-भरके

अभिशाप उसके सिरपर आ पड़ेंगे। चक्रवर्ती राजाओंका यह देश, जिसमें ३३ करोड़ जीवित यन्त्र पड़े हुए हैं, यन्त्र-युगका पुजारी हो जाये, तो समझना चाहिए कि हम रामके वंशज नहीं हैं, रावणके वंशज हैं। ये बचन हैं तो कड़वे, किन्तु ये हृदयके प्रेमसे निकले हैं। ठाकुरसाहबने अपने हृदयके उद्गार मेरे सामने रखे। जहाँ-कहीं मुझे सहृदयता मिलती है, वहाँ मैं बेभान हो जाता हूँ और हृदय चीरकर समर्पित कर देता हूँ। यदि आज नहीं, तो मेरे मर जानेके बाद आप अनुभव करेंगे कि यह आदमी जो कहता था, सो ठीक कहता था। आप जिस दिन यन्त्र-युगको प्रवानता देंगे, उस दिन आप अपने गलेपर छुरी फिराने-जैसा काम करेंगे। यदि भविष्यमें कोई चंगेजखाँ हमपर हमला कर दे और तैतीस करोड़ लोगोंको काटकर तीन लाख कर दे, तो सम्भव है ब्रिटेन और अमेरिकाकी तरह हमें यन्त्रोंकी जरूरत पड़ने लगे। अमेरिका और इंग्लैंडने तो लूटनेका घन्घा खड़ा कर रखा है। आप किसे लूटनेवाले है? कोई सबब नहीं है कि जो देश इतना मनोहर है, जहाँकी आबहवा इतनी अच्छी है, जहाँ विविध वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं और जहाँ अन्य साधनोंकी अटूट निची पड़ी हुई है, वह कंगाल होकर रहे। हम स्वयं अपने दुश्मन बने बैठे हैं। यही कारण है कि मैं खादी-खादी चिल्लाता फिरता हूँ।

इसके बाद गांधीजीने पोरबन्दर-परिषदके प्रस्तावों, अन्त्यजोद्धार तथा गो-पालनके सम्बन्धमें अपने उद्गार प्रकट किये। खादीके सम्बन्धमें मोरवीके जौहरियोंको लक्ष्य करते हुए उन्होंने कहा:

आप जौहरी लोग बाहरसे जो रुपया कमा लाते हो खादीकी तुलनामें उसकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे हीरे रुईकी तरह नहीं चमचमाते। रुईपर तो कितने ही काव्य रचे गये हैं; हीरोंपर किसीने कोई काव्य नहीं रचा।

तदनन्तर गांधीजीने विभिन्न राज्यों द्वारा खादी कार्यमें दी गई मदद की चर्चा की तथा राजा और प्रजा दोनोंसे चरखेको यज्ञके रूपमें अपनातेकी विनती की। अपने भाषणका उपसंहार करते हुए उन्होंने पुनः राजा और प्रजाके पारस्परिक सम्बन्धोंकी ओर श्रोताओंका ध्यान खींचते हुए कहा:

आप लोगोंसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग परस्पर मीठे सम्बन्ध रखें। यथा राजा तथा प्रजा। इसी प्रकार यथा प्रजा तथा राजा। प्रजा वेईमान हो, कायर हो, प्रपंची हो, पाखण्डी हो, तो राजा क्या कर सकता है? सम्भव है कि राजा अच्छा हो तो वह बच जाये, किन्तु वह प्रजाको तो नहीं बचा सकेगा। यदि प्रजा अपनी स्त्रियोंको स्वयं सुरक्षित न रख सके, तो राजा उन्हें सुरक्षित कैसे रख सकता है? मोरवी-जैसे कस्बेमें जहाँ बारह-पन्द्रह हजारकी आबादी है, अनेक तड़ें या दल हों, झगड़े-टंटे हों, तो इससे किस व्यक्तिका मला हो सकता है? इससे समाजका भी क्या मला हो सकता है? पारस्परिक टंटोंको भूलना चाहिए। सत्य और अहिंसाके सिवाय दूसरा धर्म नहीं है। तुम जैसे अहिंसाके उपासकोंको टंटे क्यों करने चाहिए? राग-द्वेष का अर्थ है हिंसा। चींटी और खटमलको न मारनेमें ही अहिंसा-धर्मकी समाप्ति नहीं

हो जाती। यह तो अहिंसाका सर्वाधिक कनिष्ठ रूप हुआ। जिसके हृदयसे प्रेमकी निरन्तर धार बहती है वह जगत्को पवित्र बनाता है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, महावीर यही कह गये हैं। यही 'गीता' के वचन हैं। मैंने तो इनका बहुत-थोड़ा स्वाद लिया है। इसी सत्य और अहिंसाका पालन करनेमें मेरा काम सध जाता है। यदि आप इसका पालन करेंगे तो आपका त्राण हुए बिना नहीं रहेगा। यदि आप पाखण्ड और प्रपंचमें फँसे रहेंगे तो न आपकी खादी बचेगी न आपका पशु-धन। यदि आप सत्यकी धाराको समझ जायें, अहिंसाकी गंगाको समझ जायें, तो मैंने जो बातें कही हैं, उन्हें करना आपको आसान मालूम होगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९-१-१९२८

### ३७७. ब्रिटिश मालका बहिष्कार

ब्रिटिश सरकार बड़े ही सुनिश्चित ढंगसे जान-बूझकर जो अपमानजनक और उपेक्षापूर्ण कार्रवाइयाँ करती है, उनके विरुद्ध यदि राष्ट्र अपना क्रोध व्यक्त करनेकी इच्छा करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस सम्बन्धमें पता लगनेवाली हर नई बात आगमें घी डालनेका काम करती है। इसकी सबसे हालकी मिसाल वह नफरत है जो कहा जाता है कि लार्ड सिन्हाके मामलेमें स्वर्गीय सम्राट् सप्तम एडवर्ड और उनके पुत्र वर्तमान सम्राट्ने भारतीयोंके प्रति जाहिर की थी। राष्ट्रके प्रतिनिधियोंने पिछले कई वर्षोंसे ब्रिटिश मालका आंशिक या पूर्ण बहिष्कार करके अपना क्रोध प्रकट करनेकी कोशिश की थी। अगर राष्ट्र ब्रिटिश मालका बहिष्कार करना चाहे तो यह उसका अधिकार है। अगर उसमें एक आवश्यक सीमातक सफलता मिल सकी तो निःसन्देह उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा।

मगर मेरा यह दुर्भाग्य या सौभाग्य रहा है कि मुझे हमेशा ही ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी माँगके विरोधमें लगातार खड़े होना पड़ता है। हालाँकि मैं इस बुनियादी सिद्धान्तपर ही कायम हूँ कि प्रस्तावित बहिष्कार अहिंसाके विरुद्ध है, मगर अभी मैं केवल इसकी सम्भावनापर ही विचार करना चाहता हूँ। इतने दिनोंसे इसके लिए इतना जवर्दस्त आन्दोलन चलते रहनेपर भी इस दिशामें कोई प्रगति न हो पानेसे यही नतीजा निकलता है कि इसमें बड़ी कठिनाइयाँ हैं। अगर साबुनका ही मामूली-सा उदाहरण लें, तो हमें पता लगेगा कि हमने इंग्लैंडमें बने साबुनतक का बहिष्कार करनेमें कोई प्रगति नहीं की है। कांग्रेस द्वारा नियुक्त समितियोंने कुछ खास चीजें बहिष्कारके लिए चुनी थीं। पर जहाँतक मैं जानता हूँ, ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई है कि राष्ट्र उनमें एक भी वस्तुको इस्तेमाल करना छोड़ दे। दण्डस्वरूप किये जानेवाले बहिष्कारकी उपयोगिता इसी बातमें है कि उसका कुछ असर पड़े, वह खले। विलायतसे आनेवाली वस्तुओंकी सूची देखनेवाला कोई भी व्यक्ति तुरन्त ही समझ लेगा कि उनमें से अधिकांश वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका बहिष्कार करनेसे ब्रिटिश

सरकारको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, इसलिए ब्रिटिश सरकारपर प्रभाव डालनेकी नीयतसे ऐसा बहिष्कार करना विलकुल बेकार है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन इतने वर्षोंमें भी हमारे यहाँ विशेषज्ञोंका कोई ऐसा दल खड़ा नहीं हो सका है जो एक इसी कामपर ध्यान दे। आजकल तो कहीं-कहीं यह अलग चलन-सा बन गया है कि कांग्रेस द्वारा स्वीकृत हर प्रस्तावकी असफलताका दोष मेरे ही मत्थे मढ़ दिया जाता है। मुझसे कहा जाता है कि फर्ला प्रस्ताव तो इसीलिए असफल हुआ कि आपने उसका विरोध कर दिया था या फर्लाके लिए तो आपने कुछ काम ही नहीं किया। किसी राष्ट्रके लिए इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है कि वह इस प्रकार असहाय बना रहे। वेशक, दक्षिण आफ्रिकासे मेरे लौटनेके पहले ही यहाँ भारतमें ब्रिटिश मालके बहिष्कारका खयाल लोगोंको सूझ गया था और उसकी जोरोंसे वकालतकी गई थी। ब्रिटिश मालके बहिष्कारके प्रस्तावकी असफलताका सच्चा और अधिक स्वामाविक कारण तो यह प्रत्यक्ष तथ्य है कि अबतक इस विषयके विशेषज्ञोंकी कोई भी समिति इसे पूरा करनेकी कोई योजना निश्चित नहीं कर सकी। कहा जाता है कि अगर चीनको इसमें सफलता मिली थी तो हिन्दुस्तानको क्यों नहीं मिल सकती? हाँ, बहिष्कार हम भी जरूर कर सकते हैं, मगर कब? जब क्रान्तिकारियोंकी फौज खड़ी करके और इसी प्रयोजनके लिए ब्रिटिश माल चढ़ाने-उतारनेसे सम्बन्धित सभी गोदी मजदूरों आदिकी हड़ताल कराके अपनी सशस्त्र शक्तिके बलपर बहिष्कारको सुनिश्चित बनानेका अवसर हमें मिले और हमारे अन्दर ऐसी इच्छा और अपेक्षित साहस मौजूद हो। मुझे लगता है कि इसकी हमें अगर इच्छा हो तो भी ऐसी खुली और सशस्त्र क्रान्ति करनेके लिए न तो हमारे पास साधन हैं और न उसे चलानेकी क्षमता ही। फिर न तो बहिष्कारका समर्थन करनेवालोंने और न सविनय अवज्ञा-जाँच-समिति द्वारा नियुक्त विशेष समितिने ही कभी सशस्त्र शक्तिके प्रयोगका विचार किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह राष्ट्रके गौरव, प्रतिष्ठा और कल्याणके कहीं अधिक हितमें होगा कि हम ब्रिटिश मालके बहिष्कारके इस निष्फल और लगभग असम्भव नारेको छोड़ दें। हाँ, यहाँ देशमें जो चीजें बन सकती हैं, उन सबके बारेमें सच्ची स्वदेशी भावनाके प्रचारकी स्थायी आवश्यकताको मैं विलकुल मानता हूँ। दण्डस्वरूप अपनाये जानेवाले इस बहिष्कारके विरुद्ध दी गई दलीलें इसपर लागू नहीं होती।

मगर निराशा होनेकी कोई वजह नहीं है। हमारे ऊपर ये जो निरन्तर एकके बाद दूसरे अन्याय थोपे जा रहे हैं, उनके प्रति अपना क्रोध व्यक्त करनेका ऐसा बना-बनाया साधन हमारे पास मौजूद है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। मेरा दावा है कि अगर हम चाहें तो ब्रिटिश ही नहीं बल्कि सभी प्रकारके विदेशी कपड़ोंका पूर्ण बहिष्कार करनेकी शक्ति हममें है। अगर हम यह बहिष्कार करें तो हमें न सिर्फ अपना क्रोध ही प्रदर्शित करनेमें सफलता मिलेगी किन्तु हम जनताकी एक ऐसी सेवा करेंगे जैसी पहले कभी नहीं की, और एक राष्ट्रीय कार्यमें हम उनका सहयोग भी प्राप्त करेंगे। इस कामको करनेके लिए हमारे पास कार्यकर्ताओंकी एक सेना भी तैयार है।

हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इसका स्वयं अनुभव प्राप्त किया है। इसके औचित्यके बारेमें दो मत हैं ही नहीं। इस उद्देश्यकी ओर बढ़नेसे हमें रोकनेवाली केवल एक ही वस्तु है और वह है हमारा अपना ही अविश्वास। यह बात है तो आश्चर्यजनक मगर दुःखद भी है कि हमें सभी विदेशी कपड़ेके वहिष्कारकी सफलतासे कहीं अधिक विश्वास कुछ खास-खास ब्रिटिश मालके वहिष्कारकी सफलतामें है।

मगर ठीक-ठिकानेसे सौच-समझकर एक योजना बनाये बिना यह वहिष्कार भी सफल नहीं हो सकता। अगर हम मात्र वहिष्कार ही करना चाहें, और जनताका आर्थिक कल्याण प्राप्त करनेके महत्त्वपूर्ण और स्थायी परिणामकी परवाह न करें तो हम देशी मिलोंका, हमारी शर्तोंपर, सहयोग प्राप्त करके इसको तुरन्त ही सफल बना सकते हैं। जबतक कताई और बुनाई करनेवाली मिले ईमानदारीसे और पूरे मनसे सहयोग नहीं करतीं, तबतक मिलके कपड़ोंके बलपर विदेशी कपड़ोंका वहिष्कार करना आत्म-हत्या करना होगा और सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा करनेवाले मुनाफाखोर मिलवालोंका ही काम साधना होगा। अगर इस महान राष्ट्रीय कार्यमें देशी मिलोंके कपड़ोंका कोई बड़ा योगदान रहना है, तो मिलवालोंको कपड़ेकी किस्म और उसका दाम निश्चित करनेके बारेमें, कांग्रेसके साथ समझौता करना ही पड़ेगा। अपनी मिलके हिस्सेदारोंकी रजामंदी और सहयोगके साथ मिल-एजेन्टोंको केवल अपने और अपने हिस्सेदारोंके ही हितोंके रक्षक बने रहनेका विचार छोड़ देना चाहिए और दोनोंको ही—एजेन्टों और हिस्सेदारोंको—सारे राष्ट्रके हित-रक्षक बनना चाहिए। तब खादीके सहारे इस देशमें विदेशी कपड़ेका आयात विलकुल ही बन्द हो सकता है। हालाँकि समयके लिहाजसे यह अधिक मुश्किल जरूर पड़ेगा, मगर केवल खादीके जरिये मिलोंके सहयोगके बिना भी विदेशी कपड़ेका सम्पूर्ण वहिष्कार कराया जा सकता है। तब भी मिलके कपड़ेका स्थान महत्त्वपूर्ण बना रहेगा, मगर वह तो मिल-मालिकोंकी इच्छाके बावजूद होगा। खादी मिल-मालिकोंके लोभपर कारगर अंकुश लगा देगी, उसके कारण कपड़ेका कमी अकाल नहीं पड़ सकेगा, करोड़ों मूखो मरने-वालोंको इसके जरिये जीवन और आशा मिलेगी, सादा कपड़ा बुननेवालोंको यह उनका पुराना पेशा दे देगी, और अन्ततः, थोड़े ही दिनोंमें यह विदेशी कपड़ेकी जगह पूरी तौरपर ले लेगी तथा मिलवालोंके मुनाफोंको नियन्त्रित कर देगी। यह कब तक हो सकेगा? यह इस बातसे निर्धारित होगा कि महीन कपड़ेके शौकका किंचित् त्याग और कुछ थोड़े पैसोंका त्याग—जो हर एक आदमीके बसकी बात है—करनेकी राष्ट्रकी इच्छा कितनी तीव्र है, और उसमें इस त्यागकी कितनी क्षमता है।

[ अंग्रेजीसे ]

यंग इंडिया २६-१-१९२८

## ३७८. 'खादी मार्ग-दर्शिका'

अखिल भारतीय चरखा संघ द्वारा जारी की गई 'खादी मार्ग-दर्शिका' ('खादी गाइड') एक मूल्यवान प्रकाशन है जिसमें उपयोगी प्रस्तावना, चरखा-संघका संविधान, और जिन प्रान्तोंमें खादीका उत्पादन किया जा रहा है, वहाँ किये गये कार्यका सविस्तार विवरण दिया गया है। खादीके हर प्रेमीको, और हर ईमानदार शंकालुको इसे पढ़ना चाहिए। इसका मूल्य आठ आना रखा गया है। इसे ९३ आनेके टिकटोंके बदलेमें अखिल भारतीय चरखा संघ, मिर्जापुर, अहमदाबाद तथा सभी प्रमुख खादी-भण्डारोंसे प्राप्त किया जा सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया २६-१-१९२८

## ३७९. तार : जवाहरलाल नेहरूको

सावरमती

२६ जनवरी, १९२८

जवाहरलाल नेहरू

आनन्द भवन

इलाहाबाद

तुम्हारा पत्र मिला। मेरा पत्र<sup>१</sup> केवल तुम्हें राहत और स्वतंत्रता देनेके लिए लिखा गया था। तुम्हारी कोई चीज प्रकाशित करनेकी इच्छा नहीं है। यदि सम्भव हो तो पिताजीको भी अवश्य लाओ। सप्रेम।

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९२८।

सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. देखिए "पत्र : जवाहरलाल नेहरूको", १७-१-१९२८।

## ३८०. पत्र : राजेन्द्रप्रसाद मिश्रको

सत्याग्रह आश्रम

साबरमती

२६ जनवरी, १९२८

माई राजेन्द्रप्रसादजी मिश्र,

आपका सुपुत्र मेरे पास आ गया है और कहता है कि यद्यपि वह और उसकी धर्मपत्नी पड़दा छोड़ना चाहते हैं, आप उसका विरोध करते हैं। अपना धर्म क्या है मुझको पूछता है। मैंने कहा है आपकी आज्ञाका आज तो पालन करे और पत्निके लीये एक शिक्षिका रखे। शिक्षिका यहांसे भेजी जा सकती है। मेरी तो आपको सलाह है की आप दंपतिको अपन ह्छानुसार चलने दें। इस युगमें पड़दा निम नहि सकता है न आवश्यक है। प्राचीन समयमें पड़दाकी बुरी प्रथा न थी।

आपका,

मोहनदास गांधी

जी० एन० ८०२५ की फोटो-नकलसे।

## ३८१. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम

साबरमती

२७ जनवरी, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

इन क्षमादानोंमें आप जो दिलचस्पी ले रहे हैं और जो निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं उन्हें मैं देख रहा हूँ। इस समय जब कि हम हर चीजके लिए सरकारपर निर्भर कर रहे हैं, ये अवश्यम्भावी प्रतीत होते हैं।

मुझे आपका लेख अभीतक नहीं मिला है, लेकिन इस पत्रके ढाकमें छोड़े जानेसे पहले मैं उसे प्राप्त करके पढ लेनेकी आशा करता हूँ। यदि किसी चीजकी आलोचना होनी है तो आलोचना इस पत्रके साथ ही जायेगी।

'फॉरवर्ड'की कतरन बहुत दिलचस्प है और पढकर थोड़ा दुख होता है। मैंने लाला दुनीचन्दका मूल लेख पढा था। यदि लाला दुनीचन्द 'फॉरवर्ड'में छपी सुखियाँ पढ़ेंगे, तो वह या तो हँसेंगे या रोएँगे। मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार मैं हूँसा



हूँ, वह भी उसी तरह केवल होंगे। जिस गैर-जिम्मेदारीके बारेमें मैंने 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें लिखा है, यह उसका एक और ज्वलंत उदाहरण है।

सप्रेम,

हृदयसे आपका,  
वापू

[पुनश्च :]

आपका लेख अभीतक हाथमें नहीं आया है<sup>१</sup>। मुझे अब आपका दूसरा पत्र मिल गया है। मैं कैंटेन पेटावलको सूचित कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेमनर्सिंहकी आपकी यात्रा सफल रही और आपको उसकी वजहसे कोई असुविधा नहीं हुई।

अंग्रेजी (जी० एन० १५८३) की फोटो-नकलसे।

३८२. पत्र : बी० एस० मुंजेको<sup>२</sup>

सत्याग्रह आश्रम  
सावरमती

२७ जनवरी, १९२८

प्रिय डा० मुंजे,

आपने मुझे पत्र लिखनेमें बड़ी विचारशीलताका परिचय दिया है। मैं भी आपके सामान्य प्रस्तावसे सहमत होऊँगा। लेकिन क्या इस चीजको केवल मुसलमानोंपर लागू कर सकते हैं या क्या इस सुधारका आरम्भ उन्हीके साथ कर सकते हैं? क्या हमारे देशमें बहुत-सी विशुद्ध हिन्दू संस्थाएँ नहीं हैं? फिर, इस मुस्लिम विश्वविद्यालयमें हिन्दुओंके प्रवेशपर कोई रोक नहीं है। तथ्य तो यह है कि पहले ही इस विश्व-विद्यालयसे निकले हुए ऐसे हिन्दू स्नातक हैं जो आज अच्छी राष्ट्र-सेवा कर रहे हैं। अभी भी उसमें कुछ हिन्दू पढ़ रहे हैं। तीसरे, यदि किसी संस्थाका दृष्टिकोण

१. देखिय "राष्ट्रीय कांग्रेस", ५-१-१९२८।

२. इस पत्रपर ५० सुनैवाकी यह टिप्पणी है : "ऊपरका नोट लिखे जानेके बाद बापूजीको छेद दे दिया गया।"

३. डा० मुंजेने १८ जनवरीके अपने पत्रमें जामिया मिलियाके कोषके सन्दर्भमें लिखा था कि इस प्रकारकी साम्प्रदायिक संस्थाएँ सम्प्रदायोंकी पृथक्ताके लिये मुख्य रूपसे जिम्मेदार हैं जिसका अन्ततः परिणाम हिन्दू-मुस्लिम तनाव होता है। उन्होंने आगे लिखा था : "मैं अपने आदरणीय और मिय हकीमजीके स्मारकके लिये किसी भी राष्ट्रीय योजनामें साथ दूँगा। . . . और ऐसा ही स्मारक स्वर्गीय स्वामी ब्रह्मनिन्दका भी हो। . . . लेकिन इससे बेहतर है कि दोनोंका एक समान स्मारक बनाया जाये जो दुनियाके सामने इस बातकी घोषणा करेगा कि हिन्दू और मुसलमानोंने . . . शार्दिक एकता स्थापित करनेका संकल्प किया है . . ." (पस० एन० १२३९४)।

राष्ट्रीय है, और वास्तवमें उसका उपयोग राष्ट्रीय उन्नतिके लिए किया जाता है, तो ऐसी साम्प्रदायिक संस्थाको भी राष्ट्रीय कहा जा सकता है। अतः मैं चाहूँगा कि यदि आप कर सकें तो हकीमजीके इस स्मारककी सहायता करें।

अद्धानन्दजीकी मृत्यु जिस ढँगसे हुई उसे देखते उनका स्मारक एक भिन्न और अधिक ऊँचे स्तरपर आता है। लेकिन उनके स्मारककी जैसी संकल्पना है, उसे राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। यह तो विशुद्ध हिन्दू स्मारक है। क्योंकि श्रुद्धिकार्य और अस्पृश्यता, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको देखनेका काम केवल हिन्दुओंका है। अतः इन दोनों [स्मारकों]को पृथक् रखना होगा। प्रत्येकका अपना एक विशेष उद्देश्य है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १२३९४) की फोटो-नकलसे।

### ३८३. पत्र : एफ० डब्ल्यू० स्टाइन्थलको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

२७ जनवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला।<sup>१</sup> मैं अगले मंगलवारको तीसरे पहर तीन और पाँच बजेके बीच आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होऊँगा। सोमवारको भी आपका स्वागत है। लेकिन मैं मौन रहूँगा, क्योंकि वह मेरे लिए मौनका दिन है। और आपसे विलकुल ही भेंट न हो, यानी कि अगर आपको सोमवारकी रातको चला जाना है, उसके बजाय मैं सुझाव दूँगा कि सोमवारको ही आयें। हालाँकि मैं आपसे बोल नहीं सकूँगा, लेकिन आप मुझसे जो-कुछ कहना चाहेंगे, कह सकेंगे।

हृदयसे आपका,

रेवरेड एफ० डब्ल्यू० स्टाइन्थल

द्वारा साल्वेशन आर्मी सोल्जर्स होम

दिल्ली

अंग्रेजी (एस० एन० १३०५१) की फोटो-नकलसे।

१. २३-२-१९२८ का; रेवरेड स्टाइन्थल और उनकी पत्नी ईसाई मिशनरी थे जिन्होंने लगभग ३० वर्ष बंगाली छात्रों और सत्याल आदिवासियोंके बीच गुजारे थे और अब भारत छोड़ रहे थे। अपने पत्रमें उन्होंने गाँधीजीसे मिलनेकी इच्छा व्यक्त की थी।

## ३८४. भाषण : रामदास गांधीके विवाहके अवसरपर<sup>१</sup>

सावरभती

२७ जनवरी, १९२८

ठीक साढ़े नौ बजे प्रार्थना-स्थलमें सभी एकत्र हो गये और गांधीजीने अपने छोटे-से भाषणमें वर-वधूको आशीर्वाद दिया। भाषण उतना ही पवित्र था जितना कि उसका प्रसंग। वह गांधीजीके जीवनका एक अत्यन्त मार्मिक क्षण था। उपस्थित सज्जनों-ने देखा कि ऐसे अवसरोंपर गांधीजीका हृदय भी उतना ही भावप्रवण हो सकता है जितना कि किसी भी अन्य व्यक्तिका। अपने ही हाथों पाले-पोसे और अपनी ही देख-रेखमें विकसित होनेवाले अपने दो पुत्रों—रामदास और देवदास—का उल्लेख करते-करते उनकी आँखोंसे आँसू छलछला आये थे। इस ज्ञानसे कि उनके इस लड़केने उन्हें कभी नहीं ठगा, अपनी भूलें, अपनी त्रुटियाँ कभी नहीं छिपाईं, गर्वसे उनकी छाती फूल उठी, स्वर गद्गद् हो आया।

तुमने अपने दोष मेरे सामने कवूल किये हैं, मगर मैं उनसे कभी शंकित नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी स्पष्ट स्वीकारोक्तिने मेरी आँखोंमें तुम्हारे दोष धो दिये हैं। मुझे इसका हर्ष है कि तुम्हें सारी दुनिया भले ही ठगे, पर तुम किसीको ठगनेवाले नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही भोले, ऐसे ही सच्चे बने रहो।

तुम अपनी पत्नीकी आवरूकी रक्षा करना और उसके मालिक मत बन बैठना, उसके सच्चे मित्र बनना। उसके शरीर और आत्माको तुम वैसे ही पवित्र मानना, जैसे कि वह तुम्हारे शरीर-आत्माको मानेगी। इसके लिए तुम्हें प्रार्थनामय, परिश्रमशील, सादा और संयत जीवन विताना पड़ेगा। तुम लोग परस्पर एक-दूसरेको विषय-वासनाकी पूर्तिके साधन मत मान बैठना।

तुम दोनोंको ही यहाँ शिक्षा मिली है। तुम अपना जीवन मातृभूमिकी सेवामें लगा देना। मातृभूमिकी सेवामें अपने शरीरको खपा देना। हमने गरीबीका व्रत लिया है। इसलिए तुम दोनों ही गरीबोंके समान खून-पसीनेकी ही रोटी खाना। तुम दोनों परस्पर एक-दूसरेको दैनिक काममें सहायता देना, उसीमें आनन्द मानना।

मैंने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया है। तकली और मेरे प्रिय ग्रन्थ 'गीता' और 'आश्रम-भजनावलि' की प्रतियोंके सिवाय मैं तुम्हें और कुछ दे भी नहीं सकता हूँ। सूतकी ये मालाएँ ही तुम्हारे लिए रक्षा-कवच बनें। मैं चाहता तो मित्रोंसे भीख माँगकर तुम्हें कीमती चीजें भी भेंट कर सकता था, मगर उसमें तो संसार मेरे मिथ्या दम्भकी खिल्ली ही उड़ाता और ठीक भी था। मगर मैंने जो चीजें तुम्हें दी

१. महादेव देसाईके "द चौक" (यह सप्ताह) से; उसमें इस भाषणका विवरण "ए एलिमन सेरेमनी" (एक पवित्र संस्कार) उप-शीर्षकके अन्तर्गत दिया था।

है और जिन्हें ही मैं अपना सर्वस्व मानता हूँ, वे इस बातकी साक्षी होंगी कि मैंने तुम्हें वही वस्तुएँ दी हैं, जो मेरी हैसियतके मुताबिक हैं।

मेरे लिए 'गीता' रत्नोंकी खान है। तुम्हारे लिए भी वह रत्नोंकी खान बन जाये, जीवन-पथमें 'गीता' तुम्हारी सतत सगिनी रहे, पथ-प्रदर्शिका बनी रहे। 'गीता' तुम्हारा पथ प्रकाशित करे, तुम्हारे प्रयत्नको प्रतिष्ठापूर्ण बनाये। भगवान् तुम्हें सेवाके लिए चिरंजीवी बनाये !

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-२-१९२८

### ३८५. भाषण : सावरमती आश्रममें<sup>१</sup>

२७ जनवरी, १९२८

शामको गांधीजीने प्रदनके सार्वजनिक पक्षका उल्लेख किया। उन्होंने उस घातक प्रणालीकी चर्चा की जिसने चार मूल वर्णोंको बहुत सारी जातियों और उपजातियोंमें विभक्त कर दिया है, और आशा व्यक्त की कि आश्रमके अन्दर एक ही जातिके दो व्यक्तियोंके बीच होनेवाला यह विवाह<sup>२</sup> अन्तिम होगा। उन्होंने कहा, आश्रमके लोगोंको उचित है कि वे इस मामलेमें पहल करें, क्योंकि बाहरके लोगोंको इस सुधारका आरम्भ करना कठिन मालूम हो सकता है। आश्रमके लिए नियम यह होना चाहिए कि एक ही जातिके स्त्री-पुरुषके विवाहका समर्थन न किया जाये और विभिन्न उप-जातियोंके स्त्री-पुरुषोंके बीच विवाहको प्रोत्साहन दिया जाये। उन्होंने कहा, मैं तो चाहूँगा कि लड़कियोंको २० वर्षतक, बल्कि २५ वर्षकी आयुतक अविवाहित रखा जाये। अपने प्रवचनके अन्तमें उन्होंने विवाहकी गम्भीर महत्तापर फिर जोर दिया।

ऐसा मत सोचिए कि आश्रमका उद्देश्य विवाहको लोकप्रिय बनाना है। उसका उद्देश्य आजीवन ब्रह्मचर्यको बढ़ावा देना है और रहेगा। यह विवाहका समर्थन उसी हदतक करता है जिस हदतक कि उसका उपयोग भोग नहीं, बल्कि संयमके एक साधनके रूपमें किया जाता है। और जो लोग संयमित जीवनके पक्षमें हैं उन्हें अपना जीवन उन लोगोंसे भिन्न आधारपर नियोजित करना चाहिए जो भोगपूर्ण जीवनके पक्षपाती हैं। याद रखिए कि स्वच्छन्द भोग-लिप्साकी सदा एक सीमा होती है जबकि आत्म-संयमकी कोई सीमा नहीं है, और हमें नित्यप्रति उसी दिशामें आगे बढ़ना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-२-१९२८

१. महादेव देसाई द्वारा लिखित "द वीक" (यह सप्ताह) शीर्षक लेखसे।

२. देखिए पिछला शीर्षक।

## ३८६. पत्र : प्रभावतीको

[ २७ जनवरी, १९२८ के पश्चात् ]<sup>१</sup>

चि० प्रभावती,

तुमारा खत मीला है। अब बाबुजी<sup>१</sup> अच्छे हो गये होंगे। तुमारे लीये तो मैं क्या कहूँ? मैं लाचार सा बन गया हूँ।

मैं काठीयावाड़में थोड़े दिनके लीये गया था। उस समय मृत्युंजय और विद्यावती दोनों मेरे साथ आये थे। दोनोंका स्वास्थ्य आजकल तो अच्छा रहता है।

वसंत पंचमीके रोज रामदासका विवाह नीमु वहनके साथ हुआ। वहीत सावगीसे ही कीया गया।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० ३३४० की फोटो-नकलसे।

## ३८७. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

२८ जनवरी, १९२८

प्रिय सी० आर०,

तुम्हारा पत्र मिला।<sup>१</sup> मैं चाहूँगा कि तुम मेरे वारेमें चिन्ता करना बन्द कर दो। मैं तुम्हें यही आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं जान-बूझकर ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरे स्वास्थ्यको हानि पहुँचे। लेकिन तुम मेरा स्वभाव जानते हो। अगर मैं कुछ समयके लिए भी एक स्थानपर रुक जाऊँ तो मैं आहार-विषयक प्रयोग किये बगैर नहीं रह सकता। तुम यह भी जानते हो कि मेरी तीव्र इच्छा रही है कि मैं पुनः केवल फल और काष्ठफलके आहारपर लौट आऊँ या कर सकूँ तो कमसे-कम दूध-रहित आहार करूँ। अब मैं देखता हूँ कि मैं आसानीसे वैसा कर सकता हूँ, और इसलिए मैंने वही किया है। अब चूँकि उससे मेरा काम चल सकता है इसलिए फिरसे दूध शुरू करना मेरे लिए तबतक कठिन होगा जबतक कि मुझे इत्मीनान न हो जाये कि दूधके बिना काम चलना असम्भव है। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं कोई चीज हठधर्मिकी साथ नहीं करूँगा। डा० मुत्तूकी सलाहके अनुसार मैं अपना रक्तचाप नहीं नपवा रहा हूँ, लेकिन मैं खूब पनप रहा हूँ।

१. रामदास गांधीके विवाहके उल्लेखसे, जो २७ तारीखको सम्पन्न हुआ था।

२. अजकिशोर प्रसाद, प्रभावतीके पिता।

३. २३-१-१९२८ का।

काठियावाड़में मैंने देखा कि मैं अपनी आवाज लगभग पहले जैसी ऊँची करके बोल सकता हूँ और इसमें थकान या कोई असुविधा नहीं होती। मेरा मापण<sup>१</sup> खूब सुविचारित था और तेजीसे दिया गया था। मैं पूरे एक घंटेतक बोला, और उसके बाद थकानका कोई चिह्न नहीं था। निश्चय ही यह मेरी प्रगतिकी कुछ कसौटी तो थी ही। और मैं लगातार दो दिनतक ११ बजे राततक चलनेवाली समितिकी बैठकमें शामिल ही नहीं हुआ, उनमें बोल भी सका।

कामके बारेमें भी मैं यह नहीं कह सकता कि मैं बहुत श्रमसाध्य काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह मेरे बूतेके बाहर नहीं है।

लक्ष्मीको बुखार किस कारण हुआ है? मुझे आशा है कि अब वह ठीक-ठाक है। मैं तुम्हें अस्पृश्यता-सम्बन्धी कार्यके लिए शीघ्र ही ५,००० रुपये भेजनेकी आशा रखता हूँ।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १३०५०) की फोटो-नकलसे।

### ३८८. पत्र : रिचर्ड बी० ग्रेगको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

२८ जनवरी, १९२८

प्रिय गोविन्द,

मुझे खुशी है कि तुम अब पूनामें हो। मुझे आशा है कि तुम तेजीसे स्वास्थ्य लाभ कर लोगे। जितनी जल्दी तुम आ सको तुम यहाँ आना। मैं प्रतीक्षा कहेँगा। मैं चाहूँगा कि तुम अपने दिमागसे यह बात निकाल दो कि तुम डाक्टरोंके या मेरे ऋणी हो। आखिरकार हम लोग बिना पुरस्कारकी अपेक्षा किये एक दूसरेकी सेवा करनेके लिए इस धरतीपर हैं।

कृपया खम्बाता-दम्पतिको मेरी याद दिला देना, और जब अगली बार पत्र लिखो तो बताना कि खम्बाताके क्या हाल है।

तुम सबको प्यार सहित,

हृदयसे तुम्हारा,

बापू

श्री रिचर्ड बी० ग्रेग

मार्फत श्री एफ० पी० पोचा

८, नेपियर रोड, कैम्प, पूना

अंग्रेजी (एस० एन० १३०५६) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "भाषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषद, पोरबन्दरमें", २२-१-१९२८।

## ३८९. पत्र : हेमप्रभादेवी दासगुप्तको

सत्याग्रह आश्रम

सावरसती

२८ जनवरी, १९२८

प्रिय भगिनि,

आपका खत मीला है।

उर्दु सीखनेकी तो आवश्यकता नहीं है। परंतु जो शब्द नवजीवनके समझमें न आवे और जो आश्रममें कोई न समझा सके उस बारेमें यहां लीखो। इस तरह अपना हि शब्द कोष बना लेना।

निखिलकी चिंता छोडो। जो प्रार्थनामें विश्वास रखते है उसे किसी प्रकारकी चिंता न होना चाहीये। प्रार्थनाका अर्थ एक तो यह है कि हम हमारा सर्वस्व चिंता भी ईश्वरके चरणोंमें प्रतिदिन धर देते हैं। पीछे चिंताको कोई स्थान नहीं रहता।

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० १६५४ की फोटो-नकलसे।

## ३९०. भाषण : गुजरात विद्यापीठमें<sup>१</sup>

२८ जनवरी, १९२८

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आज जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे मेरे नहीं हैं। कांग्रेसने सदस्यताका शुल्क चार आने रखकर तो सचमुच प्रजातन्त्र ही ला दिया है। किन्तु मताधिकारका प्रयोग सही तौरपर नहीं हुआ। कहनेका तात्पर्य यह नहीं है कि इस योजनाका उद्देश्य स्नातकोंको निकाल बाहर करना है; अथवा यह भी नहीं है कि कार्यसमितिये ठीक ढंगसे काम नहीं किया। आज सबको ऐसा लगने लगा है कि बस, अब हमें असहयोगकी आवश्यकता नहीं है। भले ही कांग्रेस भी इसी आशयका प्रस्ताव पास कर दे; किन्तु उस हालतमें भी मुझे तबतक सन्तोष नहीं होगा जबतक कि मेरे आदर्शके अनुरूप स्वराज्य नहीं मिल जाता। इस प्रकार चुनावकी प्रथाको एक ओर रखकर यह न्यास (ट्रस्ट) इसलिए बनाया गया है कि वह अवसरवादी न बनकर अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ता जाये और यदि उसमें इतनी

१. गुजरात विद्यापीठका पुनर्गठन करने तथा उसका नया विधान बनानेके लिए विद्यापीठके कुलपति गांधीजीकी अध्यक्षतामें सीनेटकी एक बैठकका आयोजन किया गया था। इस सम्बन्धमें देखिए कृष्ण ३६, "गुजरात विद्यापीठ", २-२-१९२८ सी।

सामर्थ्य न हो तो वह यह कार्य अन्य समर्थ लोगोंको सौंप दे। यदि न्यासके लोग कार्य-भार सौंपनेमें ढील करें तो उनके विरुद्ध सत्याग्रह किया जा सकता है या फिर जनताके घनका दुरुपयोग करनेके कारण उन्हें दण्ड दिया जा सकता है अथवा इन दोनोंके बीचका रास्ता अदालतमें जानेका है। मैं इस न्यासका सदस्य नहीं हूँ, उसका कारण यह है कि अब मैं किसी भी समितिका सदस्य नहीं हूँ। आश्रम और चरखा संघकी प्रबन्ध समितिसे भी मैंने त्यागपत्र दे दिया है। अब मैं आपसे सत्ताके बलपर, कठोरताके साथ काम नहीं लेना चाहता बल्कि प्रेमसे और आपके हृदयको स्पर्श करके ही काम लेना चाहता हूँ। मैं न्यासका सदस्य तो नहीं हूँ किन्तु इतना अवश्य बता देना चाहता हूँ कि जो लोग इसके सदस्य नहीं हैं उनकी जवाबदारी इससे कुछ कम नहीं हो जाती।

[ गुजरातीसे ]

प्रजाबन्ध, ५-२-१९२८

### ३९१. एक बहनकी उलझन

एक बहन लिखती है :

दो साल पहले मैंने आपको खादीपर भाषण देते हुए सुना था। आपने सबको खादी पहननेकी सलाह दी थी। उसपर से मैंने खादी पहननेका निश्चय किया। पर हम गरीब हैं; और मेरे पति कहते हैं कि खादी महँगी पढती है। हम महाराष्ट्री हैं अतः दक्षिणी ढंगकी साड़ियाँ पहनती हैं। उसकी लंबाई नी गज होती है। अब मैं नौके बदले छ. गजकी साडी पहनूँ तो बहुत खर्च बचे। पर मेरे बड़े लोग मुझे ऐसा करने नहीं देते। मैं उन्हें बहुत ही समझाती हूँ कि प्रधान वस्तु खादी है, साडी पहननेकी रीति तो गौण वस्तु है। पर तूतीकी आवाज सुने कौन? वे कहते हैं कि तू तो अभी भरी जवानीमें है, इसीसे तुझे अभी ये नखरे सूझते हैं। पर आप अगर यह संदेशा भेजें कि साडी किसी भी ढंगकी पहनी जाये पर खादीकी ही पहननी चाहिए, तो वे मान जायेंगे। गरीब बहनकी इतनी मदद तो जरूर कीजिएगा।

मूल पत्र अंग्रेजीमें है। मैंने यहाँ उसके जरूरी अंशका तर्जुमा दिया है। इस बहनको तो मैंने अपनी सलाह लिख<sup>१</sup> भेजी है। पर मैं जानता हूँ कि इस बहनकी जैसी कठिनाई तो बहुत-सी बहनोके आगे आती है और इसलिए यहाँ उसका जवाब देता हूँ।

इस बहनमें शायद तीव्र देशाभिमान है क्योंकि बहुत-सी बहनें, इनके समान अपने-आप पुराने ढंग या पुराने रिवाज छोड़नेको तैयार नहीं होती। एक भी अमुविवा

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।



उठाये बिना, रिवाजोंकी सारासारताका विचार किये बिना उनसे चिपटे रह कर और किसी प्रकारका खर्च न करते हुए अगर स्वराज्य मिल सके तो बहुत-सी वहनें, और उसी भाँति भाई भी, उसे लेनेको तैयार होंगे। पर स्वराज्य इस तरह तो नहीं मिल सकता। स्वराज्य लेनेके मानी हैं स्वार्थ-त्यागकी शक्ति पैदा करना; और स्वार्थ-त्यागमें प्रान्तीयताका त्याग भी आ ही जाता है।

प्रान्तीयतासे राष्ट्रीय स्वराज्य तो मिल ही नहीं सकता, प्रान्तीय स्वराज्य मिलना भी और अधिक कठिन हो जाता है। इस संकीर्ण प्रान्तीयताको बनाये रखनेमें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंका हाथ शायद अधिक है। विविधताको कुछ हदतक ही बनाये रखना उचित है। पर इस हदको लाँघनेके बाद विविधताके नामसे पाले जानेवाले भोग और रिवाज राष्ट्र-भावनाके नाशक हैं। दक्षिणी साड़ी सुन्दर लगती है। पर जो सुन्दरता राष्ट्रकी कीमतपर मिलती हो, वह त्याज्य है। अगर कच्छी या पंजाबी ओढ़नी रखनेसे खादी सस्ती पड़े तो उसीमें हम सच्ची बोसा मानें। दक्षिणी कछोटा, गुजराती लटकती साड़ी, कच्छी पछेड़ा, और बंगाली तरीका — ये सभी साड़ी पहननेकी विविध राष्ट्रीय रीतियाँ हैं। इनमें से चाहे जिस रीतिसे साड़ी पहनकर उसे राष्ट्रीय रीति मानना चाहिए। इन सभी रीतियोंमें से वह रीति पसंद की जाये जिससे शरीर पूरा-पूरा ढके और कपड़ा कमसे-कम लगे। यह रीति तो कच्छी घाघरे और पछेड़ेकी है। पछेड़ा तीन गजमें होता है। इसलिए गुजराती साड़ीकी वनिस्वत भी आवा ही खर्च हुआ, और जो बोझ कम हुआ वह नफेमें। यदि पछेड़ा और घाघरा एक ही रंगके हों तो एकाएक यह जान भी नहीं पड़ता कि साड़ी पहनी है या पछेड़ा। ऐसी राष्ट्रीय रीतियोंका विनिमय और अनुकरण स्तुत्य है।

श्रीमन्तोंके यहाँ अनेक प्रान्तोंकी पोशाक होना ठीक लगता है। इसमें कितनी विनय और राष्ट्रीय भावना भरी है कि गुजराती गृहस्थके घर बंगाली मेहमान आयें तो मालिक और मालकिन बंगाली पोशाक पहनें और गुजराती मेहमानका आदर-सत्कार करते समय बंगाली गृहस्थ गुजराती पोशाक पहनें? पर यह तो राष्ट्रीय भावनावाले धनिक देश-प्रेमी ही कर सकते हैं। मध्यमवर्गके और गरीब देश-प्रेमी, उसीको पहननेमें अभिमान समझें जिस प्रान्तकी पोशाक खादी पहननेके लिए सस्ती और सरल हो। इतना ही नहीं, उस प्रान्तकी पोशाक अपनाते हुए वे डम बातका विचार करें कि वहाँके गरीब लोग क्या पहनते हैं और अपने लिए वैसी ही पोशाक तय करें।

स्वदेशी यह नहीं है कि हम अपने पोखरमें डूब मरें; स्वदेशीके मानी हैं अपने पोखरको जन-समुद्रमें विसर्जित करना। यदि इन पोखरोंका पानी मैला होगा तो वह समुद्र भी मैला हो जायेगा। इसलिए इन्हें हमें पहले साफ करना होगा, उसके बाद ही उनका विसर्जन किया जा सकता है। होम हमेंगा शुद्ध द्रव्यका, शुद्ध हायॉमि ही हो सकता है। इसलिए हम सहज ही समझ सकते हैं कि वे स्थानीय रीति-रिवाज जो अपवित्र नहीं हैं, नीति-विरुद्ध नहीं हैं, वे ही राष्ट्रके उपयोगमें लिये जाने लायक हैं। इतनी बात समझमें आ सके तो राष्ट्र-प्रेम अन्तमें विश्व-प्रेमका रूप ले सकता है।

और जो बात कपड़ोंके वारेमें है, वही भाषा, खुराक इत्यादिके वारेमें भी ठीक है। जैसे हम समयानुसार अन्य प्रान्तकी पोशाककी नकल करें, उसी तरह प्रान्तीय भाषा, बगैरहकी भी करे। अभी तो अंग्रेजी भाषाको मातृभाषासे भी बड़ा स्थान देनेके निरर्थक, अशक्य और घातक प्रयत्नसे ही हमें इतनी थकावट आती है कि हम अपनी मातृभाषाकी अवगणना, जाने-अजाने किया करते हैं। जहाँ ऐसा चलता है, वहाँ प्रान्तीय भाषाका तो पूछना ही क्या ?

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २९-१-१९२८

### ३९२. काठियावाड़ राजनीतिक परिषद

परिषद आरम्भ हुई और समाप्त हो गई। ठक्कर वापाके<sup>१</sup> मापणके सम्बन्धमें, लोगोंकी उपस्थितिके सम्बन्धमें, स्वागत-समितिके स्वागतके सम्बन्धमें, माननीय राणा साहबकी<sup>२</sup> शिष्टता और सौजन्यके सम्बन्धमें, सम्मेलनमें उनकी उपस्थितिके सम्बन्धमें और उनके द्वारा अतिथियोंको दी गई दावतके सम्बन्धमें मुझे कुछ नहीं कहना है। सेठ देवीदासने स्वागतमें कोई कसर नहीं रहने दी। सेठ उमर हाजी अहमद झवेरीने स्वागत-समितिके अध्यक्षका कार्य भली-भाँति पूरा किया और इस कार्यमें अपना पैसा खर्च करनेमें कोई सकोच नहीं किया। भीलो और डेढोके गुरुको शोभा देनेवाली गम्भीरता अध्यक्षके भाषणमें भी थी। परिषदके प्रस्तावोंमें कोई दोष नहीं था। किन्तु मुझे उनमें कोई रस नहीं आया, क्योंकि उन प्रस्तावोंके पीछे उनपर अमल करने अथवा करवानेका दृढ़ निश्चय और बल नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगोंने वे प्रस्ताव पेश किये थे उनमें से अधिकांशने उन्हें पेश करनेमें ही अपने कर्तव्य की इति मान ली है। मैं मन ही मन यह समझकर शान्त हो गया कि यह परिषद खादी परिषद नहीं है। तिसपर भी मैंने एक उसीका ध्यान किया और मैंने अपनी हार मान ली। किन्तु इससे खादीके सम्बन्धमें मेरा विश्वास कम नहीं हुआ। इसलिये मैं यहाँ अपना दुखड़ा नहीं रोऊँगा।

मैं तो केवल एक प्रस्तावपर ही लिखना चाहता हूँ। यह प्रस्ताव मेरी कृति है और मुझे जान पड़ता है कि उक्त प्रस्तावकी रूपरेखा तैयार करके और उसे स्वीकृत कराकर मैंने परिषद तथा काठियावाड़की सेवा की है। वह प्रस्ताव इस प्रकार है :<sup>३</sup>

इस प्रस्तावका सम्भव होना सत्यकी उपासनापर ही निर्भर है। मैंने देखा कि एक हदतक अलिखित समझौतेके कारण ही यह परिषद पोरबन्दरमें हो सकी थी और

१. अमृतलाल ठक्कर, परिषदके अध्यक्ष।

२. पोरबन्दरके शासक।

३. प्रस्तावके पाठके लिये, देखिए "मापण: काठियावाड़ राजनीतिक परिषद, पोरबन्दरमें", २२-२-१९२८।

अभी काफी समयतक ऐसे समझौतेके कारण ही मविष्यमें भी परिषदका आयोजन किया जा सकेगा। यह बात परिषदकी अशक्तिकी सूचक थी। ऐसी अशक्त कोई परिषद न हो। जहाँ ऐसी अशक्तता होती है, वहाँ कहीं-न-कहीं कोई दोष या न्यूनता होती है। पर अशक्ति ढँकनेसे दूर नहीं होती। रोगको छिपानेवाला उसे बढ़ाता है। वह उस रोगको दूर करनेवाले उपायोकी उपेक्षा करता है और आप ही अपना शत्रु बनता है।

विषय-निर्धारिणी समितिमें दो अवसर आये जब कि सभासदोंने देवी राज्योंकी व्यक्तिगत टीका करनेवाले दो प्रस्ताव उपस्थित किये। मैं यह नहीं कह सकता कि प्रस्तावोंको लानेका कोई कारण नहीं था। पर मैंने यह स्पष्ट देखा कि ऐसे प्रस्ताव लाना अथवा उनपर कुछ काम करना, परिषदकी शक्तिके बाहर था। ये प्रस्ताव तो समितिने निकाल डाले। किन्तु मैंने देखा कि ऐसे प्रस्ताव लाकर परिषद अपनी हस्ती अधिक दिनोतक नहीं बनाये रख सकती। इससे मैंने परिषदको सलाह दी कि उसे अपनी अशक्ति, अपनी मर्यादाको जग-जाहिर करना चाहिए। मैंने यह सुझाया कि ऐसा करनेसे परिषद अपनी अशक्ति शीघ्र दूर कर लेगी और अपनेको बचा लेगी।

विषय-निर्धारिणी समितिके लिए यह घूंट बढ़ा कड़वा था। मुझे भी यह सलाह देना रुचता नहीं था पर मैं अपना धर्म स्पष्ट रूपसे समझ सकता था। दुःखद-सुखद जो-कुछ सच्चा हो वह करना ही चाहिए। सच्चा सुख क्या बहुत बार जहर जैसा नहीं लगता? कितनोंको यह प्रस्ताव खला था, मगर तो भी, उन्होंने और दूसरोंने भी उदारता और दीर्घदृष्टिसे काम लेकर मेरी सलाह स्वीकार कर ली।

इससे मेरा उत्तरदायित्व बढ़ा। मैं जानता हूँ कि इस प्रस्तावका अगर कोई अनिष्ट परिणाम निकला तो उसमें मेरा दोष पहले गिना जायेगा। मुझे तो अनिष्ट परिणामका कोई भय नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि मैं तो मानता हूँ कि अगर परिषद उस प्रस्तावका सवुपयोग करेगी, उसके अनुसार जो काम करनेको है, उन्हें करेगी तो भला परिणाम ही निकलना चाहिए। स्वेच्छापूर्वक लगाया हुआ अंकुश, स्वेच्छासे पाला हुआ संयम, संयमीके लिए हमेशा लाभदायी सिद्ध होते हैं। स्वेच्छासे लगाये हुए इस अंकुशपर दूसरा नियम लागू नहीं होता।

परिषद अगर मन, वचन और कर्मसे इस प्रस्तावका पालन करेगी तो मर्यादाके भीतर रहते हुए उसकी कार्य करनेकी शक्ति बढ़ेगी। ऐसी किसी मर्यादाके अभावमें राजा लोग व्यक्तिगत टीका अथवा निन्दाके भयसे परिषदकी बैठक करने देनेमें संकोच करते थे। मर्यादाको ठीक तौरपर जाननेसे परिषदके सदस्य राज्योंके व्यक्तिगत दोष दूर करनेके मोहक किन्तु व्यर्थ प्रयत्नमें लग जाते थे और उनसे जो हो सकें, ऐसे मोहकता-रहित कामोंकी ओरसे वे आँखें मूंद लिया करते थे। अब या तो वे नीरस होनेपर भी सरस काम करेंगे अथवा अपना दरवाजा बन्द कर लेंगे। किसीको दिवाला निकालना नहीं रुचता, इसलिए हम ऐसी आशा रखें कि परिषदके पदाधिकारी इच्छा अथवा अनिच्छासे भी जो करने लायक है, वही काम करेंगे।

इस प्रस्तावका ऐसा अर्थ तो कोई न करे कि इसके द्वारा हम संसारके सामने कबूल करते हैं कि कोई राज्य टीकाका पात्र नहीं है। निन्दा तो किसीकी भी न करें।

हमने यह स्वीकार किया है कि राज्य टीकाके पात्र होनेपर भी काठियावाड़ या किसी अन्य राज्यकी सरहदमें रहकर उसकी या किसी दूसरे राज्यकी टीका करनेकी शक्ति अभी हममें नहीं है। इसी कारण और भविष्यमें ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेनेकी आशासे ही हमने यह बन्धन अपनेपर लगाया है। परिषदमें प्रस्ताव लानेके सिवाय, और परिषदमें सीधे या प्रक्रान्तरसे किसी राज्यकी व्यक्तिगत टीका करनेके अलावा, उन राज्योंके प्रकट दोष दूर करनेके जो उपाय परिषदकी समितिके पास हों, उन उपायोपर अमल करनेका उसे अधिकार है, यह उसका कर्तव्य है। जैसे कि परिषदकी बैठकके प्रसंगमें विषय-निर्धारिणी समितिके सामने कोई भी सदस्य काठियावाड़ी राज्यके दोषोका दर्शन सदस्योंको कराये और उनके बारेमें समितिकी सलाह मांगे। अंकुश तो इतना ही है कि उनके बारेमें परिषदके सामने वह प्रस्ताव नहीं ला सकेगा। कार्यवाहक उन राज्योंसे पत्र-व्यवहार कर सकता है, राजाओं और उनके अमलदारोंसे मिल सकता है और उन दोषोको दूर करनेकी प्रार्थना कर सकता है, अथवा शिकायतें झूठी ठहरें तो उस बातको जाहिर कर सकता है। यानी मित्रके तौरपर समिति प्रत्येक राजाके पास उचित रास्तेसे जा सकेगी। यह भी सम्भव है कि मर्यादाका रहस्य जाननेके बाद, वे राज्य अगर एकाएक स्वच्छन्द न हो गये हों, लोकमतकी बिल्कुल उपेक्षा न करते हों तो समितिके ऐसे कामका स्वागत ही करेगें और उसे अपनी ढाल भी बना सकते हैं। यहाँ इतना याद रखना चाहिए कि ऐसी खोज-बीन और जाँचका समिति कोई लाभ न उठाये। जो बातें वह जाने, उनकी सार्वजनिक तौरपर खुली चर्चा न करे, और अगर वह उन-उन राज्योंके पास न पहुँच सके, अथवा पहुँचनेपर भी सन्तोष न हो तो भी मुँहपर ताला लगाकर सब सह ले और समझे कि रोगका निवारण समितिकी शक्तिके बाहर है।

इसे मर्यादाके भीतर हस्तक्षेप कहो या जाँच कहो, उसका परिणाम समितिकी सजगता या सावधानी, उद्यम और सौजन्यपर निर्भर करता है। अगर वह पहलेसे ही उन-उन राज्योंके बारेमें अपनी राय बना बैठे, पूर्वग्रहसे ग्रसित हो जाये तो वह कुछ नहीं कर सकेगी। राजाओंके हृदयको पिघलानेका आत्मविश्वास उसमें होना चाहिए। ऐसा आत्मविश्वास केवल राजा प्रजा दोनोंकी अनन्य सेवासे ही आता है। दोनोंकी सेवा, उन्हें खुश करनेके लिए नहीं बल्कि उनके भलेके लिए तटस्थ भावसे करनी पड़ती है। ऐसी सेवामें स्वप्नमें भी समितिके सदस्योका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। देशी राज्योंकी हस्तीपर हम हाथ नहीं डालना चाहते, केवल उनका सुधार करना चाहते हैं। यह मान्यता इस वस्तुके गर्भमें समाई हुई है कि यदि परिषद राज्यतन्त्रका ही नाश करना चाहे तो उसकी बैठकके लिए राज्योंमें कोई स्थान नहीं है।

अहिंसासे परिवर्तन साधा जा सकता है, नाश नहीं। उसके द्वारा प्रजातन्त्रको राज्योंमें कायम किया जा सकता है पर राजाओंका या राज्योंका नाश नहीं; और राजा-प्रजा दोनोंमें जो कुछ अच्छा हो, उसका सामंजस्य कराया जा सकता है। थोड़ेमें कहिए तो दोनोंके बीच धर्मका सम्बन्ध रहे, पशुबलका नहीं। आधुनिक प्रवृत्ति

विनाशक है, प्राचीन सभ्यता पोषण करनेवाली है। अहिंसासे सबका कल्याण सबता है, हिंसा एकके विनाशपर दूसरेकी समृद्धिका पाया रखती है। प्रजातन्त्र सर्वथा लाभकारक नहीं है, राजसत्ता भी सर्वथा हानिकारक नहीं है। दोनोंकी अपनी-अपनी उपयोगिता है। वह कहाँतक उपयोगी है इसकी खोज करना राजनीतिक परिषदका काम है। क्योंकि परिषद सत्य और अहिंसाके द्वारा अपने ध्येयपर पहुँचना चाहती है।

अब हम इसपर विचार करें कि परिषद क्या कर सकती है। खादी, अछूतोद्धार, समाज-सुधार वगैरा काम तो हैं ही। इन कार्योंके द्वारा परिषद प्रजातन्त्रका पोषण करे। राजनीति-सम्बन्धी काम भी कुछ कम नहीं हैं। मद्यपान-निषेध, शिक्षा, रेल विभाग, बरसातके पानीका समस्त काठियावाड़के लिए संग्रह, समस्त काठियावाड़के वृक्षोंका संरक्षण और उनकी वृद्धि, समस्त काठियावाड़के लिए एक प्रकारकी जकात और उसका एक ही सा प्रबन्ध इत्यादि। राजा-प्रजा दोनोंका कल्याण करनेवाली ऐसी दूसरी बातें भी कही जा सकती हैं। इनका महत्त्व बहुत बड़ा है। काठियावाड़ इन्हींके सहारे पनप सकता है। इनके बिना काठियावाड़ स्वयं अपने पैरमें कुन्हाड़ी मारेगा।

ये कार्य साधनेके लिए राजाओंकी अपेक्षा उनके अमलदारोंकी मददकी कहीं अधिक आवश्यकता है। अमलदार बगं अगर स्वार्थी या संकीर्ण विचारोंके होंगे तो वे सुधार भी नहीं हो सकेंगे जो राजा खुद करना चाहेंगे। राजाके हाथ-पाँव तो उनके अमलदार हैं। और अमलदार वर्गका अर्थ है प्रजा। प्रजाका सुधार होगा तो राजा जरूर सुधरेंगे। पर हल्ला मचानेवाली प्रजाका एक बड़ा भाग तो अमलदारोंका है। इसलिए जबतक वे स्वार्थको नहीं भूल जाते, नीतिका पन्थ ग्रहण नहीं करते, अपनी जीविकाके लिए निर्भर नहीं बनते और निर्भयतापूर्वक किये जानेवाले सार्वजनिक कामोंको समझकर उनमें दिलचस्पी नहीं लेते तबतक राज्योंमें सच्चा सुधार होनेकी आशा कम ही है। इसलिए राजनीतिक परिषदका क्षेत्र तो प्रजाके बीच ही होना और रहना चाहिए। प्रजा मूल है और राजा फल। मूल मीठा होगा तो फल मीठा ही होगा।

और काठियावाड़ राजनीतिक परिषदके नसीबमें अगर प्रतिष्ठा पाना बदा होगा तो मुख्य राज्योंमें वहाँ प्रजाकी अलग-अलग परिषदें होनी चाहिए और ये परिषदें निरश्चय ही अपने-अपने राज्यकी हर तरहकी टीका विलयपूर्वक कर सकती हैं। इन परिषदोंको अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। वह शक्ति पैदा करनेके लिए भी रचनात्मक काम होने चाहिए। इसीपर उनकी शक्तिका विकास निर्भर है।

इन कार्योंके लिए निःस्वार्थ, निडर सेवक चाहिए। वे कहाँसे मिलेंगे? फिलहाल जितने भी सेवक हैं यदि वे शान्तिसे अपना काम करते जायें तो उनकी संख्यामें वृद्धि होगी। किसीके मनमें ऐसा कायरतापूर्ण विचार नहीं आना चाहिए कि मैं अकेला क्या कर सकूँगा।

इतना तो मैंने प्रजाजनके प्रति कहा। राजा अगर समझें तो राजनीतिक परिषदके इस प्रस्तावसे उनकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। आजतक वे आलोचना या निन्दाके डरसे अथवा उसके वहाने परिषदकी उपेक्षा करते थे, कुछ कतराते भी थे,

पर अब मेरी नम्र सम्मतिमें तो उन्हें परिषद्के सम्यक्तापूर्ण तरीकोंकी कद्र कर उसका स्वागत करना चाहिए, उसे सन्तुष्ट करना चाहिए। अपने और अपनी प्रजाके बीच उसका उपयोग एक पुलके रूपमें करना चाहिए। मेरे पास जो सबूत हैं, उनके आधार-पर मैं मानता हूँ कि ऐसी बात तो है ही नहीं कि काठियावाड़का कोई भी राज्य टीकाके योग्य नहीं है। सुननेमें आया है कि कितने ही राज्योंमें बहुत बड़े-बड़े दोष हैं। वे इस युगको पहचानें। यह एक महत्त्वपूर्ण लक्षण है कि सारे जगतमें जो अव्यवस्था चल रही है उसका असर भारतवर्षपर भी होता जा रहा है। अव्यवस्थाके रूपमें तो वह अवश्य ही जहरीली है, मगर उसके मूलमें निर्मल हेतु है। जाने या अजाने, लोग खुद नीतिके रास्ते नहीं चलते, मगर तो भी वे नीतिके उपासक हैं। सत्ताके अन्धे बलसे वे थक गये हैं, अपना धैर्य खो बैठे हैं। और अवैयंके कारण यह बात वे भले ही भूल जाते हैं कि उनका उपचार तो रोगसे भी अधिक भयानक है। पर उन्हें सुधार चाहिए, नीतिपूर्ण सत्ता चाहिए; किन्तु मेरे-जैसे सत्य और अहिंसाके उपासक देख सकते हैं कि उनके अपनाये रास्तेसे नीति नहीं ही मिलेगी। पर वे यह भी देख सकते हैं कि यदि सत्ताधिकारी चेत नहीं तो उनका नाश निकट है। राजाओंको चेतनेकी आवश्यकता है। विनाशकी सूचक विपरीत बुद्धि उन्हें कभी न आये। मैं तो इसी अविचल विश्वासके सहारे जीवित हूँ कि हिन्दुस्तानी विनाशके रास्ते कभी नहीं जायेगा। मेरे इस विश्वासको राजा लोग सच्चा साबित करें।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २९-१-१९२८

### ३९३. प्रश्नोत्तर

इस साल काठियावाड़ राजनीतिक परिषद पोरबन्दरमें श्री अमृतलाल ठक्करकी अध्यक्षतामें हुई थी। उसमें गांधीजीको भी जाना पड़ा था।

एक भाईने पूछा कि अमुक राज्यमें अन्त्यज-शाला खोली जा सकती है या नहीं ? गांधीजीने कहा :

मैंने बहुतोंके मुँहसे और बहुत जगह सुना है कि "अमुक" राज्य अपवित्र राज्य है और अगर यह बात सच्ची हो तो वहाँ किसी पवित्र कामके लिए कोई नहीं जा सकता। इसमें अपवाद केवल यही है कि इस राज्यकी अपवित्रता दूर करनेके लिए वहाँ जाया जाये। हम ब्रिटिश राज्यमें रहते हैं और इस कारण उसे एक खास तरहकी प्रतिष्ठा मिल जाती है, पर इस अनीतिमय शासन-प्रणालीमें रहकर उसे नष्ट किये बिना हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। पर अन्य किसी भी पवित्र कामके लिए किसी भी भले आदमीका अपवित्र राज्यमें जाना अथवा रहना उस राज्यकी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिए जानेके समान है।

प्र० — देशी राज्योंमें सुधारके लिए कोई अखिल भारतीय सत्याग्रह संस्था होनी चाहिए या नहीं ?<sup>१</sup>

उ० — नहीं होनी चाहिए। दक्षिण आफ्रिकामें मेरे साथ ६०,००० आदमी हो गये थे; आज उनमें से कितने लोग सत्याग्रही हैं? आपमें से २२ तो केवल इसलिए चुने गये हैं कि वे ज़रूरतके वक्त काम आयें। पर जब भी आप कोई काम हाथमें लेंगे — और अविवेक पूर्वक आप कोई कदम उठानेवाले नहीं हैं — उस समय आपको और भी अनेक आदमी मिल जायेंगे। अगर आप समझदार सत्याग्रही हों तो जैसा कि आपने सुझाया है, वैसे किसी अ० भा० सत्याग्रह दलकी ज़रूरत नहीं है। अबसर आनेपर आपका और देशका जौहर प्रकट होगा।

प्र० — सत्याग्रह-दल गुण और संख्यामें किस तरह बढ़ सकता है ?

उ० — हरएक सत्याग्रहीको जाग्रत रहना चाहिए। उसमें आलस्य, शिथिलता, तन्द्रा न हों, उसे कोई व्याधि न हो, यहाँतक कि हर आदमी अपने वारेमें हमेशा विचार करता रहे। अपनी निश्चित की हुई प्रवृत्तिके अन्दर सदा अपनी परीक्षा करता रहे। प्रधान सेनापतिके पास हर सैनिकके कामकाजका लेखा होना चाहिए।

प्र० — आज तो बहुत-से आदमी अन्त्यज-शाला आदि कामोंमें लगे हुए हैं।

उ० — मैं तो ऐसे सत्याग्रहीसे पूछूँगा कि उसने वालकोंको किस हदतक सत्याग्रहकी शिक्षा दी है, वह वालकोंके साथ कितना झुल-मिल सका है? और यदि मैं लड़कोसे पूछूँ कि यह कौन है तो उन्हें कहना चाहिए कि हम तो इन शिक्षकको पिताके रूपमें ही मानते हैं।

आपमें सत्याग्रही डाक्टर हैं। सत्याग्रही डाक्टर कैसा होना चाहिए, यह मैं बतलाता हूँ। वह गरीबको पहला स्थान दे, मेरे जैसे और दूसरे लोगोंका — जिन्हें जब चाहिए तब डाक्टर मिल जाते हैं — खयाल पीछे करे। गरीबको देखकर पूछे कि देखो भाई तुम्हारे दाँत गिर गये हैं, क्या तुम्हें नकली दाँत चाहिए? उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई खराब दाँतोंवाला नहीं मिलता, अब मेरा घन्घा कैसे चलेगा? सत्याग्रही डाक्टरकी विस्तृत व्याख्या 'हिन्द स्वराज्य'में देख लेना। सत्याग्रही डाक्टर अपने घन्घेसे आजीविका पैदा करनेका तो विचार ही न करे। डा० वानलेसन हजारों आदमियोंके ऑपरेशन किये, उनकी संस्थाको लोग हजारों रुपये दे जाते हैं, मगर वे उसमें से अपने लिए एक कौड़ी नहीं रखते। सैम हिगिनबॉटम कृषि-विशेषज्ञके रूपमें सिन्धियाके पास थे। उन्हें कृषिके विषयमें केवल सलाह देनेके लिए ४,००० रुपये महीना मिलते थे। पर क्या उसमें से एक कौड़ी भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत कामके लिए ली थी? हाँ, हमारे यहाँ भी चन्द्रलाल डाक्टर<sup>२</sup> हैं, वे भी यही करते हैं। वे अपने काममें तो माहिर हैं ही किन्तु अपने लिए एक कौड़ी नहीं लेते और गरीब आदमी उनतक आसानीसे पहुँच सकता है।

१. यह और इसके बादके प्रश्न "सत्याग्रह-दल" के युवकों द्वारा पूछे गये थे।

२. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ३३-३४।

३. चन्द्रलाल देसाई, दन्त-चिकित्सक तथा गुजरातके कांग्रेसी कार्यकर्ता।

सत्याग्रही निर्मल भावसे साधना करे, अपने कामका निश्चय करके उसीमें लगा रहे। अगर किसी गलत चीजको भी उसने एक बार निष्ठापूर्वक सत्य मान लिया हो तो वह उसीमें लगा रहे और इसीसे उसकी अनन्य श्रद्धाका मूल्य आंका जायेगा। तुलसीदासने कहा है :

रजत सीप महँ भास जिमि, यथा भानुकर वारि।  
जदपि मृषा तिहुँ काल सोई, भ्रम न सके कोउ टारि॥

अगर हम जगतको सत्य मानकर चले तो फिर हम जगतके हितमें ही लगे रहेंगे। इसीमें कल्याण है।

प्र० — मान लीजिए कि “अमुक” राज्यकी स्थिति इस हदतक खराब है कि वहाँ सत्याग्रह करने लायक स्थिति पैदा हो गई है, तो क्या हम वहाँ अपना डेरा डाल सकते हैं ?

उ० — नहीं। बाहर रहकर ही आपको खूब बलवान बनना है।

बाहर रहकर ही “अमुक” राज्यके जनमतको तैयार करना है। जब आप देखें कि आपमें बल आ गया है और “अमुक” राज्यमें कोई खामी है और वहाँ किसी विभीषणके मिल जानेकी आशा है, तब आप सत्याग्रह-दल लेकर उस राज्यपर चढ़ाई करें। यह चढ़ाई करते हुए भी यह याद रखना चाहिए कि जिस राजाकी खराब नीतिके कारण चढ़ाई की जा रही है, उस राजाके प्रति आप प्रेम रखें। जब यह सब बातें हों तभी वहाँ सत्याग्रह दलकी छावनी पड़ सकती है। इस बीच आप “अमुक” राज्यके लोगोंको समझा सकते हैं। वहाँसे आनेवाले लोगोंको आप उनकी अधोगतिसे परिचित करायें और उन्हें जाग्रत करें। वहाँ अगर अपना कोई सगा-सम्बन्धी हो, और उसके यहाँ विवाह या ऐसा ही कोई दूसरा शुभ कार्य हो तो भी वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। इस तरह उस राज्यके लोगोंको बहिष्कारके द्वारा शिक्षा दीजिए।

[ गुजरातीसे ]

नवजीवन, २९-१-१९२८



## ३९४. पत्र : बी० एस० भास्करनको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

२९ जनवरी, १९२८

प्रिय भास्करन,

मुझे तुम्हारा तार और पत्र मिले। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस्तीफा देनेमें तुमने जल्दबाजीसे काम लिया है। तुम खादी सेवामें देशकी सेवा करनेके लिए दाखिल हुए थे, किसीको खुश करनेके लिए नहीं, और किसी अच्छे कार्यके लिए किसी संस्थामें शामिल होनेवाले व्यक्तिको केवल इसलिए उसे नहीं छोड़ना चाहिए कि व्यक्तिगत रूपसे उसके विरुद्ध अन्याय हुआ है अथवा उसे ऐसा लगता है कि हुआ है। एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति जिस संस्थामें है, उसे अपनी मानेगा और इसलिए अपने अधिकारोंपर आग्रह किये बिना अपने दायित्वोंको निभायेगा।

अगर कोई अन्याय हुआ है तो तुम्हें श्री राजगोपालाचारीसे उसकी चर्चा करनी चाहिए। तुम चूँकि ऐसा मानते हो कि वहाँ तुम्हारे साथ उचित व्यवहार नहीं होता, इसीलिए तुम्हारे आश्रमकी ओर भागनेका मैं समर्थन नहीं कर सकता। अगर अभी पुनर्विचार करनेकी कोई गुंजाइश हो तो मैं चाहूँगा कि तुम अपनी स्थितिपर फिरसे विचार करो।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी (एस० एन० १३०५७) की फोटो-नकलसे।

## ३९५. तार : पंजाब कांग्रेस कमेटी, लाहौरको'

३० जनवरी, १९२८

महासचिव

पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी

लाहौर

आशा है प्रयत्न बिलकुल सफल होंगे।

गांधी

[ अंग्रेजीसे ]

ट्रिब्यून, १-२-१९२८

१. यह तार साइमन कमीशनका बहिष्कार और उसके विरोधमें हस्तगत करनेके सम्बन्धमें भेजा गया था।

## ३९६. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

३० जनवरी, १९२८

प्रिय सतीश बाबू,

मुझे अब आपका वक्तव्य मिल गया है और मैंने उसे पढ़ लिया है। यह काफी सही है। मुझे एक या दो चीजोंके बारेमें सन्देह है। आपने इसपर हस्ताक्षर किये हैं। क्या यह मूल प्रति है? अथवा यह किमी अखबारको भेजे गये वक्तव्यकी प्रति है। मैं इसे 'यंग इंडिया'में नहीं छापूंगा।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० १५८५) की फोटो-नकलसे।

## ३९७. पत्र : रमणीकलाल मोदीको

[३० जनवरी, १९२८]

चि० रमणीकलाल,

यह ठीक है कि छगनलाल अस्वस्थ है; किन्तु मुझे इस बातका पता अभी-अभी तुम्हारे पत्रसे ही चला। कल दोपहर बाद ४ बजे बैठक रखी जा सकती है। मैंने ३ से ४ बजेका समय अनसूयावहनको दे रखा है। शामको ७-३० बजे भी बैठक रखी जा सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आज नियमावली<sup>१</sup> तैयार करनेका काम हाथमें ले सकूंगा। फिर भी जल्दी करूंगा।

बापू

गुजराती (एस० एन० १४५७८) की फोटो-नकलसे।

## ३९८. पत्र : डी० एन० बनर्जीको

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

३१ जनवरी, १९२८

प्रिय मित्र,

आपका पत्र<sup>१</sup> मिला। यदि आप अपने दिमागमें अहिंसाके बारेमें विलकुल स्पष्ट है तो आपका कर्तव्य है कि आप जजके सामने वैसा वक्तव्य दें और गवाही देनेसे

१. रमणीकलालके ३० जनवरी १९२८ के पत्रके उत्तरमें; उन्होंने गांधीजीसे आश्रम-नियमावलीका मसौदा तैयार कर देने तथा उसपर विचार-विमर्शके लिए ३१ जनवरीको बैठक रखनेका सुझाव दिया था। पत्रोंका यह आदान-प्रदान पत्र-वाहकके जरिये इती दिन हाथों-हाथ हुआ होगा।

२. नियमावलीके लिए डेलिग खण्ड ३६, "सत्याग्रह आश्रम", १४-६-१९२८।

३. श्री बनर्जीने अपने २३-१-१९२८ के पत्रमें गांधीजीसे पूछा था कि उन्हें एक फौजदारके मामलेमें गवाही देनी चाहिये या नहीं।

इनकार करके खुशी-खुशी परिणाम भोगें। आपको मानना चाहिए कि दण्ड-विधान सम्बन्धी निर्णय देनेवाले जजका यह कर्तव्य होगा कि जो लोग अपने देशके कानूनोंको नहीं मानते, उन्हें दण्डित करे। और इस मामलेमें सविनय अवज्ञाका भी प्रश्न नहीं आता क्योंकि प्रश्नोंका उत्तर न देनेवाले गवाहोंको दण्ड देनेका कानून तो स्वराज्यके बाद भी लागू किया जायेगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत डी० एन० बनर्जी

९४, बड़ादेव

बनारस सिटी

अंग्रेजी (एस० एन० १३०५८) की फोटो-नकलसे।

### ३९९. पत्र : एलिजाबेथ नडसेनको

सत्याग्रह आश्रम

साबरमती

३१ जनवरी, १९२८

प्रिय कुमारी नडसेन,

आपका पत्र मुझे मिला। मैं कोई जल-चिकित्सालय नहीं चला रहा हूँ। मैं कुछ लोगोंको आश्रममें कूनेकी पद्धतिसे स्नान कराता हूँ, वस। यदि आप आ सकती हों तो आश्रम आजाइए। आपके आनेसे खुशी होगी, और आप यहाँ कुछ बहनों तथा पुरुषोंको भी मालिशकी शिक्षा देंगी। अवश्य, आपको रहने-खानेका कोई खर्चा नहीं देना होगा, और आप जितने दिन चाहें ठहर सकेंगी। यहाँ जीवन बहुत सादा है, उससे भी ज्यादा शायद कठोर है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।

हृदयसे आपका,

कुमारी एलिजाबेथ नडसेन

अडेयार

मद्रास

अंग्रेजी (एस० एन० १३०५९) की फोटो-नकलसे।

## परिशिष्ट

### परिशिष्ट १

#### ब्राह्मण-अब्राह्मण प्रश्न<sup>१</sup>

##### [ प्रश्नोत्तरी ]

दक्षिण भारतमें गांधीजीकी यात्राके दौरान अनेक स्थानोंपर अब्राह्मण मित्रोंने गांधीजीसे मॅट की और उनके साथ ब्राह्मण-अब्राह्मण समस्याके विभिन्न पहलुओंपर विचार-विमर्श किया। अक्सर विभिन्न स्थानोंपर एक ही जैसे प्रश्न पूछे जाते थे किन्तु उनके उत्तर हर स्थानकी श्रोता-मण्डलीकी ब्राह्मण-भावितको देखते हुए संक्षेप या विस्तारसे दिये जाते थे। मैंने उन सब प्रश्नों और उत्तरोंको एक जगह इकट्ठा करके उन्हें एक प्रश्नोत्तरीके रूपमें प्रस्तुत किया है। इसमें तंजौर, चेट्टिनाड, विरुधुनगर और तिरुनेवेल्लीमें हुई बातचीत शामिल है। मदुरैमें हुई चर्चाके समय मैं उपस्थित नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस संकलित चर्चामें वे विषय भी आ जायेंगे जिनपर वहाँ विचार किया गया होगा। इस प्रश्नपर कड्डलोर, तंजौर और कोयम्बटूरमें सार्वजनिक सभाओंमें जो-कुछ कहा गया, उन्हें मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें मैं इन पृष्ठोंमें पहले ही दे चुका हूँ, और उन चर्चाओंको भी मैंने छोड़ दिया है जिनका सार-संक्षेप पहले ही दिया जा चुका है, जैसे कि ऊँच-नीचके सवालपर तिरुपुरमें हुई चर्चा।

— महादेव देसाई

##### प्रश्नको स्पष्ट करो

गांधीजी : मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्थिति मेरे सामने स्पष्ट करें क्योंकि मैं यह सुनना नहीं चाहता कि मैं आपके दृष्टिकोणको समझना नहीं चाहता या उसे सहानुभूतिके साथ देखनेसे इनकार करता हूँ। मेरे दिमागपर जो छाप है वह यह है कि इस आन्दोलनका वास्तविक कारण राजनीतिक है।

अब्राह्मण मित्र : यह आन्दोलन अपने राजनीतिक पक्षके प्रतिपादकोसे भी पुराना है। इसका सामाजिक और धार्मिक पक्ष भी है।

एक ईसाई मित्र : जस्टिस पार्टीके उल्थानका कारण यह धारणा है कि ब्राह्मणोंमें एकाधिकारकी मनोवृत्ति है और इसलिए उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं केवल आजके दक्षिण भारतीय ब्राह्मणोंकी बात ही कर रहा हूँ।

[ यहाँ बहुत जल्दी-जल्दी सवाल और जवाब हुए। मैं केवल गांधीजीके उत्तरोंका ही सारांश दे रहा हूँ। — महादेव देसाई ]

<sup>१</sup> देखिए " भाषण : तंजौरमें ", १६-९-१९२७।

गांधीजी : लेकिन इस प्रश्नपर विचार करते समय क्या आपको उत्तर भारतमें ब्राह्मणवादने जो दिशा अपनाई है, उसपर विचार नहीं करना चाहिए ? उत्तर भारतमें ब्राह्मणोंका जो भी दर्जा है वह उन्हें अब्राह्मणोंने प्रदान किया है। उसका अपना कोई स्वतन्त्र दर्जा नहीं है। तथ्य तो यह है कि उत्तर और पश्चिम भारतमें इस बातका विचार किया ही नहीं जाता कि कोई नेता विशेष ब्राह्मण है अथवा अब्राह्मण है, बल्कि यह देखा जाता है कि वह नेतृत्व कर सकता है या नहीं। पंजाबमें लालाजी, जो अब्राह्मण हैं, वहाँके सर्वोच्च नेता हैं। संयुक्त प्रान्तमें मालवीयजी हैं जो कि ब्राह्मण हैं। बंगालमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, जो ब्राह्मण थे, उनका अब्राह्मणों द्वारा भी उतना ही आदर किया जाता था जितना कि ब्राह्मणों द्वारा। गुजरातमें अब्राह्मण पटेल-बन्धुओंका ब्राह्मण भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना अब्राह्मण लोग।

दक्षिण भारतमें दिखता है कि आपने हिन्दू-धर्मको न केवल दो शिविरोंमें विभाजित कर दिया है बल्कि भारतको ही ब्राह्मणों और अब्राह्मणोंमें विभाजित कर दिया है, और अब्राह्मणोंमें मुसलमान और ईसाई भी शामिल हैं। अब, मैं चाहता हूँ कि आपके मनमें अपने ही उद्देश्यों और आदर्शोंकी एक सुस्पष्ट और ठोस धारणा हो।

अगर यह मान लूँ कि आपका उद्देश्य केवल राजनीतिक है, अर्थात् शक्ति और सत्तावाले स्थानोंपर ब्राह्मणोंके एकाधिकारको नष्ट करना है, तो शायद मैं अब्राह्मण शब्दकी आपकी सर्व संग्राहक परिभाषाको समझ सकता हूँ, हालाँकि यहाँ भी मैं बहुतसी कठिनाइयाँ देखता हूँ।

किन्तु यदि आपका उद्देश्य सुधार करना भी है, या धार्मिक और सामाजिक नियोग्यताओंको समाप्त करना है तो वैसी हालतमें अब्राह्मणकी आपकी वह परिभाषा मेरी समझमें नहीं आती जिसमें गैर-हिन्दू भी शामिल माने जाते हों। उदाहरणके लिए अस्पृश्यता या मन्दिर-प्रवेशका सवाल है। अच्छीसे-अच्छी नीयत हो तो भी कोई गैर-हिन्दू इस सवालमें कारगर ढंगसे हस्तक्षेप कैसे कर सकता है ? क्या कोई गैर-मुसलमान इस्लाम धर्ममें सुधार करवा सकता है ? मुझे भय है कि धर्मके मामलेमें अहिन्दुओंका प्रत्येक हस्तक्षेप गम्भीर सन्देशकी निगाहसे देखा जायेगा।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस सवालको जितना स्पष्ट कर सकें, कर लें। जहाँतक आपकी नियोग्यताओंका सवाल है, उनके बारेमें कोई सन्देश नहीं हो सकता। वे हैं, और उन्हें दूर करनेके लिए आपको डट कर संघर्ष करना होगा। लेकिन नियोग्यताओंके बारेमें भी किसी भ्रममें न रहिए। रही बात सत्ता और पदोंकी, तो अगर मेरे वशकी बात होती तो मैं सभी ब्राह्मणोंको जोरदार सलाह देता कि वे उन्हें आपकी खातिर छोड़ दें; लेकिन जब आप खादी-सेवामें ब्राह्मणोंके एकाधिकारका आरोप लगाते हैं तब मैं उसे बिल्कुल नहीं समझ पाता। यह सारा आन्दोलन मुख्यतः अब्राह्मण जनताके हितोंके लिए है, एक तरहसे अखिल भारतीय चरखा संघकी कार्यकारिणीके सभी सदस्य अब्राह्मण हैं। दक्षिण भारतमें क्या आप ईमानदारीके साथ यह बात कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण खादी सेवामें हैं वे उसमें आधिक लाभके लिए शामिल हुए हैं ? और जहाँतक स्वैच्छिक अवैतनिक सेवाका सवाल है, क्या एकाधिकारका आरोप

लगाना किसी दृष्टिसे उचित है ? लेकिन इसमें भी, मुझे ऐसे अब्राह्मण कार्यकर्ता दीजिए जो मेरी शर्तें पूरी करते हों, और मैं वचन देता हूँ कि सारे ब्राह्मण अपनी जगहें खाली कर देंगे। जहाँतक मैं जानता हूँ, इनमेंसे अधिकांश ब्राह्मण काफी आत्मत्याग करके इन जगहोंपर काम कर रहे हैं।

### वर्णका नियम

प्रश्न : वर्ण धर्मपर आपका जो आग्रह है उसे हम नहीं समझ पाते। क्या आप वर्तमान जाति प्रणालीको उचित कह सकते हैं ? वर्णकी आपकी व्याख्या क्या है ?

उत्तर : वर्णके अर्थ हैं मनुष्यके घन्चे या पेशेके चयनका पूर्व-निर्धारण। वर्णका नियम यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आजीविका कमानेके लिए अपने बाप-दादके पेशेको ही अपनायेगा। प्रत्येक वन्चा स्वभावतः अपने पिताके ढंगपर चलता है, या अपने पिताके पेशेको चुनता है। अतः वर्ण एक प्रकारसे आनुवंशिकताका नियम है। वर्ण कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिन्दुओंपर थोप दी गई है, बल्कि जो लोग हिन्दुओंके कल्याणके न्यासी थे, उन लोगोंने हिन्दुओंके लिए इस नियमकी खोज की थी। यह नियम मानव-रचित नहीं है बल्कि प्रकृतिका एक अपरिवर्तनीय नियम है—न्यूटनके गुरुत्वाकर्षणके नियमके समान ही सदा उपस्थित और सदा कार्यरत एक प्रवृत्तिकी उद्घोषणा है। जिस प्रकार खोजसे पहले भी गुरुत्वाकर्षणका अस्तित्व था उसी प्रकार वर्ण-नियमका भी था। इसकी खोज हिन्दुओंने ही सर्वप्रथम की। प्रकृतिके अमुक नियमोंकी खोज करके और उन नियमोंको लागू करके पश्चिमी देशोंके लोगोंने आसानीसे अपनी भौतिक सम्पत्ति बढ़ा ली है। इसी प्रकार इस अप्रतिरोध्य सामाजिक प्रवृत्तिकी खोजके जरिये हिन्दू लोग आध्यात्मिकताके क्षेत्रमें वह उपलब्धि प्राप्त कर सके हैं जो संसारका अन्य कोई राष्ट्र नहीं कर सका है।

वर्णका जातिसे कोई वास्ता नहीं है। अस्पृश्यताकी भाँति ही जाति भी हिन्दू धर्ममें एक अपवृद्धि है। जिन अपवृद्धियोंपर आज आग्रह किया जाता है वे हिन्दू धर्मका अंग कभी नहीं थीं। लेकिन क्या आपको ईसाई-धर्म और इस्लाममें भी इसी प्रकारकी अपवृद्धि नहीं मिलती ?

इन अपवृद्धियोंके विरुद्ध जितना मन चाहे उतना संघर्ष कीजिए। वर्णकी खाल ओढ कर घूमनेवाले जाति-प्रथाके दानवका नाश कीजिए। वर्णकी इसी विडम्बनाने हिन्दू-धर्म और भारतका पतन किया है। हमारी आर्थिक और आध्यात्मिक दुर्दशाका मुख्य कारण ही यह है कि हमने वर्ण-धर्मका पालन करना बन्द कर दिया है। वैरोजगारी और गरीबीका भी यह एक कारण है, और अस्पृश्यता तथा लोगो द्वारा हिन्दू-धर्मकी छोडनेकी घटनाओंके लिए यही जिम्मेदार है।

मूल वर्ण-धर्मने पतित होकर आज जो दानवी रूप प्राप्त कर लिया है और जो दानवी प्रथाएँ चल पडी है, उनसे अवश्य लड़िए, लेकिन मूल वर्ण-धर्मसे मत लड़िए। प्रश्न : वर्ण कितने हैं ?

उत्तर : वर्ण चार हैं, हालाँकि स्वयं वर्णमें इस प्रकारका कोई अलोचनीय विभाजन अन्तर्निष्ठ नहीं है। निरन्तर प्रयोग और अनुसन्धान करनेके बाद ऋषियोंने इस चार-सूत्री वर्गीकरण अथवा जीविकोपार्जनके चार तरीकोंका निर्धारण किया।

प्रश्न : अतः तर्ककी दृष्टिसे जितने धन्वे हैं उतने ही वर्ण हैं ?

उत्तर : यह आवश्यक नहीं है। विभिन्न धन्वोंको आसानीसे चार मुख्य वर्गोंके अन्तर्गत रखा जा सकता है। ये हैं : अध्यापन, रक्षा, धनका उत्पादन तथा शारीरिक सेवाएँ। जहाँतक संसारका प्रश्न है, प्रधान धन्वा धनका उत्पादन करना है। जिस प्रकार सभी आश्रमोंमें गृहस्थाश्रम प्रधान है, चारों वर्णोंमें वैश्य वर्ण मूल आधार है। यदि धन और सम्पत्ति न हो तो रक्षककी आवश्यकता नहीं होती। प्रथम दो और अन्तिम वर्णोंकी आवश्यकता तीसरे वर्णके कारण ही है। प्रथम वर्णके लोगोंकी संख्या बहुत कम होगी क्योंकि उसमें कठोर अनुशासनकी अपेक्षा की जाती है। दूसरे वर्णके लोगोंकी संख्या एक सुव्यवस्थित समाजमें कम ही होगी और इसी प्रकार चौथे वर्णके लोगोंकी भी कम होगी।

प्रश्न : यदि कोई व्यक्ति ऐसा धन्वा करता है जो जन्मतः उसका नहीं है, तो वह व्यक्ति किस वर्ण का होगा ?

उत्तर : हिन्दू विश्वासके अनुसार वह व्यक्ति जिस वर्णमें जन्मा है उसी वर्णका है किन्तु उस वर्ण-धर्मका पालन न करनेके कारण वह अपने प्रति हिंसा करता है और पतित हो जाता है।

प्रश्न : कोई शूद्र ऐसा काम करता है जो जन्मतः ब्राह्मणका कार्य है। क्या वह पतित हो जाता है ?

उत्तर : किसी शूद्रको ज्ञान प्राप्त करनेका उतना ही अधिकार है जितना कि एक ब्राह्मणको, किन्तु यदि वह अध्यापन कार्य द्वारा अपनी आजीविका चलानेका प्रयत्न करता है तो वह अपने पदसे च्युत हो जाता है। प्राचीन कालमें स्वचालित व्यापार-संगठन थे, और किसी धन्वेके सभी सदस्योंकी सहायता करना एक अलिखित कानून था। सी साल पहले किसी बड़ईका लड़का वकील बननेकी इच्छा नहीं करता था। आज वह करता है, क्योंकि वह देखता है कि यह धन्वा धन चुरानेका सबसे आसान तरीका है। एक वकील सोचता है कि अपनी वृद्धिके उपयोगके लिए उसे १५००० रुपयेका शुल्क लेना चाहिए और हकीम साहब जैसा एक चिकित्सक सोचता है कि चिकित्सा सम्बन्धी सलाह देनेके लिए उसे १००० रुपये प्रतिदिन लेना चाहिए।

प्रश्न : लेकिन क्या किसी व्यक्तिको अपना मन-पसन्द धन्वा नहीं करना चाहिए ?

उत्तर : लेकिन किसी व्यक्तिका मनचाहा धन्वा वही होना चाहिए जो उसके वाप-दादोंका धन्वा है, उस धन्वेको चुननेमें कोई बुराई नहीं है, उल्टे यह उदात्त कार्य है। आज हम जिन्हें देखते हैं वे सनकी हैं, और इसी कारण हिंसा है, और समाजका विघटन हो रहा है। हमें सतही दृष्टान्तोंसे अपने आपको चकित नहीं होने देना चाहिए। बड़इयोंके ऐसे हजारों लड़के हैं जो अपने वापका धन्वा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सी बड़ई-पुत्र भी नहीं हैं जो बकालत करते हों। पिछले जमानेमें दूसरोंके धन्वोंमें दखल देने और धन-संग्रह करनेकी महत्वाकांक्षा लोगोंमें नहीं थी। उदाहरणके लिए, सिसैरोके जमानेमें बकालतका धन्वा अवैतनिक धन्वा था। अगर धनके लिए नहीं

वल्कि सेवाके लिए कोई कुशाग्रबुद्धि बढ़ई वकील बन जाये तो यह विलकुल ठीक होगा। बादमें यश और धनकी कामना पैदा हो गई। वैद्य लोग समाजकी सेवा करते थे और जो-कुछ उन्हें समाजसे मिलता था उससे वे संतुष्ट रहते थे। किन्तु अब वे व्यापारी बन गये हैं, वल्कि समाजके लिए एक खतरा बन गये हैं। जब भावना बुद्ध सेवा करनेकी हुआ करती थी उस समय वैद्यक और वकालतके धन्वे उदार धन्वे कहलाते थे, जो कि सर्वथा ठीक था।

प्रश्न : यह सब तो आदर्श परिस्थितियोंकी बात है। लेकिन आज जब हर आदमी आमदनीवाले धन्वोंके पीछे दौड़ रहा है, तब आप क्या सुझायेंगे ?

उत्तर : यह तो अतिरिजित सामान्यीकरण है। स्कूलों और कालेजोंमें पढ़नेवाले लड़कोंकी कुल संख्या जोड़िए और फिर उन लड़कोंका प्रतिशत निकालिए जो ऐसे धन्वोंमें जाते हैं जिनमें पाण्डित्यकी आवश्यकता होती है। हर आदमी लूटेरा नहीं हो सकता। आज तो लूटेरा बननेके लिए आन्दोलन होता प्रतीत होता है। कितने लोग वकील और सरकारी मुलाजिम बन सकते हैं? जो लोग वैध रूपसे धन कमानेका कार्य कर सकते हैं वे वैश्य हैं। वहाँ भी, जब उनका धन्वा लूट-खसोटका रूप धारण कर ले तो वह घृण्य है। संसारमें लाखों लखपती नहीं हो सकते।

प्रश्न : जहाँतक तमिलनाडुका प्रश्न है, सभी अब्राह्मण ऐसे धन्वोंको अपनाना चाहते हैं जो उनके बाप-दादोंका धन्वा नहीं है।

उत्तर : दो करोड़ २० लाख तमिल लोगोंकी तरफसे बोलनेके आपके दावेको मैं अस्वीकार करता हूँ। मैं आपको एक मन्त्र देता हूँ : "हम कुछ ऐसी चीज बननेकी कोशिश न करें जो अन्य लोगोंके लिए सम्भव न हो"। और इस प्रस्तावको आप मेरे द्वारा परिभाषित वर्णके आधारपर ही कार्यान्वित कर सकते हैं।

प्रश्न : आप कहते रहे हैं कि वर्ण-धर्म हमारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओंका दमन करता है। सो कैसे ?

उत्तर : यदि मैं अपने पिताके धंधेको अपनाऊँ तो मुझे उसे सीखनेके लिए किसी स्कूलमें जानेकी भी आवश्यकता नहीं है। और मैं अपनी मानसिक शक्ति पूरी तरह आध्यात्मिक खोजमें लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा धन, वल्कि मेरी जीविका तो सुनिश्चित है। प्रसन्नता और वास्तविक धार्मिक गतिविधियोंकी सुरक्षा का सर्वोत्तम साधन वर्ण है। अन्य व्यवसायोंमें अपनी शक्ति केन्द्रित करनेके मतलब है कि मैं आत्मानुभव करनेकी अपनी शक्तिका ऋय करता हूँ या अपनी आत्माको भौतिक सुख-सुविधाके लिए बेचता हूँ।

प्रश्न : आप आध्यात्मिक कार्योंके लिए शक्तिको मुक्त करनेकी बात करते हैं। आज जो लोग अपने बाप-दादोंका धन्वा करते हैं उनमें कोई आध्यात्मिक संस्कृति है ही नहीं — उनका वर्ण ही उन्हें इसके अयोग्य बना देता है।

उत्तर : हम वर्णकी विकृत धारणा लेकर बात कर रहे हैं। जब वर्णका वास्तवमें आचरण होता था उस समय हमारे पास आध्यात्मिक प्रशिक्षणके लिए काफी फुर्सत होती थी। आज भी, आप दूर गाँवोंमें जाइए और देखिए कि शहरी लोगोंके



मुकाबले गाँववासियोंमें कैसी आध्यात्मिक संस्कृति है। शहरी लोग आत्मसंयम जानते ही नहीं।

लेकिन आपने इस युगके सबसे बड़े अनिष्टको पहचान लिया है। हमें कुछ ऐसी चीज बननेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए जो दूसरे लोग न बन सकें। यदि प्रत्येक व्यक्ति इच्छा होनेपर 'गीता' का अध्ययन न कर सकता हो तो मैं 'गीता' का अध्ययन भी नहीं करूँगा। इसीलिए बन कमानेके लिए अंग्रेजी सीखनेकी प्रवृत्तिके खिलाफ मेरी आत्मा विद्रोह करती है। हमें अपने जीवनको इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करना है ताकि आज जो फुर्सत हममें से चन्द लोगोंको ही है वह फुर्सत करोड़ों लोगोंको मिल सके, और ऐसा हम तबतक नहीं कर सकते जबतक कि हम वर्णधर्मका पालन न करें।

प्रश्न : यदि हम उसी प्रश्नपर बार-बार लौटें तो आप कृपया हमें क्षमा करेंगे। हम उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहते हैं जो आदमी अलग-अलग समयपर अलग-अलग धन्वे करता हो तो उसका वर्ण क्या हुआ ?

उत्तर : जबतक वह व्यक्ति अपने पिताके धन्वेको करता हुआ अपनी जीविका कमाता है तबतक उसके वर्णमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जो काम चाहे और जबतक चाहे तबतक कर सकता है, वशतः कि वह उसे सेवा-भावनासे करे। लेकिन जो व्यक्ति बन-लाभके उद्देश्यसे समय-समयपर अपना धन्वा बदलता है वह अपनेको पतित करता है और वर्ण-व्युत् हो जाता है।

प्रश्न : किसी धूर्तमें ब्राह्मणके सारे गुण हों, फिर भी वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता ?

उत्तर : इस जन्ममें उसे ब्राह्मण नहीं कहा जायेगा। और यह उसके लिए अच्छी बात है कि जिस वर्णमें उसका जन्म नहीं हुआ है उस वर्णको वह अनधिकारपूर्वक न अपनाये। यह सच्ची विनम्रताका चिह्न है।

प्रश्न : क्या आप मानते हैं कि वर्ण-गुण जन्मतः प्राप्त होते हैं, अर्जित नहीं किये जाते ?

उत्तर : उन्हें अर्जित किया जा सकता है। जन्मतः प्राप्त गुणोंको और मजबूत किया जा सकता है और नये गुणोंका विकास किया जा सकता है। लेकिन हमें धन-लाभ के लिए नये रास्तोंकी खोज करनेकी जरूरत नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। यदि हमारे बाप-दादोंके धन्वे शुद्ध हैं तो हमें उन धन्वोंसे ही सन्तुष्ट रहना चाहिए। प्रश्न : क्या आपको ऐसा आदमी नहीं मिलता जिसके गुण उसके पारिवारिक संस्कारोंसे भिन्न हैं ?

उत्तर : यह एक मुश्किल प्रश्न है। हम अपने सारे पूर्वचरित्रको नहीं जानते। लेकिन जिस वर्ण-धर्मको मैंने आपको समझानेकी कोशिश की है उसे समझनेके लिए आपको और मुझे इस सवालमें और ज्यादा गहरे जानेकी जरूरत नहीं है। यदि मेरे पिता एक व्यापारी हैं और मुझमें एक सैनिकके गुण हैं, तो मैं बिना कोई पुरस्कार लिए अपने देशकी सेवा एक सैनिकके रूपमें कर सकता हूँ, लेकिन अपनी जीविका अर्जित करनेके लिए मुझे व्यापारसे ही सन्तुष्ट होना चाहिए।

प्रश्न : जातिका जो रूप हम आज देखते हैं वह अन्तर्जातीय भोज तथा अन्तर्जातीय विवाहके निषेधमें ही सीमित है। तब क्या वर्णको कायम रखनेका अर्थ इन निषेधोको बरकरार रखना है ?

उत्तर : नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्णके शुद्धतम रूपमें निषेधका कोई स्थान नहीं है।

प्रश्न : क्या इन निषेधोंको छोड़ा जा सकता है ?

उत्तर : छोड़ा जा सकता है, और अन्य वर्णोंमें विवाह करके भी वर्ण संरक्षित रहता है।

प्रश्न : वैसी स्थितिमें माँके वर्णपर प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर : पत्नी अपने पतिके वर्णका पालन करती है।

प्रश्न : जिस वर्ण-धर्मका आपने प्रतिपादन किया है, क्या वह हमारे शास्त्रोंमें भी मिलता है, अथवा वह आपकी अपनी कल्पना है ?

उत्तर : मेरी अपनी कल्पना नहीं है। मैंने इसे 'भगवद्गीता' से लिया है।

प्रश्न : 'मनुस्मृति' में जो सिद्धान्त दिया गया है क्या आप उसका समर्थन करते हैं ?

उत्तर : सिद्धान्त उसमें है। लेकिन उसका व्यवहृत रूप मुझे पूरी तरह जमता नहीं। इस ग्रन्थके कई अंश हैं जिनपर गम्भीर आपत्तियाँ हो सकती हैं। मैं आशा करता हूँ कि वे बादमें उसमें जोड़ दिये गये थे।

प्रश्न : क्या 'मनुस्मृति' में बहुत-सी अन्यायपूर्ण बातें कही गई हैं ?

उत्तर : हाँ, उसमें स्त्रियो और तथाकथित नीच 'जातियो'के बारेमें बहुत अन्यायपूर्ण बातें हैं। इसलिए तथाकथित शास्त्रोंको बहुत सावधानीके साथ पढ़नेकी आवश्यकता है।

प्रश्न : लेकिन आप 'भगवद्गीता' का अनुसरण करते हैं। उसमें कहा गया है कि वर्ण गुण और कर्मके अनुसार होता है। आप इसमें जन्म कहाँसे ले आये ?

उत्तर : मैं 'भगवद्गीता' को इसलिए प्रामाणिक मानता हूँ क्योंकि यही एकमात्र पुस्तक है जिसमें मुझे कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिसपर वितण्डा हो सके। इसने सिद्धान्त प्रस्तुत कर दिये हैं और इन सिद्धान्तोंको लागू करनेकी बात आपपर छोड़ दी है। 'गीता' यह अवश्य कहती है कि वर्ण गुण और कर्मके अनुसार होता है, लेकिन गुण और कर्म जन्मजात होते हैं। भगवान् कृष्णने कहा है कि सभी वर्णोंकी सृष्टि मैंने की है — चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् — अर्थात् मैं समझता हूँ कि वर्ण धर्म यदि जन्मगत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है।

प्रश्न : लेकिन वर्णोंमें श्रेष्ठता जैसी कोई चीज नहीं है ?

उत्तर : नहीं, बिल्कुल नहीं, हालाँकि मैं यह अवश्य कहता हूँ कि ब्राह्मण वर्ण अन्य वर्णोंका चरम बिन्दु है, जिस प्रकार सिर शरीरका चरम बिन्दु है। इसके अर्थ हैं श्रेष्ठतर सेवा किन्तु कोई श्रेष्ठतर दर्जा नहीं। श्रेष्ठतर दर्जेका झूठा दावा करते ही वह पौरों तले रौदनेके योग्य हो जाता है।

प्रश्न : 'कुरल' आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तमिल ग्रंथके रचयिताका कहना है कि जातिका आधार जन्म नहीं है ? उसके अनुसार, जन्मके समय सभी प्राणी एक समान हैं।

उत्तर : उसका यह कथन आजकी अतिरंजनाओंके उत्तरमें है। जब किसी वर्णने श्रेष्ठताका दावा किया तब उसे इस दावेके विरुद्ध अपनी आवाज उठानी पड़ी। लेकिन उसका यह कथन वर्णके जन्म-सिद्धान्तकी जड़पर प्रहार नहीं करता। वह तो एक सुधारककी भाँति असमानताकी जड़पर प्रहार करता है।

प्रश्न : वर्णका प्रचलित रूप जितना विकृत है उसे देखते क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उसे बिलकुल छोड़ दिया जाये और बिलकुल नये ढंगसे शुरुआत की जाये ?

उत्तर : हाँ, बशर्ते कि हम सृष्टिकर्ता होते। हम कलमकी एक लकीरसे हिन्दू प्रकृतिको नहीं बदल सकते। हम इस नियमको कार्यान्वित करनेका तरीका तो ढूँढ सकते हैं, उसे नष्ट करनेका नहीं।

प्रश्न : जब शास्त्रोंके रचयिताओंने नई स्मृतियोंकी रचना की है तो आप क्यों नहीं कर सकते ?

उत्तर : काश मैं एक नई सृष्टिकी रचना कर सकता ! मेरी स्थिति तब विश्वामित्रसे भी खराब होगी, और वह तो मुझसे कहीं अधिक महान थे।

प्रश्न : जबतक आप वर्णका नाश नहीं करते, अस्पृश्यताको नष्ट नहीं किया जा सकता।

उत्तर : मैं ऐसा नहीं सोचता। किन्तु यदि अस्पृश्यता-निवारणके सिलसिलेमें वर्णाश्रमका ह्रास होता हो तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। किन्तु मेरी परिभाषाके वर्णका अस्पृश्यतासे क्या वास्ता है ?

प्रश्न : किन्तु सुधारके विरोधी अपने समर्थनमें आपके कथन प्रस्तुत करते हैं।

उत्तर : यह तो सभी सुधारकोंके भाग्यमें होता है। स्वार्थी लोग अपने हितार्थ सुधारककी बातको गलत रूपमें प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि उनमें से कुछ लोग चाहते हैं कि मैं हिन्दू-धर्म छोड़ दूँ। कुछ औरोंका वश चले तो वे मुझे हिन्दू समाजमें से निकाल बाहर करें। मैं वर्ण धर्मका बचाव करनेके लिए कहीं नहीं गया हूँ, हालाँकि अस्पृश्यताके निवारणके लिए मैं वाइकोम गया था। खादीके प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकताकी स्थापना तथा अस्पृश्यताके निवारणके लिए कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावका मैं रचयिता हूँ। ये तीनों चीजें स्वराज्यके तीन स्तम्भ हैं। लेकिन मैंने एक चौथे स्तम्भके रूपमें वर्ण-धर्मकी स्थापनाकी बात कभी नहीं कही है। इसलिए आप मुझपर वर्णाश्रम धर्मपर गलत जोर देनेका आरोप नहीं लगा सकते।

प्रश्न : क्या आप जानते हैं कि आपके बहुतसे अनुयायी आपकी शिक्षाओंको विकृत रूपमें प्रस्तुत करते हैं ?

उत्तर : क्या मैं यह बात नहीं जानता ? मैं जानता हूँ कि मेरे बहुतसे अनुयायी ऐसे हैं जो केवल कहने भरके अनुयायी हैं।

प्रश्न : सामाजिक संगठनपर ब्राह्मणोंका प्रभुत्व था इसलिए बौद्धधर्मको भारतसे बाहर खदेड़ दिया गया। इसी प्रकार यदि हिन्दू-धर्मसे उनका हित-साधन नहीं होता तो वे हिन्दू-धर्मको भी खदेड़ बाहर करेंगे।

उत्तर : ऐसा दुस्साहस उन्हें करने तो दीजिए। लेकिन मुझे पूरा निश्चय है कि बौद्ध धर्म भारतसे बाहर नहीं गया है। भारत वह देश है जिसने बुद्धकी अधिकांश भावनाको

आत्मसात् कर लिया है। बौद्ध-धर्म और बुद्धकी भावनामें अंतर मानना चाहिए, उसी प्रकार ईसाई-धर्म और ईसाकी भावनामें भी फर्क मानना चाहिए। उन्होंने बुद्धकी मुख्य शिक्षाको आत्मसात् कर लिया था इसीलिए वे बौद्धधर्मको बाहर खदेड़नेमें सफल हो सके।

प्रश्न : जिस ब्राह्मणने, बौद्ध-धर्मकी अच्छी बातको आत्मसात् कर लिया था उसीने मन्दिरोंमें अस्पृश्यको प्रवेश करनेसे रोक कर और उनके ऊपर निर्मम नियोग्यताएँ थोपकर अत्यन्त जघन्य अपराध किया है, जो अमृतसरमें हुए अपराधसे भी ज्यादा जघन्य है।

उत्तर : आप कुछ हदतक ठीक कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणको दोषी ठहराकर आप गलती करते हैं। साराका सारा हिन्दू-धर्म ही इसके लिए जिम्मेदार है। वर्ण-धर्म जब विकृत हो गया तो उससे अस्पृश्यताका जन्म हुआ। इसके पीछे कोई दुष्ट मंशा नहीं था, किन्तु जो परिणाम हुआ वह मानव इतिहासकी एक दुःखद घटना है।

प्रश्न : लेकिन जबतक आप वर्णाश्रम-धर्म शब्दका प्रयोग करोगे तबतक उसके साथ जुड़ी हुई आजकी तमाम बुराइयाँ भी उसके साथ आयेंगी।

उत्तर : इससे हम यही सीखते हैं कि उसके साथ जुड़ी बुराइयोंको नष्ट करके वर्ण-धर्मको उसके शुद्ध रूपमें प्रतिष्ठित कीजिए।

#### आपके लिए मेरा कार्यक्रम

प्रश्न : चारों ओर घोर अस्तव्यस्तता व्याप्त है। हम पीछेकी ओर किस प्रकार लौटेंगे ?  
उत्तर : आपसे मुझे इतना ही कहना है कि वुनियादको नष्ट मत कीजिए, हम उसे शुद्ध करनेकी कोशिश करें। इसके बजाय आप एक नया धर्म देनेकी कोशिश कर रहे हैं जिसे अपनानेके लिए कोई तैयार नहीं है। ब्राह्मणवाद हिन्दू-धर्मका पर्याय है। इसका अर्थ यह हुआ कि हिन्दू-धर्मके लिए हमारे पास जो एकमात्र शब्द था वह था ब्राह्मणवाद अर्थात् ब्रह्म विद्या, और इसे नष्ट करनेकी कोशिशमें आप हिन्दू धर्मको नष्ट करनेकी कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण यदि आपके अधिकारोंका अतिक्रमण करे तो आप उसके साथ एक-एक इंचपर लड़िए, और उसे सुधारनेकी कोशिश कीजिए। लेकिन हर ब्राह्मणको गाली देनेसे कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण भी कई ढंगके हैं, एक ब्राह्मण कट्टर सुधारवादी है, दूसरा सुधारोंका विरोधी है। आपको अच्छेसे-अच्छे सुधारक ब्राह्मणोंको अपने पक्षमें करना चाहिए और उनकी सहायतासे अपने कार्यक्रमके रचनात्मक अगको कार्यान्वित कीजिए। इससे ब्राह्मण और अब्राह्मण, दोनोंका कल्याण होगा।

सुधार-विरोधियोंसे लड़िए और उनसे कह दीजिए, 'यदि आप घन और सत्ताके पीछे भागेंगे, और यदि आप विद्वान नहीं हैं और हमें सच्चे धर्मकी शिक्षा नहीं दे सकते तो हम आपको ब्राह्मण नहीं कहेंगे।' तब उनके मनमें आपके प्रति कोई विरोधभाव नहीं होगा। आप सुधार करानेके लिए जोरदार आन्दोलन कीजिए, आप उन स्कूलों और मन्दिरोंका बहिष्कार कीजिए जो अब्राह्मणोंके प्रति भेद वरतते हैं। आपका आग्रह हो कि पुजारियोंका चरित्र शुद्ध हो, वे विद्वान हो और उनमें सासारिक

इच्छाएँ न हों। यदि पुराने मन्दिरोंमें अस्पृश्योंके प्रवेशका निषेध हो तो आप नये मन्दिर बनवाइए।

फिर सवाल एक साथ खाने-पीनेका है। मैं किसीके साथ इस आधारपर झगड़ा नहीं करूँगा। लेकिन जिस समारोहमें दो वर्गोंके बीच भेद किया गया हो उस समारोहका मैं बहिष्कार करूँगा।

इसके अलावा, मैं अस्पृश्योंके साथ भाईचारा रखूँगा। और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा जैसा कि सगे भाईके साथ। मैं जाति और बिरादरीकी दीवारोंको तोड़कर चूर-चूर कर दूँगा। इसीलिए जब मैं अपने लड़केका विवाह करूँगा तो मैं प्रयत्नपूर्वक दूसरी बिरादरीकी किसी लड़कीकी तलाश करूँगा। आज हम घृण्य प्रथाओंसे वास्तवमें इस तरह जकड़े हुए हैं कि आप मुझे अपनी कोई लड़की गुजरातमें बसनेके लिए नहीं देंगे और किसी गुजराती लड़कीको लाकर तमिलनाडुमें नहीं बसायेंगे।

फिर मैं अस्पृश्योंको धार्मिक शिक्षा दूँगा, हिन्दू-धर्म और नैतिकताका बुनियादी ज्ञान उन्हें दूँगा। आज वे बिल्कुल जानवरों-जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं उन्हें निषिद्ध भोजन न करने और शुद्ध तथा स्वच्छ जीवन व्यतीत करनेके लिए समझा-बुझाकर राजी करूँगा। आप इन सवालोंको आसानीसे और व्यापक बना कर एक बड़ा रचनात्मक कार्यक्रम चला सकते हैं।

**हिन्दू-धर्मने हमारे लिए क्या किया है?**

प्रश्न : हम देखते हैं कि आप हिन्दू-धर्मकी दुहाई देते हैं। क्या हम जान सकते हैं कि हिन्दू-धर्मने हमारे लिए क्या किया है? क्या यह भदे अन्धविश्वासों और भरी प्रथाओंकी बपीती नहीं है?

उत्तर : मेरा खयाल था कि यह बात मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। वर्णाश्रम धर्म स्वयंमें संसारको हिन्दू-धर्मकी एक अनोखी देन है। हिन्दू-धर्मने हमें भयसे बचाया है। यदि हिन्दू-धर्म मेरी रक्षाको न आता तो मेरे सामने आत्महत्याके सिवा कोई रास्ता नहीं होता। मैं हिन्दू बना हुआ हूँ क्योंकि हिन्दू-धर्म एक ऐसा खमीर है जो संसारको रहने योग्य बनाता है। हिन्दू-धर्ममें से बौद्ध-धर्मका जन्म हुआ। आज हम जो देखते हैं वह शुद्ध हिन्दू-धर्म नहीं है बल्कि अक्सर वह उसकी विद्रूपिका है। अन्यथा मुझे उसके पक्षमें बोलनेकी जरूरत नहीं होती, वह स्वयं बोलता, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि मैं पूर्णतः शुद्ध होता तो मुझे आपसे बोलनेकी जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर अपनी जिह्वासे नहीं बोलता और जिस हृदयक मनुष्य ईश्वरके निकट आता जाता है उसी हृदयक ईश्वर बन जाता है। हिन्दू-धर्म मुझे सिखाता है कि मेरा शरीर तो अन्ध बसनेवाली आत्माकी शक्तिपर एक सीमाके समान है।

जिस प्रकार पश्चिमके देशोंमें लोगोंने भौतिक क्षेत्रमें आश्चर्यजनक खोजें की हैं उसी प्रकार हिन्दू-धर्मने धर्म, अध्यात्म और आत्माके क्षेत्रमें और भी अधिक आश्चर्यजनक खोजें की हैं। लेकिन हमारे पास इन महान और सुन्दर खोजोंको देखनेके लिए आँखें ही नहीं हैं। पश्चिमी विज्ञानने जो प्रगति की है उससे हम चकाचौंध हो गये हैं। वास्तवमें लगभग ऐसा लगता है कि ईश्वरने वृद्धिपूर्वक भारतको इस दिशामें प्रगति करनेसे रोक दिया है ताकि वह भौतिकवादके ज्वारका प्रतिरोध

करनेका अपना विशेष दायित्व निभा सके। आखिरकार हिन्दू-धर्ममें कुछ ऐसा है जिसने उसे अबतक जीवित रखा है। इसने वैविलोनिया, सीरिया, फारस और मिस्रकी सम्यताओका पतन होते देखा है। अपने चारों ओर एक नजर डालिए। कहाँ है रोम और कहाँ है यूनान? क्या आज आप गिबन द्वारा वर्णित इटलीको — या प्राचीन रोम कहें, क्योंकि रोम ही इटली था — कहीं देख सकते हैं? यूनान जाइए। विश्व-विख्यात ऐटिक सम्यता कहाँ है? फिर भारतमें आइए, यहाँके प्राचीनतम लेख-आलेखोंको देखिए और फिर अपने चारों ओर देखिए। आप विवश होकर कहेंगे, 'हाँ, मैं यहाँ प्राचीन भारतको अभी भी जीवित देखता हूँ।' यह सही है कि यहाँ-वहाँ गोबरके ढेर भी हैं, लेकिन उनके नीचे बहुमूल्य खजाने दबे पड़े हैं। और उसके जीवित रहनेका कारण यही है कि हिन्दू-धर्मने अपने सामने जो उद्देश्य रखा था वह भौतिक दिशामें नहीं बल्कि आध्यात्मिक दिशामें विकास करनेका था।

हिन्दू-धर्मकी अनेक देनोंमें से एक अनोखी देन है मूक प्राणियोंके साथ मनुष्यके सादात्म्यका विचार। मेरी दृष्टिमें गौ-पूजा एक महान विचार है जिसका और विस्तार किया जा सकता है। आधुनिक धर्म-परिवर्तन करनेकी प्रवृत्तिसे उसका मुक्त रहना भी मेरी दृष्टिमें एक बहुमूल्य चीज है। इसको प्रचारकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहता है, 'जीवनको जियो।' अब यह मेरा काम है, आपका काम है कि हम जीवनको जियें और फिर उसका प्रभाव आनेवाले युगोपर छोड़ जायें। अब उसने जो विभूतियाँ प्रदान की हैं उन्हें लीजिए; अपेक्षाकृत ज्यादा आधुनिक नामोंको छोड़ भी दें तो रामानुज है, चैतन्य है, रामकृष्ण है जिन्होंने हिन्दू-धर्मपर अपनी छाप छोड़ी है। हिन्दू-धर्म किसी भी हालतमें एक मृतप्राय शक्ति या मृत धर्म नहीं है।

फिर आश्रमोंके रूपमें उसका योगदान है, जो एक अनोखा योगदान है। इसके समान चीज सारे संसारमें नहीं है। कैंथॉलिक ईसाइयोंमें विवाह न करनेवाले लोगोंका एक समुदाय है जो अपने यहाँके ब्रह्मचारियों-जैसा है, लेकिन जो एक संस्था नहीं है, जबकि भारतमें प्रत्येक बालकको प्रथम आश्रमसे गुजरना पड़ता है। क्या ही शानदार यह कल्पना थी! आज हमारी आँखें मँली हैं, विचार और भी मँले हैं और शरीर सबसे ज्यादा मँले हैं, क्योंकि हम हिन्दू-धर्मको नकार रहे हैं।

एक और भी चीज है जिसका मैंने उल्लेख नहीं किया है। मैक्समूलरने चालीस वर्ष पहले कहा था कि यूरोपवाले धीरे-धीरे अब यह समझ रहे हैं कि पुनर्जन्मकी बात कोई सिद्धान्त नहीं बल्कि एक तथ्य है। तो, यह विचार पूरी तरह हिन्दू-धर्मकी ही देन है।

आज वर्णाश्रम-धर्म और हिन्दू-धर्मको उसके माननेवाले ही गलत रूपमें पेश कर रहे हैं और उससे नकार रहे हैं। इसका उपाय नष्ट करना नहीं है, सुधार करना है। हम अपने अन्दर सच्ची हिन्दू भावना पैदा करें और फिर पूछें कि वह आत्माको संतुष्ट करती है या नहीं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-११-१९२७

## परिशिष्ट २

खादी कार्यके लिए दक्षिण भारत और लंकार्में इकट्ठा किया गया चन्दा १

### १. दक्षिण भारतमें चन्दा

गांधीजीकी तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कन्नड़ प्रदेशकी यात्राके दौरान इकट्ठा किया गया चन्दा :

#### चेट्टिनाड

कराडकुडी, रु० ६,५२४-९-७; देवकोट्टा, रु० ४,२१८-१३-४; पागानेरी, रु० ४,१२०-१०-३; कोट्टयूर, रु० २,५३२; कनडुकातन, रु० २,४१६-९-६; कडैपट्टी, रु० १,२६७-११-६; अमरावतीपुद्दूर, रु० १,१८६-६-१; सिखवल, रु० १,०९९-११-९; कोत्तमंगलम्, रु० ७०१-४; पल्लत्तूर, रु० ६०१; नाचियापुरम्, रु० ५०५; नेमत्तानपट्टी, रु० ५०१; कुलीवरै, रु० ४०१; नच्चान्दुपट्टी, रु० ३०१; लक्ष्मीपुरम्, रु० २५०; वीरचिल्लै, रु० १२१; पणयापट्टी, रु० १०१; जयकोंडापुरम्, रु० १०१; मनछै, रु० १००; महानगरी, रु० १३; कुल रु० २७,०६२-१२-०।

#### मद्रास नगर

कुल रु० २१,७७२-९-४

#### मडुरै

मडुरै, रु० १३,४७२-७-६; तिरुमंगलम्, रु० ७८२-१३-८; तेवारम् और कूडलूर, रु० १४३-०-७; कोम्बै, रु० १००; कुल रु० १४,४९८-५-९।

#### कोयम्बटूर

कोयम्बटूर, रु० ४,७२०-१५-९; तिरुपुर, रु० ३,११७-२-६; पोलाच्छी, रु० २,२०४-३-६; गोबिचेट्टिपालयम्, रु० १,२३१-१५-११; इरसनामपट्टी, रु० २७०; वेल्लकोइल, रु० १००; किणत्तकडवे, रु० १००; अविनाशी, रु० ३४-११-९; चैयूर, रु० १३-४-०; कुल रु० ११,८०२-५-५।

#### त्रिचनापल्ली

त्रिचनापल्ली, रु० ८,१३२-१२-११; श्रीरंगम्, रु० ११३-९-२; लालगुडी, रु० १,९५७-१३-३; करूर, रु० ८९६-१०-३; मणच्चनल्लूर, रु० १५१; कुल रु० ११,२५१-१३-७।

१. देखिए “भाषण : त्रिचनापल्ली नगरपालिकाके अमिनन्दनपत्रके उत्तरमें”, १७-९-१९२७ तथा “भाषण : चेट्टियार लोगोंकी समा, कोल्म्बोमें”, १३-११-१९२७।

तंजौर

मायावरम्, ह० ३,२८२-३-२; मन्नारगुडी, ह० ३,०४०-१४-११; कुम्म-  
कोणम्, ह० २,९२३-१०-११; तंजौर, ह० १,०४१-७-१०; राजर्षयन चावडी,  
ह० २८८-१२-०; वलंगीमान, ह० २०१; नीडामंगलम्, ह० १०४; तिरुवडमरुदूर,  
ह० ७९-१२-०; पापनाशम्, ह० २३; मोरपट्टी, ह० १५; फुटकर, ह० ५; कुल  
ह० ११,००४-१२-१०।

तिन्नवेल्ली

तिन्नवेल्ली, ह० ३,१६५-६-०; तूतीकोरिन, ह० २,६१६-५-४; कोइलपट्टी,  
ह० १,४१६-११-१; श्रीवैकुण्ठन, ह० १,०१६-४-०; नांगुनेरी, ह० ६५४-१-६;  
पणगुडी, तिसयनविलै, शोल्ममरुदूर आदि, ह० ४३४-१३-६; शिवगिरि, ह० ५३०-९-५,  
शंकरनकोइल, ह० २२७-१४-०; कलडाकुरिची, ह० १४२-६-११; शिवकाशी,  
ह० ७९-८-०; तेनतिरुपेरै, ह० ५१; कलुगुमलै, ह० ५१; करियलूर, ह० ३४-८-०;  
मुदुर्कमिडम्, ह० ३१; शंकरनकोइल, ह० १६; कुल ह० १०,४६७-७-९।

त्रिटिश मलावार

कालीकट, ह० ४,११३-९-४, पालघाट, ह० २,२३६-२-७; ओट्टपालम् और  
शोरनूर, ह० १,२०५-१५-०; अगतितरा, ह० ३१४-१-९; तलीपरम्बा, ह० १०१;  
पोन्नानी, ह० ६९-१५-०; बडगर, ह० ५४२-५-६; फुटकर, ह० ११; कुल  
ह० ८,५९४-१-२।

रामनाड

राजापालयम्, ह० ३,६४२; विरुधुनगर, ह० १,८३२-१४-६; परमाकुडी,  
ह० १,१७९-७-८; शातूर, ह० ५१६-९-३; तिरुपत्तूर, ह० ४३१-१५-६; श्रीवल्ली-  
पुत्तूर, ह० ६६-८-६; कुल ह० ७,६६९-७-५।

उत्तर आरकाड

वेल्लोर, ह० २,६२६-११-११; आर्णी, ह० २,१७८-१०-५; गुडियात्तम,  
ह० १,३१२-४-२; आरकाड, ह० ६२६-१५-३; पल्लिकोडान, ह० ७६-२-६;  
तिरुवन्नामलै, ह० ५०; कुल ह० ६,८७०-१२-३।

त्रावणकोर

त्रिवेन्द्रम्, ह० २,३८९-४-९; नागरकोइल, ह० १,२५३-२-१; अलेप्पी,  
ह० ९७४-९-०; क्विलन, ह० ८५८-२-९; हरिपाड, ह० ३३५; कच्चट्टा, ह० ३१३-  
०-३; कात्तिगापल्ली, ह० २३५-५-३; कयनगुलम्, ह० १०५; चंगन्नूर,  
ह० १११; करुनागपल्ली, ओच्चरा, आयागारमपुर, तोट्टपल्ली, ह० ८०-२-३; कुल  
ह० ६,६५४-१०-४।



## कोचीन

एणाकुलम्, रु० २,५१९-०-१; त्रिचूर, रु० १,८९८-११-५; कोचीन, रु० १००; बोल्लूर, रु० ८८५-१३-०; तिरुपनितुरा, रु० २७२-५-६; माचाड, रु० १३-८-०; कुल रु० ६,४८९-६-०।

## दक्षिण आरकाड

कडुलोर, रु० ३,०८७-१२-७; चिदम्बरम्, रु० १,९६५-७-६; तिडिवनम्, रु० २६०; कुल रु० ५,३१३-४-१।

## चेन्नैपट्ट

कांचीवरम्, रु० १,४१०-१३-९; आडम्बाकम, रु० १,२१९-९-३; तिरुवल्लूर, रु० ७७५-१३-५; पूनमल्ली, रु० ३६९-३-४; श्रीपेरम्बुदूर, रु० ५६-७-६; कुल रु० ३,८३१-१५-३।

## सेलम

कृष्णगिरि, रु० २,२०१-१-७; होमूर और चोलगिरि, रु० ७०५-१०-०; पुडु-पालयम्, रु० २०५-६-०; कुल रु० ३,११२-१-७।

## पुवकोट्टा

कुल रु० १,१५६-११-०।

फुटकर, रु० २९९-५-५।

कुल जोड़: तमिलनाडु और केरल, रु० १,५७,८५१-१३-०।

## कर्नाटक

दक्षिण कन्नड़ और फुटकर, रु० ५,९४४-६-५।

गुजरात वाङ्मयसहायता कार्यके लिए मिले, रु० १३०; कुल प्राप्ति रु० १,६३,९२६-३-५।

बैंकका खर्च रु० २०-१३-८ काटकर, रु० १,६३,९०५-५-९।

अर्बन बैंक, माइलापुरमें १,५४,७७७-१३-९; तिरुपुर खादी बस्त्रालयमें रु० ५,८१०-५-०; एरोडके अखिल भारतीय चरत्रा संघमें, रु० ३,३१७-३-०; कुल जोड़ रु० १,६३,९०५-५-९।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १०-११-१९२७

## २. लंकामें खादी कार्यका चन्दा

(हम नीचे गांधीजीकी लंका-यात्राके दौरान जया किये गये चन्दाकी एक सम्मिलित सूची दे रहे हैं। चन्दा और दान देनेवालोंसे प्रायना है कि वे सूत्राकी

जाँच कर लें और यदि कुछ गलती हो या कुछ छूट गया हो तो उसकी सूचना श्रीयुक्त च० राजगोपालाचारी, गांधी आश्रम, तिरुचेङ्गोडको दे दें। — महादेव देमाई)

कोलम्बो: सी स्ट्रीटके चेट्टियार, र० ४,००१-००; सी स्ट्रीटके क्लर्क, र० २,३३५-५०; सी स्ट्रीटके रसोइये, र० १०३-२५; भारतीय युवक संघ, र० १०१-००; विवेकानन्द सोसाइटी, र० २,०५०-००; नालन्दा विद्यालय, र० ४००-००; आनन्द कालेज, र० ४००-८६; केली व्यापारी, र० २०५-००; मध्ययुवकुला संघ, ४०१-००; हेवावीतराना, वीविंग स्कूल, र० ३३०-५०; सिन्धी व्यापारी, र० १,७५४-५०; सीलोन लेबर यूनियन, र० २,७२६-७१; नाडर संघम्, र० २०१-००; सी स्ट्रीट लॉज, र० १०२-००; जाहिरा कालेज, र० ४००-००; तमिल लेडीज यूनियन, र० १,४४५-००; सिंहली स्त्रियाँ, र० १,०००-००; यंग मैनस हिन्दू एसोसिएशन, र० १०१-००; कोलम्बो तमिल यूनियन, र० १,२५१-५०; पारसी, र० १,००१-००; विद्या विनोद समा, र० ६२९-२०; रेडियार महाजन संघम्, र० ३,००१-००; गांधी संघम्, र० ७५-००; स्लेव आइलैंड जनरल, र० १,१०१-००; यंग भारतर्स लीग, र० ११०-११; मारवा सम्प्रदाय, र० ३५१-००; सीलोन इंडियन एसोसिएशन, र० १,८०१-००; यंग लंका लीग, र० ६०-००; यंग मैनस बुद्धिस्ट एसोसिएशन, र० ६१५-४५; लॉ कालेज, र० ३२०-००; मलयाली, र० २६०-००; चावल और कढ़ीकी दुकानोके मालिक, र० १,२५०-००; चावल और कढ़ीकी दुकानोके क्लर्क, र० ५५०-००; लंका राष्ट्रीय कांग्रेस, र० ६००-००; कोलम्बोमें आम स्वागतसे प्राप्त, र० ६,४०८-००; नीलामी, र० ३५०-००।

श्रीयुक्त बलिअप्पा नाडर, र० ७६-००; श्रीयुक्त फिल्लिपिया, र० ५०-००; श्रीमती एच० सी० अन्नेवर्देने, र० ५०-००; श्री और श्रीमती डब्ल्यू० डी० फनानो, र० ५००-००; श्रीमती डब्ल्यू० ए० डीसिलवा, र० ५००-००; डा० ए० टी० कुरियन, र० १५-००; श्रीयुक्त वी० वी० भिमिया चेट्टियार, र० ५०-००; श्री विलिमोरिया, र० २५-००; श्री के० एस० नारायण अय्यर, र० २५-००; श्री ए० ई० डीसिलवा, र० २००-००; श्री एच० डब्ल्यू० पेरिरा, र० १००-००; श्री वेलायुथम पिल्ले, र० ५१-००; कुमारी वंडारनायक और अन्य, र० ११०-००; दूसरे विविध चन्दे, र० ३६५-८५; दूसरे आम चन्दे, र० २८५-००; कुल, (कोलम्बो), र० ४०,१९५-४३।

कुरुनेगल: चेट्टियार, र० १,०२१-००; सामान्य, र० १,५००-००; पुत्तलम् और कलपिटियाके क्लर्क, र० ३५-००; कंडीगाम और हेल्लीपोला, र० ११२-००।

नेगोम्बो, र० १,८१२-००; कोचुकाडान, र० ४३२-००; पालिगोडा नेशनल लीग, र० ३०-७२।

चिला, र० १,५३०-८२; नैनामदमा, र० १२८-०६।

भाटले: मध्ययुवकुला संघम्, र० ५५-००; बुद्धिस्ट स्कूल, र० २५-००; सामान्य, र० १,०९३-२०; श्री पोन्निया, र० १५०-००; स्कूल फाउन्डेशन, र० २५१-४१; कुल र० १,५७४-६१।

कैण्डी : बर्मराज कालेज, रु० १११-००; श्री राहुल स्कूल बर्गैरा, रु० ११-००; सामान्य, रु० ४,५००-००; भारतीय युवक संघम्, रु० ७१-१६; मरुयुवकुला संघम्, रु० १४१-००; इंडियन एसोसिएशन, रु० १,१८७-५०; श्री पी० एम० देवदामु पिल्ले, रु० १०-००; विविध, रु० ३८-५०; कुल (कैण्डी), रु० ६,१५०-१६।

पंडारावेल्ला, रु० ६०१-६३; दियातलावा, रु० १०३-००; हृपुना, रु० ३५१-५०।

वाडुल्ला : सामान्य, रु० ४,०००-००; वाडु० एम० सी० ए० लुनुगन्ना, रु० २१५-००; सभाके चन्दे, रु० २८९-३७; विविध, रु० ३५-६०; कुल रु० ४,५३९-९७।

दिकोया, रु० १३५-००; तलावकले, रु० ३१५-००; नानवाया, रु० १५०-००; वेल्लीमाडा, रु० २१५-२५; दिकावेल्ला, रु० ५००-००।

नुवारा हलिया : सामान्य, रु० ४,०९७-१५; सभाके चन्दे, रु० ५५५-३१; कुल रु० ४,६५२-४६।

हैट्टन : कारफेक्सके मजदूर बर्गैरा, रु० १००-००; कैमलरैके मजदूर, रु० १३५-००; कंगानीज एसोसिएशनकी सामान्य थैली, रु० २,५००-००; वाजार, रु० ५५८-००; विविध, रु० २१०-००; कुल रु० ३,५०३-००।

प्रिगटाना, रु० १९४-२०; वात्तावेल्ला, रु० २३०-५०।

नवलपिटिया : सामान्य, रु० १,३२२-३९ $\frac{१}{२}$ ; वाडु० एम० डब्ल्यू० ए०, रु० ३९-६१; विविध, रु० ७७-९०; कुल रु० १,४३९-९० $\frac{१}{२}$ ।

काडुगानचीले, रु० ४५-००।

गम्पोला : सामान्य, रु० १७५-००; स्कूल, रु० ५१-००; रसोइये, रु० ४१-००; मरुयुवकुला संघम्, रु० ४१-००; आर० लेच्छमनन चेट्टियार, रु० २५०-००; विविध, रु० १६-३४; कुल रु० २,१४९-३४।

टेक्काला महाजन सभा, रु० ३६४-००; काडुगन्नावा, रु० ८६४-१४।

केगाला : सामान्य, रु० ७६२-४०; नीलामी, रु० ३०-००; सभाके चन्दे, रु० ११०-१७; कुल रु० ९०२-५७।

अत्तगल्ला, रु० २१०-००; कैण्डीसे कोलम्बोतक विविध, रु० १६२-६८ $\frac{१}{२}$ ।

अम्बलंगोड्डा : तमिल, रु० २६५-८५; विविध, रु० १४-७३; कुल रु० २८०-५८; वालपित्तिवा, रु० ५०-००; दादुदुवा, रु० ५५-६५; त्रिरंगामा, रु० १२९-२१; तेलवला स्कूल, रु० ११-३०।

मोरानुवा, रु० ५८८-९०; कालातुरा, रु० १,६९५-८५; होराप्पा, रु० ४७२-९३; पानाडुरा, रु० १,८१०-००।

गैले : उदुगमा कंगानी, रु० २००-००; तमिल, रु० ५८-००; महाजन सभा, रु० १८०-४५; चेट्टियार, रु० ५०१-००; कनकुपिल्ले, रु० ३५१-००; नाटकका प्रदर्शन, रु० २००; महिन्द कालेज, रु० ४६५-००; नीलामी, रु० २०-००; विविध, रु० १६-००; दूसरे सामान्य चन्दे, रु० ४९-१०; कुल २,०४०-५६।

मतारा: सामान्य, रु० ८९९-४५; शोफरस् यूनिवर्सिटी, रु० १००-००; स्कूलके बच्चे, रु० १००-००; मरुथु वकुला संघम्, रु० ६०-४५; विविध, रु० ३०-००; व्यक्तिगत उपहार: श्रीमती प्रसाद, रु० ५०-००, श्री एन० गुणासेकर, रु० ५०-००; श्री जे० वी० कारडोजो, रु० २५-००; श्री सुन्दरम् पिल्ले, रु० २५-००; आदरणीय श्री अवेयासेखरा, रु० ५००-००; कुल रु० १,८३९-९०।

गोडागमा, रु० १५०-००; अक्मीमाना, रु० २५०-००; अम्बलावाट्टा, रु० २१-६०; लन्दनके सीलोनी विद्यार्थियोंका तार द्वारा मनीआर्डर, रु० ५३-००; एक और मनीआर्डर, रु० ६-००; गनेऊनुल्ला, २००-५४।

त्रिकोमाली, ३९२-००; नीलामी, रु० १०-००; कुल रु० ४०२-००।

पलाई, रु० २०-५१; नाथदिया एस्टेट, रु० ४५-५०।

कोलम्बो और जफनाके अलावा नगरेतर (मुफस्सल) स्थानोंका जोड़: रु० ४६, ५२९-५४।

जफना: सामान्य, रु० १,९५७-१०; डिप्रेस्ड क्लासिज सर्विस लीग, रु० १८०-००; गाँवकी कमेटियाँ, रु० ७०९-७५; समाके चन्दे, रु० ३२-४९; परमेस्वर कालेज, रु० ५३६-६०; मणिपरी हिन्दू कालेज, रु० ५०१-००; 'हिन्दू ऑर्गेन'की मार्फत मलाया लोगोंके चन्दे, रु० ८५२-५०; चुन्नाकम, रु० ६५१-४६; नीलामी, रु० २५-००।

हिन्दू कालेज, रु० ७०७-००; कण्डारोदई स्कूल, २२३-५९; जफनाके भारतीय, रु० १,३०१-२५; विश्वकर्मा कोऑपरेटिव सोसाइटी, रु० ११५-४५; चुन्नाकम डिप्रेस्ड क्लास स्कूल फाउन्डेशन, रु० १०-००; भारतीयोंकी समा, रु० ४७-०६; अनुराधापुरका व्यक्तिगत, रु० ३०-००; चावलाचेरी, रु० २१३-५०; कोप्पई, रु० १४४-००; टोण्डामानुरु, रु० ४००-००; विद्यभागट्टनूर मन्दिर, रु० ९०-८१।

वलवेतीतुरई, रु० ४७०-२५; नीलामी, रु० ६-००।

सेंट पेड्रो, रु० १,०१४-४९; जफना अर्बन काउंसिलके सचिवकी मार्फत, रु० ५२-४२; चिवातेरु, रु० २५९-५७; जफनाके मजदूर, रु० ५९४-९८; समा, रु० ४८-९५; चेम्मा स्ट्रीट, रु० १०७-००; सेंट जॉन्स कालेज, रु० २५८-८०; सेंट्रल कालेज, रु० २७६-००; रामनाथन गर्ल्स कालेज, रु० १,१११-०८; मालकन इंग्लिश स्कूल, रु० १०१-००; तेल्लीपलाई, रु० ६१७-२०; चुलीपुरम् और चैनकानाई, रु० ३०९-००; विक्टोरिया कालेज, रु० २८०-००; सीथनकराई स्कूल, रु० १०५-००; वडुक्कोडाई, रु० ३५-००; जफना कालेज, रु० ६००-००; कराईनगर, रु० ५३८-४०; जफना रेलवे स्टेशनका चन्दा तथा लेडी रामनाथनकी मार्फत, रु० १२९-६०; मोरले और कोलापुरम्, रु० २८०-४०; आइलैंड्स केट्स, रु० ६५०-०३; पण्डातेस्वर इंग्लिश स्कूल, रु० ३१-३२; अस्पतालकी मैट्रन और नर्स, रु० १०-००; बावुनिया, रु० १२५-००; मदावन्नी, रु० १०६-७५; नीलामी, रु० १,१४७-००; विविध, रु० २९७-२५; जफनासे कुल चन्दा, रु० १८,२९१-५३।

कुल जोड़	₹ १,०५,०१६, ०२½
७ सेंटके हिसाबसे स्वर्ण मुद्राओं (५४) के मूल्यमें कमी	₹-७८
खराब सिक्के	₹२-१२½
असली जोड़	₹ १,०५,०००-१२
	= ₹ १,०५,००-२-०
	₹ ० आ० पा०
बैंकमें जमा (एम० सी० यू० बी )	₹ १,०४,४८७-५-४
नकद पासमें	₹ ४८-९-५
गैर-कानूनी होनेपर वापस किये गये चेकोंकी उगाही बाकी	₹ ६४-३-३
	<hr/>
	जोड़ ₹ १,०५,०००-२-०

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २२-१२-१९२७

## परिशिष्ट ३

भेंट : सी० कुट्टन नायरसे<sup>१</sup>

४ अक्टूबर, १९२७

श्री टी० के० माधवनको आज गांधीजीका एक तार<sup>१</sup> मिला है जिसमें उनसे कहा गया है कि वह तिरुवरप्पु मन्दिरकी सड़कोंके उपयोगके सिलसिलेमें अस्पृश्योंपर लगे प्रतिबन्धके विरुद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ कर दें।

तिरुवरप्पु मन्दिरकी सड़कोसे सम्बन्धित प्रश्नोंके बारेमें आज सुबह विरघुनगरमें श्री माधवनके एक साथी कार्यकर्ता श्री सी० कुट्टन नायरने गांधीजीसे भेंट की। महात्मा गांधीने श्री कुट्टन नायर द्वारा दिये गये सभी कागजों को ध्यानपूर्वक पढ़ा, . . . और वास्तविक तथ्योंकी जानकारी प्राप्त करनेके बाद . . . कहा :

मेरे सामने जो तथ्य हैं, उन्हें देखते मुझे यह कहनेमें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है कि तिरुवरप्पुमें अवर्ण हिन्दुओंके लिए सड़कों खोलनेके लिए सत्याग्रह करनेके पक्षमें एक बहुत मजबूत मामला तैयार किया गया है।

यह पूछे जानेपर कि क्या सत्याग्रहसे उनका तात्पर्य उस प्रकारके सत्याग्रहसे है जैसा कि वाइकोममें किया गया था, गांधीजीने जोरदार शब्दोंमें कहा, 'नहीं'। उन्होंने कहा कि यह सत्याग्रह इतना काफी व्यापक होना चाहिए जिसमें सभी प्रकारकी सविनय अवज्ञा आ सके। उन्होंने कहा कि मैं तिरुवरप्पुमें सामूहिक सविनय अवज्ञा

१. देखिए "भाषण : त्रिवेन्द्रम्", १०-२०-१९२७।

२. उपलब्ध नहीं है।

तकके पक्षमें हैं, वसतों कि वहाँ अहिंसात्मक वातावरण हो। तिरुवांकुर सरकार द्वारा वाइकोम समझौतेका युक्तियुक्त ढंगसे पालन न किये जानेसे वर्तमान गड़बड़ी उत्पन्न हुई है और इससे मन्दिरोंमें अवणोंके प्रवेशकी माँग मजबूत होगी। उन्होंने कहा, 'हाँ, मन्दिर-प्रवेशकी स्थिति आ रही है।'

गांधीजीने वादा किया कि वह एर्णाकुलम् जाते हुए रास्तेमें तिरुवरण्णु आनेकी कोशिश करेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, ६-१०-१९२७

## परिशिष्ट ४

### भेंट : कांचीके श्री शंकराचार्यसे<sup>१</sup>

१९२७ के उत्तर भागमें महात्मा गांधी कांग्रेसके उद्देश्योंका प्रचार करने तथा चन्दा इकट्ठा करनेकी दृष्टिसे दक्षिणका दौरा कर रहे थे। गांधीजीने, जो 'हिन्दू' के मैनेजर श्री ए० रंगास्वामी अय्यंगार तथा श्री एस० सत्यमूर्तिसे आचार्यके बारेमें पहले ही सुन चुके थे, आचार्यजी से भेंट करनेका फैसला किया। यह ऐतिहासिक बैठक १५ अक्टूबर, १९२७ को पालघाटके नेल्लिचेरी जिलेमें आचार्यके कैम्पसे लगी हुई एक भव्शीशालामें सम्पन्न हुई। उसमें केवल कुछ लोग ही मौजूद थे, लेकिन कोई पत्रकार उपस्थित नहीं था।

गांधीजीने परम्परागत हिन्दू तरीकेसे आचार्यको आदरांजलि अर्पित की। गेरूए वस्त्रधारी तथा जमीनपर बैठे हुए संन्यासीकी अत्यधिक साधुताने गांधीजीके मनपर बड़ा गहरा असर डाला। नीरवता छाई हुई थी। इसके बाद आचार्यने स्वागतके तौरपर संस्कृतमें कुछ शब्द कहे और गांधीजीसे बैठनेके लिए कहा। गांधीजी बैठ गये और बोले कि मैं संस्कृतमें बोलनेका आदी नहीं हूँ, लेकिन इस भाषाको कुछ-कुछ समझ सकता हूँ। उन्होंने हिन्दीमें बोलनेकी अनुमति माँगी। क्योंकि आचार्य हिन्दी समझ सकते थे इसलिए यह व्यवस्था दोनोंकी दृष्टिसे ही उचित थी। गांधीजी हिन्दीमें बोले और आचार्य संस्कृतमें।

आचार्यने गांधीजी द्वारा राजनीतिको आध्यात्मिक रूप देनेके प्रयत्नकी सराहना की, क्योंकि स्वस्थ राष्ट्रीय जीवन आध्यात्मिक नींवपर ही टिका होना चाहिए और ऐसे राष्ट्र जो धर्म विहीन होते हैं तथा भौतिकवादी शक्तियोंपर निर्भर करते हैं उनका विनाश अवश्यम्भावी होता है। हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशसे सम्बन्धित प्रश्नपर आचार्यने कहा कि जो लोग अब भी शास्त्रों और स्मृतिकी प्रभुतामें विश्वास रखते हैं उनकी भावनाओंको ठेस पहुँचाना भी एक प्रकारकी हिंसाके समान ही होता है। बातचीत

आध्यात्मिक मामलोंपर जारी रही; बातचीत खुले दिलसे चली और उसमें एक दूसरेके प्रति आदरका भाव विद्यमान था। उसमें कोई तर्क-वितर्क या शास्त्रार्थ नहीं था। . . .

बातचीत लगभग १ घंटेतक जारी रही। . . . विदा लेते समय गांधीजीने कहा कि इस मेंटसे मेरा बड़ा हित हुआ है और मैं आचार्यकी इच्छाओंका ध्यान रखूंगा एवं उन्हें अपनी सामर्थ्यके अनुसार पूरा करूंगा।

चूँकि गांधीजी ६ बजेके बाद भोजन नहीं करते, इसलिए श्री च० राजगोपालाचारी ५-३० बजे उठकर गये और उन्हें भोजनकी याद दिलाई। लेकिन गांधीजी बोले: "आचार्यके साथ बातचीत ही मेरा आजका भोजन है।" इसके बाद आचार्यने गांधीजीको एक बड़ा निम्बू-फल भेंट किया। गांधीजीने यह कहते हुए कि इस फलसे मुझे विशेष प्रेम है उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया।

वादमें उसी शाम कोयम्बटूरमें हुई एक सार्वजनिक सभामें जब गांधीजीसे उनकी आचार्यके साथ हुई बातकी बारेमें प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत और गोपनीय थी इसलिए पत्रकारोंको उसमें नहीं आने दिया गया था।

[अंग्रेजीसे]

श्री जगद्गुरु दिव्य-चरित्रम्

## परिशिष्ट ५

### गांधी-इविन समझौता<sup>१</sup>

(१)

. . . वाइसरायसे मिलनेपर गांधीजीने देखा कि यह मेंट सर्वथा भावशून्य थी। लॉर्ड इविनने गांधीजीके हाथमें भारत मन्त्रीकी साइमन आयोग सम्बन्धी घोषणा पकड़ा दी, और यह पूछनेपर कि क्या इस मेंटका मुद्दा कुल इतना ही था, लॉर्ड इविनने कहा 'हाँ'। गांधीजीने कहा, मुझे लगता है कि यह काम तो एक आनेके लिफाफेसे भी हो सकता था।

[अंग्रेजीसे]

द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, खण्ड १ (१८८५-१९३५)

(२)

वास्तवमें इस पहली मेंटके दौरान गांधी और इविनके बीच काफी लम्बी बातचीत हुई और दोनोंने एक-दूसरेकी बातको बड़े ही धैर्य और शिष्टताके साथ सुना। गांधी बड़े अच्छे मूडमें थे . . . और उन्होंने कहा कि वह वाइसरायको खादीका समर्थक

१. २ नवम्बर, १९२७ को; देखिए "पत्र: सी० एफ० पन्ड्यूरको", ११-११-१९२७।

बनाकर छोड़ेंगे।<sup>१</sup> उन्होंने इविनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उनकी बात खत्म होने पर स्वयं अपना सामान्य राजनीतिक दर्शन विस्तारसे समझाया। उन्होंने कहा, मेरी दृष्टिमें ब्रिटिश अभिभावकत्वकी कोई आवश्यकता नहीं है। भारतमें जो आत्माभिमान होना चाहिए उस आत्माभिमानको हानि पहुँचानेकी सलाह भारतको देनेकी अपेक्षा मैं अनिश्चित कालतक प्रतीक्षा करनेको तैयार हूँ। भारत जो चाहता है वह चीज ब्रिटिश संसदको भारतको दे देनी चाहिए। इसीलिए मैं इन सारी बातोंसे अपनेको बहुत दूर महसूस करता हूँ। कांग्रेस एक विचारकी सेवा कर रही है—असहयोगके विचारकी—जो अन्ततः संसदके विभागपर अपनी छाप डालेगी। साम्प्रदायिकता खत्म हो जायेगी; विभिन्न सम्प्रदाय भारतको आत्मसात् करनेकी कोशिश करते रहे हैं।

इस मॅटमें इविनको महात्माकी असम्बद्ध राजनीतिक तकनीकका अनुभव हुआ। इविनको उनकी बातें अस्पष्ट लगीं . . . लेकिन उन्होंने उनके अन्दर कोई कटुता नहीं पाई और यह देखकर उन्हें खुशी हुई कि बातचीतमें वह औचित्यका ध्यान रखते हैं। लेकिन उनकी बातचीतमें ऐसा कुछ नहीं था जो वाइसरायकी व्यावहारिक बुद्धिकी पकड़में आता। . . . यह तो जब गांधी तथा अन्य लोगोंने कहा कि ब्रिटिश संसदीय समितिसे बातचीत करनेके लिए भारतीय विधान मण्डलके प्रतिनिधियोंको निमन्त्रित करनेकी विधि क्या हो, इस बातको वे कोई महत्त्व नहीं देते, तब इविनको उन्हें यह स्पष्ट रूपसे बतानेका मौका मिला कि यदि वे इस अवसरका लाभ नहीं उठाते तो वे बड़ी मर्यादकर राजनीतिक गलती करेंगे और ब्रिटिश लोकमतको सदाके लिए अपने विरुद्ध कर लेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हैलिफैक्स : द लाइफ ऑफ लॉर्ड हैलिफैक्स

(३)

कुछ क्षेत्रोंमें ऐसा विश्वास किया जाता है कि वाइसरायको व्हाइट हालके एक आदेशसे यह प्रेरणा मिली थी कि भारतको ब्रिटेनके सभी राजनीतिक दलोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले एक सर्वथा संसदीय आयोगको सम्पन्न कार्यके रूपमें स्वीकार कर लेना चाहिए; और जो लोग हानिकर ढंगके आन्दोलनकारी सिद्ध हों उन्हें पहलेसे ही बता दिया जाना चाहिए कि सरकार किसी प्रकारकी धौंस और अनगुल बातोंको और अधिक बर्दाश्त नहीं करेगी।

तथापि भारतीय लोग आयोगके काममें सलाहकारोंके रूपमें सम्बद्ध रहेंगे। सलाहकारोंका चुनाव करनेके मामलेमें भी साम्प्रदायिक मार्गोंपर ध्यान दिया जायेगा; लेकिन इन मार्गोंको तभी शान्त किया जा सकता है जब सलाहकारोंके रूपमें केवल सरकारी पक्षके भारतीयोंको नियुक्त किया जाये। ऐसा माना जाता है कि वाइसरायने जो कुछ कहा उसका यही सार था।

१. देखिए खण्ड ३६, "पत्र : लॉर्ड इविनको", २६-४-१९२८।



श्री गांधीने कहा कि इस प्रकारका आयोग विफल प्रयास सिद्ध होगा क्योंकि आत्मसम्मानी भारतीय लोकमत जान बूझकर किये गये इस अपमानका विरोध करेगा। इसका परिणाम यही होगा कि आयोगका बहिष्कार किया जाये। तथापि उनकी रायमें आयोगका गठन कितना ही अच्छा क्यों न हो और उसके विचारार्थ विषयोंकी सूची कितनी ही उदार क्यों न हो, इस आयोगका कोई महत्व नहीं है। यह पूछे जानेपर कि क्या वह अपने देशवासियोंको, विशेष रूपसे स्वराज्यवादियोंको आयोगके साथ उसकी जाँचके काममें सहयोग करनेकी सलाह देंगे, श्री गांधीने कहा कि यह मेरा काम नहीं है। स्वराज्यवादी लोग राजनीतिक युद्धनीतिके भेंजे हुए खिलाड़ी हैं, बच्चे नहीं, जिन्हें बताया जाये कि वे क्या करें और क्या न करें। तथापि श्री गांधीने वाइसराय महोदयको यह आश्वासन दिया कि मैं स्वयं आयोगके बहिष्कारका कोई आन्दोलन आरम्भ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बहुत पहले ही राजनीतिक नेतृत्वका भार स्वराज्यवादियोंको दे दिया है। श्री गांधीने अन्तमें कहा कि मैं आयोगके काममें सहयोग करनेसे किसीको रोकूँगा नहीं, और मैं रोक भी नहीं सकता।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, ९-११-१९२७

## परिशिष्ट ६

### एस० डी० नाडकर्णीके पत्रका अंश<sup>१</sup>

... जो वर्ण सदैव विद्यमान रहा है वह है कृत्रिम रूपसे कायम रखा गया पक्का विभाजन जिसे अन्यथा 'जाति' कहा जाता है चाहे वह चार सूत्री हो, जैसा कि वह 'एक जमानेमें था', या चालीस-हजार सूत्री हो, जैसा कि वह आज है, मूलतः वह एक ही चीज है। यह मात्र जन्मके सिद्धान्तपर आधारित एकाधिकारों और प्रतिबन्धोंके वितरणकी एक प्रणाली है।...

... अब महात्माजी, यदि आप और मैं सच्चे हिन्दू हों, और केवल 'वैश्य' और 'ब्राह्मण' मात्र नहीं — क्योंकि मैं ब्राह्मण कुलमें जन्मा हूँ — तो हमें रामके जमानेके 'शूद्र' तपस्वी शम्भूककी स्मृतिकी पूजा करनी चाहिए जो धार्मिक स्वतन्त्रताका प्राचीनतम हिमायती था और जो भारतका या विश्वका पहला शहीद था जिसका उल्लेख मिलता है। महात्माजी, क्या आप मेरे साथ मिलकर ऐसा करनेको तैयार हैं? केवल इसी प्रकार ब्राह्मण-विरोधी आन्दोलनका दंश दूर किया जा सकता है और युगों पुराने इस संघर्षकी राखमें से एक संगठित हिन्दू धर्मका जन्म हो सकता है। मैं कहता हूँ कि यदि हिन्दू धर्मको आगे जीवित रहना है और फलना-फूलना है तो शम्भूकके साथ न्याय किया जाना चाहिए।...

१. देखिये "वर्णाश्रम और उसका विरूपीकरण", १७-११-१९२७।

... यदि ऐसा हो तो सभी गांधियोंको पंसारकी दूकान करनी चाहिए और रामनाम जपना चाहिए तथा अपने देशके सामाजिक और राजनीतिक सुधारका काम हाथमें नहीं लेना चाहिए, कमसे-कम शायद तबतक जबतक कि गार्हस्थ्य जीवन पूरा करनेके बाद निर्धारित उम्रमें उन्होंने औपचारिक रूपसे चतुर्थ आश्रमको स्वीकार न लिया हो। अन्यथा, किसी वैश्यके लिए राजनीतिमें प्रवेश करना ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके 'आध्यात्मिक अधिकार क्षेत्रका' अतिक्रमण करना होगा। लेकिन क्या यह नियम समाजके लिए लाभकारी होगा? और आनुवंशिकताके नियमका क्या होगा? ...

... यदि हम इसपर तनिक भी विचार करे तो यह बात दिनेके प्रकाशके समान स्पष्ट हो जायेगी कि आनुवंशिकताके सिद्धान्तको मंग करनेवालोंको हमने धर्मके नामपर जालिमाना दण्डका भागी बनाकर इस सिद्धान्तपर जरूरतसे ज्यादा जोर दिया है। ...

... जिस प्रकार आप, जो वैश्य-संतान हैं, सम्पूर्ण वैश्य-वर्गको भारतके आर्थिक पतनका जिम्मेदार मानते हैं, उसी प्रकार जन्मतः ब्राह्मण होकर भी मुझे यह कहनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक वर्गके रूपमें ब्राह्मण लोग समस्त भारतकी आध्यात्मिक और आर्थिक गुलामीके लिए जिम्मेदार हैं। जिन लोगोंको बहुत ज्यादा दिया गया था, उनसे बहुत ज्यादाकी अपेक्षा भी की गई थी। किन्तु हाय, एक अदृग्दर्शी स्वार्थपरतासे उत्पन्न संकीर्ण कट्टरताने उन्हें समाजको अपनी सर्वोत्तम सेवाएँ प्रदान करनेसे रोक दिया; और सभी ब्राह्मणवादियोंका और उनके साथ ब्राह्मणोंका जबर्दस्त पतन हुआ।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १७-११-१९२७

## परिशिष्ट ७

भारतीय संसदीय आयोगके सम्बन्धमें वाइसराय सहोदयके  
वक्तव्यके अंश<sup>१</sup>

८ नवम्बर, १९२७

आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जानेके बाद और उसपर भारत सरकार तथा सम्राट्की सरकार द्वारा विचार हो चुकनेके बाद, सम्राट्की सरकारका यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस रिपोर्टके आधारपर संसदमें अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करे। लेकिन सम्राट्की सरकारका मंशा यह नहीं है कि उन प्रस्तावोंके बारेमें भारतकी विभिन्न विचार धाराओंके लोगोंको उसपर अपने विचार प्रकट करनेका अवसर दिये बिना ही वह संसदसे उन प्रस्तावोंको स्वीकार करनेको कहे।

१. देखिय "मैटः एसोसियेटेड प्रेसके प्रतिनिधित्व", १-१२-१९२७।

और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए सम्राट्की सरकारका इरादा है कि वह संसद-से इन प्रस्तावोंको दोनों सदनोंकी एक संयुक्त समितिके सामने विचारार्थ प्रस्तुत करनेको कहे, और इसकी व्यवस्था करे कि इस समितिके सामने भारतीय केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाके विचारोंको प्रस्तुत करनेके लिए उस सभाके प्रतिनिधिमण्डलोंको निमन्त्रित किया जाये तथा उन अन्य संस्थाओंको अपने विचार प्रकट करनेकी सहूलियत दी जाये जिनके साथ समिति परामर्श करना चाहे।

सम्राट्की सरकारकी रायमें जो कार्यविधि निर्धारित करनेका विचार है उससे उपर्युक्त अपेक्षाओंकी बहुत बड़ी हदतक पूर्ति हो जाती है।

स्पष्ट है कि ऐसा एक आयोग — जिसमें ब्रिटेनकी सभी राजनीतिक पार्टियोंके प्रतिनिधि हैं और जिसके अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सार्वजनिक महत्ताका आधार उनकी विशिष्ट योग्यता और चरित्रबल है — एक अत्यन्त जटिल संवैधानिक सवालपर नवीन, कुशल और निष्पक्ष दृष्टिसे विचार करेगा।

इसके सिवा, ऐसा माना जा सकता है कि संसद् अपने ही कुछ सदस्योंके निष्कर्षोंपर अनुकूल दृष्टिसे विचार करेगी क्योंकि वह ऐसा मानेगी कि वे सदस्य एक समान विचारधाराका प्रतिपादन कर रहे हैं और निर्णयके उन्हीं मानदण्डोंको लागू कर रहे हैं जिन्हें संसद् सहज ही अपने मानदण्ड मानेगी। जहाँतक मेरा सवाल है, मुझे कोई सन्देह नहीं है कि जो लोग भारतीय प्रगतिके इच्छुक हैं उनके लिए उसे शीघ्र प्राप्त करनेका सबसे निश्चित रास्ता यही है कि वे संसद्को राजी कर लें, और यह चीज वे संसद्के दोनों सदनोंके सदस्योंके जरिये जितने निश्चयपूर्वक कर सकते हैं उतना किसी अन्य तरीकेसे नहीं कर सकते। भारतके राष्ट्रवादी लोग यदि संसद् सदस्योंको मौकेपर कायल कर दें तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती और इसीलिए मैं और आगे जाकर कहूँगा कि जो लोग भारतकी तरफसे बोलते हैं, यदि उनको उस मामलेमें विश्वास है जिसे वे भारतकी ओरसे प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें इस बातका स्वागत करना चाहिए कि ब्रिटिश संसद्के कुछ सदस्योंको भारतीय जीवन तथा राजनीतिके सम्पर्कमें आनेका अवसर दिया जा रहा है।

इससे भी ऊपर, जहाँ सुधारोंको और व्यापक बनानेके इच्छुक लोगोंके लिए यह बात असंदिग्ध रूपसे लाभजनक है कि उनकी बात सीधे वे लोग सुनें जिन्हें संसद् का पूर्ण विश्वास प्राप्त है, वहीं मैं इतना आशावादी भी हूँ कि यह मान सकूँ कि सम्राट्की सरकारने जो तरीका चुना है वह भारतीयोंको इन महान घटनाओंको प्रभावित करनेका एक ऐसा मौका प्रदान करता है जो उन्हें अन्य किसी तरीकेसे प्राप्त नहीं हो सकता था। क्योंकि भारतीय विधानमण्डलके प्रतिनिधियोंकी मार्फत वे न केवल आयोगके सामने अपने विचार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त कर सकेंगे बल्कि उनको यह अधिकार भी होगा कि सम्राट्की सरकार जो भी प्रस्ताव रखे उसके ऊपर वे संसद्की संयुक्त समितिमें तफ्सीलसे या सिद्धान्तके प्रश्नपर अपना विरोध प्रकट कर सकें और अपने हल सुझा सकें। इसके अलावा यह भी देखनेकी बात है कि इस अवस्थामें संसद्से विशिष्ट प्रस्तावोंपर अपना मत व्यक्त करनेको नहीं कहा

गया होगा और इसलिए जर्हातक संसद्का सवाल है, सारा प्रश्न फिर भी पुनर्विचार-के लिए खुला रहेगा।

इविन

वाइसराय और गवर्नर जनरल

[अंग्रेजीसे]

इंडिया इन १९२८-२९

## परिशिष्ट ८

### भारतीय संसदीय आयोग<sup>१</sup>

हमने यह आवश्यक समझा है कि भारत-सरकार अधिनियमके खण्ड ८४ क में जिस आयोगकी व्यवस्था की गई है, उसे ब्रिटिश भारतमें शासन-प्रणालीके कार्यों, शिक्षाके विकास और प्रातिनिधिक संस्थाओंके विकास तथा तत्सम्बन्धी मामलोंकी जांचके लिए तत्काल नियुक्त किया जाये। यह आयोग रिपोर्ट देगा कि उत्तरदायी सरकारके सिद्धान्तको लागू करना वाछित है या नहीं, और अगर है तो किस सीमातक, अथवा मौजूदा उत्तरदायी सरकारकी शक्तियोंमें वृद्धि करना, उनमें परिवर्तन करना या उनमें कटौती करना वाछित है। इसमें स्थानीय विधान मण्डलोंमें दूसरे सदनकी स्थापना करनेकी वाछनीयताका प्रश्न भी शामिल होगा :

अब आपको ज्ञात हो कि हम आपके ज्ञान और आपकी योग्यतामें बहुत भरोसा रखते हुए, संसद्के दोनों सदनोंकी सहमतिसे दी गई भारतमन्त्रीकी सलाहपर आप निम्नलिखित व्यक्तियोंको उपरोक्त उद्देश्योंके लिए अपना आयुक्त अधिकृत और नियुक्त करते हैं : सर जॉन आल्सब्रुक साइमन (अध्यक्ष) ; हैरी लॉसन वेन्स्टर, वाइकाउंट वर्नहम ; डोनाल्ड स्टर्लिंग पामर, वैरन स्टूथकोना और माउंट रॉयल ; एडवर्ड सेसिल जार्ज कैडोगन ; स्टीफेन वाल्श<sup>२</sup> ; जार्ज रिचर्ड लैन-फॉक्स और क्लीमेंट रिचर्ड एटली ।

और अपने इस आयोगके उद्देश्योंको ज्यादा कारगर ढंगसे कार्यान्वित करनेके लिए आपको या आपमें से किन्हीं तीन या तीनसे अधिक सदस्योंको इस बातका पूरा अधिकार देते हैं कि आप हमारे यूनाइटेड किंगडममें, या भारतमें, या अन्यत्र हमारे उपनिवेशोंमें उन लोगोंको अपने समक्ष बुला सकते हैं जिन्हें आप इस योग्य समझें कि वे हमारे आयोगके विचारार्थ विषयोंके बारेमें आपको कोई सूचना दे सकते हैं ; और यह भी कि आप हमारे यूनाइटेड किंगडममें, या भारतमें या अन्यत्र हमारे उपनिवेशोंमें लिखित सूचनाएँ माँग सकते हैं, आप ऐसी सभी पुस्तके, दस्तावेज, रजिस्टर और रेकार्ड माँग सकते हैं और उन्हें देख तथा जाँच सकते हैं जिनसे आपको उपरोक्त विषयके बारेमें अधिकतम जानकारी प्राप्त हो सके, तथा आप अन्य सभी

१. देखिए “अॅट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधित्व”, १-१२-१९२७।

२. स्टीफेन वाल्श द्वारा स्वास्थ्यकी खराबीके कारण इस्तीफा दिये जानेके बाद उनके स्थानपर ७ दिसम्बर, १९२७ को बर्नॉन हार्टशोर्नको नियुक्त किया गया।

वैध तरीकों और सावनोंके जरिये, जिसमें हमारे भारत मन्त्रीकी अनुमतिसे आयोग द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियोंको अवर जाँच करने और उस जाँचके परिणामोंकी सूचना आयोगको देनेके लिए नियुक्त करनेका अधिकार भी शामिल है, विचारार्थ विषयोंके बारेमें और उससे सम्बन्धित जाँच कर सकते हैं।

हम आपको या आपमें से किसी भी एक सदस्यको यह अधिकार देते हैं कि व्यक्तिगत रूपसे ऐसे स्थानोंपर जाकर मौकेपर जाँच कर सकें जहाँ आप उपर्युक्त उद्देश्योंको ज्यादा कारगर ढंगसे कार्यान्वित करनेकी दृष्टिसे खुद जाकर जाँच करना जरूरी समझें।

और हम इस पत्र द्वारा यह निर्धारित करते हैं कि हमारा यह समादेश पूर्ण रूपसे बराबर लागू रहेगा और यह कि आप, हमारे आयुक्तगण, अथवा आपमेंसे कोई तीन या तीनसे अधिक सदस्य इस समादेशको, तथा इसमें सन्निहित सभी बातोंको कार्यान्वित करनेके लिए कदम उठायेंगे; लेकिन आयोगकी कार्यवाही समय-समयपर स्थगित की जा सकती है।

और हम यह भी निर्धारित करते हैं कि आपको या आपमेंसे किन्हीं तीन या तीनसे अधिक सदस्योंको यह स्वतन्त्रता है कि आवश्यकता अनुभव करनेपर आप इस समादेशके अन्तर्गत अपने कार्योंकी रिपोर्टें देते रहें;

और हमारी यह भी इच्छा है कि आप यथासम्भव कमसे-कम समयके अन्दर अपने हस्ताक्षर और मुहरके साथ या अपनेमें से किन्हीं तीन या तीन सदस्योंके हस्ताक्षर और मुहरके साथ इस समादेशमें निर्धारित विषयोंके बारेमें अपनी रायकी सूचना हमें दें।

हमारे शासनके अठारहवें वर्षमें छब्बीस नवम्बर, उन्नीसवीं सत्ताईस को हमारे सेंट जेम्सके दरवारमें महामहिम सम्राटकी आज्ञासे दिया गया।

डब्ल्यू० ज्वायन्सन-हिवंस

[अंग्रेजीसे]

इंडिया इन १९२७-२८

## परिशिष्ट ९

### हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी प्रस्ताव

#### भाग क-राजनीतिक अधिकार<sup>१</sup>

यह कांग्रेस निश्चय करती है: कि १. किसी भी भावी संविधान योजनामें, जहाँतक विभिन्न विधान मण्डलोंमें प्रतिनिधित्वका प्रश्न है, सभी प्रान्तोंमें और केन्द्रीय विधान मण्डलोंमें संयुक्त निर्वाचक मण्डलका गठन किया जायेगा; २. दोनों महान

१. यह प्रस्ताव मद्रासमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके अधिवेशनमें २४ दिसम्बर, १९२७ को पास किया गया था; देखिए २५-१२-१९२७ और २८-१२-१९२७ को अन्सारीको लिखे पत्र।

जातियोको इस बातका पूरा आश्वासन देनेकी दृष्टिसे कि विधान मण्डलोंमें उनके हितोंकी रक्षा की जायेगी, प्रत्येक प्रान्तमें तथा केन्द्रीय विधान मण्डलमें फिलहाल मौजूदा तौर पर ऐसा प्रतिनिधित्व दिया जाये, और चाहने पर जन-संख्याके आधार पर संयुक्त निर्वाचक मण्डलमें सीटोंके संरक्षणकी व्यवस्थाकी जानी चाहिए।

वशतें कि परस्पर सहमतिसे अल्पसंख्यक वर्गोंको अन्यान्य रूपसे ऐसी रियायत दी जायेगी ताकि किसी भी प्रान्त या प्रान्तोंमें जन-संख्याके आधारपर वे जितनी सीटोंके हकदार होंगे उसके अनुपातमें उन्हें और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके, और प्रान्तोंके लिए इस प्रकार निश्चित किया गया अनुपात प्रान्तोंसे केन्द्रीय विधान मण्डल में दोनों जातियोंके प्रतिनिधित्वमें भी कायम रखा जायेगा।

पजाबमें सीटोंके संरक्षणका निर्णय करते समय एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातिके नाते सिखोंके प्रतिनिधित्वके प्रश्नपर पूरा ध्यान रखा जायेगा।

३ (क) कांग्रेसकी रायमें मुसलमान नेताओंका यह प्रस्ताव कि उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त और ब्रिटिश बलूचिस्तानमें उसी पैरा ए पर सुधार लागू किये जायें जिस पैरा ए पर अन्य प्रान्तोंमें लागू किये जायेंगे, एक न्यायसम्मत और औचित्यपूर्ण प्रस्ताव है और उसे लागू किया जाना चाहिए, तथा साथ ही इस बातका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उपर्युक्त प्रान्तोंमें प्रशासनिक सुधारोंके साथ-साथ न्याय-प्रशासनकी उपयुक्त प्रणाली भी लागू की जाये;

(ख) (१) इस प्रस्तावके सम्बन्धमें कि सिन्धको एक पृथक प्रान्तके रूपमें गठित किया जाना चाहिए, इस कांग्रेसकी राय है कि अब भाषाके आधारपर प्रान्तोंके पुनर्गठनका समय आ गया है। भाषावार प्रान्तोंके गठनका सिद्धान्त कांग्रेसके सविधानमें स्वीकार किया गया है :

(२) इस कांग्रेसका यह भी अभिमत है कि प्रान्तोंके भाषावार पुनर्गठनका काम तुरन्त हाथमें लिया जाना चाहिए और भाषाके आधारपर इस प्रकारके पुनर्गठनकी माँग करनेवाले किसी भी प्रान्तको पुनर्गठित किया जाना चाहिए ;

(३) इस कांग्रेसका यह भी अभिमत है कि आन्ध्र, उत्कल, सिन्ध और कर्नाटकको पृथक प्रान्तोंमें पुनर्गठित करके इस दिशामें आरम्भ किया जाये;

४. कि भावी संविधानमें आत्माकी स्वतन्त्रताकी गारंटी होगी और प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय विधान-मण्डलोंको आत्माकी स्वतन्त्रतामें हस्तक्षेप करनेवाला कोई कानून बनानेका अधिकार नहीं होगा;

“आत्माकी स्वतन्त्रता” का अर्थ है विश्वास और पूजाकी स्वतन्त्रता, धार्मिक समारोहों और सगठनोंकी स्वतन्त्रता तथा अन्य लोगोंके समान अधिकारोंमें हस्तक्षेप किये बिना और उनकी भावनाओंका ध्यान रखते हुए धार्मिक शिक्षा और प्रचारकी स्वतन्त्रता;

५. कि प्रान्त या केन्द्र, किसी भी जगहके विधान मण्डलमें अन्तर्जातीय मामलों से सम्बन्धित ऐसा कोई विधेयक, प्रस्ताव, प्रावेदन या संशोधन उस स्थितिमें प्रस्तावित नहीं किया जायेगा और न उसपर विचार किया जायेगा या उसे पास किया

जायेगा जब उस विधान मण्डलमें उससे प्रभावित होनेवाली दोनोंमें से किसी भी जातिके तीन-चौथाई सदस्य ऐसे विधेयक, प्रस्ताव, प्रावेदन या संशोधनको पेश करने, उसपर विचार करने या उसे पास करनेका विरोध करें।

“अन्तर्जातीय मामलों” का अर्थ है ऐसे विषय जिन्हें विधान-मण्डलके प्रत्येक सत्रके आरम्भमें सम्बन्धित विधान-मण्डल द्वारा नियुक्त की गई हिन्दू और मुसलमान, दोनों जातियोंके सदस्योंकी संयुक्त स्थायी समितिमें आपसमें तय कर लिया गया हो।

### भाग छ -- धार्मिक तथा अन्य अधिकार

यह कांग्रेस निश्चय करती है कि :

१. हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा किये जानेवाले अधिकारोंके दावोंके प्रति — हिन्दुओंके इस अधिकारके दावेके प्रति कि वे जहाँ चाहें वाजा वजा सकते हैं और जुलूस निकाल सकते हैं, तथा मुसलमानोंके इस अधिकारके दावेके प्रति कि वे जहाँ चाहें कुर्बानी अथवा खूराकके लिए गोहत्या कर सकते हैं — विना कोई पूर्वग्रह रखे मुसलमान लोग मुसलमानोंसे अपील करते हैं कि गायके विषयमें वे हिन्दुओंकी भावनाको यथासम्भव चोट न पहुँचायें और हिन्दू लोग हिन्दुओंसे अपील करते हैं कि वे यथासम्भव मस्जिदोंके आगे वाजा वजानेके मामलेमें मुसलमानोंकी भावनाओंको चोट न पहुँचायें।

और इसलिए यह कांग्रेस हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनोंसे आग्रह करती है कि वे गोहत्या रोकने या मस्जिदके सामने वाजोंका वजना रोकनेके लिए हिंसा या कानूनकी मदद न लें।<sup>१</sup>

२. यह कांग्रेस यह भी निश्चय करती है कि प्रत्येक व्यक्ति या समूहको इस बातकी स्वतन्त्रता है कि वह अन्य किसी व्यक्ति या समूहको तर्क करके या समझा-बुझाकर उसका धर्म-परिवर्तन कर दे या पुनःधर्म परिवर्तन कर दे, किन्तु किसी व्यक्ति या समूहको इस बातका अधिकार नहीं होगा कि वह छल, बल अथवा अन्य किसी अनुचित तरीकेसे जैसे कि धनका लालच देकर धर्म-परिवर्तन कराये या धर्म-परिवर्तन को रोके। अट्टारह वर्षसे कम आयुके व्यक्तिका धर्म-परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए; हाँ, माता-पिता या अग्निभावकके साथ-साथ उसका धर्म-परिवर्तन किया जाये तो अलग बात है। यदि अट्टारह वर्षसे कम आयुका कोई व्यक्ति अपने माता-पिता या अग्निभावकसे अलग अन्य धर्मावलम्बियोंके बीच असहायवस्थामें पाया जाये तो उसे उसके स्वधर्मावलम्बियोंको सौंप दिया जाना चाहिए। जिस व्यक्तिका धर्म परिवर्तन किया जाये, या पुनर्धर्म परिवर्तन किया जाये, उसके नामके बारेमें तथा जहाँ किया जाये, जब किया जाये और रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाश किया जाये, इसके बारेमें कोई गोपनीयता नहीं होनी चाहिए, और न धर्म-परिवर्तन या पुनर्धर्म परिवर्तनके समर्थनमें कोई हर्ष-प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

१. २७-१२-१९२७ के हिन्दूके अनुसार इस खण्डका मसविदा मूलतः गांधीजीने तैयार किया था और थोड़ेसे शाब्दिक हेर-फेरके साथ कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था।

जब भी किसी धर्म-परिवर्तन या पुनर्धर्म परिवर्तनके मामलेमें ऐसी शिकायत की जाये कि ऐसा छल-दल अथवा अनुचित तरीकेसे किया गया है, और जब भी किसी अट्टारह वर्षसे कम आयुके व्यक्तिका धर्म-परिवर्तन किया गया हो तो मामलेकी तहकीकात और उसका फैसला पंचो द्वारा किया जायेगा जिन्हे कार्य-समिति नामजद करके या सामान्य नियमोंके अन्तर्गत नियुक्त करेगी।

इस प्रस्तावको श्रीमती सरोजिनी नायडूने पेश किया और श्री अबुल कलाम आजादने इसका अनुमोदन किया।

प्रस्तावपर मत लिये गये और वह सर्व सम्मतिसे पास हो गया।

[अग्रेजीसे]

रिपोर्ट ऑफ द फोर्टी सेक्रेण्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एट मद्रास

## परिशिष्ट १०

### जवाहरलाल नेहरूका पत्र<sup>१</sup>

इलाहाबाद

११ जनवरी, १९२८

प्रिय बापूजी,

कार्य समितिकी बैठक अब बनारसमें होनेवाली है और इसलिए मैं कुछ समय तक बम्बई या सावरमती नहीं जा सकता।

पिछला पत्र भेजनेके इतनी जल्दी बाद ही आपको दूसरा पत्र भेजनेका मन नहीं होता, लेकिन कांग्रेसके प्रस्तावोंकी आपने जो आलोचना की है उससे मैं बहुत उद्दिग्ण हूँ और मुझे लगता है कि मुझे आपको फिरसे पत्र लिखना ही चाहिए। आप शब्दोंके चयनमें हमेशा बहुत सावधान रहते हैं और आपकी भाषा अत्यन्त संयत होती है। इसलिए आपको ऐसी भाषाका प्रयोग करते देख कर मुझे और भी आश्चर्य होता है और जो मेरी रायमें सर्वथा अनुचित है। आपने विषय समितिकी कार्यवाहीकी सामान्य रूपसे निन्दाकी है और कुछ प्रस्तावोंको विशेष रूपसे ज्यादा कड़ी आलोचना और निन्दा करनेके लिए चुना है। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि सुनी-सुनाई बातके आधारपर निर्णयकर बैठना हमेशा खतरनाक होता है? आप खुद उपस्थित नहीं थे और यह बात कतई सम्भव है कि विषय समितिमें व्यक्तिशः आनेके बाद आप जो राय बनाते वह फर्क होती। और फिर भी आपने चन्द लोगोंके विचारोंको अपने निर्णयका आधार बनाकर सम्पूर्ण समितिकी, या किसी भी हालत उसके अधिकांश सदस्योंकी निन्दा करना और उनके प्रतिकूल निर्णय देना ठीक समझा है। क्या आप सोचते हैं कि समिति या कांग्रेसके लिए यह बात न्यायपूर्ण है? आपने अनुशासनकी

१. देखिय "पत्र: जवाहरलाल नेहरूको", ७-२-१९२८।



चर्चा की है और कार्य समितिको राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डलके समान बताया है। क्या मैं आपको याद दिला सकता हूँ कि आप कार्य समितिके एक सदस्य हैं और एक सदस्यके लिए कांग्रेस अधिवेशन समाप्त होनेके दूसरे ही दिन कांग्रेस और उसकेप्र मुख प्रस्तावों की आलोचना और निन्दा करना एक असाधारणसी बात है। मद्रास कांग्रेस अधिवेशनकी सफलता पर सभी ओरसे बघाईके स्वर गूँजते रहे हैं। यह गलत हो सकता है या हो सकता है कि इसके लिए शायद पर्याप्त आचार न हो, लेकिन देशमें असंदिग्ध रूपसे ऐसी ही धारणा बनी है और सभी सार्वजनिक कार्योंमें वातावरण का बहुत महत्व होता है। और अब अधिकांश लोग जो वैसा मानते थे, वे आपकी आलोचनाओंसे हक्का-बक्का रह गये हैं और सोचते हैं कि कहीं पहलेका उनका उत्साह जरूरतसे ज्यादा और गलत तो नहीं था।

आपने स्वतन्त्रता प्रस्तावको 'उतावलीमें सोचा और बिना विचारे स्वीकार किया गया' बताया है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस प्रकार देशने अनेक वर्षोंसे इस प्रश्न पर चर्चा की है और विचार किया है और किस प्रकार मैं पिछले पाँच वर्ष या उससे अधिक समयसे स्वयं उसके ऊपर सोचता रहा हूँ, इसके ऊपर चर्चाएँ करता रहा हूँ, सभाओंमें इसके बारेमें बोलता रहा हूँ, इसके बारेमें लिखता रहा हूँ, और सामान्य रूपसे यह बात हमेशा मेरे दिमागमें सबसे ऊपर रही है। ऐसी स्थितिमें मुझे लगता है कि भाषाकी कितनी ही खीच-खाँचसे भी 'उतावलीमें सोचा गया' इन शब्दोंका औचित्य नहीं ठहरता। जहाँ तक 'बिना विचारे स्वीकार किया गया' का सवाल है, आप शायद नहीं जानते कि इस प्रस्तावपर विषय समिति में लगभग तीन घंटे तक विचार किया गया और इसके पक्ष और विपक्षमें एक दर्जनसे ज्यादा लोगोंने भाषण दिया। अंततः जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रस्तावको लगभग सर्वसम्मतिसे विषय समितिमें और खुले अधिवेशनमें, दोनों जगह पास कर दिया गया। क्या वे सभी लोग जिन्होंने समितिमें और अधिवेशनमें इसके पक्षमें मत दिया, 'लापरवाह' लोग थे? क्या यह पूर्व धारणा जरा ज्यादा नहीं है? और यह बात ज्यादा सचाईके साथ क्यों नहीं कही जा सकती कि जिन थोड़ेसे लोगोंने इस प्रस्तावका विरोध किया वे गलती पर थे? आप कहते हैं कि पिछले वर्ष इस प्रस्ताव को समितिने अस्वीकार कर दिया था। मुझे नहीं पता कि आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन मुझे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि इसके अर्थ केवल यही है कि समिति और कांग्रेस आजकी ही तरह पहले भी इसे पास करनेको उत्कण्ठित थे, लेकिन आपका लिहाज करके उन्होंने वैसा नहीं किया। मुझे आशा है आप मुझसे सहमत होंगे कि किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपनी निश्चित रायको किसी व्यक्तिके प्रति अपने लिहाजके कारणवश ही दवाना किसी संगठनके लिए स्वस्थ राजनीति नहीं हो सकती।

मैं यहाँ प्रस्तावके गुणोंकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं केवल इतना ही कहूँगा कि लम्बे समय तक और सावधानीके साथ विचार करनेके बाद मेरे लिए स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रतामें जो भी अन्तर्निहित चीजें हैं, उनकी माँग मेरे लिए बहुत

अधिक महत्व रखने लगी है, और लगभग किसी भी अन्य चीजकी अपेक्षा इसको ज्यादा महत्व प्रदान करता हूँ। आपने इस प्रश्न पर उस दिन मद्रासमें जो कुछ कहा उसके एक-एक शब्द पर मैंने विचार किया है, और इससे मेरी रायकी और पुष्टि हुई है। लेकिन एक छोटेसे दायरेको छोड़कर उसके बाहरका कोई आदमी इसके बारेमें आपकी स्थितिको समझता है, इसमें मुझे सन्देह है। मुझे विश्वास है कि अन्य लोग भी — उदारपन्थी आदि — जो औपनिवेशिक स्वराज्य चाहते हैं, आपकी तरह नहीं सोचते। साइमन-बहिष्कारके प्रश्न पर सर अली इमामने यहाँ कल एक सभामें भाषण दिया था। मैं भी कुछ मिनटोंके लिए बोला, और राजा चाल्सैंके सरकी तरह स्वतंत्रताका सवाल उठ पड़ा और मैंने उसपर जोर दिया। सभाके बाद अली इमामने मुझसे कहा कि उस पर जोर देकर मैंने अच्छा किया था, उन्होंने कहा कि वह और उनके साथी शायद देर-सवेर इसके समर्थक हो जायेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें कुछ आत्म-संयमसे काम लेना जरूरी है क्योंकि वे अपने साथ बहुतसे लोगोंको लेकर चलना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि उदारवादी लोग कहें चाहे जो कुछ, लेकिन उनमेंसे अधिकांश लोग स्वतंत्रता प्रस्तावका स्वागत करते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि इससे उनकी स्थिति मजबूत होती है। लेकिन वे इसे पसन्द करें या न करें, मेरी समझमें यह बात विल्कुल नहीं आती कि कोई राष्ट्रीय संगठन औपनिवेशिक स्वराज्यको अपना आदर्श और लक्ष्य कैसे बना सकता है। इसके विचारमात्रसे मेरा दम घुटने लगता है।

मैंने ब्रिटिश मालके बहिष्कार सम्बन्धी प्रस्तावमें कोई विशेष रुचि नहीं ली। इसका मुख्य कारण यह था कि मुझे लगा कि आप इसे बिल्कुल ठीक नहीं मानेंगे और जब तक कमोवेश सभी लोग एक जुट होकर कोशिश न करें तबतक बहिष्कार सफल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इस बातमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि हमारे अपने दिलमें कुछ मतैक्य हो तो बहिष्कारको आंशिक रूपसे सफल बनाया जा सकता है। आपने चीनमें बहिष्कारकी आश्चर्यजनक सफलताके बारेमें अवश्य पढ़ा होगा। चीनमें ऐसी कोई विशेषता नहीं थी जो हममें नहीं है, और ऐसा माननेका कोई बुनियादी कारण नहीं है कि जिस मामलेमें उन्हें सफलता मिली उसमें हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन यह मान भी लें कि उसके सफल होनेकी सम्भावना नहीं है, तो भी क्या कुल मिलाकर वह इतनी हास्यास्पद चीज है? क्या खद्दरके जरिये विदेशी कपड़ोंके हमारे बहिष्कारको ऐसी असाधारण सफलता मिली है? क्या हमारा खादी मताधिकारका सिद्धान्त सफल हुआ है? वे चीजें सफल नहीं हुई हैं, फिर भी आप उन्हें देश पर और कांग्रेस पर आग्रहपूर्वक थोपनेमें नहीं हिचकते क्योंकि आपको लगता है और ठीक ही लगता है, कि वे पूरी तरह सफल न भी हों तो भी उनसे देशको लाभ होगा।

मुझे याद है कि केलकर, अणे और उनके साथी कार्य समितिके सदस्य होते हुए भी खादी सम्बन्धी कांग्रेस प्रस्तावकी किस प्रकार हँसी उड़ाया करते थे, और मुझे यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि आप भी कांग्रेसके महत्वपूर्ण प्रस्तावोंकी

खिल्ली उड़ा रहे हैं। केलकर और अणे जैसे लोगोंका कोई महत्व नहीं है और वे क्या कहते और करते हैं इसकी मुझको परवाह नहीं है। लेकिन आप जो कुछ कहते हैं या करते हैं, उसकी मैं जरूर बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ।

दो प्रस्तावोंकी विशेष रूपसे निन्दा करनेके वाद आप अन्य प्रस्तावोंकी बहुत हल्के ढंगसे चर्चा करते हुए उन्हें 'अनेक गैरजिम्मेदाराना प्रस्ताव' बताते हैं। एकता-प्रस्तावको छोड़कर कांग्रेसका हर प्रस्ताव इस शीर्षकके अन्तर्गत आ सकता है। और इस प्रकार विषय समितिके २०० से ऊपर सदस्यों तथा कांग्रेसके बहुत सारे लोगोंकी मेहनतको यों ही सरसरी तौर पर और तिरस्कारके साथ बरतकर फेंक दिया गया है। उन अभागो लोगोंके लिए, जो भले ही दूरन्देश और कुशाग्र बुद्धि न हों, लेकिन जिन्होंने अपनी क्षमताभर कोई कसर नहीं उठा रखी और जितना कुछ कर सकते थे उतना किया, यह बात बड़े ही दुर्भाग्यकी है। हम सभी लोग स्कूली लड़कोंकी 'वाद-विवाद सोसाइटी' के स्तर पर रख दिये गये हैं और आप एक क्रुद्ध स्कूल मास्टरकी तरह हमारी ताड़ना करते हैं, लेकिन एक ऐसे स्कूल मास्टरकी तरह जो हमारा मार्गदर्शन नहीं करता, या हमें शिक्षा नहीं देता, लेकिन जो समय-समय पर केवल हमारी गलतियोंको ही इंगित करता है। व्यक्तिशः मेरी बड़ी इच्छा है कि काश हम सब सचमुच स्कूली लड़के होते, जिनमें स्कूली लड़कोंकी जीवन्तता, शक्ति और दुस्साहस होता, और उन राइट आनरेबुल और आनरेबुल महानुभावोंकी तरह न होते जो हमेशा आगा-पीछा सोचते रहते हैं और कौमतका तखमीना लगाते रहते हैं।

आप जानते हैं कि एक ऐसे नेताके रूपमें आपके प्रति मेरे मनमें कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास रहा है जो इस देशको विजय और स्वतंत्रता दिला सकता है। ऐसा मैंने इस तथ्यके बावजूब किया है कि आपकी पहलेकी कुछ पुस्तकों—'इंडियन होमरूल' आदि,—में कहीं गई बातोंसे मैं सहमत नहीं था। मुझे लगता था और आज भी लगता है कि आप अपनी इन छोटी-मोटी पुस्तिकाओंकी अपेक्षा कहीं अधिक महान थे और हैं। सब चीजोंसे अधिक मैं कर्म और निर्भीकता तथा साहसका प्रशंसक हूँ और मैंने ये सभी गुण आपमें असाधारण मात्रामें पाये। और मुझे सहज ही लगा कि मैं आपसे कितना ही ज्यादा असहमत क्यों न होऊँ, लेकिन आपका महान व्यक्तित्व और आपके ये गुण हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचा देंगे। असहयोग आन्दोलनके जमानेमें आप सर्वोच्च शिखर पर थे; आप अपने सहज रूपमें थे और अनायास ही आपने सही कदम उठाये। लेकिन आपके जेलसे बाहर आनेके बादसे कहीं कुछ गड़बड़ हो गया लगता है और स्पष्ट ही आप बहुत अशान्त रहे हैं। आपको याद होगा कि किस प्रकार कुछ महीनोंके अन्दर, वल्कि हफ्तोंके अन्दर आपने बार-बार अपना रवैया बदला था—जुहूसे दिये गये वक्तव्य, अहमदाबादमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक और उसके बाद आदि—और हममें से अधिकांश लोग बिल्कुल किर्कतव्य-विमूढ़ रह गये थे। वह किर्कतव्य-विमूढ़ता तबसे बनी ही हुई है। मैंने आपसे कई बार पूछा है कि आप भविष्यमें क्या करनेकी आशा रखते हैं, और आपके उत्तर

हमेशा ऐसे रहे हैं कि जिन्हें सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। आपने कुछ कहा है तो बस इतना कि एक साल या अट्ठारह महीनेके अन्दर आप यह आशा करते हैं कि खादी आन्दोलन तेजीसे और गुणोत्तर अनुपातमें फैलेगा और तब राजनीतिक क्षेत्रमें कोई सीधी कार्रवाई की जा सकेगी। तबसे अबतक कई साल और कई अट्ठारह महीने गुजर चुके हैं और वह चमत्कार अभी तक घटित नहीं हुआ है। यह मानना कठिन था कि चमत्कार होगा, लेकिन असम्भवको सम्भव बनानेकी आपकी क्षमतामें हमारी जो निष्ठा थी उसने हमें आशान्वित रखा। लेकिन मेरे जैसे अधार्मिक व्यक्तिके लिए यह निष्ठा बहुत कमजोर सहारा थी, और मैं अब सोचने लगा हूँ कि यदि हम भारतमें खादीके सर्वप्रचलित होने तक स्वतंत्रताकी प्रतीक्षा करेंगे तो हमें अनन्तकाल तक प्रतीक्षा करनी होगी। खादीका विकास धीरे-धीरे होगा, और अगर युद्ध शुरू हो गया तो वह बहुत तेजीसे बढ़ेगा, लेकिन मैं यह नहीं देख पाता कि उसके पीछे-पीछे स्वतंत्रता किस प्रकार आयेगी। जैसा कि मैंने आपके सामने कहा था, खादी कार्यका राजनीतिसे कोई वास्ता नहीं है और खादी कार्यकर्ताओंमें ऐसी मनोवृत्ति पैदा हो रही है कि उनको अपने सीमित कार्यक्षेत्रसे बाहर किसी चीजसे कोई मतलब नहीं है। जो काम वे करते हैं उसके लिहाजसे यह चीज अच्छी हो सकती है, लेकिन उनसे राजनीतिक क्षेत्रमें कुछ करनेकी कोई आशा नहीं रखी जा सकती।

तब फिर क्या किया जा सकता है? आप कुछ कहते नहीं। आप केवल आलोचना करते हैं और कोई मार्गदर्शन आपकी तरफसे नहीं मिलता। आप कहते हैं कि यदि देश खादी तकको नहीं अपना सकता तो फिर उससे किसी और अधिक कठिन या साहसिक कामकी अपेक्षा कैसे की जा सकती है। मैं नहीं समझता कि यह तर्क सही है। यदि एक तरीकेसे देश राजनीतिक दिशामें आगे नहीं बढ़ता, तो निश्चय ही हमारे नेताओको चाहिए कि वे कोई दूसरा तरीका या अतिरिक्त तरीके ढूँढ़ें।

‘यंग इंडिया’ में आपके लेखों—आपकी आत्मकथा आदि—को पढ़ते हुए मुझे अक्सर लगा है कि मेरे आदर्श आपके आदर्शोंसे कितने भिन्न हैं। और मुझे लगा है कि आप अपने निष्कर्षोंमें बहुत जल्दबाजीसे काम लेते रहे हैं, या कहें कि किसी अमुक निष्कर्ष पर पहुँचनेके बाद आप जो भी साक्ष्य पा सके उस साक्ष्यके आधार पर उस निष्कर्षको उचित ठहरानेके लिए जरूरतसे ज्यादा व्यग्र रहे हैं। मुझे याद है कि किस प्रकार ‘टू वेज’ या ऐसे ही किसी शीर्षकवाले लेखमें आपने अपराधो और अनैतिकताके विषयमें अमेरिकासे प्राप्त अखबारी कतरनोंको छाप कर अमेरिकी सम्यता और भारतीय सम्यताका भेद दर्शाया था। मुझे लगा कि यह कुछ ऐसा ही था जैसे कैथरीन मेयो अस्पतालसे प्राप्त कुछ घिनौने तथ्योंके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल रहा हो। फ्रेंच भाषाकी पुस्तक—‘टुवर्ड्स मॉरल वैकरसी’—पर आधारित आपकी लम्बी लेखमाला पढ़कर भी मुझे वैसा ही लगा। मुझे लगता है कि आप पश्चिमकी सम्यताको गलत समझते हैं और उसकी बहुत-सी

त्रुटियाँ हैं जिन्हें बहुत ज्यादा महत्त्व प्रदान करते हैं। आपने किसी जगह कहा है कि भारतको पश्चिमसे सीखनेके लिए कुछ नहीं है और वह प्राचीन कालमें ज्ञानके चरम शिखर पर पहुँच चुका है। मैं निश्चय ही इस दृष्टिकोणसे असहमत हूँ और न तो मैं यह मानता हूँ कि तथाकथित रामराज्य पुराने समयमें अच्छा था, और न ही मैं उसे पुनःस्थापित देखना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि पश्चिमी, बल्कि औद्योगिक सम्पत्ता भारत पर हावी होकर रहेगी; हो सकता है कि वह सम्पत्ता बहुतसे परिवर्तनों और संशोधनोंके साथ आये, लेकिन हर सूत्रमें वह मुख्यतया उद्योगवाद पर आधारित होगी। आपने उद्योगवादकी अनेक स्पष्ट त्रुटियोंकी कड़ी आलोचना की है और उसके गुणोंकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। इन त्रुटियोंको हर आदमी जानता है और आदर्श राज्यों तथा सामाजिक सिद्धान्तोंका उद्देश्य उन्हें दूर करना है। पश्चिमके अधिकांश विचारकोंका मत है कि ये त्रुटियाँ उद्योगवादके कारण नहीं हैं बल्कि पूँजीवादी प्रणालीके कारण हैं जो दूसरोंके शोषणपर आधारित है। मैं मानता हूँ कि आपने कहा है कि आपकी रायमें पूँजी और श्रममें कोई अनिवार्य संघर्ष नहीं है। मेरे विचारसे पूँजीवादी प्रणालीमें यह संघर्ष अनिवार्य है।

आपने दरिद्रनारायण — भारतमें गरीब लोगों — के दावोंका बड़े भावपूर्ण और शक्तिशाली ढंगसे समर्थन किया है। मैं यह मानता हूँ कि आपने जो उपाय मुझाया है वह उनके लिए बहुत उपयोगी है, और अगर वे बड़ी तादादमें उसे अपनायेंगे तो उससे उनके दुख कुछ हदतक हल्के होंगे। लेकिन मुझे इस बातमें बहुत सन्देह है कि गरीबीके बुनियादी कारणों पर इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। भारतके बहुत बड़े भागमें आज अर्द्ध-सामंती जमींदारी व्यवस्थाके विरुद्ध आप एक शब्द भी नहीं कहते और न पूँजीपतियों द्वारा श्रमिकों और उपभोक्ताओंके शोषणके विरुद्ध कुछ कहते हैं।

लेकिन मुझे वस करना चाहिए। औचित्यकी मर्यादासे मैं पहले ही आगे जा चुका हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। मेरे मनका दृष्टि ही इसकी एकमात्र कैफियत है जो मैं दे सकता हूँ। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मंत्री नहीं बनना चाहता था क्योंकि मैं जो जरूरी लगे उसे कहने और करनेकी पूरी स्वतंत्रता चाहता था। लेकिन अन्सारिने मुझ पर यह कहकर दबाव डाला कि मेरे कई प्रस्ताव और विशेष रूपसे स्वतंत्रता सम्बन्धी प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पास कर दिये गये हैं और इस प्रकार मुझे अपने ही रास्ते पर काम करनेकी पूरी आजादी है। मैं इस तर्कका जवाब नहीं दे सका और मुझे स्वीकार करना पड़ा। अब मैं देखता हूँ कि कांग्रेसके इन्ही प्रस्तावोंका महत्त्व घटाने और उनकी खिल्ली उड़ानेकी हरचन्द कोशिशकी जा रही है और यह अनुभव पीड़ाजनक है।

सन्नेह आपका,  
जवाहरलाल

अंग्रेजी (एस० एन० १३०३९) की फोटो-नकलसे।

## सामग्रीके साधन-सूत्र

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली : गांधी साहित्य और गांधीजी से सम्बन्धित कागजपत्रोंका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९।

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय।

साबरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा संग्रहालय; जिसमें गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल तथा १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०।

‘अमृतबाजार पत्रिका’ : कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

‘वाज’ : वाराणसीसे प्रकाशित हिन्दी दैनिक।

‘ट्रिब्यून’ : लाहौरसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

‘नवजीवन’ : (१९१९-१९३१) गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

‘प्रजाबन्धु’ : अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

‘यंग इंडिया’ : (१९१८-३१) : अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक।  
सम्पादक : मो० क० गांधी, प्रकाशक : मोहनलाल मगनलाल मट्टु।

‘समाज’ : कटकसे प्रकाशित उड़िया साप्ताहिक; अप्रैल, १९३० से दैनिकके रूपमें प्रकाशित।

‘सर्चलाइट’ : पटनासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

‘सीलोन आन्जर्वर’ : लंकासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

‘सीलोन डेली न्यूज’ : लंकासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

‘हिन्दी नवजीवन’ : गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक।

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ : नई दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

‘हिन्दू’ : मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

उड़ीसा सरकारके रेकार्ड।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी : जो स्वराज्य आश्रम, वारडोलीमें सुरक्षित है।

‘ए वंच ऑफ ओल्ड लेटर्स’, (अंग्रेजी) : जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई १९५८।

‘पांचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद’ (हिन्दी) : काका कालेलकर द्वारा सम्पादित, जमनालाल बजाज ट्रस्ट, बर्धा, १९५३।

‘फोर्टी सेकंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एट मद्रास,’ १९२७।

‘बापुना पत्रो : मणिवहेन पटेलने’ (गुजराती) : सम्पादक : मणिवहन पटेल; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

‘लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री’ (अंग्रेजी) : सम्पादक : टी० एन० जगदीशन, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९६३।

‘विठ्ठलभाई पटेल : लाइफ ऐंड टाइम्स,’ खण्ड २ : आर० ए० मोरारकर, श्री लक्ष्मीनारायण प्रेस, ३६४, ठाकुरद्वार, बम्बई।

‘विद गांधीजी इन सीलोन’ : महादेव देसाई, करेन्ट थॉट प्रेस, मद्रास, १९२८।

‘सावरमती’ : खण्ड ६, अंक ४ : नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद।

‘हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस’ खण्ड १ : डा० पट्टाभि सीतारमय्या, पद्मा प्रकाशन लिमिटेड, बम्बई, १९४६।

‘हैलिफैक्स’ : द लाइफ ऑफ लॉर्ड हैलिफैक्स’ : अर्ल ऑफ वर्कनहेड, हेमिश हैमिल्टन, लन्दन, १९६५।

## तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

( १६ सितम्बर, १९२७ से ३१ जनवरी, १९२८ तक )

- १६ सितम्बर : खादी प्रचारार्थ दक्षिण भारतमें गांधीजीका दौरा जारी;  
ब्राह्मण और अब्राह्मण प्रश्नके सम्बन्धमें तंजीरमें भाषण ।
- १७ से २० सितम्बर : त्रिचनापल्ली तथा उसके आसपास विभिन्न सभाओंमें भाषण ।
- २१ सितम्बर : पुदुकोट्टामें नागरिकोंकी सभामें भाषण ।
- २२ सितम्बर : नाचन्दीपट्टी, कदियापट्टी और कनडुकातनका दौरा किया ।
- २३ सितम्बर : पालाथूर, कोट्टायुर और अमरावतीपुरका दौरा किया ।
- २४ सितम्बर : कराइकुडीमें स्त्रियोंकी सभामें भाषण; देवकोट्टामें भी भाषण ।
- २५ और २६ सितम्बर : कराइकुडीमें ।
- २७ सितम्बर : सिरुवयल, तिरुप्पत्तूर और पागानेरीका दौरा ।
- २८ सितम्बर : मडुरै पहुँचे; नगरपालिकाकी ओरसे अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया,  
तदुपरांत सार्वजनिक सभामें भाषण ।
- २९ सितम्बर : मडुरैमें; सौराष्ट्र क्लबमें भाषण ।
- ३० सितम्बर : तिरुमंगलमकी सार्वजनिक सभामें भाषण; जस्टिस पार्टीके नेताओंके  
साथ बातचीत ।
- १ अक्टूबर : परमाकुडीमें ।
- २ अक्टूबर : विरुधुनगरमें; रेवरेंड जे० हिम्मस्ट्रैंड तथा अब्राह्मण युवक संघसे भेंट;  
सार्वजनिक सभामें भाषण ।
- ३ अक्टूबर : विरुधुनगरमें; मौनवार ।
- ४ अक्टूबर : राजापालयममें; स्त्रियोंकी सभा तथा सार्वजनिक सभामें भाषण; एक  
खादी वस्त्रालयका उद्घाटन किया ।
- ५ अक्टूबर : कोइलपट्टीमें ।
- ६ अक्टूबर : तूतीकोरिनमें; सार्वजनिक सभामें भाषण ।
- ७ अक्टूबर : तिन्नेवेल्लीमें; सार्वजनिक सभामें भाषण ।
- ८ अक्टूबर : नगरकोइलकी सभामें भाषण ।
- ९ और १० अक्टूबर : त्रिवेन्द्रममें; त्रावणकोरके महाराजा और महारानीसे भेंट की  
तथा तिरुवरप्पु मन्दिर-मार्ग पर अस्पृश्योंके प्रवेशके सवालपर बातचीत की ।
- ११ अक्टूबर : क्विलनमें ।
- १२ अक्टूबर : अलेप्पीमें ।
- १३ अक्टूबर : एर्नाकुलम् तथा कोचीनमें; गो-रक्षापर सर्वोत्तम निबन्धके लिए १०००  
रुपयेके पुरस्कारकी पुनः घोषणा की; 'नीलकी प्रतिमा-सम्बन्धी सत्याग्रह' पर  
लेख लिखा ।



- १४ अक्टूबर : त्रिचूरमें ।
- १५ अक्टूबर : पालघाटमें; कामकोटि पीठके स्वामी शंकराचार्यके साथ वातचीत की; सार्वजनिक समामें भाषण ।
- १६ अक्टूबर : कोयम्बटूरमें; सार्वजनिक समामें भाषण; च० राजगोपालाचारीने घोषणा की कि गांधीजी २१ अक्टूबरतक कोयम्बटूरमें आराम करेंगे ।
- १७ अक्टूबर : कोयम्बटूरमें; वाइसरायसे प्रस्तावित मेटके वारेमें बि० झ० पटेलके साथ तार-व्यवहार ।
- १८ अक्टूबर : पोलाचीमें भाषण और कोयम्बटूर वापस ।
- १९ से २१ अक्टूबर : कोयम्बटूरमें; 'मै हिन्दू क्यों हूँ?' लेख छपा ।
- २२ से २४ अक्टूबर : तिरपुरमें; सार्वजनिक समामें भाषण; २ नवम्बरको वाइसरायसे मेटके लिए उनका निमंत्रण-पत्र स्वीकार किया ।
- २५ अक्टूबर : कालीकटमें ।
- २६ अक्टूबर : नीलेदवर, कैसरगोड़ और मंगलोरमें; मंगलोरकी सार्वजनिक समामें भाषण ।
- २७ अक्टूबर : दिल्लीमें वाइसरायसे मेटके लिए मंगलोरसे पानीके जहाजसे बम्बई रवाना हुए । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके तत्वानधानमें कलकत्तामें एकता सम्मेलनका आयोजन किया गया गांधीजीने इस सम्मेलनमें भाग नहीं लिया ।
- २८ अक्टूबर : बम्बई पहुँचे; शाही आयोगमें परामर्शदाताओंकी नियुक्ति तथा हिन्दू-मुस्लिम एकताके सम्बन्धमें पत्र-प्रतिनिधियोंसे मेट की ।
- ३० अक्टूबर : बम्बईसे दिल्लीके लिए रवाना हुए ।
- १ नवम्बर : दिल्लीमें; खादी प्रचारक मंडलकी बैठकमें भाग लिया ।
- २ नवम्बर : दिल्लीमें वाइसराय लॉर्ड इरविनसे मेट की; जाभिया मिलिया इस्लामिया देखने गये तथा छात्रोंकी समामें भाषण दिया ।
- ३ नवम्बर : रात अहमदाबाद पहुँचे ।
- ४ नवम्बर : साबरमती आश्रम, अहमदाबादमें ।
- ५ नवम्बर : रातमें बम्बईके लिए रवाना ।
- ६ नवम्बर : बम्बई पहुँचे ।
- ७ नवम्बर : एस० एस० 'कोलावा' जहाजसे लंकाके लिए रवाना ।
- ८ नवम्बर : वाइसरायने सर जॉन साइमनकी अध्यक्षतामें शाही आयोगके सदस्योंकी घोषणा की ।
- १२ नवम्बर : गांधीजी रातमें कोलम्बो पहुँचे ।
- १३ नवम्बर : कोलम्बोमें; पत्र-प्रतिनिधियोंसे मेटके दौरान कहा कि साइमन आयोग पर मत प्रगट करनेके मामलेमें मेरा अन्तःकरण कांग्रेसके हाथोंमें है । चेद्वियार लोगोंकी समामें तथा विवेकानन्द सोसाइटीकी ओरसे आयोजित समामें भाषण ।
- १४ नवम्बर : कोलम्बोमें; मीनवार ।
- १५ नवम्बर : कोलम्बोमें; नगरपालिका द्वारा अभिनन्दनपत्र दिया गया; छात्रो, वीडों और ईसाइयोंकी समाजोंमें भाषण ।

- १६ नवम्बर : कोलम्बोमें; ईसाई मिशनरियों तथा श्रमिकोंके बीच भाषण ।
- १७ नवम्बर : कोलम्बोसे पालियागोडा, नेगोम्बो, मादाम्पी, चिलाव, कुरुनेगल और कालुगास्टोटा गये ।
- १८ नवम्बर : माटले और कैंपडीकी सार्वजनिक सभाओंमें भाषण; दलद मलिंगवा गये तथा दन्त-अवशेष देखा ।
- १९ नवम्बर : वादुल्लामें ।
- २० नवम्बर : नुवारा इलियामें ।
- २१ नवम्बर : कैंपडीमें, मौनवार ।
- २२ नवम्बर : कोलम्बो वापस आये तथा पारसियो, लंका राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य सभाओंमें भाषण ।
- २३ नवम्बर : पानडुरा और गैलेका दौरा किया ।
- २४ नवम्बर : गैले और मतारामें भाषण ।
- २५ नवम्बर : कोलम्बो वापस तथा विदाई सभामें भाषण ।
- २६ से २९ नवम्बर : जफनामें; सभाओंमें भाषण ।
- ३० नवम्बर : लंकासे रवाना होकर रामनाड पहुँचे; सार्वजनिक सभामें भाषण दिया ।
- १ दिसम्बर : मद्रास पहुँचे, शाही आयोगके सम्बन्धमें एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे मेट की; उड़ीसाकी यात्रा पर रवाना ।
- ३ दिसम्बर : चिकाकोलकी सार्वजनिक सभामें भाषण ।
- ४ दिसम्बर : सुबह इच्छापुरम्, पालसा, वरुवा और काविति गये तथा चिकाकोलमें स्त्रियोंकी सभामें भाषण दिया । शामको बरहामपुरमें छात्रोंकी सभामें भाषण ।
- ५ दिसम्बर : बरहामपुरमें; मौनवार ।
- ६ दिसम्बर : बरहामपुरकी सार्वजनिक सभामें भाषण । अस्का, गोहरा, रसेलकोंडा भी गये; सभाओंमें भाषण दिये तथा थैलियाँ प्राप्त की और फिर रातमें ठहरने के लिए बोइरानी चले गये ।
- ७ दिसम्बर : पुषोत्तमपुर, कोडला और खल्लीकोट गये ।
- ८ दिसम्बर : वानपुरमें ।
- ९ दिसम्बर : रक्तचाप बढ़ जानेकी वजहसे पूर्ण आरामके लिए बोलगढ़ गये ।
- १० दिसम्बर : बोलगढ़की सार्वजनिक सभामें भाषण ।
- ११ और १२ दिसम्बर : बोलगढ़में आराम ।
- १३ दिसम्बर : वेगुनियाँ, सखीगोपाल और पुरीमें; जगन्नाथजीके मन्दिरमें नहीं गये ।
- १४ दिसम्बर : बालासोर पहुँचे ।
- १५ से १७ दिसम्बर : बालासोरमें ।
- १८ दिसम्बर : कटक पहुँचे; रक्तचाप बढ़ जानेकी वजहसे सभी कार्यक्रम रद्द कर आराम किया ।
- २० दिसम्बर : कटककी सार्वजनिक सभामें महात्माजीका भाषण पढ़ा गया ।
- २१ दिसम्बर : मद्रासमें होनेवाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमें भाग लेनेके लिए कटकसे रवाना ।

- २३ दिसम्बर : मद्रासकी खादी और हिन्दी प्रदर्शनीमें भाषण ।  
 २३ से २८ दिसम्बर : मद्रासमें कांग्रेस नेताओंके साथ बातचीत ।  
 २६ दिसम्बर : मद्रासमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन आरम्भ हुआ ।  
 २७ दिसम्बर : दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंसे सम्बन्धित गांधीजीके द्वारा तैयार किया गया प्रस्तावका मसविदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने सर्वसम्मतिसे स्वीकार कर लिया ।  
 २८ दिसम्बर : बम्बईके लिए रवाना ।  
 २९ दिसम्बर : हुकीम अजमलखानकी मृत्यु ।  
 ३० दिसम्बर : बम्बई पहुँचे; हिन्दू-मुस्लिम एकता और स्वाधीनता सम्बन्धी कांग्रेसके प्रस्तावोंपर पत्र-प्रतिनिधिसे भेंट ।  
 ३१ दिसम्बर : साबरमती पहुँचे ।

१९२८

- १ से २१ जनवरी : गांधीजी सत्याग्रह आश्रम, साबरमतीमें रहे ।  
 ७ जनवरी : नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्लीको सन्देश ।  
 जनवरी (द्वितीय सप्ताह) : अन्तर्राष्ट्रीय संघकी परिषदके सदस्य और मित्र ३ दिन तक आश्रममें रहे ।  
 १५ जनवरी : गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबादके दीक्षान्त समारोहमें भाषण ।  
 २२ जनवरी : पोरबन्दरमें चतुर्थ काठियावाड़ राजनीतिक परिषदमें भाषण ।  
 २३ जनवरी : वरतेजमें ।  
 २४ जनवरी : वरतेजमें अस्पृश्योंके लिए एक मन्दिरका शिलान्यास किया; मोरबीमें भाषण ।  
 २७ जनवरी : गांधीजीके तीसरे पुत्र रामदासका साबरमतीमें विवाह । गुजरात विद्यापीठके विधानमें परिवर्तनके लिए गांधीजीका सुझाव ।  
 ३० जनवरी : साइमन कमीशनके विरोधमें हो रही हड़तालकी सफलता की कामना की ।  
 ३१ जनवरी : गुजरात महाविद्यालयके छात्रोंके साथ रहनेके लिए चले गये ।

## शीर्षक-सांकेतिका

एक पत्र, -३४, ३४३, ३९१-२, ४२९,  
४४०, ४९३

टिप्पणियाँ, -९१-९२, १२४-२७

टिप्पणी, -२१०-११; -एक लेखपर, ४३३

तार, -एन० आर० मलकानीको, २२४;

-चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको, २२१;

-जमनालाल बजाजको, ७, ३७७;

-जवाहरलाल नेहरूको, ५१४;

-जालरस्टको, २२१; -घनगोपाल

मुखर्जीको, २४२-४३; -पंजाब कांग्रेस

कमेटी, लाहौरको, ५३२; -गोर-

बन्दरके दीवानको, ४९२; -मदनमोहन

मालवीयको, ४६५; -मीठूवहन

पेटिटको, २२०; -मीराबहनको, ४८,

३५१, ५०४; -वाइसरायको, १८७;

-विट्टलमाई झ० पटेलको, १६९, १७२,

१७२, १७७, १९२; -साकरचन्दको,

३९६; -सी० एफ० एन्ड्र्यूजको, ६९;

-सोमसुन्दरम्को, २२०

पत्र, -अब्बास तैयबजीको, ३५२, ४६६;

-अल्पवयस्क रक्षा-समिति, कोचीनके

मन्त्रीको, ३८९-९०; -आई० संन्यास

राजू तथा अन्य लोगोको, ४०३; -आर०

पार्थसारथीको, १८७; -आर० राम-

चन्द्र रावको, ४८९-९०; -आर० रामा-

स्वामीको, ४२८; -ऑलिव डोकको,

४१०; -आश्रमकी बहनोंको, ५-६, ४४,

७९, ११५, १६८-६९, १८८, २१२-

१३, २२८, २४४, २९६, ३५४, ३७७,

३९४-९५, ४११, ४३८; -आश्रमके

वालकोको, २९७; -एच० ए० जे०

गिडनेको, ४०२-३; -एडा रोजेन-

ग्रीनको, ३८८; -एफ० डब्ल्यू० स्टाइन्थल

को, ५१७; -एम० फ्रांसिस एच०

ल्यूकको, ४१२-१३; -एलिजाबेथ

नडसेनको, ५३४; -एस० एन० घोषको,

४१३; -एस० गणेशानको, ४९१;

-एस० जी० दातारको, ४२८; -एस०

डी० नाडकर्णीको, ४९२; -एस० वी०

विश्वनाथ अय्यरको, ४२९-३०; -एस०

हैडी पार्वनायगमको, ४०८; -कनिकाके

राजाको, ४६३-६४; -कमलादेवीको,

४२७; -करीम मुहम्मद मास्टरको,

१६३; -किशोरलाल मशरुवालाको,

१६४-६६; -के० एस० कारंतको,

४०८-१०; -के० केलप्पन नायरको,

४३१; -गंगाबहन श्रवेरीको, २१३;

-गंगाबहन वैद्यको, १६६-६८, २२७;

-गोपराजू सत्यनारायण मूर्तिको, ४०६-

७; -घनश्यामदास विड्डलाको, ७२-

७३, २२१-२२, ४५८; -चक्रवर्ती राज-

गोपालाचारीको, ३८६-८७, ५२०-२१;

-चन्द त्यागीको, १८८; -चेल्काण्डी

कुट्टनको, ४३०; -छगनलाल गांधीको,

१६२; -छगनलाल जोशीको, ११२-

१३; -जमनालाल बजाजको, ४४७;

-जवाहरलाल नेहरूको, ४४८-४९,

४६८, ४८३, ४८७-८९; -जी० एन०

कानिटकरको, २२९; —जे० एन० जिनेन्द्रदासको, ३९१; —जे० डब्ल्यू० पेटावलको, ३९७; —जेवुभिसाको, ४२५-२६; —टी० के० रामुनी मेननको, ४२१; —टी० बी० केशवरावको, ३५४; —डब्ल्यू० एच० पिटको, १३६, ४६४; —डाह्याभाई पटेलको, २३३; —डी० आर० माण्डारकरको, ३९०; —डी० एन० बनर्जीको, ५३३-३४; —तिरुकोट्टा-सुन्दरम् पिल्लेको, ४०५-६; —तुलसी मेहरको, २२६-२७; —देवचन्द पारेखको, ११६; —देवीचन्दको, ४१९-२०; —देवी वेस्टको, ४१७-१८; —नाजुक-लाल चौकसीको, ४६०; ४६६-६७; —नारणदास गांधीको, २३५-३६, ४११-१२; —निर्मलचन्द्र डे को, ४१८; —परशुराम मेहरोत्राको, २१४; —पिचप्पा सुब्रह्मण्यम् चेदित्यारको, ४२६; —प्यारेलालको, ४२१-२२; —प्रभावतीको, १७४, ४४७, ५२०; —प्रभा शंकर पट्टणीको, २३०, ४८२; —प्रागजी देसाईको, १५, २३-२४, १००; —फूल चन्द शाहको, ४३७; —बनारसीदास चतुर्वेदीको, २२६; —बहरामजी खम्बाता को, ४०४; —बी० एस० मुंजेको, ५१६-१७; —मगनलाल गांधीको, ११३-१५, ३८०, ४५८-५९; —मणि बहन पटेलको, ४४६, ४४६; —मणिलाल गांधीको, २४; —मणिलाल व सुशीला गांधीको, १०४, १७५, २२३-२४, ३७८, ४४४-४५, ४७७-७८; —मणीन्द्रचन्द्र रायको, ४२०; —मदनमोहन मालवीय

को, ५०१; —सीरावहनको, ४९, ५९, ६३, ६९, ७३-७४, ७६-७७, ७८, ८७, ९२, १०१, १११, १६०-६१, १७६, १८३-८४, २११, २१२, २२२-२३, २२५, २४३-४४, २९४, ३५२; —मु० अ० अन्सारीको, ४३५-३६, ४३९; —रतिलालको, ४९३; —रमणीकलाल मोदीको, ५३३; —रमेश चन्द्रको, ३९५-९६; —राजेन्द्रप्रसाद मिश्रको, ५१५; —रामदास गांधीको, ६४; —रामेश्वरदास पोद्दारको, १७०, ३५५; —रिचर्ड वी० ग्रेगको, ५२१; —रेवाशंकर झवेरीको, ४३७; रेहाना तैयबजीको, ४०७; —वसुमती पण्डितको, ४०४; —वि० ल० फडकेको, २२९, २९७-९८; —विट्ठलदास जेराजाणीको, ७९-८०; —विधानचन्द्र रायको, ४९८-९९; —विश्वम्भर सहायको, ४१९; —वी० ए० सुन्दरम्को, २३५; —वी० एस० मास्करनको, ५३२; —वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको, १८-१९, १७३-७४, ४६७-६८; —वी० के० शंकर मेननको, ४९८; —श्रीप्रकाशको, ३९२-९३; —सतीशचन्द्र दासगुप्तको, ५, ४२-४३, १८४-८५, २९५, ४५९, ४६९, ४८४, ५००-१, ५१५-१६, ५३३; —सी० एफ० एन्ड्र्यूजको, ७०-७२, ११८, १८६, २३४-३५, ३८५, ४१२, ४३६; —सुमद्रा तुलजापुरकरको, ४२५; —सुरेन्द्रको, ३५, ७७, ७८, ८६, ८६-८७, १७६-७७, २४१, ३५३; —सुरेज चन्द्र बनर्जीको, ५००; —हरजीवन कोटक

को, २३२-३३, ३३२, ३९३-९४;  
-हरिमाऊ उपाध्यायको, ६;-हेनरी  
नीलको, ३८९; -हेमप्रभादेवी दास-  
गुप्तको, ४३-४४, २९५-९६, ५०२,  
५२२, -हेलेन हॉर्सडिंगको, ४१४;  
-होरेस जी० अलेक्जेंडरको, ११२

प्रस्ताव, -दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके  
वारेमें, ४३८-३९

बातचीत, -दलित वर्गोंके शिष्टमण्डलके  
साथ, १४५-४७

भाषण, -अकमिमाना बालिका बुनाई  
केन्द्रमें, ३१८-१९; -अमरावतीपुरमें,  
२५-२७; -अलेप्पीकी सार्वजनिक समा-  
में, ११९-२४; -आदि-ब्रिडोंके समक्ष,  
कालीकटमें, १९३-९८; -आनन्द कालेज,  
कोलम्बोमें, २४९-५०; -उण्डुविल गर्ल्स  
कालेज, जफनामें, ३५७-५८; -एर्ना-  
कुलम्में, १३२-३६; -कटकके खादी  
कार्यकर्ताओंके समक्ष, ४१४-१७;  
-काठियावाड़ राजनीतिक परिषद, पोर-  
बन्दरमें, ५०२-४; -कानूनके छात्रोंके  
सम्मुख, कोलम्बोमें, ३२०-२१; -काली-  
कटकी सार्वजनिक समामें, १८९-९२;  
-कुरुनेगलकी सार्वजनिक समामें,  
२७४; -कैण्डीकी सार्वजनिक समामें,  
२८१-८२; -कैण्डीमें, २७९-८०;  
-कोइलपट्टीकी सार्वजनिक समामें,  
८८-८९; -कोयम्बटूरकी सार्वजनिक  
समामें, १५५-६०; -कोलम्बोकी विदाई  
समामें, ३२९-३२; -कोलम्बो नगर-  
पालिकाके अभिनन्दनपत्रके उत्तरमें,  
२४५-४८; -कोलम्बोमें पारसियोंके

समक्ष, ३०१-२; -क्विलनमे, ११७-  
१८; -झमाशीलतापर, ४७१; -गुज-  
रात विद्यापीठके दीक्षान्त समारोहमें,  
४८४-८७; -गुजरात विद्यापीठमें,  
५२२-२३, -गैलेकी सार्वजनिक समामें,  
३१३-१४; -चिकाकोलकी सार्वजनिक  
समामें, ३७२-७४; -चेट्टियार लोगोकी  
समा, कोलम्बोमें, २३९-४०; -छत्र-  
पुरमें, ३७९, -छात्र-काप्रेसकी समा,  
जफनामें, ३३८-४२; -छात्रोंकी समा,  
बरहामपुरमें, ३७५-७६; -छात्रोंके  
समक्ष, तिरुपुरमें, १७८; -जफना  
कालेज, जफनामें, ३६२-६३; -जफना-  
की सार्वजनिक समामें, ३३२-३७;  
-जफनामें, ३४८-५१; -जामिया  
मिलिया इस्लामिया, दिल्लीमें, २१४-  
१७; -जाहिरा कालेज, कोलम्बोमें,  
३००-१; -तंजौरमें, १-३; -तमिल  
संघ, कोलम्बोमें, ३०९-११; -तिन्ने-  
वेल्लीकी सार्वजनिक समामें, ९५-  
१००; -तिरुपुरकी सार्वजनिक समामें,  
१८०-८३; -तिरुमंगलम्में, ६६-६७;  
-तूतीकोरिनकी सार्वजनिक समामें,  
९३-९५; -तेलीपल्ली बुनाई स्कूल,  
जफनामें, ३६२; -त्रिचनापल्ली नगर-  
पालिकाके अभिनन्दनपत्रके उत्तरमें, ४;  
-त्रिचूरमें, १३७-४५; -त्रिवेन्द्रम्में,  
१०५-१०; -देवकोट्टामें, ३०-३३;  
-वर्मराज कालेज, कैण्डीमें, २७७-७८;  
-नागरकोइलमें, १०१-४; -नालन्दा  
विद्यालय, कोलम्बोमें, २५०-५१;  
-नुवारा इलियामें, २९१-९४;

—नेगोम्बोमें, २७३; —नेशनल कालेज, त्रिचनापल्लीमें, ८-९; —पागानेरीकी सार्वजनिक सभामें, ४६-४८; —पानडुरामें, ३१२; —पालघाटकी सार्वजनिक सभामें, १४८-५२; पुदुकोट्टामें, १४; —प्रार्थना सभा, साबरमतीमें, ४६९-७०; —बादुल्लाकी सार्वजनिक सभामें, २८२-८७; —बानपुरमें, ३८४-८५; —बौद्ध युवक संघ, कोलम्बोमें, ३२२-२५; —बौद्धोंकी सभामें, २५१-५५; —भारतीयोंकी सभा, जफनामें, ३४६-४८; —मंगलोरकी सार्वजनिक सभामें, १९९-२०१; —मतारामें, ३१९-२०; —मदुरैकी सार्वजनिक सभामें, ४९-५५; —मद्रासकी खादी और हिन्दी प्रदर्शनीमें, ४३१-३३; —महिन्द कालेज, गैलेमें, ३१४-१७; —महिलाओंकी सभा, मदुरैमें, ६४-६६; —माटलेकी सार्वजनिक सभामें, २७५-७७; —मिशनरी सम्मेलन, कोलम्बोमें, २५९-६३; —मोरबीमें, ५०६-११; —राजापालयम्की सार्वजनिक सभामें, ८२-८६; —राजापालयम्के खादी वस्त्रालयमें, ८१-८२; —रामदास गांधीके विवाहके अवसरपर, ५१८-१९; —रामनाडकी सार्वजनिक सभामें, ३६३-६६; —रेड्डीयार संगम, कोलम्बोमें, ३२७-२८; —लंकाकी राष्ट्रीय कांग्रेसके कोलम्बो अधिवेशनमें, ३०२-८; —लंका भारतीय संघ, कोलम्बोमें, ३२६-२७; —वरतेजमें, ५०४-६; —वाई० एम० सी० ए०, कोलम्बोमें, २५५-

५९; —वाई० एम० सी० ए०, पुत्तूरमें, १०; —विनयशीलतापर, ४७०; —विरुघुनगरकी सार्वजनिक सभामें, ७४-७६; —विवेकानन्द सोसाइटी, कोलम्बोमें, २४०-४१; —श्रमिक संघकी सभा, कोलम्बोमें, २६३-६६; —सर रामनाथन बालिका विद्यालय, जफनामें, ३५९-६१; —साबरमती आश्रममें, ५१९; —सार्वजनिक सभा, कनडुकातनमें, १९-२३; —सार्वजनिक सभा, कराइकुडीमें, ३५-४२; —सार्वजनिक सभा, त्रिचनापल्लीमें, १२-१३; —सार्वजनिक सभा, बोलगढ़में, ३८७-८८; —सिस्वयलमें, ४५-४६; —सेंट जॉन कालेज, जफनामें, ३५५; —सेंट्रल कालेज, जफनामें, ३५६-५७; —सौराष्ट्र क्लब, मदुरैमें, ६०-६३; —स्त्रियोकी सभा, कराइकुडीमें, २८-२९; —स्त्रियोकी सभा, कोयम्बटूरमें, १५३-५५; —स्त्रियोंकी सभा, कोलम्बोमें, २९८-९९; —स्त्रियोंकी सभा, त्रिचनापल्लीमें, ११-१२; —स्त्रियोंकी सभा, बरहामपुरमें, ३७४-७५; —स्त्रियोंकी सभा, राजापालयम्में, ८०-८१

मेंट, —'इंडियन डेली मेल'के प्रतिनिधिसे, ४४२-४४; —'इंडियन नेशनल हेराल्ड'के प्रतिनिधिसे, २०९-१०; —एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे, ७-८; —एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे, ३७१-७२; —'टाइम्स ऑफ सीलोन'के प्रतिनिधिसे, २४२; —पत्र-प्रतिनिधियोंसे, २०७-९, २३८

सन्देश, —जामिया मिलिया इस्लामियाको, ४६४-६५; —दक्षिणको, २०७; —द्वितीय स्नातक सम्मेलनपर, ४८७; —'न्यू इंडिया'को, ४२; लकाकी जनताको, २२४; —शिक्षा सम्मेलन, त्रिचनापल्ली-को, २७

विविध

अजमल जामिया-कोष, ४९४-९५, अनमेल विवाह अथवा बालहत्या, २३६-३७; अनु-करणीय, २०३-४; अपरिवर्तनवादियोंसे, ४९५-९८; अमेरिकासे सहायता, ३६९; अवैध स्वतन्त्रता लेना, ४७५-७६; अस्पृश्यता-निवारण, २०६-७; आरोग्य-पत्र, ३९८-४०२; इन्द्रराज चरखा, ४३३-३४; ए० वेदराम अय्यरके साथ वातचीत, ६८; एक उद्धरण, २६७; एक बहूनकी उल्लंघन, ५२३-२५; एक सच्ची सेविकाका प्रयाण, २०२-३; कपासकी लाभदायक खेती, २०४-५; काठियावाड़ राजनीतिक परिषद, ५२५-२९; कोई चीज तुच्छ नहीं है, ४२४; क्या वह विफल रहा?, २३१-३२; क्या समाचार देंगे?, ४; खादीका अर्थशास्त्र, ३७०-७१; खादीके नमूने, १३१; खादीके सिले-सिलाये कपड़े, २७२; खादीपर निबन्ध, ३७४; 'खादी मार्ग-दर्शिका,' ५१४; 'गीता' पर

प्रवचन, ४६०-६२; —गोरक्षाके बारेमें लेख, ४०५; गोरक्षा-सम्बन्धी लेख, ४६२; चरखा सघके बारेमें, २८९-९१; जफनामें ईसाई मिशनरियोंके साथ चर्चा, २४३-४५; देव-मन्दिर, ३८३-८४; नीलकी प्रतिमा और अहिंसा, ५५-५८; नीलकी प्रतिमा-सम्बन्धी सत्याग्रह, १२९-३१; प्रश्नोत्तर, ५२९-३१; बन्धुत्व विषयक चर्चा, ४७९-८२; —ब्रिटिश मालका बहिष्कार, ५११-१३; भारतकी कवयित्रीको निमन्त्रण, ४५७; "भूँडी भूँछी", २८७-८८; मद्रासकी खादी-प्रदर्शनी, ४७६; मिट्टीकी महिमा, ४६३; मुकुन्दनका प्राय-श्चित्त, ४७७; मैं हिन्दू क्यों हूँ?, १७०-७१; मैसूर सरकारका खादी-केन्द्र, ४७७; युवकोसे चर्चा, ३४; 'रंगीला रसूल', १५-१७; राजनीतिक कैदी, ४४०-४२; राष्ट्रीय कांग्रेस, ४५१-५६; रोषभरा विरोध, ८९-९०; वर्ण-धर्मपर वातचीत, १७९-८०; वर्णाश्रम और उसका विरूपीकरण, २६७-७१; वेदोंमें गो-बलि, ५८-५९; सत्यका विरूपण, ३८१-८३; स्मृतिमें, ४४९-५०; स्वतन्त्रता बनाम स्वराज्य, ४७२-७५; स्वयंको बदलनेकी आवश्यकता, २१८-२०; हमारा और उनका कलंक, ४२२-२४; हिन्दू कानून और मैसूर, १२७-२९; हिन्दू-मुस्लिम एकता, ३६७-६८; हिन्दू विधवाएँ क्या करें?, ४३४-३५



## सांकेतिका

अ

अंग्रेज, —जिस देशपर शासन करते हैं उसके हितके सामने अपने हितको गौण मानें, ३२६; —[ ]का दोस्तके रूपमें रहना ज्यादा हितकर, २४२

अंग्रेजी, —और प्रान्तीय भाषाएँ, ३७९, ५२५

अंग्रेजी शासन, ५२९; —ने भारतको हर तरहसे वर्धाद किया, ४७४; —भयपर आधारित ४२३; —में न्याय अथवा सच्चाई नहीं, ४४०-४२; —से किसी भी तरह मुक्ति, ४७३-७४

अंडा, —शाकाहार नहीं, ३९५-६

अखिल बाबू, ४८४

अखिल भारतीय चरखा संघ, ३०, ३३, ४२, ६६-६७, ८२, ९१, ९४, ९७, १३१, १३२, १५९, २०३, २०४, २८३, ३६५, ३७३, ३८६, ४५४, ४७७, ५१४; —का स्वरूप, कार्य आदि, ३६-३७, ५२, ५३, २८९, ३०९-१०; —की प्रवन्व समितिसे गांधीजीका इस्तीफा, ५२३; —के सम्बन्धमें शिकायतका जवाब, ६८

अजमलखाना, हुकीम, २१५ पा० टि०, २१६, २१७, ३६७, ४६४, ४६६, ४८५; —और हिन्दू-मुस्लिम एकता, ४४३-४४, ४४९-५०; —का स्मारक, ५१६ पा० टि०, ५१७; —के स्मारकके लिए धन, ४७५-६

(द) अदर साइड ऑफ द मेडल, ५७, २१९

अद्वैत, १; —की व्याख्या, १

अनटु दिस लास्ट, ३२१

अनसूया वाई, १३८, ५३३

अनिल, ४३

अन्तर्राष्ट्रीयता, —और राष्ट्रीयता, ९६

अन्त्यज, २९७, ५०४; देखिए अस्पृश्य भी

अन्नपूर्णादेवी, —को श्रद्धांजलि, २०२-३

अन्ना, ७३

अन्तारी, डा० मु० अ०, १६८ पा० टि०, १७७ पा० टि०, ३६७, ३७२, ४३५, ४३८ पा० टि०, ४३९, ४४३-४४, ४५१, ४५३, ४५६, ४६५, ४९४, ४९५

अपरिवर्तनवादी, —लोगोके लिए कार्यक्रम, ४९५-६

अब्राह्मण, —और अखिल भारतीय चरखा संघ, ३७, ९७-८; —और खादी, ९७; —और ब्राह्मण जन्मसे समान, १-३

अम्बालाल, श्रीमती, १६१

अय्यंगार, टी० सी० चेल्लम, ४९ पा० टि०

अय्यंगार, माध्वम्, १२७, १२९

अय्यंगार, श्रीनिवास, २०८, ४४३, ४५१

अय्यर, एस० वी० विदवनाथ, ४२९

अय्यर, ए० वेदराम, ६८

अर्जुन, ३९८

अर्थ-पिशाच, —और ईश्वर दोनोंकी सेवा एकसाथ सम्भव नहीं, २५९

अली (मास्टर काछलिया), २१४

अलीवन्दु, ४३९, ४४३, ४५२; —और गांधीजी, ३६७-६८; देखिए मुहम्मद अली और शीकत अली भी

अलेक्जेंडर, होरेस जी०, ११२

अल्पसंख्यक, —और पृथक् प्रतिनिधित्व, ३३०  
असहयोग, ७२; —आन्दोलनका मूल्यांकन,  
१५५-६, २३१-३२; —और अहिंसा,  
४९६; —और हिंसा, २३१; और  
हिन्दू-मुस्लिम एकता, २३२; —बुराईके  
विरुद्ध, २४२, ३७२; —स्वराज्य  
प्राप्तिके हेतु, २३२; देखिए सत्याग्रह  
भी

अस्पृश्य, २२, ३४३; —कोचीन राज्यमें,  
१४०-४१; —लकामें, ३०८; —[यों] का  
दुख मलाबारमें, १४५-४७; —की  
उन्नतिके लिए हिन्दू सुधारकोको कार्य  
करना चाहिए, २०६; —के उत्पीडनके  
लिए प्रायश्चित्त, २६८; —के लिए  
शालाएँ, ५३०; —को सुविधाएँ, ५४,  
—से नयाबन्दीका अनुरोध, ३३५; —से  
शुद्ध जीवन बितानेका आग्रह, ५०५

अस्पृश्यता, २७, ६५, १५७, १५८, २३२,  
३०८, ३२८, ३६६, ३७३; —और  
ब्राह्मण-अब्राह्मण प्रश्न, १५१-५२,  
१५७-५८; —और भारतीय राष्ट्रीय  
कांग्रेस, १५१-५२; —और मन्दिर-प्रवेश,  
८४-८५, ९९-१००; —और महिलाएँ,  
१५३; —और वर्णाश्रम, ८५, ११०;  
—और हिन्दूधर्म, ८५, ९८-९९, १०१-३  
१०५, ११०, ११७, १२०-२२, १३४,  
१४०, १४०-१४२, १५०-५१, १९१,  
१९४-९५, २०१, २८६, २९३, ३५०;  
—का औचित्य प्राचीन परम्पराओंसे नहीं  
ठहराया जा सकता, ३३९-४०; —की  
जलालत, ४२३; —के लिए बौद्ध धर्ममें  
कोई स्थान नहीं, २७६, २८१, २८६,  
३१२, ३३०, ३४९; —कोचीनमें, १३३-  
३४; —निवारण, ब्रावणकोरमें, सत्याग्रह

द्वारा, १०१-१०२, १०६, ११७, ११९-  
२२; —लकामें, ३३६  
अहिंसा, १६५, २६९, ३१७, ३२२, ३६६;  
—और असहयोग, ४९६; —और इस्लाम,  
३४४; —और घृणा, ५६; —और  
निरामिषाहार, ३९५-६; —और  
राष्ट्रकी निःस्वार्थ सेवा, ३०७, ३७३;  
—और सत्य, ४००, ५१०; —और  
सादगी, ३४१; —और हिंसा, ५२७-  
८, —कानियम, ५५-५६; —की प्रभाव-  
कारिता, २३१; —को लोग इसकी  
गहराईको समझे बिना भी अपना सकते  
हैं, ४७४; —गाधीजीका धर्म, हर हालत-  
में, ४७४; —गीतामें, १७८; —द्वारा शुद्धि,  
२२७; —पूरी तरह सम्भव नहीं, ४०९-  
१०, —मानव जातिकी कठिनाइयोका  
हल, ३५१; —में जवाहरलाल नेहरूका  
विश्वास, ४४८; —शुद्ध लड़ाईके लिए,  
३; —सभी धर्मोंमें समान रूपसे  
भीजूद, ३३९; —स्वराज्य प्राप्तिके  
लिए, ३०५

अहिल्याबाई, ८९

आ

आंग्ल-भारतीयों, —को सुझाव, ४०२  
आज, २०८ पा० टि० ३९२  
आजाद, अब्दुलकलाम, ४५१  
आत्मकथा (सत्यना प्रयोगों), ४२ पा० टि०,  
६२ पा० टि०, २३३, २६२ पा० टि०,  
३८०, ४९१  
आत्म-संयम, २३२, २८६, ३२२, ३४३,  
३९३-४; —और महिलाएँ, ३८८;  
—और विद्यार्थी, १९०-१; —और  
विवाह, ४७८; —और स्वराज्य, २६;  
—पर लेख, ४९१, देखिए ब्रह्मचर्य-भी

आदि-द्विविद्धों, —का सामाजिक उत्थान, १५८; —को सुझाव, १९३-९८  
 आनन्द, स्वामी, ६, ३९२, ४९१  
 आर्नोल्ड, एडविन, ३२२  
 आलोचना, —रचनात्मक, लामदायक, २४  
 आश्रम-भजनावली, ५१८  
 आसन, ४०८, ४०९  
 आसर, पी० डी०, १७९ पा० टि०  
 आहार, —विषयक प्रयोग, ४९९, ५००, ५२०; —अहिंसक और निरामिष, ३९५-६

## इ

इंडियन नेशनल हेराल्ड, २०९  
 इंडियन ओपिनियन, १५, १७३, ४१७  
 इमाम साहब, ४७९-८०  
 इस्लाम, १०९, ३२३, ३४३; —और अहिंसा, ३४४; —और गोहत्या, ४५३; —का ज्ञान, १६३; —में शराबकी निन्दा, ३१३

## ई

ईश्वर, ५, १३, २२, २६, २९, ४४, १०८, १६५, १७९, १८४, १८९, २१३, २२८, २५६, २६०, २८६, २८७, ३१३, ३२८, ३५१, ३६३, ३६७, ३७६, ३८१, ४७३, ४८२, ५२२; —अस्पृश्यके रूपमें, ८५; —और अर्थ-पिशाच दोनोंकी सेवा एकसाथ सम्भव नहीं, २५९; —और गांधीजीका शारीरिक रोग, २०; —और जातियाँ, ५०६-७; —और पशु-बलि, ३४०, ३४९; —और बौद्ध-धर्म, २५३-४; —और मन्दिर, २२, ३८-९, २९७, ३८४; —के दर्शन केवल- विनयशील व्यक्ति द्वारा

ही सम्भव, ४७०; —के नियम, २६०-२; —के प्रति पूर्ण समर्पणमें ही विकारों-से मुक्ति, ४६१; —चरखेमें, ३४१; —में आस्था, १४४, ४१८; —सर्वव्यापी है, २०९

ईसाई, १३२, ३०९, ३३६-४१, ३४८, ३७६, ३९१, ४७९; —और राष्ट्रीय आन्दोलन, ९५-६; —भारतीय और देश-हित, १०

ईसाई-धर्म, १०, १०९, ३००, ३१३, ३२३, ३४३; —और राष्ट्रीयता, ९६; —के विरुद्ध चीनमें आन्दोलन, २५७; —के सम्बन्धमें गांधीजीके विचार, २५५-५९; —को अपनाना आवश्यक नहीं, ३९१

ईसामसीह (जीसस), १७०, २६२, २७६, ३४१-३, ३५६ पा० टि०, ३८९ पा० टि०; —का देवत्व, ३९१; —की शिक्षाएँ, २५५-६३; —के जीवनकी व्याख्या, ४८२; —मानव-जातिके एक महान गुरुके रूपमें, ३५६-७

## उ

उपवास, ११३; —ही पापका प्रायश्चित्त नहीं, ४६१, ४७१ पा० टि०  
 उपाध्याय, हरिभाऊ, ६

## ए

एकता, —स्वराज्य प्राप्तिके लिए अनिवार्य ३३०; —हिन्दू-मुस्लिम, इसकी आवश्यकता और सम्भावना, १७; देखिए हिन्दू-मुस्लिम एकता भी  
 एडवर्ड, सम्राट् सप्तम्, ५११  
 एमरी, कुमारी, ३६०

## ऐ

ऐंग्लो-इंडियन रिव्यू, ४०२ पा० टि०

ओ

ओवेसेकेरे, ३१९  
ओ'डायर, सर माइकेल, २१९, ४४१ पा०टि०  
ओल्ड टेस्टामेंट, ३२३, ३४५

क

कताई, १४८, ३१६; —आन्दोलनका भारतमें  
इतिहास, ६२-३; —और आदि-द्रविड,  
१९७-८; —और बुनाई, ६१-२, —और  
महिलाएँ, ६६, १५२, ४३५; —करनेके  
गलत ढंगकी निन्दा, १३७-९; —जन-  
साधारणकी गरीबी दूर करनेके लिए,  
१३८, १८३, २८३, ४१४-५; —तकली  
पर, ९६; —पर निबन्ध, ६९, ७०,  
११८; —स्वराज्य-प्राप्तिके लिए, ४१६;  
देखिए अखिल भारतीय चरखा संघ भी  
कजिन्स, डा० जेम्स एच०, ४५६  
काथिंगमेर, रेव० डब्ल्यू० ए०, ३४३  
कनिका, —के राजा, ४६३  
कबीर, ४७०  
कमलादेवी, ४२७  
करीम मुहम्मद मास्टर, १६३  
कलियुग, ३३  
कहवा, —पीनेकी आदत, १९०  
कांटावाला, हरगोविन्ददास, ३५४  
काछलिया, अहमद मुहम्मद, —की सेवाएँ,  
हिन्दू-मुस्लिम एकताको बढ़ानेमें, २१४  
काटजू, डा० कैलाशनाथ, ९१  
कानिटकर, २२९  
कानून, —का पालन, ५३४  
कारंत, के० एस०, ४०८  
काली, ३२५  
कालेलकर, काकासाहब, १०४, २११, २२६,  
२२९, २३५, २९७

काशीवाही, ३५४  
कुट्टन, चेरकाण्डी, ४३०  
कुरल, देखिए तिरुकुरल  
कुरान, १४४  
कुसुम, ४५८  
कूने-स्नान, ४७८, ५३४  
कृपलानी, आचार्य जे० वी०, १२४-२५  
कृष्णदास, ७३, १११, २२२  
कृष्णमूर्ति पतुलु, मल्लादि, ४०३  
कृष्ण (भगवान), ३९८, ५०८, ५०९  
के (इतिहासकार), ५७  
केम्बेल, सर जॉर्ज, ५७  
कैलकर, ३९९  
केशू, १८५  
कैलनवैक, १९  
कोटक, हरजीवन, २३२, ३४२, ३९३, ४३३  
कोंडर, के० एस० रामास्वामी, १७९  
क्लीमेंट, डा०, ४१०  
क्षमाशीलता, ५६, २६०-२, ४७१

ख

खम्बाता, बहरामजी, ४०४, ५२१  
खरे, एन० एम०, ४७९  
खादी (खद्दर), १४, ३६, ३७, ७२, १३५,  
१४८, १८७, ३२०, ३२८, ३५५  
पा० टि०, ३५८, ३६५, ३७३, ३७९,  
३८७-८८, ५०४, ५१३; —और अन्ना-  
ह्राण, ९७-९८; —और कपासकी खेती,  
२०४-५; —और कला, १३३; —और  
जीवनकी सादगी, ८३; —और देशी  
रियासते, २०५, —कश्मीर, ४३३-३४;  
—तिरुपुर, १८०-८१; —त्रावणकोर,  
१२३-२४, १३३; —और ब्रह्मचर्य,  
३४२; —और मुसलमान, १३२, २१७;  
—और वकील, ९१; —और विद्यार्थी, ९,

५४; -और सभी जातियों तथा समुदायोंके बीच पारस्परिक मेल, ९७; -और स्त्रियाँ, ११, २८, २९, ४०, ४६, ६५, ८०, १३३, १५३, ३३७, ३७५, ५२३-२५; -का अर्थशास्त्र, १२, २०५, ३७०; -का अस्तित्व गांधीजीके बाद भी, २८९-९०; -का इतिहास, २८; -का प्रचार सर्वोत्तम दान, २२, २५; -का महत्त्व, २३१-३२, ४३१-३३, ५१०; -का व्यापार और न्यासिता, ८३-८४; -की प्रदर्शनीका मद्रासमें उद्घाटन, ४३१-३३, ४५६, ४९०; -की महीन और बढ़िया बनावटें, ३०-३१, ४९-५०, ४७६; -के दामोंमें विभिन्न स्थानोंमें अन्तर होनेके कारण, २९०-९१; -के पक्षमें, ४०२; -के प्रचारकी आवश्यकता, १४८, १९१, ४१५; -के सम्बन्धमें तकनीकी बातें, १३१; -के सिले-सिलाये कपड़े, २७२; -को आर्थिक सहयोगी नहीं, खरीदकर उपयोग करनेकी जरूरत, २५, ३१, ४७, ५३, ६४-५, ६७; -कोष १८३, १९४-५, ३७५; -खरीदना भगवान बुद्ध और भारतके लाखों भूखोंके प्रति लंकावासियोंका कर्तव्य, २४९-५०, २५५, २६६, २७४, २७६, २८३; -गरीबों और घनवानोंके बीचका सेतु, ८३, २१७; -द्वारा करोड़ों लोगोंका गरीबीसे त्राण, ११, २१, २८, २९, ३१, ९६-७, १३२-३३, १९७, २०५, २३९-४१, ३०१, ३३७, ३४७, ३५९-६०; -द्वारा लोकजीवन शुद्ध और उदात्त, ६६; -नगरपालिकाके कार्यका एक अंग, २०३-४; -पर निबन्ध, ३७४; -सबको

पहननी चाहिए, ८०, १३९-४०, २००-१; -स्वाधीनता युद्धका एक शास्त्र, ४९७  
खादीका अर्थशास्त्र, ३७०  
खादी पत्रिका, ४३३  
खादी भार्गवशास्त्रिका (खादी गाइड), ५१४  
खिलाफत, ३९८  
खीमजी, तुलसीदास, १२६  
खेल-कूद, -देशी और उनका पुनः प्रचलन, ३१५-६; -में खिलाड़ियों-जैसी भावनाकी जरूरत, ३११

## ग

गंगाराम, सर, ४१५  
गणेशन, एस०, ४९१  
गांधी, कस्तूरबा, १०४, २३५, २९९, ३५४, ३७८, ३८०, ३९४, ४७७; -की गांधीजी द्वारा प्रशंसा, २७५  
गांधी, खुशालचन्द, २३५ पा० टि०  
गांधी, छगनलाल, ७३, ७७, १६२, ५३३  
गांधी, जमनादास, २३५, २३६  
गांधी, देवदास, ७६, १००, १०४, १६२, १७५, १७६ पा० टि०, १७७, २२७, २३५, २४१, ३५३, ३७८, ३८०, ४३७, ४७८, ४९३, ५१८  
गांधी, नारणदास, ११४, २३५, ४११  
गांधी, प्रभुदास, १६२  
गांधी, मगनलाल, ८६, ८७, १११, ११३, ३८०, ४०४, ४५८  
गांधी, मणिलाल, २४, १००, १०४, १७३, १७५, २२३, ३७८, ४१७, ४४४, ४७७  
गांधी, मोहनदास करमचन्द, -अंग्रेजोंसे स्वतन्त्रता लेनेके लिए कोई भी कीमत चुकानेको तैयार, ४७४-७५; -और जवाहरलालके बीच मतभेद, ४६८,

४८३, ४८८-८९, —और संसारके  
निर्वल देशोंका उद्धार, ४७४-७५; —एक  
कट्टर हिन्दूके रूपमें, ३४८-४९; —के  
विचार अपने हिन्दू होनेके सम्बन्धमें,  
१७०-७१; —द्वारा उड़ीसामें अस्पृश्यता-  
सम्बन्धी शर्मनाक घटनाका वर्णन, ४२२-  
२४; —द्वारा तमिल-भाषा तथा ति-  
क्षुरलका अध्ययन, ९४, — द्वारा हिन्दू  
धर्मको एक नई 'स्मृति' की भेंट, ४९२;  
—ने लंगोटी पहननेकी घटनाकी मदुरैमें  
याद दिलाई, ५०-५१

गांधी, रामदास, २४, ५९, ६४, ११४,  
४७८, ५०६ पा० टि०, ५०७ पा० टि०,  
५१८, ५२०

गांधी, सुवीला, १०४, १७५, २२३, ३७८,  
४४४, ४७७

गांधी, हरिलाल, २२४

गांधी; —का उद्धार, ४१६; —का सगठन  
स्वराज्य प्राप्तिकी कुंजी, ३३३

गाइड टु हेल्थ (आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य  
ज्ञान), ४१९, ४६३

गिहने, एच० ए० जे०, ४०२

गिहवानी, आचार्य, १२५

गुजरातकी बाढ़, —में अमेरिकाकी सहायता,  
३६९

गुजरात विद्यापीठ, १२५, ४५०, ४८४-  
८७; —का पुनर्गठन, ५२३-२४

गैरिसन, २२६

गो-मूजा, १७१

गो-बलि, —और 'वेदो' में गो-भक्षण, ५८-९

गो-रक्षा, —पर पुस्तक ४०५, ४६२;  
—सम्बन्धी पुरस्कार निवन्ध, १२६-२७;  
—सम्बन्धी प्रस्ताव, ४३९-४०

गो-बध, १९५, ४३६; —और इस्लाम, ४५३

३५-३८

गोखले, गोपालकृष्ण, ३०७; —की राजनीति-  
को धर्ममय बनानेकी उत्कट अभिलाषा,  
३०५

गोपालन, पी० सी०, १४५-४७

गोमती, १६४, १६६

ग्रे, ४८५

ग्रेग, रिचर्ड बी०, २६७, ४३६, ४९१, ५२१

(द) ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, ४६१  
पा० टि०

ग्लैंडस्टन, २६२

घ

घंजेखर्जा, ५१०

चंदूलाल, डा०, ५३०

चटर्जी, ३०

चतुर्वेदी, बनारसीदास, २२६

चमियप्पन, टी० एम०, १४६

चरखा, १४, २००, २३८, ३०९, ३३२,  
३५४, ४०२, ४१६, ४३३; —और

कांग्रेस, १५९; —और महिलाएँ, ४४-५,  
६६, ४३५; —शुधापीडित गाँववासियों-

की गरीबी दूर करनेके लिए, ३६,  
५१, ६५, ८०, १४५, २४१, ३५९-

६०; —विश्वासकी कसौटी, ३६४-५;  
—[खे]का आर्थिक, सांस्कृतिक और

लाक्षणिक अर्थ, २८४-५, ३६४-५; —का  
महत्त्व, ११, १२३-४; —का नया

मॉडल, ५००; —का सन्देश, ३६, ४७,  
३४१; —के सम्बन्धमें दक्षिणमें उत्साह,

२०७, २०८; —में सुधार, १८५  
चरित्र-निर्माण, १४४, १८२, १९०, २१७,  
३००, ३१७, ३६६, ३७६, ३९४

चाय, —पीनेकी आदत, १९०

चित्रे शास्त्री, २०६

चीन, —में ईसाइयोंके विरुद्ध आन्दोलन,  
२५७; —में सशस्त्र-क्रांतिकी सफलता,  
५१२

चेट्टियार, आर० के० घण्मुखम्, ४१, १५८  
चेट्टियार, एम० एन० चिक्कण, १७९  
पा० टि०

चेट्टियार, चोर्कालिगम्, ३०

चेट्टियार, टी० एस० अविनाशालिगम्, १७९  
पा० टि०

चेट्टियारों; —को सलाह, २०-२२

चेट्टी, टी० एस० कंदस्वामी, १७९ पा० टि०

चेडा, गोविन्दजी, ४०४

चोकसी, नाजुकलाल एन०, ४६०, ४६६

## छ

छोटेलाल, ३५, ८७, १०१, १११, १६१,  
१८३, २२५, २९४

## ज

जगदीशन्, टी० एन०, ४६७ पा० टि०

जनक, २२, ३३

जन-मत, —का मूल्यांकन, ५०८-९

जमनादास, २३५, २३६

जयदयाल, ३७७

जयवर्द्धन, जयरामदास, ४०८

जरतुवत, ३४०

जरासंध, ३९८

जातियाँ, —और उनके बाड़ोंका नाश, ५०६-  
८; देखिए वर्णाश्रम भी

जिनेन्द्रदास, जे० एन०, ३९१

जिन्ना, मु० अ०, ३६८ पा० टि०

जीवी, २३७

जुआ, १८२, २९३, ३८७

जुगलकिशोर, बाबू, ४२१

जुस्ट, ४७८

जेबुलिसा, वेगम, ४२५

जेमिनर, कुमारी, ४८१

जेराजाणी, विट्टलदास, ७९

जैन-धर्म, २६०; —और बुद्ध-धर्म हिन्दू-धर्मसे  
अलग नहीं, १७१

जोगेश बाबू, ४२

जौडनीकोश, २१० पा० टि०

जोजेफ, डा०, ३८६

जोशी, छगनलाल, ७४, ११२-१३, ३७४

## झ

झवेरी, उमर हाजी अहमद, ५२५

झवेरी, गंगाबहन, २१३

झवेरी, रेवाशंकर जगजीवन, १२६, ४३७

## ट

टकर, ४३६

टाइम्स, २४२

टाइम्स ऑफ सीलोन, २४२

टाटा, सर रतन, ३०२

टॉमसन, ५७, २१९

टॉलस्टॉय, २५८, २७८

ट्रेड यूनियन, —का उपयोग, २६६

## ठ

ठक्कर, अमृतलाल, ११६, ४६४, ५२५

ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, १८९

## ड

डायर, जनरल, १८०, २१९, ४४१ पा० टि०

डायस, आर्थर वी०, ३१२

डार्विन, २५८

डे, निर्मलचन्द्र, ४१८

डेली डिस्पेच, ४९६

डोक, ऑलिव, ४१०

डोक, जोजफ, ४१०

डूमण्ड, डा० हेनरी, ४६१

त

तकली, -विद्यार्थियोंके लिए, १३८, १३९,  
२००, २०४

तकली स्पर्निग, २६७

तमिल, -भाषाको तमिलनाडुमें प्राथमिकता,  
९४; -सीखनेके लिए गांधीजीका  
प्रयास, ९४

तम्बीराजा, २७४

तारिणी, १८५

तिरुक्कुरल, -के अध्ययनकी गांधीजीकी इच्छा,  
९४

तिलक, लोकमान्य बालगंगाधर, ९३, २१८,  
३९९, ४०१

तीर्थयात्रा, -और धर्म, ४३५

तुलजापुरकर, सुभद्रा, ४२५

तुलसीदास, १७४, ४६७

तेहलरमानी, २३४

तैयबजी, अब्बास, ३५२, ४६६

तैयबजी, रेहाना, ३५२, ४०७

त्यागी, चन्द, २९४

त्रावणकोर, -में असूक्ष्मता निवारण, १०१-६,  
११७, ११९-२१; -में खादीका प्रयोग,  
१२३-२४; -में नशाबन्दी, १२३

त्रिनेत्र (खट्ट), ३९९

त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस, १०७

थ

थडानी, २२४

द

दक्षिण आफ्रिका, -के अनुभव, ३०१-३;  
-में भारतीयोंके लिए किया गया काम,  
३४५; -में सत्याग्रह, १

दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास,  
४९१ पा० टि०

दमयन्ती (वैदर्भी), ८९, ३६१, ४८६

दयानन्द, स्वामी, १६, ४३४

दयालजी, १६९ पा० टि०, १७२

दलित वर्ग, -और हिन्दू-धर्म तथा उनकी  
सामाजिक स्वतन्त्रता, १४५-४७;

देखिए असूक्ष्म भी

दलित वर्ग विकास समिति, ४३१ पा० टि०

दलीपसिंह, जस्टिस, १६, १७

दवाएँ, -और उनकी दासता, ४७६; -देशी

और मौलिक अनुसन्धान, ४९९

दशरथ, ४६७

दस्तकारी, -का पुनरुद्धार, ३१६-७

दहेज, ३६१

दातार, एस० जी०, ४२८

दाहू, ३८० पा० टि०

दास, देशबन्धु चि० रं०, ३९९

दास, रामेश्वर, ४०५

दासगुप्त, सतीशचन्द्र, ५, ४२, १८४, २९५,

४५९, ४६९, ४८४, ५००, ५१५, ५३३

दासगुप्त, हेमप्रभादेवी, ४३, २९५, ४५९,

४८४, ५०२, ५२२

दीवान, -कोचीनके, १३२; -त्रावणकोरके,  
१०५

दूध, -सम्भरणका काम नगरपालिका करे  
और गरीबसे-गरीब व्यक्तिके लिए सुलभ  
करे, २४७

दूनीचन्द, लाला, ४४०, ४४१, ५१५

देवदासी-प्रथा, -का अन्त, ३८, ५५, १३५,

१४२-३, १५४, १५९, ३८९; -से

प्राचीन संस्कृतिको कोई लाभ नहीं,

३३९-४०

देवीचन्द, ४१९



देवीदास, सेठ, ५२५  
 देसाई, प्रागजी, १५, २३, २४, १००, ११८  
 देसाई, महादेव, १ पा० टि०, १९ पा० टि०,  
 ४२, ६८ पा० टि०, ७१, १०४, १०५  
 पा० टि०, ११४, १६१, १७८, २३५,  
 २६२ पा० टि०, २९८ पा० टि०,  
 ३७६ पा० टि०, ३८०, ३८६, ३९०,  
 ४६९ पा० टि०, ४७१ पा० टि०,  
 ४७९ पा० टि०, ५१८ पा० टि०,  
 ५१९ पा० टि०  
 देसाई, बालजी गोविन्दजी, १२६, ४०५  
 देहान्तरण, ८९, ९०  
 द्विपत्नीत्व, ४८

## घ

घन, —की आवश्यकता, कांग्रेस-कार्यके लिए,  
 १३०; —के प्रदर्शनकी निन्दा, २१  
 घर्म, —४४, २५६; —और तर्क, १०३;  
 —और तीर्थयात्रा, ४३५; —और नीति,  
 २६६; —और मन्दिर, ३९; —और  
 राष्ट्रवाद, ९५-६; —और शिक्षा, १४३,  
 ३१७; —परिवर्तनकी आवश्यकता नहीं,  
 ४८०-१; —में बुनियादी एकता, ३००-  
 १; —सत्य और अहिंसा है, ५१०  
 घर्मनिरपेक्षता, —शिक्षामें, १४३  
 घर्मपाल, अनागारिक, २५२  
 ध्रुव, आनन्दशांकर बापूसाई, १२६  
 धूम्रपान, —की बुराईयाँ, १३९-४०, १९०-१,  
 ३७२-३  
 धूलिया, ४६२

## न

नगरपालिकाएँ, २४६; —और जन-सेवा,  
 २७९-८०; —जनताको सस्ता दूध सुलभ  
 करें, २४७-८

नडसेन, एलिजाबेथ, ५३४  
 नदी, —के जलको दूषित करना ईश्वरके  
 प्रति पाप, १२-१३; —को स्वच्छ रखने-  
 की आवश्यकता, ९८  
 नय्यर, प्यारेलाल, ७१, २३५, ३८६  
 नवजीवन, १२६, २३६, २८९, २९१, ३९२,  
 ४०५, ४३४, ४६० पा० टि०, ४६२,  
 ५२२  
 नवीन, ४५९  
 नाटकणी, एस० डी०, ११८, २०६, २६७,  
 २६८  
 नानासाई, २९७  
 नायडू, सरोजिनी, १८६; —को कुमारी  
 भेयो द्वारा भारतके सुयशको पहुँचाई  
 गई हानिको दूर करनेके लिए अमेरिका  
 जानेका निमन्त्रण, २४३ पा० टि०,  
 ४५७  
 नायर, के० केलप्पन, १९४, ४३१, ४९२  
 नारद, ३६१  
 निकलसन, डा० जॉन, ४७८  
 निरामिषाहार, —की श्रेष्ठता, ३९५-६  
 निखिल, ४३, २९५, ४५९, ५२२  
 निरंजन बाबू, ३८६  
 निर्मयता, —३८४-५, ३८७, ४२३  
 निर्वाण, २५४  
 निषादराज, २९  
 नीमूबहन, ५२०  
 नील, जेम्स जॉर्ज स्मिथ, —की प्रतिमाको  
 हटवानेका प्रस्ताव मद्रास विधान  
 परिषद द्वारा अस्वीकृत, २०९; —की  
 प्रतिमाको हटवानेसे सम्बन्धित मद्रास  
 विधान परिषदकी कार्रवाईसे गांधीजी  
 अप्रसन्न, २१८-२०; —की प्रतिमाको  
 हटवानेके लिए आन्दोलन, ५५-५८

नील, हेनरी, ३८९  
 (ब) नेधुरल लॉ इन द लिपरिचुअल वर्ल्ड,  
 ४६१ पा० टि०  
 नेहरू, कमला, ४४९  
 नेहरू, जवाहरलाल, ४५०, ४५९; —और  
 गांधीजीके बीच मतभेद, ४६८, ४८३,  
 ४८८-८९; —द्वारा कांग्रेसके मद्रास  
 अधिवेशनमें पास किये गये प्रस्ताव  
 गांधीजीको अस्वीकार, ४४८-४९  
 नैतिकता, २८६-८७, २९२-९३; —और धर्म,  
 २६५-६; —में विश्वास, ५२९  
 नौरोजी, दादामाई, ३७, २७७, ३०२,  
 ४७३  
 न्यासिता, —और खादीका व्यापार, ८३;  
 —और धनिकोंका कर्तव्य, ८३  
 न्यू इंडिया, ४२  
 न्यू टेस्टामेंट (नया करार), ३२३, ३४५

प

पंड्या, मो० का०, ४३३ पा० टि०  
 पटनायक, बाबू निरंजन, २९४  
 पटेल, डाह्यामाई एम०, २३३  
 पटेल, मणिवहन, ४४, ३७७, ४४६  
 पटेल, वल्लभमाई, ६४, ९४  
 पट्टणी, प्रभाशंकर, २३०, ४८२  
 पण्डित, वसुमती, ४०४  
 परमेश्वर, १९९  
 परीख, नरहरि, २११  
 पर्दा, ८३, ४३५, ५१५  
 पश्चिम, —और पूर्व, ३१६, ३३१-२, ३४१;  
 —का एकाधिकार अनुसन्धान करनेके  
 मामलेमें, ४९९; —द्वारा उत्पीड़न,  
 ४७४  
 पांचवें पुत्रको बापके आशीर्वाद, ४४७ पा० टि०  
 पारनेरकर, २२५, २९४

पारसी, ३४७; —और गांधीजी, २७७-७८,  
 ३०१-२  
 पारेख, कान्तिनाथ हरिवल्लभ, ४  
 पारेख, देवचन्द, ११६  
 पार्थसारथी, आर०, १८७  
 पार्वती, ३६०-६१  
 पिट, डब्ल्यू० एच०, १३६, ४६४, ४८५  
 पिट, श्रीमती डब्ल्यू० एच०, १३६  
 पिल्ले, आरंवलरयथायम्, ९६  
 पिल्ले, के० वी० वेंकटाचलम्, १७९ पा० टि०  
 पिल्ले, पी० तिरुकोट्टासुन्दरम्, ४०५  
 पिल्ले, विश्वनाथ, ९६, ४०६  
 पुणताम्बेकर, एस० वी०, ६९ पा० टि०, ३७४  
 पुनर्जन्म, ८९-९०  
 पुनर्विवाह, —बृद्ध विधुरोंका, ९०, ९२  
 पुराण, —का अध्ययन, ४००  
 पुरुषोत्तम, ४१२  
 पुरुषोत्तम, विठ्ठलदास, ४६३  
 पुरुषोत्तमदास, १२४, १८६  
 पूर्व, —और पश्चिम, ३१६  
 पेटावल, कैप्टेन जे० डब्ल्यू०, १८५, १८६,  
 ३९७, ५१६  
 पेटिट, मीठूबहन, २२०, २७२  
 परिव्रजनायगम्, एस० हंडी, ४०८  
 पोद्दार, रामेश्वरदास, १७०, ३५५  
 पोलक, एच० एस० एल०, ४७६  
 प्रबोध, ४६७  
 प्रभा, २३७  
 प्रभावती, १७४, ४४७, ५२०  
 प्रवासी कानून, १८  
 प्रसाद, ब्रजकिशोर, ५२० पा० टि०  
 प्राकृतिक चिकित्सा, —और मिट्टीका प्रयोग,  
 ४६३, ४६६; —के अन्तर्गत आहार-  
 विषयक प्रयोग, ४९९; —के अन्तर्गत

- कूने-स्नान, गर्भस्रावके उपचारके लिए, ४७८
- प्रान्तीय भाषाएँ, —और अंग्रेजी, ३७९, ५२५; —और हिन्दी, ३७३; —[ओं] के अस्तित्वको बनाये रखना, ६०; —के बीच हानिकर स्पर्धा, ३७९; —के माध्यमसे शिक्षा, ९४, ३१५
- प्रान्तीयता, —राष्ट्रीयतामें बाधक, ३७९; —स्वतन्त्रताके लिए रुकावट, ४२४-२५
- प्यारेलाल, देखिए नय्यर, प्यारेलाल
- प्रार्थना, —आत्म-शान्तिके लिए, ३७६; —का अर्थ, ५२२; —का महत्त्व, ४१७; —की आवश्यकता, १४४; —की उपयोगिता, ३७५-७६; —में संगीत, ४७०
- प्रेम, —का अर्थ, १६९, ४७०
- प्लिमथ ब्रदर, २६२-६३
- फ**
- फड़के, वि० ल०, २२९, २९७
- फरहाद, ३५२
- फॉरवर्ड, ५१५
- फूलचन्द, ४११
- ब**
- बजाज, जमनालाल, ६, ७२, ७३, ३०९, ३७७, ४०४, ४४७, ४५०, ४५८, ४८४, ४९४
- बनर्जी, डी० एन०, ५३३
- बनर्जी, सुरेशचन्द्र, ५००
- बन्धुत्व, —के मूलमूल उद्देश्य, ४७९-८१
- बर्कनहेड, लॉर्ड, ४५२, ४७२
- बहिष्कार, —ब्रिटिश मालका, ४५४, ५११-३; —विदेशी वस्त्रोंका, ५०, ६७, ५१२; —विदेशी वस्त्रोंका मिल-मालिकोंके सहयोगसे, ५१३
- ब्रह्म, १ पा० टि०
- ब्रह्मचर्य, ११३, १९१, ३२२, ३८२, ४०९, ४२९, ५१९; —और स्त्री, ३२९; —और विधवाएँ, ८९-९०; —पालनके नियम, ३९६
- ब्रह्मसमाज, १४७
- बाइबिल, ३२३, ३५७
- वापी नीडु मगुन्टी, २०२
- बारडोली सत्याग्रह, —का गांधीजी द्वारा समर्थन, ४००-९
- बाल-कल्याण, ३८९
- बाल-विधवाएँ, ५५; देखिए विवाह भी
- बाल-विवाह, ५५, ८१; —एक पाप, ४८; —का उन्मूलन, १५४; —की बुराई, ६५-६
- बालकृष्ण, ३५, ७७, ८६
- बालि, ३८९
- बालुमाई, ४४५
- ब्राह्मण, —और अन्नाह्मणके बीच तनावपूर्ण सम्बन्ध, १-३; —और अन्नाह्मण बराबर हैं, १-३; —और अस्पृश्यता, ८८-८९, ९८-९९, १५२, २६७; —की सारस्वत जातिमें विवाह सम्बन्धी सुधार, ९२; —की श्रेष्ठ सेवाएँ, १८०; —पुरोहित और अस्पृश्यता, १०१-२, ११०
- बिकनेल, रेव० जे०, ३४४
- बिड़ला, घनश्यामदास, ७२, २२९, ४५८
- बुद्ध, २७५, २८०, २८१, २८६, ३१३, ३१४, ३१९, ३२०, ३३१, ३३९, ३४०, ४७१; —की शिक्षाओं और बौद्धोंके व्यवहारमें असंगति, २५४-५५; —की शिक्षाएँ, २४९, ३२२-२५, ३४९-५०; —के गांधीजी अनुयायी, २५२; —द्वारा पशु-चलि का विरोध, ३४९-

५०; -द्वारा श्रेष्ठता और हीनताके भावका अन्त, ३५०; -हिन्दुओंके महान् सुधारकोमेंसे, २५२-५३, ३०२, ३२२, ३३६, ३३९, ३४६, ३४९, ३५०  
बुद्ध गया मन्दिर, -की माँग, लकाके महा-  
मिष्णु द्वारा, २५२; -की प्राप्तिमें  
सहायता देनेका गांधीजीका आवधान, २५३-५४, २८१, ३१८

बुनकर, -और मद्यपान तथा जुआ, १८१-  
८२

बुनाई, देखिए हाथ-बुनाई

बुराई, -एक नकारात्मक शक्ति, ४८२;

-का शमन रामकी कृपासे, २६५;

-के बदले भलाई, ५६

बेसेंट, डा० एनी, ४२

बेहुला, ८९

बैंक ऑफ इंग्लैंड, ८३

बैंकर, शंकरलाल, ९, ३०९

बैजनाथजी, ४४७

बोस, सुभाषचन्द्र, ४४१

बौद्ध, ३३८, ३३९, ३४९; -संस्कृति, ३३८-

३९; -[१] द्वारा बुद्ध गया मन्दिरकी

माँग, २५१-५२, २८१, ३१८

बौद्ध-धर्म, -और अस्पृश्यता, २७६, २८६,

३३०, ३४९; -और ईश्वर, २५३;

-और जैन-धर्म हिन्दू-धर्मसे अलग नहीं

है, १७१; -और मांस-मक्षण, ३२४-

२५; -की शिक्षाएँ, ३२२; -के अध्य-

यनके लिए संस्कृत भाषाका अध्ययन

जरूरी, ३२२; -कोई नया धर्म नहीं,

३०२-३; -भारतमें, २५२-५३; -में

मद्यपानकी छूट नहीं, २८१-८२, ३३१;

-व्यवहारमें, २५३-५५

ब्राज्म, ४८५

ब्राँकवे, फेनर, ४८७

भ

भक्ति, -पापका प्रायश्चित्त है, उपवास  
नहीं, ४६१

भगवद्गीता, १, ५, २२, ३५, ९८, १०२,

११५, १२२, १४४, १७४ पा० टि०,

१७५, १७८, २८५, ३४५, ३५१,

३५४, ३७६, ४०७, ४११, ४२५,

४४७, ४७८, ५०२, ५११, ५१८-

१९; -और धार्मिक पुस्तकोंका

अध्ययन, ३८१-८३; -छात्रोंको याद

करनी चाहिए, १८२; -पर प्रवचन,

४६०-६२

भगीरथ, ५०७

भट्ट, केशवलाल दामोदर, २३६-७

भणसाली, १११, १८३, २२२, २४४

भरत, १५३

भरूचा, ४५९

भर्तृहरि, २३६

भवानी, रानी, ८९

भाण्डारकर, डी० आर०, ३९०

भारत, -के नेतृत्वमें संसारकी निर्बल जाति-

योंकी रक्षा, ४७४-५; -नीतिमार्गसे

डिगेगा नहीं, ५२९

भारतीय, -दक्षिण आफ्रिकाके और उनसे

सम्बन्धित कांग्रेसका प्रस्ताव, ४३८-

३९; -लंकाके और उनको सलाह,

२७३, ३२६-२७, ३३०, ३४७-८

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ७१, ३०८, ४८८;

-और अस्पृश्यता, १५१-५२; -और

खादी-कार्य, ५२-३; -और हिन्दू-

मुस्लिम एकता, ४३६, ४५१-२; -का

प्रस्ताव दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके

वारेमें, ४३८-३९; -का प्रस्ताव ब्रिटिश

मालके बहिष्कारके सम्बन्धमें, ५११-

१३; —का रचनात्मक कार्यक्रम, १५९;  
—का स्वराज्य प्रस्ताव, १५२, ४४३,  
४७२; —का हिन्दू-मुस्लिम एकता  
विषयक प्रस्ताव, ४४८; —की अखिल  
भारतीय कमेटी, २०८, ३६८ पा० टि०;  
—की खादी प्रदर्शनी मद्रासमें, ४३१-  
३२, ४५५-६, ४९०; —की ख्याति,  
३०३; —के प्रस्ताव महज कागजी  
लिखात-पढ़ी न बने रहें, ४५४; —के  
मद्रास अधिवेशनके सम्बन्धमें गांधीजीके  
विचार, ४४३; —के मद्रास अधिवेशनमें  
प्रस्ताव, ४४८ पा० टि०, ४५४, ४७२;  
—को महज प्रस्ताव पास करनेकी अपेक्षा  
उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ४७२;  
—द्वारा बुद्ध गया मन्दिर सम्बन्धी  
विवादके हलका प्रयत्न, २५१-५२

भास्करन, वी० एस०, ५१३

### म

मजमूदार, गंगाबहन, ६२ पा० टि०

मणि, १११

मथाई, राव साहब, १४१ पा० टि०

मदर इंडिया, २४२ पा० टि०, ४५७

मदुरै, —में गांधीजी द्वारा लंगोटी अपनानेकी  
घटनाका उल्लेख, ५०-५१

मद्यनिषेध, देखिए मद्यपान

मद्यपान, १३, ५४, १३५, १४०, १८२,  
१९१, १९५, २६५, २७४, २९२,  
३१८, ३२८, ३६६, ३७२, ३८७,  
४७४; —आयका एक अनैतिक जरिया,  
१३५; —और ईसाई-धर्म तथा इस्लाम,  
२७६; —और दूसरी बुराइयाँ श्रमिकोंमें,  
३०७-८; —और मद्यनिषेध अमेरिका  
तथा दूसरे स्थानोंपर कानून द्वारा,  
३३४-३५; —और हिन्दू-धर्म, ३१३,

३५१; —ईश्वर और मानवताके प्रति  
जघन्य अपराध, ३१२; —का उन्मूलन  
कोलम्बोमें, २४८; —के विरुद्ध अमे-  
रिकामें लड़ाई, २७६; —को छोड़नेका  
अस्पृश्योंको आदेश, ३३६; —त्रावण-  
कोरमें, १२२-२३; —बौद्ध धर्मकी भाव-  
नाके विरुद्ध, २८१-८२, ३३१; —सांपके  
काटनेसे भी बदतर, २८५-८६

मनमोहन बाबू, ४८४

मन्दिर, —और धर्म, ३९; —ईश्वरके लिए,  
२९७; —[ ]का निर्माण, २२; —के  
निर्माणमें विचार शुद्धि, ५०५; —को  
पवित्र रखनेकी आवश्यकता, ३५०

मन्दिर-प्रवेश, २०७; —और अस्पृश्यता,  
८४-५; —मलाबारमें, १४६

मलकानी, अध्यापक, १२५, २२४

मशरूवाला, किशोरलाल, १६४

मशीन, —बनाम चरखा, २८५; —से भारतकी  
रक्षा, ४९१-९२

महाभारत, २१, १०२, २९५, ३४८, ३५१,  
३८२, ४००

महाराजा, —कोचीनके और अस्पृश्यता निवा-  
रण, १३४-३५; —कोचीनके और उनके  
घरमें खादी, १३२; —त्रावणकोरके,  
१०५ पा० टि०

महारानी (त्रावणकोरकी), १२०-२१; —और  
अस्पृश्यता निवारण, १०५-६, १०८;  
—द्वारा पशु-बलि निषेध, १९०

महावीर, ५११

महिन्द, ३१४

महिलाएँ, —और अस्पृश्यता, १५३; —और  
चरखा, ४३४-३५, मुक्तिका प्रतीक,  
६७; —[ओं] का भारतके पुनरुद्धारमें  
स्थान, ४६; —का सौन्दर्य उनकी आन्त-

रिक्त शुद्धतामें, २९, ४०, ४६; —का  
सौन्दर्य उनके आमूषणोंमें नहीं, ६५,  
८०-८१, १३६, १५५, २०१, २९८-  
९९; —की उन्नति, ३०७; —की खादी  
पोशाकोकी किस्में, ५२३-२५; —की  
पुरुषोंसे समानता, २९८-९९; —की  
सहिष्णुता, ३८८; —की शादीकी उम्र,  
८१, ५१९; —के वस्त्रोंमें सादगीकी  
जरूरत, २९४; —को आदरकी दृष्टि-  
से देखना, २१७; —को आमूषण त्याग  
करनेकी सलाह, ४११, —खादी कोषके  
निमित्त ११, ८०, ८१; —से कताई  
करनेका आग्रह, ११, ४६-७, ६६-७,  
१५३; —से खादी पहननेका अनुरोध,  
११, २८-९, ४०, ४६-७, ६५-६, ८०-  
१, १३२-३३, ३३७, ३४७, ३७४-५;  
—से देवदासी प्रथा समाप्त करनेमें  
मददकी अपेक्षा, १५४

महेन्द्र, २९८, ३३१

मांस-भक्षण, ३९५-६

माई गांधी, ३६९

माणिकलाल, ४५९

मातृभाषा, १९९; देखिए प्रान्तीय भाषाएँ भी

माघवन, टी० के०, १२१

मार्तण्ड, ६

मालवीय, मदनमोहन, ७३, ३९९, ४०१,

४३३, ४३६, ४४३, ४५२, ४५८,

४६५, ५००, ५०१

मालिक, —कर्मचारियोंके न्यासियोंके रूपमें,

२८६

मिट्टीका इलाज, ४६२, ४६६-७

मिलका कपड़ा, —वेशी बनाम विदेशी, ५०१,

५१२-१३

मिल मालिक, —और हाथ कताई, ६१, ६२

मिश्र, राजेन्द्रप्रसाद, ५१५

मीठूवहन, देखिए पेटिट, मीठूवहन

मीराबहन, ७, ४८, ४९, ५९, ६३, ६९,

७३, ७६, ७८, ८७, ९२, १०१, १११,

१६०, १७६, १८३, २११, २२२,

२२३, २२५, २४३, २९४, ३५१,

३९४, ३९५, ४३५, ५०४

मुंजे, डा० वी० एस०, ३९९, ५१६

मुखर्जी, घनगोपाल, २४२

मुत्तुलक्ष्मी, डा०, १५४, १६०

मुसलमान, १६३, २०८, ३०९, ३३८,

३४०, ३४४, ३४७, ३६८, ४३६,

४५०, ४५१, ४७९, ५०५; —और

उनके लिए पृथक् विश्वविद्यालय, ५१६;

—और खादी, १३२; —और गांधीजी,

३००; —और राष्ट्र-हित, १०; —और

हिन्दू, ७२-३, २१४-५, २३०, ३४४-५,

४०१, ४५३; देखिए हिन्दू-मुस्लिम

एकता भी

मुसोलिनी, २१०

मुहम्मद, पैगम्बर, २५८, २५९, ३३९-४१

मुहम्मद अली, ५०, २१५ पा० टि०;

देखिए अलीवन्दु भी

मूर्ति, गोपराजू सत्यनारायण, ४०६

मृत्युजय, १७४, ४४७, ५२०

मृत्यु, —पर शोक नहीं, २९५, ४९३

मेठ, १५, १८, २४, ११८

मेनन, टी० के० रामुन्नी, ४२१

मेनन, राघव, १४५

मेनन, वी० के० शंकर, ४३१ पा० टि०, ४९८

मेयो, कैथरीन, २४२ पा० टि०, ४५७

मेहता, डा० जीवराज, १९, ४०३

मेहता, नरसिंह, २२८

मेहर, तुलसी, २२६

मेहरोत्रा, परशुराम, २१४  
 मैकस्विनी, ३७६  
 मैक्समूलर, १७९; —के विचार हिन्दू-धर्मके  
 सम्बन्धमें, २६९  
 मैलेसन, ५७  
 मोक्ष, ८९, ९०; —की प्राप्ति गुणातीत  
 होनेपर, ४६१-६२  
 मोती, ४६०  
 मोदी, रमणीकलाल, ६, १६७, ५३३  
 मोहनलाल, ३७७

## य

यंग इंडिया, १६, १९ पा० टि०, ५८,  
 ६० पा० टि०, ८१ पा० टि०, ८८,  
 ८९, ११८ पा० टि०, १२० पा० टि०,  
 १७१, १७८ पा० टि०, २०८, २६७,  
 ३४९, ३५४, ३८३, ३८५ पा० टि०,  
 ३९२, ४०६, ४१३, ४१७, ४२८,  
 ४४०, ४६० पा० टि०, ४७५, ४७७,  
 ४८८, ४८९, ४९१ पा० टि०, ४९२,  
 ५००, ५०२ पा० टि०, ५१६, ५३३

यूनिटी, ३६९

यूनियन जैक, २१८

## र

रंगीला रसूल, —पर लेख, १५-७  
 रणछोड़दास, ४३४  
 रतिलाल, ४९३  
 रत्नम्, श्रीमती, १३२  
 रमणीकलाल साई, देखिए मोदी  
 रमीबहन, २२७  
 रमेशचन्द्र, ३९५  
 रस्किन, २२१  
 राजकिशोरी, २१५  
 राजगोपालाचारी, च०, ४ पा० टि०, ९,  
 १४९, १६०, १८० पा० टि०, २२१,

२३५, ३२६ पा० टि०, ३४७, ३५३,  
 ३७०, ३८६, ४०८, ४३१, ४७७,  
 ५२०, ५३२; —'एकमात्र सम्भावित  
 उत्तराधिकारी', ३४

राजन्, डा०, ४, ८, ७६, १०४, १७५  
 राजनीति, —एकमात्र पेशा, ३०७; —को  
 धर्मसय बनाना, ३०५  
 राजनीतिक कैदी; —उनके कष्ट और स्वत-  
 न्त्रता-प्राप्ति, ४४०-२  
 राजमन्नार, गडे, ४०३  
 राजसत्ता, ५२८

राजू, इक्वाटूरी संन्यास, ४०३

राजेन्द्रप्रसाद, डा०, ३७०, ४४७

राज्य, —और खादी, २०५; —और सत्याग्रह-  
 संस्थाएँ, ५३०, ५३१; —का शासन,  
 ५०९; —की आलोचना नहीं बल्कि  
 उसमें व्याप्त भ्रष्टाचारके विरुद्ध लड़ाई  
 करनी चाहिए, ५०३-४, ५२५-२९;  
 —देशी और उनके राजाओंको सलाह,  
 ५२८-२९; —में प्रजातन्त्र सम्भव, ५२७

रानडे, न्यायमूर्ति, २३९

रॉबर्टसन, हारकोर्ट, ४९६, ४९७

राम, ४०, १५३, १७०, १८८, २६४,  
 ३७५, ४०६, ४६७, ५०८-१०; —अनु-  
 श्रुतिके, २६४; —और स्वशासन, २६४;  
 —एक ईश्वर, २६४; —द्वारा लोकमतका  
 आदर, ५०८; —शूद्रका सर काटनेमें  
 सर्वथा असमर्थ, २६७

रामकृष्ण, ४०९; —के वचन नीजवानो  
 द्वारा ईश्वरकी साधनाके लिए,  
 ३८१-८२

रामकृष्णराव, ठाकुर, ४०३

रामचन्द्रन, २३४, ४५०

रामचरितमानस, १६८ पा० टि०, १७४  
 पा० टि०

रामदेवजी, १२५  
 रामनाथन, ३६५  
 रामनाथन, सर पी०, ३५९  
 रामनाथन, लेडी, ३५९  
 रामनाम, —की महिमा, १७०, —बुरे विचारोको दूर रखनेके लिए, ३९३; देखिए प्रार्थना भी  
 रामनारायण, ७  
 रामराज्य, ८०, १५३; —और स्वराज्य, ३०८, ४३५; —की स्थापनामें जातियाँ बाधक, ५०७-८; —गांधीजीकी दृष्टिमें, ५०८-९  
 रामलिंगम् पंतुलु, जल्लव, ४०३  
 रामायण, ३०८, ३५१, ४६७ पा० टि०, ५०२, ५०८  
 रामी, ४७८  
 राय, डा० वि० च०, ४९८, ५००  
 राय, डा० प्र० च०, १८६, ३९७  
 राय, मणीन्द्रचन्द्र, ४२०  
 रावण, २६४, ५१०  
 राष्ट्रवाद, —और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद, ९६; —और प्रान्तीयतावाद, ३७९; —और साम्प्रदायिक संस्थाएँ, ५१६-७; —और स्थानीय रीति-रिवाज, ५२४; —का सार, ३३३  
 राष्ट्रीय शालाएँ, ९३, २३१; —और गुजरात विद्यापीठ, ४६७  
 रीति-रिवाज, —और नैतिकता, ३४०; —और पोशाक, ५२४; —प्राचीन, छोडने नहीं चाहिए, ३१६  
 रुस्तमजी, पारसी, १८६, ३०१, ३०२  
 रेड्डियार संगम, कोलम्बो, ३२७

रेनॉड, मेजर, ५७  
 रेल, —और तीसरे दर्जेके यात्रियोंकी सुविधाएँ, ७५-६, —ग्रामीणोंके लिए भार-स्वरूप, ६७  
 रोजेनग्रीन, एडा, ३८८  
 रोना, ५०४

ल

लंका, —की भारतके साथ मित्रता, ३३२-३  
 लंगोटी, —को गांधीजीने कैसे अपनाया, मधुरैकी सभामें इसका जिक्र, ५१  
 लक्ष्मी, २२१, ३५३, ५२१  
 लक्ष्मीवहन, ३७७  
 लाइट ऑफ एशिया, ३२२  
 लाइफ ऑफ लॉर्ड हैलिफैक्स, २३४ पा० टि०  
 लाजपतराय, लाला, ३९९  
 लॉरेन्स, सर हेनरी, ७१, १६२  
 लिटन, लॉर्ड, ३८९  
 लीडर, ४९६  
 लेटर्स ऑफ पॉल, (पॉलके पत्र), ४८२  
 लोकतन्त्र, ३०८, ५०८; —और देशी रियासतें, ५२७-८  
 ल्यूक, एम० फ्रांसिस एच०, ४१२

व

वकील, —का कर्तव्य, ३२०-१  
 वरदाचारी, एन० एस०, ६९ पा० टि०, ३७४, ४०५-६  
 वर्ण, —और जाति-प्रथा, ५०६-७; —का अर्थ, ८५; —का नियम, १०८-९, १७९-८०, २६८-७१, ३४९; —में धर्म पर चलनेका ध्येय, ५०८



वर्णश्रम, —और जात-पाँत, हिन्दू-धर्म तथा  
अस्पृश्यता, १-३, ८५, १०८-१०, १५७,  
१७१, २६७-७१; —देखिए वर्ण भी  
बसुमती, ३९२  
वाइकोम सत्याग्रह, १०२; —का समाधान,  
१२०-२१  
वाइसराय, १८७, १९७-१९९, २०८, २१२,  
२३०, २३४, २४५  
वाछा, सर दिनशा, १४०  
वानलेस, डा०, ५३०  
वार्ड, प्रोफेसर हैरी, ३६९  
वाल्मीकि, ४६७  
विजयराघवाचारियर, ३९९  
विट्ठलभाई पटेल: लाइफ एंड टाइम्स,  
१६९ पा० टि०  
विद्यावती, ४४७, ५२०  
विद्यार्थी; —और आत्म-संयम, १९१; —और  
खादी, ९, ५४, ३६६; —और गीता,  
१७८, ३८३; —और तकली, १३८-  
३९; —और संस्कृतका अध्ययन, ९;  
—और हिन्दी, ९, ५४, २०१; —लड़-  
कियाँ और उनसे दयाकी देवी बननेकी  
अपेक्षा, ३५८; —[थियों]को प्रतिज्ञा-  
पालन करनेका सुझाव, १९१; —को  
सलाह, १४४-५, ३७५-६  
विधवा-विवाह, ४०९; —और हिन्दू-धर्म,  
९०; देखिए बाल-विवाह भी  
विधवाएँ, —और सेवा, ४३५  
विधुर, —और ब्रह्मचर्य, ९०  
विनयशीलता, —ईश्वरके दर्शनके लिए आव-  
श्यक, ४७०  
विन्टरटन, अर्ल, ४४१

विभीषण, २६४  
विलासिनी देवी, महारानी, १३२  
विवाह, —अन्तर्जातीय, और उसको प्रोत्साहन,  
५०७, ५१९; —आत्मसंयमके लिए,  
५१९; —और बाल-विधवाएँ, ८९-  
९०; —और मेघवाल जातिमें कर-  
उन्मूलन, २८७-८; —और वृद्ध विधुर,  
२३७; —और सारस्वत ब्राह्मण, ९२;  
—के उत्तम उपयोग, ३९१-२; —प्रथामें  
सुधार, ४८, ६५-६, ३६१; —भोगके  
लिए नहीं, ४७८; —योग्य आयु, ५१९;  
—संस्कारपर फिजूलखर्च, ३८  
विवेकानन्द, स्वामी, २४०, ३९९  
विश्वई, जी० पी०, २६०  
विश्वेश्वरैया, सर एम०, ९६, ११८, १२४  
वीरसिंह, जनरल, २१९  
वेंकटप्पीया, कोंडा, ३७२, ४०३  
वेब, २५३, ३२२, ३८२; —में गो-बलि  
और गो-मक्षण, ५८-९  
वेस्ट, एल्बर्ट, ४१७  
वेस्ट, देवी, ४१७  
वैदिक धर्म, ५८  
वैद्य, गंगावहन, १६६, १७६, २१३, २२७  
वैद्य, —चिन्तामणि विनायक, ५८, १२६  
वैलेस, २५८  
व्यास, महर्षि, ३४८  
श  
शंकराचार्य, —की मुलाकात गांधीजीसे, १४७  
पा० टि०; —कुम्भकोणम मठके, १४७  
शकुमाई, ४९३  
शम्भूक, —का सर राम द्वारा काटे जानेकी  
कथा, २६७-६८

शरतम्बल, ९३

शान्ति, १६७; -सत्य और अहिंसा द्वारा,  
४००

शान्तिकुमार, २२२

शामल, ५६

शारदा, ३४२

शारदा बहन, ८६

शास्त्र, ३८२; -और बाल-विवाह, ६५-  
६६; -और वर्णाश्रम, २६७-७१; -की  
परिभाषा, ३२; -में जातिके बारेमें  
आधार नहीं, ५०६; -अपरिवर्तनीय  
नहीं, १२८

शास्त्री, श्रीनिवास वी० एस०, १४, १८,  
१९, २३, १०४, १७३, १७५, ३४५,  
४४४, ४५७, ४६७, ४८९

शाह, फूलचन्द, ४३७

शिक्षा, -का उद्देश्य, १२४-५; -का निर्माण  
चरित्रकी ठोस बुनियादपर, १८२, १९०,  
२७७, ३००, ३६६; -का सदुपयोग  
और दुरूपयोग, ५३-४; -को उदार होना  
चाहिए, जिसमें दूसरोंके धर्मोंका अध्ययन  
भी शामिल हो, ३५७; -धार्मिक और  
नैतिक, १४४, ३१७; -बच्चोंकी, ३२-  
३३; -मातृभाषाके माध्यमसे, ९४-५,  
३१५; -में संस्कृतका समावेश, ३१५;  
-में सुधार, १४३; -सबके लिए,  
३१४-१५

शिव, ३६१

शीरी, ३५२

शुएब, ४४०

शुद्ध खादी कार्यालय, २०३

शुद्धता, -आन्तरिक और इसके लिए निवेदन,  
२१, २६, ३३

शेषय्या, सी०, १४५

शैक्त अली, १८९, २००, ३००, देखिए  
अलीबन्दु भी

श्याम बाबू, १८५

श्रद्धानन्द, स्वामी, १२६, २०१, ३६७; -का  
स्मारक, ५१६ पा० टि०

श्रम, -की गरिमा, २६३, -के अधिकार  
और दायित्व, २६६

श्रमिक, -और उनको सलाह, २६४-६, २८२,  
२८६-७, २९२-३, -और गांधीजी  
२६३, २६५; -भारतीय और उनकी  
लंकामें दशा, ३९१

श्राद्ध, -में श्रद्धा, ५०२

श्रीप्रकाश, ३९२

श्लेसिन, कुमारी, १९, २९९, ४१०, ४१७

स

संगीत, -मस्जिदोंके सामने, ४३६, ४५२

संस्कृत, -का अध्ययन बौद्धधर्मको समझनेके  
लिए, ३२२; -का अध्ययन सबके  
लिए, ३१५, ३५१; -सीखनेका  
छात्रोंको मुझाव, ८-९

संस्कृति, -प्राचीन और उसका अभिप्राय,  
३३८-९; -हिन्दुओंकी और अन्य धर्म,  
१०९-१०, ३३९

सती, २९

सत्य, १७८, २२७, २४९, २६९, ३०७,

३२३, ३३५, ३४८, ३७३, ५२६;

-और असत्य, १०९; -और अहिंसा  
ही मात्र धर्म, ५१०; -कायेंसके सिद्धा-

न्तका अनिवार्य अंग, ३०५; -की

खोज, ३२३-२४; -बुद्धिसे परे, ३२२-

२३; -मानवीय कठिनाइयोंको दूर

- करनेके लिए एक उपाय, ३५१; —संसारकी शान्तिके लिए, ४००; —शुद्ध लड़ाई और स्वराज्य प्राप्तिके लिए, ३०५-६; —सभी धर्मोंमें, ३००-१; ३३९-४०, ४००; —ही अन्ततः संसारमें टिकता है, १०३
- सत्याग्रह; —और अस्पृश्यता-निवारण, १०२-४; —और देशी राज्योंका सुधार, ५३०, ५३१; —का पक्षपोषण, ४०१; —को सविनय अवज्ञा न समझें १०७; —त्रावणकोरमें, १२०; —नीलकी प्रतिमा हटानेके लिए, १२९-३१, २१८-२०; —हिंसाके एवजमें, १४८; देखिए असहयोग भी
- सत्याग्रही, १०३, १३०; —के कर्त्तव्य, ५२९-३१
- सफाई, ३८, ९९, २९३, ४८२; —शहरों और गाँवोंमें, १२-३, २६-७, ३२, ७४-५, ९९
- सम्यता, —आधुनिक और उसे ईसाके उपदेश समझनेकी मूल, २५७; —हिन्दुओंकी, १०९
- समाज, ३७६ पा० टि०
- समानता, —का सिद्धान्त, ३१३-१४; —पुरुषों और स्त्रियोंमें, २९९; —सब प्राणियोंमें, ३२४-५
- सरकार, डॉ०, ४९८
- सरमन ऑन द माउंट (गिरि-शिखर-उपदेश), १४४, १७०, ४८२; —और भगवद्-गीता, ३४५; —और भौतिक सुख-सुविधाएँ, ३४१; —के सम्बन्धमें गाँधीजीकी व्याख्या, २५५-५७; —से शान्तिकी प्राप्ति, ३४५
- सरस्वती देवी, ९३
- सविनय अवज्ञा, —को सत्याग्रह न समझें, १०७; देखिए असहयोग भी
- सहाय, विश्वम्भर, ४१९
- सहिष्णुता, —का सिद्धान्त, ४८०
- साइमन कमीशन (शाही आयोग), २१०, २३८, २४२, ३३०, ३६५, ३७१, ४४१, ४४८, ४७२, ५३२ पा० टि०
- साकरचन्द, ३९६
- सातवलेकर, एस० वी०, ५८-५९, ३९३
- साधना, १८९, १९२ पा० टि०
- साँडर्स, १६१
- साम्प्रदायिकता, ३१३; —एक अनिवार्य दोष, ३०६
- साल्वेशन आर्मी, २९९
- सावित्री, ८९, ३६१
- सावित्री (श्रीमती वी० ए० सुन्दरम्), २३५
- सिन्ध आँव्जर्वर, ४७५
- सिन्हा, लॉर्ड, ५११
- सीता, ११, २९, ४०, ४६, ६५, ८०, ८९, ९०, १५३, १७९, १८८, २०१, २९९, ३३७, ३६०, ३६१, ३७४, ५०९; —का रामकी इच्छाके विपरीत वनगमन, ४६७
- सुकुमारन, १४५ पा० टि०
- सुधार आयोग, २७४
- सुन्दरम् (त्रिभुवनदास लुहार), १७७
- सुन्दरम्, वी० ए०, २३५
- सुब्बाया, वी० ए०, २३५
- सुब्रह्मण्यम्, जी०, ३८६
- सुरेन्द्र, ३५, ७४, ७६, ७७, ८६, १११, १७६, २४१, २४४, २९४, ३५३

सुरेश बाबू, ५  
 सुलतान सिंह, लाला, ४६५ पा० टि०  
 सेठ, विट्ठलदास आनन्दजी, १७९ पा० टि०  
 सेल्फ रेस्ट्रेंट बसेस सेल्फ इंडल्वेस, ३८८,  
 ४०९, ४९१  
 सोमसुन्दरम्, २२०  
 सोराब, १८६, २२४  
 स्टाइलथल, एफ० डब्ल्यू०, ५१७  
 (ब) स्पिरिट्स पिलग्रिमेज, ४९ पा० टि०  
 स्पेसर, ४८५  
 स्मिथ, १११  
 स्लेड, लेडी, १११  
 स्वतन्त्रता, -बनाम स्वराज्य, ४७२-५;  
 -सम्बन्धी प्रस्ताव, १५२, ४४३,  
 ४७२  
 स्वदेशी, ४५५, ५१२; -और राष्ट्र-प्रेम,  
 ५२४  
 स्वराज्य, ३३८, ३६४, ३६६, ५३४;  
 -आत्मिक शक्तिपर निर्भर है, ३०४;  
 -और असहयोग, २३२; -और कताई,  
 ४१६, -और ग्राम-सगठनोका सफल  
 संचालन, ३३३; -और रामराज्य,  
 ३०८, ४३५, ५०८-९; -एकताके बिना  
 सम्भव नहीं, ३०६; -का अर्थ, ४७३-  
 ७४, ५०२, -प्राप्तिके लिए प्रान्तीयता-  
 का त्याग आवश्यक, ५२४; -प्राप्ति  
 सत्य और अहिंसा द्वारा, ३०५; -बनाम  
 स्वतन्त्रता, ४७२-७५; -रामके सह-  
 योगसे लकामें, २६४, -व्यष्टि-परक  
 और राजनीतिक, ३०४, -सम्बन्धी  
 प्रस्ताव, १५२, ४५३; -हमारा जन्म-  
 सिद्ध अधिकार है, २१८, ३०६

स्वान्ता, श्रीमती, १३७  
 स्वावलम्बन, -गाँवमें, ४१६

## ह

हक, मौलाना मजहूरुल, ४२६  
 हक्सले, २६२  
 हवीबुल्ला, सर मुहम्मद, ४६७  
 हाउ आई बिकेम ए थियोसॉफिस्ट, ४२  
 पा० टि०  
 हाथ-बुनाई, ४५६; -और मिलका सूत,  
 ६१-६२; -का ह्रास, ६२-६३  
 हॉसबिंग, हेलेन, ४१४  
 हिंसा, ३६८, ४१०; -और असहयोग,  
 २३१; -और अहिंसा, ५२८; -और  
 खान-पान, ३९५-६; -से देशका उद्धार  
 नहीं होगा, ४४८  
 हिगिनबॉटम, सैम, ५३०  
 हिन्द स्वराज्य, ५३०  
 हिन्दी, ६४, -और एकता, २०१; -की  
 शिक्षाका खर्च, ९३-९४; -को प्राथ-  
 मिकता, ५०१; -छात्रोंके लिए, ९;  
 -जन समाजमें, ४७३-७४; -दक्षिण  
 भारतके लिए, ५४, ६०; -सामान्य  
 भाषाके रूपमें, ३७३, ३७९  
 हिन्दुस्तान टाइम्स, २१५ पा० टि०, २१७  
 पा० टि०  
 हिन्दू, १५, १०७ पा० टि०, १२१ पा०  
 टि०, १४७ पा० टि०  
 हिन्दू, १३२, १६३, २०८, ३०९, ३३६-३७,  
 ३४१, ३४४, ३४७, ३५०-१, ३७६,  
 ४५१-५२, ४७९-८१, ५०५; -और  
 अस्पृश्यता, १०२, १०६, १२०-२२,

१५०-१, १९४-९५, ३७३, ५०४-५;  
—और जामिया मिलिया, २१४, ५१६  
पा० टि०; —और पशुबलि, १८९-९०;  
—और मुसलमान, ८३, २१४, २३०,  
३४४, ४०१, ४५१-५३

हिन्दू-कानून, —में सुधारकी आवश्यकता,  
१२७-२९

हिन्दू-धर्म, १४६, १७९, २०८, ३४३, ३९८-  
९९, ५०५; —और अस्पृश्यता, ८५,  
९८-१००, १०१-२, १०५, ११०,  
११७, ११९-२२, १३४-३५, १४०-  
४२, १५१-५२, १९१, १९४-९५, २०१,  
२८६, २९३, ३४९-५०; —और गांधीजी,  
२६२-६३; —और बुद्ध-धर्म, २५२-५३,  
३२२-२५, ३४९-५१; —और वर्णाश्रम  
धर्म, १०८-१०, १५७, २६७, २७१;  
—और विधवा विवाह, ८९-९०;  
—एक अत्यन्त प्रभुत्वसम्पन्न धर्म, ४८०;  
—की खास-खास विशेषताएँ, १७०-७१;  
—के नियम अपरिवर्तनीय नहीं, १२७-  
२८; —को नई 'स्मृति' देनेके बारेमें

गांधीजीके विचार, ४९२; —में कट्टर  
हिन्दूका अर्थ, ३४८-४९; —में जात-  
पातके लिए कोई जगह नहीं, ५०६;  
—में जैन-धर्म और बौद्ध-धर्मका समावेश,  
१७१; —से सम्बन्धित ग्रन्थोंको पढ़नेसे  
ही सत्य और अहिंसामें विश्वास, ४००

हिन्दू-मुस्लिम एकता, १७, ७४, २०८, ३४४,  
३९८-९९, ४३३, ४६५ पा० टि०,  
४९४, ५१६ पा० टि०; —और अज-  
मलखी, ४४४, ४४९-५०; —और असह-  
योग, २३२; —और सरकारी नीति,  
२३०; —की आवश्यकता और सम्भा-  
वना, ५०, १८९, २००, ३३०; —के  
सम्बन्धमें कांग्रेसका प्रस्ताव, ४३६,  
४५१-५३; —जो १९२० में थी, उसका  
पुनःस्मरण, २३२; —पर लेख, ३६७-६८  
हुसेन, जाकिर, ४५०, ४९४

हैंड स्पिनिंग ऐंड हैंड बीविंग — ऐन एसे,  
६९ पा० टि०; —पर गांधीजीके विचार,  
७०-७१

होम्स, रेव० जॉन हेन्स, ३६९

